HRA AN UNIVA The Gazette of India

्र<mark>पाधिकार से प्रकाशित</mark> PUBLISHED BY AUTHORITI

सं 0 4] No. 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 26, 1985 (माघ 6, 1906) NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 26, 1985 (MAGHA 6, 1906)

हम भाग में भिन्न पृष्ठ संबंधा वी जाती है जिससे जि यह अलग संग्रसन ने कव में एका जा सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

वाव III--वाव 1

[PART III—SECTION 1]

उत्त स्वायालयों, नियम्बक और महालेकापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं [Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Unio Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा ग्रायोग

ं नई दिस्सी-110011, विनांक 21 दिसम्बर 1984

सं० ए० 12025/1/84 (1)—प्रसा० 1—केन्द्रीय सिष्वालय स्टेनोग्राफर सेवा के ग्रेड "ख" की नियुक्ति के लिए सिष्वालय स्टेनोग्राफर सेवा के ग्रेड "ख" की नियुक्ति के लिए सिष्वालित समिति विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 1983 के साधार पर गृह मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा संवार मंत्रालय के संवर्ग में वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (के० स० स्टे० से० का ग्रेड ख) के रूप में मनोनीत किए जाने के परिजामस्वरूप, देखें उनका का० ज्ञा० सं० 7/1/84—सि० से० 11 दिनाक 15 निवम्बर, 1984, संघ लोक सेवा आयोग के के० स० स्टे० से० संवर्ग में श्री भरत राम प्राण्लिपिक ग्रेड "ब" (वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक) को 21 दिसम्बर, 1984 भाषराह्म से सं० लोक से० श्रा० से कार्यम्वत कर दिया गया।

एम० पी० जैन ग्रवर सचिव (प्रशा०) मंघ लोक सेवा आयोग

केन्द्रीय सतकंता आयोग

नई दिस्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 1984 सं० 2/14/83 प्रशासन—केन्द्रीय सतर्कता भ्रायोग में उनकी बदाबिक समाप्त होने पर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियन्ता (सिविल), श्री के० ए० नानकानी, इस आयोग में प्रतिनियुक्ति तकनीकी परीक्षक (सिविल) को 1-1-1985 से 2-3-1985 तक 61 दिन की अजित खुट्टी दी जाती है। उन्हें 3-3-1985 रिवबार को छुट्टी में जोड़ने की अनुमति दी गई है।

2: छुट्टी की समाप्ति पर श्री के० ए० नानकानी की सेबावें निर्माण सहानिदेशालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विद्यास, नई दिस्ली को सौंपी जाती हैं।

> कृष्ण लाल मस्होस्रा, श्रवर सचिव कृते केन्द्रीय सतर्कता श्रायुक्त

गृह मंद्रालय

पुलिस ग्रनुसन्धान एवम् विकास ब्यूरो नई दिल्ली--110 001, विनांक दिसम्बर 1984

नइ दिल्ला-110 001, दिनाक दिसम्बर 1984
सं 3/37/84-प्रशा०-1--राष्ट्रपति महोदय श्री पी०
एस० भिंडर, श्राई० पी० एस० (हरियाणा-1958) को पुलिस
श्रनुसन्धान एवम् विकास ब्यूरो में 28 दिसम्बर, 1984 के
पूर्वाह्न से, 2500-2750 रुपए के वेतनमान में, निदेशक (श्रनु०
एवम् विकास) के पद पर श्रगले श्रादेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।
एस० के० मिल्सक

महा मिसेशक

कार्मिक एउ प्रणासनिक सुधार विभाग केन्द्रीय ग्रस्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनाक 5 जनवरी 1985

स० एस-4/70-प्रशासन-5--राष्ट्रपति ने श्री एस० के० भारद्वाज को दिनक 22 दिसम्बर, 1984 के पूर्वाह्न से ग्रगले ग्रादेण होने तक, वरिष्ट लोक ग्राभियोजक, केन्द्रीय ग्रन्वेषण ब्यूरो के रूप में नियक्त किया है।

स० ए-31016/11/8 1-प्रणा० 1 (वि० प्रा० समिति)-केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एव ग्रंपील) नियमावली,
1965 के नियम 9 (2) द्वारा प्रदेन शिवनया का प्रयोग करते
हुए निदेशक कन्द्रीय श्रन्वेपण ब्यूरो एव पुलिस महानिरीक्षक,
विशेष पुलिस स्थापना एनद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियो को
उनके नाम के सम्मुख दी गई निथि से केन्द्रीय ग्रन्वेषण ब्यूरो से
कार्यालय श्रश्रीक्षक के पद पर मूल रूप से नियुक्त करते हैं ---

本 。	र्म्याधकारी	नैनाती का	पद जिस पर	कार्यालय
म∘	कानाम	वर्तमान	के०ग्र०ब्यूरो	ग्रधीक्षक
		स्थान	में पहले ही	के पद पर
			म्थायी है	मूल स्प
				से नियुक्ति
				की
				तिथि

_	 सर्वश्री			
1	श्रार०एन०	सा० श्र०	ग्रपराध	1-3-84
	पाण्डेय	स्कन्ध, दिल्ली	सहायक	
2	चमारी राम	जोन-5	श्चपराध	1-7-84
		(मुख्या०)	महायक	
3	कमलेन्दु बोस	कलकना	श्रपराध	, 1-8-84
			सहायक	

श्चार० एस० नाग्रपाल प्रणासनिक ग्राधिकारी (स्था०) केन्द्रीय अन्वेषण इष्रो

महानिदेशालय, कन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नई दिल्ली, दिनाक 27 दिसम्बर 1984

स० ग्रो० दो०-2000/84-स्था०-राष्ट्रपति, श्री बी० एल० बाहरा, मनीपुर-विपुरा सवर्ग के भारतीय सेवा श्रिधकारी को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल मे उनकी प्रतिनिय्क्ति पर पुलिस उपमहानिरीक्षक के पद पर नियुक्त करने हैं।

2 श्री बोहरा ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के उपमहा-निरीक्षक, चन्डीगढ के पद का कार्यभार दिनक 26-12-84 के पूर्वाह्म में मभाला।

दिनाक 28 दिसम्बर 1984

म० थ्रो० टा० 1761/82-स्थापना---महानिदेणक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने डाक्टर (श्रीमती) बूरामा प्रधान को 13 दिसम्बर 1984 पूर्वाह्न से केवल तीन माह के लिए ग्रथका उस पद पर निर्यामित नियुक्ति होने तक इनमे जो भी पहले ही उस नारीख तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के किनिष्ट चिकित्सा ग्रिथिकारी के पद पर तदर्थ रूप में सहर्ष नियुक्त किया है।

दिनाक 31 दिसम्बर 1984

म० ग्रो० दो० 1811/83—स्थापना—-राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल नेवा (ग्रम्थाई सेवा नियमावली) 1965 के नियम 5 (1) के ग्रधीन नोटिम की एक माह की प्रवधि समाप्त होने पर, ग्रुप केन्द्र के० रि० पु० बल, इम्फाल के डाक्टर विनोद मिल्लक, जी० डी० ग्रो० ग्रेड—2 की सेवाये सहर्ष ममाप्त करते हैं। डा० मिल्लक की दिनाक 23—7—84 को सेवायें समाप्त करने की नोटिम की तामील कर दी गई थी। तदनुसार उन की मेवाएं 22—8—84 श्रपराह्म में समाप्त कर दी गयी हैं।

दिनांक 2 जनवरी, 1985

म० पी० सात-6/84-स्था०-राष्ट्रपति के० रि० पु० वल् के निम्नलिखित सैिकिन्ड-इन-कमान्ड/सहायक कमाङेन्टो को कमाङेन्ट/सहायक निदेशक के पद पर सहायक बटालियनों के लिए तदर्थ रूप मे, इस पद का कार्यभार सम्भालने की तिथि से ग्रीर दिनाक 31-1-85 तक सहर्ष नियुक्ति करते हैं।

तदनुसार इन्होंने उनके नाम के भ्रागे दर्शायी गई तारीख सं अपना कार्यभार सम्भाल लिया है ——

 ऋम सं o	श्रधिकारी का नाम			<u> </u>	, कार्यभार संभालने की तारीख
	——————— सर्वश्री		<u> </u>		
1.	एन० के० विज			•	3-11-84
2	पी० दामोदरन		•		4-11-84
3	एम० एस० यादव		, .		3-11-84
					भ्रपराह्न
4	टी० ग्रार० ग्ररोडा		•		5-11-84
					धपराह्न
5	एम० मी० यादव	_			5-11-84
					ग्रपराह्न
6	पी० एस० वर्मा		•	٠	3-11-84
7.	वी० पी० सरीन			•	4-11-84
8	म्रार० एस ० फोगट			٠	3-11-84
9	एल ० एन ० वै शन अ				3-11-84
10	एम० मी० मिश्रा				4-11-84
11	महिन्द्र सिह				4-11-84
12	एम कें० टी० गर्गा				3-11-84
13	एन० पी० गुरग		•		4-11-84
14	एम० श्राई० दास				3-11-84
15	पी० एस० साइरस				7-11-84
16	एन० एस० यादव		•	•	4-11-84

दिनांक 4 जनवरी 1985

सं० घो० दो०-600/69-स्थापना-1--श्री डी० एन० एस० विष्ट, सहायक कमांडेन्ट 38 बटालियन के० रि० पु० बल की सेवार्ये दिनांक 17-12-84 (श्रपराह्म) से श्रीद्योगिक श्राकस्मिकता महा निदेशालय, अधीनस्थ उद्योग मंत्रालय (भारत सरकार) के सहायक निदेशक के पद पर डेपूटेंगन श्राधार पर सोंपी जाती हैं।

सं० घो० दो० 1774/83-स्थापना— महानिदेशक, केन्द्रोय रिजर्ब पुलिस बल ने डाक्टर सुरेन्द्र कुमार परिमल को 2 दिसम्बर 1984 पूर्वाह्न से केवल तोन माह के लिए घ्रथवा उस पद पर नियमित नियुक्ति होने तक इनमें जो भी पहले हो उस तारीख तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में कनिष्ठ चिकिरसा छिछकारों के पद पर तदर्थ रूप में सहुष नियुक्त करते हैं।

एम॰ अशोक राज सहायक निदेशक (स्थापना)

महानिदेशालय

केन्द्रोय औद्योगिक मुरक्षा बल

नई दिल्लो-110003, दिनांक 31 दिसम्बरं 1984

सं० ई-32015(4)/194/84-कामिक- --राष्ट्रपति, भी एस० एन० पो० सिन्हा कमांडेंट (तदर्थ) के० ओ० सु० क० यूनिट, ए० टो० पो० पो० प्रनिपारा को 26 सितम्बर, 1984 के भ्रापराह्म से सहायक कमांडेंट के मूल रैंक पर प्रत्या-विस्ति करते हैं।

> (ह०) अपठनीय महानिदेशक के० ओ० सु० बल

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय नई दिल्ली-110011, दिनाक 2 जनवरी 1985

सं० पी०/एस(252)--प्रशा०I--राष्ट्रपति, विल्लो में जनगणना कार्य निदेशालय में सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीको) के पद पर सदर्य प्राधार पर कार्यरन श्रो एम० एल० शर्मा की दिल्लो में नारोख 7 दिसम्बर 1984 को हुई मृत्यु की संखेद घोषणा करते हैं।

सं 0 10/4/80-प्रणा 01--विभागोय पदोन्ति समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति, नई दिल्ली में भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के श्री आरं एलं पुरी, कंसोल श्रापरेटर को जो कि सहायक निवेशक (प्रोग्राम) के पद पर नदर्थ माश्रार पर कार्य कर रहे हैं उसी कार्यालय में पदोन्तित पर दिनांक 10 दिसम्बर, 1984 के पूर्वात्त में, ग्रंगले श्रादेशों तक, नियमित श्राधार पर श्रम्थायी श्रवस्था में महायक निदेशक (प्रोक्राम) के पद पर महर्ष नियुक्त करने हैं।

2. श्री पुरा का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

वो० एस० वर्मा भारत के महारजिस्ट्रार

वित्त मंत्रालय

म्रायिक कार्यविभाग

बैंक नोट मुद्रणालय

देवास (म० प्र०), दिनाक 4 जनवरी 1985

नस्तो सं० बां० एन० पो० सी/5/84—श्रो एम० एन०
श्रोरंगनाथन, श्रनुभागोय अधिकारी (प्रणासन) बैंक नोट
मुद्रणानय, देवाम को प्रतिभूति कागज कारखाता होशंगाबाद
से प्रतिनियुक्ति पर में लौटने पर बैंक नोट मुद्रणालय,
देवास में दिनांक 23 दिसम्बर 1984 (पूर्वाह्न) में 6 माह
के लिए ग्रथवा पद पर नियमित नियुक्ति होने तक जो भी
पूर्व हो, रुपये 840-40-1000-द० रो०-40-1200
(समूह "ख" राजपन्नित) के वेतनमान में तदर्थ श्राधार
पर प्रशासन श्रिधकारों के पद पर नियुक्त किया जाता है।

इस तदथं नियुक्ति से उन्हें पद पर निरन्तर जन रहने अथवा इस पर नियमित ब्राधार पर नियुक्ति का भौगा-धिकार नहीं होगा और यह तदर्थ नियुक्ति किमा भो समय बिना कोई कारण बनाए समाप्त को जा सकती है।

> मु० वै० चार महाप्रबन्धक

रक्षा लेखा विभाग

कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक

नई दिल्लो-110066, दिनाक 31 दिसम्बर 1984

शुद्धि पत्न

सं० प्रशा०/II/2603/84—दिनांक 10 मार्च 1984 को भारत के राजपत्र भाग III खड-1 मे प्रकाशित इस विभाग की दिनांक 15 फरवरो 1984 की भिधिसूचना सं० प्रशा/II/2603/84 जो स्थानापन्न प्रनुभाग श्रीधकारो लेखा की मूल पदधारी के रूप मे लेखा अधिकारो के पद पर नियुक्ति के बारे में हैं में निम्नलिखित संगोधन किया जाता है :---

पृष्ठ स० 5615 ऋ० स० 2 श्रो सुवर्शन सोनी

स्तम्भ 4 में विणित दिनांक । अप्रैन 1982 के स्थान पर दिनांक 1 जनवरो 1980 पढ़े।

> वो० के० मांडारकर रक्षा लेखा उप महानियंक्षक (प्रणा०)

रक्षा मंत्रालय

भारतीय आर्डनैन्स् फैक्टरियां सेवा आर्डनैन्स फैक्टरी बोर्ड

कलकत्ता, विनांक 26 विसम्बर 1984

सं० 63/जी/84---राष्ट्रपति महोदय निम्नं लिखित ग्रिधिकारियों को सहायक कार्यभाला प्रबन्धक (परखार्वाध) के पद पर, उनके सामने दर्शीयो गई तारोख से नियुक्त करते हैं::--

ऋ० सं०	नाम	कार्यभार लेने की तारीख
1	2	3
1.	श्री एसं० पी० मिश्रा	30-08-1983
2.	श्री बो० के० सिंह	31-10-1984
3.	श्री एम० जो०बरदे	18-02-1984
4.	श्री सो० बो० शर्मा	08-05-1984
5.	क्षो ए० के० ग्रग्रवाल	04-05-1984
. 6.	ओ ए० के० जन	08-05-1984
7. 3	श्रो एस० एस० के०रामप्रकाण	09-05-1984
8.	श्री उदयनाथ चौधुरी	10-05-1984
9. 3	श्री के० घ्रार० मूर्ति	11-05-1984
10.	श्री थमिन्दर सिंह्	11-05-1984
11 %	ी एस० के० सिंह	23-06-1984
12. 3	नो डो० के० तालुकदार	14-07-1984
13. %	नी ए० वी० एस० रामाक्रु डणा	19-07-1984
14.	बी सो० एस० वि ण्वकर्मा	15-09-1984
15. 8	गि ए० के० तित्रारा	15-09-1984

दिनांक 27 विसम्बर 1984

सं० 64/जी/84—राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित ग्रिधि-कारियों को भ्रम्थाया सहायक कार्यशाला प्रबन्धक के पद पर उनके सामने दर्शायी गई तारीख से श्रागामी श्रांदेश न होने सक नियुक्त करते हैं:--

ऋ० नाम	कार्यभार लेने फो
सं०	तारीख
1. श्री भार० डी० पाण्डे	09-05-1984
2. श्री वी० एस० वर्मा	14-06-1984
3 श्री मार॰ एस॰ जौहारी	27-06-1984
4. श्री बी० पी० मैथी	23-08-1984

दिनांक 31 दिसम्बर 1984

सं० 61/जी/84—राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित श्रीधकारियों को महाप्रबन्धक/एडिशनल महाप्रबन्धक/डी० डी० जी० ओ० एफ/प्रथम सचिव/ओ० एस० डी० (एस० ए० जी०-लेबल-LI में) के पद पर, जनके सामने दर्शायी गई तारीख में नियुक्त करते हैं:---

- श्री जी० चट्र्जी, जी० एम० (जे० ए०) 16-11-1984 एस० जी० (में)
- 2. श्री ग्रार० ईम्बरन्, संयुक्त जी० एम० 16-11-1984
- श्री जे० एम० कालरा, 16-11-1984
 जी० एम० (जे० ए०) एम०जी०
 (मे)
- 4. श्री बी॰ एन॰ पट्टाबीरमन, 16-11-1984 प्रथम संविद (जे॰ ए॰) एस॰ जी॰ (में)
- 5. श्री बी० पालानीपाण्डी. 16-11-19**84** जी० एम० (जे० ए०) एस० जी० (में)
- 6. श्री एस० मानावालन 16-11-1984 संयुक्त जी० एम०
- श्री एस० ग्रार० सभापाथी, 16~11-1984
 निदेशक
- 8. श्री वी० के० मेहता 16-11-19**84** निदेशक
- श्री एम० नारायणस्त्रामी, 16-11-1984 संयुक्त जी० एम०
- 10. श्री ए० के० नियोगा, 16--11--1984 निदेशक
- 11. श्रो टी॰ एम॰ स्वामीनाथन् 16-11-1984 सिनीयर उप-निदेशक (जे॰ ए॰) एस॰ जी॰ (में)
- 12. श्री एम० एल० दत्ता 16-11-198/ जी० एम० (जे० ए०) एस० जी० (में)
- 13. र्था के० के० मलिक, जी० एम० 16-11-1984 (जे० ए०) एस० जी० (में)
- 14. श्री एम० पी० शर्मा, 16-11-1984 संयुक्त जी० एम०
- 15. श्री डी॰ नट्राजन, 16-11-1984 संयुक्त जी॰ एम०
- 16. श्री आर० एन० सिंह 16--11--1984 जी० एम० (जे० ए०) एस० जी० (में)

1.7. की की करका प्रमुखर, संयुक्ता जी क एम o	16-11-1984
18. श्री की० एस० पी० श्रीवास्तव, वी० एम० (जे० ए० एस० जी० (में)	16-11-1984
19. श्री की० एन० एस० माथुर, जी० एम० (जे० ए० एस० जी० (में)	16-11-1984
20. श्री पी० बासुदे वन, ृसंयुक्त जी० एम०	16-11-1984
21. स्त्री ए० के० गुहा जी० एम० (जे० ए० एस० जी० (में)	16-11-1984
22. श्री तेजा सिंह, संयुक्त जी∙ एम०	16-11-1984
23. श्री एस० एस० राव, संयुक्त जी० एम०	16-11-1984

सं० 62/जी/84—राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित ग्रीध-कारियों की संयुक्त महाप्रबन्धक/निदेशक के पद पर उनके सामने दर्शायी गई तारीख से नियुक्त करते हैं.---

 श्री एच० आ० गुप्ता, श्री० जी० एम० 	30-10-1984
 श्री ग्रार० . पद्मानाभन श्री० जी० एम० 	31-10-1984
3. भी के० पी० सिंह भी० जी० एम०	29-19-1984

वी० के० मेहता उप महानिवेशक

श्रम ग्रीर पुनर्नास मंत्रालय . (श्रम विभाग) मुक्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय नई दिल्ली, दिनांक 15 नवम्बर 1984

सं प्रशा 1/4(12)/84(1)—स्थानांतरण होने पर श्री के के अहलूबालिया ने 30-4-1984 (अपराह्म) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)देहरादून कार्यालय का कार्यबार छोड़ दिया ग्रीर 12-6-1984 (पूर्वाह्म) को उसी हैसियत से चिरीमिरी में कार्यभार संभान लिया।

सं० प्रशा०1/4(12)/84(2)—स्थानांतरण होने पर श्री बार• एल० मोणा ने 2-5-1984 (अपराह्म) को श्रम प्रवंतन अधिकारी (केन्द्रीय) शिमला कार्यालय का कार्यभार बोड़ दिया और 10-5-1984 (अपराह्म) को उसी हैसियत है कोटा में कार्यभार संभाल लिया है। सं प्रभा 1/4(12)/84(3)—स्थानांतरण होने पर श्री अजय कुमार ने 18-5-1984 (अपराह्म) को श्रम प्रवर्तन अधिकारों (केन्द्रोय) आसमसोल, कार्यालय का कार्यन भार छोड़ दिया और छुदुर्दा इत्यादि बिता कर 11-6-84. (पूर्वाह्म) को उसी हैसियत से मिलागुड़ी में कार्यभार संभाल लिया ।

सं • प्रशा • 1/4(12)/84(4)—स्थानांतरण होने पर श्रा आर • पलाने बमो ने 25-5-1984 (अपराह्म) को श्रम प्रवर्तन अधिकारों (केन्द्रीय) हुबला कार्यालय का कार्यबार छोड़ दिया और 4-6-1984 (पूर्वाह्म) को उसी हैसियत से कोयम्बट्ट का कार्यभार संभास लिया।

सं० प्रणा०1/4(12)/84(5)—स्थानांतरण होने पर श्री सूरज राम ने 31-5-1984 (अपराह्म) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) कतरासगढ़ कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया और उसी हैमियत मे 11-6-84 (पूर्वाह्म) को कलकत्ता में कार्यभार संभाल लिया।

सं० प्रशा० 1/4(12)/84(6)—स्थानांतरण होने पर
श्री एम० दिवाकरन ने 31-5-84 (अपराह्म) को श्रम
प्रवर्तन अधिकारों (केन्द्राय) कोयम्बदूर कार्यालय का कार्यभार
छोड़ दिया और छुट्टा इत्यादि विता कर 16-7-84
(पूर्वाह्म) को उसी हैसियत में हुबली में कार्यभार संभाल
लिया।

सं०प्रशा• 1/4(12)/84(7)—सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के पद पर पदोन्नत होने परश्री एम० टो० तायदे ने 11-6-84 (अपराक्ष) को श्रम प्रवर्तन अधिकारः (केन्द्राय). बम्बई कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया ।

सं प्रशा० 1/4(12)/84(8)— उच्च भेणो लिपिक के पद पर प्रश्यावर्तन होने पर श्रो बी० पाण्डे ने 18-6-84 (पूर्वाह्म) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), विजयवाडा कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया ।

मं० प्रणा॰ 1/4(12)/84(9)—स्थानातरण होने पर श्री ए० एम० मुखर्जी ने 11-6-84 (पूर्वाह्न) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रोय) सिलीगुड़ी का कार्यभार छोड़ दिया और 21-6-84 (पूर्वाह्म) को उसो हैस्यिम से खड़गपुर का कार्यभार संभाल लिया ।

सं० प्रशा० 1/4(12)/84(10)—सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रोय) के पद पर पदोन्नत होने पर श्री ए० के० राय ने 19-6-84 (अपराह्म) को श्रम प्रवर्तन अधिकारो (केन्द्रोय) आसनसोल कार्यालय का कार्याभार छोड़ दिया।

मं० प्रशा 1/4(12)/84(11)—स्थानांत रण होने पर श्रो आर० बो० तायदे ने 18-6-84 (अपराह्म) की अस्म प्रवर्तन अधिकारो (केन्द्रीय) पोण्डा कार्यांचय का कार्यभार छोड़ दिया और 29-6-84 (पूर्वाह्म) को उसी हैसियत से बस्वई में कार्यभार संभाल स्थिया। सं० प्रणा० 1/4(12)/84(12)—स्थानांतरण होने पर श्री पो० राजरत्नम ने 16-6-84 (अपराह्म) को श्रम प्रवर्तन अधिकारो (केन्द्रोय), गुदूर कार्यालय का कार्यभार छोड दिया और 18-6-84 (पूर्वाह्म) को उमो हैसियत से विजयवाडा का कार्यभार संभाल लिया।

सं प्रशा 01/4 (12)/84 (13) — श्रम प्रवर्तन अधिकारो (केन्द्रीय) के पद पर प्रत्यावर्तन होने पर श्री आर० एन० मुले ने 2-7-84 (पूर्वाह्व) को श्रम प्रवर्तन अधिकारा (केन्द्रीय) बेलारो कार्यालय का कार्यभार संभाल लिया ।

सं प्रणा 01/4(12)/84(14)--श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रोय) के पद पर प्रत्यावर्तन होने पर श्री आर् वो वेलूर ने 2-7-84 (पूर्वाह्न) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्राय) पोण्डा कार्यालय का कार्यभार संभाल लिया।

सं प्रशा 1/4(12)/84(15)—श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) के पद पर प्रत्यावर्तन होने पर श्रं ओ प प श्रमिने 5-7-84 (पूर्वाह्म) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), जयपुर कार्यालय का कार्यभार संभाल लिया।

सं०प्रणा० 1/4/(12)/84(16)-मुख्य श्रमायुक्त केन्द्राय) द्वारा इस संगठन में अरुथायी तौर पर नियुक्त किए जाने पर श्रो डा० के० घोष ने 5-7-84 (पूर्वाह्न) को गोहाटो में श्रम प्रवर्तन अधिकारा (केन्द्राय) अगरतला कैंप का कार्यभार संभाल लिया ।

सं० प्रशा० 1/4(12)/84(17) — मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्राय) द्वारा इस सगठन में अस्थाई तौर पर नियुक्त किए जाने पर श्री के० एस० सग्गू ने 13-7-84 (पूर्विह्न) को हैवराबाद में श्रम प्रवर्तन अधिकारो (केन्द्रीय) गूदूर कैंप का कार्यभार संभान लिया ।

सं० प्रणा० 1/4(12)/84(18)— मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रोय) द्वारा इस संगठन में अस्थाई नौर पर नियुक्त किए जाने पर श्रोमतो नैना बख्सो ने 23—7—84 (पूर्वाह्न) को दिस्लो में श्रम प्रवर्तन अधिकारों (केन्द्रीय) आसमसील कैंप का कार्यभार संभाल लिया।

सं० प्रणा० 1/4(12)/84(19)—स्थानांतरण होने पर श्री डो० सा० चक्रवर्ती ने 2-7-84 (अपराह्म) को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) रानोगंज कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया और 16-7-84 (पूर्याह्म) को उसी हैसियन से उखरा में कार्यभार संभान लिया।

सं० प्रशा० 1/4(12)/84(20)—स्थानांतरण होने पर श्री पो० एन० पोके ने 27-6-84 (अपराह्म) को श्रम प्रवर्तन अधिकारों (केन्द्रोय), उखरा कार्यानय का कार्यभार छोड़ दिया और 9-7-84 (पूर्वाह्म) की उसी हैसियन से रानीगंज में कार्यभार संभाव लिया ।

मं० प्रणा०1/4(12)/84(21)—स्थानातरण होने पर श्री डा० मो० झा ने 25-7-84 (अपराह्म) को श्रम

प्रवर्तन अधिकारों (केन्द्राय), जबलपुर कार्यालय का कार्बभार छोड दिया और 6-8-84 (पूर्वाह्म) को उसी हैसियत से आसनसोल में कार्यभार संभाल लिया ।

सं० 1/4(12)/84(22)—स्थानांतरण होने पर श्रा एच० के० जे० परमार ने 4-8-84 (पूर्वाह्म) को श्रम प्रवर्तन अधिकारों (केन्द्रोय) अहमदाबाद कार्यान्य का कायमार छोड़ दिया और छुट्टा इत्यादि बिना कर उन्होंने 30-8-84 (पूर्वाह्म) को उमा हैमियन में बबई में कार्यभार संभान लिया ।

स० प्रगा० 1/4(12)/84(23) -- स्थानांतरण होने पर श्रो बा० टा० माल्हे ने 10-8-84 (अपराह्म) की श्रम प्रवर्तन अधिकारः (केन्द्रीय) गुलवर्गा कार्यालय का कार्यभार छोड़ दिया और 21-8-84 (अपराह्म) की उसी हैसियत मे अबलपुर में कार्यभार ममाल लिया।

सं० प्रणा०/1/4(12)/84(24)—स्थानांतरण होने पर श्री वी० राघवन ने 27-8-84 [(अपराह्म) को श्रम प्रवर्तन अधिकारा (केन्द्राय) के० जो०एफ० कार्यालय का कार्यभार छोड दिया ग्रीर 29-8-84 (पूर्वाह्म) को उसी हैनियन से गुलवर्गा में कार्यभार मंभाल लिया।

संज्ञान 1/4/(12)/84(25) --श्रम प्रवर्तन अधिकारो (केन्द्राय) के पद पर प्रत्यावर्तन होने पर श्रो हो साज् पटना ने 4-8-84 (पूर्वाह्न) को श्रम प्रवर्तन अधिकारो (केन्द्राय) अहमदाबाद कार्यालय का कार्यभार संभान लिया ।

सं० प्रशा० 1/4/(12)/84(26) — स्थानातरित होने पर श्रोमतो नैना बक्णा ने 15-9-84 (अपराह्म) को नई दिल्लो में श्रम प्रवर्तन अधिकारो (केन्द्रोय) आसनसोल कैंप का कार्यभार छोड़ दिया और 15-9-84 (अपराह्म) को उपा हैसियन से मुन्य श्रमायुक्त सगठन, नई दिल्लो में कार्यभार संभान लिया ।

> एम० एल० मेहता प्रशासन अधिकारी

पूर्ति तथा निपटान महानिदेणालय (प्रणासन प्रनुभाग प्र<math>-I)

नई दिल्ली-1, दिनांक 27 दिसम्बर 1984

सं० प्र-1/2(542)—महानिदेशक पूर्ति तथा निपटान, मुख्यालय में कनिष्ठ क्षेत्राधिकारी, सर्व श्री बी० एस० सेन्तीवाल तथा जे० भे० ग्रार० श्रीवास्तव को क्रमणः दिनांक 1 सितम्बर 1984 तथा 4 सितम्बर 1984 के पूर्वाह्म से छः महीने की भ्रवधि के लिए ग्रथवा नियमित सहायक निदेशक पूर्ति (ग्रेड-1) के उपलब्ध होने तक इनमे जो भी पहले हो, एतद् बारा पूर्णतः तदर्थ भ्राधार पर सहायक निदेशक पूर्ति (ग्रेड-1) के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

दिनांक 31 दिसम्बर 1984

मं० ए-1/1(1098)—-पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय. नर्ड दिल्ली में स्थायी ग्रधीक्षक तथा स्थानापन्न सहायक निदेशक (ग्रेड-11) श्री ओ० पी० निक्षावन वार्धक्य ग्रायु प्राप्त करने पर 31 दिसम्बर 1984 के ग्रपराह्म में सरकारी मेवा से निवृत्त हो गये।

सजबीर सिंह उप निदेशक (प्रणासन) कृते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

(प्रशासन अनुभाग-6)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 22 दिसम्बर 1984

सं ० ए-32013/18/84-ए-6--राष्ट्रपति उप निदेशक, निरीक्षण (ग्रिभियांद्रिकी) भारतीय निरीक्षण सेवा, ग्रुप "अ" के ग्रेड-II (ग्रिभियांद्रिकी शाखा) श्री के ० एन० गर्ग को दिनांक 6 दिसम्बर 1984 के पूर्वाह्म मे ग्रुगले ग्रादेश दिये जाने नक 1500-60-1800-100-2000 के वेतनमान में निदेशक, निरीक्षण भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप "ए" के ग्रेड-I के पद पर नियुक्त करते हैं।

- 2 निदेशक, निरीक्षण, भारतीय निरीक्षण सेवा, ग्रुप "ए" के ग्रेड—1 के रूप में श्री के ० एल ० गर्ग की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा दायर की गई दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन तीन एल ० पी० ए० संख्या 67/83, 68/83 और 69/83 तथा रिट याचिका संख्या 3001/83 श्रीर 35/83, जो उप निदेशक, निरीक्षण श्री एस ० सी० आनन्द द्वारा बम्बई उच्च न्यायालय में दायर की गई थी और श्रव दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित की गई है तथा दिल्ली उच्च न्यायालय में श्रभी विचाराधीन है पर श्रन्तिम निर्णय होने के श्रधीन होगी।
- 3. श्री गर्ग ने उत्तरी निरीक्षण मण्डल, नई दिल्ली में दिनांक 6 दिसम्बर, 1984 के पूर्वाह्न में उप निदेशक निरीक्षण (श्रीभयांतिकी) के पद का कार्य भार छोड़ दिया है और उसी तारीख को निदेशक निरीक्षण, उत्तरी निरीक्षण मण्डल नई वित्ली के पद को कार्यभार संभाल लिया है।

दिनांक 28 दिसम्बर 1984

सं० प्र-6/247/610/76 खण्ड-II—राष्ट्रपति, उपनिवस्तक निरीक्षण (वस्त्र) (भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप 'ए'' की वस्त्र शाखा का ग्रेड II) श्री डी० के० नन्दी को 6 दिसम्बर 1984 के पूर्वाह्म से श्रगले श्रादेश दिये जाने तक 1500-60-1800 100-2000 रुपये के वेतनमान में (भारतीय निरीक्षण सेवा गुप "ए" का ग्रेड I) निरीक्षण निदेशक के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

श्री डी० के० नन्दी की (भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप "ए" का ग्रेड 1) निरीक्षण निदेशक के रूप में नियुक्ति, उपनिदेशक निरीक्षण, श्री एस० सी० ग्रानन्द द्वीरा बम्बई उच्च न्यायालय में वायर की गई और दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित तथा दिल्ली उच्च न्यायालय में लिम्बित रिट याचिका मं॰ 1457/81, /1590/81 तथा 1973/81 और भारतीय मध द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई, तीन एल० पी० ए० सं० 67/83, 68/83 तथा 69/83 के निर्णय की गर्तों के प्रधीन की गई है।

श्री डी० कें नन्दी ने दिनांक 6 दिसम्बर 1984 के पूर्वाह्न से बम्बर्ड स्थित निरीक्षण निदेशक के कार्यालय में उपनिदेशक निरीक्षण (वस्त्र) के पद का कार्य भार छोड़ दिया तथा दिनांक 6 दिसम्बर 1984 के पूर्वाह्न से निदेशक निरीक्षण बम्बर्ड के पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

दिनांक 5 जनवरी 1985

मं० प्र०-6/247(594)—राष्ट्रपति, उपनिदेशक तिरीक्षण (इंजीनियरी) (भारतीय निरीक्षण मेवा ग्रुप "ए" की वस्त्रं णाखा का ग्रेड—) श्री बी० बी० लाल को 6 दिसम्बर, 1984 के पूर्वाह्म में ग्रगले श्रादेण दिए जाने तक 1500-60-1800-100-2000 रुपये के वेतनमान में निदेशक निरीक्षण (भारतीय निरीक्षण मेवा ग्रुप "ए" का ग्रेड-1) के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

श्री बी० वी० लाल की निदेशक निरीक्षण (भारतीय निरीक्षण सेंब। ग्रुप "ए" का ग्रेड-I) के रूप मे नियुक्ति भारत संघ द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई तीन एल० पी० ए० सं० 67/83, 68/83 तथा 69/83 उप-निदेशक निरीक्षण श्री एस० जी० ग्रानन्द द्वारा सम्बर्ध उच्च न्यायालय में दायर की गई ग्रौर दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित तथा दिल्ली उच्च न्यायालय में अभी भी लिम्बित रिट याचिका मं० 3001/83 35/83 के निर्णय की शर्तों के ग्रधीन की गई है।

श्री बी० बी० लाल ने दिनांक 6 दिसम्बर, 1984 के पूर्वाह्म से निदेशक निरीक्षण, कानपुर के कार्यालय में उप निदेशक निरीक्षण (इजीनियरी) के पद का कार्यभार छोड़ दिया तथा दिनांक 6 दिसम्बर, 1984 के पूर्वाह्म से निदेशक निरीक्षण, कानपुर के पद का कार्यभार संभाल लिया।

सोहन लाल कपूर उपनिदेशक (प्रशासन)

इस्पात श्रीर खान मंत्रालय ु (खान विभाग)

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कलकत्ता-16, दिनाक 31 दिसम्बर 1984

सं० 8661 बी/ए-19012(3-पी पी)/84-19वी-भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ तकनीकी सहायक (रसायन) श्री प्रणान्त पुरकायस्य को सहायक रसायनज्ञ के पद पर भारतीय भू-वैशानिक सर्वेक्षण में नियमानृसार 650-30-740-35 810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान के वेतन पर श्रस्थायी क्षमता में भागामी श्रादेण होने तक 30 श्रस्टूबर 1984 के पूर्वाह्म से पदोन्नति पर, नियुक्त कर रहे हैं।

> श्रमित कुशारी निदेशक (कार्मिकं) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

भारतीय स्वान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 3 जनवरी 1984

मं० ए-19011 (131)/79-स्था०ए०--राष्ट्रपति विभागीय पदोन्तति समिति की सिफारिश पर श्री एस० एम० जोशी, उप-खनिज प्रधंशास्त्री (प्रासूचना) को दिनोक 26 विसम्बर, 1984 के श्रपराङ्क्ष से भारतीय खान ब्यूरो में स्थानापन्त रूप से खनिज श्रथंशास्त्री (प्रासूचना) के पद पर सहर्ष पदोन्तति प्रदान करते हैं।

> रा० व० शर्मा सहायक प्रशासन प्रधिकारी कृते महानियंत्रक भारतीयखान अ्यूरो

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण भारतीय संग्रहालय

कलकता-16, दिनांक 13 सितम्बर 1984

संव 4-157/78/स्थापना—भारतीय मानय विज्ञान सर्वेक्षण के श्री श्रीव दासगुप्ता, सहायक भाषा विज्ञानी की 27 ग्रागस्त, 1984 पूर्वाह्म से अगला भादेश तक इस सर्वेक्षण के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, देहरादून में ग्रस्थायी रूप में भाषा विज्ञानी मुप-ए (राजपज्ञित) वेतन मान रूव 700—1300 के पव पर पदोन्नति हुई है ।

ए० के० दासगुप्ता प्रशासन मधिकारी

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

देहरावून, दिनांक 1 जनवरी 1985

सं० सी-6151/718-ए--श्री एथ० एल० जादव, स्थानापन्न प्रधीक्षक, महासर्वेक्षक का कार्यालय जो इस कार्यालय की दिनांक 8 दिसम्बर, 1985 की प्रधिसूचना संख्या सी-6022/718-ए के प्रन्तर्गत स्थापना एवं लेखा श्रिधिकारी के पद पर स्थानापना रूप में तदर्थ प्राधार पर नियुक्त किये गये थे को श्रव दिनांक 12 नवस्वर, 1984 से उसी

पद पर स्थानापन्न रूप में नियमित श्राधार पर नियुक्त किया जाता है ।

> जी० सी० श्रप्रवाल मेजर जनरल भारत के महःसर्वेक्षक (नियुक्ति प्राधिकारी)

आकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर 1984

स॰ 4/71/84-एम०-एक; महानिदेशक, आकाशवाणी श्री गोविन्द डोलागुष्पु को 650-30-740-35-810-द० रो०-880-40-1000-द० रो०-1200 रूपये के वेतनमान में तदर्घ आधार पर 5 नवम्बर, 1984 से अगले आदेशों तक आकाशवाणी कोहिमा में कार्यक्रय निष्पादक के पद पर नियुक्त करते हैं।

दिनांक 1 जनवरी 1985

स० 4(29)/84-एस०-एक:—महानिदेशक आकाश-बाणी श्री आर० सा० गोपाल को 29 नवस्वर, 1984 से अगले आदेशों तक 650-30-740-35-810-द० रो -880-40-1000-द० रो०-1200 रूपये के वेतनमान में आकाशवाणी, कालीकट में अस्थाई रूप में कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियुक्त करते हैं।

> हरीश चन्त्र जयाल प्रगासन उपनिवेशक इते महानिवेशक

नई दिल्ली, दिनांक 29 दिसम्बर 1984

सं० 4(41)/84-एस० एक,---महानिदेशक, आकाश-वाणी, श्री अमानन ज्योति मजुमदार को 650-30-740-35-810-द० रो०-880-40-1000-द० रो०-1200 हपये के वेतनमान में अस्थाई आधार पर 27 अक्तूबर, 1984 से अगले आदेशों तक आकाशवाणा सम्बलपुर में कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियुक्त करते हैं।

> हरजीत सिंह, निवेशक (प्रशासन एवं विस्त) इते महानिवेशक

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर, 1984

सं० 29/3/84-एस- Π :— महानिदेशक, आकाशवाणी, श्री एन० के० भटरा, फार्म रेडियो रिपोर्टर आकाशवाणी ज्यपुर को 650-30-740-35-810— दं० रो०-35-880-40-1000—दं० रो०-40-1200 रूपये के वेतनमान में 10-12-84 से अगले आदेशों तक आकाशवाणी, सम्बलपुर में फार्म रेटियी अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

2 श्री एन० के० भटरा ने उसी तारीख से फार्म	रेडियो 15	वो० पुरोहित	21-12-83
अधिकारी के रूप में आकाशवाणी, सम्बलपुर में क		आर० जे ० नाथनील	21-12-83
ग्रहण कर लिया है।		जी० एम० खबामी	21-12-83
•	•	आर० सी० मुन्गी	21-12-83
मोहन प	miara)	सी० नान्दैया	12-3-84
प्रशासन उर्पा	गपसामा	बी० एन० सरकार	12-3-84
छते महारि	गप्राण	एम० एस० बंकर	12-3-84
		आर० बी० देशी	12-3-84
कृषि मंत्रालय		জী০ ৰ ি ভ ীভী (সনু০ লা০)	12-3-84
क्षुषि स्रोर सहकारिता विभाग		एम० के० द्विवेदी	12-3-84
		यु० बी० एस० विकल (अनु० जा०)	12-3-84
विस्तार निदेशालय	0.0	एन० श्रीरामलू (अनु० जा०)	12-3-84
नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर, 1984		मोहन लाल मीना (अनु० ज० जा०)	12-3-84
सं० 5-48/84-स्थापना(I):—श्री पी० एन० व	_	मदन लाल मीना (अनु० ज० जा०)	12-3-84
स्थाई अधीक्षक (ग्रेंड-I) जो विस्तार निदेशालय,	/ 0-	कै० के० सिवारी	12-3-84
ग्रौर सङ्कारिता विभाग), कृषि मंत्रालय में तदर्थ आध		एम० पापी रेड्डी	12-3-84
सहायक प्रशासन अधिकारी, (ग्रुप बीं राजपतित)	, ,	एस० के० मलिक	12-3-84
सचिवीय) के पद पर स्थानापन रूप से काम कर र		एस० डी० कायलकर	12-3-84
निवर्तन की आयु होने पर दिनांक 31 दिसम्बर, 19	52	श्रीमती विभा हाँडा	12-3-84
अपराह से सरकारी सेवा से सेविमिष्टिस हो गये।	55	के० एन० गुप्ता	12-4-84
•		एस० एम० कोत्हतकर .	12-3-84
भार अी०	9191,	आर० के० पांडे	12-3-84
निदेशक प्र	ाशासन ³⁶ 37	श्रीमतो प्रेंमवती	12-3-84
THE PARTY OF THE P		ही० आर० के० सिंह	12-3-84
ग्रामीण विकास मंत्रालय		श्रीमती सुमन नैय्यर	12-3-84
विपणन ए <mark>वं निरीक्षण निवेशालय</mark>		एस० मृहु करनू	12-3-84
·		के० सत्याराव	12-3-84
फरीदाबाद, दिनांक 26 दिसम्बर 1984	42	के० एस० आचार्य	12-3-84
सं० ए०-31014/4/83-प्र० ^I :—कृषि विपणन ः		जी० एस० गास्त्री	12-3-84
कार, भारत सरकार द्वारा इस निवेशालय के अधीन	<u></u>	सी० एम० गिरघर	12-3-84
लिखित अधिकारियों को सङ्गयक विपणन अधिकारी	/ 	डी० पी० युकी (अनु० जा०)	12-3-84
I) के स्थाई पदों पर प्रत्येक के सामने लिखी तार्र	1 3	एन० एस० नेलपित राव	12-3-84
मूल रूप से नियुक्त किया जाता है।		राजाराम रावत (अनु॰ जा॰)	12-3-84
सर्वेश्री		आर० जी० सिंह (अनु० जा०)	12-3-84
1 ए० विश्वकर्मा . 29—1		जी । एम । भून (अनु । जा ।)	12-3-84
		वी० एन० पवार (अनु० जा० जा०)	12-3-84
		बी० सी० जाट (अनु० जा०)	12-3-84
_		जी० वी० राममूर्ति	12-3-84
•		्राठपाठ सम्मूल एस० एस० नन्दतवार (अनु० ज० जा०)	
		्श्रमती आर० ललिता	12-3-84
		पी० डी० गिराले	12-3-84
			12-3-84
	2.00	के० जयनन्दन	
	2_93	आर० एस० सुन्दरम	12-3-84
· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2-83	सी० स्वामीदास	12-3-84
·	EΛ	पी० एम० सिरोही	12 - 3 - 84
• •	4-63	पी० जी० चौधरी	12-3-84
	-	लोकेण कुमार	12-3-84
14 एस० पी० शिन्वे 21-1		•	12-3-8 4
2-426GI/84	62.	ि एल० माध्र	- · · · ·

63. एच पी० मन्नम

5-4-84

64. एल० एस० रघुनाथन

5-4-84

2. उपरोक्त अधिकारियों का निचले पद पर ग्रहणा-धिकार, यि कोई है, तो सहायक विपणन अधिकारी (वर्ग 1) के पद पर मूल रूप से नियुक्त होने की तारीख से समाप्त भाना जाता है।

दिनोक 5 जनवरी 1985

. सं० ए०-19026/1/82-प्र०-III:— इस निदेशालय के अधीन, फरीदाबाद में स्थानापन्न लेखा प्रधिकारी के रूप में कार्यरत महालेखाकार (खेखा परीक्षा) कार्यालय, हरियाणा, चण्डीगढ़ के लेखा परीक्षा प्रधिकारी श्री एस० डी० एस० यादव की प्रतिनियुक्ति अवधि की प्रतिनियुक्ति को सामान्य शतौं के अनुसार 3-12-84 से 31-3-85 तक बढ़ाया गया है।

जे० कृष्णा, निदेशक, प्रशासन कृते कृषि विपणन सलाहकार भारस सरकार

भाभा परमाणु ग्रनुसन्धान केन्द्र कार्मिक प्रभाग

बम्बई-400085, दिनांक 27 दिसम्बर 1984

सं० पी० ए०/79(5)/83-म्रार० III:—नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र, तारापुर परमाणु बिजलीघर में कार्यरत स्थाई किनष्ठ म्राणुलिपिक तथा स्थानापन्न वरिष्ठ म्राणुलिपिक श्री थेकेक्कीपन्तु कोच्कुंज् राजप्पन को 3 विसम्बर 1984 से म्रागामी म्रादेण होने तक इस म्रनुसन्धान केन्त्र में सहायक कार्मिक म्रधिकारी पद पर कार्य करने के लिये नियुक्त करते हैं।

बी० सी० पाल, उप स्थापना श्रधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग कय ग्रौर भण्डार निवेशालय

बम्बई-400001, दिनांक 29 दिसम्बर 1984

मं० डी० पी० एस०/2/1(3)/82-प्रणा०/34248-परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भण्डार निवेशालय के निदेशक ने स्थाई सहायक लेखापाल तथा स्थानापन्न सहायक लेखा ग्रिधकारी श्री ए० मस्कारेन्हास को इसी निवेशालय में ता० 19-11-84 (पूर्वाह्म) से 21-12-84 (ग्रपराह्म) तक रूपये 840-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में लेखा ग्रिधकारी-11 के पद पर तदर्थ ग्राधार पर स्थाना-पन्न रूप से नियुक्त किया है। यह नियुक्ति लेखा ग्रिधकारी -II श्री एस० एच० इसरानी के स्थान पर की गई है, जिन्हों उक्त ग्रवधि के लिये छुट्टी प्रदान की गई है। सं० डी० पी० एस०/41/1/83—प्रशा० 34254—परमाणु ऊर्जा विभाग, कय और भण्डार निदेशालय के निदेशक ने स्थाई कय सहायक श्री रंगनाथ कृष्णन ग्रस्यर को इसी निदेशालय में विनाक 19-11-84 (पूर्वाह्न) से 21-12-84 (ग्रपाह्न) तक रूपये 650-30-740-35-810-द० रो० 35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में सहायक कय ग्रधिकारी के पद पर तवर्ष ग्राधार पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है। वह नियुक्ति सहायक कय ग्रधिकारी, श्री के० एक० भ्रहणुवालिया के स्थान पर की गई है, जिन्हें उक्त भ्रवधि के लिये छुट्टी प्रवान की गई है।

सं० डी० पी० एस०/41/3/83—प्रणा०-34260— परमाणु ऊर्जा विभाग, ऋष और भण्डार निदेशालय के निदेशक ने स्थाई वरिष्ठ लिपिक तथा स्थानापन्न सहायक लेखापाल श्री अतुर पिशारोडी चैथमारक्षनू को इसी निवेशालय में तारीख 19-11-84 (पूर्वाह्म) से 21-12-84 (अपराह्म) तक रूपये 650-30-740-35-880-द० रो०-40-960 के वेतनमान में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है। यह नियुक्त सहायक लेखा अधिकारी श्री ए० मस्कारेन्हास के स्थान पर की गई है जिन्हों केन्द्रीय लेखा यूनिट में लेखा अधिकारी-11 (तदर्थ) के पद पर पदोन्नत किया है।

> पी० गोपालन प्रशासन ग्रधिकारी

राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना श्रणुशक्ति, दिनांक 3 ्जनवरी, 1985

सं रापनिद/भर्ती/7(8)/84 स्था ०/68 नाभकीय विश्वत मण्डल, बम्बई से स्थानापन्न होने के बाद श्री एन० एल० मेघानी को राजस्थान परमाणु विजली घर के मुख्य श्रक्षीक्षक एतद्द्रारा दिनांक 17-12-1984 के, पूर्णाञ्च से सहायक कार्मिक ग्रधिकारी (६० 650-960) के पद पर स्थानग्रमन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

> **धा**० ना० *कट्टी* प्रशासन ग्रंधिकारी (स्थापना)

परमाणु खनिज प्रभाग हैदराबाद-500016, दिनांक 3 जनवरी 1985

सं० प० ख० प्र०-16/4/84-मर्ती--निवेशक, परमाणु खनिज प्रभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्द्वारा परमाणु खनिज प्रभाग के स्थाई वरिष्ठ आशुलिपिक, श्री श्रो० भार्थन को उसी प्रभाग में 27 प्रक्तूबर, 1984 से 29 नवस्वर, 1984 तक तदर्थ रूप से स्थानापन सहायक कार्मिक श्रक्षिकारी नियुक्त, करते हैं।

दिनांक 7 जनवरी 1985

सं० प० ख प्र०-16/3/82-मंतीं जिल्द II--निदेशक, परमाणु खनिज प्रभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्द्वारा परमाणु खनिज प्रभाग के स्थाई उच्च श्रेणी लिपिक तथा स्यानापन्न सहायक लेखापाल, श्री के० यू० के० नायर को इसी प्रभाग में 11 जून, 1984 के पूर्वाह्न से 14 ग्रगस्त, 1984 तक तदर्थ रूप से स्थानापन्न सहायक लेखा प्रधिकारी नियुक्त करते हैं।

सं० पं० खं० प्र०-16/2/84-भर्ती—निदेशक, परमाणु खनिज प्रभाग, परमाणुं ऊर्जी विभोग एतद्द्वारा भाभा परमाणुं ध्रनुंसन्धान केन्द्र के परिवर्ती ऊर्जी साइकलोट्रीन केन्द्र के स्थाई उच्च श्रीणी लिपिक एवं स्थीनापन्न सहायक लेखापान श्री एसं० एस० मिश्र को 30 नवम्बर, 1984 के पूर्वाह्न से लेकर ग्रगले श्रादिण मिलने तक परमाणु खनिज प्रभाग में स्थानापन्न रूप से सहायक कार्मिक श्रिधकारी नियुक्त करते हैं।

एस० पदमनाभन, वरिष्ठ प्रशासन एवं लेखा प्रधिकारी

पर्यटन तथा नागर विभागन मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली-3, दिनांक 5 जनवरी 1985

सं० ए० 32013/मेट-1/7/83—स्था० I—राष्ट्रपति, भारत मौसम विज्ञान विभाग के निम्नलिखित मौसमं विज्ञानी श्रेणी—II सहायक मौसम विज्ञानी को उसी विभाग मे, उनके नामों के सामने दी गई तारीख से भ्रंगला भ्रावेण मिलने तक, स्थानीपन्न मौसम विज्ञानी श्रेणी—I के रूप में नियुक्त करते हैं:—

ऋम सं०	नाम	मौसम विज्ञानी श्रेणी 1
		के रूप में कार्य-
		भार संभालने की दिनांक

1	2		3
1.	श्री एल० एम० रतोलिकर		9-8-1984
2.	श्रीबी० एस० गर्ग .		11-6-1984
3.	डा० टी० म्रार० सिवारामार्कृष्णन	•	11-6-1984
4.	श्री एस० के० सुकामणियन		11-6-1984
5.	श्री एस० के० बिन्द्रा .		11-6-1984
6.	श्रीजी० एन० शर्मा		11-6-1984
7.	श्री दया किशन .		11-6-1984
8.	श्री एस० ए० एच० एलबीज		28-6-1984
9.	श्रीवी०पी०सक्सेना.		11-6-1984
10.	श्री सत्य प्रकाश .		11-6-1984
11.	डा० वी० एस० तिवारी		11-6-1984
12.	डा० सन्त प्रमाद .		11-6-1984
	. to a		

1	2		3
13.	श्री एस० सरीधरन .	•	11-6-1984
14.	श्रीमती एन० एन० खमबाँटे		11-6-1984
15.	श्री बी० आर० लोई .		11-6-1984
16.	श्री वाई० एस० धुगाल	•	13-7-1984
			(अपराह्न)
	श्री ठाकुर प्रसाद .	•	11-6-1984
18.	श्री हेम राज .	•	11-6-1984
19.	डा० बी० मानिकियन .	•	11-6-1984 (अपराह्म)
20.	श्री एंच० आर० हतवार		11-6-1984
	श्री एस० के० प्रसाद	•	12-6-1984
	श्री एच॰ एस॰ बिल्ला		11-6-1984
	श्री ए० के० गंगीपाध्याय		11-6-1984
	श्री एम० आर० एम० राव		16-7-1984
	श्रीमति बी० श्यामला .		11-6-1984
26.	श्री एम० आर० खान .		11-6-1984
27.	श्री एच० आर० खपरा	•	11-6-1984
28.	श्रीके०टी०जोसैफ .		11-6-1984
29.	श्रीडी० चक्रावर्ती .		11-6-1984
30.	श्री ए० यू० राव .		26-9-1984
31.	श्री एन० एस० कुलकरनी		11-6-1984
32.	श्रीजी०एम०जैन .	•	11-6-1984
33.	श्रीक्रिज भूषण .		11-6-1984
34.	श्री मी० के० चन्द्राशेखरन	•	18-6-1984
	डा० सी० वी० वीराभदरम	•	11-6-1984
36.	श्री डी० पी० पाण्डेय .	•	11-6-1984
37.	श्री असोई लाल .	•	11-6-1984
38.	डा० ए० के० बोहरा .	•	11-6-1984
39.	श्रीएन० पन्डारोनाथ .		16-7-1984
40	श्री शेक नमीरूद्दीन .	•	11-6-1984
41.	श्री जे० एन० कनूजिया		26-6-1984
42	श्री एस० के० दास .		11-6-1984
43.	श्री राजेन्द्र प्रमाद .	•	11-6-1984
44.	श्री एस० एन० डेका .		16-7-1984
45.	श्रीके०सी०पारेल .		15-7-1984
46.	श्री एच० पी० दा स .	•	11-6-1984
47.	डा० जे० वी० एम० नायंडू	•	11-6-1984
48.	श्री सूर्या बाली .	•	11-6-1984
49.	श्री एन० आर० मीना	<u> </u>	11-6-1984

1 2	3
50 श्री फकीर चन्द	29-6-1984 से (अपराह्न)
51, श्रीबी० एल० वर्मा	11-6-1984

एस० के० दास, मौसम विज्ञान के महानिदेशक

महानिदेशक नागर विमानन का कांपालिय नई दिल्ली, दिनांक (26 विसम्बर 1984

सं० ए० 32013/3/83-ई० सी०:—राष्ट्रपति ने नागर विमानन विभाग के श्री के० रामाकृष्णा तकनीकी अधिकारी को दिनांक 30-7-1984 (अपराह्म) से भौर अन्य उसका वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया है।

दिनांक 27 दिसम्बर 1984

सं० सी० 18011/1/84-ई० एस०—उच्च न्यायालय दिल्ली, नई दिल्ली के दिनांक 24 जुलाई, 1984 को दिये गये निर्णय के अनुसार श्री डी० डी० सांसी को, जो पहले नागर निमानन विभाग में सहायक विभाग निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे, दिनांक 23-6-1985 से पुनः सेवा में बहाल समझा गया है तथा वे सरकार से सभी अनुवर्ती लाभों का दावा कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त नागर विमानन विभाग के श्री डी० डी० सौसी, सहायक विमान निरीक्षक निवर्तन आयु प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप दिनांक 31-10-1976 (अपराह्म) से सरकारी सेवा से सेवा निवृक्त हैं।

दिमांक 1 जनवरी 1985

सं० ए० 32014/7/84-ई० सी०---महानिदेशक नागर विमानन ने श्री श्रोंकार सिंह तकनीकी सहायक को दिनांक 17-10-1984 से शीर अन्य शादेश होने तक सहायक सकनीकी अधिकारी के ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया है।

दिनांक 2 जनवरी 1985

सं० ए० 32013/12/83-ई० I--इस कार्यालय की विनांक 9-7-1984 की अधिसूचना सं० ए० 32013/12/83-ई० I के क्रम में राष्ट्रपति ने श्री ए० एन० मुखर्जी को कलकता में निदेशक उड़न योग्यता के ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई नियुक्ति की विनांक 30-11-1984 से 31-1-1985 तक या निदेशक उड़न योग्यता के पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, इनमें से जो भी पहुले हो, जाी रखने की स्वीकृति दी हैं।

सं० ए० 32013/3/84-ई-1-इस कार्यालय की अधिसूचना सं० ए० 32013/3/84-ई-1 के कम में राष्ट्रपति ने श्री एस० बलराभ की उप महानिवेशक नागर विमानन के पद पर की गई तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 9-11-84 से 31-12-84 तक या पद के नियमित आधार पर भरे जाने की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले हो, जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है।

सं० ए० 32014/1/84-ई० एस०—महानिदेशक नागर विमानन के निम्निलिखित अधीक्षकों की प्रत्येक्ष के नाम के सामने दी गई तारीख से आगे 6 मास तक पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, इनमें से जो भी पहले, हो, रुपये 650-30-740-35-810-द० रो०-35-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान प्रशासनिक अधिकारी के पद ,पर तदर्थ आधार पर की गई नियुक्ति को बनाये रखने की स्वीकृति प्रदान की हैं:—

ऋग सं० नाम	अनुमोदित तदर्थ नियुनित की अवधि		प्रशास निक अधिकारी के
	```	तक	साथ ड्यूटी का स्टेशन (तदर्थ

1. श्री एम० डी

गुर्मा 05-01-85 14-07-85) क्षेत्रीय निदेशक

2. श्री एम० एल० भसीन 14-12-84 13-06-85 कार्यालय

- 3. श्री एस० के० 29-12-84 28-06-85 क्षेत्रीय निदेशक शहा (अनुजाति) महास का कायीलय
- श्री एम० चक्र- 27-01-85 26-07-85 नागरिक उड्डयन वर्सी प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद

बी० जयचन्द्रन, सद्वायक निवेशक (प्रशासन)

नई दिल्ली, दिनांक 1 जनवरी 1985

सं० ए० 24012/1/84-ई० एस०:—नागर विमानन विभाग के श्री एस० एल० बोहरा, वरिष्ठ उड़न मोग्यता अधिकारी (तदर्थ) निवर्तन आयु प्राप्त कर लेने पर 30 नवम्बर, 1984 अपराह्म से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये हैं।

वि० भौमिक, सहायक निदेशक प्रशासन

विदेश संचार सेवा

बम्बई, दिनांक 3 जनवरी, 1985

सं० 1/166/84-स्था० बम्बई के मुख्य यां व्रिक, श्री डी रोचा निर्वतन आयु के हो जाने पर 30 नवम्बर, 1984 के अपराह्म से सेवा निवृत्त हो गये।

> र० का ठक्कर, उप निवेशक, (प्रशा०) कृते महानिदेशक

केन्द्रीक उत्पाद शुल्क एव सीमाशुल्क समाहर्तालय भुवनेश्वर, दिनांक 5 दिसम्बर 1984 .

सं० 8/84---प्रत्येक के सामने लिखी तारीख से कार्य निवृत्ति पर सरकारी सेवा से केन्द्रीय उत्पाद व सीमाशुल्क समा-हर्तालय, भुवनेश्वर के निम्नलिखत राजपन्नित अधिकारी सवा निवृत्त हुए:---

1. श्री जी० श्रीनिवास राव (प्रशासनिक अधिकारी)

31-10-84

2. श्री लक्ष्मीधर मिश्र अधीक्षक (समुह बी)

(अपराह्न) '

30-11-84 (अपराह्म)

> सी० शतपथी उप समाहर्ता (का०वस्था०)

ऊर्जा मंत्रालय

कोयला विभाग

कायला खान श्रमिक कल्याण संस्था

धनबाद, दिनांक 3 जनवरी 1985

सं० ए० डी० एम० 12(3) 79:--- निर्वतन आयु प्राप्त होने पर कोयला खान कल्याण संस्था, धनबाद के सहायक सचिव श्री डी० के० रूज दिनांक 30-11-84 अपराह्म से सरकारी सेवा निवृक्त हो गये।

> आर० एस० शिवानी कोयला खान कल्याण आयुक्त

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग)

कम्पनी विधि बोर्ड

कम्पनियों के रजिस्टार का कार्यालय

कम्पनी भ्रधिनियम 1956 एवं मैसर्स असाम पोलीमर प्राइवेट लिमिटेड के विषय मे

शिलांग, दिनांक 27 दिसम्बर 1984

सं० जी० पी० टेक आर 1368/560 (5) 4242--कम्पनी अधिनियम, 1956 की घारा 560 की उपघारा (5) के अनुसरण में एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स असाम पोलिमर प्राईवेट लिमिटेड का नाम दिया गया है भीर उन्त रजिस्टर से काट विषटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं मैं उसे अशोका रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

श्रिलांग, दिनांक 27 दिसम्बर 1984

सं० जी० पी० टेक आर 1688/560(5) 4245---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्यारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स रोडवेज लिमिटेड प्राईवेट रजिस्टर से काट दिया गया है ग्रीर उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

> र्डा० एन० पेंग् कम्पनीका रजिस्ट्रार

कार्यालय मुख्य आयुक्त (प्रशासन) एवं

आयकर आयुक्त

लखनऊ, दिनांक 31 दिसम्बर, 1984

आयकर विभाग

सं० 149-श्री बंसी लाल, आयकर आधकारी (वर्ग "ख") जो अतिरिक्त आयकर अधिकारी, सी वार्ड, लखनऊ वृत्त, लखनक में तैनात थे 31~10-84 के अपराह्म मे निवर्तन की आयुपर रिटायर हो गये।

सं० 150-- श्री सिया सरन सन्सेना, आयकर अधिकारी वर्ग ("ख") जो आयकर अधिकारी, हरदाई में तैनात स्थे 31-10-84 के अपराह्म में निवर्रन की आयु पर रिटायर हो गये।

> धरनी धर मुख्य आयुक्त (प्रशासन) उ० प्र० एवं आयकर आयुक्त, लखनऊ

प्ररूप आई .टी. एन. एस. ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयंकर आयंक्त (निरक्षिण) अर्जन रेंज, एनिकुलम

की चिन्नेन-16 दिनांक 20 नवम्बर 1984

निर्वेश सं० एल० सी० 701/84-85 /711-- प्रतः मुझे, बी० रविबालन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है'), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थ्यावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रा. से अधिक हैं

ग्रीर जिसकी सं० धनुसूची के धनुसार है तथा जो पनियूर गांव में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध धनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से विणत है), राजस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी के कार्यालय, कार्यकुलमं में राजस्ट्रीकरण प्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के प्रधीन, तारीख 11 धरील 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कंम के स्वयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके स्थमान प्रतिफल से, एसे स्थमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अतिरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्वेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथिस नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बार्नस, उक्स आधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूर्विधा के लिए; और/या
- (स) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकंट नहीं किया गया था किया जाना चाहिए था, खिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अधा, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण मों, मों, उक्त अधिनियम की धारा 269-भ की उपधारा (1) की अधीन, निम्नलिकिं व्यक्तियों, अर्थात् ा— (1) श्रीराधा कृष्ण कुरुप श्रीर श्रीगोगाल कृष्ण कुरुप।

(ग्रन्तरक)

(2) श्राके के भास्कर।

(भ्रन्तरित)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकींगे।

स्पच्टीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

जन्सू ची

तारीख 11 अप्रैल 1984 उप र्याजस्ट्रों कार्यालय कार्यकुलम के दस्तावेज सं० 1202/84 में संलग्न श्रनुसूची के श्रनुसार पनियूर विलेज भें सर्वे सं० 5069 में 41 सेन्ट भूमि।

> बी० रविवालन , सक्षभ[प्राधिकारो *।* सहायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरोक्षण) श्रजेन रेंज एनीकुलम

तारीख : 20-11-1984

प्रस्थ आहे. टी. एन. एस.-====

नायकर विधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धाड़ा 269-व (1) के अधीन स्वना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकार आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज पूना

पूना∎दिनांक 27 श्रगस्त 1984

निदेश मं० 6015/84-85/875/27/8/84--श्रतः मुझे सन्तोष दत्ता

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पर्वात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह यिश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

भौर जिसकी सं० प्लाट नं० 201 दूसरी मंजिल जें० के० अपार्टमेंट्स 1440 गुक्रवार पेट पूर्णे-2 में स्थित है (और इससे उपाबढ अनुसूची में और पूर्ण रूप से विणत है) रिजस्ट्रीकर्ती अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण) अर्जन रेंज पुणे में रिजस्ट्रीकरण अधिनयम 1908 (1908 का 16) के अधान तारीख जून 1984

- (क) अन्तरण ने हुई किसी बाय की बाबत, अवस्थ अधिनियम के अधीन कार जैने के अन्तरक के बायित्व में कभी एउने या उससे वचने में सुनिधा के हिन्छ; बाँदु/सा
- (च) ऐसी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तिणी करों, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उच्का अधिनियम, या भग कर अभिनियम, 1957 (1957 जो 27) न के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना वाहिए था, छिपाने में सृविधा के सिए;

मतः मन, उक्त अधिनियम की धारा 269-म के, अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) ■ अधीन, निम्निलिमित व्यापितयों, अधितः— (1) श्राणि० के० जिल्डर्स1430 शुक्रवार पेटपुणे-2।

(ग्रन्तरक)

(2) श्रो दिलोप नटबरलाल शाह354 रिववार पेटपूणे-411002।

(भ्रन्तरिती)

को यह स्थान जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के वर्षन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 45 दिन की अविभि मा तत्सम्बन्धी व्यक्तियाँ पर सूचना की दामील से 30 दिन को अविध , जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्विकत स्वितियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ज) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 विन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित- बद्ध किसी करण स्थावत इवारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पव्यक्तिरणः --- इसमें प्रयुक्त शन्यों और पदौं का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 के में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया नया हैं।

ग्रनुसूची

प्लाट नं० 201 पलीर, जे० के० ग्रावार्ट मेंटस, 1440, मुक्तवार पेट पूर्ण-411 002 (क्षेत्र 871 चौरस फूट)

(जैसे की रिजिस्ट्री इन्त नं० 37 इइ/6015/84-85 जो तारीख जून, 1984 को सहायक आयकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पुणे के वक्तर में लिखा है)।

संतीष वना सक्षम प्राधिकारो भ्रायकर भ्रपुक्त (निरोक्षण) श्रर्णन रेंज∽पूना

दिनांक : 27-8-1984

प्रकष् बार्च, दी. एन. एस. ----

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-थ (1) के अधीन सूचना

नारत तरुकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) धार्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 3 अगस्त 1984

निदेश सं० सी० ए० 5/37**ईई**/5470/84-85/3-8-84 भ्रतः मुझे, सन्तोष दत्ता,

काथकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके ग्रथात 'उन्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास अरने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० फ्लैट श्रिपार्टमेंट नं० 3 सेकण्ड फ्लोर इन प्रपोज्ड मुग्धाली प्रपार्टमेंट प्लाट नं० 15 सं० नं० 36—ए एरंडवाण जो पुणे—411004 में स्थित है (श्रीर इसमे उपाबद्ध श्रनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है) रिजस्ट्रीकर्ता श्रिधिकारी के कार्यालय सहायक श्रायकर श्रायक्ष (निरोक्षण) श्रर्जन रेंज, पुणेमें रिजस्ट्रीकरण श्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख मई, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित वाजार मूल्य से कम के ध्रयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विक्रवास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूख्य, उसके क्ष्यमान प्रतिफल से, एसे द्रश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिचात से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय गया गया प्रतिफल, निम्निचित उद्दोश्य से उक्त अन्तरण निश्चित में बास्तविक रूप से किसा गया है :---

- (क) बन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अंतरण के वासिक में अभी करने मा उससे बचने में सुविधा के लिए; करिर तर
- (ण) एंसी किसी भाग या किसी धन या अन्यू आस्तियों को जिन्हों भारतीय जायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जन्तीरिती द्वार प्रकट नहीं किया गया भारा किया अपना चाहिए दा, छिपाने में स्विधा के लिए;

अत: अव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्निलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--- (1) श्रीमती णणि श्रप्पाराव लेंगाडे, द्वारा पावर श्राफ श्रटार्नी: श्री प्रकाण श्रनन्त पोकले, फ्लैट नम्बर 4, मंजरी सोसाइटी, 36/7, एरंडवाणा, पुणे-411038।

(भ्रन्तरक)

(2) श्री संजीव श्रीपाद दाते, 403, किर्लोस्कर बदर्स लि०, किर्लोस्कर बाबी, 416308, जिला सांगली ।

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के निष् कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस सं 45 दिन की अविधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (का) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास् सिष्टित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टिकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जी उस अध्याय में दिसा गया है।

नम्स्यी

ं फ्लैटनं० 3, सेकन्ड फ्लोर, इन प्रपोज्ड मुग्याली भ्रापार्टमेंट प्लाटनं० 15, सं० नं० 36-ए, एरंडवाणा, पुणे-411004। (क्षेत्र : 730 चौ० फीट)।

(जैसे कि राजिस्ट्रीकृत नं० 37 ईई०/5470/84-85 जो [तारीख मई, 1984 की सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)' अर्जन रेंज,पुणे के दफ्तर में लिखा है)।

> सन्तोप दक्ता मक्षम प्राधिकारो सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरोक्षण) ग्रर्जन रेंज, पूना

सारीख: 3-8-1984

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

श्चर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 3 अगस्त 1984

कायकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उकत अधिनियम' कहा गया है)., की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी की यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रा. से अधिक है

ग्रीर जिसको सं० फ्लैट नं० 307, लिबर्टी कम्प्रलेक्स, प्लांट नं० 17, सेक्टर~17, डी० बी० सी० सिडकी, वाशी है तथा जो नई बम्बई में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबड़ श्रनुसूची में पूर्ण रूप से विणत है), रिजस्ट्रीकर्ता ग्राधकारी के कार्यालय सहायक ग्रायकर श्रायकर विश्व (निरोक्षण) ग्रर्जन रेंज पुणे में रिज-स्ट्रीकरण श्रिधनियम 1908 (1908 का 16) के श्रधीन सारीख ज्न 1984

को पृथोंक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृल्य से कम के स्वयमान प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वाक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार उसके दश्यमान प्रतिकल सी, ऐसे स्वयमान

प्रतिकल का पंद्रह प्रतिकात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकल, निम्नलिखित उक्द क्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) जन्तरण संहुई किसी बाय की बाबत, उक्त बीधनियम के बधीन कर दोने के अस्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ की, जिन्हों भारतीय आय-कार अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या समकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्यारा प्रकट नही किया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा के लिए;

अतः अस्त, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियं अर्थात् :—— 3—426/84 (1) मैं० लिबर्टी इनवंस्टमेट्स पा० लि० 302 दालामाल हाउस 206 तरीमन पांडट बस्बई-400021 ।

(भ्रन्तेरक)

(2) श्रीमती प्रयता दास 5 श्रावण तेवल श्रफसंग्रीट्स कुलाबा बम्बई-400005 ।

(श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वांक्त सपित्त के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हु।

उन्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :---

- (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीका से 45 विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 विन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तिण में से किसी व्यक्ति विष्टि विष्यक्ति विष्टि विष्यक्ति विष्टि विष्टि विष्यक्ति विष्टि विष्यक्ति विष्यक्ति विष्टि विष्टि विष्यक्ति विष्टि विष्टि विष्टि विष्टि विष्टि विष्टि विष्टि विष्यक्ति विष्यक्ति विष्टि विष्यक्ति विष्टि विष्टि विष्यक्ति विष
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा मकीं।

स्पष्टीकरण: — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्छ अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

मनस्यो

फ्लैट नं० 307 लिवर्टी कम्पलेक्स प्लाट नं० 17, सैक्टर नं० 17 डी० बी०सी० सिडको, वाणी, नई बम्बई। (क्षेत्र : 1850 चौ० फीट)।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37 ईई०/7352/84-85 जो तारीख जून, 1984 को महायक ग्रायकर ग्रायक्स (निरीक्षण), ग्रर्जन रेंज, पूणे के दफ्तर में लिखा है ।)

> मन्तोष दत्ता सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण) भ्रजीन रेंज, पूना

नार्भाः : 3−8−1984

मांहर:

प्रभा आक्ष्य हो, एन. एस.-----

गायकर अधिनियस, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ध (1) के अधीन स्थना

भागस भार हार

कार्यालय, महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

. शर्नन रेंग्र, पना

पूना, दिनाक अ श्रगस्त 1984

निदेश सं० मी० ए०- 5/37 ईई०/7568/84-85/859/ 4-8-84-अत: मुझे, सन्तोष दत्ता,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं)., की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थायर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/-रा. मं अधिक हैं

श्रीर जिसकी मं० फ्लैट न० 1844, प्लाट नं० 53, सेटर नं० 17, डिस्ट्रिक्ट बिझनेग सेन्टर है तथा जो वाणी, नई बम्बई में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण हम से बिणत है), रिजस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी के कार्यालय, सहायक श्रायकर आयुक्त (निरीक्षण), श्रर्जन रेंज, पूणे में रिजस्ट्रीकरण श्रिधिनाम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, नारीख मई, 1984

को पूर्वीत सम्मिरित के उचित बाजार मूल्य में कम के दश्यमान प्रितिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूके यह विश्वास करने, का कारण है कि यथापुर्वोक्त सम्पित्त का उजित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रितिफल से, एसे दश्यमान प्रितिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक ही और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रति-फल, निम्नलियित उद्देश्य में उक्त अन्तरण विखित में वास्त-विक रूप में कथित नहीं किया गया है:---

- (क) जन्तरण से हुई किसी आय की शबस, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अगारक के दायित में कमी करने या प्रकार प्रवने में स्विधा के लिए; और/या
- (क) एसी किसी आय या किसी धन या भन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या अस कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना चाहिए था, छिपान में स्थित के लिए:

क्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्गरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिक्षित व्यक्तियों, अर्थति :-जर्म (1) र्था रमेण गंगाधर जित्त, र्चण्फ प्रोमोटर : प्रपोण्ड को श्रापरेटिव सोमाइटी लि० 51/1194 - कन्नमवार नगर व्यवर्र-400083 ।

(ग्रन्तरक)

(2) मिसेस श्रिजया णरद माने स्रीर सि० शरद यणवन्त राव माने बीर-20-2/5 सेक्टर 1 वाक्षी, नई बम्बई।

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पृथेक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पर्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप --

- (क) इस स्वता के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन की अविध या तत्सम्बन्धी स्पित्तयों पर स्वता की तामील से 30 दिन की अविध, को भी वविध वाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्विक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (खं) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति व्यारा अथाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकोंगे।

स्पद्धीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो सक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

ग्रनुमूची

फ्लैट नं० 404 प्लाट नं० 53 सेक्टर 17, डिस्ट्रिक्ट विजीनेस सेन्टर वाणी, नई बम्बई।

(क्षेत्र : 801 चौरमफीट)

(जैसे कि रिजस्ट्रीकृत नं० 37 ईई०/7568/84~85 जो तारीख मई 1984 को सहायक श्रायंकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज पूणे के दफ्तर में लिखा है।)

> सन्तोष दत्ता सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (नि**री**क्षण) ग्रर्जन रेंज, पूना

नारीख: 4-8-1984

प्रोहर:

प्ररूप आर्च. टी. एन. एस. -----

श्रायकन्द अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अधीन सूचना

भारत सरकाड

कार्याजय, स**क्षायक बायकर बायुक्त (निरीक्षण)** अर्जन रेंज, पूना

े पूना, दिनांक 28 ग्रगस्त 1984

निदेश सं० मी० ए.०-5/37 ईई०/5949/84-85/860/ 28-8-84--ग्रतः मुझे, सन्तोप दनाः

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपरित जिसका उचित बाजार मून्य 25,000/-रु. से अधिक है

प्रौर जसकी सं० शाप० नं1365, सदाशिव पेठ, है तथा पुणे-30 मे स्थित है (श्रौर इसमे उपाबड अनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से विणित है), रिजिस्ट्रीकर्ना श्रिधकारी के कार्यात्त्रय, सहायक स्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण), श्रजेंन रेज पूर्ण में रजस्ट्रीकरण अर्धोन तारी स्न प्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित वाजार मृल्य से कम के श्रामान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हैं और मृभ्रे यह विश्वास करने का कारण हैं कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मृल्य, उसके श्रामान प्रतिफल से, एसे श्रामान प्रतिफल का गन्द्रह प्रतिशत से अधिक हैं और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्योध्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तिवक रूप से कथित नहीं किया गया हैं:----

- (क) जन्तरण से हुई किसी काय की वाबत उक्त अधि-नियम के अभीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में स्विधा के लिए; और/या
- (क्ष) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

कतः अब, उक्त अधिनियम, की भाषा 269-ग के अनुसरण पे, में, ठक्त अधिनियम की भाग 269-म की उपधारा (1) के अधीन, निम्नतिखित व्यक्तियों, अर्थात् :— (1) मि० पोपटलाल णिवलाल जैन, 44, वम्बई पुणं रोड, बी० पी० डी०, पुणे~3।

(भ्रन्तरक)

(2) 1. मिस्टर कुमार हृदराज परयानी,
 2. मिस्टर पुरुषोत्तम हृदराज परयानी,
 1084, श्राल्ड मोदीखाना,
 पुण-411001।

(भ्रन्तरिती)

को यह भूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मे कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीं सं 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील सं. 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में सम्मूण्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में सं किसी व्यक्ति द्वारा,
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित- बद्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्थब्दीकरण:--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित इं, बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विवा गया है।

अनभूना

नाप एंट 1365 नदाणिव पेठ पुणे~30 । (क्षेत्र . 180 चौ० फीट)।

(जैसे कि राजिस्ट्रीकु । २० 37 ईई०/5946/84-95 जो तारीख जून 1984 का गहायक अयकर प्रायुक्त (निरीक्षण) स्रर्जन रेंज, पुणे के दफ्तर में लिखा है)।

> मन्तोष दत्ता सक्षम प्राधिकारी सहायक प्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, पूना

तारीख . 28-8-1984

प्ररूप आर्". टी., एन्., एक्.,=--=---

नायकर लिभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-थ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यांसय, सहायक नायकर मायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज, पूना

पूना॰, दिनाक 1 सिनम्बर 1984

आयकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख को अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रा. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० प्लाट नं० 31 म० न० 282 सिच्युएटेड एट चिचबंड नालुका हवेली है तथा जो जिला पुणे मे स्थित है (श्रीर इससे उपाबढ अनुसूची मे श्रीर पूर्ण न्य से बिणत है)। रिजस्ट्री कर्ता श्रिधकारी के कार्यालय सब रिजस्ट्रार हवेली – 1 मे रिजस्ट्रीकरण श्रिधिनयम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारोख जुलाई 1984

को पूर्वोक्त संस्पत्ति के उचित बुज़ार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथाप्वोंक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत है अपि एसे अंतरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त बिधिनियम के अभीन कर दोने के अन्तरक के बायित्व में कमी करने या उससे वचने में सुविधा के लिए; और/या
- (स) एंबी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया धा या किया जाना चाहिये था, कियाने में स्विधा के सिए;

कतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-थ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नतिश्वित व्यक्तियों, अर्थात्:- (1) श्रोके० पिच्समणा 84~ए/1 रास्ता पेठ पुणे∽411011।

(ग्रन्तरक)

(2) श्री जा० एस० बलसे (चीफ श्रोमोटर : मुयश को श्रापरेटिय हार्जासग सोसाइटी) प्लाट नं० 32. स० नं० 585 गुलटेकडी पुणे—41101।

(भ्रन्तरिती)

को यह स्वाना जारी करके प्रविक्त संस्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त संपत्ति के अर्थन के संबंध में को हैं भी श्राक्षेप :--

- (क) इस स्थान के राजपण में प्रकाशन की सारीश से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी स्पित्तयों पर स्थान की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्विक्स व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ब्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्दध किसी बन्य व्यक्ति इवारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिसित में किए जा सकरेंगे।

स्थव्योकरण: — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्दों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 31 स० नठ० 282 सिच्युएटेड एण्ड चिचवड तालुका हवेली, जिला पुणे।

(क्षेत्र : 468.23 चौ० मीटर्स याने 5040 चौ० फीट)।

(जैमे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37 जी:०/2200/84-85 जो तारीख जुलाई, 1984 को सब रजिस्ट्रार, हवेली-1 के दफ्तर में लिखा है।)

> मन्तोष दत्ता सक्षम प्राधिकारी सहायक स्रायंकर श्रायुक्त (निर्गक्षण) अजन रेंज, पूना

तारीख 1-9-1984

प्रकप बाईं.टी.एन.एस. ------

भायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अभीन सुमना

भारत सहकार

कार्यालय, सहायक जायकर आयुक्त (निरीक्षण)

भ्रजीन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 28 श्रगस्त 1984

बायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अभिनियम' कहा गया है), की भारा 269-च के अभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रु. में अभिक ही

और जिसकी सं० फ्लैंट नं० 3, सी बिल्डिंग, चिन्तामण नगर, सं० नं० 128/1, श्रोध है तथा जो पुणे-411007 में स्थित है (श्रीर इसमें उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, महायक श्रायकर श्रायुक्त से निरीक्षण), श्रर्जन रेज, पुणे में रिजस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन तारीख जून, 1984

को पूर्णीक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृष्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गर्द है और मूक्ते यह विद्यास करने का कारण है कि संधापूर्वीक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृष्यमान प्रतिफल से, एमे दृष्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिदात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नितिचित उद्देष्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अभिनियम के अभीन कर दोने के अन्तरक के बायित्य में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (का) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनिसम, 1922 (1922 को 11) या उक्त अधिनिसम, या धन-कर अधिनिसम, या धन-कर अधिनिसम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गरा। धा या किया जाना चाहिए था, खिपाने में नृविधा चे निए।

कतः जब, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण नें, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-थ की उपधारा (1) को अधीन, निम्निलिकित व्यक्तियों, अर्थात् :--- (1) मे० निखिल इन्टरप्राइजेम, 14, बम्बई-पुणे रोड, बजाज आटो शो रूम के पास, बाकडेबाड़ा शिवाजी नगर, पुणे-411005।

(अन्तरक)

(2) डा० (मिसेस) भानू चन्दा और
थो० मनिष चन्दा,
सूट नम्बर 107,
एन० सी० एन०,
न्यू होस्टल- 11,
एन० सी० एन०,
पुणे--411008 ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना भारी करको पूर्वोक्त सम्पत्ति को अर्थन को लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए आ सकोंगे।

स्पष्टीकरणः — इसमें प्रयूक्त शब्दों और पदों का, जो अक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया हैं।

वन्स्ची

पलट नं० 3, मी बिल्डिंग, चितामण नगर, स० न० 128/1, ग्रीय पुणे-411007।

(क्षेत्र : 825 चौ० फीट)।

(अनुसूर्चः कि रजिस्ट्रीकृत मं० 37 ईई०/5642/ 84-85 को नारोख ज्ञन 1984 को महायक आयकर, आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पुणे के दफ्तर में लिखा है)।

> सन्तोप दसा सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरी**क्षण**) अर्जन रेंज, पूना

तारीख 28-8-1984

माहर:

प्ररूप बार्ड. टी. एन. एस. -----

ब्रायकर मिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-च (1) के अभीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, पूना पूना, दिनाक 28 अगस्त 1984 निदेश म० मा० ए०-5/37 ईई०/5253/84-85/866/ 28-8-84-अत मुझे, मन्तोप दत्ता

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रा. से अधिक हैं

श्रीर जिसकी सार पलैट ने र 3, फर्स्ट पलीर निर्मल आपाटंमेट, प्लाट न र 93, सर न र 26, इहाणूकर कालोनी है तथा जो कोथर इ, पुणे—29 में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूच। में ग्रीर पूर्ण रूप से विणित है), रिजस्ट्रान्ति अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेज, पुणे में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख ज्लाई, 1984

करे पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार म्ल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अलारित की गर्ड ही अंग म्फे एह विश्वास करने क्षा कारण ही कि यथापृत्रोंकत सम्पत्ति का उचित बाजार मृल्य उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ही और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तम पामा गया प्रति-फल निम्निलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिविक रूप से किथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी काय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्य में कमी करने या उससे अचने में स्विधा के लिए; और/या
- (ण) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्हरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, खिपाने में सुविधा के सिए:

कतः मध उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण को, जी, उक्त अधिनियम की धारा 269-भ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधीत् हरू--- (1) में प्रवाण गुप्ते और एसोसिएट्स,
 13/176,
 लोक मान्य नगर,
 पुण-411030।

(अन्तरक)

(2) श्री मुरेन्द्र, मुकुद मुल्हरकर, अन्नपूर्णा, फर्स्ट फ्लोर, 1/12, कर्वे रोड, बम्बई-411004।

(अन्तरिती)

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्जन के सिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीं से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी क्यों क्तयों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्वोंक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षारी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरण : — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

वगस्यी

पलैट न० 3, फर्म्ट पलोर, निर्मल अपार्टमेट्स, प्लाट न० 93, सं० न० 26, इहाण्कर कालोनो कोथरूड पुणे— 411029।

(भेव)

(जैस कि रिजिस्ट्रेकिन म० 37 ईई०/5253/84-85 जो ताराख जुलाई, 1984 को महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेज, पुणे के दफ्तर में लिखा हूँ)।

> सन्तोष दत्ता सक्षम प्राधिकारी सहायक आयक्तर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन **रेज, पू**ना

नारोख : 28-8-1984

परूप आक्ष टी एन्. एस. ----

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अधीन सुचना

भारत संस्कार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अञ्चल रेन, पूना पूना, दिनाक 4 अगस्त 1984

निदेश मं० मी० ए०-5/37 ईई०/5480/84-85/865/ 6/8/84--अत: मुझे, सन्तोष दसा

शायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'जक्त अधिनियम' कहा गया है), की धार 269-ख के अधीन सक्षम प्रार्थिकारी को यह विश्वास करने को कारण है कि स्थावर सम्पन्ति, जिस्क उचित बाजार मृल्य 25,000/-रु. से अधिक है

स्नीर जिसकी सं० फ्लैंट न० 8, फर्म्ट फ्लोर, बिल्डिंग न० 2, फ्लाट न० 13, स० न० 133/1 और 2 134/2 है तथा जो स्नोध, पुणे-7 में स्थित हैं (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूच) में स्नीर पूर्ण रूप से विणित है), रिजस्ट्र,कर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण), अर्जन रेज, पुणे में रिजस्ट्रीकरण [अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन नारीख मई, 1984

को पूर्वेक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य सं कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मूझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वेक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल सं, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत सं अधिक हे और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरित्यों) के बीच एसे अन्तरण के लिए त्य पाया गया प्रतिफल, निम्निसिंखत उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित व बास्तिक स्थ से किथित नहीं किया गया है :----

- (क) जन्तहण से हुई किसी आय की शबत, उक्त अधिनिष्ठ के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे ज्याने में मृथिया के सिए, जौर/वा
- (था) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आम्लियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उन्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना था, खिपाने में मृदिधा के लिए

जतः जब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण र्ज, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नसिसित व्यक्तियमें, अधिक ह— (1) में ० वेतणकर भिडे श्रोर एसोसिण्ट्स,
 461, रास्ता पेठ,
 पुणे-411011।

(अन्तरक)

(2) मिस्टर सुबोध बालचन्द णाह, किल्ला, बोड-431122।

(अन्तरिता)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख़ से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 3.0 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्ट व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति स्वार;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्यव्यक्तिकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उच्ल अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभावित हैं, बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दियो ज्या हैं।

यमस्य

फ्लैटन 8, फर्म्ट फ्लोर, बिल्डिंग नं 2, प्लाट नं 13, स्र न 133 प्रौर 2 स्र न 134 2, प्रौंध, पुणे 411007।

(क्षेत्र 1040 चौ० फीट)।

(जमे कि र्राजस्टु:कत स० 37 ईई०/5480/84-85 जो मई 1984 को महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेज, पूर्ण के दफ्तर में तिखा है)।

> सन्तोष दत्ता यक्षम प्राधिकारी भहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रैंज, पूना

तारोख : 4--9-1984

मंहर:

त्रकृष् नार्षः टी. एन. एस.----

बायकर विभिनियन, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के वृथीन सुवना

भारत चर्डकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना पूना, दिनांक 4 अगस्त 1984

निदेश मं० सो० ए०-5/37 ईई०/5281/84-85/864/ 4/8/84--अतः मुझे, संतोष दत्ता

शायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उकत अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उजित बाजार मृत्य 25,000/-रा. से अधिक है

ग्रीर जिसकी सं० पलैट नं० 14, सेकंड पलोर, कोणांर्य अपार्टमेंट्स, 175 होले पाटिल रोड है तथा जो पुणे-411001 में स्थित है (ग्रीर इसमें उपाबद्ध अनुमूची में ग्रीर पूर्ण रूप में विजित है), रिजस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेज, पुणे में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधोन, नारीख मई, 1984

को पूर्वोचत सम्पत्ति के उचित बाजार मृस्य से कम के द्रियमान प्रतिक्रम् के लिए बन्तरित की गई है और मूक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोचत सम्पत्ति का उचित बाजार बुन्य, उसके द्रियमान प्रतिकाल से, एसे द्रियमान प्रतिकाल का पन्त्रह प्रतिकात से अधिक है और बन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे बन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकाल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप में किथत नहीं किया गया है:—

- (क) जन्तरण से हुइ किसी बाय की वायस, उक्स बीधीनयम के जभीन कर दोने के अन्तरक की बायित्व में कनी करने या उससे वचने में सुविधा के सिंग्ट; और/या
- (श) ऐसे किसी जाय या किसी भन या अन्य आस्तियों की, जिन्हों भारतीय जायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम, या भन-कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए;

जतः अब, उक्त अधिनियमं की धारा 269-ग के अनुसरण जें, जेंं, उक्त अधिनियमं की धारा 269-घ की उपधारा (1) को अधीन, निम्निलिखतं व्यक्तियों, जर्थात् ु⊷ (1) मे० करिया बिल्डर्म,
 2, हर्मिस नेस्ट,
 841, दस्तुर मेहेरे शेड,
 पुण-411001।

(अन्तरक)

(2) डा० चन्द्रशेखर एस० बाघमारे,
 76/3, चिपलुणकर रोड,
 एरंडत्रणा,
 पूर्ण-411004।

(अन्तरिती)

को ग्रह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के लिए कार्यवाहिया गुरू करता हु।

उक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों गर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास निखित में किए जा सकोंगे।

स्पव्यक्तिरण: --- इसमें प्रवृक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-कं में परिभाषित हु⁴, बही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में विया गया है।

अनुसूची

फ्लैंट् नं० 14 2री मिजि, कोणांक अवार्टमेंटम 175 ढोले पाटिल रोड, पुणे-411001।

(क्षेत्र : 570 चौ० फीट)।

(जैसे कि रजिस्ट्रोकृत सं० 37 ईईं०/5281/84-85 जो मई 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण), अर्जन रें ज, पुणे के दण्तर में लिखा है)।

सन्तोष दक्ता सक्षम प्राधिकारी महायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण) अर्जन रेंज, पुना

मारोख: 1-8-1984

मांहर

प्ररूप् बाईं.टी.एन.एस.-----

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के अधीन स्चना

शारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

म्रर्जन रेंज, पूना

पुना, दिनाक 2 ग्रगस्त 1984

निदेश स॰ सी॰ ए०-5/37 ईई॰/5657/84-85/863/ 2/8/84-श्रतः मुझे, सन्तोष दत्ता

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उकत बाधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के नधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विक्वाम करन का कारण है कि स्थावर मण्टित, जिसका उणित बाजार मूल्ब, 25,000/-रा. से अधिक है

स्रौर जिसकी सं० फ्लैट नं० 126, फस्ट फ्लोर, 'ब' विग, क्लोवर सेन्टर बीइंग कन्ट्रक्टेड एण्ड 7, मोले देना रोड है तथा जो पुणे—411001 में स्थित है (श्रौर इससे उपाबड अनुसूची में स्रौर पूर्ण रूप से विणित है), रजिस्ट्री कर्ता ग्रीधवार के कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रजन रेज, पुणे में रजिस्ट्री करण श्रीधनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रीधीन, तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित योगार मूल्य म कम के इश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई हैं और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण हैं कि यथापूर्वाक्त सपित्त का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एस ख्य्यमान प्रतिफल का मन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अतिरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अत्ररण के लिय नम पाया प्रया प्रतिफन निम्नलिखित उद्देश्य स अक्त जन्तरण सिवित में शन्तिक कम म किथत नहीं किया गया है:--

- (क) अन्तरण स हुई भिन्नी शाय को बाबत, जक्त कांधनियम ,कें लभीन कर दन पर अन्तरण स स्वाधित्य में कवी करन या उससे बचने में समित्रण स्वें 'सक्, कींग्र'मा
- (ख) एसी किसी; आय या किसी धन या अत्य शास्तियों को, जिन्हों भारतीय लाय-कर अधिरिया, 1922 '1922 का : 'या एक्त अधिनियम, वा धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रवाबनार्थ अन्तरिती द्वार प्रकट नहीं किया प्रवा था वा किया खाटा चाहिए था, सिरान को

बत. अब. उन्त बिधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण वं, वे, उक्क बिधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) क्किन प्रकारिक प्रकारिक प्रकार अर्थात् ---- 4---426 GI/84

(1) मैं विजय एटरप्राइजेस 515, रेवा चेंबर्स न्यू मरीन लाइन्स बम्बई-400020।

(भ्रन्तरक)

(2) मिस्टर कमल किशोर दुवे प्रोजाइटर : कासभास इजी नयसं 19 जूनियर्तन अपाटमेट्स इस्ट स्ट्रीट प्रण-411001।

(ग्रन्तरिती)

कार्य क्षायं वारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजन क लिए कार्यवाहिया शुरू करता हु।

उक्त सम्पौत्त के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप :-

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के ^ ट्रिन को अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों प्रक् स्वना की तामील से 30 दिन की अविध, को भी अविध बाद में समाप्त हाती हो, को भीतर प्रोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ह्वारा,
- (व) इस स्थम के राजपण में प्रकाशन की तारीच चे 45 दिन के भीतर तकत स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी बन्य व्यक्ति हवारा वधाहस्ताकारी के शाक जिल्हा में विग्र ना सकते ।

स्पट्टीकरण:--इमबें प्रयुक्त बच्दों और वदों का, को उपह अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं,, रहा कथे हाना जा उस अध्याय में दिया नया है।

बन्स्ची

पलैट न० 126 पस्ट परोर 'बी' विग क्लोवहर सेन्टर बोडंग कन्स्ट्रकडट एण्ड ,7 मोखेदिना रोड (जर्सेनल रोड) पूणे-1!

(क्षेत्र 424 चौ० फीट)।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत स० 37 ईई०/5657/84-85 जो तारीख जून 1984 को सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज पूजे के दफ्तर में लिखा है)।

सन्तोष दत्ता सक्षम प्राधिकारी महायक ग्रायकर भ्रायुक्त (निरोक्षण) ग्रजन रेंज, पूना

तारीख 2-8-1984 मोहर : प्रक्रम बाह् . टी. एन. एव. + + - ----

नायकर निधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भाग 269-न (1) के नधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यांतय, सहायक वायकर शायुक्त (निरीक्षण)

धर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 28 श्रगस्त 1984

निदेश सं० सी० ए०-5/37 ईई०/5178/84-85/862/ 28/8/84-अत. मुझे सन्तोष दत्ता

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चाम 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख को अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूख्य 25,000/- रा. से अधिक है

मीर जिसकी सं० प्लाट नं० 48 स० नं० 45/1+46/7 एरंडवणा है तथा जो पुणे-411004 में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वणित है) रिजर्ट्रीक्ती मिश्रिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) मर्जन रेंज पुणे में रिजिस्ट्रीकरण श्रिधिनियम 1908 (1908 का 16) के स्रीत तारीख स्प्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृल्य से कम के दश्यमान की प्रतिफल के लिए अन्दरित गर्ह मभे यह विश्वास करने कारण कि यथापूर्वाकत सप्टित का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे इत्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 🗲 और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) को बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्दोष्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) जन्तरण से हुइ जिसी बाब की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर वाने के जन्तरक के दासित्य में कमी करने वा उससे बचने में सुविधा के जिए अर्थिश
- (च) ऐसी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों का, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनयम, 1922 (1922 का 11) या उत्तर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाज-नार्थ अस्तिरिती इवारी प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था खिपाने में स्विधा के लिए:

. जतः अस, उक्त अधिनियमं की धारा 269-ग के अन्सरण सं में उक्त अधिनियम की भाग २६०-क की सप्धारा (३) के अधीन, निक्तिवित अक्तियों, अर्थात् :---- (1) श्री मनोहर गणेश किनरे 1496 सदाशिव पेठ पुणे-30।

(भ्रन्तरक)

(2) श्री प्रमोद भ्रानन्त कुलकर्णी बी-7 कैरियर विल्डिग पुणे टेलीफोन एक्सचेज पुणे-411001।

(प्रन्तरिती)

को बहु स्थना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अजन क निष् कार्यवाहिया शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के बर्जन के संबंध में कोई भी बाक्षेप :--

- (क) इस सृथना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियाँ पर सृथना की तामील में 30 दिन की कर्नांध, को भी जबिध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पृवांक्त व्यक्तियां में स किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ज) इस स्वना के राजपत में प्रकाशन की नारी जं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-अब्ध किसी अन्य व्यक्ति व्याप तथाहस्ताक्षरी के पास निर्वाद में किए जा सकते।

स्वाधिकरण — इसमें प्रयावत शब्दों और पदों का, जो अवस्थ विधिनियम के अध्याय 20-के में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ हाना, जा उस अध्याय में विदा यहा हैं।

मनुसूची

प्लाट नं० 45/1+46/7 एरंडवणा पुणे-411004। (क्षेत्र : 475 चौ० फीट)। (जैसे कि रजिस्ट्रीकृत सं० 37 ईई०/5178/84-85 जो तारीज प्रप्रैल 1984 को सहायक प्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण) प्रजीन रेंज पुणे के दफ्तर में लिखा है)।

सन्तोष दत्ता सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) भर्मन रेंज, पूना

तारीख ; 28-8-1984

मोहर 🖫

प्ररूप बाईं.टी.एन.एस. ~~~~

वायकर वर्षिनियम, 1961 (1961 का 43) की भाग 269-न (1) के अधीन सुचना

भारत मरकार

कार्यालय, सहायक शायकर नायुक्त (निरौक्षण)

श्रर्जन रंज, पुना

पूना, दिनांकः 28 ग्रगस्तः 1984 निदेश सं० सी० ए०-5/37 ईई०/5215/84-85/861/ 28/8/84--ग्रतः मुझे सन्तोष दत्ता

बावकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'जकत अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्तम प्राधिकारी को वह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 75,000/- रह. से अधिक है

भीर जिसकी सं० प्लाट नं० 53 सं० नं० 121, 122 रामबाग कालोनी फ्लैंट नं० 1 कोथरूड है तथा जो पुणे-411029 में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय सहायक श्रायक्तर भायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पुणे में रजिल्ट्रीकरण श्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के श्रधीन तारीख जुलाई 1984

की प्रांक्त सम्पंति की उचित बाजार मृन्य में कम के द्वयमान श्रीतफाल के लिए जन्तरिती की गई और मुक्ते मह विश्वास करने का कारण है कि सभाप्यंक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार श्रूच, उन्नके द्वयमान प्रतिफाल से, एसे द्वयमान प्रतिफाल का क्क्स प्रतिकृत से विभिक्त है और अन्तरक (जन्तरका) और बन्तरिती (अन्तरितिमा) के बीच एसे जन्तरण के लिए तस भामा गया प्रतिफाल निम्नानिद्यंत उद्योध्य से उक्त अन्तरण् श्रिक्त में बास्तभिक क्ष्म सं कथित नहीं किया गया है र——

- (का) अस्तरण से हुई किसी जान की वाबल, उक्त जीधनियम के बधीन कर दों के जन्तरक के खाबित्य में कमी करने या उससे बचने में सूबिधा के लिए; जौर/या
- (स) एंसी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियाँ को, जिन्हों भारतीय अग्न-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अभिनियम, 1957 1957 का 27) के प्रयोज-नाभ अन्तियी देवारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविभा के लिए;

(1) मै० अतुल इन्टरप्राइजेस 31, गोल। विहार कालोनी ऋतु राज, पौड फाटा एरडवणा पुणे-411038।

(घन्तरक)

(2) मिस्टर सुधीर विष्वनाथ राजे घौर मिसेस मेथना सुधीर राजे 1, सदाणिव भेलके नगर कोथरुड पुणे-411029।

(भ्रन्तरिती)

का यह न्यना भारी करके पृत्रोंक्त सम्पत्ति के अधन का विष्ट कार्यग्रहियां करता हूं।

उसत सम्पत्ति के वर्षन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप :---

- (क) इस स्वता के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच है 45 दिन की बर्जीच या तत्सम्बन्धी स्पविसयों वर स्वता की तामील में 30 दिन की बर्जीच, को भी जनभि नाद में समाप्त हाती हो, के भीतर पूर्वीकड़ क्यां करवा मा स किसी न्यांचत श्वास;
- (थ) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीचा के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितजब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरों के पांच लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पत्कीकरण:---इसमें प्रयक्त कस्तों और पदों का, को उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहां अर्थ हागा, का उस अध्याय में दिका गया है।

बन्स्ची

प्लाट नं० 53 स०नं० 121, 122 रामबाग कालोनी ृ फ्लैटनं० 1, कोथरूड, पुणे--411029। (क्षेत्र : 715 चौ० फीट)।

(जैसे रिजस्ट्रीकृत सं० 37 ईई ०/5215/84-85 जो तारीख जुलाई 1984 को सहायक श्रायकर भायूक्त (निर्दाक्षण), अर्जन रेंज पुणे के वपतर में लिखा है)।

> सन्तोष दत्ता सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निर्र.कण) गर्जन रेंज, पूना

अस्तः अंब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण अर्थ, और, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) असे अधीन, निस्नलिकित व्यक्तियों, अधीत्:---

तारीख: 28-8-1984

मोहर 🖫

प्ररूप बाइं. टी. एन एस ---- ---

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) क अधान सुचना

भारत सरकार

कार्यासय, सङ्घायक मायकार आयुक्त (निरुक्षिण)

श्रर्जन रेंज, पूना

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है, की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रा. से अधिक है

भौर जिसकी सं० स० नं० 133—1+2 134/2, प्लाट न० 22, भौंब, बाणेर रोड है तथा जो भ्रोध, पुणे-7 में स्थित है (भीर इससे उपाबद भनुसूची में भीर पूर्ण रूप से बर्णित है), रिजस्ट्रीकर्ता भिक्षकारी के कार्यालय, सहायक भायकर आयुरस (तिरीअग), धजन रेंज, पुणे में रिजस्ट्रीकरण अधिनयम, 1908 (1908का 16) के भ्रधीन, तारीख मई, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के द्रश्यमान प्रीतफल के लिए अन्तरित का गई है आर मूक्त यह विक्वास करन का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार कृष्य, उसके द्रश्यमान प्रतिफल से, एस द्रश्यमान प्रतिफल का क्लाह प्रतिकृत से विधिक है और अन्तरक (अन्तरकाँ) और अन्तरित (अतरितियाँ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय वाया गया प्रतिफल, निम्निलिखत उद्देश्य से उचित अन्तरण हैं किया गया है ---

- (क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के द्राप्टिय में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957) का 27) के प्राजिनार्थ अहिरती बुवारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा केतिए;

नतः अन्, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में, मी, उक्त अधिनियम की धारा 269-ण की उपधारा (1) हो नधीन, निम्नलिश्वित क्यक्तियाँ, अर्थात् :--- (1) मै० वैभव बिरुडर्स,
 101, 102, कमला चेम्बस,
 687, बुधवार पेठ,
 पुण-2 ।

(मन्तरक)

(2) श्री भिव भेखर जोस, 67 भिवाजो हाऊसिंग को० भ्रापरेटिक सोनाइटी, पूर्णे-411016।

(मन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वेक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता इ।

उक्त सम्पत्ति के वर्षन के संबंध में कोड़ भी बाक्षेप :---

- (क) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीं स से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तिया पर स्चना की तामील से 30 दिन की अविधि, जा भी अविधि बाद में समाप्त हाती हो, के भीतर पूर्वाक्त व्यक्तियों में स किसी व्यक्ति द्वारा,
- (स) इस स्चना के राजपत्र मों प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मों हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित मों किए जा सकांग।

स्पव्यक्तिकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ हागा तो उस अध्याय में विधा गया है।

अनुसूची

पलैट इस स०न० 133/1+2, 134/2, प्लाट स० 22, श्रौध, बाणेर रोह पुणे-411007। (क्षेत्र 1120 चौ० फी \Box)।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत स० 37 ईई०/5492/84-85 जो सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निराक्षण) प्रर्जन रेज पुणे के दक्तर में निखा है)।

> यन्तोष दक्त सक्षम प्राधिकारी महायक श्रायकर ग्रायुक्त (निराक्षण) ग्रर्जन रेंज, पूना

तारी**ख 4-8-**1984 मोहर

प्रकल बाह्" . बी . एन . एक . ------

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-भ (1) के अभीन सूचना

भारत सरकार

कार्यानय, सङ्घायक भावकार भाव्यक (निराक्षण)

म्रर्जन रेंज, पूना

पूना, विनांक 31 ग्रंगस्त 1984

निदेश सं० सी० ए०-5/37 ईई०/84-85/879/31/8/ 84---ग्रत: मुझे, सन्तोष बत्ता

आधिकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-इन के अधीन सिक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृज्य 25,000/- रा. से अधिक हैं

भीर जितकी सं० प्लाट नं० 12/ए-3 फ्लैट नं० 202, सेकन्छ फ्लोर गोनाल नार बम्बई आग्ना रोड है तथा जो जिला ठाने में स्थित है (और इससे उपाबद्ध ग्र सूनी में ग्रीर पूर्ण रूप से बिंगत है) रिज द्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय सहायक श्रायकर मायुक्त (निरीजण) ग्रर्जन रेंज पुणे में रिज द्री रण ग्रिधिनियम,

1908 (1908 का 16) के अधीत तरी ब जुलाई 1984 की पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के इत्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मृत्रे यह विष्यास करने का कारण है कि स्थापूर्विकत सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके इत्यमान प्रतिफल से एसे इत्यमान प्रतिफल का पन्दुह प्रतिशत से अधिक हो और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया पया प्रतिफल, निम्नलिसित उद्वेष्य से उक्त अन्तरण के किए त

- (क) अन्तरण से हुक् किसी आय की बाबन, उक्त अर्थिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा के स्वार्थ
- (क) एमी किसी जाय या किसी भन या अन्य आस्तियाँ की, जिन्हों भारतीय पाय-कर जीधनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त जीधनियम, या भन-कर जीधनियम, या भन-कर जीधनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जन्तिरिती द्वारा प्रकट नहीं किसा यस या या किया जाना चाहिए था, कियाने में सुविधा के सिए;

जतः अवः, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण अर्मे, भीं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ण की उपधारा (1) चे अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, जयादि ॢ—— (1) मैं० योगी कारपोरेशन, पी० एन० बी० हाउस संकन्ड फ्लोर सर पी० एम० रोड फोट बम्बई-400001।

(ग्रन्तरक)

(2) मिस्टर नवीन शर्मी लख्मत भाई शाह जय प्रम्बे सो उद्दी क्लाक नं० 3 ग्राउण्ड पक्षोर भागरा रोड भिवन्डी जिला ठाने ।

(अन्तरिती)

भी यह स्थान जारी करने पुत्रीं यह स्थित के वर्षक के विक् कार्यवाहिया करता हूं।

सम्बद्ध सम्मति के कर्जन के सम्बन्ध में कांद्र भी बाह्मेप :----

- कि) इस स्वान की राज्यन की प्रकाशन की तारीख वे 45 दिन की नवीध या तत्सवधी व्यक्तियों देद स्वान की तामील से 30 दिन की सविध, को भी सविध बाद में समाप्त होती हो, से भीतर पूर्वीक्त स्वित्तवों में से किसी स्वित्त हवारा;
- (ख) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच वें
 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी बन्द स्थावत द्वारा, बधाहस्ताक्षरी कें
 पास निचित में किए वा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः ---इसमें प्रयूक्त एव्यों और पदों का, जो उक्त शिश्व-नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, जड़ा अर्थ हागा, का उस अध्याय में दिया गंबा

ग्रनुसूची

प्साट नं 12-ए-3 फ्लंट नं 202 सेक्स्ड फ्लोर गोराल नगर यार्वडी जिला ठाने ।

(क्षेत्र : 750 ची० फीट)।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत सं० 37 ईई० | 8368 | 84-85 जो तारीख मई 1984 को सहायक श्रायकर श्रायकत (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज पृणे के दफ्तर में लिखा है)।

सन्तोष दत्ता सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण) भजैंग रैंज पूना

तारीखा: 21-8-1984

प्रकप माई.टी.एन,एस.-----

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के मधीन सुप्रना

भारतः सरकार

कार्यासय, सहायक भायकर नायुक्त (निरीक्षण)

धर्जन रेज, पूना

पूना, दिनांक 19 नवम्बर 1984

निदेश सं० 37 ईई०/84-85/888/19/11/84--भतः मुझे, अनील क्मार

बायकर विधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिबे इतवी इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), का भाव 269-व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्मित्त जिसका उचित वाचार शुक्क 25,000/- रह. से अधिक है

भौर जिसकी सं० गाला/ [तिट नं० 28 सखे सं० 450 एण 457 पंचा खड़ी है तथा जो थाना में स्थित है (भौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में भौर पूर्ण रूप से विणित है) रिजिन्द्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहत्यक आयकर आयुक्त (िरी ण) भजेंन रेंज पूने में रिजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधी। तारीख अप्रैल 1984

को पर्वोकत सम्पत्ति के उचित बाजार मन्य से कम के सम्मान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करन का कारण है कि मध्यपृताकत सम्पत्ति का उचित बाजार मुख्य, उसके रहममान प्रतिफल स एस रहममान प्रतिफल से प्रश्च प्रतिफात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और बन्तरिती (बन्तरितिया) के बीच एसं अन्तरण के लिए तम पाम समा प्रतिफल, निम्निलिखित उद्वेषिम से उक्त अन्तरण निवित्त में बास्तीवक रूप स कथित नहीं किया गया है :---

- (क) जन्तरण से हुई किसी आय की बामस, उपके अधिनियम को बाधीन कर दोने की अन्तरका की दान्यस्थ में कमी करने या उसस अधान को वृत्रिका के लिए; और/या
 - (वा) होती किसी आय या किसी धन वा बन्य वास्तिकों को, जिन्हों भारतीय जाय-कर विधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उपस विधिनियम, वा धनकर विधिनियम, वा धनकर विधिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोधनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया वा वा किसा वाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के सिए;

अतः तव, उक्त विधितियम की धारा 269-न की जेम्बर्थ वी, मी उक्त जोशीनयम की धारा 269-व की उपजास (1) को जधीन, निम्निजिक्त व्यक्तियों, कथीर क्र-- (1) मै॰ माङेला टेक्सटाइल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ४-सी वलकन इनसूरेंस बिल्डिंग, बीर नरीमत रोड बम्बई-400020।

(ग्रसरक)

(2) यै० खय्याम इन्डस्ट्रीज ए-32 रोड नं० 12 बागले इण्डस्ट्रायल इस्टैट बाना ।

(भ्रन्तरिती)

को वह नृष्या कारी कारके पूर्वोक्त सम्परित के अजन का कार कार्यकाहियां सुक करता हुं।

अवस सम्पत्ति के कर्जन के तंत्रंथ में कोई भी काक्षेप :----

- (क) इस स्थान की राजपत्र में प्रकाशन की तारीय के 45 दिन की अविधि या तत्सवधी व्यक्तियों पर स्थान की तामील से 30 दिन की अविधि, को भी व्यक्तियों में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कर व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (व) इस समना के राजपत्र में प्रकाशन की हार्रीक के 45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवक्ष किसी जन्म स्मिक्त द्वारा अथाहस्ताक्षरी की पाक सिवित के किए जा सकेंगे।

क्लक्कीकरण:---इसमें प्रसक्त कन्यों सौर पर्यों का, को उच्छ क्षिणियस के सध्याय 20-के में परिभाष्टित इ⁴, वहीं वर्थ क्षोग, को उस सध्यास में दिवा चना हैं।

धनुसूची

गोला/यूनिट सखे सं० 450 एण्ड 457 पंचपाखड़ी बाना।

(क्षेत्र: 516 चौ० फीट)।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत सं० 37 ईई०/5673/84-85 जो तारीख मंत्रैल 1984 को सहायक भायकर मायुक्त (निरीक्षण) मर्जन रेंज पूने के वपतर में लिखा है)।

> ग्रनिल कुमार सक्षम प्राधिकारी सङ्गामक भ्रायकर भायुक्त (निरीक्षण) मर्जन रेंज, पूना

वारी**व** : 15-11-1884

प्ररूप आहें, दी. ध्व. एव. उन्नाननानामा

भायकर अधिनियम, 1964 (1961 का 43) की भारा 269-भ (1) के मधीन सूचना

भारत सरकार

भार्यासय, सहायक भागकर नावृक्त (निरोधक)

मर्जन रेज, पूना

पूना, दिनांक 19 मवम्बर 1984

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिले इसकें इसके पत्रचात 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं) की भारा 269-वा के अधीन सक्तम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पन्ति, जिसका उचित बाजार स्ल्य 25,000/-रुट, से अधिक हैं

प्रौर जिसकी सं० गाला यूनिट सं० 27 एस० नं० 450 एक 457 पंचराकड़ी थाना है तथा तथा जो थाना में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद प्रनुसूत्री में ग्रीर पूर्ण रूप से चणित है) राजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सह यक ग्रायनर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, पूर्न में, रजिस्ट्रीकरण ग्रिधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारी ख भ्रप्रैल 1984

का प्रशंकत सम्पत्ति के उचित बाजार मृन्य में कम के क्रममान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मृन्ने यह विश्वास करने का कारण है कि यथाप्यांकत सम्पत्ति का उचित बाजार मृन्य, असके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पत्नाइ प्रतिज्ञत से अधिक हो और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के निए तय पामा चवा वितिफल, निम्निलिसित उद्देश्य से उक्त जन्तरण किविच में वास्तविक कप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हाई किसी आय की बावत, उपक अधिनियम की अर्थ प कर दोने के अन्तरक की दिवित्य में कभी करने या उससे तथने में स्विधा के सिए; बरि/या
- (का) एंकी किसी आय या किसी धन या जन्य बास्तिकों कही, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उकत बीधिनियम, या घनकार अधिनियम, या घनकार अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की प्रयोजनार्थ अस्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गंबी का एं किया जाना चाहिए था, कियाने में सुविधा की लिए;

जैत अब, उक्त अधिनियम की धारी 269-ग की जन्सरण मी, मी, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) भी अधीत, निम्मनिकित स्विक्तमों, सर्थात '--- (1) माडेला टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 4-सा बलकन इनगोरेंस बिल्डिंग वीर नरीमन रोड बम्बई-40020।

(ग्रन्तरक)

(2) मैं सिन्धु स्विच गेयर सिस्टम ए-28 है। दर्शन द्वाद विभानसम के पान चाना-400002।

(भन्तरिती)

को यह स्थान जारी कारके पूर्वीक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

अपत सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक्ष से 45 विन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वा की तामील से 30 विन की अविधि, जो भी अविधि बाद में सम्माप्त हाती हो, के भीतर प्रविक्त क्यांवितयों में से किसी व्यक्ति क्यांवत क्यारा;
- (ण) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितसद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास निस्ति में किए जा सकेंगे

विकासिक्ष :-- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परि-भाषित हैं, वहीं कर्भ हागा जा उस कथ्याय में दिया गया हैं।

अनुसूची

माला यूनिट नं० 27 सो० नं० 450 एण्ड 457 पंचपंखाड़ी भामा ।

(क्षेत्र : 512 ची्० फुट)।

(जैसे कि र्राजान्द्रीकुर नं० 37 ईई०/5969/84-85 जो तारीख मनेल 1984 को सहाया प्रायकार भायुक्त (निर.क्षण) मर्जन रेंज, पूने के दफ्तर में लिखा है)।

> श्रनिल कुमार ाप्तम प्राधिक रो सहायक श्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) स्रर्जन रेंज, पूना

तारीच : 19—11—1984

मोह्नर :

प्रकृष् नार्षः टी. एत . एस . ------

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-च (1) के अधीन स्चना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायंक आयकर वायुक्त (निरीक्षण)

भ्राप्तैन रेंज पूना

पूना दिनांक 19 नवम्थर 1984

निदेश सं० ग्राईः/5667/84-85---- प्रनः मुप्ते, ध्रानल कुमार

बायकर हिंपिनयम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके राष्ट्रात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 व के अधीन सक्तम प्राधिकारी को यह विश्वास कारने का कारण हैं कि स्थासर संस्थित, जिसका उचित बाजार मून्य 25,000/-रा. से अधिक है

भौर जिन्हा से ने गाला यूनिय नं ने 18 सी नं ने 450 एण्ड 457 रंगा खंड़ी याता है निया जो याता में स्थित हैं (भौर इससे उपाबड़ मिनुस्तों में श्रीत पूर्ण रूप से निणत है) जिल्हा कर्ती श्रीधकार के कार्यालय सहयक श्रायकर श्रापुक्त (निर क्षण धर्मन रेंज पूने में र्राजन्द्र करण श्रीधनियम 1908 (1908 का 16) के श्रामन तर ख श्रील 1984

कां. पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्त यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल का, एस दृश्यमान प्रतिफल का, क्लाइ प्रतिषात से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए त्य पाया नया इतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण निश्वित में नाम्नलिक रूप से अधित नहीं किया गया है ---

- (क) अतरण से हुई किसी बाय कर्न बाबन, उक्त अधिनियम के अधीन कार दोने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में स्विधा के लिए; और/या
- (क) एसी किसी बाय या किसी धन या थन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आपकार अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या बन-कर अधिनियम, या बन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया एका था का किया जाना बाहिए था, हिशाने कें सूबिभा के निए;

क्षत्र: क्षत्र, उक्त विधिनियम की धारा 269-ग के अनस्यव में, भी, उक्त अधिनियम की धारा 269-छ की उपधारा (1) में क्षधीतः विदर्शनियम कामिसमी, वर्धास् क्र (1) माडेला टैक्नटाइल इंडस्ट्र.ज प्राइवेट लिमिटेड. !-स: वलकत इनक्षेरेंम बिल्डिंगः व.र नर मन रोड, बस्बई-40020।

(भ्रन्तरक)

(2) मैं० कीत इन्जीतियरिंग इन्टरप्राङ्ग्जेस, सं० 4, सन्तोष गौताला रोड, नाहर मुलुं वेस्ट, बम्बई-40080।

(भन्तरिती)

को यह सृषता जारी कारके पूर्वोक्त सम्परित के अर्जन के .सिष् कार्यवाहिया कारता हु।

दक्त सम्पत्ति को अर्जन को संबंध में कोई भी बाक्षी :--

- (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारी से 45 दिन की अविध या तत्मवधी व्यक्तियों पर स्थान की तामील में 30 दिन की अविध ओ भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्रविधत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्यक्तियां में से किसी व्यक्ति व्यक्ति व्यक्तियां
- (ख) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारी से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्मित्त में हितबद्रभ किसी अन्य व्यक्ति इवारा., अधोहस्ताक्षरी के पास निश्चित में किये जा सकेंगे।

स्पट्टीकरण:—इसमें प्रयानत शब्दों और पर्यो का, जो उक्त क्षिपत्रियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हुँ, वहीं अर्थ होंगा जो उस अध्याय में विमा गया है।

वन्स्वी

ासा यूनिट नं० 18, एप्त० नं० 450 **एंण्ड** 45**7,** पंच-तखड़ा, थाना ।

(क्षेत्र * 512 चौरातकट)।

जैसे कि रिजस्ट्री कृत नं अश्ं 1667/83-84 जो तारीख एप्रिल, 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षण), अर्जन रेंज, पुने के दफ्तर में लिखा है।

म्रांतल कुमार सक्षम प्राप्तिकारो महाथक झायकर स्राप्तुक्त (निराक्षण) सर्जन रेंज, पूता

सार**ेख** : 19-11-1984

साहर 🖫

प्रक्ष बार्च. टी. एत्. एव. 🖘 -----

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-म (1) के सधीन सुचना

भारत तरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निर्दाक्षण)

अर्जन रेंज, बम्बई

पूना, दिनांक 17 नवम्बर 1984

निर्देश सं० 37ई०ई०/5893/84-85-882/19-11-

84---यतः मुझे, अनील कुमार,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन स्क्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रा. से अधिक है

जिसकी स० प्लाट नं० 6

175, धोख पाटोल रोड, पूने-411001 है तथा तथा जो पूने-1 में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विणित है), रिजस्ट्राक्ति अधिकार। के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूने में, रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जुलाई 1984

को पूर्वोक्त सम्परित के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूभे यह विद्यास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पर्तित का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है बीर अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्नलिखित स बुदेश्य से उक्त अंतरण लिखित में बास्तविक क्य से कथित नहीं किया गया है:——

- (क) मन्तरण से हुई ज़िल्ली जाय की नामत, उक्त अधिनियम के संधीन कर दोने के संत्रक के वासित्व में कमी करने या उसते बचने में सुविधा के लिए: सौर/मः
- (च) ऐसी किसी बाय या किसी धन या बन्य बास्तियों की, जिन्हों भारतीय बायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनः कर विभिन्यम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती ब्नारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना वाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए;

कतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण बें, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) के अधीन. निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

5-426 GI/84

कारिया बिल्डर्स,
 इरमस नस्ट,
 १४४, दस्तूर मेहर रोड,
 पूने-411001।

(अन्तरक)

 श्री वितिप के फारनड़ें 119, रिववार पेट, वाय, सतारा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना थाड़ी कड़के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्थन् के सम्बन्ध में कोई भी वाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के एवपण में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन की नविष् या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की स्विध, जो मी नविष नाय में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्य व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवाए;
- (व) इस स्वमा के राजपंत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक्थ किसी अन्य व्यक्ति क्वारा, अभोहस्ताक्षरी के पास तिश्वित में किए जा मकोंगे।

स्वधाकरण:--इसमें प्रयुक्त सन्दों और पर्यो का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित ही, वहीं अर्थ होगा को उस अध्याय में दिया नवा है।

भन्त्र्याः

ण्लाट न० 6, 2 एण्ड फ्लोर, कोनार्क, अपार्टमेंट्स, 175, धोर्ले पाटोस रोड, पूने-411001।

(क्षेत्र: 422 चौरस फुट)।

(जैसे कि रजिस्ट्रोक्टत नं० 37-ईई/5893/84-85 जो ताराख जुलाई, 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूने के दफ्तर में लिखा है।)

> अनील कुमार सक्षम प्राधिकारो स**हायक आय**कर आयुक्त (निरोक्षण) अर्जन रेज, पूना

तारीख: 17-11-1984

प्रारुप भाइ. टी. एन. एस.------

भायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) का भारा 269-च (1) के जधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर नायुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 19 नवम्बर 1984

निदेश स० 37ईई/5668/83-84/881/19-11-84-यतः मुझे, अनील कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कह्यू गया हैं), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी की यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० गाला यूनिट नं० 23, सी० न० 450 एण्ड 457 पंचपाखडी, थाना है तथा जो थाना में स्थित है (श्रीर इससे उपाबढ अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित) है), रजिस्ट्रीकर्ना अधिकारी के कार्यालय, सङ्गयक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूने में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अप्रैल, 1984

कां पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के स्वयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके स्वयमान प्रतिफल से एसे स्वयमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिकात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया पाया गया प्रतिफल, निम्नलिचित उद्वेष्य से उच्ते अन्तरण सिचित में वास्तिवक रूप से किथत नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधितियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दाबित्व में कमी करने या उससे अचने में सुविधा के लिए; और/बा
- (क) एसी किसी आय या किसी अन या अन्य अस्तियों की जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनयम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में मृतिधा के निए।

अतः अवः, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में. में उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--- गै॰ मांडेला टक्सटाईल्स इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटे डि 4सी वलकन इन्गोरेंस बिल्डिंग, बीर नरीमन रोड, बस्बई-4000 020 ।

(अन्तरक)

2 मैसर्स भारत इण्डस्ट्रीज, प्रोप० संजय एस० भगत, 34 इंद्रापुरी सोसैटी, रवी इण्डस्ट्रियल कम्पाउण्ड, थाना-4000 602।

(अन्तरितो)

को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्मिति के वर्षन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- '(क) इस सृचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच ते 45 दिन की जनगीं मा तत्संबंधी व्यक्तियों पर सृचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस स्वना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 45 दिन के भीत्र उक्त स्थावर संपत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकरेंगे।

स्पद्धीकरणः --- इसमें प्रयुक्त सन्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया स्या है।

वनस्वी

गाला यूनिट नं० 23, एस० न० 450 एण्ड 457, पंचपाखडो, थाना।

(क्षेत्र: 512 चौरस फुट)

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत न० 37इइ/5668/83-84 जो तारीख एप्रिल, 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरी-क्षण) अर्जन रेंज, पूने के दफ्तर में लिखा है।) •

> अनिल कुमार सक्ष्म प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना

तारीख: 19-11-1984

प्रकृष कार्ष्_टटी ... एस ... एस ... ------

बाव्यार विधिनयन, 1961 (1961 का 43) वर्षी भाडा 269-व (1) के बुधीय सूचना

भारत सर्काड

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना पूना, दिनांक 20 नवम्बर 1984 निर्देश सं० 37ईई/84-85/891/20-11-84--यतः मुझे, खनील कुमार,

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- हुई से अधिक हैं

धौर जिसकी स० जगह गांव तुर्लिज, में तालुका वसई, एस० म० 66(पी०) हिस्सा न० 1 (पी०) है तथा जो थाना में स्थित है (भौर इससे उपानद अनुसूची में भौर पूर्ण रूप से विणित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूने में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हैं और मूओ यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्परित का उचित्त बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिस्त से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया वृतिफस निन्तिस्ति उद्देश्य ने उसत अन्तरण मिन्सित में बास्तिक रूप से क्यूब्त नहीं किया न्या है :---

- (क) नन्तरण से हुई किसी नाय का बाबत, उक्त विवय में व्योच कड़ की के नन्तरक के शांधित्व में कनी कड़ने वा उक्की व्यन में सुविधा के सिए; बीप/वा
- (क) ऐसी किसी भाव या किसी भन था बन्य बास्तियाँ को, जिन्हाँ भारतीय वायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) वा उक्त अधिनियम, या भन-कह अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के श्रवाजनार्थ अन्तिहरती ब्लारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, किया में तुनिधा भी विष्

अतः अब उक्त अधिनियमं की धारा 269-ग के अन्सरण में, में, उक्त अधिनियमं की भारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थास् ६--- 1 मैसर्स प्रथमेश बिल्डर्स, लक्ष्मी निवास, पार्क रोड, विले पारले (ईस्ट), बम्बई-400057।

(अन्तरक)

2 मैं० अपना डेबलपमेंट सोसायटी,
7, सोपरीवाला मानशन,
परेल टीं० टीं०,
बम्बई-400 012 ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके प्वॉनत संपरित के वर्णन के निष् कार्यनाहियां करता हो।

उसरा सम्परित को कर्पन को सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप :---

- (क) इस स्थना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 विन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वतः की तामीन से 30 विन की वविध, जो भी जबिध वाद वें समाप्त होती हो, के भीतर प्रांबद व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति इवारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित- बद्ध किसी बन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी के नास निचित में किए जा सकोंगे।

स्थव्यक्तिरणः --- इसमें प्रमुक्त शब्दों और पदों का, को उक्क्ष् निधीनयम् के अध्याय 20-क में परिभाषित हीं, वही अर्थ होगा को उस नध्याय में दिया गया ही।

मन्त्ची

जगड़ गांव मुलिज में, तालुका बसई, थाना एस० न० 66(पी०), हिस्सा न० 1(पी०)।

(क्षेंब: 2300 चीरम यार्ड)

(जैसे कि रिजस्ट्रीकृत नं० 8953/84-85 जो तारोख सितंबर, 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूने के दफ्तर में लिखा है।)

> अनील कुमार सक्षम प्राधिकारी सहायेक आयकर आयुक्त (निरीक्षज) अर्जन रेज, पूना

तारीख: 20-11-1984

मोहर 🖫

प्रकल काही, दी, एन, पुस्र -----

नायकार मुधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारी 269-च (1) के मुधीन सूचना

भरतुत सरकार

कार्यासय, सहायक कार्यकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 19 नवम्बर 1984

निवेश सं० 37इइ/84-85/890/19-11-84-पतः मुझें, अनील कुमार,

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परकार 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269- ख के अधीन सक्तम प्राधिकारी को,, यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थायर संपरित जिसका उचित बाबार मृस्य 25,000/- से अधिक हैं

ग्रीर जिसकी सं० यूनिट नं० 16, एस० न० 450 एण्ड 457, पचपाखड़ी है तथा जो थाना में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रीर पूण रूप से विणित है), रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयकत (निरोक्षण) अर्जन रेंज, पूने में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधोन, तारीख एप्रिल, 1984

को पृवांक्त सम्मित्त के उभित बाबार मूस्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए बन्तरित की गई है, बौर मुभ्ने यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपौत्त का उभित् बाजार मूस्य, उसके दश्मान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल का पंत्रह प्रतिशत से विश्व है बौर बन्तरक (बन्तरकों) और बन्तरिती (बन्तरितियों) के बीच एसे बन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नुनिवित उद्योध्य से उक्त बन्तरण लिबित में वास्तिवक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) जन्तरण से हुई किसी भाव की बाबत उक्त जिथ-चित्रस्य से स्थीन कर दोने के बन्तरक के वास्तित्व में कमी करने या उससे क्यने में तृतिभा के लिए; बीट/वा
- (क) एसी किसी बाय या किसी धन या बन्य वास्तियों की, जिन्हीं भारतीय बाय-कर विधिनियम, 1922 (1922 का 11) वा उक्त विधिनियम या धनकार विधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्ध बन्दरिती ब्वाय प्रकट वहीं किया गया था या किया वाना चाहिए था, कियाने में सुविध्य के सिए;

अतः कत्र, उक्त अधिनियम, की भाग 269-ग के अनुसरण कें, में, उक्त अधिनियम की भाग 269-ग की उपभाग (1) के अधीय, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् ः— मैं० मोडेला टैक्सटाईल इडस्ट्रोज् प्राइवेट लि० 4सी, वलकन इंस्यूरेंस बिल्डिंग , बीर नरोमन रोड, बम्बई-4000201

(अन्तरक)

2 श्री सुभाष चद्र जोशी, 17-ए, लक्ष्मण नगर, मि० एच० एस० , आराधना सिनेमा, नौपाडा, याना।

(अन्तरिकी)

की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हुं।

उक्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध शाद में समाप्त होती हों., के भीतर पूर्वों कर व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी है से \$\frac{1}{45} विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित्र बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अथोहस्ताक्षरी के नास किए का सकरेंगे।

स्थाख्दीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का अंदेक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित हैं., वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में निया गया है।

मन्त्रकी

यूनिट नं० 16, एउ० नं० 450 एण्ड457, पचपाखडी, थाना।

(क्षेत्र: 434 चौ० फुट)

(जैसा कि रजिस्ट्रोक्टत न० 5674 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूने के दफ्तर में लिखा है।)

> अनील कुमार सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पना

नारीख: 19-11-1984

मोहर ः

प्ररूप बाइ . सी. एन . एस . ------

जाबकर जिभिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-म (1) के जभीन स्वना

नारत सरकाड

कार्यासक, सहायक आयकण आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 20 नवम्बर 1984 निदेश सं० 37इइ/84-85/892/20-11-84-पतः मुझे, अनिल कुमार,

बावकर विभिन्नियम, 1961 (1961 का 43) विसे इसके इसके प्रशाः उन्त अधिनान्यमं काहा गण हों), की भारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी की यह विश्वास कारन का कारण है कि स्थावर संपत्ति, विसका उचित वाबार मूख्य 25,000/- रा. से विभिक्त हैं

श्रीर जिसकी सं० प्लॉट नं० 54/2, डो-III, ब्लॉक एम० आई० डी० सी०, इडस्ड्यल इस्टेंट्र, चिचवड हैतया जो पूने में स्थित है (श्रीर इससे उपावद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण), अर्जन रेज, पूने में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तुबर 1984

को पूर्वेक्स सम्पत्ति के उधित बाजार मृत्य म कम के दश्यमान प्रितिफल के लिए अन्तरित की गई है और म्फे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वेक्स सम्पत्ति का उचित बाजार मृन्य, इसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिति (अन्तरितियों) के बीच एसे जन्तरण के लिए तय पास गया प्रतिफल निम्नितिशत उद्देश्य से उसत अतरण लिखित के बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है.——

- (क) अभ्यारण ते हुन्दै किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कार दोने के जंतरक के यासित्य में अभी कारने या उससे स्वाने में समिश्या के लिए, और/मा
- (श) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ को, चिन्हें भारतीय जायकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उकत अधिनियम, या भनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिणारे में सूबिभा के लिए;

बत: बब, उक्त बिधीनयम की धारा 269-ए के बन्सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ए की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

ζ.

1 वि पर्ल थ्रेड मिल्स लिमिटेड, लक्ष्मी बिल्डिंग, 6 गुरजी वलबभाई मार्ग, बलार्ड इस्टेट, बम्बई-400038:

(अन्तरक)

2 दि कटाऊ भाखनजो स्पिनिंग कं० लिमिटेड, लक्ष्मी बिल्डिंग, ६ शुरजो वलबभाई मार्ग, बलार्ड इस्टेट, बस्बई-4000 38।

(अन्तरिती)

को यह तुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्परित के वर्णन के सिष्ट कार्यवाहियां भारु करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कांध्रे भी बाक्षेप हन्न

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
 45 दिन की अविधि या तत्मम्बन्धी व्यक्तियों पर
 सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी
 अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त
 व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ब्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिंत-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पाद्धीकरणः --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उनत अधिनियम के अध्याय 20-क मे परिभाषित हों, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

मन्त्रुची

प्लाट न० 54/2, डी-III ब्लॉक, एम० आई० डी० सी०, इंडस्ट्रियल इस्टेट, चिचवाड, पूने।

(क्षेत्रः जगह---1537 चौरम मिटर फैक्टरो बिल्डिंग 251.13 चौरम मीटर न्यू फैक्टरी बिल्डिंग 607.78 चौरस मीटर गेट हौस---8.10 चौरस मीटर)

(जैसे कि रिजस्ट्रीकृत नं० 9005/84-85 जो तारीख अक्तूबर, 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूने के दफ्तर में लिखा है।)

अनिल कुमार ृसिक्षम प्राधिकारी सहायक् आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज, पूना

तारीख: 20-11-1984

महिर ः

शक्त कार्रं हो । प्रान्त एर :----

नाय्कार न्यिनियन, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व (1) के नधीन स्वना

ब्रास्त दरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण)

अजैन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 22 मवम्बर 1984

निवेश स० सी० ए०-5/37-जी०/630/84-85/1155--धतः मुझे, अनिल कुमार,

नायकर निधिनयन, 1961 (1961 का 43) (जिले इतने इसके परवात् 'उक्त नीधीनवन' कहा गया हैं), की धारा 269-के के नधीन सक्षम प्राधिकारी की, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्बद्धित, जिसका उचित् वाचार मृज्य 25,000/- दि. से निधक हैं

गौर जिसकी सं० प्लाट नं० 59, लोनावाला, र० स० न० 118/130/1 है तथा जो लोनावला में स्थित है (भौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में गौर पूर्ण रूप से विणत है), रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दुम्यम निबंधक बाम्मे, में, रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारोख

भी पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाबार मूच्य से कम के स्वयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूओ यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाबार मूच्य,, उसके रस्यमान प्रतिफल से एसे रस्यमान प्रतिफल का पन्नह प्रतिशत से जिथक है और अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरिती (अन्तरित्वां) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फस, विश्वतिस्त उद्देश्य से उस्त अन्तरण लिखित में बास्त-विश्व रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) व्यवस्थ हो हुई किसी बाय की वायर, अवस् अधिनियन के व्योग कर दोने के अञ्चरक के शाक्ति में कभी करने मा उपको क्ष्में में अधिका के विष्ट; बॉड/वा
- (क) एंडी किसी बाय वा किसी पन वा बन्य वास्तियों को, विन्हें भारतीय कायकर विधिनयन, 1922 (1922 का 11) या उक्त विधिनयन, वा धनकर अधिवियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्व अस्तिरती व्यारा प्रकट नहीं किया वया वा वा किया बाना वाहिए था, स्थिनने में सुविधा के लिए

अतः वन, उस्त विधिनयन की पाप 269-म के बनुसरण में, में उस्त विधिनयम की पारा 269-च उपधारा (1) के बधीन, निम्नुसिवित स्वक्तिवाँ, वर्णात् क्र-- श्री न० स० पठारे तथा अग्य भारतीय निवासी, 18, युग प्रमात, शितलादेवी संक्रि मार्ग, माहोस, बस्बई-18।

(अन्तरक)

2 खोआन हिल रेजोरटस पी० लि०, 84, धाणियाना, सेंट जान बापिस्ता भागे. बोदरा, बम्माई-50।

(असरिती)

को यह सूचना जारी करके पृश्वित सम्पक्ति के अर्जन के लिए कार्यनाहियां करला हु।

उपल सम्पत्ति के वर्षन के सम्बन्ध कें कोई भी बाक्षेप 2---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक वें 45 दिन की जनभिया तत्संबंधी व्यक्तिमां पद सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी नविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पृत्रों क्य व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ब्वारा;
- (च) इस स्वता के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसा स्वास किसी लन्य व्यक्ति स्वास, वधोहस्ताक्षरी के पास लिचित में किए जा सकेंगे।

स्थानिक रण:---इसमें प्रयुक्त सम्यों और पदों का, को उत्तर विधिनियम, के बच्चाय 20-क में परिभाषिक है, यही वर्ध होगा को उस सम्भाय में दिया बुदा है।

अनुसूची

प्लाट नं० 59, र० स० नं० 118/1अ०/1 सोनावाला (क्षेत्रफल: 2309.93 स्क्वे० मीटर) (जसे कि रजिस्ट्रोकृत विलेख ऋ० 37-जो/630/84-85 जो अप्रैल 1984 को दुट्यम निबंधक, बम्बई के दफ्तर

> अनिल कुमार सक्षम प्राधिकारी सन्तायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण) अर्जन रेंज, पूना

तारीख: 22-11-1984

म्रोहर् 🔢

में सिखा है)

प्रकृत बाह्र ही . धन् . एस . -----

नायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-च (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्याक्षय, सहायक बायकर भागुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 22 नवम्बर 1984

निर्देश सं० सी० ए०-5/37-जी०/701/84-85---यत: मुझे, अनिल कुमार,

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परकात् 'उकत अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मुख्य 25,000/- रु. से अधिक हैं

भीर जिसकी संव सव नंव 395-एव जामसादे, देवगढ़, सिंघुदुर्ग, है तथा जो देवगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दुय्यम निबंधक कनकावली में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित नाजार मूल्य से कम के दिएसान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुभ्ने यह विश्वास करने का कारण है कि सभापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित नाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिचात से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के नीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नितिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में नास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) वन्तरण से हुई किसी आय की वावत, उक्त अधिमियस के अधीन कर दोने के बन्तरक के धायित्व में कसी करने या उससे वचने में सुविभा के निए; और/या
- (च) ऐसी किसी आय या किसी भन या बन्य वास्तियों को, जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, क छन्कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अधोजनाय भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया चा या किया जाना चाहिए चा, खियाने में सुविधा के विए।

अतः अव, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण जों, मी, उक्त अधिनियम की भारा 269-थ की उपभारा 🚅 🗦 को अधीन, निम्नीनिक्त व्यक्तियों, अर्थात् अ— !ाो विट्ठल जी० कारलेकर, देवगढ़, सिभुदुर्ग।

(अन्तरक)

2 श्रीमती मंजली एम० मोंडकर, 111/6, लोकमान्य तिलक नगर, म० गांधी मार्ग, गोरेगांव, नम्बई (पश्चिम)-4000621

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना चारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति को वर्षन के किस् कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपति के अजन के संबंध में कोई भी नाक्षेप :---

- (क) इस मूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की भवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना कं तामील से 30 दिन की भवधि, जो भी अवधि बाद म समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीका व्यक्तियों में न किसी व्यक्ति धारा;
- (का) इस सूचना ने राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उन्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी भन्य व्यक्ति द्वारा, भन्नोहस्ताक्षरी के पान लिखित में वियो जा सकेंगे।

श्यक्तीकरण : → इसमें प्रयुक्त कर्ष्टी धीर पढ़ो का, जा उक्त पश्चि-नियम से बंद्याय २०-७ में परिमायित है, बही धर्य होसा, जो उन सब्याप में विषय गया है।

वगृत्त्वी

एस॰ नं॰ 395-ए, जामसांदे, देवगढ़, सिंधुदुर्ग।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख क॰ 37-जी॰/701/ 84-85 जो अप्रैल 1984 को दुय्यम निषंधक कनकावली के दफ्तर में लिखा है।)

> अनिल **कु**मार सक्षम प्राधिकारी जहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना

तारीख: 22—11-1984

मोहर 🖫

प्रकप बाहै. टी. एन. एस. -=-=-

जायकर अधिनियस, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 (व) (1) के अधीन स्वना

भारत सरकार

कार्यासय, सहायक शायकार बायुक्त (निर्दीक्षण) अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 20 नवम्बर 1984

निर्वेश स॰ 37—ईई॰/84—85—यतः मुझे, छनिल मार,

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात् 'उक्त विधिनियम' कहा गया है'), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विद्यास करने का कारण है' कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित वाजार मृल्य 25,000/- रु. से अधिक हैं

भीर जिसकी सं० यूनिट-1ए०, एस० न० 450, और 457 पंचपालडी गांव है तथा जो थाना में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विणत है), रिजस्ट्री-कर्ता अधिकारी के कार्यालय, में सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूना में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अप्रैल, 1984 की पूर्विक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल को लिए अंतरित की गई है जार मूखे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्विक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके ध्रयमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत से विधक है और अंतरक (अंतरकों) जौर अंतरिती (अंतरितियाँ) के बीच एसे अतरण के लिए तय पाश गया प्रतिफल निम्नलिचित उद्देष्य से उक्त अंतरण सिचित से वास्तिक रूप में कियत नहीं किया गया है:---

- (क) अंतरण से हुई किसी बाय की वाबस, उक्स जिम्मियम के अभीन कर दोने के अंतरक के दासित्य में कभी करने या उससे बचने में सुजिका के लिए; और/या
- (क) एसी किसी जाय या किसी वन या जन्य आस्तियों को जिन्ही भारतीय जाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या जिया जाना चाहिए था, खिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अव, सन्तः विधिनियम की धाए 269-म के अनुसरः में, मैं, उक्त विभिनियम की धाए 269-में की उपधारा की के विभीतः निम्नीसिक्त व्यक्तियों, विभीतः — 1 मैससे मोडेला टेक्सटाईल इण्डस्ट्रियल प्राइवेट लि॰, -4-सो॰, बलकन इंस्यूरेंस बिल्डिन, वार नारोमन रोड. बम्बई-400 020।

(अन्तरक)

मैससे स्वस्तिक फैकिकेशन्स वक्सै,
संगम सवन,
रोड मं० 2,
फ्लाट नं० 451,
किशन नगर,
नं० 1, थाना-4।

(अन्तरिती)

की वह स्वतः कारी करके पूर्वोक्त सम्मित के वर्षन के हैंसप कार्यत्राहियां करुता हुं।

उक्त सम्पत्ति के वर्षन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप .---

- (क) इव स्थाना के रावपत्र में प्रकाशन की तारीब के 45 दिन की जबिंध मा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्थाना की तामील से 30 दिन की जबिंध, को भी जबिंध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्यक्ति व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति में
- (क) इस स्थान के राजपत्र मो प्रकाशन का तारील से 45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मो हितबङ्ध किसी जन्य व्यक्ति व्वारा अधोहरताक्षरी के पास विविध्त मो किए हा सक्तेंगी।

स्पष्टकृष्करचः -- इसमें प्रमुक्त शब्दों और पदों का, को उच्त मधिनियम के अध्याय 20-क में परिभावित हैं, नहीं सर्थ होगा को उस अध्याय में हिंगा गया है।

नन्त्रवी

मूनिट 1-ए, एस० नं० 450 और 457, पंचपाखडी गांव, माना।

(क्षेत्र: 319 चौरस फुट)

(जैसे कि रिजस्ट्राइत नं 5676 जो तारीख अप्रैल, 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना के वफ्तर में लिखा है।)

> अनिल कुमार सक्तम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना

तारीच: 20-11-1984

प्ररूप आहर्र.टी.एन.एस.-----

THE PARTY OF THE P

आयकर अधिनिसम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सुचना

भारत संस्कार

कार्यासय, सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण)

श्चर्जन रेंज पूना

पूना दिनांक 19 नवम्बर 1984

निदेश सं० 37-ईई०/84-85/893---यतः मुझे **ध**नील

कूमार

बायकर बीधनियम, 1961 (1961 का 43) (जिले इसमें इसके पदचात 'उक्त र्राधिनाम' शहा गया हैं), की धारा 269-क के अशीन सक्षम प्राधिकामी की, यह विक्रमण करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25.000/-रा. स अधिक हैं

भीर जिनको सं० यूनिट 18 एस० नं० 450 एण्ड 457 पंचााखड़ा है तथा जो थाना में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद अभूता में श्रीर पूर्ण रूप से विणत है) रिजिम्ह्यकर्ती अधिक रा के कापित्र सहायक प्रायक्षर प्रायक्षत (निरक्षण) अर्जन रेज पूना में रिजिस्ट्राकरण प्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधान तरख

को पूर्वोक्स सम्पत्ति को उचित काजार मृत्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल को लिए अन्सरित को गर्ध है और मशे यह विश्वास करने का कारण है कि स्थापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित काजार मृस्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एमें अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिसित में बास्तविक रूप से कथिस नहीं किया गया है;——

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, खेणक बाधानयम के अधीन कर दान के अस्तरक की दायित्य में अभी करने या उत्तर प्रकार में सुनिया की लिए:
- (क) एसी किसी जाय या किसी धन या बन्य वास्तिकों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या जक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजनार्थ अनारिती दवारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था, कियाने में स्पिभा के लिए:

कतः क्षतः, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग को अन्यरण में. में. उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--- 1 मैसर्स मोडेला टैक्सटाइल इण्डॉस्ट्रयल प्राइवेट लिमिटेड 4-मो० वल कन इंश्यूरेंस बिल्डिंग, प्रस्वई-400 020 ।

(मन्तरक)

मैससँ स्वस्तिक इंजीनियसं, लक्ष्मा सदन, क्ष्म मं० 29,
 एण्ड फ्लोर, क्ष्मन नगर, नं० 1,
 थाना।

(मन्तरिती)

की यह स्वना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्णन के सिष् कार्यवाहिया करता हूं।

डायल संपर्णि के कर्जन के मंत्रंभ में कोई भी बाजर १---

- (क) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीं के 45 दिन की अवधि या तत्से बंधी व्यक्तियों पर स्थान की तामील से 30 दिन की बद्धि, को भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, को भीतर पूर्वी का व्यक्तियों में से किसी ब्यक्ति स्वारा;
- (वं) इस सचना के राजण्य में प्रकाशन की तारीक के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पन्ति में हित- बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी के पास लिकित में किए जा सकेंगे।

स्पव्यक्तिरणः—-इसमे प्रयुक्त शब्दों जीर पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषिक्ष ही, वहीं अर्थ होगा जो उस् अध्याय में दिया गया ही।

धरुपूर्वी

यू^राट 18, एस० नं० 450, एण्ड 457, पंचनाखड़ी, थाना।

(क्षोप: 319 चौरम फुट)

(जैसे कि रजिप्ट्रका नं० 5675/83-84 जो सारीख भीत, 1984 को सहयह प्रायहर भायुक्त (निरक्षण) भर्जन रेंज, पूने के दफ्तर में लिखा है।)

> श्रतिल कुमार सक्षम प्राधिकारो पहायक श्रायकर ग्रायुक्त (faर.क्षण) भर्जन रेंज, पूना

तारेखः 19-11-1984 ----

मोहर 🦿

त्रक्य बाह्र टी. एस. एस. - - - =

ब्राव्कर विधिनियस, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व (1) के वधीन सूचना

नारत तरकार

कार्यालय, सहायक भायकर जायकत (निरीक्षण) भर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 20 नवम्बर 1984

निर्देश सं० 37-ईई/84-85/894----यतः मुझे. ग्रानिल

कुमार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन यक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का आरण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाबार मृख्य 25 000/- रुट से अधिक है

भीर जिल्हों सं व्यानिट नं 2 पूर्ण में 750 ग्रीर 457, पंप कड़ी है तथा जो थाना में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद प्रशुस्ता में श्रीर पूर्ण रूप से विभिन्न है), रिजिप्ट्राक्त ग्रिधिकार के कार्यालय, में सहायक ग्राय पर श्रायुक्त (निर क्षण) ग्रजन रेज, पूने में, रिजिस्ट्राकरण श्रीधित्यम, 1908 (1908 का 16) के ग्राध्न, तर ख ग्रील 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दृश्यमान प्रतिपत्त को सिए बन्तरित की गई हैं और मुंभे वह विश्वास करने का कारक हैं कि यभापवाँकत निपत्ति का उचित बाजार कृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिपत्त से, ऐसे कृत्यमान प्रतिपत्त का बन्दह प्रतिगत से अधिक है और बंतरिक (अंतरिकों) और बंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-क से निम्नितिकत उद्वेष्य से उच्त बतरण लिचित में वास्त्विक का वे कृषित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की शबत, उक्त विधिनियम के वधीन कर दोने के अन्तरक खें दावित्य में कमी करने वा उत्तवे व्याने में सूविधा के किए; वरि/वा
- (क) एँसी किसी बाय या किसी धन या बन्य बास्तियों को, जिन्हों भारतीय बाय-कर अधिनियस, 1922 (1922 को 11) या उक्त अधिनियस, या अन-कर अधिनियस, या अन-कर अधिनियस, या अन-कर अधिनियस, 1957 (1957 को 27) के प्रजोजनार्थ जन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विभा के लिए;

अतः जवः, उक्त अधिनियमं की धारा 269-ग कै अनसरण को, मी, उक्त अधिनियमं की धारा 269-च की उपधारा (1) को बधीन, निम्नसिवित व्यक्तियों, अधीत ह —— मैसर्स मोडेला टैकाट ईन इंडम्ट्रियल प्राइवेट लि॰,
 4 सो, बल हन इस्ट्रें। बिल्डिंग,
 बार नर मन रोड,
 बम्बई-400020।

(मन्तरक)

मैसर्स रिटा इंजोनियरिंग वर्क्स,
 61-बो०, पंजाना इंडस्ट्रियल इस्टेट,
 पोकन रोड-1,
 कोरट, थाना।

(प्रचारेगो)

को यह स्थान कारी करके पूर्वास्त सम्पृत्ति के अर्थन के विष् कार्यवाहियां करता हुई।

इक्त बम्परित के वर्षन के तस्वन्ध में कोई भी बाखेप:--

- (क) इस स्पना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की जनभि या तत्मान भी व्यक्तिकों वर स्पना की तामील से 30 दिन की जनभि, को भी जनभि ना में समाप्त हाती हो, के भीतर पृथाकर का नसस्यों में से किसी व्यक्ति स्वारा;
- (थ) इस स्वता के रायपत्र में प्रकाशन की तारीज से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबब्ध किमी बन्द स्थावन स्थाहस्ताक्षरा किश्व स्थावन स्थाहस्ताक्षरा किश्व में किए जा सकींगे।

स्वक्टीकरण:---इसमें प्रयक्त शब्दों और पद्यों की, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाजित हैं, बड़ी अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया स्वाही।

अनुसूची

गात /पूतिह नं० 25, एप० नं० 450 और 457, पंचप: हड , थाना।

(क्षेत्र: 512 चौरप फुट)

(नैपे कि रिजिन्द्रका नं० 5677 जो नरेख आसील, 1934 की पहचड प्रचार प्रमुक्त (निरक्षण) अर्जन रेंज, पूना के दफ्तर में लिखा है।)

> श्रनिल कुमार सञ्जप प्राधिकारो सहायक श्रायज्ञर मापुनत (तिरक्षण) मर्जन रेंज, पूना

सारीख: 20-11-1984

मुक्य बार्ड, टी. एर. एव. -----

नायकर निधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-च (1) के अधीन सुचना

भारत सरकाषु

कार्यास्य, सहायक नायकार नायुक्त (विरोधक)

ग्रर्जन रेंज, पूना पूना, दिनांक 20 नवम्बर[®]1984

निदेश सं॰ 37—ईई/84—85/895——यतः, मुझे, **ध**निस

बायकर विधिनियम, 1961 (1961 का 43) (विसे इसके इसके विधान (उक्त अधिनियम) कहा गया है), की धारा 269- इ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विद्यास करने का कारण है कि स्थावर संपरित विसका उचित वाबार मूल्य 25,000/- इ. से विधिक है

भीर जितका सं यूनिट नं 15, एस नं 450 एण्ड 457, पंचाकड़ा है तथा जो थाना में स्थित है (श्रीर इससे उपाव अनुसूचा में श्रीर पूर्ण रूप से विणित है), रिजस्ट्राकर्ता श्रीध हार के कार्यालय, सहायक आय हर आयुक्त (तिर क्षण) अर्जन रेंज, पूना में, रिजस्ट्राकरण श्रीधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधान, तार ख अर्फ न 1984 को पूर्वों कर सम्पत्ति के उचित बाजार मृस्य से कम के स्थमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मृक्षे यह विश्वात करने का कारण है कि यथाप्यों कर सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके स्थमान प्रतिफल से, एसे स्थमान प्रतिफल का कार्य है कीर मृत्य से बातरित का विषय से बातरित (अंतरितयों) के बीच एसे बतरक के निए तब पाया गया प्रतिफल का निम्नलिचित उद्देष्य से उक्त अन्तरण सिचित में बास्यविक स्थ के कियत नहीं किया गवा है :—

- (क) अन्तरण से हुड़ किसी बाव की बाबत, बचत बिधिनियम के बधीन कर दोने के बन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा कालए; और/या
- (क्य) एसी किसी आय या किसी अस या अस्य कास्तियाँ को, जिन्हों भारतीय आधकर विधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या अन-कर अधिनियम, या अन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के सिए;

चत: बब, उन्त विधिनियम की धारा 269-व के बन्सरव वी, बी उक्त विधिनियम की धारा 269-व की उपभारा (1) को कथीन, ऐनस्नलिखित व्यक्तियों, अथारि य—— मैतर्स मोडेला टैक्तटाइल इन्ड० प्राइवेट लि०,
 सा, बलकन इन्थ्यूरेंस बिल्डिंग,
 बम्बई!

(मन्तरक)

श्री पी० के० दलती,
प्री ।० कॉलर तेल,
रामेतिन ल भॉन,
रामेतिन ल भॉन,
रूम नं० 2,
श्रलीड सिल्क मिल्स,
ग्रागरा रोड,
याना।

(भन्तरितो)

को वह स्थाना बारी करके पूर्वोक्त बंधरित के बचने के जिल् कार्यगाहियां करता हूं।

उस्त सम्पत्ति के वर्णन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप :---

- (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की जविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्थान की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि वाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बुवारा;
- (ख) इस न्यना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस सैं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर स्थ्यक्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी औ पास लिखित में किए या सकेंगे।

स्वयं विद्याः — इसमें प्रयक्त कर्मा और पर्योका, को धक्य अधिनियम के अध्याय 20 का में परिभाषित ही, वहां अर्थ हागा जो उस् अध्याय में दिया प्रयाही। ...

मनुसूची

यूनिट तं० 15, एत० नं० 450 रण्ड 457, रोबा हड़ो, थाना।

(क्षेत्र: 410 चौ० फुट)

(त्रीत कि राजिल्हा कि 5879 की तारोच प्रीत, 1984 को सह्यक प्रयक्त प्रमुक्त (तिरक्षण) प्रकृत रेंग, पूना के दफ्तर में लिखा है।)

> म्रतित कुमार सञ्जम श्राधिकारो सहायक भ्रायकर म्रापुक्त (तिराक्षण) मर्थत रेंज, पूता

तारीख: 20-11-1984

प्ररूप वाइ. टी. एन. एव

नायकर निभिन्नियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-भ (1) के स्थीन सुपना

धारत सरकार कार्यांच्य, सहावक जानकार बाव्यत (निरक्षिकार्य)

भर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनोक 20 नवम्बर 1984

निवेश स॰ 37-ईई/84-85/896---यतः, मुझे, अनिस कुमार,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इनवें इसक परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की आरा 269-क को अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, विसका उचित वाबार मृन्य 25 000/- रा. स अधिक है

भीर जिसको सं० यूनिट नं० 29, एप० न० 450 एण्ड 457, पंचातहः, है तथा जो थाना में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूजा में श्रीर पूर्ण रूप से बिश्त है), राजिस्ट्राकर्ता भिधातरा के कार्यालय सहायक अध्यक्त आधानयम्, (निर्धाशण), भजेंग रेंज, पूना में, राजिस्ट्राकरण अधिनयम, 1908 (1908 का 16) के अधान, तार ख अप्रैल 1984 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के इश्यमान भितापल के लिए जन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथाप्यांकर सर्पात्त का उनित बाजार भन्ता, उसके श्रममान प्रतिकल में, एमें स्थमान प्रतिकल का पन्दार प्रतिकल से, एमें स्थमान प्रतिकल का पन्दार प्रतिकल के निए तम स्थाप अपिक है और अंतरक (अंतरकों) और अतरिती (अन्तरितयों) के बीच एस अन्तरण के लिए तम पाया गया प्रतिकक्त का नम्मान चित्र उद्धारण में उन्तर अन्तरण के लिए तम पाया गया प्रतिकक्त का नम्मान चित्र उद्धारण में उन्तर अन्तरण के लिए तम पाया गया प्रतिक्त का नम्मान चित्र उद्धारण में उन्तर अन्तरण के लिए तम पाया गया प्रतिक्त का नम्मान चित्र उद्धारण में उन्तर अन्तरण के लिए तम पाया गया प्रतिक्त का नम्मान चित्र उद्धारण में उन्तर अन्तरण के लिए तम पाया गया प्रतिक्त का नम्मान चित्र उद्धारण में उन्तर अन्तरण के लिए तम पाया गया प्रतिक्त का नम्मान चित्र उद्धारण में उन्तर अन्तरण का निर्ण से हा प्रतिक्त का नम्मान चित्र अधारण में अप्रेल अन्तरण का निर्म का प्रतिक्त का नम्मान चित्र उद्धारण में अप्रेल अन्तरण का निर्म का प्रतिक्त का नम्मान चित्र व्याप में अप्रेल अन्तरण का निर्म का प्रतिक्त का नम्मान चित्र व्याप में अप्रेल अन्तरण का निर्ण का प्राप्त का नम्मान चित्र व्याप में अप्रेल का नम्मान चित्र का नमान चित्र का नमान चित्र का व्याप में निर्म का नमान चित्र का नमान चित्र

- [किही बन्तरण वं हुई किली आज की बाबध बच्च बाधिनियम के अधीन कर दाने के बन्तरक के बाबित्य ने कभी कहने या उनके बचने में सुविधा के लिए, कीक/या
- (च) एंबी किसी बाब या किसी बन का अन्य साहित्यों को, किन्हें भारतीय आस-कर क्रीक्षित्रका, 1922 (1922 का 11) वा उक्स विधिनयम, वा भन-कर व्यक्तियम, 1957 (1957 का 27) के अस्य बनाय जन्म नहीं क्ष्या अस्य बनाय जन्म नहीं क्ष्या अस्य बनाय जन्म नहीं क्ष्या अस्य विधान के सिए;

नतः नव, उन्त अधिरिक्य की धारा 269-य के अनस्यण नै, मैं. उन्त अधिनियम की धारा 269-व की उपभाद्ध (1) के नभीत, निम्नतियित व्यक्तियों, अर्थात् क्रिक्ट 1 मैसर्स मोडेला टैक्सटाइल इडस्ट्रियल प्राइवेट लि॰ 4सा बलाग इन्छ्यूरेम बिल्डिंग व.र नर.मन रोड बम्बई-400 0201

(मन्तरक)

2 मैससं कुनॉल इंजीनियरिंग मिबस प्रोनिक श्रा युक एलंक शाह 11 बुंदेण्यर भवन सल्लभ वाग लेन प्राटकोनर बम्बई।

(भ्रन्तरिती)

की यह सूचना चारीं करके पूर्वोक्त रूमित के अर्जन के लिए कार्यवाहिंग करता है।

वन्त सम्परित के वर्षन के सम्बन्ध में कोई बाक्षेप :----

- (क) इस संघाना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीब चे 45 दिन की सर्वाच मा तत्र्यम्बन्धी व्यक्तियो पद स्थान की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि वाद में समण्त हाती हा, के भीतर पूर्वाक्त व्यक्तिया में संकिसी व्यक्ति बुवारा;
- (व) इस स्थान से राजधन को प्रकाशन की तारीय वे 45 दिन के बीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति से हितबब्ध किती कला अस्तित द्वारा नधाहस्ताक्षरी के बाक् गित्रका गाँविक जा सकागा।

स्थान्तरभाः -- इन्हार्ग प्रकृतत सन्दां और पदां का, वा उच्छ अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित्त हैं, वहीं अर्थ हाना को उस नध्याम में दिवा यस हैं।

जन्**र**्ची

यूनिट नं० 29 एम० नं० 450 एण्ड 457 पंचपाकड़ी थाना।

क्षेत्र: 512 चीरप फुट)

(जैसे कि रिजिप्ट्रका नं० 5679/83-84 जो सारीख भन्नेन 1984 को सहायह ग्रायहर ग्रायुक्त (निराश्यण) भर्जन रेंज, पूना के दफ्तर में लिखा है)।

> म्रनिल कुम् र सक्षम प्राधिकारी सहायक मायकर मायुक्त (निराक्षण) मर्जन रेंज, पूना

विनांक 1 20-11-1984 मोहर: प्ररूप आइ. टी. एन. एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के बधीन स्चना

भारत सरकार

कार्यांसय, सहायक बायकर नामृत्स (निर्धाना) मर्जन रेंम, पूना

पूना, दिनांक 20 नवम्बर, 1984

निदेश सं ॰ 37-ईई/84-85/897--- मत: मुझे मनिल कुमार

आयकार अधिनियभ, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पदभात् 'जक्त अधिनियम' कहा गया है'), की भारा 269 व के बधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विज्वास करने 🐿 कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उजित बाजार मुल्य 25 000/- रत. से बिधक 🗗

भीर जिसको सं० यूनिट नं० 97, सर्वे नं० 450 भीर 457 🖁, तथा जो ठाना प्रेंस्थित है (और इपने ब्रायद्व अनुसूत्रों में भीर तो पूर्व काने वीगन है) राजप्द्राहर्वा के कार्यातय सहायक भ्रायकर श्रायकत (निराक्षण) मर्जन रेज पूर्ण में राजस्ट्रोक्तरण आधिनियम 1908 का 16) के अधान विनांक अर्थेल 1984

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के अधित बाजार मन्य में कम के प्राथमान मतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास **करन का कारण है** कि यथापुत्रक्ति सम्पत्ति का उप्ति वाजार भूरूप, उसके दश्यमान प्रतिकल से, एसे दश्यमान प्रतिकल का पैक्ह प्रतिकात सं अधिक हो और अंतरक (अंतरकां) और अतीरती (जन्तरितियाँ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्नलिश्वित उद्देश्य से उवत मन्तरण लिश्वित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- 🚜) बनारण सं कृषं किसी अध्य की बाबता,- उपस क्रिपिनियम के बधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्य में कमी करने या उससे श्वने में स्विधा के किए; क्रीर/या
- (स) एेसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय नायकर बिधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त मधिनियम दा धनकर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं फिया गया था बा किया जाना चाहिए था छिपाने में सुनिधा के लिए;

कतः कम, उकत विधिनियम की भारा 269-र के कन्तर्य 🖈, 🗗, उक्त विधिनियम की भारा 269-व की सपश्चारा 👍 कं अधीन, निम्नसिखित व्यक्तियाँ, अर्थातु:---

- 1. मैसर्स मोडोला टेक्स टाईल्स इन्डस्ट्रोज प्रा० जि॰ 4 सो बहल रूम इन्छ्युरेन्स बिल्डिंग विर तर्रामन रोड बाम्बे-40020
 - (प्रन्तरक)
- 2. मैसर्स ब्लयू चीप मनोषा A97 श्रीरंग सोताइटी ठाने--400609

(प्रन्तरिती)

को यह बचना बारी करके पुर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के बिक् कार्यवाहिया सुरु करता हूं।

सक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप :---

- (क) इस स्वाना के राजपत्र में प्रकावन की तारीच है सुचनाकी नामील स 30 दिन की बविधि, को और विविध बाद में समाप्त हाती हो, के भीतर पूर्वोक्त भ्यक्तियों में से किसी स्वक्ति द्वारा;
- (को इस स्कना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीका 45 दिन के भौतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्दव किसी बन्ध व्यक्ति इवाग सभाहस्ताक्षरी के पाड लिचित में किए वासक ने:

स्वक्षांकरणः --इसमें प्रयुक्त कर्का और वर्कों का, को उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, यही वर्थ हागा जो उस बध्याय म दिवा स्याह्य 🖈

जगुलु पा

प्लाट मं० 17 सर्वे नं० 450 ग्रीर 457 पंच पोखशी 300 ਵੀ - फੂਟ)

(जैसे का र्राजस्ट्राकरण नं० 37 ई / 672/84-85 पुणा जो सारिष ग्र∔ल 1984 को सहयह ग्रःयहर ग्रायुक्त (रिनर.काग) अर्जन रें ज पूणे के दफ्तर में ।ल आ है ।

> अनिल कुमार सक्षम प्राधिकारो सद्दायक भायकर भायुक्त (निर क्षिण) धर्जन रेंज, पूला

सर्च : 20-11-1984

प्रक्ष बाइ. टी. एन. एव.----

शायकर बॉथनियम, 1961 (1961 का 43) की धाय 269-म (1) के अधीन सूचना

भारत सरकाइ

कार्यालयः, सहायक कायकर आय्**क्त (निरीक्षण)** भर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 20 नवम्बर 1983

े निदेश सं० 37ईई/84-85/898---यतः, मुझे, धनित कुमार

कावकर बाधनियम, 1961 (1961 का 43) (विसे इसके इसके पश्चात 'उकत बिधनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-क के बधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, विसका उचित बाजार मून्य 25,000/- रु. से बिधक हैं

श्रीर जिसकः सं० यूनिट नं० 26 सर्वे नं० 450 श्रीर 457 पंच पाख्छः है तथा जो ठाना में स्थित है (श्रीर इससे उपाबच श्रीसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विगत है) रिजिस्ट्राक्षी श्रीधकार के कायिलय सह यह श्रायकर श्रायुक्त (शिराक्षण) श्रजंन रेंज पूर्ण में रिजिस्ट्रो-करण श्रीविनयम 1908 (1908 का 16) के श्रायान त.राख श्रील, 1984,

का प्वांक्त संपत्ति के उपित बाजार मृत्य से कम के स्थमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मृक्षे यह विश्वास करने की कारण है कि यथाप्वांक्त संपत्ति का उपित बाजार मृत्य स्वकं स्थमान प्रतिफल से, ऐसे स्थमान प्रतिफल का पन्ता प्रतिफल के किए स्थापा नवा प्रतिफल, निम्नलिखित उद्वेष्य से उस्त अन्तरण कि बित में बास्तिक क्य से कृषित बृद्धी किया वया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त आजिनियम के ज्यीन कर दन के अन्तरक की शायितक में कभी करने या उससे क्षने में सुविधा को लिए; जॉर/या
- (का) एसी किसी आय या किसी भन या बन्य बास्तियों का, जिन्ह भारतीय बायकर बांधानयम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भन-कर बांधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती व्वारा प्रकट नहीं किया नया का या किया बाना वाहिए था, क्रियाने में सुविधा के बिए;

जतः अव, उक्त अधिनियम कौ-भाग 269-ग कै अनुसरण को, मी, उक्त अधिनियम की भारा 269-ण की उपभारा (1) को अधीन्, निम्नतिथिय व्यक्तियों, वर्षाम् अन्स्य मेतर्स मोडिचा टैक्स टाइल्स, इंडस्ट्रोज प्रा० लि० 4, सा व्हात हन इन्स्युरन्स बिल्डिंग वीर नरामन रोड बम्बई-40020

(मन्तरक)

2. मेसर्स सिन्धू स्विविगयर, सिन्टम ए० 26 हथा दर्शन हाया सिगल के पास, ठाना-400602

(प्रन्तरिती)

का यह स्थना जारी करके पूर्वोक्त सम्परित के वर्जन के लिए कार्यवाहियां गुरू करता हुं।

बक्त सम्पत्ति के वर्जन के संबंध में कोई भी नाक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी ह सं
 45 दिन की अवधि या तत्मवधी व्यक्तियों पर
 स्चना की तामील से 30 दिन की अवधि, को भी
 अवधि बाद के समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कर
 क्याबितयों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में कित- बब्ध किसी स्थित द्वारा, अभोहस्ताक्षरी के बाद तिस्थित में किए जा सकेंग।

स्वक्टीकरण:——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्दों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया गया है।

पनुसूची

प्लाट नं० 26 मर्वे नं० 450 प्रौर 457 पंच पारुड़ो, ठाना (नं० 512 चौ० फुट)

(जैपे कि रिजिप्ट्रेफ़ित नं० 37िई/5671/84-85 प्रेगे जो मिरिन प्रति, 1984 को नत्य के प्रकार प्रश्वहा (निराण) मर्जन रेंज, पूर्ण के दफ्तर में लिखा है।

> श्चलि हुमार सञ्जय प्रांध हारो सहायक आयकर आयुक्त (निर अण) श्चर्जन रेंज, पूना

सारी**ख : 20-11-84**

प्रस्म गाइ. टी. एन. एस., ----

नायकर निधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269(व) (1) के नधीन सूचना

भारत तरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, पूना

पूता, वितांक 29 नवम्बर 1984

निर्देश संबो 37ईई/5677/84-85—प्रतः मुझे, श्रनिल कुमार, ब्रायकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-क के अधीन सक्ष्म प्राधिकारी को यह विकास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूच्य 25.000/- रा. से अधिक हैं

भौर जिसको सं० गाला/यूनिट नं० 22, सर्वे नं० 450 भौर 457 पंचर कड़ा है, तथा जो पुगे में स्थित है (भौर इससे उपाबढ़ भा सूचा में भौर जो पूर्ण रूप से विणत है), रिजिस्ट्राकर्ता भित्र को निर्मा में भौर जो पूर्ण रूप से प्राप्त प्राप्त (निरक्षण) भार्जन रेंज, पुगे में रिजिस्ट्राकरण अधितियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधन दिनां हु श्रील, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हैं और मृक्त यह विश्वास करन का कारण हैं कि स्थापनोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार सृष्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से,, एसं दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत सं अधिक हैं और अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के सिए सब पाया गया प्रतिफल, निम्नलिमित उद्देष्य से उक्त अन्तरण कि सिए सब पाया गया प्रतिफल, निम्नलिमित उद्देष्य से उक्त अन्तरण

- क्रिक्ष) बन्तरण से हुए किसी बाव की बावत, अवस वीर्थातवम के स्थीन कर दाने के बन्तरक की क्रावित्य में कमी करने या बचने बचने में बूबिशा के सिए: सौर/मा
- (व) इसे किसी बाय या किसी धप वा अन्य जास्तियों को जिन्हों भारतीय बायकर बांधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उत्तर अधिनियम, वा अन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) वे प्रयोजनार्थ बन्तरिती व्यारा प्रकट नहीं किया थया था या किया बाना चाहिए था, क्रियाने में सुविधा के सिए (b)

अतः अव, उक्त अधिनियम की भारा 2'69-ए के अनुसरम वं. में, उक्त अधिनियम की भारा 269-ए की उपभारा (1) हे अभीन, निम्नांतांचत अधिकतयों, अभीत्:— भैसर्स मोडेला, टैक्सट.ईल्स, इंडस्ट्र.ज प्रा० लि०, 40, व्युलकेन इन्स्युरेन्स बिल्डिंग . भार नरीमन रोड, बाम्बे-400020। (श्रन्तरक)

2. गैंसर्स पी० के० नारायण 30, ग्रंबे कृता, नाहूर, मूलंड, बाम्बई-400080 । (ग्रन्तांरतो

की यह सूचना कारी करकें पर्योक्त सम्पत्ति के अर्जन के सिक कार्यकाहियां करता हा ।

सक्त सम्मत्ति के वर्षन के सम्बन्ध में कोई भी काक्षेप :---

- (क) इस स्थाना के राज्यत्र में प्रकाशन की तारीं सं 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियां दर स्वान की तामील से 30 दिन की अवधि, को जी अवधि बाद में समाध्य होती हो। के भीतर प्रविक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,
- (स) इस स्वान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उस्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्दभ किसी बन्य स्पक्ति द्वारा अभाहस्ताक्षरी के पास सिखित में किए जा सकेंगे।

स्युच्डीकरण: ---- इसमें प्रयक्त शब्दों और पर्दों का, आते उत्यस अधिनियम के अध्याय 20-के में परिभाषित है, वहीं अर्थ होंगा जो उस अध्याय में विया युवा है।

प्रनुसूत्री

गालां/यूनिट नं० 22 सर्वे नं० 450 श्रीर 457 (492 भी े फुट)।

(जैसे कि र्राजस्ट्रेकृत नं० 37ईई/5677/84-85 पुणे जो दिनांक धर्मैल 1984 को सहाय ह श्रायहर ध्रायुक्त (निरक्षण) श्रर्जन रोंच पुणे के दपतर में लिखा है।)

> र्श्वानल कुमार सक्षम प्राधिकारो सहायक स्रायकर स्राधुवत (निरक्षण) स्रर्जन रेंज पूना

दिनांक 19-11-1984 मोहर : मुरूप. बाई. टी. एन. एस. - - - -

नायकर मिथिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-न (1) के अभीन सूचना

भारत सरकार

कार्यासय, सङ्गायक आयकर जागूक्त (निरीक्षण)

द्मर्जन रेज, पूना पूनः, दिनांक 19 नवम्बर 1984

निर्वेग सं० 37ईई/5671/84-85/900--म्रत मुझे, म्रानिल क्मार,

बायकर बीधीनयम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके प्रकात 'उक्त बीधीनयम' कहा गया है), की धारा 269-का के अधीन सक्षम प्राधिकारी की यह विख्यास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिलका उचित याजार मूल्य 25 000/-रा से अधिक है

भीर जिसकी सं० यृतिट न० 20 सर्वे नं० 450 श्रीर 457 पंच पातड में है तथा को पुणे में स्थित है (श्रीर इसने उगाबद्ध भ्रामुक्ता में श्रीर जो पूर्ण रूप से विगित है), रिजिन्द्र कर्ना भ्राधिकारा के कार्यालय में सहयक श्रयकर श्रायुष्त (तिर क्षण) भ्रानेन रेज पूगे में रिजिन्द्र करण श्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के श्रधान दिनाक श्रील 1984

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रुप्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूक्ते यह विश्वास करन का कारण है कि बचापुर्वाक्त संपत्ति का उचित बाजार कृत्य उसके रुप्यमान प्रतिफल से, एसे रुप्यमान प्रतिफल का कन्द्र प्रतिकृत से बिधक है और अन्तरक (अन्तरकाँ) और अन्तरिती (अन्तरितियाँ) के बीच एसे अन्तरक के लिए तक बाबा गया प्रतिफल निम्नतिवित उद्देश्य से अन्तरक अन्तरक विद्वास गया प्रतिकृत कम के किया गया प्रतिकृत कम के किया गया है क्रू

- (का) ब्रम्मरण से हाड़ किमी आय की बावत उक्त सिधिनियंत्र को बाधीन कर दोने को बन्तरक को दायित्थ मं कमी करन या उसस बचन में सूर्णिधा को लिए; शौर/या
- (भा) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, शा धन-कर अधिनियम, शा धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तिरती द्वारा प्रकट नहीं किया गया धा या किया जाना वाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अतः उद्धन अधिनियम की धारा 269-ग के अनसरम में, में, इकन अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन, निम्नसिवित न्यक्तियों, अर्थात् .--- 1 मैसर्न भोज्ञा टैक्प शहर इस्ट्राज प्राक्ष्येद लि॰ 40 कृतिका क्ल्स्न्रेन्न गिर्द्धिंग बास्थे-400 020 ।

(भ्रन्तरक)

2 मैपर्स के० पी० एम० इडप्ट्रीज ए १-8 हई। दर्शन 1 ला माला नागनाडा णान-400602

(भ्रन्तरिती)

की बह स्वना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जस के लिए कार्यवाहिया करता हुन्।

बक्त तम्पत्ति के नर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्षेप:---

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवींच या तत्मध्यन्त्री व्यक्तियों पर सचना का ताप्रील स 30 दिन को अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,
- (च) इस गृज्यना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-क्रिय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा मकोगे।

स्वक्टीकरण:----क्षममें प्रयुक्त शब्दों और पयों का, जो उक्क अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ हाना जो उस अध्याय में दिया गुया है।

अगुभू धरी

यूनिट न० 20 सर्वे न० 450 ग्रीर 457 (492 चौ० फुट) ।

(त्रैने कि र्रजस्ट्रेकिन न० 3.7 हि/567 1/84-85 पूना जो दिनाक ग्रीज 1934 को पहुषक प्रयाद आयुक्त (क्रिस्कण) ग्रर्जनरेज पुगेके कार्यालय में लिखा है।

> स्रतित कुमार सक्षम पातिकरो सहायक द्यायकर आधुक्त (तिराक्षण) स्रजेत रेंज, पूना

दिनाक 19-11-1984 मोहर : प्ररूप बाई. टी. एन. एस. - - - ----

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के लधीन सूचना

भारत सरकार-

कार्यालय, सहायक बायकर बायूक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज, पूना पूना, दिनाइ 19 नवम्बर, 1984

निवेश स० 37ईई/5672/84-85/901—- स्रत मुझे स्रिनिल कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात 'उकत अधिनियम' कहा गया है, की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी करे यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रा. से अधिक है

स्रीर जिसको ह० गाला यूनिटन० 96, सर्गे न० 450 स्रीर 457, पचपो गडी मे, तथा जो पुणे मे स्थित है (स्रीर इससे उपाबद्ध स्रनुसूती मे स्रीर जो पूर्ण रूप से वणित है) र्राजस्ट्रोकर्ता स्रिधकारों के कार्यालय सह यक स्रायकर स्रायुक्त प्रर्जन रेज (निरोक्षण) स्रर्जन रेज, पुणे में र्राजस्ट्राकरण प्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के स्रयोग दिनाक स्रीत, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान इतिफल् के लिए अन्तरित की गई है और मूफे यह विश्वास करन का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार अन्त्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, ए ये दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उकन अन्तरण निखित में अस्तिक रूप में कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण संहुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन जर दने के अन्तरक के दायित्व में केमी दरनें ए उसमें बचन में सविधा के लिए, और /या
- (ब) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्निया को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए धा व्हिपान में स्विभा के लिए;

मैन्स्स मोडोला, टैक्सटाइल्स, इंडिया, प्राईवेट लिमिटेड 40. व्हलका इन्स्युरेन्स विल्डिंग, विर तर मन पाईन्ट, रोड, वस्त्रे-400 020

(ग्रन्तरक)

2 मैंसर्स जीन मशीन टूल्स, ए-25, हाई वे दर्शन 1 ला, माला नागपाडा, थाना-400 602

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्जन के लिए कार्यवाहिया गुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के जर्जन के सम्बन्ध में काई भी आक्षंप :--

- (क) इस मूचना के राज्यत्र मा प्रकाशन की तारीस सं 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियाँ पर सूचना की नामील स 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद मा समाप्त हाती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियाँ में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना कं राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित्बद्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिसिस में किए जा सकारों।

स्पष्टीकरण — उसमे प्रयुक्त शब्दा शर्र पदा का, जा उक्क अधिरिक्षम, के अध्याय 20-क म परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिस्सा गया है।

अनुसूची

गाला /यूर्नट न० 99, सर्वे न० 450 श्रौर 457 (592 चौ॰ फुट) ।

(जैसे कि रिजिस्ट्रे) कुत न० 37ईई / 5672 / 84 85 / पूर्ण जो तारोख अत्रैल 1984 को सहाय के आयकर आधुक्त (निरोक्षण) अर्जनरेज पूर्ण के कार्यालय में लिखा है।

श्रनिल कुमार सक्षम प्राधिकारो सहायक स्रायकर स्रायुक्त (निरक्षिण) स्रर्जन रेज, पूना

दिनांक 19-11-1984 मोहर: भारतप नार्द्यं हों पुरुष पुरुष क्षान्य प्रस्तान

नानकर नीपत्रियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के मंधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक वायकर आयुक्त (निर्दास्तुण) धर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 19 नवम्बर 1984

निर्वेश सं॰ 37ईई/6529/84-85/902—अतः मुझे, भनिल कुमार,

बावकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (बिसे इसमें इसके परवात 'उक्त मिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विस्वास करने का कारच है कि स्थावर संपत्ति, जिसक' उचित बाजार मृत्य 25,000/- रु. से अधिक हैं

षौर जिसकी सं० प्लाट नं० 2 सी० टी० एस० नं० 1201 डी फाईनल प्लाट नं० 566/2 भामबुर्क शिवाजी नगर पुणे-4, जो पुणे में स्थित है (भीर इससे उपाबज अनुभूची में भीर जो पूणे रूभ से बिणत है), रिजस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी के कार्यालय में सहायक षायकर बायकर बायकर (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पुणे में र्राजस्ट्रीकरण प्रधिनयम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक सितम्बर, 1984

को पूर्वोक्स संपत्ति का उचित बाजार मृत्य से कम के दश्यमान शितकस के निए जन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करते का कारण है कि स्थापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार धून्य, उन्ने दण्यकान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल के पन्नद्व प्रतिचत से अधिक है और जन्तरक (अन्तरकों) और बन्दरिती (अन्तरितियाँ) के बीच एसे अन्तरण से निए तब पन्ना गया प्रतिफल, विश्वनिवित उद्देश्य से उच्त सम्तरण विश्वित से वास्तिवक कम से केनित नहीं किया गया है हिन्स

- ूँको अन्तरण ते हुई किसी आय की वावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दावित्य में कभी करने या अससे अचने में सुविधा के सिक्टू और/या
- (क) पेती किसी काम या किसी धन या बन्य बास्तिनों को, चिन्हें भारतीय बाय-कर मिधनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त सिधनयम, या धन-कर विधिनायम, 1957 (1957 का 27) के प्रतिभाग कर विधिनायम, 1957 (1957 का 27) के प्रतिभाग करतिरती ध्वारा । कट नहीं किया गया वा या किया जाना चाहिए था, कियाने में सुविधा की सिद्ध;

चक्र नवाक, इन्स मीचिनयम की चारा 269-म के नमुसरम को, की, इन्स निर्मानयम की चारा 269-म की उपधारा (1) के मचन्द्र, मिन्ननिर्देशक महिन्नमें हैं मंगीत, हन्स- श्री इन्द्रसेन कृष्ण राव मिरोले,
 1201/डी, फरगुसन कालेग रोड,
 पुणे-411004।

(मन्तरक)

2. श्री ग्ररूण माधव जोशी, बि॰-3 सिमा सोसायटी 1201 ई, शिरोले रोड, पुणे-411004 ।

(ग्रन्सरिती)

को यह स्वना बारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के सिए कार्यवाहियां सुरु करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के संबंध में कोई भी बाक्षेप ६---

- (क) इस स्वान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर स्वान की तामील से 30 दिन की अविधि, को भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के तिर प्वॉक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति स्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी कर्ने 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपरित में हितबब्ध किसी बन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ता अरी के पाच लिखित में किए जा सकरेंगे।

स्वयाकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का को अवस अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभावित है, वही अर्थ होगा, को उस अध्याय में दिवा नया है।

गम् सूची

प्लाट नं० 2, ग्राउन्ड फ्लोर, सी०टी० एस० नं० 1201 ही, फाईनल प्लाट नं० 566/2 । (418 ची० फु०) (जैंदे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37ईई/6529/34-85 पूना, जो सारोख सितम्बर, 1984 को सहायक ग्रादकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, पुणे के कार्यलय में लिखा है।

> श्रनिल कुमार सक्षा प्राधिकारी सहायक भ्रायकर श्रायुक्त (निरोक्षण) भर्जन रेंज, पूना

विनोक : 19-11-1984

प्रकृष कार्य ते द्वीत एवं त एवं त्रवानकारकार

भागकार मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की पाडा 269-प (1) में मधीन सुपना

माइत चहुकाह

कार्यातय, शहानक जायकरु जावुक्त (निरुक्तिण)

धर्जन रेंज, पूना पूना, दिनांक 24 नवम्बर, 1984

निर्वेश सं० 37ईई/4463/84-85/903—मतः मुझे, भनिल कुमार,

भावकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमी इसमी प्रथात् 'उक्त अभिनियम' कहा गया है), की नारा 269-च के अभीन सक्षम प्राधिकारी की यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित वाचार मुख्य 25,000/- रा. से अधिक है

भीर जिसकी सं० सूट नं० 1, 2, 3, 4, इंडस्ट्रियल कम्पलैक्स के अन्तर्गंत, असई तह० पालघर, जिला ठाणे है, तथा जो पूणे में स्थित है (और इससे उपाबद अनुसूची में और जो पूणे रूप से घणित है), रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय में सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण), अर्जन रेंज, पूणे में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल, 1984 को पूर्वोंव त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ख्रयमान प्रतिफल के तिए बन्तरित की गई है बार मुक्ते यह विस्थात करने का कारण है कि यथाप्वॉक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके ख्रयमान प्रतिफल से, एसे ख्रयमान प्रतिफल का प्रमुख अधिकार से बाधक है और बंतरक (अंतरकों) और बंतरिती (बन्तरितियों) के बीच एसे बन्तरण के लिए तय पावा चवा प्रतिफल, निम्मिलिखत उद्वेष्य से उक्त बन्तरण सिवित में बासिक है कीय नहीं किया गया है है—

- ्षित्र) बन्तपुरण से शुद्ध किसी बाध की बाबता, उसके वृष्टिनियम के जभीन कर दोने के अन्तरक सी शावित्य में कमी करने वा सससे वचने में सुविधा के लिए; बीड़/श
- (क) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था वा किया जाना चाहिए था कियाने में द्विश के निए;

क्षक वन, उक्त विधिष्यम की धारा 269-ग के ब्रुसर्ज की, की, शक्त विधिष्यम की धारा 269-यू की उपवास (1) की वधीन, निम्मसिक्ति व्यक्तिकी, वधित ह— मैसर्स पालघर लैंग्ड डेयलपर्नेन्ट, कार्पोरेशन, विवाण टावर, बसई रोड, (डब्स्यू), जिला ठाणे।

(धनारक)

2. मैंसर्स धोजन स्पोर्टस वेशर (प्रा०) लि॰ बाम्बे, फाफ्ट, सेंटर रहेजा चेंबर, 213, नरीमन पाइट, बाम्बे-400021

(भन्तरिती)

को बह सूचना चारी कारकै पूर्वोक्ष सम्पत्ति के वर्बन के सिष्ट् कार्यवाहियां करता हुएं।

उनत सम्पत्ति के वर्जन के संबंध में कांद्र भी बाक्षेत्र ---

- (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकासन की तारीय वें
 45 दिन की संबंधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों दव स्थान की तामील से 30 दिन की नवधि, वो वीं
 वयधि नाथ में समाप्त होती हो, के भीतर प्रविका व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा;
- (क) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारींच के 45 दिन को भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित- वद्ध किसी जन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताकरी की पास निवित्त में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उच्छ अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विका पंता है।

मनुसूची

सूट नं० 1, 2, 3, 4 इंडस्ट्रियल काम्पलीक्स, ग्रल**ई तह्**। पालघर, जि॰ ठाणे, स॰ नं० 39/1

(जैसे कि रिजस्ट्रीक्षत नं० 37६६/4463/83-84 पूर्ण जो दिनांक मर्त्रल; 1984 को सञ्चायक मायकर भागुक्त (निरीक्षण), धर्जन रेंज, पुणे के कार्यालय में लिखा है।)

> मनिल कुमार सक्षम प्राधिकारी सहायक भायकर भायुक्त (निरीक्षण) मर्जन रेंज, पूना

विनोक 24-11-1984 गोहर 3 प्ररूप आहे. टी. एन. एस-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धाय 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

भ्ययंलिय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) भ्रजन रेंज, पूना

पूना, तारीख 19 दिसम्बर 1984

निवेण सं० 37ईई/5913/84-85-अंत:, मुझे, प्रनिल कुमार

बायकर क्रिपिनयम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/-रा. से अधिक है

धौर जिसकी सं० मालपमा 179 पर्वत गांव है तथा जो पूणे में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से विणत है) राजस्ट्रीकर्ता श्रधकारी के कायलिय सहायक श्रायकर श्रायुक्त कार्यालय (निरोक्षण) श्रर्जन रेंज पुणे में राजस्ट्रीकरण श्रधिनियग 1908 (1908 का 16) के श्रधीन तारीख जुलाई 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उषित बाजार मूल्य से कम के इश्यमान प्रतिफल के लिए अन्सरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके इश्यमान प्रतिफल से, एसे इश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिक्षत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई फिसी आय की बावत, आयकर अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक को दायित्व में कभी करने या उससे अचने में सूत्रिधा के लिए; और/या
- (स) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय धायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

जतः अव, उक्त जिथिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्निसिसित अधितयों, अर्थात् :---

(1) श्रीमतो जानको बाई एस० साने.179, पर्वनी पुणे-411009

(मन्तरक)

(2) एम० एच० लोवारी, 1462 मुक्रवारपेट, पुण-2।

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के कर्जन के संबंध में कोई भी बाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की बनिध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियाँ पर सूचना की तामील से 30 दिन की जनधि, जो भी अवधि नाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्विक्त व्यक्तियाँ में से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (ह) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए, जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

नन्स्ची

मालमाता 179 पर्वता गांव पूर्ण (904 वौर फुट)
(जैसा कि रजिस्ट्रीइत नं 37ईई/5973/84-85
पूना जो तारीख जुलाई 84 को सहायक श्रायकर मायुक्त
(निरोक्षण) श्रर्जन रेंज, पुणे के दफ्तर लिखा है)

श्वनिल कुमार सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रजन रेंज, पूना

दिनांक : 19-12-1984

क्षणा नोतं . को . एवं . एवं . -----

भायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निदेश सं० 37ईई/84-85/4535/84-85/905---- प्रतः मुझे प्रानित्त कुमार.

नायकर श्रीभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसमें पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी की यह विद्यास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित नाजार मृत्य 25,000 - रा. से अधिक है

श्रीर जिस्ति सं० प्लाट नं० 9 दूसरे मंजिल पर 1000. स्क० फुट० + 390 स्क० फु० बलेसिंग 1360 स्क० फु० कारपेट एरिया है तथा जो पूणे में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध श्रुतुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से बणित है) र्राजस्ट्रीकर्ता श्रीधकारों के कार्यालय सहायक श्रामकर श्रायुक्त (निरोक्षण) श्रार्जन रेंज, पूणे में रजिस्ट्रीकरण श्रीधनियम 1908 (1908 का 16) के श्रीचीन तारीख मई 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उभित बाजार मूल्य से कम के क्यमान इतिफल के लिए बन्तरित की गई है और मूफे यह विश्वात करने का कारन है कि यथापुनेक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्नह प्रतिशत से बिधक है और बन्तरक (अन्तरका) बौर बतरिती (अंतरितियाों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्निनिचित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुन्दि निसी भाग की बायत, उक्त सीधीनयमं के अभीन कर दीने को अन्तरक के दामित्व में कमी करने या उससे बचने में सुत्रिधा के लिए; और/बा
- (क) ऐसी किसी नाम या किसी वन या कन्त बास्तियों कारे, किन्हों भारतीय जाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त किथिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-मार्थ जन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था वा किया जाना चाहिए था, खिपाने में मुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण कों, मीं, उक्त अधिनियम की भारा 269-व की उपधारा (1) को अधीन. निम्नितिखित व्यक्तियों, अधीत् :---- (1) मेसर्भ बी० आई० पी० एसोसिएटस 9204/90 जियाची नगर पूर्णे ।

(मन्तरक)

(2) वसत जयबत दिवेकर, 37/9ए और डबगा 11 वी गलो , प्रभात रोड़, पूर्णे 4 ।

(ब्रन्तरिती)

का वह सूचना बारी करके पूर्वनित सम्पत्ति के वर्षन के जिए कार्यनाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के नर्जन के संबंध में कांग्र्ड भी बाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपण में प्रकाशन की तारीच वे 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी स्यक्तियों कर सूचना की नामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्रविकत स्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवास;
- (च) इस मूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब ने 45 दिन के भीतर उत्पत न्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास तिस्ति में किए जा सकेंचे।

स्पाचरीकरण: — इसमी प्रयासत शन्दीं और पदों का, जो उक्त अधितियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वहीं अर्थ द्वीगा जो चस अध्यायं में विका समा है ।

बनुसुभी

प्लाट मं० 9 दूसरी मंजिल पर, 1000 स्क० फुट+
360 स्क० फुट अलेलिंग 1360 स्क० फुट।
(हम 1357 चौ० फुट)

(जैसा कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37ईई/4535/83-84 पूना जो तारीख मई, 1984 की सहायक द्यायकर प्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना के दफ्तर में लिखा है)

> श्रनिल कुमार सक्षम प्राधिकारी सहायक प्रायकर सायुक्त (निरोक्षण) भजेन रेंज, पूना

दिनांक : 24-11-1984

शक्य बाह्[®]् टौ_ं एन**ु एस्**, क्रक्टक

भावकार मीभीनवन, 1961 (1961 का 43) की पाच 269-च (1) चे नभीन सूचना

बाइत बाइकार

कार्याक्रम्, बहारक बांमकर बार्यक (निर्देशक)

म्रर्जन रेंज, पूना

मृते, प्रनिल कुमार

भाजकर मिनियम, 1961 (1961 का 43) (चित इतवी इसको परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), जो कि भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मून्य 25,000/- रु. से अधिक हैं

मौर जिसकी सं० प्लाट नं० 309 3री मंजल पर ष० नं० 2416 इस्ट स्ट्रीट पुणे हैं तथा जो पूणे में स्थित हैं (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूणे रूप से विणत है) रजिस्ट्रीकर्ता घधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर श्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूणे में रजिस्ट्रीकरण प्राधिनयम 1908 (1908 का 16) के प्रधीन सारीख सितम्बर, 1984

को पृथींकत सम्पति के उचित बाधार मून्य से कम के दरवजान श्रीतफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह निश्नास करने का कारण है कि मधापूर्वोंकत सम्पत्ति का उचित बाधार मूच्य, उसके दरयमान प्रतिकल से एसे दरयमान प्रतिफल का प्लाह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरिती (अन्तरितिया) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पावा थमा प्रतिकल, निम्निलिख उद्देश्य से उक्त अन्तरण जिलिस को कास्तिकक रूप से कथित नहीं किया गया है है—

- (क) अन्तरण से शुद्ध किसी जाव की नामसः, उपके अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरफ वें शियत्य में कभी करने या उससे वचने में सविधा के लिए; और/मा
- (ख) एंदी किसी नाय वा किसी भन या बन्न भारिसकों का, विन्हों भारतीय नाय-कर निभिन्नक, 1922 (1922 का 11) या उक्श जिथिनियम, या भनकर जिथिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रवांक- नाथ करतीरती प्नारा प्रकट नहीं किया गया था या किया काना भाहिए था किया में सुविधा के सिए।

अतः अव, उपत जिमिनयम् कौ भारा 269-म कै अमृत्रदश्व में, में, उक्त अधिनियम कौ धारा 269-म कौ अपभारा (1) कै अभीन, क्मिनिलीबत व्यक्तियों अभात ह— (1) मेसर्स मकवाना जबसँ एन्ड को 449, सोमवारपेट पूर्ण ।

(भन्तरक)

(2) कुमारी इकसाना हासिम हसन और नसीम ग्रादम ग्रमर, 393 एम० जी० रोङ्ग पूर्ण ।

(मन्तरिती)

का यह सूचना चारी कारके पृत्रीयत सध्यक्ति के अर्थन के सिव् कार्यपाहिकां करता हूं ।

उपद क्षाप्ति के वर्षत के संबंध में कोई भी वाक्षेत्र क्ष-

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीचा से 45 दिन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों चड़ सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, को बी अविध नाद में समाप्त होती हो, के भीतड़ वृद्धींक्य व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वृद्धांत्र वृद्धींक्य व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वृद्धांत्र वृद्धींक्य
- (ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीब के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति वृताय वभाहस्ताक्षरी के वाक विविक्त में किए वा सकीने।

रक्कीकरणः ----दसमें प्रयुक्त शम्दों भीर पदों का, जो जक्क निभिनियम के नभ्याय 20-क में पीरभाषिक ही, वहीं जर्ज होता, जो उन्हें सभ्याय में किस क्या ही।

वपुत्रकी

प्लाट नं॰ 309, तीसरी मंजिल पर ४० नं॰ 2416 इस्ट स्ट्रीट, पुणे (क्षेत्र 11510 ची॰ फुट)

(जैसा कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37६६/6070/84-85 पूना जो तारीख सितम्बर, 1984 को सहायक धायकर धायुक्त (निरीक्षण) धर्जन रेंज, पूणे के वफ्तर में जिखा है)

> भनिल कुमार सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर भायुक्त (निरीक्षण) भर्जन रेंज, पूना

दिनांक : 24-11-1984

प्रकल नार्यं दो प्रमुख पूर्व क्षा

आयकर विभिन्नियम, 1961 (1961 का 43) काँ भारा 269-भ (1) के स्थीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भावकर नायुक्त (निर्दीक्तण) धर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनोक 24 नवम्बर, 1984

निदेश सं० 37ईई/5112/84-85/907--- अतः मुझे; भनिल कुमार

लायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके प्रकात 'अकत अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269 के अधीन सक्तम प्राधिकारी को वह विष्कात करने का कारल है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रा. से अधिक है

प्रौर जिसकी सं० प्लाट नं० 109 पहला मंजिल सं० मं० 294 कदम अपार्टमेन्ट पर्वता पूणे है तथा जो पूणे में स्थित है) (भीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में भीर पूणे रूप से विणत है रिजस्ट्रोकर्ता अधिकारों के कार्यालय सहायक मायकर भागुक्त भज़न रेंज, पुणे में रिजस्ट्रोकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जून 1984 को पृथ्वेंक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है बौर मृभ्ने यह विश्वास करने का कारण है कि यथाप्येंक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल के चृत्य प्रतिकत से अधिक है और अंतरक. (अंतरकों) और अन्तरिती (वंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया च्या प्रतिफल निम्नलिखत उद्विद्य से उक्त अन्तरण लिखत में बास्तविक रूप से क्रियत नहीं किया गया है प्र

- (क) अन्तरण से हुई किसी जाय की वाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे वचने में सुविधा के सिह; बॉट/बा
- [क) एसी किसी भाग या किसी भन वा बन्य कास्तियों का, विन्हें भारतीय आग-कर अभिनियस, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियस, या भनकर अभिनियस, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था छिपाने से अभिहास के सिद्ध;

चतः वन, उन्त अधिनियम की भाष 269-ग के अनुसरण वाँ, वाँ, अक्त विधिनिय की भाषा 269-च की उपभाषा (1)। वाँ विधीन, निम्मिकिक्द व्यक्तियाँ, वर्णात् ह—-

(1) श्री राजकुमार जिनराम श्रगरवाल, के० श्रो० मेसर्स राज बिल्डर्स, सं० नं० 9/3 येरबडा पूर्णे।

(भ्रन्सरक)

(2) श्रीमती कमलाबाई विजयराम उणेचा, 178, पर्वत गांव ठाण पूणे।

(प्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त संपरित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हो।

सक्त संप्रित के मुर्जन संबंध में कोई भी जाओप ह--

- (क) इस स्वाम के राजपव में प्रकाशन की सारीस से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी त्यिक्तयों पर स्वाम की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीगर पूर्वीकत स्वित्यों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के रावपण में प्रकाशन की तारीं के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्मत्ति में हितबस्थ किसी जन्य काक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए का सकत्ते।

स्पष्टीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, बहुी अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया हैं।

अनुसूची

प्लाट नं 101 पहला मंजिल सं नं 214 पर्वेसा पूर्ण कदम ग्रपार्टमेन्ट (क्षेत्र 1475 चौ०क्क फुट) (जैसा कि रिजिस्ट्रीकृत नं 37ईई/5112/84-85 पूर्ण जो तारीख जून 1984 को सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरोक्षण) ग्रर्जन रेंज, पूर्ण के दफ्तर में लिखा है)

> म्रनिल कुमार सक्षम ग्रीधिकारी सहायक ग्रायकर म्रायुप्त (निरोक्षण) म्रर्जन रेंज, पूना

दिनांक : 24-11-1984

महिर ध

प्रस्य बाह .टी.एन. .स. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीर सुचना

भारत धरकार

कार्यालय, सहायक अायकर आयक्त (निरीक्षण) शर्जन रोज, पूजा

पूना, बिनांक 23 नवस्याः 1984

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' काहा भरा हैं), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विस्ताम करने का कारण हैं कि स्थावर मंपतिल, जिसका उचिन बाजार मृल्य 25,000/-रा. से अधिक हैं

श्रोर जिसकी सं० प्लाउ तं० 5, शि०टा० एस० तं० 125/ डो-2, पूणे-4 है, तथा जो पूणे में स्थित है (श्रीर इससे उपावड़ अनुसूची में और जो पूर्व रूप से विषय है) रिजिस्ट्रोकर्ता अधिकारों के कार्यालय सहायह अध्यापर आधुरा (निरोक्षण), अर्जन रेंज पूर्णे में रिजिस्ट्रोकरण श्राधिक्षिम 1908 (1908 का 16) के अर्थान विषय मंदी, 1984

को पूर्वेक्त संपत्ति के लिल्न जालार गोल से बहा के शक्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हैं औल मुझे यह विश्वास करने का कारण हैं कि श्रभाव्येक्त संग्रित का उपित बाजार मूल्य, जसके दश्यमान प्रतिशत से गुंदों लग्याल प्रतिशत के गन्दह प्रतिशत से अधिक हो और प्रवर्श (अन्तरला) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एको अन्तरण के लिए तय गया गया प्रतिफल, जिल्लीका के श्री लग्न के लिए तय गया गया प्रतिफल, जिल्लीका के श्री लग्न लगे कि ग्री वास्तरिक के लिए लग्न कि वास्तरिक में बास्तरिक करण के श्री लगा लगी कि ग्री एक हो लगा के लिए लगा कि ग्री का स्वास्तरिक करण के श्री लगा लगी कि ग्री एक हो लगा की लिए लगा के लगा कर हो लगा कि ग्री का लगा कि ग्री का लगा की लगा कर हो लगा कर हो लगा कर हो लगा कि ग्री का लगा कर हो लगा कर है लगा कर हो लगा कर है लगा कर हो लगा कर है लगा है लगा है लगा कर है लगा कर है लगा कर है लगा है लगा कर है लगा है ल

- (क) अन्तरण से हुई किसी आर को बाबत, उन्नत अधि-नियम के अधीन कर दोनेके अन्तरक के क्षियल में कमी करने या उन्हल वश्ने में सूक्षिण के लिए: और/या
- (क) ऐसी किसी आप का निराहे थन या अल्य अस्तियों को जिन्हों भारतीय आयाकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या राजन की धीनियम या पन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तिरिती दुवारा पन्नठ नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के निए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धाग 269-ग के अन्सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थतः—

- नाडगौजा, उंटण्याहसेन, द्वारा, प्लाट नं० 131/ए० 3, मोदो बाग, गणेश खण्ड २०४, पुगे-16
 (ग्रन्तरक)
- श्वी महत लाल डी.० गुजा(थी), लक्ष्मी विकास 129, फम्युसन कालेज, रोड, पूणे •4

(अन्तरितो)

को यह सूचरा जारो करके पूर्णतत संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हु।

उक्त सम्पात्त के अर्जन के संबंध में काई भी आक्षेप :--

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अवधि या स्तर्सवंधी व्यक्तियों पर स्वाप्त को को को को अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हा, के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में सं किसी व्यक्ति त्यारा;
- (ख) इस सूचना के राजण्य में प्रकाशन की तारीख से 45 पिन के भीतर उन्हें स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति त्वार अधाहस्ताक्षरी के पाम विशेषत भी जिल्ला पा कर्या

स्पद्धीकारण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त आस्पितियार, को अध्याय 20-वा में परिभाषिता हैं।, वहां अर्थ होना जो उन अध्याय में दिवा स्या वं

कन स्थी

(प्लाट गं० 5, सीं० टो॰ एउ॰ नं॰ 125/डो-2/पुणे-4) (क्षेत्र॰ 9050 चौ॰ पु॰)।

(जो को र्राज्य होता वां 37ईई/4722/83-84 पुणे जो पिनांक मई, 1984 को सह या छायकर आधुकत (विरोक्षण) अर्जन रेंज, पुणे के कार्यालय में विद्या है)।

> श्रीनल कुमार सक्षम प्राधिकारी सहायक ऋष्यकर त्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, पूना

दिनांक: 23-11-1984

म्प्रेहर 👙

अरूप आइ⁵. टी. एन. एस .,-----

बायक र अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-ज (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यासय, सहायक भायकर भायकत (निरक्षिण) श्रजीन रेज, पूना

पूना, दिनांक 24 नवम्बर 1984

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 209-ए के अधीन सक्षम प्राधिकारी की, यह निव्यास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मुन्य 25,000/- रा. से अधिक है

भौर जिसकी मं० प्लाट नं० 3 उप प्लाट नं० 2 हिस्सा नं० 126 मं० नं० 103 येख डा पूना है तथा जो पूणे में स्थित है (भौर इसमे उपाबद श्रनुसूची में श्रीर पूणे रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्मा अधिकारी के कार्यालय सहायक श्रायकर श्रायकर श्रायकर (निरीक्षण) अर्जन रेंज पुणे, में रजिस्ट्रीकरण भिष्तियम 1908 (1908 का 16) के श्रधीन दिनांक भग्नेल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के स्वयमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके स्वयमान प्रतिफल से एसे स्वयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिफल से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्वेश्य से उक्त अन्तरण निवित्त में वास्तिवक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) बन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के बन्तर्क औं दायित्व में कभी करने या उत्तसे दवने में सुविधा के सिए और/वा
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा के लिए;

अतः अस, उम्रत अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में, मैं, उम्रत अधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के अधीन नियनिलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---- 8----426 GI/84

 (1) श्री रिश चगपाल कारिश्रा केश्रर/श्रोफ मेसर्म सिद्धार्थ बिल्डर्स एम 1 हरमेसनेस्टे 88 दस्त्ट महेरेरोड पुणे ।

(ग्रन्तरंक)

(2) डा० के० यु० वासुदेवन, यखेडा स्टुड फार्म नगर रोड पुना ।

(भ्रन्तरिनी)

को यह स्थान जारी करके पृत्रांकिश सक्षांतिक को अलंक के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उन्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाक्षीप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारी स से 45 दिन की अर्वाध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की नामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बुवारा;
- (स) इस मूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतृ उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपिहरनाक्षरी के पास निक्ति में किए ला सकेंगे।

स्पन्धीकर्ण:---इसमें प्रयुक्त शस्त्रों और पदों का, जो उक्त जिथितियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो अध्याय में दिशा गया है।

श्रमुसूची

फ्लैट नं० 3 उप फ्लैट नं० 2 हिस्सा 126 सर्वे नं० 103 येखडा पूणे है।

(क्षेत्र 580 चौ०फु०)

(जैसा की रिजिस्ट्रीकृत नं० 37ईई/4233/83-84 पुणे जो नारीख श्रप्रैल 1984 को सहायक आयकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज पुणे दफ्तर में लिखा है) ।

> ग्रनिल कुमार मक्षम प्राधिकारी महायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, पूना

दिनांक: 24-11-1984

मोहर 🗄

प्ररूप बार्ड . टी . एन . एस .----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के अभीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 21 नवम्बर 1984

निदेश सं० $37 = \frac{55}{84-85} = \frac{3962}{910-910} = \frac{100}{910} = \frac{100}$

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारों को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपरित, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रु. से अधिक हैं

अौर जिसकी मं० फ्लैंट तं० 117, मं० नं० 30 ए/47 कोथरूड पुणे, है तथा जो पूणे में स्थित है (और इससे उपाबद अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज पूणे में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984

को पूर्विकत सम्परित के उचित बाजार मूल्य से कम के द्रयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुफे यह त्रिश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंगरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखिक में बास्त वक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (फ) अन्तरण से हुई िकसी आय की बाबस, उक्त अधिनियर के अधीन कर वोने के अंतरक के दायित्य में कमी करने या उससे बचने में सूत्रिधा के लिए; और/या
- (स) ऐसी किसी आय या किसी भन या खन्य आस्तियों की, जिन्हें भारतीय आय-कर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उकत अधिनियम, या भनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सृविधा के लिए;

अतः अने, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अन्सरण में, में उक्त अधिनियम की धारा 269-थ की उपधारा (1) के सधीन, [मन्मलिकित व्यक्तियों, अधीत्:-- (1) मैसमं श्रोणियन बिल्डमं पाटनंर श्री बी० एन० तांबे, 35 विश्वशोभा, को श्रापरेटिव ह्याउसिंग मोसायटी, 528 नारायण पूर्ण 30 ।

(ग्रन्सरक)

(2) श्री प्रदिप बालक्वरणा लेले, पि० एम० सी० कालोनी नं० 7 बिल्डींग, बी ब्लाक नं० 12 घोटपडें पेठ मंकर शेठ रोड पूर्ण -2

(ग्रन्तरिती)

का यह स्थना जारी कारके पूर्वीक्त सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उन्त सम्पत्ति को अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप 🖫

- (क) इस सूचना कं राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्यॉक्त स्मिन्तयों में ते किसी व्यक्ति दवारा:
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीत से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए का सकोंगे।

स्यब्दीकरण: इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिवा गया है।

नन्त्यी

प्लाट नं० 117 (591 चौ० फुट)

जैसे की रजिस्ट्रीकृत नं० 37ईई/84-85 जो दिनांक अप्रैल 1984 को सहायक श्रायकर श्रायक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज पूर्ण के दफ्तर में लिखा ।

> ग्रनिल कुमार गक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (किरीक्षण) श्रर्जन रेंज, पूना ।

विशंक :- 21-11-1984 भोहर : प्ररूप आई.टी.एन.एस. -----

कायभर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के अधीन सुचना

भारत सुरकार

कार्यालय, महायक आगकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज पूना

पूना, दिनांक 24 नवस्वर 1984

निदेश सं० 37 ईई/4232/84-85/911—-श्रतः मुझे; श्रनिल कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उकत अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी मं० प्लाट तं० 4 सब प्लाट नं० 2 हिस्सा नं० 126 स० नं० 103 येखडा पूना है तथा जो पूना में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है) र्राजस्ट्रीकर्ता श्रीश्रकारी के कार्यालय सहायक श्रायकर श्रायकत (निरीक्षण) श्रजंन रेज, पूना में रिजस्ट्रीकरण श्रायित्यम, 1908 (1908 का 16) के श्रिथीन दिनांक श्रितेल 1984

को पूर्वोकत सम्पत्ति के उचित नाजार मूल्य से कम के स्वयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हैं और मुफे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्मित्त का उचित नाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिसत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निविद्य में अस्तरिक रूप से अधिक रूप से अधिक नहीं किया गया है।

- (क) जन्तरण से हुए किसी आय की बाबत, उकत अभिनियम के अभीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के निष्; और/बा
- (क) ऐसी किसी या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 19(7 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना वाहिए था, स्थिपाने में सुविधा के सिए।

अत: अस, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की भारा 269-च की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखिठ व्यक्तियमें, अधीत क्ष---

(1) श्री रीम लंगपाल कित्या प्रो० मैसमं सिद्धार्थ बिल्डमं एस-1 हरिमसनेस्टे 844 दस्तूर महेर रोड, पूना 411001

(भ्रन्तरक)

(2) श्री ग्रलियुम एल० सनकृषा, स० नं० 21/2 मचबेल रोड मैनिकवाडा पुना-11014 (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए कार्यताहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप १---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध , जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्वारा;
- (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 4 विन को भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकरो।

स्वच्छीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दा और पदों का, जो उद्श्ल अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित ही, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

नन्स्ची

प्लाट नं० 4 स० प्लाट 2 हिस्सा 126 सं० नं० 103 यखेषा पूना है

(क्षेत्र 600 चौ० फूट)

(जैसे की रॉजस्ट्रीकृत नं० 37 केई/4232/83/84 पूना जो दिनांक श्रप्रैल 84 को सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज पूना के दफ्तर में लिखा है)

> ् ग्रनिल कुमार सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जनरेंज, पूना

दिनांक 24-11-1984

प्रकप नाइ. टी. एन. एस. ----

आयकर अप्धानयम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के अधीन स्चना

भारत यरकार

कामालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीकक) श्रर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 17 नवम्बर 1984

निदेश सं० 37 ईई/5169/84-85/912--श्रतः मुझे श्रनिल कुमार

पायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उवल अधिनियमें कहा श्या है), की धार 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-क. से अधिक ही

ग्रीर जिसकी सं विल्डींग नं /901/शिक्षवार पेठ हैं तथा जो पूना में स्थित हैं (ग्रीर इसमें उपाबद्ध अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप में विणत हैं) रिजस्ट्रीकर्ता श्रिधकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण श्रर्जन रेंज पूने में रिजस्ट्रीकरण श्रिधिनियम 1908 (1908 का 16) के ग्रिधीन दिनांक अप्रैल 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित को गई है और मूफ्ते यह निश्वास करने का कारण है कि यथाप्वेक्ति सपत्ति का उचित बाजार मूल्य असकं दश्यमान अतिफल ग्रांत एक प्रथमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ही और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती अन्तरितियों) के बीच एमें अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रातिफल निश्नलिक उद्देश्य में उचत अन्तरण लिखित में सास्त्रिक रूप से अधित नहीं किया गया है:----

- (क) -बन्सरण संहुर्ष किसी जाय की बाबता, उक्त अधिनियम के अधीन कर बोने के अन्सरक को दायिका मों कनी करने या प्रसमे बचने में स्विधा को लिए; अपि का
- (ण) ऐसी किसी आय या किसी भन या अन्य जास्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) क प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था वा किया जाना चाहिए था, क्रियाने में सविधा के लिए।

(1) मैंसर्स पांप्युलर ग्रसोसिएट 815 मुकुन्द नगर पूना -37

(ग्रन्तरक)

(2) श्री भारत पुराजजी श्रोसवाल 58, बालव्य, पीस्ट लोणावण पूना -16

(प्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन् के सिए कार्यवाहियों करता हु।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी जक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन की ख़बीध या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की बबीध, जो भी अबिध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त ध्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास तिस्ति में किए जा सकोंगे।

स्थाकित्याः ----इसमे प्रयुक्त सन्दाँ और पदी का, वा उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

नन्त्रची

बिल्डींग 901 शुक्रवार पेठ पूना (क्षोत्र 999 चौ० फुट)

(जैसा की रिजिस्ट्रीकृत न० 37 ईई/5191/84-85 पूना जो अगस्त 1984 को सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त निरीक्षण भ्रजन रेंज पूना में लिखा ।

> श्रनिल **कुमा**र सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रजैन रेंज, पूना

कतः अब, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के अनुतरण मों, मों, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपभारा (1) को अधीन, निम्नलिकित स्यक्तिमां, अर्थात् :---

दिनांक :+ 17-11-1984 मोहर :- प्रकृप बाई. टी. एन. एस. - - - --

शायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के ज्थीन सुभना

भारत सरकार

कार्यालय, सष्टायक आयंकर बाय्बत (निरीक्षण)

श्चर्जन रेज, पूना

पूना, दिनांक 17 नवम्बर 1984

बायकर किंभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात 'टक्त अभिनियम' कहा गया है कि भारा 269-ख के अभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित वाजार मुख्य 25,000/- २5. सं अधिक है

ग्रीर जिसकी सं प्लाट नं 351 हिस्सा नं 6 श्रीर 7 हाणे है तथा जो पूणे में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रिधकारी के कार्यालय सहायक ग्रायकर श्रायक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज पूणे में, रजिस्ट्रीकरण ग्रिधिनयम, 1908 (1908 का 16 के ग्रिधीन दिनांक जुलाई 1984 को

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृस्य सं कम के दश्यमान प्रतिपत्त के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते, यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत सं अधिक ही और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एस अंतरण के लिए तय पायो गया प्रतिफल किल निम्नलिकित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिवक रूप से कथित नहीं किया गया ही:—

- (क) श्रंतरण संहुर्द किसी बाय की वायद, उक्स अधिनियम के अधीन कर दोने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे अधने में सृविधा के लिए; और/मा
- (स) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उपत अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्यारा प्रकट नहीं विजया गया वा या किया जाना वाहिए वा, छिपाने में सुविधा में सिए;

अतः अब, उक्त अधिनियमं की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं अक्त अधिनियमं की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्निविधित व्यक्तियों, अर्थात् ्र—

(1) मैं उर्स भारत कनस्ट्रक्शन कं० 66/7 विजुकेटक मार्ज बम्बई-40038

(ग्रन्तरक)

(2) मैंसर्स लबंइंडिया इन्स्ट्रमेन्ट प्रा० हैलिमिटेड० रजिस्टर म्नाफिस 34/39 भारत कुल सोसायटी एरडवणा पुना 411004

(भन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के कर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:---

- (क) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारींच है 45 दिन की अविधि या तत्मम्बन्धी व्यक्तियों पर स्चना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में में किमी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस में 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिहरूनक्षिरी क पास निवित्त में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्दों का, जो उक्त विधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

श्राफिस नं० 201 दूसरा माला नन्द वेशसं क्लाट मं० 359 हिस्सा नं० 6 श्रौर 7 श्र एल० वि० एम० मार्ग बंदना टाकीज के पास ठाणे ।

(क्षेत्र 1312 ची० फूट)

(जैसा की रजिस्ट्रीकृत नं० 37 ईई/7372/84-85 पूना जो 37 जुलाई 1984 को सहायक आयकर भागुक्त (निरीक्षण भर्जन रेंज पूना में दफ्तर में लिखा है)

> श्रनिल कुमार . सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रजीन रेंज, पूना

दिनांक 17-11-84 मोहर :-

प्रकृत कार्ड . टी . एन . एक . ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक गायकर जाय्क्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज पूना

पूना, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निदेश सं० 37ईई/4335/84-85--/914-- भतः मुझे, भनिल कुमार

शायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), कौं धारा 269-ख को अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित आजार मृस्य 25,000/- रा से अधिक हैं

मौर जिसकी से जिलाट सी ज्हा एस जं 113/8 दूर अवना एल पी जं 46/4 दि पि एस आय पूना 5 है तथा जो पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में भीर पूर्ण रूप से विणित है), रजिस्ट्रीकर्ता भिष्ठकारी के कार्यालय सहायक श्रायकर श्रायकर (रीक्षण) भ्रजन रेंज पूना में रजिस्ट्रीकरण श्रिधिनयम 1908 (1908 का 16) के श्रिधीन, दिनांक मई 1984 को

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाबार मून्य से कम के असमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुक्ते यह पिरवास करने का कारण है कि सभाप्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मून्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पम्बद्ध प्रतिकात अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण संहूर्य किसी काथ की वावतः, उक्त व्यथितियम् से अधीन कर वेने के अन्तरक के शासित्व में कमी करने या उत्तवे वचने में सुविधा के सिए; और/या
- (क) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य बास्तियों को, जिन्हों भारतीय अध्य-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तिरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया धा या किया जाना चाहिए था छिपाने में एकिया के लिए;

अतः अव, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण में, भी, उक्त अधिनियम की भारा 269-च की उपभारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों. अर्थात :--- (1) 1श्री सरद गंकर लघाटे
2. सो० हेमलता भालचंद्र लघाटे ।
3. श्री ग्रनुल बी० लघाटे ।
4. कुमारी उज्वला बी० लघाटे
382/श्रीर मानीवार पेठ
पूना 411030

(भ्रन्सरक)

(2) मैंसर्स साने सरदेशमुख असोसीएट । 314 नारायण पेठ पुना-411030

(ग्रन्तरिती)

का यह सूचना चारी करके प्वाँकत सम्परित के अर्थन के लिए कार्यवाहियां भूरः करता हुं।

उक्त सम्परित के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप :---

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच वें 45 दिन की वर्षीया तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की व्यक्ति, को औी वर्षीय साथ में समाप्त होती हो, के भीतर पृथा क्या व्यक्तियों के वे किसी व्यक्ति ब्यास्त;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबव्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहम्ताक्षरी के पास सिखित में किए जा सकींगे।

रच्छीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का को उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया हैं।

अनसची

प्लाट नं० सी० टी० एस113/8 इरडवना एकः पी० नं० 46/4 टि० पी० एस० 46/4 टी० पी० स्कमि नं० 9 पूना

(क्षेत्र 1245 चौ० फुट)

्रीसे कि रजिस्ट्रीकृत नं 37 ईई/4339/83-84 पूणे के जो मई 1984 को सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त निरीक्षण ग्रर्जन रेंज पूना के दफ्तर लिखा है।

> धनिल कुमार सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रजन रेंज पूना

दिनांक :- 24--11--1984 मोहर :- प्ररूप आई.टी.एन.एस ------

अाथकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की **धारा** 269-च (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्थानय, सहायक आयंकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, पना

पूना, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निदेश मं० सी. ए० $\cdot 5/3.7$ ईई/8.4-8.5/9.16—--ग्रनः मुझे ग्रमिल कुमार

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसं इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ल के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000∕-रुः. से अधिक है

श्रौर जिसकी सं० घर नं० 1599 सदाणिव पेठ हैं तथा जो पूना-30 में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप मे बाणत है रिजस्ट्रीकर्ना अधिकारी में कार्यालय सहायक आयकर आयूक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज में, रिजस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक मई 1984

को पूर्वेक्स सम्परित के उचित बाजार मृत्य में कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापृष्टिक सम्पन्त का अभित आजार मृत्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अभिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिक्कल निम्निलिखित उद्दोष्ट्य से उक्त अन्तरण लिखिन में वास्तिवक कप से कथित नहीं किया गया है :——

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे अचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उन्तत अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा के लिए।

(1) वासुदव त्येम्बक बगायनकर तथा भ्रन्य घर नं 1599 सदाणिव पेठ, प्ता -30.

(भ्रन्तरक)

(2) श्रमील मुहास जोटा,
 हारा मुरेखा व० देशपांडे
 1569 मदाशिष पेठ,
 पूना -30

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हु

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारी सं से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्चना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्विक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स्र 45 दिन को भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्भ निसित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरण: — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर नं० 1599 सदाणिय पेठ पूना-30 क्षोत्र 266.63 स्क० मि० (जैत्र की रजिस्ट्रीकृत नं० 4359/83-84 जो मई84 की सहायक आयकर श्रायुक्त निरीक्षण अर्जन रेंज पूना के दफ्तर में लिसा है ।)

> स्रतिल कुमा**र** सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज; पूना

बतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) अ बभीनः निम्निनिधित व्यक्तियों अधात .---

दिनांक :- 24-11-1984

ब्राक्य बार्ड .टी .पुन् .पुरा .-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के अधीन स्चना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकार आयुवत (निरीकंण) श्रर्जन रेज पूना

पूना, दिनांक 17 नवम्बर 1984

निदेश सं० मी० ए505/37ईई/7374/84-85/917---म्नतः मेझे म्रनिल कुमार

श्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पर्यात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक हैं

भौर जिसकी सं आफिस नं 202 दूसरी मंझिल नंद वेम्बर्स प्लाट नं 351 हिस्सा नं 67 श्र, एल बी एस मार्ग, थाने हैं तथा जो थाने में स्थित है (और इसमे उपाबद्ध अनुमूची में श्रोर पूर्ण रूप मे वर्णित है)रजिस्ट्री कर्ता श्रिधकारी के का लिय महायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण श्रायुक्त अर्जन रेंज, में रजिस्ट्रीकरण श्रिधियम, 1908 1908 का 16) के श्रिधीन दिनांक जुलाई 1984 को को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दश्यमान रिक्तल के लिए अस्तरित की गई है और मुके पह विश्वास

1908 का 16) के प्रधीन दिनाक जुलाई 1984 की की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दूरयमान प्रतिफल के लिए अस्तरित की गई है और मुन्ने यह विश्वास करने का कारण हो कि यथापूर्वोक्त संपति का उचित बाजार मूल्य, उसके दूरयमान प्रतिफल रो, एसे दूरयमान प्रतिफल का पन्तृह प्रतिशत से अधिक है और बन्तरक (अन्तरका) और अन्तरिती (अन्तरितिया) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निजिखित उद्विध्य से सकत अन्तरण लिखित में वास्तिविक रूप से किथत नहीं किया गया है:—

- (क) जन्तारण से हुइ किसी जाय की बाबस, अक्त डिक्टनियम के अभीन कर योने के अन्तरक के दर्शयत्व में कभी करने या ससमे बचने में सुविधा वी लिए; बॉर/वा
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ का जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या अन कार अधिनियम, 1957 (1957 का 27) अ प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना शाहिए था कियाने में सुरक्षा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-य के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम को धारा 269-य की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--- (1) भारत कन्स्ट्रक्शन कं 66/9 बाजुकोटक भागं, पहली मंक्रिल बम्बई-37

(ग्रन्तरक)

(2) श्रर्जली स० भालेराव, जानकी निसवास दूसरी मंझील डा० मुसे मार्ग , थाने ।

(ग्रन्तरिती)

को बहु सूचना जारी करके पूर्वोंक्त सम्पृत्ति को नर्चन के जिए कार्यवाहियां करता हाँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कां**ह भी आक्षेप** :---

- (क) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर स्वान की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी जबिध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

रमध्यक्रिकरणः -- इसमें प्रमुक्त शब्दों और पर्दों इस, जो उपस् अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, कही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया भया है।

द्याफिस नं० 202, दूसरी मंजिल नद चेम्बर्स, प्लाट नं० 351, हिस्सा नं० 6 व7 य. एल० बी० एस० मार्ग बंदना टाकीज के नजदीक थाने

क्षोत्र 315 स्क फिट

(जैसा की रिजम्ट्रीकृत मं० 7374 जो जुलाई 84 को सहायक श्रायकर श्रायकर श्रायकर श्रायकर विकास के दफ्तर में लिखा है)

श्चनिल कुमार सक्षम प्राधिकारी सहायक स्वायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्चर्जन रेंज, पूना

दिनांक :- 17-11-1984 मोहर :--

प्रकल् बार्षः दीः रगः वृतः ----

बासकर विभिनियम, 1961 (1961 का 43) की बाख 269-म (1) के सधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयंकर आयुक्त (निरक्षिण) श्रर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 17 नवम्बर 1984

निर्देश सं० सी० ए०-5/37 ईई०/7373/84-85/918--श्रतः मुझे, श्रनिल कुमार

मायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उत्रा अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृन्य 25,000/-रु. से अधिक हैं

स्रोर जिसकी सं० आफिस नं० 203 2रा मजल नन्द चेम्बर्स प्लाट नं० 359 हिस्सा नं० 6 और 7—अ एल० बी० एस० मार्ग वन्दना के नजदी । धाने हैं तथा जो याने में स्थित है (श्रीर इससे उपाबड श्रनुसूची में और पूर्ण रूप से बणित है) रिजस्ट्रीकर्ता श्रिधकारी के कार्यालय सहायक श्रायकर शायुक्त (निरीक्षण) ध्रर्जन रेंज में रिजस्ट्रीकरण श्राधिनयम 1908 (1908 का 16) के श्रधीन तारीख जुलाई 1984

को प्वांक्त संपत्ति के उचित बाजार भूल्य से कम के अध्यक्षान प्रतिफल के लिए अंतरित को गई है और मुभे यह विश्वाम करने का कारण है कि यथाप्बोंस्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दण्यमान प्रतिफल से, ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिकात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरित (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नसिचित उद्वेश्यों से उक्त अन्तरण किविद् में वास्तिवक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण के शुर्द किसी जान की वावत्, क्यल विभिनित्म के बभीन कर कोने के जन्तरक के श्रावित्व में कमी करने या उसके वचने में सुविधा के लिए; ब्रोर/मा
- (क) ऐसी किसी बाय या किसी धन या बन्स आस्तिकों की जिन्ही भारतीय साय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, मा धन-कर अधिनियम, मा धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया बाना चाहिए था, छिपाने में मृतिभा के लिए;

अतः अव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनूसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निस्निलिखित व्यक्तियों, अधीत् :—9—426GI/84

(1) भारत कन्स्ट्रवशन्स कम्पनी
 66/7 वाजू कोटक मार्ग
 1 ली मंजिल
 बम्बई-38।

(भ्रन्सरक)

(2) कंचन स० बापट 12 सुखानकुरुली सी भास्कर कालोनी नवपाड़ा थाने ।

(भ्रन्तरिती)

का यह स्वना बारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के किथ कार्यवाहियां गुरु करता हुं।

उनत सम्पत्ति के वर्णन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की सामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अव्धि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स स्वक्तियों में ने किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति व्वारा अधोहस्ताक्षरि के पास निवित्त में किए बा सकोंगे।

स्यक्षीकरण: -----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, को खक्का किंपिनियम के अध्याय 20-क में परिआधित हैं, वहीं अर्थ होगा भी उस अध्याय में दिक्क स्था है।

अनुसूची

ग्राफिस न० 203 दूसरी मंजिल नन्द चेम्बर्स प्लाट नं० 359 हिस्सा न० 6 व 7-ग्र एल० बी० एस० मार्ग वदंना टौकींज के नजदीक,।

(क्षेत्र : 394 स्के० फीट)।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत कम म० 7373 जो जुलाई 1984 को सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, पुणे के दफ्तर में लिखा है)।

र्घानल कुमार सक्षम प्राधिकारी सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण) प्रजैन रेंज, पूना

सारीख : 17-11-1984

प्रकप नाइ" हो एस एस . ------

बायकड विधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व (1) के अधीन सुवाना

भारत् सरकार् 🦈

कार्यासय, सहायक जायकर जायकत (निराक्षण) धर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 17 नवम्बर 1984

निर्वेश सं० 37 ईई०/5268/84-85/919—ग्रतः मुझे, सनिलकुमार

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परकार 'उक्त अधिनियम' कहा गया हु"), की धारा '69-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विकास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/-रुट. से अधिक है

भौर जिसकी सं० प्लाट नं० 102, के० सी० टी 1, सर्वे न०
17 ए प्लाट न० 2, हिस्सा न० 5 वानवडी पुणे—13 है सथा
जो पुणे में स्थित है (श्रीर इससे उपावड अनुसूची में श्रीर
रूप से वणित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिक री के कार्यालय
सहायक श्रायकर श्रायकत (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पुणे में रजि—
स्ट्रीकरण श्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के श्रधीन
तारीज जुलाई 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का वन्सह प्रतिकात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और बंतरिती (अंतरितियाँ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया बचा प्रतिकाल निम्निलिखित उद्वेषय से उसत अंतरण लिखित में बालांक रूप से कथित महीं किया गया है:——

- (क) बंतरण से हुई किसी बाय की बाबत्, उक्त किसीनयम के क्षीन कर दोने के अन्तरक के सावित्य में कमी कारने या उससे बचने में सुविधा के निष्ए; और/या
- (क) एसी किसी आय या किसी धन या बन्य बास्तियों को, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भन-कर अधिनियम, या भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रशेषनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने प्रकृतिना के जिए;

कतः अब प्रका विभागियम को भारा 269-व को अनुसरण को, मी, उक्त विभागियम की भारा 269-व की इप्भारा (1) को अभीन, निम्नसिक्कित व्यक्तिहियों, स्थात उक्क (1) मै० परमार कन्स्ट्रक्शन
 321/3 न्यू टिंबर मार्केट
 रोड पुने-2।

(मन्तरक)

(2) श्री मधुबेन सुमनलाल दोशी केयर प्राफ सचिव भौर कम्पनी 25 बुट्टी स्ट्रीट पुणे-1।

(धन्तरिती)

को यह स्थान जारी करके पूर्वोक्त संपरित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 बिन की अविधि या तत्सवंशी व्यक्तरों पर सूचना की तामील से 30 बिन की अविध, भी भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के शेतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीक से 45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए का स्कार्य।

स्थाधिकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क म परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस् अध्याय गों दिया गया है।

नम्स्ची

प्लाट नं 102 के पी टी ा स ्नं 17 एप्लाट नं 2 हिस्सा नं 8 वानवड़ी पुणे-13।

(क्षेत्र ₹ 780 घौ० फीट)।

(जैने कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37ईई०/5268/84-85 पुणे जो जुलाई 1984 को सहायक ग्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन हेंज पुणे में लिखा है)।

> ग्रनिल कुमार सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर मायुक्त (निराक्षण) मर्जन रेंज पूना

तारीख : 17—11→1984

मोहरः

प्ररूप बाइं.टी. एन. एस. ------

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर कायुक्त (निरीक्षण)

भ्रजीन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 17 नवम्बर 1984

निवेश सं० 37 ईई०/5272/84-85/920---- अत: मुझे

मनिल कुमार

आयकर सिंधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसमें प्रचात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269- क के अधीन सक्षम प्राधिकारी की, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाबार मृत्य 25,000/- क. से अधिक है

भौर जिसकीसं० प्लाट नं० 206 सी० न० 17-ए प्लाट नं० 2 हिस्सा नं० 7 वानवरी पूणे-13 में है तथा जो पुणे में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध प्रनुसूची में श्रौर पूणे रूप से विणित हैं) रिजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय सहायक श्रायकर भागुक्स (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज पुणे में रिजस्ट्रीकरण श्रिध- नियम 1908 (1908 का 16) के श्रधीन तारीख जुलाई 1984

को पूर्वित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूझे यह विश्वास कर ने का कारण है कि यथापूर्विक्स सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्त्रह प्रतिकृत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकार) और अन्तरित (अन्तरितयाँ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय बाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्विषय से उक्त अन्तरण किसित में वास्तिवक्ष रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-नियम के अधीन कर दोने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उसने वचने में सविधा के निए; चौड़/वा
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की, चिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) वा उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सृविधा के लिए;

वतः वन, उनत अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उनत अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिसिस व्यक्तियों, अधीत्:—— (1) मै॰ परमार कन्स्ट्रक्शन 329/3 न्यू टिंबर मार्केंट रोड पुणे--2।

(मन्तरक)

(2) सबीर एच० वकील डी/21 गीता सोसाइटी सिनेगाग स्ट्रीट पुणे-1।

(मन्तरिती)

को यह त्वना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के वर्धन के हैं हैं कार्यकाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के नर्बन के सम्बन्ध में कोई भी बांबेंद्र 🚈

- (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीं के 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वान की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर वृत्तिक व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति इतार;
- (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक की 45 दिन के भीतर उभेत स्थावर संपरित में पृष्टित-वद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिक्ति में किए का सकती।

स्वकाकरणः --- इसमें प्रमुक्त शब्दों और पदों का, भी उपद अधिनियम् के अध्याय 20-क में परिभाषित हाँ, वहीं अर्थ होगा को उस अध्याय में विद्या प्रमा है।

अनुसूची

प्लाट नं० 206 दुपटे मालेपट के० पी० टी० विस्विगः1 सं० नं० 17ए प्लाट न० 2 हिस्सा 7 वानोरे पुणे-13।

(क्षेत्र: 720 चौ0 फीट)।

(जैसे कि रिजस्ट्रीकृत 37 ईई०/5272/84-85 पुणे जो जुलाई 1984 को सहायक ग्रायकर मायुक्त (निरीक्षण): भर्जनरेंज पुणे के दफ्तर में लिखा है)।

> ग्रनिल कुमार सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्राथकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्रजैन रेंज, पूना

तारीख: 17-11-1984

भोहर:

प्रक्ष बादं.दी. एन. एस . ------

नायकर निधनियम, 1961 (1961 का 43) की भाष 269-म(1) के नधीन सुमना

धाउत बुउकार

कार्यालय, सहायक नायकार नायुक्त (निराक्षण)

म्रर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 17 नवम्बर 1984

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पर्वजात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धार 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रु. से अधिक है

भौर जिसकी सं० प्लाट तं० 612 छठा मंजला के० पी० टी०
1 प्लाट तं० 2 हिस्सा 8 सं० तं० 17-ए तथा जो पुणे
में स्थित हैं (भौर इससे उपाबड अनुसूची में और पूर्ण रूप से
विणित हैं) रिजस्ट्रीकर्ता श्रिधकारी के कार्यालय सहायक श्रायकर
धायुक्त (तिरीक्षण) अर्जन, पुणे में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम
1908 (1908 का 16) के श्रिधीन तारीख जुलाई
1984

को पूर्वोक्त सम्परित के उजित नाजार मृत्य से कम के द्रियमान मित्रफल को लिए अन्तरित की गई है और मुम्से यह निश्वास करें को कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उजित नाजार मृत्य, उसके द्रश्यमान प्रतिफल से, एसे द्रश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिकात से अधिक है और अंतरक (अंतरका) और अंतरिती (अंतरितियाँ) को बीच एसे अंतरण को लिए तय पामा गया प्रतिफल निम्निलिखत उच्चेष्य से उक्त अन्तरण निचित में मास्तिनक है से किया नहीं किया गया है:--

- (क) जन्तरण से हुई किसी बाय की बादश, उबत अधिनियम के जधीन कर दोने के अन्तरक के बाबिरण में कभी करने या उससे मचने में सुविधा के लिए; और/या
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उंकत अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) को प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया ग्या था या किया वाना चाहिये वा, क्याने में सृविधा से सिए;

जित्त श्री श्री असत अधिनियम की धारा 269-म के अनुसरण में , मं , उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन, निम्निजित व्यक्तियों , अधीत ६—

(1) मै० परमार कन्स्ट्रक्शन 329/3 न्यू टिंबर मार्केट रोड पुणे-2।

(भ्रन्तरक)

(2) भास्कर गणेश नाईक
ग्रमीकृषा ब्लाक नं 1
सुभाष नगर इस्टेट
एन० एम० ऐशि मार्ग
बम्बई-11।

(ग्रन्तरितीः)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के निष् कार्यवाहियां करता हो।

उक्त संपरित के भर्जन के संबंध में कोई भी बाक्षप :---

- (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस सं 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्थान की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति इवारा;
- (ख) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबहुध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सहोंगे।

स्मा किरण: --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-नियम के अध्याय 20 कि में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

वनस्पी

प्लाट नं० 612 छठा मंजिला के० पी० टी० 1 प्लाट नं० 2 हिस्सानं० 8 रू० न० 17-ए पूर्णे-13।

(क्षेत्र : 720 चौ फीट)। ।

(जैसे कि रोजस्ट्रीकृत नं० 37 ईई/5275/84-85 पुणे जो जुलाई, 1984 को सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण), श्रर्जन रेंज, पुणे के दफ्तर लिखा है)।

> ग्रनिल कुमार सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, पूना

तारीख: 17-11-1984 मोहर् प्ररूप मार्चु टी. एन. एस. -----

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ण (1) के बधीन स्चना

माउद ब्रकाइ

कार्यात्तव, सहायक नायक र आयुक्त (निर्देशक)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 22 नवम्बर 1984

निवेश सं० सी० ए०-5/37 ईई/०/5857/84-85/922---अतः मुझे, अनिल कुमार,

बायकर अधिनियस, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-इस के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रा. से अधिक हैं

भौर जिसकी संग्रसर्वे नंग् 287 हिस्सा नं 5 तथा ठाकुर्ली करुयाण शनि में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में भीर पूर्ण रूप से विणित है), रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, में रिजट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, सारीख मई, 1984

को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के ब्ह्यमान प्रिसिफल के लिए अंतरित की गई है और मूफे यह विद्यास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके ब्ह्यमान प्रतिफल से, एसे ब्ह्यमान प्रतिफल का भन्यह प्रतिशत से मृषिक है और बंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिक क निम्मीमिन बद्देष्य से उक्त बंतरण मिथित में बास्तिवक स्था से किया नहीं किया नया है :—

- (क) अन्तरण से हुइ' किसी बाय की बाबस, जबत अधिनियम के अधीन कार दोने के बन्तरक के दायित्व में कमी कारने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/मा
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या कन्य वास्तिवों को जिन्हों भारतीय आय-कर आंधिनियम. 1922 (1922 का 11) या उक्त वाधिनियम, वा धनकर अधिनियम, वा धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रसंजनार्थ अन्तिरती वृद्धारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, ियाने यो विषय के सिए;

बत: बब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ण के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ण की उपधारा (1) के बधीन निम्नलिकित व्यक्तियों, बर्धात् ३(1) श्रीमती हीरा बाई म० बायेथेना तथा अन्य डेहणु बिल्डिंग, तीसरा मंजला, सुपारी बाग, परेल, बम्बई-12।

(अन्तरक)

(2) सत्यबोबक गुब्बी, ब-12, नव सहयोग को आपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी, 360, सेनापित बापट मार्ग, माटुंगा, बम्बई-16।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्परित के वर्जन के सिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पृत्ति के वर्णन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्षेप:--

- (क) इस स्वा के राजपव में प्रकाशन की तारी हुं है 45 दिन की अविधिया तत्सम्बन्धी व्यक्तियाँ पर स्वा की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि शद में समाप्त हाती हो, के भीतर पूर्वावत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।
- (ख) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 बिन के भीतर उक्त स्थावर सम्मित्त में हितबक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास सिक्ति में किए कि में कि के पास

स्थव्दीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पूर्वों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिवा गंजा है।

मन्सूची

जमीन जो सर्वे नं० 287, हिस्सा नं र 5, जो ठाकुर्नी गांब डोस्बिबली, ता० करुयाण, थाने में स्थित है ।

(क्षेत्र : 4849 स्कें∘ मीः०)।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत क्रम सं० 5857/83-84 जो मई, 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण), अर्जन रेंज, पुणे के बफ्तर में लिखा है)।

अनित कुमार सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 22-11-1984

प्रकार नाहरू, हो, एन्, एड्. ≥-----

बायकर बिधिनियस, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व (1) के ब्रधीन स्वाना

भारत स्रकार

कर्ष्यालय, सहायक <mark>आयकरः आयुक्त (निहरीक्षण)</mark> अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 17 नवम्बर

निदेश सं० सी० ए०-5/37 ईई०/5173/84-85/923--अत: मुझे, अनिल कुमार,

भायकर भिषितियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधितियम' कहा गया है), की धारा 269-ख को अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25.000/- रा. से अधिक है

म्रीर जिसकी संज पर्लंट नं ाा। के पी टी ा। पहला मंजला, नं ा7-अ, प्लाट नं 2, हिस्सा नं 8, वानवड़ी. पुणे-13 है तथा जो पुणे-13 में स्थित है (श्रीर इससे उपा बद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विणित है), रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पुणे में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारोख जुला,ई 1984

को पूर्वोक्ट सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के द्रियमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मृझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, इसके दश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिकात से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया ममा प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विवित्त में बास्त्विक रूप से किथा नहीं किया ग्या है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी क्षाय की बाबत उक्त श्रीभृत्यम् के स्भीत कर दोने के सम्बद्धक स् श्रीयत्व में कमी करने मा उससे वचने में सृविधा के सिए; श्रीद्र/मा
- (च) ऐसी किसी बाय या किसी भन या बृत्य बास्तियों करें, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्ता अधिनियम, या भनकर अधिनियम, या भनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी इवास प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में स्विधा के सिए;

बतः व्या, जनत अधिनियम की धारा 269-व की वयुवरण में, में, उसत अधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के अधीन, निम्निसित स्पेक्तियों, संधात :--- (1) मै० परमार कन्स्ट्रन्थन,
 321/3, न्यू टिम्बर मार्केट मार्ग,
 पुणे।

(अन्तरक)

(2) आय एक्स रेटी, 428/6-अ, गुलटेकड़ी, पुण-1।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पृथानित संपृत्ति के वर्णन के निष् कार्यवाहियां करता हुं।

जनव संपरित के वर्णन के संबंध में कोई भी नाओप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी हैं सैं 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, ओ भी वर्षा बाद में समाष्त होती हो, के भीतर पृयों चत् व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्यारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्भित्त में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी के पास लिखित में कियु जा सकेंगे।

स्थव्दीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्तु अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं वर्ष होगा, जो उस अध्याय में विया गढा।

नन्त्रजी

पलैट नं० 111 के० पी० टी० 1, पहला मंजला सं० नं 17-अ, प्लाटनं० 2 हिस्सा नं० 8, शासवड़ी पुणे-13। (क्षेत्र : 1440 स्के० फीट)।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत कम सं० 5273/84-85 जुलाई, 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज पुणे के वफ्तर में लिखा है)।

> अनिल कुमार सतन प्राधिकारी सहायक आयकरआयुका (निरोक्षण) अर्जन रेंज, पूना

तारीख: 17-11-1984

मोहर ः

इस्स् भारं टॉ. एस. एस.----

नायकर मिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के नभीन सूचना

भारत् शरकार

कार्यांसय, सहायक कायकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निदेश सं० 37 ईई०/4229 84-85--- अतः मुझे, अनिल कुमार,

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इस्भें इसके पक्षात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भाग 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विद्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25 000/- रा. से अधिक है

मौर जिसकी संज प्लाट नंज सी 19, घोथा मंजला, एफ० पीज नंज 203, संगमवाड़ी, टीज पीज एस० पुणे सिटी है तथा जो पुणे में स्थित है (ग्रीर इससे उपायद्ध अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से विणित है) रिलस्ट्रीकर्ना अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पुणे में रिजस्ट्रीकरण अधि— नियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अप्रैल, 1984

को पूबे क्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम के क्ष्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुभे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित काजार मून्य, उसके व्यमान प्रतिफल से, एसे क्ष्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और बन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिनित उद्योदय से उक्त बन्तरण बिश्वत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) जन्तरण से हुई किसी जाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के बायित्व में कमी करने वा उत्तसे वचने में सुविधा के सिए; बॉट्र∕वा
- (व) ऐसी किसी बाय या किसी भन या बन्य आस्तियों की जिन्हों भारतीय बाय-कर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम, या भन-कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्यारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, खिपाने से संविधा के लिए;

बतः थव, उक्त विधिषयमं की धारा 269-ग के वन्सरणं को, को, उक्त विधिषयमं की धारा 269-व की उपधारा (1) को वधीन, निस्तिविधित व्यक्तियों, अर्थातु:--- (1) मै॰ हेरमें स एजेंसीज, 917 साचारपड़ें स्ट्रीट -पुणे-1।

(अन्तरक)

(2) चार्लटन किट्टो ग्रीर देबोराह किट्टो केयर आफ हेलाल बिर्ल्डिग 173 माउन्ट रोड मालगांव बम्बई—40010।

(अन्तरिती)

को यह स्वना बारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्षन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी शाक्षेप :---

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन के तारी खंसे 45 दिन की अविभ या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वना की तामील से 30 दिन की वर्षा भ, जो भी अविभ बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्शीकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारिक्ष में 45 दिन के भींतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी की पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्वच्छीकरण ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्दों का, जो उक्त अभिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुस्ची

प्लाट नं० सी-19, चौथा मंजला, हरमेगा कम्पलेक्स को० हा०-सो० एफ० पी० नं० 203, संगमवाड़ी टी० पी० एस० पुणे सिटी।

(क्षेत्र : 949 चौ० फीट)।

(जैसे कि रिजस्ट्रीकृत सिं० 4229/84-85 पुणे जो तारीख अप्रैल 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज पुणे के दफार में लिखा है)।

> अनिल कुमार सक्षम प्रधिकारी सहायक आग्रकर आयुक्त (निरीक्षण) अज़न रेंज, पूर्ण

तारीख ; 24-11-1984

शक्य आहें. टी. एन. एस. ******

भागकह अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धाड़ा 269-भ (1) के अधीन सूचना

प्रार्थ सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर आयुक्त (निरोधण)

अजंन रेंज, पूना

पूना, विनांक 17 नवम्बर 1984

निदेश सं० 37 ईई०/5348/84-85/925--अतः मुझे, अनिल कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उकत अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रु. से अधिक हैं

भौर जिसकी सं० 1140 शुक्रवार पेट दूसरा मंजला पुण-2 है तथा जो पुणे में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबज्ध अनुसूची में भौर पूणे रूप में विणित है), रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पुणे में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1984

को पूर्वीवन सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रहयमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मूक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोंक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके रहरमान प्रतिफल से ऐसे रहयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिभाग से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्निलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में बास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनयम के अधीन कर दोने के अंतरक के बागिएन में कभी करने या उससे बचने में मृतिशा के सिए; बॉर्ट्या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उनके अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ख्वारा प्रकट नहीं किया गया था का किया आना बाहिए था, छिपाने में स्वित्र के लिए:

अतः अब, उक्त अधिजियम की धारा 269-ग को, अन्सरण की, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

(1) मैं ॰ पुष्पक एसोसिएट्स, 298, घोरपड़े पेठ, पुण-2।

(अन्तरक)

(2) श्री विवेक हरी करवीकर, इ'रामचन्त्र स्मृति'' 1223, सदाशिव पेठ, पूर्ण-30 ।

(अन्तरिती)

को यह स्वना वारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के सिए कार्यवाहिया शुरू करता हुं।

चक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी काक्षेप :---

- (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीं वें 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्थान की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त स्यक्तियों में से किसी स्यक्ति बुंबारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास निकास में किए का सकेंगे।

स्पष्टिकरणः --- इसमें प्रयुक्त शब्दों आर पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हौं, वहीं अर्थ होना जो उस अध्याय में दिया मना है।

नग्त्वी

प्लाट दूसरा मंजला, 1140 मुक्तवार पेठ, पुणे -2 । (क्षेत्र : 924 चौ० फीट) कारपेट एरिया। (जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37 ईई०/4348/84-85 पुणे जो जुलाई, 1984 की सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पुणे के दफ्तर में लिखा है)।

> अतित कुमार संज्ञम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूर्य

तारीख : 17-11-1984

प्रकृष् नाइ टी. एन. एस. -----

काथकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) कृते भारा 269-श (1) के अभीन सुमना

भारत सहकार

क्रियेलिय, सहायक आयकार आयुक्त (निरीक्षण)
श्रर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 22 नवम्बर 1984

निदेश सं० सी० ए०--5/37 ईई 2/5195/83-84/926 ---अत: मुझे, मनिल कुमार

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) विसं इकारें इसके दक्कात् 'उत्तर अधिनियम' कहा गया है, की धारा 269-ख को अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है हेफ स्थावर सम्पत्ति, विसका उचित ग्राजार मूल्य 25.000 - रह. से अधिक है

भौर जिसकी सं० सी० एस० नं० 153, म्यूनिसिपल कारपोरेमन घर नं० 54/55, गली नं० 14, कल्याम है तथा जो थाने में स्थित है (और इससे उमानद धनुसूची में और पूर्ण रूप से विणित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर भायुक्त (निरीक्षण), धर्जन रेंज, पुणे में रजिस्ट्रीकरण अधि—नियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख भन्नेल, 1984

का पूर्वो ए सम्पत्ति के उपित वाकार मृल्य से कम के स्वयमान प्रतिफल के लिए बन्तरित की नवं है बरि भूमें वह विश्वास करने का कारण है कि यभापूर्वोकत संपत्ति का उपित वाकार स्वय, उसके स्वयमान प्रतिफल का पदह प्रतिस्वत से अधिक है और बन्तरक (अन्तरकों) और बन्तरिती (अन्तरितिया) के जीय एपं बन्तरक किया बन्तरका तिया का तिस्वत मिन्नलिस उप्तिकत से अधिक क्या से किया वास अस्तिकत क्या से किथान नहीं किया नया है :----

- (क) अन्तरण से हुई किसी जाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने मा उनसे बचने में सुविधा के लिए; और/शा
- (क) श्रेसी किमी बाय वा किमी धन या बन्य बास्तियों दौर, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 ूं 1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-अयोजनार्थ अन्तिरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या किया जाना चाहिए था, स्त्रिणने में सृविधा के निए:

(1) श्री चिन्तामिन प० जोशी, मेषश्याम वाड़ा, पराका कल्यान, थाने ।

(अन्तरक)

(2) मैं० केलकर एण्ड कम्पनी, माधव मं० केलकर, ग्रानन्दी बिल्डिंग, श्रागरा रोड, कल्यान, थाने ।

(ध्रम्सरिती)

को यह स्वना भारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन को निरं कार्यमाहिया करता हु।

उद्देश सर्पाल्त को अर्जन को सबध में कोई भी काक्षेप :--

- (क) इस स्थान के राजपन में प्रकाशन की तारीच चे 45 दिन की अवधि या तत्मम्बन्धी व्यक्तियां दर स्वान की तामील से 30 दिन की अवधि, को भी वर्षी वादि या समाप्त होती हो, के भीतर प्रविच्य व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर रूपित में हिलक्ड्स किसी जन्म व्यक्ति द्वारा सुभाहस्ताक्षरी के पास विश्वित में किए वा सकेने।

रमण्डीकरणः --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्यो का, भी उपक अधिनयम, के अध्याय 20-क में परिभाणिख है, यही अर्थ होगा, भी उत्त अध्याय में विद्या गया है।

व्रत्**स्यो**

सी० एस० नं० 358 म्युनिसपल कारपोरेशन घर नं० 54/55, गली नं० 14, 973 स्के० यार्डस जिसपर इमारन बनी है।

(क्षेत्र 2983 स्के० यार्डस)।

(जैसे कि रिजिस्ट्रीकृत नं० 5195/83-84 जो श्रिप्रैस, [1984 को सहायक श्रायकर श्राप्कृत (निरीक्षण), श्रर्जन रेंज पुणे के बक्सर में लिखा है)।

> श्रनिल कुमार सक्षम प्राधिकारी महायक स्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) सर्जग रैंज, पूना

तारीख : 22-11-1984

मोहर 👍

प्ररूप बाईं.टी.एन.एस. -----

श्रायकर अधिनिज्ञ . 1961 (1961 का 43) की धारा 269-थ (1) के अधीन सूचना

भौरत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

धर्जन रेंज, पूरो

पुणे, दिनांक 21 नवम्बर 1984

बायकार श्रीधिनयम, 1961 (1961 का 43) (विसे इसके प्रध्यात 'उक्स क्षीधिनयक' कहा गया है'), की धारा 269-क के अधीन सक्ष्म प्राधिकारी को यह विक्वाम करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रु. से अधिक हैं

भीर जिसकी सं० भाफिस मं० 201, दूसरा मंजला, निर्माण स्थापार केन्द्र, वाशी, प्लाट नं० 10, सेक्टर—17 है तथा जो नई बम्बई में स्थित है (भीर इससे उपाबद्ध धनुसूची में भौर पूर्ण रूप से विजित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी के कार्यालय, सहायक भायकर प्रायुक्त (निरीक्षण) में धर्जन रेंज, पुणे में रजि—स्ट्रीकरण मधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रधीन, तारीख अप्रैल 1984

को प्रशेवत सपरित को उण्यत बाजार मृत्य से कम के द्रश्यमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुभ्ने यह विषयास करन का कारण है कि यथाप्य कित सम्पत्ति का उचित साबार सृत्य उसके द्रश्यमान प्रतिफल में एमें द्रश्यमान प्रतिफल का पन्तह प्रतिकत से अधिक है और संतरक (सतरका) और अंतरिती (अलिरिनिया) के बीच एमें अन्तरक के लिए नय पाया नय प्रति-फल, निम्नलिखित उद्दोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तिवक कम से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी नाय की धावत, उनक अधिनियम के अधीन कर दन के अन्तरक की बीमल्य में कमी करने ने उससे वचने में सुविधा के लिए; और/मा
- (च) ऐसी किसी गय जा किसी धन या जस्य जास्तियों को, जिन्हु भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उन्तत अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अयोजनार्थ जस्तिरती बनारा प्रकट नजी किया गया था का का किया बाना चाहिए था कियाने जे सुविधा के लिए;

बर्सः वयः, बक्त विधिनियमं को धारा 269-त के अनुसरण वी. भी., उपकं मधिनियमं की धारा 269-य की उपधारा (1) के वधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, नथांत् :--- मै० निर्माण बिल्डर्स,
 40-41, विशाल शार्षिंग सेन्टर,
 सूर म० व०-भार्ग,
 (अन्धेरी-कुर्ला मार्ग,)
 अन्धेरी (पूर्व),
 अम्बई-69।

(धन्तरक)

(2) मै॰ तंत्रर क्रवर्स,
- 104 तारवेय एयर कण्डीमंड मार्किट,
वस्वई-34।

(भ्रग्तरिती)

क्षं वह वृथवा बारी करके पृत्रोंक्ष सम्पत्ति के वर्षन के सिए काववादिया करता हु।

उक्त सम्पत्ति को अर्जन को सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस स्थना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्थना की तामील स 30 दिन की मर्बाध, को धी सर्वाध बाद म समाप्त हाती हो, के भीतर प्रवाकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (त) इस सूचना के राजपण में प्रकाशित की तारील हैं

 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में दितसद्भ किसी अन्य व्यक्ति व्वारा अधाहस्ताक्षरी है

 पास लिक्ति में किए का अकर्ष ।

नम्स्यी

भ्राफिस नं० 201, धूसरा मंजला, निर्माण व्यापार केन्द्र, बाशी प्लाट नं० 10, सेक्टर बी० ग्रो०-17, मई बम्बई-400703।

(क्षेत्र : 1175 स्के० फीट)।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत कम 5000 जो ग्राप्रैल 19°4 की जो सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), ग्रार्जन रेंज, पुणे के वफ्तर में लिखा है)।

श्चनिल कुमार सञ्जय प्राप्तिकारी सहायक ध्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) भर्जन रेंज, पूणे

तारीख: 21-11-1984

मोहर 🛭

मुक्त नाहरं . दी . युन् . युक् ; -----

नायकर अधिनियस, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-म (1) के अधीन स्वना

ब्रारत धरकार

कार्यासय, तद्वायक कायकर वायुक्त (निरीक्षण)

धर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 22 नवम्बर 1984

निदेश सं० सी० ए०-5/ 728/83-84/179--म्रतः भुमे, मनिल कुमार,

भागकर नांभानियम, 1961 (1961 का 43) (किसे ध्रममें इसके परचात् 'उक्त मधिनियम' कहा गया हैं)., की भारा 269-क के बधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रा. से अधिक हैं

भीर जिसकी सं भौजे कारीया दुमाला, सं वं वं 18/112, है तथा जो नगर में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में भीर पूर्ण रूप से विणत है), रिजस्ट्रीकर्ता श्रीधकारी के कार्यालय, दुस्यम निवन्धक, संगमनेर में रिजस्ट्रीकरण श्रीधनियम, 1908 (1908 को 16) के श्रीधीन, श्रील, 1984

का पृश्वीकत संपत्ति के उचित बाबार मृत्य सं कम के क्यमान इतिफल के लिए अन्तरित की गई है बार मृक्त यह विक्वास करने का कारण है कि यथापृश्वीकत सम्पत्ति का उचित बाबार कृष्य, उसक क्यमान प्रतिफल है, एम क्यमान प्रतिफल का वन्त्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अतरितियों) के बीच एस अतरण के लिए तय पाया व्या प्रतिफल, निम्निलिखित उद्देष्य सं उन्त अन्तरण विखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ---

- (का) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त क्रांचानस्य के बचीन कर दोने के बन्तरक की वाजिल्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या बन्ध जान्तियों का, जिन्हों भारतीय आय-कार अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कार अधिनियम, 1957 (1957 का 27) को प्रयाजनाथे अन्तरिती वकारा पकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, खिपाने में सुविधा के लिए:

बतः बसः, सक्त अधिनियमं कौ धारा 269-त के वन्त्ररच को, में कन्त्र अधिनियमं को धारा 269-व की उपभादा (1) के अधीन जिम्मलिखित व्यक्तियों, वर्षात्:— (1) मै० बिलास ४० नवले, कसारा दुमाला, ता० संगमनेर (नगर)।

(मन्तरक)

(2) घेयरमैन करूजी हु० मंजुल, है वि ग्रहमद नगर एण्ड सब-हिस्ट्रिक्ट, सा० संगमनेर, मौजे कासारा, दुमाला।

(भन्तरिती)

की यह भूषना कारी करके पूर्वोक्त कम्पत्ति के क्वीन के क्वि कार्यवाहियां सूक करता हुए।

बच्छ बंपरित के वर्षन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्कंच ---

- (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक के 45 पिन की अमीच मा तरकावन्थी क्यांक्सियों वर् स्थान की तामील से 30 बिन की अमीच, को बी संवीच वाद में समाप्त हाती हो, से भीतर व्यांक्स स्थानत्यों में से किसी स्थानत क्यांक्त.
- (क) इस स्थान के रायपन के जकातन की ' तारनेक' से 45 दिन के भीतर उकत स्थावर तम्पत्ति में दितवपुथ किसी बन्न स्थावत द्वारा सथाइस्ताशादी के शब्द सिवित में किए वा सको ने ।

स्वकाकरण:---हसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उपके अधिनियम, के अध्यास 20-क में परिप्राधिक हैं, वहां अर्थ हागा, जो उस अध्यास में विका क्या है।

अनुस्या

मौजे कसारिया दुमालिया। सं ० नं ० 18/112 संगमनेर (जैसे कि रिजिस्ट्रीकृत विलेख नं ० 37 जी ० / 728/84-85 जो श्रप्रैल, 1984 को दुस्यम निबन्धक, संगमनेर के वफ्तर में लिखा है)।

> भ्रनिल कुमार सक्षम प्राधिकारी महायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) भर्जन र्रेज, पूना

तारीख: 22-11-1984

बोहर है

प्रकृष् बाह् . सी. एवं . एसं . - - = नन-न

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) कीं भार 269-मृ (1) के अधीन सूचना

भारत बरकार

कार्याक्य, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 22 नवस्वर 1984

निर्वेश सं० सी० ए०-5/37 जी०/689/84-85/1187---धतः मुझे, धनिल कुमार

बावकर बिधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसकें इसकें प्रकात 'उकत बिधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-च के बधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विक्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाबार मूक्य 25,000/-रु. से बाधक हैं

भीर जिसकी सं नं 440, देवलाली कन्टोनमेंट क्षेत्र. नासिक है तथा जो नासिक में स्थित है (और इससे उपाबड़ अनुसूचों में भीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दुस्यम निबन्धक, बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अप्रैल, 1984 कां पूर्णांक्त संपत्ति के उचित बाजार मृल्य सं कम के इवयमान अतिफल के निए कन्तरित की गई है बार मूक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्णोंक्त संयत्ति का उपाल बाजार मृत्य, उसके क्रयमान प्रतिफल से, एमें क्रयमान प्रतिफल का प्रमुख प्रतिकृत सं अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और बन्तरित (अन्तरितिया) के बीच एस अन्तरण के लिए तय वाबा नया प्रतिफल, निम्नसिकत उच्चेच्य से उचित अन्तरण कि बिका क्या है भून

- (का) अन्तरण से हुई किसी आब की बाबस, उक्स अधिनियम की अधीन कर योगे की अन्तरक की दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुनिधा के लिए; और/वा
- (च) ऐसी किसी आय या किसी धन या कत्य बास्तियों को, जिन्हें भारतीय जाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, पा धनकर विधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गर्ण था या किया जाना वाहिए था छिपाने में सुविधा के सिए;

अतः सव, उक्त जीधीनवर्ग की धारा 269-ग के समभरण में, में, तक्त विधिनियम की धारा 269-य को उपधार्य (1) के सभीन, गिम्निसिवत व्यक्तियों, सर्वाद्य क्ष्म (1) श्री मनी बरजोर फरोर, इंडन हॉल, डो-2, डा० एनी बॅसेन्ट मार्ग, वर्ली, सम्बई-18।

(धन्तरक)

(2) श्री मेघराज बी० कानल,
 62, जुबलि नफ रेस्टोरेंट,
 कैम्प मार्ग,
 वेबलाली ।

(मन्तरिती)

का वह सूचना चारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के क्वन के विष्टु कामजाहिया करशा हा।

जनस सम्पत्ति के अर्थन् के संस्थन्ध में कोई भी नाक्षेत् :---

- (क) इस स्वना के राजपण में प्रकाशन की तारीच है 45 दिन की नविध या तत्सम्बन्धी स्पित्तवों पर स्वना की तामील से 30 दिन की नविध, को भी जबिध नाइ में समाप्त हाती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से फिसी स्पित्त दवारा;
- (व) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीव है
 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध
 किमी जन्म स्थावित द्वारा अभाहस्ताक्षरी के शक्
 सिखित में किए जा सकेंगे।

स्वाक्षीकरणः --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, यो उपत अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिक्त गया है।

धन सुधी

सं० नं० 440 देवतात्री केन्द्रोत्तर्मेन्ट क्षेत्र, नासिक । (क्षेत्रफल: 4011 स्के० फीट)।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत जिलेल कम नं०37 जी/689/84~ 85 जो प्रप्रैल 1984 को दुय्यम निबन्धक बम्ब**ई के दफ्तर** में निजा है)।

> ग्रनित कुपार सक्षम प्राधि.ारो सहायक आमकर आयुक्त (निरक्षण) अर्जन रेंज, पूना

दिनांक : 22-11-1984

प्रकल बाद् . टा. एन. एस.------

नायकर निधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भाष 269-में (1) के नभीन सूचना

भारत सरकार

कार्यांसय, सहायक आयकर वाय्वत (निरीक्षण) धर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 22 नवम्बर 1984

निर्देश सं० सी० ए०-5/37-ईई/704/84-85/1202--यतः मुझे, अनिल कुमार,

हायकर बाधनियम, 1961 (1961 का 43) (किसे इसमें इसक पश्चात् उक्त काधनियम कहा गया है), की भारा 269-च के बधीन सक्षम प्राधिकारा का, यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 45,000/- उ. स अधिक है

भीर जसकी सं० प्लाट नं० 20 सर्वे नं० 92(प) 93(प) नीलमीर गांव, नालासोपारा तहु बसई हैं तथा जो थाने में स्थित है (घाँर इससे उपाबद्ध प्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्राधिवारी के कार्यालय दुय्यम निवंधक वसई में राजिस्ट्रीकर्ता श्राधिवायम 1908 (1908 का 16) के श्राधान दिनाक श्रीक 1984

को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दृष्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मृझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दृष्यमान प्रतिफल से एसं दृष्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और (अंतरकों) और अंतरिती (बंतरितयों) के बीच उसे, अंतरण के लिए सम पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देष्य से उक्त अंतरण । लेखित में वास्तविक रूप से काथत नहां किया गया है:---

- (क) बन्तरक वं हुई किसी नाय की वावस उक्त निवन निवस के अभीन कर इने के जन्तरक की दावित्व से कभी करने या उससे बचने में सूविधा के लिये; बीर/या
- (व) एसी किसी जाव वा किसी धन जन्म वास्तियाँ को, चिन्हुं भारतीय बायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या जक्त अधिनियम, या धन- कर अधिनियम, या धन- कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती (बारा प्रकट नहीं किया यया जा या किया जाना जातिए था छिपाने में सुविधा के जिए)

बतः वयः, उक्त विधिनियमः, की धारा 269-ग के बनमरणः भें, भें, उक्त विधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) के विधीनः, निम्निसित व्यक्तियाँ, वर्थातः :--- (1) श्री ग्रनंत भारायण कीनी तया ग्रन्य, वसई थाने।

(प्रन्तरक)

(2) पार्क लेंड का० झा० हाऊ सिंग सो• लि० नीलम र नालासी निरा, ससई, भाने ।

(मन्तरिती)

को पह मुखना जारी करके पूर्वीक्त सम्परित के अर्जन के जिल् कार्यवाहियां कारता हूं"।

उक्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कीई भी भाशोप 🛵

- (क) इस मुचना के राजपत्र मों प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविध बाद मों समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति इवारा;
- (च) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच सैं 4.5 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य स्थक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाच लिचित में किस जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो अवदा अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिका ग्या है।

अनुसूची

प्लाट नं० 20 सर्वे० नं० 92 (प) 93 (प) नीलमोर नांघ नालासोपारा, व उर्द, थाने

(क्षेत्र 900 स्क० मी०)

(जैपेकी रजिस्ट्रीकृत विलेख क० 37 जी/704/84-85 जो धर्मेल 84 को दृय्यम निबंधक वसई के दक्तर में लिखा है।

> ग्रनिल मार सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्राय५ र ग्रायुक्त (निक्षरीण) ग्रर्जन ^ўज, पूना

दिनांक : 22-11-1984

मोहर 🖰

प्रकप बाइं. टी. एन. प्र

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भाष 269-घ (1) के अधीन सुचना

ब्रारत तरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना

पून, दिनाक 23 नवम्बर 1984

निर्देश सं० सी ए०-5/37-जी, 84-85/1201--- प्रतः मुझे, श्रनिल कुमार

शायकर आंभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसक पद्मात् 'उनत अभिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ज के अभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/-रापये से अधिक है

मोर जिसकी सं० नं० 22/27 ई वार्ड कोल्हापुर है तथा जो कोल्हापुर में स्थित है (ग्रीर इससे उपावद्ध श्रनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है) रिज ट्री ति श्रिधवारी के कार्यालय दुय्यत निबन्धक को हापुर में रिज ट्री उरग श्रीधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रीरात री अग्रीत, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के खरमान प्रतिफल के लिए अतिरित की गई है और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्यह प्रतिकात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एमें अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिवक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उच्क अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के द्रायित्व में कमी करने या उससे अचने में सृत्रिधा के लिए; और/या
- (स) ऐसे किसी अग्रय या किसी धन या कन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, धा यन-वन के लिए। १९०० (1007 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिकी सापर प्रकट नर्नी किया गया सा सा किया जाना चाहिए सा, छिपाने में सूविधा के लिए।

कतः: अस्य, उक्त अधिनियम, की धारा 269-स की अमूकर्य की, मी, उक्त अधिनियम की धारा 269-स की उपधारा (1) की को अधीन, निम्नलिखित व्यक्तयों, अर्थात् :—— मृहमाव त्र• गेब
 बी । नाथ बिल्डिंग
 94, वी : सात्ररकर मार्ग,
 माहिम बम्बई-16 ।

(ग्रन्तरक)

(2) श्री प्रब्दुल कादर एन० मोंगल 139 टी० जुहुतारा साताऋूस सम्बद्ध-49।

(ग्रन्तिरती)

की बहु सूचना बारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के नर्जन के जिल्ला कार्यवाहियां सुरू करता हुं।

सकत सम्पतित के वर्जन के संबंध में कोई भी वाक्षेप :--

- (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि मा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तिया में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (व) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पित्त में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिकित में किये जा सकरें।

स्वक्षीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया हैं।

मग्त्यी

जमीर जो सी एस नं 22/27 ई वार्ड, को न्हापुर में स्थित है। मीर जिसका क्षेत्र 1102.20 स्के मी है। (जी किरजि: द्रोकृत विलेख कम 1785 जो प्रजैल 1984 को दुय्यन निबन्धक को स्हापुर के दफ्तर में लिखा है)।

म्रनिल कुमार सझन प्राधि हारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (नि**री**ाण) ग्रर्जन रेंज. पूना

तरीय : 23-11-1984

प्ररूप बाह्र . टी. एन. एस.-----

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-ए (1) के नभीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर बाय्क्त (निरीक्षण) छर्जन रेज, पूना

पूना, दिनांक 24 मत्रम्बर 1984

निर्देश सं । ए०-5/37-औ, 84-85/727/1200-- भतः मुसे, अनिल कुमार

नायकर अधिनियस, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पथ्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धाय 269-स ने अधीन सक्षम प्राधिकारी की, यह विश्वाण करने कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित वाजार मूल्य 25,000 /- रा. से अधिक हैं

भौर जिकी संव नंव 104, 104 भ्रा ीव टीव एसवर्गव 24, 25, 26 (स॰ न॰ 137 सथ सी टी॰ एस॰ नं॰ 27) तुंगा ली है तथा जो ता० मावल पुणे में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुचची में श्रीर पूर्ण रूप से विणत है) रजिस्ट्रीकर्ता ष्मधिकारी के कार्यालय दुय्यम निबन्धक बम्बई में राजस्ट्रीकरण मधिनियम 1908 (1908 का 16) के श्रधीन तारीख मप्रव 1984

कां पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृख्य से कम के व्यवसाय प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और प्रमी यह विश्वास करने का कारण है कि यथापुर्वोक्त संपत्ति का अधित बाखार मन्द्र उसके धच्यमान प्रतिफल से एसे इच्यमान प्रतिफल 🗪 पन्यह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अस्तरितियाँ) के बीच ऐसे अन्तरक के लिए तय पादा अवा प्रतिकास, निम्नीलिकित अवदाध्य से उक्त बन्तरण सिविक में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) जन्तरण से शर्द किसी बाय की बाबत, जवत अधि-ियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के श्राधित्य में कमी करने या उससे बचने में सविधा को लिए; ब्रीर/स
- [वि] ऐसी किसी अब वा किसी धन वा अन्य वास्तिवी को, जिन्ही भारतीय आयकर विभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उत्तत अधिनियम, शार धनकार अधिनियम,, 1957 (1957 新 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था किया जाना चाहिए था, कियाने कें सुविभाके सिए;

कत: अब, जक्त अधिनियम की भारा 269-ग की अनसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा २६९-व की उपधारा (1) को क्रधीन, निम्नलियित व्यक्तियों, अर्थात् :---

(1) डा॰ बालचन्द्र नीलकन्ठ पूरंबरे चौ तटं हतस्यटल **यम्बई-4**00007 ।

(धन्तरक)

(2) मैं० को हिनूर बिल्डर्स को हेन्र भवन मेनायति बापट मार्ग बम्ब**ई-4**00027 ।

(भ्रन्तरिती)

को मह स्वाना जारी करके पूर्विक्त सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाद्वियां शुरू करता हुं।

उबत सम्पत्ति को अर्जन को सम्बन्ध में कोई भी आर्थाप :---

- (का) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्समधी व्यक्तियाँ सुषना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी बाविभ बाद मो समाप्त हाली हो, के भीलर पूर्वोक्स व्यक्तियों में से किसी स्थावित द्वारा;
- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस सं 45 दिन के भीतर उक्त सम्पत्ति में हितनद्ध किसी अन्य व्यक्ति वृद्यास अधाहस्ताक्षरी के पा**य** सिवित में किए जा सकरें।

अभिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया। गया है।

अन्स्भी

जायदाद जो सं० नं० 104 ग्रीर 104-ग्र तथा सी॰ टी॰ एस० नं० 24, 25 श्रीर 26 तुंगारली ता० मात्रल पुणे में स्थित है।

जिसकाक्षेत्रफल 12136.64 स्के० मी० है।

(जैसे कि एजि ई कि विलेख नं० 4103 जो प्रप्रैल 1984 को द्वाम निवन्धक बम्बई के सपतर में लिखा है)।

> म्रनिल कुमार सक्षम प्राधिक, री सहायक श्राधकर अध्यक्त (निरीक्षण) श्चर्जन रेज, पूना

तारीख: 24-11-1984

मोह्रर :

प्ररूप बाइ'० टी० एन० एस०---

मामकर मिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म् (1) के अभीन स्थना

भारत बरकाह

कार्याक्रम, सहायक मायकर भागृक्त (निरीक्षण) भाजेन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 22 नत्रम्बर 1984

निरेश सं० सं१० ए०-5/37-अी/84-85/1199--- प्रतः मुत्ती, घनिल कुमार,

कायकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसक पश्चात् जकत अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-क के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का सारण है कि स्थायर सम्पत्ति जिसका उचित गाजार मूच्य 25.000/रु. से अधिक है

मौर जिसकी सं० स० नं० 64 धर सं० 1

पाथरली ता० कल्याण है तथा जो थाने में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूचों में और पूर्ण रूप से विणित हैं) रिजम्द्रं मित्री अधिकारी के कार्यालय दुय्यम निजन्धक कल्याण से रिजम्स्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारी अभी अधीन

को पूर्वोक्त समपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के द्रायमान बातिफल का लए अतारत का गड़ हा आर मूक्ष यह विवयास करने का कारण ही कि यथापबॉक्त संपत्ति का उचित बाजार मूक्य इक्क द्रायमान प्रतिफाल से एमे द्रायमान प्रतिफाल का प्रमाह प्रतिचत से बिधक है और जंतरक (अंतरका) और अंतरिती (अन्तरितियाँ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया इतिफन, निस्नितिचित उद्देष्य से उक्त जन्तरण सिचित ने बास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी जाय की वाबत, उक्त अधि-नियम के अधीन कर दान के बन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; जौर/वा
- (च) ऐसी किसी जाय या किसी धन या अन्य आस्तियों का ाजन्ह भारताय आयकार आधीनग्रम. 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया करा था किया जाना जाहिए था, खिपाने में सुविधा के सिए;

ज्ञतः अतः, उत्कन जिथिनियमं की भारा 260-ए के अनुसरण जो, भी, उक्त अधिनियमं की धारा 269-ध की इपभारा (1) अज्ञासिक, निम्नतिश्वित व्यक्तियों, अभीत् :— (1) श्री पुरुषोतम क० प्राध्यंकर तथा श्रान्य डा-10 दूसरा मंजला इन्द्रा ववन को० श्रापरेटिय हाउसिंग मोताइटी लिमिटेड पद्माबाई ठक्कर रोड माहिम बम्बई-16 ।

(प्रसरक)

(2) श्री वेंकटेश्वर खल्डर्स दिलाप कुंज तिलक नगर विद्यामन्विर डम्बोबली (पश्चिम) थाने ।

(भ्रन्तरिती)

का यह स्चना जारी करके पूर्वीक्त सम्परित के अवन के सिष् कार्यवाहिया करता हूं।

उस्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस स्चना के एजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन की अवधि या तत्सवधी व्यक्तियाँ पर स्वान की कामील से 30 दिन की अवधि, वो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियां में से किसी व्यक्ति बुवारा;
- (ख) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 4.5 कि भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में दितववध किस्में अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखत में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरण :---इस्में प्रयुक्त शब्दों और पदों का, को उपक् अधिनियम, को अध्याय 20-क में परिभावित हैं यहां अर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिवा गुमा हैं।

अन्**स्**ची

जिमीन जो संव नंव 64 घर नंव 1 जीव कीव पायरली बिल्डिंग नंव ई 55 ताव कल्याण थाने में स्थित है भौर जिसका क्षेत 700 स्केव यार्डम है।

(जैसे कि रजिन्द्रीकृत िलेश क्रम 264/84 जो धार्रील 1984 को दुय्यमनिशन्धक सम्बद्दी के दफ्तर में लिखा है)।

> श्रनिल कुमार सक्षम प्राधिकारी महासक आयकर झायुपत (निरीक्षण) अजन रेंज, पुना

तरीख: 22-11-1984

प्रसम बाइ'. टी. एमं. इब्.-----

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ज (1) के अधीन सुचना

भारत संस्कार

कार्यालय, सहायक वायकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 22 नवम्बर 1984

निवेण स० सी० ए०-5/37-जी/852/84-85/1198---यत: मुझे, श्रनिल कुमार

मायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परजात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी की यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं व भरणपुर मार्ग नासिक है तथा जो नासिक में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुमूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है) राजस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय दुय्यम निबन्धक नासिक के कार्यालय नासिक में राजस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन तारीख श्रश्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्मिति के उचित बाजार मृल्य से कम के दृश्यमान प्रितफल के लिए अंतरित की गर्द है और मृत्रे यह विद्वास करने का कारण है कि यथाप्वींदत सम्पित्त का उचित बाजार मृल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिचात अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निविद्यत में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क्क) अन्तरण से हुई किसी जाय की वाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के कायरण में कमी करने या उससे अचने में सुविधा के मिल्ह, आर्/या
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविभा के जिए;

जतः स्था, उक्त जाँधनियम की भारा 269-ग के अनुसरण माँ, माँ. उक्त अधिनियम की भारा 269-व की उपभारा (1) के अधीन. निम्निसिस व्यक्तियाँ, सर्थात क्रिक्त 11—426 ता84 (1) श्रो शिवाजी कोंडाराव पाटिल सया अन्य शरणपुर रोड नासिक ।

(ब्रन्तरक)

(2) चेयरमैन

णिवक्रमल को ग्रा० हाउमिग सोमाइटी

गाऊ शिपा व० शोहा

नासिक ।

(श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी नाक्षेप :---

- (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की सारी से 45 दिन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्थान की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त हांती हों, के भीतर पूर्विकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (का) इस सूचना को राजधन में प्रकाशन को तारोख गें 45 दिन को भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी जन्य व्यक्ति ध्वारा अधोहस्साक्षरी के पास लिखित में किए आ सकोंगे।

स्पष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्वों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हौ, वहीं अर्थ होगा, जो जम अध्याय धें दिया गया है।

अनु सूची

शरणपुर भागं नासिक ।

(क्षेत्रफल: 635 स्कें० मी०)।

(जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख कम 37-जी/852/84-85 जो अप्रैल, 1984 को दुय्यम निबन्धक, नासिक के दफ्तर में लिखा है।)

अनिल कुनमार मक्षम प्राधिकारी महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना

तारीख: 22-11-1984

प्रकप बाड . दरे. एन. एस.-----

भागकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-भ (1) के अधीन सुचना

भारत तरकार

कार्यालयः, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 23 सवस्बर 1984

निर्देश नं० मं:० ए०-5/37-र्ज/84-85/7811197--- अतः मुझे, अनिल कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परभात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम श्रीयकारी को यह विश्वास करने का फारण हैं कि स्थावर संपति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक हैं

भ्रौर जिसका सं गट नं 989/2 (प) नेगांव ता ह्वेला, पुणे है तथा जो पुणे में स्थित है (भ्रौर इसमे उपाबद्ध अनुसूच, में भ्रौर पूर्ण रूप में बणित है), रजिस्ट्राकर्ता अधिकारा के कार्यालय, दुख्यम निबन्धक ह्वेला—1 में रजिस्ट्राकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधान, नार्याख जलाई, 1984

(1908 का 16) के अधान, नारं ख जुलाई, 1984 को पूर्वाका संपादित के जांचन बाजा पूर्व्य स कम के हरमधान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कार्य है कि मधापुर्योक्त नम्पिति का जिल्ल का प्रतिफल का प्रतिफल का प्रतिफल का प्रतिफल का प्रतिकत संस् अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और उन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय प्रामा गया प्रतिफल, निम्नलिखित उन्तरेष सं उक्त अन्तरण लिखित में मास्तविक हम से कथित नहीं किया गया ही

- (क) अन्तरण संहुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर इन के अस्तरक प्र दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/यः
- (श) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त अधिनियम, या अन-कर अधिनियम, या अन-कर अधिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनार्थ अन्तिरिती इवारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, खिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण को, मी, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) को अधीन, निम्निलिस व्यक्तियों. अर्थात् ।—— (1) श्रोमती पुष्पा रध्वंणी पुरी,2, नेहरू मार्ग,पुणे- 1 ।

(अन्तरक)

(2) व्लिंग फार्मण प्रा० लि०,णहं,द भगत सिंह मार्ग,यम्बई-400005।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करकं पूर्वोक्त संपत्ति के अर्थन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति को अर्जन को संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस मुचना के राजपभ में प्रकाशन की नारीख से 45 दिन की अविधि. या सत्सम्बन्धी व्यक्तित्यों पर सृष्या की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त क्यिक्तयों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (श्व) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास निसित में किए आ सकारी।

स्पद्धीकरण: --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमान जो गट मंग 989/2 (प) नेगाँव, तालुका हथेली, पुणे में स्थित है ।

(क्षेत्रफन:

(जैंमे कि रिजिस्ट्रंकित विलेख कम 1692 जो जुलाई,1984 को दुरुयम निचल्छक, हवेलां-1 पुणे के दफ्तर मैं निखा है।)

> अनिल कुमार सक्षम प्राधिकारो सहायक आयकर अधिक्त (निरःक्षण) अर्जन रेंज, पुना

नारीख : 23-11-1984

प्रस्प नाइ'.टी.एन.एन.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन स्चना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 22 नवम्बर 1984

निदेश सं सो० ए०-5/37-जी/84-85/1196--अन: • मुझे, अनिल कुमार

आयंकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रु. से अधिक है

ग्रौर जिसकी सं० प्लाट नं० 8 स० नं० 58, घर नं० 1 (प+), जी वित्र पाथरला, ता० कल्याण है तथा जो थाने में स्थित है (ग्रौर इसमे उपाबद्ध अनुसूचा में ग्रौर पूर्ण रूप में बर्णित है), रिजस्ट्राकर्ता अधिकारा के कार्यालय, दुय्यम निवन्धक, कल्याण में रिजस्ट्राकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधान, तारीख अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूर्भ यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल सं, एसे दश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखितों में शास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण सं हुई किसी आय की बाबत, उक्त बीधीनयम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- ्ष) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-

प्रयोजनार्थं बन्तरिती इवारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए:

अतः अबः, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण कों, मीं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्निलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--- (1) श्रो मोति राम लक्ष्मण पाटिल तथा अन्य, जीव बीव पाथरली, ताव कल्याण, जिला थाने ।

(अन्तरक)

(2) मै० विद्या कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटा लिमिटेड, माडल स्कूल इंगलिश के सामने, जी० बो० पाथरला, ता० कल्याण। थाने।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इक सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख क्ष 45 दिन की जबधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी जबधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त क्योक्तयों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र मं प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम को अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा, खो उस अध्याय में दिया गया

वन्त्यी

प्लाट नं० 8, म० नं० 58, घर सं० 1 (9+), जो जी० बी० पाथरली, ता० कल्याण, थाने में स्थित है) । जिसका क्षेत्रफल 578.60 स्के० फीट है)।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख ऋम 37-जी/642/84-85 जो अप्रैल, 1984 को दुय्यम निवन्धक, कल्याण के दफ्तर में लिखा है) ।

अनिल कुमार सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना

नारीख: 23-11-1984

प्रकृप नार्च. टी. एन. एव. ------

आयंकार अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-भ (1) के अभीन सुचना

भारत सरकार

कार्यांचय, सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्क)
 अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निदेश सं० ए०-5/37-ज /646/84-85/1185---अतः मुझे, अनिल कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परकात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारों की यह विश्वास करने का धारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रा. में अधिक हैं

भौर जिसकी मं० सा० टा० एम० नं० 913-अ, 915 ब 916/1, 916 में 916/10 तथा 9188 पनवेल है तथा जो रायगढ़ में स्थित है (श्रीर इसमे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विणित है) रिजस्ट्राकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दुरयम निबन्धक, पनवेल में रिजस्ट्राकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अध न, तार ख मई, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार स्त्य सं कम के ध्रयमान प्रिपफल के लिए अन्तरित की गई है और मुभ्ने यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके द्रश्यमान प्रतिफल सं, एसे द्रश्यमान प्रिफल का पन्द्रह् प्रिणात सं अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियां) के बीच एसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण निस्तित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

- (ला) अन्तरम वे हुई सिक्षी बाब की शबक उनक अधिनियम के जभीन कर शीने के अन्तरक के शामित्व में कमी करने शामित्व में कमी करने शामित्व में कमी करने शामित्व में सुविधा ने निए; जीए/बा
- (क) एंसी किसी बाय था किसी भग या अन्य अस्तिकों को जिन्हें भारतीय आंय-कर लेभिनियम, 1922 (1922 का 11) वा उक्त विभिन्नम, मा भक्तर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) ने प्रमोजनार्थ अन्युरिती ब्वारा प्रमोज नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, कियाने में सुविभा के लिए;

भतः सब, उक्त अधिनियम की धारा 269-म के अनुसरण में, भैं, उक्त अधिनियय की धारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन, निम्निलिसत व्यक्तियों, अर्थास् :--- (1) सुरेखा विरेन्द्र वॉथिया, पनवेल, ता० पनवेल, रायगढ़।

(अन्तरक)

(2) मैं० राहुल होटल प्रा० लि०, मैंनेजिंग डायरेक्टर, विरेन्द्र कुमार र० बांशीया, पनवेल, रायगढ़।

(अन्तरितो)

का यह सूचना चारी करके पूर्वांक्त संपरित के अर्चन के सिए कार्यवाहियां करता हुं।

उनत सम्परित के नर्पन के सम्बन्ध में कोई भी वासेष्:--

- (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीश से 45 दिन की जबिश या तत्सम्बन्धी व्यक्तिमाँ पर स्थाना की तामील से 30 दिन की अविश्व, थी भी अविश्व बाद में समान्त होती हो, के भीतर पृत्रों कर व्यक्तिकों में से किसी स्थवित इवारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीं सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबबुध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधीहस्ताक्षरी के पात लिखित में निष्णु जा सुकीं में।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्दों का, जो उससे अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषिक है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

संग्रह औ

जायदाद जो सी० टो० एस० तं० 913-अ, 915-ब, 916, 916/1 में 916/10 तथा9188 पनवेल में स्थित है श्रीर जिसका क्षेत्रफल 1819.8 स्के० में (0.5)

(जैसे कि रजिस्ट्राकुत विलेख कम 187 जो मई, 1984 को दुय्यम निबन्धक, पनवेल के दफ्तर में लिखा है)।

> अतिल कुमार सक्षम प्राधकारो सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण) अर्जन रेंज, पूना

तारी**ख** : 22-11-1984

बुक्य बाइ. टी. एन. एस. - - - ---

भारत विभूतियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-भ (1) के अभीन स्थना

भारत सरकार

क्रायांक्षय, तहायक जायकर जायक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 22 नवम्बर 1984

तिदेश मं० मी० ए०-5/785/84-85/1794--यत: मुझे, श्रमिल कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धार 269-स के अधीन सक्षम प्रधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूस्य 25,000/- रा. सं अधिक है

ग्रीर जिसकी सं० मी० एस० नं० 1182/127. ई० वार्ड, है तथा जो कोन्हापुर में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध प्रमुस्वी में ग्रीर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रिधकारी के कार्यालय, दुश्यम निबंधक करवीर में, रजिस्ट्रीकरण ग्रिधिनयम, 1908 (1908 का 16) के ग्रिधीन, तारीख एप्रिल, 1984

को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मृज्य संकम के दश्मजान प्रतिफल के लिए उन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्मत्ति का उचित आचार गृज्य, उसके दश्यमान प्रतिफल सं, एसं दश्यमान प्रतिफल के पेइह प्रतिचल ने अधिक है और अन्तरण के लिए तय पाया गवा प्रतिफल निम्नलिखित उद्वेश्य से उक्त अन्तरण सिचित में बादाविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) वस्तरण से हुई किसी आय की बाबत, डक्स विभिन्नियम के अभीन कर दोने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में प्रविभा के लिए; और/या
- (क) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तिरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना नहिए था, छिपाने में सुविधा के निए;

बत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :— डा० उमिला र० यादव,
 155/ग्र० पांजर पोल रोड,
 कोल्हापुर।

(अन्तरक)

 मैं० श्रमिया को-ग्रा० हाउसिंग सो०, चीफ प्रोमोटर, प० स० कुलकर्णी, 809/इ०, शाहुपुरी, कोल्हापुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पृत्ति के अर्थन के जिए कार्यवाहियां करता हो।

उक्त सम्मत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कांद्र भी आक्षेप :----

- (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकशन की तारीस से 45 दिन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों इर स्वन की तामील से 30 दिन की अविध, आं भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पृशेक्ति व्यक्तियाः में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीं से 45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकारे

स्पब्धीकरण: --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्यो का, को उक्स अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, बही कर्य होगा को उस अध्याय में विचा गया है।

नगत्त्री

जायदाद जो मी० एस० नं० 1182/127 **ई० वार्ड** कोल्हापुर में स्थित है श्रौर जिसका क्षेत्रफल 760.3 स्क० मी०हैं।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख ऋ० 1851/1984 जो अप्रैल, 84 को दुय्यम निबंधक, करवीर के दफ्तर में लिखा है)।

> श्रनिल कुमार सक्षम प्राधिकारी सहायक स्रायकर स्रायुक्त (निरीक्षण) भ्रजन रेंज, पूना

तारी**ख** : 22—11—1984

प्ररूप. भार्ष. टी. एन. एस. -----

आयकर अभिनियम्, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-थ (1) के अभीन स्वना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक अायकर आयुक्त (निरीक्षण)

श्चर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 24 🚁 म्बर 1984

निर्देश सं० सी० ए०-5/37-जी०/84-85/1193--यतः मुझे, प्रनिल कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पहचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-क् के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उधित बाजार मूल्य 25,000/-रा. से अधिक है

श्रौर जिसकी सं० मी० टी० एस० नं० 661, नया घर नं० 28 म्यूनिसिपल गली नं० 2 क्षेत्र 183.9 स्क० मी० प्राउंड ने तीन मंजिला, राम मारुनि चीक, कल्यान, है तथा जो कल्यान में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुमूची में श्रीर पूर्ण रूप से विणत है), रजिरद्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय दुस्यम निबंधक, कल्याण में, रजिस्द्रीकरण श्रधिनयम 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, नारीख श्रप्रैल, 1984 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इस्यमान प्रतिज्ञ के लिए अंतरित की गई है और मुभे यह विकास करने का कारण है कि सथापुर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके इस्यमान प्रतिज्ञ के लिए अंतरित की गई है और मुभे यह विकास करने का कारण है कि सथापुर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके इस्यमान प्रतिज्ञ के लिए अंतरित की गई है और मुभे यह विकास करने का कारण है कि सथापुर्वोक्त संम्यत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके इस्यमान प्रतिज्ञ के बाच एसे अन्तर्क (अन्तर्कों) और अन्तरिती (अन्तरित्तयों) के बाच एसे अन्तर्क (अन्तर्कों) और अन्तरिती (अन्तरित्तयों) के बाच एसे अन्तर्क एक्त अन्तर्क लिए तम्प्रीलिक उच्चक्य स उचित अन्तर्क लिखित की वास्तिक क्षेत्र कर्य कर्तिक क्ष्य सिक्त करते कर्तिक क्ष्य से क्षित नहीं किया गया है :—

- (क) बन्तरण से हुई किसी आय की आशत, उक्त अभिनियम के अभीन कर दोने के अन्तरक के दाश्यत्य मा कभी करने वा उसस् बचने मी सुविधा के विष्ट, और या
- (क) ऐसी किसी अाय था किसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्ही भारतीय जायकार अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकार नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

जतः अरु. उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण भो, मी उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीग, निम्मितिस्ति व्यक्तियों, अर्थात् :--- श्री अब्दुल लतीफ अहमद खान, राम माहति चौक, कल्यान-421301।

(भ्रन्तरक)

श्रीमती खुर्शीद बेगम,
 ज० म० ग्र० सैयद,
 तथा ग्रन्य,
 40/6, गवंडी मोहल्ला,
 मच्छी वाजार,
 कल्याण।

(श्रन्तरिती)

को यह मूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से कर्म की अविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वेक्स व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सुचन क राजपंत्र मा अकाशन की तारील ही 45 दिन के भीतर उनत स्थावर सम्पत्ति मो हिल-नद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अर्थाहस्ताक्षरी के पास निम्बत मा किए जा सर्वोगे।

स्मण्डोकः रण: --- इसमी प्रश्वत सब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हुँ-, वहीं अर्थ द्वीगा जो उस अध्याय में दिया मुसा हुँ।

वन्स्भी

सी० टी० एस० नं० 661, पुराना घर नं० 19-ग्र०, नया नं० 28 स्यूनिसिपल गली नं० 2, क्षेत्र 183.9 मि० मैदान + 3 मिजले, राम मारुति चौक, कल्याण।

क्षेत्र : 2.

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत यिलेख कर 330/84 जो भ्रप्नैल, 1984 को दुरयम निबंधक, कल्याण के दफ्तर में लिखा है)।

> ग्रनिल कुमार सक्षम प्राधिकारी

महायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

श्वर्जन रेंज, पूना

तारीख: 24-11-1984

मांहर 🔞

प्ररूप. बाइं. टी. एन. एस. ----

बायकर बधिनियम., 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण)

म्रर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 22 नवम्बर 1984

निर्देश सं० सी० ए० 5/37—जी/84—85/1002—यतः मुझे, ग्रनिल कुमार,

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी की यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका जिन्त नाकार प्रत्य 25,000/-रु. से अधिक है

श्रौर जिसकी सं० नं० 59 व 60 है, तथा जो ग्रहमद नगर में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध ग्रन्स्ची में ग्रौर पूर्ण रूप से विणत है), रिजस्ट्रीवर्ता श्रधिकारी के कार्यालय. दुय्यम निबंधक, ग्रहमद नगर में, रिजस्ट्रीकरण ग्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख ग्रप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूफ्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके इश्यमान प्रतिफल से, एसे इश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिश्वत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरण के लिए तय एया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में बास्तिक रूप से किथत नहीं किया गया है:—

- (क) बंतरण से हुइ किसी आप की बाबत, उक्त बिधिनियम के बधीन कार दोरे के अध्यक के दापित्व में कभी कारने या उसमें कार्य में मुंबिक के लिए; बौर/मा.
- (क) ऐसी किसी बाय या किसी धन एए बन्य अस्तियों स्को, जिन्हों भारतीय आय-कर विधानियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 2' के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट कही किया गया था या किया जाना चाहिए था, हिरानों प्रविका के निए;

जतः जन, उक्त अधिनियम की धारा 269-य के अनुसरण में, में, अक्त अधिनियम की धारा 269-य की उपपास (१) जे अभीन, निम्नलिक्ति अभिकायों, अर्थाक — श्री सैयद अन्नबर, सैयद अन्नास तथा अन्य, हाजी डब्राहीम विल्डिंग, स्टेशन मार्ग, अहमदनगर।

(ग्रन्तरक)

श्री गेख निजाम श्रहमद जागीरदार,
 श्रहमदनगर,
 एस० टी० स्टाफ वर्कर्स
 सहकारी गृह निर्माण संस्था,
 श्रहमदनगर।

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वेक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के मंबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में स्माप्त होती हो, के मिल्य पूर्वेक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पार्व लिखित में किए जा सकोंगे।

स्वष्टोकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का, जो उकत विधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जो सं० नं० 59 व 60 ग्रहमदनगर में स्थित है ग्रीर जिसका क्षेत्र 10 हेक्टर है।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख क्र॰ 1344 जो अप्रैल, 1984 को दुय्यम निबंधक ग्रहमदनगर के दक्तर में लिखा है।)

> ग्रनिल कुमार सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, पूना

तारीख: 22-11-1984

प्रकल. आई. टी. यन. एस. ----

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-थ (1) के अभीन स्थना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) प्रजीन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 22 नवम्बर 1984

निर्देश सं० सी० ए० 5/37-जी/706/84-85/1197 यतः मुझे, ग्रानिल कुमार,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की आरा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रा. से अधिक हैं

ग्रीर जिसकी म० नं० 7, तडवागले हैं तथा जो तडवागले में स्थित हैं (ग्रीर इससे उपाधद ग्रनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से विणित हैं), रिजस्ट्रीकर्ता ग्रिधकारी के कार्यालय, ग्रलीबाग में रिजस्ट्रीकरण ग्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख अप्रैल, 1984

को पूर्वेक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृस्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए बन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त तंपत्ति का उचित बाजार मृस्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल की एन्स्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अंत-रिती (अंतरितियाँ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तम पाया गया प्रतिफल, निम्नलिकित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तिक कप से किथत नहीं किया गया है :---

- (क) जन्तरण से हुइ किसी जान की बाबत, उक्त बिधिनियम के अधीन कर दोने के बन्तरक के बायित्व में कमी करने या उससे बचने में मुविधा के लिए: बीद/वा
- (क) एसी किसी आय या किसी धन या बन्य आस्तियां कारे, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, टा धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में मृतिथा के लिए;

बत: बब, अक्त बीधिनेयम, की धारा 269-ग के बनस्थ्य में, में, उक्त बीधिनियम की धारा 269-म की प्रधारा (१६ बे बधीन, निम्निविक्त व्यक्तियों, बधीन क्ला श्री कमल रामजी पाटिल, तडवागले, (काठेवाडी), ता० श्रातीवाग, रायगढ़।

(भ्रन्तरक)

2. श्री सुन्दर दास हीला राम बजाज, जल्हास नगर, थाने।

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के सिए कार्यवाह्यां शुरू क्षरता हूं।

उक्त तम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या ततस्म्बन्धी अ्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त स्थानितयों में से किसी व्यक्ति बुबारा;
- (ण) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित- बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पात सिचित में किए वा सके थे।

स्थव्यक्तिरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पक्षों का, जो उक्छ अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित ही, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

गम प्राप्त

जमीन जो मं० नं० 7, तडबागले, श्रलीबाग, जि० रायगर में स्थित है।

क्षेत्र—

(जैसे कि रिजस्ट्रीकृत विलेख क० 37-जी०/706/ 84-85 जो अपैल, 1984 को दुय्यम निबंधक, ग्रलीबाग के दफ्तर में लिखा है)।

> ग्रनिल कुमार मक्षम प्राधिकारी महायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, पूना

तारीख: 22-11-1984

प्रस्य बाह् दी एव । एत 🛒 👓 👓

भायकर मिथिनयम, 1961 (1961 का 43) की भाषा 269-म (1) के मधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आय्क्त (निरक्षिण) बर्जन रेंज, पूना

पूना, विनांक 22 नयम्बर 1984

निर्देश सं० सी० ए०-5/37-जी०/703/84-85/1790-यतः मुझे, म्रनिल कुमार,

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उकत अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-- व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विष्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रह. से अधिक है

ग्रीर जिसकी सं० प्लाट नं० 47, नवघर, वसई में है तथा जो वसई में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध ग्रनुस्वी में भ्रीर पूर्ण रूप से बणित है), रिजस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, दुग्यम निबंधक, वसई में, रिजस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख ग्रप्रेल, 1984 को पूर्वाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ब्रयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूम्में यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्मत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिकात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण ते हुई किसी आय की बाबत, उक्त अभिनियम के अभीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे अचने में सूविधा के लिए; और/या
- (क) ऐसी किसी बाय या किसी धन या यन्य आस्तियों का जिन्हें भारतीय नायकार अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उन्तर अधिनियम, या धन-कर निर्मियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए।

 श्री निर्मेल प्रमीरचंद चांडक, प्राप्त बी०—II, 85/2, रेलवे क्वार्टेसं, कुर्ला (पूरव), व्यक्तप्रदे400 024।

(मन्तरक)

जी कृष्णा बिल्डसें,
 प्लाट नं० 52.
 नवचर
 कृष्णाकुणः
 वसई।

(भन्तरिती)

को बहु स्थना आरी करके पूर्वोक्त सम्मत्ति के अर्थन के जिए कार्यवाहियां करता हो।

उनत सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई बाक्षेप :---

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 विन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबक्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकरी।

स्यव्दिकरण: ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उस्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

नन्स्यी

ण्लाट नं० 47 नवघर वसई।
(क्षेत्रफल: 339 स्क० मी०)
(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख क० 37-जी०/703
84-85 जो धप्रैल 84 को दुय्यम निबंधक वसई के दफ्तर
में लिखा है।

द्यनिल कुमार सक्षम प्राधिकारी सहायक द्यायकर द्यायुक्त (निरीक्षण) द्यर्जन रेंज पूना

तारीख: 22-11-1984

प्ररूप बाहै, टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269- श (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (जिरीक्षण) अर्जन रेंज नागपुर नागपुर दिनोक 26 नवस्वर 1984

निर्देश सं० भाय० भ्रो० सी०/भ्रवन्ति/52/20/84-85---यतः मुझे, एम० सी० जोशी,

भावकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रा से अधिक है

मौर जिसकी सं० है, जो खा० नं० 111, 112/2 घौर 110/3 मौजा दामा जि० नागपुर में स्थित है (भौर इसके उपाबद्ध धनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रिजस्ट्रीकर्ता ध्रधिकारी के कार्याक्षय, नागपुर (डाकुमेंट सं० 2398) में रिजस्ट्रीकरण ध्रधिनयम, 1908, (1908 का 16) के ध्रधीन, तारीख 23~4~1984

करें पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुफे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकार) और अंतरिती (अन्तरितियार) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्वेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के वायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ल) एने किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपान में स्विधा के लिए;

अतः अव, उक्त अधिनियम की धारा 269-म के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधितु ;—— े 1. श्री तुकाराम श्रावणपंप भाई, मौजा वामा, तह० जिला नागपुर।

(भ्रन्तरक)

 श्री पंजाबराव कृष्णा विद्यापीठ, कर्मेचारी सहकारी गृह निर्माण संस्था तर्फें० श्री देवाजी बाजीराम पाटिल, शंकर नगर, नागपुर।

(भ्रन्तरितो)

का यह सूचना जारी करके पूर्वेक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के वर्षन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति देवार;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारील के 45 बिन के भीतर उक्त स्थावह सम्मत्ति में हिस्क बहुभ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अभोहस्ताकारी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्यष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो जक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, कही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

ननुसूची

5.00 एकड खेत जमीन जिसका खा०नं० 111, 112/2 और 110/3 है और जो मौजा दामा, तह० जि० नागपुर में स्थित है।

एम० सी० जोगी, सक्षम ग्रंधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रजैन रेंज, नागपुर

तारीख: 26-11-1984

प्रकृष वाह^र्टी ्एन् <u>एवं उ</u>न्त्रन्तनसम्बद्ध

भावकड वृष्टित्यम् । 1961 (1961 का 43) की पारा 269-प (1) भी वृष्टि सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक बायकर बायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, घिनांक 14 नयम्बर 1984 निर्देश सं० सी० ग्रार० 62/43936/84-85--यतः

मुझे, झार० भारद्वाजं,

बायकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इस्में इसके पश्चास् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है, की भारा 269-अ के अधीन सक्षम श्रीधकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25.000/- रह. से बिधिक है

श्रीर जिसकी सं० 36 है, तथा जो श्रासिटन टाउन, बेंगलूर में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विणित है), रिजस्ट्रीकर्ता श्रिश्वकारी के कार्यालय, शिवाजी नगर में रिजस्ट्रीकरण श्रिश्वनियम, 1908 (1908 का 16) के शशीन, तारीख 5-4-1984

का पूर्वा निर्म संपरित के उणित बाबार मुख्य से कम के ध्ययमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्मरित का उणित बाजार मूक्य उसके ध्यमान प्रतिफल से, एसे ध्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिकात से अधिक है और अंतरक (अंतरका) और अंतरिती (अंतरितियाँ) के बीच एसे अंतरण के लिए तम पामा गया प्रति-फल निम्मिलिकित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तियक रूप से कथित नहीं किया गया हैं:——

- (क) अभ्वारण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे अवने में सुविधा के सिए; बीए/बा
- (क) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तिरितौ ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, डिप्पाने में सुविभा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण भो, भौ, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्निलिखित व्यक्तियों अर्थाल् :-- श्री वी० एल० बासटिन, नं० 36; ए० श्रीर बी० ब्लाक, श्रासटिन टाउन, बेंगलूर।

(अन्तरक)

2. श्री एम० सी० राम, सीन ग्लाडवैन, बेने लेसलै, जार्ज क्लारेंस श्रीर गावियल सिन्क्लेयर, 49, चार्च स्ट्रीट,

(भन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के निष्

एक्स सम्परित के वर्षन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप :---

- (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन की अविधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वान को तामील से 30 दिन की व्यक्तियों पर अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में वे किसी व्यक्ति बुदारा;
- (वां) इस स्थाना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन को भीतर उक्त स्थावर संपर्तित में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पद्धिकरण: — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हु⁴, बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया हु⁴।

अन्स्ची

(दस्तावेज सं० 263/84, ता० 5-4-84) सम्पत्ति है जिसकी सं० 36 (भाग), ए० और बी० ज्लाक, ग्रासटिन टाउन, बेंगलूर-47, में स्थित है।

> आर० भारद्वाज सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) भ्रजेन रेंज, बेंगलुर

तारीखा: 14-11-1984

मोहर 🗧

प्रस्य भाष्ट्रं, टी. एन . एस . ------

मायकर मिनियम, 1961 (1961 का 43) की 269-म(1) के मंभीन स्थान

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकार मायुक्त (निर्दाक्षण)

द्यर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 14 नवम्बर 1984

निर्वेश सं० सि० **भार०** 62/43162/84-85—यतः

मुझे, ग्रार० भारद्वाज,

लायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 क के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विस्तास करने का कारण है कि स्थावर सम्मित्त, जिसका उचित बाजार मुख्य 25,000/- रह. से अधिक है

गौर जिसकी सं० 437 है, सथा जो II कास, 9 मैन एच० ए० एस० II स्टेंज, इंदिरानगर, बेंगलूर में स्थित है (ग्रीर इससे उपावद्ध धनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से विशत है), राजस्ट्रीकर्ता मधिकारी के कार्यालय, शिवाजी नगर में राजस्ट्रीकरण प्राधिनयम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधी तारीख 23-4-1984

को प्वोंक्स सम्परित के उचित बाजार मृत्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और भूमें यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोंक्त सम्पत्ति का उचित बाजार भूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और जंतरक (अंतरकों) जौर जंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे जंतरण के सिए तय पाया गया प्रति-फल निम्नलिखित उद्वेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिवक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) जन्तरण से हुए जिसी जाय की वावत, उक्त जिसीनयम के जभीन कर दोने के अन्तरक के दायित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के सिए; और/या
- (क) एसी किसी बाय या किसी धन या बन्य शास्त्यों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोधनार्थ अन्तरिती ब्वास प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना वाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

जतः जब उक्तं विधिनियम की भारा 269-ग के जनसरण में, मैं उक्त अधिनियम की भारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातु:—— 1. श्री एस० एल० नागराज,

नं 437,

II ऋास 9 मैन.

II स्टेंज,

एष० ए० एल०

इंदिरानगर,

बेंगलूर-38।

(प्रम्तरक)

2. बि॰ भ्रार॰ रामचन्द्रा राव,

श्रीर मैसर्स के० श्रम्ता,

नं० 150,

II फ्लोर,

4 क्लास,

सोमेग्वारापुरम,

भनासूर,

बेंगलू र ।

(ग्रतरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्परित के मर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के वर्षन के सम्बन्ध में कोई वाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपण में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्मित्त में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताकारी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पव्यक्तिरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनयम के अध्याय 20-क में पी।भाषित ह⁴, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया हैं.।

मन्स्ची

(दस्तावेज सं० 193/84, ता० 23-4-84) सम्पत्ति है जिसकी सं० 437, जो II क्रास, 9 मैन, एच० ए० एन० II स्टेज, इंदिरानगर, बेंगलूर, में स्थित है।

> आर० भारद्वाज सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जून रेंज, बेंगलूर

तारीख: 14-11-1984

प्रस्य बाहे, डी. एन. एस. ---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन स्थना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक शावक ह आधुक्त (निरीक्षण)

अजंन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 14 नवम्बर 1984

निवेश सं० सि० आर० 62/43169/84-85---यतः मुझे, आर० भारताज,

शायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उनेत अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-ख के अधीन राजन प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मुख्य 25,000/- रा. से अधिक हैं

भीर जिसकी सं० 457 है, तथा जो बिन्ना मंगला लेखाउट बेंगलूर में स्थित है (भीर इससे उपाबद अनुसूची में भीर पूर्ण रूप से वर्णित है) रिजस्त्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय शिवाजी नगर में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 16-4-1984

को प्यांक्त संपरित के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रितिफल के लिए रिजस्ट्रीकर्ता के कार्यालय शिवाजीनगर में धारा 269-ए बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के सम्मूख के पासे रिजस्ट्रीकृत किया गया है अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्योक्स संपक्ति का उचित बाजार मूल्य, असके ध्रयमान प्रतिफल से ऐसे ध्रयमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती रिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरक के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखत उद्वर्षय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिवक रूप से कथित नहीं किया गया है :——

- (क) अन्तरक से हुई किसी आय की बाबट, उथल अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (म) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था कियाने में समिधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में में, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधीत् :--- लेफ्टिनेन्ट कर्नल एस० एस० उडुपा
 481, III फ्रांस
 IX मेन
 एच० ए० एल
 II स्टेज
 इंदिरानगर
 बेंगलूर।

(अन्तरक)

कमांडर एम० आर० ए० राव (रिटायर्ड)
 मेससं इन्दु ए० राव
 410
 शिशिकरन अपार्टमेन्ट
 न० 9
 18 आस
 मल्लेश्वारम
 बेंगलूर।

(अन्तरिती)

कां बहु बुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप ः----

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीं से 45 दिन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पूर स्वना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वे किए व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपण में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्परित में हितबव्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकरेंगे।

स्पच्छीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, भी उन्हें अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, बही कर्ध होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

इपस्प

(दस्तावेज सं० 130/84 ता० 16-4-84) सम्पत्ति है जिसका सं० 457 जो बिन्नामंगला लेआउट (आर्राम) फ्रेस ^{II} मैसूर सब-एरिया आफिसर्स हाउसिंग कालोमी बेंगलूर (डिफेंस कालोनी) एच० ए० एल०-II स्टेंज इंदिरानगर बेंगलूर में स्थित है।

> आर० भारद्वाज सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अजंन रेंज, बेंगसूर

तारीख: 14--11--1984

मोहर ः

प्रकार नार्रः । दौः पुत्र । पुत्र व्यवस्थान

नामकर गणिनियम, 1961 (1961 मा 43) मूर्त नाम 269-म (1) में नगीन कुमता

कार्यालय, सहायक जायकर जायकत (निरक्षिण) अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 14 नवम्बर 1984

निदेश सं० 62/43107/84~85—यतः मृत्ते, आर० नारकाज,

नायकर निधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ज के नधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्मत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रा. से अधिक है

प्रीर जिसकी सं० 1331 है, तथा जो विमानंगला II स्टेज एसटेंशन, इंदिरानगर, बेंगलूर में स्थित (ग्रीर इससे उपाधन अनुसूची में भीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्सा अधि-कारी के कार्यालय, शिवाजीनगर में रजिस्ड्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 6-4-1984 को पूर्वोक्त सम्परित के उचित बाजार मृत्य से कम के दूरमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मृक्षे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पर्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दूरमान प्रतिफल से, एसे दूरमान प्रतिफल का पन्त्य, उसके दूरमान प्रतिफल से, एसे दूरमान प्रतिफल का पन्त्य, उसके दूरमान प्रतिफल से, एसे दूरमान प्रतिफल का पन्त्य प्रतिक्त से अधिक है और अन्तरिक (अंतरकार्ग) और अन्तरिती (अंतरितयाँ) के बीच एक अन्तर्म के किए तम पामा गया प्रतिक्त का विश्वास का सिक्त से अधिक का स्वास्त्र का स्वास

- (क) अम्बरण ने हुई हैं की बाद की वावत करूत शीप-नियम के संशीप कर दोने के अन्तरक के द्वियरण में कभी करूने वा ववसे वचने में स्विधा के बिए। बीए/मा
- (थ) श्रेशी किसी नान या किसी भन या अन्य नास्तियों की, जिन्हों भारतीय वायकर निभिन्यमं, 1922 (1922 का 11) या उक्त निभिन्यम् या अन-कर निभिन्यम् या अन-कर निभिन्यम् या अन-कर निभिन्यम्, 1957 (1957 का 27) वे अविभाग निभाग निस्तियम्, वन्दरिसी ब्नारा प्रकट नहीं किया नवा भाषा मिया जाना नाहिए था, खिपाने में सुनिभा के निए;

अतः जब, उक्त विधिनियम की धारा 269-ग के अमुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियमें, व्यक्तिहरू श्री सी० बी० शंकरानारायण, न्यू० नं० 6 (455), श्रद्धानंदा भवन, त्रास रोड, विश्वेश्वारापुरम, बेंगलूर-4।

(भन्तरक)

श्री आलर्बंट डिसोजा,
 मेसर्स एलीन एम० आर० डिसीजा,
 राधिका, 3/8,
 आर्टिलरी रोड,
 अलसूर,
 बेंगलूर-38।

(अन्तरिती)

भा बहु बुधना चारी करके पृत्रां कत सम्बद्धि के अर्थन के बिहु कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के वर्षन के सम्बन्ध में कोई' भी बाधीय ---

- (क) इस सूचना के राज्यत्र में प्रकाशन की तारीक से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की जनधि, को भी अवधि नाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति इवाडा;
- (ण) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीय चैं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में दित-ब्द्ध किसी बन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी चैं पाम सिवित में हेका जा सकते।

स्थानकरण:---इसमें प्रमुक्त शन्दों और पूर्व का, वा स्थान जिभिनियम के अध्याय 20-क में परिभाविष है, वृही अर्थ होगा को उस अध्याय में विका नृवा है।

वन्स्यी

(दस्तावेज सं० 34/84-85 ता० 6-4-84) सम्पत्ति है जिसका नं० 1331 (भाग), जो ्विश्वासंगला 11 स्टेज एक्सटेंशन, इंदिरानगर, बेंगनूर में स्थित है

> ग्रार० **भारद्वाज** सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, **बेंगलूर**

तारीख: 14-11-1984

प्रकार बार्ड ्टी ्एभ् े एस हु । 🕶 🥫

भावकर जीपीनयम., 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अभीन स्वना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर नायुक्त (निर्दाक्तिक)

अर्जन रेंज, बेंगलूर

बंगलूर, विनांक 14 नवम्बर 1984

निदेश सं 62/43161/84-85---यतः मुझे, आर० भारकाज,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-इ के अधीन सक्षम प्रीधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाबार मूस्य 25,000/- फ. से अधिक हैं

श्रीर जिसकी सं० 21 (1ए०) है, तथा जो VI स्ट्रीट, जे० एम० रोड, क्रांस (श्रो० पी० एच० रोड) बेंगलूर में स्थित है (श्रीर इससे उपायद अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विणित है), रिजस्ट्रीकर्सा अधिकारी के कार्यालय, शिवाजी नगर में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, सारीख 21-4-1984

को पूर्वीकृत सम्परित के जिन्त बांबार मृत्य से कम के व्ययमान प्रतिफल के लिए रिजस्ट्रीकर्ता के कार्यालय शिवाजीनगर में धारा 269 ए. बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के सम्मूख/के पास रिजस्ट्रीकृत किया गया है मूक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्परित का उचित बाजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिकात से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखत उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:——

- (क) वन्तरण पंशुद्ध किसी बाव की बावाय उक्त व्याप-नियम के अभीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे अवने में सुविधा के लिए; बौद्ध/या
- (च) एसी किसी भाग या किसी धन या जन्म आस्तियों को, जिन्हों भारतीय नायकार अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उन्त अधिनियम, या जन- अधिनियम, या जन- अधिनियम, या जन- अधिनियम, या जन- अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अधीजनार्थ अन्तरिती वृग्धा प्रकट नहीं किया गया या ता किया जाता का लाहिए जा, छिपाने में सुविधा से सिए;

सतः वयः त्रभ्य विधिनवन की धारा 269-म की वन्तरम मैं, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपभारा (1) में वधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः --- श्री जी० एम० जमीर अहमद, ग्रीर मेसस हीरा बेगम, नं० 36, मिल्लरस रोड, बेंगलूर-46।

(अन्तरक)

2. मैं व बेंगलूर कनटोनमेन्ट मस्जिब,
 उस-नूर-जनाब,
 पि० एज० मोहम्मव,
 शौर 10 कुछ लोग,
 कमेटी, नं० 21,
 'एस० नं०, IV स्ट्रीट,
 जुम्मा मस्जिब,
 रोड कास,
 (ग्रो० पी० एव० रोड), बेंगलूर-51।
 (अन्तरिती)

को यह सुचना कारी कारके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्षण के बिध् कार्यवाहियां करता हूं।

'सक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप:----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारील से 45 विन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचनः की तामीस से 30 दिन की अविध, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, को भीतर प्रविच्य व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्वारा;
 - (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारील सें 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बब्ध किसी अन्य स्थाबत युवाय, अभोहस्ताक्षरी के वास् सिवित में किए वा सकारी।

स्पब्दिकरणः — इसमें प्रयुक्त कन्दों अहैर पर्वों का, जो उक्त अधिनियम के सभ्याय 20-क में यथा परिभाविश हैं, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विधा नवा हैं।

वनस्य 📽

(दस्तावेज सं० 210/84, सा० 21-4-84) सम्पत्ति है जिसका सं० 21 (पुराना नं० 1-ए०, 'एल०' नं० 6 स्ट्रीट, दर्मावाजा टेम्पल, स्ट्रीट क्रांस, एस० वेल० एस० इन 'एल०' नं० 4 स्ट्रीट, जुम्मा मस्जिब, रोड क्रांस, (ग्रो० पी० एच० रोड), बेंगलूर में स्थित है।

> आर० भारद्वाज सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, बेंगलुर

तारीच: 14-11-1984

मोहर 🕄

प्रकल माही, ट., एन, एस., - - ---

मायकद्व मिनियस, 1961 (1961 का 43) की भारत 269-म (1) के मधीन स्माना

भारत सडकार

कार्यालय, सहायक भायकर आधृक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज बेंगलूर

बेंगलूर, विनांक 14 नवम्बर 1984

निवेश सं० 62/43174/84-85-यतः मुझे, आर० मारद्वाज,

णायकर मिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसमें परकात् 'उन्त मिनियम' कहा गया है), की भारा 269-च के मधीन सक्षम प्राधिकारी की, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर तम्पत्ति, जिलका स्थित गाजार मून्य 25,000/- रा. में अधिक है

श्रीर जिसकी सं० 197 है, तथा जो 1 ब्लाक, III मैन रोड, जयानगर, बेंगलूर में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विणत है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जया नगर में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जया नगर में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकार 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26–4–1984 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित्त बाजार मून्य से कम के स्थमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय जयानगर में धारा 269 ए. बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के सम्मूख/के पास रजिस्ट्रीकृत किया गया है मूक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्निलिसित उद्वश्य से उक्त अंतरण लिखित रूप में बास्तिबक रूप से किथत नहीं किया गया है:—

- (क) जन्तरण ते हुई किसी जात्र की बाबत उक्त अधि-नियम के अधीन कार दोने के जन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे सचने में सुविधा के लिए; जीर/वा
- (ब) ऐसी किसी आय या किसी धन या अत्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, वा धन-कर अधिनियम, वा धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अयोजनार्ध जन्तरिती क्वारा प्रकट नहीं किया ग्या था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;
- . अतः जय, उक्त अधिनियम की भारा 269-म के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की भारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन, निम्निसित स्मिन्तयों, अर्थात्:—

 श्री जी० आर० श्रीनिवासा राव ग्रीर भाइग्रों दलासानुर विलेज श्रीनिवासपुर तालुक कोलार डिस्ट्रिक्ट।

(अन्तरक)

2. मेसर्से सि० शांताकुमारी ने० 27, II मैन रोड सुधामानगर बेंगसूर-27।

(अन्तरिती)

स्ति यह सुचना बारी करेके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

क्ष्मत सम्मित्त को नर्जन की सम्मन्त को कोई भी नालोप हिन्त-

- (क) इस सूचना के राज्यत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पद सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि याद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (च) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच हो 45 दिन को भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी वें पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्वक्ष्यक्रियाः — इसमें प्रमुक्त कव्यों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित ही, तहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विया भवा ही।

प्रमु

(वस्तावेज सं० 3142/84, ता० 26+4-84) सम्पत्ति है जिसका सं० 197, जो 1 ब्लाक, III मैन रोड जयानगर बेंगलूर में स्थित है।

> आर० भारद्वाज सक्षप प्रश्चिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण) अर्जन रेंज, वेंगलुर

तारीख: 14-11-1984

नाधकर बाधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ण (1) के बधीन सुधना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 14 नवम्बर 1984

निदेश सं० 62/443210/84-85---यतः मुत्ते, आर० भारतज्ञ,

कायकर किंपिनयम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पण्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है, की भारा 269-क के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विषयास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाबार स्था 25,000/- रा. से अधिक हैं

में र जिस्की सं० १६ है तथा जो इंडरिट्यल सहबं IJ स्टेज तुमकुर रोड बेंग्लूर में स्थित है (और इससे उपाध्व अनुस्त्रित में मीर पूर्ण रूप से विणित है) रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय राजाजिनगर में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारोख 23-4-84 को प्रवीकत संपत्ति के जिल्ला बाजार मत्य स कम क इत्र्यमान प्रतिफल के लिए रिजजस्ट्रीकर्ता के कार्यालय राजाजिनगर में धारा 269 ए बी. के अंतगर्त सक्षम अधिकारी के सम्मूख/के पास स्ट्रीकृत किया गया है मुभ्ने यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वीक्त सम्पत्ति का उचित्र बाजार मृत्य, उसके दृशमान प्रतिफल से, ऐसे इत्यमान प्रतिफल के पत्त्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिशत उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखन में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) बन्तरन वे हुई किसी नात की बाबत, उन्त विधिन्यत्र के बधीन कर दोने के बन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे वचने में वृतिधा के एसए; वॉर/या
- (क) ऐसी किसी बाब वा किसी धन या बस्य बास्तिकों कों, जिन्हों भारतीय बाय-कर बिधिनयम, 1922 (1922 का 11) या उक्त बिधिनयम, इन्नुधन-कर बिधिनयम, इन्नुधन-कर बिधिनयम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ बन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया था या किया बाना बाहिए था, कियाने में बृहिन्धा के जिए;

बंत: जब, उक्त अधिनियम की धारा 269-भ के अनुसरण बाँ, माँ, उक्त अधिनियम की धारा 269-भ की उपधारा (1) के बाधीन, निरुष्टि का ब्यक्तियाँ, अर्थान: मेसर्स श्री उद्योग नं० 12 प्यालेस रोड बॅगसूर।

(अन्तरक)

2. सि॰ सुन्दारम भीर कुळ लोग नं॰ 929 पूतामली है रोड रे मन्न,स-84।

(अन्तरिती)

को यह स्चना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

इक्त संपत्ति के बर्चन के संबंध में कोई भी बाखेंप :---

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस दें 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर स्वना की तामील से 30 दिन की अविधि, शंभी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में स किसी व्यक्ति ब्वारा;
- (ख) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारील सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिसबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास किश्वत में किए का सकता।

स्पद्धीकरण:—हममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित; है, वहीं अर्थ द्वागा जो उस अध्याय में विदा गया है।

वन्स्ची

(दरनात्रेज सं० 302/84 ता० 23-4-84) सम्मित है जित्तका सं० 96 जो इंडस्ट्रियन सनर्व II स्टेंज तुमकुर रोध बेंगतूर में स्थित है।

> न्नार० भारकाज सन्न गान्निकारो सहापक आयक्त (निरोधग) अजन रेंज, बेंगजूर

तारीख: 14-11-1984

मोहर :

13-426 GI/84

प्रकृप बाईं.टी.एन.एस. -----

बावंकर विधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-छ (1) क अधान सुमना

बारुत सरकार

सत्वर्षान्य, सहायक बायकर बायक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर दिनांक 14 नवम्बर 1984

निदेश सं० सि० आर० ॄं62/43935/84-85---यतः मुझे आर० भ.रह ज

बायकर बाधनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इससें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-का के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वाम करने का कारण हैं कि यथापवेंक्त संपत्ति का स्वित बाजार मृत्य 25,000/- रा. से अधिक हैं

भीर जिसकी सं० 1666 है तथ जो बनाशंवरि 1 स्टेज Il ब्लाक बें। तूर में स्थित है (गौर इस ने उगात्र अनुपूची में ग्रीर पूर्ण रूप से विणत है) रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ब तवनगुडि में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारोख 11-4-1984 को पूर्वीक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूला से कम के इश्यमान प्रतिफल के लिए रिजस्ट्रोकर्ता के कार्यालय वसत्रनगृडि में धारा 269 ए. बी. के अंटर्गत सक्षम अधिकारी के सम्मख/के पास र्जि-स्वीकृत किया गया है मुफ्ते यह विश्वासा करने का कारण है कि यह पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत स अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) को बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया ग्या प्रतिफल, निमालिखित उद्देश्य से उदत अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से किथत नहीं किया गया है:---

- (क) बन्तरण से हुई किसी बाब की बाबत, उस्थ बाधानयम के बधान कर दान के बन्नरक के दायिल्य में कमी करने या उबसे दचने में सुविधा के द्विए; मीर/या
- (क) एमी किसी आय का किसी धन या अन्य आस्तियाँ का, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1977) के अपने किया के अपने के अपन

अतः अवः जन्न किपिनिगम की भाग 260-ग के अनमरण में, में, उक्त अधिनियम की भाग 260-घ की उपधारा (1) के अधीर, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातु :---- श्री एम० आर० दोरेस्वानी नायडू नं० 674
 ४ क.स
 विकास
 बनागं हरि १ स्टेज
 बेंगलूर-50।

(अन्।रक)

2. मेसर्स आर० हेमजता नं० 51/52 13वां ए० मैन रोड हनुसना नगर बेंसलूर-501

(अःगरिती)

को यह मचना जारी करके प्राँक्त सम्पत्ति के अर्जन के िकए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्तिः के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सचना के राज्यत्र में प्रकाशन की तारीख कें 45 दिन की अवधि मा तत्याकानी व्यक्तियाँ पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो वी अवधि बाद में सम्मद्भ होती हों, के शीतर पूर्वाक्स व्यक्ति में से किएते व्यक्ति इवारा;
- (ख) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उकत स्थातर सम्पत्ति में हित-किसी बन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास विकास से किए का सकी ।

स्पट्टीकरण: — इमर्झे प्रयुक्त सब्दों और पदौं का, जो उन्हें अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया ग्या है।

अनुगुची

(दप्तावेज सं० 119/84 ता० 11-4-84) सम्पत्ति है जिनका सं० 1666, जो बनागंकिर , I स्टेज II ब्लाक बेंग्लूर में स्थित है। $\left(40^\circ \times 61^\prime\right)$

> श्चार० भ रहाज सत्तन प्रधिक री सहात्रक आपकर आपुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंजू बेंजनूर

तारीख: 14-11-1984

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक अयकर आयक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, बेंलूर

बैंः लूर, दिनांक 12 नवम्बर 1984

निर्देश सं० सी० आर० 62/43100/84-85--अतः आर० भारद्वाज मुझे,

मायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृज्य 25,000/-रा. से अधिक है

भौर जिसकी संव 3 है स्था जो बाईलाज ले आउट बेंग्लूर में निधद है (भ्रांत इससे स्पार्क अन्दर्च में भ्रांत प्रणं रूप से वर्णित है) र्रिक्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालय, शिवाजी नगर में रिजस्ट्र करण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 4-4-1984

को प्वाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए उन्तरित की गर्ड है और मुक्ते यह विक्वास करन का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य रूग्यक दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अतरिती (अन्तरिंगियों) के बीच एमं अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिक्त निम्नलिखित उद्दृश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप सं कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी बाद की बाबत उक्त अधि-नियम के अधीन कर दने के अन्तरफ के सायत्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/का
- (श) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों कारे, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त आधीनयम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया श्रा या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए,

क्त: बय, उक्त ब्रीधीनयम, की भारा 269-म के बन्सरफ में, मी., उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन., निम्नलिखित व्यक्तियों, अधीत :--- (1) जेड० एफ० बामिज श्रीर मैसर्स एस० जंड० बामिज, रिप्ने बेंटेड बाहश्री एफ० एम० बानिज 43, मिजीर राड, बंग्यूर।

(अन्तरक)

(2) एन ए० बने हिन और
मैतर्स पी० आर० वजे हैन,
6, क.स, राबरहसनोट, कोजार
गाल्ड फोल्डस ।

(अन्तिरती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्मत्ति के अर्जन क जिए कार्यवाहिया करता हु।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस मुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारांख सै 45 दिन की अविधि या तत्मबधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि. जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण: --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, तही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया

अनुसूची

(दस्तात्रेज सं० 264/84 तारीच 4-4-1984) सम्बत्ति है निकास सं० 3, जो बातनि ले आउट, बंगलूर में स्थित है।

> आर० भारद्वाज सनम प्रशिकारी सहायक आयकर आगुक्त (निरोन्नण) अर्जन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 12-11-1984

मोहर 🚁

प्रकृष बाई .टी.एन एस . ------

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-ण (1) के मधान स्चना

बारत सरकाइ

कार्यातव, सहायक जावकार वायक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, बंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 12 नवम्बर, 1984

निर्देश सं० सी० आर० 62/43153/84-85--अतः मुक्ते, आर० भ रह ज

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिन्ने इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25.000/-रा स अधिक हैं

मीर जिसकी सं० 66/2 है तथा जो इन्फेन्ट्री रोड, बेंगलूर में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबड अनुभूषी में ग्रीर पूर्ण रूप से बणित है) रजिस्ट्रोक्षर्ता अधिकारः के कार्यात्रय गित्राजी नगर में रिजस्ट्रोक्षरण अधिकारः के कार्यात्रय गित्राजी के अजीत तारीब 28-4-1984

कां पृषाक्त सम्पास क जीवत नाजार मृत्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गर्ड है और मृत्रे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वांक्त सम्पत्ति का जीवत बाजार भृत्य, इसक दृश्यमान प्रतिफल स, एस दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिषत से अधिक है और अंतरक (अंतरकाँ) और अंतरिति (अतीरितिया) के नीच एस अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्निलिखित उद्दोष्य से उक्त अंतरण लिखित मूँ बास्तविक रूप से कृषित नहीं किया गया है:—

- (क) बंतरण से शुद्द किसी बाम की बाबत, उक्त अभिनियम के अभीन कर दान के अंतरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; अरि/वा
- (क) ऐसी किसी भाग या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय भागकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उन्त निधिनियम, या अनकर अधिनियम, या अनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजनार्थ मतिरती इनारा प्रकट नहीं किया नया था या किया जाना वाहिए भा छिपान में सुविधा के लिए;

अत: अव, अकत अधिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-थ की उपभारा (1), अ अधीन, निम्निजित स्मित्यों, मुचात्रं—> (1) मैसर्स शकुन्तला नटराजन, नं० 66 2 इ.केन्ट्रा रोड, बेंगलूर ।

(अन्तरक)

(2) बाबुद मोहम्मद, नं० 39, क्रिस्चियन स्ट्रीट, इराड, त.मजनाडू।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी कारके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हु।

उक्त संपरित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप :---

- (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वा की तामील में 30 दिन की अविध , जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में स किसी व्यक्ति इसार;
- (क) इस स्थान के राजपण में प्रकाशन की सारीक से 45 दिन के भीतर उक्त स्थानर सम्पत्ति म दिस् विद्यालय किसी अन्य क्यक्ति द्वारा अधाहस्साक्षरी के पास लिक्ति में किए जा सकेगे।

स्पद्धीकरण: -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहा अर्थ हागा जा उस अध्याय में दिया गवा है।

वन्स्यी

(दस्तावेज सं० 495/84 तारीख 28-4-1984) सम्पित है जिसका सं० 66/2, जो इन्फ्रेन्ट्री रोड, बेंगलूर में स्थित है।

आर० भ**राज** सन्नम प्रा **का**ाते सहायक आयकर आयुक्त (रिरा **ण)** अर्जन रेंज, बं.**ल्**र

दिनांक : 12-11-1984

मोहर 🖫

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर बंगलूर, दिनांक 12 नवम्बर 1984

निर्देश सं० सी० आर० 62/43598/84-85--अतः मुझे, आर० भ.रद्वाज,

सायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसक परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-च के उधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विक्रास करने का कारण हैं कि स्थावर संस्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूख्य 25.000/- रा. से अधिक हैं

भौर जिसकी सं० 21/68 है तथा जो गोविन्दाप्पा रोड बसवनगुडि, बंगलूर-4 में स्थित हैं (श्रीर इपसे उपाबद अनुसूची में भीर पूर्ण रूप से वर्णित हैं) रिज ट्रीक्ती अधिकारी के कार्यालय बसवनगुडि में रिजस्ट्रोकरण अधिनियम 1908

(1908 का 16) के अधीन तारी वा 18-4-1984 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मन्य में कम के इक्कमान प्रतिफल के लिए अन्तरित ब्ली गई है और मुक्के यह विक्वास करन का कारण है कि यथापवाक्त सम्पास का उपचत बाजार मूक्ब, उनके इक्कमान प्रतिफल सं, एस इक्कमान प्रतिफल का पन्तह प्रतिकात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अलिश्ति (अन्तरितियाँ) के बीच एसे वंतरण के लिए तब पावण स्था पातफल, निम्निलियत उपविच्य से उक्त जंतरण निर्मित में बारायक इप से किया गया है:--

- (क) बीलरण से हुइ किसी बाद की बाबता, उक्छ आभिनियम के जभीन कर दोने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने वा उसके बुक्ते में बूबिभा के लिए; बीद/वा
- (५) ऐसी किसी बाय या किसी धन या बन्य जास्तियों की, जिन्हें भारतीय बायकर विधिनयम, 1922 (1922 का 11) या उक्त विधिनयम या धनकर विधिनयम, 1957 (1957 का 27) की प्रयोजनार्थ बंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया बया था या किया जाना वाहिए वा खिपाने कें सुविधा की लिए,

जत: जंज, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण कें, में, उक्त अधिनयम की धारा 269-च की उपधारा (1) खें अधीन, निम्नसिक्ति व्यक्तियों, अधीत् ा— (1) श्री टी० वी० रामाचन्द्रा मोहन, भ.गस्त मेसर्स जै।हृन्द पेन्टिंग श्रीर बिन्डिंग वर्कस, मामुलनेट बंगलूर ।

(अन्तरक)

(2) मेसर्स शान्ता वी० शेट्टि, नं० 239/10, महादेश्वर प्रसन्ता, III पलार, चानराजानट, बंगलूर ।

(अन्तरिती)

को यह मचना जारी करके पूर्वोक्त सम्परित के अर्जन के लिहु कार्यवाहियां करता हूं।

बक्त सम्पत्ति के गर्जन के सम्बन्ध में कोई भी नाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र मों प्रकाशन की तारी हैं के ▲६ दिन की सर्वाध या तत्सम्बन्धी स्थाक्तमा देखें रूचना की नामील मं २० निम की अवधि को सी अवधि बाद में सुमाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों क्ता स्थाक्तया में साकसा स्थाक्त इवारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 (दन के भानर रक्षण स्थानर सम्मानः में द्वित- वव्यक्ति द्वारा, स्थोहस्ताक्षरी के साम स्थित में किए सा सकते हैं

स्पद्धिकरण: --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पद्यों का, जो उक्त अधि-नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, हैं, वहीं अर्थ होंगा जो उस अध्याय में दिया गया हैं।

वन्स्या

(दस्तानेज सं० 171/84-85 तारीच 18-4-84) सम्पति है जिसका सं० 21/6 बीहै जो गोविन्दाप्पा रोड, (343 स्ववेयर थाउँस), बसजनगुडि, बंगलूर में स्थित है।

> आर० भरद्धाः सनग्रनाधिकारो सनग्रनाधिकारो सहायक आयक्त (निरोजग) अर्जन र्रेज, बंगजुर

दिनोंक : 12-11-1984

श्ररूप भाइं.टी.एन.एस.------

भाथकर भीधनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-ए (1) क अधीन सूत्रना

भारत सरकार .

कार्यालय, सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) अजन रेंज, बंगलूर बंगलूर, दिनोक 12 नव बर, 1984

निर्देग सं० सी० आर० 62/43154/84-85---अतः मुझे, आर० भारद्वज,

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उकत अधिनियम कहा गया है), को धारा 269-- ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर समित्त, जिसका उपचित्त बाजार मृत्य 25.000/- रु. सं अधिक है

ग्रीर जित्तको सं० 65/1 है तथा तो इन्छेट्टी रोड, बंगनूर में स्थित है (ग्रेट इन्हाइ) अहाइ आहू तो में ग्रीर पूर्ण रूप से बर्गित है) रिजिल्हों कर्ग अधिनयम 1908 (1908 का 16) के अधीन तार्यक्ष 28-4-1984

को पूर्वेक्त सपरित के उचित वाजार मूल्य में कम के इश्यमान मितिफल को लिए अन्तरित की गई ही और मूफे यह विश्वास करन का कारण ही कि यथ।पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसक दश्यमान प्रतिफल का चन्द्रह प्रतिशत में अधिक ही करेर अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरित (अन्तरित्यों) के बीच एम अन्तरण के लिए त्य बावा गया प्रतिफल, निम्मालिखत उद्दश्य में उक्त अन्तरण कि बावा गया श्रीतिक रूप स किथत नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुइ किसी बाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दन के अन्तरक की बायित्व में कमी करने या उसस बचन में सुविधा के लिए; और/या
- (ण) ऐसी किसी या किसी धन या अन्य आस्तियों का जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: जब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के जनसरण ▶, मी, उक्त अधिनियम को धारा 269-घ की उपधारा (1)
असे अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :— (1) श्रीतती शहुरतता नटराजन नं० 66/1 प्राउटेड बनार, इन्केन्द्री रोड, बनजूर ।

(अन्तरह)

(2) मेससं मरियम धाउद, नं॰ 39, क्रिस्चियन स्ट्रीट, रोड, तमिलनाडु ।

(अग्रारिती)

को यह स्वना अ:री करके पूर्वीक्त सम्परित के अर्जन के लिए कायनाह्या करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के जर्जन के संबंध में कोई भी बाक्षेप :---

- (क) इस स्मान के राजपत्र मों प्रकाशन की तारी से 45 दिन की अवीच या तत्सम्बन्धी व्यक्तियां पर स्मान की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद मों समाप्त हाती हा, के भीतर प्रावत व्यक्तियों में से किसी स्थावत दुवारा,
 - (क) इस मुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक है 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी बन्य व्यक्ति द्वारा अश्राहस्ताक्षरों के पास लिखित में किए भा सकेंगा।

स्पष्टीकरणः — इसमें प्रयस्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित ही, वहीं अर्थ हागा जो उस अध्याय में दिया गया है।

area of

(दस्तिविज सं० 496/84 तारीज 28-4-1984) सम्मति है जिसका सं० 66/1, जो इत्केंद्रो रोड, बंगलूर में स्थित है।

आर० भराजी सञ्जय प्रधिकारी सहायक आयक्तर आयुक्त (तिरोधण) अर्जन रेंज, बंगलुर

दिनांक : 12-11-1984

मोह्नर:

प्ररूप बाद' ही एन एस. ---

शायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा -269-व (1) के प्रधीन मूचना

भारत सरकार

कार्यालय , सहापक आरंकर आयक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, बंगलूर .बंगलूर, दिनांक 19 निवस्वर, 1984

निर्देश सं० 62/44010/84-85--अतः, मुझे, आर० भारत ज,

भाग तर प्रवितियम, 1961 (1961 का 43) (जिमे इसमें इसके प्रशान के प्

स्रीर जनित सं० 29 है तथा जो जे० सी० रोड सं० 1 'ए' कास, बंगनूर स्ट्रीट में स्थित है पौर इपने उराबद्ध अनुमूत्रों में पीर एगे का से विभिन्न हैं) रिजिप्टीकरित अधिकारी के कार्यालय बंगनूर में रिजिप्टीकरण अधिकियम 1908 (1908 का 16) के अभीत तारीब 19-4-1981 को विभिन्न गान में एंग प्राचार मन्य प का क दक्ष्यताम प्रतिकाल के लिए अंगरित की गई है और मझ यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वांचल संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिकल से, ऐसे दश्यमान प्रतिकल का प्रन्दह म नमन से प्राधार अभीर सम्लग्फ (सम्लग्का) पीर सम्लास्की (प्रान्तिकार्ति) के धील ऐसे अम्लग्फ के लिए लए पाया गया प्रतिकल का का स्वार्ति का सम्विक्त का प्राप्तिकार से साम स्वार्ति (प्रान्तिकार्ति) के धील ऐसे अम्लग्फ के लिए लए पाया गया प्रतिकल का स्वार्ति का सम्विक्ति का स्वार्ति का सम्वार्ति का सम्वारित का सम्वार्ति सम्वार्ति का सम्वर्ति का सम्वार्ति का सम्वर्ति का

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त श्रिष्ठितियम संप्रजात श्रद देने के अध्यक्त के दायित में कमो करने या उससे बचन में सुविधा के लिए। और/या
- (श) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्हें भारतीय आयकर भ्रीधानयम, 1922 (1922 को 11) या उस्त भ्रीधानयम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ख्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया आना खाइए था, छिपान में सुनका के लिए;

अतः अस, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के असमरण में, में. उक्त गीधिनियम की धारा 260-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नेलिखित व्यक्तियाँ, अर्थात् :--- (1) श्रीनती एन० आर० गारदा ,
 2. एम० आर० बित्रहुमार,
 3. एम० आर० प्रकाश,
 नं० 496/71, मिडन स्कूल, रोड,
 वि० वी० पुरम, बंगपूर-4

(अन्तरक)

(2) श्री जीव सीव राजामे हर, जीव आरव ने गुल राधा नाप्रशू, 16, पुरान्ता राड, वत्रतनमृद्धि, धंगतूर-4

(अन्।रिती)

का यह म्चना जारी करके पूर्वों का सम्मित्त के मर्जन के कि। कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

वयस सम्परित के अर्थन के शरकाथ में कोई भी आक्षेप एक

- (क) इस स्वना के राजध्य में प्रशासन की सारी इस दिन की अविनयों वर स्वाप्त की निर्माण की सारी कर कि कि की क्षा की निर्माण की निर्माण की निर्माण की कि की कि की कि प्राप्त की मी अविधि बाव में समापन का शिक्षों, के भीतर पृत्री कि स्वाप्त की मी से सिर्मी निर्माण का शिक्षों, के भीतर पृत्री की सिर्मी निर्माण का सिर्मी निर्मी की सिर्मी की स
- (च) इस म्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पन्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधाहस्ताक्षरी बं पास स्थित में किए का सकारो।

श्रमका किरण: ---- इसमी प्रयुक्त सम्बाँ और पदाँ का, को अध्यक्ष अधिनियम, के अध्याय 20 -क में यथा परिभावित हैं, गड़ी अर्थ हागा जी उस अध्याय में विका नुसाहै।

अनुसुची

दस्तावेत्र सं० 196/84 तारीक्ष 19-4-1984) सम्पत्ति है जिसकी सं० 29, जो जें० सा० रोड I, I^{I} क.स, बंगजूर सीटी में स्थित है।

आर० भ'रद्वाज सन्तर पिकारी सहायक आयकर आपृष्ट (निरोक्षण अर्जन रेंज, बंगलूर)

दिनोक: 19-11-1984

प्रकृप बाइ'.टी. एवं. एसं. -----

कायकार स्रीधिनियमं, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व (1) के बधीन सूचना

कारत सरक्यर

कार्यान्य, बहावक मायकार सायकत (निरीक्षण) अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 19 नवम्बर, 1984

निदेश सं० सी० आर० 62/44008/84-85—अतः मुझे, आर० भरद्वज

चायकर अधिनियस, 1961 (1961 का 43) (विज्ञो इसमें इसके पर्यात 'रक्त अधिनियस' कहा गया हैं), की धारा 269-ज के अधीन सक्षम पाधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पणि, जिसका उचित बाजार मृत्ये 25 000 /- रास्त्र अधिक दै

घौर जिसकी सं० 312 है तथा जो कोरा मंगला I स्टेज बंगलर में रिथत है (ग्रीर उससे उपालद अनुमूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है) रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बंगलूर दिश तालुक में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 27-4-1984

(1908 का 10) क जवार ताराज 27-4-1984 को प्रवास्त सम्पत्ति के उचित गाजार मान्य में कम को इच्छमान अतिफल के लिए अन्तरित की गईं है और माने यह विश्वास करने का कारण है कि स्थापवॉक्त संपत्ति का उचित बाजार बच्च, उसके इच्छमान प्रतिकास में एमें इच्छमान प्रतिकास का पन्तह प्रतिकात से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और बंतरिती (बन्तिरित्यों) के शीच एमें बन्तरण के निए तम पामा गया इतिफल निम्नसिनित उद्देश्य में उक्त बन्तरण सिचित में बास्तिक रूप से किथत नहीं किया गया है:---

- (क) बन्तरण से शुद्र किसी अाय की बाबत, सकत बिधिनियम के बधीन कर दोने के बन्तरक के विदिश्य में कभी करने या उससे व्यन् में सुनिधा के लिए; ब्राप्ट/बा
- (क) ऐसी किसी नाय या किसी भन या अन्य ज्ञास्तियों का, जिन्हें भारतीय नाय-कर बिभिनियम, 1922 (1922 का 11) ना उक्त बिभिनियम, वा भन-कर बिभिनियम, 1957 (1957 का 27) में प्रयाचनार्थ सन्तिरिती इनारा प्रकट नहीं किया गया ना किया नाना चाहिए भा, कियाने में सुनिधा के लिए;

बंत: अंब, उस्त अधिनियम की धारा 269-ए की अनुसरक भी, भी, उस्त अधिनियम की धारा 269-ए की उपधारा (1) को अभीन, निम्नसिचित व्यक्तियों, अर्थात् :— श्रीतती पी० लक्ष्माम्या, नं० 122, महान रोड, सिविल स्टेशन, बंगलूर ।

(अन्तरक)

(2) 1. श्री अशोक कुमार शर्मा,
2. श्रीतती विज्ञातक्ष्मी शर्मा,
बाई पी० ए० डावटर पो० विज्ञापार,
सेंट जान मेडिकल कालेज, हास्पिटल,
बंगलूर ।

(अन्तरिती)

को यह सचना जारी करके प्रतिक्त सम्प्रित के अर्थम के जिए कार्यवाहियां करता हूं।

जनत बंपील के जर्बन के संबंध में काई भी बाध्मेप :---

- (क) इस सचना के राजपत्र मों प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की बनीच या तत्संबंधी स्वक्तियों पर बचना की तामील से 30 दिन की बनीच, जो भी अवधि बाद मों समास्त होती हो, के भीदर पूर्वीकर स्वक्तियों में से किसी स्वक्ति ब्यारा;
- (ख) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारील से ▲ दिल के भीतर उक्त स्थातर मंगील में जिल्लेक्स किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधीहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्वत्यांकरणः ---इसमें प्रयंक्त शब्दों और पदों का, जो उपह अधिनियम के रूपाय २०-क में परिभागित हैं. वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिस नेया हैं।

प्रकृत्यी

(दस्तात्रेज सं० 534/84 तारीच $27-4-19^{3}4$) सम्पति है जिपती सं० 312, जो कोरामंगजा I स्टेज, बंगलूर में स्थित है।

आ**र० भ^{न्}रक्वाज** समन प्र_ाधिकारी सहाप्रक आयक्तर आपु^दन (निरी*न्न*ण) अर्जन रेंज, बंगजुर

दिनांक : 19-11-1984

प्रकप आह. दा. एन. एस. .-----

आयुकर अर्थिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-म (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण) अर्जन रेंज, संगलूण बंगलूप, दिनांक 19 नवम्बर, 1984

निदेश शं॰ 62/44016/84-85----अतः मुझे, आरः भारद्वज

कायकार अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'जक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-क के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वान करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25.000/- रह. के अधिक है

ष्ट्रीर जिसकी संज 1033 है तथः जो नेलवे लंत, पैप लैन काई रोड, एक्सटेंग्नन है आउट विजयानगर, बंगल्र-40 में स्थित है (और इससे उपाबढ़ अनुसूत्री में थ्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है) रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यात्रय श्रीरामपुरम में रिजर्ट्र करण अधिनयम 1908 (1908 का 18) के अधीन तारीख 19-4-1984

कां प्रशंक्त सपित के जीवत बाजार मृत्य से कम के द्वयमान प्रतिफल के लिए रिजस्ट्रीकार्ता के कार्याला, श्रंराम-र मे धारा 269 ए. बी. के अन्तर्गत सक्षम अधि-कारी के सम्मल/के पास रिजस्ट्रीकृत किया गया है मुक्ते यह निरवास करने का कारण है कि यथापूर्वीक्त संपत्ति का उचित बाजार मूला, उसके इत्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्त-रिती (अन्तरितियों) के बीच एमे अन्तरण के लिए ता एपा गया प्रतिफत निम्नीलिखित उद्दोष्य से उक्त अंतरण लिखित में बास्तिक रूप रो कथित नहीं किया गया है :--

- (क) बन्ध्यम से हुए किया बाय की बाबत, उपक क्रिपिन्यत के क्यीन कर दोने के अलग्रक की क्रियन से कानी करने वा उससे वच्ने में सुविधा के लिए; और/या
- (क) ऐसी किसी बाय या किसी धन या किसी आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोक्षमार्थ अन्तिरिती विधारा प्रकर नहीं किया गया वा का किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

कतः संस, जकन अधिनियम की धारा १६०-ग के समसरण को, मी, उकन अधिनियम की धारा १६०-च की उपधारा (१) वै संधीन, निकालिखित व्यक्तियों, अर्थात् :- - (1) श्रो आर० धरना सेना,
नं० 881, वेस्ट आफ काई रोड,
1. स्टेज, राजानीनगर,
वंगलूर~10

(अन्तरक)

(2) श्री टी० रामाचन्द्र, ंगं० 3, कास, विजयसगर, वंगलूर-40

(अगारती)

को यह भूचना जारी करके पूर्विक्त संपरित के अर्थन के जिए कार्यवाहिया करता हु।

उत्तर संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाक्षेप ६---

- (क) इस स्थाना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब इं 45 दिन की अवधि या तत्सबधी व्यक्तिया धर् सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त हांती हो, के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति इशारा;
- (का) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सपित में हितबंद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास सिक्ति में किए जा सकरि।

स्पच्छीकरण:---इसमों प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उसत क्रीभिन्यमं के अध्याय 20-क मा परिभाषित हाँ, वहीं वर्ष होगा, जो उस अध्याय में विया गया हाँ।

मगत ची

(दस्तावेज सं० 215/84 तारी व 19-4-1984) सम्पति है जिसका सं० 1033, जो रेलवे लैंग, पैंप लैंग कार्ड रोड, एक्सटेंशन ले आउट, विजया नगर, बंगलूर-40 में श्वित है।

> आर० भारद्वाज सक्षम प्राधिकारी महायक आकयर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 19-11-1984

मीहर:

14 -426 GI/84

त्रक्य बाह्". टी. एम. एव.-----

बायकर मुभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के बभीन सुचना

भारत बरकाइ

कार्यास्त्र महायक मायकर भावक्स (निरीक्षण) भर्जन रैंज, बंगसूर बंगसूर, दिमोक 19 मबःबर, 1984

निवेश से०सी० बार० 62/43166/84-85--अत: मुझे स्रार० भरद्वज

कायकर निर्धानयम, 1961 (1961 का 43) (नियं इसवें इसके पश्यात् 'उकत निर्धानयम' कहा गया हैं), की धारा 269- व के नधीन सक्षम प्राधिकारों को, वह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सपरित विसका उचित वाबार नृष्य 25,009/- रु. मं अधिक हैं

मीर जिसकी सं० 1317 है तय: जो बिनामंगला II स्टेज, बंगलूर में स्थित है (मेर इससे उपाबद्ध अनुसूची में मीर पूर्ण रूप से व्याजित है) रिजर्ट्रीयर्ता अधिवार, के कार्यालय गिवाजीनगर में रिजर्ट्राहरण अधिनियम 1908 (1908

का 16) के अधीन तारी 17-4-1984 का प्रवाकत नपाल के अधिन बाजार मन्य म कम के क्रम्यवाब प्रतिफल के लिए रिजस्ट्रीकर्ता के कार्यालय शिवाजिनगर में धारा 269 ए. बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के सम्म्य/ के पास रिजस्ट्रीकृत किया गया है मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्गेक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके इश्यमान प्रतिफल से, एसे इश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रति-शत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्त-रितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निस्ति उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में यास्तियक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) जनसरण न हुव कियी नाय की बावत , कपक्ष विधिनियम के वधीन कर दोने के संसरक के दानित्य में कमी करने या उन्नर्थ नुष्यने में सृतिभा के निष्; वीर/वा
- (क) ऐसी किनी बाब वा किनी धन वा बन्ध बासियों का, विन्हुं भारतीय बावक र अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त बिधिनियम, वा धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्लारा प्रकट नहीं किना गया था वा किया जाना चाहिए था, कियाने में सुविधा के लिए;

कत अस, उक्त सिंधिनयम की भारा 269-ग के अन्तरण की की उक्त की पिनियम की भारा 260-म की उपधादा (1) की संधीन, निम्निविधित स्ववितयों संधात :---- (1) डाक्टर तोटाप्पा , हैड आक डिपारटमेंट, आक गाजिटिकल साइन्स, मैंसूर ।

(अजग्रक)

(2) श्री कें टी० सूत्राता, पी० बी० नं० 322, टोब्र.क, लोबबा ।

(भन्तरिती)

को बहु स्थान बारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के लिख् कार्यवाहिंग करता हूं।

बनत सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी नामांप :---

- (क) इस स्वना के सवयन में प्रकाशन की तारीय के 45 विन की सर्वाय वा तत्सवधी स्पित्यों पर स्वाना की तामीस से 30 दिन की सर्वाध जो भी समित वाद में बनाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्स स्वाबतवा मा स किसी व्यावत ह्वारा;
- (था) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीथ के 45 दिन के बीतर उक्त स्थानर सम्पत्ति में हितवबुध किसी मन्त्र स्थानित दूनारा, नथाइस्ताक्षरी के पाक निवित्त में किए जा सकेंगे।

अनुसूची

(वस्तात्रेज सं० 145¹84 तारीज 17-4-1984) सम्पति है जिसका सं० 1317, जो जिन्नामंगता II, स्टेंज, बंगसूर म स्थित है (80° × 50°)

> जार० भारद्वाज सत्तन गाँगहारी सद्घागक आयक्तर न गुना (गिरीजण) अर्थे। रेंज, बंगवूर

विनोक : 19-11-1984

माइर 🖫

मरूप नार्यः डी. एन. पूर्वः -----

भायकर अभिनियस, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के जभीन सुवना

शाहत वरकार

कार्यासन, सङ्घायक जायकर जायकत (विद्वाक्षिक)

धजन रेंज, बंगलूर

भंगलूर दिनांक 19 नवम्बर 1984 निदेश सं०सीं०भार० 62/44009/84:85—भतः **मुझे** पार० भारद्वाज

बायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिले धनमें धूसके पश्चात् 'उक्त मधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-वा के मधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रुपयं स व्यक्ति हैं

भौर जिसकी सं० 259 है तथा जो कोरामंगला 1 स्लाक बंगलूर में स्थित है (भौर इससे उपाबद्ध भनुसूची में भौर पूर्ण रूप से विणत है) रिजस्ट्री हर्ता श्रिधकारी के कार्यालय बंगलूर दक्षिण तालुक में रिजस्ट्री कर्ता श्रिधकारी के कार्यालय वंगलूर दक्षिण तालुक में रिजस्ट्री करण श्रीधनियम 1908 (1908 का 16) के भगीन तरीख 18-4-1984 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इध्यमान श्रितफल के लिए अंतरित की गई है और मुभे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापुशैंक्त सम्पत्ति का उचित बाजार बाजार मूल्य, उसके इध्यमान श्रीतफल से, एसे इध्यमान श्रीतफल का पन्द्रह श्रीतशत से अधिक ही और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों)के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया श्रीतफल निम्नलिखित उद्वेध्य से उन्त अन्तरण लिखित में बास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

- (क) अन्तरण वे हुई किसी बाव की बाबत उक्त बीच-मियम के बधीन कर दाने के अन्तरक के द्यायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए बीर/मा
- (क) एसी किसी बाय वा किसी धन या अन्य धरिसवी का, धिनहं भारतीय बायकर बांधानयम, 1922 (1922 का 11) या उक्त बांधानयम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रवायनार्थ बन्तरिती ब्वास प्रकट नहीं किया गया था वा किया बाना चाहिए था, कियाने में सुविधा के निए;

अक्ष: क्रम, उक्त अधिनियम की धारा 269-न भी अनुसरक भी, बी, इक्त अधिनियम की धारा 269-न की उपधायु (1) के अधीन, निम्निलिखिए व्यक्तियों, अर्थाप् :--- (1) श्रीमती भार० चन्द्रलेखा नं० 1256 कुरूबरापेट कोलार।

(मन्तरक)

(2) श्रीमति चालस लयके येलस्या देवादासन 32 कृद्रेमुक कालोनी कोरामंगला बेंगलूर-34

(धन्तरिती)

को वह त्यना बारी करने प्रतिक्त इल्पीता के वृधन के सिष्

क्या सम्पत्ति के वर्षन के बंबंध में कोई भी नाक्षेप :----

- (क) इस स्थान के रायपत्र में प्रकाशन की तारीश है 45 दिन की संविध ने तत्त्रमन्धी व्यक्तियों दर ब्यना की तामील से 30 दिन की नविध, वो भी वर्षाय नां से समाप्त हाती हो, के भीतर पूर्वोक्श व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति हुनारा;
- (ख) इस स्थान के राज्यम के प्रकाशन की शारीय से 45 विन के शीतर उक्त स्थानर सम्पत्ति के हितवहुध किसी सम्ब न्यक्ति द्वारा सभाइस्ताक्षरी के पास स्थाबत के किस् वा स्कारो।

स्वच्छीकरण: इसमें प्रयुक्त कव्यों भीर पूर्वे का, जो उन्धं क्षितियम, कं कश्याय 20-क में परिभाषित हैं, बही कर्ष हागा जो उस कश्याय में दिया। गया है।

वप्त्री

बस्तावेज सं० 407/84 तारीख 18-4-1994 सम्पति है जिसका सं० 259 जो कोरामंगला 1 ब्लाक बंगलूर में स्थित है

> भार• भारकण्य सभन प्राधिकारी बहायक भायकर भायक्त (निरीक्षण) धर्जन रेंज, बंगक्र

दिन्ति : 19-11-1984

मोहर 🛭

प्रका बाई'. दी . एन . एव . ------

बान्कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) कीं धारा 269-म (1) के अधीन सुमना

बारत बरका

कार्यालय, सहायक बादवार आयुक्त (निरीक्षण) प्रजन रेंज बंगलूर बंगलूर, दिनांक 19 नवम्बर 1984

सं० सी० आर० 62/44014/83--85:--यतः मुझे आर० भारदाज

बायकर अधिनियमं, 1961 (1961 का 43) विसे इतमं इसकं पश्चात् 'उक्त नाधिनियम कहा गया है)., की भारा 269-च के बभीन सक्षम प्राधिकारी का वह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका अचित् वापार मृत्व 25.000/- रा. से अधिक है

भीर जिसकी सं० 9 है तथा जो II स्टेज, 4 कास, राजाजीनगर, बोंगलूर में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध भनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), राजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन तारीख 18~4~1984

का पृवांकत सम्परित के उचित बाजार मृत्य से कम के द्रश्यमान प्रतिफास के लिए अन्तरित की गढ़े हैं और मूर्फ यह जिस्वास करने का कारण है कि यथापूर्वाक्त सम्पत्ति का उचित बास्तर कम्ब उसके क्रयमान प्रतिफाल में, गाम इक्क्यमान प्रतिफाल का पन्तर प्रतिपत्त से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरित (अन्तरित्तारात्या) के बाच एस अन्तरिण के लिए तय पाय। गया प्रतिफाल निम्नलिखित उद्देश्य से उचन अन्तरण लिकित में बास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) बन्तरच हं हुई किनी बाय की बावत उक्त जिथिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में केमी करने या उससे अचने में सुविधा कालए; और/बा
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्सियों को, जिल्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया मया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में बाबधा के लिए;

बतः बद उक्त अधिनियम की धारा 269-गं के अनुसरण में, में उक्त अधिनियम की धारा 269गं की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिक्षित व्यक्तियों, अर्थात् :---

(1) भी एस० वेनुगोपाल नं० 9/2 बसवनगुडि बेंगलूर-4

(भ्रत्यरक

(2) श्री वै० एन० माधावाराजु 446-6 कास, II स्टेज राजाजीनगर, मल्लेख्यरम वेस्ट बेंगलुर।

(भन्तांरती)

को यह स्वमा बारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन की [सर् कार्यवाहिया करता हूं।

रक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्षेत्र :---

- (क) इस स्वता के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वता की तामील में 30 दिन की अविधि, वा भी अविध बाद म समाप्त होती हो, के भीतार प्रोक्स व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,
- (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारी है के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पन्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकरेंगे।

स्पष्टीकरणः — इसमें प्रयूवत शब्दों और पर्दों का, जो उन्त कांचानवम, क अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ हांगा, जो उस जध्याय में विदा स्या हैं।

मन्स्पी

(इस्तावेज सं० 229/84 तारीख 18-4-1984) सम्पत्ति हैं जिसका सं० 9 हैं जो II स्टेज 6 कास राजाजीनगर बेंगलूर में स्थित हैं।

> न्नार**ः भारद्वाज्ञ** सक्षयः प्राधिकार महायक प्रायकर धायुक्त (तिरीक्षण) भजन रेंज, **बेंगजूर**

तार(ख: 19−11−1984

🏂 ः ६, े.टी.**एव.एव.**, न्यान्यन्यन्य

भागभार स्रीभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म(1) के स्थीन सूचना भारत सरकार

कार्यालय, संहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

धर्जन रेंज, बेंगलूर . बंगलूर, दिसांक 21 नवम्बर, 1983

सं॰ सं॰ भार॰ 62/43197/84-85:-यतः मुझे, म्रार० भारद्वाज,

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारा का, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपरित, जिसका उचित बाजार मृख्य 25.000/- रहे. से अधिक हैं

भौर जिसको संब्धार० एस० 877/क है तथा जो अनावर विलेख मंगलूर में स्थित है (श्रीर इससे छपाबद्ध अनुसूर्वा में और पूर्ण रूप से विणित है), रिजस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के भ्रधीन तारीख 19-4-1984

को पूर्वाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दरवमान श्रीतफर्न के लिए मतारत का गई है और मुफ यह विकास करन का कारण है कि यथाप्वाक्त सपीति का उचित बाजार बृत्य, उसक दरवमान श्रीतफल स एस दरवमान श्रीतफल का बन्द्रह श्रीतक्षत स अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और बन्तारती (अन्तरितको) के बीच एस अन्तरण के लिए तम चाबा गया श्रीतफस, निम्निसिवत उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिवत म बास्तीबक रूप स कीथत नहां किया गया है ——

- (क) अन्तरण संहुई किसी आय की बाबत, उक्स अधिनियम क अधीन कर दने के अन्तरक की दासित्व में कभी करने या उससे बचने में सूविधा के लिए, और/सा
- (क) ऐसी किसी काय या किसी धन या जन्य ब्रास्तियों. का जिन्हा भारतीय भायकर आधानयम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनयम, या धम-कर अधिनयम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजनाथ अन्तीरती द्शरा प्रकट नहां किया गर्वा था या किया जाना चाहिए था, क्रियान में सृविधा के लिए।

अक्षः अध, उक्त अधिनियम की धारा २६०-ग के अनमरण कों, मीं उक्त अधिनियम की धारा २६९-घ की उपधारा (1) की अधीन, निम्निलिखित व्यक्तियों, अधीत् हरू (1) पतिका मेविना बै॰ पः • इ मैसर्स मिवल मदिना बलेनसिमा मंगलूर।

(भन्तरक)

(2) सिडने धनंतीनि ए० लोबी **४०** पः० ए० हेलेन पि० लोबो नियर जेप्पु वकं माप मंगल्य-2.

(भ्रन्तरिती)

की यह स्वता धारी करके वृत्रोंक्य सम्पत्ति से अर्थन के विद्यु कार्यवाहियां करता हुं ।

जमत सम्पत्ति के नर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र मों प्रकाशन की तारीश से 45 विन का बनाथ वा तत्सम्बन्धी व्यक्तियां पर सूचना की तामील से 30 दिम की बनीथ, को भी बनीथ मात में स्थानन हाती हों, के भीतार पूर्वे कर विनयों के से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (4) इस स्थान के राजपत्र के प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवस्थ किसी बन्द व्यक्ति द्वारा बधाहस्ताक्षरी के पाख सिचित में किए वा सकेंगे।

स्वध्यीकरण:----इसमें प्रयक्त शब्दों और वर्षों का, को स्वक श्रीपित्यन, के बध्याय 20-के में परिभाषित ही, वहा अभ हागा वा उस अध्याय में दिया गवा ही।

अनुसूची

(दस्तावेज सं॰ 104/84 तार्रेख 19-4-84) सम्मत्ति है जिसका सं॰ भार० एस० 877/बी॰ टी॰ एस० मं॰ 611/बी॰, जो भनावर विलेज, मंगलूर, में स्थित है।

> मार० भारदाच सक्षम प्राधिकारी तहायक मायकर मायुक्त, (निरीक्षण) अर्जन रेंज, बेंगलूर ।

सारीख : 21-11-1984

मोहर 🗓

मक्प भाई. इ. एन. एस. - - ---

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-ज (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक बायकर बायक्त (निरीक्षण), भर्जन रेंज, बेंगलूर बंगलूर, दिनांक 23 नवम्बर, 1984

सं० श्रासी० भार० 62/43157/84-85:-यतः मुझे, भार० भारद्वाज

इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वाम करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25.000/- रु. से अधिक है

, घोर जिसकी सं० 6(61) है तथा को रामाक्ष्याण्या रोड चारलेस काप्म्यबेल रोड़ एक्सटेंशन, बेंगलूर में स्थित है (भीर इससे उग्निंद्ध अनुसूची में श्रोर पूण रूप से विणित है), रिजस्ट्रीकरण श्रिधिनयम, 1908 (1908 का 16) के श्रिधीन, त.रीख 26-4-1984 को प्वांक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृल्य से कम क दश्यमान श्रीतफल क सिए कन्तरित की गृह है जार मृत्में यह विश्वास करने का कारण है कि यथाप्वांक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृल्य, उनक क्षयमान श्रीतफल सं, एमं दश्यमान श्रीतफल का पन्दह श्रीत्वत स विश्वास है और अन्तरक (शन्तरकों) जौर अन्तरित (बन्तरितयों) के वीच एसं कन्तरण के लिए तय याया गया प्रतिफल, निम्नलिसित उदयभ्य से उक्त अन्तरक लिसित में वास्तिवक रूप से किथत नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उच्च अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के सायित्य म कमी करन या उसस अचन म साविधा क । लए; जार/या
- (च) एसी किसी जाय या किसी धन या जन्य जास्तियों को जिन्हें भारतीय जायकर जिथिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त जिथिनयम, वा धन-कर जिथिनियम, 1957 (1957 का 27) वें प्रयाजनाथ अतौरती द्सरा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूनिभा के लिए:

बतः अव, उक्त अधिनियम की धारा 269-न की अनसरक में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के अधीन, निम्नुनिक्षित व्यक्तियों, अर्थात् ह (1) दि॰ बेंगलूर सिन्दी मर्जेटस एसोसिएशन, सिक्षा साथित्यल हाल, कावस टीम, बंगलूर।

(भ्रन्तरक)

(2) श्री प्रभु द्वी० सन्दानी, मैर्जा गंगा परे० चन्दानी निमल एम० नन्दवानी श्रीर मिसिस बिन्दु एन० नंदवानी, नं० 53 विकास रोड़, II कास, फेसर टीन, मेंगलूर-5.

(प्रन्तरिती)

का यह सूचना जारी करके पूर्वीक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया सुरू करता हुं।

जनत सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इसं सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारी हैं
 45 विन की अवधि या तरमम्बन्धी अयिक्तयां पर
 सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी
 अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
 व्यक्तियां में साधिकता अयिक द्वारा,
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित- भद्ध किसी अन्य व्याक्त ब्वास अधाहस्ताक्षरा के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

र्वकाकरण: ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्वां का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा, जो उस सभ्याय में विनाः नया है।

वगसर्च

(दस्भावेश सं० 257/84 तारिषा 26-4-1984) समाति है जिल्हा सं० 6 (6/1), जो रामाकुणण्या रोड़, यारजैत काम्प्बेलात रोड़ एकतडेंगत, बेंगतूर में स्थित है।

> भार० भार**हाज** सक्षम प्राधिका**री** सहायक ग्रायकर भायुक्त (निरीक्षण) भर्जन रेंज, बंगस्र

वारीख: 23-11-1984.

मोहर 🛭

प्रकल्प आह्". टी. एन. एत. ---- कर बायकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारत 269-च (1) के अधीन सूचना

मारत सरकार

कार्यांत्रम, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण)

भ्रजंन रेंज, बंगलूर बंगलूर, दिनांक 23 नवम्बर 1984 निदेश सं• सी॰ भ्रार॰ 62/43739/84~85----भ्रतः मुझे, भार॰ भारद्वाज,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 थन 43) (निसं इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की पाच 269-व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वाब करने का कारण है कि स्थावर सम्पन्ति, जिसका उचित वाचार सूच्य 25,000/- रु से अधिक है

ग्रीर जिसकी सं० 24 श्रीर 24ए है तथा जी IV मैन रोड़, यमराजपेट, बंगलूर में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है) रिजस्ट्रीकर्ता श्रिधकारी के कार्यालय, बसयनगृद्धि में रिजर्ट्रीकरण श्रिधिकारी के कार्यालय, बसयनगृद्धि में रिजर्ट्रीकरण श्रिधिनयम 1908 (1908 का 16) के श्रिधीन तारीख 30-4-1984 का पूबा बत सम्मति के उचित बाबार मृत्य है कम के श्रयमान प्रतिकत के लिए अंतरित की गई है और मूझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथाप्योंकन सम्पत्ति का उचित बाबार मृत्य, इसके श्रयमान प्रतिकत से, एसे श्रयमान प्रतिकत का पन्त्रह प्रतिकात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरित (अन्तरितयाँ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया श्रीतकत, निम्मलिखित उद्योगों ने उक्त अन्तरण लिखित में बार्शिक रूप ने किंपित नहीं किंवा गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी बार की बावक, उच्छ अधिनियम के सभीन कर दोने के बन्तरक के कांक्रिक्ट सी कसी करने या उससे बचने में गुनिभा के किए; अधिद्वारा
- (का) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ का, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियत्त, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियत्त, या धन- कर अधिनियत्त, 1957 (1957 का 27) की प्रकोजनार्थ अन्तरियों द्वार प्रकट नहीं किया गया का वा वा किया जाना चाहिए था, कियाने में स्विचा की लिए;

अंत: अंब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण वी. बी. अवल अधिनियम की भारा 269-म की सुपधारा (१) वी सभीत, विकासितियम अधिकारों, सर्थात् व्— (1) श्री बी० एस० क्षण्णया शेटि,
 275/1, IX 'ए' मैन रोड़,
 II ब्लाक, जयानगर,
 भंगलूर-II।

(भन्तरक)

(2) श्री एल॰ मंजु.
 275/1, IX 'ए' मैन रोइ,
 II क्लाक, जयानगर, बंगजूर।

(भन्तरिती)

करे यह. सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के काजन्थ में काई भी आक्षेप :---

- (क) इस स्वता के राजपण में प्रकाशन की तारीचा से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी स्पक्तियों पर स्वता की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि शद में समाप्त हांती हो, से भौतर प्वोंक्त स्पक्तियों में से किसी व्यक्ति वृदारा;
- (वा) इत ल्बना के राजपत्र में प्रकाणन की तारीक से 45 विन के भौतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी जन्य स्थितित द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास सिविकत में किए जा सकेंगे।

अविकारण:— इनमें प्रवक्त कब्दों और प्रदों का, को उक्त अधिनियम के अध्वाय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ द्वांगा की उस अध्याव में दिया नया है।

अनुमूचो

(दस्तावेज सं॰ 322/84 सारीष 30-4-1984) सम्मति है जिसकी सं॰ 24 और 24° , जो विनायका एक्स-टेंशन, ^{-1}I फास, श्रप्पुराव रोड, V मेन रोड, यनराजपेट, बंगलूर में स्थित है।

ग्रार० भारद्वाज सक्षम प्राधिकारी सहायक मायकर भायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, बंगलूर

दिनोक : 23-11-1984

अक्ष बार्ड : दी , एन : एक् : लागाना

आवकर नांधिमनम, 1961 (1961 का 43) की गुड़ा 269-व (1) के न्यीन सूचना

ब्रार्क स्टब्स्टर

कार्यास्त्र सहायक सायकर मान्यतः (निरीकाण) धर्जाः रेजः, संगलूर संगल्द, दिनांकः 19 नवस्त्ररः 1984

शंगलूर, दिनांक 19 नवस्थर 1984 निदेश नं० 62/44015-84-85---झतः मुझे, झार० भारद्वाज,

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 263-च के अधीन, सक्षम प्रधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25.000/- रह. से अधिक हैं

सौर जिन्हीं सं० 675/24 (675) है थया जो 15 मेन रोड़. ⁴ टि० ब्लाक जयानगर बंगलूर में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद श्रनुस्ची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है) रिजिन्द्रीहर्ता स्विकारी के कार्यालय जयानगर में रिजिस्ट्रीकरण स्विधित्यम 1908 (1908 का 16) के श्रधीन तारीख . 12-4-1984

का प्यांक्त सम्मित्त के उचित बाजार मन्य से कम के क्षयमान प्रतिफल के लिए बन्तरित की गई है और मुझे वह विश्वास करने का कारण है कि यंधाप्यांक्त संपत्ति का उचित बाजार बन्य, उसके क्षयमान प्रतिफल से, एसे क्ष्यमान प्रतिफल का वंद्रष्ट्र प्रतिकात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरक के लिए तब पाया न्या इतिफल, निस्नृतिकित उद्योग्य ने उच्च अन्तरण सिविद्य में बास्तिक

- (क) अन्तरण से हुई किसी नाम की बानत उपक्ष अधिनियम के सभीन कर दोने के सन्तरक की अधिनय में कमी करने या उपसे स्थाने में सूनिधा के सिए; बांड/मा
- (वा) ऐसी किसी बाब या किसी धन या अन्य आस्तियों कारे, जिन्हों भारतीय बाय-कर बधिनियम, 1922 (1922 कर 11) या उक्त अधिनियम, वा अन-कर बिधिनियम, वा अन-कर बिधिनियम, 1957 (1957 का 27) की प्रयोजनार्थ अन्तरिनी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के निए;

कतः अव, उक्त बाधिनियम की भारा 269-ग के अनसरण बी, बीं उक्त बाधिनियम की भारा 269-व की उपभारा (1) बीबधीन, निम्नलिकित स्वक्तियो, अर्थाबुं:---- (1) मेसर्स बंगलूर कन्सलटेंन्टस मं० 300/सी, 36 का० 5 ब्लाक, जयानगर, बंगलूर, बाई मिसस एस० उषा देवी।

(मन्तरक)

(2) बी॰ बी॰ गुरुप्रसादनं॰ 35, 12, मेन, 4 क्लाल पूरक,भयानगर, कंगलूर-11

(ग्रन्तरिती)

को यह मुखना जारी कारके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्थन के लिख् कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

जक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी काक्षेप :---

- (क) इस म्खन के राज्यत्र में प्रकाशन की तारी खंडे 45 दिन की अवधि मा तत्सम्बन्धी व्यक्तियां पर स्वना की टामील से 30 दिन की बखि , अरे भी अवधि नाद मा स्माप्त हाती हो, के भीतर प्रांकर, व्यक्तियां में से किसी स्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सचना के राजपत्र मो प्रकाशन की तारीक है 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मो हितवक्ष किसी जन्म व्यक्ति वृवास अभाहस्ताकारी के नाम लिखित मो किए जा सकीयो।

स्पद्धीकरण:---इसमें प्रयुक्त जब्दों और पदों हा, ही, कन्न अधिनियम के अध्याय 20 स ने पार-भाषित हों, वहीं अर्थ होगा, को सह, अन्यूक्त में विया गया है।

भनुभू वी

(दस्तावेज नं 116/84 तारी**ख** 12-4-1984) सम्पति है जिएकी सं 675 (675/24) औ 15 मेन रोड़, 4 दि' ब्लाक, जयानगर, अंगलूर में स्थित है।

> धार० भारकण्ड सक्षम प्राधिकारी सहायक भायकर भायक्त (निरीक्षण) क्षर्जन रेंज, बंगलुर

दिनांक : 19-11-1984

मोहर '

प्रस्थ आहे. टी. एव. एस्. .-----

बायकर रूभिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-भ (1) के बधीन सुभना

भारत सरकार

कार्यास्य , सहायक जागकार जागका (निरक्षिण)

अर्जन रेंज, वंगलूर

बंगलूर, दिनांक 19 नवस्तर, 1984

निदेश नं० 62/44014/84-85—स्रतः मुझे, स्रार० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परभात 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-इ के स्थीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विदेशास करने का कारण हैं कि स्थावर संपित विश्वका उचित बाजार मून्य 25,000/- रह. से अधिक हैं

और जिसकी मं० 1389 है तथा जो धनाशंकरि [I स्टेंज, बेंगलूर में स्थित है (और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप मे वर्णित है) र्जिस्ट्रीकर्ता ग्रिधकारी के कार्यालय जयानगर में रजिस्ट्रीकरण ग्रिधिनियम 1908 (1908 का 16) के ग्रिधीन नारीख 16-4-1984

को प्वोंक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हैं और मूफो यह विश्वास करने का कारण हैं कि यथापूर्वोवत गंपित्त का जिसते वाजार मूल्य, तसके दश्यमान प्रतिफल में, प्रेसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्तह प्रतिकास से अधिक हैं और अंतरित (अंतरितों) को बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त- बिक रूप से कथित नहीं किया गया हैं:—

- (क) नन्तरण से हुई किसी जाय की बाबत उक्त बिध-नियम के बधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के सिए; और/या
- (क) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्सियों को जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिणने में स्विधा वी लिए:

कतः आग, उक्त अधिनियम, की भारा 269-ग के अनुसरण में, में, अक्त अधिनियम की भारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्हिलिलित व्यक्तियों, अधित् :---15---426 GI/84 (1) श्री बी० पी० बालासुब्रमन्यम, नं०- 1400, 23 मेन, बनाणंकरि II स्टेज, बंगलूर।

(ग्रन्तरक)

(2) श्रीमर्ति एम० मी० एकमिनि,
 99/4, बुल टेंपल रीड,
 बंगलुर-19 ।

(श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारों करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपंत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्विक्स व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित- अय्थ किस शिजन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः — इसमे प्रयुक्त शब्दां और पदां का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं। बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताकडी के हैं।

वन्स्यो

(दस्तावेज सं० 166/24 तारीख 16-4-1984) मम्पति है जिस की सं० 1389, जो बनाशंकरि H स्टेज, बंगलुर में स्थत है।

श्रार० भारद्वाज सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, बंगल्र

दिनांक: 19-11-1984

प्रकार आर्थः हो. एव. एस. ० - - -

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के अधीन सुचनः

भारत सरकार

कार्यासय, धतायक श्रायकर जायकत (निरक्षिण) श्रर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 19 नवम्बर, 1984 निर्देश सं० सी० श्रार० 62/44012/84-85--श्रतः मुझे श्रार० भारद्वाज

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भाय 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारों को, यह निश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रा. से अधिक है

भौर जिसकी सं० 915 है तथा जो अब्दुल हफीज रोड काक्स टाउन, बंगलूर-5 में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ना श्रीधकारी के कार्यालय णिवाजीनगर में रजिस्ट्रीकरण श्रीधनियम 1908 (1908 का 16) के श्रीन तारीख 4-4-1984

को पूर्वीक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूओ यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके अश्यमान प्रतिफल से एसे अश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एमें अन्तरण के लिए तय पामा गया प्रतिफल, निम्निलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निमित्त को साम्तरिक रूप से किसत नहीं किया गया है :---

- ंक्र) अभ्यार से हुई किसी अाय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे अचने में सुविधा के लिए; और/धा
- (ख) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्हों भारतीय आध-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-नार्थ अन्तिरिती ब्राया प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के जिल्हा

ब्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण वें मी, उक्त अधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के भीन, निम्निनिवित व्यक्तियों, अर्थात हुन्न (1) मेजर डी॰ टी॰ ए॰ सून्दर राज, मिसर्स रानी बाई, नं॰ 14. ग्राफिसर्म कालोनी बनासवाडि रोड, बॅगलूर -33

(भ्रन्तरक)

(2) इरोल विलियम फरनानडीज, नं० 6, सुन्दर मूर्ति रोड, कांक्स टाउन, वेंगलर-5

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना कारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्थन के सिए कार्यनाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के वर्षन के संबंध में कोई भी वाक्षेत्र :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 45 दिन की अविधि या तत्सवंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हों, के भीतर प्वेंक्ति व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बुवारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी जन्म व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा मकोंगे

स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त सब्दों और पदों का, को उक्त अधिनियम, को अध्याय 20-क में परिभावित है, वहीं अर्थ होगा जो उस क्ष्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दस्तावेज सं० 332/84 तारीख 11-4-1984) सम्पति है जिसका सं० 9/5 जो प्रब्दुल हफीज रोड़, काक्स टाउन, बेंग्लूर-5 में स्थित है। (199.84 स्कवेयर मीटर्स)

> ग्रार० भारक्षाज सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, मेंगलूर

दिनांक : 19-11-1984

प्रकृष कार्द. टी. एन. एस.-------

नायकर विभिनियम, 1961 (1961 नम 43) की भारा 269-भ (1) के अभीन स्पना

भारत स्रकार

कार्यालय, सहायक आयक्तर आयुक्त (निरोक्षण)

ँश्चर्जन रेज बंगलूर

बेंगलूर दिनांक 20 नवम्बर, 1984

निदेश म० सी० आर० 62/44112/84-85-श्रतः मुझे, श्रार० भारताज,

बायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-क से लधीन राक्षण श्राधिकार्य को उन्हें का कारण है कि स्थावर संपरित, जिसका उचित बाजार यून्य 25,000/- रा. से लिधक है

और जिसकी मं० 79 है, तथा जो V ब्लाक, कोरामंगला, बेंगलू में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुमूची में और पूर्ण रूप से विणित है) र्राजस्ट्राकती अधिकारी के कार्यीलय, बंगलूर दक्षिणी तालुक में रोजस्ट्रीकरण अधितयम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 14−5−1984

की पूर्विक्ष सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुर्फ यह विद्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोंक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एंसे दृश्यमान प्रतिफल का वन्स्रह प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरित (अन्तरितयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए स्य पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तिक रूप से कार्यिक रूप से कार्यक गर्वों किया गया है :---

- (क) अन्तरण च गुर्च किसी आय की शक्त उपल अभिनियस के अभीन कार पोने के अन्तरक के सामित्य में कभी कारने या उससे अपने में सुविधा के लिए; भीड़/सा
- (क्का) एसी किसी बाव या किसी भन या अन्य आस्तियाँ का, जिन्हाँ भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या जवत अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोधनार्थ अस्तिरती ध्वारा प्रकट नहीं किया गया था विकास जाना भाष्ट्रिए था, कियाने में सुविधा के निए;

जतः जब, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन, निम्निलिखित व्यक्तियों, अधीर :---- (1) श्री एम० ग्रार० नंजुन्डा स्वामी स्टेशन इंजीनियर, ग्राल इंडिया रेडियो, भद्रावती ।

(ग्रन्तरक)

(2) श्री ∤्कं जानकीरामन, बी०-35, कुद्रेमुख कालोनी, II ब्लाक, कोरामंगला, बेंगलुर।

(भ्रन्तारती)

को यह स्चना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति कं अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कांई भी आक्षंप :---

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर स्वना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वित व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उचत स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरों के पास लिखित में किए जा सकने।

स्पष्टिकरण: --इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क मे परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

ग्राम्

(वस्तावेज सं० 93/84, तारीख 14-5-84) सम्पत्ति है जिसकी सं० 79 , जो \mathbf{V} ब्लाक, कोरामंगला बंगलूर में स्थित है।

श्रार्० भारद्वाज सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 20-11-1984

प्ररूप बार्द टी. एन. एस. -----

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) वं अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेजि. बंगलूर

बंगलुर दिनांक, 19 नवम्बर 1984

सं० सी० ग्रार० 62/44011/84-85:-ग्रतः मुझे, ग्रार० भारद्वाज,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 13) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उसत किंग्रोनसम्' कहा एवं ही), की भारा 269-ख के अधीर मध्यम एकि एके का यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रु. से अधिक है

स्रौर जिसकी सं० 30 है तथा जो जे० सी० रोड, I II क्रास बेंगलूर सिटी में स्थित है (यौर इसमे उत्तयद्ध स्थनुमूची में स्थीर पूर्ण रूप से विणित है), रोजस्ट्रोकरण स्थितियम, 1908 (1908 का 16) के स्रर्थान, तार्र ख 19-4-1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के लिंकर बाजार मन्य सं कम के स्थमान प्रतिकल के लिए रिजर्विक्षण के कार्यात्य ती ग्रहर मी धारा 269 ए. बी. के अन्तरिया में भाम अभिकारी के सम्मृत्य रिजर्वि विवया ग्रासा ही। म्क यह विद्यात करने का तक्षण ही कि अथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित्र बाजार मृत्या, उमके अपवामान प्रतिकल का पन्द्रह प्रतिकत में अधिक ही और अन्तरिक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के धीच एमें अन्तर्य के लिए तथ पाया गया प्रतिकल, जिम्मिलियों उद्योग में उन्तर्य के लिए तथ पाया गया प्रतिकल, जिम्मिलियों उद्योग में उन्तर अन्तर्य निक्ति में वास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया ही:——

- (क) अन्तरा १ ८७ किसं आग की बाइत, अक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसस बचने में सुविधा के निग; और/था
- (बा) श्रेंस िकली बाय या किसी धन या बन्य बास्तियों करी. फिल्हों भारतीय आय-कर अधिनियम. 1922 (19?2 का 11) या उक्त प्रधिनियम, या धनकर बिधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ का जिसी इसार का अधि दिस्त साम का किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

भशः अब, उक्त अधिनियमं का पारा 169-गं के अनुसरण माँ, भाँ, उक्त अधिनियमं की धारा 269-वं की उपभारा (1) के अधीन निकारिकार स्पिक्तियों, कथाति ए--- (1) श्री एम० के० लक्ष्मीनारायना, गेहि, 567, सज्जान वाय रोड, वी० वी० पुरम, वेंगलुर−4.

(ग्रन्तरक)

(2) जो० मी० चन्द्राणेखर (मैनर), वै मा श्रोमती एम० शकुंतालम्मा. नं० 16, पुट्टाका रोड वसवनगुडि बेगलूर--⊄.

(ग्रन्तारती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अजन के सम्बन्ध में के.ई भी आक्षंप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या नत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर निष्का को तार्थीय से 10 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद से समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में में किसी ब्यक्ति द्वारा;
- (स) इसं सुवना के राजपन में प्रकाशन की तारीस मं वर्षादन के भीतर उक्त स्थावर समात्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यदित द्शरा अथाहस्ताक्षरी के पास लिख्नि में किए जा सकींगा

स्पष्टीकरणः ---इसमे पयवत शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परि-भाषित हैं. वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुस्ची

(दस्तावेज सर् 195/84 तारीख 19-4-1984) सम्पत्ति है जिसका संरु 30 है जो जेर मीर रोड I 'ए' क्राम बेंगलूर सिटी में स्थित है।

ग्रार० भारद्वाज सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज बेंगलूर ।

तारीख: 19-11-1984.

प्रस्य नाइ. टी. एन: एस्.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-च (1) के अधीन सुचना

भारत् सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) स्रर्जन रेज, बेंगलूर

बंगलूर, दिनांक 21 नवम्बर 1984

मं० सी'० श्रार० 62/44166/84-85—यतः मुझे, श्रार० भारताज,

शायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वाम करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मृज्य 25,000/- रा. से अधिक है

श्रीर जिसकी मं० 50 है तथा जो I मैन, गंगेनाहिल्ल बेंगलूर में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण घप से विणित है) रिजस्ट्रोकरण श्रीधिनियम, के कार्यीलय गांधिमगर में रिजस्ट्रीकरण श्रीधिनियम 1908 (1908 का 16) के श्रधीन तारीख 5-5-1984

की पूर्वीक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के स्थमान प्रतिकल की लिए रिजस्ट्रीकर्ता के कार्यालय गांधीनगर में धारा 269 ए. बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारों के सम्मृत्व की पास रिजस्ट्रीकृत किया गया है। स्भी यह विश्वास करने का कारण है कि यह प्रतिकत संपत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दश्यमान प्रतिकल से, एसे दश्यमान प्रतिकल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरित (अन्तरितयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकल, निम्नालिखत उद्देश्य से उक्त अन्तरण जिल्ला में वास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) जनतरण सं हुई किसी जाय की बाबत उक्त जिथ-नियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, बहि/बा
- (क) ऐसी किसी आय या फिसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्ही भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त अधिनियम या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्लास प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूविधा चे लिए;

जतः शुव, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण क्रं, में, उक्त अधिनियम की भारा 269-म की उपभारा (1) क्रे अभीज, निम्नलिकित व्यक्तियों, अर्थात् ६—० (1) श्री तामस कुट्टि 50, I मैन, गंगेनाहल्लि, बेंगलूर।

(ग्रन्तरक)

(2) मैससं श्रसगारि वेगम, 50, I मैन, गंगेनाहल्लि बेंगलूर।

(ग्रन्डरिती)

को यह सूचना बारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के सिए कार्यवाहियां करता हां।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस स्चना के राजपंत्र में प्रकाशन की तारीब है 45 दिन की अवधि या तत्मधन्मी व्यक्तियों पर सचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पृथींबद अवस्ति वेदारां में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पद्धीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्क अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषिठ है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 367/84 तारं ख 5-5-1984) सम्पत्ति है जिसका सं० 50, जो I मैंन, VII क्रांस गंगे- नाहिल्ल डिवीजन नं० 16 बेंगलूर में स्थित है ।

ग्रार० भारद्वाज सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रजैन रेज बेंगलूर ।

तारीख: 21-11-1984.

मोहर 🗳

प्रकथ नाई .टी . एन . एस . ------

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अधीन सुभना

BISH STREET

कार्यालय,, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्रण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 20 नवम्बर 1984

सं० 62/44110/84-85:--ग्रतः मुझे, ग्रार० भार**द्वा**ज,

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा २६९-च के अधीन मध्यमं पाधिकारों को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मुल्य 25,000/रु. से अधिक हैं

स्रौर जिसकी सं० 69/2 है तथा जो के० श्रार० पुरम होबली बेंगलूर दक्षिण तालुक में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद अनुसूची में स्रौर पूण रूप से बर्णित है) राजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के श्रधीन तारीख मई 1984

मो पूर्वोंक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय दौगलूर दिक्षण मो धारा 269 ए. बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के सम्म्म् /के पास रजि-स्ट्रीकृत किया गया है मुफे यह विश्वास करने का कारण हो कि यह प्वांक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल में,, एसं दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत सं अधिक हो और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखित उच्चेश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तियक रूप से कथित नहीं किया गया हो:---

- (क) अन्तर्व से हुई जिली थाय की नावत, उक्त अधिनियम के व्योग कार दोने के अन्तरक के दावित्य में कभी करने या उससे वचने में सुविधा के लिए; धॉर/शा
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अच्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय जायकर अधिनियनम, 1922 (1922 का 11) या अक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) अं प्रयोजनार्थ अन्तिरिती स्वारा प्रकट नहीं किया गया धा किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के विए;

कतः अब, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण मों, भी, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्निलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--- (1) श्री बी॰ जयाराम पटनदूर श्रग्रहाराः के० श्रार० पुरम होबली बेंगलुर दक्षिण तालुकः ।

(भ्रन्तरक)

(2) श्री एम० एन० रंजीत, मैसस जुमान रंजीत नं० 100 बोरवेल रोड, बैटफील्ड बेंगलूर ।

(भ्रन्तरिती)

का यह सूचमा जारी करके पूर्वाक्त सम्मित्त के वर्जन के सिर्ध कार्यवाहियां करता हुं।

दक्त सम्मृत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी नासंद:--

- (क) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी से 45 दिन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियां पर स्चना की मामील से 30 दिन की अविध, को भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियां में म किसी व्यक्ति द्वारा;
- (य) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीय दें 45 दिन को भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितथव्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पात निवित में किए जा सकेंगे।

स्यष्टीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया हैं।

वग्त्यी

(दस्तावेज सं० 798/84. नारीख मई, 1984) सम्मत्ति है जिसका सं० 69/2, अग्रहारा के० आर० पुरमहुबली, बेंगलूर दक्षिण तालुक, (2 एकरस और 30 गुंटास) में स्थित है)।

> म्रार० भारद्वाज, सक्षम प्राधिकारी सहायक स्नायकर भ्रायुक्त, (निरीक्षण) अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 20-11-1984.

प्ररूप आर्ड, टी. एन. एस.----

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व (1) के अधीन स्थना

भारत सरकार

कार्यासय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, बंगल्र

बंगलूर, दिनांक 20 नवम्बर, 1984

निदेश सं० नं० 62/44111/84-85--- प्रत: मुझे प्रार० भारताज

अगयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पद्यात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स को अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार भूल्य 25.000/-रत. में अधिक हैं

श्रीर जिसकी सं० 239 है तथा जो 1 ब्लाक कोरामंगला, बंगलूर में स्थित है (भ्रौर इससे उपाबद्ध भ्रनुसूची में स्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है) रिजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन तारीख 31-5-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के धरममान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय बेंगलूर दक्षिण में भारा 269 ए, बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के सम्मुख/के पास रजिस्ट्रीकृत किया गया है मुर्फे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापर्वीक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एमें अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उत्दोरम से उक्त अन्तरण लिखिन में दास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम को अधीन कर दोने के अन्तरक को वायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के निए; और/या
- (च) एँस किसी लाय या किमी धन या अन्य आस्तियाँ को, जिन्ही भारतीय आयकार अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नही किया गया भाया किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा चें सिएश

अति: अबं, उक्ति अधिनियम की धारा 269-ग को अनसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखिल व्यक्तियों, अधान :---

(1) श्री के० वेकटरमाना भट, 40, गोविन्दाराजा नगर, मागादि रोइ, बंगलुर ।

(श्रन्तरक)

(2) डाक्टर सेवासिटन नामस नाडाकेल, केयर त्राफ 21/12, एम० जी० रोड, बंगलुर । '

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी कारके पूर्वोक्त सम्पत्ति कं अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू कारता हुए।

जनत सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस स्पान के राजपुत्र में प्रकाशन की तारीख से 4.5 दिन की अविधि या शत्संबंधी व्यक्तियों पर सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (श्रा) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिसित में किए जा सर्कोंगे।

स्पट्टीक रण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

दस्तावेज सं० 1465/84 तारीख 31-5-1984) सम्पति है जिसकी सं० 239, जो 1 ब्लाक, कोरामंगला, एक्सटेंशन, बंगलूर में स्थित है।

> ग्रार० भारद्वाज मक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्चर्जन रेंज, बंगलूर

विनोक : 20-11-1984

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

णायकार अभिनियम । 1961 (1961 का 43) की धारा 269-भ (1) को नधीन मुचना

भारत सरकार

कार्यां लय, सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 21 नवम्बर, 1984

निदेश सं० सी० श्रार० 62/43132/84-85--श्रतः मुझे, **श**ार० भारद्वाज,

शायकर अधिनियस, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० 128 है तथा जो 11 काम मंडो मोहल्ला सगलूर में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विणित है (राजस्ट्रोकर्ता श्रधिकारा के कार्यालय मैसूर में राजस्ट्रीकरण श्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के श्रधीन नारीख 9-4-1984

- को पूर्वीवत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए रिजस्ट्रीकर्ता के कार्यालय मैसूर में धारा 269 ए. बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के मम्मूल/के पास रिजस्ट्री-कृत किया गया है मुफ्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथा-पूर्वीवत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल के पंद्रह् प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एमें अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तिवक रूप से किथत नहीं किया गया है :--
 - (क) अस्तरण से हुई किसी जाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
 - (स) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजनार्थ अन्तिरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया अपना बाहिए था, छिपान में सुविधा के लिए,

जतः जब, उक्त अधिनियमं की धारा 269-गं के अनुसरण भी, भी, उक्त अधिनियमं की धारा 269-भं की उपधारा (1) के अधीन, निम्निसिस व्यक्तियों, अर्थातः—- (1) श्री रवान्द्रनाथ , न० 1484, सप्याजि रोड्, राव मैसूर ।

(अन्तरक)

(2) श्री वर्गीर अहमद बाइ पो० ए० हेथ आफ, श्री एम० ए० समद, मैसमं टिहिरा इमाद, 2975, सजाद स्ट्रीट मंडी मोहल्ला, मैसूर ।

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी कारके पृत्रीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी स सं [45 दिन की अविधिया तत्संबंधी व्यक्तियों प्रमें सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ल) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारील से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में महत- अद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकने।

स्पष्टीकरण: --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया। गया है।

अन्स्सी

(दस्तावेज सं० 138/84 तारीख 9-4-1984) सम्पति है जिपकी सं० 128/4, तथा सं० 128/4, एम 1/0, जो 11 कास, बन्तिमंटप एक्सटेंशन, मंदी मौहल्ला मैसूर, में स्थित है ।

श्चार० भारद्वाज सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रुपैन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 21-11-1984

प्रकृत वार्ष . हो . व्य . वृश्व . -----

बायकर मींभीनमा, 1961 (1961 का 43) की बाड़ा 269-च (1) में मंभीन स्वता

TITLE BEART

कार्याक्षम, सहायक भावकर आयुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, विनांक 16 नवम्बर, 1984

निर्देश सं० सी० श्रार० 62/43075/84-85--श्रत. मुझे, श्रार० भारहाज

बायकर बीधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके प्रकात (उक्त विधिनियम कहा गया है), की धारा 269 क के बधीन सक्षय प्राधिकारी खो, यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित वाजार मृत्य 25,000/- उ. से विध्य है

भीर जिसकी सं 19 है तथा जो ब्रुटन रोड, बंगलूर में स्थित है (भीर इसमें जपाबद्ध अनुमूची में भीर पूर्ण रूप से विजित है (रिजस्ट्रीकर्ता में धिकार) के कार्यालय, शिमाजीनगर में रिजर्दीकरण प्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के भन्नीन तराख 8-6-1984

को प्रॉक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के स्थमान प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथाप्वींक्त संपत्ति का उचित बाजार बुन्द, उसके दश्यमान प्रतिकल से, ऐसे दश्यमान प्रतिकल का पन्नारू प्रतिकत से बिधक है और बन्टरक (अन्तरकार) और अतरिती (अतरितारात्मा) के बीच एक बतरण के निए तय पाया गवा प्रतिक कम, निम्नसिक्ति उद्योगय से उक्त मंतरण लिखित में वास्त-विका कप सं कथित नहीं किया गया है :---

- (का) अस्मरण से हार्य किसी नाय की वाबत, उक्त अधि-नियंत्र के अधीन कर दोने के जन्तरक के दायित्य वो कभी करने या उसस अचने में सुविचर के लिए, और/या
- (ब) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आदितयों को, जिन्हा भारतीय जायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उत्तर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रवासनार्थ अन्तिरती दवारा प्रकट नहीं किया गमा था या किया जाना साहिए था छिपाने में सुनिधा के लिए;

(1) श्री व श्रार० रतनाम,

2- मैसर्स प्रेमा रतनाम,

3- श्री ग्रार० विद्यासागर
रिसाइडिंग एट नं० 24,
ग्रन्तस्वामी मोदलायार रोड, बंगलूर

4- मैसर्स राधाबाई रामलिंगम,
नं० 2, गंगाधर चेट्टि रोड, बेंगलूर और

5- मैसर्स रमेशवारि,
बृद्धावन ग्रालि श्रासकर रोड, बंगलूर।

(मनारक)

(2) श्री विरेन्द्रा सिंह, नं० 5, किनारी रोड, बंगसूर।

(अन्तरिती)

को यह स्थाना जारी कारके पूर्वोक्त स्म्पित के वर्षन के बिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के कुर्पन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप:---

- (क) इस स्पाना के राजपत्र में प्रकाशन को तारी के 45 विन की अविधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वतः की तामील में 30 विन की अविधि, को भी तर पूर्विकत व्यक्तियों में संकिती हो, के भीतर पूर्विकत व्यक्तियों में संकिती स्थित बुवारा;
- (च) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिकित में किए जा सकोंगे।

स्वक्योकरण: ---इसमें प्रयुक्त कक्यों और पर्यो का, को उपसे अधिनियम के अध्याम 29-क में परिभाविष्ट ही, नहीं अर्थ होना की उस मध्याम में दिना पना ही।

कल्स्**यीं**

बस्तावेज सं० 746/89 तार ख 8-6-1984) समाति है जिसका स० 19 जी बुटन रोड, बेंगलूर में स्थित है।

श्रार० भारद्वाज सक्षम प्राधिकारी सहायक अध्यक्षर आयुक्त (निराक्षण) अर्जन रेज, केंगज़ुर

दिनांक : 16--11--1984

ब्रह्मप्र बाइं. टी. एनं. प्रां. -----

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के स्पीन सूचना

धारत सरकार

कार्योत्तय, सहायकं भायकर भायक्त (निरीक्षण) भर्जम रेंज, संगल्र

बंगलूर, दिनांक 10 नवम्बर, 1982

निशेश सं० सी० भार० 62/43073/84-85--- म्रतः मुझे, आर० भारद्वाज,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'जक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्तम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25.000/- रहे. से अधिक है

मौर जिसके सं० 19 है तथा जो बुटन रोड, बंगलूर में स्थित है (मौर इससे उपाबद्ध भ्रनुसूत्री में श्रीर पूर्ण रूप से विजित है) रि ट्री उरण भ्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के भ्रधीन तरिंख 8-6-1984

को पर्जोक्त मध्यिक के तिचन बाजार मध्य में कम के कारणान प्रतिफल के लिए रिजस्ट्री कर्ता के कार्यालय, विवाजी नगर में धारा 269 ए. बी. के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के गम्मख के पास रिजिन्ट्रीकृत किया गया है मुभे यह निश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपर्शि का उचित बाजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अनारक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एमें अन्तरण के लिए तम पा। गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्विश से उक्त श्रंतरण लिखित में वास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) कलारण ने हुई किभी श्राय की बाबल, उक्ल अधिनियम के अधीन कर दोने के अलारक के सायित्व में कमी करने या उससे बणा में सृविधा के सिए; बीर/वा
- (थ) देती किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों की जिल्हा भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती देवारा प्रकट नहीं किया संवा था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

वतः भव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण भी, भी, उक्त अधिनियम की धारा 269-थ की उपधारा (1) के अधीन, जिस्तिविश्वत व्यक्तियों, अर्थात् :---

- (1) श्री बी० ग्रार० रत्नाम,

 2. मेनर्स प्रेमा रत्नाम

 3. श्री ग्रार० विद्या सागर,
 रिसैटिंग एट न० 24,
 ग्रनास्वामी मोदलायार रोड़, बंगापूर,

 4. मेनर्स राधाबाई रामालिंगम,

 नं० 2, गंगाधर, चेटि रोड़, बंगतूर,

 5, मेनर्स रमेगनारि,
 बुन्वावन, ग्रालि ग्रासकर रोड़, बंगलूर।
 (ग्रन्तरक)
- (2) मेपर्स अन्या बोखनत प्रा० लि०, के० जी० रोड, बग्युर-9

(ग्रन्तरिती

को यह स्वना वारी करके प्रवेक्त सम्पत्ति के वर्षन वे लिए कायवाहिया करता हुं।

इस्त सम्पत्ति से अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप :---

- (क) इस स्थना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीखं से 45 दिन की कविध या तत्मम्बन्धी स्वित्तयों वर स्थना की तामील से 30 दिन की बबिध, को भी जबिध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियां में मंदिरासी स्वित्त ब्योक्त ब्योक्ति हो,
- (वा) इस स्थना के राजपण में प्रकालन की तारीबा वें 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्मिन में हितबव्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अथाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पच्छीकरणः --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, यां उक्त किथिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, बढ़ी वर्ष द्वागा को उस् क्थ्याय में दिवा नवा है।

अंत संची

दस्तारिज सं० 744'84 तारीख 8-6-1984) सम्पत्ति है जिंता ता सं० 19, जो बुटन रोड़, बंगजूर में स्थित है।

> ग्रार० भारद्वाज सभा गागिक रो सहायक आयज्ञ आयुक्त (िरःक्षण) श्रर्जन रेंज, बंगलुर*ं

दिनां कः 16-11-1984

माहर:

प्रक्रप बाई. टी. एन. एस. 🗷 - - ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक अायकर आयक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 15 नवम्बर, 1984

निदेश सं० सी० म्रार० 62/43091/84-85—म्रतः मुझे, म्रार० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उकत अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स क अधीन सक्षम आधिकारा का, यह प्रश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उच्चित बाजार मृत्य 25.000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० 36 (38) है तथा जो शंकरापुरम, बंगलूर में स्थित है (श्री इससे उनाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रून से विगित है) राज ट्री नी श्रीवक री के कार्यलय बसवनगुडि में राजि ट्री नरण आधानयम 1908 (1908 का 16) के श्रधी तिरी में 6-4-1984

का प्रवाकत मपित्त के जीवन बाजार मृल्य में कम के इश्यमान प्रतिफल के लिए रिजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय, बसवनगुडि में धारा 269 ए. बी. के अंतर्गर सक्षम बीधकारी के सम्मुख/के पारा रिजिस्ट्रीकृत किया गया है मुफे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोकत संपत्ति का उचित बाजार मृल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए त्य पा।। गया प्रतिफल, निम्निलिखत उद्देश से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिविक रूप से किथत नहीं किया गया है:——

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त आधानगत के अधीन कर दान के अन्तर वे के में में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; स'र/या
- (स) तर्मिति आय या किसी धन या अन्य अस्तियों को, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा अकट नहों किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपान रें स्विधा को लिए;

जत खंड, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, भं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, ि तें :— (1) श्री श्री री शकरामट शंकरापुरम बंग तूर-4

(ग्रन्तरक)

(2) श्री हेथ मुत्रमन्या जोइस एडविंग्केट, नं० 150/36 एन० हेथ रोड़ वि० वि० पुरम, बंगलूर-4

(प्रन्तरितः)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के क्र्जन के लिए कायशीहया करता हू ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी अपक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में अकाशन की तारीख सं 45 दिन की अवधि या तत्मम्बन्धों व्यक्तियां पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीदर पूर्वेक्त. व्यक्तियों में सं किसी व्यक्ति इवारा.
- (ख) इस स्वता के राजयत में पकाशन की नारीख में 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पट्टीकरण — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ हागा, जो उस अध्याय मे विद्या गया है।

बनुस्ची

दस्तःवेज सं० 50/84 तरीख 6-4-1984) सम्पति है जित्रका सं० 36 (38), जो गंहराम् अपराज्य रोड, शंकरापुरम, बंगलूर-9 से स्थित है।

ग्रार० भारद्वाज सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 15-11-1984

प्ररूप बार्ड, टी. एन. एस.-------

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-थ (1) के अभीन स्थना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक बायकर आयक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, बंगलुर

बंगलूर, विनोक 15 नवम्बर 1989

मिर्देश सं० सः० धार० 62/43128/84-85---श्रतः मुझे, ब्रार० भारद्वाज

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात् 'उक्त अधिनियम' कहा ग्या हैं), की धारा 269-क के अधीन मक्षम प्राधिकारी की यह विख्याम करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रु. स अधिक हैं

भीर जिसकी सं० 27 भीर 28 है तथा जो सुक्वयय्या ले भाउट के० पी० वेस्ट एक्सडेंग्रन, बंगजूर-20 में स्थित है (भीर इससे उपाबड़ भानुसूची में भीर पूर्ण रूप से वर्णित है) रिजस्ट्रीकर्ता भिक्षकारी के कार्यालर गांधीमार में रिजस्ट्रीकरण भाधिनयम 1908 (1908 का 16) के भ्रधीन ताराख 5-4-1984

का प्रोक्त सम्मत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दृश्यमाम क्रितफल के लिए अन्तरित की गृद्द है और मृत्रे यह विश्वास करन का कारण है कि यथापून कत सम्मत्ति को उचित बाजार मृत्य, सक्के दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरिक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरिसयों) के बीच एसे अत्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देष्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तृतिक रूप से किथत नहीं किया गया है:---

- (क) अंतरण से हुई किसी आय की वासत, उक्त क्रांशनियम के अधीन कर दाने के अंतरक कें दायित्व में कमी करने या उससे अचने में सुविधा के लिए; और/या
- (क) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों का जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उत्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 1957 का 27 के अयोजनार्थ अन्तरिती ब्वारा किट नहीं किया गया था या किया जाना न्हाइए ता, कियान में सुविधा और सिए।

बत' सब, उक्त विधिनयम की धारा 269-ग के बनसरण में, में, उक्तम अधिनियम की धारा 260-म की उपधारा (1) के अधीन, निम्निलिखित व्यक्तितमों, अर्थात्:— (1) श्री एच० के० वेंक्कटेशन.
28 मानिंग स्ट्रंट, सुब्धयय्या ले माउट,
के० पी० वेस्ट, एक्सटेंगन,
बंगलूर-20

(ग्रन्सरक)

(2) श्री श्रीचन्द बिशनशस,
 मेसर्स डी० एस० टलरेजा,
 64/1, 5 मेन रोड, गांधीनगर,
 बंगलूर-9

(भन्तिरती)

को यह स्चना जारी कारके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कामग्रीहर, करता हु।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस स्वा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 विन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वा की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद मा समाप्त हाती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति स्वारा;
- (₹) इस सूबना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 45 दिन के भीतर उत्तत स्थावर सम्पत्ति में हितबक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अक्षोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा गर्जोगे।

स्पद्धीकरणः — इसमाँ प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त आधिनियम के अध्याय १०-क में परिभाजित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया गया हो।

समस्य 🕏

(दस्तावेज सं० 16/84-85 सारीख 5-4-1984) सम्मति है जितकी सं० 27 श्रीर 28 जो शापिंग स्ट्रेट, सुब्बय्या ले भाउट, के० पा० वेस्ट एक्सटेंगन, बंगलूर में स्थित है।

> मार० भारद्वाज सक्षम प्राधिकारी सहायक प्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, बंगलूर

विनांक : 15-11-1984

बक्य बार्ड.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियस, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-च (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

क्सर्वासंख, सहायक कायकर आयुक्त (निरीक्षण) मर्जन रेंज, बेंगल्र

बेंगलूर, विनांक 15 नवम्बर 1984

निवेश सं० सी० भार० 62/43150/84-85---भतः, मुझे भार० भारताज

शायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें ६सके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हो), की धारा 269-- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का जारण ही कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित आजार मृत्य 25.000/- रा. से अधिक ही

धौर जिसकी सं० 350 है, तथा जो सारककी, धगलूर में स्थित है (भौर इसके उपाधड़ धनुकृष में धार पूर्ण रूप से रिंग्टर है) रिजिन्स्ट्रीकर्ता धिवनारी के कार्यालय बेंगलूर दक्षिणत लुक में रिजिस्ट्री-करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के धर्यान दिनांक 19-4-1984

की प्रवेक्त सम्पत्ति के उचित माजार मूल्य से यम के एवमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुके यह विश्वास करने का कारण है कि यथाप्रवेक्त सम्पत्ति का उचित बाजार सूल्य, उसके दृष्यमान प्रतिफल से एसे एक्यमान प्रतिफल के पन्तह प्रतिक्षत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और बन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय सना गवा प्रतिफल, निम्नलिकित उद्देष्य से उक्त अन्तरण विविद्य में वास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त बाधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सृविधा के लिए; और/या
- (च) ऐसी किसी या किसी धन या अन्य आस्तियाँ को जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया भा या किया जाना चाहिए था, खिपाने में सुविधा के निए;

बत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्मरण की, मी, उक्त अधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (१) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों. अधीत :---

भी भार० एम० पटेल,
नं० 164/7, सौत कास रोड,
एम० एन० के० पार्क,
बसवनगुडि, बेंगलूर-4

(ग्रसरक)

 मैसर्स प्रत्यी बाई, नं० 3/1, पटालाम्मा स्ट्रीट, बेंगलुर-9

(ग्रस्तरिती)

को यह स्थाना जारी करके पूर्वोक्त सम्परित के वर्षन वे विष् कार्यवाहि सं करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की सारीका के 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी स्थितामां पर स्चान की सामील से 30 दिन की अवधि, को भी अवधि बाद म समाप्त हाती हा, क भीतर प्रविक्ष व्यक्तित्यों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ज) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी ज ते 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबवृष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्पाक्षरी के पास लिखित में कियं जा सकींग।

स्यष्टीकरणः --- इसमें प्रयुक्त शब्दी और पदौ का, जो उक्स अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभावित्र ही, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विशा गया है।

वन्स्वी

(दस्तावेज 'सं० 294/84, दिनांक 18-2-1984) सम्मति है जिनका सं० 359, जो सारिक्क बेंग्लूर, दक्षिण तालुक, में स्थित है। (नापना 15.4023.40 मंटसं)।

> मार० भारकाज सक्षम प्राधिकारी सहायक मायकर भायुक्त (निरीक्षण) मर्जन रेंज, बेंगजूर

दिनांक 15-11-1984 मोक्ष्य: प्ररूप. बाइ. टी. एन. एस्. - = - = -

नायकर निधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-म (1) के अधीन स्थना

बारत सरकार

कार्यालयः, सहायक आयक्त आयुक्त (निरीक्षण) स्रातेन टेंग, बेंगगूरः

बेंगलूर, दिनांक 15 नवम्बर 1984

निर्देशसं० सी० ग्रार० नं० 62/43148/84-85--- प्रज: मुझे, श्रार० भारद्वाज,

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करन का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उजित बाखार मृज्य 25,000/- रह. से अधिक है

भीर जित्रकी सं० 154 है, तथा जो कोरामंगता, I स्टेंन, बेंगतूर में स्थित है (ग्रं:र इस उपाबद्ध ग्रनुसूची में ग्रीर पूर्ग रूप से बॉगत है) रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारं के कार्यालय बेंगतर दक्षिण तातुक में रजिस्ट्रेंकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन दिनांक 24-4-1984

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृल्य सं कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मके, यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिश्वत से अधिक है और अंतरक (अंतरका) और अंतरिती (अन्तरितिया) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण शिकित यास्तविक रूप स कथित नहीं किया गया है:——

- (क) अन्तरण से हुई किसी शाय की वावत, उच्च अधिनियम के अधीन कर दोने के जन्तरक के दायित्य में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (क) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 1!) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाधनार्थ अस्ति है है हिएस अबट नहीं किया गए। का या बिहा जारा काहिए था, हिस्सेन की सिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन,, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--- कर्नल एस० एन० गिनवाला, वि० एस० एम० और मैसर्स पेरविज साम गिनवाला, एन० सि० सि० ग्रुप हैड क्वार्टर्स, रेजिडेन्स क्लब, रेडियो कालोनी इन्दौर ।

(भ्रन्तरक)

 श्रो जान कत्तालिकत्तु, मालिल चान्दि, मैसर्स सि० चान्डि, चन्नादम्मा चान्डि, श्री जान चान्डि, श्रौर श्री जाकोब चान्डि, नं० 1, लियोनार्ड रोड, रियमन्ड टाउन, बेंगलूर-25

(ग्रन्तरिती)

की यह सुचना चारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के **बर्जन के लिए** कायवाहिया करता हूं।

बक्त सम्परित के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्षेप :---

- (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारी का के 45 दिन की बविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तिमों पद ब्रूचना की तामील से 30 दिन की शबिध, का भी बविध बाद में समाप्त हाती हो, के भीतर प्रविक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ब्दारा;
- (व) इस स्वना के राजध्य में प्रकाशन की तारीब वें 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक्थ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

श्वाच्यीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हीं. वहीं अर्थ होगा को उस अध्याय में दिशा गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 443/84 दिनांक 24-4-1984)

सम्पत्ति जिसका सं० 154, जो कोरामंगला, स्टेज, बेंगलूर में स्थित है। (नापना 3,900 स्ववायर फीट, ब्रार-362.3228 स्कवायर म.टर्स)।

ग्रार० भाग्व ज सक्षम प्राधिवारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निर्ग्टण) गर्जन रें भे गैलूर

दिनांक: 15-11-1984

प्रक्ष नार् .टी. पुन .पुर .----

नाभकार नाधनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व (1) के नधीन सुचना

भारत तरकार

कार्यानय, सहायक नायक र नायुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, विनांक 16 नवम्बर 1984

निदेश सं० सि० श्रार० 67/43999/84-85— सतः मुझे, भार० भारकाज,

बायक र अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसके इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है वि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25.000/- रा. से अधिक है

भी गिरिक्त संव 3/17 है, तथा जो बीव एसव एवं रोड, बालूर में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुष्की में और पूर्ण राजे जी गई) शिल्झोकती प्रधिकारी कार्यालय शिवाजी नगर, में रिजिल्झोकरण श्रिधिनियम 1908 (1908 का 16) के श्रिधीन जिल्हा 15-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के स्थमान प्रतिफाल के लिए अन्तिशत को गर्थ है अरे प्रभ यह तिक्वाम करने का कारण है कि प्रथापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्त्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिचित में वास्तिवक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (फ) जन्तरण से हाई किसी आय की बावन, बक्त जिन्नियम के अधीन कर दोने के जन्तरक के दाधित्व में कमी कारन या उससे बचने में सुविधा-के निए; जौर/या
- (स) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन- कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तिरती द्वारा प्रकट नहीं किया गया धा या किया जाना चाहिए था, अभिने से सुविधा के लिए?

कतः अव, उकत अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-थ की उपभारा (1) के अभीन. निम्मिलिक्षित व्यक्तियों, अभीत् :--- श्री नस्रकल्ला शरीक, न० 8 पे,र्यार नगर टेन्नेरि रोड, क्राम, बंगलूर ।

(भन्तरक)

2. श्री जे० जफरूल्ला गरंफ, (2) श्री जे० श्रहमदुल्ला गरोफ, नं० 25, II, कास पिल्लाना, गार्डन, वंगारू।

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हुं।

जनत सम्पत्ति के कर्जन के सम्बन्ध में कोड़ों भी जाक्षेप :---

- (क) इस स्चेना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 45 दिन की अविध या तत्मंबंधी अ्यक्तियों पर स्चेना की तामील से 30 दिन की अविध, को भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (का) इस सचना के राजपंत्र में प्रकाशन की तारीस के 45 दिन के भीतर उथत स्थावर संपत्ति में हितवडथ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास तिस्ति में किए जो सकीगे।

स्पष्टीकरण:--इसमाँ प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क, मों परिभाविष्ठ है, वहीं अर्थ हाना जो उस अध्याय में दिवा नया है।

अनुस्ची

(दस्तावेज सं० 82/8 5 दिनांक 15-4-1984)

समाति है जितका सं० 3/17, जो बि० एस० ए० रोड, डिबीजन, नं० 48, बंगलूर, में स्थित है।

> आर**० भारद्वाज** सञ्जय प्राधिका**रो** सहायक भायकर आयुक्त (निराक्षण) भर्जन रेंज, बंगलूर

दिनोंक: 16-11-1984

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

बाधकर अधिनियम. 1961 (1961 का 43) की **धारा** 269-श्र (1) के अधीन स्<mark>च</mark>ना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर वायुक्त (निरीक्षण) भर्जन रेंज, बंगनूर बंगलूर, दिनांक 16 नवम्बर 1984

निरेश सं० सि० मार० 62/43998/84-85—मातः मुझे, भार० भारक्षाज,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इन्समें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269--श के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रु. से अधिक हैं

षौर जिनकी सं० 18 है, तथा जो IV मेन रोड, गगेन हिल्ल, बंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है) राजेस्ट्रीकर्ता अधिक रो के कार्यालय, गांध नगर में रजिस्ट्राकरण प्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के भ्रधीन दिनांक 6-4-1984

कां पूर्वोक्त सपित्त के उचित बाजार मृत्य से कम के दृश्यमान प्रतिकास के लिए अन्तरित की मर्च हैं और मुके यह विश्वास करने का कारण हैं कि यथाप्योंकत सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिकाल से एमें दृश्यमान प्रतिकाल के पन्तह प्रतिकात से अधिक हैं और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरित (अन्तरित्यों) के बीच एमें अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकाल, निम्नतिकात उद्दृश्य से उक्त अन्तरण कि लिए तम महास्तिका में वास्तिकाल, निम्नतिकात उद्दृश्य से उक्त अन्तरण कि लिए तम कि साम प्रतिकाल से स्वरूप से किया गया हैं:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की वाबत, उर्केत अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सृविधा के सिए; और/या
- (वा) ऐसी किसी या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हों भारतीय आयक्तर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उच्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के अन्सरण अन, में उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अक्रिक, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधीत :---- श्री डी० नागराज, नं० 434, 45 कास. 'वी', ब्लाक, जयानगर, सं लूर ।

(ग्रन्तरक)

 श्री मोहम्द हुसैन, नं० 15, II, मेन रोड, गगेनाहिल, बंगलूर ।

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के वर्जन के शिवष् कार्यवाहिया करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के वर्षन के संबंध में की हां भी बाक्षण :---

- (क) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन की अवधि या तत्सवधी व्यक्तियों पर सचना की नामील से 30 दिन की बवधि, जो भी अपिक बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वाक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- [क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबबध किसा अन्य स्थावत द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकसे।

स्पष्टीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो जक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगा जो उस अध्याय में विका गया हैं।

अनुसूची

(बस्त ेज, सं० 82/84-85, दिनाक #4-1984)

सम्मत्ति है जिनका सं ० 18, जो मेन रोड, हेब्बाल मैन, गंगेनाहिल्ल, बंगलूर में स्थित है।

> स्रार**े भारद्वाज** सन्नय प्राधिकारो सह्ययक स्रापकर स्रायुक्त (निराक्षण) स्रर्जन रेंज, **बेंगलूर**

विराज : 16-11-19-4

प्ररूप काइं.टी. एन. एस. -----

भाभकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-भ (1) के अधीन सूचना

भारत सर्कार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज, बेगलूर

बेगल्र, दिनांक 16 नवम्बर 1984

निदेश सं० सी० अ(२० 67/43997/84-85—-अत: मुझे; आर० भारद्वाज,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-क के अधीन सक्षम प्राधिकारी की यह विश्वास करने का कारण ह कि स्थावर संपन्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रु से अधिक हैं

श्रीर जिनकी सं० 48/4 है, तथा जो मावित्ल टयाक, बंड रोड, वेंगलूर में रिथत है (श्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण का से विणित है) रिजस्ट्रीक र्रा अधिकारी के कार्यालय ससवन गुडि, में रिजस्ट्रीकरण श्रिधनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन दिनांक 16-4-1984

को पूर्वीक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ध्रथमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूओ यह विष्याम करने का कारण है कि यथापूर्वक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे ध्रथमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) को बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तीयक हप से किशत नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियर के अधीन कर दोने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के सिए; और/या
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां को जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उन्तत अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, खिपाने में मृविधा के निए

भराः भव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---- 17—426 GI/84

श्री एम० श्रीनिवास मूर्ति, नं० 2, कालाप्पा, ब्लाक, बसनवतागुडि. बेंगलूर-4

(ग्रन्तरक)

 श्री टी० लक्ष्मीनारायण, नं० 37, मौन्ट ज.य मेटर, हनुमंत नगर, बेगतूर-19

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हा।

उक्त सम्पत्ति को अर्जन को संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कत स्वितयों में से किसी व्यक्ति स्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी ख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सपत्ति में हितबक्ध किसी अन्य व्यक्ति स्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए आ सकर्ण।

स्पव्यक्तिरणः — इसमें प्रयक्त शक्यों और पर्यों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20 क में परिभाष्यत है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया गया है।

ननुसूची -

(बस्तावेज मं० 147/84, दिनांक 16-4-1984)

सम्पत्ति है जिसका सं० 48/4, जो मावल्लि, टयाक बंड रोड, बेगलूर मे स्थित है।

> श्रार० भारद्वाज सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज बेंगलूर

दिनोक: 16-11-1984

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

भायक र अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के अभीन सूचना

भाउत सरकार

कार्यासय, सहायक जायकड आयुक्त (निडीक्षण) धर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 15 नवम्बर 1984

निदेश सं० सी० धार० 62/43111/84-85—म्बतः मुझे, भार० भारकाज.

शायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-क के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रड. से अधिक है

भौर जिसकी सं० सर्वे नं० 98/3 है, तथा जो बगसन्द्रा, विलेज, जयानगर, बंगलूर, में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में भीर पूर्ण रूप से वर्णित है) रिजस्ट्रीकर्ता श्रिधकारी के कार्यालय जयानगर में रिजस्ट्रीकरण श्रिधिनयम, 1908 (1908 का 16) के भ्रष्ठीन दिनांक 11-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विद्यास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे ६ पान प्रतिफल का पृत्यह प्रतिश्वत से अधिक है और अन्तर्श से (अन्तरकाँ) और अन्तरिती (अन्तरितयाँ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया मबा प्रतिफल, निम्नितिचित उद्विषय से उक्त अन्तरण जिखित के बास्तिक क्य से क्रिथत नहीं किया गया है है—

- (क) बन्तरण से हुई किसी शाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के बायित्व में कामी करने या उसमे बचने में सुविधा से लिए; और/या
- (क) एंसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-नार्थं अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जागा जाहिए था खिपाने में सृविधा के लिए;

 मैसर्स मुनिगुरम्मा भ्रालियास थिक्कानाथम्मा, भौर कुछ लोग नं० 24, II कासे, बैरासन्द्रा, जयानगर, बंगलूर ।

(ग्रन्सरक)

 मैसर्स लीला विजया कुमार, बजाह, यु० ए० ई० ।

(भन्तरिती)

को ग्रह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के सिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच सै 45 दिन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर गूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीलर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की नारीस सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस्थ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताकार के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्यव्यक्तिरणः इसमं प्रयुक्त शक्यों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिपापित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया हैं।

प्रनुसूची

दस्तावेज, सं० 320/84, धिनांक 11-4-1984)

सम्पत्ति है जिसका सं० सर्वे नं० 98/3, जो बैगसन्ता, जयानगर, बगलर, में स्थित है ।

> ग्रार॰ भारकाज सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रजीन रज, श्रेगेलूर

कतः वय, उपत विधिनियम की भारा 269-ग के वनुसरण थैं, मैं, उपत विधिनियम की भारा 269-थ की उपभारा (1) कै वधीन, निम्न[अधित व्यक्तियों, वर्भात् ह——

विमान : 15-11-1984

मोहरः

प्ररूप बाइँ, टी, एन. एस.-----

कावकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-म (1) के अधीन सूचना

भारत तरकार

कार्याभय, सहायक आयकर आयुक्त (निडीक्शण)

प्रार्जन रेज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनाक 15 नवम्बर 1984

निदेश सं० सी० बार० 62/43167/84-85-- बतः मुझे, बार० भारताज

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परकात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-अ के गथीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थायर सम्पत्ति, जिसका उपित बाजार मुख्य 25,000/- रु. से अधिक है

भौर जिसकी सं० 188 है, तथा जो एच० ए० एस० II स्टेज, इंदिरानगर, बेंगलूर में स्थित हैं (भौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में भौर पूर्ण रूप से वर्णित हैं) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय शिवाजीनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 🖁 1908 (1908 का 16) के भ्रापीन दिनांक 16-4-1984

को पूर्वोक्त सम्परित के उचित बाजार मृत्य से कम के दृश्यमान प्रतिफात के लिए अन्तरित की गई है और मृक्षे यह विश्वास करने से कारण है कि यथापूर्वोक्त संपरित का उचित बाजार मृत्य हसके दृश्यमान प्रतिफाल से एसे दृश्यमान प्रतिफाल का पत्यह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) दौर अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तृय पाया गया प्रतिफाल निम्नलिखित उद्वेषय से उक्त अन्तरण सिख्त के वास्तिमक रूप से कथित नहीं किया गया है है---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आयं की बाबते, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी कर्ने या उससे बचने में सुविधा के चिए; बॉर/मा
- (क) ऐसी किसी बाव या किसी धन या अन्य आस्तिवां कां, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वाय प्रकट नहीं किया गया या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के सिए;

वतः वतः, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिकित व्यक्तियों, वर्षात् म⊷— कर्नल पी० सी० गनपति (रिटायर्ष), नं०2, माडल हाउस, गोकुलम, III कास मैसूर-2

(मन्तरक)

श्री ए० प्ररिवन्द राव,
 नं० 35, नंजाप्पा रोड,
 शांति नगर, वेंगलूर ।

(भन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पक्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

जनत सम्परित के वर्णन के स्म्बन्ध में कीई भी जाक्षेप :---

- (क) इस स्वना के शवपन में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन की अविभ या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पद स्वना की सामील से 30 दिन की अविध, को और अविभ बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्रविक्त स्मित्यों में से किसी स्मित्त ब्वाय;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस सै 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक्थ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास सिसित में किए का सकेंगे।

स्पष्डीकरण: ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त - अधिनियम, के अध्याय 20-क में परि-भाषित हैं, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दस्ताबेज सं० 140/84, दिनोक 16-4-1984) सम्पत्ति है जिसका सं० 188, जो बिन्नामंगला लेघाउट (डिफेंस कालोनी), एच० ए० एल० II स्टेंज, इंदिरानगर्। बेंगलूर में स्थित है।

> आरं० भारद्वाज सक्षम प्राधिकारी सेहायक मायकर म्रायुक्त (निरीक्षण) मर्जन रेंज, बेंगलूर

विनोक 15-11-1984 मोहर : प्ररूप आहें.टी.एन.एस. -----

भगवकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व (1) के अभीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर बायुक्त (निरीक्षण).

ध्रजेन रेंज,बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 16 नवम्बर 1984

निदेश सं० सि० भार० 62/43074/84-85--- भ्रतः मुझे, भार० भारद्वाज,

नायकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उन्त अधिनियम' कहा गया है), की भाषा 269-क के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विस्वास करने का आषा है कि स्थावर सम्पत्ति, विसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रु. से अधिक है

भौर जिसकी सं० 19 है, तथा जो ब्रुटन रोड, बेंगलूर में स्थित है (भौर इससे उपाबद्ध भ्रनुसूची में भौर पूर्ण रूप से विणत है (रजिस्ट्रीकर्ता भ्रधिकारी के कार्यालय शिवाजी नगर में रजिस्ट्रोकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 8-6-1984

को पूर्वोक्स सम्पत्ति को उचित बाजार मृत्य से कम को स्वयमान प्रतिकल के लिये अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा

पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृष्यमान प्रति-फल से, ऐसे दृष्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हैं और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियाँ) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं पाया गया हैं:——

- (क) अन्तरण से हुई किसी नाम की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के जन्तरक औ दायित्व में कभी करने या उसते वचने में मिविधा के टिन्; बीट्र/या
- (क) ऐसी किसी जाय या किसी धन या जन्य जास्तियों की, फिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उकत अधिनियम, या धन-कर जधिनियम, 1957 (1957 का 27) की प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया बाना चाहिए था, छिपान में सुविधा के शिए;

जतः जब, उक्त अभिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की भारा 269-व की उपधारा (1) दे अधीन. निम्नसिधित व्यक्तियों, अर्थात् व——

- 1. (1) श्री वी० ग्रार० रत्नम,
 - (2) मिसेस प्रेमा रत्नम,
 - (3) श्रो श्रार० विद्या सागर रिसाइडिंग एट नं० 24 श्रन्ता स्वामी मुदालयार रोड बेंगलूर।
 - (4) मिसेस राधाबाई रामालिंगम नं० 2 गंगाधर चेट्टि रोड बेंगलूर । ग्रीर
 - (5) मैसर्स रमेश वारि बृन्दावन श्रालि श्रासकर रोर्ड बेंगलूर।

(अन्तरक)

मैसर्स मेरि टोनि,
 नं० 19, बुटन रोड, बेंगलूर।

(ग्रन्तरिती)

को यह स्थाना कारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के जिल्क कार्यवाहियां गुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस-स्थान के राजपक में प्रकाशन की तारी के 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्थान की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध नाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्रांकित व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारी सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकरें।

ल्यक्बीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, को सक्ब कृषिनियम, के मृध्याय 20-कं में प्रिभावित हैं, वहीं अर्थ होगा को उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दस्तावेज, सं० 745/84, दिनांक 8-6-1984) सम्मित्ति है जिसका सं० 19, जो खुटन रोड, बंगलूर में स्थित है ।

श्रार० भारद्वाज, सक्षम प्राधिकारो सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, बंगलूर

दिनांक 16-11-1984 मोहर :

प्रकर बार्ड : टी : एन् : एड्डा व्याप्य व्याप्य

भागकर विभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के विभीन स्वाना

तारत तरका

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर
बेंगलूर, विनांक 17 नवम्बर 1984

निर्देश सं० सि० भार० 62/44006/84-85—अतः मुझे आर० भारद्वाज,

बायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चीत् 'उक्त अभिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-ख के अभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्परित, जिसका उचित बाजार बृल्य 25,000/- रा. से अधिक हैं

भौर जिसकी सं० 1083 है, तथा जो 10, मैन रोड, आरपी० सी०, लेऔट, बेंगलूर में स्थित है (भौर इससे उपाबद्ध अनुसूची मे भौर पूर्ण रूप से विणित है), रजिस्ट्रीक रण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984

को पूर्वीक्स सम्परित को उचित बाजार मूल्य से कम को इत्यमान प्रतिकान को लिए अंतरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोंक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिकल से, एसे दश्यमान प्रतिकल का बन्द्रह प्रतिकष्त से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) को बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-का निम्निचित उद्वेश्य से स्वत्त बन्तरण सिचित में बास्तिबाद रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण संहुदं किसी बाय की बाबत, उक्त अभिनिवृध के अभीन कर दोने के अन्तरक के शायित्य में कमी करने या उत्तसे बच्चने में सुविधा के लिए; और/वा
- (क) ऐसी किसी नाय या किसी धन या अन्य नास्तियाँ को, चिन्हें भारतीय बाय-कर निधिनयम, 1922 (1922 का 11) या उक्त निधिनयम, या बनकर निधिनयम, या बनकर निधिनयम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जन्तरितो ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के तिक्या के ति

लतः वस, उक्त सिधीनयम, की भारा 269-ग के अनुकारण वो, मी, उक्त सिभिनियम की भारा 269-भ की सम्भारा (1) इंडियोज, चिरमीनकित व्यक्तियों, वर्षात् ट— श्री एस० मुद्धान्या,
न० 1083, X, मैन रोड,
आर० पी० सी० लेआउट विजयानगर,
ईस्ट , होसाहल्लि, बेंगलूर ।
(अन्तरक)

श्री बी० पी० वासुदेवा मूर्ति,
 नं० 426, III, स्टेज, ।
 एम० पाल्या, राजाजिनगर, बेंगलूर।

(अन्तरिती)

को यह सुचना धारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्घन के लिए कार्यवाहियों करता हु।

दक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी नाक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सवधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि साद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कर व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (थ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीचं वे 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए वा सकोंगे।

स्थव्यक्तिरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्दों का, वो उच्च अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया गया है।

अनुसूची (दंस्तावेज सं० 142/84, दिनांक अप्रैल 1984) सम्पत्ति है जिसका सं० 1083, जो X, मैन रोड, आर० पी० सी० लेऔउट, बेंगलूर, में स्थित है।

आर॰ भारद्वाज सञ्जम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, बेंगलर

दिनांक: 17-11-84

मोहर ः

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 17 नवम्बर, 1984

निदेश सं० सि० आर० 62/43228/84-85—अतः मुझे, आर० भारदाज,

आयर्कर अधिनियम, 1961 (1961 क्रा 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-इ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक हैं

भौर जिसकी सं 1030-डी है, तथा जो 17-ई-कास विन्तामंगला, II स्टेंज, इंदिरानगर, बेंगलूर-38 में स्थित है (भौर इससे उपाबद अनुसूची में भौर जो पूण रूप से वणित है) रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय शिवाजी नगर में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 11-5-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृल्य से कम के छ्यमान प्रतिफल के लिए रिजस्ट्रीकर्रा के कार्यालय,, शिवाजीनगर में धारा 269 ए. बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के पास रिजस्ट्रीकृत किया गया है, मृझे यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृल्य, उसके इध्यमान प्रति-फल से, एसे ख्रयमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिफल से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्विध्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तिक रूप से किथत नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (श) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वाय प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अथ, उक्त अधिनियम की धारा 269-ण के अनुसरण में, में, अक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) के अधीन, निम्मिलिकित व्यक्तियों, अर्थात् ं— श्री बी० आर० रामामूर्ति, नं० 1030-डी, 17-ई, ऋास, बिन्ना मंगला, I^I, स्टेंज, इंदिरा नगर, बेंगलूर-38

(अन्तरक)

 श्रीमती राजाम्मा, ृनं० 7, रायाप्पा, ज्योड, फींसर टाउन, बेंगलूर-5

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आ्क्षोप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी **स** 45 दिन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्ववार;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अभोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरणः --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और प्या का, जा जनरा अभिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

मन्त्रपी

(वस्तावेज, सं० 402 84, विनांक 11 मई, 1984) सम्पत्तिहै जिसका सं० 1030-डी, जो 17-ई- क्रांस विस्ता-मंगला, II स्टेज, इंदिरानगर, वेंगलूर-38 में स्थित है।

> क्षार० भारद्वाज सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, बेंगलूर

दर्नाक: 17-11-1984

प्रकप बार्च हो , एन . एस .------

भायकुर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अभीन सुमना

ज़ारव चडुकार

कार्यालय, सहायक मायकर नायुक्त (निर्काल)

अर्जन रेंज बंगल्र

बेंगलूर, दिनांक 16 नवम्बर, 1984

निदेश सं० सी० आर० 62/44005/84-85--अतः मुझे

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पदचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण हं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाबार मृल्य 25,000/- रा. से अधिक हैं

ग्रीर जिसकी सं० 19 है, तथा जो IV, मैन हेब्बाल मिल, गंगेनाहफिल, बेंगलूर, में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में भौर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गांधीनगर में रिजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 5-4-1984

को पूर्वे कित संस्पत्ति के उचित बाजार मृल्य से कम के दृश्यमान व्यक्तिकल के सिए अन्तरित की गई है और मुक्तेयह विक्वास् करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित वाजार मुख्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (बंतरितियों) के बीच एेसे बंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल, निम्निसित उद्देश्य से उक्त बन्तरण सिवित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया हैं:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी जाय की वाज्य, बिधिनियम के अभीन कर दोने के जन्तरक के दासित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; बरि/मा
- (अ) एोसी किसी आय या किसी भन या अन्य जास्तियों को, जिन्ही भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उपन्त अधिनियम,, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की प्रयोजनार्थ जन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया भा यो किया जाना चाहिए था, छिपाने सें सुविधा वे सिए:

क्त:, बन, अक्त वीभीनयम की भारा 269-ग के वनुतरण के, भी, सुक्त विधिनियम की धारा 269-व की उपचारा (1) 🗱 मधीन, निम्मलिकित व्यक्तियों, मधीत ह---

1. श्री घो० टो० नागराज, नं 0 494, 45, कास, V , ब्लाक, जयानगर, बेंगस्र ।

(अन्नरक)

2. श्री दिलशाद्धृत्निसा, नंo 5, $\sqrt[6]{\Pi}$, बेल्लारि रोड, गंगेनाहल्लि, बेंगलूर।

(अन्तरितो)

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपरित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन् के सम्बन्ध में कोई भी मक्षेप :---

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि . जो भी अविध बाद में समाप्त हांती हो, के भीतर प्रवीक्स स्यवित्यां में में वित्मी ज्यक्ति दुवारा;
- (७) इस सुचना को राजपन् में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन को भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास् लि, बित में किए जासकों गे।

स्पष्टिकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उसत अभिनियम के अध्याय 20-क भें <u>परिभाषित</u> हैं, बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

वन्स्वी

(बस्तावेज, पं० 83/84 विनांक 5-4-84) सम्पत्ति है जिसका सं० 19 जो 5 मैन हेबाल सिभल, गंगोनाहरिल, बेंगलूर, में स्थित है।

> अरि० भारद्वाज सक्षम प्राप्तिकारी सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) मर्जन रेंज, बंगलूर

विनोक 6-11-1984 मोहर 🕹

प्ररूप नाई. दी. एन. एस. -----

बायकर अधिनियम्, 1961 (1961 का 43) की 269-वं (1) के अभीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक बायकर वाय्क्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 17 नवम्बर 1984

निदेश सं० सी० आर० 62/43303/84-85——अतः मुझे, आर० भारताजा

स्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रु. से अधिक है

भीर जिसकी स० 10 हैं, तथा जो किश्मगहाम रोड, बेंगलूर में स्थित है (श्रीर इमसे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विणत है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय शिवाजीनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 4-6-1984

को पूर्वित्रस सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और म्भे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्विकत संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया पृतिफल, निम्निचित्रत उद्देश्य से उक्त अन्तरण निकित में बास्तिभक क्य से किथत नहीं किया नया है:——

- (क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि-भियम के अधीन कर दोन के अन्तरक के बायित्व में कभी करने या उससे बचने में मृतिभा के जिना: और/या
- (क) एंसी किसी आय या किसी धन या बन्य बारिसवों को, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त के धिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के स्योजनार्थ अन्तरिसी इंदारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए:

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के अधीन, निम्मलिकित स्पिक्तयों, अर्थाट :---- क्वातालिक बिशय कान्फ्रेंस आफ इंडिया, सोसायटी फार, मेडिकल एजुकेशन, फारमरल नोन ऐंड, सेंट जान्स मेडिकल कालेज और हास्पिटल, कीरमंगला, बेंगलूर।

(अन्तरक)

 श्री एन० एन० पटेल, मैसर्स रूपम एन० पटेल, रिजाइडिंग एट न० 21/14, एन० जी० रोड, बंगलूर-1

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कर्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस तूचना के राज्यन में प्रकाशन की तारीब वे 45 दिन की जबिंध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर मूचना की तामीम से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भौतर पूर्वांक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति इतारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित- बब्ध किसी अन्य व्यक्ति ब्वारा अभोहस्ताक्षरी के पास जिल्ला में किए था सकेंगे।

स्पव्यक्तिरण इन्न-इसमें प्रयुक्त खब्दों और पदों का, जो उन्तर अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, बहुी वर्ष होना जो उस सध्याय में दिवा पदा हैं 🏗

नन्त्रची

(वस्तावेज सं० 597/84 तारीख 4-6-84) सम्पत्ति है जिसका म्युतिश्विपल नं० 10 (पुराना सं० 3), जो कान्निगहाम ऋसेंट, सिविल स्टेशम, बैंगलूर, में स्थित है।

> आर० भारद्वाज सञ्जम प्राधिकारी सहायक स्रायकर फ्रापुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, बेंगलूर

दिनांक: 17-11-1984

- मोहरः

সক্ষ পার্ভ প্রতি প্রতি প্রতি

भागकर मिथिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-भ (1) के मधीन सूचना

भारत संदुकार

कार्यालय, तहायक जायकर जायुक्त (निरक्षिण)

अर्जन रेंज, बेंगलूर

ब्रॅंगलूर, दिनांक 20 नवम्बर 1984

निवेश सं० सी० आर० 62/43219/84-85—अतः मुझे, आर० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) ि(असे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपरित, जिसका उचित बाजार मूल 25,000/ रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० 162/2 है तथा जो मागिंड रोड, कार्ड रोड एक्सटेंगन, होसहिल्ल, बेंगलूर में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद अनुसूची में श्रीर जो पूर्ण रूप से घणित है) रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय श्रीरामपुरम में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 7-5-1984

को पूर्वोक्स संपरित के उच्चि बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुफे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पंन्द्रह प्रतिअत से अधिक है और अंतरिक (अंतरिकों) और अंतरिती (अंतरितयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निस्निलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुइ किसी आय की वाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करनेया उससे बचाने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) वा उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरित द्वारा प्रकट नहीं किया गरा वा या किया जाना वाहिए था, जिनाने में सुविधा के निए;

ा श्रीमती सिद्धार्गगाम्मा, नं० 93, गोविन्दाप्पा रोड, बसवनगुडि, बेंगलूर-4।

(अन्तरक)

डाक्टर वै० ए० नारायण,
 डाक्टर वै० जयाकुमार,
 238/1, पी० जे० एक्सटेंशन,
 IV, कास, दावणगेरे।

(अन्तरिती)

3. अन्तरक ।

(वह न्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना चारी करके पूर्वोक्त सम्परित के वर्षन के जिल्ला कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति को वर्षन को सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 विन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी विषय वाद में समाप्त होती हो, के भीतर पृशांकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्वारा;
- (ब) इस सुबना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी बन्ध व्यक्ति इंगरा बभोहस्ताक्षरी के पास निवित्त में किए वा सकेंगे।

स्पष्टिकरण: --- इसमी प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित ही, वहीं अर्थ होंगा जो उस अध्याय में दिया

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 403/84, तारीख 7-5-1984)

सम्पत्ति है जिसकी सं 0 162/2, जो 18 कास, भागिंड रोड, कार्ड रोड एक्सटेंशन, होसहस्लि, बेंगसूर में स्थित है।

आर॰ भारद्वाज सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, बेंगलूर

विनांक: 20-11-1984

प्रकार बाइं. स्त्री . एन् . एस . ---------

जायकर लिधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-थ (1) के जधीन स्वना

भारत रहकाह

कार्यांतय, सहायक आयकर बायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलुर, दिनांक 17 नवम्बर 1984

निवेश सं० सी० आए० 62/43321/84-85—अतः मुझें, सार० भारकाज,

बायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसकें इसकें प्रश्नात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृस्य 25,000/- रा. से अधिक हैं

और जिसकी मं० 148 है, तथा जो र ब्लाक, कोरामंगला एक्सटेंशन, बेंगलूर में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रीर जो पूर्ण रूप से विणित है), रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बेंगलूर दक्षिण तालुक में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अग्रीन तारीख 26-6-1984

को ब्वॉफ्त सम्पित्त के उचित बाजार मृन्य से कम के स्थयमान प्रतिफाल के लिए अन्तरित की गड़े हैं और मुक्ते यह विज्यास करने का कारण हैं कि यह पूर्वोक्त संपरित का उचित बाजार मृज्य, उसके दश्यमान प्रतिफल गं, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत से अधिक हैं और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उत्विध्य से उक्त अन्तरण क्य से करित नक्षी किया वया हैं:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की वाबत, उच्त जीध-नियम की अधीन कार दोने को अन्तरक की वायित्व में कसी कारने या उससे वचने में सुविधा को निए; जौर/या
- (क) एसो किसी बाय या किसी धन या जन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आय-कार अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना वाहिए था, विश्वाने में सुनिधा के लिए;

सत: सब, उक्त विधिनियम की धारा 269-न के सनुसरण वे., में, उक्त विधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के सधीन, निस्मितिकत स्वविद्यां, जर्थात् :--- श्री पी० रामाचन्द्रा रेड्डी,
 46, मामल्लि टेंक बंब रोड,
 बेंगलूर।

(अस्तरक)

2. श्री गोबिन्सा विश्वानात, रेप्रेजेंटेड बाई श्री जी० रामदास, नं० 9, अलसूर रोड, बेंगलुर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के लिए कार्यशाहियां कारता हुं।

जनत सम्पत्ति के बर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाबोप:---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब के 45 दिन की अविधि या तत्तम्बच्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वृवारा;
- (व) इस स्वान के राव्या में प्रकासन की तारीय से 45 दिन के भीतर सकत स्थावर सम्परित में हित-बद्ध किसी अन्य अपनित ब्वारा अभोहस्ताकारी के पास निवित में किए वा सकोंगे।

स्पट्टोकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, को उक्द अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया सवा है।

वग्त्जी

(दस्तावेज स० 1230/84, तारीख 26-6-1984) सम्पत्ति है जिसका सं० 148, जो ब्लाक I, कोरामंगला एक्सटेंशन, बेंगलूर में स्थित है।

> म्रार० भारद्वाज, सक्षम प्राधिकारी सड़ायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अजैन रेंज, बेंगलूर

दिनांक: 17-11-1984

भूक्य बार्या बीज एमंड एसक २०००

नायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-भ (1) के अभीन सूचना

भारत सुरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (नि<u>र</u>क्षिण) अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगजुर, दिनांक 16 नवम्बर 1984

निदेश स० सी० आर० 62/44002/84 85— अतः मुझे आर० भारताज,

कायक द लियिन मन्न 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके प्रकार 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का सारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूस्य 25,000/- एत. से अधिक है

भौर जिसकी सं० 6(26) है, तथा जो सुलतानपास्या, मटादाहल्लि, बेंगलूर में स्थित है (भौर इससे उपावद्ध अनुसूची में भौर पूर्ण रूप में वर्णित है) रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी क कार्यालय, बेंगलूर में रजिस्ट्रोकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 10-4-1984

को पूर्वों कत संपत्ति के उचित बाचार मूल्य से कम के स्थमान प्रतिफल के लिए रिजस्ट्रीकर्ता के कार्याालयः, ' के के के के र में धारा 269 ए. बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के पास रिजस्ट्री-कृत किया गया है, मूझे यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वों कत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके स्थमान प्रतिफल से, ऐसे स्थमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियाँ) के बीच अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्निलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वासविक रूप से किथत नहीं किया गया है :--

- (क) अक्षारण से हुई किसी नाय की बाबत, उनक् अधिनियम के अभीन कर दोने के अंतरक के दायित्य में कभी करने या सस्से बचने में सुनिधा के निष्; और/या
- (क) ध्रेसी किसी बाब वा किसी धन वा अस्व वास्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन- कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वाय प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सृष्ठिसा के लिए:

बतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधीत् :— श्री कें ० पी० विश्वन,
 नं० 9/7, लाय इस रोड,
 प्राप्त, कूक्स टाउन, बेंगलूर।

(अन्तरक)

श्रो हंसा ए० सचदेव,
 बाई: पी० ए० अमरलाल आर० सचदेंब,
 चेतुल, चर्च रोड, बेंगलूर 27

(अन्तरिती)

कार्यह सूचना कारी करके पूर्वोक्त, स्व्यक्ति के वर्जन के हिन्य कार्यवाहियां करता हुं।

उनत सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्षप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख हैं। 45 दिन की अविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पृदु सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों क्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थायर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास सिक्षित में किए जा सकोंगे।

स्थिकरण ु---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया प्या हैं।

अनुसूची

(वस्ताबेज स० 96/84-85 विनांक 10-4-84) सम्पत्ति है जिसकी सं० 6 (पुराना स० 26), जो सुलतानपाल्या, मटवाहल्लि, बेगलूर मे स्थित है।

> आर० भारक्षाज सक्षम प्राधिकारो सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, बंगलूर

दिनांक 16-11-1984 मोहर :

प्रकार बार्च , बीद्ध प्रमा, प्रसाद =-----

नायकर अ<u>र्</u>धिनियम, 1961 (1961 का 43) की भाष भाष 269-व (1) ने न्यीन सूज्या

BIEG STREET

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलुर, विनांक 16 नवम्बर 1984

निदेण स० सी० आर० 62/44004/84-85—अतः मुझे, आर० भारताज,

मायकर मिनियम, 1961 (1961 का 43) (चिसे इसमें इसके परवात 'उक्त मिनियम', कहा गया हैं), की धार 269-स के मधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्मित्त, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रु. से मिक हैं

ग्रौर जिसकी स० 6 है, तथा जो VIII कास, चिन्नाप्पा गार्डन, बेनसन टाउन, बेंगसूर में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद अनुसूची में भौर जो पूर्ण रूप में वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, शिवाजीनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 5-4-1984

को पूर्वोक्त सम्मिति कि उचित बाजार मूल्य से कम के ख्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथ्धा पूर्वोक्त सम्मिति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे खश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण निश्चित मे वास्तिवक रूप से कथित नहीं किया ग्या है है—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आयं की बाबता, उचन मधिनियम के अधीन कर दोने के बन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (स) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को चिन्हें भारतीय नाय-कर विधिनयम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ कर्नारती इवारा प्रकट नहीं किना गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः जब, उक्त विधिनियम की धारा 269-ग के बन्सरण में, में, उक्त विधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- श्रीमती मेरि, रिगना,
 नं० 6, VIII कास, चिन्नाप्या गार्डन,
 बेनसन टाउन, बेंगलूर
 (अन्तरक)
- श्रीमती हर बानो,
 न० 8, 13 कास, मुद्धान्ना गार्डन,
 बेंगसूर-46 ।

(अन्तरिती)

का यह सूचना भारी करके प्यांक्त स्म्य्तिः के अर्थन् के सिष् कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त संपृत्ति के नर्जन के इंबंध में कोई भी नाक्षेप :---

- (क) इस स्थाना के राजधन में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन की बनिध या तत्सम्बन्धी क्यन्तियों पर सूचना की तामीन से 30 दिन की बनिध, वो भी जनिथ बाद में समाप्त होती हों, के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति इवारा;
- (क) इस सूचमा के राज्यक में प्रकाशन की तारीज से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबव्ध किसी जन्म व्यक्ति कुवारा अभोहस्ताक्षरी के पास सिवित में किए का ककेंदि।

स्थव्यक्तिरणः इसमें प्रयुक्त सन्दों और पदा का, को सन्दर्भ अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, दहीं अर्थ होगा को उस अध्याय में दिना प्रवाह शि

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 26/84-85 तारीख 5-4-1984) सम्पत्ति है जिसकी सं० 6, जो VIII, क्रास, चिन्नाप्या गार्डन, बनसन टाउन, बेंगलूर में स्थित है।

> आर० भारद्वाज सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),... अर्जन रेंज, बेंगलुर

दिनांक: 16-11-1984

मोदुर:

अक्द आहु¹् की , प्र_न्य्य प्रमाणकार

नावकर विश्वित्वन, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-ज (1) के स्थीत क्षाना

ST THE

कार्यासय, सहायक भायकड बायुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 16 नवम्बर, 1984

सी० आर० 62/44003/84-85--अतः मुझे अतः मुझे आर० भारवाज

. बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इतके पहचात् 'उकत अधिनियम' कहा गया है), की भार 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विख्यास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृस्य 25,000/- रु. से बिधिक हैं

ग्रीर जिसकी सं० 74 है, सथा जो पी० श्रीर टी० कालोनी, गंगेनाहिल्ल, बेंगलूर में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रीर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय गांधिनगर में रजिस्ट्रोकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 7-4-1984

को पूर्वोक्त संपरित के उचित बाबार मृत्य ते कम के अध्याध प्रतिफान के लिए अन्तरित की गई है और मुभे यह विद्यास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पर्ति का उचित बाजार मृत्य उसके दृश्यमान प्रतिफान से, एसे अध्यान प्रतिफान का बावार प्रतिकात से बाधक है और जन्तरक (अन्तरकों) और जन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे बन्तरण से किए तब पाया गया प्रतिफान, निम्मनिषित उद्योग से उच्छ बन्तरण मिलिय विद्या से उच्छ बन्तरण मिलिय विद्या की बास्यविक क्य से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी बाय की बायतः, उच्च अधिपियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूविभा दो लिए; बाँदु/घा
- (क) एसी किसी जाब या किसी धन या अस्य आस्तियों को, जिल्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्ज अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में स्विधा के लिए;

ं क्तः जब, उक्त जिमितनमं की भारा 269-व के क्यूकरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :— श्री एस० कृष्ण गौडा, पं० 19, स्यानिक रोड, बेंगलूर ।

(अन्तरक)

 श्री सी० एन० मल्लेगा, न० 30, त्रेसेंट रोड, है ग्राउन्ड, बेंगलुर ।

(अन्तरितो)

क्रा यह सूचका जारी करके पृश्तिक वंपरित के क्वन के सिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच सें
 4.5 दिन की अविधिया तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पह
 सूचना की तामील से 30 दिन की नविधि, जो भी
 जविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कर
 व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारः,
 - (क) इब सूचना के श्रावचन में प्रकाशन की तारीय कें 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्परित में हितवव्य किसी बन्ध व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्थळीकरणः --- इसमें प्रयुक्त सन्दों और पदों का, जो उक्स कभिनियम, के अध्याय 20-क में परिभावित ही, बहुी क्षे होगा, जो उस कथ्याय में दिया पदा ही।

≝पुरु⊈ी

(बस्तावेज स० 80/84-85, दिनांक 7-4-1984 सम्पत्ति है जिसका सं० 74, जो पी० भौर टी० कालोनी, गंगेनाहरूल, बेंगलूर में स्थित है।

> आर० भारद्वाज, सक्षम प्राधिकारी सङ्गायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, बेंगलूर

दिनांक 16-11-1984 मोहर:

प्रकम जाहाँ । दी प्रमान प्रमानकारकार

भागकर निभिनियन, 1961 (1961 का 43) की भाडा 269-म (1) में सभीन सूचना

भाइत सहकाड

कार्यासम् । बहायक नायकार नायुक्त (निर्दाक्त) अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगल्र, दिनांक 12 नवम्बर, 1984

निवेश सं० 830/84-85—अतः मुझे आर० भारद्वाज, बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इक्सें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्वावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाबार मृत्य 25,000/- रह. से अधिक हैं

भीर जिसकी सं• प्लाट नं० 'एफ' है, तथा जो वोत पौना, पणजी, में स्थित है (श्रीर इससे उपायद अनुसूची में श्रीर जो पूर्ण रूप अणित है) रिजस्ट्रीकरी अधिकारी के कार्यालय इलहास में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन विनोक 11-4-1984

को पूर्वेक्स संपरित के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रिजस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अंतरित की गई है और मूझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार कृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिकास से अधिक है और अंत-रक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए दोन पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरम से हुई किसी नाय की नावत, उत्तर अभिनियम के वभीन कर दोने के अन्तरक के शासित्य में कमी करने ना इससे क्यने में सुनिभा के लिए; और/या
- (क) एमी किसी आप या किसी धन या अन्य जास्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अधोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, ज्याने में सुविधा वी किए;

श्री ग्लोबीस सरीकटोटण वास,
 बी 12, जिला मेकर अपारटमेन्टस,
 स्के परहे, बम्बई-400 005 ।

(अन्तरक)

कैप्टन, जहांगोर पोक टोलजी, तलेयरखान,
 श्रीमती मारीयल जहांगीर,
 कीसेंट, अपारटमेंट, तह० कंपाला, जिला मोतामार,
 पणजी (गोवा)-403001

(अन्तरितो)

को बहु सूचना आरी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्थन के जिए कार्यवाहियां शुरू करका हुं।

उन्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्षेप :----

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब सै 45 दिन की अविभ या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पद स्वना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्यक्ति व्यक्तिया;
- (ण) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी है से 45 दिन को भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति इवारा अधोहस्ताक्षरी के पास तिबिस में किए जा सकोंगे।

स्थव्यक्तिकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्यों का, यो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया हैं।

ग्रनुसूची

(दस्तावेज, सं० 313, तामें 11-4-1984) खुला जगह इमेका प्लाट नं० 11, 11 ला० माखेल, श्रीर इसका ऊंद्र फल, 504 वर्ग मीटर्स है। इसका जगह बीला फैला पणजी।

> आर० भारद्वाज सक्षम प्राधिकारी सड़ायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण) अर्जन रेंज, बंगसुर

कतः वदः, उक्त अधिनियमं की भारा 269-ग के अनुसरण को, मी. उक्त अधिनियमं की भारा 269-घ की उपभारा (1) को अधीन, निम्मिलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

दिनांक 12-11-1984

मोह 🖫

प्ररूप बार्षं .टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक अायकैर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, बेंगलुर

बेंगलूर, दिनांक 12 नवम्बर 1984

निदेश सं० 831/84 85—अतः मुझे आर० भारद्वाज, शायकर अधानयम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-ख के अधीन सक्ष्म प्राधिकारी को यह विश्वास करने का भारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृख्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० सर्वे नं० 69 है, तथा जो तोरडा, गांववायडा, (गोंवा), में स्थित है (श्रीर इससे उपावज्ञ अनुसूची में श्रीर जो पूर्ण रूप से विणत है) रिजस्ट्रीकर्ता अधिकार। के कार्यालय इलास, में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 12-4-1984

को पूर्वो क्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इश्यमान प्रतिफल के लिए रिजस्ट्रीकर्ता के कार्यालय, सिमागा में धारा 269 ए. बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के पास रिजस्ट्रीकृत किया ग्या है, मूझे यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वेक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्या, उसके इश्यमान प्रतिफल से, एसे इश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उब्वरेय से उक्त अंतरण लिखित में वास्तिवक रूप से कथित नहीं गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सृविधा के लिए; और/या
- (क्स) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूविधा के लिए;

अतः अड, उक्त अधिनियम की धारा 269-ण के अन्सरण में, मैं, शक्त अधिनियम की धारा 269-ण की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिकिंक व्यक्तियों, अर्थात् :---

- 1 श्रो अनेनसो मत्युल, डो० कोरठा, श्रौर इसकी बोबी श्रोमती झीता ब्याज ई० कोस्टा, रेजिडेन्ट आफ धर नं० 139, पनजी (गोवा) (अन्तरक)
- 2. श्री धीरज लाल दामोदर रंजति श्रीर दोपक मनहरलाल रंजति, निवासी शांता कुज, इलास (गोदा)। (अन्तरितो)

का यह स्थान जारी करके पूर्वोक्त सम्मित्त के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त संपत्ति को अर्जन को संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविध या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों करं व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति हो,
- (क) इस स्वना के राजमत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति स्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टिकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्वों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

नगुत्त्वी

(दस्तावेज सं० 341/84-85 दिनांक 12-4-1984)

खेत की जमीन है। इसका पता 2 1 की रिजस्ट्री बद्ध इलास का सालबेडोर में तोरडा गांव में है। इसका क्षेत्र 39,600 वर्ग मीटर, भौर सर्वे नं० 79 सब डिविजन है।

> आर० भारदाज, सक्षम प्राधिकारी महायक आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, बेंगल्र

धिनांक 12-4-1984 **गोहर** ■

अक्य बाह्", टॉ. पुन्, एसं,-=-----

बायकर जिम्मिनयमं, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के अधीन सूचना

नारत तरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलुर, दिनांक 30 नवम्बर 1984

निदेश सं० सि० आर० 62/43213/8485—अतः, मुझें, आर० भारद्वाज,

सहायक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार गुल्य 25,000/- रा. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० 2950 / 10 है, तथा जो JI, स्टेंज; 'ही' बलाक, I कास, राजाजि नगर, श्रेंगलूर, में स्थित है (श्रीर इससे उपावन अनुसूची में श्रीर जो पूर्ण रूप वर्णित है) रजिस्ट्री-करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 18-4-1984

को पूर्वोक्स संपित्त के उचित बाजार मूल्य से कम के इत्यमान प्रतिफल के लिए राजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय राजाजिनगर में धारा 269 ए. बी. के अंतर्गत सक्ष्म अध्कारी के सम्मूख/के पास रिजस्ट्रीकृत किया गया है मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके इत्यमान प्रतिफल से, एसे इत्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निलिसत उव्योध्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तिवक रूप से किथत नहीं किया गया है :---

- (क) जन्तरण से हुई किसी जाय की बाबत बक्क जिश्लियम के जभीन कोई दीने के जन्तरक वं दायित्व में कसी कारने या उससे बचने में सुविभ के लिए; और/बा
- (क) ऐसी किसी बाय या किसी भन या अध्य आस्तियाँ को जिन्ही भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उन्तर अधिनियम, या भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छियाने में सुविधा के सिए।

अत: अब, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग क अन्सरण में, मैं उक्त अधिनियम की भारा 269-थ की उपभारा (1) ■डे अधीन, निस्नितिकात व्यक्तियों, अर्थात् :— श्री सैयद, मुसताफा, सैयद अन्दुल खादर ने पुत्र, 239, ^I, मैन भामाराजपेट, बेंगलूर-18।

(अन्तरक)

2. श्री एच० रंगप्पा, मं० 2032 बि, II, स्टेंज, राजाजि नगर, बेंगलुर-10 ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति को कर्जन को संबंध में कोई भी आक्षेप क्र--

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब क्षे 45 दिन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वान की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (व) इस अचना के राजपत्र में प्रकाशन को लारीब से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबब्ध किसी मन्य व्यक्ति ब्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकाये।

स्वव्यक्तिरण: ---इसमें प्रयुक्त क्षम्यों और पदों का, जो उक्त अभिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा को उस अध्याय में विधा गया है।

अन्त्जी

(दस्तावेज, सं॰ 218/84, दिनांक 18-4-84) सम्पत्ति है जिसका सं॰ 2950/10, थो II स्टेज, 'डि' ब्लाक, I, कास, राजाजिनगर, बेंगलूर में स्थित है।

> आर० भारताज सक्षम प्राधिकारी स**ह**ायक आयक**र आ**युक्त (निरीक्षण) अर्जैंग रेंज, बेंगलूर

विनांक 30-11-1984 मोहर # प्ररूप आई.टी.एन.एस------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) प्रजीन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 30 नवम्बर 1984

निर्देश सं० सो० म्रार० 62/43163/84-85—म्रतः मुझे, म्रार० भारद्वाज,

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भार 269 के के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है रिक स्थावर सम्पत्ति, जिसका उधित बाजार मूल्य 25.000/-रुक से अधिक है

भीर जिनको झं० 59 है, तथा जो 11 काम, I स्टेन, इंदिरानगर बैंगलूर में स्थित है (ग्रींग इनसे उपाबद्ध प्रान्सूच में ग्रींग जो पूर्ण रून में विभिन्न है) रिजन्म कर्ता प्रश्लिकार के कार्यात्रण शिवाजीनगर में रिजस्ट्रो करण श्रीर्धानयम, 1908 (1908 का 16) के प्रधीन दिनांक 21-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मन्य में कम के दश्यमान प्रतिकल के लिए रिजिस्ट्रीकर्ता के कार्याला शिराजीनगर में धारा 260- ए बी के अंतर्यत स्थम अध्वारी के सम्मल/के पास रिजस्ट्रीकृत किया गया है मूक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बारार मन्य, उसके दश्य-मान प्रतिकल से, एसे ध्रयमान प्रतिकल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और उन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एमें अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकल, निमन-लिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तिबक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हर्द्ध किसी आय की बाग्य उक्स अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक को दाणिश्व में कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या
- (स) ग्रेमी किमी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तिरिती दशारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

श्रत अख, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनसरण भूर, मूर्ट, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्निलिखित व्यक्तियों, अर्थात :— 18—426 GI/84 श्राक्रारल हिरदेव, नं० 59, हिटज, इंडिरानगर, बेंगलूर-38

(अन्तरक)

- 2. (1) श्री सि॰ एतिराजालु
 - (2) श्र.मतः बा० ग्रार० इन्दुर्मान,
 नं० 8/1, 5, क्रास, 4 मैन रोड,
 सर्पान्गरामानगर, बेंगलूर-27

(भ्रन्तरिती)

को यह नुषना चारी करनी प्वॉक्त सम्पत्ति ती वर्जन के दिए कायवारित्रमा शुरु करता हां।

उक्त सम्पत्ति के अर्दन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप:--

- (क) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सबधी व्यक्तियों पर स्चना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त हाती हों, के भीतर प्रवाक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पन्ति में हित्बद्ध किमी कन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पार्ख लिखित में किए जा सकी ।

स्पंध्यीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और उदों का, जो उकतः अध्याय 20-क में परिभाषितः हैं, बही अर्थहोगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

जन्सूची

(सम्मावेज सं० 188/84, दिनांक 21-4-1984) सम्प्राति है, जिएको सं० 59, जो 11 ऋग्स, I स्टेज, इंदिरानगर, बेगलूर-38 में स्थित है।

न्नार० भारताज सक्षम प्राधिकारो सहायक भ्रायकर न्नापुक्त (निरक्षण) मर्जन रेज, बेंगलूर

दिनांक: 30-11-1984

प्ररूप बाइं. टी. एन. एस.-----

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक जायकर जायक्त,(निरीक्षण) झर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 22 नवम्बर 1984

निर्देश सं० सी० भार० 62/44168/84-85—श्रतः मुझे, भार० भारद्वाज,

कायभः अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विष्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25 000/-रा से अधिक हैं

भी जिल्क सं० 212 है तथा जो महालक्ष्मी, हाउस बिल्डिंग, को-भ्रा रिटिब, सो रायटा प्रा० लि०, बेस्ट भ्राफ कार्ड रोड,

स्टेज, ा फेस, बेंगलुर, में स्थित है (श्रीर इससे उपावद्ध अनुभूत्र में श्रीर जो पूर्ण रूप से विणित है) रिजिय्द्र करि श्रिधिकारों के कार्यालय राज जिनगर, में रिजिय्द्र करण श्रीधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रिध न दिनांक 28-5-1984

का प्रशास्त मम्पनि के उपित बाजार मन्य में कम के स्वयमने प्रतिफल के लिए रिजम्बीलर्ता के कार्यालय, शिवाजीनगर में धारा 269 ए. बी. के अंतर्गत सक्ष्म उध्कारी के सम्म्ख/के पास रंजस्व कित किता गया है मभे पह विश्वास करा का कारण है कि यथापुर्योक्त सम्मित्त का उचित बातार मूल्य, उसके स्वयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशतः से अधिक है और उन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निल्ल उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तिवक रूप से किथत नहीं किया गया है :——

- (क) अन्तरण से हुड़ी किसी आष की बानत, उक्त अधिनियम को अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्य में कमी करने या उससे बचने में स्विधा के लिए; और/या
- (श) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोज-नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना चाहिए था छिपाने में सृविधा के लिए?

चतः जब, उक्त अधिनियम की धारा 260-ग के अनमरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) इ. जधीन, निम्नलिखित व्यक्तियाँ, अधिर् क्षेप्रन श्र मत होन्नाम्मा अलियास जयाम्मा, 40, वडडारा त्या, राजा न गर, महा लक्ष्म पुरा पोस्ट, बेगलूर-86

(म्रन्तरक)

 श्री सो० जी० चन्द्रान, 4173/4, ¹¹, स्टेज, राजााज नगर, बेगलूर-10

(भ्रन्तरितो)

की यह मृचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हु।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख ते 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्चना की तामील से 30 दिन की अवधि, शो भी अवधि बाद में समाप्त हाती हा, के भीतर पूर्विक्त क्यितितयों में से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (स्त) इस सचना के गाजपत्र मो प्रकाशन की नाणांक से 45 दिन के भीतर उकत स्थावर सम्पत्ति मो हिल्ब दुध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास निश्वत में किए जा सकार्य।

स्पष्टिकरण: — इसमें प्रयक्त कक्दों और पर्दों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिश्वित है वहीं अर्थ होंगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 888/84 दिनांक 28-5-1984) सम नि है जि को सं० 212, जो महालक्ष्म , हाउस बिल्डिंग की-प्राप्तरेटिय, सोस यटो, प्रा० लि०, वेस्ट ग्राफ बार्ड रोड, II, स्टेज, II फेस, बेंगलूर, $(60/\sim40/)$ में स्थित है।

भार० भारहाज सक्षम प्राधिकारो सहायक भ्रायकर श्रायुक्त (निर क्षण) भर्जन रेज, बेंगलूर

दिनांक 22-11-1984 मोहर: प्ररूप बाई .टी .एन .एस . -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) म्रर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 26 नवम्बर, 1984 सं०सि० ग्रार० नं० 62/43079/84-85—श्रातः, मूझे, ग्रार० भारद्वाज,

आयकर अधानयम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें ' इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्ष्म प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रा. से अधिक है

स्री: जि.क. सं० एस० 107-1 ब है, तथा जो खॉडावान विलेज मंगलूर, तालुक में स्थित है (स्रीर इसक्ते छ बढ़ स्रोस्च में स्री: जो पूर्ण रूप विणित है), रिजिंग्ट्र वर्ता स्रधिकार के वार्यात्य मगलूर में रिजस्ट्राकरण स्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के स्रध.न दिनांक 11-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति कं उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रिजस्ट्रीकर्ता के कार्यालय, मंगलूर में धारा 269 ए.बी. क अत्गत सक्षम अधिकारों के सम्मूक के पास रेजिस्ट्रीकृत किया गया है, मुक्के यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वोवत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और (अंगरक.) आर अंतरिती (अंतगरित में) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्मलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तिवक रूप से किथत नहों किया गया है:—

- (क' अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दन क अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचाने में सुविधा के लिए; और/या
- (स) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हों भारतीय आय कर व्यधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अन्तियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्रारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनस्रण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीतः, निम्निलिखित व्यक्तित्यों, अर्थात् :--

- श्रा ए० त्यासला बलान, बर्जान बेहु ही। गोन्ड मर्जान, बड़ा उत्तरसङ्खीन, नानुरहो० के० (प्रनारक)
- मैनर्ज प्रभुतान, निश्वीत्वात ट्याको प्रोडक्टत प्रै० 659-1, गुन वि तनेता, निपार ाटेन नि० सोजन्यटो, पंत्र बांट, डिल्ना बिन, प्राइम व च-6, पो० १०, नानि बाई, न र्राजहरूई ाटेन, कंताशनाहि, सगनूर ।

(अन्तरितो)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यशाहिया शुरू करता हू ।

उक्त सपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस स्चरा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्चना की तामील से 30 दिन की अर्जीध, जो भी अविधि बाद में समाप्त हाती हा, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितडद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोगे।

स्पष्टीद.रणः — इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अीनियम के अध्याय 20 - क मे परिभाषित है, वहीं अर्थ हागा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दन्तावेज ं• 50/34-85 दिनांक 1¹-4-1984) सम्बंत है जिल्ला सं० ए रा० 107 1 बि, जो खान्ड वारा, विलेज, मंग रूप, तालुक में स्थित है।

> श्चर० भारताज सन्नम प्राप्तिकारो सहायक श्राप्तकर श्रापुच्त (दिक्षण) श्चर्जन रेज, बंगजूर

हितां क 26-11-1984 मोहर 3 .

प्रकृष बाइ. टी. एन . एस . -----

श्रापकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-ण (1) के अधीन स्चना

भारत सरकार

कार्यास्य, सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्ण)

धर्जन रेंज, बंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 26 नवम्बर 1984

निर्देश सं० सी० मार० 62/43291/84-85---श्रतः मुझे, भार० भारताज,

कायकर मिंशनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात् 'उक्त अभिनियम' कहा गया है), की धारा 269-च के बधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रा. से अधिक है

श्रीर जिनको सं० 35/2 श्रीर 35/3 है तथा जो कविगंहाम रोड, बेंगलूर में स्थित है (श्रीर इसन उपाबत श्रीमूच: में श्रीर जो पूर्ण रूप म विणित है) राजस्ट्राकर्ता श्रीध कार, के कार्यालय शिवाजा-नगर, में रिजस्ट्र, करण श्रीधिनयम, 1908 (1908 का 16) के श्रधान दिनांक 23-5-1984

का प्रांक्त सम्पत्ति क उचित बाजार मृत्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मृझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथाप्यांकत सम्पत्ति का उपचित बाजार मृन्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रव प्रतिस्त से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियां) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रांतफल, निम्नालाखत उद्देश्य स उक्त अन्तरण लासत में मास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त बाधानयम क अधीन कर दाने क अतरक की दायित्य में कभी करने या उससे अपने में सूबिधा के निए; ब्रांट√या
- (ख) ऐसी किसी झाय या किसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्हों भारतीय आयक र अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजनार्थ अन्तरिती द्यारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के निए;

 नुर्लामदास हम राज शाह तुलका गा, 5 वो, इलाफाजो लिटल, गिब्बस रोड, बम्बई-6

(भ्रन्तरक)

 मोहम्मद मासूद सेट मासूद कर म, रिजयाना म सूद, 15, चिन्नास्वामी मोदःलेयार रोड, टासकर, टाउन, बेंगलुर ।

(भन्तरिती)

को यह स्वना चारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्षन के सिष्ट कार्यवाहिया करता हु।

जनत सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप ह---

- (क) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारिस से 45 दिन की अविधि या तत्सवधी व्यक्तियों पर स्चना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त क्यांक्तयों में स किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध कि सं कन्य क्या क्या का दबारा, स्थाहस्ताक्षरी के पास सिंखत में कियं का सकेंगे।

अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित ही, वहीं अर्थ होगा, को उस अध्याय में दिया प्या है।

अनुपूची

(दम्तावेज सं० 738/84, दितांक 23-5-1984 सम लि है जिल्ला सं० 35/2 श्रीर 35/3, जो कबिगंहाम रोड, बेंगलूर, में स्थित है।

> भार० भारहाज सन्नम पाधिकारो सहायक श्रायकर श्रापृक्त (दिक्षण) श्रर्जन रेंज, बेंगलूर

असः अधः, उक्त अधिनियमं की धारा 269-गं के अन्सरणं में. में, उक्त नोधिन्यमं की धारा 269-घं को उपधारा (1) को अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातु:---

दर्ना कः 26-11-1984

प्रकप बाइ'. टी. एन. एस. ----

जायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अभीन सूचना

भारत तरकार

कार्यालय, सहायक मामकर भाग्यत (निरोक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 30 नवम्बर 1984

निवेश सं० सो० आर० 62/43165/84-85---यतः, मुझे, आर० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसं इसमें इसके पश्चात् 'उकत अधिनियम' कहा गया है), की बारा 269-खं के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करा के करण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उच्चित बाजार मूल्य 25,000/-रुपये से अधिक है

भौर जिनक त्स० 9 है, तथा जो बुटन रोड काप, बगलूर में स्थित है (और ६ १से उपाबद अनुसूच में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्र करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधिन, दिनोक 17-4-1984,

को पूर्वाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए र्राजस्ट्रोकर्ता के कायालय शिवाजीनगर में धारा 269 ए. बी. के अतगत सक्षम अधिकारों के सम्मूख/के पास राजस्ट्राकृत किया गया है मुक्त यह विश्वास करन का कारण है कि यह पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत स अधिक है आर अंतरक (अंतरका) आर अंतरती (अंतरतिया) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्दर्य से उक्त उन्तरण लिखित में वास्तिविक रूप से किथत नहां किया गया गया है:——

- (क) अन्सरण से हुई किसी अध्य की बाबत, उक्त कांधानयम के अधीन कर दन के अन्तरक के दायित्व, में कमी कर्न या उस्स बचन म सुविधा के लिए; और/बा
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या बन्य आस्तियों का जिन्ह भारतीय आयकर आधीनयम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर आधीनयम, या धन-कर आधीनयम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजनाथ अन्तरिती द्वार प्रकट नहा किया गया था या किया जाना थाहिए था, छिपान में स्विधा के लिए।

अतः: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनिभरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) के अधीनः, निम्नितिसित व्यक्तियों, अर्थात् :-- (1) श्र. रु।स्त प्रमरोज पूनेगर, 2. मिस्त रोइा फरोज पूनेगर, नं० 9, ब्रेटन रोड कात, बंगलूर ।

(अन्तरक)

(2) श्रो एफोक महमूद,
 2. मिनमं, अम ना एफीक,
 नं० 33/11, विक्टोरिया रोड,
 बंगलुर ।

(अन्तरिती)

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए कायवाहिया करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्ष्पे :---

- (क) इस सचना के राजपत्र में प्रकाणन की तारीच है 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्चना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त हाती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ब) इस मुचना की राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी बन्य व्यक्ति द्वारा अधोहरताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

हमक्टीकरण:—इसमे प्रयक्त शस्यों और पर्दों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिशावित है, यही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया गया है।

मन्स्ची

(दस्तावेज सं० 157/84, दिनांक 17-4-84) सम्पत्ति है जिसका सं० 9, जो ब्रुटन रोड, में स्थित है ।

> आर० भारद्वाज सक्षम प्राधिकारो सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षण) अर्जन रेंज, बंगलुर

दिनोक : 30--11--1984

प्ररूप. आई. टी. एन. एस. - - - -

भामकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व (1) के अधीन सूचमा

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयक्त (निराक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलुर

बंगलूर, दिनांक 22 नवम्बर 1984

निदेश सं० स ० आर० 62/44167/84-85—यतः, मुझे, सार० भारक्षाज,

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उकत अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थायर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

भीर जिनकी सं० 224 है, तथा जो सोन्नेताहिल्ल फरदर एक हिंगन बेंगलूर में स्थित है (ग्रीर इनसे उपाबद्ध अनुसूच में ग्रीर पूर्ण स्प से विभिन्न है), रिजस्ट्र करण अधिनयम, 1908 (1908 का 16) के अधन, दिनांह 28-4-1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार में कप्त के दश्यमान प्रतिफल . के लिए रिजिन्ही 'तों के कार्यालय, बेंगलूर में धारा

269 ए. बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के सम्मृष्ट/के पास रिजस्ट्रीकृत िक्या गया है मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वोक्त सम्पत्ति का उन्तत बाजार मृल्य, उसके रहन्मान प्रतिफल से, एप्टे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और उन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखत उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखात में वास्त्विक रूप से किथत नहीं किया गया है :——

- (क) बन्तरण से हुई किसी बाब की बाबत, रूपस बिधिनयम के बधीन कर दोने के बन्तरक सी बायित्य में कभी करने या उससे बच्चे में सुविधा से सिय, बाँड/या
- (का) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य ब्रास्तियों को, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजनार्थ अन्तिरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सृविधा के लिए,

बतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-व की अनमन्ब मों, मों, उक्त अधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधीत् :—- (1) श्र∴ अनंता , नं० 224, सोन्नेनाहल्लि फरदर एक्तटेंगन, बेंगलूर-47 ।

(अन्तरक)

(2) श्री एम० जैराज नं० 23, आसंदिन दौन, सेंगलूर---47।

अन्तरितो)

को यह सचना जारी करके पूर्वीक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हो।

उक्त सम्पत्ति के वर्णन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्षेप :---

- (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 विन को अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तिया पर स्चना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किनी व्यक्ति ब्वारा;
- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीत से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जर सकेंगे।

स्पद्धीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और प्रदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित ही, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया ही।

म्रनुसूची

(दस्तावेज सं० 269/84 विनांक 28-4-84) सम्पत्ते हैं, जित्तका सं० 224, जो सीलनाह.ल्ल फरदर एक्सटेंशन, बेंगलूर, में स्थित हैं।

> आर० भारद्वाज सक्षम प्राधिकारो सहायक आयकर आगुक्त (निरक्षण) अर्जन रेंज, बंगलुर

दिनांक : 22-11-84

मोहर 🏻

प्ररूप बाइं. टी. एन. एस.-----

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) कीं धारा 269-व (1) के अ्भीन सूचना

भारत सरकाड

कार्यात्तय, सहायक नायकर वायुक्त (निरामण)

अर्जन रेंज, बंगनूर

बगनूर, दिनांक 27 नवम्बर 1984

नियेश सं० सं॰ आर० 62/43323/84-85—यतः मुझे, आर० भारहाज,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके वक्कात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी की यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रु. से बिधिक है

स्रोर जिन्क सं० 455 है, तथा जो कोरामंगला एक्पटेंशन, ब्लाक III, बेंगलूर में स्थित है (श्रोर इस) उताबद्ध अनुसूच में स्रीर पूर्ग इन से बॉगा है), रिनम्द्राक्ती अपि परिने कार्यालय बेंगतूर दक्षिण तानुक, में रिजिन्द्राकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधान, दिनांक मई, 1984

को पूत्रोंकत सम्पत्ति के उचित बाजार मृन्य से कम के स्वयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मृक्षे यह विश्वास करन का कारण है कि यथाप्वोंकत सम्पत्ति का उचित बाजार बृज्य, असके स्वयमान प्रतिफल से, एसे स्वयमान प्रतिफल का पन्दह प्रतिकात से अधिक है और अंतरक (अतरकों) और अंतरिती (अतरितियों) के बीध एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिकाम, विस्तिसित उद्योग्य से स्वयम कम्मराण कि बिख् के बाख़न विक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुन्द किसी आयं की वाबंत, उक्छ अधिनियम के अधीन कर दोने के बन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; शर्दु/या
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या अस्य आस्तियों का, जिल्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया भया या विश्वा खामा चाहिए जा किया स्वीविधा के स्थित

अतः अव, उक्त निधीनयम की धारा 269-न के अनुसरक में, में, उत्तत अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) को अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :— (1) डा० के० के० कुत्ताप्पा,
 सं० ५१०-५, न ० १ ० डब्ल्यू० डो० क्वार्ट्स,
 विजयानगर बेंगजूर ।

(अन्तरक)

(2) श्री मोहम्मद मक्बून हुसैन ,
 12/1, आलर्फेंड स्ट्रट,
 रियमण्ड टौन,
 बेंगलूर ।

(अन्तरिती)

को यह स्वना जारी करके पूर्वीयत सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यकाहिया करता हु।

ड बत्त सम्पृत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्षेत्र ड़—

- (क) इस स्थान के राजपत्र मो प्रकाशन की तारीस से 45 विन की अविध मा तत्सम्बन्धी ज्याकतमा पर स्वना की तामील मे 30 विम की अविध , जा भी अविध बाद मे समाप्त हाती हो, के भीतर पूर्वोकर क्यांकतमा में स किसी व्यक्ति व्वारा;
- (च) इस स्चना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीत है 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित्बब्ध किसी बन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के बाद जिल्हा में किए जा सकोंगे।

स्पाद्धीकरण: ---- इसमें प्रयूक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, बही अर्थ होंगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1320/84 दितांक मई 1984) खाला जगह है जिनको सं० 455 जो कोरामगता ब्लाक-III, बंगलूर ।

> आ र० भारद्वाज सक्षम प्राधिकारो सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षण) अर्जन रेंज बेगलुर

दिनौ क : 27-11-84

प्ररूप बाइ. दी. एन. एस.-----

गायकार मधिनियम, 1961 (1961 का 43) कृषी भारा 269-म् (1) क नुभान सुनृता

भारत सरकान

कार्यासय, सहायक जायकर जायुक्त (निर्देशक)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 27 नवम्बर 1984

निदेश सं० सः० आर० 62/43278/84-85—यतः मुझे, **आर०** भारक्षाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-अ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थान्तर- सम्पण्ति, जिसका लिखित भाषारै भून्य 25,000/- रुपए से अधिक हैं

भीर जिनके सं० 214 है तथा जो अप्पार प्यालेप आरयम्डम, बंगलूर में स्थित है (श्रीर इनके उपाबद अनुभूची में श्रीर पूर्णक्प से बर्णित है), रिजस्ट्र कर्ना अविकारा के कार्यालय गांध नगर हें रिजस्ट्र करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधान दिनांक 26-5-1984,

को पर्वोक्त सम्पतित के उचित बाजार मन्य में कम के स्थ्यमन प्रितिफल के लिए अंतरित की गई है और स्के यह विश्वास करने का कारण है कि यथाणवान्त्र सम्मित्त का उचित बाजार सम्मित्त का कारण है कि यथाणवान्त्र सम्मित्त का उचित बाजार सम्मित्त , समके स्थ्यमान प्रतिफल का पन्स्स प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय बाबा पया प्रतिफल, जिम्मिलिक उदह स्थ म उच्त बन्तरक बिला में बास्तविक रूप से किस्त रही किया गया है है—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त आधानयम क अधान कर दान के अन्तरक की क्वित्व के क्रमी करने वा उद्दर्श क्वने में दृषिणा के लिए; बार्ट/वा
- (थ) एनेने किसी आय या किसी धन या अन्य अधिनयी करो, जिन्ही भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन- कर अधिनियम 1057 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिये था, स्थिमने से स्विभा के लिए;

जतः जब, सक्त अधिनियम की धारा 269-ग के जन्सरण बी. बी. तक्त अधिनियम की भाग 269-ज की उपधारा (1) को अधीन, निम्निसिस व्यक्तियों, अर्थातः :—- (1) श्रा बलदेव रामनारायण, नं० 127, डिफेस कालोनो, इंदिरानगर, बेगलर ।

(अन्तरक)

(2) श्री सिं० बी० एल० शास्त्री ,
 2. विजया कुमार डा० दोशो,
 764, 5ता ब्लाक, राजाज नगर,
 बंगलूर—10 ।

(अन्तरिती)

को यह मुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्परित के वर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन का अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तिया पर स्चना की तामील स 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में सपाप्त हाती हो, के भीतर पूर्वाक्च व्यक्तियों में सं किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर प्रवेक्त उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवदध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखिल में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त बर्धिनयम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया नया हैं।

बन्स्ची

(दस्तारेज सं० 643/84, दिनांक 26-5-84) खाल जगह है जिसका सं० 214, जो अप्पार प्यालेस आरयरडस बंगलूर, में स्थित है।

> र० भारद्वाज सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षण) अर्जन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 27-11-198**4**

प्ररूप आर्च. टी. एन. एस., -----

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-- घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यांचय, सहायक आयकार आयुक्त (निरक्षिण) अर्जन रेंज, बगलूर

बगलूर, दिनांफ 27 नवम्बर 1984

्र निवेश सं० सी० आर० 62/43230/84-85—यतः मुझे, आर० भारताज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है'), कौ धारा 269 व के अधीन सक्ष्म प्राधिकारी का, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्मत्ति, जिसका रोजित शाजार मूल्य 25,000, रा.सं अधिक है

भीर जिसकी संव 1034 है, तथा जो एचव एव एलव-II स्टेंज एक्सटेंशन, बेंगलूर में स्थित है (भीर इससे उपावद अनुसूची में भौर पूर्ण रूप से बर्णित है), रिजस्ट्राकर्ता अधिकारों के कार्यालय णिवजीनगर में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 4-5-1984,

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूझे यह विद्याम करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिकात से अधिक है और जन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निविद्य में वास्तविक स्प से किया नहीं किया गया है:----

- (क) बन्तरण सं शुर्भ किसी बाग की वासर सकत कथि-दिवस् से अधीन कर दोने के सम्परक के बारित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; बार/वा
- (वा) ऐसी किसी जाव वा किसी भन या जन्द शास्तियाँ को, चिन्हों भारतीय शासकर विभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उनत निभिनियम या भन कर श्रिपित्यम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-नार्च बन्तरिती ब्लास प्रकट नहीं किया नया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के विद;

(1) श्रो वं ० अन्नामल्लं,
 नं ० 52/3, रामा टेंपल स्ट्राट,
 दूपनाहल्लि, इंदिरानगर,
 बेंगलूर—38 ।

(अन्तरक)

(2) लेफ्टिनेट करनल एस० एस० उडुपा (रिटारर्ड),
 न० 481, III कास, IX— मैन
 एच० ए० एल० II स्टेज,
 बेगल्र-38 ।

(अन्तरिता)

को यह सृष्यना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के लिए कार्यवाहियां करता हु।

उक्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिम की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचन की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्रवेक्ति व्यक्तियों में में किमी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र मों प्रकाशन की तारीख सं 45 दिन के भीतर उन्तर स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताभरी के णस लिखित मों किए आ सकोंगे।

स्पष्टीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिआषित हुँ, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया हुँ।

नन्स्ची

(वस्तावेज सं० 322/84 विनांक 4-5-1984)

खाली जगह है जिसका सं० 1034, जो एच० ए० एल०-11 स्टेज एक्सटेंशन, बेंगलूर, में स्थित है।

> आर० भारताज सक्षम प्राधिकारी सद्यक आयकर आयुक्स (निरोक्षण) अर्जन रेंज, बंगलूर

विनाव : 27-11-1984

मांहर '

प्ररूप आहूर .टी .एन .एस . ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अभीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, महानक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 22 नवस्बर 1984

নিবলৈ ন'০ নী০ সাবে 62/44169/84-85-- यतः मुझे, সাবে भारताज

आयंकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें स्मके पश्चात 'जंकन अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन राक्षम प्राधिकारी को यह विक्याम करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रह. से अधिक है

श्रीर जिसकी मं० 2923 है तथा जो रेलवे लैन, पेप लेन श्रार० पी० मी० लेश्नीट बेंगलूर सिटी मे स्थित हैं (श्रीर इसमे उपाबढ़ ग्रन्सूची मे श्रीर पूर्णस्प से वणित हैं) र्राजस्ट्रीकर्ता ग्राधकारी के कार्यालय श्रीरामपुरम में रजस्ट्रीकरण श्राधिनियम 1908 (1908 का 16) के श्रधीन दिनांक मई 84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण ही कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके इश्यमान प्रतिफल से एोमे इश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत में अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) आर अन्तरित (अन्तरित्यः) के बीच एमें अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निलित उद्देर्घ में उक्न जन्नण लिखित में बास्तविक रूप से किथा नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हर्ष्ट िकसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के बायित्व में कमी करने या उससे बचने में मृविधा के लिए, और/या
- (ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हों भारतीय आयक-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, का धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सृविधा के लिए;

अतः अव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात ---

(1) श्री डां० बी० श्रश्यातानारायण 69, 1V काम गेंड, होमहल्लि, विजायानगर, बेंगलूर-40 ।

(ग्रन्तरक)

(2) श्रो देवार्जा भाई पटेल 93, न्यू टिम्बर यार्ड, मैसूर रोड, बेगलुर--26 ।

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 विन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्यक्ति ;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित- बस्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधंहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पक्तीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषिक है, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है

मन्स्ची

(दस्तावेज सं० 751/84 दिनांक मई 1984) सम्पत्ति हैं, जिसका सं० 2923, जो रेलवे लैंन, पैप लैन, श्रार० पी० गी० लेखींट बेंगल्र सिटी में स्थित है।

> आर**ं भारताज** सक्षम प्राधिकारी सहायक प्रायकर स्राय्**क्त** (निरोक्षण) क्रीर्जन रेज, बंगलूर

दिनांक : 22-11-1984

प्ररूप बाइं.टी.एन.एस------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेज, बंगलूर

बंगलुर, दिनाक 26 नवम्बर 1984

निदेश गं० सी'० भाग० 62/44250/84--85---यतः मुझे, श्रापः भागद्वाज

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पहचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० 23 है, तथा जो यिक्का कदिरापा गार्डन सेंट तामस टौन बेगलूर-5 में स्थित (श्रीर इससे उपाबद श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण खुंगे वणित हैं) रजिस्ट्रोकर्ता श्रीधकारों के कार्यालय णिवाजा नगर में रजिन्द्रोकरण श्रीधनियम 1908 (1908 का 16) के श्रधीन दिनाक मई 1984

को पूर्वाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूक्के यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वीक्त सम्पत्ति का उचित हाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल सं, एगे दश्यमान प्रतिफल का पन्झह प्रतिशत से अधिक ही और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखिन मे बास्तिबक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक को दायित्य में कमी करने या उससे बचने में सृविधा के लिए; और/या
- '(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन मा अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, डिपाने में सूविधा के लिए;

अतः अभ, उक्ते अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्निसिल व्यक्तियों, प्रथितः— (1) श्र.मतः त्रध्माम्मा नं ० ७४ यारलेस क्यामबेल रोड काक्स टीन वंगलूर ।

(ग्रन्तरक)

(2) श्री सी० ए० के० मुनु नायडु नं० 2 — II काम जैबारनिनगर बेंगलूर----- 5 |

(ग्रन्तरिती)

का यह सूचना जारी करकं पूर्वाक्त मम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हू।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी करें 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरण — इसमं प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

मन्सूची

(दस्तावेज सं० 643/84 दिनाय मई 1984) सम्पत्ति है जिसका सं० 23 है जो यिक्का कदिरप्पा गार्डेन डिविशन नं० 49, सेंट तामरा टाउन बेंगलूर-5 में स्थित है।

> आर० भारद्वाज सक्षम प्राधिकारी महायक ग्रायकर ग्रायकत (निरीक्षण) श्रजन रेंज बंगलूर

दिनाक . 26-11-1984

प्रस्थ नाई टी क्म एस ---

बारक 'विभिन्निक 1961 (1961 का 42) की भारा 269-च (1) के बधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक नायकर नायुक्त (निरीक्षण)

श्चर्णन रेज, बंगलूर

बंगलूर, दिनाक 27 नवम्बर 1984

निर्देश सं० सी० आर० 62/43288/84-85--यत , । मुझे, आर्, भारहाज,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थायर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु स अधिक है

स्रोर जिसकी सं० 40 है तथा जो VIII मैन रोड, 13 त्रास मल्लेश्वारम, बेगलूर में स्थित है (ग्रोर इससे उपाबद्ध स्मृत्सूची में स्थीर पूर्ण रूप से विणित है), रिजस्ट्रोकरण श्रीधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन दिनाक 31-5-1984

का पूर्वीक्त सम्पंत्त के उचित बाजार मृल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए राजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय राजाजिनगर में धारा 269 ए बी के अतर्गत सक्षम अधिकारी के पास रिजस्ट्रीकृत किया गया है मुक्ते य विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वीक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिश्रोत से अधिक है आरे अन्तरक (अन्तरको) और अतरिती (अति तियों) के बीच एसे अतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखत उद्देश्य से उक्त अतरण लिखित में वास्तिवक रूप से कथित नहीं किया गया है ——

- ंक) बन्तरक से हुई किसी बाय की बाबतः, उक्तं विचित्रम के अधीन कर देने के बन्तरक के बायित्व में कमी करने या उसमें बचने में सविधा
- (ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा के लिए,

बत., बब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-व के अनुसरक वें में उक्त अधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--- (1) 1 द्रार० लिलता, 2 द्रार० परिमला, 3 द्रार० सत्यानारायण 4, श्रार० नागरत्नाम्मा, 5 श्रार० नागबुशन, नं० 38, III मैन रोड मल्लेश्वारम, बेगलूर-3।

(भ्रन्तरक)

(2) मेसर्भ गौडा सारस्वात समाज, नं० 29 के० ग्रार० रोड, बेगलूर-4 ।

(ग्रन्तरिती)

(3) टेनेट्स (वह व्यक्ति, जिसके ऋधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सपरित के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हु।

उक्त सपित्त के अर्जन के सबध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिग-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टोकरण — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्तें अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित हैं, बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

जन्स् जी

(दस्तावेज मं० 889/84 दिनाक 31-5-84) सम्पत्ति है, जिसकी सं० 40, जो VIII मैन रोड, XIII क्रास, मल्लेश्वारम, बेगलूर (784 2 स्व० मी०), मे स्थित है।

> र० भारद्वाज सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेज, बंगलूर

दिनाक 27-11-1984 मोहर प्ररूप जाह

बायकर विधिनयम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के वधीन सुणना

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज वंगलूर

बंगलूर, दिना ह 26 नवम्बर 1984

निर्देश सं० सी० ग्रार० 62/44251/84-85---यत , मुझे, ग्रार० भारद्वाज,

शायकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) को भारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

ग्रीर जिसका सं० 266 है, तथ जो देन्ट ग्राफ वार्ड रेड 1[स्टेज, बेगलूर में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबड ग्रनसूच में ग्रीर पूर्ण हप से विणित है), रिजस्ट्रीकण्ण ग्रीधिनियम 1908 (1908 का 16) के ग्रीधीन, दिनाक 7-6-1984

क्ष पूर्वाकत सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के स्थमान प्रतिफल के लिए रिजस्ट्रीकर्ता के कार्यालय राजािजीनगर में धारा 269 ए बी के अतर्गत स्क्षम अधिकारी उपास रिचस्ट्रीकृत किया गया है मुक्ते गष्ट विश्वास

करने का वाणा है कि यथाप्मतित मर्गा का जान वाचार मृत्य उसके दश्यमान प्रतिफल ए, एर दश्यमान निकल का पद्रह प्रतिशन में अधिक हैं और अतरक (अतरकों) और अतरिती (अन्तरितिए) के बीच एमें अन्तरण के लिए तयरणया गया प्रति-फल, निम्निलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्त-विक रूप स कथित नहीं किया गया हैं. -

- (क) अन्तरण स हुइ किसी आय की बाबत उक्त अधि-नियम के अधीन कर दोने ठ अन्तरक के दायित्व न कमी करने या उसस बचन म मुजिधा के लिए, और/या
- (स) एसी किसो आय या किसी धन या अग्य आस्तियों को जिन्हों भारतीय आयकार अधिनियम, 1922

 92 प्राप्त प्राप्त प्राप्त अपिनियम गा धनकार अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया आ या किया जाना चाहिए था, स्त्रिपान में सुविधा के लिए

(1) श्रोमतो एस० सुब्बालक्ष्माम्मा, बै० पि० ए० श्री एम० एस० रामचंद्रा, डेप्यूटी प्रोडक्शन मैनजर, डेक्कान हेराल्ड, बेगलूर।

(ग्रन्तरक)

(2) श्रीमतो एम० एस० सरस्वता, बै० श्री यु० एस० प्रभाकर, नं० 41, II मैन, वैयालिकावल, बेगलूर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त मम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सबध म कोई भी आक्षेप .-

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त हाती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों भे से किसी व्यक्ति द्वारा,
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स' 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास

स्पष्टीकरण: — ५६ म पयुनत शब्दों और पदों का., जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित ह, बहा अर्थहः जो उस अध्याय में दिया गया है

अनुसूची

(दस्तावेज म० 1053/84, दिनाक 7-6-84) मम्पत्ति है जिसकी स० 266, जो वेस्ट ग्राफ कार्ड रोड, II स्टेज, बेगलूर, मे स्थित है।

> र० भारद्वाज सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरोक्षण) ग्रर्जन रेंज, बंगलुर

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 म के अन्सरण बो, मी उक्त अधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) दे वधीन, निम्मलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

त्तिक 26-11-1984 मोहर: प्रदेभ वाह . टी. एन . एस ----

प्राप्तकर प्रतितिक्षक, 1तना (1961 का 43) की वारा

बारत शरकार

कार्यालय, सङ्घयक कायकर आगुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज, बगल्य

बगलू, दिनांक 26 नवम्बर 1984

निदेश स० सी० आर० 62/44252/84-85—यत मुझे आर० भारक्षाज,

धावकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं) की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारि को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर संपरित, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक हैं

श्रीर जिसकी स० 1149 है, तथा जो वेस्ट आफ कार्ड रोड, । रहेज, बेगल रिट में रिश्त है (श्रीर इससे उपाबद्ध उन्हर्ज में श्र रूफ रासे रिए है), रिज्दू वर्त अधिकारी के पार्यालय राजजानगर, में रिजस्ट्राकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधोन, दिनाक 18-6-1984,

को पूर्विक्त सम्पत्ति के उिषत बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गर्छ है और मूम्में, यह विश्वाप करने का कारण है कि यथापूर्विक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल स, एमें दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितिया) दृश की न एमें अन्तरण के लिए तम पाया मधा प्रतिफल, निम्नलिखित उद्वेष्य से उक्त उन्तरण लिखिन में वास्तिवक रूप स वृश्यित नेही किया गया है ---

- (क) अन्तरण से हुई किसी काय की बाबस, उन्तर अभिनियम के अभीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे अचने में शांकशा के सिए: बीर/या
- (ख) इसी किसी कार या किसी धन वा अन्य आस्सियों का विज्ञा भारतीय जाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) दा उन अविज्ञास, जा धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रजट मही किया या वा या किया धाना चाहिए वा, कियाने में स्विभा के लिए;

क्टर रूक, उक्त अधिनियम की धारा ∠०५-भ थ अन्मरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् — (1) श्रा बो० लक्ष्मोनारायण, २० 1149 वेण्ट आफ कार्ड गेड, 11 स्टेज, महालक्ष्मीपुरम पोस्ट, बेगलूर--86 ।

(अन्तरक)

(2) डाक्टर कामानाथ दीक्षिन न० 71 II, —XXII कास रोड, राजाजानगर, II ब्लाक, बेगलूर-10 !

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यशाहियां करता हु।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्रेप :---

- (क) इस मूचना के राजपत्र मों प्रकाशन की तारीब के 45 विन का कियां पर स्वास्थान की तासील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त हाती हा, के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तिया मों से किसी व्यक्ति वृद्यारा:
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किमी अन्य व्यक्तिर दवारा स्थाहण्यास्यों के पाद

स्पष्टाकरण.--इरामा प्रयुक्त कांद्री श्रीर पर्दों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित, ही, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया पदा डी।

भ्रनुसूची

(दस्तावेज म० 1184, दिनाक 18-6-84) पम्पत्ति है, जिसकी म० 1149, जो वेस्ट आफ कार्ड रोड, 11 स्टेज, बेंगलूर सिटो में स्थित है। (60'--40")

> आर० भाग्द्वाज सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज, बगलुर

दिनाकः 26-11-1984 मोहर .

प्रस्तु बार्षं . हो . ह्यं . र्षं . -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-भ (1) के अधीन स्चना

ब्राप्त स्टब्स्

कार्यांतर, सहायक आधकर अव्यक्त (विशेषण) अर्जन रेज, बंगलूर बंगलूर, दिनांट 26 नवम्बर 1984

निदेश सं० मो० आर० 62/44249/84-85—यतः मुझे, आर० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्रधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

स्नौर जिसकी सं० 2137 है, तथा जो आर० गो० सो० एक्सटेंशन विजयानगर, बेंगल्र में स्थित है (स्रौर इससे उपावद्ध अनुसूची में स्रौर पूर्ण रूप से विणित है), रिजस्ट्रीकर्ता स्रिधकारी के कार्यालय, श्रीराम पुरम में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 22-6-1984,

को पूर्णेक्त संपत्ति के उचित बाबार म्ल्य से कम के दश्यमान ब्रांतफल के लिए अन्तरित की गई है और मफे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोवत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, एसे दृश्यमान प्रतिफल का बन्दह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतिरितियों) के बीच एमें अंतरण के लिए तण पाया गया पति फल निकालिक्षित उद्शोध में एसे अन्यरण विश्वित को बाद्य दिक्क स्था से द्वित को विश्वास ग्रांतिक स्था से द्वित को वाद्य दिक्क स्था से द्वित को विश्वास ग्रांतिक की निकालिक्ष स्था से विश्वास ग्रांतिक स्था से द्वित को वाद्य दिक्क स्था से द्वित को विश्वास ग्रांतिक विश्वास स्था से का व्यास स्था से द्वित को वाद्य स्था स्था से का व्यास स्था से वाद्य स्था से का व्यास स्था से वाद्य स्था से वाद्य स्था से का वाद्य से वाद्य स्था से का वाद्य स्था से का वाद्य से वाद्य से वाद्य स्था से का वाद्य से वाद्य स्था से का वाद्य से वाद्य स्था से वाद्य से वाद्य स्था से वाद्य स्था से वाद्य से वा

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में स्विधा के लिए: और/या
- (क) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तिशें का, जिन्हों भारतीय अयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिताने में सृविधा के लिए;

आत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 260-ग के अनसरण कें में, उक्त अधिनियम की धारा 260-घ का उपधारा (1) के अधीन, निम्नीलिखित व्यक्तियाँ, अर्थन --- (1) श्रा ए० एन० शिवाबसप्पा,
 न० 36, अपस्टेंप्स,
 नेहरू सर्कत,
 शेशाब्रिपुरम, बेगलूर-20 ।

(अन्तरक)

(2) श्री के० कृष्ण भट्ट,
 न० 74/1, 52 क्रास,
 IV ब्लाफ , राजाजिनगर,
 बेंगलूर-10 ।

(अन्तरितो)

को यह सूचना जारी करकं पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध के कोई की बाओर ह-

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीय से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जा भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोकन व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राज्यम में प्रकावन की तारीब है
 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अभोहस्ताक्षरों के
 राष्ट्र निर्वित में देका का सकेंगे !

स्पष्टीकरणः --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त बिधिनयम, के बध्याय १०-क में परिकारिक हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया क्या हैं।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1056/84, दिनांक 22-6-84) सम्पत्ति है, जिसका सं० 2137, जो आर०पी० सी० एक्सटेंशन, राजाजीनगर, बेंगलूर, में स्थित है।

> आप० भारद्वाज सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, बंगलूर

दिनांक: 26-11-84

म्द्रेहर:

प्ररूप बाइं. टी. एत. एस. ------

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन मुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर बगलूर, दिनांक 21 नवम्बर 1984 निदेश सं० सो० आर० 62/43098/84-85—यत। मुझे, आर० भारद्वाज,

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ल के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- राज्य से अधिक है

भीर जिसकी सं० टग० एम० नं० 7, आर० एम० नं० 166 है, तथा जो अत्तावर विलेज, कनतटोनमेंट वार्ड, मंगलूर में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूर्च) में ग्रीर पूर्ण रूप से विणित है), रिजस्ट्रीकर्ता श्रिधकारी के कार्यालये मंगलूर में रिजस्ट्र-करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधिन विनांक 12-4-1984

को पूर्वेक्ति सम्पन्ति के उचित बाजार मूल्य सं कम के द्रध्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मूके यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पन्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके द्रश्यमान प्रतिफल से, एसे द्रश्यमान प्रतिफल का पम्बूह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अतरकां) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, गम्मनिलियन उद्देश्य से उचत अंतरण लिखित म

- (क) बन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत, उक्त बिधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायिल में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; बीर/या
- (च) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सिविधा के निष्

मतः जब उक्त जिथिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन. निम्निलिखित व्यक्तियों, अधीत :---

(1) मियान स.० एफ० मासकारेन्हास रेबेल्ला हीना, 132, हि रोड, बान्द्रा, बस्बई, 2 मिपर्स मर्रेटे मासकारेन्हास (3) मिस्स चेरिल मासकारेन्हास (4) मिसा डेबोराह मासकारेन्हास (5) श्रा पोटन मासकारेन्हास ग्रीर (6) श्रो पात मासकारेन्हास न० 2 ट 6 एट रस्टाराख रोड, मगलूर ।

(अन्तरक)

(2) श्रा के० सुक्वाय्या शेट्टि, बलमहा, मंगलूर ।

(अन्तरितो)

का बहु सूचना बारी परके पृथांकित सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करना हुए।

उक्त सस्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) क्स सकान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब सं 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्रविक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ब्वारा;
- (क) इस सृष्या के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 45 दिन के भीतर उच्न स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकीं।

स्पट्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदौं का, जो उक्त अधिनियम के बध्याय 20-क में परिभाषिक हैं, वहीं अर्थ होंगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

वन्स्ची

(दस्तावेज स० 65/84-85 दिनाक 12-4-84) सम्पत्ति है, जिसका सं० टेंश्० एस० 7, आर० एस० न० 166, जो अत्तावर विलेज, इनटोनमेंट वार्ड, मंगलूर, में स्थित है । (1538 वर्ग माटमी) ।

> र० भारद्वाज सक्षम श्राधिकारो महायक आयक्त (निरोक्षण) अर्जन रेज, बगलुर

दिनांक : 21-11-1984

मोहर

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

श्रायक्षर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण)

अर्जन क्षेत्र भोपाल भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 1984 निदेश सं० आई० ए० स ः/अर्जन/भोपाल/5368—अतः मुझे, धीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

मायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उन्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह निश्वास करने का कारण है कि स्थ्यानर सम्पत्ति, जिसका उचित नाजार मृल्य 25,000/-रा. से अधिक हैं

भौर जिसकी सं० मकान नं० 123, स्ट्रीट नं० 2 है, तथा जो मनोरमा गंज इन्दौर में स्थित है (श्रीर इपसे उपाबद्ध अनुसूचा में भौर पूर्ण के रूप से विणत है) रिजस्ट्राकर्ता अधिकारों के कार्यालय, इन्दौर में रिजस्ट्रोकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अप्रैल, 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के द्रियमान प्रितिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्त यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके द्रियमान प्रतिफल से, एसे द्रियमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) डोर अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उबत अन्तरण लिखित चं बास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त ब्रिधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सृविधा के लिए; और/या
- (ब) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्ध अन्तरिती द्वार प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए;

कतः अभ, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखितः व्यक्तियों, अर्थातः :--

- (1) श्रामता बौलन कृंत्रर बाई पित श्रो ठाक्रर साहब पश्वाराज सिगजा निशासी——12/2, मनोरमागज, इन्दौर म० प्र० (अन्तरक)
- (2) 1. श्रो मुकेग कुमार पुत्र श्रा मदनलाल जो,
 2. श्रामनो प्रमिता रानो पति श्रा मदनलाल जी,
 3. श्रा राकेग "मोनोर" पुत्र श्रो मदन लाल जी गाडियन फोर नं० 3 सभा निवासो मकान नं० 116 जन्नार कम्पाउण्ड, इन्दौर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी ख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित्बस्थ किसी व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरणः --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान न० 123 गलो न० 2 है जो मनोरमागज इन्दौर में स्थित है। यह बहु स्थाबर अस्पत्ति है, जिपकाफार्म नं० 37-जां में निहात है तथा अन्तरिति द्वारा सत्यापित किया गया है।

> बोरेन्द्र कृमार बरनवाल सक्षम प्राधिकारा सहायक आयंकर आयुक्त (निरक्षिण) अर्जन रेंज, भोपाल)

दिनांफ : 22-11-1984

प्रक्य बाइ. टी. एन. एस. -----

भायकर मिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) को सभीन स्चना

धाउत बहुकार

कार्यालय, सहायक भायकर नायुक्त (निडीक्रण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल दिनांक 22 नवम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5369-अतः

मुझे, वीरेंन्द्र कुमार बरनवाल

बायकर बधिनियमं, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रा. से अधिक हैं

भौर जिसकी सं० खुला प्लाट म्यु० पा० नं० 8/3 है तथा जो मनोरमागंज इन्दौर में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद अनुसूर्चा में भौर पूर्ण रूप से वर्णित है) रिजस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के के अधीन दिनांक अप्रैल 1984

की पूर्वोक्त सम्मिरित के उचित बाजार मूल्य से कम के द्रश्यमान प्रतिफल के जिए अन्तरित की गई है और मूझे यह विश्वास करने के कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्मिरित का उचित बाजार बृत्य, इसके द्रश्यमान प्रतिफल का प्रतिफल से, एसे द्रश्यमान प्रतिफल का प्रति प्रतितात से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के गीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निसित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से किथत नहीं किया गया है:—

- (क) जन्तरण से हुइं किसी बाय की वाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसके वचने में सूर्विधा के निष्ए; और/वा
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या जन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 । 1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अयोजनार्थ अन्तरिती वृवारा प्रकट नहीं किया प्रमाथा या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा के लिए;
- अतः सव, अक्त अधिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण में, में, अक्त मिनियम की भारा 269-च की अप्रभारा (1) के अभीत, निम्तृलिखित स्मित्यों, अभृति :∞∞

- (1) 1. बंडजात्या कंस्ट्रम्थन कम्पनी द्वारा श्री संत कुमार बंडजात्या पुत्र श्री कस्याणमल जी बंडजात्या निवासी—146 जावरा कम्पाउण्ड इन्दौर म० प्र० 2. चावला कंस्ट्रम्थन कम्पनी द्वारा श्री अर्जुनवास चावला निवासी—165 पलणीकर कालोनी इन्दौर म० प्र० (अन्तरक)
- (2) मेसर्स गौरव गह निर्माण सङ्कारी संस्था मर्थादित इन्दौर तरफे श्री जय कुमार पुत्र श्री जठानन्दजी चावला निवासी—195 पलाशोकट कालोनी इन्दौर म० प्र० (अन्तरितो)

को यह सूजना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अधन के लिए कार्यवाहियां शरू करता हुं।

उक्त सम्पर्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आद्र प . ---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की नारीध वे 45 विन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्याक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, तो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भी तर पूर्वीकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्यक्ति।;
- (च) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की गारी इस सूचना के राजपत्र स्थावर सम्पत्ति हैं हितबद्व किसी अन्य व्यक्ति द्वार अधोहरताक है के पृत्य निवित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवां का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होया जो उस अध्याय में विया गया है।

मनुसूची

खुला प्लाट म्यु० पा० नं० 8/3 है जो मनोरमागंज इन्दौर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्ग नं० 37—जो में निहित है तथा अन्तरिती द्वारा सस्यापित किया गया है।

वारेन्द्र कुमार बरनवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, भोषाल

विनोक : 22-11-1984

प्ररूप भाइ.टी.एन.एस. ------

बायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-च (1) के अभीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयक्त आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 1984 निदेश सं० अर्द्व० ए० सो०/अर्जन/भोपाल/5370—अतः मुझे, वीरेन्त्र कुमार बरनवाल,

बायक र अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), अर्ज धारा 269-व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रा. से अधिक है

भीर जिसको सं० धुला प्लाट नं० 6—बी है तथा जो राजगढ़ कोठी इन्दौर में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण से रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रे.कर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्रे.करण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के इष्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मृक्षे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपरित का उचित्र बाजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्तूह प्रतिक्षत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पामा गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्वेष्य से उक्त अन्तरण किला मं वास्तिक रूप से किथत नहीं किया गया है:——

- (क) बन्तरण ते हुई किती नाव की बाबत, उचल वीधनियम के बधीन कर दोने के जन्तरक के दायित्व में कमी करने या उत्तते बचने में सुविधा के निष्; बार्-/या
- (का) एसी किसी आय या किसी धन अन्य आस्तियों की जिन्हीं भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 की 11) या जनत अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 की 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ध्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सृविधा औं सिए;

बतः बन, उसते मीधिनयम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उसत मीधिनयम की धारा 269-म की उपधारा (1) के जधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :——

- (1) जयल्डमी गृह निर्माण सहकारी संस्था मार्यादित मनोरमागंज इन्दौर, अध्यक्ष श्रो सुनिल जैन पुत्र श्रा जे० पी० जैन, निवासी—यशवन्त निवास रोड, इन्दौर । (अन्सरक)
- (2) अरिहन्त गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित,
 146, जावरा कम्पाउण्ड इन्दौर तरफे अध्यक्ष श्री
 संत कुमार बडजात्था पुत्र श्री कल्याणमलजी बडजात्था
 निवामी----146, जावरा कम्पाउण्ड इन्दौर म० प्र०
 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के सिष्ट् कार्यवाहियां करता हुं।

उन्त सम्पत्ति के नर्जन के सम्बन्ध में कोई भी नाक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी हैं के 45 दिन की अविधि या तत्सं है भी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, को भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच सैं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबव्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए वा सकोंगे।

स्पष्णीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, को उन्तर अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषिक हाँ, नहीं वर्ष होगा को उस अध्याय में दिवा गया है।

अनुसूची

खुला प्लाट नं० 6-को जो राजगढ़ कोठी इन्दौर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पन्ति है जिसका विवरण फार्म नं० 37-जी में निहित है, तथा आन्तरितो द्वारा सत्यापित किया गया है।

> वीरेन्द्र कुमार बरनवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, भोपाल

विनांक : 22-11-1984

१वन् वार्, टो. एवं. एवं , प्राप्त -----

भायकर विभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-भ (1) के नभीन तुमना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक जायकर आयुक्त (निरीक्षण) ्र अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 1984 निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5371—अत मुझे, वारेन्द्र कुमार बरनवाल,

नायकर निधनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसर्म प्रकास परेचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया ही), की धारा 269-श्व के नधीन, सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपरित, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

भीर जिसको स० मकान -नं० 1/2ब, क्षथा जो कमला नेष्ट्रक् मार्ग उज्जैन में स्थित है (भीर इससे उपाबक अनुचर्च। में भीर पूर्ण रूप से विणत है) रिजस्ट्राकर्ता अधिकारों के कार्यालय, उज्जैन में रिजस्ट्राकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधान, विनाक अप्रैल 1984,

को पूर्वोक्त संपर्तित के उचित बाजार मूल्य से कम के रहममान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करमें का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके रूपयमान प्रतिफाल से, ऐसे रूपयमान प्रतिफाल का पंद्रह प्रतिचात से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल फल निम्नलिखित उद्वेषम से उच्त अंतरण सिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अव्यक्ष्य वे हुए कियी नाम की वाबत, उक्त अभिनिषय के स्वीय कर दोने के अक्तरक को दायित्व में कनी करने या उसते वचने में सुविधा वे तिवह; जोड़/या
- (व) एसी किसी बाय या किसी धन या बन्य बास्तिया को, जिन्हें भारतीय बाय-मन्द अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कार अधिनियम, 1957 (1957 का 27) अ प्रयाजनाथ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया धा या किया जाना चाहिए था, क्रिपान में सृष्धा कर, सप्,

मतः मन उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-व की उपभारा (।) को अधीन, निम्निचित व्यक्तियों, अर्थात् :---

- (1) श्रा मोहम्मद अय्यूब पुत्र श्रा मोहम्मद इबाह्यि, निवासा—कमला नेड्ह मार्ग, उज्जैन म० प्र०। (अन्तरक)
- (2) श्री मंसूर अली पुत्र श्री गुलाम अली, निवासी--28 भागव मार्ग, उज्जैन, म० प्र० । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्परित को अर्चन को हिसए कार्यवाहियां शुरू करका हुं।

उक्त बन्धित के बर्जन के सम्बन्ध मा कांग्रे भी नाक्षेत्र :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीचा खै 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी स्थिक्तयों पर सूचना की तामील से 30 दिन की सर्वीध, खो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्च व्यक्तियों में से किसी स्थिकत द्वारा;
- (क) इस त्कान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक वै 45 किन के भीतर उक्त स्थानर संपित्त में हितनकुष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाण निवित में किए जा सकोंगे।

स्वयद्गीकरणः --- इसमें प्रमुक्त शब्दों और पवों का, को अवस अधिनियम के अध्याय 20-क में णीरभावित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गुवा है।

नन्स्ची

मकान न । 1/2 द है जो कमला नेहरू मार्ग उज्जैन में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्म न 37-जी में निहित है, तथा अन्तरिता द्वारा सत्याधित किया गया है।

> वं रेन्द्र कुमार बरनवाल सक्षम प्राधिकारो सहायक आयकर आयुक्त(निरीक्षण) अर्जन रेज, भोपाल

दिनाक : 22-11-1984

प्ररूप भाषी, टी., एन., एत्.-----

आवकर जीभनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-च (1) के जभीन सूचना

भारत सर्कार

कार्धालय, सहायक जायकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन क्षेत्र भोपाल

भोपाल, विनांक 22 नवम्बर 1984 निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5372—अतः मुझे, वे रेन्द्र कुमार बरनवाल,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवास (उक्त अधिनियम कहा गया है), की भारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/-रुपये से अधिक है

भीर जिसकी सं० पार्ट भीर मकान नं० 1/2-व है, तथा जो कमला नेहरू मार्ग, उज्जैन में स्थित है (भीर इससे उपावस अनुसूची में भीर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, उज्जैन में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 की 16) के अधीन, दिनांक अप्रैल 1984,

को पृथिक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दृष्यमान प्रतिफल के निए अन्तरित की गई है और मृझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापृबेंक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दृष्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिक्षत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखित उद्वेष्य से उक्त अन्तरण निवित में बास्तिक रूप से किथत नहीं किया गया है:—

- (क) बन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत, उक्त बिधिनयम के बधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्य में कभी करने या उससे बचने में सृविधा के लिए; बार्-/या
- (क) ऐसे किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, खिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अव, उक्त अधिनियम की भारा 269-ण के अनुसरण में, भी, उक्त अधिनियम की भारा 269-ण के प्रधारा (1) अरे अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधीत्:— (1) श्रं मोहम्मद अय्यूव पुत्र श्रं मोहम्मद गुलाम अली, निवासा—अकपला नेहरू मार्ग, उज्जैन म० प्र०।

(अन्तरक)

(2) श्री शब्बीर हुसैन पुत्र श्रो गुलाम अली, निवासं — 28-भार्गव मार्ग उण्जैन २० प्र०। (अन्तरिती)

को पह सूचना जारी करके पूर्वीवत सम्पत्ति के अर्जन के कायनाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्थन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी वविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वेक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी साथ 45 दिन को भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकी ।

स्पष्टीक रण:---इसमें प्रयुक्त करूरों और पदों का, को स्वस्त अधिनियम के अध्याम 20-क में परिभाषित्त हैं, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याम में दिरण गया है।

वन्सूची

भाग और बना हुआ मकान नं० 1/2-व है जो कमला नेड्रू मार्ग उज्जैन में स्थित है यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्म नं० 37-जी में निहित है, तथा अन्तरितं द्वारा सत्यापित किया गया है ।

> विःरेन्द्र कुमार बरनवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक बायकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, भोभाल

दिनांक : 22-11-1984

मोहर

प्र**क्ष बाइ**. टी. एन., एस.,-------

मायंकर अविधिनयम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-म (1) के मधीन सुमना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

धर्जन क्षेत्र, भोपाल भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 1984 निदेश सं० ग्राई० ए० मो०/धर्जन/भोनाल/5373— आतः मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

कामकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उन्तत अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-ख के अधीन संक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रुठ. से अधिक हैं

भौर जिसकी सं० बना हुन्ना मकान प्लाट नं० 275 है, तथा जो भन्य नगर कालोनी इन्दौर में स्थित है (श्रीर इससे उपाबढ अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विणित है) रिजस्ट्रीकर्ता श्रीधकारी के कार्यालय, इन्दौर में रिजस्ट्रीकरण श्रीधनियम, 1908 (1908 का 16) के अधान, विनांक श्रील 1984,

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मृस्य से कम के ध्रयमान प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है और मृझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृस्य उसके दृश्यमान प्रतिकल से, एसे दृश्यमान प्रतिकल का पन्द्रह प्रतिकात से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकल, निम्नलिश्वित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिश्वित में बास्सविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) जन्तरण सं हुई किसी बाय की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के जन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे वजने में स्विधा के लिए; और/या
- (क) ऐसे किसी आय या किसी भन या जन्म आस्तिबाँ को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के सिए;

अतः अथ, उक्त जिथिनियम की भारा 269-ग की अगुजरण में, में उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपभारा (1) के अधीन, निम्मलिखिठ व्यक्तियों, अथीत :---

- (1) श्री जटामंकर झा, पुत्र श्री मित्रमंकर झा, निवासी--वर भंगा बिहार, तरके ग्रा० मु० श्री मकोफुर रहमान पुत्र श्री भ्रजोर्जु रहमान, निवासी--60-जुना पिठा इम्दौर म० प्र०। (भ्रन्तरक)
- (2) श्रो शकीक मोहम्मद कुरेशो पुत्र स्व० श्रो सिद्दीक मोहम्मद कुरेशो निवासी—-भोगाल म० प्र०।

(श्रन्तरिती)

को यह सुचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पक्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हों।

उन्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षीप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख है 45 दिन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, वो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति इवारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक्ध किसी अन्य व्यक्ति ब्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकरी।

स्पष्टीकरण: --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त श्रीधनियम, के अध्याय 20-क में परि-भाषित हैं, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विया गया है।

वम्सूची

बना हुआ मकान नं० 275, है जो अनुप नगर कालोनी इन्दौर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है, जिसका विवरण फार्म नं० 37—जी में निहित्त है, तथा अन्तरितो द्वारा सत्यापित किया गया है।

> वीरेन्द्र -कुमार बरनवाल सक्षम प्राधिकारी महायक श्रायकर भ्रायुक्त निरोक्षीण) भ्रजीन रेंज, भोपाल भ्रायकर भवन सैदा मिल के पास, भोपाल

दिनांक : 22-11-1984

मद्भेर :

प्ररूप मार्ड. टी. एन. एस. -----

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व (1) के अधीन सुचना

भारत बुरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षक) अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, विनांक 22 नवम्बर 1984

निदेश सं शाई० ए० सो ०/ग्रर्थन/भाषाल/5374-- ग्रतः मुझे, वोरेन्द्र कुबमार वरनवाल,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रा. से अधिक हैं

भौर जिसको सं० प्लाट नं० 231 है, तथा जो अनुप नगर कालोनो, इन्दौर में स्थित है (भौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में भौर पूर्ण रूप से वर्णित है) रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारों के कार्यालय, इन्दौर में रिजस्ट्रोकरण शिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अप्रैल, 1984,

को पूर्वोवत सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के निए बंतरित की गई है और मुक्के यह विश्वास करने का कारण है कि सभापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उनके दृश्यमान प्रतिफल को पंत्रह प्रतिकृत से ब्रिथन है और बन्तरक (अन्तरकों) और बंतरिती (बन्तरितिया) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से सकत बन्तरण सिवित के बालतिक रूप से किया नहीं किया गया है:——

- (क) जन्तरण के अनुद्द किसी बाध की बावत , जक्त जिल्लीनवा के अभीन कार दोने के जन्तरक के दावित्य वी खनी करने वा जबके बचने में सुविधा के लिए: और/वा
- (क) एंगी किसी काय या किसी धन या जन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकार अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन- कर अधिनियम, या धन- कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया किया जाना चाहिए था, किएाने से स्विधा की लिए;

जतः अवः, उद्यक्त अधिनियमं की धारा 269-गं के अनुसरण कें, कें, उक्त अधिनियमं की धारा 269-वं की उपधारा (१) के वधीन : निम्तिसिक्षण कारितकों, वर्धात् अल्ल (1) श्री इन्दर्शसग पुत्र श्री लखमीर सिंह छतत्र लगी, निवासी---मकान नं० 87, जावरा कम्पाउण्ड, इन्दौर म० प्र०।

(ग्रन्सरक)

(2) 1. जवाहर पुत्र श्री श्रीनियास कुलकर्णी,
2. श्री बद्रोनाथ पुत्र श्रीनियास कुलकर्णी
3. श्री डीपक पुत्र श्रीनियास कुलकर्णी
सभी निवासी—90/4, महामा गांधी मार्ग, इन्दौर ।
(श्रन्तरिती)

क्षे यह त्यना जारी करके पृत्रॉक्त सम्पृत्ति के वर्षन के शिव कार्यवाहियां शुरू करता हां।

बन्द सन्पृतित् के नर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्सेप:--

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन की अविधिया तत्सम्बन्धी न्यक्तियों पर स्वना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी ज्विध के बिस में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कर व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ब) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस है 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास जिल्हित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदौं का, जो उक्त विधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परि-भाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

वनुसूची

प्लाट नं० 231 है जो भ्रन्प नगर कालोनी, इन्दौर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है, जिसका विवरण फार्म नं० 37-जी में निहित है, तथा भ्रन्तरितो द्वारा सत्यापित किया गया है।

> वीरेन्द्र कुमार बरवाल मक्षम प्राधिकारी सहायक स्नायकर आयुक्त (गिरीक्षण) स्नर्णन रेंज, भोपाल स्नायकर भवन मैदा मिल के पास, भोपाल

विनोक : 22-11-1984

माष्ट्र :

प्रकप बाइ टी.एन,एस.-----

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धार 339-प ।) क्रकार स्वाप

भारत सरकार

कार्यासय, सहायक जायकर आयुक्त (निरीक्षण) धर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 1984 निदेश सं० श्राई० ए० सी०/श्रर्जन/भोपाल/5375——ग्रतः मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

कायरहर किंधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके प.चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण १ कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उणित बाजार मृल्य 25,000/- रुपए से अधिक हैं

श्रीर जिसको सं० मकान नं० 73 "नया नं० 20" है, तथा जो उज्जैन रोड, देवास, में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण के रूप से विणित है) रिजस्ट्रीकर्ता श्रधिकारों के कार्यालय. देवास, में रिजन्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, दिनांक श्रील 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुक्ते यह विद्वास करने का कारण है कि यथाप्वेक्ति संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकाँ) और अंतरिती (अन्दिरिशियाँ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया पतिफल, निम्नीलिसत उद्देश्य से उसत अंतरण लिनित में बास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है:——

- (क) अन्तरण स हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि-नियम के अधीन कर दोने के अंतरक के धारित्य में कभी करने या उससे वचने में सुविधा के बिए; बौड़/वा
- (क) एसी किसी जाय या किसी भन या जन्य आस्तियों की, जिन्हों भारतीय आकर अभिनिव्स, 1922 (1922 का 11) वा जक्त जीभिनियम, वा भन-कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना जाहिए था, क्रिपान में सुविधा के सिद्;

श्रतः अत्र, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण की मारा 269-ग की अपसरण (1) से रूप निम्नितिश्वित व्यक्तियों, अर्थात :—

- (1) 1. श्रीमती शान्तिबाई पति श्रोमूलचन्द,
 2. श्रो मूलचन्द पुत्र श्रो समटलाल,
 रेडिओ को दुकान तोन बत्तो चौराहा देवास, म० प्र०।
 (श्रन्तरक)
- (2) श्री ग्रार० एच० रिझवानी, ग्रस्सिटेंट इंजोनियर, म० प्र० विश्वत मण्डल खंडवा म० प्र०।

(भ्रन्तरिती)

को बह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के वर्षन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ब्वारा;
- (च) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपृत्ति में हित-बद्ध किसी जन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सर्वेगे।

स्पव्यक्तिरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उत्कर विभिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा, वो उस वध्याय में दिवा गया है।

नग्स्यी

मकात न्यु॰ नं॰ 73 "नया नं॰ 20' है जो उज्जैन रोड देवास में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है, जिसका विवरण फार्म नं॰ 37-जो में निहित है, तथा भन्तरिती द्वारा सत्य।पित कया गया है।

> वीरेन्द्र कुमार बरनवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरोक्षाण) भर्जन रेंज, भेरसल ग्रायकर भवन मैदा मिल के पास, भोपाल

दिनांक : 22-11-1984

् प्ररूप बाइं. टी. एन. एस.-----

नायकर निधिनयम, 1961 (1961 का 43) कीं धारा 269-व (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन क्षेत्र, भोपाल भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 1984

निदेश सं० ग्राई० ए० सी०/ग्रर्जन/भोपाल/5376--ग्रतः मुझे, वीरेन्द्र कुर्मीर बरनवाल,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है, की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,*00c/- रा. में अधिक ही

श्रीर ,जसकी सं० भूं।म खसरा नं० 347/1/1/1 मेसे केवल 3.80 है, तथा जो ग्राम बावडिया तह० हुजूर जिला भोपाल में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबढ ग्रनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से विणत है) रजिस्ट्रोकर्ता प्रधिकारो के कार्यालय, भोपाल में रजिस्ट्रोकरण म्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के म्रधीन, दिनांक म्रप्रैल

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाबार मूल्य से कम के व्यथमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुभे यह विस्त्रास करने का कारण है कि यथापूर्वीक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिकास से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तप पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में बास्तविक रूप से करियत नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आप की बाबत उक्त अधि-नियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; मीर/या
- (अर) एंसी किसी अाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या प्त-कार आधानयम, 1957 (1957 का 27) के प्रगंजनार्थ अर्तारती द्वारा एकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा कं लिए;

बत: बब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उदत अधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के अधीन, नियनलिसित व्यक्तियों, अर्थात् :---

22-426 GI/84

(1) श्रो भोजराम पुत्र श्री लाल सिंह द्वारा ग्राम मुखत श्री मदनलाल पुत्र श्री भोजराम, निवासी---ग्राम बाबडिया तहे० हुजूर जिला-भोपाल म० प्र०

(ग्रन्तरक)

(2) श्री संत कुमार पुत्र श्री श्याम बिहारी, श्रध्यक्ष जय भवानी गृह निर्माण सहकारो समिति लि० भोपाल, मध्य प्रदेश ।

(भ्रन्तिरती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कांई भी आक्षेष :---

- (क) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब है 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियां पर स्चना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (स) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 45 दिन को भीतर उक्त स्थावर सम्पत्तिं में हित-बद्ध किमी बन्य न्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी के पास निश्वित म किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरण .--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि खसरा नं 347/1/1/1 मेसे केवल 0.80 है जो ग्राम बावडिया तह० हुजूर जिला भोषाल में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरणे फार्क नं० 37-जा में निहित है तथा ग्रन्तरिती द्वारा सत्यापित किया गया है।

> वीरेन्द्र कुमार बरनवाल सक्षम प्राधिकारी -सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरोक्षण) अर्जन रेंज, भोपाल श्रायकर भवन मैदा मिल के पास, भोपाल

दिनांक : 23-11-1984

हक्त आहै, कौ, एवं , ऐसं , अ-अन्त

नायकर नीभनियम, 1961 (1961 का 43) नी भारा 269-म (1) के न्भीन सूचना

<u> ग्राइत सरकार</u>

कार्यांसय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

भर्जन क्षेत्र, भोपाल भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 1984 निदेण सं० भ्राई० ए० सौ०/भ्रजेन/भोपाल/5377—श्रहः मुझे, बीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

नाथकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उंकत अधिनियम' कहा गया है"), की भारा 269-स के सभीन सक्षम प्राधिकारी को मह विश्वात करने स्व कारक है कि स्थावर संपरित, जिसका उचित बाबार मून्य 25,000/-स से सधिक हैं

धौर जिस ही सं० भूमि खसरा नं० 3/7/1/1/ रकबा केवल 0-80 है, तथा जो ग्राम बावडी कला तहसील हुजूरजिला भोपाल में स्थित है (भीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से विणत है) रिजस्ट्रीकर्ता ग्रिधकारी के कार्यालय भोपाल में रिजस्ट्रीकरण मिर्धानयम 1908 (1908 का 16) के ग्रिधीन विनोक श्रप्रैल 1984,

को पूर्वोक्त सम्मित्त के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफ क के सिए अन्तरित की गई है और मूफे यह विद्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त समपित्त का उचित बाजार मूल्य, असके दृश्यमान प्रतिफस से, एसे दृश्यमान प्रतिफस का पन्त्रह प्रतिचत सं अभिक है और मन्तरक (मन्तरकों) भीर अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे जन्तरक के सिए तय पाया गया प्रति- कह निम्निसिय उद्देश से उस्त अन्तरक के सिए तय पाया गया प्रति- कह निम्निसिय उद्देश से उस्त अन्तरक के सिए तम पाया गया प्रति-

- (क) अन्तरण वे हुई किसी आप की बावस, उनस्य शीं भूतिवन की स्थीन कर बोने के अन्तरक सी स्थीयत्व में कमी करने या उससे बचने में सुनिश्य भी निए; भीर/ना
- (क) श्रेमी किसी आय या किसी अन या अन्य आस्तियों कां, जिन्हें भारतीय जाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या र अन अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) वी प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया चन वा वा बारेक्स था, किया वे सुनियम के लिए;

चतः अव उपल नियमिनन की भार 269-म की अनुसरण कों, कों, उक्त अधिनियम की भारा 269-म की उपभारा (1) कों नभीन, किन्नीलियत व्यक्तियों, नभीत् झ— (1) श्री भोजराम पुत श्री लाल सिंह द्वारा मु० आम मदन लाल, पुत श्री भोजराम निवासी—ग्राम बाविष्टिया, तह० हुजूर जिला—भोपाल म०प्र०।

(इन्तरक)

(2) श्री सत कुमार पुत्र श्री ध्याम बिहारी, ग्रध्यक्ष जय भवानी गृष्ट निर्माण सहकारी समिति जि० भोपाल म० प्र०।

(भन्तरिती)

का बहु पुषका कारी करके पूर्वोक्त सम्मस्ति को पर्जन के निष् कार्यनाहियां करता हु।

तकत सकति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी **भा**श्पः---

- (क) इस सूचना के राजपत्र मों प्रकाशन वो तारीत से 45 वित्र की जवित्र था तत्त्वज्ञान्थी प्रविक्तानों पृष्ठ कृष्णना की तानीज से 30 वित्र की नवीत्र, यो भी सम्बित यो मों समाप्त होती हो, के भीतः पूर्वोत्तर स्वीवत्यों मों से किसी व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति
- (भ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की नारीस से 45 दिन के भीतर उन्कर स्थायर सम्पण्ति में हितबस्थ किसी अन्य व्यक्ति द्रारा अधोहरक्षा तरी के पास सिसिस में किए वासकोंगे।

स्वक्रीकरनः - इसमें प्रवृत्य कव्यों नीर वर्षों का , व्ये अवध् अधिनियम, के सध्याय 20-क में गरिभावित हैं, वहीं सर्थ होगा जो उस सध्याय में विया सवा है।

मन्स्यी

भूमि खसरा नं० 347/1/1/1 रक्तवा केवल 0.80 हैं जो , ग्राम बाडिया तह० हुजूर जिला भोपाल में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है कि जिसका विवरण फार्म नं 37-जी में निहित है, तथा मन्तरिती द्वारा सतापित किया गया है।

> वीरेन्द्र कुमार बरनवाल सक्षम प्राधिकारी सह।यक श्रायकर श्रायुक्श (गिरीक्षण), द्यर्जन रेज, भोपाल श्रायकर भवन, मैवा मिस के पास, भोपाल

विनोक : 23-11-1989

मोहर 🔉

प्रकप बाई. टी. एन. एस. -----

बायवर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-च (1) के अधीन सुचना

माइत ब्रुप्काह

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) प्रजीन क्षेत्र, भोपाल

भौपाल, दिनांक 23 नवम्बर, 1984 निवेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5378—अतः

मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल, आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्मात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विक्वास करने का

कारण 💅 कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका डिचित बाजार मृल्य

25,000 /- रत. से अधिक हैं।

भौर जिसकी सं किता भूमि खसरा नं 347/1/1/1 मेसे केवल 0.80 है, लथा जो ग्राम बाबडिया तह हु छूर जिला भोपाल में स्थित है (शीर इससे उपाबड अनुसूची में और पूर्ण रूप से विणत है) रिजर्स्ट्राकर्ता श्रिधकारी के कार्यालय, भोपाल में रिजर्ट्राकरण अधिलियम 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, विनांक श्रप्रैल, 1984,

को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के क्रयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मृत्रों यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके क्रयमान प्रतिफल से, ऐसे क्रयमान प्रतिफल का पम्झह प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अंतरिती (अन्तरितिया) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित के वास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

- (क) ज्लारण से हुई किसी जान की वायर, समर जीविनयम के अधीन कर बेने के जलारक के बाजिए के कजी करने वा उससे बचने में सुविधा के लिए; जीट/या
- (च) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

जतै: जब, उस्त अभिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण मेंंुमें, उकत अभिनियम की भारा 269-ग की उपभारा (1) कें√केभीन निकासिकत व्यक्तियों. वर्धात ब—

- (1) श्री भोजराम वल्द श्री लालसिंग द्वारा मु॰ भाम श्री मदनलाल पुत्र श्री लालसिंह, निवासी—ग्राम बाविषया तह० हुजूर जिला भोपाल। (भन्तरक)
- (2) श्री संत कुमार पुत्र श्री स्थाम बिहारी लाल, श्रध्यक्ष जय भवानी गृहनिर्माण सहकारी समिति लि॰ भोपाल म॰ प्र॰ । (श्रन्सरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के किंदू कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पड़ सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीं के 45 दिन के भीत्र उक्त स्थावर सम्पत्ति में निकान वृक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, नथाहरताकरी के पास लिकित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, को उनके अधिनियम, के अध्याय 20-के में परिभाविक है, वहीं अर्थ होगा को उस अध्याय में विका गया है।

मन्सूची

भूमि खसरा नं० 347/1/1/1 मेसे केवल 0.80 जो ग्राम बावडिया तह० हुजूर जिला भोपाल में स्थित है। यह वह स्थावर सम्प्रीत जिसका विवरण फार्म नं. 37-जी में निहित हैं। सभा अन्तरिती ब्वारा संस्थापित किया गया है।

> वीरेन्द्र कुमार बरनवार्श सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, भोपाल ग्रायकर भवन मैदा मिल के पास भोपाल

विनोक: 23-11-1984

प्ररूप बार्ड.टी.एन.एस. -----

मायकर अभिनित्रम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अभीत स्वान

भारत सरकार

कार्यास्य, बहायक बायकर शामुक्त (निरीक्षण)

म्रर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 1984 निदेश सं० घाई० ए० सी०/घर्जन/भोपाल/5379—न्यतः, मुझे, वीरेन्त्र कुमार बरनवाल,

शायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारों को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थायर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मून्य 25,000/- रुपये से अधिक है

भौर जिसकी सं० भूमि खसरा नं० 68 में से 2.00 एकड़ है, तथा जो ग्राम चुना भट्टी तह० हुजूर जिला भोपाल में स्थित है (भौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है) र्राजस्ट्री-कर्त्ता अधिकारों के कार्यालय, भोपाल में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, दिनांक धर्मेल 1984,

को पूर्वोक्त संपर्तित के उचित बाजार मूल्य से कम के खरमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके खरमान प्रतिफल से, एसे खरमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल कि निम्नीलिखित उद्देश्य से उकत अन्तरण लिखित में वास्तिवक कम से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) बन्तरण सं हुई किसी बाद की वासत, उनके जिथिनियम के अभीन कर देने के अन्तरक के दायित्वं में कभी करने या उससे स्वनं में तृतिथा के सिए; और/वा
- (क) एसी किसी जाय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनाथ अन्तरिती द्वार प्रकट नहीं किया ग्या था या किया जाना चाहिए था, कियान में सविधा के लिए:

जतः अब उक्त विधिनियम की धारा 269-ग की ननुसरक में, में. उक्त अधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) वे अधीन, निम्नसिनित स्विन्तुर्गे, वर्धात :--- (1) श्रीमती भ्यामबाई पति श्री प्रताप सिंग, निवासी—ग्राम चूना भट्टी तह० हुजूर जिला—भोपाल म० प्र०।

(मन्तरक)

(2) टाउन प्लानिंग कर्मा० गृह निर्माण सहकारी संस्थान मार्या० भोपाल द्वारा श्रध्यक्ष एस० एन० शर्मा पुत डी० एस० शर्मा, निवासी-ई० डब्ल्यू० एस० 589, साउथ टी० टी० नगर, भोपाल ।

(ग्रन्थरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्मरित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के कर्जन के सम्बन्ध में कोई वाक्षेप :---

- (क) इत स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर स्वना की तामील से 30 दिन की अविधि, चो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्रविच्य व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीका है 45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबहुक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी के पास . सिचित में किए जा सकीगे।

स्वच्छीकारण: इसमें प्रयुक्त शब्दों कीर पदों का., जो उच्छ अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभावित है, वहीं अर्थ होगा आ उस अध्याय में विवा गया है।

अन्स्ची

प्लाट खसरा न० 347/1/1/1 में से केवल 200 एकड़ है, जो ग्राम चूना भट्टी में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है, जिसका विवरण फार्म नं० 37 जी में निहित्त है तथा श्रन्तरिती द्वारा सत्यापित किया गया है।

वीरेन्द्र कुमार बरनवाल सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रजीन रेंज, भोपाल

दिनांक : 23-11-1984

प्रकष् बार्' ुटी ु एन . प्रमु क सारा पर

श्रायकर विभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-च (1) के सभीन सूचना

भारत सरकार

कार्यांसय, सञ्चयक जायकर जायुक्त (निरीकण) प्रार्थन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, विनांक 23 नवम्बर 1984

निदेश सं० धाई० ए० सी०/ग्रार्जन/भोपाल/5380—ग्रतः मुझे, बीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

नायकर भूभिनियम, 1961 (1961 का 43) (चिसे इसमें इसमें प्रकात 'उनत अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-च के अभीय सक्षम प्राधिकारी की यह विश्वास करने का कारण है कि स्भावर सम्पत्ति, जिसका उचित वाजार मूक्व 25,000/- रा. से अधिक है

धौर द्धिसकी सं० प्लाट नं० 6 उस पर निर्मित मकान है, तथा जो मालबीय नगर भोपाल में स्थित है (ग्रौर इससे उपाधद्ध अनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से विणित है) रिजिस्ट्रीकर्ता ग्रिधिकारी के कार्यालय भोपाल में रिजिस्ट्रीकरण ग्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के भ्रष्टीन, दिनाक भ्रष्टेल 1984,

करे पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुख्य से कम के स्कामन प्रतिफल के लिए जंतरित की गई है और मुभे यह विकास करने का कारण है कि यथापूर्वोंक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके स्थमान प्रतिफल से, ऐसे स्थमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिकृत से विभिक्त है और जन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीज ऐसे बन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्नलिचित उद्दरियों से उक्त बन्तरण लिचित के बास्तविक रूप से किया नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुइ किसी बाव की वाबद, उथक जिथिनियम के अधीन कर दोने के जन्तरक के दायित्व में कमी कर्तने या उससे वचने में सुविधा के लिए; वॉर/था
- (क्ष) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्त्यां को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ख्वारा प्रकट नहीं किया गया वा या किया जाना वाहिए था, कियाने में मुविधा के सिए।

अतः अव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में. उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपभारा (1) को अधीन, निम्नलिकित स्पृक्तियों, अर्थात् (1) 1. श्री प्रेमचन्द जैन पुत्र श्री राजकृष्ण जैन,

- 2. भारत भूषण,
- 3. ष्टा० देश भूषण,
- शपर्ष भूषण जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन, सभी निवासी—श्रन्सारी रोड, दरियागंज, दिल्ली ।

(भ्रन्तरक)

(2) 1. विजय कुार छाबड़ा पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंग छाबड़ा
2. श्रीमती जनक छाबड़ा पति श्री सुरेन्द्र सिंग छाबड़ा
निवासी--59 ईदगाह हिल्स भोपाल म० प्र०।
(ग्रन्तरिती)

का यह सूचना चारीं करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के निए कार्यविहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच खं 45 विन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील सं 30 दिन की अविधि, जो भी। अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति इवारा,
- (च) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक्भ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास जिक्ति में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरण: ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अभिनियम् के अध्याय 20-क में प्रिशाबित हैं, वहीं कर्य होगा, जो उस अध्याय में दिया वया है।

प्रमुखी

प्लाट नं० 6 उस पर बना हुमा मकान है जो मालवीय नगर भोपाल में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्म नं० 37~जी में निहित है, तथा श्रन्तरिती द्वारा सत्याति किया गया है ।

> वीरेन्द्र कुमार बरलवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरंक्षण) ग्रजैन रेंज, भोपाल ग्रायकर भवन मैद्या मिल के पास, भोपाल

दिनांक : 23-11-1984

(अन्तरक)

प्रकथ **वार्च .टी . एन . एस** , -------

बाथकर बांधनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) की अधीन सूचना

प्रारत त्रकार

कार्यालय, सद्यायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5381—अतः, मृक्ते, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

आयक र अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चातः 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269 का के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का आरएण हैं कि स्थावर संपत्ति जिसका उक्ति बाबार मृस्य 25,000/ रु. से अधिक हैं

भीर जिसकी सं० भूमि पर बने हुए मकान का भाग, प्लाट नं० 6 है, तथा जो मालवीय नगर भोपाल में स्थित है (भीर इससे उपाबद अनुश्रूची में भीर पूर्ण रूप से विणत है) रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भोपाल में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984,

को पूर्वोक्न संपत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के धरममान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गंधे हैं और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यभाप्योंक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पामा गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित को वास्तिक रूप से किथा नहीं किया गया है:——

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, ५922 (1922 का 1-1) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, ध्विपाने में स्विधा के लिए;

भतः जब, उक्त जिभिन्यम की भारा 269-ग के अनुसरण हो, में, जक्त अभिनियम की भारा 269-म की उपभारा (1) के अधीन, निम्निलिसित व्यक्तित्यों, अभित्ः -- ·

- श्री प्रेमचन्त जैन पुत्र श्री राजिक्यान जैम
 भारत भूषण,
 डा० देश भूषण,
 धर्म भूषण पुत्र श्री प्रेमचृन्द जैन, सभी निवारी—अन्सारी रोड, दरिया गंज, दिल्ली।
- (2) 1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बनारसी लाल,
 2. अशोक कुमार पुत्र श्री बनारसी लाल,
 निवासी—6, हमीदिया रोड, भोपाल, ।
 (अन्तरिती)
 को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त स्म्पत्ति के अर्जन के लिए
 कार्यबाहिया करता हुं।

क्ष्मत सम्परित् के वर्षन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप:---

- (क) इस सूचना के राजात्र में प्रकाशन की तारीक से 45 दिन की ग्रवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामीन से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी भवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोचन व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति हो।
- (क्ष) इस स्थाना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवस्थ किसी अन्य व्यक्ति व्यारा अधोहस्ताक्षरी के पास सिसित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण: --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में विवा गना

प्रमृत्यी

भूमि पर बने हुए मकान का भाग भौर प्लाट नं ० 6 है जो मालबीय नगर भोपाल में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्म नं ० 37 जी में निहित है, तथा अन्तरिती द्वारा सत्यापित किया गया है।

वीरेग्द्र कुमार बरनवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, भोपाल

दिनोक: 23-11-1984

् प्रकाशार्धः, यो, एन्, एवं,

नावकर विधिनियम, 1961 (1961 का 43) की बारा 269-न (1) के वधीन क्षता

TIME TABLE

कार्यानय, सङ्ग्यक जायकर शायुक्त (निरासक)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5382—अतः मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-अ के अधीन सक्षम प्राधिकारी की यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्मिता, विसका उचित शाजार मूस्य 25 000/ रा. से शिक है

प्रौर जिसकी सं० भूमि व खसरा नं० 85/2, क्षेत्रफल 3.00 एकड़ है, तथा जो ग्राम चूना भट्टी, तह० हुजूर जिला भोपाल में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद अनुसूची में ग्रीर पूर्णरूप से विणत है) रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भोपाल में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल, 1984

को पूर्नोक्त सम्पत्ति के उपित बाजार मूल्य से कम के द्रयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है जीर मुक्ते यह विद्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उपित बाजार मूल्य असके द्रामान प्रतिफल से, एसे द्रव्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिक्षत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पामा गया प्रतिकल विस्तरितियों के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पामा गया प्रतिकल विस्तरितियों के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पामा गया प्रतिकल विस्तरितियों के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पामा गया प्रतिकल कि बिल्ल के स्वत्य क्षेत्र कर से कि बिल्ल के बास्यविक रूप से कि बिल्ल नहीं किया गया है :~~-

- (क) जन्तरक से हुई किसी आम की गावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर येने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे अचने में सुविधा के लिए; और/या
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकार अधिनियम 1922 (1922 का 11) वा उक्त अधिनियम, 1922 का 11) वा उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रश्ट नहीं किया भवा था वा किया आना वाहिए था, कियाने में स्टिंग के सिए;

बतः अव, उक्त अधिनियम, की भारा 269-त के बनुसरक में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) की अधीन, निमनलिखित व्यक्तियों, अधीत् :-- (1) 1. श्यामलाल 2. कमल सिंह 3. भगवानदास 4. देवी सिंग पुत्र श्री मुन्नालाल वली व संरक्षक माता रामप्यारी बाई 5. श्रीमती रामप्यारी बाई 6. किशन लाल 7. बलराम सुपुत्र श्री केवलराम 8. श्री तुलसीबाई पिन स्व० श्री केवलराम जी, निवासी—ग्राम चूना भट्टी तह० हुजूर जिला भोपाल, म० प्र० ।

(अन्त एक)

(2) निर्मल कल्पना गृह निर्माण सहकारी समिति, मर्यादित भोपाल द्वारा अध्यक्ष श्री अमर सिंह चौहान पुत्र श्री गोवर्धन सिंह चौहान । निवासी—मारवाडी रोड, भोपाल (म० प्र०)

(गण गण) (अन्तरिती)

का यह स्थाना कारी कारके प्रतिस्त संपक्ति क अअन कं सिम् कार्यवाहियां करता हूं।

वक्क बुव्यस्ति से अर्थन् के धन्यन्य में कोई भी बार्जन्र:--

- (क) इत स्थान के रावपन में प्रकाशन की तारीब क 4.5 बिन की अवधिश या तत्सवधी अधिश्वा पर स्थान की तामील से 30 बिन की अधिश को भी सविष बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्रावित स्थानस्थों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस स्वान के राज्यत्र में प्रकाशन की तारोब से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिएबब्ध किसी बन्न व्यक्ति ब्वारा, अथोहस्ताक्षरी के पास जिल्लाक में किए का सकोंगे।

स्पच्छीकरण:---इसमें प्रवृक्त शब्दों और पदों का, जा उन्त माधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित इं, बही अर्थ होंगा जा उस अध्याय में दिया क्या है।

बन्ध्यी

मूमि खसरा नं 85/2 क्षेत्रफल 3.00 एकड़ है जो चूना भट्टी तहसील हुजूर जिला भोपाल में स्थित है। यह व स्थावर सम्पत्ति है, जिसका विवरण फार्म नं 37-जी मे तिहित है, अन्तरिती द्वारा सत्यापित किया गया है।

> बीरेन्द्र कुमार बरनवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक : 23-11-1984

प्रस्य बाइ ेटी. एव , एस . ------

नायकर अधिनिसम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) से सभीन स्वना

मार्त संस्कार

कार्यालय, सहायक नामकार भाग्नत (निडीक्रण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी० अर्जन/भोपाल 5383—अतः मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिले इसके इसके पश्चात् 'उस्त निभिनियम' कहा गया हैं), की भाग 269-स को अधीन सक्षम पाधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सुप्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. में अधिक हैं

भौर जिसकी सं० भूमि खसरा नं० 85/2 क्षेत्रफल 4.00 एकड़ तथा जो ग्राम चूना भट्टी तह० हुजूर जिला भोपाल, में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण के रूप से वर्णित है) रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भोपाल में रिजस्ट्रीकरण अधिनयम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल, 1984,

को वृत्तींकत सम्पत्ति को उचित बाजार मृत्य से कम के दरयमार प्रतिकत के लिए अन्तरित की गई है और मृत्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वींकत सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य उसके द्वयमान प्रतिकत से, ऐसे द्वयमान प्रतिकत का पन्द्रह प्रतिकात से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और बंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरक की लिए तथ पाया गया प्रतिकत, निम्नीसिश्चित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण संहुदंकिती नाव की नामत, उच्च अधिनियम के अधीन कर येने के अन्तरक के वाजिल्च में कनी कारने वा उससे बचने में सुनिधा के लिए; और/या
- हा) गोसी किसी आय या किसी थन या अन्य नास्ति । को जिन्हों भारतीय आयकार अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया नवा था या किया जाना खहिए था, स्त्रिनों में सनिधा को निए;

अतः अवः, उक्त अधिनियम की धारा 269-व के अनुसरण में, में उम्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नीलिखत व्यक्तियों, अर्थात् :---

- (1) 1. श्री पंपामलाल 2. कमल सिंह 3. भगवानदास
 4. देवीसिंग पुत्र श्री मुन्नालाल बली व संरक्षक
 माता रामप्यारी देवी 5. श्रीमती रामप्यारी बाई
 6. श्री किशनलाल 7. श्री बलराम पुत्र श्री केवलराम
 8. श्रीमती तुलसीबाई पति स्व० श्री केवलराम
 निवासी—वृना भट्टी तहसील हुजूर जिला भोपाल
 मुखत्यार आम श्री हरी प्रसाद केवल सिंग ।
 (अन्तरक)
- (2) पारिका सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्याः भोपाल, द्वारा अध्यक्ष श्री सतीश शुक्ला पुत्र श्री देवीप्रसाद शुक्ला,

निवासी--अरैरा कोलोनी, भोपाल ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वों क्त सम्पत्ति के अर्जन के सिए कार्ज-वाहियां करता हु ।

उसत संपत्ति के नर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन की अविधिया तत्संबंधी स्थानतयाँ पद सूचना की तासौल से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स स्थितयों में से किसी स्थानत द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीस तें 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबध्य किसी जन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास सिसित में किए जा सकाँगे।

न्यक्षीकरणः--इसमें प्रयुक्त शब्दों जौर पदों का, जो उच्छ अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थहोगा जो उस अध्याय में दिया नवाही।

जनर ची

भूमि खसरा नं 85/2 क्षेत्रफल 4.00 एकड़ है जो ग्राम चूनाभट्टी तहसील हुजूर जिला भोपाल में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है, जिसका विवरण फार्म नं 37-जी में निहित है, तथा अन्तरिती द्वारा सत्यापित किया गया है ।

> वीरेन्द्र कुमार धरनवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, भोपाल) अयर भवन मैदा मिल के पास, भोपाल

दिनांक : 24-11-1984

प्ररूप आर" टी. एन. एस.----

श्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-थ (1) के अभीन सूचना

भारत सुरकाड

कार्यालयः, सष्टायक अत्यक्तर वायुक्त (निरक्षिण)

अर्जन क्षेत्र, भाषाल

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 1984

निदेश सं आई० ए० सी० अर्जन/भोपाल/5384—-अतः मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

कायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) अस्तरा 269-ब के अभीन सक्षत्र प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावन सम्परित, विस्ता विभिन्न संजान में 25 000'-के में अधिक हैं

भीर जिसकी सं भूमि खसरा नं 86/1 रकबा नं 4 00 एकड है, तथा जो आम चूना भट्टी तह हजूर जिला भोपाल भैमें स्थित है (भीर इगसे उपाबद्ध अनुसूची में भीर पूर्ण के रूप से बर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भोपाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अप्रैल, 1984

को प्रांक्त सम्परित के उचित बाजार मृत्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हैं और मुक्त यह निष्कास करने का कारण है कि यथाप्योंक्त सपोत्त का उचित बाजार मृत्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हैं और अन्तरक (अन्तरका) जार अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के निए तब पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उकत अन्तरण सिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया हैं:—

- (क) जन्तरण में हुए किसी आय की वास्त, उसत अधिनियस के अभीन कर बाने के जन्तरक के शामित्व में कमी करने या उसमें बचने में सुविभा के लिए; आर/या
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकार अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रमोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रंकट नहीं किया गया या किया जाना चाहिए था कियारों में सौनभा के लिए;

बतः वदः, उत्तर अधिनियम की भाषा 269-ण के बन्तर्व में, में, उवत अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) के अधीन, निम्निचित व्यक्तियों, अर्थात् :—— 23—426 GI/84 मै(1) 1 श्री स्थाम गाँ। 2 करतीया 3 भगवानदास
4 इंगोप्स द्वार मा दुरतात रतो र सरक्षक
माना रामप्यारोबाई, 1 श्रीनती रामप्यारोबाई
6 श्री किणननात 7 श्री उत्तराम पुत्र श्री केवलराम
3 श्रामा द्वारी नाई बैंबा पनि स्मे० श्री केवलराम
निवासी --- क्वा अट्टी तह० हज्य जिता मोगाल,
द्वारा श्री हरोपसाद पुत्र श्री केवलसिंग।

(अन्रह)

(2) छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सउकारी सिमिति भोपाल द्वारा सह-निवत्र महेन्द्र नैन पुत्र श्रो डो० सो० जैन निवासी च-टी० टी० नगर भोपाल म० प्र० (अन्तरिती)

को यह भूचन। बारी करके प्राधित पर्याक्त के महेन के लिए पर्यवर्गहरा कारता हा ।

उक्त सम्पत्ति को अर्जन के भवाद की कोई भी काक्रोप ---

- (क) इस सूजना को राजपत्र भी प्रकाशन की तारी का से 45 दिन की लग्निथ या तत्सम्बन्धी अगिक्तरों पर भूजना को ताबील में २० दिल की अल्डिंग, को भी अल्डिंग बाद में समाप्त अपनी हां को भीतर पूर्वोक्त स्विक्तरा भ ने किसी स्विक्त द्वारा:
- (स) इस सूचना के राजपण मों प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतन प्रकल स्थार सम्पत्ति मो कितववध किसी अन्य व्यक्ति दशारा अधाहस्ताक्षरा का पार्ट किसी अन्य व्यक्ति प्रकार अधाहस्ताक्षरा का पार्ट किसी अन्य व्यक्ति प्रकार ।

स्पष्टीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, **षो उक्त** जीभनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित ही, वही अर्थ हारेगा, जो उस अध्याय में दिया सुना ही।

ग्रन्सुची

भूमि खसरा न० 86/1 रकवा 4 00 एकड है जो ग्राम चूना भट्टी तह० हुजूर जिला भोगाल में स्थित है। यह वह स्थायी सम्पत्ति है, जिसका विवरण फार्म न० 37-जी मे निहित है, तथा अन्तरियो द्वारा सन्यापित किया गया है।

> वोरेन्द्र कुमार बरनवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज भोपाल आयकर भवन, मैदा मिल के पास भोपाल

दिनाक 23-11-1984 मोहर डायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारत १७०५ ५ (१) > ५४० अभन

कार्यालय, सहायक आयक्त न्यूक (निकाभण) अजन क्षेत्र, भोगात भोगात जिल्लाक 24 तत्रक्तर 1984

निर्देश स० आई. एउ मी निर्मेणीयाल/5385—अत मुझे, वीरेन्द्र कुमार वस्तराल

बायकर अधिनियस, १००१ (१०, १व १२) ित्रमे हरमों इसके पण्यात् 'उन्न की धारा १८०९ की अपि १८०९ की अपिक है कि अधावन सम्बाध की अधिक है कि १८०९ की अधिक है ।

स्रौर जिसकी स० भूमि लगरा न० 90-91/2 क्षेतफल 0 809 हैक्टर है, तथा जो ग्राम चूना भट्टी तह० हजूर जिला भोराल में स्थित है (स्रौर इससे उपाबद्ध जनुम्ची में स्पेटपर्ण रूप ने विणित है) रिजिस्ट्रीकर्ता अधि गरी के वार्यालय भाषाल में रिजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 वो 16) के अधीन, दिनांक अप्रैल,

को । वींक्स सम्योग के गीत गणर से कम के दश्यमान गद्य की 'लिए अ**न्तरि**त ਜ਼ਰੋ प्रतिकल के विश्वास करने मुभे यह का कारण कि प्रथापुत्रों कर मणीति 😅 असिन बालार ूल्य , अनके दश्यमान प्रीतफल सो, एसे दश्यमक प्रतिफल का पन्छ परिशत से अधिक है और अन्तरक (अनरमा इक् मार्ग । (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तथ लदा एया तिफल, निम्न लिखत उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिगिन में वाम्भीवह रूप से कथित नहीं किया गया है --

- (का) बल्हामा सामा प्रीमाण का की पादन, उत्तर को लेखा को पार्टिक हो है उस राम ही प्रोचित का कि कार्य कार्य क
- कतः कव, सकत कितानयम किथा ५० ग ठ अनुसरग भी, भी, उक्त लिभिनाम की शास १८० व की एप्पास (1)

🖏 अधीत: 🕶 - भिक्ति व्यक्तियों, त्रशान:---

(1) 1 गांविन्दराम 2 राम प्रवाद पुत्र श्री गुलाब सिंग, नियासी—प्राम चूना भट्टी, तह० हुजूर, जिला भोपाल (अन्तरक)

on the contract part of the form of the contract of the contra

(2) कृष्णा गृह निर्माण सहकारी सम्या मर्या० आई० टी० टी० टी० टाई० गो शिन्दपुरा, भोपाल द्वारा प्रेसिडेट निवासी -8/6 माउथ टी० टी० नफर, भोपाल ।

(अन्तरिती)

को ग्रह सूचना जारी फरके पूर्वोक्त सर्पात्त के अर्चन के सिए कार्यकाहिया करना हु।

उक्त संपर्तित के अर्जन के सबंच में कोई भी वाक्षेष : -

- (क) इस म्बन के राजधा में पटायन की नारीस में 4.4 दिन की सर्वी। या नल्यक्तरनी व्यक्तियों पर मृजना की तामीत थें 30 दिन की सर्वीम, जो भी कविन बाद मा स्वास्त हाती हा, की भीतर प्वांकत परिच्या की से प्रांक्त कार्या की स्वांक्त कराया.
- (ख) इस मूचना को राजपा। मा क्रिकाशन की तारीस सं 45 दिन के भीतर उस क्षावर एक्पिन में हितबद्ध निर्मितन्त्र व्योधित द्वारा अध्ययस्ताक्षरी के पास निमित्र में किए या सकोंगे।

स्पञ्जीकारण क्षेत्रमे ५यजत शब्दा आर पदा का, ओ उक्त अधिनियम, के प्रापाप 20 के में परिभाषित हैं बही गर्भ गार, जो एक अध्याद में दिया गर्म की

जन्म भी

भूमि खसरा नं० 90-91/2 क्षेत्रफल 0.089 है जो ग्राम चूना भट्टी जिला भोपाल मे स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है, जिसका विवरण फार्न न० 37-जो में निहित है, तथा अन्तरिती द्वारा सत्यापित किया गण है।

> वीरेन्द्र कुमार वरनवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, भोपान

दिनांक : 24-11-1984

मोहर ;

प्ररूप बार्ड .टी.एद एस. -----

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व (1) के अधीन सूचना

नारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर आयुक्त (निराक्षिण) ग्रर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनाक 29 नवम्बर 1984

निदेश स० ग्राई० ए० सी०/म्रर्जन/भोपाल/5386—म्प्रतः मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पृश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारों को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर स्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्म 25,000/-रु. से अधिक है

ग्रीर जिसकी सं० बना हुआ मकान न० 27/755/2/1, है, तथा जो श्रीराम कालोनी, झासी रोड, लक्कर ग्वालियर में स्थित है (ग्रीर इससे उपावड अनुसूची में श्रीर पूर्ज रूप से वर्णित है) रिजम्ट्री-कर्ता श्रीधकारी के कार्यालय, ग्वालियर में रिजस्ट्रीकरण श्रीधनियम 1908 (1908 का 16) के श्रीम, दिनांक श्रप्रल, 1984, को पूर्वोक्त संपित के उचन अजार मत्य म प्रम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित को गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपित का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण विखित में भारतिक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या
- '(च) एंसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्ररोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया, गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के शिए;

कत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की भारा 269-घ की उपधारा (१) के अधीन, निम्निलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

- (1) 1. पुष्पलता आयई पति स्व० श्रीयरतुल्चन्द उर्फ पतलचदन
 - 2. श्रा जिल्ल बधई पुत्र वहीं
 - 3 कुमारी शैली पुत्री वही
 - 4. कुमारी रानो पुलि वही-
 - 5. श्री ग्रालोक पुत्र वही-
 - 6 श्री सिद्धार्थ नेव -वही-
 - 7. श्रीमतो अनु जोली पति श्री राजकुमार सभी निवासी-2, श्रीराम कालोनी, झांसी रोड, लक्कर ग्वालियर म० प्र० ।

(ग्रन्तरक)

(2) 1.रणजोत गुप्ता पुत्र स्व० पूरण चन्द गुप्ता,
2. विजय गुप्ता पुत्र — वही — ं
नवासी — कोठी, कटोराताल, लश्कर ग्वा लयर
म० प्र०।

(ग्रन्त रती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए लिए कार्यवाहियां करता हु।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील के 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त प्रित्यों में के किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस मुचना व राजपारं मो प्रकाशन की तारीख स 45 दिन के भीर १ उन्हें स्थापर सम्पत्ति मों हितबद्ध विको क्या चर्कि त्थारा अधाहस्ताक्षरों के पास स्थासन में क्या आ सकेंग।

स्पष्टीकरण: — इसमें प्रयुक्त शब्दों आर पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ हागा जो उस अध्याय में दिया गया हैं।

अनुसुची

बना हुमा मकान न० 27/755/2/1 है, जो श्रीराम कालोनी, झांसी रोड, लक्कर खालियर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति जिसका विवरण फार्म नं० 37-जो मे निहित है, तथा अन्तरिती द्वारा सत्यापित कि गया है।

वीरेन्द्र कुमार बरनवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (नरीक्षण) श्रर्जन रेंज, भोपाल श्रायकर भवन मदा मल के पास, भोपाल

दनांक 24-11-1989

प्रस्प अहिं रा एव गर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 व 11) 1 र मचन

भारत यशकान

कार्यालय, महारक अध्वय प्रकृत (निरीक्षण) प्रदेश लेका सामान

मोपाल, विनाक 24 नमध्य 1984

मिदेश म० ग्राई० ११० मि०/ग्रर्चन/भोपाल/ 5387—-ग्रतः मुझे, वीरेन्द्र कुमार वरस्वात

ग्रीर जिसकी स० सर्वे उ० 106/2 168/4 हे, तथा जो ग्राम भाटापारा तह० भाटापारा जिला रायहर ने स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूर्ध। में प्रार्ट्स कर्ती ग्रीधकारों के कार्यालय टिप र ने र्राकरही कार्यालय है। के र्राकरही कार्यालय है। के र्राकरही कार्यालय ग्रीधन विभाव ग्रीधन विभाव ग्रीधन विभाव ग्रीधन विभाव ग्रीधन विभाव ग्रीधन विभाव ग्रीपन विभाव ग्य

को पूर्वो त मञ्चाति को जीवत बाजा क्लय में कम के द्वरमान मितिफल को रिए का जीवत वाजा करन का कारण है कि यथापय का मज्योति का उचित बाजार मूल्य, उसक दश्यमान एतिफल में, एप दशमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत में की है जार अगरक जारको। और अतिरित्ती (अन्तरिश्वय) के लाए के लें के लिए एपया ग्राम प्रतिफल , निक्निलिक्ष्त उद्दश्य स उदत बन्तरण लिखित में वास्तीय १५ के लाए के लिखत में वास्तीय १५ के लाए के लिखत में

- (अ) जन्तरण + हइ किसा आए को नाथर उसके प्रधिनियम के अधीन , न के जाएक क दायित्व भागन ना सर प्रत्य स्मित्र किसा, में प
- को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या जिल्हा के जिल्हा । कि का के विषय के कि का कि कि कि का कि का गया था कि कि कि कि का कि का सविधा के लिए

अतः अवः, उक्त अधिनियम की धारा 269-च क अनगरण मो, मौ, नक्त अधिनियम क पर २० व की उण्पारा (1) के अधीन, निम्निलिण पिताया, प्रति ---- (1 श्रः राजना पुरार्थ महित सिंग सिंधी राज्यसे -- पाराचारा तड्डा माटापारा जला रायपुर (ग्रन्तरक)

state and a not assume that

(2) मण्स दन्ध सोमेट उद्याग प्रा० लि० में द्वारा धायरेण्टर श्रा मुरत्नीधर पुत्र श्री झुमनलाल ट्वरो महेश्वरी नवास — दुर्ग जला दुग्म ० प्र०

(भ्रन्त रती)

को यह मूचना जारो करक पूर्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए क्रिया क्रिया करका पूर्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्ब ध में कोई भी आक्षेप .---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारींख से . 'ा का जर्वाय या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में सभाप्त हाती हा, के भीतर पूर्वाकत किया में से । कमी व्यक्ति द्वारा,
- (ख) इस मूत्रना क राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 45 दिन के भीता उन्हें स्थानर सम्पत्ति में हित-बद्ध किमी अस शान्त दारा अधोहम्ताक्षरों के पास निवित्त में किए जा सकेंगे।

स्याशीकरण --हर्म स्थल शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में पारेसाबित न, हि अ होरा न उम अध्याय में दिया गया हैं।

अन् स्पी

ार्वे न ० 168/° 168/4 ते जो भारापारा रायपुर के स्थत है। यह वह स्थावर सम्प्रात्त है, जसका ,ववरण फार्म न० 37-जी मे निहित ह, तथा प्रन्तिरता हारा गत्थापित किया गया है।

> वीरेन्द्र कुमार बरनवाल सक्षम प्रा.धकारी महायक श्रायकर का क्त (,नरीक्षण) ग्रर्जन रेज भोपाल) श्रायकर भवन मैदामिल के पास, भोपाल

दनाक /4-1-1981 मोहर प्ररूप बाद्द दी एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भाषा 269-व (1) की सभीन सुवना

भारत गरकार

कार्यालय, सहायक बायकर बायुक्त (निरक्षिण) ग्रजन क्षेत्र, भाषाल

·

भोपाल, दनाक 24 नवम्बर 1984

,नदेश म० ग्राई० ए० मी०/ग्रर्जन/मोपाल/5388--ग्रतः मुझे, वीरेन्द्र कुमार वरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पन्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/-रु से अधिक है

श्रीर जसकी सं० लेड गरवेय न० 168/15 है, तथा जो ग्राम भाटापारा संतकनरवराम वार्ड, रायपुर में स्थत है (ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वांणत है) र जरद्रीकर्ता ग्राधकारों के कार्यालय, भाटापारा में र जस्ट्रीकरण ग्राध नयम, 1908 (198 का 16) ग्राधीन, दनाक ग्राप्रेन, 1984,

को पूर्वोक्त सपित्त के उपित बाजार मूल्य सं कम के ख्यमान प्रतिफल के लिए जन्तरित का गई है और मूक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपित्त का उचिर बाजार मूल्य, ज्यक श्वरणमा प्रतिकाल स एस इस्समा। जिल्ला का पद्ध प्रतिकात य अधिक ही आज अतरक (अतरकों) अर अमिरती (जनरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकाल के लिए तम पाया गया प्रतिकाल के लिए तम पाया गया प्रतिकाल किला किला विश्वरण स्थान के लिए तम पाया प्रतिकाल के स्थान के साम का स्थान के साम का स्थान के साम का स्थान के साम का स्थान का साम का सा

- (क) बन्तरक सं शुद्धं किसी काय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कार दोने के अन्तरक के दायित्व मा कभी करन वा उसस बचने मा स्विधा क । नग आर/धः
- (ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ का, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वाय प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, खियाने में सुविभा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण के हैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-के की उपभाश (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् .—

- (1) श्री मोहन सिंग पुत्र श्री बसत सिंग सिंधी ,नवासी-पाटपर तहसील भाटापारा जला रायपुर (ग्रन्तरक)
- (2) मेससं ,दनश सीमेट उद्योग प्रा० ,ल० द्वारा डायरेक्टर श्री मुरलाधर पुत्र श्री भुमरलाल टवरी महेश्वरी निवासी——दुर्ग जिला दुर्ग म० प्र० (ग्रन्त.रता)

को बहु भूषमा भारी करके पृत्रां कत सम्मरित के अर्थन के जिल्ला कार्यवाहिया करता हुए।

उक्त सम्पृत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी बाबीप:--

(क) इस मुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीय से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सृचना की तामील से 30 दिन की अविधि, को भी जबिध बाद में समाप्त होती हो, के शीतर पूर्वीकर स्पित्रयों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

इस समना के राजपत्र में प्रकासन की तारीय से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्परित में हित्बक्थ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास

स्थव्योकरण --- इसमें प्रयूक्त शब्दा और पर्यो का, आ उसके कि भिनियम, के अभ्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया क्या है।

वन्स्यी

भूमि सर्वे न० 168/15 है जो ग्राम भाटापारा सत कनवर वार्ड रायपुर मे ,स्थन है। यह तह स्थावर सम्पत्त है जिसका विवरण फार्म न > 37-जी मे निक्ति है, तथा श्रन्तरिती द्वारा मत्यापित किया गया है।

> वीरेन्द्र कुमार बरनवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरिक्षण) (श्रजंन रेज, भोपाल) श्रायकर भवन मैदा मिल के पास भोपाल

हिनाक . 24-11-1984

माहर

प्ररूप बाह . टी. एम. एस. -----

अप्रभार अविधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-भ (1) क अभीन सुचना

भारत मरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) स्रर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निदेश सं० ग्राई० ए० सी०/ग्रर्जन/भोपाल/5389—अतः मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

अगयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हो, की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/-रु. से अधिक है

स्रोर जिसकी सं० खुला प्लाट एवं भूमि खनरा नं० 171 है, तथा जो डगिनयां रायपुर में स्थित है (स्रोर इसमे उपाबद्ध स्रनुसूची मे स्रोर पूर्ण रूप से वर्णित है) रिजस्ट्रीं कर्ता प्रधिकारी के कार्यालय, रायपुर में रिजस्ट्रीकरण स्रिधिनयम, 1908 (1908 का 16) के स्रधीन, दिनांक स्रप्रैल, 1984

को पूर्विक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरि व्या ५३ हो १००० मूले वह विश्वास करने का बारण हो कि एआपूर्व का स्माण के उचित्र व्याप मूल्य, उसके दृश्यमान जीवाल में, एक कानार की कि वित्र का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो और अंतरक (अंतरको) और अंतरिती (अतिरितिषा) विश्व पान हो से उन्तर अन्तरण लिखित मा प्रतिफल, निम्नोलिखित उद्देश्य से उन्तर अन्तरण लिखित मा सास्तिवक रूप से कथित नहीं किया गया हैं:—

- (क) अन्तरण में हुई जिसी भाग को बाबन, एक्ट अधिनियम के अधीन कार धने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसस अचने सं सृविधा के लिए; बौर/या
- (ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हों भारतीय अपकर आचिनिश्रम, 1922 (1922 का 11) या उत्तर अर्था स्थम, या उर्व कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया ध्राया किया आर नहीं है। या निश्त अर्व के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-च के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नितिखित व्यवस्त्रकार के कि

(1) कार्तिः पुत्र यो मङल डगिनियाः, निवासी-प्राम डगनी तह० विजिला रायपुर (प्रन्तरक)

_~~~~ .

(2) मेससे कर्मवारी गृह निर्माण सहकारी सिर्मित मर्यक रायपुर द्वारा अध्यक्ष श्री सेवक राम पाडे पुत श्री नेदःराम पाँडे निवासी--एच-11 विश्वविद्यालव अरी रायपुर मक प्रका

को यह स्वना जारी करके पृथितत सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हो।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन क सम्बन्ध मा कोड़ भी खाक्षय :-

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी के क्षेत्र 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन को अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होता हो, के भीतर पूर्वीकत
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के शीलर उक्त स्थावर सम्मत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भवोहस्ताक्षरी के पास विस्ति में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण: --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ हाया जो उस अध्याय में दिशः गया हैं

अनुसूची

खुला 'लाट व भूमि खसरा ने 171 है जो ग्राम डमनी रायपुर म स्थित है। यह वह स्थावर समान्ति है, जिसका विवरण फार्म नं 37-जी में निहित है त्या ग्रन्तरितो द्वारा सत्यापित किया गया है।

> वीरेन्द्र कुमार बरनवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरिक्षण) ग्रर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक : 24-11-1984

मोहर .

प्ररूप बाहै.टी.एन.एस -----

बायकर अधिनियम, 196; (196, जा 43) की; धारा 269-च (1) है अधीन मुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक बायकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनाक 24 नवम्बर 1984

निर्देश सं० म्राई० ए० सी० अर्जन/भोपाल/5390-म्रतः मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

शायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पर्चात 'उक्त आंधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्ष्य प्राधिकारी का यह निक्लान करन का कारण है कि स्थावर भागीता, जिल्का उचित बाजार मृत्य 25,000 - रा. में बोधक है

ग्रौर जिसकी संख्या खुला प्लाट, भूमि खसरा नं० 144 है, तथा जो ग्राम डमनिया, रायपुर मे स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है),रजिस्ट्री-कर्ता ग्राधिकारी के कार्यालय रायपुर मे रजिस्ट्रीकरण ग्राधिनयम-

1908 (1908 का 16) के प्रधीन, अप्रैल 1984 को पूर्वाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृन्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अतारन की गई हैं और मुक्ते यह । वश्यान करने का कारण है कि एथापर्जोक्त नम्पति का उचित कावार मृन्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल सं, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हैं और अंतरक (अंतरकों) और अतरिती (अतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य स उक्त अतरण लिखित में बास्तिवक कुष्य से कथित नहीं किया गया हैं —

- (कः जन्नरण न हुई किसी बाय की बाबत, उक्त बिधिनयम के त्रधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व भा कभी करन या उगसे अवन मा सुविधा के पर और/या
- (ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय अंग्रिकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गर्भ था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में मृतिधा के लिए।

कतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (।) के बधीन, निम्निविवित व्यक्तियों, अर्थात् :---

(1) 1 मिलन
2. मंगो पी० जगनूबोडेरहिन
पित स्त्र० श्री जगनू सा०
निवासी-ग्राम डगनिया ,
रायगुर

(ग्रन्तरक)

(2) मैतर्स कर्मचारो गृह निर्माण सहकारी सिर्मित मर्या लि० रायपुर द्वारा ग्रध्यक्ष श्री सेवकराम पांडे निवासी-एच० ग्राई०, ग्राई० विश्व विद्यालय ग्ररी, रायपुर म० प्र०

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी नाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख है 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, पो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा:
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर क्षमि माहितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखिल में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण: - इसम प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त विभिन्यम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उन्द अध्याय में दिया गया है।

वनस्थी

ओपन प्लाट, भूमि खसरान० 144 है जो ग्राम डगनिया जिला रायपुर में स्थित है, यह वह स्थावर सम्पि है जिसका विवरण फार्म नं० 37 जी में निहित है तथा ग्रन्तरिती द्वारा सत्यापित किया गया है।

> वीरेन्प्र कुमार बरनवाल सक्षम प्राधिका**री** सहायक भ्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक . 24-11-1984

प्रक्रम काइ . ती तम एक -----

अग्रिकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अधीन रूचना

भारत तरहार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निर्देश सं० म्राई० ए० सी०/म्रर्जन/भीपाल/5391---म्रत: मुझे, नीरेंद्र कुमार बरनवाल

वायकरं अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसं इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पित्त, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रुज्ये से अधिक है

ग्रीर जिसकी सं० भूमि एवं खसरा नं० 28/4 है तथा जो मोजा रायपुर लिंक रोड, नं० 2 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से विणत है) रिजस्ट्री-कर्ता ग्रिधिकारी के कार्यालय रायपुर में रिजस्ट्रीकरण ग्रिधिकारी के कार्यालय रायपुर में रिजस्ट्रीकरण ग्रिधिकारी के कार्यालय रायपुर में रिजस्ट्रीकरण ग्रिधिकाय 1908 (1908 का 16) के ग्रिधीन ग्रिपेल 1984 को पूर्वाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मन्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वाम करने का कारण है कि प्रथापूर्वोक्त संपीत्त दा उचित बाजार मूल्य, उसके अव्यागन प्रतिफल से, एरेसे दश्यमान प्रतिफल ता अर्थ अर्वारती (अन्तरितयों) के बीच एसे अन्तरण हो भी त्रापात प्रतिफल में क्वितरा के किया में किया से उक्त अन्तरण लिखित में ग्रिसेलक, निम्मिलिखित उद्दांच्य से उक्त अन्तरण लिखित में ग्रिसेलिक हम से किथत नहीं किया गया है --

- (क) कलकारण में राष्ट्री राष्ट्रामी अप मान बजार उड़ थ वाधिनियम को अधीन कर बीन के जन्तरक के बाधिक मी काफी भएन ६३ उपके याना राजारण ब्राधिक मी काफी भएन ६३ उपके याना राजारण
- (क) एसी किसी आय या किसी वन या ग्रन्थ आस्तियों की, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम. 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भर:-कर अधिनियम, 1957 (1057 का 27 के प्रयोजनार्थ अर्ज्जारिय वारा प्रकट नहीं नियम प्राप्त या किया जाना जाहिए था. खिपाने याँ प्रविका के सिए:

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अन्सरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-छ जी उप्यत्म (1) के अधीन, निम्नलिसित व्यक्तियों, अर्थात :--- (1) श्री कमल किशोर पुत श्री पूनमचन्द अग्रवाल निवासी-कुपार नाताव, रायपुर

(ग्रन्तरक)

(2) मैं मनं श्रः चन्द्र कान्दे त्टर निवासो-लेखा नगर, श्यपुर मे० प्र० (अन्तरितं)

को यह सूचना जारी करके पवाँकत सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी नाक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील म 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हों, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र मा प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीजर अकत स्थावर सम्पत्ति मों हित- बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास निक्तिन मो भिष्ण जा सकरेंगे।

स्पष्टीकरण: ---इसमे प्रयुक्त शब्दा और पदों का, जा उसत अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होंगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

बन्सची

भूमि और खता नं 28/4 निंह रोड, नं 2 रायपुर में स्थित है यह वह स्थानर सम्पत्ति है, जिसका विवरण फार्म नं 37 जी में निहित है. ५४० उन्तरिती हारा सत्य।पित किया गया है।

> वीरेंद्र कुमार बरनवाल पंजन प्राधिकारी सहायक आयक्षण (ब्रायुक्त निरीक्षण) चर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक '- 24-11-1984 मोहर प्ररूप नाइ.टी. १न.एस. -----

बावकर किंपिनियम, 1961 (1961 का 43) कीं धारा 269-व (1) के बधीन सूचना

प्रारत करकार

व्यविषय , बहायक आवकर आयुक्त (निरीक्रण)

म्रर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, विनांक 24 नवश्वर 1984

निदेश स० श्राई० ए० सी०/श्रर्ज्न/भोगल/ 5392 -- - यत. मुझे वीरेंद्र कुमार बरनवाल,

कायकर विधानयम, 1961 (1961 वा 43) (जिसे इसमें इसके परवात् 'उकत अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-व के अधीन सक्षम प्राधिकारी की वह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिल्लका उचित वाचार मूलव 25.000/- रा से अधिक हैं

भौर जिसकी संख्या भूमि खसरा न० 28/3 है, तथा जो मोना रायपुर रिंग रोड, नं० 2 रायपुर ने स्थित है (और इसने उगाबद्ध अनुमुखी में और पूर्ण रुप से विणत है) रिजस्ट्री-कर्ता अधिकारी के कार्यालय, रायपुर में रिज द्रीनरण अधिनयम 1908 (1908 का 16) के अधीन भन्न 1984

को पूर्वोक्त सम्मिति के उचित बाजार मृत्य से कम के स्थ्यमान इतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मृझे यह विश्वास करन का कारण है कि सभाप्यों सत सम्मिति का उचित बाजार कृष्य, उसके क्रममान प्रतिफल से, एसे क्रममान प्रतिफल का पंचह प्रतिशत से अधिक है और बन्तरक (मंतरकों) और अंतरिती (बन्तरितियों) के बीच एसे बन्तरण के लिए तम पामा गया प्रति-क्रम निम्नलिकित उद्देश्य से उकत अन्तरण निकित में बास्तिक क्रम से किथित नहीं किया गया है।---

- (क) जन्तरण से हुई किसी आय का बाबत, उक्त बाधानबन के अधीन कार दोन के अन्तरक के दारित्य में कभी करने वा सकते बचने पे भूविया के सिए, श्री√ स
- (क) एसी किसी आय या किसी धन या नव्य आस्तिकों की, जिन्हों भारतीय नाय-कर निभिन्नियन, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, आ बत-कर निभिन्नियम, शि विश्व की प्रयोधनार्थ निर्माण किया प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुनिधा के लिए;

कतः अव, उकतं विभिन्निय को भारा 269-म के अभूनरक को, ही, उक्त अभिनियम की भारा 269-भ की उपधारा (1) के अधीन: निवनिभिन्नित कार्यिल्यों, अर्थात् :— - 24—426 GI/84 (1) श्रो विजय कुमार पूत्र श्री पूननचन्द ग्रग्नवाल निवासी-कुमार मेालाब, रायपुर गध्य प्रदेण

(ग्रन्सरक)

(2) मैंगर्भ अथुगल कान्द्रेक्टरस निवासी-लाखे नगरपःयपर।

(भन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वेक्त सम्पत्ति के कर्जन के किए कायवाहिया करता हु।

उक्त सच्यत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप :---

- (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीश है 45 दिन की अविधि या तत्सवधी व्यक्तियों पर स्थान की तामील से 30 दिन की अविधि, को जी जनशि नाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्श व्यक्तियों में से किएं! व्यक्ति प्रवारा:
- (च) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच चे 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितडब्ब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के शक् चिक्ति में किए जा सकोंचे।

त्सन्द्रीकरणः - इसमें प्रश्नेत कन्द्रों और पत्नों का, को स्वस् अधिनियम, को सभ्यात 20 का में वरिश्राधिक ही, नहीं नर्घ होगा को उस सभ्यात में दिशा गया ही।

वनुसूची

भूमि खपा नि 28/2 है जो मोगा नगर रायपुर रिंग रोड ते 2 रंग्र ने गार गार गार स्थापर स्थापि शिक्षा गिर्ण कार्नि 37 तो में निहिंग है तथा स्रातरितो द्वारा सहयापित किलाइणया है।

> वीरेंद्र कुम:र बरनशाल साम प्राधिकारी महायक ग्रायकर शायुका (निरीक्षण) शर्जन रेंज, भोगल

दिनाक 34-11-1984

प्रकृप बाइ . टी. एन . एस . अन्यतनमञ्ज्यास

नायकर निधिनयन, 1961 (1961 का 43) की भारत 269-थ (1) के नधीन सूचना भारत सरकार

कार्यासम्, सहायक जायकर जायुक्त (निरीक्षक) अर्जंत रेंज, मोपाल

भोपाल, दिनोक 24 नवम्बर 1984

निवेश सं० आई ए० सो० म्रजैन भोपाल/5393-अतः मुझे वीरेन्प्र कुमार बरनवास

श्रावकर विधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गण हैं), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकाणी को, यह विश्वास करने कारण हैं कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार राष्ट्र 25,000/- रा. से विधिक हैं

भीर जिर.को सं० भूमि खसा नै०28/5 है तथा जो मोजा लिक रोड नै० 2 रायपुर में स्थित है (भीर इससे उपाबद्ध अनुन्त में भीर पूर्ण रूप से विज्ञत है) रिजस्द्र कर्ता अधिकार के कार्यालय, गयपुर में रिजस्द्र करण अधिनियम 1908 (1908 का 16क के प्रधीन, दिनांक प्रप्रैल 1984 को पूर्वों कर सम्पत्ति के उचित नाजार मृलय से कम के दरयाम वित्रम के निए अन्तारत का गई है और मुक्त गई विकास करन का कारण है कि वचाएवाँ कर संपत्ति का उचित वाचार कृष्य, उसके दम्यमान प्रतिकास के एसे क्रम्यमान प्रतिकास का वन्त्रह प्रतिकार सं अधिक है और अंतरक (अंतरकां) और बंतरिती (अन्तरित्यां) के बीच एस अतरण के सिए तय पाया गया प्रतिकास का निम्तितियां) के बीच एस अतरण के सिए तय पाया गया प्रतिकास का निम्तितियां के बीच एस अतरण के सिए तय पाया गया प्रतिकास का निम्तितियां के बीच एस अतरण के सिए तय पाया गया प्रतिकास का निम्तितियां विद्यालया है :---

- (क) बल्लरण में हुई किमी जाब करें बायत, उक्क बिधिनियम के बधीन कर दोने के बंग्सरक के बायित्व में कमी फरन या उससे बचने में सुविधा के सिए, बॉर/या
- (च) ऐसी किसी जाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त अधिनियम, या धन-फर अधिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयाजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया भा या किया जाना चाहिए था, स्पिन में सुविधा के सिए।

चतः सद. उक्त विधिनियम की धारा 269-ग के सनुसरण में, में, उत्त विधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) में निधीय, ज़िम्मक्तिकत व्यक्तियों, सर्वात् ब्र~~ (1) श्री राजेश कुमार पुत्र श्री पूतमचन्द अधवाल निवास:-कुमार तालाव, रायपुर मध्य प्रदेश।

(मन्दर्

(2) मैसर्स भाषुमल कान्द्रेश्टरस, निवासंकाखे नगर, रायपुर ।

(प्राचरिता)

का वह सूचना बारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्लन के लिए कायवाहिया करता हा।

उक्त सम्पत्ति को अर्जन को सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (ब) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीं के ते 45 दिन की अविभि या तत्सवधी व्यक्तियों पर स्वना की तामील से 30 दिन की अविधि, को भी बबिध बाद में समाप्त हाती हो, के भीलर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति त्वारा;
- (क) इस स्पना के राजपत्र मों प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस्थ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी की पास जिस्ति मों किए जा तकोंगे।

जन्मुची

भूमि खपरा नं० 28'5 है, जो मोज रिंग रोड नं० 2 में रायपुर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवारण फार्म नं० 37-जा में निहित है, तथा भान्तरिती बारा सत्यापित किया गया है।

> गारेंद्र कुमार व नामल सञ्जय पश्चिकारो सहायक ग्रायकर ग्रा_{वि}क्त (विरोधण) ग्रजन रेंज. भा√ल -

दिनांक : 24-11-1984

प्ररूप बाह्र . टी. एन . एव .------

नायर्कर निधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यासय, सहायक नायकर नायुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोराल, दिनांक 24 नवम्बर 1984

े निदेश सं० आई०ए० से.'०/अर्जन/भोपाल/5394---अतः मुरे, वरेंद्र कुमार घरनवाल,

श्रायकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इम्ब्ली पत्रचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सभ्यत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25 ১৮0/-रुक से अधिक हैं

भौर जिनके सं० भूमि खसरा नं० 28/6 है तथा जो मोज रायपुर, रिग रोड नं० 2 रायपुर में स्थित है (ग्रीर इनसे उपाबद्ध अनुसूच में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रिजस्ट्र कर्ता अधिकार के कार्यानय रायपुर में रिजस्ट्र करण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधन, विनांक अप्रैल 1984

का पूर्वाकत सम्परित के उचित बाजार मूल्य से कम के ध्रयमान श्रतिफक्ष के लिए अन्तरित की गई है और मृझ यह विश्वास ध्रदन का कारण है कि यथापृत्रोंक्त सम्परित का उचित बाजार बृत्य उसके ध्रयमान प्रतिफल से, ऐस ध्रयमान प्रतिफल का पंचन रित्रित स अधिक है और अतरक (अतरकां) और अतरिती (अन्तारित्यों) के बीच ऐस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अतरण लिखित में भास्तीयक रूप स कांचत नहीं किया गया है:——

- (क) अन्तरण से हुई किसी आम की बायत, उक्त आधानयम क अधीन कर दान क अन्तरक के दायत्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; बीद्व/मा
- (म) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य जास्तियाँ को, जिन्हों भारतीय अगयकार अधिनयम, 1922 (1922 का 11) या जक्त अधिनियम, या धनकार अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजनाथ अतरिती द्वारा प्रकट नहा किया गया था या किया जाना चाहिए था, खिपाने यें सुविधा के लिए;

बतः अव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण को, की, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) को अधीर, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् क्र-- (1) श्रः अजय कुमार पुत्र श्रः पूनमचन्द्र अग्रवाल, नित्रास - कुमार सालाब रायपुर मध्य प्रदेश ।

(अन्तरक)

(2) मैतर्स श्रीचन्द्र कान्टेक्टर निवास लाखे नगर रायपुर भक्ष्य प्रदेश ।

(अन्तरितः)

को यह स्वना बारौँ करके पृत्रोंक्त सम्पत्ति के वर्षन के लिए कार्यवाहिया कारता हु।

- (क) इस न्यम के राजपण में प्रकाशन की नारीय में 44 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियाँ दर स्थना कि तामील स 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि शद में समाप्त हानी हो, के भीतर पृथावत व्यक्तियों में से किसी स्यक्ति बुदारा;
- (वां) इस स्वान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब वें 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बव्ध किसी मन्य स्थित द्वारा मभाहस्ताक्षरी के पास लिखत में किए जा सकत्।

स्यव्होकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, वो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होंगा को उस अध्याय में विका स्या है।

नन्त्रवी

भूमि खप्तरा नं० 28/6 मीज रायपुर रिंग रोड मं० 2, रायपुर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्प्रांत है जिनका विवरण कार्न नं० 37-जा में निहित है तथा अस्तरितो द्वारा सस्यापित किया गया है।

> नीरेंद्र कुमार बरनशल सक्षम प्राधिकारो सद्घायक आयकर आयुक्त (निरक्षण) अर्जन रैंज, भोपान

दिनाक : 24-11-1984

मोइर 🖫

प्रकल नार्वे हो. ह्रवः ह्रवः व्यवन्यन

बासकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के बभीन सूचना

धारत तरकार

कार्याक्षय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निवेश स० आई० ए० स०/अर्जन/ भोपाल/ 5395---अतः मुझे, व रेन्द्र कुमार बरनवाल,

नायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पर्यात् 'उक्त निभिनियम' कहा गया ह"), की धारा 269-ख के अभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्मति, जिसका उजित बाजार भूस्व 25,000/- फ. संविधक है

मौर जिपका स० प्लाट न० 354 है, तथा जो विरहुनडों, रायपुर में स्थित है (ग्रीर इमने उपाबद्ध अनुसूचा में ग्रीन पूर्ण रूप से बणित है), रजिस्ट्री हर्ता अधिकार के कार्यालय रायपुर में रजिस्ट्र करण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अध न दिनांक अप्रैल 1984

को वृजें दस सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के रहयमान इंटिक्श के लिए बन्तरित की नई हैं और मृत्रों यह विश्वास करन का कारण हैं कि यथाएवं क्त सम्पत्ति का उचित बाजार कृष्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दश्यमान प्रतिफल का वन्द्रह् प्रतिसत से अधिक हैं और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरित्या) क बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया इंतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तरिक क्य से किंग्त बही किया यथा है हिल्ल

- (क) अन्तरण से हुई किती बाय की बाबत उक्त बीध-शियम के बधीन कर दोन के बन्तरक के बाधित्व में कमी करने या उनसे बचने में सुविधा की लिए; बीद/या
- (था) एनेनी किसी काव वा किसी भन या बस्य बास्तियाँ को, चिन्हुं भारतीय बाय-कर बिभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त बांभनियम, या भन-कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) को प्रयाजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया नया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विभा के सिए;

बतः श्रवः, उत्तर विधिनियम की धारा 269-ग के बन्सरण वे. में, अन्त विधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) वै वधीन, जिल्लीवित व्यक्तियों, संधात् अ—— (1) मैनसं समना गृष्ट् निर्माण सहकारा समिति लि॰ निरहाडि, रायपुर छः

(अन्तरसक)

(2) श्रीष्ठिताम पुत्र दोसीमल भाटीया निवासा जत्राहर नगर, रायपुर, म० प्र०

(अन्तरिसी)

भी शह स्वना बारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के कर्वन के लिए कायशाहिया करतः हुं।

उन्त सम्पत्ति के वर्षन के सम्बन्ध में कोड़ी भी बाधीप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन की जनभि या तत्सवधी व्यक्तियाँ पर सूचना की तामील से 30 दिन की जनभि, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में स किसी व्यक्ति ब्वारा;
- (च) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच वे 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-वर्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास निवित में किए जा सकांगे।

स्थादिकरणः ---- इसमें प्रयुक्त शान्तों और पदों का, जो उक्त जीधीनयम, के अध्याय 20-क म परिभावित है, वही अर्थ हागा, जो उस अध्याय में विदेश गया है।

नगत्त्र ची

खुला प्लाट न० 354 है जो चिरहुलंडि रायपुर में स्थित है। यह वह स्थापर सम्मत्ति है, जिसका विवरण फार्म न० 37 जा में निहित है। तथा आन्तरितः द्वारा सस्यापित किया गया है।

भं रेत्र हमार बरनवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयक्त (निरक्षण) अर्जन रेंज, भोपाल

दिन≀क _ 1-11-1984 मोहर

प्रकप कार्ड .टी .एन .एस ,-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के बधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यांसय,, सहायक बायकर भावक्स (निर्देशिक) अर्जन रेंज, भोपाल

भोराज, विनांक 24 नवम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सो०/अर्जन/मोगल/5396--**भतः** मुत्रे व रेंद्र हुमार बरनताल नायकर निधनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इदाको पत्रचात् 'उपल अस्मिनियम' कहा गया है'), की धारा 269- व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उपित बाजार मुल्य 25,000/- स्त. से बीवक हैं।

ह्मपीर जिपको स० महान नं० 743/2व, 743 /2प2, 743 /213 ,843/274 खारा नं० 303 है, तया जो इस्ट निवाद गंज, जबनएर, मं स्थित है (ग्रोर इनसे उपाबद्ध अनुपूच: में भीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिप्ट्र हर्ता अधि-कार के कार्यातय जब तपुर में एजिस्ट्रा करण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधन दिनांक अप्रैल 1934

को प्रवीक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दश्यमान प्रतिफल को लिए बल्तरित की गड़ है और मुझ यह जिस्बास करने का कारण है कि यथापूर्वक्त सम्पत्ति का उचित बाजार श्रुल्य, इसके कायसप्त प्रतिफाल सं, एस कायमान प्रतिफाल का पंद्रह प्रतिकात से अधिक है और अंतरक (अत्तरकों) और अतरिती रिती (अतिरितियों) के बीच एत अधरण के लिए तय शया क्या प्रतिफास निम्तीसम्बद्ध उद्याप्य से उक्त नतरण सिस्तित वें बास्तविक रूप दे कथित नहीं किया गया है:---

- (क) जन्मरण से हुई जिली नाय की वानतः, उन्द विधितियम के सभीत कर दोने के नतरक कै शाखिल में कभी करने या उत्तर्स यचन में सुनिधा के लिए: वरि/वा
- (क्ष) एंची किसी बाब या किसी धन या बन्य वास्तियों का, चिन्ह मारतीय बाबकार मिनियम, 1922 (1922 का 11) वा उक्त अधिनियम, गा भनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अधिरिती बुद्धारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में स्विभाके निए;

(1) श्रः खूबवन्य पुत्र श्रः रतलाल जैन प्रोंपाइटर रतलाल खुबबन्द एउड कं निवास गाध गंज जबल पूर मध्य प्रदेश ।

(अस्तरकः)

(2) मैगर्स मंडाा हम अन्ड केन्टेक्टर्स कारपोरेशन राईट टाऊन जबलपुर पाटनर विजय कुमार वस्य श्र छिकोधनाल जैन निवास -राईट टाऊन जबलपुर मध्य प्रदेश

(अन्तरितः)

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हुं।

बक्त संपत्ति के सर्वन के सम्बन्ध में कोई भी काक्षेप:--

- (क) इस त्वता के राजपत्र में प्रकानन की तारीय है 45 दिन की वर्षीं या तत्सम्बन्धी व्यक्तिको पर स्चना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो औ जनिथ बाद में समाप्त होती हो, के भीतर वृबोंकड़ व्यक्तियाँ में से किसी व्यक्ति दुशरा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच 💣 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में जित-बब्ध किसी अन्य व्यक्ति ब्वारा अभोहस्साक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेगे।

स्पन्धीकरण: ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, अभिनियम के अध्याय 20-क में परिशावित है, वहीं वर्ध हागा जो उस अध्याय में विका नया है।

बन्द्रवी

मकान न० 743 /2ब, 743/2च2, 743/2**प**3/; 743 /2प4, है जो निवाद गंज जबलसूर में स्थित है। यह वड़ स्थावर सम्पत्ति है जिनका विवरण फार्म नं० 37-ज में निहिंह है, तथा आन्तरितः द्वारा संस्यापित किया गया ਹੈ ।

> वि.रेंद्र कुमार बरनवाल सक्षम प्राधिकारो सहायक आयकर आएकर (निरक्षण) अर्जन रंज, मोपाल

दिनांक :- 24-11-1984

मोड्र :-- 🔭

^{ा.} जन, उन्त आधनियम की धारा 269-म के अनुसरण ते, की, पक्त क्रांधिनियम की धारा 269-घ कां उपधारा (३) वें बधीय, निम्नसिवित व्यक्तियों, वर्षात् ह्---

जायकार जिमिनयज्ञ, 1961 (1961 का 43) की नाच 269-म (1) के बभीत सूचना

भारत क्रमा

कार्यालय, सङ्घयक जावकर जामूक्त (विरोक्सिज) अर्जन रेंज, भ∷गल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 1984

- (क) जलरण से हुई किसी बाव की बावत, अवल विधिनियम के अधीन कर दोने के बन्तरक बी दायित्य में कमी करने वा क्वले वचने में द्विया वी सिष्; और/वा
- (व) एमी जिल्ली बाज वा किसी बंग बा बन्य बामिनकों को, फिन्हों भारतीय । आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उथत बाभानियम, वा बनकर बाधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ बन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया बना बा वा किया बाना वाहिए था कियाने के सुविधा के दिन्हा के सुविधा के दिन्हा

बतः वयः, उक्त अधिनियम की धारा 269-य के वनसम्ब में, भैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपंधारा (1) को बधीन निम्नतिसित व्यक्तियों अर्थात् :---- (1) 1. वितृष कुमार मित्रा ।
2. श्रु मता सुषमा मित्रा
3. श्रु निरंज मित्रा (नःबालिक)
समा निवास:—राईट टाउन, जबलपुर,
मध्य प्रदेश ।

(अन्तरक)

- (2) 1. भा भानाथ पेढिया
 - 2. कोशेलान्दरनाथ पेठिया
 - 3. यदुनाथ पेढिया,
 - अ मतः सुग लाबाई पेडिया
 सभा निवासः—-राईट ८.ऊत, जबलपुः, मध्य प्रदेश।

(अग्तरितः)

को बहु क्षाना चारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के नर्वन के विद् कार्यवाहित करता हु"।

उक्त क्रमस्ति में नर्वत में क्रमन्त में महें। मी बार्वत :--

- (क) इंग्र स्थान के राजपण में प्रकाशन की तारीच के 45 विश्व की जनकि मा तत्त्रं मन्त्री व्यक्तियों वर स्थान की तामीन से 30 विन की जनकि, में भी अमित ना में तमान्त होती हो, भी मीतर पूर्वीनचे व्यक्तियों में से किसी स्मन्ति द्वारा;
- (क) इत बूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच वें 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्मित्त में हितबब्ध किसी बन्य व्यक्ति ब्वाय जभोहस्ताकरी के पाइ सिचित में किए वा सकोंगे।

स्वकारकाः ---इसमें प्रयुक्त संबंधीर पर्वो का, को उनके सिंधनियम के अध्याय 20-के में परिभावित हैं, वहीं वर्ष होगा को उस कथ्याव में दिवा गवा है।

अनुसूची

नकान नं 1526/3, 182/1-म, 655 है जो राईट टाऊन जबतपुर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्म नं 37-ज में निहित है, तथा अन्त-रिता द्वारा सत्यापित किया गया है।

> र्वारेंद्र कुमार बरनवास सक्षम प्राधियारो सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षण) अर्जन रेंज, मोप ल

विनोत्तः : 34-11-1984

प्ररूप बाइं. टी. एन. एस. ----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की - भारा 269-म (1) के अधीव सूचना

भारत प्रत्यार

कार्यास्य, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, भोशाल

भेपान, वि कि 24 मवस्वर 1984

निदेश स० अर्ड० ए० सी०/अर्जन/भीपाल/5398---असः मुझे वरेंद्र कुमार बरनवाल

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके प्रधात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है, की भारा 269 क के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मपन्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रा. से अधिक है

मौर जिनकी स० फ्लैट न० 7 पर म्यु०पा० नं० 10/2 है, तथा जो साउथ तुकोगंज, इन्दौर में स्थित है (ग्रीर इससे उपावड अनुसूच में ग्रीर पूर्ण रूप से मणित है) रिजिन्द्रें कर्ता अधिकार के कार्यात्रय इन्दौर में रिजिन्द्रें करण अधिकाम 1908 (1908 का 16) के अधान दिनांक अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उणित बाजार मूल्य से कम के क्यमान प्राप्तकल के लिए अन्तरित की एडं है और मफ्ने यह विश्वाच करने का कारण है कि संधापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार बुक्ब, उसके क्यमान प्रतिफल स एम क्यमान प्रतिफल का बन्दह प्रतिकृत से अधिक है और अन्तरक (बंतरकों) और बंतरिती (बन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया हतिफल, निम्नलिकित उस्वेष्य से उक्त अन्तरण लिखित मे बास्तिबुद्ध कप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उचत आधिनयम क अधीन कर धान के बन्तरक की बाधिन्य में कमी करन मा उससे वचन मी बृविधा के सिए; और/वा
- (क) एोमी किसी आय या किसी भन या जन्म आस्तियों को जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, आ जन प्राचन की प्रयोजनार्थ अन्तिरती व्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विशा की निए;

बत: बब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ण के अनुकरण कों, कों, उक्त अधिनियम की धारा 269-ण की उपधारा (1) कों अधीन, निस्तिविक्तित अधितयों, सर्धात् अस्म (1) श्राः माध्यक्ष गोताः व भिताः आ निकात गोसाको निकास – 10/2 साउथ नृक्तेगंज , इन्दरः, म० प्र०

(अन्तरक)

(2) श्रंत नयन कुमार पिता श्रा केशवालजी शाह निवास. 7/1 वस्त्रभ नगर इन्दीर मुठ प्रव

(अन्तरिसः)

को यह सृचना जारी कारके पूर्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन के सिए कार्यवाहियां करता हुं

क्का सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षप :----

- (क) इस स्थना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अर्थाध या तत्मवधी व्यक्तियों पर स्थना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्रवेक्त स्थावनयां में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस स्थान के राज्यन में प्रकाशन की तारील के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बहुव किसी उस्य स्थावत द्वारा, स्थाहस्ताक्षरी के. पास जिल्लित में किए का सकेंगे।

स्था करण: -- इसमें प्रयुक्त राख्वों और पदों का, जो उकत विध-नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं वर्ध द्वागा, जा उस अध्याय में दिया गया है।

अन्मूची

पलैट न० 7 पर म्यू० पा० धना मठान न० 10/2 है को तुरुगंत्र इन्दोर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्यत्ति है जिनका विवरण फार्न न० 37 जा में निहित है, तथा कान्तरिता द्वारा सत्तापित किया गया है।

> वे.रेद्र कृमार बस्तवास सक्षम प्राधिकारो सहायक आयकर आयुवः (तिरक्षण) अर्जन रेंज, भोशाल

चिसांक : 24-11-1984

मंहर :

प्रकष् आध".टा.एन एस.------

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यासय, सुहायक आयवार आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज, भोजाल भोजाल, दिनांक 24 नवस्वर 1984

निदेश सं० आई० ए० स / अर्जन/भोपाल/5399---अतः मुझे वरेद्र कुमार बन्नशल

बाबकर अधिनियम, 1961 (1961 को 43) (जिस इसमें इसके पश्चात् 'जन्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को, यह रिज्ञास करन का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मृज्य 25,000/- एउ से अधिक है

भीर जिसको स० मकान नं० ई-1 है, तथा जो माकेन नगर इन्दौर में स्थित (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुमूच में श्रीर पूर्ण रूप से विणिन है), रिजिन्द्र कर्ता अधि पर ने नार्यातय इन्दौर में रिजिस्ट्र करण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधन दिनांक अप्रैल 1984

कां पूर्वाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दश्यमान प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वाक्त संपरित का उचित वाजार बण्य अभके दृश्यमान प्रतिकल में, एमे दृश्यमान प्रतिकल का पन्तह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और बंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अतरण के लिए तय वाका गया प्रतिकल निम्नलिकित उदयंश्य स उक्त अन्तरण कि बिक्त में बास्तिक रूप से किथित नहीं किया गया है.——

- (क) अक्तरण ते हुई किसी आय की बाबत, उक्ष अधिनियम के अधीन कार दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी कारने या उससे बजन में सूर्विधा के लिए, अटि/या
- (च) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों का चिन्हों भारतीय जायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्ते आं अनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रवोधनार्थ अन्तरिती बवारा प्रकट नहीं किया गया वा वा किया जाना चाहिए था, क्रियान में मृतिया के लिए;

अतः अम, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 260-य की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों कथात् :--- (1) अन्तर सालना नागु पात स्मर्था दापनारामण . नागु निमान - 22 गुलमाहर कालाना, इन्दार मध्य प्रदेश ।

(अन्तरक)

(2) श्रा एम० वीरेज बिह पुत्र श्री एम० हरदयाल िह डारेस्टर मैनने इन्दौर स्टाल श्रीर आयरन मिल्ल प्रा० लि०, निवास है -3-1, साके⊽ नगर, इन्दौर म० प्रदेग

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्परित के अर्जन के तिह रागनाहर। तर ! हैं !

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कांई भी बाक्षेप --

- (क) इस मृज्या के गुजपत्र में प्रकाशन की शारीख से 45 दिन की समीध भा तरराष्ट्रपत्री व्यक्तिमां पर सृचना की नामास में 30 दिन की सविध, जो भी सबिध हो में प्राप्त होती हो, के भीतर पूर्वेक्त स्थाकरण ए से फिसी स्थित त्वारा,
- (क) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच के 45 दिन के भीतर उत्तर स्थावर सपित में दित-बद्ध किमी बन्य व्यक्तिस द्वारा वशाहस्ताक्षरी के पास लिएका में किए का सकोंगे।

स्पृत्वतीकरण '---इसमें प्रयुक्त गम्बा और पदा का, जो अच्छ अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषिक हैं, वहीं अर्थ हागा को उस अध्याय में दिया गया है।

नगुसूची

महात न० ई-1, जो साके तनगर इस्दौर मे स्थित है यह वह स्थानर सम्मत्ति है जिसका विवरण फार्म नं० 37 जी मे निर्दित है, तथा आन्तरिता द्वारा संस्थापित दिया गया है ।

> वीरेंद्र कुमार बरनवाल सक्षम गाधिकारो महायक अप्यकर आयुक्त (निर क्षण) अर्जन रेंज, भोगाल

दिनाक ' 21-11-1984

मोहरः

25.000/- रत. से अधिक हैं

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

***गबकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की** भारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भागकर जायक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज भोपाल भोपास, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सं/अर्जन/भोपाल/5400---अतः मुझे वीरेंद्र कुमार वरनवाल बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें (सके परचात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है). की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी कां, यह विकटण करने **का कारण है कि स्थावर गम्पत्ति, जिसका उधित बाजार मुल्य**

मीर जिपके सं० प्लाट नं० 205 है, तथा जो साकेत नगर इन्दौर में स्थित है (भ्रीर इपने उपायद अनुपूची में भ्रीर पूर्ण रूप से वर्णिन है), रिकड़ी हर्ता अधिकारी के बार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्रोकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अद्योग विनांक अप्रैल 1984

को पृथे कित संपरित के उचित बाजार मृल्य से कम के रहण्मान प्रतिफल को लिए अंतरित की गर्द है और मभ्रेयह विष्वास कारने का कारण है कि यथाप्योंक्त सम्पत्ति का उन्चित बाबार मुल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से एंसे दश्यमान प्रतिफल के पम्द्रक्ष प्रतिकात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और बन्तरिती (बन्तरितियों) के बीच एमे बन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकास, निम्नीलियात उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त्रविक रूप से अधित नहीं किया गया है":--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आप की बाबता, उक्त क्रमिनियम को अपनिय कर पूर्ण के बन्तरक औ दायिक्य में अपनी करने या उरमें बचने में सुविधा के निए; बरि/बा
- (ख) एरेसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1022 (1922 का 11) या उत्ता प्रधितिरण, या भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयांजनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने से सुविधा ऋेलिए;

जल जल, जनत अभिनियम की भारा 269-ग के अन्तरण **हों, में** उक्त अधिनियम की धारा 269-भ की उपधारा (1) के के मधी , निम्नीनिवित व्यक्तियों, अर्थात् :---

25--426 GI/84

(1) श्रमत दर्शन अरोरा पति श्रं न न्द्रताथ अरोरा, तर्फे आम० मु० महाराज किशन पुत्र आ मुलकराज, निवास - 16 नारायण वाग, इन्द्रीर मध्य प्रदेश

(अन्तरक)

(2) श्रीमतः सरलादेव पति श्री कार्ता प्रसाद परसराम पुर या निवास -- 35 वा, इन्डस्ट्र.यल इस्टेट लक्ष्मी वाग नगर, इन्दीर मध्य प्रदेश ।

(अतरितो)

की यह सचना जारी कारके पर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 🛋 निए कार्यवाहिया शुरू करता हो।

उन्न सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इ.स. स्थला के राज्यात्र से प्रकाशन की सारीच से 45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सचना की तासीस से 30 दिन की सविधि, भो भी अवधि बाद में समाप्त हांती हो, के भीतर प्वॉक्त क्य क्तियों में में किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सचना के राजधन में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भौतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवष्य किसी बन्द व्यक्ति द्वारा वभोहस्ताकारी के नास तिनाचामा किए आ कदायं।

लक्दीकरण:---क्रममे प्रमानस्कान्द्री और पदौका, जो उच्च अधिनियम के अध्याम 20-क में परिभाषित हैं, बही अर्थ हाना जो उस अध्याय में विका गका हु ।

अन्सूची

प्लाट न० 205 है जो साकेत नगर इन्टौर में स्थित है। यह वह स्थावार सम्पत्ति जिसका विवरण फार्म नं० 37-जं भे निहित है तथा अविना द्वारा सत्यापित किया गया 青し

> वरिद्र कुमार बरनवाल सप्तम प्राधिकारी, महापत्र आयकर अध्यक्त, (निरोक्षण), अर्जन रेंज, भोजाल

दिनांक: 24-11-1984

मोक्षर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

भागकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) क अधीन अभाग

कार्यासय, नहायक कार्यकर जाय्क्त (मिरीधाण) अजन रेंज, भीपाल भोपाल, दिनांक 24 नवस्वर 1984

निर्वेण मं अर्धः ए० सं०/ अर्जन/भीपाल/5401~ अराः मुझे, वंरेंद्र कुमार बरनवाल,

शायकर आभिनियम, 1961 (1961 क्रा 43) (जिसे इसमें इकके परवात 'उक्त अभिनियम' कहा गया है), की भारा 269-च के अभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विकास कारने या कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मन्य 25.000/- रुपये में क्षिक हैं

भौर जिमकी सं० मकान नं० 10/2 है, तथा जो माउथ न्कोंगंज इन्दौर में स्थित है (ग्रीर इपसे उपाबत अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप मे विणत है रिजिन्द कर्ता अधिकार के कार्याक्षय इन्दौर में रिजिन्द्र करण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधिक दिनांक अप्रैल 1984

को प्रचायन संपत्ति को उचित बाजार मूल्य में कम के रुप्यमान प्रतिकाल को लिए अन्तरित की गई है और मूओ यह विष्यास करने का कारण है कि यथापबोक्त संपत्ति का उचित बाजार स्वाय, अस्त्रों रुप्यमान प्रतिकाल से एमें रुप्यमान प्रतिकाल का बल्डह प्रतिकाल से बाधिक हैं और अन्तरिक (अन्तरिकों) और अन्तरितीं (अन्तरितियों) के बीच अन्तरिय के निए तय कार्या बसा प्रतिकास निम्नलिचित उच्चे केया से उच्चेत कार्याण निमित्त में बास्त्रीयक क्य से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) जन्मरण में हाड़ किसी बाब की बाबस उपन अधि-विषय के बचीप कर दोने के असरक को दावित्य में कर्मी जरने या उनाने नजारों में समिला को फिओ बॉट/स
- (ख) ऐसी किसी बाय या किसी धन वा अन्य आफ्तिवाँ की. पिन्हाँ भागरीय बायकर बिधीनयज्ञ, 1922 (1922 का 11) वा उक्त अधिनियज्ञ, या धन-कर बिधिनियज्ञ. 1957 (1957 की 27) के प्रवोजनार्थ कर्तारती दवारा प्रकट नहीं किया नथा भा ना किया बाना चाहिए था, कियाने में स्विधा के बिद्ध;

अतः अतः, उक्त अभिनियम अर्थि थारा २६०-व अर्थ अनस्यक्ष क्षेत्र, में , उक्त अभिनियम की भारा २६०-व की उपभारा (1) क्षेत्र विभीत, शैनम्नशिविद्य व्यक्तियाँ, अर्थातः :--- (1) श्रामाञ्जा पिता श्रानिजातज्ञा गो। विश् निज्ञामा 10/2 गाउथ नुशोगंज इन्दौर म० प्रदेश

(अतरक)

(2) 1. श्री जगदीश पिता हरक्र रजी शर्मा 2. श्रामता शान्त बाई पति श्री जगदेश शर्मा निवास.-16 किबे कम्पाउंड इन्दौर

(अन्तरितो)

को वह अचना जारी करके पूर्वांक्स सम्पत्ति को अर्जन को विष् कामनाहिया करता हा।

उपद सम्मत्ति के सर्थन के सम्बन्ध में कोई भी नाजीय :---

- (क) इस समाना की राजपण में प्रकासन की तारीच है 45 दिन की बर्गीच वा तत्सम्बन्धी का कितायों पर समाना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी बर्गीच बाद में समाप्त झाती हो, के भीतर पृत्रीक्त व्यक्तियों में से किसी का किता ब्रागाः;
- (क) इस सूचना के राजपण में प्रकाशन की तारीय से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में द्वित-बब्ध किसी जन्य व्यक्ति द्वारा वधाहुस्ताकरों के गास लिकित मा किए वा तकोंगे।

स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का, जो उच्च अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाणित हीं. नहीं अर्थ हागा जो उस अध्याय में दिवर नवा ही।

बन्स्ची

मकान नं० 10/2 है जो साउथ नुकोंगंज इन्दौर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिनका विवरण फार्म नं० 37 जो में निहित्त है, जना अन्तिरेता द्वारा सत्यापित किया गया है।

> वीरेंद्र हुनार वरावाल सक्षम प्रविहारो सहायक आयकर श्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज भोगल

दिनांक '→ 24-11-1984 मोहर :

त्रक्य काइ'. दी. व्य व्या. - - - ----

भाषकर समिनियम, 1961 (1961 का 43) की अध्य 269-म (1) के सभीन स्वता

भारत सरकार

कार्यालय, महायक प्रायकर आयुक्त (निरोक्षण) धर्जन रेंज, भो एल

भोताल, दिनांक 24 नवम्बर 1934

निर्देश सं० प्राई० ए० सः०/ग्रर्जन/भोः।स/5402
प्रतः मुझे, व रेंद्र कृमार बरनवाल
बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पण्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का

कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मृत्य 25.000/- रा. सं अधिक है

भीर जिन्का संख्या प्लाट खसरा नं० 42/1 है, तथा जो ग्राम लालबाग, तह० बुराहतपुर जिला पूर्वी निमाड, में स्थित (भीर इससे उपाबढ अनुसूच में और पूर्ण रूप से वणित है) , रिजय्द्र रती श्रीधकार के कार्याक्ष्य, पूर्वी निमाड बरहानपुर में पिरट्र वरण श्रीधित्यम 1908 (1908 का 16) के श्रध न श्रील 1984

- को प्राक्षत सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दश्यमान शिक्षत के लिए अल्लान्त का गई है अन्य मफ यह विजयान करने का कारण है कि यथाप्यांकत सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दश्यमान प्रतिफल स एस रूपमान प्रतिफल का पदह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) आर वन्तारती (अन्तरिया) क बीच एम अन्तरण के जिए स्य गया प्रतिफल, निम्नानिश्वन उद्देश्य स उच्छ भन्तरण निश्चित में अस्तिश्व एप स निभन नहीं किया गया है .---
 - (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त आंधानियम के अधान कर दान के अन्तरक के दायित्व में कमें) करने में। यसरा बचने में भृतिभा के लिए अदिरास
 - (क) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियी का जिन्हों भारतीय आयकर आधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ऑधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजनाथ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना शाहिए था. छिपाने में सुविभा के लिए;

श्रम उद्ध, उक्त अधिनियम को धाग 260-ग के अनसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधार, निम्नलिक्ति व्यक्तियो, अर्थातः :---- (1) श्रा नाराया पुत्र फक्का भारा, निक्षा लौहार मंज्या, तह वर्णास्ट बुरहानपुर जिला पूर्व निमाक्षा मध्य प्रदेश

(भ्रन्तरक)

(2) 1 परामल पुत्र बस्तोमल जैन,
2. गोतमबन्द पुर बस्त मल जैन,
3. जावराज पुत्र श्रा खेमराब देवाको,
4 एक्नाथ पुत्र मामुजी सानवणे
निव सी-सानवाग, तह्० व० पोस्ट बुरहानपुर जिला पूर्व निमाइ,

(मन्तरितो)

का वह नृष्यना कामी करके पूर्वोक्स संपत्ति के अर्थन के किए कार्यग्रहिया करता हु ।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के संबंध में कोई भी बाझेंच :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अवीध या तत्मबंधी क्यांक्तयों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, को भी बत्रिय वाद में समाप्त हाती हा, के भीतर पृत्रीकड़ क्यांक्तयां में से किसी क्वांक्त इवास;
- (वा) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीचा वै 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-श्रद्ध किसी अन्य स्थावत द्वारा अधाहस्ताक्षरी वै पास निवित में किए जा सकोगे।

स्वव्यक्षिकरण ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, को सक्त कांश्रीनयम, के अध्याय 20-क में पांरशांचत ही, बहा संधे हागा, का उस अध्याय में विका समा ही।

मन्स्यी

प्लाट खापरा नं० 42/1 है, जो लानबाग तप् बुराहनपुर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्ित है, जिला विवरण फार्य नं० 37 जिल्ही सिह्त है, तथा भारतांक्त द्वारा सत्यानित किया गया है।

> वीरेंद्र कुमार वरतत्राल सक्षम प्राधिकारो सहायक स्रायकर स्नायुक्त (निराक्षण) सर्वन रेंच ,भीश**स**

दिनांक :- 24-11- 1984 ----

ब्रह्म बाइ. टो एन. एस. -----

अध्यक्तर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) क अधीन सूमना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निदेश सं० ग्राई० ए० सी./ग्रर्जन /भोपाल, /5403 ग्रतः मुझे वरेंद्र भार वरनवाल

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' रूहा गया है'), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25.000/- रा. से अधिक हैं

भीर जिसको सं० मकान नं० 1258/एच/9 है, तथा जो नयु गुर्तेस्वर बार्ड, मदन महल, जवलपुर में स्थित है (अर इससे उपाबद धनुसूच, में और पूर्ण रूप से विणक्ष है), राजस्ट्र कर्ता धाधकार, के कार्यालय में स्थित है जबलपुर में राजस्ट्र करण धाधिनयम 1908 (1908 का 16) के अधान दिनांक धार्येल 1984

को पूर्वा कि सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इत्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित का गई है आर म्फ यह विक्रवास करने का कारण है कि यथापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके द्वयमान प्रतिफल से एमे द्वयमान प्रतिफल का वन्तर प्रतिफल के वन्तर प्रतिफल से अपेर अन्तरका (अन्तरका) और अन्तरिती (अंतरितियाँ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया वया प्रतिफल, निम्निलिकित उद्वच्य से उसत अन्तरण लिखित व वास्तिक रूप से कृथित नहीं किया गया है:---

- (क) जन्तरण में हुई किसी जाय की वायत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उत्तसे बचने में सुविधा के सिए; और/या
- (क) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्ही भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-सार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया आ या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के किए;

अतः अवे, उपत अधिनियम की भारा 269-ग की अन्संर्ध को, मी, उकत अधिनियम की भारा 269-च की उपभाग्र (1) को अधीम, निम्निचिष्ठ स्थितियम, निभात् ह—— (1) श्रामता ममता गाह पति श्रो जावर गाह, निवापर तथु गुरतेस्वर बाउं, मदन महज, जबलपुर ।

(भ्रन्तरक)

(2) श्रीमती श्रमर कौर पति श्रो सरदार बलवन्तसिह निवास। – 690 कान्ट जबलपुर मध्य प्रदेण ।

(घन्तरितो')

को यह स्वता जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के विष् कार्यवाहियां करता हुं।

· अक्त सम्पत्ति क अर्जन को संबंध में कोई भी काक्षेप :----

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन की वर्वीध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पत्र स्वना की तामील से 30 दिन की वर्वीध, जा भी वर्वीध बाद में समाप्त हाती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पांच लिखित में किए जा सकी गे।

स्वकाषितयमं प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विद्या यस है !

वन्ध्यो

मक्तान नं० 1258 एख 9 जो नयु गप्ततेस्वबार्ड मदन महल जबलपुर में स्थित है यह वह स्थावर सम्मति है जिन्हा विवरण फार्भ नं० 37 जो में निहित है , तथा ग्रान्तिरतो द्वारा मत्यानित किया गया है ।

> वीरेंद्र कुमार बरनवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, भोगल

विनांक : 24-11-1984

मां 🞖 र 🔡

प्ररूप आर्धः ही. एन. एस. ------

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-भ (1) के अधीन सूचना

.भारत सरकार

कार्यालय, सष्टायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) म्रर्जन रेज, भोगल भोगाल, दिनां हे 24 नवम्बर 1984

निर्देश सं० भाई० ए०स०/ भंजन भोपाल/5404---

धतः मुझे व.रेंद्र कुमार बरनवाल,

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिम इसमें इसके परचात् 'जक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी की यह विख्वाम करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- एत. से अधिक हैं

श्रीर जितको सं० मकान नं० 637/8, कमला नेहरू नगर है, तथा जो यादव कालीना गढ़ा रोड, जबलपुर में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद श्रभूचा में श्रीए पूर्ण छा से विणत है) रिजिस्ट्र कर्ता ग्राधिवार, के कार्यालय जवलपुर में रिजम्द करण प्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के प्रधान दिनांक प्रप्रेल 1984

को पूर्वोक्त सपरित के उचित बाजार मृत्य से कम के रव्यापान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते गृह विश्वास करने का कारण है कि सथापूर्वोक्त संपन्ति का उचित नाजार मूल्य, उसके रश्यमान प्रतिफाल स, एप उर्पमान प्रीतिकाल की रनेवह प्रतिकास से अधिक हो और अतरक (प्रतरकों) और अतरिती (बन्तरि(तियों) के बीच एमें अन्तरण के जिए नय गया नग प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य स उक्त अन्तरण लिखित में **पास्तोबक** एप स क्रीधत उहा !क्रया गया है :----

- (क) अन्तरण से हुई किसी आध की बाबता, उक्त आर्थितियभ के अधीन कर द'ने के अन्तरक की बायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा कि लिए; और/या
- (च) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) में प्रधाजनार्थ अन्तरिती बवारा प्रकट नहीं किया गया भागिकिया वाना पाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए:

च्ताः बाबा, उत्तर अधिनियमं की धारा 2,69-गंक अनेसरण हैं, 🖒, उचन अधिनियम की भारा 269-च की उपभारा (1) के अधीर, निम्नलिकित व्यक्तियों, अर्थात् :---

THE METERS CONTROLLED AND THE SECOND (1) था: प्रमेश मृहत्य राव तो खाने वाले, नियाप -639/8 कमता नेहरू नगर यादव कालाना जंगलपुर,

(मन्तरक)

(2) भा कृष्ण कृमार टण्डन एव श्र मत्ता स्वर्णल्या टण्डन, विभार-406 नीत्यर टाऊन जबलारूर ।

(भ्रन्तररिती)

को यह स्चना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के सिए कार्यवाहिया शुरू करता हु।

उन्त सम्पत्ति के बर्जन के संबंध में कोई भी बाक्षेप :---

- (क) इस स्चनाके राजपत्र में प्रकाशन की ता**रीय वे** 4.5 विन की अविधि या तत्मबधी व्यक्तियाँ पर सुचना की तामील से 30 दिन की अविधि, बांभी जवधि बाद में समाप्त हाती हो, के भीतर प्रशिवा व्यक्तियां में स किसी व्यक्ति दुवाश;
- (ख) इ.ग सचता के राजपत्र में प्रकाष्ट्रन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध विक्रमी अन्य व्यक्ति द्वारा अभाहस्ताक्षरी के पास लिखित के किए का सकेगे।

स्पष्टिकरण. -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, क अध्याय 20 क में परिभाषित हैं, यहां अर्थ हागा को उस अध्याय में विका गया है।

मन्सूची

महान नं० 637/8, कमला नेड्स नगर, यादव कालोनी गढा रोट जबाबुर में स्थित है। यह बह स्थापर समाति है जिल्ला संपूर्ण विकास अन्तरिता द्वारा सत्यापित फार्म नंबर 37-जा में विहित है।

> वोरेंद्र कुमार बरनवाल सजम प्राधिकारो सहायक भ्रायकर श्राय्कत (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, भौपास

दिनां कः - 24-11-1984

हरूप बाइ' हो, एन. एवं : ----

आयकर आंधनियम, 1961 (1961 की 43) की भारा 269-ए (1) के अधीन स्चना

बार्स संस्थार

भाषांलय, सहायक बायकर बाय्कत (निरक्षिण) धर्जन रेंज, भो।।ल

भोताल दिनांक, 5 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० प्राई० ए० सो०/धर्जन/भो तल-5405--- मतः मुझे, वाल्के० बरनवाल,

बायभार मधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त मधिनियम' कहा गया है), भी भारा 269-क के मधीन सक्षम प्राधिकारों को यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाबार मुल्य 25.000/-रु स अधिक हैं

भीर जिसक सं प्लाट नंबर 31 है तथा जो उद्योग नगर में स्थित है (श्रीर इससे उपबद्ध श्रनुसूच में श्रीर पूर्ण के रूप से वणित है) रिनिष्ट्राहला श्रधिकारों के कार्यालय इसीर में रिजिन्ही एण श्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के श्रध न शर्रील 1984।

को पृथांकत सम्पत्ति क उचित बाजार मृत्य सं श्रम के स्यमान मित्रफल के लिए असरित की गई है और मभे यह विश्वास करने का कारण है कि मधापवांकत रायित का उचित बाजार मृत्य, उसके स्रममान प्रतिफल सो, एसे वश्यमान प्रतिफल का पल्झ प्रतिस्त से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिमी (जन्तरि त्यों) के बीच एस अन्तरिम को लिए त्य पाया गया प्रतिकार विश्वमीनिकार विश्वमीनिकार प्रदुष्णी में उक्त अन्तरिण कि बिस वां वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :----

- (का) अस्तरण से हुए । असी अध्य की बानदा, जनत क्रिशानियम के अधीन आर दाने के अस्तरक के शाहित्व मो तभी दान या न्यस उत्तर मो सांश्या की निग्, बार/या
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या जन्य बास्तियों के जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजनाथ अन्तरिती दशाय प्रकट नहीं किया गया था या किया जीना चाहिए था, खिपाने में स्विधा के लिए;

कत्तः अत्र, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के जनसरण में, में उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्निलिखित व्यक्तिस्यों, अर्थातः— (1) गिरधार दाल फिता मोहाद(स, निवास:-61, विद्यानगर, संदोर।

(भ्रन्तर ह)

(2) श्रेमतो बंदना पति चिमादास, निवासा—क्षारामनगर, इंदौर। 2. दुर्गदिको पति माधवदास, निवासा—जयरामपुर कालोनो,

(श्रन्तरिती)

को यह सृचना जारी करके पूर्वोक्त सम्मत्ति के अजन के लिए कार्यवाहियां करता हुए।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्दन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अविधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्थान का तामाल स 30 दिन का अवध्य, जा भी अवधि बाद में समाप्त हाती हो, को भीतर पूर्वीक्क्ष स्थाक्तयों में से किसी स्थानत ह्वारा;
- (च) इस स्थना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी बन्य क्योंक्त द्वारा अधाहस्ताक्षरा के पास निमासत में बिद्ध जा सकता।

स्पाद्धीकरण: ---इसमें प्रयुक्त शब्दों कीर पदों का, जो उक्त कांधिनयम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, बहा कर्ष हागा का उस अध्याय में विदा गया हैं।

अनुसूथी

प्लाट नं० 31 उद्योग नगर इंदीर में स्थित हैं। यह बहु स्थावर समाति है जिनका संपूर्ण विवरण अन्तरिता द्वारा सत्यातिक फार्म नंबर 37-आ में निहित हैं।

> वो० के० बरनप्रास्त सक्षम प्राधिकारी सहस्य ३ अस्य हर अस्युक्त (निर्राक्षण) प्रार्जन रेंग्रः भोकस

सारोख: 5-12-1984

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------

अ।यकार अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के सभीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

ष्रजंन रेंज, भोजाल

भोगाल, दिनांक 5 दिनम्बर 1984

निर्देश सं श्राई प्रसः / प्रर्जन/भोगाल/ 5406 -- प्रतः मुझे, कीरेंड बुमार बरनवारा,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (बिसे इसमें सबसे परभात् उकत निर्मित्रम' कहा गया ही, की नार 269-ब के अधीन सर्लम प्रधिकारी को यह विस्तास करने का कारण है कि स्थावर स्पानित, जिसका उपित नाजार मूख्य 25.000/-रु. से अधिक हैं तथा जो न मच कान्ट में स्थित है (श्रीर इसने उपद्ध श्रनुस्वा में श्रीर पूर्ण का से जिपन है (श्रीर इसने उपद्ध श्रनुस्वा में श्रीर पूर्ण का से जिपन है) रिजिन्द्रक्ता श्रीधिक र के कार्यालय न मच में रिजिन्द्र करण श्रिधिनयम 1908(1908 का 16) के श्रध न श्रील 1984

को पृथिक्स सपित के उपित बाजार मृत्य से कम के दृष्यभाष प्रतिफल के लिए अत्विरित की गई है और मृभे यह विद्यास करने का फारण है कि एथएपत्रोंकन थपा त का उपित बाजार मृत्य उसके क्यमान प्रतिफल मां, एमे दृष्यमान प्रतिफल का बन्दह प्रतिशत स काथक है बीर अन्तरक (अन्तरकों) बाँद अन्तरिती (अन्तरितियां) के बीच एसे अन्तरण के लिए तब राया गया प्रतिफल, रूप म किंचित उद्दश्य में उकत अन्तरण किंकित में साम्तिक, रूप म किंचित गढ़ी किंका गया है है—

- (क) अन्तरण से हुई किसी शाय की बायत, उक्त जी नियम के अधीन कर दन के अन्तरक को बायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूर्विधा के निष्, आरि/बा
- (वा) ऐसी किसी जाय या किसी भन या अन्य आस्तियों को जिन्हों भारतीय आयकर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उन्त अभिनियम, वा धव-कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) आ प्रयोजनार्थ अन्तरिती बुबारा प्रकट नहीं किया गया आ या किया जाना चाहिए था, ष्टिपाने में सूत्रिक्षा की निए।

श्रात: श्राव , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के बनसरण हो , हो . उक्त अभिनियम की भारा 269-च की उपभार (1) हो सभी सं, निकासिकत ज्यक्तियों, संधान → ¬ (1) श्र मित शहनवाज ाति स्व० श्र जमशेज निकर जा तिता . श्रः जमशदजा प्रिक्षा नःमव कान्ट० निवासा पारसा नःमकेट म०प्र०।

(भ्रन्तरक)

(2) 1, नारादेवो पति बदर लान, 2. श्रमता लेलादेवो पति श्रा गिरधार लाल गोयल नामल कान्ट०।

(प्रन्तरितो)

को यह मुखना जारी कारके पूर्वावत सम्पत्ति के अर्जन के लि**०** कार्यवाहिया करता हा।

उक्त सम्पत्ति के अर्थन के सबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस स्थान के श्यापण में प्रकासन की तारीच वें 45 दिन की अविधि या तत्सवधी व्यक्तियों पर स्वान की नामील स 3() दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त स्यक्तियों में स किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीर वें 45 दिन के भीतर उकत स्थावर मपन्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति बनारा अधाहम्ताक्षरों के पांच लिखा भे तिए जा सकरें।

स्पाक्षीकरण: -- इसमं प्रयुक्त एउटों आँग पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परि-भाषित है, वहीं अर्थ होंगा, जो उस सध्याक में दिया गया है।

प्रमुख् वी

प्लाट बंगना नं० 48 है जो तोमच कान्ट में स्थित है। यह वह स्थावर समाति है जिनाम विवारण फार्य नं० 37-जो में निहित है तथा भ्रान्तरिता द्वारा सत्याति किया गया है।

> बोरेन्द्र कुमार बरनवाल सक्षम प्राधिकारी सहायः आराप अयुक्त (निरीक्षण) ग्रजन रेज, भोपाल

तारीख: 5-12-1984

ガモマ

प्रकार. बाह्र. टी. एम. एस. ----

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का \$3) की **धारा 269-थ (1) के तथीन स्था**

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्रजन रेज, भोपाल

भोपाल, दिनाक 11 दिसम्बर 1984

निर्देश स० ग्राई० ए० सी०/ग्रर्जन/भोपाल/ \$457—ग्रत मुझे, वी० कु० बरनवाल

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित्र बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

जिसकी सं0 भूमि ख०न० 715 है तथा जो ग्राम खंजराना, इदौर में स्थित है (श्रीर इससे उपावद्ध अनुसूची में श्रीर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्द्रीकर्ता अधिकारों के कार्यालय इदौर में रजिस्ट्री-करण अधिनियम 1908 (1908 वा 16) के अधीन दिनाक अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अतिरत की गई है और मुक्के यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और (अन्तिरितया) के बीच एसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिवक में वास्तिवक क्प से किथत नहीं किया गया है:--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त सिंपिनसम के अधीन कर दोने के अस्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बच्चें में सुदिक्षा के लिए, आंर/या
- (ख) एस किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, पा धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया थ के किए;

- 1 (1) श्रो मनजीत सिंह पिता श्री बाबू सिह
 - (2) श्रा परमजीत सिंह पिता श्री बाबू सिंह
 - (3) श्रो एतवार सिंह पिता हरचन्द सिंह
 - (4) श्री प्रीतम सिंह पिता श्री पूरन सिंह निवास 135, अनूप नगर, इदौर द्वारा मु० आम श्रीराम पिता फतेंह चन्द गोयल, 2-ए,, कैलाश पार्क इदौर।

(ब्रन्तरक)

स्नेह नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित 114 ए, स्नेह नगर, इदौर।

(ग्रन्तिनी)

की यह सूचना चारी करके पूर्वीक्स सम्पत्ति से अर्थन से निष् कार्यवाहर्या शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के कर्जन के संबंध में कोई भी बाक्षेप :---

- (क) इस स्थान के राज्यत्र में प्रकाशन की तारीह से 45 दिन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्थान की तामील से 30 दिन की अविध, को भी अविध बाद में समाप्त होती हो, से भीतर प्वींक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख है 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितक्ष्म किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास निषित में किए जा सकी।

स्पब्दीकरण:--इसम प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो शक्त बिध-नियम को अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं वर्ष होगा, चो उस अध्याय में दिया गया है।

बन्स्चीः

भूमि ख० न० 715 ग्राम खजराना इदौर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण ग्रन्तरिती द्वारा सत्याफित फार्म नबर 37 जी में निहित है।

> वी० कु० बरनवाल स**सम प्राधिकारी** सहायुक आयकर आयुक्त (निरोक्षण) अर्जन रेंज, भोपाल

लत अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-म के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निमनलिखित व्यक्तियो, अर्थात् :—

दिनांक 11-12-1984

प्रकल नाहें . टी. एन . एस्. :----

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत ब्रकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

श्चर्जन रेंज, भोगल भोपाल दिनांक 5 दिसम्बर 1984

निदेश सं शाई ०ए०सो०/ग्रर्जन/भोनाल-5408---ग्रतः मुझे, बीरेंद्र भूमार बरनवाल,

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्वात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है). की भारा 260 सा को आधीन सक्षम प्राधिकारी को यह जिल्लास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25.000/- रत. से अधिक है

भीर जिक्को सं० भूमि खसरा सं० 361 है जो देवास सिनियर देवास में स्थित है (श्रीर इससे उपबद्ध अनुसूचा में और पूर्ण के रूप से विश्वत है) रिजस्ट्रकर्सा र्धाधकारा के कामिलय देवास में राजिस्ट्राकरण ग्राधिनियम 1908(1908 का 16) के आधान धर्मेल 1984

को प्रज्ञाक्त सम्पन्ति के लिखत बाजार मृत्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विख्यास करन का कारण है कि यथापृष्ठीक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मन्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एंसे दश्यमान प्रतिफल का बंबह प्रतिकात से अधिक है और अंतरक (अंतरकाँ) और अतरिती (क्रास्तरितियाँ) को बीच एमें अन्तरण को लिए तय पाया **गया** अतिफल, निम्नलिखित उद्देष्य से उक्त अन्तरण निषित में बास्ताबक रूप स कथित नहीं किया गया है :--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-नियम के अधीन कर दन के अन्तरक के दीमत्व में कमी करने या उससे बचने में स्विधा के लिए; बरि/या
- (च) एभी किमी आय या किमी धन या अन्य अस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

क्रतः क्रमः, उक्षत्र अभिनियमः, की धारा २६०-ग के जनसरण में, में. उक्त अधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के करी जिल्ली स्वाप्तियों, वर्शात् :---26-426 GI/84

- (1) 1. श्रीमती सुशःला बाई पति विजय-हुमार जैन, 2. थाः सुभाषभनद्र पुत्र हिरालाल जैन, 3. श्रमता मिनाक्षो जैन पति श्रा महेश क्मार जैन, रतलाम । (artra)
- (2) प्रम्नपूर्णा लेग्ड एन्ड फा० क० राजबला मार्ग, द्वारा प्रध्यक्ष,
 - 1. श्राहर सिंह,
 - 2. विद्याशंकर,
 - 3. राकेश 4. श्रीमती पुर्गाबाई
 - 5. श्र.मता पदमा बाई
 - 6. श्रामता मुज् बाई देवास म०प्र०

(श्रन्तरिती)

को यह स्चना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हु।

उक्त संपरित के अर्जन के संबंध में को इ भी बाक्षेप :----

- (क) इस स्चना के राज्यत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अर्थाध या तत्मबधी व्यक्तियाँ पर स्चना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अविधि अन्दर्भे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सचाना के राजपण में प्रकाशन की तारीन से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवदभ किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए का सकरें।

स्पद्धीकरण:---इममें प्रयक्त शब्दी जॉर क्वों का, जो अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ द्वागा जो उस मुख्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भृमि खसरा सं० नं० 361 है जो देवास सिनियर देवास में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिपका विवरण फार्म न० 37-ज में निहित है, तथा अन्तरित द्वारा सल्या-पित किया गया है।

> वोरेंद्र कुमार बरनवाल सक्षम प्राधिकारो सहायक आयकर आयका (निरक्षण) मर्जन रेंज, भोगाल

तारीख: 5-12-1984

दक्त नार् . दो . १९ . १९

बायकर निधीनयम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-न (1) के न्योन क्यान

भारत बरकार

कार्यांसन, महायक भायकर जानूकन (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल भोपाल, दिनांक 5 दिलम्बर 1984

निर्देश सं० आई०ए०स ०/अर्जन/भोपाल-5409-अतः मुझे, विरेंद्र कुमार बण्नवाल,

कायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चर्त 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-क के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. सं अधिक है

भीर जितको संव नंव 361 है, तथा जो देवास सिनियर, देवास में स्थित हैं (श्रीर इससे उपावक अनुसूच में श्रीर पूर्ण इप से विणत है) रजिस्ट्र कर्ता अधिकार के कार्यालय, देवास में रजिस्ट्र करण अधिनियम 1908(1908 का 16) के अध न, अप्रैल 1984

को पर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मृल्य से कम के इत्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मृभे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृल्य, असके इत्यमान प्रतिफल से, एसे इत्यमान प्रतिफल का बंदह प्रतिक्षत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एमें अंतरण के लिए तय पामा गया प्रति-कल निम्निजित उद्देष्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तिबक क्ष्म बंकि वही किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत उक्त अधि-अश्र के बचीन कर दीने के बन्तरक की दायित्व में कमी करने वा उबचे अधने में बुनिधा के किए; जरि/वा
- (वा) एोसी किसी साय या किसी धन या अन्य अस्तियों को, जिल्हा भारतीय अग्यकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27, के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दशारा प्रकट नहीं किया गया धा या किया जाना चाहिए था, क्रियाने में स्वीवधा के लिए;

क्रमः चवः जरून की पीनयम की पान 260-न के अनुनर्भ मो, मी, जक्त अधिनियम की धान 260--च की उपधारा (1) को नधीन, निम्नीलिखित व्यक्तियाँ, अर्थात् :--- (1) 1. मुझाला बाई पति
श्रावजय कुमार जैन,
तोपखाना रतलाम।
2. मुभाषचन्द्र पिता
श्राहारालालजा जैन,
रतलाम।
3. श्रामता मीनाक्षे बाई पति
श्रामहेश कुमार जैन,
रतलाम।

(अन्तरक)

- (2) अन्नपूर्णा लेन्ड एन्ड फायनेंस कम्पनी, रज्जबअल मार्ग, द्वारा अध्यक्ष।
 - 1 श्राहरसिंग,
 - 2. विद्यायाशंकर,
 - 3. राकेश,
 - , 4. श्रामत दुर्गाबाई
 - 5. श्र मतः पदमा
 - 6. मंजू बाई, देवास म०प्र०।

(अन्तरितः)

भी वह नचना वारी करके पृक्षींबत सञ्चलित की बचन के लिख कार्यवाहियां शुरु करता हूं।

इक्त नज्यारत के नजेन के नज्यान्य हो कीड़ों भी जासीब उन्न

- (क) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तागील से 45 दिन की अविध या नत्मम्बन्धी व्यक्तिया पर मचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बात में नमाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स स्वावनां में के किसी स्पक्ति द्वारा:
- (क) इस स्थाना के राजपण में प्रकाशन की तारीक के 45 दिए के भीतर राजन स्थानर संपत्ति में हिल के बद्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास निवित में किए या सकती।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयंकत शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं वर्ष होगा जो उस अध्याय में दिवा स्या हैं।

सतमची

भूमि खसरा सं० नं० 361 हैं जो देवाम सिनियर देवान में स्थित है। यह वह स्थावर सम्मत्ति है जिनका िरण फार्म नं० 37-ज में निह्त है तथा अरारिता द्वारा सत्यापित किया गया है।

> र्व रेंद्र कुमार बरनवाल सक्षम प्राधितारो सहायक अध्यकर आयुक्त (निर क्षण) अर्जन रेंज, भोपाल

तार जि: 5-12-1984

प्ररूप बाई. टी. एन. एस.-----

सायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) क सधीन सूचना

भारत सरकार

कार्याक्षयः सहायक नायकर नायक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनोक् 7 दितम्बर 1984 । सं० आर्ड०ए०स∶०/अर्जन/भोपाल–54

निवेंग सं० आई० ए० सः०/अर्जन/भोपाल-5410-सतः, मुझे, व रेन्द्र कुमार बरनवाल,

बायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसक पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूख्य 25,000/- एपय सं अधिक है

भौर जिनक संख्या प्लाट नंबर 192 है, तथा जो सं: सेक्टर, इन्द्रपुर, भोपाल में स्थित है (भीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में भार पूर्ण रूप से विणत है) रिजस्ट्री हर्ता अधिकारा के कार्यालय, भोपाल में रिजस्ट्री हरण आधिनयम, 1908 (1908 का 16) के अध न, अप्रैल 1984,

का पृथाकत सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य स कम के इच्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मृक्षे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वाक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके इच्यमान प्रतिफल का पन्यह प्रतिश्वत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसं अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देष्य से उक्त अन्तरण निम्ति कारावक रूप से काथत नहां किया गया है:——

- (क) जन्तरण से हुई किसी जाय की वायत उक्त विध-वाधानयम क जधान कर दन क अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे वचने में सुविधा कालए, आर/या
- (स) ऐसी किसी जाय या भन मा ज्ञाय जास्तियों की, जिन्हों भारतीय जायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना साहिए था, छिपाने में सुविभा के लिए;

शतः अव, उक्त अधिनियम, की भारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम को भाग 269-घ को उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् ः— (1) श्रःमिति सर्धदा खातून पत्नः मोह० विसः र नवासः —शाद्यानाबाद, भोपाल ।

(अस्तरक)

(2) धः मोहम्मद सलं.म पिता माहम्मद इस्माइल, इन फं ऑफ सेन्ट्रल लाईबेरी, इतवारा, रोड, भोपाल, म०प्र०।

(अन्तरितः)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोंक्त सम्मत्ति के वर्षन के लियू कायवाहिया करता हूं।

जनत सम्पन्ति के वर्जन के संबंध में कोई भी वाओप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीश सं 45 विन का अविधिया तत्सम्बन्धी स्पाक्तयो पर सूचना का तामील सं 30 विन का अविधि, जा भी अविधि बाद में समाप्त हाती हा, के भीतर पूर्वाक्त स्पाक्तयों में साकिसी स्पेक्त बुवारा;
- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मा हितबद्ध किसी अन्य स्थावत द्वारा अधाहस्ताक्षरा के पास सिक्ति में किए जा सकने।

स्पब्दीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शन्दों और पदों का, , वा उक्त आधिनियम के अध्याय 20-के में परिभाषित हैं, वहां अध हाया, वा उस अध्याय में दिया गया हैं।

बन्त्ची

प्लाट नं 192 सी-सेक्टर है जो इतवारा, भोपाल में स्थित है। यह बहु स्थायर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्म न 3/-ज में निहित है, तथा अन्तरित द्वारा सत्यापित किया गया है।

> व रेंद्र कुमार घरनवाल ,सक्षम प्राधिकारा सङ्घायक आयकर जायुक्त (निर क्षण) अर्जन रेंज, भोपाल

तार ख: 7-12-1984

मोदुरः

प्रकृप बाइं टी एन एस.

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के सभीन स्थना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 1984

निदेश स० अ:ई७०स:०/अर्जन/भोपाल--5411--अतः, मुर्झे, विरेंद्र कुमार बरनवाल

बायकार मिधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके प्रवाद 'उक्त मिधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स क अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह निश्वास करने का कारण है कि स्थायर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूस्य 25.000/- रह में अध्यक है

मीर जिपकी संख्या प्लाट नं० 17 (डी-सेक्टर) है, सथा जो कोह फा, भोपाल में स्थित हैं (ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से विणित हैं) रिजस्ट्री हर्ता अधिकारों के कार्यालय, भोपाल में रिजस्ट्र करण अधिनियम 1908(1908 का 16) के अध न अप्रैल 1984

कां पृथिकत सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य स कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूभ यह विश्वास करने का कारण है कि यथाप्यों क्त सपत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रशिक्षत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और जितरिती (अतरितियों) के बीच के एसे अन्तरण के लिए तब पाया गया प्रतिफल, निम्नीलिंखत उद्देश्य से उक्त अन्तरण कि खिता से वास्तियक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई कि भी आय की बाबत, उचत अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक औं दायित्व में कमी करने या उससे अवने में सुविधा के लिए; और/या
- (भ) शभी किसी बाय या किसी धन या बन्य ब्राप्टिनयों की, जिन्हें भारतीय बायकर अधिनियम, 1922 (1922 की 11) या उक्त ब्राधानयम, या धन-कर ब्राधिनयम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ बन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपान में सुविधा के लिए।

ज्ञतः अज्ञ, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की, जनसरण जो, भी उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) को रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् ३—— (1) श्रो महेन कुमार पुत्र श्रः परचारामित्रधः, सिधा कालोनः, भोपाल, म०प्र०।

(अन्तरक)

(2) श्रमित आंनद प्यारी पति
श्राचि लेके टंडन,
निवासो——िबिल लईन,
ब्लाफ नं ारावा।
अभः का पता प्लाट नं 17,
इं-सेक्टर,
को हंफ ना,
भोपाल, म० प्रा

(अन्तरिती)

का यह सचना जारी करके पूर्वोक्त संपरित के अर्जन के सिष् कार्यवाहियां शुरू करता हु।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:---

- (क) इस स्थाना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सवधी व्यक्तियाँ पर स्थान की तामील से 30 दिन की अविधि, को भी अविधि बाद में समाध्त हाती हां, के भीवर प्रवाक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ब्वारा;
- (का) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारील से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिसबर्भ किसा अन्य व्याक्त द्वारा अधाहस्तास्तरों क पास लिखित में किए जा सकरो।

स्पक्तीकरण:--इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का, को उंक्स अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ हागा जो उस अध्याय में दिया गया है।

ं अनुसूची

प्लाट नं० डी-सेक्टर है जो कोह फिना भोपाल में स्थित है यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्म न० 37-जा में निहित है, तथा अन्तरिती द्वारा सस्यापित किया है।

> र्वारेंब्र कुमार बरनघास सक्षम प्राधिकारी सड़ायक आयकर आयुक्त (निरक्षण) अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख: 7-12-1984

प्रकृत नाई.. दी.. एत.. एत..-----

नावकर निर्मानयम, 1961 (1961 का 43) की पाड़ा 269-म (1) के नभीत सुमता

नारत सरकार

कार्यास्त्र, सहायक भायकर काम्क (निर्देशक)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोगल, दिनांक 7 दिपम्बर 1984 निर्देश सं०आई०ए०सा०/अर्जन/भोपाल-5412--यतः, मुर्झे, विरेंद्र कुमार वरनवाल.

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परकात 'उन्त निधिनियम' कहा गया है), की धारी 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह दिख्याम करने का अपरक है कि स्थावर हम्पत्ति, जिसका उचित नाजार मूल्य 25.000/- रा. सं निधक है

भीर जिनको संख्या प्लाट न० 43 है, तथा जो कोहिषिजा, भोषाल में स्थित है (और इपसे उपात्रत अनुमूत्र में और पूर्ण रूप से विगा है), रिजिन्द्र हर्ता अधिहार के कार्यालय, भोगाल में रिजिन्द्रा करण अधिनियम, 1908, (1908 का 16) के अधान, अभैल 1984

को पृबंदित सम्मित के उचित बाजार मृत्य से कम के दृश्यमान प्रतिफास के निए अन्तरित की गई हैं और मुक्ते यह विद्यास कारने का कारण है कि यथापृजेंक्त सम्मित का उजित बाजार अस्य, उसके दृश्यमान प्रतिफाल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफाल का बंद्ध प्रतिकत से अधिक हैं और अंतरक (अंतरकाँ) और अंतरिती (अतरितियाँ) के बीच एसे अंतरण के लिए नय पाया नया प्रतिफाल, निम्मिलिकत उद्देष्य से उक्त अन्तरण निचित में भारतिक क्य सं कर्मित नहीं किया गया हैं .---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबस, उक्त बाधानयम क बधान कर दन के बन्तरक की दायित्व में कमी करने या उन्नसं यचन मा सुन्धा के सिए; बीट्/या
- (ख) ऐसी किसी नाय या किसी भन या अन्य अस्तियाँ का जिन्ह भारताय अध्य-कर आभानयम. 1922 (1922 का 11) या उक्त आभानयम. या धन-कर आधानयम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहा किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपान से सुविधा के लिए;

(1) श्रामित रोता
पति श्रा राजाव घाई, छिदवाड़ा
द्वारा आ० आम श्रामता मंज्
पति श्रा प्रद प राव,
निवास:—ई-2/158,
अरेरा कालाना,
भोपाल, म०प्र०।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती ईप्रवरी पत्न रत्नलाल जी, निवास —गंगा निवास, वेरागढ़।

(अन्तरिती)

भी वह गुणना कारी करने पूर्वोक्त संपत्ति से अर्थन् से दिवस कार्यकाहियां करता हो।

इक्त सम्परित के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेत्र :----

- (क) इस स्थान के राजपान में प्रकाशन की तारीं हैं
 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी स्थालन्त रह
 सचना की नामील से 30 दिन की जविधि, को भी
 अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोंक्त
 स्थान्तमा मा से किसी स्थान्त दुवारा;
- (थ) इस स्वान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीय वे 45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्मत्ति में हितवबृष किसी क्या श्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास तिवित में किए का स्कोंने।

स्पाद्धकिरणः — इसमें प्रमुक्त शब्दों करि पर्वों का, श्री उक्त विभिनियम के नश्माय 20-क ने परिशादिक ही, नहीं नर्थहोगा वो उस सभ्यात ने दिवा स्वाही।

ग्रन्यूची

प्लाट नं० 43 है जो कोहिफिना, भोपाल में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिनका विवरण फार्म नं० 37-जो में निहित है, तथा आन्तरितः द्वारा सयापित किया गया है।

ने रेंद्र कुमार बरनवाल सक्षम प्राधिकारो सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षण) अर्जन रेंज, मोपाल

अतः अव, उक्त अधिनियम की धारा 260-ए की अपन्यक् जी. मी उक्त अधिनियण की धारा 260-च का उपधारा (1) की अधीर, निम्नसिखित व्यक्तियों, अधीत :---

सारीख: 7-12-1984

अरूप बार्ड <u>,</u> टी , एन <u>, एक ,</u> ----

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-थ (1) के अधीन स्वना

मारत नरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

भोगाल, विनांक 7 विसम्बर 1984

निर्देश सं० धाई०ए०सी०/धर्जन/भोनःस-5413---धतः मुझे, वारेंद्र कुमार बरनवाल,

नामकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसनें इसके परचात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 269-ल के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूस्य 25 000'- रु. स अधिक है

भौर जिन्नकी संख्या प्लाट नं० 26 है, तथा जो इदगाइ हिल्स में स्थित हैं (भौर इससे उपाबद भनुसूची में भौर पूर्ण के रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रांकर्त्ता भिकारा के कार्यालय, भोगल में रजिस्ट्रांकरण भ्रधानयम 1908 (1908 का 16) के भ्रशंन, भ्रशैल 1984।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रांतफल के लिए अन्तरित का गई है और मुक्त यह विववसि करन का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपीस्त का उपचन बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एस दृश्यमान प्रतिफल का पन्नह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरित (अन्तरित मा) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नानिकित उद्दृष्य से उच्च अन्तरण लिखित में वास्त्विक रूप स किया नहीं किया गया है किया

- (क) अन्तरण से हुई किसी बाव की बावस, अवस जीभानयन के बभीन कर दोने की बन्दारक वी दायित्व में कमी करने या उसस वचने में भूषिया के लिए; और या/
- (७) ऐसी किसी आय या किसी भन या मन्य अस्तियाँ को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त आधानयम, या भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजनाथ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना थाहिए था, छिपाने में सुविधा के तिप्रः

जतः अस, उक्त अधिनियम कौ भारा 269-ग कै जनसरक कौ, मी, उक्त अधिनियम की भारा 269-म की उपभारा (1) चुं अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, सभीत ≟— (1) भीमति सरवार हरदेव सिंग पुत्र श्री सरवार गुरूमुख सिंग भाजानायाव, भोपात ।

(भन्तरक)

(2) श्रीमती जगजीत कौर पत्नी भो धार०एस० थग्गा 56, भान्ति नगर काकोजी, भोरास ।

(मन्दरिती)

को वह सुकता कारी करके पूर्वोक्त संपरित के सर्वत के शिष् कार्यकाहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्मन्ति के अपन के संबंध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तिया पर स्थान की तामील से 30 दिन की अवधि, जा भी अवधि बाद में समाप्त हाती हा, के भीतर प्रविक्त स्थानता में स किसी व्यक्ति द्वारा;
- (व) इस सूचना के टजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावार सपोत्त में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति व्वारा अधाहस्ताक्षरों के पांच लिखित में किए जा सकत्त्र।

रचक्कीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवाँका, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क मा परिभाषित है, वहीं अर्थ हागा जा उस् स्ध्याय मा लिया गया है।

वन्त्र्य

क्ताट नं 26 है जो ईवगाह दिनस भोगाल में स्थित है। यह बह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्न नं 87-जा में निद्धित है तथा फान्तरिता द्वारा सरागित किया गया हु।

> बीरेंद्र कुमार बरनवाल सक्षम प्राधिकारो सहायक ग्रायकर प्रायुक्त (निराजन) गर्जन रेंज, भोपास

कारीच : 7-12-1984

बोह्रर :

प्रकार कार्ड . की . एवं . एक . ------

नायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के नभीन सूचना

शास्त्र वरमा

कार्यालय, सहायक बायकर बाय्कर (निर्दोक्सण) भर्जन रेंज, भोराल भोराल, दिनांक 7 दिसम्बर 1984 निर्देश सं० प्राई०ए०सी०/अर्जन/भोपाल-5414--प्रातः मुझे, बीरेंद्र कुमार बरनवाल,

भायकर अधिनयम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसक पण्यात् उक्त आधिनयम कहा गया है), की धारा 269-स के अर्री सक्षम प्राधिकारी की, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्मति, जिसका उचित बाजार मूख्य 25.000/-र, से अधिक है

मौर जिसकी संख्या प्लाट नं० 54 (लाला राजपत्नी को०मो० हाऊस सोसाइटी है, तथा जो घरेरा कोलोनी घोपाल में स्थित हैं (भौर इससे उपबाद्ध धनुसूची में घौर पूर्ण रूप से विणत है) राजस्ट्रीकर्त्ता घिषकारी के कार्यालय, भोपाल में राजस्ट्रीकरण घिषानयम 1908(1908 का 16) के घषीन ध्रील 1984

को पूर्वोक्त संपरित के उचित बाजार मृस्य से कम के स्वयमान प्रांतिकल के लिए बन्तारित की गई है और मृझां यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृस्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिश्वत से अधिक है और बंतरक (बंतरका) जीर बंतरिती (बर्तार्रातया) के बीच एसे बतरक के लिए तय पाया गया प्रतिफल कम, निम्नलिखित उद्देष्य से उक्त बन्तरक लिखित के बास्तर विश्वक रूप से कांग्य है ——

- (क) नन्तरण से हुइ किसी शाव की बाबता, उक्त वीधीमवन-के बधीन कर दोने के बन्तरण क् बाजिन्य में कती करने ना उक्क क्यून के बुद्धिका के दिए; क्षेड्र/वा
- (व) ऐसी किसी बाय या किसी धन या बन्त बास्तियों को, चिन्हों बारतीय बाव-रूर बीधीनयज्ञ, 1922 (1922 को 11) या उक्त बीधीनयज्ञ, वा धव-कर अधिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनार्थ जन्तरिती बुवारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, कियाने में बृतिया के बिका के बिका

न्ताः सत्र, उत्तत व्याधिनियम की धारा २६७-व की वास्तरण मी. मी. उत्तन व्यधिनियम की धारा २६०-व की वनधारा (1) ही मुधीन, निम्नलिविद व्यक्तियों, अवीद् :--- (1) श्रीमित ईम्बरी पति रतन लाज सित्री, निवासी-जस स्टेंड, वैरागढ़।

(भन्तरक)

(2) श्री राज कुमार राम सिघानी पुत श्री गोताल वास, निवासी-इ-1/165, श्ररेरा कालोनी, भोपाल (

(भन्तिरिती)

को यह भूमना भारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्षन् के तिए कार्यवाहियां करता हूं।

इक्ट सम्मत्ति से अर्थन के तम्बन्ध में सोई' मी बाक्षेप g--

- (क) इत स्वना के रावपन में प्रकाशन की तारीव है 45 दिन की अविध या तत्सवधी व्यक्तियों पर स्वना की तामील से 30 दिन की अविध, जांभी अविध बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारील ले 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी जन्म व्यक्ति दनारा अधोहस्ताक्षरी के पाक्ष निविद्य में किए जा सकेंगे।

स्वकारिक प्रमुद्ध-- इसमें अवक्त स्वक्षों और वर्षों का, सो स्वक्त स्वीधीनयम के सध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं सर्थ होता को उस सध्याय में दिया गया है।

वर्त्त्वी

प्लाट नं० 54 ल'ला राजपत्नी को०ग्रो० हाऊसिंग सोसा-हैंडी हैं जो भरेरा को तेती भोगल में स्थित है। यह वह स्थातर सम्पत्ति है, जितका वित्ररण फार्म नं० 37-जा में निहित है, तथा मास्तरितो द्वारा सत्यापित किया गया है।

> र्वत्रेंद्र कुमार बरनवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर अयुक्त(निरंक्षण) ग्रजन रेंज, भोपाल

तारीच : १-12-1984

मोहूर ह

प्रभ्य बाह्य टी. एव. एव. -----

ब्रायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भाडा 269-न (1) के अभीन बुचना

बारव करकाइ

क्रायाँसय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण

म्राजन रेंज, भोन.ल भोगाल, दिनाक 7 दिसम्बर 1984

निरेश सं० भ्राई०ए०सी०/अर्जन/भोराल-5415--म्रत: मुझ, बीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

कायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-क के अभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित् बाजार मृल्य 25,000/- रा. से अधिक है

भीर जिसकी संख्या प्लाट नंबर 7-एच है, तथा जो पंजाबी कांग, रायसेंन रोड़, भोगल में स्थित हैं (ग्रीर इसने उप बद पनुसूत्रों में ग्रीर पूर्ण के रूप से वांगत हैं) रिजस्ट्री हर्ला पांधकारी के कार्यालय, भोगल में रिजस्ट्री करण ग्रिधिनियम 1908(1908 का 16) के ग्राधान, ग्राप्रैल 1984

को व्यक्ति सम्पत्ति को उचित वाकार स्नय से कम के स्वयंत्राव शितफल को लिए अंतरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वों कत संपत्ति का उचित बाजार सूल्य उसके स्वयंत्रान प्रतिफल से, एसे स्वयंत्रान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिकात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच एसे अन्तरक के लिए त्य पाया गया प्रतिफल, निम्नलिसित उद्देशय से उक्त अन्तरण लिखित को वास्तिक स्था से कथित नहीं किया गया है :——

- (क) अन्तरण वे हाडी किनी आय की वाबत उक्क अधिनियम के अधीन कर दोने के बन्तरक के शियाल में कमी करन या उचने बचने में सुविधा के जिए; सीर/या
- (क) होती किसी आय या किसी धन वा अन्य जास्तियों की, जिन्हों भारतीय जायकर अधिनियंस, 1922 (1922 का 11) या उकत अधिनियंस, या धन- अर अधिनियंस, या धन- अर अधिनियंस, 1957 (1957 का 27) के अधिकाल जिल्ला किया जाति ह्यारा प्रकट नहीं किया जवा धा वा किया बाना जाहिए था, कियान से बृदिभा अधिका;

च्या प्रवास अभिनियम की धारा 260-न की प्रवास की धारा 260-न की प्रवास की धारा 269-न की उपधारा (1) की ब्रधीन, निम्नलिधित व्यक्तियों अथांत् ः—

(1) 1 श्री गुरमुख सिंह पिता श्री गोतल तिह 2 गोतल सिंह पिता लडडा सिंह, निवत्सी—जवाहर चौक, टी०टी० नगर, भोतल।

(प्रस्तरम)

(2) श्रीमती जगजीय कौर पत्नी परमजीत कौर, निरक्षी—15 सो, करमगंज, इटाबा (यू०पी०)।

(मन्तरिता)

को यह मचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पर्क्ति के अर्थन के विश्व कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

चनत सम्परित के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी जाक्षेप :---

- (क) इस मुचना के राजपण के प्रकाशन की तारीच से 45 विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त हाती हो के भीतर पूर्योक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र मों प्रकाशन की तारीक के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मो हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिक्ति में किए का सकी ।

स्वाक्षित्यः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदौं का, थो उपतः अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, बही अर्थ होंगा थो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नंबर 7-एचं, पंजाबी बाग, रायसेन रोड़, भोपाल में स्थित ह । यह वह स्थावर सम्पत्ति हैं जिसका विवरण श्रन्तिरता द्वारा सस्पति फार्म नंम्बर 37 में निहित हैं ।

वी०के० बरनवास सत्ता प्राधिकारो सहायक भायकर श्रायुक्त (निर्दक्षण) स्रर्जन रेंज, भोपास

त.रीख: 7-12-1984

प्ररूप बाई.टी.एन.एस. -----

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

अ।यां लय, सहायक जायकर जायुक्त (निरीक्षण) श्चर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल दिनांक 7 दिसम्बर 1984

निदेश सं० ग्राई०ए०सी०/ग्रर्जन/भोपाल-5416--ग्रत: मुझे, वीरेंद्र कुमार बरनवाल

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इस्में इसके परचात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिस्का उचिन बाजार मृन्य 25,000/-रा. से अधिक है

ग्रीर जिसकी सं० प्लाट नंबर 14 है, तथा जो पंजाबी बाग, रायसेन रोड़, भोपाल में स्थित हैं (ग्रीर इससे उपाबढ़ ग्रनु-सूची में ग्रौर पूर्ण रूप से विणित है) रिजस्ट्रीकर्ता ग्रिधकारी के कार्यालय, भोगल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, भ्रप्नैल 1984

को प्वें कित समारित के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिकल के लिए अन्तरित की गईं हैं और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्विकत सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से थिथक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अम्बरितियों) के भीक पुत्र अन्तरण के लिए तय पाया गया . प्रतिफन, विस्केत्राव्यत उद्ध्य में जनत धम्बर्ग निबित में वाम्तर विक स्थाम दिवस कहा दिया गामी है।

- (स) ग्रन्तरण में हुँ लिये भाग की बाबत उक्त प्रधि-निवम के प्रतीत कर दन के प्रन्तरक के वायित में कमा करन या अमसे बचा में सुविधा के लिए। और/या
- (क) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हां भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की भाग 269-ग के अनुसरण में, में, जक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) क प्रणीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

(1) श्री सरदार लाभ सिंह पिता बलवंत सिंह, निवासो--घोडा नक्कास, भोपाल ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती मनमीत सिंह पत्नी राजेन्द्र सिंह 2 श्रीमती नवनीत कौर पत्नी सरदार गुरमीत सिंह, निवासी--पंजाबी बाग, 🔻 भोपाल।

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वांक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हो।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप:--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो. के भीतर पूर्वावत न्यक्तियों में से किसी न्यक्ति दवारा;
- (स) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिवित में किये जा सकोंगे।

स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में गिरभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

जन्स्ची

प्लाट नंबर 14, पंजाबी बाग, रायसेन रोड़, भोपाल में स्थित हैं। यह वह स्थावर सम्पत्ति हैं जिसका विवरण श्रन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नंबर 37 जी में निहित है।

> वी० के० बरनवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज. भोपाल

तारीख: 7-12-1984

बक्स् बार्ड, टी. एन. एव.

नायकर निर्धानयम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के मधीन सुवृता

भारत परकार

कार्यासय, सहायक शायकर नायुक्त (निर्देशिक) श्रर्जन रेंज, भोषाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 1984

निदेश सं० थ्रार० ए० सी० नं०/अर्जन रेज/भोपाल/ 5417---अत: मुझे वी० के० बरनवाल

बासकर अधिनियम, 1961 (1961का 43) (जिसे इसमें इसके पहजात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर संपरित, जिसका उचित बाजार मृस्य 25,000/- रु. से अधिक हैं

मौर जिसकी सं० प्लाट एवमं कच्चा मकान है, तथा जो देवेन्द्र नगर, स्कीम नवंर 32 (सेक्टर-1) में स्थित हैं (भौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से विजित है) रिजस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, रायपुर में र्राजस्ट्री-करण अधिनियम 1908(1908 का 16) के अधीन, अर्जल 1984।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मून्य से कम के दृश्यमान श्रीतफाल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विद्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार बूस्य, उसके वस्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पत्त्रह प्रतिचात से सिधक है और अंतरक (अंतरकों) और बन्तरिती (अन्तरितयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तम दृश्य च्या प्रतिकास, विस्वविधित उद्देवस्य से उन्त जन्तरण सिधिक में वास्तविक क्य से क्षित नहीं किया गया है है—

- क्विं) बन्तद्रल से हुई किती आय की वाबत उक्त विधिनवन के वधीन कर दोने के अन्तरक की दावित्य में कमी करणे या उसमें वचने में सुविधा के लिए; और/या
- (क) ऐसी किसी बाय या किसी भन या अन्य बाहितयों को जिन्हों भारतीय भाय-कर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम, या भम-कर अभिनियम, या भम-कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) की प्रयोजनार्थ बन्तरिती बुबारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, कियाने में सुविधा के लिए;

वतः वय, उपत अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण कों, कीं, उपत अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) को अधीन, निम्नतिसित स्पनितयों, अधीत :--- (1) श्रीमिति विमलादेवी पत्नी श्री एस० सी० माहेण्वरी, तहसील रायपुर, रायपुर।

(ग्रन्तरक)

(2) श्री बालराम चावला पिता श्री नरसिंह चावला, तहसील रामली, एवम् जिला रायपुर।

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति की वर्जन को संबंध की कोई भी काक्षेप :--

- ्क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियाँ पर स्वना की तामील से 30 दिन की क्यिपि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्रविक्त स्वित्यों में से किसी व्यक्ति द्वार।;
- (ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन के भीतर उच्यत स्थावर तंपित में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति व्यारा अधोहन्ताक्षणी के पाड़ सिकिय में किए था सकैंगे।

स्वकारिक प्रणः -- इसमें प्रयुक्त कान्यों और पदों का , जो उनका जिल्लाम के अध्याय 20-के में परिभावित हैं, वहीं अर्थ होगा, को उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट एवं कण्चा मकान, देशेन्द्र नगर, स्कीम नंबर 32 (सेक्टर-1), रायपुर में स्थित हैं यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नंबर 37- जी में निद्धित है।

वीरेन्द्र कुमार बरनवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुका (निरीक्षण) मजीन रेन्ज, भोपाल

तारीख : 7−12−1984

भूरूप बाइ.टी.एन.एस.,-----

भःषकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-भ (1) के नभीन सुचना

भारत सरकाड

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज भोपाल

भोपाल, दिनांक ७ दिसम्बर, 1984

सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5418:—-अतः मुझे वीरेन्द्र कुमार वरनवाल,

नायकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी की यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्मिल्स, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- ा.स. संअधिक है

ह्मीर जिसकी संख्या प्लाट एवम झोंपड़ी है तथा जो देवेन्द्र नगर, एकीम नम्बर 32 (संकटर 1) रायपुर 3 स्थित है (म्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में म्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय रायपुर में रजिस्ट्री-करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अप्रैल, 1984

को पूर्वे अस संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास अहने की कारण है कि यथापूर्वोंकत सम्मत्ति का उचित बाजार अहम, उसके दश्यमान प्रतिफल हे होसे दश्यमान प्रतिफल के प्रस्त श्रिकाल में प्रस्त है अरि अंतरिका अंतरिती (अंतिरितियों) के भीच प्रेसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-क्षण, निम्निस्थित उद्देश्य से उक्त अंत्रण निश्चित में बास्तिवक स्था से अभित नहीं किया गया है किया से अभित नहीं किया से अभित निर्माण से अभित नहीं किया स्था है किया से अभित नहीं से अभित नहीं किया स्था है किया से अभित नहीं से अभित नहीं सिका स्था है किया से अभित निर्माण से अभित से अभित निर्माण से अभित निर्माण से अभित से अभित से अभित निर्माण से अभित स

- (क) बन्ध्रम संबुध् किसी बाब की शबस्त, उथस् वृधिनियम के वृधीन कर दोने के अन्तरक के सामित्व में कभी करने या उब्हों स्वृते में सूबिधा के को सिए; बांद्र/या
- (क) एंती किसी जाय या किसी धन या जन्य जास्तियाँ कती, जिन्हों भारतीय जायकर निधिनयम 1922 (1922 का 11) या उक्त निधिनयम, या धन-कर अधिनयम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोचनार्थ जन्दरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गवा वा वा किया जाना वाहिए वा, जिन्ना में स्विधा के लिए;

बतः बव, उक्त बीधनियम की भारा 269-ग के बन्तरक मं, मं, उक्त अधिनियम की भारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियां, अर्थात् ः— दिनेश राठौर पिता बंसल जी राठौर निवासो—फाफाडोह, रायपुर।

(अन्तरक)

 श्री चन्द्र प्रकाश जैन पिता छोटेलाल जैन निवासी बालदा बाजार तहसील रायपुर।

(अन्त रिती)

को यह सूचना चारी करके पूर्वोक्छ संपरित के अर्थन के किल कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

जनत संपृत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाक्रोप :---

- (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 विन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तिकों पूर स्थान की तामील से 30 विन की अविधि, जो जी अविधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर प्रविचा व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ब) इस सूचना के राजपण में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन के भीतर उत्थत स्थावर सम्परित में हिंद- ब्रव्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्थाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकी।

स्पष्टिकरणः ---- इसमे प्रयुक्त सन्दों और पर्यों का, को हच्छ अधिनिवम के सभ्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उत्त स्थाय में विका गया है।

नगृत्त्री

प्लाट एवम उस पर बनी झोंपड़ी देवेन्द्र नगर, स्कीम नं॰ 32, सेक्टर 1, रायपुर में स्थित हैं यह बह स्थावर सम्पत्ति हैं जिसका विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नम्बर 37 जो में निहित हैं।

> वीरेन्द्र कुमार बरनवाल, सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, मोपाल

तारीख: 7-12-1984

माहर 🖫

प्ररूप आई.टी.एन.एस. -----

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-थ (1) के अभीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण)

अर्जन क्षेत्र भोपाल

भोगाल, दिनांक 7 दिसम्बर, 1984

स॰ आई॰ ए॰ सो॰/अर्जन/भोपाल/5419:—अतः मुझे बीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जितको संख्या भूमि ख० नं० 480 है, तथा जो तेलोबन्धा (पो० एच० नं० 113) रायपुर में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूण रूप से विणित है), रिजस्ट्रोकर्ता अधिकारों के कार्यालय, रायपुर में रिजस्ट्रोकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधोन, अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरिती (अन्तरितिया) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निखित में वास्तविक रूप से कथित महीं किया ग्या है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अंतरक के वायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (च) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्यारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सृविधा के लिए;

कतः अब, उक्त आधानयम की धारा 269-च के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) की अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--- श्रो झाड़ बल्द सुमेरी, हालू पिता सुमेरी, शिव प्रसाद झाड़ू निवासी—तेलीयन्था, रायपुर।

(अन्तरक)

2. श्री न्यूतिला निर्माण सहकारी समिति लि॰ रायपुर।

(अन्तरितो)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की उविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त ध्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य विकत द्वारा अधोहस्त्याक्षरी के पास सिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, को अध्याय 20 का में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूचो

भूमि खाव नंव 480, तेलीबन्धा (पीव एचव नंव 113) रायपुर में स्थित है यह वह स्थावर समात्ति है जिसका विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नम्बर 37 जा में निहित हैं।

> वी० के० बरनवाल, सक्षम प्राधिकारी सहायक आयक्षर आयुक्त (निराक्षण) अर्जन रेंज, भोवाल

तारीख: 7-12-1984

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-भ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर भायकत (निरक्षिण) अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आर्ड० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/ 5420—अतः मुझे, बी०के० धरनवाल,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

भौर जिसकी संख्या भूमि ख० नं० 10 है, तथा जो गौंदवारा (इण्डस्ट्रियल एरिया) रायपुर में स्थित है (भौर इससे उपा-बद्ध अनुसूचों में भौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रायपुर में रजिस्ट्राकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधान, अप्रैल 1984

को पृथांकर सम्परित के उभित बाजार मृत्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मृश्ने यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उभित बाजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्तह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पामा गया प्रतिफल, निम्निलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विश्वित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) बन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बजने में सुविधा के लिए; और/या
- (क) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य बास्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-प्रयोजनार्थ अंतरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सृविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन, निस्निसिखित व्यक्तियों, अर्थात्:— श्री शुमुकलाल वस्द ढेरू मतनामो एक्म अन्य, निवासी गौदवारा तहसील व जिला रायपुर।

(अन्तरक)

 श्री कृष्णकान्त वगैरह पिता स्तनलाल गोयल निवासी फाफाई।ह, रायपुर।

(अन्तरिती)

को यह स्थना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्थन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्वव्यक्तिरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्धों का, फो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया नमा है।

ननसची

भूमि ख॰ नं॰ 10, गौंदवारा, रायपुर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पति है जिसका विवरण अत्तरितो द्वारा सस्यापित फार्म नम्बर 37 जो में निहित है।

वी० के० बरनवाल सक्षम प्राधिकारो सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख: 7-12-1984

श्रम्य बार्ड . टौ . एन . एड ्नन्न्धनन्नन्त्रस्था

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-च (1) के अधीन सुचना

मार्ह वरकार

कार्यालय, सहायक कायकर कायुक्त (निरक्षिक)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

, भोपाल, दिन कु 7 दिसम्बर, 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोभाल 5421—अतः मुझे, बी० के० घरनवाल,

नायक र निधित्यम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पहलात 'उक्त निधित्यम' कहा गया हैं), की धारा 269-स के अधीन सक्षण प्राधिकारी को यह निध्यास करने का कारण है कि स्थावर राष्ट्रीत, जिसका उपित बाजार मूल्य 25,0007-री. से व्यक्ति हैं

ग्रीर जिसके सं० प्लाट तथा उस पर बनो झोपड़ी है, तथा जो मेन रोड, बार्ड नं० 16, वालाघाट में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबंद अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से विणित है), रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारों के कार्यालय, वालाघाट में रिजस्ट्री-करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधान अप्रैल 1984

की पृथीनत गंपरित के उणित नाजार मृत्य से कम के श्रमान बितिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोन्त संपरित का उचित नाजार मृत्य, उसके श्रयमान प्रतिफल से एसे श्रयमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिकत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरित (अन्तरितों) के नीच एसे अन्तरण के निए तय वासा गया श्रतिफल, निज्नों कि उद्देश से उसते अन्तरण निज्ञित प्रतिकत के का से का से अस्त अन्तरण निज्ञित प्रतिकत के सुन्त के का से का से अस्त अन्तरण निज्ञित प्रतिकत के सुन्त के का से का से अस्त अन्तरण निज्ञित में वास्तिक के सुन्त के का से का से अस्त अन्तरण निज्ञित में वास्तिक के सुन्त के का से का से वास्तिक का से का से का से वास्त से वास्तिक का से का से का से वास्तिक का से का से का से वास्त से वास्तिक का से का से का से का से वास्तिक का से का से का से वास्त से वास्तिक का से का से का से वास्तिक से साम से का से वास्तिक से का से का से का से वास्तिक से वास्तिक से का से का सिंप का से वास्तिक से वास्तिक से का से का से का से का से वास्तिक से का से का

- (क) बन्तरण सं हुन्दं किसी आग की बावत, बक्त विधिनियम के अभीन कर दोने के बन्तरक के बावित्य में कमी करने या सत्तसे वयने में सुविधा के फिए, कीर/मा
- हों) एसी किसी नाथ या किसी धन या अन्य जास्तियों करों, जिन्हों भारतीय जाय-कर जिंधिनियम, 1922 (1922 का 11) या जक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्ध कन्तरिती इवाय प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए का, जिन्माने में सृष्या औ सिए;

जतः गव. उनत विधिनियम की धारा 269-ग के जनुसूरण धीं, भीं, उनस अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) ■ जधीन, निस्निसिस्ति व्यक्तियों, अधीत् :--- श्रीमती मुल्लाबाई
पत्नो रामवरन खुर्द व वलो
ना० बा० कु० कृष्णा एवम् राजेण एवम्
जोणी वल्द रामचरन
निवासी बालाघाट।
श्रीमती रामलीबाई
पत्नी सुदामा गढेवाल
प्रकाण पिता रामचरन गढेवाल,
बालाघाट।

(अस्तरक)

 उमाशंकर असाठी पिता रामभरोसे असाठी, निवासी वार्ड नं० 10, बालाघाट।

(अन्तरिती)

की नह शुणना चारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के कवन की सिक् कार्यवाहियां करता हो।

जनत सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस स्मना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन की बविध या तत्वंतंत्री व्यक्तियों पर स्वान की तामील से 30 दिल की अवधि, भो भी वविध वाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्रविकत व्यक्तियों में से किसी स्पविस दुवारा;
- (च) इस सूचना के राजपण में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित- नद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नभोहस्ताक्षरी के पास निवित में विद्यु चा बकोंगे।

स्पच्यीकरणः --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, को उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभावित है, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

नप्त्यी

प्लाट एवम् उस पर बनी झोंपड़ी, मेन रोड, वार्ड नम्बर 16, बालाघाट में स्थित हैं। यह वह स्थावर सम्पत्ति हैं जिसका विवरण अन्तरितो द्वारा सत्यापित फार्म नम्बर 37 जी में निहित हैं।

> बी० के० बरमवाल सक्षम प्राधिकारो सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण) अर्जन रेंज,भोापल

सारी**ख**: 7-12-1984

मोहरः

प्रका बाई. टी. एन. एत.----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-भ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 1984

निवेंग सं० म्राई० ए० सी०/प्रजन/भोपाल 5422:-- प्रतः

मुझे, वारेन्द्र कुमार बरनवाल,

वायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थापर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृज्य 25,000/-रु. से अधिक है

ग्नीर जिसका संख्या भूमि खा नं 1618 (पी एच नं 50 ए०), है, तथा जो जालमपुर वार्ड, धमतरी में स्थित है (ग्नीर इससे उपाग्रद्ध श्रनुसूची में ग्नीर पूर्ण रूप से विणित है), रजिस्ट्रोकर्ता श्रिधकारी के कार्यालय, धमतरी में रजिस्ट्रीकरण ग्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्राधीन, श्राप्रैल, 1984

को पर्वोक्त सम्परित के उचित बाजार मृत्य से कम के दश्यमान प्रतिपाल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि प्रथापवित संपरित का उचित आजार मृत्य, उसके दश्यमान प्रतिपाल से, एसे दश्यमान प्रतिपाल का पंक्रह प्रतिपात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए उस पाया गया प्रतिपाल, निम्नलिखित उच्चेश्य से उक्त अन्तरण मिचित में वास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अंतरण संहृद्ध किसी अय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अंतरफ के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा अ लिए, कौर/या
- (क) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ को, जिन्हों भारतीय आयकार अधिनियम, 1922 (1927 का 11) या अवत अधिनियम, या नि-अन्य अधिनियम, 1957 (1937 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, खिपाने में सुविधा औ सिए;

अत. ब्रब, उत्तर अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप्धारा (1) के अधीन, निम्नलिखित स्यक्तियों, अर्थात् :---

- 1. श्री प्रहलाद श्रीराम, सेत्रकराम, गोपाल पाम पिता पितूराम, इन्द्रा, इन्द्रावती पिताः पितूराम, देवसीर पिता पितूराम, जंगेसर, जगसूराम, पिता मिलाप, हलालखोर पिता मिलू रतनीबाई, पत्नी मिलू अगनुराम पिता जलाल, मुराजबाई कलाबाई, रपता जलाल, सातोबाई बे॰ जलाल, रामसिंह वल्द झाड़ू मरार निवासी--सालहेवार, पार, धमतरी, जिला धमतरी। (ग्रन्तरक)
- श्रीमती सरला जैन
 पत्नी ज्ञान चन्द जैन, मोती लाल जैन,
 बन्द कंवर लाल जैन रघुनाथ श्रग्रवाल,
 पिता नन्द लाल ग्रग्रवाल
 निवासी—सदर बाजार धमतरी
 जिला रायपुर।

(भन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके एकोंक्य सम्परित के अञ्चन के लिए कार्यवाहियां फरता हूं ।

उक्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप उन्न

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर स्भाना की तामीन से 30 दिन की अविधि, जो भी अमिश बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्रविक्त व्यक्तियों में से किसी स्थित द्वारा;
- (व) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारींच से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबवृष किसी बन्य व्यक्ति द्वारा, अधोह्स्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

प्पष्टीकरण: --- इसमें प्रयुक्त जन्दों और पदों का, को उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित ह¹, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

नम्**त्री**

भूमि ख॰ नं॰ 1618 (पी॰ एच॰ नं॰ 50 ए॰) जालमपुर वार्ड धमतरी में स्थित हैं यह वह स्थावर सम्पत्ति हैं जिसका विवरण श्रन्तरिती ब्रारा सत्यापित फार्म नम्बर 37 जी में निहिक्ष हैं।

> बी० के० बरनवाल सक्षप प्राधिकारी सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रंज भोपाल

तारीख: 7-12-1984

महिर :

प्रकार बार्षः टी. एत. एस.-----

शायकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-ण (1) को वधीन स्थाना

मारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) धर्जन क्षेत्र भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर, 1984

सं० ग्राई० ए० सी०/ग्रजन/भोपाल 5423:—-ग्रतः मुझे, वीरेन्द्र भुमार वरनजल,

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिनका उचित बाजार मृल्य 25,000/-रु. से अधिक है

प्रौर जिसकी संख्या भूमि ख० नं० 2103 है, तथा जो छिदवाड़ा में स्थित हैं (ग्रौर इससे उपाबड प्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप में वर्णित हैं), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय छिदवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण, ग्रधिनियम 1908 (1908 का 6) के ग्रधीन, ग्रप्रैल, 1984।

को पूर्वोक्त संपरित से उजित बाजार मृत्य से कम को स्वयमान प्रितिकस के सिए अन्तरित की गई है और मुक्ते वह निश्वास करने का कारण है कि सभापूर्वोक्त सम्परित का उजित आजार सूल्य, हक्के असमान प्रतिकत से, एसे अस्यमान प्रतिकत का पंत्रह प्रतिकृत से अभिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) से बीच एसे अन्तरक के सिए तय पाया स्या प्रतिक कम निम्नतिविक उद्योक्त से उक्त अन्तरण कि जिला में भारतिक एक से अस्तरण नहीं किया नमा है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी भाय की धावत, उक्त अधिनियम को अधीन कर दोने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा
- (ब) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वार प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था. छिपाने वें स्टिया के सिए;

जत जब उक्त जिम्मिम की भारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की भारा 269-ए की उपधारा (1) के अधीन, निम्निसिस व्यक्तियों, अर्थात्:—

 श्री मोहन लाल पिता मावजी गोहिल, निवासी-छिक्वाडा।

(भ्रन्तरक)

 श्री गुलजार सिंह बल्द जालिम सिंह रघुवंशी
 मोहन लाल बल्द तोताराम बज्जा निवासी छिदवाड़ा।

(मन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के बर्चन के सम्बन्ध में कोई भी नाकाप:---

- (क) इस सुवना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख वे 45 दिन की अविधिया तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूवना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर, सम्पत्ति में हित- वक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहन्ताक्षरी के पास लिकित में किस जा सकेंगे।

स्पब्दाकरणः ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और एदों का जो जक्त जिभिनियम, के अभ्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया एटा हो।

मन्सूची

भूमि ख॰ नं॰ 2103 छिदगड़ा में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नम्बय 37 जी में निहित्त है।

> ंबी० के० यरनवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) भ्रजन रेंज, भोपाल

तारीख: 7-12-1984

प्रक्रम बाइ. टी. एन. एक.-----

भायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अभीन सुमना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आय्क्त (निरीक्षण) श्रर्जन क्षेत्र, भोपाल भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी॰/अर्जन/र्भःपाल/5424:--- स्रतः मुझे वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-इ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास स्टरने के कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रा. से अधिक है

ग्रीर जिसकी संख्या प्लाट नं० 2 एवम 3 है, भथा जो राय-सेन रोड, भोषाल में स्थित है (ग्रांर इससे उपावद प्रनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से विणत है), राजस्ट्रोकर्त्ता श्रधिकारी के कार्यालय. भोषाल में रिजस्ट्रीकरण ग्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन. ग्रग्रैल, 1984।

को प्वोंक्स सम्पत्ति के उचित भाजार मृत्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करते का कारण है कि यथापूर्वेक्ति सम्परित का उचित बाजार मृस्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंत्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में बास्तिवक रूप से कथित नहीं किया गया है:——

- (क) जनतरण से हुई किसी लाय की वावत, उक्त बिधिनियम के जधीन कर देने के जनतरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के सिए; कार/म।
- (क) ऐसी किसी बाय या किसी धन या बन्य कारिस्तरों करें, जिन्हें भारतीय बायकर किपिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर बिधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ बन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना पाहिए था छिपाने में सुविधा के तिथ;

बत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) डे अधीन, निम्निसित स्थितकों. सर्वात म्— श्री सुरजीत प्रकाश छावड़ा श्रात्मज श्रो गोपाल दास छावड़ा निवासी—जहांगीराबाद, भोपाल।

(थ्रन्तरक)

 श्री कमल सिंह पुत्र श्री डोरो सिंह निवासी—श्रोल्ड सुभाष नगर, भोपाल।

(भन्तरिती)

को यह सूचना बारी करके प्यॉक्ट सम्पत्ति के अर्थन के निधः कार्यवाहियां करता हु।

उन्नय बस्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी कालोक 🖫 🗝

- (क) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर स्चना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्रवेक्ति व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (का) इ.स. सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकरेंगे

स्वक्टीकरण:---इसमें प्रयूक्त कर्वों और पदों का, को उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा को उस अध्याय में दिया गया हैं।

सनसभी

प्लाट नम्बर 2 एवम 3, रायमेन रोड भोपाल में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिपका विवरण श्रन्तरिती ढारा सत्यापित फार्म नम्बर 37 जी में निहित है।

> वीरेन्द्र कुमार बरनवाल संक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर श्रायुक्त निरोक्षण भ्रजन रेंज, भोणल

तारीख: 7-12-1984

मोहर:

28-426 GI/84

प्ररूप बार्च, टी., एन., पुस्तु, कार्यक

भावकद्व विधिनियम, 1961 (1961 का 43) हो। भारा 269-व (1) के अभीन सुचना

भारत शहराज्य

कार्यात्त्य, सहायक नामकड नामुक्त (निहासन)

मर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, विनांक 7 दिसम्बर, 1984

निर्देश सं ॰ धाई ॰ ए० सी ०/धर्जन/भोपाल/ 5425--- प्रतः मुझे नीरेन्द्र मुभारय बरनवाल,

बावकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसर्म इसके परभात् 'उकत अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-व के अधीन सक्षम प्राधिकारी की, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25.000/-उ. से अधिक है

धीर जिसकी संख्या मकान का भाग है, तथा जो नूर महल, जोपाल में स्थित है (और इससे उपबंद अनुसूची में धीर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, घोपाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के घंचीन, अप्रैल 1984

को प्राक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के क्यमान क्षितक के लिए बन्तरित की गई है और मृत्रे यह विश्वास करने का कारण है कि सभाप्योंकत सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके क्ष्यमान प्रतिफल का चेंच्य प्रतिकात से विश्व का विश्व का चेंच्य प्रतिकात से विश्व की विश्व

- (क) जन्तरण में हुई किसी जाय की वाबत, उक्त जिभिनियम के अभीन कर देने के अन्तरक के ख़ुबित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के किए; बॉर/या
- (ण) ऐसी किसी नाय या फिसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-नार्थ अस्तिरती व्वारा प्रकट नहीं किया गया था वा किया जाना जाहिए था छिपाने में सुविधा से निएश्व

बंद श्रेष्ट अवन, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण वी, मी, उक्त अधिनियम की भारा 269-व की उपभारा (1) वी अधीन, निम्निनिवित व्यक्तियों, अर्थात :--- श्रीमती बी० एस० परवतम पत्नी व्ही० एस० मनी निवासी नूर मह्ल, भोपाल।

(ग्रन्तरक)

 श्री जगवीश ग्रय्यर पिता जी० ए० राममूर्ति निवासी नूर महल, भोपाल।

(मन्तरिती)

को यह सूचना जारी करकें पृत्रोंक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त संपत्ति के अर्थन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीच से 45 दिन की अविधि या तरसम्बन्धी कार्यितयों पह सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, की भीतर पूर्वीकल क्यांक्तियों में ने किसी व्यक्ति दुवारा;
- (क्ष) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी व ते 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ता नरी के पास सिक्ति में किए जा सकेंगे।

स्यव्योकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्यों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में विका गवा है है

अनुसूची

मकान का भाग, नूर हिल रोड, भोपाल में स्थित है। यह वह स्थावर सम्मत्ति है जिसका विवरण प्रन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नम्बर 37 जी में निहित हैं।

> बी० के० बरनवाल, सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) धर्जन क्षेत्र, भोपांस

तारीख: 7-12-1984

मोहर 🖫

मुक्तपु जा<u>हाँ हो एपः एवं अन्य</u>ान्यन्यन्य

नायकर मिथिनियम, 1961 (1961 का 43) कौ

धारा 269-घ (1) के अधीन स्चना

प्राह्म चहुनाडु

क्रियांसय., सहायक आयंकर आयुक्त (नि<u>र्</u>कास) धर्जन रेंज भोपाल

भोपाल, विनांक 7 दिसम्बर, 1984

सं० म्राई० ए० सी०/मर्जन/भीपाल 5426:--- मत मुझे, बीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

भागकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचाए 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मुख्य 25,000/- रु. से अधिक है

भीर जिसकी संख्या मकान का जभाग है तथा जो नूर महल, भोपाल में स्थित है (भ्रीर इससे उपाबद्ध धनुचर्था में भ्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है) रिजस्ट्रीकर्त्ता भ्रधिकारी के कार्यालय, भोपाल में रिजस्ट्रीकरण भ्रधिनियम, 1908 (1908 का 16(के भ्रधीन, भ्रमेंस 1984

को पूर्वे क्ति सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ध्रयमान प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है और मुभे यह विश्वास करने का कारण है कि सथापूर्वे क्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके ध्रयमान प्रतिकल से, एसे ध्रयमान प्रतिकल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (बन्तरित्यों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तम पामा गया प्रतिकल, निम्नलिखित उद्वेष्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तिबक रूप से कथित नहीं किया गया है क्ष्र--

- (क) जन्तरण संहुदंकिती बाव की बावकः, उनक् अप्रिमित्रम के व्योग कर दोने के अन्तरक की वासित्त में कभी करने या उससे वजने में सुविधा वीसित्त औं कभी करने या उससे वजने में सुविधा वीसित्त और
- (क) एसी किसी बाय या किसी भन या अन्य जास्तियों कांगे, जिन्हों भारतीय जाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त अधिनियम या भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 को 27) को प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना जाहिए था, छिपाने में सुनिभा को लिए?

जतः जंब, उक्त अधिनियमं की भारा 269-ग के अनुसरण जो, में , उक्त अधिनियम् की भारा 269-च की उपभारा (1) को अभीन₂ निम्नतिचित् व्यक्तियों । वर्षात् ह—— श्रीमती वी० एस० परवसम पत्नी श्री वी० एस० मनी निवासी नूरमहल, भोपाल।

(मन्तरक)

2. श्री झार० गंकर ग्रईयर पिता श्री जी० ए० राममूर्ति निवासी नूर महल, भोपाल।

(मन्तरिती)

का वह स्वान बारी करके पूर्वोक्त सम्मृतित के वर्षन के तिस् कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त क्म्प्रित के वर्णन के तुम्बन्ध में कोई भी वाक्षेप्:---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीश्व से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियाँ पत्र सूचना की तामील से 30 दिन की ववधि, वो की सवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीत्र पूर्वो कर्य व्यक्तियाँ में से किसी व्यक्ति इवारा;
 - ्रं(च) इस सूचना के राजपण में प्रकाशन की तारीच और 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक्थ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाझ लिखित में किए जा सकेंगे।

स्थव्यक्तिरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पद्यों का, जो अवदे अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा को उस अध्याय में दिवा पत्रा हैं।

जग्सूची

एक मंजिला मकान का भाग, नूर महल भोपाल मैं स्थित हैं। यह वह स्थावर सम्पत्ति हैं जिसका विवरण भन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नम्बर 37 जी में निश्चित

> वी० के० बरनवास, सक्षम प्राप्तिकारी, सहायक धायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) धर्जन रेंज, भोपास

तारीख: 7112-1984

प्रकथ बार्ड , टी., एन्., एस., -------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयंकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रजन क्षेत्र भोगल

भोपाल, विनांक 7 दिसम्बर, 1984

सं० श्राई० ए० सी०/ग्रर्जन/भोपाल/5427:—-ग्रत मुझे बीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

बायकार मिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इनके परवात् 'उक्त मिनियम' कहा गया है), की भारा 269- व में अधीन रक्षम प्राधिकारी को यह विक्वास करने का कारण है कि स्थायर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रुट. से मंधिक है

ग्रीर जिसकी संख्या भूमि ख० नं० 428/2 है, तथा जो मौजा जूना, बिलायपुर में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबक्र अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से विणत है),रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, बिलासपुर में रिजस्ट्रीकरण ग्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, ग्रप्रैल, 1984।

को पूर्वों क्स सम्परित को उचित बाजार मूल्य से कम को ब्रयमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मूक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वों के सम्परित का उचित बाजार मूल्य, उसके ब्रयमान प्रतिफल से, एसे ब्रयमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रमेत्त्रकर से प्रिथक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) व्यन्तरण से हुई किसी जाय की बावत उक्त जिथानियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुंविधा के सिए; जारें,र/या
- (क) ऐसी किसी जाम या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, खिराने में सुविधा के सिए;

अतः अव, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की भारा 269-व की उपभारा (1) के अधीन, निम्निलिखत अधिकत्यों, अर्थात् :--- श्री बालराम कम्यप
 पिता स्व० लालाराम कम्यन
 म्याम बाई
 पत्नी स्व० लालाराम कम्यप
 बिलासपुर।

(ग्रन्तरक)

 श्री नन्दलाल जयसवाल पिता स्व० रघुनाथ प्रसाद कान्टेक्टर
 श्रीमती लालमुनीबाई पत्नी श्री नन्द लाल जयसवाल निवासी बेलधना, तह० बिलसप्र।

(भ्रन्तरिती)

को यह सृचना जारी कारके पूर्वीयत सम्पत्ति के वर्जन के लिए कार्यवाहियां कारता हुं।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के संबंध में कोई भी बाक्षेप ---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की कंबिंध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियाँ पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त ब्यक्तियों में से किसी व्यक्ति सूवारा;
- (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारी करें 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बक्ध किसी जन्य व्यक्ति इतारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिसित में किए जा सकोंगे।

स्पळीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्छ अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

मन्स्ची

भूमि खा नं 428/2, मौजा जूना बिलासपुर में स्थित हैं। यह वह स्थावर सम्पत्ति हैं जिसका विवरण अन्तरिती द्वारा संस्थापित फार्म नम्बर 37 जी में निहित हैं।

> बी० के० बरनवाल, सक्षम प्राधिकारी, सहायक घायकर घ्रायुक्त (निरीक्षण) धर्जन रेंज, भोपाल

तारीख: 7-12-1984

मोहर 🖫

प्रकम नाहाँ, दी, एतः, एसः,-----

भायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के ध्रिपति सूचना

भारत सहकार .

क्रायांसय, सहायक नायकर नायुक्त (निडीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, विनांक 7 दिसम्बर, 1984

सं० प्राई० ए० सी०/प्रजन/भोपान 5428:—प्रतः मुझे वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भाख 269-व के स्थीन सक्षम प्राधिकारी की, यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थायर सम्पत्ति, जिसका उचित वाबार भूस्य 25,000/- रा. से अधिक हैं

भीर जिसकी संख्या भूमि ख० नं० 428/2 एवम् 428/3 है, तथा जो जूना बिलामपुर में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद धनुसूची में श्रीर पूर्ण के रूप से बणित है), रजिस्ट्रीकर्सा श्रीक्षकारी के कार्यालय बिलासपुर में रजिस्ट्रीकरण श्रीधनियम 1908 (1908 का 16) के श्रीधन, श्रील, 1984।

को पूर्वेक्ति सम्परित के उचित बाजार मृत्य से कम के इष्यमान प्रतिफल के लिए जन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वेक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दृष्यमान प्रतिफल से, एसे इष्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिकात से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियो) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्दोष्य से उक्त अंतरण लिखित में बास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है:——

- (क) बन्तरण से हुई किसी बाव की वावत उनत विधि-शिवम के ब्योन कर देने के बन्तरक के दायित्व के कमी करने या उत्तर्ध वचने में तृतिथा के लिए; और/वा
- (क) ऐसी किसी बाव या किसी धन वा लग्ब नारिस्तयों को जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना वाहिए था, कियाने में सुविधा के लिए;

कत्तः सब उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के सनसरण सं, सं, उक्त अधिनियम की भारा 269-व की उपभादा (1) के अधीन, निस्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--- श्री बलराम कस्यन
पिता स्व० लाला राम कस्यन
 थिता स्व० लाला राम बाई पत्नी
स्व० लाला राम कस्यन
निवासी जूना, बिलासपुर।

(धन्तरक)

श्री हनुमान प्रसाद
पिता गोपीराम प्रग्रवाल
 श्री बजरंग लाल
 पिता मिट्टू राम प्रग्रवाल
 निवासी गोधी गंज, रायगढ़।

(ग्रन्त[रती)

को यह स्वना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के कर्जन के सिष् कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपरित के अर्जन के संबंध में कोई भी बाक्षेप :--

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब धे 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वाम की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ब्वाया;
- (थ) इस स्थान के श्वापत्र में प्रकाशन की तारीब हैं
 45 विन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितवव्ध किसी अन्य व्यक्ति व्वारा अधाहस्ताक्षरी के
 पास निवित में किए वा सकेंगे।

स्पब्दिकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों सौर पदों का, जो उक्त स्थि-नियम के सभ्याय 20-क में परिभाषित हैं, यही सर्थ होगा, जो उस सभ्याय में दिया गड़ा है।

अनुसुची

भूमि ख० नं० 428/2, 428/3, जूना बिलासपुर में स्थित हैं। यह वह स्थायर सम्मत्ति हैं जिसका विरण ग्रन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नम्बर 37 जी में निहित है।

वी० के० बरनवाल, सक्षम प्राधिकारी, सहायक जग्रायकय ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रजैन रेंज, भोपाल

तारी**ख** : 7-12-19**84**

माहर 🖫

भायकर वरिधनियम, 1961 (1961 का 43) की भारत 269-प (1) के वधीन सुच्या

मार्व चरकाइ

कार्यावय, सहायक वाय्कड भागुक्त (निर्देशक)

ग्रर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर, 1984

सं० म्राई० ए० सी०/म्रर्जन/भीपाल 5429--मत:, मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-च को अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह निश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाबार भूस्य 25,000/-रा. से अधिक हैं

मौर जिसकी संख्या मकान नम्बर 35/86 है, तथा जो तेजेन्द्र नाथ की गली, लोहिया बाजार, लक्कर, ग्वालियर में स्थित है (मौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में भौर पूर्ण रूप में विणित है), रिजस्ट्रीकर्सा श्रधिकारी के कार्यालय ग्वालियर, में रिजस्ट्रीकरण ग्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, सर्पंल, 1984।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निविचित उच्चेष्ट से उक्त अन्तर्ण लिचित में शास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आयं की शावत , उन्त जिथ-नियम को अभीन कर दोने को जन्तरक को दायित्व में क्सी करने या उससे वचने में सुविधा को जिए; जीर/या
- (अ) एंसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, किया स्विधा के सिए;

नतः, अन, उक्त अभिनियम् की भारा 269-च के बनुसरण मं, मं, उक्त अभिनियम की भारा 269-च की उपभारा (1) के अभीता, निम्निलिखित व्यक्तियाँ, अभीत् हे— श्रीमती फूलवती गुप्ता पत्नी स्व० श्री बुलांक दास जी गुप्ता निवासी तेजेन्द्र नाथ की गली, लोहिया बाजार, लग्कर ग्वालियर।

(बन्दरक)

 श्री राजेन्द्र कुमार, नवल कियोर पिता श्री फूल चन्द जी झांवाल, निवासी तेजेन्द्र नाथ की गली, लोहिया बाजार, लक्ष्कर, ग्वालियर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना चारी करके पूर्वोक्त संपत्ति से अर्थन के विद्व कार्यवाहियां करता हो।

उक्त सम्पत्ति के गर्जन के सम्बन्ध में कोई भी नाक्षेप अ---

- (क) इस स्वान के राजपन में प्रकाशन की तारीज के 45 दिन की अविभ या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वान की तामील से 30 दिन की अविभ, जो जी ज्विभ वाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्छ व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्यक्ति वादा;
- (क)। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीं है के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताकरी जो पास लिखित में किए जा सकोगें।

स्पष्टीक रण रे— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, श्री सम्बद्ध स्पिनियम, के सभ्याय 20-क में प्रिभावित हाँ, वहीं अर्थ होया श्री उस सभ्याय में दिवा गया हाँ।

न् सूव

मकान नम्बर 35/86, तेजेन्द्र नाथ की गली, लोहिया बाजार लश्कर ग्वालियर में स्थित हैं यह वह स्थावर सम्मात्त हैं जिसका विवरण श्रन्तरिती द्वारा संस्थापित फार्म नम्बर 37 जी में निहित हैं।

> बी० के० बरनवास सक्षम प्राधिकारी, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) भ्रजन रज्य भोपाण

त(रीख: 10-12-1984

मोहरः

प्रकम जाद^क्र टी., एन., एस<u>.,-----</u>

बायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-म (1) के अभीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण)

धर्जन क्षेत्र भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर, 1984

सं० ग्राई० ए० सी०/मर्जन/भोपाल 5430:--म्प्रतः मुझे, बीरेन्द्र कुमार वरमवाल,

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-क के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अभिक हैं

श्रीर जिसकी संख्या मकान नम्बर 35/86 है, तथा जो तेजेन्द्र नाथ की गली, लश्कर ग्वालियर में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण के रूप में वर्णित है), राजस्ट्री-कर्त्ता श्रधिकारी के कार्यालय, ग्वालियर में रिजस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, श्रप्रैल,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृष्यमान प्रतिफस के लिए अन्तरित की गई है और मृझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्परित का उचित बाजार मूल्य, उसके दृष्यमान प्रतिफल से, एसे दृष्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत्त से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) बन्तरण से हुइ किसी आय की वाबत , उक्त अभिनियम के अभीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे अवने में सुविधा के लिए; और/या
- (क) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तिरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए;

चतः जुन, उच्त अधिनियम कौ धारा 269-ग के, अनुसरण चें, मैं, अक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) के अधीन, निम्निसित व्यक्तियों, अधीत् :--- श्रीमती फूलवती गुप्ता
पत्नी स्व० बुलाकी दास जी गुप्ता
निवासी तेजेन्द्र नाथ की गली,
लोहिया बाजार, लश्कर,
ग्वालियर।

(अन्तरिती)

 श्री ग्यामलाल श्रग्रवाल पिता श्री फूलचन्द जी श्रग्रवाल, निवासी तेजेन्द्र नाथ की गली, लोहिया बाजार, लश्कर, ग्वालियर।

(श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्परित के अर्जन कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्परित के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी का से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकरी।

स्पष्टीकरण हि—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

वन्स्ची

मकान नम्बर 35/86, तेजेन्द्र नाथ की गली, लोहिया बाजार, लफ्कर ग्वालियर में स्थित हैं यह वह स्थावर सम्पत्ति हैं जिसका विवरण श्रन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नम्बर 37 जी में निहित हैं।

> वी० के० बरनवाल, सक्षम प्राधिकारी, सहायक धायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, भोपाल

तारीखा: 10-12-1984

हरूप नार्चा दी एन , एव ,------

कायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-थ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

काशंलिय, सहायक बायकर जायुक्त (निरक्षिण)

मर्जन क्षेत्र भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर, 1984

सं० म्राई० ए० सी०/म्रर्जन/भोपाल 5431:---म्रतः मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

षायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पहन्त् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विद्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिगका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रा. से अधिक है

और जिसकी संख्या मकान नं० 35/86 है, तथा जो तेजेन्द्र नाथ की गली, लोाहेया बाजार, लक्कर, ग्वालियर में स्थित है (और इसमे उपाबद्ध अनुमूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्राकर्ता अधिकारों के कार्यालय, ग्वालियर में रजिस्ट्राकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन अप्रैल, 1984 ।

को पूर्वोद्धाः सम्मील के बीचल कावार मृत्य से कम के द्रायमान् प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मृत्रे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोद्धत सम्मित्त का उचित बाजार मृत्य उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिणत से अधिक है और अंतरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय दावा गया प्रतिफल निम्निचित उद्वेद्ध से उच्त अंतरण किवित में शक्तिष्ठ क्यू हे क्यांचत नहीं किया गया है :—

- (क) ब्लारण वे हुई किसी भाग की वावत, खनत भीपनियम के अभीन कर देने के मन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे वजने में सुविधा के निए; जॉर/या
- (ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ को जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्बारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, खिपाने में सविधा के सिए;

अतः जब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ण के जनसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ण की उपधारा (1) के अधीन, निम्मसिकित व्यक्तियों, अर्थात् :— श्रीमती फूलवर्ती गुप्ता पत्नी स्व० वी० के० बुझाकीश्वास जी गुप्ता, निवासी तेजेन्द्र नाथ की गली, लोहिया बाजार, लश्कर, ग्वालियर।

(ग्रन्तरक)

 श्री विनोद कुमार प्रप्रवास पिता श्री फूल चन्द जी वैश्य निवासी तेजेन्द्र नाथ की गली, सोहिया बाजार, सश्कर ग्वासियर।

(बन्धरिसी)

को यह सूचना चारी कारके पूर्वोक्त सम्पत्ति के कर्वन के सिए कार्यवाहियां सूक करता हुं।

उन्त सम्पत्ति के वर्षन् के संबंध में कोई भी बाक्षेप ६---

- (क) इस सूचना के राज्यक में प्रकाशन की तादीब से 45 दिन की व्यथि या संस्थानकी क्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, वो भी व्यथि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति कुतारा;
- (च) इत स्थान के सजपन में प्रकाशन की तारीच वें 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर तम्पत्ति में हित-वष्ध किसी बन्ध व्यक्ति ब्वारा, वधोहस्ताक्षरी के पास सिवित में किए जा सकेंगे।

स्थळीकरण: --- इसमें प्रयुक्त सन्तां और पदों का, जो उक्त अधिनियम के , अध्याय 20-क में परिकाधित हुँ, वहीं अर्थ होगा को उस अध्याय में दिया ग्या है।

अनूसूची

मकान नं० 35/86, तेजेन्द्र नाथ की गली, लोहिया बाजार, लक्कर ग्वालियर में स्थित हैं। यह वह स्थावर सम्पत्ति हैं जिसका विवरण श्रन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नम्बर 37 जी में निहित हैं।

> वी० के० बरनवाल, सझम प्राधिकारो, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रजैन रेंज, भोपाल

तारी**वः 10--12--1984**

मोहरः

शक्त कार्यः, टो. एन्, एस्,-----

बायुकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-थ (1) के अधीन सुधना

आरत बरकार

कार्यालय, सहायक अायकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जनक्षेत्र, भोगल

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

सं० त्राई० ए० सी०/ग्रर्जन/भोपाल 5432:---ग्रतः मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इनजें इसके उण्चान 'उक्त अधिनियम' कहा गया है, की धारा 269-च के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपरित जिसका उणित बाजार मृज्य 25,000/-रा स्थावर है

ग्रीर जिसक संख्या महान नं० 35/86 है, ह्या जो न नेन्द्र नाथ की गली, लोहिया बाजार, लक्ष्मर, ग्वालियर में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबड़ ग्रनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से विगत है), रिजिम्ट्रीकर्ता ग्रिधिकारी के कार्यालय, ग्वालियर में रिजिम्ट्रीकरण ग्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्राधीन, ग्रील, 1984,

की पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के क्रयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विष्यास करने का कारण है कि ग्रथाप्वॉक्त संपत्ति का उचित बाचार मृत्य, उसके क्रयमान प्रतिफल से, एसे क्रयमान प्रतिफल कर प्रवृद्ध प्रीत्नात से क्रिक हैं कीर जन्तरक (बंतरकों) और बंतरिती (बन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिक फल निज्लिनिकत उद्देष्य से उक्त अन्तरण लिकित से बास्तविक क्य से किष्त मुडी किया नवा है '---

- (क) अन्तरण से द्वार्ड किनी बाब की वाबत उच्च वर्षि-निवास को वधीन कर दोने के अन्तरक के दावित्व में कामी करने या उस्ते बच्चे में तुविधा के सिए; और/या
- (क) ऐसी किसी बाव या किसी धन वा बन्च बास्तियों करों, जिन्हें बारतीय काबकर ब्रिंगिनियम, 1922 (1922 का 11) वा इक्त लिधिनियम, या धन-कप शिक्षितियम 1957 (1987 का 27) के प्रयोचनार्थ कस्मिरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया था या किया वाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

बतः बब, सक्त अधिनियम की धारा 260-ग के अनसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 260-य की उपधारा (१) के अभीन निम्निलिखिल यक्तियों, अधीत :----29---426 GI/84 शोमती फूलतती गुप्ता पत्नी स्व० के० बुलाकीदास जी गुप्ता नितः तो तेनेन्द्र नाथ की गता, लोहिया बाजार, लक्ष्कर ग्वालियर।

(भलरक)

 श्री स्रोम प्रदाश स्रप्रवाल पिता श्री फूल चस्द वैश्य निशासी तेजेन्द्र नाथ की गला, लोहिया बाजार, लश्कर खालियर।

(अन्तरिता)

का यह स्थान जारी करके नृजांकत सम्परित के नर्जन के बिए कामगाहिया करणा हो। सन्त सम्पर्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी नामोग्न---

- (क) इस स्वान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीश से 45 दिन की बनिश या तत्सानन्थी व्यक्तियों पर स्वानः की नामील में 30 किए की अविश जो भी जनिश शाव में समाप्त होती हो, के भीवर प्रतिकृष्ण क्षान्त्यों में से किसी व्यक्ति इवाराः
- (स) इस समान के राज्यत्र में प्रकाशन की नारींक है 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिल्क बद्ध निजयों गान नार्यक द्वस्तर अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीक रूणः --- क्षमणं प्रयक्षत कास्त्र और पदों का, को खब्ध अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है उत्री अर्थ होगा को उस अध्याय में विधा गया है।

वनुसूची

मकान नं 35/86, ते नेन्द्र नाथ की गती, लोहिया बाजार, लश्कर, ग्वानियर में स्थित है यह वह स्थावर सम्मोत्त हैं जिल्हा विशरण प्रन्तिरिती हारा सस्यापित फार्म नम्बर 37 जी में नहित है।

नीरेन्द्र कुपार वरनपाल, सञ्जन प्राधिका**री,** सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त कार्यालय श्रजैन रेंज, भोपाल

सारी**ष** 10-12-1983

प्रस्थ बार्'. टी. एन. एष्. -----

भायकर विभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-१ (1) के वर्षीय दुष्ता

बारत बरकाद

श्रायांसय, सद्दायक श्रायकार ज्ञायुक्त (निरक्षिण) . ग्रर्जन क्षेत्र, भोपाल

मोपाल, दिनांक 10 विसम्बर 1984

सं॰ धाई॰ ए॰ सी॰/ग्रजैन/भोपाल 5433:— अत, मुझे बी॰ के॰ धरनवाल,

नायकर निधित्यम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसने पर्वचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269- व के नधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्ववास करने का कारण हैं कि स्थावर सपस्ति जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- इ. सं अधिक हैं

भी जिसकी संख्या 14/99 है, तथा जो रतलाम में स्थित है (भीर इससे उपाबदा, अनुसूची में भीर पूर्ण रूप से विणत है) रिजन्द्रोकर्ती अधिकारी के कार्यालय, रतनाम में रिजन्द्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन. भीक 1984

को पत्रोंक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मस्य से कम के दृष्यभान होत्तफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विद्यास कारने का कारक है कि रूपायबॉक्त संपत्ति का उचित बाबार मुख्य, उन्मक रृष्यमान प्रतिफल से, एमे रृष्यमान प्रतिफल का बन्दह प्रतिष्ठत से अभिक है और अंतरक (बंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया । चि-का रिस्टॉमिका उद्योग्य से रुपत अन्तरण किच्छ में बास्त्यिक इन द कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अल्लारण से हर्ड किसी बाय की बाबत उक्त ब्रावि-नियम के अधीन कर बोने के बल्तरक के दायिल्य में कर्मी करने या उससे व्यने में सुविधा के सिए; बॉर/वा
- (क) ऐसी किसी बाव वा किसी धन वा अन्य ब्रान्सिकी को. जिन्हों भारतीय अध्यक्तर अधिनियम 1972 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) वे ब्रियोजनार्थ बन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया नवा था या किया बाना चाहिए था, कियाने में सुविधा वे सिक्;

ज्ञन अज्ञ, उकन अधिनियम की धारा 269-व की अनमरण जो, हो, उकन अधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) इसे अधीन, निस्त्रलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :----

- 1. श्री माणकलाल ग्रयवाल,
 - राजमल चौरडिया
 - 3. मागी लाल माहेश्वरी,
 - 3. चादमल लोढ़ा
 - 5, ध्रमृतलाल बोहरा
 - 6. कल्याण पुरोहित
 - 7. फकारचन्द गुजराती
 - 8. भान्ती लाल गुप्ता
- 9. शास्तीलाल पाटती इन सभी के मु० ग्राम स्वयं हैसियत खुद

10 नाथू राम

पिता जमनालाल सुरेका,

ल कड़र्प⊺ठा,

11. पन्नालाल

पिता धूलचंद कटारिया

चौमुखी पुल रतलाम द्वारा

(प्रन्तरक)

2. श्री श्रत्रपूर्ण अप्त क्षेत्र ट्रस्ट बोर्ड रतराम ट्रस्टी गण से

1. गार्पाः चन्द,

2. नान्

पिता प्रेम चन्द गनेश जी

निवासी फी गंज, रत तम ।

(मन्तरित्री)

को यह मुख्या कारी करके पृत्रोंकत सम्पत्ति के अजन क लिए कार्यवाहिका करता हूं।

उक्त मध्यतित के अर्थन के मध्यन्य में कोई भी बाओप ---

- (क) इब ज्वन के शबपक में प्रकाशन की तारीक में 45 विन की अवधि या तत्सम्बन्धी स्ववित्तयों पर स्वना की तासीस से 30 दिन की बवधि, वो भी अवधि बाद में समाप्त हाती हो, के भीतर पृत्रों कर स्ववित्तयों में से किसी स्ववित्त दवारा;
- (व) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-वहंभ किसी बन्ध व्यक्ति इवारा वभाहस्ताक्षरी वे गाम क्रियम में किए का सकति।

स्पष्टीकरण: --- इसमें प्रयुक्त सब्दों और पर्दों का, को अक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं। वहीं अर्थ होगा का उस अध्याय में दिया नवा है।

अनमची

एक मंजिला पक्का मकान न्यू नं० 14/99 रहलाम में स्थित है यह वह स्थायर सम्पत्ति हैं जिसका विवरण श्रन्तरिती क द्वारा सत्यापित फार्म नम्बर 37 जी में निहित् हैं।

> वी० के० बरनवास सक्षम प्राधिकारो,

सहायक प्रायकर प्रापुक्त (िरंःअण) 🕽

मर्जन रेंग, भोपाल

तारीख: 10-12-1984

मोहर 🌣

प्ररूप नाहै. टी. एन. एसं. -------

बाधकर विधिनियव, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत तरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 दिनम्बर 1984

निदेग स० आई० ए० स:०/अर्जन/भोषाल/5434—अतः वी.रेन्द्र कुपार वरनवाल

शायकर गांधां प्रयम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसमें पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी की, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार भूस्य 25,000/- रा. से अधिक है

भीर जिला सं० मकान म्यु० न० 23, वार्ड नं० 32 है तथा जो रंगरेज रोड, राजाम में स्थित है (श्रीरहसके उपावद अनुभूषा में श्रीर पूर्ण रूप से वर्गित है) राजे दू कर्ता अधि ारो के कार्यानय , राजाम में राजेस्ट्र करण आधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तार ख अप्रैल, 1984

को पूर्वाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य स कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करन का कारण हो कि सम्प्रदृशिक सम्पत्ति का उचित बाधार बृख्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का यहह प्रतिकत सं विधिक है और अंतरक (अंतरकों) भार अंतरिती (अंतरितियों) के बीध एस अंतरण के लिए तब पाया गया प्रतिक का विश्वास विधित वे दिश्यमान प्रतिक क्षेत्र अन्तरित (वंतरितियों) के बीध एस अंतरण के लिए तब पाया गया प्रतिक क्षेत्र विधित वे वास्त्रिक क्षेत्र के लिए ते पाया विधित के वास्त्रिक क्षेत्र के लिए ते विधित के वास्त्रिक क्षेत्र के किसी नहीं किया गया है :—

- (क) बन्तरण संशुद्धं किसी नाम की नामत, समत बाधानयम क नभीन कर दान क नन्तरक के दायित्व में कमी कर्न या उससे वचने में सुनिधा का (तर, आर. मा
- (क) ऐसी किसी बाब वा किसी धन वा अन्य आस्तिवी का जिन्ह भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) वा उक्स अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजनाथ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जोना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

कतः कव, उक्त अधिनियम की धारा 269-न के अनुसरण हो, मी उक्त अधिनियम की धारा 269-व का उपधारा (1) के चधीन, निम्निसिक्तिक व्यक्तियों, अर्थात् ३०००

- (1) 1 को सरदार मल उर्फ श्याम सुन्दर,
 - 2 भं∴कैलाशचद्र,
 - ३ अप. नरेन्द्र कुमार,
 - 4 भ:अशोक कुमार,
 - 5 श्राराजेश कुमार, िताश्रा सनस्यनत्रजी अप्रवास

के पु॰ आम श्राःसमरण मसं पिता

म 'रतनलाल ज' अग्रवाल,

निवासः नई आबादः, मंदसौर ।

(बन्तरक).

(2) श्रीमती सुगंला देवे पत्नी श्रापल कुमार जा मूणिया, 37/10, भरावा का हुई, रतलाम।

(अन्तरिती)

को नह न्यना बारी करके पूर्वोच्य स्थारित के वर्षन् के विश्व कायनाहिया करता हूं।

डक्त सम्पर्तिक का अर्थन के सम्बन्ध में कोई° भी बाह्येष:---

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीश के 45 दिन की अविध या तत्सवधी व्यक्तियों दर स्वना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध वाद में सभाप्त हाती हा, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियां में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (च) इस सूचना के राजपण में प्रकाशन की तारीख सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वश्राहस्ताक्षरी के पास सिचित में किए जा सकते।

अच्छीकरणः — इसमें प्रयुक्त सम्बों और पदों का, को उक्त
 बाधिनियम, के बध्याय 20-क में परिभाषित
 है, वहा वर्थ हागा जा उस अध्याय में दिया
 श्या है।

वन्स्या

मकान म्यु० न० 23 बार्ड न० 32, रंगरेज रोड, रतलाम मे स्थित है यह बह स्थावर सम्पति है जिन्ना विवरण अन्तरिसो द्वारा सर्यापित फार्म न० 37 जा में निद्दित है।

> वी॰ के० वरनवाल सक्षम प्राधिकारो सहायक आवकर थायुक्त (निर क्षण) अर्जन रॅज, घोपाल

तारीच : 10-12-1984

प्रका नाइ'. टी. एन. एस.------

भावकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-म (1) के अभीन सुचना

भारत तरकार

कार्याजय, सहायक जायकर बायुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, भोपाल
भोपान, दिनाक 10 विसम्बर 1984
निदेश स० आई० ए० स.०/अर्जन/भोपाल/5435—~जत
मुझे, व रेन्द्र कुमार बरनवाल,
बायकर किंधिनयम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके प्रचात 'उक्त किंधिनियम' कहा गया हैं), की भारा
269-व के संधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करन का
कारण हैं कि स्थावर मपति, जिसका उचित बाजार मृत्य

25,000/- रह. से अधिक हैं
भीर जिनक सं० महान म्यु० नं० 23 बार्ड न० 32 है नथा
जो रंगरेज रोड, रनलाम में स्थित है (भीर इससे उपायक अनुसूच में भीर पूर्ण रूप से विणिन है), रिजिस्ट्र हर्ता अधिकारों के कार्यालय, रतलाम में रिजिन्द्रोकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अध न, त राख अप्रैल, 1984

कर पड़ो अप सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इध्यमान प्रतिफल की लिए अन्तरित की गई है और मूक्ते यह विश्वास करन का करण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्म, उसके इच्यभान प्रतिफल से एसे इच्यमान प्रतिफल का पम्दह्र प्रतिजाप से अधिक है और अंतरक (अतरकों) और अंतरिती (अतरितिगों) के बीच एसे अतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नेलिखित उद्देष्य से उक्त अंतरण लिखित में बास्तकित हम से किथत नहीं किया गया है ——

- (व्यक्त) अन्तरण से हुई किसी जाब की बाबत, उपन्त आभाग्यम के जधीन कर बोने के बन्तरक की बायित्य में कमी कारन या उसस प्रचने में सूधिका की सिए, आर्टिशा
- (च) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्ह³ भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कार अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया धा या किया जाना चाहिए था, क्रिपाने में सुविधा के सिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-थ की उपधारा (1) के अधीन, निम्निसिस व्यक्तियों, अधीत :---

- (1) 1 श्र सरदार मल उर्फ श्यामसुन्दर,
 - 2 श्रा कैलागवन्द्र,
 - 3 श्र नरेन्द्र कुमार,
 - 4. श्र अशोक कुमार,
 - 5 श्र राजेण कुमार पिता
 श्र समस्यमलज द्वारा
 मु० आम श्र रमस्यमल पिता
 श्र रतन लालज,

न राम लालजा, नईआबाद, म्सलामा

(अन्तरक)

(2) श्रीमती घन्द्रकला देखें पत्नी श्रा अशोक बुमार ज लूणिया, निवास भरावा का कुई, रनलाम।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारि करके पर्वोक्त सपत्ति के अर्जन के लिए कायवा।हवा करता हु।

डक्त सम्पत्ति के वर्जन के शबध में कोई बाक्षेप :--

- (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारी से 45 दिन की अर्वाध या तत्सवधी व्यक्तियों पर स्वान की तामील स 30 दिन की अवधि, जो भी अर्वाध बाद म समाप्त हाती हा, अ भातर प्रवासत व्यक्तियों में स किसी व्यक्ति स्वारा,
- (ख) इस सूचना के राजपत्र मो प्रकाशन की तारीस से 45 दिन क भीतर उक्त स्थाबार सर्पास्त मो हितबद्ध किसी अन्य ब्योक्त द्वारा अधाहस्ताक्षरा क पास लिखित मो किए जा सकागा क

स्पष्टिकरण:--इसमें प्रयुक्त कड़दों और पदों का, जो उक्त जिथिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं बही अर्थ हागा जो उस अध्याय में दिवा गया है।

बन्स्ची

मकान म्यु० न० 23, वार्ड न० 32, रगरेज रोड, रतलाम में स्थित है यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण अन्तरिती द्वारा सस्यापित फार्म न० 37-जा में निहित है।

> वी० के० धरनवात सक्षम प्राधिकारः सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षण) अर्जन रेंज, भोपास

तार खि 10-12-1984 मोहर.

ज्ञास्य 🚉 💥 ्र एनः एकः ------

नायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व (1) के नभीन सुचना

नारत तरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल भोपाल, दिनांक 10 विसम्बर 1984

निवेश सं० अई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5436--अतः, मुमे, व ० के० बरनवाल,

णायकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात 'उक्त आधिनियम कहा गया है), की धार 269- का के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

भौर जिनके सं० महान म्यु० न० 23, बार्ड नं० 32 है तथा जो रंगरेज रोड, रक्षताम में स्थित है (श्रीर इपसे उपाबद्ध अनुपूष में श्रीर पूर्ण रूप से विणित है), रिजिस्ट्रो हतीं अधिकारो के कार्यालय, रतनाम में रिजिस्ट्रो हरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधन, तार ख अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृष्यमान व्रतिफल के लिए बन्तरित की नद्दे हैं और बृक्षे बहु विश्वाद्ध करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्मत्ति का उचित बाजार दृल्या, उसके दृष्यमान प्रतिफल में एन्से दृष्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत से बिधक है और अंतरक (अंतरका) और अंतरिती (अंतरितिया) के बीच एस जन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिक्रल, विम्निलिय दृष्यक्ष के दृष्य वन्तरिक वित्रिक्त में वास्ति-

- (क) अध्याप संहुद्धीकाशी काठ की बाबठ क्यस विधि-नियम के बचीन कर दोने के बच्चरक के दाजित्य की कभी करवेता कहते वच्चे में दुविचा के दिवे; सरि या/
- (वा) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य अंस्तिय, का, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उन्त अधिनियम, या धन-कुर आधीनयम, 1957 (1957 का 27) के अधिकार्य अन्तिरती इवारा प्रकट नहीं किया गया था के किया बागा पाहिए बा, कियाने में दुविधा के लिए;

जत. अव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, जनसरण वें, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-थ की उपधारा (1) के अधीन, निक्नलिखित व्यक्तियों, वर्धात् :--<

- (1) 1 श्री सरदारमल उर्फ स्यामसुन्दर,
 - 2. श्रंकैलाशचन्त्र,
 - 3. श्व:नरेन्द्र कुमार,
 - 4. श्रां अशोक कुमार,
 - अं राजेंग कुमार पिता श्री समरयमल जी अग्रवाल, नई आबार , मंदसीर द्वारा मु० आम श्री समस्यमल पिता श्री रतनलाल जी अग्रवाल, मंदसीर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती कमताबाई पत्नी श्रासमं रमल जा लूणिया, 37/10, भवर का कुई, रतलाम।

(अम्तरिती)

को बहु गुणना चारी कर वे पूर्वोक्त वंगीस्त के वर्षन के किए काय तहिया गुरू करता हूं।

उन्द सम्पत्ति के अर्चन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप :----

- (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारी श्रे 45 विन की अविध था तत्सम्बन्धी स्थितियों पर स्थान की तामील से 30 विन की अविधि, को भी अविध बाद में समाप्त हाती हो के भीतर पूर्वोक्ख क्योक्तमा में श्री किसी स्थित द्वारा;
- (वा) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सपित्त में हित-बद्ध किसी बन्य व्यक्ति द्वारा, बधोहस्ताक्षरी की पास लिखित में किए वा सकेंगे।

रमधीकरणः—इसमें प्रयुक्त कथ्यों और पद्यों का, जो उनका अधिनियम के बध्याय 20-क में परिभाषिक हैं, यही वर्थ हागा जो उस बध्याय वे दिवा देश हैं।

बन्स्ची

महान म्यु० नं० 23, वाड नं० 32, रंगरेब रोड, रननाम में स्थित है यह वह स्थावर सम्पत्ति है जितका विवरण अन्तरिता द्वारा सस्यापित फार्म नं० 37-जा मैं निहित है।

> बी० के० बरनवास सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरंक्षण) वर्जन रेंज, भोरास

तारीख: 10-12-1984

वस्य कार्य . टी . एत . एव

भागकर मिपनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के अधीन सुचना

मारत तरकार

कार्यासय, सहायक भायकर बाव्क्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भाषाल, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निवेश तं० आई० ए० सः०/अर्जन/भोपाल/5437—अतः मुप्ते, व ० के० बरनवाल,

कायकर आधानयम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'ननम अधिनियम' कहा गया है), की धार 269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विकास करवे का कारण है कि स्थातर सम्भास, जिसका उचित बाबार मृन्य 25,000/- रह. से बिधक है

ग्रीर जिसका स० मकान स्यु० नं० 23, वार्ड नं० 32 है तथा जो रंगरेज रोड, रतलाम में स्थित है (ग्रीए इपसे उपाबद अनमूचा में ग्रीए पूर्ण रूप में विणित है), रजिल्झा कर्ता अधिकारी के कार्याजय, रतलाम में रजिल्झ ग्ररण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अप्रैल, 1984

का वृवांकत सपित के उचित बाजार मृल्य से कम के क्रममंत्र प्रतिफाल के लिए बतिरत की गई है बौर मुक्त यह विद्यास करने का कारण हा कि यथाप्यांक्त सर्गत का उ। जन्म साजार मन्य, उसके क्रममान प्रतिफाल से, एसे क्रममान प्रतिफाल का पन्यक् प्रतिकात संबंधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बौच एकं जन्तरक से लिए तम पाना गया प्रतिफाल, निम्निलिसित उद्यास्य से उच्त अन्तरण लिखित के बास्तीकक कम संकाश्य नहीं किया गया है :—

- (क) सम्हरण से हुद्दे फिली शाव की प्रांतस, समस् स्राधिनियम के स्थीन कर दान के सम्तरक के शावित्य में कमी करन या उत्तर वचने में सुविधा के लिए; सर/या
- (क) एनी किसी आव वा किसी भग वा बन्य जारित्यों को, जिन्हें भारतीय जाय-कार विभिन्नम, 1922 (1922 का 11) या उपत आश्रीलग्रस, या धन-छर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के अभाजनार्थ अन्तरिती व्यास प्रकट नहीं किया गवा वा वा किया जाना चाहिए था, कियाने में सुविधा की लिए 1/

अतः शवः, उक्त अधिनियम की धारा 269-म के अनुसरण कै भी, उक्त अधिनियम को धारा 260-य की उपधारा (1) के कधीन, निम्निसिसिस स्थितिस्यों, कर्णांह :----

- (1) 1 श्रासरदार मन जा उर्फ श्याम सुन्दर,
 - 2 श्राकैलाण चन्द्र,
 - 3 अं नरेन्द्र कुमारं,
 - 4 श्राअशोह कुमार,
 - 5 श्रां राजेश कुमार पिता श्रां ममरथमल जा नई आवादों मंदसीर, द्वारा मु० आम श्रां सभरणमलजे पिता श्रां रतनलालजं, छठे मंदसीर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती पुष्पत्रता देवी पत्नी श्राविजय कुमार ज ल्णिया, 37/10, भंबारा का कुई, रतलाम।

(अन्तरितीः)

का वह सकता कारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्थन् के लिए कार्यवाहियां सुरू करता हुं।

बन्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्षेप :---

- (क) इस ल्वान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब है 45 पिन उने अगाधि निजय करें अविकाश कर स्वास्त्र करें अविकाश कर स्वास्त्र की तामील से 30 दिन की करिया, जो भी अविध जाव में समाप्त होती हो, के भीतर पर्वोक्ख क्यक्तियों में से किसी व्यक्ति इवारा;
- (व) इस सचना के शंप्रपण में प्रकाशन की तारीच है 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबहुध किसी बन्य व्यक्ति दवारा अधाहस्ताक्ष्री के पाड़ निवित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टिकरण: --- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदौं का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

बन्स् ची

भागान स्पृ० नं० 23 वाइट नं० 32 रंगरेज रोष्ट रतनाम में स्थित है। यह वह स्थावर समाति है जिनका विवरण भ्रन्तरितो द्वारा सत्यापित फार्म 37-जा में निहित है।

वी० कु० बरनवास सक्षम प्राधिकारो सहायक म्रायकर प्रायुक्त (निराक्षण) मर्जन रेंज, भोतस

तारीख: 10-12-1984

मोहरः

प्रकृष बाइ'.टी.एन.एक.----

नायकर नियम, 1981 (1961 का 43) का भारा 269-व (1) के नधीन स्वना

भारत सरकार

कार्यांचय, सहायक आयकार आयक्त (निरीक्षण)

भ्रर्जन रेंज, भोपाल

भोताल, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं श्राई० ए० सो ०/ग्रर्जन/भोपाल/ 5438--- ग्रतः मुझे, व c वे c दरस्दारः,

क्रायकर ब्राधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिले इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाबार मुक्स 25,000/- रा से अधिक है

भी (जि को सं० म जन स्यू०नं० 23 वार्ड नं० 32 है तथा जो रंगरेज रोड रतल म में श्थित है (भीर इससे उपाबद अनुसूचो में और पूर्ण रूप से विणित है) रिज ट्रेन्ट विश्वधिकारों के कार्यालय रतल म में रिजिस्ट्रीवरण श्रीधित्यम 1908 (1908 का 16) के श्रधान तर ख श्रील 1984

का प्याक्त सम्पत्ति के उचित बाजार सृत्य से कम का सम्मान प्रतिकल के लिए अन्तरित को गई है और मझे यह विश्वास सरने का कारण है कि उध्यापार्ग कर संपत्ति का उचित बाखार सृत्य, उसके क्ष्यमान प्रतिकल के, एसे क्ष्यमान प्रतिकल का पेक्स प्रतिकत से विधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (जन्तरित्यों) के बीच एसे अन्तरित के सिए तब बाबा बबा प्रतिक क्षय किला लिखा है है से अन्तरित के सिए तब बाबा बाबा प्रतिक क्षय किला लिखा है है से अन्तरित से अन्तरित के सिए तब बाबा बाबा प्रतिक क्षय किला लिखा है है से अन्तरित से अन्तरित

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उन्तर अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरण को दायित्क में कमी करने या उससे वचन में सुविधा के लिए; और/या
- (क) ऐसी किसी जाय वा किसी धन या जन्य जास्तियों की, जिन्हें भारतीय जाय-कर किसिनियम, 1922 (1922 को 11) जा उक्तर किसिनियम, बा बन-कर किथिनियम, बा बन-कर किथिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रधाननार्थ जन्तिरियों नृजारा प्रकट नहीं किया जा था वा किया बाना चाहिए बा, क्रियाने में स्विधा के लिए;

अतः अव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ए के अनसरण मैं, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ए की उपधारा (1) के अधीन [नम्निलिखित अयिक्तयों अर्थात् :--

- (1) 1. श्रः सरतारमन जो उर्फ स्यतम सुन्दर
 - 2. श्रा कैलाशचन्द्र
 - 3. श्रानरेन्द्र वुमार
 - 4. श्राध्यशोक कुमार
 - श्रा राजेश कुमार पिता
 श्रा समस्य मल जो श्रग्नवाल
 द्वारा मु० श्राम श्रा समस्यमलजी पिता
 रतनलालजा श्रग्नवाल
 मई श्राबादा, मंदसीर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती उषादेवे पत्नी श्रा ग्रजात कुमार लूणिया 37'10भरावा को कुई रतलाम।

(अन्तरिती)

स्त्रों वह स्पना बारी करके पृत्रों तथ तन्यति की वर्षन के हिन्। कामवाहिया करता हो।

सबत संस्पत्ति के वर्षन के सम्बन्ध वे कोई भी बाक्षेत्र 🖚

- (क) इस ब्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक है 45 दिन की अवधि मा तत्मम्बन्धी व्यक्तियों पर स्चना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि वाद में समाप्त हाती हा, क भीतर पूर्वां क्यूं व्यक्तियों में से किनी व्यक्तित हुन।रा;
- (श) इस सूचना कं राजपत्र में त्रकासन की सारीय से 4. दिन क त्रात र उनत स्थानर सम्याप्त में हितवद्य किसी तस्य व्यक्ति स्वारा नधाह्नस्ताक्षरी क शाह सिचित में किए सा सकोर्य ।

स्वृद्धीकरणः:--इसने प्रयक्त सक्ते और वर्धों का, की स्वयद्ध नियम, के अध्यास 20-क में परिजाबिख ही, वहीं नर्भ हागा जो उस अध्यास में दिया गया ही।

अनुसूची

मकान म्यु० नं० 23 वार्ड नं० 32 रंगरेज रोड रतलाम में स्थित है । यह वह स्थावर सगति है जिनका विवर्ग भ्रन्तरितो द्वारा सत्यान्ति फार्म नं० 37-जा में निहित है ।

> बी० कु० वरनवाल सक्षम प्राधिकारो सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निराक्षण) ग्रर्जन रेंज, भीनाल

तरीख: 10-12-1984

मोहर 3

वृक्ष्य कार्यः द्वीः, एत्. एवः,------

बायकर मिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारतः 269-म (1) के अधीन सूचना

नारव बरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आय्क्स (निरीक्षण) मर्जन रेंज, भोताल

भोताल, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निवेश सं० ग्राई० ए० सो० मर्जन/भोगाल/5439—ग्रतः मुझे, वारेन्द्र कुमार बरनवाल,

कायकर किथिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त किथिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-क के कथीन सक्षम प्राणिकारी को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर मन्यत्ति, जिसका उचित बाजार मृस्य 25,000 - रह. से अधिक हैं

भीर जिन्नों सं० महान स्यु० मं० 16 है तथा जो रनलाम में स्थित है (भीर ६ प्रते उपाबद अनुसूचों में भीर पूर्ण रूप से विणत है) रिज्ञों होती अधिहारों के कार्यालय रतनाम में रिजस्ट्रोकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तार ख प्रतेल 1984

- (क) जन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के बायित्व में कमी करने या उससे अचने में सूविधा के लिए; और/या
- (व) एंनी किसी जाव या किसी अन या अन्य आस्तियाँ को जिन्हों भारतीय आवकर अधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, खिपाने में सुविधा के लिए;

कतः अव, उक्त अधिनियमं की भारा 269-ग के अनुसरक को, मैं, उक्त अधिनियम की भारा-269-व की उपभारा (1) को अधीन, निम्निवित व्यक्तियों, नथांव :----

- (1) 1. श्रोधानन्दो लाल पिता श्रोकेगरामन जो
 - 2. श्रामतो धौरत बाई पत्नी श्री प्रानन्दा लाल जो श्री प्रभय कुमार श्री जोन दास श्री रत्नसर मेध कुमार (एच० यू० एफ०) नं० 16, राम मोहल्ला, रतलाम ।

(झन्तरक)

(2) श्री मृतिल कुमार एवं राजीव कुमार बो में दुत श्री भेक लालजी बो में ग्रल्प अन्यकृत संरक्षत माता : कमला बाई स्तो श्री भेक लाल जो चौर्राइया 9/466, छोटा कृषणा मोहुल्ला; बारनेड (राजस्थात)।

(प्रस्तरितो)

का यह सचना जारी कारके पृत्रीक्त सम्पत्ति के अर्थन के लिए जिए कार्यवाहियां करता हूं।

चक्त सम्पत्ति के कर्जन के संबंध में कोई भी बाओप :--

- (क) इस सृचना के राजपत्र में प्रकाणन की तारीच है 45 दिन की अपिथ या तत्सम्बन्धी स्वक्तियों पर सचना की तामील से 30 दिन की बन्धि, वो भी बन्धि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों वह स्वक्तियों में से किसी स्वक्ति इंगरा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित- बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्वध्दीकरण: --इसमें प्रयुक्त कन्दों और पदों का, को उक्त किथिनियम के कन्दाव 20-क में परिभाषिक है, वहीं अर्थहोगा, को उस अन्याम में विदा गया है।

अमसर्ची

मधान स्पु० स० 16 छोध ढागो मोहन्ता, बारतेड राजन्यान में स्पार है यह बहुन्यानर मन्ति है जिल्ला विनरण अन्तरितो द्वारा सत्यानित फार्म नं० 37 जो में निहित्त है।

> भी० के० बरापाल सक्षम प्राथि हारो सहायक श्रायकर श्रापुक्त (तिराक्षण) श्रश्नेत रेंज, भी नाल

तारेख : 10-12-1984

प्ररूप . जाइ . टी . एन् . एस_ =----

शायकर अधिनिधम, 1961 (1961 का 43) कौं भारा 269-प (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यासय. सहायक जायक र आगुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज, भोगल

भोगाल, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० म्राई० ए० सी०/म्र्जन/भोगाल/5440--म्रतः महो, वो० के० घरनवाल,

शायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके प्रत्यात 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269- व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विख्यास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25.000/- रा. से अधिक हैं

श्रीर जिल्हों में महान म्यु नं 16 एवं नं 35 है स्था जो राम मीहरूला, मुनार बावड़ा में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद श्रुमूचों में श्रीर पूर्ण रूप में विणित है) रिजिप्ट्रोहरी प्रधिकारों के कार्यालय रतनाम में रिजिप्ट्रोहरण श्रिश्तियम 1908 (1908 का 16) के श्रधान तार ख श्रील 1984 को प्रबाकत सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य में कम हैं रूपमान श्रीतफल के लिए अल्तरित की गई है और मफे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापवाकत संपत्ति का जिल्ला का मन्य उपके रूपमान प्रतिफाल से एमें रूह्यमान प्रतिफल का पंदह प्रतिकत बिधक है और अन्तरक (अन्तरकां) और अन्तरिती (अन्तरितियां) के बीच एसे अन्तरण के लिए नय वाया गया प्रतिफल, निम्मिनिधित उदब्देग्य से उक्त बन्तरण लिकित में वास्त्रिक हुए से क्रियत नहीं किया गया हैं—

- (क) अन्तरण में हुइ किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सृथिधा के लिए; और/या
- (ख) एमी किसी शाय या किसी धन या अन्य श्रास्तियों को जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन- कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया था ए किया जाना चाहिए था, खिपाने में सुविधा के सिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनसरण चैं. मैं, प्रकर क्रिक्तिएम की धारा १६०-घ की नप्रधास (1) के अधीत: रिप्पालिश्चित व्यक्तियों, अर्थात् :—— 30—426 GI/84

- (1) 1. श्री ग्रानन्दी लाल पिता श्रीमन जी-
 - 2 श्रोमतो धीतत बाई पत्नी श्री ग्रानन्दो लालजो श्रो ग्रभय कुमार
 - 4. श्री जिन धास
 - 5. श्री रत्नमर
 - श्री मेथ कुमार पिता श्री प्रानन्दो लाल जो लूनिया निकासो-16 राम मोहल्ला, रत अम ।

(मन्तरक)

(2) श्रीमती कमला बाई पत्नी श्री भेरूजालजी चौर्ड़िया 9/466 छोटो कामा मोहरला बारमेड़ (राजस्थान) ।

(प्रगरितो)

को यह सचना कारी करके पृक्षोकन पपरित के अर्जन के क्रिया कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस मुखना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सवधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्विक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ब्वारा;
- (क) इ.स. स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीत से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकरेंगे।

स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्वों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में रिफाणित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया स्था हैं।

जन्स्ची

मागन नं ० 16 एवं 35, राम भोड्न्ला, रत्नाम में स्थित है यह वड़ स्थावर सम्मति है जिन्ना विवरण श्रन्तरितो शारा सत्यापित फार्म नं ० 37 --जो में निहित है।

> नी० के० बरनवास सप्तम प्राधि हारो सहायक श्रायकर प्राप्_षन्त (निराक्षण) प्रार्जन रेंज, भोनाल

तारीख: 10-12-1984

अक्रम बार्ड टी. एम एक.-----

शायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) कौ भाग 269-च (1) के सभीन सुचना

भारत तरकाच

कार्यामय, सहायक नायकर नायुक्त (निरीक्षण)

धर्जन रेंज, भोपान

मोपाल, विनाक 10 विसम्बर 1984

निदेश सं० मई० ए० सः०/मर्जन/भोपाल/5441—मतः मुझे, बारेन्द्र कुमार धरनवाल,

कायकर विधानयम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त संधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्रधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मून्य 25 000/- रा में संधिक है

कीं जिनकी सं अर्म ख व नं 1054/11 क्र एवं 1054/12 है तथा जो मह-ने मच रोड, रतलाम में स्थित है (कीं इससे उपाबड़ क्र सूचा में और पूर्ण रूप से विणत है), राज द्राण सि क्रिकार के कार्यलय, रतलाम में रिज द्रावरण क्रिकिटक, 1908 (1908 का 16) के अक्षोन, त रंख क्रपैस, 1984 को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दृष्यमान प्रतिकत के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विद्यास करन का कारण है कि सथाप्येक्त सम्पत्ति का उचित बाजार क्र्य, उसके दृष्यमान प्रतिकत से एमं दृष्यमान प्रतिकत के पन्द्रम प्रतिकत से बिचयमान प्रतिकत से एमं दृष्यमान प्रतिकत के पन्द्रम प्रतिकत से बिचयमान प्रतिकत के लिए तय पाया गया प्रतिकत कि निम्तिकति के विच्या से उक्त अन्तरण सिवित में वास्तिक क्ष्य की स्थित नहीं किया गया है :----

- (क) अंतरण से हुई किसी साथ की बाबत, उक्त अस्त्रान्यक + अभीन चर दन के अन्तरक के द्यांतरक में कभी करने ना उच्च बचने में सुविधा के जिद्द; सर्थिया
- (ख) ऐसी किसी बार्य वा किसी धन वा सन्य बास्तियों को जिन्हों भारतीय बायकर बिधिनयम, 1922 (1922 का 11) वा उक्त बिधिनयम, वा धन-कर बिधिनयम, 1957 (1957 का 27) के बवोजनार्थ बन्तरिती बचारा प्रकट नहीं किया गया था वा किया बाना चाहिए था, क्रियान में बृविधा के बिए:

बतः बब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनसरण बीं पीं, उक्त अधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) को अधीन, निस्निसिंखत व्यक्तियों, अर्थात् :— (1) श्रो श्रको ह कुमार पिता श्राचमश्रल ल जा कटास्या, निवासा मोहत्ला न्यूरोड, रसल.म।

(म्रन्तरक)

(2) मैसर्स कासमास होटन्स प्राइवेट लि०,
द्वारा श्र मान्तन ल निता
श्रानाथू लाल जा श्रप्रवाल,
निवासा — नीत ईपुरा,
रतन म राजि शाफिस,
51, जवाहर नगर,
रतलाम।

(भाउरितो)

को यह स्वना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हु।

उक्त तम्पत्ति के वर्षन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप:---

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी हा के 45 दिन की सर्वाध या तत्सवधी न्यक्तिकों पर स्वना की बामीस से 30 दिन की क्विध, को बी का राम प प्रकार काली हा के भीतर प्रवासक क्यां किता में से निस्ती व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस नवन के राज्यत्र में प्रकारत की तार्गन हैं

 44 रिन के भीतर उक्त स्थावर सम्मत्ति में द्विसंबद्ध्य

 किसी सन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पाव

 लिखित मा किए आ सकीगी।

रपच्यीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, वो उक्त कोभानयत्र क अभ्याय 20-क में परिभाषित है की पर्य होगा जो उस प्रध्याय में किया क्या है औ

अनुसूची

भूमि ख॰ नं॰ 1054/11—म एवं 1054/12, महूं— नोमात रोड, रतानाम में स्थित है। यह वह स्थावर समाति है जिनात विवरण अन्तरितो द्वारा सत्यादित फार्म नं॰ 37—जो में निश्चित है।

> बी० के० बरनकाल सक्षम प्राधिकारी सहायक द्यायकर ग्रायुक्त (निरोजग) ग्राजैन रेंज, भोशल

तारीखा: 10-12-1984

म.हर:

प्रक्षम बाष्ट्रं .टी . एव एख . -----

वानकार गीधीनवस, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-म (1) के संधीन सूचना

MINE GERMA

कार्यात्वा, सहायक बायकर बाय्क्त (निरीक्षण) धर्जन रेंज, भोपाल

मोताल, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निवेश सं० भ्रार्व । ए० सो०/म्रजैन/भोगल/5442—सतः मुझे, व रेन्द्र कुमार बरनवाल

बाग्रकर निधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त निधिनियम' कहा गया है), की धारा 260-क के नधीन स्थाय प्रिकारी को यह विश्वास करन का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृस्य 25,000/- रा. सं अधिक है

भीर जिसको सं० भूमि ख० नं० 1054/11— प्र सथा 1054/12 है तथा जो न मच रोड, रतल म में स्थित है (श्री: इससे उपाबद अनुभूचो में भीर पूर्ण रूप से विणत है), रिजिन्द्रों ति प्रशिकारा के कार्यालय, रतन म में रिजिन्द्राकरण प्रशिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधान, तर ख प्रश्ति, 1984

को बुबक्त सपित के उचित बाबार बृत्य सं कम के स्वयान वित्रका के तिए जन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्मित का उचित बाबार पृष्य, उसके स्वयमान प्रतिफल सं एमें स्वयमान प्रतिफल का अन्तह प्रतिकात सं अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और बंतरिती (अतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तब पावा च्या प्रतिफल, निम्निक्ति उद्योग्य सं उचन बन्तरण लिखित के बास्टिकिक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी जाय की बाबत उक्त अधि-नियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/वा
- (वा) एमी किसी जाब वा किसी धन वा बन बारिसवी की, जिन्हों भारतीय आयकर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त क्रीजीमक्षण, या चम अब अपिनियम 1957 (1957 का 27) की प्रयोजनार्थ अन्तीरती दवारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अनः अवः, उक्त अधिनियम की धारा २६०-ग के अनसरण में, कें, उक्त अधिनियम की धारा २६० प की उपधारा (1) चे अधीन, निम्नलिखित स्पिक्तयों, अधीत् :--- (1) श्रो नरेन्द्र कुमार गिता श्रा घमना लाल जो कटारिया, निवासा न्यू रोड, रतलाम।

(मग्जर ह)

(2) मै॰ कासमास हाटल्स प्राइवेट लिमिटेड, रतलाम, द्वारा श्रः धम्त लाल पिता श्रा नायू लालजा ध्रयवास, नीताई पुरा रतलाम 51 जताहर मार्ग रतलाम।

(प्रजीता)

को यह सुचना बारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्चन के बिष् कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

जनत सम्पत्ति के बर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप :----

- (क) इव त्यंना के रायपत्र में प्रकाशन की तारीय से 45 विन की नवींथ या तत्सम्बन्धी व्यावस्थों पर स्थान की तामीन से 30 विन की नवींथ, को भी तनीय वाद में समाप्त हाती हो, के भीतर वृत्तीवंश व्यावस्था मा स किसी कवित हवारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक्थ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अभोहस्ताक्षरी के पाड़ चिकित में किए जा सकोने।

स्पव्यक्तिरणः --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, वो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं हैं, नहीं वर्ष होणा वा उस वध्याय में दिवा वया हैं।

अनुसूची

भूमि खा० गं० 1054/11-मा एवं 1054/12 महूं-नीमव रोड रतनाम में स्थित है यह बहुन्यावर समास्त है जिन्हा विवरण भन्तरिता द्वारा सत्यानित कार्न गं० 36-जो में निहित है।

> नी० के० बरनवास संक्रम प्राधिकारी श्रहायक नायकर आयुक्त (निरक्षण) सर्जन रेंख, भोगल

तरीच : 10-12-1985

मोहर 🕹

प्रस्प बाहं. टी. एन. एव.----

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व (1) के बधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय . सर्यक अभारत ठ०क (गोनरीक्षण)

म्रार्जन रेज, भोवाल

भोगाल दिनाक 10 दिनम्बर 1984

निदेश स० ग्राई > ए० सो० /ग्रार्जन/भोनाल/5443—ग्रातः मुझे वारेन्द्र कुमार शरनवाल

आयकर अिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसक पश्चात् उक्त आधानयम कहा नया है), का धारा 269-ख के अधीन सक्ष्य प्रशिधकारी का यह विक्वास करने का कारण ही कि स्थाउर सक्ष्यति जिस्ता अकित बाजार मृत्य 25 000/- रा से अधिक हैं

श्रीर जिसके सं० भूमि ख० नं० 1054/12 है तथा जो नामच रोड रतातम में स्थित है (श्रीर इससे उपाबढ़ श्रनुसूचों में श्रीर पूर्ण रूप से वणित है) राजिस्ट्रानां श्रिष्ठकार के कार्यालय रतलाम में राजस्ट्राकरण श्रीर्धानयम 1908 (1908 का 16) के श्रवान ताराख श्रवेल 1981

की पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के स्थमान प्रातफल के लिए अन्तरित का गर्न हैं । महा यह विश्वास करन का कारण है कि यथणपर्वाक्स सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्या, उसके स्थमान प्रतिफल का, गाम स्थमान प्रतिफल का भक्ष प्रतिकात स अधिक है और अतरिक (अतरिको। और अतरिती (अतरितिया) के बीच एस अन्तरण के जिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निलिशित उद्ये क्या से उचन कन्तरण निम्निलिशित के स्थान कर्तिया गया है .——

- (क) अन्तरण त हुई किसी अह की शब्दा, उक्त विभ-अधिनियम के अधीन का दान के अन्तरक वे दायित्व में कभी करत गाउनस वचने में सुविधा क लिए, आद्र/या

अतः शव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 व का उपधारा (1) इ अधीन, निम्नलिसित व्यक्तियों, अर्थात् ा— (1) श्रा राजेन्द्र तुमार पिता श्र भवर लाल (बा॰ एलः ग्रग्नवाल) निवास नौनाईपुरा रतनाम ।

(भ्रन्तरिक)

(2) मैनर्स कासमय होटल्स प्राइवेट लिमिटेड रतल महारा अणशारा श्र ग्रमतनाल पिता अन्ताश्वलालंक प्रश्रान भौताईपुरा रचनाम राजय्टर्ड आफिस 51 जसहर मार्ग रतलाम।

(भ्रन्तरिती)

को यह न्यनः आरो करके पर्याक्त सम्पत्ति के अधन का लए कायनाइया करता हुं।

उक्त र पा तेल जाराजा काही भी आक्षण ---

- (क) इस र्चना क नाजपत्र में प्रकाशन की तारीच बें 45 जिस की निर्मात पा नत्मम्बन्धी व्यक्तिया पर स्चना की नामील स 30 दिन की जनिष, जो भी अन्धि काद में समाप्त हाती हा, के भीतर प्रविक्त स्थितिया पास्त्री त्यी व्यक्ति हुनारा,
- (ब) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन क भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसा है र है। किसा है र वारा अदाहस्ताक्षरा के पास शिक्त में किसा से सकेंगे।

सम्ब्री

भूमि ख० न० 1054/12 मोह्न्ता मह, नीमच रोड, रतनम में स्थित है । यह वह स्थावर समाति है जिनहा विवरण श्रातारवा क्षेत्रा सत्यावत कार्य न० 37-जा में निहित है ।

> वो० के० बरनजाल सक्षम प्राधिकारी महायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्गन रेंज, भोगल

तारीख 10-12-1984 मोहर तर्य ५ वर्षे .टी . ध्न . एस . ------

नायकर निधनियम, 1961 (1961 का 43) की

भारा 269-म (1) के अधीन सुमना भारत सरकार

कार्यासय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) प्रजेन रेंज, भोपाल भोगल, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/ग्रर्जन/भोपास/5444— गतः मुझे व रेन्द्र कुमार वरनवास

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त आधिनियम' कहा गया है), की धारा 269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रा. से अधिक है

श्रीर जिसका सं० भूम ख० सं० 1054/11-श्र व 1054/12 है तथा जो ने मचरोड रतलाम में स्थित है श्रीर इससे उपाबद्ध अनुभूचा में श्रीर पूर्ण रूप सेवींणत है) र्राजस्ट्र कर्ता प्रधिकारा के कार्यालय रतलाम में र्राजस्ट्राकरण श्रीक्षित्यम 1908 (1908 का 16) के श्रीक्षान सर ख श्रील 1984 का पूर्वोंकत सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मम यह विश्वास करने का कार्य है कि यथापूर्वोंकत सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दश्यमान प्रतिफल स एस दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत स अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसं अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिकल रूप म क्रिंशत नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण सं हुई किसी जाय की बाबत, उच्चे अधिनियम के अधीन कर दन के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचाने में सूबिया के लिए; जीर/या
- (क) एसी किसी आय या किसी धन ग्ना अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्रारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना आहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

क्षतः अव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग्व के अन्सरव में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-व्य की उपधारा (1) के अधीन, निम्नतिस्ति व्यक्तियों, अर्थात् :— (1) श्र.मता शक ला बानू पति श्रासैदा हुसैन जा बोहरा निवासा द्वाट का पुलिया रतलाम ।

(भन्तरक)

(2) मैससं कासमप होटल्स प्राइवेट लिमिटेड रतलाम द्वारा श्रा प्रमृत लाल पिता श्रा नाथूमल जा प्रश्वाल भौलाईपुरा रतलाम रजिस्टर्ड ग्राफिस : 51 जवाहर मार्ग रतलाम ।

(बसर्ति)

को यह मुचना बारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हुं।

उक्त संपत्ति के वर्जन के संबंध में कोई भी बाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीबा है 45 दिन की अनिध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की बविध, जो भी अविध बाद में समाप्त हाती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीस है 45 दिन को भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास निकित में किए जा सकोंगे।

निकिरणः --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं नर्थ होगा जो उस सध्याय में दिया नया है।

वन्य्या

भूमि खा० नं० 1054/11-स्त्र व 1054/12 नीमच रोड रतनाम में स्थित है। यह त्रह स्थावर सम्पत्ति है जिना निवरण अन्तरिता द्वारा सत्यापित फार्म नं० 37-जा में निहित है।

> वी० के० बरनवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर संयुक्त (निरीक्षण) ग्रजैन रेंज, भोतास

सारीख: 10-12-1984

प्ररूप आइ. ट. एन . एस . -----

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

मर्जन रेंज, भोपाल

भोगाल, विनोक 10 विसम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सो०/अर्जन /भोगल/5445--- आतः मझे, बारेन्द्र कुमार बरनवाल

अर्गायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं।, की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रु. स अधिक हैं

श्रौर जिसका सं० भूमि खा० नं० 1054/11-धा, व 1054/ 12 है तथा जो नामच रोड, रतलाम में स्थित है (क्री:इससे उपाबद्ध भ्रासूत्रा में श्रीर पूर्ण रूप से विगत है), राजिन्द्रकर्ती ग्रधिकारः के कार्यालय, रततःम में रजिन्दाकरण ग्राबिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधान, तर्ख अप्रैल, 1984 कां पूर्वोक्त सम्पत्ति के उिचत बाजार मूल्य से कम के रूप्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गर्द और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वीक्त सम्पत्ति का उचित बाजार . मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्नप्रह प्रतिशत स अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरिती (अन्तरितियाँ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिसित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिस्त में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरण को क्षाण्टिक में कमी करने या उससे बचने में सुविधा केलिए; और/मा
- (वा) ऐसी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधाको लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की भारा 269- व की उपधारा (1) के अधीन, मिम्नलिक्ति व्यक्तियों, अधीत :--

(1) श्रारमेशचन्द्र पिता था नाना लालजा यादव, निवासा मोहल्ला मराठो का बास, रतलाम ।

(घन्तरक)

(2) मैसर्स कासमय होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, रतनाम, द्वाराश्राभ्रम्य लाल पिता भा नायूनालजा घरवाल, नौलःईपुरा, स्तताम, र्राजम्दर्ड प्राफिस : 51, जनाहर मार्ग, रतलाम ।

(भन्तरितो)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन **के लिए** कार्यवाहिया शुरू करता हु।

उनत सम्पत्ति के अर्थन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राअपत्र में प्रकाशन की तारीच चे 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियाँ पर सुचना का तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी **अ**विध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व **भ्या**क्तयो में स किसी व्यक्ति द्वारा;
- (च) इस सचना के राजपत्र में प्रकारन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधिहस्ताक्षरी के पास लिसिन में किए जा सकोगे।

स्पष्टीकरण:---इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-नियम के अध्याय 20-क मे परिभाष्ति है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय म दिया गया

मन्स् ची

भूमि ख० नं० 1054/11-प्रत्र, 1054/12, नीमन रोड, रतलाम में स्थित है । यह वह स्थावर तमाति है जिसका विवरण मन्तरिता द्वारा सत्यानित फार्म नं० 37-जा में निहित है।

यी० के० बरनवाल

सक्षम प्राधिकारी सहायक मायकर मायुक्त (निराक्षण) मर्जन रेंज, भोनास

सार ख : 10-12-198 4

मोहर 🚁

प्ररूप बाई.टी.एन.एस. -----

शायकर शिंपिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के श्रीन स्चता

भारत सरकार

कार्यांतय, सहायक बायकर बायक्त (निरौक्षण) अर्जन रेंज, भोगल

भोगाल, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० ग्राई० ए० सो०/ग्रर्जन/मोगल/5446---ग्रतः मुझे, वा० के० बरनवाल

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25 000/ रुप्त म अधिव है

भीर जिपको सं० कृषि भूमि है तथा जो दोशो गांव, रतलाम में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध ग्रन्यूचा में ग्रीर पूर्ण रूप से वांणत है), राजिस्ट्राकर्ता ग्राधकार। के कार्यालय, रतलाममें राजिस्ट्राकरण ग्राधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधान तार ख ग्राप्त, 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मफे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितयों के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गमा श्रीतफल, निम्नोलासत उददश्य स उक्त अन्तरण लिखत के बास्तिवक रूप से कथित नहीं किया ग्या है :---

- (क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त आधानयम क अधान कर दन क अन्तरक के दावित्व में क्मी करने या उससे वचने में सूविधा कालए, और./ वा
- (क) ऐसी किसी जाय या किसी धन या अन्य आस्तियों का जिन्ह भारताय आयकर आधानयम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम 1057 (1057 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना नाहिए था, छिपान म सुविधा के लिए।

आत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अनसरण कों, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की इपधारा (1) के अधीन, निम्नलिश्वित व्यक्तियों, अधीत्:— (1) श्रा भ्रब्दुल खालिह हाजो अब्दुल इनहरम शेख, मुस्लिम, निवासह,रतलाम।

(भ्रन्तरक)

(2) मैं ॰ रतलाम फर्टीलाइजर्स लि ॰, रतलाम, राजस्टर्ड ग्राफिस : 305-312, दापाला बिल्डिंग, तासरः मंजिल, 92, नेहरू पैलेस, नई दिल्ला, एच ॰ ग्रो॰ गार्डेन रिच रोड, कल कता ।

(भ्रन्तिः)

की वह स्वना बारी करकी पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीं से 45 दिन की अप्रीध या तत्मम्बन्धी व्यक्तियों पर स्चना की नामील से 30 दिन की अप्रीध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में स किसी व्यक्ति द्वारा;
- (च) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति देवारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्वध्योकरण:--इसमें प्रयक्त झन्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित ही, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

ग्रनु मूची

कृषि भूमि दोषी गांव रतलाम में स्थित है । यह वह स्थावर समाति है जिला विवरण श्रन्तरिता द्वारा सत्यापित फार्म नं० 37-जो में निहित है ।

> वी० कु० बरनताल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज भोपाल

हारीख: 10-12-1984

मुक्कम् वाष्ट<u>्रं क्षी पून् . एव</u> ुल्यवण्डववन्त्रव

ं नायकर विधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व (1) क वधीन सूचना

बारत बरकाइ

कार्यासय, सहायक बायकर बायुक्त (निरीक्षण)

मर्जन रेंज, भोताल

भोपाल, दिनांक 10 विसम्बर 1984

निदेश सं० मार्ड० ए० सो०/मार्गन/भोगल/5447—मत . मुझे वारेन्द्र कुमार बरनवाल आयकर बाधानयम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें

इसके परचात् 'उक्त अधिनयम' कहा गया है'), की धारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी की यह विक्यास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रा. से अधिक हैं

भीर जिनको सं० भूमि खा नं० 1054/11-ध व 1054/12 है तथा जो न मच रोड रतजाम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध भनुसूच. में भीर पूर्ण रूप से वणित है) रिजस्ट्र किर्ता श्रीधकार। के कार्यालय रतजाम में रिजिन्द्र करण श्रीधनियम 1908 (1908 का 16) के श्रधान, तःराख श्रीजैल 1984

का प्रविक्त सर्पारत के उचित बाजार मृत्य से कम के रच्यमान प्रसिफल के लिए अन्तरित की गई है और मृक्त यह जिस्थास करन का कारण है कि यथापुर्वाक्त सम्मत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसक रूप्यमान प्रतिफल से, एस रूप्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रसिक्षत अधिक है और अन्तरक (अन्तरका") और अन्तरित (अत्तरका") के बीच एस अतरण के लिए तथ पाया गया प्रति-क्रम, जिम्निविचित उद्वास्य स उन्त लन्तरण सिचित में वास्त्विक रूप स कार्य स समित नहीं किया गया है :--

- (क) अन्तरण संशुद्धं किसी आय की बाबस, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्यरक के दावित्व में कनी करने वा उच्छं व्यूने में सुविधा के लिए, नीपु/ना
- (च) एसी किसी बाब वा किसी धन या बन्य बास्तियों को चिन्हों भारतीय बाब-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) वा उक्त अधिनियम वा धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती इवारा प्रकट नहीं किया गया था या किया बाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के निए;

बस् कवा, उच्या बधिनियम की धारा 269-व के अनुसरण , हो, उक्त बधिनियम की धारा 269-व की उपभाषा (1) के अधीन, निम्नसिक्ति व्यक्तियों, क्रथीत :—— (1) श्रासीभागमल पिता श्र. छनालालाना चौरडा निवास बजाज खाना, रतलाम ।

(ग्रन्तरक)

(2) मैंसर्स कासमास होटल्स प्राइवेट लिमटेड, द्वारा . भगधारा श्रा श्रानृत लाल नायू लाल श्रायाल, रतन म, रिजस्टर्भ श्राफिस जबाहर नगर, रतनाम ।

(भ्रन्तरिती)

श्री वह सूचना जारी करके पूर्वोंक्त सम्पत्ति के बजन अहिब्स कार्यवाहिया करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाओप :---

- (क) ६२ सचना के राजपत्र मों प्रकाशन की तारी **स से**45 दिन की अर्जाध या तस्मम्बन्धी ध्याक्तयों **११**स्वान की समील से 30 दिन की अवधि, **जो भी**सर्वधि बाद में समाप्त हाती हो, के भीतर पूर्वोक्स
 स्थानत्या में साकसी स्थानत द्वारा;
- (न) इस संधना के राजपत्र में प्रकाशन की हारीब है 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्यो त म अत्रवस्थ किसी बन्य स्थिति व्वारा अधोहस्ताक्षरी के पात लिखित में किए जा सकतें।

स्वक्दीकारण .---हममें प्रयक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त किंभिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ हागा, जा उस अध्याय में दिया गमा है।

ward!

भूमि ब ० न ० 1054 11-प्र व 1054 12, नेभाव रोड, रतन म मे स्थित है । यह वह स्थावर समाति जिन्हा विवरण भारतिरता हारा सत्यानित फार्म २० 37-जा मे निहित है ।

> वी० के० बरनवाल सभाम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, भोगल

तार खाः 10-12-1984 स्रोहर

मस्य बार्ष . टी . एत . प्रा .

भावकर विभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के नभीन सूचना

भारत सरकार्

कार्यां तम, सहायक जायकर जाय्वत (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोगल

भोगान, दिनाक 10 दिमम्बर 1984

निदेश म० ग्राई० ए० सो० । ग्राजन | मोल | 5448 -- ग्रातः मुझे वीरेन्द्र कुमार बरनवाल बायकर अधिनयम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसके इसके परचात 'उन्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-च के बधीन सकाम प्राविकारी को वह विकास करने का करण है कि स्थावर मस्ती न, निजन के चहा विकास करने का करण है कि स्थावर मस्ती न, निजन के चित्र की का स्थावर मस्ती न, निजन की चित्र की का स्थावर मस्ती न

25 000/रु से बिध्क हैं

श्रीर जि को सं० भूमि ख० न० 1054/11—श्र व 1054/
12 है तथा जो न मन रोड रतल म में स्थित है (श्रीर इससे उपाबढ़ अनुसूचों में श्री पूर्ण रूप से विणत है) रिजिप्ट्राकर्ता श्रीकारों के कार्यालय रतल म में रिजिप्ट्र करण श्रीधिनयम 1908 (1908 का 16) के श्रधान तार ख श्रील 1984 को प्वॉक्त सपत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दश्यमान श्रीतका के लिए अन्तरित की गई है और मुम्ने यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपित का उचित बाजार मृत्य , उसके दश्यमान प्रतिकल से एसे दश्यमान प्रतिकल का पढ़ प्रतिकल से अधिक है और अतरक (अतरकों) और अतरिती

(अन्तरितियों) के बीच एंसे अन्तरण के लिए तय पाया गया

प्रतिकल, निम्नलिखिन उददेश्य से उप्त अन्तरण लिपित में

कास्तिविव का संकिथित नहीं किया गया है :--

- (क) अन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत, उक्त अधिनयम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करनेया उससे अचने में सुविधा के लिए, और/या
- (क) एभी किसी बाय या किसी धन या बन्य जास्तियों को जिन्हों भारतीय बायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ बन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया वाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

श्रतः अब ु उत्रत अधिनियम की धारा 269-स के अनसरण भें , औं , उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) ल अधीन िस्निसित व्यक्तियों अर्थात् :--- 31--426 GI/84

(1) श्रा राजेन्द्र वृम र पिता श्रा निहालचन्द गाधो निवास, बजाज खाना रतलाम।

(ग्रन्तरक)

(2) मैसर्स कासमास होटल्स प्राइवेट लिमिटेड रतनःम रिजस्टर्ड घ फिस 51 जनःहर नगर रतन म क्षरा अशधारी श्रा घ्रमृतन ल प्रप्रवाल पिता श्रा नाथू लाल रतलाम १

(ग्रन्तरिनी)

को यह सुचना चारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्ग क लिए कायनाहिया करता हु।

वयत बन्यतित से तर्थन ने सम्बन्ध में कोई भी माओर्:--

- (क) इस मुखना के रावपत्र में प्रकाशन की तारी है ते 45 दिन की जविध या तत्सवधी- व्यक्तियाँ पर स्वना की तामील में 30 दिन की अवधि, को भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वी कर व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित- बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधाहस्ताकरा के भास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पाद्धीकरण: इसमें प्रयक्त शब्दों और पद्दों का, जो उक्त अधि विस्ता के अध्याय 20 का में परिभाषित हैं, वहीं वर्ष होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

वन्य्यी

भूमि ख॰ न॰ 1054/11-अ व 1054/12 न मच रोड रन्तर प मे स्थित है । यह वह स्थावर समाति है जिन्ना विवरण अन्तरितो द्वारा सत्यापित फार्म नं॰ 37-जो में निहित है।

> वी० के० बरनवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेज भोगाल

त रीख 10-12-1984 मोहर 3 प्रकपः बाह्राः टी. एतः एसः - = - = =

कायकर मिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-च (1) के मधीन स्चना

भारत बरकार

कार्यालय, सहायक नायकर नामुक्त (निरीक्षण)

धर्जन रेंज, भोपाल

भौगल दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निवेश सं० प्रार्थः सी० ए०/ प्रार्गन/भोतःल/5449— प्रातः मुझे वारेन्द्र कुमार वरनवाल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-स के अधीन सक्तम प्राधिकारी की यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिस्का उचित वाजार मूख्य 25 000/- रह में अधिक हैं

भीर जिनको सं० भूमि ख० नं० 1054/11-श्र व 1054/12 है तथा जो निमन रोड रतलाम में स्थित है (भी किस से उपाबक भनुसून में भीर पूर्ण रूप से विणत है) रिजिन्द्र कित धिकार के कार्यालय रतलाम में रिजिन्द्र करण प्रधिनयम 1908 (1908 का 16) के भ्रष्ट न तर ख भ के ध्रयमान बीतफा के लिए बन्तरित की गई है और मूझे यह विक्यात करने के कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के ध्रयमान बितफा के लिए बन्तरित की गई है और मूझे यह विक्यात करने के कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके ध्रयमान प्रतिफल से, एसे ध्रयमान प्रतिफल का बंद्र भित्रात से बितफ है और बंतरण के लिए तम पामा प्रतिक्त का विवर्ध में विवर्ध में उच्ये के लिए तम पामा प्रतिक्त का निम्निलिखत उद्वंच्य से उच्ये बन्तरण तिबित में बास्तिविक स्म के कियत नहीं किया नया है:—

- क्षिण अन्तरण से हुए किसी बाव की बावस, सबके अधिनयम के अधीन कर दोने के अन्तरक के बाबित्य में कानी करने वा ध्रस्त बचने में सुविधा के सिए, और/वा
- (का) ऐसी किसी नाम या किसी भन या जन्म नास्तियों का, जिन्हों भारतीय भाय-कर निधिनयम, 1922 (1922 का 11) या उक्त निधिनयम, या भन-कर निधिनयम, या भन-कर निधिनयम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, स्थिपने में वृतिया की निष्
- जत- जब, उक्त अधिनियम की धारा 269-म के जनसरण वं', बे', उक्त अधिनियम की धारा 269-व की उपभारा (1) को बंधीन, निस्तिविक्त व्यक्तिवों, वर्धात् ३०००

(1) श्रः भारतन्य लाल पिता श्रः पूतम चन्द गाधा निवासः बजःजकाना रतलःम ।

(मन्तरक)

(2) मैसर्स कासमीप होटल्स प्राइवेट लि.मंडेड रतन म राजिश झाफिस 51 जनाहर नगर रतलाम श्रेशवारी श्रा श्रभृत लाल झालाल नौल ईनुरा रतनाम ।

(भ तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोंक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कामनाहिया करता हूं:

इक्त सम्पत्ति के वर्जन के संबंध में कोई भी जाकर :--

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच के 45 दिन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों म स किया क्यांक्त द्वारा,
- (क) इस सकता के राज्यक में प्रकाशन की तारीय में 45 दिन के शीतर उक्त स्थावर सम्पन्ति में दितवव्ध किसी बन्द कवित व्यारा, अधाहस्ताक्षरी के पास विविध में किए वा सकता।

स्पष्टीकरण :---इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनि । में, को अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिसा गया है।

मन्सूची

भूमि खा॰ नं॰ 1054/11-श्र व 1054/12 निमभ रोड रततम में स्थिन है। यह वह स्थावर समाति है जिसका विवरण भातारता द्वारा सत्योगित फार्म नं॰ 37-जो में निहित है।

> वी० के० बरनवाल सभन प्राधिकारी सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरोक्षण) स्रर्जन रेंज, भोगल

तारीख : 10-12-1984

माहर 🚜

प्ररूप आईं.टी.एन.एस. -----

चायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-च (1) के अभीन सूचना

बारत् सरकाड

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रजंन रेंज, भोगल

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० म्नाई० ए० सी०/म्नर्जन/भोपाल/5450—म्बतः मुझे, बोरेन्द्र कुमार बरनजाल,

बायकर नांधीनयम्, 1961 (1961 का 43) (जिसे इससे इसके पश्यात् 'उकत निर्मानयम' कहा गया हैं), की धारा 269-क के अधीन संक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25000 ह० से अगित है

भीर जिसकी सं० भूमि है छ० नं० 1054/12 है, तथा जो नीमच रोड, रतलाम, में स्थित है (ग्रीर इससे उभवंड प्रनुसूच) में ग्रीर जो पूर्ण रूप से विगत है) रजिन्द्राकर्ता ग्रधिक राके कार्यात्र रततःस में रजिन्द्राहरण प्रवित्यन 1908 (1908 कार्यात) के ग्रधीन दिन क श्रप्रैल, 1984

का प्यांक्त सर्पात्त के उपित बाजार भून्य से कम के उपयोग कि किए अतिरत की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि स्थाप्जीकत सम्पत्ति का उपित बाजार मून्य असक दश्यमान प्रतिफल स, एम उपयान प्रतिफल का पन्यह शित्रात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और बन्तरिती (अन्तरित्या) के बीच एसे अन्तरण के लिए तब पाया गया प्रातिफल, निम्नलिखित उद्वर्यों से उक्त बन्तरण विश्वित में वास्तावक क्य स को थत नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आग की वास्त, उक्त अधिनियम के अधीन कर इत के अन्तरक की शांधरव में कभी करन यः उसस वचने में सुविधा के सिए, ऑर्थ्या
- (च) एसे किसी बाय या किसी धन या बन्य ब्रास्तियों कां, जिन्हों भारतीय आयक र ब्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ब्रधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजनार्थ ब्रतरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपान में सूबिधा चे सिए;

कतः जब, उक्त अधिनियम की धारा 269-म के अन्सरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन, निम्निसिस्त व्यक्तियों, सर्थात् ≟— श्री बर्मल पिता रामलाल जायसवाल, निवासी—पेलेस रोड, रतलाम।

(भ्रन्तरक)

 मैसर्स कासमास हाटम्स रतलाम प्राइवेट लिमिटेड, झरा श्रंगधारी श्रम्तताल नाथूलाज जी श्रग्रवाल, मौत ईपुरा, रतलाम रजि० श्राफिस, जवाद्र नगर, रतलाम ।

(भन्तरिती)

को यह सूचना वारी कारके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अवन के सिक् कार्यनाही शुरू कारता हूं।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के संखंध में कोई भी बाक्षेप :---

- (क) इस स्वता के राजपत्र में प्रकाशन की हारींब सै 45 दिन की अवधि या तत्सवधी व्यक्तियों क्य स्वना की तामील से 30 दिन की अवधि, को भी अवधि बाद में समाप्त हाती हों, के भीतर पूर्वीक्ट व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक वं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्मत्ति में हिंद-बद्ध किसी व्याक्त द्वारा, अधाहस्ताक्षरी के पाड़ लिखित में किए जा सकेंगे।

ल्बब्दीकरण: --इसमें प्रमुक्त शब्दों और पर्दों का, जो उक्स अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाजित हैं बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विका गया हैं।

धनुसू वी

भूमि खसरा नं० 1054/12, नीमच, रोह, रतलाम में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है, जिसका विवरण अन्तरिती द्वारा सस्यापित फार्म नंबर 37-जी में निहित है।

भी० के० वरनवास सक्षम प्राधिकारी सहायक भायकर भायक्त (निरीक्षण) भर्जन रेंज, भोपास

सारीख: 10-12-1984

प्ररूप आई.ट. एन एस . -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-भ (1) के अधीन सुवना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक बायकर बायुक्त (निरीक्षण) ग्रजन रेंज, भोगल

भाषाल, दिनाक 11 दिसम्बर 1984

निदेश सं० भ्रार्ड० ए० सो०/भ्रर्जन/भोपाल, 5.45---भ्रतः मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक हैं

और जिसकी सं० भ्मिष्लाट कमां क 8 है तथा जो देशहरा मैदान, भ्रनुपूरक, योजना, ग्र० : उज्जैन, में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबड ग्रनुभूचा में धार जो पूर्ण रूप से वणित है) रिजस्ट्रीकर्ता श्रीधकारी कार्यालय उज्जैन, में रिजस्ट्रीकरण ग्रीधनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन दिनाक ग्राचल, 1984

को पूर्वेक्त संपत्त के उचित बाजार मूल्य से कम के स्वयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूं में यह जिल्लास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बातार मूल्य, उसके स्वयमान प्रतिफल से एसे स्वयमान प्रतिफल का पन्तह प्रतिकृत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया फल निम्नलिखित उद्वेष्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तिवक रूप से किथा गया है:——

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरण के दाण्टित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (का) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) को प्रयोजनार्थ अन्रिरिती द्वारक प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविकाल लिए;

असः अब, उक्त अधिनियमं की धारा 269-ए के अन्सरण है. मै. उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपभारा (1) के अधीन, निम्नीलिखित व्यक्तियों, अर्थात :--

- 1. (1) श्री मोहन लाल,
 - (2) श्री राजमल
 - (3) श्री सुरेश कुमार पुत्र नाथ्लाल जी,
 - (4) श्रोमता गारदा बार्ड, पन्नी शिव नारायण स्वयं बहेनियन सरपन्स्त विकेता म्रवयस्क
 - [(5) श्री राजेश कुमार
 - (6) श्री गिरंधर कुमार
 - (7) ग्राशा
 - [(8) श्रनिता
 - (१) जयश्री पुत्र व पुत्री, श्रो शिव नारायण
 - े निवासा गण मोचावाड़ा, उज्जैन ।

(ग्रन्तरक)

2. श्री सु^{रे}न्द्र सिह सिसोदिया त्रात्मज, श्रंभान सवाई सिह जो सिसोदिया,

निवासी दशहरा मैदान उउजैन ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के सिए कार्यवाहिया शुरू करता हुं।

उक्त रूपित के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस स्वना के राजपत्र, में प्रकाशन की तारी स से 45 दिन की अवधि या तत्मम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अभाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकींगे।

स्वष्टीकरणः — हममे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्कत अधि-नियम के अध्याय 20-क में परिभाष्टित हैं, बही अर्थ होंगा, जो उस अध्याय में विया गड़ा है।

अनुसूची

भूमि प्लाट अमाक 8, दणहरा मैदान, स्रनुप्रक, योजना (म्र), दणहरा मैदान, मे स्थित है।

> वी० के० बरनवास सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षण) अर्जन १४ज, भोगास

तारीखा = 11-12-1984 मोहर: मक्य कार्ं डी ्न एसः, ----= =

वायकर विधिनियस, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज, भोपाल

भोगल, दिनाक 11 दिसम्बर, 1984

निदेश स० ग्राई० ए० सी०/ग्रर्जन/भोगाल/5451—-श्रत मुप्ते, वी०के० बरनवाल,

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उकत काधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25 000/- रहं से अधिक है

श्रौर जिसकी सं० भूमि सर्वे नं० 157/2/2, सथा सर्वे नं० 157/4/1 है, तथा जो ग्राम निरपुर सहज्व जिना इंदौर में स्थित है (श्रौर इनो उप बड़ अनुसूवी में श्रौर जो पूर्ण स्प से विजित है) रिजि'ट्रो कर्ता श्रीध करी के कार्यालय इंदौर में रिजिस्ट्री-करण श्रिधिनियन, 1908 (1908 का 16) के श्रिधीन दिनाक प्रत्रीस, 1984

का प्रांक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्त यह विश्यस करन का कारण है कि यथाप्यांकत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसक दृश्यमान प्रतिफल में, एस दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशास से अधिक है और अंतरक (अतराकों) और अतरिती (अन्तरिताया) के बोच एस अन्तरण के लिए तब पामा गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्वयम से उन्त अन्तरण निम्नलिखित वें भारतीयक हम से की भत नहीं किया गया है :---

- (क) अंतरण तेहुई किनी जाय की बाबता, अक्स् अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्थ में कमी करने या उससे अचने में सुविधा कारण, कार√वा
- (क) ऐसी किसी बाय या किसी अन या अन्य बास्तियों को, जिन्हूं भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर् बिधिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनार्थ अन्तियम विवास प्रकट नहीं किया गया था या किया बाना बाहिए बा, कियाने में सुविधा के सिए;

अतः अतः, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनसरण अते. में उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपभारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--- श्री कालाबीन, पिता ननकू यादव , नित्रासी 63, कालोनी नगर, इन्दौर ।

(ग्रन्तरक)

2. लश्मी गृह निर्माण सङ्कारी संस्था मर्योदन इदौर की श्रोर से श्रध्यक्ष, श्रो गोविन्द बाबू, पिता श्री सीतल यादव , इन्दौर।

(मन्तरिती)

को यह स्थाना जारी करके पूर्वोक्त सम्परित के वर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हु।

उस्त सम्पत्ति के बर्जन के पम्बन्ध में कीई भी बाक्षेप :---

- (क) इस सुवना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की कबीथ या तत्सबधी व्यक्तियों पर सुवना की तामील से 30 दिन की अवधि, को भी क शीथ बाद में समाप्त हाती हो, के भीतर पूर्वाक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ब्वारा;
- (च) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाकन की तारींच से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्याक्त द्वारा अधाहस्ताक्षरा क शाक निवित्त में किए जा सकी।

स्पब्दीकरणः ---- इसमें प्रयक्त सब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, यही अर्थ हागा जो उस अध्याय में दिया गया है।

बन्सूची

भूमि सर्वे नं० 157/2/2 तथा सर्वे नं० 157/4/1, ग्राम तिरपुर, जिला इंदौर में स्थित है।

> बी० के० बरमवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर भायक्त (निरीक्षण) गर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक : 11-12-1984

मोहर '

प्रकृष बाह्र टी ६५ एत --- -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के बभीन सूचना

हारत करकाक

कार्यालय, सहायक कांग्रेकर कांग्रेक्त (निरीक्षण) फ्रार्जन रेज, भोगल

भोगल दिनाक 11 दिसम्बर 1984

निशेग स० ग्राई० ए० सी०/म्रर्जन/भोपाल/5453--म्रत मुझे, बी०के० ब नशल,

मायकार मिंपनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है'), की धारा 269-क के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का काण है कि स्थावर मणोत्त, जिसका उचित बाबार व्यस्क 25,000/- रा से अधिक है^{*}

भीर जिसको स० भूमि खा० नं० 11 है, था जो मुलकाखेडी, जिला इदौर में स्थित है (श्रौर इसमे उपावद्व अनुसूर्च, मे ग्रौर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिन्द्रोकर्ता भ्रधिकार, के कार्यालय इदौर में रजिस्ट्रॉकरण भ्राधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रधान दिन क ग्राप्रैल, 1984

का प्वाक्त सम्पत्ति क उचित बाजार मृत्य से काम के इच्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करन का कारण है कि सथापुत्रोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मून्य, उसक दरग्रान प्रतिफल स, एस द्रायमान प्रतिफल का गंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अररक (अंतरकों) और अंतरिती (मन्तारा १या) के बाब एस बन्तरण के निए तय गया गया ग्राप्त-फल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अंतरण लिखित में बास्तविक **क्ष संको भत नहां किया गया हैं ⊸**—

- (क) अन्तरण से हुई किसी जाय की बाबत, उक्त जाभागयम कजभाग कर दन क नन्तरक औ बारियरंथ में कमी करन या उससं यान में सुविधा कालए, और/वा
- (ख) एसी वि 🔭 👊 या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हा भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर आधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपान में स्विधा क लिए,

जत अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनसरण माँ, माँ, उक्त मधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) क्को अभीत, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :---

- 1 जैन क्षेत्र मगर, नगा मदिर दुम्य बारा हेमन्त कुमार नित श्रो तायमन तो रोजाजन निजामी सातता माधा बाजार, इदौर, एव दौरा चन्द्र पिता हरकचव जी निशासी म० न० 60/2, केशर बाग, रोड, इदौर। "(ग्रन्तरक)
- य महाश्रीर बाग सहकारो गृह निर्माण संस्था द्वारा राजेन्द्र कुमार भागजन्द्र एव राजकुमार , हस्तोमल साल, ।नवासो 37, निहासपुर, इदौर ।

(श्रन्तरितो)

आहे बहु भूषना काशी करको पृत्रानित सम्पृतित को नवन के किए कार्यवाहिया शुरू करता हूं।

इक्त इत्यस्ति के वर्षन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्षेप :---

- (क्र) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीं स से 45 दिन की अवधि या तत्सवधी अयक्तियाँ पर सुचना का तामील स 30 दिन की अवधि, वा भी अविध बाध में समाप्त हाती हो, के भीतर पूर्वोक्त ध्याक्तथा म स किमी व्यक्ति द्वारा,
- (**द**) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सर्पात में हितनव्भ किमी अन्य व्यक्ति दवारा अधाहस्ताक्षरी क शास सिसित मे किए जा सकेंगे।

त्यव्योकरणः --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त आधिनियम , क्रांक अभ्याय 20 क में तथा परि-भाषित हैं., इही अर्थ होगा, जो उस अध्याय म दिया गया ही।

मनुसूची

भूमि ख० नं० 11, सुल काखेड, इदौर में स्थित है। यह बह स्थावर सम्पति है जि का विवरण ग्रन्तरित। द्वारा सत्यापित फार्मन० 37, जो में निहित्त है।

> वी० के० बरनवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरोक्षग) मर्जन रेज, भोपाल

दिनांक 11-12-1984 भाहर

प्ररूप बाइं. टी. एन. एस. ------

जासकर किंपिनियम, 1961 (1961 का 43) कीं भारा 269-य (1) क अभीन सूचना

भारत सरकार

कायौतय, सहायम आयक्तर अयक्त (निरोक्षण) मर्जन रेज, भोगल

भोगन, दिनाक 10 दियम्बर 1984

निदेश सं० म्र ई० ए० सी०/म्र्यर्गन/ भोगःल/5454--म्रतः मुझे, वारेन्द्र वृम र करनवाल,

बायकर अधिनयम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-स क अधीन सक्षम ग्राधकारा का यह रिक्रवास करन का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूस्स 25 000/- रु., स अधिक हैं

हारी जिसका सं शिव विल स पैलेस का पश्चिमो भाग न० ए/10 है तथा जो एम० जांग रोड इसी में स्थित है (शीर इससे उपाबढ श्राभूचा में श्री जो पूर्व रूप में विणत है) दें रिजम्ट्राकर्ता श्री कार के कार्यालय द्दीर में रिजम्ट्र करण श्री यम 1908 (1908 का 16) के श्री में दिनाक श्री था 1984

को प्रांचित सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दृश्यान प्रितिफल के लिए अन्तरित को गई है और मुके यह विध्वास करन का कारण है कि यथापर्वाक्त सप्रित का उच्चन बाजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एमें दृश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और बन्तरिती (अन्तरितिया) के बीच एसे अन्तरण के सिए तब पाया गया प्रतिफल, निम्नालिक उद्दृष्य से उच्च अन्तरण किया गया है के न्तरण के सिंह से अन्तरण से अन्तरण

- (क) जन्तरण से हुई किसी आयं की वावत, उक्त विभिनियम के अभीन कर दोने के बन्तरक के दायित्य में कभी कारन या तससे बचने में, सुविधाः के लिए, आर्द्र/या
- (च) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का जिन्हा भारतीय आयकार अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकार अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजनार्थ अन्तिरती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपान यें सुविभा के लिए;

कतः शव, उक्त सभिन्यम की धारा 269-ग कं अनुसरण हो. मे, उक्त अभिनयम की धारा २००-व की उपधारा (1) को सधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, सर्थात् ≟—— श्रीमती सोहत देवो पत्नो मानसिंह जो गर्ग 1/1वा, साउथ तुको ज ग्रोन पार्क कालोनो इदौर ।

(भ्रातरक)

2. श्री सतीम चन्द्र पिता गुलाख चन्द जो

(2) श्राविधोर हुमर शितः श्रापुत्र बच्द जी निवास 8 निवासोड इदौर।

(ग्रतरतो)

को यह सृचना जारी करके पृतीकत सम्परित के वर्जन के लिए कायजाह्या करता हु।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप :---

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी वा से 45 दिन की अविध मा तत्सवधी व्यक्तियों पर स्वना की तामील से 30 दिन की अविध, वां भी अविध बाद में समाप्त हाती हा, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,
- (का) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारील के 45 दिन के भीतर उक्त स्थात्रर सपित्त में हितबक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी क पाल लिखित में किए जा सकरें।

स्थव्हीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, को उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-के में पीरभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा को उस अध्याय में दिवा गया हैं।

बनुस्ची

शिव विकास पैलेस का पश्चिमी भाग नं० ए/10 एमं जो० रोड इदौर में स्थित है। यह वह स्थायर संप नहै जितका विवरण आत.रता द्वारा मध्यानित कार्यनबर 37 जो में किह्त है।

> वी० के० बरालपाल सक्षम प्राधिकारो सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षण) अर्जन रेज, भोगल

विनोक : 10-12-1984

प्ररूप आईं.टी.एन.एस.-----

भायकर विधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1/ क नभान स्वना

पारव वरकार

कार्यालय, सहायक आयकार आयक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, भीपाल

भोताल, दिनांक 11 दिनम्बर 1984

निदेश सं० अ ६० ए० सो०/अर्गन/मो तल/5455--- अतः मझे, बा० के बरनवास,

कार कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त कांधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 के कांधीन सक्षम प्राधिकारी को वह विकास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित वाजार मूल्ब 25.000/- रा. से अधिक है

श्रीर जिसको सं मकान (भाग) छठी स्कीम नं 153, इंदीर निकास प्राधिकरण है, तथा जो इन्दीर में स्थित है (अ.र इससे उपावढ अनुसूच, में श्रीर जो पूर्ण रूप से विणत है) रिजिन्द्रों की श्रीधकारा के कार्यालय इन्दीर में रिजिन्द्र। करण अधिनयम, 1908 (1908 का 16) के प्रधान दिनांक अजैल, 1984

को प्रवीक्त महिल के लिए राजस्त्रीकर्ता के कार्यालय, मैसूर में धारा 269 ए. बी. के अंतर्गह सक्षम अधिकारी के पास राजस्त्रीकृत किया गया है, मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वोक्त सम्माल का उचित बाजार मृल्य, उसके इश्यमान प्रतिफल से, ऐसे इश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के बीच तय पाया गया प्रतिफल, किम्नलिखित उद्देष्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तिवक रूप से किथित नही किया गया है :---

- (क) बन्तरण वे हुई किनी बाव की बावल, बन्धर अधिनिवल के बनीन धर दोन के बन्धरफ के वानित्ल-से केनी करने वा उबके ब्याने में सूनिधा के बिए; सरि/वा
- (थ) ऐसी कियी जाव वा किसी थण वा जस्त जास्तियों को, जिन्हों भारतीय जाय-कार जीधिनयम, 1922 (1922 का 11) वा उक्त अधिनियम, या धन-कार अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जन्तिरिती बवारा प्रकाट नहीं किया गया वा वा किया जाना चाहिए वा, जियाने में स्विधा से जिए;

कत्तः रूथः. उक्त अधिनियमं की धारा 260-ग के अनसरण को. मी. अकन अधिनियमं की धारा 260-य की उपधारा (1) के सभीन, निस्निविधित स्योजित्यों, अर्थात् :---

- 1. साविता देवा पत्ना श्रा हागेमत जो करमव्दानो निवासा 22/9, पारसा मोह्युल्ला, इंदौर। (अस्तरक)
- 2. गोरोचन्द पिता चंदूमन जी जोवनानी, निवासा 161, पलताकर, कालोना, इदौर। (अन्तरिती)

को यह मचना जारी करके पूर्वोक्त संपृति की बर्चन के सिंध कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उन्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी व वै 45 दिन की अविधि मां तत्सवधी स्विक्तियों पर स्चना की तामील सं 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त हाती हो, के भीतर प्रविक्त स्थितियों में सं किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस मूचना के राजपण में प्रकाशन की हारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थायर मणीत में हित्बकण किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास सिम्बत में किए जा सकार।

स्पर्टीकरण:---इसमें प्रक्रित क्रव्यों ग्रेष्ट पत्रों का, को सक्त अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ हाना जा उस अध्याय में विया स्वा है।

नग्त्यी

मकान स्कीम नंबर 153, एम, इंदौर विकास प्राधिकरण इंदौर में स्थित है । यह बहु स्थावर समाति है जिनका विवरण अन्तरिता द्वारा सत्यारित कार्न नंबर 37 जा में निहित है।

> वी० के० बरनवास सक्षम प्राधिकारी सहायक प्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, भोनास

तारीख : 11-12-1984

सोहर 🛭

प्रस्त्य **बाइ**ं. टी. एन<u>.</u> एस<u>.</u> -----

बायकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ.(1) के अधीन गुचना

भारत सरकार

क्रायांतयः, सहायक आवकार आयुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज. भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 1984

निर्देण सं० भ्राई० ए० सी० /म्रर्जन/भोपाल/ 5456—म्प्रतः मुझे, बो० के० बरनवाल,

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थायर तस्पत्ति, जिसका उचित बाबार मूस्य 25,000/- रा. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० मकान म्यु० नं० 4/2 है तथा जो मरोठिया बाजार इंदौर में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूत्रों में श्रीर जो पूर्ण रूप से विणत है) रिजस्ट्रीकर्ना श्रीधकारों के कार्यालय इंदौर में रिजस्ट्रकरण श्रीधनयम, 1908 (1908 का 16) के श्रीधोन दिनांक अर्थल 1984

न्त्रे पृतांकत तस्पत्ति के उचित बाजार मृस्य से कम के द्रासमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हैं और मूक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोकत सम्पत्ति का उचित बाजार मृस्य, उसके द्रायमान प्रतिफल से, एसे द्रायमान प्रतिफल का पन्त्रह् प्रतिकात से अधिक हैं और अंतरक (बंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिकित में बास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया हैं:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त बाधिनियम के अभीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने यां उससे बचने में सबिधा के लिए; ब्रीर/या
- (च) ऐसी किसी बाय या किसी धन या बन्य बास्तियों को, चिन्हें भारतीय बाय-कर मधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उन्त मधिनियम, या धनकर बिधिनियम, या धनकर बिधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-नार्थ अन्तरिती ब्वाय प्रकट महीं किया गया था या किया जाना चाहिए था कियाने में सुविधा के सिए:

बतः बतः, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग को अनुसरण भी, भी उक्त अधिनियम की भारा 269-म की उपभारा (1) को अधीन, निम्मलिखित व्यक्तियों, अधीत :---32 ---426 GI/84 1. फातमाबाई पर्ती फखयदोन भाई बोहरा निवासो-8, हाथोपाला नार्थ, इंदौर ।

(भ्रन्तरक)

2. श्रीमती प्रभावनी बाई पत्नो बासंतीलाल जा जैन निवासो-11, साठा बाजार, इंदौर ।

(ग्रन्तिरती)

की वह सूचना जारो करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के जर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उनत सम्पत्ति के अर्पन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राज्यत्र में प्रकाशन की तारीच तं 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन को अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की शारीच से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबब्ध किसी सन्य स्थानित इवारा नथोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकींगे।

स्वचाकरण: ---इसमें प्रयुक्त कर्मा और पर्यों का, जो उक्त निभिनियम के नध्याय 20-क में परिभावित है वहीं नर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया नवा है।

नग्रुपी

मकान म्यु० नं० 4/2 मरोठिया बाजार, इंदौर में स्थित है वह स्थावर सम्पति है जिसका विवरण श्रन्सरिती द्वारा सत्यापित फार्म नंबर 37 जी में निहित है।

बी० के० बरनवाल सक्षम प्राधिकारी स**हायक आयकर आयुक्**न (निरीक्षण) अर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक : 11-12-1984

मोहर ;

प्रकथ. नार्द. टी. एन. एस. ----

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व (1) के नधीन स्वता

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जनरेज, भोपाल

भोपाल, दिनाक 11 दिसम्बर 1984

निर्वेश सं० ग्राई० ए० मी०/ग्रजैन/भोपाल/5457—ग्रतः मुझे, वी० कु० वरनवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मृल्व 25,000/- रा. में अधिक है

जिसकी सं0 भूमि ख० नं० 715 है तथा जो ग्राम खजराना, इदौर में स्थित है (ग्रौर इससे उपावढ़ अनुसूची में ग्रौर जो पूर्ण रूप में विणत है) रजिस्ट्रीकर्ता ग्रिधिकारी के कार्यालय इंदौर में रजिस्ट्री-करण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मूफे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और (अन्तरितयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया फल निम्निलिखत उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिवक में वास्तिवक रूप से किथत नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दाबित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, अंर/या
- (ख) एसे किसी आय या िकसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उदल अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया थ ना किया जाना चाहिए था, जिल्लाने में मुनिया के लिए;

अतः अव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निमनलिखित व्यक्तियों, अर्थातः :--

- 1. (1) थ्रः मनजोत सिंह पिता श्री बाबू सिह
 - (2) श्रा परमजीत सिंह पिता श्री बाबू सिंह
 - (3) श्रा एतवार सिंह पिता हरचन्द सिंह
 - (4) श्री श्रीतम सिह पिता श्री पूरन सिह निवास 135, श्रनूप नगर, इंदौर द्वारा मु० श्राम श्रोराम पिता फेनेह चन्द गीयल, 2-ए,, कैलाश पार्क इंदौर।

(म्रन्तरक)

स्नेह नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित 114 ए, स्नेह नगर, इंदौर।

(भ्रन्तिनी)

की यह सूचना चारी करके पूर्वीक्त साम्परित के वर्षन के सिए कार्यवाह्यां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के वर्णन के संबंध में कोई भी वाक्षेप :---

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वना की तामील से 30 दिन की अविध, को भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्वींकर व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति इंबारा;
- (ख) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबबूध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकांगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त किंध-नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं वर्ष होगा, यो उस अध्याय में दिया गया है।

बन्स्ची

भूमि ख० न० 715 ग्राम खजराना इंदौर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण ग्रन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नंबर 37 जी में निहित्त है।

> वी० कु० बरनवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण) अर्जन रेंज, भोपाल

दिनाक: 11-12-1984

प्रस्प बाईं.टी.एन. एस. -----

निर्धित संधितियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के निधीत सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जेन रेंज-3 बम्बई बम्बई दिनांक 11 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० ब्राई ए०ई सो ०/ अर्जन/ भोपाल/5458-ब्रत मुझे, वी० कु० बरवाल

कानकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिमे इसमें इसके परवात 'उक्त अधिनियम' वहा गया है), की धारा 269-अ के अधीन सक्षम प्राधिकारी की यह विश्वास करने की कार्ण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रु से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० भूमि ख० नं० 706 है, तथा जो ग्राम खजराना, इंदौर में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में श्रीर जो पूण रूप से वर्णित है रिजस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कायालय, इंदौर में रिजस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन दिनाक ग्रप्रैल, 1984

कीं प्वेक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रेतिफल के लिए अंतरित की गई है और मूफ्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्णेक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल रा पूर्म दृश्यमान प्रतिफल वा पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरिक (अंतरका) और अंतरिती (अन्तरितियाँ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया शतिफल, निम्निवृधित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विधित्त में वास्तविक रूप से किथत नहीं किया गया है द्

- (क) अंतरण सं हुई किसी बाय की बावत, उक्त विधिनयम के अधीन कर दोने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उसमे बचन में स्विधा के सिए; और/या
- (का) एसी किसी अाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हीं भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा भ्रकट नही किया गया था या किया जाना पाहिए था, छिपाने में मृविधा के लिए;

क्षेत्र श्री , उक्त विधिनियम की धारा 269-ए के अनुसरण को, माँ, उक्त विधिनियम की धारा 269-ए की उपधारा (1) के विधीन, निम्नलिशिक्ष व्यक्तियों, अर्थात ः——

 श्री मनजीत सिंह पिता बाबू सिंह, निवासी 135, ग्रनूप नगर, इंदौर द्वारा, मु० ग्राम श्रीराम पिता फतेह चन्द जी गोयल, 2-ए, कैलाश पार्क, इंदौर ।

(ग्रन्तरक)

2. स्नेह नगर, गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यायदत 114-ए, स्नेह नगर, इंदौर।

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके प्वॉक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यक्रीह्यां करता ह्ं।

उक्त सम्मिल्ति के अर्जन के समर्वन्ध में कोई भी आक्षंप ---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस सै 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में म किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से - 4.5 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य अन्ति दवारा अवाहस्ताक्षण के पाम लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पच्छीकरणः — इसमें प्रयुक्त कब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित ह^{र्}, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि ख० नं० 703, ग्राम खजराना, इंदौर में स्थित है यहवह स्थायी सम्पत्ति है जिसका विवरण ग्रन्तरिता द्वारा सत्यापित फार्म नंबर, 37 जी में निहित है।

> वी० कु० बरनवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक स्रायकर स्रायुक्त (निरक्षण) स्रजन रेज, भोपाल

दिनांक : 1-12-1984

प्ररूप आहाँ. टी. एन एस. -----

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-च (1) के अधीन स्वना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर वाय्क्तः (निरीक्षण) श्रर्जन . रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनाक 11 दिसम्बर, 1989

निदेश सं० श्राई० ए० सो०/ग्रर्जन/भोपाल/5459—श्रतः मुझे, बी० कु० बरनवाल

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है, की धारा 269-- क के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रा. से अधिक है

ग्रौर जिसकी स० भूमि ख० तं० 717 एवं० 716 है, तथा जो ग्राम खजराना, इंदौर में स्थित है (ग्रौर इसमें उपावद्ध ग्रनुसूची मे ग्रौर पूर्ण रूप मे वर्णित है) रिजस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय इंदौर मे रिजस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन दिनांक ग्रग्नैल, 1984

को प्रविक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य सं कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और म्फे यह विश्वास करने का कारण है कि यथाप्रविक्त सम्परित का उचित बाजार मृत्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत में अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और बन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय गया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण जिलित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) जन्तरण से हुई किसी काय की बाबते, उच्त विधिनियम के अधीन कार दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी कारने या उससे बचने में सुविधः। के लिए; और/या
- (क) ऐसी किसी या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जन्तरिती ब्वास प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविभा के लिए;

अंत: अंब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण भें, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) को अधीन निम्नित्सित व्यक्तियमें, अधीत् :--

- (1)मनजेतापिता सिह बाब मिह
- (2) श्री परमजीत सिह पिता श्री गांबू सिह,
- (3) श्री एनबार भिंह, पिता श्री हरचन्द सिंह,
- (4) श्री प्रीतम सिह, पिता श्री पूरन सिह निवासी 135 श्रनूप नगर इंदौर द्वारा मुर्श्याम श्रीराम पिता फतेह चन्द फयल 2-ए कैलाश पार्क इंदौर (ग्रन्तरक)
- स्नेह नगर गृह निर्माण सहकारी सस्था मर्यादिस 114-ए, स्नेह नगर, इंवौर ।

(अन्तरिती)

को यष्ट सूचना जारी कारके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्थन के संबंध में कोई भी आक्षेत्र :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 विन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, से भीतर पूर्वोक्त स्थाबित यो में से किसी स्थित बुवारा;
- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी करें 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित्तककुरू किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाक सिचित में किये जा सकोंगे।

स्पक्षिकरणः — इसमें अयुक्त शब्दों और पद्यों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिवा नवा है।

वन्स्यी

भूमि खा० नं० 716 एवं 717, ग्राम खजराना, इंदौर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण श्रन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नंबर 37 जी मे निहिस है।

> वी० कुं० बरनवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक 11-12-1984 मोहर: प्ररूप बाई. टी. एन. एस. ------

नावकर विधिनियन, 1961 (1961 का 43) की वारा 269-व (1) के नधीन स्थना

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर, 1984

निवेश सं० आई० ए० मी०/ग्रजन/भोपाल/5460—ग्रतः मुझे वीरेन्द्र कुमार बरनवाल

अग्रयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसकें क्सकें पहलात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाबार मृज्य 25,000/-रह. से अधिक हैं

मौर जिसकी स० भूमि सर्वे नं० 69/2, 75/1 77/1 मौर 78/1 है तथा जो ग्राम गाडरखेडी तहसील इन्दौर में स्थित है (मौर इससे उपाबद्ध मनुसूची में मौर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रिजस्ट्रीकर्ता म्रिधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रिजस्ट्रीकरण मिश्रीकर्ता मिश्रीकारी के कार्यालय, इन्दौर में रिजस्ट्रीकरण मिश्रीकर्ता मिश्रीकर (1908 का 16) के म्रधीन म्रप्रौल, 1984 को पूर्णेक्त सम्पत्ति के बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के अंतरिती को गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है यह पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य, उसके प्रतिफल से, एसे क्ष्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिकात से अधिक दृश्यमान प्रतिफल से, एसे क्ष्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिकात से अधिक दृश्यमान प्रतिफल से, एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्वेश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तिकल, निम्नलिखित उद्वेश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तिकर रूप से किथत नहीं किया गया है :---

- (क) जन्तरण से शुद्ध किसी जाय की वाबत, उक्त विधिनवंत्र से अभीत कर योगे के अन्तरक की वायित्व में केमी करने या उससे वचने में स्विधा के लिए; बीर/या
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उत्कत अधिनियम, वा धनकर अधिनियम, वा धनकर अधिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था वा किया जाना चाहिए था. छिपाने में स्थिभा के किए;

अतः शव, उक्त अधिनियमं की धारा 269-ग के अनुमरण में, में, उक्त अधिनियमं की धारा 269-थ की उपधारा (1) दे सभीत निम्नलिकित व्यक्तियाँ. सर्थात् ह— श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्रो राम गोपाल नागोरी,
 मावपुरा इन्दौर।

(ग्रन्तरक)

2. शहीव हेमू कलानी नगर, से सहकारी गृह निर्माण संस्था समिति, इन्दौर,

18, काछी मोहल्ला, इन्दौर ।

(भ्रन्तरक)

को बह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्परित के वर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुएं।

उक्त सम्मत्ति के वर्षन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप :---

- (क) इस .त्या के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्थान की तामील से 30 दिन की अविधि, को भी जबिध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारील ते 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबब्ध किसी कम्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी के पाव सिक्तित में किए जा सकरेंगे।

स्वाधिकरणः --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदौं का. वां अवस श्रीधिनयम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हीं, वहीं वर्ध होगा को उस कथ्याय में विद्या गता है।

मन्स्यो

भूमि सर्वे नं ० 69/2 75/1, 77/1, श्रीर 78/1 है, जो ग्राम गाडरबोडी, तहसील इन्दौर में स्थित है। यह वह स्थाबर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्म नं ० 37 जी ० में निहिन है तथा अन्तरिती द्वारा सत्यापित किया गया है।

> बी० कु० बरनबाल सक्षम प्राधिकारी सहायक भायकर भायुक्त (निरीक्षण) प्राप्तन रेंज, भोपाल

दिनांक : 11-12-1984

मोह्रम :

प्ररूप बाइ.टी.एन.एस.-----

बावकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अभीन सूचना

भारत सरकार

कार्याजय, सहायक जायकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्रजन रेंज, भोषाल

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 1984

निदेश सं० ग्राई० ए० सी०/भ्रर्जन/भोपाल/5461—मतः मुझे, बीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-च के अधीन सक्षत्र प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारल है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

गौर जिसकी सं० भूमि पर बना मकान न० 73/2, 74/2, 75/2, 76/2, 77/2, 78/2 है, तथा जो ग्राम गाडरखेडी, तहसील इन्दौर में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध प्रनुसूची में ग्रौर जो पूर्ण रूप से विणित है) रिजस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी के कार्यालय इन्दौर में रिजस्ट्रीकरण प्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रघीन दिनाक ग्रुपैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के मिए अंतरित की गई है और मूक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूक्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पत्रह प्रतिक्रत से अधिक है और अत्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया, प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण किखान में वास्तविक रूप से कथित नहीं कया गया है:——

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अभीन कर देने के अन्तरक के शायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूबिधा दायित्व के लिए; और/या
- (क) एती किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हों भारतीय आयण्ड-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, णा धन-कर अधिनियम, गा धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रशोकनीर्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था किया जाना चाहिए था, कियाने में सुनिधा के किए;

अतः जव, उनत अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण जें, जें, उनत अधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के अधीन, निकासिकत अधिनत्यों, वर्धात् :--- श्रीमती सरला देवी पति श्री सत्यनारायण
 नायपुरा, इन्दौर, म॰ प्र०

(ब्रन्तरक)

2. शहीद हेमु कलानी, नगर सहकारी गृह निर्माण संस्था सिमिति, इन्दौर, 18, काछी मोहल्ला, इन्दौर म०प्र०।

(ग्रन्तरक)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्परित के वर्जन के जिए कार्यनाहियां शुरू करता हुं।

उनत सम्पत्ति के कर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी क्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपंत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बव्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिसिस में किए जा सकींगे।

स्थल्यीकरणः --- इसमे प्रयुक्त वाक्यों और पवों का, जो उन्ते अभिनियम, के अध्याय 20-कं में परिभाषित ही, वहीं अर्थ होंगा, जो उस अध्याय में विवा गया है।

नगतनी

भूमि पर बना हुआ मकान नं० 73/2, 74/2, 75/2, 76/2, 77/3, है, जो ग्राम गाडरखेडी तहसील इन्दौर में स्थित है । यह वह स्थावर सम्पत्तिहै जिसका विवरण फार्म नं० 37 जी में नि हित है, तथा आन्तरिता द्वारा सत्यापित किया गमा है।

वी० कु० बरनवाल सक्षम प्राधिकारी, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)' अर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक: 11-12-1984

प्रस्प बाइ. टी. एव. एव.----

भायकार जिथितियम्, 1961 (1961 का 43) कीं भारा 269-म (1) के सभीन सूचना

भारत सरकार

कार्यास्य, सहायक जायकर जायुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनाक 11 दिसम्बर, 1984

निदेश सं० श्राई० ए० सी०/ग्रर्जन/भोपाल/5462 अतः मुझे, वंरेन्द्र कुमार बरनवाल,

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिले इसमें इसके पर्वास् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सुम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मुख्य 25.000/- रा. से अधिक है

श्रौर जिसकी सं० भूमि सर्वे नं० 73/2, 76/3, 77/3, 79 है, तथा जो ग्राम गाइरखेडो, तहसील, इन्दौर में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबक्ष श्रनुस्ची में श्रौर पूर्ण रूप गे वर्णित है) रिजस्ट्रीकर्ता श्रिधकारी के कार्यालय इन्दौर में रिजस्ट्रीकरण श्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन दिनांक श्रौल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार बुक्ब के कम के स्वयमान् प्रतिफल को लिए अंतरित की गई है और मुभ्ते यह विश्वास करने का कारण है कि अथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाबार मून्य, उसके ध्रयमान प्रतिफल से, ऐसे ध्रयमान प्रतिफल का पन्तक प्रतिशत से ब्रिक है और अंतरक (बंतरकाँ) और बंतरिती (अंतरितियाँ) के बीच ऐसे अंतरण को लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्निलिखित उद्योध्य से उक्त बंतरण सिखित में बास्तविक कप से कथित नहीं किया गया है:----

- (क) बंबरण से हुई किसी जाय की वाबस, उक्स अधिनियंत्र के अधीन कर दोने के बंतरक के वायित्व में कभी करने या उससे अचने में सुविधा के लिए; और/या
- (क) एंसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तिक। को, जिन्हों भारतीय आयकर जिमिनयम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के सिए;

अस: अब, उक्त मधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मं, मं, उक्त अधिनियम की धारा 269-व की उण्धारा (1) के अधीन, निम्मलिकित व्यक्तियों, अधान : —

- श्रीमता मुलोचना देवा पहिन श्रो वालकिवन,
 - 4! नयापुरा, इन्दौर म**० प्र•**

(भ्रन्तरक)

 शहीद हेमु कलाना नगर सहकारी गृह निर्माण संस्था समिति, इन्दौर

18, काछो मोहल्ला, इन्दौर।

(ग्रन्तरिती)

को यह स्थना जारी करके पूर्वाक्त सम्मित् के अर्थन के निए कार्यवाहिना स्क करता है।

उन्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक वें
 45 दिन की अविध ना तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
 सूचना की तासीस से 30 दिन की अविध, को भी
 अविध नाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वेक्ति
 व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बुवारा;
- (क) इस स्का के राज्यत्र में प्रकाशन की तारीक सं 45 दिन के भीतर अक्त स्थावर सम्मत्ति में हिस-बव्ध किसी बन्ध व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास निकित में खब्ध किए जा सकेंग्रे ।

स्पच्छीकरण: ---- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे विया गया है।

अनुसूची

भूमि खसरा सर्वे नं० 73/2, 76/3, 77/3 78/3, 79 है, जो ग्राम गांडरखेडी तहसील इन्बोर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है, जिसका विवरण फार्म नं० 37 जी० में निहित है, तथा ग्रन्तरिती द्वारा सत्यापित किया गया है।

> वी० कु० बरनवाल सक्तम प्राधिकारा सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) मर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक: 11-12-1984

• मोहर:

प्रकप् आइं.टी.एन.एस.-----

कामकर विभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भार 269-म (1) के वभीन सृचना

भारत तरकार

कार्यांतय, सहायक नायकर नायकत (निरीक्षण) भर्जन रेज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 1984

निदेश सं० प्राई० ए० सी०/भर्जन/भोपाल/5463-- भतः मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल;

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात् 'उक्त अधिनियम' अहा गया हैं), की धारा 269-सं के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विस्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/-रु. से अधिक है

भौर जिसकी सं० मकान नं० 30 है, तथा जो गांधी पार्क कालोनो इन्दौर में स्थित है (भौर इससे उपाबद धनुसूची में भौर पूर्ण रूप से वणित है), रजिस्ट्रीकता भिष्कारी के कार्यालय, इन्दौर में राजिस्ट्रीकरण भाष्यनियम, 1908 (1908 का 16) के अर्धाम दिनांक 4 भग्नेल, 1984

की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृख्य से क्या के क्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे वह विक्वाल करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृख्य, उसके इत्यमान प्रतिफल से, एसे क्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और नंतरक (जंतरकों) और नंतरिती (जंतरितियों) के बीच एसे नंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उच्चेश्य से उस्त जंतरण कि विविद्य वें सास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अंतरक के शियत्व में कभी करने या उससे बचने में सुनिधा के लिए, और/म
- (क) ऐसी किसी बाय या किसी धन या बन्य कास्तिबाँ को, जिन्हों भारतीय कासकार अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कार अधिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनार्थ कंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना वाहिए था, स्थिमनें. में मुक्तिभा के निए;

 श्री परमानन्द पिगले पिता श्री कुष्णराव जी पिगले निवासी गाधी पार्क कालोनी, इन्दौरे।

(भ्रन्तरक)

 श्री इदर्रामह छतवाल पिता श्री लखमीर सिंह छतवाल, जावरा, कम्पाउन्ड, इन्दौर।

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पृवोंक्त सम्पत्ति के वर्जन के तिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाक्षेप :---

- (क) इस सूचाा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की बविध, जो भी जनिध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोत्रत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक्ष किसी अन्य स्थावत व्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकींगे।

स्वश्वीकरण :--इसमं प्रयुक्त सुन्धी और पर्वो का, को स्वक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभावित ही, बही अर्थ होगा को उस अध्याय में दिया गुवा है।

अससची

मकान नं 30, गांधी पार्क कालोनी, इन्दौर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्तिहै जिसका विवरण फार्म न०,37 जी में निहित है, तथा श्रन्तरिती द्वारा सत्यापित किया गया है।

> वीरेन्द्र कुमार वरनवाल सक्षम प्राधिकारी महायक आयक्रर आयुक्त (निरो**क्षण**) ग्रर्जन रेज, भोगल

अत: अध, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-थ की उपधारा (1) को अधीन, निम्निनियन व्यक्तियां. अधीत.—

दिनांक: 11-12-1984

मोहर .

प्ररूप बाईं.टी.एन.एस------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-थ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण) ग्रर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनाक 11 दिसम्बर 1984

निदेश स० द्याई० ए०सी*०|प्रा*र्जन/भोपाल/ 5464—न्य्रत मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

आयंकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति किसका उधित बाजार मृत्य 25,000/-रु से अधिक हैं

श्रीर जिसकी सं० भूमि खसरा नं० 136/3 श्रीर 136/4 है, तथा जो डगनिया रायपुर में स्थित है (श्रीर इसमे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर जो पूर्ण रूप में विणित्र है) रिजस्ट्रीकर्ता श्रिष्ठकारी के कार्यालय रायपुर में रिजस्ट्रीकरण श्रिष्ठितियम 1908 (1908 का 16) के श्रधीन दिनांक श्रील, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के स्वयमान प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उत्तके स्वयमान प्रतिकल से, एसे स्वयमान प्रतिकल का पन्सह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक्त्रें) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकल, निम्निलिखित उद्देश्य मे उक्त अंतरण निस्तित में वास्तिक रूप से किथत नहीं किया गया है ---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त जीभिनियम के जभीन कर दोने के अन्तरक को दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविभा के सिए; और/या
- (स) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्सियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्दरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, खिपाने में स्विधा के लिए;

अतः अवः, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपभारा (1) के अभीन, निम्निनिसित व्यक्तियों, अर्थात :----33—426 GI/84 श्रीमती महत्तरित बाई पति परदेशी साह ।नासी डगनिया रायपुर ।

(थन्तरक)

2 लोकमान्य महकारी गृह निर्माण सस्था मर्या०, रायपुर, द्वारा भास्कर काठोरे, पुत्र श्री जगोना कोठारे, जोरपारा, रायपुर ।

(अन्तरिती)

क्यों यह स्वाना जारी करके पृथांक्स सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहर्यां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी से 45 दिन की अविध या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेगे।

स्पष्टीकरण:—इसमा प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया हैं।

अनुसुची

भूमि खसरा नं० 136/2, ग्राफ 136/4 है, जो डगिनया रायपुर, में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्म नं० 37 जी में निहित है। ग्रन्तरिती ब्राग सत्यापित किया गया है।

> वी० कु० बरनवाल सक्षम प्राधिकारी स**हायक आयकर आयुक्त** (निरीक्षण) ग्रर्जन रेज भोपाल

दिनांक: 11-12-1984

प्राक्रप आर्द्ध टी. एन . एस . ------

आयकर अधिनियम. 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अधीन स्पना

भारत मरकार

कार्याल्य, सन्नायक ब्रायकर वाय्कर (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 1984

निवेश सं० प्राई० ए० मी०/श्रर्जन/भोषाल/5465—प्रतः मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

शायकर निभिन्नियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पर्यात 'उक्त निभिन्नियम' कहा गया हैं), की बारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह निक्तास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 45,000 /- रु. से अधिक हैं

ग्रौर जिसकी संख्या भूमि खसरा नं 153/6 है, तथा जो डगनिया गयपुर में स्थित है (भ्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप में विणत है) रजिस्ट्रीकर्ता श्रीधकारी के कार्यालय रायपुर में रजिस्ट्रीकरण श्रीधनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्राधीन दिनाक ग्राप्रैल, 1984 को

पुनोंकत सम्मत्ति के उचित बाजार मुख्य से कि के के के समान प्रितिकाल के लिए अन्तरित की गई है जोर मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि सभापूर्वोंकत संपत्ति का अणित बाजार मुख्य उनके एक प्राप्ता तिकाल के पन्द्रह प्रतिकाल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरित (अन्तरितयों) के बीच एसे अन्तरक के लिए तम पामा गया प्रतिकाल, निम्निसिखत उद्देश्य से उक्त जन्तरण सिखित में उम्तिकाल क्या से किया नहीं किया नहीं है

- (क) बन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत, उन्तर अधिनियम के अधीन कर दोने के बन्तरक के वाधित्व में कमी करने या उससे बचने से सृविधा के सिए; बॉर/बा
- (क) एंसी किसी लाय या किसी धन या अन्य आपंत्रयों को, जिन्हों भारतीय आयकर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए.

अतः अवः, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यवितयों, अर्थात्:--- श्री सावंत पुत्र श्री समस्साह निवामी डगनिया, रायपुर।

(भ्रन्तरक)

 लोक मान्य सहकारी गृह निर्माण संस्था रायपुर द्वारा प्रध्यक्ष, भास्कर कोठोटे, पुत्र जगोब कोठोटें, रायपुर ।

(मनरिती)

को यह सुमना जारी करके पूर्वीक्त सम्परित के अर्थन के सिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी जानांप :--

- (क) इस स्वता के रावपत्र में प्रकाशन की क्षरीच है 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियाँ पर स्वता की तामील से 30 दिन की अविधि, यो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, को भीतर प्रविकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्यक्ति वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख वे 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिसबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्साक्षरी के पास निचित में किए जा सकति।

बन्स्था

श्रोपन प्लाटनं० एवं भूमि खसरा नं० 153/6 है, जा डगानया रायपुर में स्थित है। यह वह स्थायर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्म नं० 37-जी में निहित है तथा श्रन्त रती द्वार सत्यापित किया गया है।

> बी ॰ कु॰ बरनवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्रजैन रेंज, भोपाल

विनांक 11-12-1984 मोहर:

प्ररूप . 'बार्ड', टी. एत. एस. -----

बाबनार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-म (1) के।अधीर मचना

भारत सरकार

कार्बासय, सहादक आयकर आयक्त (निरीक्षण) श्चर्जन रेज, भोपाल

भोपाल, दिनाव 11 दिसम्बर 1984

निर्देश स० ग्राई० ए० सी०/ग्रर्जन/भोपाल/5466--ग्रत मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है'), की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण दे कि ग्थावर सम्पन्ति, किसका उचित काजर मन्य 75,000/- रा में अधिक हैं।

श्रीर जिसकी सं० ग्रापन प्लाट भूमि खसरा न० 166 है, तथा जो डगनिया, रायपुर में स्थित है (ग्रौर इसस उपावड ग्रन्मूची मे श्रीर जो पूर्ण रूप से विणित है) रिजर्स्ट्राकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रायपुर मे रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनाक अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्मत्ति को उपित बाजार मन्य र काम के प्यमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और सभी यह विश्वाम करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार भ्ल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एग दश्यमान प्रतिफल का **पन्त्रह प्रतिकत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकाँ)** और बंदरिती (बंदरितियाँ) के बीच एस कतरण का लए तय पाया वया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त बतरण लिखित में शस्तिबक रूप से कथित नहीं किया गया है '---

- (क) अन्तरण से हुई किसी वाय की बाबत, उक्त निधिनियम के जधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचन में स्विधा के लिए; बौर/या
- (♥) एेसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों कां, जिन्हीं भारतीय आयकर अविशिवयम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर विधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ कन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में स्विधा के लिए,

जतः वद उक्त विधिनियम की धारा 269-ग के बन्सरण , मै, उक्ट अधिनियम की धारा भाग के अधीन, ाम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात --

1 श्री फल पिह,श्रोमतो मानमती वगैरह, निवासी अधीन डगनिया, रायपुर।

2 श्री लोकमान्य सहकारी गृह निर्माण मर्या० रायपुर द्वारा श्रध्यक्ष भास्कर कोठाठे, पूत्र श्री जगोवा, कोठाटे, रायपुर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरु करता हु ।

- उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षरेप :--
 - (क) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अवधि या तत्सबधी व्यक्तियाँ सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वाराः
 - (क) इस म्बना के राजपत्र में प्रकाशन की नारीख से 45 दिन के भीतर उदल स्थायर सम्पत्ति म हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति दुत्राग अधाहस्ताक्षरी के पास निष्ति म किए या महरा ,

स्पष्टीकरण: -- इसम प्रयुक्त गुन्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मे दिया

अन्स्ची

ओपन प्लाट भूमि खसेरा न० 166 है जो डगनिया रायपूर, मे स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्तिहै जिसका विवरण फार्ग न० 37-जी में निहित है तथा अन्तरिनी द्वारा सत्यापित किया गया है।

> वीरेन्द्र कुमार बरनवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयक्रर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज, भोपाल

नारीख 11-12-1984

पक्ष आहें ती एन गम -----

आयकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ध (1) के अधीन सचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक बायकर बायक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, भोपाल,

भोपाल, दिनाक 11 दिसम्बर 1984

निदेश स० आई० ए० मी० अर्जन भोपाल 5467—अत मुझे, वी० कु० धरनवाल.

मायक र अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा $269 \cdot \mathbf{e}$ के अधीन सक्षम प्रिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य, $2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}$

स्रौर जिसकी स० भूमि छ० न० 1, 2 (२० छ० णन० €01) है, तथा जो जबलपुर में 'स्थत है (स्रोर इससे उपावद्ध अनुसूची में स्रौर जो पूर्ण रूप से विणित है) रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जबलपुर में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनाक अप्रेल, 1984

का पूर्वोगत सम्पत्ति के अचित बाबार भून्य ने कम के इध्यमान शतफत हिए शिरि रेन इंडिंड अर कुम नह रिजार करने अने एक कि एमिक में इस्यमान प्रतिफल का मृत्य, उसके इस्यमान प्रतिफल से, एसे इस्यमान प्रतिफल का मन्द्रश्चे प्रतिकात से अधिक ही और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया की बास्तिबक इस से किया नहीं किया नया है:—

- (क) बन्तरण से हुई किसी बाय की बायत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के बन्तरक के द्वियत्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए, और/या
- (च) एसे किसी आय था किसी थन या अन्य बारिसको को जिन्हों भारतीय बायकर अधिनियम, 192% (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धर्म कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वार प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना नाहिए था छिपाने में स्विधा के सिए,

अत अब. उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) क अनी गिम्नलिखित गांक्तियों अर्थात — 1 श्री पूरनचन्द सिधवानी एव लित मोहन सचदेबा, नया मोहल्ला, नेपियर टाउन, जबलपूर।

(अन्तरक)

2 लाल वहादुर शास्त्री गृह निर्माण महकारी समिति मयादित

टी० आर० जे० बी० आर० 152 आफिस ख्वा० न० 411, सेख्टर-1, व्हीकल फ्रैक्टरी, जबलपुर-1 (अन्तरिती)

को यह सूचना बारा करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के लिए कार्यवाहिका बान्सा ट्रा

उक्त सम्पत्ति के बर्जन के सम्बन्ध में काई भी बाक्षेप ---

- (क) इस सूचना क राजपत्र मा प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधिया तत्सम्बन्धी व्यक्तियाँ पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हा के भीतर प्रविक्त कराइनए। मा मार्ग स्थित हवारा
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तप्तीक है 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्द किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा स्कोंगे।

स्पष्टीकरण: — इसमें प्रयुक्त शब्दा और पदों का, जो उच्छ अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हों, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

श्रनम्र्खः

भूमि स० न० 12 2 (ख० न० 601), जबलपुर मे स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण अन्तरिती द्वारा सभा पित फार्म न० 37 जी मे निहित है।

वी०कु० बरनवाल सक्षम प्राधिकारी निरीक्षक सहायक आयकर आयुक्त अर्जन रेज, भोपाल

तारीख 11-12-1984 मोहर भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अधीन सुचना

भारत संस्कार

कार्यालय, सहायक आयकर कायूक्स (निरीक्षण) अजंनरेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 विसम्बर, 1984

निदेश सं अाई ०ए०सी० अर्जन रेंज भोपाल 5468—— अत. मुझे, वीरेन्झ कुमार बरनवाल,

अगयकर अधिनयम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रा. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० प्लाट नं 2 श्रीर 4 है, तथा जो मुझ्वारा, जबलपुर में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण ६प से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कटनी मे रजिस्ट्रीकरण अधि-नियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित राजार मूल्य में कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रतिफल, निम्मिलिखत उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिवक रूप से किथा नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुंई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचाने में सृविधा के लिए; और/या
- (ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भागतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तिरती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

जतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग्व के अनुसरण भे, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) क अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :— डायर्स स्टोन लाइम कम्पनी प्राइवेट लि० हेड आफिस अलीपुर रोड विल्ली-110054

(अन्तरक)

(2) श्रीमती शकुन्तला बाई गटआनी पति स्व० श्री गिरधारी लाल गटआनी, मुद्रवारा जबलपुर

(अर्न्तारती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ब्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास तिस्ति में किए जा सकोंगे।

स्पव्यक्तिकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

ममुस्पी

प्लाट नं ० 2 भीर 4 है जो मुड़वारा, जबलपुर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्म नं० 37-जी में निहित है, तथा अन्तरिती द्वारा सत्यापित किया गया है।

> वी० के० बरनवाल सक्षम प्राधिकारी निरीकी सहायक आयकर श्रायुक्त अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख: 11-12-1984

शक्तप्र. बाह्री, दो, एत. एत्.-----

नायकर विभिन्नियमः 1961 (1961 सह 43) की धारा 269-म (1) के अधीन स्थना

भारतः सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल विनांक 11 दिसम्बर 1984

निदेश संब्आई०ए०सी० अर्जन भोपाल 5469--

अतः मुखे, वीरेन्द्र क्रुमार, बरनवाल,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें इसकें पश्चाक् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269 च के अधीन सक्षम प्राचिकारी को, यह विक्वास करने का कारण है कि स्थानर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 /- रा. से अधिक है

भौर जिसकी सं० सिंगल स्टोरी मकान भौर प्लाट नं 34 है, तथा जो आनन्द कालोनी जबलपुर, में स्थित है (भौर इससे उपावस अनुसूची में भौर पूर्ण रूप से विणित है) रिजस्ट्रीकर्सा अधिकारी के कार्यालय, जबलपुर, में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, अप्रैल, 1984

को पूर्णावत सम्मति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृष्णान प्रतिक के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वान करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त समाति का उचित बाजार-मूल्य उसके बृष्णमान प्रतिक ते, एते वृष्णमान प्रतिक का कार प्रतिक ते कि या प्रतिक के वृष्णमान प्रतिक का कार प्रतिक ते से सिक है और बन्तरक (बन्तरकों) और बन्तरिती (बन्तरितियों) के बीच ऐसे बन्तरक के लिए तय पाया गया प्रतिकत, निम्नसिबित हे बेच विश्व प्रस्तरण निश्चित में बाम्नबिट कप से मिनति महः। किया प्रया है :---

- (क) बन्तरण चेहुई किसी बाय की बाबत, अक्ष जीधनियम के जधीन कर दोने के अन्तरक को वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के सिए; जाँड/वा
- (था) एस किसी आग या किसी धन या अन्य आस्तियाँ को, जिन्हाँ भारतीय जायकर जिथितामा, 1922 (1922 का 11) या उक्त प्रधित्यमा, या धन-कर जिथितियमा, 1957 (1957 का 27) के प्रकेशनमध्य अन्तिरिक्षी वृष्यरा प्रकटः नहीं किया गया था या किहा जाता पाहिए था, छिपाने में सुविधा के जिए; जोर/या

(1) श्री राजकुमार पिता श्री विशम्बर प्रसाद मिश्रा निवासी ऑनन्द कालोनी जवलपुर

(अन्तरक)

(2) श्रीमती उर्मिला फुसकेले पित श्री बी० के० फुसकेले क्वा० नं० 4/12, पी०ग्रो०बघेली, जिला बस्तर म०प्र०

(अन्तरिती)

को यह स्वना बारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के सर्वन के जिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्परित के कर्बन के सम्बन्ध में करेड़ों भी वाक्षेत्र :---

- (क) इस स्वान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीश से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वान की तामील से 30 दिन की अवधि, को भी अवधि बाद में समान्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (च) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्भ किसी- अन्य स्थक्ति द्वारा, अभोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पच्छीकरण :---इसमें प्रयुक्तः शब्दों और पदों का, ओ: उक्त जीभीनयम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया नया है।

अनुसूची

सिगल स्टोरी प्लाट भूमि नं० 34 है जो आनन्द कालोनी इन्दोर में स्थित है यह वह स्थालर सम्पत्ति है, जिसका विवरण फार्म नं० 37-जी में मिहित है, तथा अन्तरिती द्वारा सस्यापित किया गया है।

> वी० कु० बरनवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण अजंन रेंज, भोपाल

क्तः सम्बद्धः जन्त विधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उपत विधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के भूथीन । निम्नलिकित व्यक्ति हैं, स्वर्धात क्र्यू

तारीख: 11-12-84

प्रकृष् कार्ड . टी . एन . एस . ------

नायकर मिथिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-थ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यातयः, सहायकः अधिकार आगुक्तः (निरक्षिण)

अर्जनरेज, भोपाल

भोपाल, दिनांकः 13 दिसम्बर 1984

निदेश सं०आई०ए०सी० अर्जन भोपाल 5470---अतः मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-क के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बीजार मृल्य 25,000/- रा. से अधिक है

श्रीर जिसकी मं० बिना हुआ मकान नं० 1259 च-8 है, तथा जो गुप्तेश्वर आई मदन महल जबलपुर, में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्णरूप में विणत है) रिजस्ट्रीकर्सा अधि-कारी के कार्यालय, जबलपुर में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम (1908 का 16) के अधीन अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्परित के उचित बाजार मृत्य से कम के क्ष्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूओ यह विश्वास करने करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृज्य, उसके क्ष्यमान प्रतिफल से, एसे क्ष्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिकात से बिभिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंत-रिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्वेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :——

- (क) बतरण में हुई फिकी जाब की नाबत, उक्त अधिनियम के अभीन कार दोने के अतरक के दायिक्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के सिए; और/या
- (च) ऐसी किसी आय या किसी भन या अन्य अस्तियों की, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भन-कर अधिनियम, या भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, खिपाने में मृतिथा के लिए,

अत अब उथल अधिनियम की भारा 26५-ग के अन्सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1)

के क्रभीत, निम्निनिक्ति व्यक्तियों, अधीत :---

- (1) फर्म के० णाह एण्ड कम्पनी
 द्वारा मु० आम० अशोक रतनचन्द शाह
 निवासी-1200, मदन महल, अबलपुर ।
 (अन्तरक)
 - (2) श्री बन्त सिंह आत्प्रज श्री प्रिस रूड सिंह द्वारा श्री रामसिंह बेजन्त सिंह निवासी-1259 च-8 जबलपुर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करक पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्परित के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी काक्षेप :---

- (क) इस स्वान के राजपण में प्रकाशन की सारीच से 45 विन की जविध या तस्संबंधी व्यक्तियों पष्ट स्वान की तामील से 30 विन की अवधि, जो भी जविध बाद में समाप्त होती हो, को शीतर पूर्वोंक्त व्यक्तियों में से किसी अधिकत इकारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीक से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में विद्यक्ष्य किसी अध्य व्यक्ति इवारा, नभोहस्ताकरी के शक्ष निवित में किये वा सकेंगे।

स्पव्यक्तिरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों और 'पदों का, ओ उच्छ अधिनियम के अध्याय 20 के में वरिश्राधिक हैं, वहीं कर्च होगा जो अस अध्यय में विका गया है।

धनुसूची

बना हआ मकान नं ० 1259 च-8 है जो गुप्तेण्वर बार्ड मदन महल जबलपुर में स्थित है यह वह स्थाबर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्म नं ० 37-जी में निहित है, तथा अन्तरिती द्वारा सस्यापित किया गया है।

> वी० कु० बरनवाल सक्षम प्राजिकारी सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण अर्जन, रेंज भोपाल

तारी**ख** : 13-12-1984

माहर:

प्ररूप बाईं.टी.एन.एस.-----

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-च (1) के अधीन सुचना

भारत तरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, भोपाल अर्जन रेंज, दिनांक 13 दिसम्बर, 1984

निदेश सं०आई०एज०सी० अर्जन भोपाल 5471---अतः मुझे वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है"), की धारा 269-क के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/-रा. से अधिक है

और जिसकी संख्या मकान न. 1259/एच-8 है, तथा जो गुप्तंदेवर बार्ड, मदन महल, जबलपूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अन्सूची में और पूर्ण रूप से विजित है) रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जबलपूर में रिजस्ट्रीकरण गिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने के कारण है कि यथापुर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मृत्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्सह प्रतिकात से विध्व है और अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरित (अन्तरितया) के बीच एसे अन्तरण के लिए तो पाया गमा प्रतिफल, निम्नित्सित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निम्नित वा सामानिक क्या से कार्यन अन्तरण निम्नित

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-निवय के अभीन कर दोने के बन्तरक के दायिल में अजी करने था उत्तर्ध क्यने में बुविधा के किए; बॉर/या
- (क) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियां की, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन- कर अधिनियम, या धन- कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अधोजनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया भा वा किया जाना जाहिए था कियाने में स्विधा को लिए;

अतः अव, उत्तत अभिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उथत अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निज्ञितिकत व्यक्तियों, अर्थात

- (1) फार्म के शाह एण्ड क द्वारा श्री अशोक रतन चन्द समहू निवामी—1200 मदन महल जबल पुर (अन्तरक)
- (2) श्री अजित सिंह पिता अजगर सिंह निवासी—1259, न्यू गुप्तेण्वर वाड, जबलपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्परित के वर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उन्त सम्पत्ति के वर्णन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्षप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की अविध या लत्सम्बन्धी त्र्यक्तिया पर सूचना की तामील से 30 विन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति हुवारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के शीतर उक्त स्थावर सपरित में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास कि कर मा किए के सकल्य।

स्वव्यक्तिरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उस्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जा उस अध्याय में विया वका है।

नम्सूची

मकान न० 1259 च-8 है जो गुप्तेश्वर बार्ड 'मदन महल जनलपुर में स्थित है, यह वह स्थावर सम्पत्ति है, जिसका विवरण फार्म गं० 37-जो में निृहित है, तथा श्रान्तरिती द्वारा सत्यापित किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकार। सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-3, बस्बाई

तारीस ' 13-12-1984 मोहर .

प्ररूप जाइ. टी. एन. एस.-----

शायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च् (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भाषाल

भोषाल, विनाध 13 दिशम्बर 84

निदेश स०आई०ए०सो०/अर्जन/भोगल/5472---

अतः मुझे, वे।रेन्द्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परभात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 296-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विष्वास करने का क्ष्रारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25.,000/- रा. से अधिक है

भौर जिसका सं अभूमि खनरा न ० 259 न ० व ० न ० 264, प० च ० न ० 24/1 है, तथा जो चेरातलबल्वेयवाग, निवाड गज जबलपुर में स्थित है (भौर इससे उपाबंध अनुसूचा में भौर पूर्ण रूप में विणत है) रिजस्ट्रा-कर्ता अधिकारों के कार्यालय, जबलपुर में रिजस्ट्राकरण अधिनियम 1908 (1908 को 16) के अधान, अप्रैल, 1984 को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मृख्य से कम के दश्यमान शृतिफल के लिए अतरित की गई है और मुक्ते यह विषयास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का जिचत बाजार भृत्य, उसके दश्यमान प्रतिफल को प्रेस है और अतरक (अंतरकों) और अतरिती (जन्तरितयों) के बीव एमें अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्वरेय से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तिक क्रम से किथत नहीं किया गया है:——

- (क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त बिधान्यम के अधीन कर देने के अंतरक के बामिस्त्र में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (च) एसी किसी आय या किसी धन था अन्य आस्तियों की, जिन्हें भारतीय आयकार अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर ऑधीनयम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अतिरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, ख्रिपाने में सृविधा के लिए;

सतः श्रव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) चे अधीन जिम्मिलिल स्थितियों, संभीत् ३००० 34---426 GI/84

- (1) 1. आत्माराम पिता श्री मगन लाल पटेल निवासा-बल्देव बागू, निवाइगंज जबलपुर 2. श्रा सुभाष चन्द पिता बीरनलाल जैन निवासो-साकिन सराफा जबलपुर 3. शम्भूदयाल पिता स्व० श्री छन्नुलाल केशरवानी
 - उ. शम्मूद्याल पिता स्वर्णका अन्नुलाल कशरपाना निवासो—सराफा बार्ड कृमानिया गेट जबलपुर (अन्दरक्)
- (2) 1. विनीद प्रमाद
 - 2. मनितिन प्रसाद
 - मिनप प्रसाद पिता श्रो भातालाल बङकुल निवास। - 451, जवाहर गंज, जबलपुर । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वाक्त सम्पत्ति के अर्थन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षंप :---

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी के ते 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्वेक्ति व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवाराः
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित- बद्ध किसी बन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास सिवित में दिये जा सकीए।

स्पक्कीकरण: ----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उसत अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय हो दिवा नवा है।

वनसर्प

भूमि खसरा नं० 259 न० ब० नं० 264, प० च० नं० 24/1 जो चेरोतल, बल्वेवबाग निवाडगंज जबलपुर में स्थित है। यह स्यावर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्म नं० 37-जो में निहित है तथा अन्तरितो द्वारा सस्यापित किया गया है।

वीर्देष कुमार बरनवाल सक्षम प्राधिकारी सद्दायक आयक्षर आयुक्त निरीक्षण अर्जन रेंज, भोपाल

तारोख: 13-12-1984

प्रकृतार हो एम् एस

श्रावकर निभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अधीन स्थना

ब्राह्म बहुकाई

कार्यांचय, सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, निर्ांग 13 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5473--अतः

मुर्के, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

शायकर विधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269- के बर्भीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का **कारण है कि** स्थानर सम्पत्ति, जिसका उपित नाणार मृत्य 25,000/- रु. से मधिक है

भीर जिसकी सै० मकान नं० 429, टू 429/21, ब्लाक, नं॰ 49, प्लाट नं॰ 56, 58/2 है, तथा जो लोडगंज, जबलपुर में स्थित है (मोर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रीर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जबलपुर में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन विनांक अप्रैल 1984

की पूर्वोक्त सभ्यत्ति के उचित वाजार मृल्य से कम के करवमान विषयास के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विषयास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित माजार बुल्ब, उसके रूपमान प्रतिफल से ए'से रूपमान प्रतिफल का पन्द्रह (बन्तरितियाँ) के बीच एसे अन्तरण-के सिए तय पाया गर्वा क्रीतफान, निम्नेसिबित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निवित इतिकत के विभक्त है और वन्तरक (वन्तरकार) और वन्तरिती **वीं वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है** :---

- (क) बन्तहरू वे हुई किसी बाद की बादत, उसत व्योगनियम के सभीन कर दोने के जुन्तुरक के क्षापित्य में कभी करने वा अससे वचने में सुविधा के जिए; बरि/वा
- (■) एसे किशी आद या िसी धन या अन्य आस्तियाँ को जिन्ही भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर मिधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना जाहिए था छिपाने में सुविधा के सिए;

- 1. (1) भी राजेन्द्र कुमार पिता श्री देलन सिंह
 - (2) श्री अरूण कुमार पिता श्री देलन सिंह
 - (3) श्रो अनुराग कुमार पिता श्री देलन सिंह द्वारा आ० मु० श्री बीरन लाल जैन मदन लाल जैन, उपरेन जैन ।

(अंतरक)

2. श्री कमल कुमार पिता श्री मुलायम चन्द जैन निवास:-723, गाढ़ा जबलपुर

(अन्सरिती)

का यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के रिश् कार्यवाहियां करता हुई।

उक्त सम्पत्ति के वर्णन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्षेप प्र-

- (क) इस स्चनाक राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर स्प्रात की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अवः बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्वोंक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति मे हितबव्ध किसी अन्य अयक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास तिस्तित में किए जासकों गे।

स्पक्कीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदौं का, जो उक्त अभिनियम, के अधीन अध्याय 20-क में परि-भाषित हैं, वहीं वर्ष होगा, जो उस जभ्याय में वियागमा है।

अनुसूची

मकान नं 429 टू 429/21 प्लाट नं 56, 58/2 है जो नजुल ब्लाक, न० 49, लोढा गज, जबलपूर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्तिहै जिसका विवरण फार्म न० 37-जी में मिहित है, तथा अन्तरित द्वारा सत्यापित किया गया है।

> बी० कु० बरनवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, भोपास

व्यक्तः अव, उक्त विधिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अभिनियम की भारा 269-घ की उपधारा (1)

💐 बंधीन, जिम्नसिवित स्यक्तियाँ, वर्धात :---

दिनांक : 13-12-1984

प्ररूप आइ. टी.एन . एस . ------

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सो०/अर्जन/भोपाल/5474—यतः, मुझे, र्वरेन्द्र कुमार बरनवाल,

अगयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पद्मात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-श के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

भीर जिनको संख्या प्लाट नं० 3 व 5 है, तथा जो मुडवारा, जब नपुर में स्थित है (भीर इसमे उपाबद्ध अनुसूची में भीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्राकर्ता अधिकारी के कार्यालया कटनों, मे रजिस्ट्राकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गईं और मूझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके पश्यमान प्रतिफल से ऐसे पश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखिल उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिश्चित में वास्तविक रूप से कथित नहीं कया गया है है——

- (क) अन्तरण से हुई निक्सी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा दायित्व के लिए; और/या
- (ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियों को जिन्हें भारतीय आयक-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, का धन-कर अधिनियम, का धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुनिधा के सिए;

भरा: वय, उथत विधिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण में, में, उकत अधिनियम की भारा 269-ग की उपभारा (1) के अधीन, निम्नुविधित व्यक्तियों, अधित् :---

- (1) डायर्स स्टोन लाइम कम्पनी प्रा० लिमिटेड, हैड आफिस 10, अलीपुर रोड, दिल्ली। (अन्तरक)
- (2) 1. श्रोमती शीला देवी सोमानी, पति श्रो जुगल किशोर सोमानी, निवासी गांधी गज, कटनी।
 - श्रीमती पूनम गांधी पति रमनलाल गांधी, निवासी – सकीन रेस्ट हाऊस रोड, कटनी। (अ तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वेक्त सम्पत्ति के वर्जन के जिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप ह---

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियाँ पर स्वना की तामील से 30 दिन की अविधि, वो भी अविधि नाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियाँ में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकींगे।

स्पच्छीकरणः---इसमें प्रमुक्त सम्बंधिर पर्वो का, वा सक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिश्लास्त्रक्ष है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिवा गया है।

नन्त्रकी

प्लाट न० 3 व 5 है जो महारानी लक्ष्मोबाई वार्ध, मुख्यारा, जयपुर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्प्रतिहै जिसका विवरण फार्म नं० 37-जी में निहित है तथा अन्तरिती द्वारा सत्यापित किया गया है।

> वीरेंद्र कुमार बरनवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, भोपाल

बिनांक: 13-12-1984

मोहर 🛭

प्ररूप बाई.टी.एन.एस.-----

आयकर अभिनियस,, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-भ (1) के अभीन स्पना

भारत सरकार

कार्यां नय, सहायक बायकर बायकत (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोवाल, दिनांक 13 दिसम्बद् 1984

निवेश सं० आई० ए० सो०/अर्जन/भोपाल/5475—सतः, मुझे, वारेन्द्र कुमार बश्नवाल,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हुं), की धारा 269-च को अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रह. से अधिक है

भीर जिसकी सै० नया मकान नं० ८ है, तथा जो सदर पाजार वार्ड नं० 23, रविशंकर शुक्ल रोड, रायपुर में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूच: में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्राकर्ता अधिकारा के कार्यालय, रायपुर में रजिस्ट्रांकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विद्यास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्त्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकाँ) और अंतरिती (अंतरितियाँ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया भ्या प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण जिखित व वास्त्रविक क्य से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) बन्तरण हो हुई किसी नाम की बाबत, उन्तरं विधिनयम के वधीन कर दोने के जुन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे वचने में सृतिधा के लिए; ब्रौर/या
- (क) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वार प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था. छिपाने में सुविधा चे सिग्र 1

अत: रुब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनूसरण में, में, इक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपभारा (1) के अधीन, निम्नलिखित स्पक्तियों, सर्थात :--- (1) श्री बुदोकी बाई पुत्र श्री मंदीण राम जी यादव, श्रीमती सीताबाई पित ईण्वरदयाल यादव, निवासी पुरानी बस्ती, रायपुर।

(अन्तरक)

(2) श्रो अणोक कुमार पिता हुकुमचन्द जैन, निवासी-हलवाई लाईन, रायपुर।

(अन्तरिती)

का यह स्थना चारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्धन के जिल कार्यवाहियां गुरू करता हूं।

उन्त सम्पत्ति के वर्णन् के सम्बन्ध में कोई भी वाश्रेष :----

- (क) इस नुवार के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच वें 45 दिन की अविधि या सत्सम्बन्धि व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, भी भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्यक्ति व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति विक्ति विक्ति व्यक्ति विक्ति विक्ति
- (च) इस स्चना के य्वपत्र में प्रकाशन की तारीच है 45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितवव्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहेस्ताक्षरी के पास सिसित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उनत अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गुवा है।

अनुसूची

नया मकान नं० 410 है, जो वार्ड नं० 23, रविशंकर शुक्ल रोड, रायपुर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्म नं० 37-जो में निहित है तथा अन्तरितो द्वारा सस्यापित किया गया है।

> वीरेंद्र कुमार बरनवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण) अर्जन रेंज, भोपाल

दिनौंक : 13-12-1984

मोहर 🛭

प्रकृप बार्ड टर्न एन एस ------

मायकर मिधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अभीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक बायकर बायकत (निरीक्षण) भर्जन रेज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 16 ग्रक्तूबर 1984 अनदेश सं० 1/4/84—यसः, मुझे, प्रेम मालिनि वासन,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात् 'उक्त अधिनियम' कहा गर्या हैं), की धारा 269- व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाबार भूल्य 25,000/- रा. से अधिक है^{*}

भौर जिसको सं० पेरियकुम है जो चिन्तमनूर में स्थित है (भीर इससे उपाबड धनुसूची में भीर पूर्ण रूप से वाणत है) रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारो के कार्यालय चिन्नमन्र दस० सं० 830/84 में राजिस्ट्रोकरण ग्रिष्टिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रधोन भप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से काम के द्वयमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मूझे यह विस्वास करने का कारण है कि यथापूर्वीक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके रायमान प्रतिफल से एसे रायमान प्रतिफल का पन्त्रहंप्रतिकात से अभिक है और अन्तरक (अनतरका) बार अन्तरिती (अन्तरितियाँ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से किथत नहीं किया गया है:---

- (क) जन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत, अभिनियम के अधीन कर दोने के अंतरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; वरि/या
- (च) ऐसी किसी अगय या किसी भने या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त विभिनियम, या भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया भांया किया जाना चाहिए भा, छिपाने में सुविधा के तिए;

अत: जब, उक्त क्रीभीनियम की भारा 269-ए के अनसर्व में, मैं, उक्त अधिरियम की भारा 269-घ की उपभारा (1) को अधीन, निम्नलिकित व्यक्तियाँ, अर्थात् ध---

(1) श्रो एस० एम० माणिमकम नाडार ।

. (ग्रन्तरक)

(2) वाई ० जान्सन मारिस ए० डेबिड।

(मन्तरिती)

को यह सुचना पारी करके पूर्वीक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के वर्णन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीस से 45 विन की अविधियातत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिचित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया गया है।

प्रनुसूची

भूमि वोप्पालकाट्ट गांव (दस० सं० 830/84)

प्रेम मालिनि वासन सक्षम प्राधिकारी सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरोक्षण) मर्जन रेंज-I, मदास

दिनांक : 16-10-1984

प्रकृष का**र्**ु टी. प्र. एस.------

बायकर जिथिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के जभीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) धर्जन रेज-1, मद्रास

मद्रास, दिनाक 26 प्रक्तूबर 1984

निदेश सं० 3/4/84—यत मुझे, प्रेम मालिनि वासन, शायकर विभिन्नयम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थायर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूक्य 25,00/- रु से अधिक हैं

25,(00)- ए से बाबक है

और जिसकी सं० भूमि सोक्क कोत्तन स्ट्रीट है, जो मबुरे मे

'स्थित है (श्रीर इसमे उपाबक धनुसूची मे और पूर्ण रूप से
विणित है), रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारो के कार्यालय जे०एस० आर्रा० IV

मबुरे, (इस० स० 2016/84) मे रिजस्ट्रीकरण आधिनयम,

1908 (1908 का 16) के अधीन अप्रैल, 1984
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दूरयमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दूरयमान प्रतिफल से, एसे दूरयमान प्रतिफल का
पंग्रह प्रतिदात से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती
(अन्तरितयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिकित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिकित में
बास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है दे—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त लिथ-शियम के अभीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे अभने में स्टिश के लिए; और/वा
- (च) एसी किसी जाय या किसी भन या अन्य अस्तियों की, जिन्हुं भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती क्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा को स्वरः;

अतः अव, उक्त अधिनियमं की धारा 269-गं के अनुसरण कों, कों, उक्त अधिनियम की धारा 269-गं की उपधारा (1) को अधीन, किस्सिलिशित व्यक्तियों, अर्थात् ⊹— (1) एन० के० कुव्यायन।

(मन्तरक)

(2) श्री एन० एम० श्रार० जम्बुनातन।

(भ्रन्तरिती)

को यह सूर्णना जारी करके पृत्रोंक्त सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी नाओप हू--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच तै 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद नें समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्ख व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपम में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पद्धीकरणः — इसमें प्रयुक्त सब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिआदित है, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिवा पदा है।

मन्स्ची

भूमि: 21, सोक्क कोत्तन, स्ट्रीट (दस० स० 2016/84)

प्रेम मालिनि वासन सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रजैन रेंज-, मदास

दिनांक: 26-10-1984

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ------

भायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा भाषा 269-न (1) के मुभीन सुन्ता

भारत करकाड

कार्यालय सहायक क्षायकर आयुक्त (निरक्षिण) धर्जन रेंज-I मद्रास

मद्रास, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निवेश सं० 5/4/84—यतः, मुझे, प्रेम मालिनि वासन बायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हु"), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण हुँ कि स्थानर सम्परित, जिसका उचित नाजार मृज्य 25,000/- रु. से अधिक हुँ

भीर जिसकी सं० भूमि मदुरै है जो मदुरै में स्थित है (भीर इससे उपावन भ्रनुसूची में भीर पूर्ण रूप से विणत है), रिजस्ट्री-कर्ता प्रधिकारों के कार्यालय एस० भ्रार० 5/मदुरै, (दस० सं० 1870/84) में रिजस्ट्रीकरण श्रीधिनयम, 1908(1908 का 16) के भ्रधीन भरील 1984

को पूर्वेक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के रहयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मृश्वे यह विश्वास करने का कारण हो कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके रहयमान प्रतिफल से ऐसे रहयमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिस्ति से अधिक ही और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियां) के बीच ऐसे अन्तरण के सिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निनिवित् उच्चरेव से उच्त अन्तरण विवित के वास्त्रीवक रूप से कीचत नहीं किया गया है:—

- (क) जन्तरं ने हुई किसी बाय की वायत, उसते निश्चित्रम के अभीन कर दोने के बन्तरंक के दामित्व में कमी करने वा उससे वचने में सुविधा के लिए; और/या
- (थ) ऐसी किसी बाथ या किसी थन वा बन्य आस्तिकों का, विन्हें भारतीय नाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त जिथिनियम, वा धनकर वृधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहियेथा, छिपाने में बृविधा के सिए;

बतः वस, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्मरण में, में, अक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) के ब्रधीन, निम्नलिबिक स्यक्तियों अर्थाक् :-- (1) श्री एस० त्यागराजन।

(ग्रन्तरक)

(2) तालमलनाडु मर्केटाइल बेक ।

(भन्सरितो)

क्यां यह सूचना चा<u>री करके पूर्वोक्त</u> संस्पत्ति के नर्धन् के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्परित के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षंप ्र-

- (क) इस स्थान के राजपण में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन की सविभ या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्थान की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बुवारा;
- (क) इस सूचना के राजपण में प्रकाशन की तारोक के 45 दिन के भीतर उत्तर स्थावर सम्परित में हितबक्ष किसी जन्म व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिश्वित में किए जा सकेंगे।

स्पस्टीकरणः --- इसमें प्रयुक्त वब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम दे अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ हागर, जो उस अध्याय में दिया एका

नग्स्ची

भूमि श्रीर निर्माण: मदुरै (दस० सं० 1870/84)

प्रेम मार्लिन वासन सक्षम प्राधिकारो सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-, मद्रास

दिनांक: 24-11-1984

मोहर 🛭

प्रकृष काइं. टी. एन. एस. ------

बायकर बिधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के बधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण)

ग्नर्जन रेंज-ए, मद्रास मद्रास, दिनांक 26 नवम्बर 1984

निदेश सं० 9/4/84—यतः मुझे, प्रेम मार्लिन वासन, श्रायकर विधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें ध्रमके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 के के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विष्वास करने का आरण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25.000/- रहे से अधिक है

भौर जिसकी सं० भूमि: तल्लाकुलम है जो मदुर में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध श्रानुसूचो में श्रीर पूर्ण रूप से विणित है), र्राजस्ट्रीकर्ता श्रीधकारों के कार्यालय एस० श्रार० तल्लाकुलम (दस० सं० 1306/84) में र्राजस्ट्रीकरण श्रीधनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन श्रील 1984

फो पुर्वे अन सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूफे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वों कर सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके श्रयमान प्रतिफल से, ऐसे श्रयमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकाँ) और अन्तरित (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखित उद्देश्य से उच्त अन्तरण सिचित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:——

- (क) अन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत, अचल अभिनियम के अभीन कर दोने के अन्तरक बी दायित्व में कमी करने या उसमें बचने में सुविधा के सिए; और/या
- (क) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य अस्तियाँ की जिन्ही भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उत्तत अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था. छिपान में सुविधा के लिए।

अतः अयः, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के के अधीन, निम्नलिखिद क्यक्तियों, अर्थाणु हान्स (1) एम० ए० सुप्पुस्त्रामि सुरावलि सुप्पैंगर चैरेटी ।

(मन्तरक)

(2) श्री वि॰ गनेसन

(मन्तरिती)

को यह स्थना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति से वर्षन के लिए कार्यवाहियां करता हों।

उक्त संपति के वर्जन के संबंध में कोई भी वाक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी कर्स के 45 दिन की जबिंध या तत्संबंधी व्यक्तियाँ पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, को भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कर व्यक्तियाँ में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (त) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब ते 45 विन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितवध्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकीये।

स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, यो उत्कत अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा थो उस अध्याय में विया गया है।

बगुसुचीं

भूमि: तल्लाकुलम (दस० सं० 1306/84)

प्रेम मालिनि वासन सभम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरोक्षण) ग्रजैन रेंज I मद्रास

विनांक : 26-11-1984

प्ररूप आर्च. टी एन. एस. -----

(1) श्रः टा० पः० एस०एचा० काजरै ।

(अन्तरक)

(2) साक्रमलाल राम मेट फैक्टरी लिमिटेड ।

(अन्तरिती)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के अधीन स्चना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज- ${f I}$, महास

मद्राय, दिनांवः 26 नवम्बर 1984

निर्देश स० 13/4/84 यत मुझे प्रेम मालिन वासन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पन्ति, जिसका उचित बाजार मृन्य 25,000/- रा. से अधिक है

ग्रीर जिस्क सं०भूमि और निर्माण : मुक्कुडल गांब है जो अम्बासमुद्रम तालुक में निया है (श्रीर इस्थ उनायद्ध जनुमुची में ग्रीर पूर्ण रूप में वर्णित है), रिजम्ब्री क्ला अधिकार के कार्यालय एस० आ०० तल्लाकुलम (द्या० 1485/84) में भारताय रिनस्ट्राकरण अधिनयम, 1908 (1908 का 16) के अधन अप्रैल 1984

को पूर्विक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अतिरित की गई है और मुक्ते यह विश्वाम करने का कारण है कि यथापूर्विकत सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंत्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) अपर बन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्निजिया उद्देश्य से उक्त अन्तरण निवित्त में वास्तियक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

- (क) अन्तरण म हुई किसी अाय की बाबत, उक्त किपिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविशा के सिए; बॉर/या
- (क) ऐसी किसी आय या भन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम, या भनकर अभिनियम, या भनकर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया बाम या किया बाना चाहिए जा, स्थितने बें मुजिया के लिए;

बतः बन, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ण की उपधारा (1) के अधीन कि निम्मिनिकत व्यक्तियों, अधीन के 35—426 GI/84

स्त्रे वह सूचना जारी करके पृत्रों क्त बन्मरित के वर्षन के सिक्ष कार्यवाहियां करता हो।

उक्त संपर्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस सं 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त हाती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सें 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितस्व्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखिन में किए जा सकोरों।

स्पष्टीकरणः — इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उसत अधिनियम, के अध्याद 20-क में परिभाजित है, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया मवाहाँ।

अनुसूची

भूमि ग्रौर निर्माण : मुक्कूडल गाव (दस० 1485/84)

प्रेम मालिनि बासक सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षण) अर्जन रेज-I, मद्राम

विनांक: 26-11-1984

मोहरः

प्ररूप बाई.टी.एन.एस.-----

भाषकर विभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-भ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यासय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण) अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 26 अक्तूबर 1984

निदेश सं० 20/4/84—यत:, मुझे, प्रेम मालिनि वासन, बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इतके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक हैं

घौर जिसकी सं० भूमि और निर्माण: पल्लपट्टि गांव है जो विन्हुक्कल में स्थित है (श्रौर इससे उपावद अनुसूची में श्रौर पूर्ण कप से विणित है), रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय विन्हुक्कल II (वस० 624/84) में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उभित बाजार मूल्य से कम के इश्यमान प्रतिक्ति के लिए अन्तरित की गई है और मूझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उभित बाजार मूख्य, उसके इश्यमान प्रतिक्ति से एसे इश्यमान प्रतिक्रस का पन्द्रह प्रतिखत से अभिक है और अन्तरक (अनतरकों) और मन्द्रिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पावा गया प्रतिक्रस, निम्निलिखित उद्देश्य से उसस अन्तरण सिकत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:——

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त विधिनियम के अधीन कर दोने के अंतरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (क) एंसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 1922 का 11) या उन्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजसार्थ अन्तरिसी व्वारा प्रकट नहीं किया गया था या आ या का या जिया जाना चाहिए था, कियाने में सुविधा के लिए;

नतः नव, उपत अधिनियम की धारा 269-व के जनुसरण कें, कें, उपत अधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) वे अधील, जिस्तिविद्यत् स्वित्याँ, संधात् ;--- (1) भीमती एम० विमला।

(अम्तरक)

(2) एन० राजगोपाल चेट्टिगार।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वाक्त सम्मत्ति के अर्थन के सिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी करें 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि याद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी जन्य विकत द्वारा अधोहस्त्याक्षरी के पास निवित्त में किए या सकोंगे।

स्पष्टीकरण: — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिवर गया है।

अनुसूची

भूमि श्रीर निर्माण: पल्लपट्टो गांव, विन्धुक्कल (वस० 624/84) :

त्रेम मालिनि वासन सक्षम प्राधिकारी सहायक भायकर भायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-1, महास

विनांक : ३६-१०-1984

महिर्द

प्रक्य कार्^{*}. टी. एन _य एस . -----

शायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म् (1) के अभीन सूचना

भारत तरकार

कार्यालय, सहायक नायकर नायुक्त (निरीक्षण)

भर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, विनाक 26 नवस्वर 1984

निर्देश सं० 21/4/1984—यतः, मुझे, प्रेम मालिनि वासन, आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अभिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-च के अभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर स्थाति, जिसका उपित बाजार मूख्य 25,000/- रु. से अभिक हैं

मीर जिसकी सं भूमि और निर्माण है जो तेरू, कैलासपुरम, तिरुनेल्वेलि में स्थित है (भीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में भीर पूर्ण कप से वर्णित है), रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, तिरुनेल्वेलि (रस० 261/84 में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अप्रैल 1984

को पूर्वित्स संस्थित के उचित बाजार मृत्य से कम के दश्यमान श्रीतफल के लिए अन्तरित की गई है और मृत्रे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्मित का उचित बाजार बूक्य, उशके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का बक्क्य प्रतिकृत से वृधिक है और नतरक (जंतरकों) और अंतरिती (बंदिरितियाँ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-क्या जिन्नीकिया उद्देश्य से उक्त जंतरण निवित्त में बास्तियक क्या से किया महीं किया गया है ८——

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, जब्द अधिन्यम के अधीन कर दोने का असुरक के बादित्य में कमी करने या उससे बचने में सावधा के लिए: और√वा
- (थ) देवी किसी नाम ना किसी पून या नम्य नास्तियों को, जिन्हों भारतीय नायकर निधिनयम, 1922 (1922 का 11) या उन्त निधिनयम, या धन-कर क्षिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ नंत्रिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया वा किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा वै निष्

बतः वयः, रायतः विधिनियमं की धारा 269-म के वनुसरण में, भी, उत्तरं विधिनियमं की धारा 269-म की उपधारा (1) के वधीन, निम्नलियितं व्यक्तियों, वधीत् :---- (1) श्रीमति पार्वति अम्म्माल ।

(मलरक)

(2) श्री के० रामस्वामि।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन की सिक् कार्यवाहयां शुरू करता है।

बन्नत सम्पत्ति में वर्षन् के सम्बन्ध में कोई भी बाबीब हुन्न

- (क) इस स्वना के राजपृत्र में प्रकाशन की तारीब सै 45 दिन की अविभ मा तत्सम्बन्धी व्यक्तिमों पह स्वना की तामील से 30 दिन की ज्विभ, जो जी जविभ बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति स्वार;
- (ब) इस स्चना के राजपन में प्रकाशन की तारींच से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवबृष् किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अभोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

हपक्कीकरण: --- इसमें प्रयुक्त कर्नी और पर्वी का, जो उपक् अभिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित् ही, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिवा प्रया है।

लग्जुन -

मूमि भौर निर्माण: नहु तेरू, भैलासपुरम, तिरनेल्वेलि (वस॰ 261/84)

प्रेम मालिनि वासन सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण) अर्जन रेंज-I, मद्वास

विनोक : 26-11-1984

मृद्धिः 🤋

प्रकल बाह्य दी एक् . एक ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 की 43) की धारा 260 घ (1) ये अधीन नजना

भारत तरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज-, महास

मद्रास, दिनाक 23 नवम्बर 1984

निर्देश सं० 22/4/84—यतं, मुझे, प्रेम मालिनि वासन, बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पद्मात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भार 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विद्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रंठ से अधिक है

श्रोर जिसकी स० भृषि श्रीर निर्माण है, जो उत्तमपालयम में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अपुसूची में श्रीर पूर्ण रूप में विणित है), रिजिरट्री कि कि कि तो पित अरिंग श्रीर कि कि अरिंग श्रीर कि कि सिंग रिजिस्ट्री करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधिन अप्रैल 1984

को प्वांक्त सम्परित के उचित बाबार मृत्य से कम के द्रयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुभ्ने यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोंक्त संपर्तित का उचित बाजार मृत्य, उसके द्रयमान प्रतिफल से, एसे द्रयमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिकृत से अधिक है और अंतरक (अंतरको) और अंतरिती (अंतरितयों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्वेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त- विक रूप से किथत नहीं किया गया है :——

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (अ) एंसी किसी आय या किसी भन या जन्य आस्तियाँ को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना आहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

वतः ग्वा, उक्त अधिनियम, की भारा 269-ग के बन्सरण कों, में, उक्त अधिनियम की भारा 269-थ की उपभारा (1) के अभीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अभीत:—— (1) श्री एस० पी० जयकुमार श्रीर अन्यों।

(अन्तरक)

(2) श्रो नल्लप्प नायडु भ्रौर अन्यों।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के सिए कार्यनाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :---

- (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की दारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्त में हितबद्ध स्चना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वें कर व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ध्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र को प्रकाशन की तारीय वें
 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध
 किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास
 सिचित में किए वा सकोंगें।

स्यब्दोकरण:----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, थो खक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क मा परिभाधिन ही, नहीं अर्थ होंगा. थो उस अध्याय में विद्या गया नुं।

अनुसूची

भूनि भौर निर्माण उत्तमपालयम गांव (दस० 511/84 व 154/84)

> प्रेम मालिनि वासन सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-I, मद्रास

दिनांक: 23-11-1984

प्रस्प बाई.टी.एन.एस.----

श्रायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-थ (1) के अभीन सुधना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्राम

मद्रास, दिनोंक 15 नवम्बर 1984

निदेश स० 23/4/84—अत:, मुझे, प्रेम मालिनि वासन, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-क के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिपको स० भूमि अम्बाहुरै गांव नढपिट्ट है, (श्रीर इससे उपायवंश नुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विणत है), रिजस्ट्राकर्ता अधिकार, के कार्यालय एस० आर० चिन्नाल-पट्टा दस : 468/84 में भारताय रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)के के अधान अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उपित बाजार
मृत्य उसके दृश्यमान प्रतिफन से, ऐने दृश्यमान प्रतिफल का पृत्तह
प्रतिग्रत से प्राप्त है और यन्तरक (प्रस्तरकों) और अन्तारनी
(प्रन्तरितिथों) के बीत ऐने प्रस्तरण के लिए तय पाया स्या
प्रतिफल, निम्नलिश्वत उद्देश्य से उन्तर प्रस्तरण लिखित
वे वास्तविक कप से किया नहीं किया गया है .--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उकत अधि-नियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी जिस्सी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आय-कार अधिनियम, १९/१ (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया देया था या किया बाना बाहिए था, कियाने मा बुद्या के सिए;

जतः जब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के जनसरक में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-थ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधार्त :--- . (1) श्रोमति जयलमि ।

(अन्तरक)

(2) श्रामित ए० रामताई अम्माल ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्विक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की अविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूधना की तामील से 30 दिन की अविध, जांभी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वाक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारील से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक्ध किसी जन्म ध्यक्ति इवारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकरें।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषिक हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया हैं।

ग्रन<u>्</u>यूची

भूमि अम्बादुर गांव दन : 468/84 ।

प्रेम मालिनि वासन भक्षम प्राधिकारो सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण) अर्जन रेंज-।, मद्वास

ि दिनोंक 15-11-1984 । **मोहेर** ⊔ प्ररूप बाइं.टी.एन.एस. ------

जायकर अधिनियस, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-म (1) के अधीन सुचना

भारत तरकार

कार्यालय, सहायक भायकर वायुक्त (निर्दाक्तय) अर्जन रेंज-1, महास

मद्राम, दिनांक 16 नवम्बर 1984

निर्देश सं० 24/4/84—अतः मुझे, प्रेम वासिनि वासन, शायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसं इसर्व रसके परचात् 'उन्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रा. से अधिक है

गौर जिसकी सं० भूमि विलागृडि गांव है जो पुतुम्डपम में स्थित है (भौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में भौर पूर्ण रूप से विणित है), रिजस्ट्राकर्ता अधिकारी के कार्यालय एस आर० पुतुम्हपम दस : 1103/84 में भारतीय रिजस्ट्राकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन विनांक अप्रैल 1984 को पृत्रोंक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दश्यमान प्रतिकल के लिए अंतरित की गई ही और मृत्रों मह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वीक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दश्यभान प्रतिकल से एसे दश्यमान प्रतिकल का पन्द्रह प्रतिवात से अधिक है और बंतरक (अंतरकाँ) और बंतरिती (अन्तरितिगाँ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकल, निम्नलिखित उद्योध्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तिवक रूप से किथत नहीं किया गया है।

- (क) अन्तरण से हुई किसी जाय की बाबत, उच्च अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे वचने में सुविधा के लिए; और/या
- (भ) ऐसी किसी नाथ वा किसी भन या नध्य नास्तियों को, जिन्हों भारतीय नायकर निभित्त्यम, 1922 (1922 का 11) या उक्त निभित्त्यम, या भनकर निभित्त्यम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ सन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया थाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के निए;

वतः अव, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के वनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग की उपभारा (1) के अभीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अभीत्:— (1) श्रामित मेरी जेकब।

(अस्तरक

(2) श्री पी० प्रवारक सिंकु।

(अन्तरिती)

की यह स्वाना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्षन के जिल्ला कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्परित के वर्षन के सम्बन्ध में कोई श्री बाधीप ध---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी स्पत्तियों पूर सूचना की तामीस से 30 दिन की सविधि, को भी सविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कर स्पत्तियों में से किसी स्पत्ति हवारा;
- (वा) इस स्थाना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्मत्ति में हितवबुध किसी अन्य व्यक्ति स्वारा अधाहस्ताक्षरी के पाड़ लिखित में किए जा सकोंगे।

स्वव्यक्षित्वः---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उच्च अधिनियम के अध्याय 20-क में वरिभावित है, वहीं कर्ष होगा, जो उस अध्याय में विका नवा है।

THE REAL PROPERTY.

भूमि विलागुवि गांव दस : 1193/84 ।

प्रेम मालिनि बासन सक्षम प्राधिकारी, सहायक आयुक्त (निरीक्षण) सर्जन रेंग 1 मक्सस

विनोकः 16-11-1984 मोडरः प्रक्य बाइ ्टी एन एस . -----

भाषकर विश्वित्वन्, 1961 (1961 का 43) की भाड़ा 269-म् (1) के बभीन तुमना (1) श्री प्रार० मीनाक्षी ।

(प्रन्तरक)

(2) श्रोमति तमिल भाले ग्रम्माल ।

(भ्रन्तरितो)

बाइत संस्कार

कार्यालय, सहायक बायकर वायकत (निरीक्षण) धर्जन रेज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निर्देश सं० 35/4/84—प्रतः मुझे, प्रेम मालिनि वासन, बाबकर बांधनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं) की धार 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण कि स्थावर सम्मत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रु. से बाधिक हैं

भीर जिसकी सं० 109, मेल सन्तति पेट्टै स्ट्रीट है, जो के० के० नगर में स्थित है (भीर इससे उपाबत अनुसूची में भीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एस० आर० भो० 4 मदुर दस 2026/84 में भारतीय रजिस्ट्री-करण अधिनियम, 1908 (190के का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति से उचित बाजार मृत्य से कम सै दश्यमान प्रतिकास को लिए जन्तिरत की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार भृत्य, उसके दश्यमान प्रतिकास से, ऐसे दश्यमान प्रतिकास का बन्दाह प्रतिकात से बिधक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरित्यों) के बीच ऐसे जन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकास, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में भारतीयक रूप से कायात वहाँ किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी बाय की वावत उक्त अभि-निवस को अधीन कर दोने के जन्तरक के शायित्व में कमी करने वा उससे वचने में सुविधा के लिए बॉर/या
- (क) ऐसी किसी बाय या किसी भन या अन्य बास्तियों का, जिन्ह भारतीय बायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या भन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अयोजनार्ज ब्रन्ति द्वारा प्रकट नहीं किया गया था किया धारा का प्राहिए था, क्रियाने में सुविधा के क्रिया धारा का क्रिया धारा का क्रिया था, क्रियाने में सुविधा के क्रिया

कतः कवः, उत्तर वीधनियमं की धारा 269-न के बनुसरण हो, हो, उत्तर वीधनियन की धारा 269-व की उपधारा (१) के ल्पीन, निल्लीकविद्य कार्रित्यों, संघाँद्य हिन्स की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सञ्पृतित् की अर्जन् के निष् कार्यवाही शुरू करता हुं।

उक्त सम्मित्त के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीं से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वे किए स्पन्तियों में से किसी स्पन्ति द्वारा;
- (ण) इस सूमना के राजपत्र में प्रकाशन का तारीचा है 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-सद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त विभिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा वो उस अध्याम में दिवस गुया है।

बन्त्ची

भूमि भौर निर्माण ; मेल सन्निद पेट्टै मदुरै दस : 2026/

प्रेम मालिनि वासन सक्षम प्राधिकारी सह्यमक झायकर झायुक्त (निरोक्षण) भूजैन रेंज । महास

विनोक 24-11-1989 बोहर प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

स्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-ध (1) के अधीन स्वना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) प्रजीन रोज-।, मद्रास

मद्रास, दिनांक 20 नवम्बर 1984

निर्देश सं० 37/श्रप्रेल/84—~श्रत मुले, प्रेम मालिनि वासन,

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं). की धारा 269-व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सपत्ति, जिसका उचित वाजार मृल्य 25,000/- रु. से अधिक है

23,000/ रा. त जान मानु ग्रीर जिसकी सं० 42, की विल तेरू, दिन्दुक्कल है, (ग्रीर इसमें उपाबड़ अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से विणत है), रिजस्ट्रीवर्ता ग्रिधिकारी के कामिलय दस : 207/84 में भारतीय रिजस्ट्रीकरण ग्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रामीन दिसाक ग्रिजैल, 1984

को पूर्वोक्त समात्ति के सचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रितकल के लिए रिजस्ट्रीकर्ता के कार्याल्य, शिवाजीनगर में धारा 269 ए बी के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के पास रिजस्ट्रीकृत किया गया है, मूभे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दश्यमान प्रतिकल से, एसे दश्यमान प्रतिकल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरक) और और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकल, निम्निलिखित उद्वेष्य से उक्त अन्त-लिखित में वास्तिवक रूप से किथत नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने बा उसमें अजने में सुविधः के लिए; और/या
- (क) ऐसी किसी जाय या किसी भग या अन्य आस्तियाँ कां, जिन्हों भारतीय जाव-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विभा के लिए;

बतः अव, उक्त अभिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण भैं. मैं, उक्त अभिनियम की भारा 269-च की उपभारा (1) के अभीन, निम्निलिशित व्यक्तियों, अभौत् :--- (1) श्री शार० बालकः सुन्नर्माणयम ।

(ग्रन्तरक)

(2) श्रीमति क्रुष्णमूर्ति अय्यर ।

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के संबंध में कोई भी वाक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीश से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्यारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकारन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित- बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अक्षोह्स्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि श्रौर निर्माण कोविल तेस, दिन्डुक्कल (दस 207/84)।

प्रेम मालिनि वासन सक्षम प्राधिकारी सहायक द्वायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) धर्जन रेंज-1, मद्रास

दिनांक 20-1-1984।

सोहर :

प्ररूप बार्ड. टी एन. एस. ब = = बल्ल≾

बायकर विधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारत 269-म (1) के अभीन सूचना

(भन्तरक)

(2) श्री एस० दुरैस्वामी ।

(प्रन्तरिती)

बार्व बहुकार

कार्यांचय, सहायक आयकार आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज-।, महास

मद्रास, दिनांक 26 ग्रन्त्वर 1984

निदेश सं० 39/4/84---ग्रतः, मृक्षे, प्रेम मालिनि वासन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात 'उपल अधिनयम' कहा गया है), की भारा 269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारच है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25 ೧೧೧/-४३ में आधिक मी

ग्रौर जिसकी सं० भिम ग्रौर निर्माण नेहरूजी नगर है, जो दिन्दुक्कल में स्थित हैं (भ्रौर इससे उपाबद्ध अनस्ची में भ्रौर पूर्ण रूप से विणित है), रिजय्दीकर्ती श्रधिकारी के कार्यालय में एस० ग्रार० ओ० दिन्टनकच दस : 276/84 में भारतीय रजिस्दोकरण घोधनियम, 1908 (1908का 16) के प्रधीन दिनकि ग्रप्रैल, 1984

की पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाबार मन्य से कम के कथमान प्रतिकास को लिए अस्परित की गई है और अभे यह विक्वास करने का कारण है कि यथापर्योक्त संपत्ति का उचित बाजार कल्च, उसके रुप्यमान प्रतिफल में ए'में रुप्यमान प्रतिफल का पन्यूह प्रतिकत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकाँ) और अन्तरिती (अप्तरितियों) के बीच एेमे अन्तरण के लिए तय पाया गया श्रीतफन, निम्नलिखिल उदद्येग्य मे उक्त अन्तर्ण शिक्ति में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है 🧽

- (क) अन्तरक से हुई किसी बाद की बादत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के शायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए बाँड/या
- (च) ऐसी कि.सी आव या कि.सी भन या अन्य जास्तिब] को, जिन्ही भारतीय काय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर क्राधिनियम, 1957 (1957 का 27) की प्रयोज-नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा की सिए‡

बताबा, उपन बाधिनियम की भारा 2,60-न के अनसरण,

 मैं, उक्त अधिनियम की धारा २६९-घ की उपभारा (1) के अधीन, निम्नलिकित व्यक्तिये अर्थात् :---36-426 GI/84

को यह स्वना जारी करके पृथीक्त संपत्ति को अर्जन के लिए कार्यवाहियां भूरु करता हूं।

(1) श्री एम० ए० पी० एस० श्रहमद श्रलि धौर श्रन्यों।

उन्त सम्पत्ति के बर्बन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप र----

- (क) इस स्चनाको राजपत्र में प्रकाशन की तारी हा 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियाँ पर स्चना की तामील से 30 दिन की अविधि., जो अविध बाद मा समाप्त हाती हो, के भीतर पूर्वीकता व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ब्वाय;
- (ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की शारीख से 4.5 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्भौत्स में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिसित मंकिए या सकोगे।

स्वक्राकरण —-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, को अक्त अवधिनियम, के अभ्याय 20 का में परिभाषित है, यही अर्थ हागा, जो उस सभ्यास में दिया नया 🗗 ।

जन्तुव

भूमि भौय निर्माण नेहरूजी नगर, तिन्युक्कल दस : 276/ 84 1

> प्रेम मालिनिवासन, सअम प्राधिकारी महायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण) मर्जन रेंज~।, मद्रास,

दिनांक : 26-10-84

मोहर 🕄

शरूप बार्ड, दी. एन. एस.------

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के अधीन स्वना

भारत सरकार

कार्यासय, सहायक जायकर आयक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज । मदास

मद्रास, दिनांक 20 नवम्बर 1984 निदेश सं. 40/प्रप्रैल/६4---ग्रतः मुझे प्रेम मालिनि

शायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विकास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित साजार मृल्य 25,000/- रु. से अधिक है

शौर जिसकी यं० 77, दूपरा स्ट्रीट दिन्दुक्कल. नेरुजिनगर है, जो में स्थित है (श्रौर इससे उपायद्ध मे श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रिजस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय जे० एस० ग्रार० I /दिन्दुक्कल इस : 270/84 में भारतीय रिजस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन दिनौंक श्रुप्रैल 1984 ।

को प्वेंक्ति संपत्ति का उचित बाजार मृत्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के स्पि और मृभ्ये यह विश्वास करने का कारण है कि स्थापन केंक्त संपत्ति का उचित बाजार मन्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल को पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एकें अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निलित स्वविषय से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से किथित नहीं किया गया है :---

- ्रैक) बन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत, उक्त बिश्वियम के बशीन कर दोने के बन्तरक की बायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; बॉर/या
- (च) ऐसी किसी आय या किसी धन या जन्य आस्तियों की जिन्हों भारतीय जायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनयम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना थाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अनः अवः, उत्रुक्त अधिनियमं की भाग २६९-ग के अनसरण कों, मीं, उस्त अधिनियम की भारा 269-ग की उपभारा (1) को अभीन, निस्तिवित अधिकतयों. अभीत्:—— (1) श्री एन० एस० मोहन ।

'(प्रन्तरक)

(2) एन० एस० रिवचत्रन ।

(ग्रन्तरिती)

को यह स्वाना कारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के संबंध में कोई भी बाक्षेप :---

- (क) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अविधि या तत्सवधी व्यक्तियों पर स्चना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त ध्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारील से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकारो।

स्पद्धीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पृदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि भौर निर्माण नेरूंजिनगर दिन्दुंबक्स. दस : 270/

प्रेम मालिनि वासन, सक्षम प्राधिकारी, सड़ायक भायकर प्रायुक्त (निरीक्षण), भर्जन रेंज । मद्रास

दिनांक: 20-11-1984

(ग्रन्तरक)

प्ररूप बाई. टी. एन. एस.-----

बायकर बिधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक बायकर बायक्त (निरीक्षण) धर्जन रेंज-[, मद्रास

निदेश सं० 41/4/84--- श्राः मुझे प्रेम मालिनि वासन

मद्रास, दिनाक 15 नवम्बर 1984

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 स के अधीक सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थातर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/-रुपये से अधिक है भौर जिसको सं० 200, राममृति रोड, त्रिघद नगर है, में स्थित है (ग्रौर इससे उगबद्ध में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रोकर्ता ग्रधिकारो के कार्यालय विम्दनगर दस : 1080/84 में भारतीय राजि दीकरण ग्रधि-नियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन ग्रप्रैल 1984 को पूर्वीक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय बेंगलूर दक्षिण में भारा 269 ए. बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के पास रिजस्ट्री-कृत किथा गया है, मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वीक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य, उसके दश्यमान प्रति-फल से, एस द्रयमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है डार अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया ग्या है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त आधानयम क अधान कर दन क अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सृविधा को लए, आर/या
- (ख) ऐसी किसी आग या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त आवान्यम, वा धार्मिक्याम 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनार्थ अंतिरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूतिधा के लिए;

क्रतः अव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, जनसरण में, में, रुकन अधिनियम की धारा 260-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

- (1) श्री डो० एम० एम० ग्रार० सोक्कर।
- (2) के॰ के॰ एस॰ एस॰ एम॰ राजलक्षमी ग्रम्माल (ग्रन्तरिती)

को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के 'तिए' कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उन्त सपित के जर्जन के संबंध में कोई भी बाक्षेप :---

- (ब) इस स्चना क राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन की जविभ या तत्सबधी व्यक्तियों पर स्चना की तामील से 30 दिन की वविभ, को भी वविभ बाद में समाप्त हाती हो, के भीतर पूर्वावच व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (खं) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी खं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखिए में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ डागा, जा उस अध्याय में दिवा गया है।

अन्स्ची

भूमि, 200 राममूर्ति रोड, विरुदुनगर दस : 1080/

प्रेम मालिनि वासन, सक्षम प्राधिकारी, सहःयक ग्रायकत ग्रायुक्त (निरीक्षण), ग्रजैन रेंज । मद्रास

दिनांक: 15-11-1984

मोहर 🔢

त्रकप बाह्". टी. एप. एत.-----

बायकपु विभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के वभीन सुमना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक जायकर आयुक्त (निरीक्षण)

भर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास दिनाक 15 नवस्त्रर 1984 निर्देश सं० 44/4/84—-प्रतः मुझे प्रेम मालिनि वासन आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (विसे धममें धसके परचात् 'उक्त अभिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269 स के अभोन सक्षम प्राधिकारी को यह विकास करने का अपरण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित गाजार मूल्य 25.000/- रु. स अधिक हैं

भौर जिसकी स० 11, हाजि इब्रेहिम कुट्टि स्ट्रीट, अरक्कोनम है जो में स्थित है (धौर इससे उपावज्ञ में घौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रोकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय जैं० एस० ग्रार II/अरक्कोनम वस 688/84 में भरतीय रजिस्ट्री-करण ग्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन दिनांक ग्रप्नैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्सरित की गई है और मूझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथाप्वोंक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंत-रिती (अन्तरित्यों) के बीच एसं अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखित उद्वष्यों से उक्त अन्तरण निचित में गस्तिक रूप से किथत नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त आधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के बायित्व में कसी करने या उससे अधने में सुविधा के लिए; और/या
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य जारितकों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1967 (1967 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

बत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण भी, भी, उक्त अधिनियम की धारा 269-थ की उपधारा (1) के अधीर निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

- (1) श्री के० वि० के० मोहतेड हाजि भीर भन्यों (अन्तरक)
- (2) श्री हाजि ग्रब्दुल रहिम । (ग्रन्तरिती)

को यह स्थना जारी करके पूर्वेक्त सम्पत्ति के **मर्जन के लिए** कार्यचाहिया करता हुं।

जनत सम्पत्ति को अर्जन को सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4.5 दिन की अवधि या तत्सबधी व्यक्तियां पर स्वना की तामील स 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त हाती हा, क भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति इवारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित- बद्ध किसी अन्य व्यक्ति इवारा अधोहंस्ताक्षरी के पास निक्ति में किए जा सकरें।

स्यस्तिकरणः --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उसत अधिनियम को अध्याय 20-क में परिभाषित है, नहीं अर्थ होगा, जो उस मध्याय में दिया गया है।

वर्स्वी

भूमि ग्रौर निर्माण : 11, हाजी इब्राहिम कुट्टि ग्ररक्कोनम दस: 688/84 ।

> प्रेम मालिनि वासन, सक्षम प्रशिक री, सहायक श्रायकय मायुक्त (निराक्षण), श्रजन रेंज, मद्रास

विनांक : 15-11-1984

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-च (1) के अधीन सूचना

भारत सरकाइ

कार्यालय, सहायक भायकर भायका (निरीक्षण)

धर्जन रेंज-1, मद्रास मद्रास, दिनांक 6 नवम्बर 1984 निदेश सं० 46/4/84---- इतः, मुझे, प्रेम मार्लिन वासन, बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परधात् 'जन्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा

269 के के अभीन संक्षम प्रशिकारी का यह विज्यास करने का कारण है कि स्थावर सर्पास्त, जिसका उपित नाजार मून्य 25,00 :/-रा. से अधिक है

भीर जिसकी सं० भूमि और निर्माण कातरे कम्म गांव है, जो सें स्थित है (श्रीर इससे उपाबत अनुसूच। में भीर पूर्ग रूप से बणित है), रजिस्ट्रोकर्ता भ्रधिकारी के कार्यालय एस० भ्रार० गुडियालम दस : 1543/84 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण भ्रधि-नियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधान दिनांक भ्रप्रैल 1984 ।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रहयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करन का कारण है कि यभापवाक्ति सप्तित का उचित बाजार मूल्य, शसके रहयमान प्रतिफल से, एसे रहयमान प्रतिफल का बंद्रह प्रतिशत से अभिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (बन्तरितयों) के बीच एस बन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-क्रम निम्नसिक्ति उद्देश्य से उक्त बन्तरण शिक्ति में बास्त-दिक स्थ वे कथित नहीं किया नमा है ----

- (क) अन्तरण से हुई किसी जाय की बाबत उकत अधि-णियक के बधीन कर दन के अन्तरक के शावित्व में कनी करवे ना बससे नुषने में सूनिया के किए; जार्ड/या
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 की 11) या उक्त आधानसम, अर्थन कर अधिनियम, 1957 (1957 की 27) की प्रयाजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए;

बतः सन, उक्त विधिनियम की भाग 269-न की सन्बरम की, ही, उक्त अधिनियम की भाग 260-न की उपभाग (1) के अधीन, निम्नुलिखित व्यक्तियों, सर्थात् :--- (1) श्री ए० पि० पकीर मोहनेड साहिब।

(भ्रन्तरक)

(2) श्री ए० हिबबूर रहमान ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए कर्यवाहिया शुरू करता हुं।

जक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्षेप :---

- (क) इस स्थना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी हैं 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्थना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मा समाप्त हाती हो, के भीतर प्राक्त व्यक्तिया मा संकिसी स्यक्ति ब्वारा;
- (क) इस स्थान के राजणक में प्रकाशन की तारीं के कैं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सपत्ति में दित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखा में किए वा स्कार्ग।

स्पद्धिकरण:--इसमें प्रयुक्त कव्यों और पद्दों का, भी उपक्ष अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विया गया है।

अनुसुची

भूमि मौर निर्माण कातरै कुप्पमगांव दस : 1543/ 84

> त्रेम मालिनि वासन, सञ्जन प्राधिकारी, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण), धर्जन रेंज-। मद्रास

दिनांक: 6-11-1984

प्ररूप बाइ'. डी. एन. एड.-----

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक अयकर आयुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज 1, मद्रास

मद्राम दिनाक 15 नवम्बर 1984 निर्देश सं० 47/4/84---श्रत. मुझे, प्रेम मालिनि वासन बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स का अधीन सक्ष्म प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मम्पन्ति, जिसका उचित बाजार

25,000/- रा संअधिक हैं **श्रीर** जिपकी सं० भूमि ग्रीर निर्ाण काटपाडि गांव है, जो में

स्थित है (ग्रीर इसने उगाबढ़ मे ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णिन है), रजिस्ट्रो हर्ना प्रिविकारी के कार्यालय एस० ग्रार० काटपाडि दस: 1320/34 में भारतीय रजिप्हीकरण श्रविनियम, 1908 (1908 का 16) के अर्थन दिनाक अप्रैल 1984 की पर्वाक्त सम्पन्ति के उचित बाजार मन्य स कम के इत्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित को गई है और मभे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार म्ल्य, उसके इत्यमान प्रतिकल म, एस इत्यमान प्रतिफल का पन्दह प्रतिकृत से अधिक ही और अनग्क (अनरका) आर प्रतिरिती (अन्तरितियों) के बीच एन अन्तरण के लिए तम गया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उदद रथ में उवत अन्तरण 'लिखित में वास्तविक रूप स कथित नहीं किया राजा है:-

- (क) बन्तरम से हुई किसी बाय की बाबत, उक्त अधिनियम क अधीन कर दोने के अन्तरक की दायित्व म कमी करन में उसम बचने में स्विधा के लिए, बीर/बा
- (ख) ऐसी किसी अगय या किसी धन या अन्य आस्टियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1.922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

कतः चत्र, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनसरण कें, में हक्त अधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :---

- (1) एस० के० जो० पि० कन्दस्वामि सेट्टि ।
 - (ग्रन्तरक)
- (2) एन० एम० वार्य जारति

(भ्रन्तरिती) -

को यह स्थला कारी कारके पूर्वीवत नगरीत के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हा ।

जबत सम्पत्ति के नर्जन है सबंध में कोई भी बाक्षेप :--

- (क) इ.स. स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख है 45 दिन का राक्ष ए। त सरहत्वी व्यक्तियो पर स्चना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अवाध बाद म कमान हो । हा, के भातर प्वाक्त व्यक्तियों म स किसी भाक्त द्वारा;
- (ख) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस सं 45 दिन की मीतर उक्त म्थावर सम्पत्ति में दित बद्ध किसी अप व्योव हवाग अधाहस्ताक्षरी व पास लिस्तिम किए ज प्रकर्म।

स्पद्धीकरण:--इम्प्या प्रथम। शन्दा भीर पदों का, जो उसर अधिनियम के अध्याय 20-क म परिभाषित है, बहा अर्थ हाण आ उस अध्याय मे दिसा बदा है।

अनुसूची

भ्मि ग्रीर निर्माण काटपाडि नगर (दस : 1320/ 84) 1

प्रेम मालिन वासन, सञ्जन प्राचिकारी, सहायक आयकर आयुक्त (निराक्षण), भर्जन रेज 1, मद्रास

दिनोक 15-11-1984 मोहर :

प्रसम्ब बाह्य टी एन एस.------

अगभ्कर क्रिपित्यम 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के अभीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयकत (निरीक्षण) श्रुपंच रेज I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 20 नवस्वर 1984 निरेश सं० 48/4/84—अनः मुझे, प्रीम मालिनि वासन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पहचात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी की यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25 000/-रु से अधिक है

भौर जिसकी सं० भूषि : काडगाडि गांव है, (और इन्षेचे उन बढ़ अन्मूचि में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रिजिस्ट्रीकर्ती श्राधिकारी के बार्य लया त्या श्रार० काडगाडि दस : 1286/84 में भारतीय रिज ट्रोक्ट्ण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अर्थान दिनाक अर्थेल 1984

को पूर्वाक्त सम्पत्ति को उचित वाजार मृत्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गर्ड हैं और म्फे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, जसके दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हैं और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरित (अनिरित्या) के बीच एम अन्तरण के निए नय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्दशा से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया हैं:—

- (क) बन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त आधानयम के अधान कर दान के अन्तरक क दायित्व में कमी करने या उसस वचने में सुविधा के लिए, और/या
- (क) ऐसी किसी काय या किसी धन या अन्य कास्तियों को, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं बिकसा भया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के निए;

कतः अव, उकत अधिनियम की भारा 269-म के अनसरण में. में, उक्त अधिनियम की भारा 269-घ की उपधारा (1) की अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

(1) श्री बेबी धम्माल ।

(ग्रन्तरक)

(2) श्री वो० ग्रार० जेयराम चेट्टियार

(भ्रन्तरिती)

कार्यक्ष सम्बन्ध जारी कारके प्वेक्सि संपत्ति के लर्धन के सिए कार्यवाहिया करता हु ।

उक्त सम्पन्ति के अर्जन के मध्वन्ध में कोई भी आक्षेप:--

- (क) इस सचना के राजपत्र मो प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अर्वाध या नत्सवधी व्यक्तियों पर स्वना की तामील स 30 दिन की अवधि. जो भी अवधि बाद मो समाप्त होती हो, की भीतर प्रवेक्ट व्यक्तियों मा से किएसी व्यक्ति दवारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर पत्रत स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध िकमी अन्य प्राक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंग।

स्पद्धीकरणः--इसमे प्रयक्त शब्दों और पर्दो का, जो उक्त आधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहां अर्थ हाना जा उस अध्याय में दिया नया है।

अनुमूची

प्लाट : गुडियात्तम डालुक काडपाडि । दस : 1286/ 84 ।

प्रेम मालिनि वासन, सक्षम प्राधिकारी, सहायक भ्रायकर श्रायुक्त (निर्राक्षण), श्रजन रेज I मद्रास

दिनांक 20-11-1984। मोहर प्रकप् नाइ . टी. इन. एत: -----

(1) श्री सी० वी० वैतियनातन

(भन्तरक)

'2) श्री धार० प्रवाहरन ।

(अन्तरिती)

बावकर निविविवय, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के नवीन सुवना

भारत सरकार

कार्याक्रम, सहायक आयकर आयक्त (निरौक्षण) प्रजेत रेंज, मद्रास मद्रास, दिनांक 15 नगम्बर 1984 नियम सं० 50/4/1984—श्रतः मुझे, प्रेम मालिनि

बायकर न्यीधनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-व हे बधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करन का कारण ह कि स्थायर सम्पत्ति, जिसका उचित वाजार मृस्व 25.,004/- रह से अधिक हैं

भौर जिन्नी मं० भूने श्रीर निर्भाग गान्दि नार, कालग्र गांव है, जो काटपांड में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रून से विगा है), रिजिन्द्री कर्म श्रीध कारी के कार्यालय दस : 1150/84 में भारतीय रिजिस्ट्रीकरण श्रीध-यिम, 1908 (1908 का 16) के श्रशोन दिनाक श्रशैल 1984

को पूर्वोजन रूम्पीत के उचित बाजार मृल्य से कम के द्रायमान इतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विद्यास करने का कारण है कि यथापूर्वोजत सम्पत्ति का उचित बाजार मृल्य, इसके द्रायमान प्रतिफल से, एसे द्रायमान प्रतिफल का बन्यह प्रतिकात से अधिक है और जतरक (अतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे बंतरण के लिए तय पाया गया इतिफल किम्नसिचित उद्योक्य से उक्त जंतरण लिखित में बास्त्विक स्व से कथित नहीं किया गया है. 2—

- (क) जनसरण वे हुई किसी बाव की बाबस, संबंध विभिन्नियत के बधीन कर दोने के बन्तरक के बायित्य में कमी करने वा उसके ब्यून में सूब्धि। के विष्टु: बॉट/बा
- (क) एसी किसी आय वा किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयक र ऑधनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती इतारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना वाहिये था, किया ब्रीक्शा के लिए;

को यह स्थान कारी करके पूर्वोक्तु चंपत्ति के वर्जन के लिए। कार्यवाहिया करता हो।

प्रवत सम्पत्ति के वर्णन के सम्बन्ध में कोई भी जाक्षेप 🐛

- (क) इस स्वना के राज्यक में प्रकाशन की तारीक कें 45 दिन की अविधिया तत्सम्बन्धी व्यक्तियों वर स्का की तामील से 30 दिन की अविधि, वा भी अविधि,वाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्छ व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बुवारा;
- (च) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच चें 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित्बद्ध किसी बन्य व्यक्ति दवारा नभोहस्ताक्षरी के पाइ सिवित में किए जा सकरेंगे।

मन्सूची

भूमि-म्रौर निर्माण गान्दि नगर दस : 1150/84। प्रेम मालिनि बासन सञ्जम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर भ्रायक्त (निरीक्षण), ग्रुजैन रेंज I, मद्रास

जत: अब, उक्त जीधीनयम की धारा 269-ग के अन्सरच जो, जो, उक्त जिधिनियम की धारा 260-च की उपधारा (1) की वधीन, निम्नसिचित व्यक्तियों, जथाँतू :---

दिन'क 15-11-1984 मोहर: प्ररूप बाइ. टी. एन. एस.-----

भायकर विभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-च (1) के अभीन स्चना

भारत तरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निर्धिका) श्राजन रेंज-I मद्रास

मन्नास, दिनांक 29 श्रन्टूबर 1984
तिक्षेश सं० 51/4/84—श्रतः मुझे प्रेम मालिनि वासन
आगकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसकों परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा
269-ख के अधीन संक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य
25,000/- रु. से अधिक हैं

भौर जिसकी सं० भूमि श्रौर निर्माण रलूर टबुन है, जो में स्थित है (श्रौर इसे उपाबद्ध में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय एस० श्रार० वेलूर दस : 1408/84 सें भारतीय रजिस्ट्रीकरण श्रधियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन दिनांक श्रील 1984

को प्रविधित सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के रायमान प्रितिफल के लिए रिजस्ट्रीकृत विलेख के अन्सार अंतरित की गई है और के यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्विक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उव्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में बास्तियक रूप से किथत नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि-नियम के अधीन कर दोने के अंतरक के दायिस्य में कमी करने या उससे बचने में सृविधा के लिए; और/या
- (क) एसी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें कारतीय आयकर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त, अभिनियम, या भन-कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी व्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपान में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण में, में, अक्त अधिनियम की भारा 269-भ की उपभारा (1) के अधीन. निम्निलिक्ति व्यक्तियों अर्थात :---- 37—426 GI/84

(1) श्री बी॰ दामोदरन

(अन्तरक)

(2) श्री गोविन्दस्वामि मुदलियार

(ग्रन्तरिती)

्को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लि**ए** कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप :;---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कत व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति द्वारा;
- (सं) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त व्याधिनियम के अध्याद 120-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विया गया है।

मन्स भी

भिम भौर निर्माण : बेल्र टव्न दस : 1408/84

प्रेम मालिनिवा सन,

सक्षम प्राधिकारी,

(सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

भ्रर्जन रेंज-। मद्रा

दिनांकि: 29-10-1984

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

नायकर निधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचक

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेज-ा मद्रास

मद्रास, दिनाक 20 नवम्बर 1984 निदेश स० 52/4/84— श्रत मुझे प्रेम मालिनि वासन शायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विद्यास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रह से अधिक है

भीर जिसको स० भूमि भ्रष्पास्वामि पिल्लैस्ट्रोट है, जो श्रारिन में स्थित हैं (श्रीर इसमें उपाबद्ध में श्रीर पूर्ण रूप से विणित हैं) रिजस्ट्राकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दम 1198/84 में भारतीय रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन दिनाक श्रील 84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह भैषद्यास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके इश्यमान प्रतिफल से ऐसे इश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखित उच्दिश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से किथत नहीं कया गया हैं..~

- (क) अन्तरण से हुई किती आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अस्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमें द्याने में सुविधा वायित्व के लिए; और/शा
- (स) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हों भारतीय आयक-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, का धन-कर अधिनियम, का धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए;

अतः अव, उक्त अधिनियम की धारा 269-न के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के अधीन. निम्निलिसित व्यक्तियों, अधित् :— (1) श्रीपो० के० एन० कुष्णस्वामी नायहु

(धन्तरह)

(2) बी० जी० श्रीनिवासन ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

- (क) इस सूचना के राजपश में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस- बद्ध किसी अन्य व्यक्ति व्वारा, अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकींगे। गया है।

स्पष्टीकरण — इसमे प्रयुक्त शब्दों और पवो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

जन्स्ची

भाम : ग्रप्पास्वामि स्ट्रीट दम 1198/84

प्रेम मालिनि वासन सक्षम प्राधिकारी सहायकु प्रायकर शायुक्त (निरीक्षण), प्रर्जन रेज-1 मद्रास

दिनाक 20-11-1984 माहर प्ररूप वार्द .टी. एन .एस .-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-भ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक अध्यक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मन्नास

मद्रास, दिनांक 24 नवम्बर 1984

निर्देण सं० 54/4/84---अतः मुझे प्रेम मालिनि वासन नायकर जीधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पहचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विद्यास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रु. से अधिक हैं

स्रोर जिसकी सं० भूमि : स्रोपिल नायकम पिट्ट है, जो दरमपुरि में स्थित है (स्रौर इससे उपाबद्ध में स्रौर पूर्ण रूप में विजत है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एस० आर० मोरप्पूर दस : 178/84 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ध्रथमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मूझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके ध्रथमान प्रतिफल से एसे स्थमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

(क) अन्तरण से हुई किसी जाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे अचने में सुविधा के निए; और/या

(क) ऐसी किसी भाय या किसी भन या अन्य आस्तियों का, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भन-कर अधिनियम, या भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अक्षः अव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अमुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के बधीन, निम्नीलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--- (1) श्री के० ए० स्वामिनाता एयर ु

(अन्तरक)

(2) एन० मुख्यन, सिखार साहिब।

(अन्तरितोः)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए कार्यवाहियां भूरू करता हुं।

उनत सम्पत्ति के अर्थन के सैबंध में कोई भी बाख्येप :----

- (क)। इस सूचना के राज्यक में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील ते 30 दिन की अविधि, को और अविधि बाद में समाप्त होती हो. को और पर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति
- (त) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन को भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बहुभ किसी जन्म व्यक्ति द्वारा, अभोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकींगे।

स्वक्तीकरणः इसने प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अभि-नियम के अध्याय 20-क में परिभाष्टित है, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विधा गया

ममृश्वी

भूमि श्रौर निर्माण : श्रोपिलि नाकम पट्टि 178/84 ।

> ्प्रेम मालिनी वासन सक्षम प्राधिकारी **सङ्**यक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, मक्सस

दिमांक: 24-11-1984

प्रकृत नार्चा, टीप्त एवं, एवल -----

आयकर अधिनियम,, 1961 (1961 की 43) की भार 269-च (1) के अधीन सुचना

भारत सरकाड

कार्यालय, सहायक बायकर बायकते (निरीक्षण)

अर्जन रेज-1, मुद्रास

मद्रास दिनांक 29 ग्रन्तूबर 1984

निर्देश स० 564/84-अतः मुझे प्रेम मालिनि वासन

शायकर विधिनियम, 1961 (1961 को 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त विधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी की, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूस्य 25,000/- रा. से अधिक हैं

भौर जिसकी सं० 16, नात वेलूर टबुन मिटा आन्ध राव स्ट्रीट वेलूर है, जो में स्थित है (भौर इसमें उपाबद्ध भौर पूर्ण रूप से वर्णित है) रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी व कार्यालय एस० आर० में वेलूर दम 1301/84 भारतीय रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के के अधीन दिनाक अप्रैल 1984

को पूर्वोक्स संपित्त के उचित बाजार मूल्य सं क्रम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त ' सस्पित का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिकात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया प्रतिफल निम्निलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तिक रूप से कथित नहीं पाया गया है :——

- (क) अंतरण से हुद्दं किसी गाम की बाबत, उक्त ग्राभिनियम के अभीन कर दोने के अन्तरक के शाबित्य में कभी करने या उससे बचने में सुविभा के सिए; और/या
- (च) श्रेसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ करे, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या वन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया एया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने से सुविभा चे निष्;

जतः। जब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, की, शक्त अधिनियम की धारा 269-थ की उपधारा (1) को अधीन. निम्निसिसिस व्यक्तियों, अधीत् है—— (1) श्री एम० एस० सम्पत मटलियार।

(अन्तरक)

(2) प्रतीप कुमार

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी कारक पूर्वीक्त सम्पत्ति को अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हो

उन्त सम्पत्ति के अर्जन् के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक के 45 दिन की जबिध या तत्सबधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी जबिध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बुवारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी ख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबबुध किसी जन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास सिवित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्दों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क मे परिभाषित है, बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

नभूत्रजी

भूमि श्रौर निर्माण मिट्टा आन्द्र राव स्ट्रीट वेलूर टब्रुन दस : 1301/84 ।

> प्रेम मालिनि वासन, सक्षम प्राधिकारी, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-I मद्रास

विनांक: 29-10-1984।

प्ररूप माई.टी.एन.एस. -----

नाय्क ः विभिन्नियमः, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के बभीन सुभना

भारत सरकात

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

ं मद्रास, दिनांक 29 अक्टूबर 1984

निर्देश मं० 58 अप्रेल 84--अतः मुझे प्रेम मालिनि वासन

कायकर अधिनियम्, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है'), की भार 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी की यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० प्लाट स० 18, गोवा टोड, योगनपल्ली कृष्णगिरि है, जो क्ष्यत है (श्रीर इससे उपाश्वद्ध में श्रीर पूर्ण रूप से विणत है) रिजस्ट्रीकर्ना अधिकारी के कार्यालय जे० एस० आर० II, कृष्णागिरि दस्तावेज सं० 602/84 में भारतीय रिजस्ट्रीकरण अधिनयम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्परित के उचित नाजार मूल्य से कम के स्वयमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मूक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि सभापूर्वोक्त सम्पर्ति का उचित बाजार मूल्य उसके स्वयमान प्रतिफल से, ऐसे स्वयमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिश्वत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्वेष्यों से उक्त अन्तरण सिवित में बास्तिक रूप से किथत नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कटू दोने के अन्तरक के बायित्व में कमी करने या उससे अधने में सुविधा के लिए; और/या
- (बा) एसे किसी जाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना चाहिए था, खिपाने में सुविधा है चिए;

बतः विव, उक्त अधिनियम कौ भारा 269-ए के बनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की भारा 269-ए की उपधारा (1) के अधीन, निम्निसिस्त व्यक्तिसों, अर्थात् हरू- (1) श्रीमित आर॰ तुलसी।

(अन्तरक)

(2) के० रामचन्द्रन ग्रीर अन्यों।

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त स्म्यास्त के अर्जन के सिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षोप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन की अविध या तत्संबंधी व्यक्तियाँ पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी जबिध बाद में समाप्त होती हो, से भीतर पूर्वेक्स व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्याग्र;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित- बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अभोहस्ताक्षरी के पास निवित में किए जा सकींगे।

स्पच्छोकरण: ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवाँ का, आं उक्त अधिनिधम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

वपुर्व हैं।

भूमि भौर निर्माण कृष्णागिरि (दस्तावेज सं० 602)

प्रेम मालिनि वासन, सक्षम प्राधिकारी, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेज[ा], मद्रास

दिनांक: 29-10-1984

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-च (1) के अभीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज 1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 21 नवम्बर 1984

निर्देश मं० 62/4/84—अतः मुझे प्रेम मालिनि वासन शायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त बिधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी मं० भूमि पुतु कौबे गांव है, जो में स्थित है (श्रीर इसमे उपाबद्ध श्रीर पूर्ण रूप से विणत है) रिजस्ट्री-कर्ता अधिकारी के कार्यालय एम० आर० मेंद्रमगलमदास : 487/84 में भारतीय रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984

को पूर्विकत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रिजस्ट्रीकर्ता के कार्यालय गांधिनगर में धारा 269 ए. बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारों के पास रिजस्ट्रीकृत किया गया है मुभ्ने यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्विकत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक और अन्तरक (अन्तरकों) और जन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्विचय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर वोने के अंतरक के दायित्य में कमी करने या उससे अधने में सुविधा के लिए; और/बा
- (स) एसी किसी जाय या किसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या प्रयोजनार्थ अंतरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, ख्रिपाने में सूरिवधा के निएं।

बतः अज, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध के अनुसरण में. मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के स्थीन. निम्निजिकित व्यक्तियों, अर्थात् :--- (1) करुपया

(अन्तरक)

(2) सेललम्माल

(अन्सरिती)

को यह सूचना जारी करके पृत्रोंक्त सम्पर्ति के अर्थन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के कर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की जबिध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस सैं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य विक्त व्वारा अधोहस्त्याक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरण: --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो जकत अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित ही, वहीं अर्थ होंगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

ग्र**नसूची**

भूमि पुतु कोम्ब गांव दस : 487/84।

प्रेम मालिनि वासन, ॄ्रेसक्षम प्राधिकारी, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-1 मद्रास

दिनांक ∦ 24-11-1984 मोहर :∯

प्रचम बाह्", दी., एत., एत्,,-----

शायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-स (1) के अभीन स्पना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज 1, मद्रास मद्रास, दिनांक 24 नवम्बर 1984 निर्देश सं० 69/484—अतः मुझे प्रेम मार्लिन वामन

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (विसे इसमें इसके प्रधानत् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्तम प्राधिकारी को, वह विख्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित आजार मृख्य 25,000/- रु. से अधिक हैं

स्रोर जिसकी सं० भूमि केनम पालयम गाव रासिपुरम है, जो में स्थित है (स्रोर इसमें उपाबद्ध में स्रोर पूणं रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एस० आर० रासि-पुरम दस : 806/84 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रल

को प्वींधत संपरित् के उभित बाजार मृत्य से कम के द्रायमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथाप्वींकत सम्पत्ति का उभित धाजार मृत्य, उसके द्रायमान प्रतिफल से, एसे द्रायमान प्रतिफल का पंसह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितिंक्यों) के बीच एसे अन्तरक के लिए तय पाया गया प्रतिक्र का निम्निलिखित उद्वेष्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तर किक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) बन्तरण से हुइ किसी बाय की बाबत, उक्त जिथानियम के जभीन कर दोने के जन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बज़ने में सुविधा के सिए; बॉड/या
- (स) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां को, जिन्हां भारतीय आयकर अधिनिम्नम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनिम्नम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अव, उपतः अधिनियम की भारा 269-ग के बन्सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की भारा 269-भ की उपभारा (1) के अधीन, निम्नलिसित व्यक्तियों, अर्थात् :—— (1) श्री पलिक्किस गीन्डर

(अंतरक)

(2) पलनियप्प गौन्डर भ्रौर अन्यो

(अन्तरितो)

की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्जन के लिए कार्यक्राष्ट्रियों शुरू करता हुई।

उक्त सम्पह्ति के अर्जन के सम्बन्ध में क्रोड भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीज से 45 दिन की जनिथ या तत्संबंधी अ्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी जनिध याद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त अवित्यों में से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस रं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी कन्य व्यक्ति इवार अधाहस्ताक्षरी के पास लिसित में शिग्र जा सकोंगे।

स्पष्टीकरणः — इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

ननुसूची

भूमि कुरियालयम दस : 805/84 ।

त्रेम मालिनी वासनकृ सन्नम प्राधिकारी, महायक आयक्त (निरीक्षण), अर्जन रेख । मद्रास

दिनांक : 24-11-1984

प्रक्य आह⁴. टोक्की . एत . -----

नायकर निधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के अभीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, तहायक बाबकर बागुक्त (निरक्षिण)

अजंन रेंज 1. मद्रास

मद्रास दिनांक 7, नवम्बर 1984

निर्देश सं० 73/4/84—अतः मुझे प्रेम मालिनि वासन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 75,000/- रा. से विधिक हैं:

ग्नौर जिसकी सं० भूमि सेलम टबुन है, (श्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जे० एस० आर० I सेलम दस: 691/84 736/84 में भारतीय रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के जीवत बाजार मूल्य से कम दश्यमान प्रतिकल के लिए अंतरित की गई है और मूक्षे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त तम्पत्ति का उचित बाजार कृत्य, उसके दश्यमान प्रतिकल से, एसे वश्यमान प्रतिकल के इन्द्रह प्रतिशत से अधिक है जीर अन्तरक (अन्तरका) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के सिए तब पाया क्या प्रतिकल, निम्नलिखित उद्वेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में शस्तिक रूप से कार्य माना है :—

- (क) बन्तरण वे हुई किसी बाय की बायत, उक्त अभिनियम के अभीन कर दोने के बन्तरक के दाजित्व में कमी करने या उससे बचने में बृविभा के लिए; जॉट/बा
- (व) ऐसी किसी जाय दा किसी धन या अन्य जास्तियों को जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती बुवारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना वाहिए था, छिपाने में सविधा के लिए।

जत जब, उक्त जीभीनयम की भारा 269-ग के जनुसरण थी, भी, उक्त जीभीनक्क की भारा 269-ण की उपभारा (1) को जधीन, निम्मीलिकिक व्यक्तियों, जर्भात् ह— (1) डा० के० एस० सुंबरम श्रीर अन्यों

(अन्तरक)

(2) ए० प्रकाश श्रीर अन्यों

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हु।

रुक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में काई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सचन्य की तामील में 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितबक्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास निकास में किए जा सकींगे।

स्याक्षरीकरणः — इसमें प्रयुक्त खब्बों और पर्धों का, को खक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभावित हैं यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।।

परसर्वी

भूमि मेलम टब्न (दस : 691/84, 636/84) ।

प्रेम मालि नि वासन सक्षम प्राधिकारी, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेज मद्रास

दिनांक 7-11-1984 मोहर: प्रक्रम बाह्री, दी. एत्. एस.,------

भागकर मिनियम, 1961 (1961 का 43) की भाग 269-भ (1) के मधीन सुचना

भारत बरकार

कार्यालय, सहायक शायकर शायकत (निरीक्षण) अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 26 नवम्बर 1984

निर्देश सं० 77/4/84—अतः मुझे प्रेम मालिनि वासन बायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-क के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, वह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृस्व 25,000/-रा. से अधिक हैं

ष्मौर जिसकी स० भूमि : तिरुच्छगोड है जो नामक्कल में स्थित है (श्रौर इससे उपाधद्ध में श्रौर पूणं रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ए० आ० (ति०) कोड सस : 115484 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रल 1984

का प्रबोक्त संपत्ति के उचित बाबार मृत्य से कम के क्यामाम प्रतिफल के लिए रिजस्ट्रीकर्ती के कार्यालय, शिवाजीनगर में भारा 269 ए बी के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के पास रिजस्ट्रीकृत किया गया है, मृभ्ने यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य उसके क्यामान प्रतिफल से, एसे क्यामान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखत उव्योध्य से उक्त अन्त-सिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अभि-नियम के अधीन कर दनें के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे अपने में स्विधा के लिए;
- (च) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को, जिन्हों भारतीय बायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उनत अधिनियम, या अनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिक्षी व्वारा प्रकट नहीं किया गया था का किया बाजा चाहिए था किया में सुविधा के सिए;

कतः वव उक्त विभिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त विभिनियम की भारा 269-भ की उपभारा (1) के अभीत निम्निसिक्त व्यक्तियों, अर्थातः :-----38---426GI/84 (1) श्री टी० ए० सिंकारवेलू

(अन्तरक)

(2) श्री टी॰ सी॰ लक्षमिपिति

(अन्तरिती)

को यह सुचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

बक्त सम्पत्ति को अर्जन को सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच के 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, को भी अविधि नाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कर व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (च) इस स्वना के राजपन में प्रकाशन की तारीब के 45 दिन के भीतर जक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य स्थावत द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के यास लिकित में किए जा सकोंगे।

स्थाबिकरणः ----इसमें प्रयुक्त कवा और पदों का, वो बावक अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित इ⁴, वही अर्थ होगा को उस कथ्याय में विवा पुता हैं।

वनुस्धी

भूमि तिरुण्छंगोड (दस : 1154 84)।

प्रेम मालिनि वासन सक्षम प्राधिकारी, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज I मद्रास

दिनांक 26-11-1984 मोहर 🖫 प्रकप बाइ ुटी. एन. एस्.,-----

भायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-च (1) के अभीन सुचना

भारत सुरुवार

कार्यानय, सहायक भायकर नायुक्त (निर्देशक)

· अजन रेंज-1, मद्राम

मद्रास, दिनांक 26 नवम्बर 1984

निदेश सं० 79/4/84—अतः मुझे, प्रेम मालिनि वासन बावकर गिंधनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्तं अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रुठ. से अधिक हैं श्रीर जिसकी सं० प्रापर्टी दम: 1170/84 मेलम है, जो मद्राम में है (श्रीर इससे उपाबद्ध में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णिन है), रिजस्ट्री-कर्ता अधिकारी के कार्यालय, एम० आर० वलपाडि दस. 1170/84 में भारतीय रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908

का 16) के अर्धान, दिलांक अप्रैल 1984,
को पूर्वोक्त सम्परित के उचित बाजार मृश्य से कम के दश्यमान
प्रतिक्रत के सिए अन्तरित की गर्द है और मुके
वह विक्वास करमे का कारण है कि यथाप्वोंक्त सम्परित का
विचेत बाजार मृत्य, उसके दश्यमान प्रतिक्रल से, एसे दश्यमान
प्रतिक्रत का पंग्रह प्रतिशत से अभिक है और अन्तरक (अन्तरकों)
विद अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए
वस पाया क्या प्रतिक्रत विक्तिवित उद्देष्य से उक्त अन्तरण
विक्ति में वास्तविक रूप से अधिक नहीं किया ग्या है:---

- (क) बनारण से हुई कियी बाब की शबत , उनसे प्रक्रिक्य के समीन कर देने के सन्तरक के साबित्य में सभी करने या उससे दवने में सुविधा के सिए; बरि/वा
- (च) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों की जिन्हों भारतीय आकत्तर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तिरिती द्वारा प्रकट नहीं किया क्या था या किया जाना चाहिए था छिपाने में स्विधा के निए।

(1) श्रो एम० कन्दस्वामि उडयार

(अन्तर्कः)

(2) एम० कन्दस्यामि ।

(अन्तरितो) ्

को यह सूचना जारी करके पूर्विक्त सम्पत्ति के वर्षन के लिए कार्यवाहियां कणता हुं।

उक्त संपरित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सैं 45 विन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियाँ पर सूचना की तामील से 30 विन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वृवारा;
- (त) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी व हैं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्भ किसी जन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास निमित में किए जा सकी।

स्पष्टीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो अक्स अधिनियम, के अध्याय 20-क में पीरभाषित हाँ, बहुी अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया हाँ।

are and

प्रापर्टी : दम : 1170/84 I

प्रेम मालिनि वासन सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंजं⊶1, मद्रास -

अवः अवः जनतः विधिनियमं की धारा 269-गं के अनुसरण भौ, बौ, उक्त विधिनियमं की धारा 269-गं की उपधारा (1) के वधीन, निक्निजित्तिक व्यक्तियों, वर्धातः :---

दिनांक : 26--11--1984

मोहुद:

पक्ष्य आहें.टी एत.एस. -----

नागकार विभिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण) अर्जन रेज-1, मद्राय

मद्राम, दिनांक 6 नवस्वर 1984

निदेश सं० 80/4/84—अतः मुझे, प्रेम मालिनि वासन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसमें प्रथात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विष्यास करने का कारण हैं कि स्थावर संपर्ति जिसका उचित बाबार मृत्य 25,000/- रु. में अधिक हैं

स्रोर जिसका सं ० भूमि वेंकर गांव है, जो वेलूर में स्थित है (श्रीर इसके उपबद्ध में स्रोर पूर्ण रूप से विणित है), रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एम० आर० वेलूर दम : 203/84 में भारतीय रजिन्द्राकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984,

को पूर्विकत सपिति के उधिस बाजार मूल्य से कम के दृश्यमाम प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हैं कोर न्के यह विश्वास करने का अतरण है कि यभापविक्त सम्मित्त का उधित वाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, ए'से दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंसरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियां) के बीच एसे अंतरण के जिए तय पाया गया प्रतिफल फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्ति विक कप से कियत नहीं किया गया हैं ——

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबतः उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सृविधा के लिए; और/वा
- (क) ऐसी किसी जाय या किसी धन या अस्य अमेरित जा कार्ने, जिन्हों भारतीय आयकार अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उन्त अधिनियम, बा धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया था जा किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के सिए;

चतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में. मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) टे प्रा, निम्निमितित व्यक्तियों, अर्थात् ः—- (1) श्री ऐट्टी गीटर

(अन्तरक)

(2) श्रा के पापाई

(अन्तरिती)

को यह स्वता जारी करके पूर्वीक्त संपत्ति की अर्जन के जिल्ला कार्यवाहियां करता हूं।

धक्त सम्पल्ति के अर्जन के सम्बन्ध में को**एं भी आशो**प र---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब सै 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की कविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पर्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकींगे।

स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्वो का, जो अकत अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाष्टि है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विना गया है।

अनुसूची

भूमि : वेंकरि गाव, दस : 203/84 ।

प्रेम मालिनि वासन सक्षम प्राधिकारी सहायक आयक आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-1, मन्नास

दिनांक 6-11-1984

महिर:

प्रकप बाइ. टी. एन. एस.----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-भ (1) के अभीन सुचना

भारत सरकार

कार्यासय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज-1, महास

मद्रास, दिनाक 26 नवम्बर 1984

निदेश स० 82/4/84—अतः मुझे, प्रेम मालिनि वासन, बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-च में अभीन सक्षम प्राधिकारी का, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृस्य 25,000. रि. से अधिक है

गौर जिसकी सं० भूमि नामक्कल है, जो नामक्कल में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध में ग्रौर पूर्ण एप से वर्णित है), रजिस्ट्राकर्ता अधि-कारों के कार्यालय, जे० एस० आर०-II/ नामक्कल दस 721/84 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधान, दिनांक अप्रैल 1984,

को पूर्धोक्त संपरित के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रिजस्ट्रीकर्ता के कार्यालय गद्दग में धारा 2:69 ए. बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के पास रिजस्ट्रीकृत किया गया है, मुभे यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिहात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरितयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पीया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण कि बिहर में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आव की शबक्त, अक्क अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कामी करने या उससे क्यने में दुनिधा क (मध्, कैर्/८)
- (म) एसी किसी आय या किसी धन या जन्य जास्तिजों को, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम ग 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अंतः अब, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की भारा 269-म की उपभारा (1) के अधीन, निम्निपिश्वत व्यक्तियों, अर्थात् :---

(1) श्रारिपन वल्लप्य रेड्डी

(अन्तरक)

(2) आर० राजरतिनम

(अन्तरितो)

को यह सूचना चारी करके पृत्रोंक्स सम्पत्ति के नर्जन के किए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन की अविभि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वान की तामील से 30 दिन की अविभ, को भी जनिध बाद में सनाप्त होती हो, के भीतर पूर्वेक्स व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वार;
- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी करें 45 किन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितवक्ष किसी अन्य व्यक्ति इवारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पाब्दीकरणः — इसमें प्रयुक्त कान्यों और पर्यों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-कं में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

नन्स्ची

भ्मि नामकतत्र दप 721/84

प्रेम मालिनि बासन सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-I, मद्रास

दिसोक : 26-11-1984

प्रक्यः बाह्यः हीः द्यः एवः +----

नावकार निध्नियम, 1961 (1961 का 43) की बाह्य 269-न (1) के अधीन सुचन

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज-४, मद्रास

महास, विनांक 16 (यम्बर 1984

निर्देश सं० 83/4/84-अत मुझे, प्रेम मालिनि वासन,

नायकर सिंधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसमें परचात् 'उक्त सिंधिनियम' कहा नया है), की धारा 269-स के स्थीन संक्रम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्मत्ति, जिसका उचित वाजार मूल्य 25,000/-रा. से सिंधक है

भौर जिसकी सं० भूमि है, तथा जो नामकल में स्थित है (भौर इससे उपाबद्ध में भौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रोकर्ता अधि-कारों के कार्यालय, एस० आर० नामकल दस : 722/84 में भारतीय रजिस्ट्राकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधोन दिनीक अप्रैल, 1984,

को पूर्वोक्त तम्मित के उचित वाचार मूल्य ते कन के स्वयमान मितक स को सिए अंतरित की गई है और मूओ यह विश्वास करने करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित वाजार मूल्य, उसके स्वयमान प्रतिकत से, एसे स्वयमान प्रतिकत का गंबह प्रतिवत्त ते अधिक है जीर अंतर्क (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के सिए तय गाया गया प्रतिकत, निम्नितिबित उद्देष्य से उक्त बन्तरण सिवित में भारतिक स्य से किया गया है:---

- (क) बन्तरण से हुई किसी बाव की बावत उक्त बिध-नियम के बचीन कर दोने के बन्तरक के दायित्य को कमी करने या उल्ले बचने में सुविधा के लिए; बीर/वा
- (ख) एसी किसी बाय या किसी भन या अन्य बास्तियों को, विन्हें भारतीय आय-कर विभिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त कृषिनियम, या भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनार्थ जन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था कियाने में सुविधा के सिए?

बतः मन, उन्त नीभीननमं की भारा 269-ण क अनुसरण में, में, उन्त नीभीनयज की भारा 269-ण की उरभारा (1) के नभीन, निस्तिविक्त स्थानितयों, अर्थात् १--- (1) श्रो नल्लप्प रेट्टी

(अन्तरक)

(2) श्री एस्,० एम० राजालग मुवलियार

(अन्तरिती)

का यह सूचना जारी करके पूर्वांक्त सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उन्त सम्पत्ति के वर्षन के सम्बन्ध में कोई भी नाशंप :---

- (क) इत सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच ते 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी स्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की सबिध, को भी जबिध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित- वहुभ किसी बन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास निक्ति में किए जा सकेंगे।

स्वक्षीकरणः --- इसमें प्रय्कत शब्दों और पवों का, जो उक्त जिथानियम, के जध्याय 20-क में परिभाषित ही, वहीं अर्थ होगा, जो उत्त अध्याय में दिया ववा ही।

वपुष्यी

भूमि : नामक्कल (दस : 722/84)

प्रेम मालिनि वासन सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) भर्जन रेंज-1, महास

दिनांक: 16-11-1984

मोहर 🚜

प्ररूप आई. टी. एन. एस, -----

बायकर क्रींधनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के अधीन सूचना

४,रन गरमार

कार्यालय, महायक के पर आयुक्त (निरक्षिण) अर्जन रेंज-1, महास मद्राय, दिनोक्त 6 नवस्वर 1984

तिर्देश सं० 84/4/84 — अनः मुझे, प्रेम मालिनि वासन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारों को यह विश्वास करने का कारण है कि रक्ष्यनर सम्पत्ति, जिस्का उचित बाँगर मृत्य 25,000/- क स रिभिक है

ग्रौर जिमकी स० भूमि : लतुवाडि गाव है, जो नामक्कल में स्थित है (ग्रौर इससे उपावड में ग्रौर पूर्ण रूप से विणत है), रिजस्ट्रो-कर्ना अधि हारीं के कार्यालय, जे० एप० आर—II/नामक्कल दस : 729/84 में भारतीय रिजस्ट्राइएग अधिनियस, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनां से अप्रैल 1984,

को पूर्वाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यभान भितिष्य के निर्माण अस्तियत हो। स्टूर्ग हो महा यह विश्वास करने का कारण हो कि एक्टाइटिंड अस्ति का उचित तहार मल्य, उनके दश्यमान प्रतिफल में, एसे स्थ्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिश्वत से अधिक हो और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण किस्तित में वाम्तिक हुए से किश्त नहीं किया गया है :—

- (का) अन्तरण से हुई किसी अाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अशीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में लगी अरने या उसमें बचने में सृविधा के लिए; और/या
- (क) एसी किसी जाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तिरी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए;

(1) श्रा टा॰ वसंत्रुमार

(अन्तरक)

(2) श्री टी० देवराजन ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्मिति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स व्यवितयों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भातर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरों के पास लिखित में किए जा स्केंगे।

स्पष्टीकरणः--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहने अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गमा है।

अनुसूची

भूमि : लतुवाडि गांव (दस : 729/84)

प्रेम मालिनि वासन सक्षम प्राधिकारी राहायक आयक्र आयुक्त (निरोक्षण) अर्जन रेंज-1, मद्रास

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 260-म के अन्सरण कं, मं, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (†) के अधीन, निम्निलिश्वत व्यक्तियम्, नर्थात् =-

दिनांक: 6-11-1984

प्ररूप आई. टी. एन. एस

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन स्चना (1) श्रो आर० ए० चैरम

(अन्तरक)

(2) के० मंज्यरकरिस

(अन्तरितो)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्राम मद्राप्त, दिनांक 15 नवम्बर 198 $\stackrel{\circ}{4}$

निदेश सं० 91/4/34—अतः मुर्झे, प्रेम मालिनी वासन, बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उन्नत अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि रथानर सम्पत्ति, जिसका उचित वाजार मृत्य 25,000/- रा. से अधिक हैं और जिसको सं० नामक इस है, जो महास में स्थित है (ग्रीर इमसे उपाबद अनुसूत्री में ग्रीर पूर्ण रूप से विणित है), रिजस्ट्र केती अधिकारी के कार्यालय, एस० आप० तिरुच्छंगोट दस०: 1136/34 में सारकोय रिजस्ट्रोजरण अभिनयम, 1908(1908 का 16) के अधीन, दिनांक अप्रैल 1984

को पृशंक्ति अर्पात्त के उचित बाजार मृल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के निष् अन्तरित को गई हां और मृझे यह निश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सन्पत्ति का उचित बाजार मृल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बात्रीय है है व के शिव नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण सं हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व मा कभी कुरन या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी बाय या किसी धन या बन्य बास्तियों की जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (स्)22 की 11) या उक्त अधिनियम, या धन-वित्र अधिनियम, या धन-वित्र अधिनियम, १९५७ (1957 की 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूविधा

को यह सूचना जारी करके पूर्वीका सम्पत्ति के वर्जन के लिए कार्यवाह्या करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्चना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि लाड में समाप्त होती हो, के भीतर पृषेक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थातर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषिक हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि : तिरच्छं भेट : (दस० : 1136/84)

> प्रेम मालिने वासन सक्षम प्राधिकारी सहायक आधुकर आयुक्त (निरक्षण) अर्जन रेंज-I, मद्रास

(1)

15-11-1984

मोहर :

दिनांक :

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्निसिखित व्यक्तित्यों, अर्थीत्:---

अक्ष बाइ .टी.एन.एस.-----

श्रायफर विधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अभीन सुमना

भारत सरकारु

कार्यालय, शहायक नायकार भायुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 20 नवम्बर 1984

निवेश सं० 94/4/84-अत मुले, प्रेम मालिनो वासन, भायकर मिनियम,, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पदकात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है"), की धारा 269- व के अंधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रह. से मधिक ही ग्रीर जिसकी सं० 2, महफस कान गार्डन स्ट्रीट, मदास है, जो मद्रास में स्थित है (ग्रीर इससे उपाधद्व श्रनूसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिल्द्रोकर्ता अधिकारों के कार्यालय, एस० आर० मद्रास नार्थ-II दस० 1088/84 में भारतीय रजिस्ट्राकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अर्धान दिनांक अप्रैल 1984 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि संभापूर्वीक्त संपत्ति का उचित बाजार मृल्य, उत्तको सम्यमान प्रतिफल से, ऐसे सम्यमान प्रतिफल का बंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकारें) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया

> (कं) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अभिनियम के अभीन कर दोने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

गया प्रतिकल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिखित में बास्तब्कि रूप से कथ्ति नहीं किया गया गया है :---

(च) ऐसी किसी आय या किसी धन या जन्य आस्तियों क्ये, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, वा धनकर अधिनियम, वा धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया ज्या था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

क्तः वद, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के जन्सरण के, की, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीत, निम्निसिक्क स्थितियों, अर्थात् :---

(1) श्रो अलिज मोहम्मद इल्यास

(अन्तरक)

(2) श्रीमती ताहर भाइ

(अम्तरितो)

की यह सूचना भारी करके पुना बित कम्पति की वर्षात् को दिव् कार्यमाहियां करता हूं।

उक्त संपरित के कर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपण में प्रकाशन की तारीच से

 45 दिन की वर्वीध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
 सूचना की तामील से 30 दिन की वर्वीध, जो भी
 जबिध बाद में समास्त होती हो, के भौतर पूर्वोक्त
 व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख है 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस-बद्ध किसी जन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास खिखित में किए जा सकोंगे।

स्वक्षीकरण ३---इसमें प्रयूक्त सन्तों बीर पर्वो का, जो उक्त विभिन्नियम के बन्धाय 20-क में परिभाषित है, वहीं वर्ष होगा जो उसा बन्धाया में दिया वृद्धा है [8]

नुपूर्व

भूमि भौर निर्माण ' महपज गर्डन स्ट्रीट, मद्रास । (दस॰ 1088/84)

> प्रेम मालिनो बासन सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण) अर्जन रॅंज-I, मद्रास

दिनांक : 20-11-1984

प्रस्प भाइ . टी. एन. एस. -----

नायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के अभीन स्वना

भारत सरकार

'कार्याक्षय, महायक कायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मदास

मदान, दिनां ह 31 अस्त्बर 1984

तिवेण मं० 95/4/84-अगः मुझे, प्रेम मालिनी वासन, बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है"), की भारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका रुचित बाजार मूल्य 25,000/- रहे. से अधिक हैं

25,000/- स्त. से अधिक हैं
श्रीर जिसकी स० 41, मूर स्ट्रीट, मद्दार-1 है, सथा जो मद्रास में
स्थित है (श्रीर एमने उपावढ़ में श्रीर पूर्ण हप से बणित है),
रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी दें आर्यालय, एस० आर० मद्रास नार्थ।।, दस० 1183/84 में भारतीय रिजस्ट्रीकरण अधिनियम,
1908 (1908 का 16) के अधःन दिनांक अप्रैल 1984,
का पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूख्य से कम के द्रियमान
प्रतिफल के निए अन्तरित की गई है और मूक्ते यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार
मूख्य, उसके द्रियमान प्रतिफल से एमे द्रियमान प्रतिफल का
पन्तात प्रतिकात अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एमें अन्तरण के लिए तय
पाया गया प्रतिफल, निम्निनिक्त उद्देश से उक्त जन्तरण
सिनित में बास्तिक रूप में कथित नहीं किया गया है:---

- (क) जन्तरण में हुए किसी जाय की बाबत, उच्छ जिथिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे वचने में सृविधा के सिए; और/या
- (च) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) को प्रयोजनार्थ अन्तरिती क्वारा एक नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था । कापाने में सुविधा के लिए।

जतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्निसिंबत स्थिनतयों, स्थित् :--- 39---426GI/84

- (1) श्रा बुम्मुटि कन्तन भीर अन्यों (अन्यतक)
- (2) श्री एमा के एमा पूसुफ श्रीर 19 अन्य (अन्तरितो)

को यह सूचना जारो करके पृत्रोंक्य संपरित के वर्जन के निष् कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्परित के बर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाकन की तारी के 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सुमना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच द 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधीहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है।

ग्रनु यूची

भूमि और निर्माण : 41, म्र स्ट्रोट, गद्रास-1 (दस॰ 1183/84)

> प्रेम मालिती वासन लक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुवत (निराक्षण) अजन र्गेज-1, मद्रास

दिनांक : 31-10-1984

मोहर 🖫

प्रकार कार्यः, द्वीत् प्रकात् प्रकातन्त्रन्तन्त्रन्त

बावकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के अधीन सुचना

भारत तरकार

कार्यौलय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

मेद्रास, दिनांक 26 नवम्बर 1984

निदेश सं० 98/4/84—अतः मुझे, प्रेम मालिनीः वासन, बावकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पत्थात् 'उकत अधिनियम' अहा गया हैं), की धारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थापर सम्पत्ति, जिसका उधित बाजार मृत्य 25,000/- रु. से अधिक हैं

पौर जिसकी सं० 19, किलपाक अडनावरम रोड किलपाक है, तथा जो मद्रास में स्थित हैं (श्रीर इससे उपाबद्ध अनसूची में भीर पूर्ण रूप से वणित हैं), रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस०आर० मद्रास नार्थ दस०1010/84 में भारतीय रजिस्ट्रोकरण अधिनयम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984

को पूर्वोक्स सम्मत्ति के उपित वाजार मृत्य से कम के द्रश्यमान वित्रक्ष के लिए बन्तरिती की गर्व है और मुक्ते यह विद्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्मत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके द्रश्यमान प्रतिफल, से ऐसे द्रश्यमान प्रतिफल का पन्यह प्रतिकृत से अधिक है और अंतरक (अंतरकां) और अंत-रिती (अंतरितियां) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया मैंबा प्रतिफल निम्नलिखित उद्वेश्य से उस्त अंतरण लिखित मैंबास्त्रविक रूम से कथित नहीं किया गया है :--

- (क) नवरण ने हुई किती बाय की वाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अंतरक के वायित्य में कमी करने या उससे वचने में स्विधा के सिए; और/वा
- (क) एेती किसी नाव या किसी भन वा जन्म जास्तिवों की जिन्हें भारतीय नायकर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम, या भन-कर अभिनियम, 1957 (1957 की 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा औं लिए।

नत्त नव, उन्त निर्मित्यम की भाग 269-त के निर्मरण मं, में, उन्त निर्मित्यम की भाग 269-त की उपभाग (1) के नभीन, निर्मितिक्त स्पन्तियों, अभात् :---

(1) श्रीमती कमला मुत्तुकृष्णम अय्यर

(अन्तरक)

(2) श्रीमती उमा रामकृष्णन

(अन्तरिती)

को यह सूचना चारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के सिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीत से 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी व्यक्ति बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से . 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पच्चीकरणः --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

मनुची

भूमि ग्रीर निर्माण: 19, किलपाक अयनावरम रोड, किलपाक,

(दस : 1010/84)

प्रेम मालिनी बासन सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-1, मद्रास

दिनांक : 26-11-1984

प्रकप आइ.टी.एन.एस.-----

भायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-भ (1) के अभीन सुचना

भारत सरकार

कार्यासय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, विनांक 21 नवम्बर 1984

निवेश सं० 105/4/84--अतः मुझे, प्रेम मालिनी वासन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हाँ), की धारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

भीर जिसकी सं० भूमि श्रीर निर्माण नटुबक्करै, मद्रास है, जो मद्रास में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्राकर्ता अधिकारों के कार्यालय एस० आर०अन्नानगर दस: 1054/84 में रजिस्ट्राकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अप्रैल 1984,

को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गईं और मृझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरिती (अन्तरितियाँ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण किखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) जन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत, उक्त कार्पिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरण के दायित्व में कभी करने या उससे वचने में सुविधा के सिए; और/या
- (क) एसी किसी बाय या किसी भग या अन्य अस्तियाँ करों, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भग-कर अभिनियम, या भग-कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती इ्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था, छिपान में सुविभा के लिए;

शतः शव, उकतं विभिनियमं की भारा 269-गं के वनुसरण वे, वे, उकतं विभिनियमं की भारा 269-गं की उपभारा (1) के विभीन, निम्मतिषित व्यक्तियों, वर्भाष्ट्रः— (1) श्री आर० सेल्बस्ट्वरी रामैया

(अन्तरक)

(2) श्री पोठ जो० विस्वेस्थरन ग्रीर पी० जी० सिवरामन (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के [कए कार्यवाहियां सुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के संबंध में कोई भी बाक्षेप है---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, वो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी हैं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकींगे।

स्यव्हीकरणः इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-नियम के अध्याम 20-क में परिभाष्टित हैं, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गवा हैं।

वन्त्र्यो

भूमि और निर्माण : नटुवक्करें, अन्ता नगर, मद्रास-(दस : 1054/84)

> प्रेम मालिनी वासन सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण) अर्जन रेंज-1, मन्नास

दिनांक: 21-11-1984

प्ररूप बाह् दी एन एस . ------

बायकर विधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-म (1) के अभीन अधना

भारत सरकाइ

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 16 नवम्बर 1984

निदेश सं० 109/4/84~-अतः मुझे, प्रेम मालिनि वासन, भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पर्वात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मृस्य 25,000/- रु. से अधिक है

भीर जिसकी सं कोयम्बेट, अन्नानगर है, जो भद्रास में स्थित है (और इससे उपायद अनुमूर्च। में भीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रिजस्ट्रोकर्ता अधिकार। के कार्यालय, एम०आर० अन्ना नगर दस : 1408/ 84 में भारताय रिजस्ट्रोकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उण्जित बाजार मूल्य स कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है बौर मुक्ते यह विद्यास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उण्जित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और बंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया इतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिचित में बास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है ह—

- (क) जन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत उक्त अधि-नियम के अधीन कर दोने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ओर/या
- (च) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्हें भारतीय बाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना बाहिए था, क्रियाने में बृद्धिया जो शिष्ट;

वतः वन, उनत विधिनियन की धारा 269-ग के वन्तरंग को, मी, उनत विधिनयम की धारा 269-च की उपधारा (1) वे वधीन, निम्निसिक व्यक्तियों, वधीत ं—-

(1) श्रो अ(२० ग)विन्द राव

(अन्तरक)

(2) श्री एस० सोमस्न्दरम्

(अन्तरिती)

को यह स्थाना थारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वृजन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वना की सामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोंक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,
- (ख) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन को भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित- बद्ध किसी अन्य व्यक्ति इतारा अधोहस्ताक्षरी की धास लिखित में किए जा नकोंगे।

स्पन्धीकर्णः - इसमें प्रपृक्त जन्मी और पन्नी का, जो उक्त अधिनियम, को अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होंगा जो उस अध्याय में विशा गना है: वना है।

मन्सूची

भूमि भौर निर्माण : अन्ना नगर, महास । (दस : 1408/84)

> त्रेम मालिनी वासन सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निर:क्षण) अर्जन र्रेज-1, मद्रास

दिनांक : 16-11-1984

मोहर 🌣

प्रकार नार्रः टी ु सुन् रुप्यु हाम्

बायकर विधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व (1) के बधीन स्वनः

बार्ड बरकाइ

कार्यातय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज∽ा, यास

मद्रास, दिनांक 20 नवस्वर 1984

निदेश सं 128/4/84---अतः मृत्रे, प्रेम मालिनी वासन, बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उन्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-च के अधीन सक्तम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित अजार मृत्य 25,000/- रह. से अधिक है

श्रीर जिसकी संव 175 टी व एच व रोड, महास-81 है, जो महास में स्थित है (श्रीर इससे उपायत अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विणत है), रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारा के कार्यालय, रामपुरम दस: 659/84 में रजिस्ट्राकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अर्थल 1984,

को पूर्वोक्त संस्पित के उधित बाजार मूल्य से काम के क्रयमान ब्रिक्स के लिए बन्तरित की वहूं है बीर भूमें यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उधित बाजार बृक्ष, उसके क्रयमान प्रतिकृत से, एसे क्रयमान प्रतिकृत का पंत्रह प्रतिचत से अधिक है बीर अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तम पाया गवा प्रतिकृत कि निम्नतिचित उद्वरिय से उक्त अन्तरण सिचित में बास्त-विक क्य से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) बन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत उक्त बाध-नियम के अधीन कर देने के बन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; बार/बा
- (क) एंसी किसी बाय या किसी धन या बन्य जास्तियां को, जिन्हें भारतीय आय-कार अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किरा गया था या किया जाना चाहिए था, क्रियान में सुविधा के लिए;

नतः जन, उक्त निधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण हैं, \hat{x}^{i} , उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के नधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः :—

- (1) पी० टी० सीवग ट्रैबटर मैसर्स सदरन कुरु० इन्डस्ट्रीज (प्रा०) लिमिटेड . (अन्सरक)
- (2) मैसर्स अलिसन स्टोल कहार्टवेर

(अन्तरिक्षी)

को बहु बुकना बारी करके पुनाँक्य सुन्य्ति के वर्षन् के विष कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

दक्त सम्मत्ति के वर्णन के सम्बन्ध में कोई भी बाओप: --

- (क) इस सूचना के रावपन में प्रकाबन की शारीब के 45 दिन की जनभि या तत्सम्बन्धी स्पन्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी जनभि बाद में समाप्त झोती हो, के भीतर पूर्वों कर व्यक्तियों में से किसी स्पनित द्वारा;
- (क) इक बुचना के राज्यभ के प्रकारन की दारीय है 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्मत्ति में हितवबूध किसी सन्य स्थावत ब्वारा सधोहस्ताक्षरी के पाद विश्वित में किए वा सकोंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उन्तर जिथिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित ही, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

मन्स्ची

भूमि और निर्माण : 175, टी॰ एस रोड, मद्रास-84 । (दस : 659/84)

> प्रैम मालिती दासन सक्षम प्राधिकारी सद्यायक आयकर आयुक्त (निर्राक्षण) अर्जन रेंज-1, मझस

दिनांक : 20-11-1984

प्ररूप नाइ. टी. एत. एस.-----

भायकर लोभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-भ (1) के अभीन सुभना

भारत सरकार

कार्यांसय, सहायक भायकर भायकत (निराक्षण)

मर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, विनांक 26 नवम्बर 1984

निदेश सं० 138/4/84—श्रतः मुझे, प्रेम मालिनी वासन, नायकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्थात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-क के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

भौर जिसकी सं० 5, स्टाट्टन मुत्तैया मुदलि स्ट्रीट जी० डी० है, जो मब्रास में स्थित है (श्रौर इससे उपापढ अनुसूची में भौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रिजस्ट्रीकर्ता ग्रिधकारी के कार्यालय, एस० मार० साउकारपेट इस 169/84 में रिजस्ट्रोकरण ग्रिधित्यम, 1908 (1908 का 16) के ग्रिधीन, दिनाक ग्रिपेल, 1984, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ध्रयमान प्रतिफल के लिए जन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल के पन्नह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरित (अन्तरितयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया ग्या प्रतिफल, स्मिनिश्चित उच्चेष्य से उकत अन्तरण मिन्नित में वास्तिक कप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी नाय की वाबत, उक्त अधिनियम के जधीन कर देने के बन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे वचने में सुविधा के लिए; जौर/या
- (ब) ऐसी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियाँ को जिन्हें भारतीय आयकर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनयम, या भन-कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थं अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया वा या किया जाना वाहिए था, छिपाने में सुविभा से विष्;

(1) औं के पास्कर राव और अन्य

(भन्तरक)

(2) श्री एस० विजयलक्ष्मी भीर भग्यों

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के सिष् कार्यवाहियां करता हूं।

अक्त सम्पत्ति के वर्षन के संबंध में कोई भी बाइएं ६---

- (क) इच त्यना के राज्यम में मुकाबन की तारीब से 45 विषय की बन्धि या त्रवाना की न्यानित में पर त्यना की तामील से 30 दिन की नविष, वो भी अविष् नाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्स व्यक्तिमों में से किसी व्यक्ति इवारा;
- (क) इस सूचना के राजपण में प्रकाशन की तारीक के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिंतवंद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाल सिकित में किए जा सकने।

स्पक्कीकरण:---इसमें प्रयुक्त कन्यों और पर्यो का को उनत निधानयम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, नहीं नर्थ होगा को उस नध्याय में दिया गया है।

NAME OF

भूमि भ्रीर निर्माण : टी ० एन० 5; स्टाटन मुत्तैया मुत्ति स्टीट, मद्रास ।

वस : 169/84 ।

त्रेम मासिनी बासन सक्षम प्राधिकारो सङ्ग्रायक धायकर धायुक्त (निरीक्षण) धर्जन रेंज-1, महास

भंतः अंव, उक्त आधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण की, मी, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्निसियत स्थितियों, अधीत :--

विनाम : 26-11-1984 :

प्ररूप वार्ड<u>.टी.एन.</u>एस

वाधकरः विधित्रियमः, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के विधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यासय, सहायक बायकर कायुक्त (निरीक्षण)

धर्जन रेंज-!, मद्रास

मद्रास, दिनांक 30 नवम्बर 1984

निदेश सं० 139/4/84—प्रतः मुझे, प्रेम मालिनी वासन, जायकर अधिनयम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परधात् 'उक्त अधिनयम' कहा गया हैं), की धारा 269-श के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उधित बाजार मृत्य 25,000/- रा. से अधिक हैं

भीर जिसकी सं० 85, वरत मुलप्पन स्ट्रीट है, जो मद्रास में स्थित है (भीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में भीर पूर्ण रूप से वर्णित है), राजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० भार० सौकारपेट दस: 170/84 में राजस्ट्रीकरण भिधानियम, 1908 (1908 का 16) के भिधीन, दिनांक भीरल 1984

को पूर्वोक्ष्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की नई है और मृझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्तर प्रतिकृत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरितीं (अम्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पावा गया प्रतिफल, निम्निसिंखत उद्वेष्य से उक्त अन्तरम सिंखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी जाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचाने में सुविधा के सिए; बॉर/या
- (क) ऐसी किसी आग या किसी भन वा जन्य जास्तियों को, जिन्हें भारतीय जायकर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम, या भनकर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, कियाने में सुविभा के लिए;

क्स: अंब, उक्त वीधीनयंग की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त वीधीनयंव की धारा 269-व की उपधारा (1) के वधीन, निम्नलिचित व्यक्तियों, वधीत्:--- (1) श्रीमती एन० सेशम्या ।

(भ्रन्तरक)

(2) भी मिस्टर टी० के० प्रजीज

(प्रन्तरिती)

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्मत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां सुरू करता हुं।

उचत संपत्ति के नर्जन के संबंध में कोई भी जाक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीत से 45 दिन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक्ष सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मं हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति व्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्वर्धीकरणः --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अभिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

सरभावीं

भृमि भौर ।नर्माण 85, वरद मृतप्पन स्ट्रीट मद्रास । (दस : 170/84)

> प्रेम मालिनी वासन सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर स्रायुक्त (निरीक्षण) भर्जन रेंज-1, मद्रास ।

दिनोक : 30-11-1984

मोहर 🗈

प्ररूप बाई. टी. एन. एस.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अभीन सूचना

भारत् सहस्यार

कार्यालय, महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज-1 मद्रास

मद्रास, दिनांक 6 नवम्बर 1984 निवेश सं० 151/4/84—-श्रत: मुझे, प्रेम मालिनी वासन,

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपरिष्ठ विश्वका उणित वाजार मृत्य 25,000/- रा. म अधिक हैं

श्रीर जिसकी सं० 12, मुक्ता गार्टन्स, स्परटांक रोड, मद्रास-31 है जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यांलय, एस० भार० पेरिममेट दस: 294/84 में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन दिनांक श्रप्रेल 1984. की पूर्वांक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृल्य सं कम के ध्रधमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुभे यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य मृल्य , उसके ध्रथमान प्रतिफल से, एसे ध्रथमान प्रतिफल का पन्तह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और (जन्तरित्यों) के बीच एसे अन्तरक के लिए श्रव श्राय क्या प्रतिफल, निम्नलिसित उद्विध्य से उक्त अन्तरण लिसित अपकार्ण का स्थावक क्रम के क्षित वहीं किया स्था है :——

- (क) जन्तरण से हुई कियों जाम की बाबत उक्त जीध-नियम के अधीन कर दोने के जन्तरक के दायित्य में कभी करने या उससे बचने में सृविधा के लिए; जॉर/या
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए; और/या

भतः अर्थ, उक्त आधानयम की भारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग की उपभारा (1) के अधीन, निम्नलिकित व्यक्तियों, अर्थात् :---

(1) श्री मीनाक्षी

(भन्तरक)

(2) श्रो के ० एम ० मोहम्मद झब्दुल कातर फेर्म। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वेक्त सम्पृत्ति के कर्जन के लिए कार्य्क हुंग करता हुं।

उक्त सम्परित के अर्धन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर स्वना की तामील से 30 दिन की अविध , जो भी कविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (च) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीत से 45 विन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वंधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पव्यक्तिरणः ---- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उस्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया प्या हैं।

अनुसूची

भूमि और निर्माण : 12, मुक्ता गर्टणप्त, स्परटांक रोड

एक्स० मद्रास-31 । दस : 294/84

> प्रेम मालिनी वासन संक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर धायुक्त (निरीक्षण) धर्जन रेज-1 महास

दिनोक: 6-11-1984

मोहर ः

त्रक्त बाहें दी , एवं . एसं - -----

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-च (1) के अभीन स्चना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण) अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्राम, दिनांक 30 नवम्बर 1984

निदेश सं० 166/4/84--अतः मुझे प्रेम मालिनि वासन भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (विसे इसमें इसके पदवात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विद्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000%-क. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० भूमि श्रीर निर्माण: मद्रास-31 है, तथा जो मद्रास में स्थित है (श्रीर इसमें उपाबद अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप में वर्णित है), रेजिस्ट्रांकर्ता अधिकारों के कार्यालय एस० आर० पेरि-यमेट दस० 351/84 में भारताय रिजस्ट्रोंकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984 को पूर्वोंक्त सम्परित के उधित बाजार मूल्य सं कम के स्रयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोंक्त सम्परित का उचित बाजार मूल्य, उसके स्थ्यमान प्रतिफल से एसे स्थापन प्रतिफल का वन्तर शिक्त स्थापन प्रतिफल का निर्मा की स्थापन प्रतिफल का निर्मा शिकत से विश्व है और बंतरक (बंतरका) और बंतरिती (बंतरितयों) से बीच एसे अन्तर के किए तम पांचा प्रतिक का विश्व में वास्त्रीक स्थापन से किए तम पांचा प्रतिक का विश्व में वास्त्रीक स्थापन हों किया गया है हि—

- (का) अध्याप से हुई किसी जान की वावस समय स्थिन नियम के अधीन कार दोने के अंतरक के दायित्व में कामी कारने या उससे वचने में सुविधा के लिए और/धा
- (व) श्रेती किसी जाव का किसी प्रमु वा सम्बु जारिश्कों को, विन्हों भारतीय जासकर मधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त स्थिनियम, वा धन-कर जिनियम, 1957 (1957 का 27) के अधोचनार्थ जन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया वाना चाहिए ना, कियाने में सुविधा से सिक्ष;

अतः श्रब, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की भारा 269-म की उपभाग्र (1) के अधीन, निम्निलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:——
40—426GI/84

(1) মিড কৰিটোল

(अन्तरकः)

(2) बी० एम० दितत्यस्ता

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपरित के अर्थन के किए कार्यवाहिया शुरू करता हुं।

उक्त संपत्ति के अर्थन के संबंध में कोई भी बाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारील से 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों प्र सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस मुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास जिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त विभिन्यम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा को उस अध्याय में दिया । मना है।

जन्सूची

भृमि और निर्माण मेक निकल रोड चेन्यट, मद्रा व् दस० : 351/84 ।

> प्रेम मालिनि वासन सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुवत (निरोक्षण) अर्जन रेंज-I मद्रास

दिनांक: 30 11 1984

प्ररूप बाह .टी. एन. एस. ------

भायकर व्यथिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अधीन सूचना

भारत सरकाड

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अजन रेज मद्राम

मद्रास दिनांक 21 नवम्बर 1984

निदेश सं० 169/4/84—अतः मुझे प्रेम मालिनि वासन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),, की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रौर जिसकी सं० 34, पान्तियन रोड, एन्मोर, मद्रास 8, है, जो में स्थित में (श्रौर इससे उपाबद्ध में श्रौर पूर्ण रूप से विणत है),रजिस्ट्रोंकर्ता अधिकारों के कार्यालय एस० आर० आर० पेरियममेट दम : 382/84 में भारताय रिजस्ट्रोंकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984

को पूर्वेक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रूश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपरित का उचित बाजार मूल्य,, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्र प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल,, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्त-विक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी बाब की बाबस ,। अक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक की बायित्य में कभी कर्य या उससे बचने में सूबिधा के लिए; और/बा
- (स) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपान में सुविधा औं लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्निलिखत स्यक्तियों, अर्थात् :---

- (1) पार्सन फोस्टेशन और श्रीनियरी कार्पिशान (अन्तरक)
- (2) भिक्तर फँसुल्ल भाई । (अन्तरिती) -

को यह सूचना जारी करके पूर्वोंक्त सभ्यक्ति के जर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

जनत संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस ते 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी जविध बाद में समाप्त होती हों, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थानर संपहित में हितबस्थ कि सी अब्द व्यक्ति द्वारा अथंतस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पक्कीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि श्रीर निर्माण \cdot : 34, पास्तियन राट, एक्सोर, महास : 8 । दस \circ : 382/84) ।

प्रेम मालिनि वासन, नक्षम प्रश्विकारी, सहायक आपकर अप्यक्त (निरीक्षण), अर्घन-रेज I महास

दिनांक: 21-11-1984

मोदर:

प्ररूप आहुर . टी. एन., एस.,------

बाबकर अधिनियस, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सुका

भारत सरकार

कार्मालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-1 महास

मद्राय, दिनांक 21 नवम्बर 1984

निदेश सं० 159 व 160 /5/84--अतः मुझे प्रेम मालिनि वासम

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उसित गाजार मृष्य 25,000/- रु. से अधिक हैं

ग्रौर जिसकी से भूभि श्रीर निर्माण बन्झाना चिट्टिबाबु नायडु है, जो स्ट्रीट महास-31 में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूचा श्रौर पूर्ण हम से विणित है), रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यान्त्रस्य, एस० आर० पेरियसट दस०: 486/84, 460/84 में भारतीय रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रिजस्ट्रीकृत विलंख के अनुसार अंतरित की

है मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वेक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल भी, एसे दश्यमान प्रतिफल के पन्सह प्रतिषात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिवक रूप मे कथित नहीं किया ग्या है :—

- (क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) एसी किसी आय का किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनयम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अबः, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-थ की उपधारा (1) के अधीन. निम्नलिखित व्यक्तियों, वधीत्:—

(1) श्री टि० टि० चन्त्रमेकरन ग्रीर अन्य

(अन्तरक)

(2) श्री आर० अमसवेनि

(अन्तरितो)

को यह सूचना जारी करके प्वांक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पीत्त के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप 🕮

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर उंपत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति इ्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकरेंगे।

स्पष्टिकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

श्रनुसूची

भूमि ग्रीर निर्माण : बन्धला चिट्टिबाबू नायणू स्ट्रीट महास-31 दस० (486/84 व 480/84) ।

त्रेम मालिनी वासन, सक्षम प्राधिकारी, महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन=रेंज 1, मद्रास

दिनांक: 21 11 19841

मोहर 🤃

प्ररूप बाइं.टी.एन.एस-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अभीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहोयक आयकर आयुक्तं (निरीक्षण) अर्जन रेंज 1 महास

मद्रास, दिनांक 26 नवम्बर 1984

निर्देश सं० 172/4/84——अत: मृझे प्रेम मालिनि वासन आसकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पहचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है, की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्मत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

ग्रीर जिसकी सं० 67, त्यागमुदिल स्ट्रीट, किलबाक, महास 10 है (ग्रीर उपाबद्ध में ग्रीर पूर्ण स्प से विणित है), रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एस० आर० पेरियमेट दस० 393/84 में भारतीय रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अप्रैल 1984

को पूर्वोक्षत संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के द्रयमान प्रतिफल के लिए रिजिस्ट्रोंकृत विलेख के अनुसार अंतरित की गई है और मूफ्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वोक्त पूर्वोक्ष्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके द्रयमान प्रतिफल के पन्त्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नेलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त्विक रूप से किथत नहीं किया गया है:--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक को दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (क) एसी किसी जाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

(1) श्री ए० बी० रंगनातन

(अन्तरक)

(2) श्री बीं शिं सीं सेलवरन

(अन्तरिती)ं

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राष्ट्रपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्विक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित- बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरणः इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्वो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

मनुस्ची

भूमि 67, न्यागप्प मदिल स्ट्रीट मद्रास : 10 (वस०) 393/84) ।

> प्रेम मालिनि वासन, सक्षम प्राधिकारी, सहायक आयकर आयुद्धत (निरीक्षण), अर्जन-रेंज-1 मद्रासे

जतः जन, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन, निम्मलिकित व्यक्तिसयों, अर्थात् :—

विनांक: 26-11-1984

मोहर 🖫

प्रकर बार्च डो. पुर् दुर्व ः

आयकर अधितियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के अधीन सूचना

भारत सहकाड

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, *रोह*तक

रोहतक, दिनांक 20 नवम्बर 1984

निदेश सं० रेबा\$ / 1/84 - 85 - 36: मुझे आर० के० भयाना

आयकर अधिनियम, 1961, (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात ् 'उन्त अधिनियम' कहा गया हूँ।, की भारा 269 व के अधीन सक्षमः प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्मत्ति जिसका उचित बाखार मृस्य 25,000/- रुपये से अधिक ही

श्रीर जिसकी मं० भूमि 8 कनाल 5 मरले है तथा जो खटावलों त० रेवाड़ी में स्थित है (ग्रीर इसरे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप में विणित है) रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रेवाड़ी में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 का 18 के अधीन दिनांक मितम्बर 1984

को पूर्विक्त सम्पत्ति के जिन्त बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हैं- और मूझे गह विद्वास करने का कारण है कि यथापूर्वित्त संपत्ति का उनित पाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीध ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया तिफस, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिखित में ास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया हैं:——

- (क) अंतरण संहुई किसी आय की बाबत, उक्त नियम के सभीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए बाह्र/या
- (च) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया धा या किया जाना वाहिए था, छिपाने में सुविधा के निए।

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के उधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्री वर्जार चन्द्र पुत्री श्रीमित सुभराय विधवा श्री गोपाल दास पुत्र श्री जैसा राम, निवासी रेवाड़ी

(अन्तरक)

- (2) मैं० रामा हाउस प्रा० लि०,
- (2) मैं० रामा हाउस प्रा० लि०, 26/75 पन्जाबी बाग, द्वारा श्री जे० के० बन्सल, निदेशक कम्पनी

(अन्तरिसी)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्मिति के वर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उनत सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी जाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध , जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीं से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति व्वारा अभोहस्ताक्षरी के पास निश्चित में किए जा सकने।

स्पष्टीकरणः--६समें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो सक्त अधिनियमं के अध्याय 20-क में परिभाषित ही, वहीं नर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गवा है।

बनुसूअी

सम्पति भूमि 8 कनाल 5 मरले गांव खटावर्षा त० रेवाड़ी में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रोकर्ता के कार्यालय रेवाड़ी में रजिस्ट्री मंख्या 1804 दिनांक 24-9-84 पर दिया गया है ।

> अर० के० भयाना सक्षम प्राधिकारी, सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण) अर्जन रेंज, रोहतक ।

दिनांक: 20-11-1984

मोहरं 🖫

प्रकल काइ. टी. एन. एस. -----

भायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अभीन स्चना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 20 नवम्बर 1984

निर्देश सं० रेबाड़ो/2/84-85---अतः मुझे आर० के० भयाना

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्परित, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रह से अधिक हैं

श्रौर जिसको सं० भूमि 16 कनाल है तथा जो खटावली में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से बिणत है) रिजस्ट्राकर्ता अधिकारों के कार्यालय रेवाडी में रिजस्ट्राकरण अधिनयम 1908 का 16 के अधीन दिनांक सितम्बर 1984

को पूर्वोक्क सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के उरममान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई हैं और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण हैं कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके उर्थमान प्रतिफल से, ऐसे उर्थमान प्रतिफल का अन्त्रह प्रतिशत से अधिक हैं और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया। प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निखित में वास्तिक रूप से किथत नहीं किया गया हैं:——

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत; उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के वादिस्य में कमी करने या उससे अवने में सुविधा के लिए; और/या
- (खं) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती क्वारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना चाहिए था, छिपाने कें सुविधा के लिए;

अतः अव, उक्त विधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण कें, मैं, उक्त विधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) कें विधीन। निस्कियिवित व्यक्तियों, सर्वात ए---- (1) सर्वे श्री स्रोम प्रकाश बसन्त कुमार पुत्रान श्री फतेह चन्द सुपुत श्री प्यारे लाल नि० रिवाड़ी, जि० महेंन्द्र गढ़।

(अन्तरक)

(2) मैं० रामा हाउस प्राध्वेट लि०,
26/75, पंजाबी बाग,
नई दिल्ली
द्वारा श्री जे० के० बन्सल, निदेशक कंपनी
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पर्वोक्त संपरित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां. करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के संबंध में काई भी बाक्षप-

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी स से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित- बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी के पास लिसित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टिकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्दों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

धनुसूची

सम्पति भूमि 16 कनाल गांव खटावली में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय रेवाड़ी में, रजिस्ट्री संख्या 1805 दिनांक 24-9-1984 पर दिया है।

> आर० के० भयाना, मक्षम प्राधिकारी, सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण) अर्जन रेंज, रोहतक,

दिनांक :20-11-1984

मोदुर 🛭

प्ररूप आइ.टी.एन.एम.-----

भायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के मुभीन स्मृत

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर वायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 20 नत्रम्बर 1984 ं

निदेश मं० रेबाड़ो/3/84-85--अतः मुझे, आर० के० अ

अगयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25.000/- रा. से अधिक हैं

और जिसकी सं० भूमि 12 कनाल 8 मरले है तथा जो खटा-वली त० रेवाड़ी में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप में विणित है) रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रेबाड़ी में जिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 का 18 के अधीन दिनांक सितम्बर 1984

कां पूर्वेक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के खरमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूके यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वेक्त सम्पर्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके खरमान प्रतिफल सं, ऐसे खरमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीज ऐसे अन्तरण के लिए तम पामा गया प्रति-फल निम्नलिकित उच्चेश्य से उक्त अंतरण निस्ति में बास्तविक कप में अधित रही किया गया है ---

- (क) जन्तरण से हुई किकी जान की बाबत छक्त जीधनियम के जधीन कर देने के जन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा
- (क) ऐसी किसी बाय या किसी भून वा बन्च आस्तिवों कां, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की, अनुसरण मो, मौ, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) को बधीन, निम्नीलिखित व्यक्तियों, अधीत् :--- (1) भी बहातुर सन्द्र अमर नाथ पृत्तगण व श्रामित शोला देवी सुपृत्ती श्रो गोपाल दास सुपृत्व श्रो जैसा राम नि० रिवाइति ।

(अन्तरक)

(2) मैं० रामा झाउम प्रा० लि०,
26/75, पंजाबी बाग,
नई दिल्ली,
द्वारा श्री जे० के० वन्यल, निदेशक कम्पनी
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्वारा;
- (र) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हित्बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधीहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है,

अनुसूची

सम्पति भूमि 12 कनाल 8 मरले गांव खटावली त० रेवाडी में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रांतर्ना के कार्यालय रेवाड़ी में रजिस्ट्री संख्या 1806 दिनांक 24-9-1984 पर दिया है ।

> आए० के० भयाता, सक्षम प्राधिकारी, सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण) अर्जन रेंज, रोहनक.

दिनांक , 20-11-1984 मोहर त्रस्य मार्च. टी. एन. एस.-----

बायकर बिधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सुचना

मारस बरकार

कार्यासर, सञ्चयक नायक र नायक्त (निर्योक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 20 नवम्बर 1984

निर्देश म० नेवाडी/4/84-85—अतः मुझे, आर० के० भयाना,

बायकर निधिनयम, 1961 (1961 का 43) (जिले वसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-च के अधीन सक्षम प्राध्यिकारी को यह विद्यास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित आजार मृल्य 25,000/- रु. से अधिक हैं

ग्रौर जिसकी सं० भूमि 16 कनाल है तथा जो खटावली त० रेवाड़ी में स्थित है (ग्रौर इसमे उपाबद्ध अनुमृची में ग्रौर पूर्ण रूप में विणत है) रिजस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रेवाड़ी में रिजस्ट्रोकरण अधिनियम, 1908 का 18 के अधीन दिनांक सितम्बर 1984

का' पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित नाकार मूल्य से कम के द्रश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह निश्नाम करने का कारण है कि वजान्वीकत सम्पत्ति का उचित नाकार मूल्य, उसके द्रश्यमान प्रतिफल से, एसे द्रश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत निधक है और जंतरक (अन्तरका) और अन्तरिती (अन्तरितिथा) के नीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निसितित उद्देश्य से उक्त जंतरण निश्चित में नास्तिक रूप से कन्तर नहीं किया गया है अन्

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की वावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अक्तरक के वावित्य में कभी करने वा उत्तरे वचने में सुविधा के सिएश जोड़/वा
- (स) एंसी किसी जाय या किसी धन या जन्य जास्तियों को जिन्हों भारतीय जाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या अक्त अधिनियम, या धन्न-क्षार अधिनियम, या धन्न-क्षार अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में मिक्सा के लिए;

अतः अज, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण हों, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-थ की उपधारा (1) के अधीन, निम्मतिश्वित व्यक्तियों, अर्थात् :---

श्रीमित गणेश बाई पत्नि
 श्री फतेह चन्द,
 मुपृत श्री प्यारे लाल
 ति० रिवाङी।
 हाल आबाद चन्डीगढ़ स्वय व मृख्स्यार आम
 (अन्तरक)

(2) श्रामित भिरावा बाई उपनाम भिरावा देवी सुपृती श्री फतेह चन्द पृत प्यारे लाल, नि० रिवाड़ी हाल आबाद बारा त० बारां, मै० राजा हाउस प्रा० लि०, 26/75, पंजाबं बाग, नई दिल्ली, द्वारा श्री के० के० बन्सल, निदेशक के०,

(अन्तरितोः)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्परित के अर्जन के लिए कार्यशाहियां करता हुं।

उक्त सम्पृत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी जाक्षेप :---

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख सं
 45 विन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
 स्वना की तामील से 30 विन की अविधि, जो भी
 अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पृत्रोंक्त
 व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (च) इस सूचना के राजधन में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बस्थ किसी जन्म व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिसित में किए जा सुकोंगे।

स्पच्छीकरण :---- इसमें प्रयुक्त राज्यों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसुची

सम्पत्ति भूमि 16 कनाल गांव खटावली त० रेवाड़ी में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रोकर्ता के कार्यालय रेवाड़ी में, रजिस्ट्री संख्या 1807 दिनांक 24-9-84 पर दिया है ।

> आर० के० भयाना, सक्ष्म प्राधिकारी, सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण) अर्जन रेंज, रोहतक

दिनांक : 20-11-1984

प्ररूप बार्ड. टी. एन. एस.

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा भारा 269-च (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण)

अर्जन रेंज, रोहनक

रोहतक, दिन्ंक 20 सवम्बर 1984

निर्देश स० रेवाड़ 15/84-85—अतः मु $\hat{\epsilon}$ आर० के० भयानः,

बायकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करन का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रा. से अधिक है

ग्रीर जितका सं० भूमि 9 यनाल 11 मरले है तथा जो खटा-बला त० रेवाड़ में स्थित है (ग्रीर इनसे उपायह अनुसूच में ग्रीर पूर्ण रूप से विणित है) रिनिष्ट्र यती अधि गरी के कार्यालय खटावला में रिजिस्ट्राकरण अधिनियम, 1908 या 18 के अधान हिंदिनांक

को प्वोंक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मफे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोंक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृल्य उसक दृश्यमान प्रतिफल मं, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पन्या गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तिविक रूप से किथत नहीं किया गया है:—

- (क) बन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत, उक्ख बिधिनयम के बधीन कर दोने के बन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; बॉर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था गा किया जाना चाहिए था, छिपाने में सृविधा के लिए;

(1) श्राक्तवर जिह पुत श्राचान्द जिह पुत श्रो नत्थू, नि० धारहेडा त० रिवाड़ो।

(अन्तरक)

(2) मै० रामा हाउस प्रा० लि०, 26/75 पंजातः वान, नर्दे दिल्ला हारा श्राजे० के० वस्तल, निदेशक कम्पनी

(अन्तरिती

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कायवाहिया करता हू

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई बाक्षेप हु-

- (क) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्चना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोंक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरण: ---इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

वन्स्यी

सम्पति भिम 9 कताल 11 मरले गांत्र खटावली, त० रेगड़ी में श्यित है जाक अपिक विजया रिजिट्टी कर्ती के कार्यात्र, रेवाड़ी में रिजिस्ट्री सख्या 1808 दिनांक 24-9-84 पर दिया है।

> आर० बें० भयाना, सक्षम प्राधिकारो, महायक आयकर आय्क्त, (निर[े]क्षण) अर्जन **रेंज, रोड्**तक

বিনান: 20-11-1984

मोहर 🖫

प्रकप्. बाइ. टी. एन्. एस., ----

भायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-मृ (1) के अभीन सूचना

भारत तरकार

कार्यालय, सहायक बायकर बायक्त (निरीक्षण) प्रजन रेंज, रोहतक

रोहत क, दिनांक 20 नवम्बर 1984

निर्देश सं० बल्लभगक्/41/84-85---म्रतः मुझे, म्रार० के० भयाना,

कायक र अधिनियंम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचार 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269- को अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25.000/- रु. से अधिक हैं

भौर जित्रको सं० प्लाट नं० 99, ब्लाफ ई, क्षे० 500 व० ग० है तथा जो सैक्टर 11, डो० एल० एफ० माडन टाउन (मुजेसर) फर साबाद में स्थित है (भीर इससे उपाबद्ध धनुसूचा में भीर पूर्ण रूप से विणत है) रिजिस्ट्रोकर्ता अधिकारों के कार्यालय बल्लभगढ़ में रिजिस्ट्रोकरण अधिनयम 1908 का 18 के अधान दिनांक सितम्बर 1984

का पूलीकत संपरित के उचित बाजार मृख्य से कम के दृष्यमान वितक । के लिए अन्तरित की गई हैं और अके यह विष्वास करन आ कारण हैं कि यभापूर्वोक्त रंपति का उचित बाजार मृख्य, उसके दृष्यमान प्रतिफल से, एसे दृष्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिचत से अधिक हैं और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिशी (अन्तरितयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय वास क्या प्रतिफल से, विकत कन्तरण सिवित में बाक्त कि नित्र से स्वास क्या प्रतिफल कम से कि विष्य गई। किया वया हैं :—

- कि) बन्तरण से हुई किती बाय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर दोन के अन्तरकः के दायित्व में कभी कर्द्रण या उससे वचने में सुविधा के सिए; बॉर/या
- (क) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, था धन-अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

नेतः प्रव, उन्त सिंपनियमं की भारा 269-ग के अनुसरण में, में उन्त सिंपनियमं की भारा 269-थ की उपभारा (1) के अभीतं निम्नलिखित व्यक्तियां, अर्थात् :--- (1) श्रामित सरोजगुप्तापित श्रामशाभूगणगुप्ताक्षारा मैं०मणाभूगणगुप्ताएण्ड कम्पनी गोकल बाजार,रैवाड़ा।

(म्रन्तरक)

(2) श्रो बीपक गुप्ता श्री श्रा मशा भूषण गुप्ता पुत्र श्रो नायू राम सराफ क्षारा मैं० दापक इंटरनाई नेज गोकल बाजार, रेवाडा।

(भन्तरितो)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपर्तित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी काक्षेप :---

- (क) इस स्वान के राजपत्र में प्रकाशन की तारी हु से 45 दिन की अवधि या तत्सबधी व्यक्तियों ५६ स्वान की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त हांती हो, के भीतर पूर्वों कर स्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सी 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपन्ति में हिसबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास किसी में किए जा सकी।

स्पक्तिकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त जिथिनियम, के अध्याय 20 के में परिभाषित हैं, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

नन्त्र्या

सम्पति प्लाट नं० 99, बनाक ई, क्षे० 500 व० ग० सेक्टर नं० 11, डो० एन० एक० माजन टाउन (पुनेतर) फर दाबाद में स्थित है जिल्लाका श्रीधक विवरण रिजिस्ताकती के कार्योग बलागाइ में रिजिस्ता संख्या 8719 दिनांक 10-9-1984 पर दिया है।

> भार० के० भयाना सक्षम पाधि हारो सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरक्षण) भ्रजन रेंज, रोहतक

बिनों ह: 20-11-1984

प्ररूप गाई. टी. एन एस. ------

बायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) कीं भारा 269-म (1) के नभीन सुचना

भारत तरकार

कार्यालय, सहायक कायकर आयुक्त (निरीक्षण)

भ्रजन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 12 नवम्बर 1984

निर्देश सं० ऐ० पा० नं० 5678—म्प्रतः मुझे, जे०एल० गिरधर,

मायकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसमें पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है'), की भारा 269- व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास कारने का कारण हैं कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मृस्य 25,000/~ रा. से अधिक है

श्रीर जित्तका सं० जैसा कि श्राप्त्रकों में लिखा है तथा जो फगवाड़ा में स्थित है (श्रीर इस त उपावक श्राप्त्रका में श्रीर पूर्ण रूप में वणित है) राजिल्द्रकर्ता श्राधकारा के कायलिय फगवाड़ा में राजिल्द्रकरण श्राधिनियम 1908 (1908 का 16) के श्रधान दिनांक श्रील 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के स्वयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गईं और मूझे यह विश्वास सरने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार पूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल कर रन्द्रह प्रतिशत से अधिक हैं और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एस अन्तरण के लिए तय शया गया प्रतिफल, निम्निलिखत उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिक्त में वास्तिवक रूप से कथित नहीं किया गया हैं:—

- (क) बन्तरण से हुई किसी बाय की वायत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे ब्चने में सुविधा के लिए; और/या
- (क) एसी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविभा के निए;

बत: बाब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण कों, कों, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) को अधीन, निक्निलिखित व्यक्तियों, अधीत .-- (1) श्रा धमराक सिंह पुत्र महिया वासः बंगा रोड, फगवाङ्गाः।

(मन्तरक)

(2) श्रीमित महिन्द्र कौर पत्नि लहम्बर सिष्ठ वासा नंगल माझा, तहसाल फगवाड़ा।

(प्रन्तिरतो)

(3) जैसा कि ऊपर नं॰ 2 में है। (बढ़ व्यक्ति कि प्रक्षिमीन में स

(वह व्यक्ति जिनके प्रशिभोग में समाति है)

(4) जो व्यक्ति समाति में रूपि एखता है (बह व्यक्ति जिनके बारे में भ्रशहरतातरा जाता है कि वह समगति में हितबब है)

को यह स्वना जारी करके पूर्वोक्त संपास्त क अजन क । लिए कार्यवाहिया शुरू करता हु।

डक्क सम्मत्ति के वर्षन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप्:---

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीं हैं 45 दिन की अविभ या तत्सवधी व्यक्तियों रह स्वना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो डें: अविध बाद में समाप्त हाती हो, के भीतर पूर्वोंक्ट स्यक्तियां में स किसी व्यक्ति द्वार;
- (च) इस स्थान के राजपत्र मों प्रकाशन की तारीब हैं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित मों किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त क्षव्यों जीर पदों का, को उक्त अभिनियम के अध्याय 20-क में परिभावित हैं, वहीं अर्थ हागा वा उस अध्याय में दिया गया हैं।

वयसर्ची

सम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 23 विनांक भ्रम्न 84 को राजस्ट्राकर्ता भ्राधकारा, फगवाड़ा ने लिखा है।

> जे० एल० गिरधर सक्षम प्राधिक रो सहायक मायकर म्रायुक्त (निरःक्षण) मर्जन रेंज, जालन्धर

विनांक: 12-11-1984

प्रकृष काहे . ती . एन . एय . --- ------

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सुचना

मारत सरकार

कायालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

प्रजंनरेज, जालन्धर

जालन्धर, दिनाक 13 नवस्वर 1981

निदेश सं० एे० पा० न 5681--- अत मुझे, जे० एल० गिरधर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसक पश्चात 'उबत अधिनियम कहा गया है), की धारा 269- व के स्थीन सक्षम प्राधिकारी को यह निश्वाम करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मुल्य 25 000/- रुटे से अधिक हैं

श्रीर जिनको सं० जैमा कि श्रनुसूची में लिखा है तथा जो कपूरथला में स्थित हैं (श्रीर इसमें उदाबद अनुसूच में श्रीर पूर्ण रूप से विणत हैं) रिजय्द्रोक्ति श्रिधकार के वार्यालय कपूरथला में रिजय्द्रोकरण श्रिधितयम 1908 (1908 का 16) के श्रधन दिनांक श्रील 1984

को पूर्वोक्त सञ्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से काम के इध्यमान इतिफल के लिए अन्तरित की गई हैं और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथाप्डोंक्त सम्पत्ति का उचित बाधार मृत्य, उसके इध्यमान प्रतिफल से एमें इध्यमान प्रतिफल का पंदृष्ट प्रतिशत से अधिक हैं और अतरक (अतरकों) और अतरिती (अत्तरितियों) के बीच एमें अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्निलियित उद्देष्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्त-विक रूप से कथित नहीं किया गया हैं:—

- (क) अन्तरण से हाई कि सी आग की बाबत, संवत्त आधि-नियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे धचने में सुविधा के लिए; और/या
- (क) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हों भारतीय आधकर अधिनियम, 192? (1922 का 11) या उनत अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1757 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अतिरक्षी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना शाहिए था, खिपाने से सुविधा के लिए;

कतः सब, उकत अधिनियम की धारा 269-ग के अनसरण में, में, उकत अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, न्मिनलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---- (1) श्रमित बलवल कीर पॉस्न हाभजन सिह कपूरथला ।

(भ्रन्तरक)

(2) श्रो उजल गिह पुत्र करतार निह कपुरथला ।

(भ्रन्तरिती)

(4) जैस कि उत्तर न० 2 में है।
(वह व्यक्ति जितके जारे में आधाह न आर. जानता है कि
वह व्यक्ति जितके बारे में आधाह न आर. जानता है कि
वह समाति में हितबद है)

को यह सूचना जारी करके पूर्विक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कायशाह्या शुरू करता हुए।

उक्त संपरित के अर्जन के मम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस स्चना के राज्यत्र मो प्रकाशन की तारीक्ष से 45 दिन की अवीध या तत्सवधी व्यक्तिया पर स्चना का सामील स 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि दाद में समाप्त हाती हों., के भीतर प्रविक्त व्यक्तिया में स फिसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रवाशन की तारीस सं 45 विन क भीतर उन्त स्थात्रर सभ्यात्न मा हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिम्बत म किए जा सवाग।

स्पष्टीकरण:--हर्म्म प्रयक्त शब्दों और पद्यों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगा जा उक्त अध्याय में दिया गया है।

श्चनुपुची

सम्।ति त्याच्यास्य जैया कि विलेख नं० 45 दिनाक अप्रैल 84 की र्राजस्ट्राकर्ता अधिकारा कपूरयला ने लिखा है।

> जे० एल० गिरधर सक्षम प्राधिक रो-सहायक स्रायकर स्रायुक्त (निरुक्षण) स्रर्जन रेज, जालन्धर

दिनांक 13-11-1985

प्ररूप गार्च ी. ५न. एस. -----

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269- भ (1) के बधीन सूचना

भारत बरकार

कार्यीलय, सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण)

म्रर्जन रेज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 13 नवम्बर 1984

निदेश सं० ऐ० पा० नं० 5682—श्रनः मुझे, जे० एल० गिर्धर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है कि धारा 269-इस के अधीन सक्षम प्राधिकारी करें यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रा. संअधिक है

भौर जितका सं० जैसा कि अनुसूचो में लिखा है तथा जो कपूरथला में स्थित है (और इससे उपाबढ़ अनुसूच, मे और पूर्ण रूप में विणत है) रिजस्ट्र कर्ता अधिकार, के कार्यालय कपूरथला में रिजस्ट्र करण अधि यम 1908 (1908 का 10) के अधान दिनांक अधीन 1984

को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मन्य से कम के एरियमान प्रितिफल के लिए रिजस्ट्रीकर्ता के कार्यालय, मर हेरा में धारा 269 ए. बी. के अंतर्गर सक्षम अधिकारी के पास रिजस्ट्रीकृत किया गया है, मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उस में दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और उन्तरिती (अन्तरितयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्वदेश से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिवक रूप से किथत नहीं किया गया है:---

- (क) बंतरण से हुई किनी बाय की बाबत, उक्त बिधिनियम के बधीन कर दोने के अंतरक के धायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; बौर/या .
- (ब) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकार अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उपत अधिनियम, 'या धन-कार अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिनी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

कतः स्रम, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के जनसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-थ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नीनिखित व्यक्तियों, अर्थातु:— (1) श्रामित जनवन्त कीर पत्नि हरनाम सिह कपूरथला ।

(मन्तरक)

(2) श्रो रनजीत सिह पुत्र करतार सिह कपूरथला ।

(प्रन्तरिती)

(3) जैसा किह ऊपर नं० 2 में है। (वह व्यक्ति जिसके श्रीधभोग में सम्पति है)

(4) जो व्यक्ति समाति रूचि रखता है। (वह व्यक्ति जिनके बारे में अश्रोहस्ताक्षरो जनाता कि वह समाति में हिसबदा है)

को यह तुषना कारी करक पूर्वाक्त सच्यात्तः कं अवन के सिए कार्यवाहिया करता हु।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्चना की तामील से 30 दिन की अविधि, जा भी अविधि बाद में समाप्त हाती हो, के भीतर प्रविक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्यक्ति व्यक्तियों
- (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीं से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक्ष किसी बन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के वास लिखित में किय जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण: — इसमें प्रयुक्त शब्दों और एवों का, ओ उक्त विधिनियम के बध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं वधं होगा जो उस् अध्याय में विवः गमा है।

मनुस्ची

सम्बत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 66 विनाक प्रश्रेल 84 को र्राजस्ट्राकर्ता प्रधिकारी क्पूरथला ने लिखा।

> जे० एल० गिरधर सक्षम प्राधिकारो (सहायक झायकर झायुक्त तिराक्षण) भ्रजन रेंज, जालन्धर

दिनांक 13-11-1984 मोहर : प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----

ब्रायकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-ध (1) के बधीन सुचना

मारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 13 नवम्बर 1984

निदेश सं० ऐ० पा० न० 5683—-अतः मुझे, जे० एल० 'गिरधर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण ह' कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाबार मृल्य 25 000√-रु से अधिक है

श्रीर जिनको सं० जैसा कि अनुसूबो में लिखा है) है तया जो कपूरथला में स्थित है (और इसमे उनाबद्ध अनुसूब में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है) रिजिन्ट्र वर्ता अधिवार के वार्या-लय कपूरश्ला में रिजिन्ट्र वरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधान दिनांक अप्रैल 1984

को प्वानित सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य स कम के न्ह्यमान प्रतिफल के लिए अर्तारत को गई है और मृश्वे यह विश्वास करन क कारण है कि यथाप्वोंक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल सं, एसं दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और बतरक (अतरकों) और अतरिती (अतरितियों) के बोच एस अतरण क निए तय पाया गया प्रतिफल निमासिखत उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्ति-विक रूप सं कथित नहीं किया गया है:---

- (क) बंतरण से हुई किसी बाय की बाबत, उक्त बांधनियम के अधीन कर दोने के अतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 'लए: बाँर/मा
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों कर, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर और नियम, 1957 (1957 का 27) के प्राप्त के किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के बिए:

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में, गैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) है अधी मार्गियन स्थित स्थितियों, अर्थात्:—— (1)) श्रमित बलबन्त कौर पितन हाभागन सिंह कपूरथला ।

(म्रन्तरक)

(2) श्रो हरिन्द्र सिंह पुत्र करतार सिंह कपूरथला ।

(म्रन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर न० 2 मे है।

(बहुव्यांका विवाद प्रथमों। में समाति है)

(5) जो व्यक्ति समाति में एचि रखता है। (वह व्यक्ति जिनके बारे में भ्रातहण्या जनता है कि वह समर्गत में हितबद्ध है)।

को यह सुचना जारी करक पूर्वावत सम्पत्ति क अर्बन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षप अ-

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तिया पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद म समाप्त हाता हा, क भातर पूर्वाक्त व्यक्तियों में स किसी व्यक्ति ह्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधाहस्ताक्षरा के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पद्धीकरण: --- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का, जो उनके अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं. वहीं अर्थ हागा, जो उस अध्याय में दिया गया हैं।

अनुपूचा

समाति तथा व्यक्ति जैपा कि विरोध नं 106 दिनांक अप्रैल 84 को र्राजस्ट्राकर्ता अधिकारा कपूरथला ने लिखा।

> जे० एल० गिरधर सक्षम प्राधिकारो महायक आयकर आयुक्त (शिराक्षण) अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक 13-11-1984

मोहर ः

प्ररूप आहाँ, टी. एन. एस. - - -

जायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) कीं भारा 269 म(1) के अभीन सुचना

भारत सरकार

कार्याला, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, जालन्धर

जासन्धर, दिनांक 13 नवम्बर 1984

निदेभ सं० ऐ० प.० न० 5684——ग्रत. मुझे, जे० एल० गिरधर

आधकर अधिनियम, 1061 (1061 का 43) (जिले इसमें इसके पर्वास् 'डक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-च के अधीन सक्षम प्राध्कारी का, यह विख्य करने का कारण है कि स्थायर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25 200/- रा. से अधिक है

श्रीर जिसको सं० जैपा कि श्रनुष्य में लिखा है तथा जो कपूरथला मं स्थित है (श्रीर इसने उपाबक्ष श्रनुसूच में श्रीर पूर्ण रूप में विणित है), रिस्ट्र कि श्रीधिक र के आधिलय कपूरथला में रिजिय्द्रो एण श्रीधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रध न दिनांक श्रील 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गर्द हैं और मफ्ते यह विष्यास करने का फारण हैं कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृल्य उसक, दश्यमान प्रतिफल स, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिश्रत से अधिक हैं और अंतरक (अतरकों) और अंतरिती (अन्तरित्यां) के बीच एस अन्तरण कालए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से किथत नहीं किया गया हैं:—

- (अ) अन्तरण में हर्ष किमी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करन या उसस बचन में सुविधा के लिए; और/या
- (वा) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य कान्सियों को जिन्हों भारतीय आयकर आधिनियम, . 1922 (1922 का 11) या उत्रत अधिनियम, साधन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपान में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में उक्त अधिनियम की धारा 269-घ को उपधारा (1) के अधीन, निम्निसिक्त व्यक्तियों, अर्थात्:— श्रीमित जावन्त कौर परिन हरताम निह, वास, कपूरथला ।

(भ्रतारक)

(2) श्रीहिंदि पिह पुल करतार जिह, कपूरथला

(श्रदारितो)

(3) जैसा कि उपर नं० 2 से है। (बहुब्दांश जिसके प्रवेगा से सम्पति है)

4) जो व्यक्ति सन्धान में रु.च रश्चना है वह व्यक्ति जिनके बारे ने प्रशासन अरा जनाता है कि समाजि में हिनबद्ध है) ।

को यह म्चना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुन्।

उन्त सम्परित के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप .--

- (क) इस स्पना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियां पर सचना की तामीज से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्योक्त व्यक्तियां में संकिमी व्यक्ति द्वारा,
- (ख) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पद्धीकरण :--इमने प्रयक्त शब्दों और पक्षों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, बहा अर्थ हागा, जा उस अध्याय में दिया गया है।

जगुनुवी

सम्पति तथा व्यक्ति जैपा कि वितेश सं 0 141 दिनाक भन्नीत 1984 को रजिस्ट्राकर्ता श्राधकारा कपूरथला ने लिखा | है।

> जै० एल० गिरधर, स तम प्राधित राष्ट्र महायक प्रायकर श्रापुक्त (विराक्षण), श्रजन रोज, जालन्छर

विनांक : 13-11-198

प्रकथ बाइं.टी.एन.एस. -----

नायकर निधीनयम, 1961 (1961 का 43) की भारत 269-न (1) के न्धीन सूचना

शास्त्र वरकारु

कार्यालय, सहायक आयकार आयुक्त (निरीक्षण) प्रजीम रेंज, जालन्धर

जालन्घर, दिनांक 13 नवम्बर 1984

निदेश सं० /ए० पी० नं० 5687—म्रतः मुझे, जे० एल० गिरधर,

बायकर मिथिनियम, 1961 (1961 का 43) (विसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, विसका उचित बाजार मूख्य 25.000/- रा. से अधिक हैं

भौर जिउकी सं० जैसा भ्रनुसूची सें लिखा है तथा जो फावाडा में स्थित है (भौर इससे उगाबद भ्रनुसूची में भौर पूर्ण रूप से विणत है), रिजिन्द्री कर्री प्रधिकारी के कार्यालय, फावाडा में राजस्ट्री-करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के भ्रवीन, दिनांक मई 1984

- की प्रवेक्त संपत्ति के उचित बाबार मृत्य से कम के क्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मृक्षे यह विश्वास करने का कारण है कि स्थाप्बोंक्त सम्पत्ति का उचित बाजार अल्य उसके इक्पमान प्रतिपत्न में ग्रेमे क्वपमान प्रतिपत्न का पन्तरकों और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तर-रिती (अन्तरितिया) के बीच एस अन्तरण के लिए तम पामा गमा इतिफल निम्निसिकित उद्योग्य में उक्त अन्तरण सिखित में वास्तरिक रूप से कथित नहीं किया गमा है:—
 - (क) अन्तरण से हुई किसी जाय की बावत उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के बामित्व में कमी करने या उत्तत्ते विश्वा के जिए, आर√वा
 - (क) ऐसी किसी जाय या धन या अन्य जास्तियों को. जिन्हों भारतीय जाय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपान में स्विधा के जिए;

अतः स्था, उस्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में में, उस्त अधिनियम की धारा 269-म की इपधारा (1) में अधीन, निस्तिविक्त व्यक्तियों, सुधारि:--- (1) श्री गुलगन कुमार पुत्रगुरदास मल, सैण्ट्रल टाउन, फगवाड़ा ।

(भन्तरक)

(2) श्रोमती बलबीर कौर पत्नी सुरजीत सिंह, मोहल्ला खोजेबां, फगवाड़ा ।

(भ्रन्तरिती)

- (3) जैसा कि ऊपर सं० 2 में है (वह व्यक्ति, ाजसके प्रधिभोग में सम्पत्ति है)
- (4) जो व्यक्तित सम्मत्ति में एवि रखता है (यह व्यक्ति, जिनके बारे में अबोहन्ताक्षरी जानता है कि वह सम्मत्ति में हितवड़ है)

का यह स्थान वारा करक प्रान्त सम्मत्ति के वर्षत् के निष् काववाहिया करता है।

उक्त सम्माति के कर्जन के सम्बन्ध में खोड़ी भी जाकोप:---

- (क) इस मूचना के राजपत्र मों प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अविधि या तत्सवधी व्यक्तियों पर स्थान को तामील स 30 दिन की अविधि, जो भी सविध बाद में समाप्त होती हो, के मीतर पूर्वों कर क्या करायों में से किसी स्यक्ति बुवारा,
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवह्य किसी अन्य स्थावत द्वारा अभाहस्ताक्षरी के पाड़ सिक्ति से फिस्स या सकरेंगे।

स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयक्त शब्दी और पर्दो का, को उक्त बीधिनियम के बध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगाओं उस अध्याय में दिया पदा हैं।

वन्स्पी

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं 306 दिनांक मई, 1984 को र्जिस्ट्रीकर्ती अधिकारो फगवाड़ा ने लिखा है।

> जे० एल० गिरअर सतम प्राधिकारी सहायक ऋायकर स्नायुक्त (निराक्षण) ऋजंन रेंज, जालन्छर

दिनांक : 13-11-1984

मोहर 🕹

प्रकल् आर्थः दी. एन्. एच .----

बायकर अधिनियम्, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के अभीत स्वन।

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

श्चर्णन रेंज-3, नई दिल्ली नई दिल्ली, दिनांक 14 दिसम्बर 1984 निदेश सं० श्चाई० ए० सी०/एक्यू०/3/एस-ग्चार-2/4-84/1833--श्चतः मुझे, जी० एस० गोपाल,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके प्रकास 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रा. से अधिक है

ग्रीर जिसकी मं० 22/53 है तथा जो पंजाबी बाग, नई दिल्ली, में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से विणत है), रजिस्ट्रीकर्ना ग्रिधकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण ग्रिधनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन. दिनांक ग्रप्रैल, 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मून्य में कम के दश्यमान श्रींपफल के लिए अन्तरित की गई है कि मुक्ते वह विश्वात करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल में, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत में अधिक है और अन्तरक (अन्तर्कों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उच्दिस्य से उक्त अन्तरण निस्तित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण लंहुई किसी आप की जावल, उपस्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उत्तरे बचने के सुविधा के जिए: अरि/मा
- (क) एसी किसी बाग या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिस्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उजन अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती इवारा प्रकट नहीं किया गया था या किया बाना था, स्थितने में मुनिधा के किए;

जतः जब, उक्त जिभिनियम की भारा 269-च के जनुसरण में, में उन्त जिभिनियम की भारा 269-च की उपभारा रिंडें, के जभीन, निक्किति व्यक्तियों, अधीत 42—426GI/\$4

- (1) श्री अनीत सिंह, निवासी—मका**म** नं० 22, रोड नं० 53, पंजाबी बाग, नई दिल्ली । (भ्रन्तरक)
- (2) 1 श्री गोयर्धन लाल
 2 श्री मोहन चढ़ा,
 निवासी—मिकान न० 22, रोड नं० 53, पंजाबी बाग, नई दिल्ली ।
 (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी जाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोब से 45 दिन की अविधि या तत्सं बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबव्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरों के पास तिस्ति में किए जा सकींगे 1

स्थव्योकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का, घो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हुँ, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया गया है।

arms)

प्रो० नं० 22, रोड नं० 53, पंजाबी बाग, नई दिल्ली।

जी० एस० गोपाल सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर त्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-3, दिल्ली, नई निल्ली-110002

दिनांक: 14-12-1984

माहर:

प्रकप आहें. टी., एन्., एस., ----=

नायकर निधितियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के नधीन सुन्नन।

भारत संस्कार

भाषांत्रय, तहायक गायकर नायकत (निर्धानण) अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 4 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० प्राई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस-प्रार-3/-

मायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 263 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपरित, जिसका उचित बाजार मृत्य 25.000/- का से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० एस-328, है तथा जो ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली में स्थित है (श्रीर इससे उपावड श्रनुसूची में पूर्ण रूप से विजत है), रिजस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रिजस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन दिनांक श्रप्रैल 1984,

की पूर्विकत संपरित के उचित बाजार मूल्य से कम के दिश्यामा प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और भक्ते यह विश्वाम कारने का कारण है कि यथापर्विकत संपन्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाथा गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निकत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक कैं दायित्व में कमी करके वा उससे अचने में सुविधा के लिए; और/बा
- (क) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्सियों की जिन्हें भारतीय आयकर आधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अधीजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, क्रिपाने में मृकिधा के लिए:

कतः अव, उक्त अधिनियमं कौ धास 269-ग के अनुसरणं में, मैं, उक्त अधिनियमं की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, रिम्नलिसित व्यक्तियों, अर्थात् :—- (1) श्री विनोद कुमार वन सुपुत श्री फकीर चन्द धवन, निवासी---ग्रार-47, ग्रेटर केलाग-1, नई दिल्लो ।

(भ्रन्तरक)

(2) श्रीमती निरूपमा जैन पत्नी श्री श्रशोक जैन, निवासी---ई-207, ग्रेटर कैलाश--2, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पर्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हुं।

उक्त संपील को अर्थन को संबंध में कोई भी नाक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारींच से 45 दिन की जबिंध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की जबिंध, जो भी जबिंध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोंक्स व्यक्तित्यों में से किसी व्यक्ति ब्यारा,
- (स) इस सूचना के रजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपित्त में हिसबब्ध किसी अन्य व्यक्ति ब्वारा अधोहस्साक्षरी के पास लिखित में किए जा गर्की।

स्वक्ष्तीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-के में परिभावित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रो॰ न॰ प्लाट नं॰ एस-328. तादादी 300 वर्गगज, ग्रेटर कैलाग-2, भई दिल्ली ।

> सुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 4-12-1984

प्रसम्य आर्डा टी ,एम् . एस् ,=----

सावकार अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अभीन स्वना

नारत हरकार

कार्यावय, बङ्गायक मायकर माय्क्स (निरीक्षण)

श्रर्जन रेज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 27 नयम्बर 1984

निदेश सं० ग्राई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस-ग्रार-3/4-84/12--श्रतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

नायकर मधिनियम्, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसमें इसमें इसमें परवात 'उन्हें निधिनियमं' कहा गया हैं), की धार्य 269-व के नधीन सक्षम प्राधिकारी को सह विश्वात करने का कारण है कि स्थावर सम्मत्ति, विश्वका उचित्त वाचार जून्य 25,000/- रा. से निधिक हैं

ग्रीर जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम डेरा मण्डी, महरौली, नई दिल्ली में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची सें पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रिधकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण ग्रिधिनयम, 1908 (1908 का 16) के श्रिधीन, दिनांक श्रिपेल 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित वाजार मूल्य से कम से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुफे यह विद्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पीद्य का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल सं, एसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियो) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तिवक रूप से किथत नहीं किया गया है:—

- (क) बन्ताइण डेश्नुइर्ग किसी बान की बावत, उनक्ष अधिनियम की अधीन कुछ धने के बन्तुइक के बाहियुल्बुमों कमी कुइने वा सबसे बुबुने में बुद्दिया के सिए; ब्रोट्/वा
- (क) एेखी कि जी साथ या किसी भन या अन्य शास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयु-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उनता अधिनियम, या भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रवाचनार्थ अन्तरिती प्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, कियाने में सुदि्धा के लिए;

बत्त कथ, उक्त जिथिनियम की धारा 269-ग के जमुसरण वं, में, उक्त अधिनियम की भारा 269-म की उपधारा (1) कें अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

- (1) श्रा किशन लाल सुपुत्र श्रा मवसाी, निवासी-ग्राम-डेरा मण्डी, महरौला, नई दिल्लो। (ग्रन्तरक)
- (2) श्री सतीश कुमार गुलाटी सुपुत्र श्री सत्य पाल गुलाटो निवासी-मंडी-26, नरायण विहार, नई दिल्ली । (अन्तरिती)

को यह स्वना कारी करके पूर्वीक्त सम्मत्ति के अर्क्षण के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उन्त सम्पत्ति को मर्जन को सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राषपत्र में प्रकावन की वारीच वे 45 दिन की जनिभ ना तत्त्रं मंदी ज्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, को भी वविष् बाद में समाप्त होती हो, के औतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ब्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीश के 45 विन के भीतर उकत स्थानर संपत्ति में हिलसब्ध किसी अन्य व्यक्ति स्वारा अऑहस्ताकरी के पास निवित में किए वा सकेंगे।

स्वक्षां करणः -- इत्वमं प्रयुक्त कन्दां और पतों का, वो जवतः शिष्तिवम, को वध्वाय 20-क में परिभाषित है, बही वर्ष होगा जो उस अध्याय में दिया वता है।

अनुसूची

प्रो० नं० कृषि भूमि तावादी खसरा नं० 44/8(4-16) ग्राम-डेरा मण्डी, तहसील-महरौली, नई दिल्ली, 4-बीघा 16 विषये ।

मुधीय चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर झायुक (निरीक्षण) अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक: 27-11-1984

म्हिर 🖫

भूकप् वाद^र्टी <u>प्</u>य-एक् _वार्य-

नाय कर अधिनियम् 1961 (1961 का 43) की शाउर 269-व (1) के न्यीन त्यना

प्रारत तरकार

कार्यानय, सहायक जायुकार आयुक्त (निद्धीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर 1984

निधेश सं० श्राई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस०-श्रार-3/ 4-84/13--श्रतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

सायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परेवात 'उक्त सिंधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-का के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से सिंधक हैं

ग्रौर जिसकी संख्या कृषि भूमि हैं, तथा जो ग्राम डेरा मण्डी, महरौली, नई दिल्ली, में स्थित है (ग्रौर इससे उपावद्ध ग्रनुसूची में पूर्ण रूप से विणत हैं), रजिस्ट्रीकर्सा ग्रधिकारी के कार्यालय, दिल्लो में भारतीय रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन दिनांक ग्रांत, 1984,

को पूर्वांक्त संपर्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूक्ते यह विद्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपर्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एस दश्यमान प्रतिफल का पन्नह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तब पाया नुवा प्रतिक्त के लिए तक कप से कांप्रत नुवा किया गया है :—

- (क) मन्तरक संबुद्ध किनी काय की बानस, उनका कांधनियन को संधीत कर बोने के लन्तरक औ यामित्व में कुकी करने वा उथके बचने में स्वीवधा के किया कीर्
- (स) एसी किसी बाय या किसी धन वा जन्म बास्तियाँ की, जिन्हों भारतीय जाय-कर जिधिनियस, 1922 (1922 का 11) या अक्त बिधिनियस, या धनकर जुधिनियस, या धनकर जुधिनियस, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ बन्तिरती बुधारा प्रकट नहीं किया गया किया जाना चाहिए था जियाने में सुदेवना के लिए;
- अतः अव, **टक्त ऑधिनियम की धारा** 269-ण के, अनुसरण में, में उक्त अधिनियम की धारा 269-ण को उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थान् :--

- (1) श्री किशन लाल सुपुत्न श्री गवासी। निवासी—-ग्राम-डेरा मण्डी, महरौली, नई दिल्ली। (ग्रन्तरक)
- (2) श्री सतीण कुमार गुलाटी सुपृत्त श्री सत्य पाल गुलाटी, निवासी-डी-26, नरायण विहार, नई दिल्ली (अन्तरिती)

को कह सूचना चारी करको पूजाँकत सुरुपाँतत के अर्थन को किए कार्यवाहियां गुरू करता हुं।

तमल सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी नाक्तेयू ३--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारील से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त क्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ब्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीय से 45 दिन के भीतर उक्त स्थानर सम्परित में हितनद्। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास निस्ति में किए या सकेंगे।

स्थक्दीकरणः -इसमें प्रयुक्त बन्दों और पदों का, को उनत अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, नहीं अर्थ होगर जो उस अध्याय में दिया गया है।

अपृत्र्यी

प्रो० नं० कृषि भूमि तादादी 3 बिघे और 12 बिश्वे, स्वसरा नं० 44/7(3→12),ग्राम-डेरा मण्डी, तहसील—मह्रौली, नर्ड दिल्ली ।

> सुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक आयक्तर आयुक्त (निरीक्षण) धर्जन रेंज-1, दिल्ली, नर्ष दिल्ली-110002

दिनांक: 27-11-1984

नोहर ः

ब्ररूप बार्च. टी. एन. एस. ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व (1) के नधीन सूचना

शाहत सरकार

कार्यालय, सहायक जायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अजन रेज, - 1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनाक 27 नवम्बर 1984

निदेश स० आई० ए० सो०/एक्यू०/1/एस०-आर-3/4-84/14-अत मुझे, सुधीर वन्द्रा,

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सपत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रु से अधिक हैं

श्रीर जिपको स० हिथ भूमि है, तथा जो ग्राम डेरा मण्डी, महरोली नई दिल्लो में स्थित है (श्रीर इसमें उपाबद्ध अनुसूचों में पूर्ण रूप से बर्णित है), रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्लो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16 के अधीन, दिनाक अप्रैल, 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है और मुभे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिकल से एसे दृश्यमान और फल का मृन्द्र प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे बास्तिक क्ष्प से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक की बायित्व में कनी करने या उससे वचने में कृतिभा को लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हों भारतीय शायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भव-कार अधिनियम, या भव-कार अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में अविषा के बिए;

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मे, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अभीन, निम्नीलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--- (1) श्री किशन लाल सुपुत्र श्रा मवासी, निवासी—ग्राम डेरा मण्डी, महरौली, नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) श्री सतोश कुमार गुलाटी सुपुत श्रा निय पाल गुलाटी निवासी—र्डा-26, नरायण विहार, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना आरी करके पूर्वावत सम्पत्ति के कर्जन के लिए कार्यवाहियां करता ह

् उक्त सम्पत्ति के बर्जन के सम्बन्ध म केई भी शक्षप -

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अविधिया तत्सबधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्वीक्त् व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित- बद्ध किसी जन्म स्थिति द्वारा, अधाहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किस का प्रकार के न

स्पष्टीकरण: --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ डोंगा, जा उस अध्याय में दिया गया हैं।

अन्सूची

कृषि भूमि तादादी खमरा न० 44/3 मिन (3-0), ग्राम- डेरा म डा, तहमील-महरौली, नई दिल्ली ।

सुधीर **चन्द्रा** सक्षम प्राधिकारी सहायक आयक्तर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज-1, दिल्ली, नई दिल्ली

दिनाक 27-11-1984 मोहर . प्रसम् जार⁸ः दी<u>ः</u> एत*ा* एस .-----

भायक<u>र भरि</u>पनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के समीन संचना

ब्राह्य बहुकार

कार्यातय, सहायक भागकर भागूनत (निद्धीक्रण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 12 दिसम्बर 1984 निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस-आर-3/4-84/20-अत: मुझे, सुधीर चन्द्रा,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी की, यह विकास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रा. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं ० ई-464 है तथा जो ग्रेटर कैलाण-2, नई दिल्ली, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, विल्ली में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, विनांक अप्रैल, 1984.

की पूर्विकत सम्पत्ति को उचित बाजार मृत्य से कम को स्वयमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मूझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, असको स्वयमान प्रतिफल से, एसे स्वयमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण को लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखित उद्वेदयों से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:——

- (क) अन्तरण संहुदं किती भाग की वाबत, उक्त अधिनियमं के अधीन कर दोने के अन्तरक के दासित्य में कमी करने या उसके बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (का) ऐसी किसी जाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकार अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्ते अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया था किया जाना चाहिए था, छिपाने में समिधा के निए;

अतः जन, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-श की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--- (1) मैं ० कैपीटल बिल्डर्स,
एच-39, ग्रोन पार्क, एक्सटेंशन, नई दिल्ली,
द्वारा भागीदार जसपाल सिंह मार्वाह श्रौर श्रीमती
चन्दा अरोडा ।

(अन्तरक)

('2) श्री आरं के मिलक सुपुत श्री प्रेम नाथ मिलक, निवासी—-ई-73, लाजपत नगर, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह स्थना जारी करके प्रवीवत सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

जक्त सम्पत्ति के अजन के मबध म कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच है 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी ध्यक्ति सूवारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीच से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभाहस्यक्षरी के पाम सिखित में किए ना सकेंगे।

स्पष्डीकरण: --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अन्**स्ची**

पीछे का स्वीकृत भाग पहली मंजिल, प्रो० नं० ई-464, ग्रेंटर कैलाश-2, नई दिल्ली, ताटावी 850 वर्ग फीट।

> सुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-1 दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 12-12-1984

मुक्क बाह्र . टी . एम् . एस् 🕌 -----------

नामकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकाह

कार्यालय, सहायक आयक्तर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस-आर-3/4-84/21-अतः मुझे, मुधे,र चन्द्रा,

जायकर जिथिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिले ध्वजे इसके परवात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं)., की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विद्यास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

ग्रीर जिसकी सं ० एम-41 है तथा जो मैन मार्केट, ग्रेटर कैनाण-1, नई दिल्ला में स्थित है (ग्रीर इसमें उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से बाजित है), रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल, 1984,

को प्वांभित संपत्ति के उचित बाबार मूल्य से कम के ख्यानान्त्र प्रतिफल के लिए जन्तरित की गर्द हैं और नुम्हें यह विश्वाध करने का कारण हैं कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाबार मूल्य, उसके ख्यमान प्रतिफल के एसे उत्यामान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिकात से अधिक हैं और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया पथा प्रतिफल, निम्निविधित उद्देश्य से उक्त अस्तरण लिखित में वास्तविक रूप से अधित नहीं किया गया हैं —

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त विधिनयम, चै व्यीन कर देने के अन्तरक वे राजित्य में कमी करने पा उत्तसे वचने में सुनिधा के लिए; और/था
- (क) ऐसी किसी बाय या किसी धन या बन्य आरिस्तरों की, जिन्हीं भारतीय शाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्स अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रशाजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविभा के लिए;

अस: अड, उक्त अधिनियम की धारा 269-य के अवसरण में, में उक्त अधिनियम को धारा 269-व की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--- (1) श्रीमता चन्दर कान्ता पत्नी श्री सी० एल० गुप्ता, निवासी—सी-2, कैलाश कालीती, नई दिल्ली, 1

(अन्तरक)

(2) श्री नन्द किशोर मिलिक श्रीर हरीश मिलिक, निवासी—बी-1/55, मालकीय नगर, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह क्यना कारी करके कृषाँक्य सम्मस्ति को वर्णन के निक्क कार्यनाहियां शुरू करता हुं ।।

उनत संपत्ति के वर्णन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्रेप --

- (क) इस सूचना के ट्राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अविधि या तरकम्बन्धी व्यक्तियों पूर बूचना की तामील से 30 दिन की वर्गम, को भी वर्गम बाद में समाप्त होती हो, से भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वृकारा;
- (ज) इस स्थान के राज्यम में प्रकाशन की वादीय है 45 दिन में प्रीयर क्या स्वायर सम्मारत में हिस्समूध किसी जम्म कार्यन स्थाप क्याहस्ताकारी में गांव ज़िस्ति में स्थिर जा सर्वोगे ।

स्थानिकरण :---इसमें प्रयुक्त सब्यों और पर्यों का, अने उसके अद्भीनकम्, के बच्चाय 20-क में परिभाषिक है, बही वर्थ होता, को उस बच्चाय में दिवर मुका है।

नमृत्यी

प्रो० नं० एम-41, मेन मार्केट, ग्रेंटर कैलाश-1, नई दिल्ली, तादादी 196 वर्गगज।

> सुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी महायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण) अर्जन रेंज-1 दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक: 10-12-1984

मोहरः

प्रख्य आईं.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम. 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, महायक वायकर आयुक्त (निरक्षिण) अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली सई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर 1984

निदेश य० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस-आर-3/4-84/25--अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

कायक र अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उबत अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269--स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थार सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रह. से अधिक हैं

ग्रौण जिसका सं ० एस-387 है तथा जो ग्रेटर कैलाग-2, नर्ह दिल्ली में स्थित है (ग्रीण इसमें उपाबद्ध अनसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्र कर्ता अधिकारा के कार्यालय, दिल्ली में रिजस्ट्र करण अधि (यम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अप्रैल, 1984,

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ६ इयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की नई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उजित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल के पत्नह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखित उद्वेश्य से उक्त अन्तरण निवित में वास्तविक रूप से कियत नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बायत, उसत अधिनियस के अधीन कर दोने के अन्तरक के दासित्व में कमी करने या उससे अचने में सूबिधा के तिए; और/या
- (का) एसी किसी या किसी अन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) अधि असोजनार्थ अन्तरिती ख्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा अधिनाए।

अतः अब्र, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्मरण में, में अन्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्निनिष्त व्यक्तियों, अर्थात् — (1) ए० इ.० वनेत्रा, निवासी: -एस-387 ग्रेटर कैलाश-2, नई जिल्लों।

(अन्तरकः)

(2) श्रामती जयत्तक्षी श्रीनितासन । निवास।—पहला मंजिल एग-455 पेटर कैलाण-2, नई दिल्ला - 18 ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति को अर्जन के शिष् कार्यनाहियां करता हु ।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के संबंध में कोई भी बाक्षेत्र :---

- (क) इस पुष्य के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 विन की शबीध या तत्संबनी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 विन की अवधि, जो भी अवधि दाद में समान्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क्ष) इस स्वता के राजपन में त्रकाशन की तारीब खें 45 विन के भीतर उक्त स्थावर संपरित में हितबब्ध किसी अन्य स्थावत द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास निमान के किए जा सकीने।

स्पष्टीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अन्सूची

प्रो० नं० इण्टायर पहली मिजल और मैजिनिन सर्वेण्ट स्न तथा पहली मंजिल और दूसरी एजिल के जिना वाली भाग, एस- 387 ग्रेटर कैलाण-II, नई दिल्की, नादादी 300 वर्ग गज ।

> सुधीर चन्द्रा गक्षम प्राधिकारी महायद आयदार आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन हेंद्र -1, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 27-11-1984

भोहर :

प्ररूप आहूर. दी. एन. एस.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भार 269 म (1) के सभीन मुचना

भारत मरकार

कार्यासय, सहायक आयकर आय्क्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई विल्ली नई दिल्ली, दिनोक 12 अक्तूबर, 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०-3/4-84/ 28—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह निश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

गौर जिसकी सं० ई०-464 है तथा जो ग्रेंटर कैलाश-2, नई दिल्ली में स्थित है (ग्रीर इसमें उपाबद्ध अनुसूची में ग्रीर पूर्ण का से बणित है), रिजस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पर्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के स्वयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पर्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके स्वयमान प्रतिफल से एोमें स्वयमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और (अंतरकॉ) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच उसे, अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखित उद्वरिय से उक्त अंतरण लिखित मे कास्तिक रूप से किथत नहीं किया गया है :—

- (क) बन्तरण से हुई फिली भाग की नावत उक्त विश-नियम के अभीन कर दोने के बन्तरक की दासित्य में कमी करने या उससे बचने में सूविधा के लिये; और/शा
- (च) एसी किसी जाय या किसी अन अन्य जास्तियों को, जिन्हों भारतीय जायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तिरिती धृटारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविभा खें किए;

अतः अव, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अन्सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन. निम्निलिखित स्यक्तियों, अर्थातः :— 43—426GI/84 (1) मै० कैपिटल बिल्डर्स, एच-39, ग्रीन पार्क एक्स-टेंगन, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्रीमतो पद्मा अरोड़ा, पत्नि श्री कै० अर० अरोड़ा, निवासी एल-83, मानवीय नगर, नई दिल्ली, श्रोमती सरोज मोंगा पत्नि श्री एम० आर० मोंगा, निवासी एफ-6/4, मानवीय नगर, नई दिल्ली।

(भग्तरिती)

को यह सूचना जारी करके प्वोंक्त सम्पोत्त के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पन्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोर्ड भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के मीतर पूर्वोंक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति इसारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पद्धीकरणः — इसमें प्रयूक्त शब्दों और पदों का, थो उच्च अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया ग्या है।

जनसची

प्रो० नं० ई-464, ग्रेंटर कैलाम-2, नई दिल्ली, तादादी 450 वर्गफिट।

> सुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निक्षरीण) धर्जन रेंज-1, दिल्खी

· दिनांक : 12-12-1984

मोहर 🖫

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) अजन रेंज-1, नई दिल्ल

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर 1984

निदेश सं० आई०ए०सा०/एवयू०/1/एग० आर०-3/4-84/ 30--अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

श्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित वाजार मूल्य 25,000/-रुपये से अधिक है

ग्रीर जिसकी संख्या एस-285 है तथा जो ग्रेटर कैलाग-3, नई दिल्ली में स्थित है (ग्रीर इमसे उपावद्ध अनुसूचें में और पूर्ण रूप से विणित है), रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या-लय, दिल्ली में भारतीय रिजस्ट्रीकरण अधियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अप्रैल, 84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचिन बाजार मृल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल सं, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिकात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरित (अन्तरितियों) के बीच एस अन्तरण वं निष् तथ पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिवक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण सं हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व मों कमी करने या उससे बचने मों सुविधा के लिए; और/ए।
- (ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिने प्रमात 1022 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धरान्य अधिनियम, या धरान्य अधिनियम, 1977 (10,7 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिनी द्वारा अध्य तहीं किया गय। या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण भॅ, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-- (1) श्रीमतो सुखवन्त कौर पत्नि ले० करनल दलजी त विह श्रीर एस० गुण्न्दिर सिंह सुपुत्र ले० करन दलजेत विह निवासी-67 डिफेंस कालोनी, जलन्दर।

(अन्तरक)

(2) मैं तो तोपटीज प्रा० लि० 22-बाराखम्बा रोड, नई दिल्लो द्वारा डाइरेक्ट र एस० तेजवन्त सिंह

(अन्तरिती)

को यह. सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तिया से म क्रिकी व्यक्ति दशारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्यं व्यक्ति द्वारा अथोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकने।

ह्पच्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

क्षाम ही

प्लाट नं० एम-285, तादादी 307 वर्ग गज, ग्रेंटर कैलाग-2, नई दिल्ली।

> सुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-1, नई दिस्ली।

दिनांक: 27-11-84

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

षायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण)

अर्जन रॅज-1, नई घिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०-3/4-84/ 35--अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्चात् 'उपक्त अधिनियम' कहा गया है),, की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विख्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रत. से अधिक ही भीर जिसकी स० ई-298 है तथा जो ग्रेटर कैसाम-2, नई दिल्ली मं स्थित है (श्रीर इससे उपावझ अनुसूची में श्रीर पूणें रूप से बर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारी ख अप्रैल, 84 की पृथीक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के द्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ही और मुभे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वा क्त सम्पतित का उचित बाजार उसके दृश्यमान प्रतिफल सी, एसि दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उददोष्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया हैं:---

- (क) जन्तरण से हुए किसी आय की वान्त, अक्त जिम्मिनयम की अभीन कर दोने के शन्तरक की वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा से सिए; और/या
- (क) ऐसी किसी जाय या किसी भन या अन्य अस्तियों को, जिन्हें भारतीय जाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्यारा प्रकट नहीं किया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सिवधा के लिए:

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अधीत् :--

- (1) श्री घरमवीर असरो, श्री विनत असरी, श्री अमोक असरी, निवासी जै-33 राजोरी गार्डन, नई दिल्ली (अन्तरक)
- (2) श्री बिमल चन्द्र सेन, श्रीमती कर्रयामी सेन, श्री सुरजीत सेन, निवासी मकान नं० 4405, 5-दरिया गंज, नई दिल्ली

(भन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पृषोंकत सपित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राज्यत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पार चिक्ति में किए जा सकी।

स्पष्टीकरण: --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उवन अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

यगसभी

भो० न० ई-398, ग्रेटर कैलाश-2, नई विल्ली, तावादी 3150 वर्गफीट।

मुधीर चन्द्रां सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

दिनांक: 27-11-84

प्ररूप आर्थ. टी, एन. एत.-----

नायकर निभ्नियम, 1961 (1961 का 43) की भाडा 269-थ (1) के अभीन स्थना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरौक्षण)

अजन रेंज-1, न**ई दिल्ली** नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर 1984 निर्देश सं० आई० ए० सी ०/एक्यू०/1/एस० आर०-3/ 4-84/57---अत: मुझे, सुधीर चन्द्रा,

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/-रा. से अधिक है

ग्रीर जिसकी संख्या आर०-265 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली, में रियत है (ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूण रूप से विणत है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनयम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अप्रैल, 1984

को पूर्वीति सस्मिरित के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गर्इ है और मुफे यह विश्वास करने, का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्मिरत का उचित बाजार मूल्य,, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्ति-विक सूष्य से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण संहुई किसी आव की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सृविधा को सिए: जौर/या
- (क) एंसी किसी आय या किसी अन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती इ्यारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के निए;

अस्तः अव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण हुं में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) को अधीन, निम्निसिसित व्यक्तियों, अर्थात् :⊷

- (1) श्री पी० पी० वोहरा, निवासी आर०-265 (ग्राउण्ड फ्लोर) ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली। (अन्तरक)
- (2) डा॰ प्राणनाय श्रीर डा॰ (श्रीमती) नीलम प्राण नाथ, निवासी 5837 सदर थाना रोड, दिस्सी।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्परित के बँचन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप ---

- (क) इस स्वान के राजधन में प्रकाशन की तारीक से 45 विन की वर्गीं या तत्मम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वान की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्रविक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी का से दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकोंगे।

स्यव्यक्तिरण:--इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो छक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया गया है।

ग्रनुसूची

प्रो० नं० आर०-265 (पहली मंजिल) ग्रेंटर कैलाश-1, नई विल्ली।

> सुधीर जन्मा सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-1, नई दिस्बी

दिनोक: 27-11-84

मोहर 🛭

प्रकृत बाह् .टी .एन . एस

आयकर लिभिनियन, 1961 (1961 का 43) की बाह्रा 269-व (1) के लभीय स्वया

MINE EVERY

कार्यालय, सहायक बायकर वायुक्त (निरक्षिण)

अर्जन रेज-1, नई दिल्ली नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आई०ए०सी०/एक्यू०/1/एस०आर -3/4-84/ 62--अत मुझे, सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिमे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), भी धारा 269 क के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का फ्रारण है कि स्थावर संवरित जिसका एपित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

श्रीर जिसका म० 5/26,5/26-ए हे तथा जो विकम विहार लाजान नगर, नई दिल्ली में स्थित है (गाँर इसन उपाबद्ध अनुसूचा में और पूर्ण रूप में विणित है), जिस्ट्र कर्ता अधिकार न के कार्यालय, दिल्ला में भाजताय राजस्ट्र करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन नार ख अप्रैल, 1984

मो पूर्वेक्त सम्पत्ति के उपित बाजार मूल्य से कम के इस्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और ममें यह निश्वः प करने का कारण है कि यथापूर्वेक्त सर्पात्त जा उपि प्रशिष्ठ प्रतिकाल का पत्ति कि विश्व प्रतिकाल से, एमे इस्यमान प्रतिफाल का पत्ति प्रतिकाल से अधिक है और बन्तरक (अन्तरका) और बंतरिती (अंतरितियों) के नीच एमें अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिकाल का पत्ति, निम्नलिखत उद्योक्त से उस्त अंतरण लिखित में वास्त-विक स्प तं किंचन नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण ते हुई किसी बाय की वायत, उक्त अधि-नियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के वास्तिख ने कमी करने या उससे बचने में सुविभा के लिए और/या
- (स) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया था किया जाना चाहिए था छिपाने में स्विधा के जिए;

(1) श्रा बलराज तलवार सुपुत श्रो ब्युत्त लाल तलवार, तलवार, तिवामो-3-ज्ञान कालोनीं, पटियाला, कैलाश चन्दर तलवार एलीयम कैलाश तलवार, श्रीमती कंबल मोहिनो सुपुत श्रो डी० आर० तलवार, हारा अटानी श्री के० सी० तलवार सुपुत श्री डी० आर० तलवार, निवामी-129-बो, माडल टाउन, करनाल, रमेश तलवार, सुपुत श्री डी० आर० तलवार, आर० के० तलवार, सुपुत श्री डी० आर तलवार, तिवामी-1239 मेक्टर 34-सी० चर्डीगढ!

(अन्तरक)

(2) श्री दिवान चन्द चन्दा सुपुद्ध श्री जिन्दा राम चन्दा, निवासी-10/61, विक्रम विहार, लाजपत नगर-4, नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हु।

उक्त सम्मास्त के भर्जन के सम्बन्ध में काहे भी आक्षेप:---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 विन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को तामाल से 30 विन की अविधि, जो भी जविद्या बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वेक्ति व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की वारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए वा सकोंगे।

स्पाका स्थित :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त जिथिनियम के अध्याय 29-क में परिभाषिक हैं, वहीं कर्ष होगा जो उस अध्याम में दिया जमा है।

अनुसूची

प्रो० नं० 5/26 स्रौर 5/26-ए०, न्यू डबल स्टोरी, विकम विहार, नाजपत नगर-4, नई दिल्ली, नादादी 123.66 वर्गगंज। $^{\circ}$

मुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज-1 दिस्ली,

अतः स्रवः, उच्या अविभिन्यम की धारा 269-ग के अनुसरण कीं,, मीं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1क्के को अधिन, निम्नविधित स्वातिकां स्थात् ६—-

दिनाक : 10-12-1984

वृक्तप् वाइ^र. टी. एन. एक.---

बायकर विभिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-म (1) के विभीन सुकना

भारत सरकार

कार्यांतय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनाक 27 नवम्बर 1984

निर्देश स० आई ए०सी०/एक्यू०/1/एस० आर०-3/4-84/71—अत. मुझे, सुधीर चन्द्रा,

शायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उकत अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/-र से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० एन०-38 है तथा जो जगपुरा एक्सटेणन, नई दिस्ली, में स्थित (ग्रीर इसमें उपावद्ध अनुसूचा में श्रीर पूर्ण रूप से विणित है), रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, में भारतीय रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांव अप्रैल, 84

की पूर्वोक्स संपरित के उधित बाजार मूल्य से कम के इष्यमान प्रतिकास के लिए जन्तरित की गई है और मुक्ते यह निक्वाम करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपरित का उजिल्द बाजार मूल्य, उसके द्वयमान प्रतिकास में, एसे द्वयमान प्रतिकास का पन्द्रह प्रतिकात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) बौर अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एमें अन्तरण के लिए तय पामा गया प्रतिकाल, निम्नलिखित उज्देष्य से उक्त अन्तरण सिश्चित में गस्तिविक रूप से किथत नहीं किया ण्या है :---

- (क) अन्तर्भ से हुई किसी बाव की बावत, उपत जीधनियम के जभीन कर बेने के बन्तरक के बायित्व में कमी करने या उससे उपने में सुविधा के लिए; जॉर/या
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, 41 धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना चाहिए था छिपाने में मृविधा के सिए;

- (1) श्री जगदीण राम, ब्वारा जी० ए० श्री राज कुमार निवासी 25-जंगपुरा मार्किट, नई दिल्ली ∟ (अन्तरक)
- (2) श्री उगरसेन एण्ड सुभाष चन्द, निवासी-5897 गली सिकली गारन नवो करीम, दिल्ली। (अन्सरिती)

को यह सूचना जारी करके पूजोंक्त सम्पृत्ति के अर्थन के लिए कार्यनाहियां कारता हुं।

उक्त सम्पत्ति के वर्षन के सम्बन्ध में कोई भी वासीय :--

- (क) इत सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच है 45 विन की अविधि मा तत्सम्बन्धी स्पिक्तमों पर तृष्यना की सामील से 30 विन की अविधि, जो भी जबिध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोकत क्पिक्तमों में से किसी व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति में से किसी व्यक्ति व्यक
- (ख) इत सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पृत्ति में हितयदूध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पार लिखित में किए जा सकींगे।

स्पक्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा के उस अध्याय में दिया गया है।

भ्रनुसूची

प्रो० नं० एन०-3बी, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली, तादादी 100 वर्ग गज

सुधीर चन्त्र। सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्घन रेंज-1,दिल्ली

अतः अत्र , उक्त अधिनियम कौ भारा 269-ग के जनसरण भो, माँ, उक्त अभिनियम की धारा 269-व को उपधाय (1) के अधीन, निम्निशिक्त व्यक्तियों, वर्षात है----

दिनांक: 27-11-1984

मोहर 🖰

प्रकथ बाहाँ, टी. एन. एस. - - - ----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन स्वना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण) अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर, 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्य्०/1/एस०आर०-3/4-84/72—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकाल का, यह विश्वाः करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उष्णित बाजार मृत्य 25,000/- रु. से अधिक हैं

स्रीर जिसकी स० ई-15, है तथा जो कैलांग कालोनी, . नई दिल्ली में स्थित है (ग्रीर इसमे उपाबद अनुसूची में स्रीर पूर्ण रूप में विणित है), रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अप्रल, 84

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मृल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गर्द है और मुक्ते यह विद्यास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मृल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्त-रिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से किथन नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम को अधीन कर दोने के जन्मरक के दारित्व की अपनी कुरने वा उत्तव बचने में सुविधा के सिए: आहर/बा
- (क) एंसी किमो आय या किमो धन या अन्य आस्तियाँ को, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-नार्थ अन्तरिती व्यारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने दें स्रीविभा के लिए;
- े अतः अवस्त अधिनियमं की धारा 269-ग के अनुसरण भं, नं, उक्त अधिनियमं की धारा 269-म की उपभारा (1) के अधीन, निस्निजिति व्यक्तियों, अर्थित् ह—

- (1) श्रीमदा बसन्तो बनर्जी पत्ति स्व० एस० बनर्जी निवासो-ई०-15, कोशाम, मानोनो, नर्ष दिल्ला। (अस्तरक)
- (2) श्री अम्ण मित्तल यागीदार मै० पाराडाइज होम विस्डर्म, मुगुल श्री बी० बो० मित्तल, निवासी ई-18, ग्रेटर कैलाण-2, नई दिल्ला।

(अन्तरिती)

को यह स्थाना जारी करको पूर्वीक्त सम्परित के अर्थन के लि-८ कार्यवाहियां करता हा ।

उनत सम्पत्ति के अर्थन के संबंध में कोई भी बाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीखं से 45 दिन की अविधि या प्रत्सम्बन्धो ध्यक्तियां गर सूचना की तासील से 30 दिन की अविधि जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति इंतरार.
- (स) इस मुखना को राजपत्र में पकाशन को नारीस है 45 दिन को भीतर उकत स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए आ सकेंगे।

स्पर्ध्वीकरण ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित ही, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

जन्मुनी

प्रो० न० ई-15, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली, तादादी 150 वर्ग गज।

> सुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-1, दिल्ली।

दिनांक: 10-12-1984

मोहर ः

प्ररूप. बाई. टी. एन. एस. - - - -

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्णालय, सहायक बायकर प्रायक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनाक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई ए०सी०/एक्यू०/1/ $^{\text{DP}}$ म० आर०-3/4-84/83—अतः सुझे, सुधोर चन्द्रा

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी की यह विश्वास दरने का कारण हैं कि स्थावर सम्मत्ति, जिसका उचित बाजार म्ल्य 25,000/- रुक्त में अधिक हैं

ग्रौर जिसकी सं० ई-351, है तथा जो फ्लेट नं 5, ग्रेटर कैलाग-2, नई दिल्लों, में स्थित है (ग्रोर इससे उपावद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली, में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अप्रैल, 84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृल्य से कम के स्वयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मफे, यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का अवित बाजार मृल्य, उसके स्वयमान प्रतिफल से, एसे स्वयमान प्रतिफल का पंत्रह प्रतिकात से अधिक है और अंतरक (अंतरको) और अंतरिती (अधितरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित बास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है:——

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे अचने में सुविधा के लिए: और/या
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के का अर्थ के किया गरा का बिए। या विया जाना किए। अर. जिपान में विशेष

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-म के अन्सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन,, निम्निलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रामती लीला मित्तल पत्नी श्री बी० बी० मित्तल, निकान दी है, ग्रंटर कैलाण-2, नई दिल्ली, मै० पाराडार हाम त्रिल्डमं के भागीदार, द्वारा श्री अभ्ण मित्तन।

and the second control of the second control

(अन्तरक)

(2) श्र तरत प्रनाप भिह सुपुत्र श्रो अमर प्रताप सिह निवासी-227, राजपुर रोड, देहरादून (यू०पी०) (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी कारके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए प्रार्थवाहिया करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस है 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वना की नामील से 30 दिन की अविधि जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,
- (ख) इस मचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास किसी का में किए जा सकेंगे।

भ्यष्टीकरणः ----५समः प्रयासत रात्रां और पदां का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हों वहां अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया हो।

अन्सूची

फ्लेट नं० 5, प्रो० नं० ई-351, तादादी 35 वर्गगज ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली।

> सुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक भायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-1, दिल्ली

दिनांक . 10-12-1984

प्ररूप बाइ . टी. एन. एस. -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ज (1) के अधीन स्थान

भारत तरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-1, नई दिल्लं

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर 1984

निदेण मं० आई०ए०सी०/एक्य्०/1/एम० आ४०-3/4-84/104--अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है'), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका जिसका जिसका प्राचित बाजार मृल्य 25,000/- रु. से अधिक हैं

श्रौर जिसक सं ० ए-13, है तथा जो कैलाण कालोनी, नई दिल्लो में स्थित है (श्रीर इसमें उपाबद्ध अनुसूच, में श्रीर पूर्ण रूप में विणित्र है), रिजम्द्राकर्ता अधिकार, के कार्यालय, दिल्ला में भारताय रिजस्ट्रोकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अप्रैल, 84

को पृथोक्त संम्पत्ति के उचित बाजार मृल्य से कम के दश्यभान प्रतिफन के लिए बन्तरित की गई है और मृभे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापृवोंक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृह्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिक्षत, निम्निलिखत उद्देश्य से उक्त मन्तरण निचित्त में वास्ति कि एसे में किया गया हैं:—

- (क) अस्तरण से हुई किसी आय की वाबस, उसस बिधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दोपित्व प्र कमी करने पा उसमें बचने को स्विधा के क्रिस्ट्र वीर/मा
- (क) ऐसी किसी बाय या किसी धन या जन्य आस्तियों का, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उनका अधिनियम, या धन- कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अधोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गरा शः या किया जाना चाहिए था, किर्याने में स्विधिष्ठ के लिए

जनः, अब, उक्त विधिनियम की धारा 269-ग के बन्धरण में, में. उक्त विधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के अधील जिम्मलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—— 44—426 GI/84

- (1) मैं० कल्याण (ज' इन्टरप्राइजेज, ए-13, कैलाण कालोनी, नई दिल्ली, भागोदार श्री कल्याण दास पहना सृपुत्र श्री एम० डो० गहन्त, ग्रीर श्रीमती शकुन्तला महन्त पन्नी श्री कल्याण दास महन्त महन्त निवासी ए-13, तैलाश कालोनी, नई दिल्ली (बन्तरक)
- (2) डा० हरपाल सिंद आहलवालिया सुपृत्र श्री एम० एम० अध्नुवालिया, निवासी-3 कम्थ्निस्ट सेन्टर इस्ट ऑफ फैलाण नई दिल्ला।

(अस्तरिती)

करे यह सम्बना जारी करके पूर्वीक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कांई भी अक्षंप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारील सं 45 दिन की अविध्य सा तत्मम्बन्धी व्यक्तियों पर मृष्यना की तामील सं 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कर व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख म 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति व्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास निविद्य में किए जा सकेंगे।

स्पष्टिकरण: ----इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उथत अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

नन्स्यी

फ्लैंट नं० 104, पहली मंजिल का भाग प्रो० न० ए-13, कैलाश क(लोनी, नई दिख्ली, नादानी।

> सुधीर चन्द्रा, सक्षम प्राधिकारी सहायक गायकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-1, दिल्ली

दिनांक: 27-11-1984

मोहर ;

प्ररूप गाई.टी.एन.एस. ------

आयकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-थ (1) के अधीन सूचना भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जम रेंज-1, नई विल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर, 1984

निदेश सं० श्राई० ए० सो०/एक्यू०/1/एस०श्रार-3/4-4/84 112-- श्रतः मझे, सुधार चन्द्रा,

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उकत अधिनियम' कहा गण हैं), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विख्यास करने कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार गण्य 25,000/- रु. से अधिक हैं

ग्रीर जिसक: सं० एस०-440, है तथा जो ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ल: में स्थित (ग्रीर इससे उपाबद्ध ग्रनसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, दिल्लो से भारतीय रजिस्ट्रीकरण ग्रधिमियम, 1908 (1908 16) के ग्रधीन, दिनोक ग्रप्रैल, 84

को पूर्वोक्त सम्परित के उचित बाजार मूलय से कम के दश्यमान प्रतिफल के जिए जन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथाप्वोंक्त संपरित का उचित बाजार मून्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से ऐसे 'दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिश्वत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-फन, निम्निसित द्यंद क्य से उक्त व्नार्श्य सिवित में बान्तविक क्य मे कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत, उक्त स्थिनियम के स्थीन कर दोने के अन्तरक के दासित्व में कमी करने या उत्तत्ते बचने में सृविधा के लिए; और/बा
- (स) एसी किसी लाज या किसी धन या जन्य जास्तियों को जिन्हें भारतीय जायकर जिधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, खिपाने में स्विधा के सिए।

अतः अव. उक्त अधिनियम की धारा 269-य के अनुसरण मे, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के अधीय, निम्निलिखत व्यक्तियों, अर्थात् ध---- (1) श्री जगपत सिंह चौहान सुपत श्री मिन लाल चौहान निवासी 9-सारीफोर्ट रोड, नई विरुली।

(ग्रन्तरक)

(2) मै० दीपमाला मैनफैक्चिर्ग एण्ड इनवैस्टमेंट लि० 16-इण्डिया एक्सचेंज प्लेस, कलकसा, झारा डाइरेक्टर श्रीमती लीला सितानी।

(श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपरित के सर्जन के निष् कार्यवाहियां करता हो।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (का) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 45 दिन की अविध या तत्सवधी स्ववित्यों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पच्छीकरणः — इसमें प्रयुक्त सम्बर्धे और पर्यों का, वा उक्त अधिनियम, के अध्याय 20 क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिका गया है।

नग्त्वी

प्रो० नं० एस-440 तादादी 550 वर्गगण, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली।

> सुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर भ्रायक्त (निरीक्षण) भर्जन रेंज-1, दिस्ली।

दिनांक: 27-11-1984

प्रक्ष बाइ . टी. एन . एसं . -----

आधनार आंधनियम, 1961 (1961 को 43) की धारा 269-ण (1) के अधीन सुचना

भारत तरकार

भायां लय्, सहायक मायकर माय्क्स (निरीक्षण)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-क के अधीन सक्षम प्राधिकारों को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25.000/- रु. से अधिक हैं

भौर जिसकी सं एस० - 254 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली में स्थित है (भौर इससे उपाधन्न श्रनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रिजस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, दिल्ली सें भारतीय रिजस्ट्रीकरण श्राधिनयम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, दिनांक श्रप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरिस की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिश्वत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिसी (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिचित उद्वेष्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से क्षित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की वाबत, उभर अधिनयम के सधीन कर दोने के जन्तरक के दारियल में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के किए; और/या
- (क) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य बास्सियों को, जिन्ह भारतीय बायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उत्तर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया धा या किया जाना वाहिए था, खिपाने में सुविधा के लिए;

कतः जब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के जनूसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) के अधीन, निम्निसिक्ति व्यक्तियों, वर्धात् हिन्स ् (1) श्रीमती कृष्णा श्रनेजा, निवासी-5 श्राराकशां रोड, नई दिल्ली ।

(ग्रन्तरक)

(2) मै० भाटिया श्रपार्टमेंट प्रा० लि० ए०/18, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली।

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उस्त सम्पत्ति के वर्णन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितवद्यभ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, कही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

वनुसूची

प्रो॰ नं॰ एस-254, ग्रेटर कैलाश-1 नई दिल्ली तादादी, 299 वर्गगज।

> सुधीर अन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर भ्रायक्त (निरीक्षण) ग्रजैंन रेज-1, नई दिल्ली।

दिनांक: 10-12-1984

इक्ष्य बार्ड, टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-भ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

भ्रजीन रेंज-1. नई दिल्ली,

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर, 1984

निर्देश सं० श्राई० ए० सी०/एनयू०/1/एस०ग्रार०-3/4-84/ 119—श्रत: मुझे, मुधीर चन्द्रा,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ल के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/~ रा. से अधिक है

श्रौर जिसकी सं० 5-सी, है तथा जो प्रेम हाउस कनाट प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (श्रौर इससे उपाबछ अनुसूची में, पूर्ण रूप मे वर्णित है), राजस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी के कार्यालय, दिल्ली सें भारतीय राजिस्ट्रीकरण श्राधिनियम, 1908 (1908 16) के श्रयीन, सप्रैल 84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के क्ष्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मूओ यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितयों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखत उद्देश्य मे उक्त अन्तर्ण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है:——

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबर, उक्स अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सृविधा के सिए; और/वा
- (थ) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तिया का जिन्हीं भारतीय जाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तिरती द्वारा प्रकट नहीं किया गवा था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा के लिए;

भतः वन, उक्त अधिनियम कौ धारा 269-ग को अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम को धारा 269-च की उपधारा (1) के अधीन, निम्निसिस व्यक्तियों, अर्थात्:— (1) श्री एस० जोगिन्दर सिंह संघु सुपुत्र सुपुत्र राय बहादुर एस० बसाखा सिंह निवासी ई-10-ए, डिफेस कालोनी, नई दिल्ली, वह स्वयं ग्रीर कर्ता तथा मैनेजड (एच० यू० एफ०), द्वारा श्रदानी श्रीमसी गुरश्रमूत कौर ग्राहलुवासिया।

(ग्रन्तरक)

(2) श्रीमती शारदा सरीन पति श्री श्रनिल सरीन, निवासी-28 सिरी राम रोड, दिल्ली।

(धन्तरिती)

को यह सुचना भारी करके पूर्वाक्त सम्पत्ति के वर्णन के लिए कार्यपाहियों करता हूं।

वस्त सम्पत्ति के वर्षन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख गं 45 दिन की जनिध या तत्सम्बन्धी ध्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविध बाद में तमाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कर स्वीक्तिया में से किसी ध्यक्ति ध्वारा;
- (वा) इस सूचना के राजपण में प्रकाशन की तारीख सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी जन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरों के काम लिखित में किए जा सकोंगे:

स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त विधिनियम, के अध्याय 20-के में परिभाषित है, बही वर्ध होगा को उस अध्याय में विका नवा है।

जनसंख्ये

मोप-प्रो० नं० 5-सी० प्रेम हाउस, कनाट प्लेस, नई दिल्ली, तादादी 650 वर्गफिट।

> सुधीर चन्द्रा सक्षम श्रधिकारी सहायक धायकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

दिनांक : 4-12-1984

मोहर 🖫

अरूप आई. टी. एन. एस. ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यासय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रजन रेज-1, दिल्ली दिल्ली, दिनांक 4 दिसम्बर, 1984

निर्देश सं श्राई० ए० सी० /एक्यू०/1/एस०धार०-3/4-84/ 120--- ग्रतः मुझे, नुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उन्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269--स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित आजार मृल्य 25,000/- रा. से अधिक है

और जिसकी संख्या 4-सी है तथा जो प्रेम हाउस, कनाट प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (श्रोर इससे उपाबद्ध श्रानुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रिजस्ट्रीकरण श्रिधिनयम,

1908 (1908 का 16) के प्रधीन, दिनांक प्रप्रैल, 84 की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुफे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्सह प्रतिकात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरित (अन्तरितयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पामा गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की वाबत, उसत अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (स) एसी किसी या किसी धन या अन्य आस्तियां को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या अन-कर अधिनियम, या अन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, स्थिपाने में सुविधा के लिए;

(1) एस० जोगिन्दर सिंह संधु सुपुत्र राय बहादुर एस० बसाखासिह, निवासी, ई-10-ए. डिफेंस कालोनी नई दिल्ली, वह स्वयं और कर्ता तथा मैनेजर (एघ० यू० एफ०), द्वारा श्रटानी श्रीमती गुरग्रमृत कौर ग्राहलुवालिया।

(भ्रन्तरक)

(2) श्रीमती शारदा सरीन पत्नि श्री ग्रनिल सरीन, ।नवासी---2-सिरी फोर्ट राम रोड, दिल्ली। (ग्रन्तरिती)

को यह स्भाग जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यशाहिंगी करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस स्वान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वान की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हों, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्पाक्षरी के पास तिस्ति में किये जा सकरों।

स्पच्छीकरणः ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्स अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया। गया है।

वनुस्ची

श्राप नं० 4-सी, तादावी 611 वर्गफिट, प्रेम हाउस, कनाट प्लेस, नई दिल्ली।

> सुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-1, नई दिस्सी

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (१) के अधीन, निस्निमिक्त क्यक्तियों, अर्थात ह—

दिनांक: 4-12-1984

प्रकथ शाही ुटी. एस. एस. ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-च (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक बायकर वाय्क्त (निरीक्षक)

ग्रर्जन रेंज-1, विल्ली नई विल्ली, दिनांक 12 दिसम्बर, 1984 निर्देश सं० ग्राई० ए० सी०/एक्यू/1/एस०ग्रार.-3/4~84/ 124—ग्रतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गडा हैं), की धारा 269-का के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मुख्य 25,000/- रहे से अधिक हैं

भौर जिसकी सं० 23 है तथा जो हनुमान रोड, नई दिल्ली, में स्थित है (भौर इससे उपायद्ध भ्रनुसूची में भौर पूर्ण रूप से विणत है) रजिस्ट्रीकर्ता भ्रधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय र जिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16): के भ्रधीन दिनांक भ्रमेल, 1984

कों पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ध्रयमान श्रीतफल को लिए अन्तरित की गई हैं और मूझे यह विक्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके ध्रयमान प्रतिफल से, 'ए'से ध्रथमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हैं और अंतरक (अंतरकाँ) और अंतरिती (अंतरिरिश्याँ) के बीच ए'से अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उक्वेष्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तिबक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अंतरण से हुई किसीं आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन वा अन्य आस्तियों को जिन्हों भारतीय नायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उत्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा स्कट नहीं किया क्या भा या किया जाना नाहिए ता, छिपाने में सुनिया और निरं।

- (1) श्रीमती कसावती देवीं, निवासी 23-हनुमान रोड, नई दस्सी।
 - (ग्रन्तरक)
- (2) मैं विलंबाग बिल्डर्स प्रा० लि०, 27-/13, शक्ति नगर, नई विल्ली।

(भ्रन्तरिती) 🖟

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्परित के जर्जन के सिए कार्यवाहियां करता हो।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षप :---

- (क) इस सूचना के राजपण में प्रकाशन की तारी से 45 दिन की जबीध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ब्यारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीं से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिलबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास सिलिन में किए जा सकेंगे।

स्थव्यक्षिरणः — इसमे प्रयुक्त क्रव्यों और पदों का, को उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा को उस अध्याय में दिया गया है।

प्रो० न० 23, हनुमान रोड, नई दिल्ली, तादादी-451.44 वर्गगण।

> सुधीर जन्द्रा सक्षम ग्राधिकारो सहायक श्रायकर शासुक्त (निरीक्षण) भर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन, निम्मलिसित व्यक्तियों, अभित् ह—

् दिनांक: 12-12-1984

माहर :

प्रस्त बार्ड. डी. एव. एस. ----

भागकत् अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्याक्षय, सञ्चयक आवकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, विनांक 27 नवम्बर 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०-3/4-84/125-अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

नायकर श्रीभिनयम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अभिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख के अभीन सक्षम प्राधिकारी की यह विश्वास करने का जारण है 'क स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूस्य 25,000 - रु. से अभिक है

श्रीर जिसकी सं० एम 186 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली में स्थित है (ग्रीर इससे उपावक अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अप्रैल, 1984

को प्रवेक्त संपत्ति के उचित बाजार बृत्य से कम के क्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुफ्ते यह विश्वास अपने का कारण है कि यथाप्वेक्त संपत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्सह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अतिरती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पावा गवा प्रतिफल निम्नसिवित उद्वेष्य से उक्त अंतरण दिस्ति में बास्तविक रूप से किवत नहीं किया गया है:----

- (क) बन्तरण से हुई किसी जाय की बाबत, उथत बिधिनियस के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के सिए: बॉर/या
- (क) एसी किसी नाय या किसी भन या जन्म नास्तियों को, जिन्हों भारतीय नाय-कर निभिन्यम, 1922 (1922 का 11) या उनता निभिन्यम, या धनकर निभिन्यम, या धनकर निभिन्यम, 1957 (1957 का 27) के प्रमोज-नार्च नन्तिरती व्वाच प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, कियाने में स्विधा के लिए;

बत: अब, उक्त विभिन्नियम की धारा 269-व की अनुसरण वो, मी, उक्त विधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के अधीन: निम्नसिक्ति व्यक्तियों, सर्वात् :---- (1) श्री मदन मोहन चोपका भौर श्री श्याम लाल चोपका, निवासी एस-30, ग्रोन पार्क, नई दिल्ली-16 ।

(अन्तरक)

(2) मैं० मोहन बिल्डसं, द्वारा भागोदार श्रो मोहन सिंह, मिवासीं 52/42, पंजाबी बाग, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना चारी करके पृथींभत सम्पत्ति के अर्थन की लिए कार्यवाहियां करता हूं।

इक्त सम्पत्ति के वर्षन के संबंध में कोई भी बाक्षेप :---

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीश्व सं 45 दिन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पत्र स्वना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी वविष बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स स्वित्यों में से किसी स्वित्त द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब में 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितनदथ किसी जन्म व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी के पास निचित में किए जा सकेंचे।

स्वच्यीकरण: ---इसमें प्रयूक्त सब्यों और पयों का, जो उक्त अधिनियम के सध्याय 20-क में परिभाषित है वहीं सर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गमा है।

वन्त्वी

प्रापर्टी नं ॰ प्लाट नं ॰ एम-186, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली, तादादी 300/ वर्ग गज ।

सुधीर चन्छा. सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जेन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख : 27--11--1984

प्रक्ष बाइ.टी.एन.एस-----

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भार 269-व (1) के अभीन स्चना

भारत सरकार

कप्रयालिय. सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 13 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एम० आर-3/4-84/69--अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भार 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृस्य 25,000/-रा.ंसे अधिक हैं

श्रौर जिसकी सं० 201/ई-484 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्लो में स्थित है (श्रौर इससे उपावद अनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप मे वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्लो में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधेन, तारीख अप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उषित बाजार मृत्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए धन्तरित की गई है और मृभ्ने यह विद्यास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उपित बाजार मृल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रम प्रतिसत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण निस्ति में वास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है:——

- (क) अन्तरण से हुई किसी बाब की बावत, जायकर अभिनियम के अभीन कर दोने के अन्तरक को दायित्व में कमी करने या उससे बचने में स्विभा के लिए; और/या
- (स) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों कों, जिन्हों भारतीय जायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, स्थिपाने में सुविधा के लिए;

अतः शाक्ष, जुक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्निलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--- (1) श्री हरिवम्दर सिंह निवासी—12,
 रीगल बिल्डिंग,
 नई दिल्ला।

(ग्रन्तरक)

(2) श्री बी० आर० कपूरिया श्रीर श्रोमती बीना कपूरिया, निवासी ई-484/201, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी जाओप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी से 45 दिन की अविध या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कर व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित- बव्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरण:---इसमा प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनिनम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया

अनुज्षी

फ्लैट न० 201, ग्राउन्ड फ्लोर, तादादी 1250 वर्ग फीट बिल्डिंग ई-484 ग्रेटर कैलाग-2, नई दिल्ली।

> सुधीर धन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख : 13-12-1984

प्रकृष् भार्त्, टी. एन्. एस.,-----

भायकरु मिधिनियस, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-मु (1) के मधीम सूचना

भारत तरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण) अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निवेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37 **ईई०/4-84/** 740--अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

कायकर अधिनियस, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चाम 'उक्त अधिनियस' कहा गया है), की धारा 269-स के अभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विकास करेंने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- र . से अधिक हैं

श्रौर जिसकी सं० 72-ए है तथा जो पाकेट ए-14, कालका जी एक्सटेंगन, नई दिल्ली में स्थित है (श्रौर इसमे उपाबद अनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप मे वर्णित है) रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्गन रेंज-1, नई दिल्ली, में आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन, तारीख अप्रैल, 1984

फो पर्नोबित श्रामित के उचित बाजार मृत्य म का है त्रियमान प्रतिफल के लिए अंतरित की, गई है और भ्रे यह विश्वास करने वा कारण है कि यथाए किंन सम्पत्ति में उचित बाजार मृत्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल के नंत्रह प्रतिवात से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्त-रिती (अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गवा प्रतिफल निम्निलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:——

- (क) अन्तरण से हुई किती जाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के किए; और/वा
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या अस्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियस, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियस, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्यारा प्रकट नहीं किया नया था या किया जाना चाहिये था क्षिपाने में प्रविधा के लिए,

कतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त मीधिनिय की धारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन, निम्नीलीक्त व्यक्तियों, वर्मात् क्रिस्स 45—426 G1/84 (1) श्री सुखिन्वर सिंह बगई, निवासी 10-आइरिज, कफ परेड, बम्बई-5।

(अन्तकर)

(2) श्री रेशम लाल,निवासी जी-328,मदन गीर,नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स संपरिस को अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुई।

उन्त संवर्ति के अर्जन संबंध में कोई भी जाओप :----

- (क) इस सूचना के द्रावपत्र में प्रकाशन की तारीख तें 45 दिन की व्यविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर त्यना की तामील से 30 दिन की व्यक्ति को भी व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपण में प्रकाशन की शारीच से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबह्य किसी जन्म व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास निवित्त में किए जा सक्तें।

स्पद्धिकरणः -- इसमें प्रयुक्त शक्यों और पर्यों का, जो उनत अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित ही, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विया नवा

नन्स्ची

फ्लैट नं ० 72-ए, ग्राउण्ड फ्लोर, पाकेट ए-14, कालकाजी एक्सटेंशन, नई दिल्ला, तादादी 80 वर्ग मीटर !

> सुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निर⁹क्षण) अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख: 12-12-1984

मोहर 🖞

प्रकप् , भाइ , टी. एन. एस. -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अभीन स्चना

भारत तरकार

कार्यालय, सहायक जायकर जायकत (निरक्षिण) अर्जन रॅज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निवेश सं० छाई० ए० सी०/एवयू०/1/37ईई०/4-84/742-अत: मुर्झे, सुधीर् चन्द्रा

श्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उकत अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विकास करने का कारण है कि स्थावर संगत्ति, जिसका उत्तित बाजार मन्य 25,000/- रह. से अधिक हैं

भीर जिसकी सं० 7/92 है तथा जो दीपाली, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (भीर इसमे उपाबद अनुसूच) में पूर्ण रूप से विजत है), रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारों के कार्यालय, अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन, सारीख अप्रैल, 1984

को पूर्णे कत संपरित के उचित बाजार मृत्य से कम के रुष्यमान बितफान के लिए अन्तरित की गर्रे हैं और प्रभे यह निक्नाम करने का कारण हैं कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके रुष्यमान प्रतिफल से, एसे रुप्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हैं और अन्तरक (जन्तरका) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उच्चरेय से उक्त अन्तरण सिश्त में वास्त्यिक स्प से कथित नहीं किया वया हैं—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की आवत उक्त अधिनियम के अभीन कर दोने के अप्तरक के दायित्व में अभी करने या उसमें वचने में सुविधा के लिए; और/या
- (स) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रणाननाथ अन्तिरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था खिपाने में मृविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में उक्त अधिनियम की धारा 269-भ की उपधारा (१९ के अभी निम्निलिसित व्यक्तियों, अर्थात् :---- श्री मोहन सिंह सुपुत्र श्री गण्डा मल, निवासी ई-33, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मै० एस० वि० एस० अपार्टमेंट,
 105 मधुबन,
 55, नेहरू प्लेस,
 नई दिल्ली।

(अम्तरिती)

को यह स्थना जारी करके पूर्वोक्स संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के कर्णन के संबंध में कोई भी काक्षेप :--

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीं से 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर ग्ना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीनर पर्वोक्त व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उन्कत स्थावर संपत्ति म हितबस्थ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाभ लिखित में किए जा सकरी।

स्यष्टीकरणः --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विया गया है।

वन्त्वी

प्रापर्टी न० 7, ग्राउन्ड फ्लोर, 92 नेहरू प्लेस, नई दिल्लो, सादाद1-213.75 वर्ग फीट ।

ेसुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारा सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख 10-12-1984 मोहर: प्ररूप बाइं. टी. एन. एस. - - -

जामकर निभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269 भ(1) के जभीन सुमना

भारत सरकाड

कार्याला, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) प्रजीन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० म्राई० ए० सी०/एक्यू०/1/37 ईई०/4~84/748—म्रतः मुझे, सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारों को, यह विदेवास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित वाजार मृल्य 25.000/- रह. से अधिक हैं

भीर जिसको सं० श्रपर ग्राउन्ड /22 है तथा जो बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में स्थित है (श्रीर इससे उपावद्ध श्रनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से विणित है), रिजस्ट्रीकर्ता ग्राधकारी के कार्यालय, ग्रजन रेज-1 नई, दिल्ली में ग्रायकर श्रिधनियम, 1961 के ग्राधीन, तारीख श्रप्रैल, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य में कम के रश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मृक्षे यह विश्वास करने का कारण है कि स्थापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य उसके रश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण विश्वित में बाम्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से **हुएं किसी आय** की बाधत उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्य में कमी करने या उससे बचने में सृषिधा के लिए, आर/या
- (ध) एसी किसी आय या किसी धन मा अन्य बास्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, के प्रतिकार अधिनियम, के प्रतिकार अधिनियम, 1957 (195) का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किए। या किया जाना चाहिए था, छिपान से सुविधा के लिए।

अति अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुमरण मं, में उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) को पधीन, निम्नलिसित व्यक्तियों. अर्थात् —— मैसर्स स्कीपर सेल्स प्रा० लि०, स्कीपर भवन,
 22, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली।

(धन्तरक)

(2) श्री विजय छिम्बर सुपुत श्री के० बी० छिम्बर, निवासी ए-8/25, राणा प्रताप बाग, विल्ली न

(भ्रन्तरिती)

को यह सुभाना जारी करके पृथींक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी है से 45 दिन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सबना की तामील से 30 दिन को अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्विक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,
- (ख) इस सूचना के राजपत्र मों प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उपत स्थावर सम्पत्ति मा हित- बद्ध किसी जन्द व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास विखित मा किए जा मकोंगे।

स्पद्धीकरण :—-इसमें प्रत्या शहा और पत्ते का, जो उक्ते अधिनियम, के अध्याय 20-क मे परिभाषित है, बहां अर्ज होगा, जा उस जब्याय में दिया गया है।

मन्स्यी

श्रापर्टी नं० अपर ग्राउन्ट फ्लोर 22, वाराखम्बा रे।ड, नई दिल्लो, तादादी 325 वर्ग फोट।

गुओर चन्द्रा संक्षम आधकारी सहायक श्रायकर ऋत्युरः (निरक्षाण) श्रक्षन रेज~1, नई दिल्लो

तारीख 10-12-1984 मोहर:

प्ररूप कार्च ्टी पुनु पुन् पुन्य प्राप्त विकास

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-अ (1) के अभीन स्**य**ना

धारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-1, नई विल्लो

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आई० ए० मा०/एक्यू०/1/ 37 ईई०/4-84/ 749-- श्रतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हो), की धारौँ 269-ज के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृष्य 25,000/- रा. से अधिक हैं

श्रीर जिसकी मं० 302 है तथा जो 22 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ला में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वाणन है), राजस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, श्रर्जन रेंज-1, नई दिल्ला में आयकर श्रधिनियम 1961 के श्रधीन, तारीख श्रप्रैल, 1984

को पूर्वेक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के बश्यमान अतिकल के निए बन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे बन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रति-फल निम्नलिखित उच्चेश्य से उक्त बन्तरण लिखित में वास्त-विक रूप से किथित नहीं किया गया है :—

- (क) जन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त आधि निष्म के बधीन कर दोने के जन्तरक के व्यक्तिया में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; आर/या
- (ख) एसी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना जाहिए था, किया स्विधा के लिए;

कतः जन, उक्त अभिनियम की धारा 269-ण के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ण की उपधारा (1) को अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :— (1) श्री शेर बहादुर शाहपुरो, निवासी ए~5, पंम्पोश, नई विल्ली ।

(भ्रन्तरक)

(2) मैं ऽ दिल्या इण्डस्ट्रीज,
 503, श्रशोका इस्टेट,
 24, बाराखम्या रोड,
 नई दिल्ली।

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारा करके पूर्वोक्त सम्परित के अर्थन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हु।

उक्त संपरित के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सै 45 दिन की अवधि या तत्संबधी व्यक्तियों पर सूधना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो., के भीतर पूर्वेक्ति व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबव्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकारो।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त किंतियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

भ्रनुसूची

प्रापर्टी न० 302, तादादी 550 वर्ग फीट, 22, बारा-सम्बा रोड नई दिल्ली।

> सुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक घ्रायकर घ्रायुक्त (निरक्षिण) घर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

तारीखा: 10-12-1984

मोहरः

प्ररूप बार्ड . टी . एन . एस . ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यात्तय, सष्टायक अध्यकर आयुक्त (निरीक्षण) प्रार्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली दिनाक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० प्राई० ए० सा०/एक्यू०/1/37ईई/4-84/8/750—प्रत. मुझे, सुधीर जन्द्रा,

शायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इस्में इसके पश्चात् 'क्कित अधिनियम' कहा गणा हैं) की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिल्ला उचित प्राजार मूच्य 25,000/-रा. से अधिक हैं

भीर जिसकी सं० 301/22 है तथा जो बाराखम्बा रोड नई दिल्लों में स्थित है (श्रीर इमने उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से बणित है) राजिम्द्राकर्ता श्रिध्कारों के कार्यालय, अर्जन रेंज-1 नई दिल्लों, में श्रायकर श्राधिनियम 1961, के श्रधीन तारीख अंग्रैल 1984

को पूर्वेक्ति सम्पित्त के उिषक्ष बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वेक्त सम्पित्त का उिषत बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती अन्तरितियों) के बीच एसे ध्रन्तरण के बिए सब पाया गया प्रतिफल, निम्तिकिश उद्देश्य से उनत ध्रन्तरण लिखित में वास्त-विक क्षत्र स अविश्व की बिस्ता यसा है:---

- (क) अन्तरभ से दुई किनी भाग की अध्यत बयल अधि-विवय के बधीन करवन के अन्तरक के वावित्य के कार्य करन या उससे बचन में सुविधा के खिए। बीर/या
- (का) ऐसी किसी अाय या किसी धन या अन्य आस्तियों कां, जिन्हों भारतीय आयकार अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना बाहिए था, व्यिपाने में स्विधा के लिए;

अतः अव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्यरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ण की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधीब्ः— (1) श्री बलजीत सिंह शाहपुरिया निवासः ए-5, पंम्पोश, नई दिल्लो ।

(भ्रन्तरक)

(2) मैं ० दोनानाथ, पेंट्स प्राइतेस लिमिटेड 502, प्रणोका इस्टेट, 24 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली।

(भ्रन्तरिती)

का यह मृथना जारा करके पूर्वाकत सम्परित के अजन के सिए कार्यवाहिया क ता हो।

उक्त सम्परित के अजन वे सम्राध मा काई भी माक्षेप .---

- (क) इस सूचना के राजपत्र मा प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पुत्रांकत के भूभार पार्व (पर्या क्योंकित करात्र),
- (स) इस सूचना के राजपक में प्रकाशन की तारीस से 45 बिन के भीतर जक्त स्थावर सम्पत्ति में हित- बब्ध किसी अन्य व्यक्ति ब्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकोंगे।

स्पष्टिकरणः — इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, को जक्त अधिनियम को अध्याय 20-क में परिभाषित हों, यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया हो।

नगत्त्रपी

प्रापर्टी नं० 301, तादादो 750 वर्ग फोट, 22 बारा— खम्बा रोड, नई दिल्लो।

> सुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर आयुक्त (निराक्षण) श्रर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

तारीख : 10-12-1984

. · ह्याँ टा अन्तात्म, नननननननन

भागकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के मधीन स्थाना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण) प्रजन रेंज-1 नई दिल्लो

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० प्राई० ए० सी०/एक्यू०/1/37 ईई०/4-84/752--- प्रत मुझे, सुक्षीर चन्द्रा,

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियन' कहा थ्या हैं), की शास 269-च के अधीन सक्षम प्राविकारी की यह विश्वास करने का अधिण हो कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित आजार मृत्य 25,000/- रु. से अधिक हैं

भौर जिसको सं 0 1008 है तथा जो 6-नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, में स्थित है (भौर इससे उपाबद्ध धनुसूची में भौर पूर्ण रूप से वणित है), रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय, धर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भायकर मधिनयम 1961 के भधीन तारीख भर्मील 1984 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,, उसके श्रवमान प्रति-फल से, ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत से अधिक हैं और अंतरक (अंतरकों) और अतिरती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में बास्तिबक रूप से किथित नहीं पाया गया हैं:---

- (क) जन्तरण से हुइ किसी बाब की बाबत, उक्त विधिनयम के अभीन कर दोने के जन्तरक वाँ दाविश्य में कमी करने या उससे बचने में महिक्श के स्टिन्; बीटु/बा
- (क) ऐसी किसी जाय या किसी धन या करवा जास्तियों की, जिन्हीं भारतीय जायकर अधिनियम, 1922 (1922 की 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जन्ति (ती हुकारा प्रकट नहीं किया गया था या किया थाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए:

बतः बन, उक्त अभिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) दें अधीन, निम्नलिखित व्यक्तिसमों, अर्थात् :—— (1) मैं० इस्ट इण्डिया कमिशयल कं० प्राइवेट लिमिटेड, 11-बीं मिजिल, न्यू दिल्ली हाऊस, 27-बाराखभ्बा रोड, नई दिल्ली।

(भ्रन्तरक)

(2) श्री रिव शंकर सुपुन्न श्री चरनजी लाल, निवासी-16 लिक रोड, जगपुरा एक्सटेशन नई दिल्ली।

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्षन के विष् कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध , जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्विकत व्यक्तिया में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकरी।

स्वचिकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, वो अवव विभिन्न के बध्याय 20-क में पृरिभाषिख़ है, वहीं अर्थ हाना जो उस अध्याय में दिशा गया है।

अनुसूची

श्राफिस फ्लैट नं० 1008, तादादी 440 वर्ग फोट लगभग, 10-वी मंजिल, देविका टावर, 6, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।

> मुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर श्रायक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारोख: 10-12-1984

प्रक्ष कार्च. टी. एन. एस. ------

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-ष (1) के अधीन स्चना

भारत् सरकार

कार्यालय, महायक आयकर आय्वस (निरीक्षण) अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० श्राई० ए० सी॰/एक्यू०/1/ 37 ईई॰/4-84/ 758--श्रतः मुझे, सुधीर धन्द्रा,

नायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परभात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-क के अधीन राक्ष्म प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पन्ति, जिसका 'उजित बाजार मृत्य 25.000/- रा से अधिक हैं

ग्रौर जिसकी सं० जी-5/59 है तथा जो शकुन्तला श्रापार मेंट नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (भ्रौर इससे उपाबद ग्रानुसूची मे ग्रौर पूर्ण रूप से वणित है). राजस्ट्रीकर्ता ग्राधकारी के कार्यालय ग्रजन रेंज-1 नई दिल्ली मे ग्रायकर श्रीधनियम 1961 के ग्राधीन तारीखं अप्रैस 1984

को पूर्वोक्ष सम्मिति के उचित बाजार मृत्य से कम के करमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मृक्षे यह विक्वास करने का कारण है कि यथाप्वाकित सम्मित्त का उचित बाजार मृत्य, उसके दृष्यमान प्रतिफल से, एसे क्यामान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत में अधिक ही और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिसिय उद्देश्यों से उक्त अन्तरण निस्ति में बास्मिक रूप में कथित नहीं किया गया है '—

- (क) अल्त^{्रक} संब्रुक² िकमी आय की बावन, स्वस्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सृविभा के सिए; बार/या
- (ल) एन्से जिसी काय या किसी धन का अन्य आस्तियों कते, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर पधिनियम, 1957 (1957 का 27) के द्याजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में मुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में, में. उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधार (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : (1) मैं० आल ६ण्डिया तार बोडक्ट्स, 138-ए, गोल्फ लिक, दूसरी मंजिल, नई दिल्ली छौर श्री प्रहलाद सिंह मुलखराज, 1754/129, जो नगर. नई दिल्ली।

(ग्रन्तरक)

(2) श्री कुलवन्त सिंह सुपुत्र श्रो एस० झर्जुन सिंह, निवासी-4 अण्डर हिल लेन, सिविल लाइन, दिल्ली।

(मन्तरिती)

का यह मृजना जारी करके पृजीकत सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यविहिया करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक्षं से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्धं किसी अन्य ज्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास तिस्तित में किए जा सकोंगे।

स्वध्यक्तिकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्यों का, जो उक्त अधिनियम के वश्याय 20-क में प्रिशीवित है, वहीं वर्ष होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

रम्स् जी

शाप नं० जी-5, ग्राउन्ड फ्लोर, साबादी 325 वर्ग फीट, 59-शकुन्तला ग्रपार्टमेंट्स, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक द्यायकर स्रायुक्त (निरीक्षण) सर्जन रेंज-1, नई विस्लो

तारीख : 10-12-1984 मोह्र ≟

प्रारुप माइ., टी. एन., एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक वायकर आयुक्त (निरीक्षण)

ध्रजैन रेंज-1, नई दिल्ली नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० प्राई० ए० सो०/एस्यू०/1/37 ईई०/4-84/760—ग्रतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

बावकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे हममें इसके पश्चात् 'उकत अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-ख के अभीन सक्षम पाधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर संपत्ति, जिसका उधित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक ही

श्रीर जिसकी सं० यू० बी०-3 है तथा जो 22-बाराखम्बा रोड, नई दिल्लों में स्थित हैं (ग्रीर इससे उपावड अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विणित है) रिजस्ट्रीकार्ग श्रीधकारों के कार्यालय, अर्जन रेंज-1, नई दिल्लों में श्रीयकर श्रीधिनियम, 1961 के श्रीन तारीख श्रील 1984

को पूर्वोक्त संपति जा उनित शांता मृत्य स न म के दश्यमान प्रतिकाल के लिए अन्तरित की गर्ड हो निरं शक्ते यह विश्वास अरने का कारण हो कि यथापृत्रांक्त सम्पत्ति का उनित बाजार मृत्य, उसके रश्यमान प्रतिकाल से एसे रश्यमान प्रतिकाल के करवह प्रतिशत से अलिक हो और अल्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे सन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकाल, निम्निवित्त उद्वेश्य से उक्त सन्तरण लिखित यो सास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है:——

- (का) अन्तरण से हुई किसी आय की यावत, उपत अधिनियम के अधीन कर घेने के जन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे यचने में सुविधा के सिए; जीर/वा
- (स) एती किसी बाय या किसी धन या अन्य बास्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनयम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनायम, 1957 (1957 का 27) के प्रबोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया का या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के सिए;

जतः जणः, उन्त अधिनियम कौ धारा 269-ग के जन्सरण मं, मंं, उत्थत अधिनियम की धारा 269-च की उपभारा (1) के सभीन, निम्नतिकित अधिनयों, अर्थात् :— (1) श्री डीं० मी० गुप्ता (एच० यू० एफ०) एस~356 ग्रेटर कैलाग-2, नई दिल्ली।

(भ्रन्तरक)

(2) श्री एम० के० गुप्ता, निवासी-डब्स्यू० 56, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली।

(भ्रन्तरिती)

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के किए कार्यनाहियां बुरः करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के संबंध में कोई भी वाक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच ते 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो धी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोंक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दूवारा;
- (श) इस सचना के राजपत्र मं प्रकाशन की तारीक्ष के 45 दिन के भीतर उघत स्थावर कपरित में हितसहभ किसी अन्य व्यक्ति इतारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिकित में किए जा सकती।

स्पब्धीकरणः --- इसमें प्रयुक्त शब्दों गाँद पदों का जो जन्म अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाणित हैं, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिवा नया है।

संस्थानी

स्टोर स्पेस नं० यू० बी०-3, तादावी 580 वर्ग फीट, प्लाट नं० 22, बाराखम्बा रोड, नई विल्ली।

> सुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी महायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरोक्षण) ग्रजन रेंज-1, नई दिल्ली

सारीख: 10-12-1984

प्ररूप आई. टी. एत. एस., ------आय्कार अभितिया, 1961 (1961 का 43) की भारत 269-म् (1) के अभीन सुमृता

भारत सरकार

हार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-1 नई दिल्लो नई दिल्लो, दिनांक 2 जनवरी 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एम्यू०/एस०आर०-3/7-84 444---श्रतः मुझे सुधीर चन्द्रा,

शायकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसमें पश्चात् 'उन्दर्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति विसका चिश्वत वाचार बृत्य 25,000/-दो. से अधिक है

भीर जिसको सं० ई-52 है तथा जो ग्रेटर कैलाण-2 नई दिल्ली में स्थित है (भीर इससे उपायकक अनुसूचा में और पूर्ण रूप से बणित है) र्राजस्ट्राकर्ता अधिकारों के कार्यालय अर्जन रेंज-1, नई दिल्लों में र्राजस्ट्राकरण आधिनयम 1908 (1908 का 16) के अधीन, जुलाई, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मूझे यह न्यद्वास फरने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार पूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल कर उन्तर (अन्तरका) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय गया गया प्रतिफल, निम्निलिखित उद्वेश्य से उक्त अन्तरण किस्त में बास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया ही:—

- (क) अन्तरण से हुइ किसीं आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे ब्चने में सुविधा के लिए; आरि/या
- (का) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, वा धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया प्रया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के निए;

जतः जव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण जो, मी, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) ... के जभीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् ५---46---426 GI/84 (1) श्रीमता इशर कौर पत्नी स्व० एस० मोहन सिह, निवासो ई-52, ग्रेटर कैलाश-1, नई विल्लो।

(ग्रन्तरक)

(2) श्रीमती चन्दर कला देवी भगारिया

2. श्री शिव भगवान गागरिया

निवासी—117,

चितरेजन एवन्यू,

कलकत्ता ।

(भ्रन्तरिती)

को यह स्थान जारी करके पूर्वोक्त संपर्तित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

इक्क सम्मत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी बालांधु:----

- (क) इस सूचना को राजपत्र मों प्रकाशन की तारिश्व है 45 दिन की अविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पूरे सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो औ अविध बाद मों समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वे किए व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ह्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस चं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे

स्पव्हीकरण :--हसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्दों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा वो उस मध्याय में देवा गया है।

अनसर्ची

प्रो० न० ई-52 ग्रेटर कैलाण-1 नई दिल्ली **तादादी** 2250 वर्ग ट्रोट (प्ताट तादादी 532 वर्ग गज)।

> सुधीर जन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण) ग्रर्जन रेंज्-1 नई दिल्ली

तारीख: 2-1-85

प्ररूप बाईं. टी. एन. एस. -----

भारकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अधीन स्चना

भारत सरकार

भागीलय, सहायक आयकर आयुक्त (निर्दोक्षण) भागीन रेंज-1, नई विल्लो

नई दिल्लो दिनांक 10 जनवरी 1985

निदेश सं० माई० ए० सीं०/एक्यू०/1/एस० मार०-3/ 5-84/433-मतः, मुझे, सुधीर चन्द्रा,

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिले इसमें इसके परभात् 'उथत अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रा. से अधिक है

मौर जिसकी सं० ई-101 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली में स्थित है (श्रीर इससे उपाबक अनुसूत्रों में श्रीर पूर्ण रूप से विणत है) राजस्ट्रीकर्ता आधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में राजस्ट्रीकरण श्रीधानियम 1908 (1908 का 16) के अधीन सारीख मई 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुम्हें यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सक्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे कि पान प्रतिफल का पुल्क प्रतिचत से अधिक है और अन्तर्क के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तर्ण लिखिश में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है है—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की शावत, उक्क अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक औ दाश्यास्य में कामी करने या उससे क्याने में पृतिधा भी लिए; बार्/या
- (क) एंसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ को, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-नार्थ अंतिरती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना जाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

जतः जब, उक्त जिथिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्निचित व्यक्तियों, अर्थात् है— (1) कुमारो मिनी जैन मिनासो के-41 हीस खास इनक्लेव मई दिल्लो।

(भ्रन्तरक)

(2) मै॰ पाल एण्ड पाल बिल्डर्स लि॰ 12 रोगल बिल्डिंग पालियामेंट स्ट्रोट, नहें दिल्ली ।

(म्रन्तरिती)

का यह सूचना जारी करके पूर्वीक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

एक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप ह

- (क) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस सै 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पद स्वान की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि साद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीत से 45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्थळितिरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पक्षों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषिष है, नहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया नया है।

धनुसूची

प्रायटी नं र्ह-101 तावावी 353.5 वर्ग गज ग्रेटर कैलाग-1, नर्ह विल्ली।

> सुधीर चन्द्रा सन्नम प्राधिकारी सहायन धायकर घायुक्त (निरीक्षण) धर्मेन रेंज-1 नई दिल्ली

तारीख: 10-1-1985

मोहर 🛭

प्ररूप बाइं.टी.एन.एस.-----

जीमकर मॉर्थनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-म (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) पर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 1985

निदेश सं० माई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० मार०-3/ 5-84/311--प्रतः, मुझे, सुधीर चन्द्रा,

बायक र अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की <mark>धारा</mark> 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित वाजार मृत्य 25,000/- रा. से विधिक हैं

सं० एम-2 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-2, में स्थित है (और इससे उपाबक प्रमुख्या में भीर पूर्ण रूप से वांगत है) रिजिक्को हर्न आधिकारों के कार्यालय, विल्लो में रजिल्लोहरगद्रीक्षितयम 1908 (1908 का 16) के अजीन तारोख मई, 1984

को पूर्वोक्त संपरित के उचित बाजार मूल्य से कम के ध्रथमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गर्द है और मुक्ते वह विश्वास भ्रारने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उपित बाजार क्रम, उसके दश्यभान प्रतिकास से एरेड सम्यमान प्रतिकास 🕏 पम्बद्ध प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकार) बार अंतरिती (मंसरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-काम, निम्नलिसित उद्देश्य से उक्त मंतरण निस्ति में बास्तिसक एक् से कथित नहीं किया गया है ६---

- (क) सन्तरण संहुई किसी शाव की कावड़, क्रवां अधिनियम के अधीन कर बोर्न के अस्तरक की बायित्व में कमी करने वा उससे कचने में सुविधा है के निए; और/का
- (क) एंसी किसी आय या किसी भन या अन्य जारिहकों को, जिन्हें भारतीय बायकार विधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त मधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती बुबारा प्रकार सङ्घी दिखा गया या का का वाना चाहिए था, क्रियाने कें मिबिधाके लिए;

बर्गः वयः, उक्त विधिनियमं कौ धारा 269-व कौ अनुसरक में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-म को उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्री मनजीत सिह, निवासी एम 103, ग्रेटर कैलाश—1, नई दिल्ली।

(मन्तरक)

(2) श्रोकी० संजय बंसल निवासी बो-15 ग्रेटर कैलाश—1 नई विल्ली।

(मन्तरिती)

च्या सहस्**चना पारी करके पूर्वोक्त संगीत्त को वर्षन्**को क्रिक् कार्यवाहियां भूक करता हुः।

उपल 🚅 🤭 े अर्थन के संबंध में कोई भी भारते ह—

- (क) इस स्वताल राजपत्र में प्रकाशन की सारीच को 45 विन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तिः , पर सुभना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविधि बार्ब में समाप्त होती हो के भीतर प्रवेक्ति व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति श्वारा;
- (ब) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में क्रित-बष्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 📽 पास लिसित में किए जा सकरो।

श्चणकारण ----इसमें प्रयुक्त सब्दों और पर्दों का, औा ख्रणकी सिंधिनियम के अध्यास 20-क में परिशाधिक हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में विका गया है।

धनुसूची ।

प्लाट एम-2 तादावी 195 वर्ग गज, ग्रेटर मैलाश-2 (मार्केट), नई दिल्लो।

> सुधोर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर भायुक्त (निरोक्षण) मर्जन रेंज-1, नई विल्लो

सारीख: 7−1−1985

माहर 🖫

प्ररूप आई.टी.एन.एस. - ------

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व (1) के अधीन सूचना

जारत सरकार

कार्यास्य, सहायक नायकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रजेंन रज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 1985

बायकर निभिन्नियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके प्रकार (उक्त निभिन्यम) कहा गवा हैं), की भाष 269-क के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह निश्नास करने का कारण है कि स्थायर सम्पत्ति, जिसका उद्देशन बाजार मूस्व 25,000/- रंठ. से मधिक है

श्रीर जिसकी सं० ए-34 है तथा जो कालकाजी, नई विल्ली में स्थित है (श्रीर इसमे उपाबद्ध ग्रनुसूत्री में पूर्ण रूप से वर्णित है), र्जिस्ट्रीकर्ता ग्रिधकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण ग्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रिधीन, दिनांक मई, 1984,

की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की नई है और मृत्रों यह विष्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य उक्षक दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकाँ) और अंतरिती (अंतरितियाँ) के बीच ऐसे अंतरण के लिए त्य पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखित उद्देष्य से उक्क अन्तरण लिखिक में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया ग्या है है—

- [क] बन्तरण से हुइ किसीं शाव कर्न वाक्त, अव्यक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के जन्तरक के बायित्व में कमी करने वा उसने सचने में सृष्टिभा के लिए; जरि/बा
- (क) ऐसी किसी बाब या किसी धन या अन्य आस्तिय. की जिन्हों भारतीय आयकार अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिवाने में सविधा के जिए।

जतः अब, उक्त अधिनियमं की धारा 269-ग के अनूसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपभारा (1) के अभीन, निम्नितिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—-

- (1) श्री मोहनलाल डाबरीबाल 8 डाक्टर लेन गोल मार्केट, नई दिल्ली । (अन्तरक)
- (2) मैं असी अप्राईक पीक प्रोपर्टी एण्ड इनवेस्टमेंट प्राक लिक 16-इन्डिया एक्सचेन्ज प्लेस, कलकता-1, (ध्रन्तरिसी)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य-वाहियां करता हुं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप≫-

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी खरी 45 दिन की अविधि मा तत्सवधी स्पन्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वी क्या व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्यक्ति व्यारा;
- (स) इस सूचना की पाजपत्र में प्रकाशन की सारीय है 45 दिन को भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी कन्म व्यक्ति ह्वारा अधोहस्ताक्षरी के शब्द सिसित में किए जा सकाँगे।

स्पक्तीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो खब्ख जिथिनियम, के अध्याय 20-का में परिभाषिक हैं, वहीं अर्थ होना को खब्ब बध्याय वें विका नवा है।

मनुसूची

प्रो० नं० ए-34, कालकाजी नई दिल्ली, सादादी 867 वर्ग गज ।

> सुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारो सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-1 दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनोक: 7-1-1985

प्रकल् बाइंड टील हरू प्रकल

वायका विभिन्धम, 1961 (1961 का 43) की प्रका 269-स (1) के वधीन सुवना

कार्यक्य, सञ्चामक बायकार बायुक्त (निरर्वेक्षक)

धर्जन रेंज-1 नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 1985 निदेश सं० प्राई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस०--ग्रार-3/ 5-84/282---ग्रत: मुझे, सुधीर चन्द्रा,

बायकर विधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पर्वणत् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-व के बचीन सक्क प्राधिकारी को वह निस्त्राव करने का कारण है कि स्थानर सम्पन्ति, जिसका अभित वाजाह कुल्ल 25 000/रा. ने विधिक है

मौर जिसकी सं० एफ-44, है तथा जो ईस्ट म्राफ कैलाम, नई विस्ली में स्थित है (ग्रीर इससे उनावड भ्रतुसूचों में पूर्व स्प से वर्णित है), रजिस्ट्रोकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, विस्ली में भारतीय रजिस्ट्री-करण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के भ्रधीन, दिनांक मर्ड 1984

की पूर्वाक्त सम्मत्ति के उणित बाबार मृत्य से कम के द्रश्यमान प्रतिपत्न के बिए अन्तरित की गई है और मृश्वे यह विकास द्वार का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्मत्ति का उणित बाबार शृन्य उसके द्रश्यमान प्रतिपत्न से, ऐसे क्रयमान प्रतिकल का बच्छ प्रतिकत से अधिक है और अंकरक (अंतरकों) और अंतरिती (बन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया इतिक के निम्निविचिच उष्देश से सक्त अन्तरण विचिद्ध में

- (क) अन्तरक से हुः किसी आय का बायत, जक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (क) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आयकार अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उन्त अधिनियम 1922 वन-सर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था वा किया ज्ञाना चाहिए वा, ज्ञिनाचे वे सुद्रिया के सिए;

कतः कव, खक्त अधिनियम, की भारा 269-न की अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) की कधीन, निस्मननिक्कित व्यक्तियों, बर्धात् ∵—— (1) श्रो रतनिसह सुपुत एस० मनखसिह निवासी-एफ-38, पाकेट 'एल' गेख सराय नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) श्री नरेश जुनेजा सुयुत्र श्री भीम सैन जुनेजा, निवासी—11 नेशनल पार्क, नर्ष विल्ली।

(भ्रन्तरिती)

की नह भूचना चारी करके पूर्वोजस संपृत्ति के सर्वत के लिए सार्वगाहियां करता हो।

क्क बन्नेति के अर्थन के बन्दन्य में बोहां वी नासंस्कर-

- [क) इस स्थान के साजपण में प्रकाशन की तारीय वं 45 दिन की वनिष् या तत्सवधी व्यक्तियों नत स्थान की तामीस से 30 दिन की बनिष को की अवधि वाद में समाप्त होती हो, के शीतर पूर्वों कड़ व्यक्तियों के से किसी स्थनित द्वारा;
- (क) इत स्वता के राजवज में प्रकाबन की तारीब के 44 दिन के भीतर उच्चा स्थायर संपत्ति में हितम्ब्य किसी बन्य व्यक्ति द्वारा, अभोइस्ताखरी के गढ़ जिल्लि में किए वा सकेंगे।

स्वव्यक्तिरण:----इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जांउक्त विधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभावित ही, वहीं वर्ष होना को उस संख्याय में विका क्वा हैं।

मन्स्**या**

प्रो० नं० एफ०--- 44, ईस्ट श्रीफ कैलाश, नई दिल्ली, तादादी 450 वर्गगज ।

> सुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक द्यायकर घायुक्त (निरीक्षण) धर्जन रैंज-I दिल्ली, नई दिल्ली-110002

विनांक : 7-1-1985

प्रकृष काइ". टी. एन. एस.-----

क्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) प्रर्जन रेज-1,नई दिल्ली

नई विल्ली, दिनांक. 21 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्य०1/एस०-आर-3/ 5-84/276-अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पदस्त 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-व के बधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का धारण है कि स्थायर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रा. से अधिक है

श्रीर जिसको सं० एम-169, है तथा जो ग्रेटर कैलाश-2, नई विल्ती में स्थित है (भ्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्गात है), रजिस्ट्रीकर्ग प्रधिकारों के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण श्रिधिनयम, 1908 (1908 का 16) के भ्रधीन दिनांक मई, 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाबार मूल्य से कम के स्वयमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूख्य उसके स्वयमान प्रतिफल से, एसे स्वयमान प्रतिफल का पण्यह प्रतिकात से अधिक है और अंतरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के सिए तम पावा गमा प्रतिफल निम्निलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरक कि बिक्त में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गमा है है——

- [क्क्व] जन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, सक्क्ष अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; कांडि/या
- (का) एसी किसी नाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हों भारतीय जाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था किया जाना चाहिए था, ख्रिपाने में स्विधा के लिए;

जल क्या, उक्त अधिनियमं की धारा 269-ग के अनसरण कों, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) को अधीन, जिस्सीलीखत व्यक्तियों, अर्थात् :--- (1) श्रीमती कामिनी सोंधी पत्नी श्री एम० एल० सोंधी निवासी-सी-480 डिफेंस कालोनी, मई दिल्ली।

(भ्रन्तरक)

(2) मैं भाटिया अपार्टमैंट- ए-18, फैलास कालीनी नर्ह दिल्ली ।

(पन्तरिती)

का यह स्पना भारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्षक के किन्न कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

सक्त सम्पृत्ति को नर्जन् को संबंध में कोई भी नाक्षेप अ--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक के 45 दिन की अमिध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अमिध, को भी अमिध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोचक व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति इसारा;
- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित- ब्रुथ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्वच्दीकरण: — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जे उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हु¹, वहीं अर्थ हारेग जो उस अध्याय में दिया गया है।

अन्सूची

2/3 भाग प्रो॰ नं॰ एम-169, ग्रेटर कैलाश-2, नई विल्ली, तादाद 40 वर्गगज

> सुनीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेज-1ादल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 21-12-198⁴

प्ररूप आर्द्र.टी. एन. एस. ------

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्लो, दिनांक 10 जनवरी 1985 निरोग सं० थ्राई० ए० सी०/एक्यू०/2/एस-प्रार-3/5-84/256---थ्रतः मुझे. सुधोर चन्द्रा,

श्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है, की धारा 269- क अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपरित जिसका उचित् बाजार मृज्य 25,000/- का संविधक है

भीर जिसको स० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम जौनापुर, महरौली, नई दिल्लो मे स्थित है (ग्रीर इससे उनाबद्ध अनुसूचो मे पूर्ण रूप से वर्णित है), र्राजस्ट्राकर्ता श्राधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय र्राजस्ट्राकरण श्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के भ्रधीन, दिनोंक मई-1984

को पुर्वाकत सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दश्यमान प्रितिकत के लिए अन्तरित की गई है और मृझे यह विश्वास कर ने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्त्रह प्रतिकत से उधिक है और अन्तरिक (अन्तरिको) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय शामा गया प्रतिफल, निय्नतिखित उद्वेश्य से उक्त अन्तरण किला से सामा गया प्रतिकल, निय्नतिखित उद्वेश्य से उक्त अन्तरण किला से सामा गया प्रतिकल, निय्नतिखित उद्वेश्य से उक्त अन्तरण किला से सामा स्था है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत जकत अर्धि-नियम के अधीन कर दोने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में समिधा के सिए; औड/स्थ
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भनक्तर अधिनियम, या भनक्तर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुनिभा के लिए;

बतः वक, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुबरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-थ की उपधारा (1) के अधीन, निम्निलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:——

- (1) श्राइचर गुडीयर्थ ाले०. दीन दवाल उपाध्याय मार्ग, नई विल्ली । (श्रन्तरक)
- (2) श्री करन वीर सिंह श्रतवाल सुपुत श्री जी० एस० श्रतवाल, निवासी—-ए-14, निति बाग, नई विल्ली। (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति को सर्जन के सिद्ध कार्यवाहियां करता हुं।

समय सम्परित को अर्जन को सम्बन्ध मी कीई की जासीए 🦫

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीय है 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी सबिध बाद में समाप्त होती हो, को भीतर पूर्वोकड व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वास;
- (च) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की शारीच थे 45 दिन को भीतर उक्त स्थावर सपिता में क्रिक-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरों की पास सिम्बद में किए का क्कान'।

स्वयद्धीकरणः — इसमे प्रमृक्त धव्यों और वर्ष का. वां अवद अधिनियम के अध्याय 20 का में परिभाषित हो, वहीं अर्थ होगा जो उस बच्चाय में किन्न मुसा हो।

अनुसूची

कृषि भूमि तादाद 13 बिघे और 8 विश्वे, एम० न० 16, किला नं० 12/1(3-0), 9(4-16), 2/1(2-8), 1 मिन (1-12), 10-मिन (1-12), ग्राम-जौनापुर, सहसील-महरौली, नई दिल्लो ।

सुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर भायुक्त (निरीक्षण) भ्रजन रेज-1, नई विल्ली-110002

षिनांक : 10-1-198**5**

त्ररूप आइ .टी. एन. एस. -------

जायकाऱ्र.आधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-थ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकार आयुक्त (निरीक्षण) मर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

न है दिल्ली, दिनोक 10 जनवरी 1985

निर्देश सं० छ।ई० ए० सीं०/एक्यू०/1/एस-फ्रांर-3/5-

84/265---धतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

कायकर किथिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमैं इक्के पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हुं), की धारा '69-क के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विषयास करने का कारण हैं कि स्थायर सम्पत्ति, जिसका उचित बाबार भृष्य 25,000'-रु. से अधिक हैं

धीर जितकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम-जौनापुर, महरौली, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध मनुसूची में पूर्व रूप से विणत है), रिजस्ट्राकर्ती घधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रिजस्ट्राकरण घिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, दिनांक मई 1984,

को पूर्नोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के स्वयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उपित बाजार बृत्य, उसके स्वयमान प्रतिफल से, एसे स्वयमान प्रतिफल का बन्दर प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) बांद बतिरती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय शवा प्या प्रतिफल निम्मलिखित उच्चेश्य से उसत अंतरण लिखित में बास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है द—

- क्रिंश) नंतरण से हुई किसी नाय की बावस, उयध जिथिनियम के जधीन कार दोने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के खिए; बाँड/वा
- (क) ऐसी किसी जाय या किसी धन या जन्य जास्त्रियों करें, जिन्हें भारतीय जाय-कर जिधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, द्वा धन-कार अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, कियाने में सुविधा के सिए;

भंताः थय उक्त अधिनियम को धारा 269-ग के अनुसरण ही, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधादा [1] के अधीन, निम्निणिसत व्यक्तितियों, अर्थात :---

(1) मैं० हावर कन्स्ट्रक्शन प्रा० लि० 28-बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली, द्वारा डाइरेक्टर श्री श्रशोक वर्मा

(म्रन्तरक)

(2) एस० करणबीर सिंह घतबाल सुपुत्र श्री एस० एस० ग्रातवाल, निवासी—-ए-14, निति बाग, नई दिल्लो। (ग्रन्तरिती)

को यह सुचना जारी कारके पूर्वीक्त संपरित के अर्चन के लिए कार्यनाहियां करता हुं।

उक्त सम्मत्ति के अर्जन् के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन की अविधि या सत्संबंधी व्यक्तियाँ प्रस्मान की सामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, को भीतर पूर्वोक्ट व्यक्तियाँ में से किसी व्यक्ति वृवारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्व किसी अन्य व्यक्ति व्वारा, अधोहस्ताक्षद्भी के पास निवित में किए जा सकांगे।

स्वध्योकरणः — इसमें प्रयुक्त सन्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के जध्याय 20-क में पीक्शियत है, वही अर्थ होगा जो उस् अध्याय में दिवा गया है।

नग्स्**यी**

कृषि भूमि तावायी मुस्तातील नं 16, किला नं 14/1 (4-0), 13 (4-16), 12/2(1-16), ग्राम जीनापुर, तहसील-महरीसी, नई दिल्ली ।

सुधीर जन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, I—नई दिल्ली-110002

विनोक: 10-1-1985

प्रसम् बार्षः ही. एन. एस.

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-थ (1) के अधीन स्वना

मारत सरकार

कार्यासय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण)

अर्जन रेंज-1; नई दिल्ली नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 1985 निर्मेश सं० आई० ए० सी० एक्यू० 1/एस-आर-3/5-84/260-अत: मुझे, सुधीर चन्द्रा,

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसभे इसके परवात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भार 269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विकास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृन्य 25,000/- रु. से अधिक है

भौर जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम—जोनापुर, महरौली नई दिल्ली में स्थित है (ग्रौर इससे उपावद्ध श्रनुसूच में श्रौर पूर्ण रूप से विणत है), रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली, में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के सम्मीन दिनांक मई—1984,

को पूर्वेक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के ब्रियमान प्रितिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुफे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वेक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके ब्रियमान प्रतिफल से, एसे ब्रियमान प्रतिफल का पंक्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और बन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय शया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण के लिए का अस्तरण के स्वास्तिक क्रियमा अधित नहीं किया गया है :---

- (क) बन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के बायित्व में कसी करने या उत्तसे क्यने में सुविधा अंसिए; बाँड/या
- (वा) एसी किसी भाष या किसी भन या बन्ध आस्तियाँ को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती कुत्रारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, खिपाने में मृतिधा के लिए;

नतः भव, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण को, में, उक्त अधिनियम की भारा 269-घ की उपधारा (1) को अभीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

- (1) आइचर गुडीयर्थ लि० दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली । (अन्तरक)
- (2) श्री रणजीत सिंह अतवाल सुपुत्र श्री एस० एस० अतवाल, निवासी—ए-14, निति बाग, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह स्थान जारी करके पूर्वोक्त स्म्यस्ति के अर्थन के किय कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उसत सम्पत्ति के वर्जन के संबंध में कोई भी वाक्षेप :--

- (क) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 45 विन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्चना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हित- बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगी।

स्पष्टीकरण ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हुँ, वहीं अर्थ होंगा जो उस अध्याय में दिया गुवा है।

अनुसूची

कृषि भूमि तादादी 4 िंचि श्रीर 16 दिश्वे, नुस्तातील नं० 167 किला नं० 25 ग्राम-जीनापुर, तहसील-महरौली, नई दिल्ली।

> सुधीर **जन्द्रा** सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-1 दिल्ली, न**ई विल्ली**→

दिनोक : 10-1-1985

अ**रूप थाई** , दी , एन , ए**व** , 🕶 - ----

बायकर सिप्तियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-स (1) के अधीन स्थाना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई विल्ली नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 1985 निर्वेश मं० आई० ए, सी० एक्यू० 1 एस-आर-3/5-84/257-अत: मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आय गर क्षिक्षित्यक 1981 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उत्तत अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

ग्नौर जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम जोनापुर, नई दिल्ली में स्थित है (ग्रौर इससे उपायस अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है), रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली, में भारतीय रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक मई, 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उणित बाजार मूल्य से कम के इत्यमान बन्तरित की गद्य प्रतिफल को लिए ₹ यह विष्वास करने का कारण कि यथापवाकित संपरित का उचित बाजार मृत्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दल्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हैं और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) को बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण में हुई जिसी आध की वाबता, उक्त सं'प्रियम के अभीत कर दोने के करणक के दाजिल्य में अभी करने या उसमें क्यने मां अधिका के लिए सर्विष
- (स) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1902 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-नार्थ अस्तिरती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने ए मृतिध. अं सिए।

सतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मं. मं, उक्त अधिनियम की धररा 269-म की उपधारा (1) के अधीन, निम्निलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--

(1) मैं० आइचर गुडीअर्थ लि० दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) श्री रणजीत सिंह अतंबाल सुपुत्र श्री एस॰ एस॰ अतवाल निवासी—ए-14, निति बाग, नई विल्ली । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के निए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्स सम्पत्ति के वर्णन के संबंध में कोई भी वाक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अनिध , जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वांक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस स्चता के राजपत्र में प्रकाशन की नारीस स 45 दिन को भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बव्ध किसी अन्य व्यक्ति द्यास अधांहस्ताक्षरी की पास निश्चित में किए जा सकोंगे।

स्पद्धीकरण -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जा उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिशाधित हैं, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया हैं।

भ्रनुस्ची

कृषि भूमि तादादी 10 विधे ग्रीर 4 विश्वे, मुस्तातील नं 15, किला नं 15 (4-9), 16 (4-16), मुस्तातील नं 16, किला नं 20 मिन (3-10), 21 मिन (4-3) 22 मिन (2-6), ग्राम जोनापुर तहसील महरौली, नई दिल्ली।

> सुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-I दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक: 10-1-1985

प्ररूप कार्द. थी. एन. एस. -------

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत महकार

कार्यानय, सहःयक आयस्य सायुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 1985 निदेश स० आई० ए० सी०एक्यू० 1एस०आर०-3/5-84/258—अतः, मुझे, सुधीर चन्द्रा,

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है') की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है' कि स्थावर सम्परित, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/-रु. से अधिक है'

श्रौर जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो जौनापुर, महरौली, नई दिल्ली में स्थित है (और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वाजत है), राजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय राजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक मई, 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उणित बाजार मृत्य से कम के रूपमान प्रितिफल के लिए अंतरित की गई है और मृभे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापुर्वोक्त सम्पत्ति का उणित बाजार मृत्य, असके रूपमान प्रतिफल से, ऐसे रूपमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निखित में बास्तिक क्य से कथित नहीं किया गया है ---

- (कं) अन्तरण से हुई किसी अगय की बाबत, उक्त अधिनियम की अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में स्विधा के लिए; और/या
- (क) ऐसी किसी जाय या किसी धन या अन्य आस्तियों करो, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कार अधिनियम, 1957 (1957 का 27) कें प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्निलिखित व्यक्तियों, अर्थात् ः—— (1) आइचर गुडीयर्थ लि॰ दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) श्री एस॰ एस॰ अतवाल सुपुत्र श्री जी॰ एस॰ अतवाल श्रीमती गुरप्रीत कौर पत्नी श्री एस॰ एस॰ अतवाल, निपासी—ए-14, निति बाग, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पृत्रीक्क सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां श्रूक करता हूं।

उथरा सम्पत्ति क अर्जन के सम्बन्ध में कांई भी बाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस सं 45 विन की अविधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्विक्ट व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूधना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगै

स्पष्टोकरण: इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परि-भाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

वन्स्ची

कृषि भूमि तादावी 4 बिघे और 16 बिखे, एम० नं० 16/ किला नं० 11/1(2-8), 11/2(0-14), 11/3(1-14), भाम—जौनापुर, तहसील—महरौली, नई दिल्ली ।

सुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली

दिनांक: 10-1-1985

प्रकृत नाहुँ, बो, एन्, एस्. :-----

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अभीन स्वना

भारत स्रुकार

कार्धालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण) अर्जनरें ज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 1985 निरोध सं० आई० ए० सी० एक्यू० 1 एस०-आर०-3/5-84/259--अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-इ के अधीन सक्षम प्राधिकारी की, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रा. सं अधिक है

मीर जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम-जौनापुर, महरौली, मई दिल्ली मैं स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), राजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली मैं भारतीय राजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक मई, 1984,

को प्यांक्त सम्पत्ति के उधित बाजार मृत्य से कम के ध्रयमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मृद्धे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृख्य, इसके दश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्वेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तिबक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक औ दायित्व में कमी करने या उससे वचने में सुविधा के सिए; औद्र/या
- (च) एंसी किसी जाय या किसी धन या जन्य जास्तियाँ कां, जिन्हों भारतीय आयकर ऑप्नियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए,

नतः वयः, जनतः अधिनियमं कौ भाषा 269-व के अन्यरण कौ, मी, उनतः अधिनियमं की भारा 269-व की उपभारा (1) के अधीनः, निम्निलिसित व्यक्तियों, अर्थात् :--- (1) मैं आइचर गुडीयर्थ लि० दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, मई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री एस० एस० अतवाल सुपुत्र श्री जी० एस० अतवाल श्रीर श्रीमती गुरशीत कीर पतनी श्री एस० एस० अतवाल, निवासी—ए-14, निति बाग, नई विस्ली। (अन्सरिती)

को यह सूचना जारी करके पृथानित संपरित के वर्जन के निष कार्यवाहिया करता हुः।

उभत संपरित के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी सं 45 दिन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियाँ पर सूचना की तामील से 30 दिन की क्विध, आंभी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कर व्यक्तियाँ में से किसी व्यक्ति व्यक्ति वृं
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थाधर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति ध्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिसिट में किए जा सकेंगे।

स्पव्योकरणः --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं वर्ष होगा, जो उस स्थाय में विमा वहा

नन्स्यी

कृषि भूमि तादादी, 20 बिथे भीर 8 विश्वे, मुस्तातीस नं 15, किला नं 5 (4-16), 6 (4-16), 15 मिन (0-7), मुस्तातील नं 16, किला नं 1 मिन (3-4), 10 मिन (3-4), 20 मिन (1-6), 21 मिन (0-8), 22(2-), माम-जौनापूर, तहसील-महरौली. नई दिस्ली ।

> सुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्ण) अर्जनरेंज-1दिल्ली,नईदिल्ली-110002

दिमोक: 10-1-85

बक्य आई. टी. एन. इस ----

बायकर बीभीनयम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व (1) के अधीन स्पना

गारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-1, नयी (दल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 21 दिसम्बर 1984 निदेश सं० आई० ए० सी० एक्यू० 1 एस-आर-3/5-84/228-अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

कायकर किंपिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका अधित बाजार मृत्य 25,000/-रा. से अधिक है

मौर जिसकी सं० एम~169 है तथा जो ग्रेटर कैलाश—11, नई दिल्ली में स्थित है (मौर इससे उगाबद्ध अनुमूची में पूर्व रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्मा अधिकारी के कार्यालय विल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 9908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक मई, 1984,

को पृंचों कर संपत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के क्यामान प्रतिफल के लिए अतिरित को गई है और मुफे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापृबोंकत संपत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिकृत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया विकल, निम्नलिखित उद्देशों से उक्त अन्तरण निचित् में बास्तिक रूप से किथा नहीं किया गया है :——

- (क) बन्तारण वे सूर्य कियी जाय की वायत, वधत अभिनियम के बधीन कर दोने के बन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे वचने में सूविधा के सिए; बॉर/या
- (क) ऐसी किसी बाध या किसी धन वा बन्य बास्तयों की जिन्हें भारतीय बाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या जक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया बाना वाहिए था, कियाने में सुविधा के लिए;

अतः अव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण जे, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के बधीन, निक्मलिखित व्यक्तियों, संधात् :— (1) मे० भाटिया अपार्टमेंट ए/18, कैलाम कालोनी, नई दिल्ली, द्वारा भागीदार श्री एन० के० भाटिया सुपुत श्री वी० आर० भाटिया

(अन्तरक)

(2) श्रीमती बसुधा जैन पत्नी श्री शशी प्रसाद जैन, निवासी---18-जमुना रोड, बिस्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्षन के विक कार्यवाहियां शुरु करता हुं।

उन्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी व वे 45 दिन की अयिधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वना की तामील से 30 दिन की जबिधि, जो भी अविधि याद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्ट व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरि के पास निवित में किए पा सकेंगे।

स्वध्दीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों शहु पदों का, चा सवस अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभावित हैं, वहीं अर्थ होगा भी उस अध्याय में किला भवा हैं।

मन्त्रकी

दूसरी मंजिल पी० नं० एम-169, 1/3 भाग भूमि तादावी 400 वर्गगज, ग्रेटर कैलाश-2, नई विस्ली।

नुष्ठीर चन्द्रा सक्तम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-1 बिल्ली, नई बिल्ली-119002

दिनांक: 21-12-1984

प्ररूप गाई. टी. एन. एस.-----

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के अधीर सचना

भारत सरकार

बार्यालय, सहायक आयकर आयकत (निरक्षिण)
 श्रुकेन रेज-I, नदे दिल्लो
 नई दिल्ली, दिनाक 8 जनवरी 1985
 निदेश स० ग्राई० ए० सो०/□३पू०/1/एस-ग्रार-3/584/211—श्रुत मुझे, सुझीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिस्का उचित बाजार मूल्य 25,000/- रा से अधिक है

श्रीर जिसकी स० कृषि भूमि हे तथा जो ग्राम कर्पाशेडा, नई दिल्ली, में स्थित है (श्रीर हमने उनाबद्ध अनुसूचा में पूर्व हर से विणत है), रजिस्ट्रोकर्ता ग्राधिकारी के कार्याचय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रोकरण ग्राधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्राधीन, दिनाँक मई, 1984,

को पूर्वोक्षत सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दश्यमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्षत सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रक प्रतिशा से अधिक है और अतरक (अंतरको) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्निलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तिक रूप से किथत नहीं किया गया है:—

- (क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दर्भ के अलरक के दायित्व मं कभी करने या उसम बचने में सृविधा के लिए; और/या

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण भं, मे, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्निलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- (1) श्रो रामधन, श्रिनवासी—-ग्राम -कपाशेडा, नई दिल्ली । (ग्रन्तरक)
- (2) एस० एस० एस० अवलक, लोहाना सिंह अवलक, हारा अवार्नी श्री क्वपाल सिंह। निवासी—70-71, साउथ पटेल नगर, नई दिल्ली।

(ग्रन्तरिती)

को यह सुचना जारी करके पूबाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए अयबाहिया शुरू करता हूं।

उक्त सम्पन्ति के अर्जन के सम्बन्ध म कोई भी बाक्षेप :--

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब सं 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वना की तामील स 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हों, के भीतर प्रवेक्ति व्यक्ति साम में क्लिंग न्याप्त द्वारा,
- (ख) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख स 15 दि के मीतर कि स्थादर सम्पात्त में हितबदश जिमी जन्म व्यक्ति द्वारा त्रधाहस्ताक्षरी के पास लिखा म विस्त जनसङ्ग्रा

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त जीविनियम के अन्याय 20-क में परिभाषित हां, वहीं अर्थ हागा जो उस अध्याय में दिया गया है।

मन्स्ची

कृषि भूमि तादादी 33 विघे ग्रौर 12 विश्वे, ग्राम-कपाशेड़ा, तहसील, महरौली, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक प्रायकर भ्रग्युक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज-1 दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 8-1-1985

प्रक्म बाह् . दी . एन . एस . ------

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-थ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकाड

कार्यालय, सहायक गायकर गायकत (निरक्षिण)

भ्रजीन रेंज-1, नई दिल्ली नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 1985 निदेश सं० ग्राई० ए० सी०/एनयू०/1/एस-ग्रार-3/5-84/206--भ्रतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उकत अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रा. से अधिक हैं

स्रौर जिसकी सं० 42-बी/21, है तथा जो ह्नुमान लेन, नई दिल्ली, में स्थित है (स्रौर इससे उपाबद अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय र्राजस्ट्रीकरण स्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के स्रधीन दिनाक मई-1984,

को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उधित बाजार मृस्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मृझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित बाजार मृस्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण कि बित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुइ किसी आय की वावत, उक्त अधिनियम को अधीन कार दोने को अन्तरक को दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मृविधा के बिए; बोए/बा
- (क) एसी किसी जाय या किसी धन या अन्य आस्तियां को, जिन्ही भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उनत अधिनियम, धा भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्यारा प्रकट नहीं किया स्या था या किया जाना चाहिए था, कियाने में व्याशा के लिए;

अतः अव, उक्ते अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :---

- (1)श्रीमती कलावती पत्नी स्व० जय नरायण, निवासी—सी-152 जनकपुरी, नई दिल्ली । (ग्रन्तरक)
- (2) में ० डी० के ० जी० फाइनान्स फण्ड चिट फण्ड प्रा० लि० जी-56-प्रीन पार्क, नई दिल्ली, द्वारा डायरेक्टर श्री के ० जी० नैयर।

(भ्रन्तरिती)

को कह बुजना जाडी करके पूर्वों कर सम्पत्ति की धर्णन को विषय कार्यवाहियां करता हूं।

उन कम्पोल की स्पन्य सम्बन्ध में कोई भी बास्रेप :---

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी ह है 45 दिन की जबिध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर स्वान की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्रविकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति ;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की शारीक बैं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बव्ध । कसी अन्य व्याक्ति व्यारा, अधांहरनाक्षरी के पास निवित में किए बा सकेंगे।

स्पच्छीकरणः — इसमें प्रयूक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया

प्रनुभूवी

मकान नं 42-बी, प्लाट नं 21, ब्लाक नं 127, सादादी 180.05 वर्गगज, हनुमान लेन, नई दिल्ली ।

> सुधीय चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (ानरीक्षण) ग्रर्जनरेंज→1 दिल्ली, नई दिल्ली—110002

2-1-1985

प्ररूप बाई. टी. एन एस. ----

कायकः अभिनियमः, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व्र (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यांतय, सहायक आयकर आयुक्त (निर्रोक्षण)
श्रर्जन रेंज-1, नई दिल्ली
नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी 1985
निदेश सं० भाई० ए० सीं०/एक्यू०/1/एस-अर-3/5-84/

180--- मतः मुझे, सूधीर चन्द्रा,

क्ष्म्यकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसं इसभी इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रा. से अधिक है

धौर जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम-गराइपुर, नई दिल्ली में स्थित है (भौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रिजस्ट्रीकर्ती ग्रधिकारी के कार्यालय, दिल्लो में भारतीय रिजस्ट्री-करण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन दिनांक मई 1984,

- की प्वाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृस्य से कम के दश्यमान इतिफल के लिए अन्तरित की गईं है और मूझे यह विश्वास सद्धने का कारण है कि यथाप्वेंक्त सम्पत्ति का उचित बाजार पृस्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दश्यमान प्रतिफल का कि प्रतिकत से अधिक है और अंतरिक (अंतरिकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तथ याया गया प्रतिक का निम्नलिखित उद्वेष्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तिवक क्य से कथित नहीं किया गया है है—
 - (क) सन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम को अधीन कर धेने के अन्तरक के अधित में कमी करने या उससे बचने में सूविधा के लिए: अदि/वा
 - (च) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज- वर्ष अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था सा किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के नियह;

भारतः सका, उसतः विधिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण कां, मी, छक्त विधिनियम की भारा 269-च की उपधारा (१) के अभीन, निम्निविधित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- (1) श्री ईश्वर चन्द्र गादी सुरुत्र स्व० श्री मेव राज गा**दी,** निवासी——ई- 151, ईस्ट घॉफ कैवाश, नई दिस्ली। (ग्रन्तरक)
- (2) वेद प्रकाश, राजिन्दर प्रकाश, श्रा तीलोक चन्द, सुपुत्रगण श्री दथा राम निवासी----ग्राम-गदाईपुर, नई दिल्ली । (भन्दरिती)

को यह सृचना जारी करके पूर्वीक्त सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील सं 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्ट . व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितसक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिसित में किए जा सर्कोंगे।

स्पर्काकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्वो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित ही, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि तादादी 24 बिघे और खसेरा नं॰ 456 (4–16), 457 (4–16), 458 (4–16), 459 (4–16), 460 4–16), ट्यूब वेल, चहार दीवारी ग्राम-गदाईपुर, तहसील-महरौली, नई विल्ली ।

सुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-1 दिल्ली, नई विल्ली-110002

ादनांक : 9-1-85

मोह्य :

प्ररूप आर्इ.टी.एन.एस.-----

आयक्तर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के अधीन सूचना

भारत ब्रकाह

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण) ग्रर्जन रेज-1, नई दिल्ली नई दिल्ली, दिनांक 8 जनवरी 1985 निदेश सं० ग्राई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस-ग्रार-3/5-84/179--ग्रत: मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पर्भात् 'उक्त अभिनियम' कहा गया है), की धारा 269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका जिचत बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

ग्रीर जिसकी सं र कृषि भूमि है तथा जो ग्राम-बिजवाशन, मिहरौली नई दिल्ली में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में पूर्ण रूप से विणत है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, दिल्ली रिजस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, दिनांक मई, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृल्य से कम के रूरयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मृभ्ने यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे रूपमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के वीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्दर्य से उक्त अन्तरण लिकित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) बन्तरण से हुई किसी बाब की बाबत, सक्त बिधिनियम के अधीन कर दोने के बन्तरक कें दायिक्ष में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के भन्ना; बार/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तिरित व्यारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूविधा के लिए;

(1) श्रीमती सनीन्दरजित कौर रंधावा सुपुत्र श्री मेजर गुरबीर सिह निवासी—-ग्राम-नवाब नगर, पो० दाराव, जिला-नैनीताल, द्वारा ग्रटानी लेप० करनल जी० एस० रंधावा,

(ग्रन्तरक)

(2) श्रडवीद भु, श्रीमती कमला शर्मा श्रौर सुनिल भु. निवासी-सी-23, साउथ एक्सटेशन-2, नई दिल्ली।

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्मित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के वर्षन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बच्ध किसी जन्म क्यक्ति द्वारा, अधाहस्ताक्ष्णी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्यों का, जो ज़क्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

जनुसूची

कृषि भूमि तादादी 13 बिघे श्रौर 18 व्यक्ते. मुस्तातील नं० 57, किला नं० 20 (2-5), दक्षिणो भाग, 21(4-9), मुम्तातील नं० 58, किला नं० 25(4-16), 1/2 विक्षणो भाग, 16(2-8), ग्राम बिजवाशन, तहमील-महरौली, नई दिल्ली। मुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी महायक श्रायकर श्रायुक्त (निराक्षण) श्रजीन रेंज-1, दिल्ली, नई, दिन्ली-110002

दिनाक : ६−1−85

THE PROPERTY OF THE COMMENTERS

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सुधना

भाराप महस्याप

कार्यात्वयः सहायाः शदकर आयुक्तः (निरीक्षण)
श्रर्जन रेज- । नई दिल्ली
नई दिल्ली, दिना 5 जनवरी 1985
निदेश स० शाई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस-ग्रार-3/5-

७ त्वर बाधानस्य, 1931 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चाए 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थानर स्परित, जिसका उचित बाजार मूज्य 25,000/- रुक्त से अधिक हो

श्रौर जिसको स० नवाब अली, तिल्डिंग है तथा जो कनाट प्लेस, नई बल्लो में स्थित है (श्रौर इससे उपाबड श्रनुसूच। में पूर्ण हप से विणित है), राजस्ट्राकर्ता श्राधकारों के कार्यालय, दिल्ली में भे भारतीय रिजस्ट्रीकरण श्रिधिनयम 1908 (1908 का 16) के श्रधीन दिनाक मई, 1984,

को प्योंका स्थाति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान प्रतिक्ष कर्त का लिए कि साम्योंकित की गर्ज है और मुखे यह विश्वास करने का कारण है कि साम्योंकित समिति का उचित बाजार मूल्य उसर हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत स अधिक ही और अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरिती (अन्तरितिगों) के दीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निर्मितिगों के दीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निर्मितिगों के दीच हिसा से उसत अन्तरण लिखित में वास्तविक स्प स कथित नहीं किया गया है.---

- (क) अन्तरण संहुष्टं किसी बाब की बाबस, उनस निकास की अधीन कर दी के सम्बद्ध के सामित्व में कमी कारने मा उत्तर, बचने में सुविधा को श्लाह, और/बा
- (छ) एरी किया आग या किसी धन या अन्य आस्तियों करों, जिन्हों भगरतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त अधिनियम या बन-कर अधिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनार्थ अन्तिरिती व्यारा प्रकट नहीं किया गया था था किया आना चाहिए था, छिपान में सुविधा के लिए;

अत अव. उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) क प्रधीन, निम्निर्मिक्त व्यक्तियों, अधीत :--- (1) श्री दिवान तेलन, चमन लाल, निवन प्रकाश लाल राहुल लाल, शाम लाल, मनजित कौर शामलाल साहनी, कृष्णा नन्दा, बीना राम लाल, द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली।

(भ्रन्तरक)

(2) रनवेल इण्डिया प्रा० लि० बी--54, कनाट प्सेस नई दिल्ली द्वारा, मैनेजिंग डाइरेक्टर श्री श्रोम प्रकाश ।

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी कारके पृथिति सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हु।

सक्त सम्पत्नि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आश्रोप:---

- (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारी हैं से 45 दिन की अविधिया तत्सवधी व्यक्तियों पर स्वा की तामील में 30 दिन की अविधि, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कर श्वित्तयों में से किसी व्यक्ति ब्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्परित में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति इवारा अधोहस्ताक्षरी के पास निक्ति में किए जा सकेग ।

स्थव्हीकरण :--इसमें प्रयानित कच्छा और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित ही, अही अधि होना जो उस अध्याय में दिया गया ही।

अनुसूची

प्रोपर्टी नवाब भ्रली बिल्डिंग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली तादादी 903 वर्गगंज ।

> सुधीर **चन्द्रा** सं<mark>क्षम प्राधिकारी</mark> सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-1 दिल्ली, नई दिल्ली-110002

तारीख 5-1-1985 मोहर: प्ररूप बाई. टी. एन. एस.-----

अध्यकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक अायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1 नई दिल्ली नई दिल्ली दिनांक 7 जनवरी 1985 निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस-आर-3/5-84/170-अतः मुझे सुधीर चन्द्रा अायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसं इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा

इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारों को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/-रा. से अधिक हैं

ग्रौर जिसके। सं० ई-8 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-2 नई दिल्ली में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालयं दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक मई 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिवक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) बन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सृविधा के लिए; और/या
- (ख) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों कार् जिन्हें भारतीय आधकर अध्यानयम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए;

नत: अन, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अभीन, निम्निलिखत व्यक्तियों, अर्थात् :----

- (1) श्रीमती निर्मला मल्होता निवासी—87 ग्रेटर कैलाश-1 नई दिल्ला । (अन्तरक)
- (2) श्री रविन्दर सिंह निवासी——ई-8 ग्रेटर कैलाश-1 नई दिल्ला । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकरी।

स्पष्टोकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

war an wall

प्रो० नं० ई-8 ग्रेटर कैलाश-1 नई दिल्ली ।

मुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-II दिल्ली नई दिल्ली-110002

दिनांक: 7-1-85

प्ररूप भार्व .दी .एन ..एस .. --------

जायकर अधितियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व (1) के जधीन सुचना

भाइत सरका

कार्यालय, सहाज्ञक जायकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-1 नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एनयू०/1/एस-आर-3/5-84/169-अतः मुझे सुधीर चन्द्रा भागकर बाँधनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम'। कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रु. से अधिक हैं ग्रीर जिसकी सं० ई-438 है तथा जो ग्रेटर कैलाम-2 नई दिल्ली में स्थित है (ग्रीर अपने उपाबद अनुसक्त में पूर्व हुए से वांगत

अरि।जसका स० ६-438 ह तथा जा प्रटर कला जा-2 न ह । दल्ला में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूचा में पूर्व रूप से वर्णित है) रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारों के कार्यालय दिल्ला में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक मई 1984

की प्रशेषित सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के ध्रयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मृत्रे यह विश्वास करने का कारण है कि मधापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, ऐसे ध्र्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरित (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया इतिफल, निम्निशिवत उद्वेदय से उक्त अन्तरण लिखित में अस्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है हि—

- (क) बन्तरण से हुइ किसी बाय की बाबत उक्त अधि-नियम के अधीन कर दोने के बंतरक के दायित्य में कमी करने या उससे बचने में तुर्तिका के लिए; बौर/या
- (ख) ऐसी किसी बाय या किसी भन या अन्य आस्तियों की, जिल्हें भारतीय आय-कर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भन-कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अस्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जम्मा आहिए था, जिमाने में ब्रिया की जिल्ह;

अतः जब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण भें, भें, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) इं वधीन, निस्तिशिक व्यक्तिश्वों, अर्थात क्र—

- (1) श्रो आदित्य पंडित सुपुत्र श्रो सी० एस० पेंडित निवासी—एफ-32 ग्रीन पार्क नई दिल्ली (अन्तरक)
- (2) श्री सूरज गोपलाना ग्रीर श्रामती देवो गोपलानी निवामी—ई-438 ग्रेटर कैलाग-2 नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना बारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अवर्षन के लिए कार्यवाहियां करता हु"।

उक्त सम्परित के अर्जन सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी से 45 दिन की अवधि या तत्मम्बन्धी ज्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, आे भी अवधि धाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में शे किसी व्यक्ति द्वारा,
- (ख) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन को भीतर उक्त राजर संपरित में हिंस- बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में फिए जे महारेंगे।

स्पष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त कब्दी और वर्त का. आं उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगा जो उस अध्याय में दिया गया हैं: यस हैं।

वन्स्ची

प्रो० नं० ई-438 ग्रेटर कैलाश-2 नई दिल्ली तादादी-160 वर्गफीट ।

> मुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-1 दिल्ली नई दिल्ली-110002

दिनांक: 7-1-85

प्ररूप आइ रे.टी. एन. एस. ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक वायकर वायुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 1984

निदेण म० राज०/महा० आ० अर्जन/2511—अतः मुझे, मोहन सिंह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बानार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक हैं

म्रीर जिसकी स० क्वार्टर न० 6 का भाग है तथा जो जोधपुर में स्थित है (भ्रौर इससे उपाबड़ जनुगूब: में भ्रौर पूर्ण रूप से विणित है) रिजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यात्रय जोयपुर में रिजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 तम 16) के अधीन दिनाक 3 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गईं और मूझे यह निश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके ध्रयमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पामा गया प्रतिफल, निम्निलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई िकसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सृविधा के लिए; और/या
- (च) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए;

जतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मै, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्मतिवित व्यक्तियों, अर्थात् ः~- (1) श्रीसती सुजाता पत्नि श्री मुन्दरदास सिधी 5वां रोड सरवारपुरा जोधपुर ।

(अन्तरक)

(2) श्री अशोक कुमार पुत्र श्रा भगवानदास महेश्वरी नियौजन कार्यालय के सामने ट्रग्ट पोली ग्राउण्ड जोधपुर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना नारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियों सूक करता हुं।

उनत सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारील से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधाहस्ताक्षरी के पास लिकित में किए जा सकेगे।

स्पष्टीकरणः — इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-नियम के अध्याय 20-क में परिभाष्टित हैं, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया हैं।

वन्स्ची

न्यार्टर तं० 6 का भाग विक्ति रोड, सरदारपुरा, जोधपुर जो उप पंजियक, जोधपुर द्वारा क्रम मंख्या 947, दिनाक 3 अप्रैल 1984 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्न में ग्रॉप्ट विस्तृत रूप से विवरणित है ।

> मोहन सिंह मक्षम प्राधिकारी महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज जयपूर;

दिनांक . 14-12-1984

इक्स नाइर्ड, ब्रीट एन , ६व

भारकर अभिनियस, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-च (1) के स्भीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक जायकर आयुक्त (निरक्षिण) अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनाक 14 दिसम्बर 1984

आदेश सं० : राज० सहा० आ० अर्जन/2512---अतः मुझे, मोहन [सन्

नामकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी की, यह विश्वात करने का कारफ है कि स्थायर संपत्ति, जिसका उचित साबार मृस्व 25,000/-रु से अधिक है

ग्रीर जिसको सं० क्वाटर नं० 86 का भाग है तथा जो जोधपुर में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूचा में ग्रीर पूर्ण स्प से बर्णित है) रिजच्डाकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में रिजस्ट्री-करण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधान दिनांक 8-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य स कम के दशामान बित्रफल के लिए अन्तरित की गर्द है और मुफ्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त समपत्ति का उचित बाजार मूल्य, असके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह् बित्रात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरित्यों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-कम् निम्मनिचित्र उद्देश्य से उच्त अन्तरण कि बित्र में बास्तिक कम् सिम्मनिचित्र उद्देश्य से उच्त अन्तरण कि बित्र में बास्तिक कम् से कि थिस नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुद किसी जाव की वावत, अवत विश्वतिषम् के श्वीन कर बोने के जन्त्रक के वायित्व में कभी करने या उससे वचने में सुविभा के सिए; शौर/या
- (क) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उन्त प्रीधिनयम, या धन-कर विधिनयम, 1957 (1957 का 27) वं प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गवा था वा किया जाना वाहिए था, कियाने वें सृतिथा के लिए;

जतः अव उक्त विधिनियम की भारा 269-ग की जन्तरक भो, मो, उपत अधिनियम की धारा 269-घ की उपभारा (1) को वधीन, जिम्निसिस व्यक्तियों, वधीत् ध— (1) श्रोमनो मुजाता पत्नि श्री सुन्दरवास सिधी 5वा को रोष्ट सरदारपुरा जोधपुर ।

(अन्तरक)

(*2) श्री विजय कुमार पुत्र श्री भगवानदाम महेण्वरी नियोजन कार्यातय के सामन पोलो ग्राउण्ड फर्स्ट जोधपुर ।

(अन्तरिर्ता)

का यह सूचना जारी करके पृवाँकत सम्परित के वर्षन के निष् कार्यवाहियां करता हुं।

डबत सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी जाक्षेप:--

- (क) इस सृचना ह राजपत्र मा प्रकाशन की तारीब से 45 वित्र की अविधि या तरसम्बन्धी व्यक्तिकाँ पुत्र सूचना की तामील से 30 वित्र की स्वधि, को भी दविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों का स्वधित या में स किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना कं राजपत्र मा प्रकाशन को तारीख से 45 दिन के भीतर उच्त स्थानर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य स्थानर प्रमास को पाड़ किसी अन्य स्थानत प्राप्ता अधोहस्ताक्षरी के पाड़ किसी को में किए जा सकोंगे।

स्पन्धीकरणः ----इसमें त्रमुक्त सन्धी और वर्षों का, औ उपन् अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभावित हैं, वहीं अर्थ होगा जा उस अध्याय में दिया मुबा हैं।

वम्सूची

क्वार्टर न० 6 का भाग भी रोड सरदारपुरा जोधपुर जो उप पजियक जोधपुर द्वारा क्रम संध्या 948 दिनांक 3 अप्रैल 1984 पर पजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित हैं।

> मोहन सिंह सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज् जयपुर

विनांक : 14-12-1984

मोहर 🛭

प्रकप कार्ष् . टी . एन . एस . ------

शायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व (1) के अधीन स्थन।

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक कायकार भागुक्त (निरक्षिण)

अर्जन रेज, जयपुर

जयपूर, दिना ह 14 दिसम्बर 1984

आदेश सं० राज०/पहा० आ० धर्जन/2513---अतः मुझे, मोहन सिष्ठ

शायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपन्ति, जिसका जिसका जीवन भाजार मूल्य 25,000/-र से प्रधिक है

श्रीर जिसकी संव मिन है तथा जो जोधपुर में स्थित है (श्रीर इससे उपबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण व्या से विणित है) रिजस्ट्रीकर्ता अधिकरी के कार्यालय जोधपुर में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधान, दिनाक 19-4-1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरिस की गर्द है और मूं में यह विक्शास क रने का कारण है कि यथाप्योंक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिश्रत अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरिती (अन्तरित्यो) के श्रीच एसे अन्तरण के लिए त्य पाया गया प्रतिभाव, निम्निर्मित उद्दश्य से उच्त अन्तरण मिचित में बास्तविक क्य से कथित नहीं किया गया है —

- (क) जन्तरण से हुइ किसी जाय की वाबता, अकत जिभिनियम के जधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (क) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिनी क्वारा किंग नहीं किया गया था या किया जाना चास्तिए या अख्याने में स्विधा के लिए।

अतः अबं, उक्त अधिनियम की धारा 269-भ के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-भ की उपधारा (1) के अधीन, निम्निसिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-----

(1) श्री उदाराम पुत्र श्री बाजा राम कुम्हार,
 वी व सा राष्ट्र के बीच ,
 सरदारपुरा, जीधपुर ।

(अन्तरक)

(2) श्री लाताधर पुत्र श्री करनमल जैन, बडेर हाउस, नामरा सी रोड, मरदारपुरा, जोधपुर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपरित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस है 45 दिन का अविधिया तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील स 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियां में से किमी व्यक्ति बुवारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावण सम्पत्ति में हितबद्धभ किसी अन्य व्यक्ति व्यारा अभोहस्ताक्षरी के शास निकास में किए जा सकेंग।

स्पष्टीकरणः—-इसमे प्रयुक्त शन्त नेर पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषिक हीं, वहीं अर्थ होगा जो जस अध्याय में दिया गया हैं।

श्रन्सूची

खेम का कुआ के पास, पाल रोड पर स्थित जमीन जो उप-पंजियक, जोधपुर हारा कम संख्या 1067 दिनांक 19-4-84 पर पंजियत विकास पत्र में और विस्तृत रूप में विवरणित है ।

> मोहन सिह सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख: 14--12-1984

मोहर .

प्ररूप नाइ.टी.एन.एस. -----

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के मधीन तुमना

भारत **तरकार**

कार्यालय, महायक **बायकर बायक्त (निरीक्षण)** अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 1984

आदेश सं० राज०/सहा० आ० अर्जन/2514—-अतः मुझे, मोहन सिंह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है, की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी की यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपरित, जिसका हिना बाजार मृत्य 25.000/-रु. से अधिक है

25.000/-रु. स आधक हैं

और जिसकी सं० भूमि है तथा जो जोधपुर में स्थित है (और इमसे उपबद्ध अनुभूवी में और पूर्ण रूप से यिणत है) रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में, रिजस्ट्रीकरण अधिकियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, विनांक 19 अप्रैल, 1984 को पर्योवन संपत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मृझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मृत्य, उन्मके दश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल के पन्तर प्रतिकात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिबित उच्चेष्य से उन्तर अन्तरण निम्नलिबत से वास्तरित स्था गया हैं:—

- (कं) अन्तरण से हुई किसी बाव की बावत, सक्त अधि-नियम के अधीन कर देनेके अन्तरक के दायित्य में कमी करने वा उत्तसे वचने में सुविधा के सिए; जौर/या
- (स) ऐसी किसी आय या किसी भन वा बन्य शास्तियीं को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उसत अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था रा किया जाना चाहिए वा, कियाने में सुविधा के लिए:

अत. अब उक्त अधिनियम की धारा 269-म को अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) क अधान, निम्होलिखित व्यक्तियों, अर्थ तुः— (1) श्री सूरजराज पुत्र श्री सम्परम मुख्तार आम श्री राम लाल पुत श्री टीकमदास कुम्हार निवासी बी व सी राड के बीच सरदारपुरा, जोधपुर ।

(अन्तरक)

(2) श्री लीलाधर पुत्र श्री करनमल जैन, बहेर हाउम, नीयरा सी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर ।

(अन्तरिती)

को यह स्थान जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्थन के सिए कार्यवाहियां शुरू करता हुए।

उन्तर सम्परित के अर्जन के मंबंध में कोई भी बाक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच वें 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सचना की तामील ये 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में नमाप्त होती हो, के भीतर पूर्विक्स व्यक्तियों है से किसी व्यक्ति गुंबारा;
- (ख) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकींगे।

स्यष्टीक रण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, वो उन्तर विधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हाँ, वहीं अर्थ होंगा को उस सध्याय में दिवा गया है।

वनस्य

जमीन स्थित पाल रोड, खेम का कुआ के पास, जो उप पंजियक, जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 1068 दिनांक 19–4–84 पर पंजिबद्ध विक्रय पन्न में ग्रीप किस्तृत रूप से विवरणित है।

> मोहन सिंह सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निशोक्षण) अर्जन रेंज, जयपुर

दिनांक : 1 1--1 2-- 1984 मोहर प्ररूप नार्दः टी. एन. एतः: -----

भागकर निभितियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के न्थीन त्याना

मारत सरकार

कार्यासय, सङ्घायक जायकर भागुक्त (विरोक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 1984

आदेश सं० राज०/सहा० आ० अर्जन/2515—अतः मुझे, मोहन सिंह,

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (विसं इतयें इसके परभात् 'उकत अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-क के अधीन सक्षम प्राधिकारों को यह विद्यात करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, विज्ञका अधित बाजार मुख्य 25,000/- रह. से अधिक हैं

- (क) अन्तरण से हुइ किसी जाय का बाबत, उक्त प्रीयिश्वय के न्दीन कर देने के अन्तरक के वाक्तिय में कनी कहने या उन्हें न्यन में सुनिया के शिक्; क्षेत्र/या
- (क) एंती किसी जाय वा किसी धन या जम्य आस्तिज्ञों को, किन्हें भारतीय जाय-कर जीवनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, बा धन-कर जीधिनियम, बा धन-कर जीधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोधनार्थ जंतरिती इंबारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना जाहिए था, खिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अतः अवतः अभिनियम की भारा 269-प को जन्तरभ मों, में, उकत अभिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अभीन, निम्नितिश्विस व्यक्तिमों, अभीत् :—-49--426 GI/84 (1) श्री सूरजराज पुत्न श्री सम्पतराम मुख्तार आम श्री रामलाल पुत्र श्री टीकमदास कुम्हार, बी व सी रोड के बीच सरदारपुरा, जोधपुर ।

(अन्तरक)

(2) श्री लीलाधर पुत्र श्री करनमल जैंन, बंडेर हाउस, तीसरा सी रोड, जोधपुर । (अन्तरिती)

को यह स्थाना जारी करको पूर्वोक्त सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त रुष्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन की अविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, अरे और जनिध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ब्यारा.
- (च) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीय वे 45 दिन के भीतर उक्त स्थानर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी जन्म व्यक्ति द्वारा अधेहस्ताक्षरी के जास निस्तित में निस्त्र जा सकों ने ।

स्वकाकरणः -- इत्तर्मे प्रमुक्तः, शब्दां बीर पक्षे का, श्री स्वक्ष्यं जीवनियमः, से संभाग 20-क में परिवादिष्ट हाँ, नहीं अर्थ क्षेत्रा यो उत्त अभ्यास् में द्वेदवा गया हाँ।

अनुसूची

खेम का कुआ के पास पाल रोड पर स्थित अभीन जो उप-पंजियक, जोधपुर द्वारा कम संख्या 1069 दिनांक 18 अप्रैंल, 1984 पर पंजिबद्ध विकथ पत्न में ग्रौर विस्तृत रूप से विवरणित है।

> मोहन सिंह सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अजंन रेंज, जयपुर

दिनांक: 14-12-1984

HAM ALL HA BEEN MANAGEMENT

जावकर मधिर्नेतवन, 1961 (1961 का 43) भी भारा 269-भ (1) भी मुचीन सूचना

भारत तरकार

कार्यातव, तहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, अयपुर

जयपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 1984

मिदेश सं० राजा०/सहा० आ० अर्जन/2516—अतः मुझे, मोहन सिंह,

बावकर विधितियमं, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात् 'उक्त विधितियमं कहा गया हैं), की धारा 269-स के बधीन, सक्षम प्राधिकारी की यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावत संपरित, जिसका उचित वाजार मूल्य 25,000/- रा. से विधिक हैं

मीर जिसकी सं० प्लाट नं० 7 है तथा जो जोधपुर में स्थित है (भ्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में भ्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है) रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जोधपुर में, रिजस्ट्रीकण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, धिनांक 5 अप्रैल, 1984,

को पूर्वोक्त संपरित के उचित बाजार मृत्य से काम के जावजात प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मृत्रे यह विश्वात करने का कारण है कि वधापूर्वोक्त कम्पत्ति को उचित बाजार मृत्य, उसके दरयमान प्रतिफ स से, एसे दरवमान प्रतिफ न का चंद्रह प्रतिसत से अधिक है और अंतरक (बंतरकों) और बंतरिती (बंतरितियों के बीच एसे बंतरण के सिए तम पाया गवा प्रति-कत निम्नसिचित उद्वदेश से उसत बंतरण लिखित में गास्तर्मिक कम से कियत नहीं किया गया है:—

- (क) सम्बद्धिय में हुई कियाँ नाय की वान्त्, उपस् वाचित्रिय में समीद कर दोने में बच्चाइक में सावित्य में सभी करने ना बच्चते वचने में सुनिया में दिवस; मोह/वा
- (क) एसी किसी जाव या किसी भन या अन्य जास्तिवों को, जिल्हें भारतीय जाय-कर जीभनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त विभिनियम या भन-कर सभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रसाजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, स्थिपने में सुविभा

अतः अध उपतां जिभिनियमं की भारा 269-य के अनुसरण कों, कीं, उक्त अभिनियम की भारा 269-य की उपभारा (1) को अभीन, निक्निलिखिल, व्यक्तियों, अर्थात् उ— (1) श्री राम निवास पुत्र श्री उदय किणन जी सोनी महामंदिर जोधपूर ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती कमलो पत्नि श्री हरि प्रमाद जी चौधरी, वैंद्य, रामा की प्याउको पास, महामन्दिर, जोधपुर ।

(अन्त(रती)

को वह क्षमा बादी करके पूर्वोक्त तस्परित के नर्भन् के तिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त बन्धींस के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी जाओंब :---

- (क) इस बूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीश से 45 दिन की श्रविभ मा तत्त्रम्बर्गी व्यक्तियों पर सूचना की ताथीश से 30 दिन की नविभ, जो भी जबीप बाद में समाध्य होती हो, के भीतर पूर्वोक्त स्वीक्तवों में से किसी व्यक्ति व्यक्ति;
- (ज) इस सूचना के रावपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन के भीतर उथत स्थानर संपत्ति में हित्तनक्ष्य किसी जन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पान निवित में किए ना सर्वोगे।

स्वचीकरणः --- इसमें प्रयुक्त कन्दों भीर पदों का, जो वक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभावित ही, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया नवा ही।

मन्सूनी

प्लाट नं० 7, महामन्दिर, रामा की प्याउ, के पास, जोधपुर जो उप-पंजियक, जोधर द्वारा कम संख्या 975 दिनांक 5 अप्रैंल 1984 पर पंजिबद्ध विकथ पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

> मोहन सिंह सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्ष्ण) अर्जन रेंज, जयपुर

विनांक : 14-12-1984

१७५ अहि वाँ प्रस्तात एस ... - - - ----

नावकद्व विभिनियम्, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के संधीन सुचना

भारत तरकार

कार्यालय, सहायक शायकर शायुक्त (निरीक्षक) अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, विनांक 14 दिसम्बर 1984

निर्देण सं० राजा०/सहा० आ० अर्जन/2517---अतः मुझे मोहन सिंह,

वामकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके परजात 'उसत अधिनियम' कहा गया है), की भाष 269-व के अधीन सक्षत्र प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिस्का उचित वाजार सूक्य 25,000/-क. से अधिक हैं

श्रीर जिसकी सं० प्लाट नं० 7 है तथा जो जोधपुर में स्थित हैं (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित हैं), रिजस्ट्रीकर्सा अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, विनाक 6 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्मत्ति के उणित बाजार मृत्य से कम के क्यमान प्रतिफल् के लिए अन्तरित की गई है और मुफ्ते यह निश्वात करन का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्मत्ति का उणित बाजार मृत्य,, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे क्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के सिए तय पाया गया प्रतिकल निम्नलिक्ति उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिशिक में वास्तिक रूप से कथित नहीं किया गर्या है है—

- (क) बन्तरूप से हुवं किसी बाव की बावस, उथस अभिनियम को अभीत कहा दोने के अन्तरक की यानित्य में कती करने या उसके बचने में सुन्तिमा के लिए; और/या
- (ब) एसे किसी आय या किसी भन वा अन्व आस्तियों को, जिन्हों भारतीय जायकर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम, वा भनकर अभिनियम, वा भनकर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्याद्य प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिषाने में स्वीवभा के लिए;

भवा भव , उक्त मधिनियम की भारा 269-व के मनुबरण में , में , उक्त मधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के मधीन , निम्नतिश्वित स्व्यिक्यों , अर्थात् हु--- (1) श्री राम निवास पुत्र श्री उदय किशनजी सोनी, महामंदिर, जोधपुर ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती कमला पत्नि श्री हरि प्रसाद जी चौधरी वैंख, रामा की प्याऊ के पास, महामंदिर जोधपुर।

(अन्तरिती)

का यह त्वना कारी करके पूर्वोक्त सम्बुत्ति के बूर्वन के हैंन्छ कार्यशाहियां सुक करता हुई ।

उनत सम्पृत्ति को वर्णन की सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप :---

- (क) इस स्वना के राजपत्र में श्रकाशन की तारीय वे 45 विन की जबिध या तत्सम्बन्धी स्पक्तियों कृत स्वना की तामील से 30 दिन की जबिध, को भी जबिध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स स्वक्तियों में से किसी स्पनिस इकार्ड;
- (क) इस स्वाना के राजपण में प्रकाशन की तारीक के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकंगे।

स्पष्टीकरण: — इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्स अधिनियम, के अध्याय 20 क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

बन्द्र्यो

प्लाट नं० 7, महामंदिर रामा की प्याऊ के पास, जोधपुर जो उप पंजीयक, जोधपुर द्वारा कम संख्या 978 दिनांक 6 अप्रैल 1984 पर पंजीबद्धविकय पत्र में धीर विस्तृत रूप से विवरणित है।

> मोहन सिंह, सक्षम प्राधिकारी, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, जयपुर

दिनांक: 14-12-1984

मोहर 🖫

प्रकल बाह्य, टी., एतः इषः ------

स्रापकर विधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भाष 269-च (1) के नंभीत सूचना

भारत बंदकार

कांचलिय, बहायक नायकर नामुक्त (निर्दाक्षण)

अर्जन रेंज, जयपूर

जयपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० राज०/सहा० आ० अर्जन/2518—अतः मुझे, मोहन सिंह,

शायकर निधितियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इतनें इसके पश्चात् 'उक्त निधितियम' कहा गया हैं), जो कि भारा 269-ख को अधीन सक्षम श्रीधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रा. से अधिक हैं

श्रीर जिसकी सं० प्लाट नं० 7 है तथा जो जोधपुर में स्थित है, (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है) रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में, रिजस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 5 अर्पेल 1984

को पूर्वोक्त सम्पति के उणित बाबार मृत्य से कम के दरयमान इतिफल को लिए अन्तरित की नहीं है और मूम्में यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उणित आजार वृष्य, उसके दश्यमान प्रतिकल से एसे दश्यमान प्रतिकल का नन्द्रद् प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के सिए सम पाया क्या प्रतिकल, निम्निस्थित उष्ट्षेश्य से उसल अन्तरण सिखित वा सस्तीयक रूप से कथित नहीं किया गया है है——

- (क) बन्तरण वे हुई किकी नाथ की शावस , उक्त भौधीनयम के बंधीन कर दोने के जन्तरक के दामित्व में कनी करने या उक्क बचने में सविधा के सिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी बाय वा किसी धन वा अन्य आस्तियों को, विन्द्धे भारतीय बाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनिनम, 1957 (1957 का 27) के प्रवोच-नार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया बना था या किया बाना जाहिए था किनाने में सुविधा के तिस्:

अतः अस, उसत निधिनियम् की धारा 269-ग के ननुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ण की उपभारा (1) मैं अधीत, निध्नीजियत स्वतिकर्ती समाज्ञ है— (1) श्री राम निवास पुत्र श्री उदय किणन जी सोनी, महामंदिर, जोधपुर ।

(अन्तरक)

(2) श्री राजेश पुत्र श्री हरी प्रसाद जी, रामा की प्याऊ के पास, जोधपुर।

(अन्तरिती)

को बह भूषना भारी करके पूर्वास्त सम्पत्ति के जर्जन के लिए कार्वधाहियां करता हूं।

उक्स सम्पर्ति को गर्जन को संबंध में कोई भी जाकोप ह---

- (क) इस सूचना के राजपत्र मों प्रकाशन की तारीचा स 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की बनिध, जो भी जविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वेक्स व्यक्तियों भें से फिसी व्यक्ति दुवारा;
- (ब) इस बूचना को राजपण में प्रकाशन की तारीख वें

 45 दिन को भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिलबब्ध
 किसी जन्य व्यक्ति व्वारा जभोहल्ताक्षरी के किस

स्थळीकरणः ----इसमें प्रय्क्त शब्दों और पदों का, जो जक्त जीभीनसम के-अभ्याय 20-क में परिभाषिक हैं, यही अर्थ होगा, जो उत् अभ्याय में जिल्हा गया है।

अपूर्व

प्लाट नं० 7 महामंदिर रामा की प्याऊ के पास, जोधपुर जो उप पंजियक, जोधपुर द्वारा कम संख्या 976 दिनोंक 5 अप्रैल; 1984 पर पंजीबद्ध विकय पत्र में श्रीर विस्तृत रूप से विवरणित है।

> मोहन सिंह, सक्षम प्राधिकारी, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, जयपुर

दिनांक: 14-12-1984

श्रुक्प बाई. टी. एम्. एस.-----

भायकर अधिनियम्, 1961 (1961 का 43) कीं धारा 269-च (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, जयपुर जयपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० राज०/सहा० आ० अर्जन्/2519—अतः मुझे, मोहन सिंह,

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कह्म गया है, की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रह. से अधिक है

स्रीर जिसकी सं० दुकान है तथा जो सरदार शहर में स्थित है, (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में स्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है) रिजस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय सरदार शहर में, रिजस्ट्री-करण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 16 अप्रैल 1984

को प्वोंक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मृत्य से कम के स्थमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि सथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिकृत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्निलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में गस्तिवक क्ष्म से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत उक्त अधि-ग्रेनयम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/बा
- (क) ऐसी किसी बाय या किसी भून या अन्य बास्तियों को, जिन्हें भारतीय बायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर आधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के सिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् ह—

(1) श्री नथूमल सैठिया चैरिटेबल ट्रस्ट, सरदार शहर, चूरू ।

(अन्तरक)

(2) श्री हनुमान प्रसाद पुत्र श्री सावलराम बढ़ोढरा, सरदारशहर, जिला चूरू ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कांई भी आक्षेष:--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारींच है 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियाँ पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियाँ में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (म) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिंत-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अक्षेह्रस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अंनुसूची

अगूणा बाजार, सरदार शहर जिला चुरू में स्थित दुकान जो उप पंजियक, सरदार शहर जिला चुरू द्वारा कम संख्या 418 दिनांक 16-4-84 पर पंजिबद्ध विकय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

> मोहन सिंह, सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, जयपुर

दिनोंक: 14-12-1984

मोहर 🛭

प्ररूप बाहै. टी. एन. एस.----

सायकर सिंधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) से सभीन सूचना

भारत बरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 1984

आदेश सं० राज०/सहा० आ० अर्जन/2520—अतः मुझे, मोहन सिंह,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परधात् 'उक्त अधिनियम' कहा गवा है), की धारा 269-क के अधीन स्क्षम प्राधिकारी को यह निरवास करने का कारण ह' कि स्थानर सुम्पत्ति, जिसका उचित् बाजार मून्य 25,000/- रह. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० दुकान है तथा जो सरदार शहर में स्थित है, (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है) रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सरदार शहर में रिजस्ट्री-करण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 16 अप्रैल 1984

को पूर्वोश्रत सम्पत्ति के उचित बाजार मृस्य से कम के स्वयमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मृश्वे यह विश्वास करने का कारण है कि मथाप्वोंक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृस्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे स्वयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे संतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल का निम्शिलिसित उद्वरेष से उक्त अंतरण लिसित में वास्त-विक रूप से कथित नहीं किया गया है है—

- (क) शंतरण से हुन् किसी बाय की नानए, उनक बीधित्यन के नधीन कुन दोने के नंतरक के बायित्य में कभी करने ना उन्ने बचने में सुनिधा के निए; बीर√मा
- (क) ऐसी किसी बाय या किसी भून या अस्य बास्तियों को, जिल्हें भारतीय आयकर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उत्तत अभिनियम, या भन-कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था वा किया जाना जाहिए था, छिपाने में सृविधा के विष्;

(1) श्री नथमल सेठिया चे रिटेबल ट्रस्ट, सरदार शहर जिला चुरू ।

(अन्तरक)

(2) श्री सांवल राम पुत्र श्री परतूराम बढ़ाक्षरा, निवासी सरदार शहर जिला चुरू ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना बारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के कर्चन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्मत्ति को कर्णन के सम्बन्ध में कीई भी जाश्रप ह---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की सामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त स्थक्तियों में से किसी व्यक्ति बुवारा;
- (ध) इस सूभना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिंत-बद्भ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहरताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पद्धीकरण .— इसम प्रयक्त शब्दों और पदों का, ओ उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषिट ही, वहीं अर्थ होगा, ओ उस अध्याय में दिया गया ही।

अनुसूची

दुकान स्थित अगुणा बाजार, सरदार शहर जिला चुरू जो उप पंजियक, सरदार शहर जिला चुरू द्वारा क्रम संख्या 419 विनांक 16-4-84 पर पंजिबद्ध विकय पन्न मे श्रौर विस्तृत रूप से विवरणित है।

> मोहन सिंह, सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, जयपुर

अतः, अयः, उक्त अभिनियमं की भारा 269-ग के अनुसरण भी, गी उक्त अधिनियमं की भारा 269-म की उपभारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

विनांक: 14-12-1984

मोहर 🤫

प्ररूप बाइ". टी एन. इस.------

भायकर निधिनियम, 1961 (1961 का 43) की बारा 269-थ (1) के मधीन स्वना

भारत तहकार

कार्यालय, सहायक आवकर नायुक्त (निरीक्षण)

म्रर्जन रेंज, जयपुर

जयपूर, विनांक 15 विसम्बर 1984

निर्देश सं० राज०/सहा० म्रा० म्रर्जन/2521—म्रतः मुझॅ, मोहन सिंह,

नावकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसमें वस्तात् 'उन्त निर्मासम' नहा गया हैं), की भारा 269-स से बधीन सक्षम प्राधिकारी की यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाबार मृत्व 25.000/- रा. से अधिक हैं

श्रीर जिसकी सं व्हकान है तथा जो जयपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विणित है) रिजस्ट्रीकर्त्ता श्रीधकारी के कार्यालय जयपुर में, रिजस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, दिनांक 25 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के द्रश्यमान प्रतिफल के लिए बन्तरित की गई है बार बुक्के वह विश्वाद करने का कारण है कि वथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाचार मृत्य, उसके द्रश्यमान प्रतिफल से, ऐसे द्रश्यमान प्रतिफल का बंद्ध प्रतिकात से बिक्क है बीर बंतरक (बंतरकों) बीर बंतरिती (बन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तब बाबा नवा प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तिक रूप से कवित नहीं किया गवा है

- (क्क) बन्तक्रण से हुई किसी जान की बाबद, उस्स अधिनियम के अभीन कर दोने के अन्तरक की धावित्व में कबी करने या सससे बचने में सुविधा के लिए; बीद/वा
- (क) ऐसी किसी आयं या किसी धन या अन्त लास्तिकों को, जिन्हों भारतीय आयकार विधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त जीभनियम, या धन-कर विधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, राक्त विधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) को अधीन, निम्निसिवित व्यक्तियों, अर्थांत् हः— (1) श्री प्रकाश दरीयानी, पुत्र श्री गोविन्द राम, निवासी गोविन्द भवन, एम० श्राई० रोड़, जयपुर।

(भ्रन्तरक)

(2) श्रीमती गीता जयपुरिया, परिन श्री हंसेराज जयपुरिया, बी-9, शिवमार्ग, बनीपार्क, जयपुर।

(ब्रन्तरिती)

का यह स्थना चारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्थन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्बन्धि के कर्जन के संबंध में कोई भी जाक्षेप --

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीय से 45 दिन की संबंधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तासीय से 30 दिन की ववधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति इवारा;
- (क) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीक से 45 दिन के भीतर जक्त स्थानर सम्पत्ति में हिन्न-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिक्ति में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण: ----इसमें प्रयुक्त धन्दों और पदौं का, यो उच्छ अभिनियन के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिवा चवा हैं है

मनुसूची

पुकान स्थित फिल्म कालोनी, चौड़ा रास्ता, जयपुर जो उपपंजियक, जयपुर द्वारा कम संख्या 1105 दिनांक 25-4-84 पर पंजिबद्ध विकथ पत्र में ग्रीर विस्तृत रूप से विवरणित है।

> मोहन सिंह, सक्षम प्राधिकारी सहायक घ्रायकर घ्रायुक्त (निरीक्षण), ग्रर्जन रेंज, जयपुर

दिनांक: 15-12-1984

महिर:

प्ररूप भाइं.टॉ.एन.एस., ------

मायकर मिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के मुधीन स्पना

भारत सहस्रार

कार्यालय, सहायक भायकार मायुक्त (निरीक्षण) भर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिमांक 15 विसम्बर 1984

मिर्देश सं० राज०/सहा० म्रा० म्रर्जन/2522--- म्रतः मुझे, मोहन सिंह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी की यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृज्य 25,000/- रह. से अधिक है

ग्रीर जिसकी सं॰ वुकान है तथा जो जयपुर में स्थित है, (ग्रीर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है) रिजस्ट्रीकर्त्ता ग्रिधकारी के कार्यालय जयपुर में रिजस्ट्रीकरण ग्राधिनियम 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, दिनांक 25 ग्रप्रैल 1984

की पूर्वोक्त संपत्ति के उपित बाजार भूस्य से कम के इसमान प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्परित का उपित बाजार बूस्य उसके इस्यमान प्रतिकल से, एेसे इस्यमान प्रतिकल का पन्त्रह प्रतिशत से अभिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्त-रिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के तिए उस पाया मना प्रतिकल निम्मनिवित्त उद्वोद्य से उस्त अन्तरण विवित्त में बास्तिवक रूप से कथित नहीं हैंकया गया है हि—

- (क) जन्तरण से हुए किसी जाव की वाबत उक्त जीवित्रक के अवीज कर वोने के अन्तरक के शावित्व में कनी करने वा उससे वचने में सुनिधा के किस, अरि/बा
- (क) ऐसी किसी जाय या भन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय जाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या अक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती ब्नारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना जाहिए था. छिपाने में सुविधा की किए;

अतः अव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के अधीन, निम्निलिखित व्यक्तियों, अधीतः—

(1) श्री श्रशोक कुमार दरयानी, पुत्र श्रो गोविन्द राम, निवासो गोविन्द भवन, एम० श्राई० रोड़, जयपुर।

(भ्रन्तरक)

(2) श्रीमती गीता जयपुरिया, परित श्री हंसेराज जयपुरिया, ंप्लाट नं० बी-9, शिवमार्ग, बनीपार्क, जयपुर।

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना वारी करके गृशाँक्त सम्परित के अर्थन के शिक्षण कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के वर्षन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:---

- (क) इस स्वान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर स्वान की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीशर प्रान्त व्यक्तियों में से किसी स्थानस स्वारा.
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 विन के मीतर उक्त स्थानर सम्पत्ति में हितनत्व किसी मन्य व्यक्ति व्याय भ्योहस्ताक्षरी के पास निचित में भिग्न का सर्वोंगे।

स्वक्षीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का, जो उक्त जीधनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया ववा हैं।

नग्सूत्री

दुकान स्थित फिल्म कालोनी, चौड़ा रास्ता, जयपुर जो उप पंजीयक, जयपुरद्वारा क्रम संख्या 1104 विनांक 25-4-84 पर पंजिबद्ध विकय पत्र में भौर विस्तृत रूप से विवरणित है।

> मोहन सिंह सक्षम प्राधिकारी महायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, जयपुर

विनांक: 15-12-1984

मोहर 此

प्ररूप मार्ड. टी, एन. एस.------

भाषकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक जायकर जायुक्त (निरक्षिण) श्रजीन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० जी० आई० आर० संख्या जी-76/एययू०-ग्रन: मुझे, ए० प्रसाद,

अगयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परकात 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारों को, यह विश्वास करने का अपण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका अधित वाजार मृस्य 25,000/- रह. से अधिक हैं

श्रीर जिसकी स० श्राराजी भूमिधरी नं० 947, 955 व 956 है तथा जो छावनी कदोम, परगना—खैराबाद, जिला—सीतापुर में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता श्रिधिकारी के कार्यालय सीतापुर में रजिस्ट्रीकरण श्रिधिनयम, 1908 (1908 का 16) के श्रिधीन, विनांक 18 श्रील 1984

को पृथेकित सम्पत्ति के उणित बाजार मृत्य से कम के दश्यमान प्रतिफन के लिए अन्तरित की गई हैं और मुक्ते यह विश्वास करने के कारण है कि यथापृथांकित संपरित का उणित बाजार मृत्य हसके दश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत से अधिक हैं और अन्तरक (अंतरकों) और अतरिती (अन्तरितियां) के बीच एंसे अन्तरण के लिए तम पाया गया प्रतिफल जिम्नलिवित उष्वेष्य से उक्त अन्तरण लिखित के बास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई िकसी आव की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के साधित्य में कभी करने या उससे बचने में स्विध्य के लिए; बार/बा
- (क) ऐसी किसी नाय या किसी भग या अन्य जारितयों को, जिन्हों भारतीय जाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उकत जिथिनियम या भनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जन्तरिती द्वार प्रकट नहीं किया गया या किया जाना वाहिए था, स्त्रिपाने जे गविधा के सिए;

कतः सब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) के कधीन, निय्निकित व्यक्तियों, वर्षात ग्रन्स 50—426 GI/84 (1) 1. श्री लल्लूराम 2. श्री मुन्नुलाल

(श्रन्तरक)

(2) श्री गुरूनानक सहकारी श्रावास समिति लि०, सीतापुर द्वारा सचिव, श्री गुर चरन सिंह।

(श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हु।

उक्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपण में प्रकाशन की तारीब से 45 बिन की जबिध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की जबिध, जो भी जबिध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कर व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त म्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरण .— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परि-भाषित हैं, वहीं अर्थ होगा. जो उस अध्याय में दिया गया है।

जनसूची

श्राराजी भूमिश्ररी नं० 947 पैमाईसी 25 डिसमिल नं० 955 पैमाईसी 38 डिममिल श्रौर नं० 956 पैमाईसी 30 डिसमिल, टोटल पैमाईसी 93 डिसमिल स्थित छावनी कदीम, परगना-खैराबाद, तहसील श्रौर जिला-सीतापुर, रजि-स्ट्रीकर्सा श्रधिकारी सीतापुर के कार्यालय में दिनांक 18-4-84 को पंजीकरण किया जा चुका है।

> ए० प्रसाद, सक्षम प्राधिकारी. साहयक भ्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण), स्र्यान रेंज, लखकऊ

दिनांक: 12-12-1984

प्रकृषः भाइं.टी.एन.एस.-----

मायकर मिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-प(1) के म्थीन स्पना

भारत सरकार

कार्यासय, सहायक जायकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 12 दिसम्बर् 1984

निर्देश सं० जी० भ्राई० भ्रार० संख्या जी-77/एवयू०-भ्रतः भृत्रो, ए० प्रसाद,

वासकार विधितियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त विधितियम' कहा गया हैं), की भारा 269-च के अधीन सक्षेत्र प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित वाजार मृस्य 25,000/- रा. से अधिक हैं

ग्रीर जिसकी सं श्राधा हिस्सा ग्राराजी नं 954 है तथा जो छावनी कदीम, परगना—खैराबाद जिला सीतापुर में स्थित है (श्रीर इससे उपाग्रद्ध अनुचिंग में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रिजस्ट्रीकर्सा ग्रिधकारी के कार्यालय सीतापुर में रिजस्ट्रीकरण अधिनयम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, दिनांक 18 ग्रील

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, असके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्वह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त बन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण ते हुई किसी जाय की वाबत, उक्त सिंपीनसम के अभीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; कौर/या
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को चिन्हों भारतीय जायकर जिम्हिनयम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या प्रन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) क प्रवोधनार्थ अस्तिरती कुषारा प्रकट नहीं किया नया था वा किया धाना थाहिए था, कियाने में स्वित्र के लिए;

कतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-भ की उपधारा (1) व्ये अभीन, निम्नलिक्ति व्यक्तियों भ्रशाद् (—— (1) श्री भारत प्रसाद,

(प्रन्तरक)

(2) श्री गुरूनानक सहकारी झावास समिति लि॰ सीतापुर द्वारा सचिव श्री गुरचरण सिंह

(मन्तरिती)

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्परित के अर्थन के सिक् कार्यजाहमा करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की अवधि या तत्सम्बन्धी स्पित्यों पर सूचना की तासीस से 30 विन की अवधि, को भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्विक्त व्यक्तियों में से किसी स्पन्ति व्वारा;
- (व) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब के 45 दिन के भौतर उक्त स्थावर संपत्ति में द्वित- व्यूप किसी जन्म व्यक्ति द्वारा बधोद्दस्ताक्षरी क पास सिवित में किए वा सकतेंगे।

रुख्डीकरण् :---इसमें प्रयुक्त कव्यों और पदों का, को उत्पत्त विभिन्निक के वध्याय 20-क में परिभावित हैं, वहीं वर्ष होंगा जो उत मध्याय में द्रिका गया हैं।

वनृत्यी

भाधा हिस्सा भ्राराजी भूमिश्ररी नै० 954 पैमाईसी 0.66 डिसमिल (0.33 डिसमिल) स्थित छावनी कवोम, परगना—खैराबाद, तहसील भीर जिला सीतापुर, जिसका पंजी-करण रजिस्ट्रीकर्ती श्रधिकारी सीतापुर के कार्यालय में विनोक 18-4-84 को किया जा चुका है।

ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक भायकर भायुक्त (निरीक्षण) भर्जन रेंज, लखनऊ

दिनांक: 12-12-1984

प्रकप आई.टी.एन.एस.-----

भायकार निधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के नभीन स्थाना

भारत सरकार

कार्यालय, सञ्चायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) भर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, विनोक 12 विसम्बर 1984

निर्देश सं० जी० झाई० स्नार० संख्या -20/एक्यू०-- यतः मुझे, ए० प्रसाद,

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), भी धारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपति, जिसका उष्टिम बाजार मूल्य 25,000/- रा. से अधिक है

ग्रीर जिसकी सं० भूमि खसरा नं० 927-ए व 927-की है जो भेगपुर मिठौनी, उर्फ शिरीकुई, मुरादाबाद में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विगत है), राजस्ट्रोकसा अधिकारी के कार्यालय मुरादाबाद में राजस्ट्रोकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, दिनांक श्रप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इरममान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिकृत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकाँ) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तयिक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- ंक) वस्तरच ते हुई किसी बाय की वायत. उत्तर विधितियम के बधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उत्तरे वचने में सुविधा के सिए; बॉर/बा
- (क) ऐसी किसी जाय या किसी धन अन्य जास्तियों की प्रिकृत भारतीय जायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया धा या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा औं सिए;

जतः बब, उक्त अधिनियमं की धारा 269-ग के अनुसरणं कें, में, अक्त अधिनियमं की धारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन, निम्निक्षित्वतं स्विक्तियों, अधीत् ः—

(1) श्रो मो० हनोफ

(भ्रन्तरक)

(2) इन्द्रा सहकारी गृह निर्माण समिति लि० मुरादाबाद द्वारा सचिव श्री मधुसुधन लाल

(श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यनाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी से 45 दिन की अविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक हैं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिवा नया हैं।

श्रमुसुची

भूमि पैमाईसी 17250 वर्ग-मोटर (खसरा नं० 927-ए) पैमाईसो 0.48 डिसमिल और खसरा नं० 927-वी पैमाईसी 3.83 डिसमिल, कुल पैमाईसो 4.31 डिसमिल) स्थित भोगपुर मिठोनो उर्फ शिरोकुई, मुरावाबाद (जैसा फार्म 37-जो संख्या 6222 में विणित है) जिसका पंजोकरण रिजस्ट्रोकिनी प्रधिकारो मुरावाबाद के कार्यालय में प्रश्रैल 1984 को किया जा चुका है।

ए० प्रसाद, सक्षम प्राधिकारो सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरोक्षण) श्रर्जन रेंज, लखनऊ

दिनांक: 12-12-1984

इक्द आहें दी . एन . एस . ------

बावकाद व्यभिनिसन, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-भ (1) में नभीन सूचना

भारत करकार

कार्यालय, सहायक आवकर कार्यक्त (निरक्तिक) श्रर्जन रेज, लखनऊ

लखनऊ, विनाक 13 दिसम्बर 1984

निर्देश स॰ जी॰ म्राई॰ भार॰ संख्या के-145/एक्यू०--यत. मुझे, ए० प्रसाद,

मायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-त के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पीत, जिसका उचित बाचार भूका 25,000/ क से अधिक हैं

सौर जिसकी स॰ मकान नं॰ 36 र सथा जो जानसेन गंज, इलाहा-बाद में स्थित हैं (स्रौर इससे उपाबद्ध सनुसूची में स्रौर पूर्ण रूप में वणित हैं), रजिस्ट्रीकर्त्ता ध्रधिकारी के कार्यालय इलाहाबाद में रजिस्ट्रीकरण स्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के स्रधीन, दिनाक स्रप्नैल 1984

को पूर्वोक्त सपित के उचित बाजार मून्य से कम के इस्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूझे यह जिस्तास करने का कारण है कि उथापूर्वोक्त सपित का उचित बाजार मून्य, उसके इस्यमान प्रतिफल से एसे इस्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकार) और अन्तरित (अन्तरितयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण जिल्लित में वास्तिक रूप से कावत महीं किया गया है —

- (क) जन्तरण वे हुई किसी नाम की नानत, उत्तर अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक की रामित्व में कमी करने था उवसे नचने में सुनिधा से किए; और/जा
- (क) एसी किसी जाव का किसी धन वा अन्य जात्तिकों को, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) में। उक्त अधिनियम, बा धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गुमा भाषा किया-जाना चाहिए था खिपाने में क्षिण के जिए,

कतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के जनसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-थ की उपधारा (1) के अधीन निम्मिलिकित व्यक्तियों अर्थात् :--- (1) श्री पं० रुद्र मनी विपाठी

(भ्रन्तरक)

(2) 1 श्रीकृष्ण मुरारी

2. श्रीमती कल्पना करबरिया

(मन्तरिती)

(3) विकेता

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना चारी करके पूर्वीक्त सम्पट्टिस के वर्जन के जिए कार्यवाहियां करता हुं।

उन्त सम्परित् से सर्पन के सम्बन्ध में कोई भी मासोद् :--

- (क) इस सूचवा के राजपण में प्रकाशन की तारीय से 45 विन की जनभि या त्त्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 विन की अवधि, वो भी जनभि वाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ब्यादा;
- (क) इस सूचना के राजपण में प्रकाशम की तारीच सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी जन्य व्यक्ति ब्वाय अक्षोहस्ताक्षरी के पास निचित में किए जा सकेंगे।

स्पक्तिकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, को उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं कर्ष होगा जो उस अध्याय में दिवा गया है।

मकान सम्पत्ति न० 36, स्थित आनसेन गंज, इलाहाबाद जिसका पजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता ग्रिधिकारी इलाहाबाद के कार्यालय मे श्रप्रैल 1984 को किया जा चुका है (जैसा फार्म 37-जो संख्या 1982 में विणित है)।

> ए० प्रसाद, सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रजैन रेंज, लखनऊ

विनांक: 13-12-1984

प्ररूप सार्ष: टी. एन. एस. 🛪 - -

आवकर विभिनियन, 1961 (1961 का 43) की पाछ भारा 269-च (1) के अभीन स्चना

भारत द्रायाः कार्यासय, सहायक नायकर नायुक्त (निद्धीक्षण)

प्रजंग रेंज, लखनऊ

लखनऊ, विनांक 13 विसम्बर 1984

निर्वेश सं० जी० श्राई० श्रार० संख्या के-144/एक्यू०--यतः ् मुझे, ए० प्रसाद,

कायकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परभात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण में कि स्थावर सम्पत्ति, जिमका उचित बाजार मूल्य 25,,000/- रु. से अधिक हैं

स्रोर जिसकी सं मकान नं 8/12/41 है तथा जो न्यू सिविल लाईन, साकेत, मुरादाबाद में स्थित है (धीर इससे उपाबड अनुसूची में भीर पूर्ण रूप से विणत है), रिजस्ट्रोकर्ता अधिकारों के कार्यालय मुरादाबाद में रिजस्ट्रोकरण अधिनियम,

1908 (1908 का 16) के प्रश्नोन, दिनांक प्रप्रैल 1984 को प्रश्नेंक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ध्रयमान प्रतिकाल के लिए अन्तरित की गई है और मूक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोंक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके ध्रयमान प्रतिकाल से, एसे द्रयमान प्रतिकाल का पन्द्रह प्रतिकात से अधिक है और अंतरक (अंतरकों और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकाल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) बन्तरण संहुई किसी नाय की वायत, उक्त हिमिनियम की व्यक्ति कर दोने के अन्तरक को वायित्व में कमी करने वा उससे वचने में कृतिया को विष्; वरि√वा
- (क) ऐसी किसी अप या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के सिए;

(1) श्रीमती संतोष भटनागर

(भन्तरक)

(2) श्रीमती कैलाशवती

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के जिए कार्यवाहियां करता हूं

उक्त सम्पत्ति के कर्णन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :---

- (क) इस स्थान के राजपण में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्थान की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वेक्ति व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति इवारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीश स 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबद्ध भ किसी जन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकरेंगे।

स्वव्यक्तिरण: --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अभिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा को उस अध्याय में दिया गया है।

नगत्त्र भी

एक किता मकान नं० 8/12/41, स्थित न्यू सिविल लाईन मुरादाबाद जिसका पंजोकरण रिजन्ट्रोकर्ता ग्रिधिकारी मुरादाबाद के कार्यालय में श्रप्रैल, 1984 को किया जा नुका है (जैसा फार्म 37-जी संख्या 2864 में विणित है)।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, लखनऊ

वतः अव, उक्त अधिनियमं की धारा 269-ग के अनुसूर्ण में, में, उक्त अधिनियमं की धारा 269-थ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

दिनाक: 13-12-1984

माहर 🖫

प्रकम बाह्र . ही. एवं , एवं , -------

जायकार जिथितियम, 1961 (1961 का 43) की 269-ज (1) के जभीत सुमना

भारत स्टब्स

कार्यासय, सहायक बायकर बाय्क्त (निर्देशक) श्रर्जन रेंज, बम्बई

बम्बई, दिनांक 7 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० ग्र० ६०-3/37-६० ६०/6961/83-84--मत म्हो, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मृस्य 25,000/- रा. से अधिक है

- (क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि-नियम के नधीन कर दोने के अन्तरफ के दावित्व में कनी करने वा अवर्ष क्ष्में में सुविधा के लिए; और/वा
- (व) एसी किसी बाय वा किसी अभ वा बन्य कारितवां को, जिन्हें भारतीय जाय-कर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या सकत अभिनियम, या भन-कर अभिनियम, या भन-कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोखनार्थ बन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गंवा था या किया जाना चाहिए था, कियाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियमः की भारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) के अधीन, निम्नीलीवत स्यक्तियों, अधितः :--- (1) दीपक बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड ।

(भन्तरक)

(2) रेहमतुल्ला आयम चौगले।

(मन्तरिती)

को यह सूचना बारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के वर्षक के लिए कर्यवाहियां करता हूं।

उन्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप ः---

- (क) इस त्यान के राज्यन में प्रकाशन की राष्ट्रीय से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की राज्यीक से 30 दिन की सर्वाध, को भी अविध बाद में समाप्त होती हो, को भीता पूर्वाका व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्यक्ति व्
- (ख) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित- बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास बिधित में किए वा सकें ने।

ल्ब्बाकरण ह---इतमें प्रमुक्त बच्चों और वर्षों का, वो उसक अधिनियम के बंध्याय 20-क में परिभाषित ही, वहीं वर्ष द्वीया यो उस बंध्याय में विका नवा ही ॥

वनस्थी

पलैट नं ० 104, जो, 1ली मंजिल, बिल्डिंग नं ० 16, कपाडिया नगर, सी० टी० एस० रोड़, कुर्ला (पश्चिम), बम्बई--70 में स्थित है।

श्रनुसूची जैसा कि क० सै० श्र० ई०-3/37-ई० ई०/6961 83-84 श्रीर जो सक्षम प्राधिकारो, बम्बई द्वारा दिनांक 2-41984 को रजिस्टई किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरोक्षण) प्रजैन रेज-3, बम्बई

दिनोक: 7-12-1984

प्ररूप **वार्<u>ः</u> टौ. एम**. एस., ------

वायकर बिधिनियम, 1961 (1961 का 43) की बारा 269-व (1) के बधीन स्वना

भारत चहुनाड

कार्याक्षय, सहायक भायकर जायकत (निरक्षिण) धर्जन रेज-4, बम्बई

बम्बई, विनांक 12 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० ५० ६०-4/37-६० ६०/7150ए/83-84--भ्रतः मुझे ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है कि भारा 269-स के सधीन सक्षम प्राधिकारी को यह निष्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिस्का उचित बाजार मुल्य 25,000/- एत. से **मधिक ह**ैं।

भीर जिसकी सं व टेनमेंट नं व 80, जो, बिल्किंग नं व 7, चेंब्र श्रावण को-प्रापरेटिव्ह हाउसिंग सोसाईटो लि०, सहकार नगर, चेंबूर, बम्बई-71 में स्थित है, और इससे उपाबद अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विणित है, श्रीर जिसका करारनामा श्रायकर ब्रधिनियम, 1961 की धारा 269, क, ख के ब्रधोन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में राजस्द्रो है, दिनांक 2 घप्रैल 1984

को पूर्वेक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार मृल्य से कम के इध्यमान प्रतिफल के सिए रीजस्ट्रीकर्ता के कार्यालय, मरकरा में धारा 269 ए. बी. के बंतर्गत् सक्षम बिधकारी के पास रिजस्ट्रीकृत किया गया है, मुभ्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृल्य, उसके ख्रयमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है। और बन्तरक (बन्तरकों) और अन्तरिती (बन्तरितियों) के बीच एसे बन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिवित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया नवा है :---

- (क) जंतरण से हुई किसी बाय की बाबत, उक्त अधिनियम को अधीन कर दोने के जंतरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में मुनिधा के सिए: और/बा
- (क) एोसी किसी जाव या किसी भन वा अभ्य जारितार्थी का, जिन्ही भारतीय जायकर जिभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भन-कर बीभीनयम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिनी व्यारा प्रकट नहीं किया गया भाषा किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए:

बत: जब: उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के बन्तरण में, मैं उक्त अधिनियम की भारा 2.69-व की उपभारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, वर्धात् :---

(1) भी बलवंत सदाशिव गांवकर ।

(ग्रन्तरक)

(2) श्री श्रमोल कृष्णाजी मालगांवकर।

(ग्रन्तरिती)

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सध्यत्तिः। के वर्णन के सिए कार्यवाहियां करता हुई।

उक्त सम्मत्ति के वर्षन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप :---

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की अविभि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्थाना की तामील से 30 विन की जबिध, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितववृध किसी अन्य व्यक्ति व्यारा, अभोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकों ने।

स्पष्टीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त किंधिनियुम के अध्याय 20-क में परिभावित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिय-गया है।

अनुसूची

टेनमेंट नं ० 80, जो, बिल्डिंग न० 7, चें बूर श्रावण को-ग्राप हाउसिंग सोसाईटी लि॰, सहकार नगर, चेंबूर बम्बई-71 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क० सं० म० ई०-4/37-ई० ई०/7150-ए/83-84 भीर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 2-4-1984 को एजीस्टई किया गया है।

> ए० प्रसाद, सक्षम प्राधिकारी, सहायक भायकर भायुक्त (निरीक्षण), प्रजीन रेंज-4 बम्बई

विनांक: 12-12-1984

प्ररूप जाइ .टी. एन. एस. ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) ध्रर्जन रेंज-4, वस्वई

बम्बर्ध, दिनांक 10 विसम्बर 1984

निर्वेश सं० घ० ६०-4/37-६० ६०/2081/83-84--घत: मुझो, ए० प्रसाद,

आयंकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है'), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सभ्यस्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/-रा. से अधिक है^{*}

भीर जिसकी सं० फ्लैट नं० 10 जो, 2री मंजिल, ई-विंग गुलिस्थान श्रपार्टमेंट, एस० बी० रोड़, धहिसर (पूर्व), बम्बई में स्थित है, भौर इससे उपाबद भनुसूची में भौर पूर्ण रूप से वणित है, भ्रीर जिसका करारनामा म्रायकर मधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के प्रधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रिजस्ट्री है, दिनांक 22 ग्रंप्रैल 1984

को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के उरुयमान प्रतिफल के लिए रिजस्ट्रीकर्ता के कार्यालय, शिवाजीनगर में धारा 269 ए. बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत किया गया है, मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुख्य, उसके दृश्यमान प्रति-फल से,, एरेसे करयमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिफल से अधिक हैं और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के वायित्व में कभी करने या उससे बचने में स्विधा के लिए; जीर/या
- (भ) ए`सी किसी अगय या किसी अन या अन्य आस्तियों को, जिन्ही भारतीय बायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उनत अधिनियम, या धनकर विधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

क्रतः अर्थ, उंक्ते अभिनियम की धार्य 2,69-ग के अनुसरण में, मैं, धक्त अधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के अभीन , निम्नसिवित व्यक्तियों, अर्थात् :---

(1) वेस्टर्न इंडिया बिरुडर्स ।

(ग्रन्तरक)

(2) श्रीप्यारग्रली मेमामको जिया ।

(प्रस्तरिती) ँ

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षीप :---

- (क) इस स्चाना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविभि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्चनाकी तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियाँ में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिसित मं किए जा सकेंगे।

ल्पव्यक्तिकरण:--इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अभिनियम, के अभ्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में गया है।

फ्लैट नं ० 10 जो 2री मंजिल ई-विंग गुलिस्थान ग्रपार्टमेंट एस० वी० रोड़ दहिसर (पूर्व) बम्बई में स्थित है।

ब्रन्सुची जैसा कि ऋ० सं० ब्र० ई०−4/37–ई० ई०/2081/ 83-84 ग्रीर जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 27-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारो सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरोक्षण) म्रर्जन रेंज-4, बम्बई

दिनांक: 10-12-1984

नोहर :

प्रकृत जार्<u>य</u>ा हो<u>ः हन्ः प्रव</u>्नानन

आयकर अधितियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-म् (1) के अधीन सुमना

शाउत चड्डाइ

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्ण) अर्जन रेज-4 बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० म्र० ई०-4/37-ई०ई०/2075/83-84--- म्रतः मृत्ते ए० प्रसाद

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृज्य 25,000/-रु. से अधिक हैं

श्रीर जिसकी सं ० पलैट नं ० 9, जो 2री मंजिल ई-विंग, गुलिस्थान श्रपार्टमेंट एस० वी० रोड़ यहिसर (पूर्व) बम्बई-68 में स्थित है, (श्रीर इमसे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विंगत है) श्रीर जिसका करारनामा श्रायकर श्रिधिनियम 1961 को धारा 269 क ख के श्रधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 27 श्रप्रैल 1984

को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के क्रयमान प्रतिपत्न के लिए अन्तरित की गई हैं और मूक्ते यह विश्वास करने के कारण है कि यथापुर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके द्रश्यमान प्रतिपत्न से, एसे द्रश्यमान प्रतिपत्न का पंद्रह प्रतिशत से अधिक हैं और जन्तरक (जन्तरकों) और जन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे जन्तरण के लिए उच्च वांचा गया प्रतिपत्न, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण कि बित में वास्तविक स्प से कथित नहीं किया गया है हिन्स

- (%) जंतरण से हुई किसी जाय की बावत्, उक्क अधिनियस के जधीन कर योगे के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के निष्ठ; बॉर/वा
- (क) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय अग्यकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उबक अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की प्योजनार्थ अंतरिनी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना आहिए था, छिपाने में सुविधा भी किया

ज़क्तः जब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-व की उपभारा (1) के ताधीत . दिस्लिक्षिक व्यक्तियों, वर्षीय ऐ—— 51.—425 GI/84 (1) वेस्टर्न इंडिया बिल्डर्स ।

(धन्तरक)

(2) जाफरम्रली नूरमोहम्मद कारेडिया ।

(भ्रन्तरिती)

को नह स्थाना बा<u>डी करके पूर्वोक्त सम्पृतिसः</u> के अर्थन के विद् कार्यवाहियां करता हूं वि

उक्त कम्परित के भवन के सम्बन्ध में कीई भी वाक्षेप 🔝 🗝

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की सर्वीध या तत्संबंधी स्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की स्वीध, वो भी नवीध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्रवेतिक व्यक्तियों में से किसी स्यक्ति द्वारा;
- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की टारींस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित्तवपूष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिकित में किए वा सकोंगे।

. स्थव्यक्रिरण: ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदाें का, को उक्का अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाविक हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिका गया है।

मन्त्यी

फ्लैंट नं ० 9, जो, 2री मंजिल ई-विंग गुलिस्थान झपार्टमेंट, एस० बी० रोड़ दहिसर (पूर्व), बम्बई में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि ऋ० सं० घ्र० ई०-4/37-ई० ई०/2075/83-84 भौर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई हारा विनांक 27-4-1984 को रिजस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकण भ्रायुक्त (निरीक्षण) भर्जन रेंज-4 बम्बई

६दनांक: 10-12-1984

SEE ST. EL. ST. SEE

नावकर वर्षिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-म (1) के क्षीक सूचना

शाह्य बरकार

व्यवित्र , वहावक भाषकर नामुक्त (निद्धक्रिण) ग्रर्जन रेंज-4, बम्बई

77 77 77

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० ग्र० ई०-4/37-ई० ई०/2083/83-84--ग्रत: मुझे ए७ प्रसाद

कारकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसकें इसके परकात 'उक्त अधिनियम'कहा गया हैं), की धारा 269-क के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विक्वास करने का कारक हैं कि स्थावर सम्पत्ति. जिसका उचित वाजार मृख्य 25,000/- रा. से अधिक हैं

भौर जिसकी सं० फ्लैंट नं० 7 जो 1ली मंजिल ई—विंग, गुलिस्थान भगार्टमेंट, एस० वी० रोड़ दहिसर (पूर्व) वम्बई में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रीर पूर्ग रूप से विंगत है), श्रीर जिसका करारनामा श्रायकर श्रिधिनियम 1961 की धारा 269 के ख के श्रधीन वम्बई स्थित सक्षम श्रिधिकारी के कार्यालय में रिजिस्ट्री है दिनांक 27 श्रप्रैल 1984

की पृष्टिंक्त संपत्ति के उचित बाजार मृल्य से कम के दृश्यमान शितफल के लिए बन्तरित की गर्ड है और मूओ यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मृल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह इतिकात से अधिक है और अन्तरक (बन्तरकों) और अन्तरिती (बन्तरितयों) के बीच एसे बन्तरण के लिए त्य पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखित उद्देश्य से उत्तर अन्तरण के विष्ट से किन में वाश्तरिक कर से अधिक नहीं दिक्या गया है है—

- (क) जन्तरण से हुई किसी बाज की बाबत, उक्त जिथिनियम के जभीन कर दीने की अन्तरक की दायित्व में कथी करने या उससे बजने में मुनिभा चे दिवश बीर/या
- (क) ऐसी किसी जाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उन्नत् अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्ध अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया थाना चाहिए था, टिनाने में मुद्दिश के निए;

बतः वदं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण भी, भी, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) की अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, सुर्वात् क्र--- (1) वेस्टर्न इंडिया बिल्डर्स ।

(ग्रन्तरक)

(2) श्रीमती श्रीमनाबाई कानजी विरानी श्रीर श्रीमती दौलतबाई एच० विरानी।

(भ्रन्तरिती)

क्षेत्र वह बुधना पारी क्षात्रके पूर्वोचत् तस्मित्त के नर्चन के शिक्स कार्यपाहियां करता हुं≨

उक्त तत्रपत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के रावपत्र में प्रकाशन की तारीस है 45 दिव की बर्वाय मा तत्संसंधी व्यक्तियों पूज सूचना की तामीन से 30 दिन की जबिंध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोंक्स अविकाशों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (खं) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिल- बहुध किसी अन्य श्यक्ति ख्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्वध्योकरण: ---इसमें प्रयुक्त लाब्दों और पदों का, जी उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अवसाची

फ्लैट नं० 7 जो 1लो मंजिल ई-विंग, गुलिस्थान ग्रंपार्टमेंट, एच० वी० रोड़, दहिसर (पूर्व) बम्बई में स्थित है।

ग्रनुसूची जैसा कि क० स० ग्र० ई०-4/37-ई० ई०/2083/83-84 ग्रौर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 27-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारो सहायक भ्रायकर ग्रायुक्त (निरोक्षण) श्रर्जन रेंज-4 वम्ब**ई**

दिनांक: 10-12-1984

प्रक्म आईं दी, एनं एसं ------ आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा

कर बाचानवम, 1961 <u>(</u>1961 का 4*3)* का प 269-व (1) के घडीन सूचना भारत सहका<u>त</u>

कार्यासय, सहायक भायकर नायुक्त (निर्देशक) अर्जन रेज-1, बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 विसम्बर 1984

निवेश सं० अई-4/37-ईई/1628/83-84-अत: मुझे, ए० प्रसाद,

शायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धाव 269-व के अधीन सक्षम प्राधिकारी की, यह विष्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, विसका उचित बाजार मृस्य 25,000/- रु. से अधिक हैं

भीर जिमकी सं० फ्लैट नं० 22, जो, पहली मंजिल, शिवम् विल्डिंग, एस०वि० रोड़, फतेहबाग, कांदिवली (प), बम्बई में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से विणित है), ग्रीर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क,ख के अधीन बम्बई स्थित सभम प्राधिकारी के कार्यालय में रजीस्ट्री है, सारीख 16 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पिति के उषित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान शिवकास के लिए अन्तरित की गई है और मुम्ने यह निश्चास कड़में का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पित का उषित बाजार मूख, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिचात से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पामा गया प्रतिकल निम्नलिखित उद्योग्य से उस्त अंतरण लिखित में कास्तिकल निम्नलिखित उद्योग्य से उस्त अंतरण लिखित में कास्तिकल क्य के कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तारण में हुन्दें किसी बाव की बावन संबंध किन दिवास के बाबीन कर दोने के अन्तरक के दासित्व में क्रमी करने वा उसके बचने में सुविधा के लिए; क्रमें
- (क) ऐसी किसी जाव या किसी थन वा अन्य जास्तियों का जिन्हों भारतीय जायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया जा या किया जाना चाष्टिए था, कियाने में सूर्यिश के सिष्ठ;

कतः अस उकत अधिनियम की धारा 269-ग के सनसरण को, को, उकत अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन, निस्निसिंग्त स्विमित्यों, अर्थात् :— (1) मेसर्स राजलक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन कंपनी।

(अन्तरक)

(2) श्री चमनलाल के० मेहता ग्रीर श्रीमती अनुमर्ता सी ० मेहता।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी कारके पूर्वोक्त सम्परित के वर्जन वें धिनष्ट कार्यवाहियां करता हुं।

उन्त संपरित के अर्थन के संबंध में कोई भी बाक्षेप 2--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी कविधि नाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ब्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपण में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिल- वद्ध किसी जन्म व्यक्ति हुआरा अधोहस्ताक्षरी के पास निस्ति में किए जा धकींगे।

स्पन्द्रोकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

मन्त्र ची

फ्लैंट नं० 22, जो, पहली मंजिल, शिवम् बिल्डिंग, एस०वि० रोड, फ्लेहबाग, कांदिवला (प), वस्बई में स्थित है।

अनुसूच। जैसाका ऋ०सं० अई-4/37-ईई/1628/83-84 श्रीर जो सक्षम प्राधिकारा, बम्बई द्वारा विनांक 16-4-1984 को रजांस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकार; सहायक आयकर आयुक्त (निरं.क्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख: 12-12-1984

मोहर 🗓

प्रकृष नार्षेत्र दीत्र प्रयुक्त प्रयुक्त व्यापन

भायकर विभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अभीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक जायकुरु वायुवत ((नर्गक्षण))

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अई-4/37-ईई/1248/83-84--अतः मुझे, ए० प्रसाद,

कायकर क्धिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पहलात 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी की यह विकास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,009/- रु. से अधिक है

श्रौर जिसका सं० फ्लैट नं० 4, जो, दूसरी मंजिल, ए-विंग, बिल्डिंग नं० 19, लेआउट आंफ झालावत जैन को-आंप० हाउसिंग सोसाईटा लिमिटेड, अशोक चक्रवर्ती रोड, कांदिवली (प) बम्बई-67 में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूचों में श्रौर पूर्ण रूप से विंगत है), श्रौर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क,ख के अधोन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजीस्ट्री है, तारीख 6 अप्रैल 1984।

को पूर्वोक्त सम्मत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के स्थमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपरित का उचित बाजार मूल्य, उसके स्थमान प्रतिफल से एसे अस्मान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिस्ति से अधिक है और ऐसे अंतरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के निए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्वेश्य से उच्य अन्तरण जिल्ला में वास्तिविक रूप में कथित नहीं किया गया है :——

- (क) अन्तरण में हुई किसी आयकी बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कड़ दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी कड़ने या उससे वचने में सुविधा के लिए; और/या
- (क) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों करें, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उनत अधिनियम, या भनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अनुसूरिती ब्यारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना जाहिये था, जिपाने में सुविधा के लिए;

जत् । जब, उक्त अभिनियम की धारा 2'69-ग के अनुस्रण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) को अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् ३०००

(1) सरल इंटरप्राईज।

(अन्तरक)

(2) भो मणिलाल देवजी देखिया।

(अन्तरितो)

को वह सूचना जारी करकं पूर्वोक्त, संस्पत्ति को अर्जन को लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त संपत्ति के वर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पड़ सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, को भी अविधि वाद में समाप्त होती हो, के भीत पूर्विक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति इवारा;
- (ख) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितनवृध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताकरी के पास लिखित में किए जा सकरीं।

स्पव्यक्तिरण: --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया गया है।

जनसर्जी

पलैट नं० 4, जो, दूसरो मंजिल, ए-विंग, विलिडंग 19, झालावद जैन को-आंपरेटिव्ह हाउसिंग सोसाईटी लिमिटेड, अशोक चक्रवर्ती रोड, कंदिवलो (प), बम्बई-67 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी ऋ०सं० अई-4/37-ईई/1248/83-84 भौर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 6-4-1984 को रजीस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण) अर्जन रेंज-4, बस्बई

तारीख: 12-12-1984

प्रकृष हार्षे हो युन् पुरु वाकारमाना

नायकड विधितियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269=म (1) के अभीत सुचना

भारत सदस्यद

कार्यासय, सहायक आयकर आयुक्त (निर्धाक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अई-4/37-ईई/1277/83-84--अतः **मुझे,** ए० प्रसाद,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसं इसमें इसके पश्चात् 'उपत अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-स क अधीन सक्षम प्राधिकारी की यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्मति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रु. सं अधिक ही

भौर जिसको सं० फ्लंट नं० 2, जो, ग्राउंड फलोअर, सा-विंग, बिल्डिंग नं०21, झालावद जैन को-आं५० हाउतिम सोसाईटा लिमिटेड, अशोक चक्रवर्ती रोड, कोदियला (पूर्व), बम्बई-101 में स्थित है (ग्रार इसस उपाबद अनुसूचा में ग्रीर पूर्ण रूप से विंगत है), ग्रीर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 का धारा 269 क,ख के अधान बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारों के कार्यालय में रजास्ट्रों हे, तारीख 6 अप्रैल

का पूर्वाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृख्य स कम के अस्यमान व्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मृक्षे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वेक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार सूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतर्क (अंतरकों) और अंतरितों (अन्तर्दातियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्योध्य से उक्त अंतरण लिखित में बास्यविक स्प से किथत नहीं किया गया है :--

- (क) अन्तरण से हुई किसी साथ की वाबत, उक्त विधिनियम के अधीन कह दोने के अन्तरक के दायित्व में की अपने या उससे वचने में सूविधा के लिए; जौद्व/या
- (ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियी की, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतिरती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया अना जाहिए था, छिपाने में सविधा के लिए;

अतः अव, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की भारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन, निम्निलिखित व्यक्तियों, अर्थात् ः— (1) सरल इंटरप्रायजेस ।

(अन्तरक)

(2) श्री रेनूकाबेन प्रविणचंद्र कामदार।

(अन्तरितो)

को यह सूचना आरी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां कारता हुई।

- (क) इस सुमाश के राज्या भी प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना कि तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध शाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में सं किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) शस सूचना के राजपक भी प्रकाशन की सारीस से 45 दिन के भीतर उद्धार स्थावर सम्पत्ति में हित- बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के प्रकार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के प्रकार किसी किसी के विषय स्थावत

स्थव्हीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्दों का, जो उक्त लिधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित ही, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

ननस ची

फ्लैंट नं० 2, जो ग्राउंड फ्लोर,, सा-धिग. बिल्डिंग फ्लैंट नं० 21, झालावद जैन की-ऑगरेटिव्ह हाउभिंग सोसाईटी लिमिटेड, अशोक चक्रवर्ती रोड, कांदिवलां (पूर्व), बम्बई-101 में स्थित है।

अनुसूची जैसाको ऋ० सं० अई-3/37-ईई/1277/83-84 भीर जो सक्षम प्राधिकारी, जम्बई द्वारा दिनांक 6-4-1984 को रजीस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारो सहायक भायकर आयुक्त (निरी**क्षण**) अर्जन रेंज-4, **बम्बई**

तारीख: 12-12-1984

मोहर 🖫

द्रक्ष बार्ड े हो पुरु पुरु ः व म मनन

नायकड व्यापित्यम्, 1961 (1961 का 43) की भारत 269-व् (1) के व्यापित स्वाप

भारत धरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई बम्बई, दिनांक 22 नवम्बर 1984

निदेश सं० अई-4/37-ईई/1197/83-84-अतः मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उसत अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित आजार मूख्य 25,000/-रु. से अधिक है

ग्रीर जिसका संव पलेट नंव 2, जो, दूसरो मंजिल, ए-विंग, बिल्डिंग नंव 4, झालावद जैन को-आंपव हाउसिंग सोसाईटा लिमिटेड अशांक चकवर्ती रोड, कांदिवलो (पूर्व), बम्बई-101 में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूचा में भौर पूर्ण रूप से विंगत है) ग्रीर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 को धारा 269 के, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारों के कार्यालय में रजोस्ट्रो है, तारी ख 3 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्ष सम्पत्ति के उचित बाजार मून्य से कम के रहयमान प्रतिफल् के लिए अन्तरित की गई है और मूक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मून्य, उसके रहयमान प्रतिफल से, एसे रहयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिक्षत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे जन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है है—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की वाबत, उक्त अधिनियम के वृथीन कुद दोने के अन्तुरकः के यायित्व में कमी करने या उससे वचने में सृविधा के लिए; बार/या
- (स) एसे किसी बाय या किसी भन या अन्य अस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भन-कर अधिनियम, या भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के सिए;

वतः अव, उक्त अधिनियमं की धारा 269-मं के अनुसरण वो, वो, उक्त अधिनियम की धारा 269-मं की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिख्त व्यक्तियों, अधीत् हिल्ल (1) सरल इंटरप्रायजेस।

(अन्तरक)

(2) श्रा कांतिलाल हिरालाल गहा।

(अन्तरितो)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पृत्ति के अर्जन के तिए कार्यवाहिया शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षीप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों गर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, को भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबच्ध किसी जन्म व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शक्यों और पर्यों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया ग्या हैं।

अनुसूची

फ्लैट नं० 2, जो, दूसरो मंजिल, ए-विंग, बिल्डिंग नं० 19, झालावत जैन को-आंपरेटिव्ह हाउसिंग सोसाईटी अशोक चक्रकृती रोड, कांदिवली (पूर्व), बम्बई-101 में स्थित है।

अनुसूचो जैसा की क०सं० अई-4/37-ईई/1197/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारा, बम्बई द्वारा दिनांक 3-4-1984 को रजीस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद मक्षम प्राधिकारी महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख: 12-12-1984

मोह्य 🕄

प्ररूप बाई ुटी. एन. एस.-----

बाबकर विधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धाड़ा 269-व (1) के बभीन सुबुना

ब्राइत सहस्राह

कर्यां बन, बहायक बायकार बायुक्त (निर्द्रीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अई-4/37-ईई/1469/83-84--अत: मुझे, ए० प्रसाद,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह जिस्सास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रा. से अधिक है

ग्रीर जिसकी सं० फ्लेंट नं० 1, जो, ग्राउंड फ्लोअर, डी-विंग, राजिक्शोर, मेउरीन स्ट्रिट, कांदिवली व्हिलेज, कांदि-वली (प), बम्बई-67 में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), ग्रीर जिसका करार-नामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क,ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजीस्ट्री है, तारीख 12 अप्रेल 1984

को वृर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मूफे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार सून्य, उसके इश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दश्यमान प्रतिफल का फल्द्र प्रतिखत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंवरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्निलित उद्देश्य से उक्त अंतरण निश्चित में बास्तिक का किस के स्थान के सिम्निली का स्थान के स्थान के स्थान के सिम्निली का स्थान के स्था स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान स्थान के स्थ

- (क) अन्तरण से हुई किसी बाय की बावस, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक औ दायित्व में कमी करने या उससे अचने में सुविधा के लिए; बॉर/या
- (क) ऐसी किमी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त बीधिन्यम, बा धनकर अधिनियम, बा धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तुरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, रियाने में विधा के सिर:

बतः कव, उत्तर वीधीनयम की धारा 269-ग के बंगुतरण बाँ, गाँ, उत्तर अधिनियम की धारा 269-ग की उपभारा (1) के बंधीन निम्नितिक्ति स्वितियों, अर्थात् क्रिक

- (1) मेसर्स गिरीराज कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन। (अन्तरक)
- (2) श्रीमती वासंती मारुथी प्रभू।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्द सम्पृतित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी नाक्षेप:--

- (क) इस सुपना के राजपत्र में प्रकाशन की तार्री कर्म, 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुपना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त हो से हो। के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति इतारा।
- (ख) इस सूचना के राजपा व शकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास सिखित में किए जा मुक्तिंगे।

स्वस्वीकरणः -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का, भी उकत अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिवा गवा हैं

वनसर्ची

फ्लेट नं० 1, जो, ग्राउंड फ्लोअर, डी-विंग, राज किशोर बिल्डिंग, मेडरिन स्ट्रिट, कांदिवली व्हिलेज, कांदिवली (प), बम्बई-67 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र०सं० अई-4/37-ईई/1469/83-84 ग्रौर जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 12-4-1984 को रजीस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख: 12-12-1984

म्रोहर 🖫

मुक्य बाहु .. दी .. एन .. एस .. -----------

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा । 269-व(1) के ग्राधीन सूचना

भारत बरकार

कार्यालय, सहायक आयकर मायुक्त (निरक्तिक) अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बर्ड, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं अई-4/37-ईई/1524/83-84--अतः मुर्झे, ए० प्रसाद,

कायकर अधिनियम, 196३ (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धार 269-क के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विष्वास करने का कारण है कि रथावर संपत्ति, जिनका उपित नामार मन्य 25,000/- रा. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० फ्लैंट ला सी-12, जो, जीया मंजिल, बांबी गांपिंग रोंटर, एमा जो जोड़, धाणुकार वर्ष्डी, कांदिवली (प), बस्वर्ड-67 में स्थित है (गौर इसमे उपावड़ अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), श्रीर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 का धारा 269 काख़ के अधीन बस्बर्ड स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजीस्ट्री है, तारीख 13 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति की उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मूओ यह जिल्लास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित कान्तर मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंत्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियाँ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में शास्त्रिक हम से कथित नहीं किया गया है :--

- (क) जन्तरण से हुइ किसी आय, की कावण, उण्ण परिणियम के अधीन कर वेरे के अल्लास्क के वाजित्व में कामी कारने या उससे राचने में स्विधा के सिए। बारि/बा
- (स) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य लास्तियों को बिन्हों भारतीय बायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) वा उक्त अधिनियम, या धन्-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया वाना चाहिये था, डिपाने में सुविधा वे नित्रः

बतः अव, उक्त अधिनियम की भरग 269-ग के जन्मरण में में, उक्त अधिनियम की भारा 269-च की उपभारा (1) के बचीन, निम्नलिखिस व्यक्तियों, अर्थात् :--- (1) श्री अमिरअली मुसाभाई मियामी।

(अन्तरक)

(2) श्री शांसीलाल ललुशंकर दवे।

(अन्तरिती)

को यह स्वना बारी करके पूर्वोक्त सम्परित के वर्षन के लिखु कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त संपत्ति के नर्जन के संबंध में कोई भी बाक्षप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख वें 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त स्थान को किसी व्यक्ति द्वारा;

स्पब्दीकरण:---इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदा का, जो सक्त अधि-नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं कर्ष हागा, जो तम अध्याय में दिया गया है।

वनस्य

फ्लैंट नं० मी०/12, जो, चौथी मंजिल, बांबी शांपिंग सेंटर, एम०जी० रोड, घाणूकर वाडो, कांदिवली (प), बम्बई-67 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र०स० अई-4/37—ईई/1524/83—84 थीर जो सक्षम प्राधिकारी, बस्बई द्वारा दिनांक 13—4—1984 को रजीस्टर्ड किया गया $\frac{1}{5}$ ै।

ए० ∭प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण) अर्जन रेंज−4, **बम्बई**

तारीख: 10-12-1984

म्रोहर 🕸

प्रकल् बार्चाः दी. एत्. एस. ५०००००००

मायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-च (1) के अभीन सूचना

भारत प्रकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई
बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश में० अर्ड-4/37-ईई/1523/83-84--अतः मुझे, ए० प्रसाद,

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भार 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने क. कार्ण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूस्र 25,000/- रह. से अधिक है

ग्रीर जिसकी सं० फ्लैट नं० ई-201, जो, राजिकशोर को-ऑप० मोमाईटी, दूसरी मंजिल, एम०जी० रोड, कांदिवली (प), बम्बई-67 में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से विजत है), ग्रीर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क,ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजीस्ट्री है, तारीख 13 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूफे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्परित का उचित बाजार मृत्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अभिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्वरेष्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

- (क) जन्तरण से हुई किसी जाय की शावत, उक्त जीभीनदम के जभीन कर दोने के जम्सरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के सिए; जीट/था
- (क) ऐसी किसी जाय या किसी भन या जन्य जास्तियों को, जिन्हों भारतीय आयक र जिभिनयम, 1922 (1922 का 11) या उजत अधिनियम, या धनकर जिथिनियम, या धनकर जिथिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया था किया धाना चाहिए था छिपाने में स्विधा से सिए;

शत अब, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग की अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) ■ अधीन, निम्निलितित स्यक्तियों, अर्थोन म्— 52—426GI—84 (1) श्रामतो उमिलाबेन गो० भाटीया।

(अन्तरक)

(2) श्री चुनिलाल दामोदर दातानी, ग्रौर निर्मला चुनिलाल दात्तानी।

(अन्तरिती)

का यह सूचना बारी करके पृत्रावित सम्पत्ति के वर्षन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

स्वत् बुम्पति के वर्णन के सम्बन्ध् में काई मी बाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविध नाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति स्वारा;
- (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अथोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकरेंगे

स्पव्हीकरणः --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा को उस अध्याय में दिया नवा हैं।

मन्स्ची

पलैंट नं र्ह/201, जो, राजिकशोर को-ऑप सोसाईटी, दूसरी मिजल, एम जी रोड, कांदिवली (प), बम्बई-67 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी ऋ०सं० अर्ध-4/37—ईई/1523/83—84 श्रीर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा विनांक 13-4-1984 को रजीस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज--4, *बम्ब*ई

तारोख: 10-12-1984

प्रकप आई. टी. एन. एस.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-थ (1) के अधीन स्चना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक मायकर आधुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बर्

बम्बर्ड, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेण सं० अई-4/37-ईई/1261/83-84-अत: मुझे, ए० प्रसाद,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपरित, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रह. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० पलैंट नं० 201, जो, दूसरी मंजिल, ज्ञान अमृत बिल्डिंग, णांतीलाल मोदी रोड, कांदिवली (प), बस्बई-67 में स्थित है (श्रीर इससे उपाधड़ अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विणत है), श्रीर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क,ख के अधीन बस्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजीस्ट्री है, तारीख 6-4-1984

को प्रवेक्त संपरित के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूले यह विश्वास कारने का कारण है कि यथाप्रवेक्त संपत्ति को उचित बाजार कृष्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य ने उक्त अन्तरण लिखिए में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) बन्तरण से हुई किसी आय की बाबस उक्त सिमियम के अभीन कार दोने के अन्तरक के इस्पिट्य में कभी करने या उससे वचने में सुविधा के लिए; और/या
- (स) ऐसी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय जाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रमेजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया कर लिया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा करिल्ए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्मरण मैं, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-गे की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिसित व्यक्तियों, अर्थात :--

(1) मेसर्स एम०एन० कन्स्ट्रक्शन कंपनी।

(अन्तरक)

(2) श्री लिलित प्रभुदास रुपानी, श्रौर भारती एल० रुपानी।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपरित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त संपत्ति के अर्थन के संबंध में कोई भी माक्रोप :---

- (क) इस स्वान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वान की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध वाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबक्थ किसी जन्य व्यक्ति क्वारा अधोहस्ताक्षरी के पांच लिक्षित में किए जा सकी।

स्पष्टीकरणः --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदौं का, को उच्छ अधिनियम को अध्याय 20-क में परिभाषित ही, वही अर्थ होगा, उसे उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पलैंट नं० 201, जो, दूसरी मंजिल, ज्ञान अमृत विरुडिंग, शांतीलाल मोदी मार्ग, कांविवली (प), बम्बई-67 में स्थित है।

अनुसूत्री जैसाकी क्र०स० अई-4/37-ईई/1261/83-84 श्रीर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 6-4-1984 को रजीस्टई किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयक्त (निरोक्षण) अर्जन **रेंज~4, बम्बई**

तारीख: 10-12-1984

प्रकप. बाइ. टी. एन्. एस. -----

नायकर निधित्यमः, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अभीन स्पना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984 निदेश सं० अई-4/37-ईई/4280/83-84--अत मुझे, ए० प्रसाद

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसम इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का **कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उ**चित बाजार मुख्य 25,000 / - रा. से अधिक ह

श्रीर जिसकी सं० फ्लैंट नं० 21, जो, श्री जी पलेस, सी० टी० एस० न० 99, व्हिलेज कादिवली, एस० वि० रोड, कादि-वली (प), बम्बई-67 में स्थित है (ग्रीर इसमे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), ग्रौर जिसका करार-नामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क.ख के है, तारीख ७ अप्रैल 1984

को पूर्वीक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गर्ड हैं और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वीक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुख्य, उसके रूर्यमान प्रतिफल में, ऐसे रूर्यमान प्रतिफल का **पन्त्रहप्रतिग्रत से अधिक हैं और अन्तरक (अ**न्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियाँ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफर्म निम्नलिक्ति उद्दंश्य से उक्त अंतरण लिक्ति में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है इ---

- (क) जंतरण से हुइ किसी भाग की शावत, उक्त अभिनियम के अभीन कार दोने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के सिए; जौर∕या
- (का) एसी किसी नाय या किसी धन पा अन्य जास्तियों को. जिन्हें भारतीय भाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, सा भन-कर **मधिनियम**, 1957 (1957 का 2⁷⁾ के प्रयोजनार्थं अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्तिभा के निए;

अत: अब. उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) 📦 मधीन, निम्निनिन्ध व्यक्तियाँ, मधीत् :---

(1) मेसर्स बत्तानी अव्हलपमेटस् ।

(अन्तरक)

(2) श्री जगन्नाथ कामरा श्रौर श्रीमती जे० कामरा। (अन्सरिती)

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाक्षेप :--

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच सं 4.5 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीकत भ्यक्तियाँ में से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (ब) इस स्वना के राज्यत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थानर सम्पन्ति में हितबदध किसी अन्य व्यक्ति व्वारा अभोहस्ताक्षरी के पार्च लिखित में किए जा सकोंगे।

स्वक्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों शीर पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, बही अर्थ झीमा भी उस अभ्याय में दिला गया है।

फ्लैंट नं ० 21, जो, दूसरी मजिल,श्री जी पंलेंस,सी० टी० एस० नं० 99, व्हिलेज कादिवली, एस०वि० रोड, कांदिवली (प), बम्बई-67 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी ऋ०सं० अई-4/37-ईई/4280/83-84 ग्रीर जो सक्षम प्राधिकार।, बम्बई ब्रारा दिनांक 7-4-1984 को रजीस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निर्राक्षण) अर्जन रेज-4, बम्बई

तारीख . 10-12-1984 मोहर .

प्रक्ष. आई. टी. एन. एस्. - - - -

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-म (1) के अभीन स्चना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक बायकर बायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अई-4/67-ईई/4281/83-84--अतः मुझे, ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रा. से अधिक है

भीर जिसकी सं० फ्लेट नं० 31, जो, तोसरी मंजिल, श्री जो फ्लेस, सी०टो०एस० नं० 99, व्हिलेज कांदिवली, एस०वि० रोड, कांदिवली (प), वस्वई-67 में स्थित है (भीर इससे उपाबज अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), भीर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्दी है, तारीख 7 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मृक्षे यह विश्वास कारने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित् बाजार मृत्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निलिशित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरुण संहूद किसी भाग की बावता, सकत विभिन्यम के नुभीन कर दोने के जुन्तरक के वासित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; विश्व/वा
- (क) एसी किसी बाय था किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उकत अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मन्स्विधा के लिए;

जतः जन, उपत मी५.नेयम, की धारा 269-ग के अनुसरध में, में, उस्त मिधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के नचीन, निम्मिसिस स्पिस्तिमों, नचीस डिस्स (1) मेसर्स दात्तानी बेव्हलपमेटस् ।

(अन्तरक)

(2) राजू जीं० भाटोया, ग्रौर दिलीप जी० भाटीया।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के जिए कार्यवाहयां शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की अविधि या ततस्म्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 विन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में में सिकसी व्यक्ति ब्यारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी के से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित- अव्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास निचित्त में किए जा सकी ।

स्पष्टीकरण: — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पत्नो का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

बहस की

फ्लैंट नं० 31, जो, तीसरी मंजिल, श्री जो पंलेस, सी० टी॰एस॰ नं० 99, व्हिलेज कादिवली, एस॰वि० रोड, कांदि-बली (प) बम्बई--67 में स्थित है।

अनुसूची जैमाकी ऋ०सं० अई--4/37-ईई/4281/83-84 ग्रीर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 7-4-1984 को रजीस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाव सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बर्र

तारीख: 10-12-1984

मोहर 🛭

प्ररूप आइ. टी. एन. एस. -----

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अभीन सुचना

भारत सरकार

कार्यांशय, सहायक नायकर नायुक्त (निर्दोक्तण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई बम्बई विनाक 12 दिसम्बर 1984

. निदेश सं० अई-4/37-ईई/1218/83-84--अत: मुझे, -

ए० प्रसाद

भारकर बिंधनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-श्व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी संव दुकान नंव 10, जो, ग्राउंड प्लोअर, गुरु नानक अपार्टमेंटस् को-आपव हाउसिंग सोसाईटी लिमिटेड, 51, शंकर लेन, कांदिवली (प), बम्बई-67 में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप मे वर्णित है), श्रीर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क,ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजोस्ट्रों है, तारीख 5 अप्रैल 1984

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबस, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्य में कमी करने या उससे अजने में सुविधा के लिए; और/या
- (स) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्हों भारतीय आंयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्ट अधिनियम, या अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-अयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूर्यिधा से सिए;

अतः अन, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण के की, बक्त अधिनियम की धारा 269-भ की उपधारा (1) की क्योंन, हैमनिसिंखत व्यक्तियों, अधीत :—

(1) श्री चुनिलाल माथालाल पाडीया, श्रीर राजेश बाबुलाल पाडीया।

(अन्तरक)

(2) श्री संपतलाल डी० बोहरा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करको पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उन्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियाँ पर सूचना की तामील से 30 विन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियाँ में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्परकीकरणः — इसमें प्रयुक्त कड़ों और पदों का, जो उकत अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया गया है।

ered

दुकान नं० 10, जो, ग्राउंड फ्लोअर, गुरुनानक अपाटंमेंटस् को-आंपरेटिव्ह हाउसिंग सोसाईटो लिमिटेड, 51, शंकर लेन, कांदिवली (पश्चिम), बम्बई-67 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी ऋ०सं० अई-4/37—ईई/1218/83—84 श्रीर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 5—4—1984 को रजीस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी स**हा**यक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज⊶4, अम्बई

तारीख: 12-12-1984

माहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक कायकर बायुक्त (निरक्षिण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अई-4/37-ईई/1929/83-84--अतः मुझे, ए॰ प्रसाद

आय्कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विस्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० फ्लेट नं० 6, जो, पहली मंजिल, ब -विंग, बिल्डिंग नं० 19, झालावद जैन को-आंप० हाउसिंग सोसाईटी लि०, अशोक चक्रवर्ती रोड, कांदिबली (पूर्व), बम्बई—101 में स्थित है (श्रीर इससे उपावद्ध अनुसूर्या में श्रीर पूर्ण रूप से बंजित है), श्रीर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क,ख के अधीन बम्बई स्थित मक्षम प्राधिकारों के कार्यालय में रजांस्ट्रों हैं, तारीख 23 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्म्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखत उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से किया ग्या है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अंतरक के दायित्य में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (च) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए;

अतः अब, उक्त आधानयमं की धारा 269-च के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियमं की धारा 269-च की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :— (1) सरल इंटरप्रायजेस।

(अन्तरक)

(2) श्रो गौमकुमार सुराभाई शहा।

(अन्सरितो)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां ग्रुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस स्इ.भा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य विक्त द्वारा अधोहस्त्याक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पद्धींकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उसत अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 6, जो, पहली मंजिल, बी-विंग, बिल्डिंग नं० 19, झालावद जैन को-आंग० हाउसिंग सोसाईटी लि०, अशोक चक्रवर्ती रोड, कांदिवली (पूर्व), बम्बई-101 में स्थित है। अनुसूची जैसाका क्र०मं० अई-4/37-ईई/1929/83-84 भीर जो सक्षम प्राधिकारो, बम्बई द्वारा विनांक 23-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयक्त आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन र्रेज-4, बम्बई

तारीख: 12-12-1984

प्रकप बाहै.टी.एन.एस.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-भ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकारु

कार्यालयः, सहायक बायकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बई बम्बई: दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निवेश सं अई-4/37-ईई/1920/83-84--अतः मुझे, ए॰ प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परकात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विद्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृस्य 25,000/- रा. से अधिक हैं

भीर जिसकी सं० फ्लेट नं० 13, जो, तीसरी मंजिल,, बी-विंग बिल्डिंग नं० 21, झालावद जैन की-आंप० हाउसिंग सोसाईटी ल०, अशोक चक्रवर्ती रोड, कांदिवलो (पूर्व), वम्बई-101 में स्थित है (भीर इससे उपाबद अनुसूची में भीर पूर्ण क्ष्प से विंगत है), श्रीर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, खं के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजीस्ट्री है, तारीख 23 अप्रैल 1984 ।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उपित बाजार मुख्य से कम के क्षयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृख्य, इसके क्षयमान प्रतिकल से, एसे क्षवमान प्रतिफल का पंक्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती रिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया यदा प्रतिफल निक्निवित उक्केंक्य से उक्त बंदरण निवित वे वास्तिवक क्ष्य से काचित महीं किया पवा है:---

- (क्क) अन्तरण से हुई किसी भाग की बाबतः, उक्त विधिनियम के विधीन कर दोने के बंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे अवने में स्विधा खेंसिए; और/वा
- (क) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अस्य बास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती व्यारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा के लिए;

जत: जब, उक्त अधिनियम की धारा 269-न के अनुसरण कों, मीं, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) वीं अधीथ, निस्त्रविधित व्यक्तियों, अर्थात् ध— (1) सरल इंटरप्रायजेम ।

(अन्तरक)

(2) श्री शहा अनीलकुमार पोपटलाल।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पक्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

बक्त संपत्ति के वर्षन के सम्बन्ध में कोई भी बाश्रेप:---

- (क) इस भूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीस सं. 45 दिन की सर्वाध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बब्भ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास निवित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरणः — इसमें प्रयूक्त शब्दों और पदों का, थो उक्त अर्थिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गवा है।

नग्त्र्यी

फ्लेट नं० 13, जो, तीमरी मंजिल, बी-विंग, बिल्डिंग नं० 21, झालावद जैन को-अंग० हाउसिंग सोसाईटी लि०, अशोक चक्रवर्ती रोड, कांदिवली (पूर्व), बम्बई-101 में स्थित है।

अनुमूची जैसाकी कर्नल अई-4/37-ईई/1920/83-84 श्रीर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 23-4-1984 को रजीस्टई किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीखा: 12-12-1984

मोहर 🥲

प्रक्ष बाहै. ही. एत. एस्.-----

बायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-च (1) के बचीन स्वना

भारत सरकात्र

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निर्रीक्षण) ग्रर्जन रेंज-4, बम्बई बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निवेश सं० श्रई-4/37-ईई/1138/83-84--श्रतः मुझे, ए० प्रसाद

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परेचात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विद्यास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिनका उचित बाजार मृत्य 25,000/-रु. से अधिक है

- (क) अन्तरण सं हुई किसी आय की बाबत, उक्त विभिनियम के वभीन कर दोने के अंतरक में दायित्व में कमी करने या उससे वचने में सुविधा के सिए; बौर्/या
- (क) ऐसी किसी आय या किसी भन या अन्य ज्ञास्तियों को, जिल्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भनकर अधिनियम, या भनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वाय प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने अं निष्णा के सिंह;

कतः भवः, उक्त निभिन्तियमं की भारा 269-मं के ननुसरक में. में, उक्त अधिनियमं की भारा 269-मं की उपभारा (1) के नभीन, निम्नुलिचित व्यक्तिम्तुं, संशृत् ।—— (1) श्री विजय एस० गोराडिया।

(ग्रन्तरक)

(2) श्री पंकजकुमार इश्वरलाल मेहता।

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना चारी करके पूर्वोक्त सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उनत सम्मत्ति के वर्षन् के सम्बन्ध में कोई भी माराप:--

- (क) इस स्वना के राजपन में प्रकासन की तारीस से 45 दिन की नविभ या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वना की तामील से 30 दिन की नविभ, को भी अविभ वाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्यक्ति व्यक्तिया;
- (च) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावत सम्पत्ति में हित- बच्च किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास सिवित में किए वा सकींगे।

स्वकाकरणः ---- इसमें प्रयुक्त सन्धों और पर्धों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित क है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया गवा है।

ववृक्ष्याँ

फ्लेट नं शि॰-201, जो, दूसरी मंजिल, "राज किशोर' बिल्डिंग, व्हिलेज कांदिवली, माउरीन स्ट्रिट, एम० जी० रोड, कांदिवली (पश्चिम), बस्बई-67 में स्थित है।

प्रनुसूची जैसाकी ऋ०सं० प्रई-4/37-ईई/1138/83-84 भौर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 2-4-1984 को रजीस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी महायक श्रायकर श्रायुक्त (निरोक्षण) श्रजन रेंज-4, बम्बई

तारी**व**: 10-12-1984

मोहर ः

प्ररूप बार्ड. टी. एन. एस.------

भायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-च (1) के अभीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण) श्रर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निदेश सं० श्रई-4/37-ईई/1576/83-84--श्रतः मुझे, ए० प्रसाद

सायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसमें पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-ख में अधीन सक्षम प्राधिकारी की, यह विश्वाण करने कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित क्षाअंश मृत्य 25,000/- रा. से अधिक हैं

घौर जिसकी मं० फ्लेट नं० 4, जो, पहली मंजिल, ए विंग, विल्डिंग नं० 21, झालावद जैन को-धांप० हाउसिंग सोसाईटी लि०, अशोक चक्रवर्ती रोड, कांदिबली (पूर्व), बम्बई-101 में स्थित हैं (और इससे उपाबद्ध ध्रनुसूची में और पूर्ण रूप से विणत हैं), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क,ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजीस्ट्री हैं, तारीख 6 अप्रैल 1984।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उधित बाजार मूल्य से कम के इस्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का अरुण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उधित बाजार मूल्य उसके एश्यमान प्रतिफल से एसे इक्यमान प्रतिफल का पन्नह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नितिश्वित उद्वेष्य से उक्त अन्तरण निश्चित्त में वास्तविक रूप से अधित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण सं हुई किसी जाय की बाबत, उक्त लिंध-नियम के लिथान कर दोने के अन्तरक के दायित्व मों कभी कारने या उसमें वक्त मीं मिलिया के लिए; प्रति/या
- (सः एंसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाजिए था. छिपाने में सुविधा के लिए;

जत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नितिसित व्यक्तियों, अर्थात :—— 53—426GI/84 (1) सरल इंटरप्रायईज।

(ग्रन्तरक)

(2) भूपेंद्र एन० बहाडिया।

(भ्रन्तरिती)

को यह सुचना जारी करके पृत्रोंक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए कार्यवाहियां सुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के वर्षन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की जबिध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, को भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्रवेक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा:
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारील से 45 दिन के भीतर उक्त सम्पत्ति में हितवद्ध किसी जन्म व्यक्ति इवारा अधोहस्ताक्षरी के पाम निल्लित में किए जा सर्काने।

स्पध्यीकरणः ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पद्यों का, जो उक्त अधिनियम, को अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में विद्या गया है।

अनसची

पलेट नं ० 4, जो, पहली मंजिल, ए-विंग, बिल्डिंग नं ० 21, झालावद जैन को-प्रांपरेटिव्ह हाउसिंग सोसाईटी लिमिटेड, ध्रशोक चक्रवर्ती रोड, कांदिवली (पूर्व), बम्बई-101 में स्थित है।

धनुसूची जैसाकी ऋ०सं० घर्ड-4137-ईई/1576/83-84 ग्रीर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 6-4-1984 को रजीस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक ब्रायकर ब्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख: 12-12-1984

प्ररूपु आहें ्टी. एम . एस ..------

बायकर अभिनिय्म, 1961 (1961 का 43) की भार 269-म (1) के अभीम स्वना

\$124 **\$**246

कार्याजय, सहायक सायकर आयुक्त (निरक्षिण) द्यर्जन रेंज--4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निवेश सं० अई-4/37-ईई/1927/83-84--- अतः मुझे, ए० प्रसादः

लायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-च के सधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारल हैं कि स्थानर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूस्य, 25,000/-रु. से अधिक हैं

भौर जिसकी सं० फ्लेंट नं० 2, जो, पहली मंजिल, ए-विंग, बिल्डिंग नं० 21, झालावद जैन को-धांप० हाउसिंग सोसाईटी लि०, भ्रागोक चक्रवर्ती रोड, कांदिवली (पूर्व) बम्बई-101 में स्थित हैं (ग्रौर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से विंगत है), ग्रौर जिसका करारनामा श्रायकर ग्रधिनियम 1961 की धारा 269 क.ख के ग्रधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजीस्ट्री है, तारीख 23 ग्रप्रैंस 1984।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफाल के लिए बंतरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफास से, एसे दश्यमान प्रतिफाल का पन्तह प्रतिशास से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और बंतरिसी (अंतरितियों) के नीच एसे बंतरण के लिय तय पाया चया प्रतिफास निम्नितिबित उच्चेश्य से उक्त बन्तरण हिनित बें बास्तविक कर से कथित नहीं किया गया है:--

- (का) अन्तरण से हुई फिली अप की बाबत, उपत अभिनियम के अभीन कर दोने के अन्तरण के दायित्व में कनी करने सा उसने बचने से स्विधः। के किए; और/पर
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 को 27) को प्रयोजनार्थ अन्तिरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया नवा था के किया जाना थाहिए था, दियाने यो स्रोजनार्थ अस्ति।

अत: अब, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्क अधिनियम की भारा 269-म की उपभारा (1) के लिभीन, जिस्तिलिति पावितयों, अर्थात :—— (1) सरल इन्टरप्राईज।

(भ्रन्तरक

(2) श्री मनसुखलाल हरगोबिंव दास सालोट (भन्तरिती)

को वह स्वना बारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्षन के लिए कार्यत्राहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेत्र :-

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीस से ^5 दिन की जबीध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वना की तामीस से 30 दिन की बविधि, जो भी जबीध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्रविक्त व्यक्तियों के किसी व्यक्ति द्वाराः
- (क) इस ब्याना के राज्यम में प्रकारण की शारीय के 45 दिन के भीतर प्रकल स्थानर सम्मालित में हिल्सक्थ किसी बन्य क्यफित ब्यारा अभोहस्ताकारी के गाव निवित्त में किस वा सकीने ।

त्वव्यक्तिरणः --इसमें प्रयुक्त बच्चे ब्रीर पर्को का, वा उपक अभिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं., यही वर्ष होगा को उस अध्याय में दिया गया है।

मन्स्ची

पलेट नं० 2, जो, पहली मंजिल, ए-विंग, बिल्डिंग नं० 21, झालावद जैन को-प्रांप० हाउसिंग सोसाईटी लि० प्रशोक चक्रवर्ती रोड, कांदिवली (पूर्व), बम्बई-101, में स्थित है।

धनुसूची जैसाकी क॰सं॰ धर्ध-4/37-ईई/1927/83-84 श्रीर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 23-4-1984 को रजीस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रजैन रेज-4, बम्बई

तारी**ख**: 12-12-1984

प्रकृप बार्च.टी.एम.एस. -----

बायमञ्ज मृत्रित्यम् । 1961 (1961 मा 43) मी

धारा 269-व (1) के अधीन सूचना

बार्व सरकार

सार्यालय, सञ्चायक आयक्तर जायूक्त (निरीखण)

धर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निदेश सं० मई--4/37-ईई/1928/83--84---श्रतः मुझे, ए० प्रसाद,

शायकर शिंपिनयम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उसस विभिनयम' कहा गया है'), की धारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित वाबार मृल्य 25,000/- रु. से विभिन्न हैं

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 6, जो 1ली मंजिल. बी विंग, बिल्डिंग नं० 23, झालावद जैन की-आप० हाऊसिंग सोसाईटी लि०, ध्रशोक चक्रवर्ती रोड कांदिवली (पूर्व), बम्बई-101 में स्थित हैं (ग्रीर इससे उपाबढ़ ग्रनुसूचो में ग्रीर पूर्ण रूप से विंगत हैं) ग्रीर जिसका करारनामा ग्रायकर श्रीधिनयम 1961 की धारा 269 क,ख के ग्रधोन बम्बई स्थित सक्षम ग्राधिकारो के कार्यालय में रजोस्ट्रो हैं, तारोख 23 ग्रप्रैल 1984।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उणित बाजार मूस्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उजित बाजार मूक्य उसके स्थयमान प्रतिफल से एसे स्थममान प्रतिफल का पन्नाह प्रतिखत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तम पामा गमा प्रति-फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिवक रूप से कथित नहीं किया गमा है :---

- (क) अन्तर्भ से हुई किसी आय की भावत, अक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक की बासिस्थ में कमी करने या उससे अभने भी सुलिधा के लिए; और/या
- (स) ऐसी किसी बाय वा किसी भन या जन्य जास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) से ब्रुक्शेयवार्थ बन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया ववा था वा किया बावा थाहिए था कियाने में सुविभा के सिए;

बत: बंब, उक्त विधिनियम की भारा 269-म के बनुतरम भा, मी, उक्त विधिनियम की भारा 269-म की उपभारा (1) के अभीन, निम्नितिखित व्यक्तिसों, अभीत् क्रिक्त (1) सरल इंटरप्रायजेस ।

(भ्रन्तरक)

(2) श्री नरेन्द्र चुनिलाल शहा।

(ग्रन्तरिती)

वर्ष स्था श्रुवारा वाडी करने पूर्णोक्त कुन्तुरिक के वर्णन के विष्

उक्त सम्पत्ति को अर्जन को सम्बन्ध में कोई भी आक्षेत्र ह—

- (क) इस सूचना के राजपण में प्रकाशन की तारीब से, 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की सर्वाध, जो और अवधि बाद में समाप्त होती हो, से भीतर पूर्वोच्छ व्यक्तियों में से किसी स्वक्ति दुवारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारींच से 45 दिन को भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में दितन बढ़िश किसी जन्य स्थावत व्वारा अधोहस्ताकाद्री को पास लिखित में किए जा सकोंगे।

रक्क किरणः — इसमें प्रमुक्त शब्दों और पवों का, जो उक्क अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषितः है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

भनुसुधी

फ्लेट नं ० 6, जो, बो-विंग, पहलो मंजिल, बिल्डिंग नं ० 23, झालाबद जैन को ग्रांप ० हाउसिंग सोसाईटी लि० ग्रामोक चक्रवर्ती रोड, कांदिवली (पूर्व), बम्बई-101 में स्थित है।

श्रनुसूची जैसाकी ऋ०सं० श्रई-4/37– $\xi\xi/1928/83$ +84 श्रीर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 23 4-1984 को रजीस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-4, **बम्बई**

तारीख: 12-12-1984

मोहर 🛭

प्रकप बाहुर्द्ध, दी , प्रम् , प्रम् ,-----

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारत

माउद प्रकार

न्ध्रायालिय, सहायक शायकर वाय्**क्त (निरीक्षण)** ूक्षर्जन रेंज-1, बम्बहे

बम्बर्ध, दिनांक 12 विसम्बर 1984

निदेश सं० अई-4/37-ईई/1449/83-84-अतः मुझे, ए० प्रसाव,

नायकर विभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्तात् 'उक्त विभिनियम' कहा गया है), की भारा 269- क वे अभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रहन से अधिक है

भौर जिसकी सं० फ्लंट नं० 3, जो, ग्राउंड फ्लोअर, बी-विंग, बिल्डिंग नं० 21, भालाबद जन को-आंपरेटिक्ह हाउसिंग सोसाईटी लिमिटेड, अशोक चक्रवर्ती रोड कांदिबली (पूर्ष) बम्बई-101 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से विंगत है), श्रौर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क,ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजीस्ट्री है, तारीख 12 अप्रैल 1984।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के खैंकत काकार मूच्य से कम के स्वयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हैं बाँए मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि सभापूर्वोक्त सम्बत्ति का उचित बाबार मूच्य, उसके स्वयमान प्रतिफल से, एसे स्वयमान प्रतिफल का पन्तह प्रतिकात से स्थिक है बाँए अंतरक (अन्तरका) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तम प्या प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अतरण लिखित में सस्तिवक रूप से किया नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूविधा के लिए; और/या
- (क) ऐसी किसी आग या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्ह भारतीय आयकर अधितियम, 1922 (1922 का 11) या उन्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्नारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, खिपाने में सुनिधा के लिए;

अतः अचा, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के अनुसरक को, की, स्वस्त अधिनिषम की भारा-269-व की उपभारा (1) को अभीन, निम्नतिस्ति व्यक्तियों, अधार्व :--- (1) सरल इंटरप्राईज।

(अन्तरक)

(2) श्री शहा अरविंद कुमार मणिलाल। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्थन के लिए लिए कार्यवाहियां करता हों।

उक्त सम्पर्शि के अर्जन के संबंध में कोई भी बाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्ल व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बुंबारा;
- (सं) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित- बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिसित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, वो उक्त विभिनियम के अध्याय 20 के में परिभाषिष्ठ हैं, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गुसा हैं।

अनुसूची

प्लेट नं० 3, जो, ग्राउंड फ्लोअर, बी-विंग, बिस्डिंग नं० 21, झालावद जैन को-आंपरेटिब्ह हाउसिंग सोसाईटी लिमिटेड, अशोक चक्रवर्ती रोड, कांदिवली (पूर्व), बम्बई-101 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी करुसं० अई-4/37-ईई/1449/83-84 श्रीर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा विनांक 12-4-1984 को रजीस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरक्षिण) अर्जन रेज-4, बम्बई

तारीख: 12-12-1984

मोहर 🖫

प्रकृष बाह^र. की. एन. दश - - --

नाधकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-ध (1) के बधीन स्थना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक जायकर बायक्त (निरक्षिण) अर्जन रेज-4, बम्बई

बम्बई, दिनाक 10 दिसम्बर 1984

निदेश स॰ अई-4/37-ईई/2061/83-84-अतः मुझे, ए० प्रसाद,

नायकर मिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इस्कें इसके बब्धात् 'अनत निधानियम' कहा गया है), की धारा 269-था को अभीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण **है** कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाबार भूस्य 25,000/-रु संस्थिक हैं।

भौर जिसकी सं० प्लेट नं० 101, जो, पहली मंजिल, ''गोकूल एस०वि० रोड, कादिवली (प), बम्बई-67 मे स्थित है (ग्रीर इसमे उपाबब अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से विणित है), भीर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 कुख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजीस्ट्री है, तारीख 20 अप्रैल 1984 I

को पर्योक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृल्य से कम के वस्पमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उपित बाबार मृत्य, असके दश्यमान प्रक्षिफल से, एसे दश्यमान प्रतिकल का पम्बर्ह प्र'तिकात से अभिक हैं और बन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्नलिश्वित उद्वेश्य से उस्त अन्तरण लिखित में वास्तविक क्य से कथित नहीं किया जवाही क्र--

- (क) अन्तरण सं शुर्द किसी बाय की बावत उक्त अभि-नियम के बंधीन कार दोने के बन्तरक की दारियत्व में कभी करने या उत्तर्भ वयने में सुविधा के लिए, म∵र∕ या
- (क) एंसी किसी बाय पा किसी धन वा बन्द बास्सियों का, जिन्हें भारतीय बायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या अपन अभिनियम, या भन-क्षर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थं जन्तरिती ध्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुनिधा के जिए;

अप: अप, उक्त मधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उसत अधिनियम की धारा 269 च की उपधारा (३) को अधीन, निम्नलिखिङ यिक्सियों, अभीत् 🥌

ರವರ ರ್ವ್ ೧೯೩೩ ವರ್ಷ ಪ**ರ್ಕಾರ ವರ್ಷ** (1) मेसस वृडलेन्ड कन्स्ट्रवशन कंपनी।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती शाती हिराचव।

(अन्तरिती)

का यह स्थाना नारा करक त्याव सम्योत्स का विशेष के लिए कामशाद्रिया करता है।

बक्त सम्पति को बर्कन क सम्बन्ध मा जाई भी आक्षीएऽ---

- (क) इस स्चना के राजपत्र मा प्रकाशन की तारीख से 45 रिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यानसमा पर स्**यमः** को सामील र 30 । का की अविभि , जा भी अविभि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पृथाँकतः **व्यक्तियों में** से तेक**सी व्यक्ति अ**नाराः
- (ख) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में **हित-**अबुध किसी अरण स्थापत देवार। तथ स्थलाहार। बो पास लिखित में किए जा सकोंगे।

रमध्दोक रण -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उसत अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अभ्याय में विका गया है।

मन्स्ची

पलेट नं० 101, जो, पहली मंजिल, "गोकुल, एस० वि॰ रोड, कांदिवली (प), बम्बई-67 में स्थित है। अनुसूची जैसाकी ऋ०स० अई-4/37-ईई/2061/83-84 ग्रीर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 20-4-1984 को रजीस्टर्फ किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी, सहायक भ्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख: 10-12-1984

भूक्य बा<u>र्षः</u> दी. एत्. **एत्**...-----

बायकर विभिन्नियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-भ (1) के बभीन सूचना

भारत वरकाड

कार्याक्य, बहायक वायकर वायुक्त (निरीक्षण)

अजंन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निवेश सं० अई-4/37-ईई/1881/83-84---अतः मुझे, ए० प्रसाद,

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परकात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-इ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजादु नृत्य . 25,000/-रु. से अधिक है

धौर जिसकी सं० दुकान नं० 3, जो, ग्राउंड फ्लोअर शिव दर्गन, प्लाँट नं० बेअरीग सी०टी०एस० 366, एस०वि०पी० रोड, म्युनिसिपल गार्डन के सामने, कांविवली (प), बम्बई-67 में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से विणत है), ग्रीर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क,ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजीस्ट्री है, तारीख 21 अप्रैल 1984।

को पृथोंक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हैं और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथाप्योंक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पंत्रह प्रतिकात से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियाँ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उच्चेत्र से उक्त बन्तरण विश्वत में बह्मतिक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) जन्तरण से हुई किसी बाय की वांबर, उल्लाबिध-नियम को अभीन कर दोने के बन्तरक को वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविका को निए; बौर/या
- (क) ऐसी कि ली भाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विभा के सिए;

धतः, अन्, उक्त अधिनियम की भारा 269-व के अनुसरण मं, में, उक्त विधिनियम की भारा 269-व की उपभारा (1)ः वैक्षेप्रभीतः, निम्निलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:— (1) मेसर्स एक्सेल बिल्डर्स ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती अनिता गोर्धनदास चुघ।

(अन्तरिती)

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के वर्षन के तिष् कार्यवाहिया करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस मूचना के राष्ट्रपत्र में प्रकाशन की तारीच है 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त स्यक्तियों में से किसी स्यक्ति द्वार;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित बच्ध किसी जन्म व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताकरी के पास लिखित में किए जा सकेंगें।

स्पष्टीकरण :----इसमें प्रयूक्त शब्दों और पदों का., जो उक्ते अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हाँ, वहीं अर्थ होग्य जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

वुकान नं० 3, जो, ग्राउंड फ्लोअर, शिव दर्शन, सी०टी० एस० नं० 366, एस०वि०पी० रोड, म्युनिसिपल गार्डन के सामने, कांदिवली (प), बम्बई-67 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी ऋ०सं० अई-4/37-ईई/1881/83-84 ग्रौर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 21-4-1984 को रजीस्टडं किया गया है।

> ए० प्रसाद मक्षम प्राधिकारी. सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख: 12-12-1984

मोहर 🤢

प्रकृष बाहु . टी. एन. एस.-----

काधकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-भ (1) से क्भीन स्पना

भारत सहकार

क्रांचिय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई. दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निवेश सं० अई--4/37-ईई/1496/83-84---अतः मुझे ए० प्रसाव,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है, की भारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वात करमें का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृस्य 25,090.'- रा. से अधिक है

और जिसकी सं॰ फ्लेट नं॰ 28, जो दूसरी मंजिल, दासामी ग्राम बिल्डिंग नं॰ 3, व्हिलेज कांदिवली, मणुरावास रोड कांदिवली (प), अम्बई 67 में स्थित है (भीर इससे उपायद अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से विणत है), ग्रीर जिसका करार-नामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालव में रजीस्ट्री है, तारीख 12 अप्रैल 1984

को पूर्वों का सम्पत्ति को उचित् वाजार मून्य से कम के क्यावास प्रतिकत्त को लिए बन्तरित को गई है और मूझे वह विश्वाच करने का कारण है कि यथापूर्वों कत संपत्ति का उचित वाजार मून्य, उसको क्यामान प्रतिकत्त से, ऐसे क्यायान प्रतिकत को पहुडू प्रतिचत से अधिक है और बन्तरिक (बन्तरिका) और बन्तरिकी (अन्तरित्यों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तम पामा गवा प्रतिकत, निम्निलिसिस उद्योचय से उच्त बन्तरिक सिसित के बीचत नहीं किया गवा है:----

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की वाबत, उच्च अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सृविधा के लिए: और/या
- (क) ध्रेसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्हीं भारतीय आय-कर विधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उनत अधिनियम, या धन-अयोजनार्थ अन्तिरिती व्वारा प्रकट नहीं किया अया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुनिया की भिए;

नतः अव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग **के अनुसरण** .री, मी, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारी (1) के अधीन, निम्मीलिकत व्यक्तियों, अधीत् :---

- (1) श्रीमती मायादेवी देवकीनंदन सुनक्षुनवाला। (अन्तरक)
- (2) श्री निलनभाई जयसुखलाल दोशी। (अन्तरिती)

को बह स्वना जारी करके प्रबॉक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उबत संपरित के अर्धन के संबंध में कोई भी बाक्षेप :--

- (क) इस स्वान के राजपन में प्रकाशन की तारीस से 45 विन की सर्वाधिया तत्सम्बन्धी व्यक्तियाँ पर स्वान की तामीस से 30 दिन की सर्वाधि, को भी स्वाधियाद में समाप्त होती हो, को भीतर पृत्रों कत व्यक्तियाँ में से किसी व्यक्ति ब्यक्ति व्यक्तिया;
- (प) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्परित में हितबव्ध किसी बन्य व्यक्ति इवारा कथोहस्ताक्षरी के पास सिधित में किए था सर्वोगे।

स्पव्यक्तिरणः — इसमें प्रयुक्त सब्कों और पदों का, बो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, बही वर्ष होगा, जो उस वध्याय में दिया गया हैं।

वन्स्ची

प्लेट नं० 28, जो, दूसरी मंजिल, बिहिडंग दातानी प्राम बिहिडंग नं० 3 प्लोट बेअरींग सी०टी० एस० नं० 1319 और 1321 व्हिलेज कांदिवली, मथुरादास रोड, कांदिवली (प), बम्बई-67 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क॰सं॰ अई-4/37-ईई/1496/83-84 भौर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 12-4-1984 को रजीस्टर्ज किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीच : 10--12--1984

मोहर 🗧

प्ररूप बाइ° व टी० एन० एस०-

शायकर अधिनियम, 1061 (1961 का 43) की धारा 269-व (1) के अधीन सुधा

भगरत सरकार

कार्यालय, सन्नायक प्रायकर अध्यक्त (निरीक्षण) अजंन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अई-4/37-ईई/1350/83-84--अतः मुझे, ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-स के अधीन मक्ष्म प्राप्तिकारी को यह विद्यास करने के कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उभात बाजार मूल्य 25 000/ क में अधिक हैं

ग्रीर जिसकी सं० दुकान नं० 2, जो, ग्राउंड फ्लोअर, शिव दर्शन, प्लॉट बेअरींग सी०टी०एस० नं० 366, एस०वि०पी० रोड, कांदिवली (प), बग्दर्ड-67 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), ग्रीर जिसका करार्नामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क,ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय मे रजीस्ट्री है, तारीख 9 अप्रैल 1984।

को पूर्वों कत समपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के छ्यमान शितफल के सिए अतिरित का गद्द हो और असे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वों का सपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके द्रश्यमान प्रतिफल में एने क्ष्र्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है जीत कलग्य (पंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखत उद्देष्य में उच्क अन्तरण निस्तित में बास्तिक रूप से कियत नदी किया नया लें:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उन्त अधि-नियम की अधीन कार कोने तर अंक्या के की करन या निस्स क्यान के अधिन के किसी करने या निस्स क्यान के विकास की किसी
- (स) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हा भारता का रिकार के किस अधिनयक, या धनकर अधिनियक, या धनकर अधिनियक, 1953 (1957 का को खनकर अधिनियक, 1953 (1957 का को धनकर अधिनयक, वा धनकर किया जन्म जन्म के प्रयोजनार्थ जन्म दिन्दी ब्रह्म किया को या या या या या वाना चाहिए का, हिंदानों में मृतिधा के निए:

बतः अव. उक्त अधिनियम को भारा 260 म के अन्मण्य में, में, उक्त अधिनियम की भारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नणिष्ठित व्यक्तितयों, अर्थात् :— (1) मेसर्स एक्सेल बिल्डर्स ।

(अन्तरक)

(2) श्री बेचारभाई चुनिलाल मकवाना।

(अन्तरिती)

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोइ भी आक्षेप :---

- (क) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की जविधि या तत्संतंधी व्यक्तियों पर स्वना की तामील से 30 दिन की जबिध . को भी जविध बाद में समाप्त होती हो, को भीतर पृत्रोंकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारः
- (खं) इस राजना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति गें हितबद्दश किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोगे।

स्पब्दीकरण: ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, को उक्क विधिनियम, के बध्याय 20-क में परिभाषित हा, वहां तथे होगा जो उस अध्याय में दिवा गया है,

अनुसूची

दुकान नं० 2, जो, ग्राउंड पलोअर शिव दर्शन, प्लॉट बेअरींग सी०टी०एस० नं० 366, एस०वि०पी० रोड कांदिवली (प), बम्बई-67 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क०सं० अई-4/37-ईई/1350/83-84 ग्रौर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 9-4-1984 को रजीस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बई

नारीख: 10-12-1984

माहर :

प्ररूप बार्ड.टी.एन.एस. ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक वायकर आयुक्त (निरक्षिण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 धिसम्बर 1984

निर्देश सं० अई-4/37–ईई/1698/83–84–अतः मुक्षे ए० प्रसाद,

अग्रयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्यात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के श्यीन सक्षम प्राधिकारी को यह विष्वास करने का कारण है कि स्थावर संपति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- क से विधिक है

श्रीर जिसकी सं० दुकान नं० 27, जो, ग्राउंड पलोर, श्रीजी दर्शन, सी० टी० एस० नं० 100, सर्वे नं० 96, एस० वि० रोड, कांविवली (प), बम्बई-67 में स्थित हैं (ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रुप से विणत है) श्रीर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रिजस्ट्री हैं दिनांक 17 अप्रैल 1984

को पृथींक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हर्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुभ्ने यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल सं, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरिती (अंतरितियाँ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखत उच्चेत्र्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिवक रूप से किथा गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त विभिनियम के अभीन कर दोनें के अन्तरक के दायित्य में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- 187) शंसी किसी आय या किसी धन वा अन्य आस्तियों की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की प्रयोजनार्थ अस्तिरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया पा किया जाना नाहिए था, छिपाने में सृविधा के निष्या

अतः अव, उक्त अधिनियम करी भारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-गे की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिमित व्यक्तियों, अर्थात् :--- 54—426 GI/84

(1) श्रीमती अगरी चुनिलाल।

(अन्तरक)

(2) श्री युसूफ हाजीवली मोहमद, श्रीर इसाक हाजीवली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कर्णनिहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की भारीस सं
 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
 स्चना की तामील से 30 दिन की अविधि, को भी
 अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पृषेकिन
 व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख भे 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाम निखित में किए जा सकोंगे।

नन्स्ची

दुकान नं० 27 जो. ग्राउंड फ्लोर,श्री जी० दर्शन, सी० टी० एस० नं० 100, सर्वे नं. 96, एस० वि० रोड, कोदिवली (पश्चिम) अम्बर्ध-67 में स्थित है ।

अनुसूची जैंसाकी ऋ० सं० अई-4/37—ईई/1698/83–84 श्रीर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 17–4–84 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बई

दिनांक : 10-12-1984

प्ररूप बार्ड.टी.एन.एस.-----

शायकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-ष (1) के अभीन सूचना

भारत सरकार-

कार्यालय, सहायक आयकर आयक्त (निरक्षिण)

अर्जन रेंज-1 बम्बई बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984 निर्देश सं० अई-4/37ईई/2082/83-84-- अतः मुझे, ए० प्रसाद,

बायकर बिधनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्यात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25.000/-रु. से अधिक है

मौर जिसकी सं० फ्लैंट नं० 5, जो, पहली मंझील इ—विंग, गुलिस्थान अपार्टमेंट, एस० नी० रोड बहिसर (पूर्व), बम्बई में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से विंगत है), ग्रीर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, दिनांक 27 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृल्य से कम के इत्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथाप्वोंक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृल्य उसके इत्यमान प्रतिफल में, एसे इत्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिकात से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-कल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिवक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुड़ किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धम या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना चाहिए था, कियाने में सुविधा के सिए;

अतः अंव उक्तः अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण कैं, की, उक्त स्पिधिनयम की धारा 269-च की उपधारा (1) के अधीन, निम्नसिश्चित व्यक्तियों, अर्थात् हु---- (1) मैसर्स वेस्टर्न इंडिया बिल्डर्स ।

(अन्सरक)

(3) श्री वाली मियाजी मारेडिया ।

(अन्तरिती)

को यह स्वना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति को अर्जन को संबंध में कोई भी आक्षेप ::---

- (क) इस स्वान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वान की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीं के से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षारी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टिकरण: ---- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

नन्स्ची

पर्लंट नं० 5, जो, पहली मंजिल ई०विंग, गुलिस्थान अपार्टमेंट, एस० वि० रोड दहिसर (पूर्व), बम्बई में स्थित

अनुसूची जैसाकी ऋ० सं० अई-4/37-ईई/2082/ 83-84 ग्रीर जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 27 अप्रैल 1984 को रिजस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बई

विनोक: 10-12-1984

मोहर 🖫

प्ररूप गाइ. टी. एन. एस. ------

भायकार मिथिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के सभीन सूचना

भारत परकार

कार्यासय, सहायक बायकर बायक्त (निरक्षिण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, विनांक 10 विसम्बर 1984

निर्देश सं० अई-4/37-ईई/1657/83-84- अत: मुझे ए० प्रसाद,

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है')., की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/-रु. से अधिक हैं

भीर जिसकी सं० फ्लैंट नं० ए-302, जो तीसरी मंजिल आदित्य पार्क, छत्रपती शिवाजी रोड, दहिसर (पूर्व) अम्बर्ध-78 में स्थित है (भीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), भीर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बर्ध स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 16 अभैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उणित बाजार मृत्व से कम के द्रियमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मृझे यह विद्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उजित बाजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का मन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और बन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्वेदय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है .—

- (क) अन्तरण से हुई किसी जाय की वावत उन्त अधि± नियम की अधीन कर दोने की अन्तरक की दायित्य में कमी करने या उससे अचने में सुविधा को लिए; और/या
- (का) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य अस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्बारा प्रकट नहीं किया गया धा या किया जाना चाहिए था, कियाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अभिनियम, की भारा 269-ग के अन्सरण चें, में, उक्त अभिनियम की भारा 269-म की उपभारा (1) कें बभीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् ह—— (1) मैसर्स गोयल बिल्डर्स प्रा० लिमिटेड

(अन्तरक)

(2) श्री मोहन मुकुंद साईल ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस स्थना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी स से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्थना की तामील सं. 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्षत स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

ध्येष्टीकरणः --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवीं का, थो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-कं में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा थी उस अध्याय में विद्या भया है।

अनुसूची

पलैट नं० ए-302, जो, तीसरी मंजिल, आदित्य पार्क, छत्रपती शिवाजी रोड, दहिसर (पूर्व), बम्बई-68 मैं स्थित है।

्अनुसूची जैसाकी कि सं० अई-4/37ईई/1672/ 83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनोक 16 . अप्रैल 1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाय सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण भ्रजन रेंज-4, बस्बई

विनांक: 10-12-1984

प्रकप्ः आह्राः टी. एन्. एसः -----

नायकड स्थितियम्, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के सभीन सुचना

भारत सरकार

कार्यानय, सहायक मायकर वायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4 बम्बई

बम्बई, विनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० अई-4/37—ईई/1235/83—84— अत: मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उस्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-क के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मून्य 25,000/-रु. से अधिक हैं

ग्रीर जिसकी सं० दुकान नं० 15, जो, देव आशिष बिल्डिंग देव आशिष की-आपरेटिव हार्जिंग सोसायटी लिमिटेड, भारूचा रोड दिहसर (पूर्व), बम्बई-68 में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), ग्रीर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 6 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति को उचित बाजार मृस्य से कम को क्यमान प्रतिफल को लिए अंतरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संस्पत्ति का उचित बाजार मृस्य उसके उध्यमान प्रतिफल से, ऐसे ध्र्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिकात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के सिए तथु पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उच्त अन्तरण सिचित में बास्त्विक रूप से करियत महीं किया गया है द्वान

- (क) बन्तरण से हुई किसी बाब की बाबत, उक्त अभिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के निए; और√या
- (च) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था किया जाना आहिए था, खिपाने में सुविधा के जिए;

जतः बंबः जनत अभिनियम की भारा 269-ग के जनसरण में, मैं उक्त अभिनियम की भारा 269-घ की उपभारा (1) के अभीन, निम्निलिखित व्यक्तियों, अभीत्ः—

- (1) श्री मरप्पा जरप्पा मेटटी
- (अन्तरक)
- (2) श्री शंभुभाई ए० पटेल।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के निए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के कर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :~--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख ने 15 दिन की अविध या तत्मबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वेक्त ध्यन्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना को राजपत्र मं प्रकाशन को तारील सं 45 दिन को भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिन-बद्ध किसी व्यक्ति व्वारा, अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्वष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया हैं।

अनुसूची

दुकान नं 15, देव आशिष बिल्डिंग देव आशिष को-आपरेटिंग हार्जिसग सोसायटी लिमिटेड भारूचा रोड, दहिसर (पूर्व) बम्बर्ध-68 में स्थित है ।

अनुसूची जैसाकी ऋ० सं० अई-4/37-ईई/1235/83-84 भीर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा विनांक 6 अभैल 1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज-4, बम्बई

विनोक : 10-12-1984

प्ररूप बाइ.टी.एन.एस.-----

अग्रयकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अधीन सुमृता

भारत सरकार

कार्यानय, सहायक वायकर वायक्त (निर्दाक्क) अर्जन रेंज-4, वम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984 निर्देश सं० अई-4/37-ईई/1658/83-84--- अतः मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारों को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

ग्रौर जिसकी सं० फ्लैट नं० ए 402, जो चौथी मंजिल आदित्य पार्क, छत्तपती शिवाजी रोड़, दिहसर (पूर्व), बम्बई-66 में स्थित है, (ग्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है ग्रौर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 16-अप्रैल

को पूर्वोक्त संपित्त के उचित बाजार मूल्य से कम के द्रियमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुभ्ने यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपित्त का उचित बाजार मूल्य, उसके द्रियमान प्रतिफल से, एोसे द्रियमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से जिधक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्निलिखत उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिवक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) बन्तरण सं हुई किसी बाब की बाबत, उसक अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के सिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी जाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) दे प्रयोजनाथ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के सिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ण की अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ण की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

- (1) मैसर्स गोयल बिल्डर्स प्रायवेट लिमिटेड । (अन्तरक)
- (2) श्री किशोर बी० भायानी । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यनाहियां करता हं।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :---

- (क) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तहरीख से 45 दिन की अविध या तत्सबंधी व्यक्तियों पर स्चना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा:
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिनबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकरेंगे।

स्पद्धीकरण:—इसमें प्रयक्त शब्दों और गढ़ों का., जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

धन्स्ची

फ्लैंट नं० 402, जो, चौथी मंजिल, आदित्य पार्क, छन्नपती शिवाजी रोड़, दिहसर (पूर्व), बम्बई-66 में स्थित है ।

अनुसूची जैसाकी कि० सं० अई-4/37-ईई/1658/ 83-84 स्रौर जो सक्षम प्राधिकारी, वस्बई द्वारा दिनांक 16 अप्रैल 1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बई

दिनांक : 10-12-1984

प्रकृप् बाइं.टी.एन.एस.------

मायकर मिधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के मुधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, अम्बई

भम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निवेश सं० अई-- 4/37-ईई/1663/83--84---अतः भूक्षे, ए० प्रसाद,

जायकर विभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके ध्रक्षोत् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269 जो के अधीन सक्षम प्रधिकारों को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/-रु. से अधिक हैं

भौर जिसकी सं० दुकान नं० ए-1-ए-2/11, हाउसिंग स्किम, आनंद नगर, छत्रपती शिवाजी रोज़, दिहसर (पूर्व), बम्बई में स्थित हैं (भौर इससे उपाबदा अनुसूची में भौर पूर्ण रूप से विणत हैं), भौर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रिजस्ट्री है दिनांक 16 अप्रैल 1984 को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हैं और मूक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके ध्रयमान प्रतिफल सं, एसे ध्रयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हैं और अंतरक (अंतरकार्ण) और अंतरित (अंतरितियाँ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में शास्तिक रूप से किथत नहीं किया गया है भि

- कि) नंतरण से हुइ किसी शाय की बाबत, उक्त गिंधनियम के अधीन कर दोने के अंतरक के दायित्य में कमी करने या उससे वचने में सुविधा के सिए; जौर्∕या
- (च) एसी किसी बाय या किसी धन या बन्य बास्तियों की, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धृन-कर अधिनियम, या धृन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना खाहिए था, छिपाने में सविधा के सिए;

क्षतः शव, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण मों, मीं, उक्त अधिनियम की भारा 269-ण की उपधारा (1) वे सभीन प्रतिनम्बित व्यक्तित्वां अभीन प्रतिमान (1) स्पेस बिल्डर्स प्रायवेट लिमिटेड ।

(अन्तरक)

(2) श्री दिनेश एन० ठक्कर, श्रीर श्री कांतीलाल एन० ठक्कर।

(मन्तरिती)

को यह सूचना जारी कारके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यभाहियां कारता हुं।

उक्त सम्पत्ति के वर्षन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की शारी से 45 दिन की अविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बुवारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 विन के भीतर उक्त स्थानर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी जन्म व्यक्ति व्वारा, जधोहस्ताक्षरी के पास निवित में किये जा सकोंगे।

स्पष्टीकरण: — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दुकान नं v-1-v-2/11, जो हाउसिंग स्किम, छन्नपति शिवाजी मार्ग, दहिसर (पूर्व) बम्बई में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क० सं० अई-4/37-ईई/1663/ 83-84 भीर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 16 अप्रैल 1984 को रिजस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक जायक आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रें ज-4, बम्बई

दिनांक :- 10-12-1984

माहरू ध

प्रस्य बाई.टी.एन.एस ,------

बाधकर बांधनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-थ (1) के अधीन सूचना

शारत बरकाव

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई स्टॉब्ट 10 टिसम्बर 10

विनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्वेश सं० अई-4/37—ईई/1664/83—84—-अतः मुझे, ए० प्रसाद,

आयक र अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-क के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का आरण हैं कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाबार मृस्य 25,000/- रा. से अधिक हैं

भौर जिसकी सं० दुकान नं० ए-1, ए-2/12 जो आनंद नगर, छत्नपती शिवाजी मार्ग, दहीसर (पूर्व) बम्बई, में स्थित है भौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है भौर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क आ के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के

कार्यालय में रिजिस्ट्री है दिनांक 16 अप्रैल 1984 को पूर्वोक्त संपरित के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह् प्रोतशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरित (बन्तरितियों) के बीच एसे बन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखित उद्देष्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/मा
- (त) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्ह भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए;

अतः अस, उक्त अधितियम की धारा 269-ग के अनुसरण कों, मी, इक्त अधिनियम की धारा 269-स की उपभारा (1) को अधीन, निम्नसिखित स्वक्तियों, अधित्:चर (1) मैसर्स स्पेस बिल्डर्स प्रायवेट लिमिटेड ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सांता मथाई।

(अन्सरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हुं।

एक्त सम्पर्तित के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप:----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की भवधि या तत्सम्बन्धी श्यक्तियाँ पर सूचना की तामील में 30 दिन की भवधि, जो भी भवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोवत स्यक्तियां में से किसी स्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति ब्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकोंगे।

स्पव्यक्तिरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया हैं।

नपृत्रची

दुकान नं ० ए-1, ए-2/12, जो आनंद नगर, छक्षपति शिवाजी रोड़, दिहसर (पूर्व) बम्बई- में स्थित है। अनुसूची जैंसाकी ऋ० सं० अई-4/37-ईई/1664/ 83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 16 अप्रैल 1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रज-4 बम्बर्ड

विनोक: 10-12-1984

प्रकृष बाह्र¹. त) एन एस.-----

आयकर विधिनगर, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्याच्या व्याप्त शायक शायक (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4 बम्बई

वस्तई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश स० अ $\hat{s}-4/37-\hat{\xi}\hat{\xi}/1661/83-84$ —अतः मुझे, ए० प्रसाद,

शायकर बाधिनियम, 1061 अ61 का 43) (जिसे इसमें इसके गहनार अकत 'र स्थाप कर गण ही), की धारा 269-स की-प्रधीन स्थाप गणिजारी को यह विश्वास करते का कारण ही। कि स्थायर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मृत्य 5 000 स्व स्थाप सामा ही

ग्रौर जिसकी लंग पलैट ना ए-508, जो, पांचवी मंजिल, आदित्य पार्फ, छत्राणी जवाजी रोड, दिसर (पूर्व), बम्बई में स्थित है (ग्रौर उपने उपाबद रानपूनी से ग्रौर पूर्ण रूप से दिणा है) गोर जिस्ता कराजनामा शायकर अधिनयम 1961 की धारा 260 वा, खा के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधागरी के कार्यालय में रिजस्ट्री है, दिनांक 16 अप्रैल 1984

को पूर्वोंक्त सम्पत्ति के लिंचत बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफाल के लिए अना रेंग को गई है जॉर मुक्ते यह विश्वास फरा का राजा है । प्राप्ति हो विश्वास फरा का राजा है । प्राप्ति हो को लेंग के लेंग प्रतिफल का पन्द्रह प्रोत्तिकत से पिधि है और अंतरक (कंतरकों) और अंतरिती (ब्रान रितियों) हे बी। प्राप्त राज्य के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निमालिसिन उवहेत्र से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप हो कथित गरी किया गम हैं :—

- (का) स्वतंत्रण मं हुई किसी स्याय की बाबत उक्त वंशिय - नी गरी के स्वयंत्र के दायित्व में कमी करने या स्थासे बचते में सुविधा के भाग सेवारिया
- (का) एंकी किसी कार या किसी धन या अनः नास्तियों को जिल्ह अपनीता कार्यकार अधिनियात. १०22 (137) ह (137) ह () भा उक्त अधिनियात. १०22 (137) ह () भा उक्त अधिनियात. १०27 (1357 का 27) की प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया नया भा था किया जाना पाहिए था. जिनाने को स्विधा क निए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-गे की उपधारा (1) के अधीन, निम्निलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- (1) मैसर्स गोयल बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड । (अन्तरक)
- (2) श्री राम केशवानी, श्रौर श्रीमती सिमा आर० केशवानी ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पृथीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए भाववर्गह्या करता हू ।

उक्त नम्पत्ति क अजन के लबध में कोई भी आक्षेप --

- (क) इस मूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की श्विध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त हाती हो, के भीतर पूर्वोक्त अधिकारों में से निर्मी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सचना के राजण में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थादर सम्पत्ति में हित-इस कियाँ प्रणापितर द्वारा अनोहस्ताक्षरों के पर विकास के किए जा सकींगे।

स्पद्धीकरण: --इस्में पयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया

गन्स्षी

फ्लैट नं ए-508, जो, पाचवी, मंजिल, आदित्य पार्क, छत्रपती शिवाजी रोड, दिहसर (पूर्व) वम्बई-68 मे स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क० मं० अई-4/37– $\xi\xi/1661/83$ –84 ग्रीर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 16 अप्रैल 1984 को रजिस्टर्ड किया गया है I

ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, 4 बम्बई

दिनांक : 10-12-1984

प्ररूप नाहर् टी.एन.एस.------

भागकर भीभीनियम, 1961 (1961 का 43) की

भार 269-भ (1) के अधीन समजा

भारत भरकार

कार्यालय, महारक आयकर आयक्त (निरीक्षण)

अजेन रेज, बम्बई बम्बई, विनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देण अर्ट०-4/37ईई/1565/83-84--- সন: मुझे, ए० प्रसाद,

शायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परभात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थ्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/-रत. से अधिक है³

क्रौर जिसकी सं० बुकान मं० ।, जो, ग्राउंड फ्लोर, बिल्डिंग साईप्रसाद सर्वे नं० 79, एच० नं० 3 ए-1, छत्रपती शिवाजी रोड़, दहिसर (पूर्व). बम्बई--68 में स्थित है (श्रीर इसमे उपाबद्ध ग्रन्भूची में श्रीर पूर्ण रूप से विणित है) श्रीर जिसका करारनामा प्रायकर भ्रधिनियम, 1961 को धारा क, ख के प्रधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 13 श्रप्रैल 1984

को पूर्विक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के करयमान प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई हैं और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथाप्वेक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके धरयमान प्रतिफल से, एसे धरयमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिफल से अभिक है और अन्तरक (अन्तरकार) और अंतरिती (अन्तरितियाँ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकल, निम्नलिखित उद्देष्य से उक्षत अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आयं की बाबस, उक्त अधिनियम के अधीन कर दांने के अल्लरक के वायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/मा
- (स) एेमी विभी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हें भारतीय बायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया आना चाहिए था, छिपाने में सविधा के लिए;

अत: अव, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के जनुसरण में, में, उसत अधिनियम की धार 260-व सी उपधार (1) के अभीन, निम्नलिभित व्यक्तियों. अर्थात :---55-426GI/84

(1) मैसर्स स्वाती बिल्डर्स ।

(अन्तरक)

(2) भी मणिबेत देवराज शहा ।

(अस्मीरुखाः)

को यह सुचना जारी करके पूर्विक्त सभ्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुए।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के मंबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना की तामील सं 30 दिन की अवधि, जांभी अविधि बाद में समाप्त होती हा, के भीतर पूर्वेक्त व्यक्तियां में से किसी व्यक्ति दवारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सभ्यत्ति में हितबवध किसी व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

ल्पव्यक्तिकरणः ---इसमा प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

जगुन्दी

दुकान न० 1, जा ग्राउड फ्लार बिल्डिंग साई प्रसाद, सर्वे न० 79, एच० नं० अए-।, छत्रपती शिवाजी रोड, द्रहिसर (पूर्व) बम्बई-68 में स्थित है ।

ग्रनसूची जैसाकी ऋ०सं० - अ**ई**— 4/ 3 7—ईई/ 1 5 6 5/ 83-84 श्रीर जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनौंक 13 म्रप्रैल 1984 को रिजस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रमाह सक्षम प्राधिकारी ग्रायक्त (निरिक्षण) महायक श्रायकर श्चर्तन रेज--4, बम्बर्ध

10-12-1984 दिनाक

माहर:

प्रस्प नाइं. टी एन. एस. ----

मायकर मिथिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) में अभीन स्वना

भारत सरकार

कार्याक्षय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

भ्रर्जन रेंज-4, बम्बई बम्बई, दिनाक 10 दिसम्बर 1984 निर्वेश मं० श्रई-4/37-ईई/1567/83-84--श्रतः मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके प्रवाद 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

ग्रीर जिसकी सं० दुकान नं० 2 जो, बिल्डिंग साई प्रमाद सर्वे नं. 79, एघ० नं० 3-ए-1 छन्नपती शिवाजी रोड़ दिहिसर, (पूर्व) बम्बई-68 में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से विणित है), ग्रीर जिसका करार-नामा ग्रायकर ग्राधिनयम, 1961 को धारा 269 क, ख के ग्राधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारों के कार्यालय में राजेस्ट्री है, दिनांक 13 ग्राप्रैल 1984

को पूर्विक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्रवमान प्रीतफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्विक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके श्रवमान प्रतिफल से, ऐसे श्रवमान प्रतिफल का पन्प्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण जिलित में वास्तिक रूप में किथत नहीं किया गया है :---

- (क) अंतरण से हुई किसी आय की शायत, उक्स अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्टरक के द्राय्तिय में कमी करने या उससे बचने में सूविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों कां, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957) का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा केलिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन, निम्निस्सित व्यक्तियों, अर्थात् :--- (1) मैसर्स स्वाती बिल्डर्स।

(ग्रन्सरक)

(2) श्रीमती झवेरबेन सी० गोगरी।

(म्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाक्षेप :~--

- (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारींस से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्थान की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि याद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वकित व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति व्यक्ति व्यक्तियां
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं
 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास निक्ति में किए जा सकाँगे।

स्पष्टीकरणः--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में पीरभाषित हौ, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया

अनुसूची

दुकान नं० 2, जो बिल्डिंग साई प्रसाद, मर्वे नं० 79, एच० नं० 3-ए-1, छन्नपती शिवाजी रोड़, दिह्मर (पूर्व) बम्बई-68 में स्थित है ।

अनुसूची जैसाकी ऋ० स० प्रई-4/37-ईई/1567/ 83-84 और जो मक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनाक 13 अप्रैल 1984 को र्राजस्टर्ड किया गया है ।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारो सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरोक्षण) श्रर्जन रेंज-4, बस्बई

षिनांक ।- 10-12-1984 सोंडर : प्ररूप बाइ .टी . एन . एस . ------

नायकर निधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अभीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक बायकर बाय्कत (निरीक्षण)

श्चर्जन रेंज-4, बम्बई बम्बई दिनांक 10 दिसम्बर 1984 निर्देश सं० श्चर्ड-4/37-ईई/1566/83-84--श्चतः मुझे, ए० प्रसाद,

मायकर मिर्मिनयम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'ज़क्त मिर्मिनयम' कहा गया है), की भारा 269-आ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विकास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 75,000/- रु. से अधिक है

स्रौर जिसको सं० दुकान नं० 3, जो ग्राउंड फ्लोर, बिल्डिंग साई प्रसाद, सर्वे नं० 79, एच० नं० 3-ए-1, छन्नपती शिवाजी रोड़, दिहसर (पूर्व), बम्बई-68 में स्थित है (भ्रौर इससे उपाबद अनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप में विणित है), भीर जिसका करारनामा स्रायकर स्रोधनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित मक्षम प्राधिकारों के कार्यालय में राजस्ट्री है दिनांक 13 स्रप्रैल 1984

को पूर्विक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दूरयमान श्रीतफल के सिए जन्तरिती की गई और मुक्ते यह विष्वास करने का कारण है कि बधापूर्विक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उन्नके क्यमान प्रतिफल से, एसे दूरयमान प्रतिफल का पम्कह प्रतिकृत से अधिक है और अम्तरक (अन्तर्कों) और जन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तथ पावा नया प्रतिफल निम्मसिचित उद्वेषय से उक्त अन्तरण मिनिकत में बास्तविक क्यू ने काथित नहीं किया गवा है ----

- (व) बलारण से हुद किसी आव की वाबत, उचत जिमितियम के जभीन कर दोने के जन्तरक के दायित्थ में कमी करने या उससे वचने में तृत्रिभा के लिए; और/या
- (क) एंसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया काला जाहिए था कियाने में सृविधा के लिए,

(1) मैसर्स स्वाती बिल्डर्स ।

(प्रन्तरक)

(2) श्री चाफ्सी खिमजी गोगरी।

(प्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पृत्रीक्त सम्पत्ति के अर्थन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पर्ति के वर्षन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियां पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी जबिध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियां में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस स 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति ब्वास अभोहस्ताक्षरों के पास विकास में किए जा सकोंगे।

स्वकाकरण: ----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त जिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा, को उस अध्याय में दिया गया है।

नगर्दची

दुकान नं० 3, जो, ग्राउंड फ्लोर, साई प्रसाद, सबे नं 79, एच० नं० 3-ए-1, छक्षपती शिवाजी रोड़ दहिसर (पूर्व), बस्बई-68 में स्थित है ।

श्रनुसूची जैमाकी क० सं० श्रई-4/37—ईई/1566/83-84 श्रीर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 13 श्रप्रैल 1984 को रिजस्टिङ किया गया है।

ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-4, बम्बई

जतः जब, उक्त जिथिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण को, को, उक्त जिथिनियम की भारा 269-ग की उपभारा (1) को अभीन, निम्निलिखित व्यक्तियों, अर्थात् हु—

दिनांक :- 10-12-1984

प्रक्य गाई.टी.एन,एस.-----

बायकर मिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अभीन सुचना

भारत वरकार

कार्यालय, सहायक बायकर भायक्त (निरीक्षण)
ग्रर्जन रेज-4, बम्बई
बम्बई, दिनाक 10 दिसम्बर 1984
निर्देश स० ग्रर्श-4/37-ईई/1775/83-84---ग्रत

नायकर मिंपिनमम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भार 269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारों को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रह. से अधिक ही

श्रीर जिसकी मं० दुकान न० 4 जो. बिल्डिंग बी. मिन्क्यू टटा नगर, छत्रपता शिवाजी रोड, दिह्सर (पूर्व), बम्बई—68 में म्थित है (श्रीर उसमे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विणत है) श्रीर जिसका करारनामा ग्रायकर ग्रिधितयम 1961 की श्रीरा 269 क, खं के ग्रिधीन वम्बई स्थित मक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रिजस्टी है, दिनाक 19 ग्रप्रैल 84 को पूर्वेक्स सम्पत्ति के जिपत बाजार मूल्य से कम के रहममान प्रतिफल के लिए जन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूबाक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल के पंत्रह प्रतिश्वात से अधिक है और अन्तरिक (अन्तरिकों) और अन्तरिती (अन्तरितयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्विध्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिक रूप से किथत नहीं किया गया है:—

- (क) बन्तरण संहुई किसी बाय की बाबुत, उक्ट अधिनियम में अधीन कर दोने चौ करारक के चौमत्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; बीर/या
- (था) होती किसी नाय वा किसी भन या अन्य आस्तियों कों, जिन्हें भारतीय नाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उसत अधिनियम, या भनकर असिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अस्तिरती ब्जारा प्रकट नहीं किया गया था था किथा । जाना चाहिए था, ख्याने में सुनिभा के सिए;

वतः जय, उक्त विभिनियम की भारा 269-म की अनुसरक को, मी, उक्त अभिनियम की भारा 269-म की उपभाग (1) को अधीर, निम्मिलिसिस व्यक्तियों, वर्षात् क्र--- (1) श्राणी एस वावडिया ।

(ग्रन्तरक)

(2) श्री जे० डी० करेडिया ।

(भ्रन्तरिती)

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के निष् कार्यवाहियां मुक्त करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सबध में कांग्ने भी आक्षेप ---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब है 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी नविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्रोंक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति इवारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीस स 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिनबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पाझ लिसित में किए जा सकेंगे।

स्पच्छाकरण: ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जां उक्त जीभिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, कहीं अर्थ क्रोगा, जो उस अध्याय में दिया गया हैं।

धनुसूची

दुकान नं० 4 जो, बिल्डिंग बी, सिस्क्यूटटा नगर. छत्रपती णिवाजी शेड, दिहसर (पूर्व) बम्बई-68 में स्थित है। श्रतुसूची जैसाको ऋ० सं० श्रई-4/37-ईई/1775/ 83-84 श्रीर जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 19 श्रप्रैल 1984को रिजिस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद, सक्षम प्राधिकारी महायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज-4, बम्बई

दिनांक : 10-12-1984

शक्य बाइ .टी .एन . युव . -----

भावकर वृद्धिनियम, 1961 (1961 का 43) की वादा 269-व (1) के अभीन स्थान

हाएक रएकाउ

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, धम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदंश सं॰ अई-4/37-ईई/2079/83-84-- अत. मुझे ए॰ प्रसाद,

बायकर विभिन्नियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-क के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विख्यास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृख्य 25,000/- रह. से अधिक हैं

स्रोर जिसकी सं० पसट नं० 8, जो, ई-निया, पहली मंझील गुलिस्थान अपार्टमेंट, मी० टी० एस० न० 1053/1से 7, एस० वि० रोड , इहिसर (पूर्व) वम्बई में स्थित है (स्रोर इससे उपाबद्ध अनुसूची में स्रोर पूण रूप में विणित है), स्रोर जिसका करारनामा आयकर अधिनयम 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित मक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में राजस्ट्री है विनाक 27 अप्रैल 1984

को पृथेक्ति सम्पत्ति को उचित बाबार मृत्य स कम के क्रममान प्रतिकल को लिए अतरित को गई है और मुफ्ते यह विश्वास करम का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाबार मृत्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे व्ययमान प्रतिफल का बन्द्रह् प्रतिगत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के सिए त्य पावा गया प्रति-कन निस्तिसित अवृथ्येस से समत अन्तरण निश्चित में बास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (का) अन्तरण वंड्रचं किसी नाय की बावत, उपत अधिनिवृत्र के अधीन कर दोने के अन्तरक के शासित्व को काशी करने वा उपने के अपने को भीतिया के हिन्द; और/वा
- (क) एसी किसी बाय या किसी धन व। अन्य कास्तियों करें, जिन्हें भाषतीय गाय-कर विधितियम, 1922 (1922 का 11) या उनत विधितियम, वा वनकर विधितियम, वा वनकर विधितियम, वा वनकर विधितियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जन्तरिती बुवारा प्रकट नहीं किया गया था या किया वाना वाहिए था, स्त्रियाने में विश्वा के किए।

अतः भव, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ध को अनुबारण भी, मी, उक्त अधिनियम की धारा 269-थ की अधधारा (1) को अधीन, निम्नुलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :— (1) नेस्टर्न इंडिया भिल्डर्म ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती त्रमोहमद जिवा मोमीन । (अन्तरिती)

का यह सूचना धारी करके पूर्वोक्त सम्मरित वी वर्षन के निए कार्यवाहियां करता हु।

उन्ह सम्पत्ति के नवीन के सम्बन्ध में नहेंही भी नामीप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र मों प्रकाशन की तारींच सैं 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की सर्विष, जो भी सर्विष बाद मों समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों क्ल व्यक्तियों में से किसी स्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपण में प्रकाशन की तारीक के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिहम्ताक्षरी के पास लिखित में किए था सकोंगे।

स्वच्छीकरण: ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, वो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, कही कर्ष हागा जा उस अध्याय में दिया गया हैं।

अनुसूची

पर्लैंट नं 8 जो है—विंग , पहली मंझील, गुलिस्यान अपार्टमेंट, एस० वि० रोड, सी० टी० एस० नं 1053 1 से 7, एस० वि० रोड, दहिसर (पूर्व) अम्बद्दी में स्थित है।

असुसूची जेसाकी कि स० अई-4/37-ईई/2079/83-84 श्रीर जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनाक 27 अप्रैल 1985 का रजिस्टर्ड किया गया है।

ए०ं प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4 बम्बई

विनोक : 10-12-1984

मोहर 🌣

प्ररूप बाइ.टी.एन,एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अधीन स्वाना

भारत सरकार

कार्बालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण) अर्जन रेज-4 बम्धई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश स० अई-4/37—ईई/1693/83—84—— अत. मुझे ए० प्रसाद,

बायफर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसकें प सात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूस्य 25,000/- रूपए से अधिक है

श्रीर जिसकी स० फ्लट नं० 64 जो 6 वी मंजिल बिल्डिंग अनंत अपार्टमेंट प्लाट न० 791 दिहसर (प), बम्बई-68 में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची मे ग्रीर पूर्ण रूप से विजत है), ग्रीर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय मे रिजस्ट्री है दिनांक 13 अप्रैल 1984

को पूर्वोंक्त सम्परित के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान मितिकल के लिए अंतरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोंक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दश्यमान प्रतिकल से एसे दश्यमान प्रतिकल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (बन्तिनिरिबयों) के बीच एसे अन्तरण के बिए तय पाया गया प्रतिकल, निम्नलिखित उद्दोष्य से उक्त अंतरण लिखित मे बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- क) अन्तरण से हुई फिसी आयं की बाबत, उक्त अधि-शिवस के बधीन कर दोने के अंतरक के दायित्व में कसी करने या उससे वचने में सुविधा के बिए, मौद/या
- (ब) ऐसी किसी आय या फिसी भन वा बन्य जास्तियों को, फिन्हूं भारतीय जावकर स्थिनिव्स, 1922 (1922 का 11) या अक्त जॉभिनिवस, वा भन-कर अभिनिवस, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ बन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया प्राचा वाहिए था, जियाने में सुविधा के लिए,

बत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण के, मैं,, उक्त अधिनियम की भारा 269-म की उपधारर (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात् ⊩— (1) मैसर्स अतुल कन्स्ट्रक्शन्स ।

(अन्तरक)

(2) श्री अजित गणेश कुलकर्णी ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, भी भी अविधि आद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बुदारा;
- (क) इ.स. सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच सं 45 दिन' के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बव्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोक्षस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकाँगे।

स्पष्टीकरण:---इसमें प्रगुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं. बही अर्थ होगा, यो उस् अध्याय में विका गया है।

वग्यू पु

फ्लट नं०64 जो 6 वी मंजिल बिल्डिंग अनंत अपार्टमेंट, प्लाट नं. 791, विहसर पश्चिम), बम्बई-68 में स्थित हैं।

अनुसूची जैसाकी ऋ० सं० आई-4/37-ईई/1693/ 83-84 श्रीर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 13 अप्रैल 1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद, सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज --4 सम्बर्ध

विनांक: 10-12-1984

प्रस्प बार् .टी .एन् .एस . ------

भाभकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के अधीन स्चना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4 अम्बई

बम्बर्ध, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निवेश सं० अई-4/37-ईई/2310/83-84--अत: मुझे ए० प्रसाद,

जायकर बौधनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके प्रधात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है, की धारा 269-क के अधीन सक्षम प्राधिकारों को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रा. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० पिस अण्ड पार्सेल आफ लैंड बेअरींग एस नं० 4 एच० नं० 3, एस नं० 4 श्रीर एच नं० 2 गांव एक्सार, बोरिवली, बम्बई में स्थित है 'श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूधी में श्रीर पूर्ण रूप से विणित है), श्रीर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रिजस्ट्टी है विनांक 13 अप्रैल 1984

का पूर्वीक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए बन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक (अंतरका) और अंतरिती (अंतरितियाँ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय गया गया प्रतिफल, निम्नलिचित उद्देश्य से उक्त अंतरण निस्ति में वास्त्रिक रूप से किया गया है ---

- (क) अन्तरण से हुन् किसी आय की बाबत, उक्त अधिनिया, के अधीन कर दोने के अन्तरक के दासित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के निष्; बार/या
- (स) एसी किसी आय या किसी भन या बन्य आस्तियों को जिन्ही भारतीय आयकार अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम, या भन-कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) की प्रयोजनार्थ अन्तिरिती द्वारा प्रयट नहीं दिया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपान में सुविभा के लिए

क्षाः कव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मं, मं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) अरूणा जमनादास, श्री रजनी गोपालजी, मेधजी देवराज ।

(अन्तरक)

(2) आर० सी०ठवंकर, एल० सी०ठवंकर, के० एलठवंकर, श्रौर सी० एच० सयाटा । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्यारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीत से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपरित मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकारी।

स्पव्यक्तिश्णः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पद्यों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया गया है।

भन्स्ची

आल दट पिस अण्ड पार्सेल आफ लैंड बेअरीग एस० नं० 4 एचं० नं० 3 श्रीर एस० नं० 4, श्रीर एच० नं० 2, गांव एक्सार बोरिवली (प), बस्बई में स्थित है। अनुसूची जैसाकी ऋ० मं० अई-4/37/2310/83-84 श्रीर जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 13 अप्रैल 1984 को रजिस्टई किया गया है।

> ए० प्रसाद, सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4 बम्बई

दिनोक · 10-12-1984

प्ररूप नाइ. दी. एन. एस,-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 49) की धारा 269-भ (1) को अधीन समना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर मायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निवेश म० अर्थ-4/37हर्ष/1691/83-84---अन गुप्ते ए० प्रमाद

भावकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रु. से अधिक है

ष्मीर जिसकी सं० सर्वे नं० 132, एच० नं० 3, ब्हिलेज एक्साइ, तालुका बोरिवली, बम्बई में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद अनुसूची में श्रीर जो पूर्ण रूप से विणित है) श्रीर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की घारा 269 कला के अधोन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 13-4-1984

को प्वांक्त संपरित के उचित बाजार मृत्य से कम के प्रकान प्रतिफल के लिए जन्तरित की गई है और मृत्रे यह विश्वास करने का कारण है कि यथाप्वोंक्त सम्पत्ति का उचित बाजार बृत्य उसके दश्यमान प्रतिफल से, एमे दश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिकात से अधिक है और अंतरक (जंतरकों) भार अंतरिती (जन्तरितियों) के बीच एमे जन्तरण के लिए तय पाया यशा प्रतिफल, निम्निलिखित उद्वेष्य ते उक्त अन्तरण कि लिखित में बात्सविक स्था से कथित नहीं किया गया है —

- (क) अन्तरकृते हुई किती नाथ की बाबस्त, उक्त विधिनयन की अभीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे वक्ते में सुविधा को लिए; और./या
- (क) एसे किसी आय या किसी धन या अध्य आस्तिनों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उन्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपामें में स्विधा के लिए;

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग को अनुसरण मों, में उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपभारा (1) को अधीन, निम्मलिकित स्वीक्तयों, अधीत:— 1. मैसर्स गायक्षी इम्पेक्स प्रयवेट, लिमिटेड।

(अन्तरक)

३ अ फान्सीस फर्नान्डीस ।

(मल्लिनं)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति कं अजन के लिए कार्यमाहियां करला हुं।

उक्त सम्पत्ति के अजन के सम्बन्ध में क्रोई भी आक्षप ---

- (कं) इस स्वान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीश से 45 दिन की अविध या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वान की तानील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध याद में समाप्त होती हो, के भीतर प्रविकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्यक्तिया:
- (क) इस मूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक्थ किसी अन्य स्थावित द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिक्षित में किए जा सकी।

स्वष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शन्वों और पर्दों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में वरि-भाषित हैं, वहीं कर्ष होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

मन्स्ची

सर्वे नं । 132, एच० नं ० 3, विहलेज, एक्सार, तालुका बोरिवती, बम्बई में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि फ्र॰ मं॰ अई-4/37ईई/1691/83-84 भौर जो सक्षम प्राधिकारो बम्बई द्वारा दिनांक 13-4-1284 को रजिस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयक्र आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, अस्बर्ड

दिनांक 12-12-1984

मोहर

प्रकम् भार्षः टी. एन. एस.-----

1. मैसर्स आर०के० इंटरप्राइजेस ।

(अन्तरक)

(अन्तरिवी)

आयकरु जिभिनियम, 1961 (1961 का 43) न्की धारा 269-च (1) के अधीन स्चना 2. मैसर्स प्रगति कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन।

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 विसम्बर, 1984

निर्वेश सं० अई-4/37ईई/1794/83-84—अतः मुझे ए० प्रसाद

बायकर बिधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-क के बधीन सक्षम प्राधिकारी की यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रह. स अधिक ही

भीर जिसकी सं० व्हिलेज, एक्सार, तालुका बोरिवली, संव नं० 132, एक० नं० 5-ए, (पार्ट), सं० टा० एस० न 874(पार्ट), बोरिकलो में स्थित है (ग्रीर हममे उपाबद्ध अनुसूकी में भीर जो पूर्ण रूप से विणित है) भीर जिसका परार नामा आयकर अधिनियम, 1961 को धारा 269 कथ के अधी बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के वार्यालय में रिजस्ट्रा है दिनां 21-4-1984

को प्योंकत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान श्रीतफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथ्यप्योंकत सम्पत्ति का उचित बाजार मृल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्सह प्रतिकात अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए नय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उच्त, अन्तरण चिखित में बान्सविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविभा के सिए और/या
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्हों भारतीय आयकार अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था. हिस्पाने में निकास के लिए:

बतः बब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में उक्त अधिनिगम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिकित व्यक्तियों, अर्थातः ;----56---426GI/8 4 को यह स्चना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करना हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी के 45 दिन की अव्धिया तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्चना की तामील सं 30 दिन की अविधि जो भी अविधि चाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्विक्ट व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोस से 45 दिन के भीनर उस्त स्थावर सम्पत्ति में हित- त्रद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अशंहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पच्छीकरणः :— इसने प्रयुक्त शब्दों और पर्दों का, जो जक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित ही,, वहीं अर्थ होगा, जो तस अध्याय भें दिया गया ही ।

अमुस्ची

व्हिलेज एक्सार, सालुका बोरिवलो, सर्वे नं० 132, एव० नं० 5-ए (पार्ट), सी० टी० एस० नं० 874(पार्ट), बोरिवली में स्थित है।

अनुसूचे जैसा कि ऋ० सं० अई-4/37ईई/1794/83-84 सीर जो सक्षम प्राधिकारों बम्बई द्वारा दिनांक 21-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण) अर्जन रॅज-4, **सम्बर्ध**

दिनांक : 10-12-1984

प्रकप नार्षं. टर्ने. एन. एस.-----

बायकार समितियम, 1961 (1961 का 43) फी भारा 269-भ (1) को सभीन स्पना

भारत सर्कार

कार्यालय, सहायक भायकर आय्क्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० अई-4/37ईई/49/83-84—अतः **मुझे,** ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1-961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का आरण है कि स्थावर संपति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रह से अधिक है

भीर जिसकी सं० लैंन्ड, बेअरिंग सर्वे नं० 8 से 13, (सीं०टी० एस० नं० 1 से 6 भीर 6पीं० 1 से 46), भीर प्लांट नं० 21, 19, 44 बाईड डो०पी० रोड, व्हिलेज मागठाणे, बोरिवली (पिक्सि) बम्बई में स्थित है (भीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में भीर जो पूर्ण रूप से बणित है) रिजस्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय बम्बई में रिजस्ट्रकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 9-4-1984

को पूर्वोक्त मपित्न के उचित नाजार मृत्य से कम के दृश्यमान प्रितिफल के लिए अन्तरित की गर्द है और मुफे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में थास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- '(क) अन्तरण से हुई किसी आय की धावत, अक्स अधिनियम के अधीन कर योगे के अन्तरक के द्यायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या
- (क) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों करें, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धर-कार अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अयोजनार्थ अन्तरिनी दनारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना वाहिए था, खिपाने में सूविधा खें लिए;

सतः अस, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण भौ, भी, उक्त अधिनियम की भारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखिन व्यक्तियों. अर्थात :—

- ा. श्री राम नगर ट्रस्ट नं० 1,
 - (1) श्रो धन्द परमानन्द हिंदुजा, भीर
 - (2) श्री नारायण दास कन्हैयालाल हिंदुजा, ट्रस्टी। (अन्सरक)
- 2. श्री बी॰ पी॰ टी॰, विजय दिप॰ की-आपरेटिन्ह हार्जीसंग सोसायटी, लिमिटेड।

(अन्तरिती)

- 3. (1) मैसर्स इलेल हाटेल्स एण्ड, इन्ट्हेस्टमेट्स, लिमिटेड, श्रीर
 - (2) मैसर्स हिंहुजा बदर्स ट्रस्ट । (वह व्यक्ति जिसके अधिमोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पृदेक्ति संपरित के अर्थन के लिए कार्यवाहियां करता हु ।

उक्त संपत्ति को अर्जन को संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तितयों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि शद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस स्वना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 45 दिन को भीतर उक्त स्थायर मंपस्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी को पास निकास में किए जा सकारी।

स्वतदीकरण: ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अनुसूची जैसा कि विलेख सं० 234/78 श्रौर उप रजिस्ट्रार सम्बद्दे द्वारा दिनांक 9-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बई

विनाक 10-12-1984 मोहर भूकप् बार्ड , ठी , एन् , एस , - - म मन्त

बायकर अधिनियम्, 1961 (1961 का 43) करी भारा 269-म् (1) के स्थीन स्वना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निर्देक्षण)

अर्जन रेंज -4, बम्बई बम्बई, दिनांतः 10 दिसम्बर 1984 निर्देश सं० अई-4/37ईई/1451/83-84---अतः मुझे, ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात 'उनत अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-क के अधीन सक्षम शिधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूक्य 25,000/- रा. से अधिक है

भीर जिसको सं० फ्लैंट नं० 104, जो, 1 ली मंजिल, "साई हे बन", नामदेवी, रोड, आफ एस० वि० रोड, पोईसर हे कांदिवली (प०), बम्बई-67 में स्थित है (भीर इससे उपाब अनुसून। में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करार नामा आयकर अधिनियम 1961 को धारा 269 कख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारों के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 12-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम के प्रयमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विद्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और बंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए त्य पाया गया प्रतिफल निम्निलिखित उद्वेष्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तिविक कप से कथित नहीं किया गया है;—

- (क) जन्तरण से हुई किसी जाय की बाबत, उक्छ जिथितियम के अधीन कार दोने के जन्तरक के द्यायित्व में कभी धारने या उससे बचने भें सुविधा के लिए; और/या
- (का) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आसिसवाँ को जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धृतु-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए;

कतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के जनसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् क्ष्म 1. मैसर्स एस० आर० कन्स्ट्रक्शन, कंपनी।

(अन्तरक)

2. श्रीसी० जे० पिडो

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पृत्ति के बूर्वन के विषु कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन् के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकशन की तारीस से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पूर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवक्ष किसी अन्य व्यक्ति व्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास विखित में किए जा सकेंगे

स्पष्टीकरण:—-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जा उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो जस अध्याय में दिया गया है।

ननसची

प्लैट मं० 104, जो 1 ली मंजिल, "साई हेवन", नामदेवी रोड, आफ एस० वि० रोड, पोईसर, कांदिवली (प०) बम्बई-67 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क० सं० अई-4/37ईई/1451/83-84 भौर जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 12-4-1984 को रजिस्टर्श किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, सम्बद्ध

दिनोक 10-12-1984 मोहर : भूकप् **बाइ**ं, टी. एन्. एस्.,------

भाषकर लिधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अधीन स्थना

शास्त्र सुरकाड

कार्यात्य, सहायक आयक र नायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्वेश सं० अई-4/37ईई/1192/83-84---अतः मुझे, ए० प्रसाद,

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'छक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-ख को अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करन का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रह. से अधिक हैं

भीर जिनको सं पर्नट नं० 111, जो रामदेव पार्क, चंदावर कर लेन, बोरियलो (प०), बम्बई-92 में स्थित है (भीर इससे उपाबड़ अनुसूचा में भीर जो पूर्ण रूप से विणत है) भीर जिसका करारनामा आयमर अधिनियम 1961 का धारा 269. कछ के अधान बम्बई स्थित सञ्जम प्राधिकारा के कार्यालय में रिजिस्ट्रों है दिनांक 3-4-1984

की पृत्रोंकत सम्पत्ति के उचित बाजार मृल्य से कम के दश्यमान प्रिपफल के लिए अन्तरित की गई है और मूक्तें यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोंकत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रिपफल का पन्द्रह प्रियात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरित्यों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल. निम्नितिश्वित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण निश्वित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया ग्या है:---

- (तरं) जन्तरण से हुई फिसी बाब की बाबस, सबसः जिपिनियम के जधीन कर क्षेत्रे के सन्तरक के वायित्य में कमी करने या उनमें बचने को स्विधा के लिए; बौट्र/या
- (ख) ए'सी किसी आय वा किसी धन या अन्य बास्तिकां को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रवोधनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुनिथा के शिषः;

बतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण बी, मी, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियाँ, अर्थात् :--- 1. कमला डेवलपमेंट्स, ।

(अम्तरक)

2. श्रीमतो सावित्रो, एष० गुप्ता।

(अन्तरितो)

3. अन्तरिती ।

(बह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

का यह सूचना चारी करके पूर्वोक्त संपर्तित के वर्षन के विष कार्यवादियां कारता हों।

ज्वत सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधीप:--

- (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारी इसे 45 दिन की जबिध या तत्सम्बन्धी स्पिक्त मों पर स्थान की तामील से 30 दिन की अविध, को भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कर व्यक्तियों में से किसी स्पन्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबबूध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभाहस्ताक्षरी के पाइ किस से किए जा सकेंगे।

स्पद्धीकरण :—-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पद्धों का, जो उक्स अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाणित है, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

जन्स्ची

फ्लैट नं० 111, जो , रामदेव पार्क, व्यवाबरकर सेंत, बोरिक्लों (पिक्चिम), बम्बई-92 में स्थित है।

अनुसूर्चा जैसा कि ऋ० सं० अई-4/37ईई/1192/83-84 ग्रीर जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 3-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बई

दिनांक: 10-12-1984

श्ररूप आई.टी.एन.एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धार 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षणं, प्रर्जन रेंज-4, बम्बई बम्बई] दिनांक 10 दिसम्बर 1984 निदेश सं• प्रद-4/37-ईई/2046/83-84--ग्रतः मुझे,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धार। 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रह से अधिक है

श्रीर जिसकी सं॰ फ्लैट नं० बी/208, जो, दूलरी मंजिल, कृष्ण कमल श्रपार्टमेंटस्, गोविद नगर, सोडावाला रोड, बोरि-वली (प), बम्बई-92 में स्थित है (श्रीर इसमे उत्तबद्ध श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वणित है), श्रीर जिसका करार-नामा श्रायकर श्रीधनियम, 1961 को धारा 269 क.ख के श्रिकीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजास्ट्री है, तारीख 19 श्रप्रैल 1984,

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के स्थमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुफे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, ससके दश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरको) और अतरिती (अंतरितयों के बीच एसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण जिल्वित में बास्तिक रूप से किथत नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण में हुई किसी आय की वाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर तत में अन्तरफ के दायित्व में कभी करने या उत्तरी बचने में स्विधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हों भारतीय आयकर अंभू में (1922 का 11) या उक्त आंध्यिनम्म, जुला कर अधिनियम, 1957 (1967 हो जुला प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था वा किया जाना चाहिए था, व्यान के स्थि

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अनसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नीलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेसर्स सोहनलाल एण्ड सन्स।

(ग्रन्तरक)

(2) श्री श्रानिल गणपत भावे श्रीर श्री विजय गणपत भावे।

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबहुध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिसित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टिक्षण -- रसम प्रयुक्त शब्दों और पदों का., जा उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होंगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

यन्सूची

पर्लंट नं० बीं०/208, जो दूसरो मंजिल, कृष्ण कमल श्रयार्टमेटल, गोविद नगर, सोडावाला रोड, बोरिवली (प०) बम्बई-92 में स्थित है।

श्रनुसूचा जैसाकी कि०सं० श्रई-4/37-ईई/2046/83-84 श्रीर जो सञ्जम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 19-4-1984 को रजीस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक बायकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख: 10-12-1984

प्रकृप् आवे. टी. प्रम् . एस . ---------

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) करी भारा 269-घ (1) के अधीन सुझना

धारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकत आयक्त (निर्दाक्षण)

ष्ठर्जन रेंज-4, बम्बई बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984 निवेश सं० ष्टर्ड-4/37-ईई/2047/83-84--भ्रतः मुझे, ए० प्रसाद,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी की यह विश्यास करने का कारण है फि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रु. से अधिक है

धीर जिसकी सं० पलैट नं० बी-108, जो, पहली मंजिल कृष्ण कमल अपार्टमेटस्, गोविद नगर, सीडावाला रोड, बोरि क्ली (प), बम्बई-92 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूचों में और पूर्ण रूप से वीणत है), और जिसका करार-नामा आयकर अधिनियम 1961 को धारा 269 क, ख के अवीन बम्बई स्थित सक्षम अधिकारों के कार्यालय में रजोस्ट्रों है, सारीख तारीख 19-4-1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मृल्य से कम के इश्यमान श्रीतफल के लिए अन्तरित की गई है और मुभे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृश्य, उसके स्थ्यमान प्रतिफल से, एसे स्थ्यमान प्रतिफल का पन्तह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अत्तरित्यों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-कत, निस्तिशत नहीं किया गया है :=-

- (क) जन्तरण से हुई किसी जाय की बाबत, उक्त जिम्मियम के अभीन कर दोने के अन्तरक के दरिबल्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के सिए; जॉर/वा
- (थ) ऐसी किसी जाय या किसी धन या अन्य जास्तिओं को जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या अनकर अधिनियम या अनकर अधिनियम का अनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविभा के लिए;

जराः जज, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की अनुसरण मं, भं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निस्तिविधार व्यक्तियों, अर्थात :--- (1) मेसर्सं सोहनलाल एण्ड सन्स ।

(मन्तरक)

(2) श्रोमती कल्पना श्रशोक नायजु ।

(मन्तरिती)

की यह सूचना जारी करके पृषाँकत सम्पृत्ति को शर्थन की हैं सूच कार्यशाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप 🏣

- (फ) इस संचता के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस है 45 दिन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्स व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस स्पना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी चं 45 विन के भीतर उत्तत म्थावर लम्परित में हितबबध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के परक तिस्ति में किए जा सकों।

स्वष्टीकरण ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में गरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विया गया है।

नन्स्यी

पलैंट नं० बी-108, जो, पहली मंजिल, कृष्ण कमल प्रनाटैमेंटस्, गोविंद नगर, सोडावाला रोड, बोरिवलो (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है।

भनुसूची जैसाकी क०सं० श्रई-4/37-ईई/2047/83-84 भीर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 19-4-1984 को रजीस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाव सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरोक्षण) भ्रजीन रेंज--4, बस्ब**र्य**

तारीख: 10-12-1984

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-म (1) के अधीन सूचना

बारत बरकाड

कार्यातय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) प्रजैन रेंज-4, अम्बर्ष

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

भागकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसर्ये इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-इ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25000 रु से अधिक है

भौर जिसकी सं० पलट नं० बी/ए, जो, ग्राउंड पलोग्नर, बी-विंग, 'अलकनंदा' बिल्डिंग, विहलेज एकसार, एस नं० 48 भौर 49, ऑफ एल०टी० रोड, बोरिवली (प), बम्बई 92-में स्थित है (ग्रीर इसे उपाबद्ध श्रनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से बणित है), श्रीर जिसका करारनामा श्रायकर ग्राधिनयम 1961 की धारा 269 क,ख के ग्राधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारों के कार्यालय में रजीस्ट्री है, सारीख 12 ग्राप्रैल 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के स्वयमाम अतिफल को लिए अंतरित की गई है और मूक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य उसके दिवसान प्रतिफल से, एसे देश्यमान प्रतिफल का पन्तह भितासत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितयाँ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण सिवित में बास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी नाम को बाक्त, उक्त जिल्लीनगम के अभीन कह दोने के अन्तरक के बामित्व में कभी करने या उज्जस बचने में सुनिधा जे लिए; जॉर/बा
- (क) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्सियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती बुवारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था रिष्ट में निवधा असे सिरा:

सतः स्वा, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण भौ, भी, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के सधीन, निम्निसित व्यक्तियों, अर्थात् ध--- '1) मेसर्स मोहन कन्स्ट्रक्शन्स।

(मन्तरक)

(2) श्री फर्नान्डो एम०ए० मेनेझिस।

(बन्तरिती)

(3) ध्रन्तरक । (वह व्यक्ति, जिसके ध्रधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के किए कार्यवाही शृक्ष करता हु।

उक्त सम्पत्ति को अर्जन को सम्बंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीं वे 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों कर स्चना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्रवेक्ट व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना को राजपत्र मों प्रकाशन की तारी सं 45 दिन को भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मों द्वित- बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी को पास तिखित मों किए जा सकांगे।

स्पष्टीकरण:----इसमें प्रमुक्त शब्दों और पवाँ का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वहीं अर्थ हाएए जा उस अध्याय में विकास करें।

भनुस्ची

पर्लंड नं० बी/ए, जो, ग्राउंड फ्लोग्नर, बी-विग, प्रलक्त नंदा बिल्डिंग, व्हिलेज एक्सार, एस०नं० 48 श्रीर 49, ऑफ एल०टी० रोड, घोरिवली (प), बम्बई-92 में स्थित है।

ध्रनुसुनी जैसाकी कर संश्र ध्रई-4/37-ईई/1462/83-84 भीर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 12 धर्मेल 1984 को रजीस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर श्रायुक्त (निरोक्षण) अर्जन रेंज-4, वस्वई

तारी**ख**ः 10–12–1984

मोहर 🖇

प्ररूप आईं.टो.एन.एस.-----

बायंबर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन मुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आधुरत (निरहिए) अर्जन रेंज-4, वस्तर्द

बम्बई, दिनाक 10 दिन पर 13%4

निदेश सं० अई -4/37-ईई/113 /83-8.- " पने। ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 4°) (का हर्यों इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को एक कि का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति किसवा किया है। स्थावर सम्पत्ति किसवा किया है।

श्रीर जिसकी से प्रलैट ने 24 ती, ाउ प्रतिप्रर, विग-ए-7, रत्तन नगर स्किम, बीरिया (प्रति), रि-66 में स्थित है)श्रीर इपमे उपावक श्राप्ता में ति विगत है) श्रीर जिसका करारत में पाय कियम 1961 की धारा 269 क,ख के श्रुष्ट कराय कि स्थिम प्राधिकारी के कार्यालय में रजीस्ट्री है तार में 23 श्रुप्रैल 1984

को पवास्त संपत्ति के उचित बाजार मृत्य ने स्व क्रियान प्रतिफल के लिए रिजस्ट्रीकर्ता के लार्यालय, मैगर में भाग 269 ए. बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी हो प्रमान ही कि इस प्रतिकार किया गया है, मृक्षे यह विश्वास करने का दाश्य है कि उद प्रयोवत सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके प्रश्मा ही कि व प्रतिक के पन्द्रह हित्रात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितिया) के बीच एरे अन्तरण के बीच तय पाया गया प्रतिपल, निम्मिणियन उद्द स्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिक रूप से किथत नहीं किया गया है:—

- (ब) एमी किसी आय जा फिर्मा है गाउर हिंदि को, जिन्हों भारतीय आय-छा आंजिस्ट्रा 1022 (1922 का 11) या उत्त प्रधिनियस, का धन-कर अधिनियस, 1957 (1067 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दहारा प्रसार करिकार गण बा बा किया जाना बाहिए प्रा. जिल्ला गण

अतः अध, उक्त अधिनियम की धारा २०९-ग के त्रन्सरण में, में, अक्त अधिनियम की धारा २००५ की नाएस 'ं के अभीन, निम्निलिखत व्यक्तियों, अध्यत् :---

(1) क्ष परम आनंद **बिल्डर्स,** शहरेट **लिमिटेड**।

(ग्रन्तरक)

(2) भा यभोगावेन त्रिठठल**भाई पटेल और** िर पद मबेन छोटूभा**ई शहा।**

(म्रन्तरिती)

ा एक पर कारी हरके प्वींक्त संपत्ति के अर्जन के विषय राहिकाहिया शब्द करता हो।

उक्त मार्कित के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (ल) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख वें राजित की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर साना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी प्राचित्र बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्ट विविधी मा से किसी व्यक्ति द्वारा,
- (स्र) र असना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से क जीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध विमी जार व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास

स्पारता हरण - १ मनी प्रयक्त शब्दों और पदों का, जो उक्स र्शावित्यमा के अध्याय 20-क में परिभाषित नी प्रश्नी अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया

वन्स्ची

पलैट २० २४, जो, आउंड पलोग्नर, विग-ए-7, "रत्तन नगर" रिम्स, बोरिवली (पूर्व), बम्बई-66 में स्थित है। ग्रास्ना जैयार अ०सं० ग्रई-4/37-ईई/1134/83-84 ग्रीर जो राजन अधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 23-4-1984 को रजास्टर्ज रिया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षमे प्राधिकारी सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरोक्षण) भ्रजन रेंज-4, बग्बई

तार ख : 11-12-1984 मोहर : ए० प्रसाद,

प्ररूप आइ. टी. एन. एस. ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ष (1) के सधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-4, बम्बई बम्बई, विनांक 10 दिसम्बर 1984 निदेश सं० श्रर्ड-4/37-ईई/1459/83-84--श्रतः मुझे,

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसके इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार भूल्य 25,000/- रा. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० फ्लैंट नं० बी-102, जो, "श्रलक-नंदा" बिल्डिंग, भंडारकर हॉस्पीटल के बाजू मे, श्राफ एल०टी० रोड, व्हिज एक्सार, सालूका बोरीवलो, एस०नं० 48 श्रीर 49, बोरिवली (प). में स्थित हैं (श्रीर इससे उपाबड़ अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विणत हैं), श्रीर जिसका करार-नामा श्रायकर श्रीधिनियम, 1961 की धारा 269 क,ख के श्रधीन बस्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजीस्ट्री है, तारीख 12 श्रप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्परित के उचित बाजार मूल्य से कम के इश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापृश्वित सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिकत से अभिक है और अंतरक (अंतरकों) आ बीच एसे अंतरक के जिए तम पाना गया प्रतिक्त का निकासिवत स्वास्त से उपल अन्तरम् विकित में वास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) जन्तरणं से हुई किसी जाब की वावत, उक्त जीभिनियम को जभीन कर दोने के जन्तरक को शायित्व में कमी कारने या उससे वजने में सुविधा के सिए; जार/वा
- (श) एती किसी आयं या किसी थन वा अन्य आस्तियाँ को जिन्हों भारतीय आय-कर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम, या भनकर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सृतिथा के लिए;

भत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) के चधीन, निम्निजितिक व्यक्तियों, अधित हिन्स 57—426GI/84 (1) मेसर्स मोहन कन्स्ट्रक्शन्स।

(म्रन्तरक)

(2) श्री मनसुखलाल गिरधरलाल जोशी।

(भ्रन्तारती)

(3) श्रन्तरक । (वह व्यक्ति, जिसके श्राधिभोग में सम्पत्ति

को यह शृज्ता चारी करके पृथींकत सम्मृतित के अर्थन के सिक्ष कार्यनाहियां करता हूं।

उक्त सम्पृत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी वासंप:--

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सुचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्वेक्ति व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक्ष से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबव्ध किसी अन्य व्यक्ति व्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकारी।

स्थव्यक्तिरणः — इसमें प्रयुक्त खम्यों और पदों का, जो उक्त अभिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया ग्या है।

अनुसूची

फ्लैट नंब्बी-102, जो, "श्रलक-नंबा" विल्डिंग, भंडारक हास्पीटल के बाजू में, ऑफ एलव्टीव रोड, व्हिलेज एक्सार; तालुका बोरिवली, एसव्नंव 48 श्रीर 49, बोरिवली (प०) बम्बई-92 में स्थित है।

भ्रनुसूची जैसाकी कि०सं० भ्रई-4/37-ईई/1459/83-84 श्रीर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई ढारा दिनांक 12-4-1984 को रजीस्टई किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रजन रेंज--4, बम्बई

तारीख: 10-12-1984

ए० प्रसाद,

प्ररूप आई.टी.एन.एस. -----

भारत विभिन्तियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व् (1) के क्भीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक जायकर आयुक्त (निरक्षिण)

श्चर्जन रेंज-4, बम्बर्द बम्बर्द, दिनांक 10 विसम्बर 1984निदेश सं० श्चर्य-4/37–ईई/1461/83–84—श्चतः मुझे $^{\circ}$

नामकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उस्त अधिनियम' कहा गमा है), की धारा 269 च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृज्य 25,000/- रा. से अधिक है

मीर जिसकी सं० फ्लेट नं० 204, जो, दूसरी मंजिल, "बी विग, "म्रलक-नंदा" बिल्डिंग, व्हिलेज एक्सार, तालूका बोरि-बली, म्रॉफ एक०टी० रोड, बोरिवली (प), बम्बई-92 में स्थित है (भीर इससे उपाबद्ध भ्रनुसूची में भीर पूर्ण रूप से बणित है), भीर जिसका करारनामा भ्रायकर मधिनियम, 1961 की धारा 269 क,ख के भ्रधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 12-4-

को प्रांचित् संपत्ति के उचित बाजार भूक्य से कम के इस्तमान् प्रतिकाल के लिए अंतरित की गई है बार मुक्ते वह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपित का उचित वाजार भूज्य, उत्तके स्थमान प्रतिकल से, एसे स्थमान प्रतिकल का पत्सह प्रतिकत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के सिए तय पाना गवा विकित , निस्तिवित उद्देश्य से उच्त अन्तरण सिकित हैं बास्तिवक रूप से कार्यका अन्तरण सिकित हैं बास्तिवक रूप से कार्यका अन्तरण सिकित हैं बास्तिवक रूप से कार्यका स्थान

- (क) जन्तरण से हुई फिली थाव की बॉब्स्, उन्त जीधनियम के जधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उत्तर्त बचने में सुविधा के किए; जीर/वा
- (व) एसी किसी नाय या किसी भन या अन्य जास्तियाँ का, जिन्हाँ भारतीय जाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-फर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अधोधनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा वीं सिए।

(1) मेसर्स मोहन कन्स्ट्रक्शन्स।

(ग्रन्तरक)

(2) श्री सुधीर रघुनाथ सालवी।

(भ्रन्तरिती)

(3) प्रन्सरक । (वह व्यक्ति, जिसके प्रधिभोग में सम्पत्ति कै)

को वह सूचना चारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्षन् के निष् कार्यनाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पर्ति के वर्णन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की शारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी ज्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पर्योक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति इंगार;
- (व) इब सूचना के खबनक में प्रकाशन की तारीब से 45 विम के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवब्ध किसी कृत्य व्यक्ति बुवारा अधोहस्ताक्षरी के पास निवित में किस जा सकोंगे।

स्पष्टिकरणः — इतमें प्रवृक्त शब्दों और पर्दों का, जो उक्त अभिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

मन्स्ची

फ्लेट नं॰ 204, जो, दूसरी मंजिल, बी विंग, भ्रासक नंदा'' बिल्डिंग, व्हिलेज एक्सार, एस०नं॰ 48 भौर 49, तालूका बोरिवली, ऑफ एल०टी॰ रोड, बोरिवली (प)∎ बम्बर्ष-92 में स्थित हैं।

अनुसूची जैसािक कि०सं० प्रई-4/37-ईई/1461/83-84 भीर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 12-4-1984 को रजीस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) म्रर्जन रेंज~4, बम्बई

तारीख: 10-12-1984

प्रकृष नार्वेश होता प्रमूत प्रकृतनननननन

आयकर अधिनियस, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के अधीन सूचना

प्राप्त परचार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण) अर्जन रेंज्ञ,-4, बस्बई बस्बई दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदश सं० भई-4/37-ईई/1466/83-84---- भ्रतः मुझे; ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धार 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूक्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रौर जिसकी सं० फ्लेंट नं० बी-103, जो,

49 श्रीर 49, सालूका बोरियली, ऑफ एल०टी० रोड़, बोरियली (पिष्चम), बम्बई-92 में स्थित हैं (श्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विणत हैं) श्रीर जिसका करारनामा श्रायकर श्रिधिनयम 1961 की धारा 269 क, ख के श्रिधीन बम्बई स्थित सक्षम श्रिधिकारी के कार्यालय में रजीस्ट्री है, सारीख 12 श्रश्रेल 1984।

को पूर्वाकित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ध्यमान प्रतिफल के लिए कन्तिरित की गई है और मुखे वह विश्वाद करने का कारण है कि यथापूर्वेक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्या, उसके ध्यमान प्रतिफल से एसे ध्यमान प्रतिफल का पन्नुह प्रतिशत से बिधक है और अंतरक (जंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अन्तुरण के सिए तय पाया गया प्रति-कल, विश्निजिस्त उद्योद्य से उक्त कन्तरण किसित में बास्त-बिक रूप से कथित नहीं किया गया है है—

- (क) अन्त्रण से हुए किसी नाय की बायत स्थल श्रीय-नियम से स्थीन कर दोने के स्थाहर के दानित्य के कर्मी करने या अस्ते वचने में सुनिया के खिले; सीर वा/
- (क) एसी किसी भाग या किसी धन या अध्य आस्तिय, को, भिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उत्तत अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अधोकनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था वा किया जाना आहिए था, कियाने में बृत्धिम के सिष्ट;

शत. वस, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की, अनुसरण को, को, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) को अधीन, निक्नलिखिक व्यक्तियों, अधीत् ६—< ('I') मेसर्स मोहन कन्स्ट्रक्शन्स।

(भन्तरक)

(2) श्री वासुदेव नारायण तनक्कर।

(भन्तरिती)

(3) भ्रन्तरक । (वह व्यक्ति, जिसके भ्रधिभोग में सम्पत्ति

को सूह ब्याना चारी कर के प्रोंक्स संप्रित के वर्जन की हैं सूक्ष का क्या हिया शुरू करता हैं।

उक्स सम्पत्ति के कर्षन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीय से 45 दिन की अविधि था तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्थान की तामील से 30 दिन की अविध, यो जी अविध नाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति इवारा;
- (व) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपरित में हिस-बव्ध किसी जन्म व्यक्ति ध्वारा, सभोहस्ताक्षडी वैं पास लिखित में किए जा सकींगे।

स्पद्धिकरणः ----इसमें प्रयुक्त कन्दों और पदों का, जो अक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा को उस अध्याय में दिवा नगा हैं।

वन्स्वी

फ्लेट नं० बी-103, जो, पहली मंजिल, "बी" विग, "अलक-नंदा" बिल्डिंग, व्हिलेज एक्सार, सर्वे नं० 48 भीर 49, तालूका बोरिवली, ऑफ एल०टी० रोड, बोरियली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है।

धनुसूची जैसाकी क०सं० धर्ड-4/37-ईई/1466/83-84 भौर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 12-4-1984 को रजीस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-4, बस्बई

तारीख: 10-12-1984

माहर 🖫

प्रकृष बाह्री, टी., एम., एस.,------

नागकर निधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-म (1) के नभीन सुचना

भारत सरकार

कार्यांसय, सहायक भायकर मायुक्त (निरीक्षण)

म्रर्जन रेंज-4, बम्बई बम्बई, दिनांक 10 विसम्बर 1984

निदेश सं • प्रई-4/37-ईई/2077/83-84--प्रतः मुझे, ए॰ प्रसाद,

भाषकर भाषिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उचत अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी की यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रा. से अधिक हैं

श्रौर जिसकी सं० फ्लेट नं० 411, जो, रामदेव पार्क, चंदा-वरकर लेन, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है। श्रौर इससे जपाबड श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप मे विणित है। श्रौर जिसका करारनामा श्रायकर श्रिधिनयम 1961 की धारा-269 क,ख के श्रधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजीस्ट्री है, तारीख 23 श्रप्रैल 1984।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रूप्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूक्ते यह विद्यास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके रूप्यमान प्रतिफल से एसे रूप्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिकात से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निमालिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तिक रूप से किथत नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण ने हुर्द किसी जाय की आवत, उनत जिथिनियम के जधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में क्ली करने या उससे अभने में बृकिधा के बिए; और/जा
- (का) ऐसी किसी आप या किसी धन या अन्य जास्तियों को जिन्हें भारतीय आयकार अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के सिए;

जतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग कें अनुसरण में, औं, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) के अधील, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात ∷—— (1) कमला डेव्हलपमेंटस्।

(भ्रन्तरक)

(2) श्रीमती भावना के० मेहता श्रीर श्री रोहित जे० व्होरा।

(भ्रन्तरिती)

(3) श्रन्तरिती । (वह व्यक्ति, जिसके ग्राधिभोग में सम्पत्ति) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपरित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति को कर्णन के संबंध में कोई आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र मों प्रकाशन की तारीत से 45 दिन की अविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद मों समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कर व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति युवारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थाबार संपत्ति में हितयब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पार निस्ति में किए जा सकरें।

स्पष्टीकरणः --इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, ओ उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

बन्त्यी

फ्लट नं० 411, जो, रामदेव पार्क, चंदावरकर लेन बोरिवली (पिष्चम), बम्बई-92 में स्थित है।

ग्रनुसूची जैसाकी कर्नर ग्रई-4/37-ईई/2077/83-84 ग्रीर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 27-4-1984 को रजीस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख: 10-12-1984

भोहर:

प्रकृत आहें . हर्ति हुन् , एक् , ननगत्रननननन

आयकर जिभिनियम, 1961 (1961 का 43) करो भाज 269-च (1) को अचीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर जायुक्त (निरीक्षण)

ग्नजँन रेंज-4, बम्बई बम्बई, दिनाक 10 दिसम्बर 1984 निवेश स°० ग्नई-4/37-ईई/2076/83-84-ग्रत मुझे, ए० प्रसाद,

कायकर मिथिनियम, 1961 (1961 का 43) (चित इसमें इसके परकार 'उक्त मिथिनियम' कहा गया है), की धारा 269-क से अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विष्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्परित, जिनका उचित जाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं फलेट नं 611, जो, रामदेव पार्क, खंदाव- कर रोड, बोरिवली (पिष्चम), बस्बई-92 में स्थित है। श्रीर इससे उपाबढ़ ध्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विणत है। श्रीर जिसका करारनामा ग्रायकर श्राधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख के श्रधोन बस्बई स्थित सक्षम श्राधिकारी के कार्यालय में रजीस्ट्री है, तारीख 27 श्रशेल 1984। का पूबाबत सम्बद्धित के उचित बाबार मूस्य से कर क स्थानन अतिकल के तिए अन्तिरित की गई है और मृत्रों यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूबा कर संपत्ति का उचित बाबार मृत्य, उसके रूप्यमान प्रतिकास ते, एसे स्थानन प्रतिकास का पंस्रह प्रतिशत से अधिक है और बंतरक (अंतरकों) और अतरिती (अन्तिरितयों) के बीच एसे बन्तरण के बिए सब गया गया प्रतिकार कर में किथान नहीं किया गया है .--

- (क) अन्तरण से हुई किसी शाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे अचने में सुनिधा के लिए; और/या
- (थ) ऐसी किसी जाय वा किसी भग या अन्य जात्तिवी की, जिन्हीं भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 1) या उक्त अधिनियम, या भन-कड़ जीवीस्थम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जन्तिहिंदी दूर्वारा प्रकट नहीं किया नवा भा वा किया जांगा आहिए वा, कियाने में स्विभा के लिए।

कृत: क्य, उक्त किथिनियम की धारा 269-ए के सनुखरण में, में,, उक्त अधिनियम की धारा 269-ए की उपभारा (1) के अधीन निस्तिसित व्यक्तिनों अर्थात् स— (1) कमला डेब्लपमेंटस् ।

(भ्रन्तरक)

(2) श्री वीपक रिवशंकर जानी।

(प्रन्तरिती)

(3) भ्रन्तरिती। (वह व्यक्ति, जिसके भ्रधिभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूत्रमा चारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति को वर्षन के तिस् कार्यवाहियां करता हुं।

उनक् सम्पृतित् के सूर्वत् के सुम्बन्ध् की कोई थी जाकेष्य-=

- (क) इस स्थान के रावपत्र में प्रकाशन की तारीच के 45 दिन की अविधि मा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्थान की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी क्विध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कर व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति इवारा;
- (क) इस् स्वना के राजपभ में प्रकासन की तारीय ते 45 दिन के भातर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित्बवृष् किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्थोहस्ताक्षरी के पात सिवित में किए जा उकोंगे।

न्यक्षीकरणः--इसमें प्रयुक्त सन्यों भौर पयों का, को सक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में प्रिशावित हाँ, वहीं अर्थ होगा को उस अध्याय के दिया गवा ही।

अनुसूची

फ्लेंट नं० 611, जो, रामदेव पार्क, दावकर रोष्ठ बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है।

प्रनुस्त्री जैसाको क्र०सं० प्रई-4/37-ईई/2076/83-84 ग्रीर जो सक्षम प्राधिकारो, बम्बई द्वारा दिनाक 27 प्रप्रैल 1984 को रजीस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाध सक्षम प्राधिकारी सहायक भायकर भायुक्त (निरीक्षण) ग्रजैन रेंज-4, बस्बई

तारीख: 10-12-1984

माहर 🛭

प्रकर बार्च हु दी , एम , एस , -----

भायकर विभिन्नियन, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-च (1) के बभीन सूचना

भारत बदकार

कार्यालय, सहायक आयंकर आयुक्त (निर्देशक) अर्जन रेज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० म्रई-4/37-ईई/1713/83-84--म्प्रतः मुझे, ए० प्रसाद,

कायकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भार 269-इ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विक्वास करने का कारण है कि स्थायर सम्पत्ति, जिसका उधित बाजार मूक्य 25,000/- रा. से अधिक हैं

भौर जिसकी सं० फ्लेट नं० बी०/602, जो, बिल्डिंग नं० ई-20, योगी नगर, एक्सार रोड, बीरिवली (पिष्चम), बम्बई-92 में स्थित है भौर इससे उपाबद्ध प्रनुसूची में भौर पूर्ण रूप से विणत है भौर जिसका करारनामा प्रायकर प्राधिनयम 1961 की धारा 269 के ज अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारों के कार्यालय में रजीस्ट्री है, तारीख 16 प्रप्रैल 1984

को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उणित बाबार मून्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई हैं और मूक्ते यह विद्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाबार बूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का बुल्यह प्रतिशत से अधिक हैं और अंतरक (अंतरकाँ) और अंतरिती (अन्तरितियाँ) के बीच एसे बन्तरण के लिए तथ पाया गया बित्फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उच्त अन्तरण सिखित में बास्सविक रूप से किंशत नहीं किया पवा है है—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबरा, उक्त अभिनित्व के अभीन कर दोने के बुन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; बीड़/बा
- (च) ऐसी किसी बाय या किसी धन या बन्य जास्तियों को, जिन्हें भारतीय आव-कर विधिनयम, 1922 (1922 का 11) या उक्त विधिनयम या धन-कर अधिनयम या धन-कर अधिनयम, 1957 (1957 का 27) के प्रवोचनार्थ अन्तिरती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था वा किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा वी किए;

क्तः अव, उक्त विधिनियम की धारा 269-ग के अनुसर्ग कों, मीं, उक्त विधिनियम की धारा 269-व की उपधादा (1) को अधीत : गिरुक्षिणिक व्यक्तियों, वर्षात ह— (1) मैंसर्स विजय नगर कार्पोरेशन।

(ग्रन्तरक)

(2) श्रीमती हर्षदा ग्रार० वासानी, ग्रौर श्रीमती काशीबाई एन० वासानी।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पर्वोक्त संपरित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के वर्णन के संबंध में कोई भी आक्षेप--

- (क) इस सूचना के राजपंत्र में प्रकाशन की तारी सं 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ब्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीक से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिक्ति में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अभिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गवा है।

श्रनुसूची

फ्लेट नं० बी/602, जो, बिल्डिंग नं० ई-20, योगी नगर, एक्सार रोड, बोरियली (पश्चिम) बम्बई-92 में स्थित है।

श्रनुसूची जैसा की अ०सं० श्रई-4/37-ईई/1713/83-84 श्रीर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 16-4-1984 को रजीस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाव सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख: 10-12-1984

मोहर 🖁

प्रक्ष आइं.टी.एन.एस.-----

भायकर विधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के विधीन स्वना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायक्त (मिरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बर्ष, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० झई-4/37—ईई/4300/83–84——प्रतः मुझे, एं० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-क के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह त्रिश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपरित, जिसका उजित बाजार मूच्य 25,090/- रह. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० परेंट नं० बी-601, जो, बिल्डिंग नं० क्र-20, योगी नगर, एक्सार रोड, बोरिवली (पश्चिम) बम्बई-92 में स्थित हैं श्रीर इससे उपावद्ध श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विणित हैं श्रीर जिसका करारनामा श्रायकर श्रीधिनियम 1961 की धारा 269 क, के श्रीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजीस्ट्री है, तारीख 7 श्रप्रैल 1984

को पूर्वोक्स सम्पर्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के धरवमान प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है और मुभे यह विश्वास करने का कारण है कि स्थापुर्वोक्त सम्परित का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पंत्रह प्रतिकत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और बंतरिती (अन्तरितियों) के बीज एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिक कन निम्नलिखित उद्वेदय से उक्त बंतरण सिखित में वास्तविक रूप भ किथत नहीं किया गया है:---

- (क) अभ्यारण से हुई जिल्ली जाव की बावज छक्त जीवनियम के जवील कर दोने के जन्तरक बी वायित्व में कभी करने या उत्तसे बचने में सुविधा के लि (; जरि/या
- (का) एसी किसी बाय या किसी भून या अन्य जात्तिवों का, जिन्हें भारतीय आय-कार अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम, या भनकर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, खिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अध, उक्त अधिनियम की धारा 269-म के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(श्रन्तरक)

(2) श्री भरत जतामांकर व्यास, श्रीर श्री जतामांकर एम० व्यास।

(अन्तरिती)

का यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस स्थाना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क्ष) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हित्बब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, को उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित ही, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया ही,

वन्त्र्ची

प्लेट नं० बी/601, जो, बिल्डिंग नं० ई-20, योगी नगर, एक्सार रोड, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क०सं० ऋई-4/37-ईई/4300/83-84 श्रीर जो सक्षम प्राधिकारी बस्बई द्वारा दिनांक 7-4-1984 को रजीस्टडं किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) भ्रजैन रेंज-4, बम्बर्ड

तारीखा: 10-12-1984

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 की 43) की भारा 269-च (1) के अधीन सूर्यमा

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० भई-4/37-ईई/1645/83-84--भ्रत. मुझे, ए० प्रसाद

जायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं) की धारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक हैं

ग्रीर जिसकी सं० दुकान नं० 10, जो, ग्राउंड फ्लोग्रर, समर्पन "बी" बिल्डिंग, दौलत नगर, रोड नं० बोरिवली (पूर्व), बम्बई-4 में स्थित हैं। ग्रीर इससे उपायद्ध अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से विणत हैं। ग्रीर जिसका करारनामा ग्रायकर ग्राधिनियम 1961 की धारा 269 क,ख के ग्रधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजीस्ट्री है, तारीख 16 ग्रग्रैल 1984।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृष्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृष्यमान प्रतिफल से एोसे दृष्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिषत से अधिक है और अन्तरक (अनतरका) और अन्तरिती (अन्तरितिया) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देष्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्स अधिनियंत्र के अधीन कर दोने के अंतरक के दायित्य में कभी करने या उससे अचनि में सृविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को विन्हीं भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया था या था या को या किया जाना चाहिए था, स्थिपाने में सूत्रिधा के लिए;

जतः अख, उक्त अधिनियम की धारा 269-ज के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) के अधीय, निम्नीलीसत व्यक्तियों, अधीत्:—

- (1) मेमर्स एस०ए० कान्ट्रंक्टर एण्ड कंपनो। (भ्रन्तरक)
- (2) श्री विठठ्ल हरदाम नकरानी। (ग्रन्तरिती)
- (3) भ्रन्तरकः। (यह व्यक्ति, जिसके ग्रधिभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हु।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधिया तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक्ध किसी अन्य बिक्त द्वारा अधोहस्त्याक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पव्यक्तिस्णः — इसमें प्रयुक्त शक्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित ही, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिवस गया है।

अनुसूची

दुकान नं० 10, जो, ग्राउंड फ्लोग्नर, समर्पन "बो" बिल्डिंग, दौलत नगर, रोड 3, बोरिवली (पूर्व), बम्बई में स्थित है।

धनुसूची जैसाकी कि०सं० म्राई-4/37-ईई/1645/83-84 भौर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 18-4-1984 को रजीस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-4, बस्बई ।

तारीख: 10-12-1984

मोहर ः

प्ररूप आई.टी.एन.एस. -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-भ (1) के अभीन सचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-4, बम्बई बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984 निदेश सं० ग्रई-4/37—ईई/1082/83—84—-ग्रतः मुझे,

ए० प्रसाद,

आएकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अभीन सक्षम गाधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

स्रौर जिसकी सं० दुकान नं० 3, जो. स्रानंद-बी बिल्डिंग, कार्टर रोड नं० 4, बोरिवली (पूर्व), बम्बई-66 में स्थित है। स्रौर इससे उपाबद्ध स्रनुम्ची में स्रौर पूर्ण रूप से विणत है। स्रौर जिसका करारनामा स्रायकर स्रधिनियम 1961 की धारा 269 क,ख के स्रधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय मे रजीस्ट्री है, तारीख 1-4-1984।

को पूर्वोक्स सम्पिति से उचित बाजार मृत्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुभे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पित्त का उचित बाजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरिक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एमे अन्तरण के लिए नय पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखित उददेश्य में उक्त अन्तरण लिखित में बास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-नियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या
- (ब) हुसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को., जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किराने स्तिया जाहिए था कियाने में सिवधा के विदः

अतः अब, उक्न अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के न्यभीन, निम्मिलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--58—426 GI/84

(1) मेसर्स टन्ना इंटरप्राईज।

(ग्रन्तरक)

(2) श्री माणेकलाल प्रेमचद शहा, ग्रौर श्रीमती जसवंतीबेन एम० शहा।

(ग्रन्तरिती)

3. अन्तरक ।

(वह न्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्मित्त के वर्षन के बिए कार्यवाही शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्चना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्रविका व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति हवारा;
- (क) इस सूचना के राजपण में प्रकाशन की तारीच के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित- बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास निवित में किए जा सकेंगे।

स्यव्हीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त कांश्रीनदब के कथाय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं कर्थ होगा जो उस कथाय में दिया गया है।

अनुसूची

दुकान नं० 3, जो, स्रानंद-बी बिल्डिंग, कार्टर रोड नं० 4, बोरिवली (पूर्व), बम्बई-66 में स्थित है।

ग्रनुसूची जैसाकी क०सं० ग्रई-4/37-ईई/83-84 ग्रौर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 1-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक स्रायकर स्रायुक्त (निरीक्षण) स्रजैन रेंज-4, बम्बई

तारीख: 10-12-1984

बोहर:

प्ररूप आर्द. टी एन. एस. -----

बायक र सिधिनयम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-७ (1) के अधीन स्चना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक मायकर आयुक्त (निरक्षिण) श्रर्जन रेंज-1, वम्बई

बम्बई, विनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० श्रई-4/37-ईई/4267/83-84--श्रतः मुझे, ए० प्रसाद,

मायकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसवें इसकें पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-ज के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह जिस्तास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाबार मूल्य 25,000/- रा. से अधिक हैं

पौर जिसकी सं० फ्लंट नं० 1304, जो, "कस्त्रवाग" प्लॉट मं० 24, बी/1, टो॰पी॰एस॰ 1, बीरियली (पिएचम), बम्बई-92 में स्थित है (ग्रीर इससे उपावह अनुभूको में भौर पूर्ण रूप से विणत है), ग्रौर जिसका करारनामा ग्रायकर पिछिनियम, 1961 की धारा 269 क,ख के भिशीन वम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय मे रजीस्ट्री है, तारीख 12 श्रप्रैल 1984।

को पृत्रों कर सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम के दृष्टमान इतिफल को लिए जन्तरित की गई है और मुभ्ने यह विद्यास करने का कारण है कि यथापूर्वीक्स सम्पत्ति को उचित बाजार बृक्य, उसके अध्यमान प्रतिफल से एसे क्ष्यमान प्रतिफल का वन्नाइ प्रतिकात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकाँ) और जन्तरिती (अंतरितियाँ) के नीच एसे अंतरण को लिए तम पामा पद्मा प्रतिकाल, निम्निविचित उद्योद्य से उसते अम्तरण निविचत वो बास्तविक रूप से काँमत नहीं किया गया है :----

- (क) बन्तरण से हुई किसी आय की बासत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुन्निका के लिए; और्/या
- (थ) एसी किसी जाव या किसी धन या जन्त जास्सिकों को, जिन्हों भारतीय जाय-कर विधिनवन, 1922 (1922 का 11) या उक्त विधिनवन, या धनकर विधिनवम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-नार्थ अन्तरिसी क्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना जाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए?

कतः अस, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण को, मी, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) को अधीन, निम्नजिसित व्यक्तियों, अर्थात् ह— (1) स्काय-बिन्ड प्रायवेट लिमिटेड ।

(भ्रन्तरक)

(2) श्रोमतः तिरंजनाबेन वर्गतराय दोशी। (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना बारी करके पूर्वोंक्त सम्पर्ति के वर्षन के जिल्ला कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्थन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सुचना को राजपण में प्रकाशन की तारीका को 45 दिन की अवधि या तत्मम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में ममाप्त होती हो, के भीतर पूर्विक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्तित दुवारा;
- (का) इस सुकना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीका के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबष्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास निवित्त में किए का सकोंगे।

स्वकाधिकरण: ---इसमें प्रभुक्त शब्दों सौर पदों का, जो उक्त अधिनियम को अध्याय 20-क में परिभाषित है रही अर्थ होगा, जो उस सध्याम में विका नवा है।

फ्लेट नं० 3104, जो, "कस्तूरबान", प्लॉंड नं० 24, बी/1, टी॰पी॰एस० 1, बोरियली (पश्चमी) बम्बर्ध-92 में स्थित है।

श्रनुसूची जैसाकी ऋ०सं० श्रई-4/37-ईई/4267/83-84 श्रीर जो सक्षम प्राधिकारों, बम्बई द्वारा दिनांक 12-4-1984 को रजीस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्राथकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेज-4, बस्बई

तारीख: 10-12-1984

मोहरू :

प्रकृष बाह्र . टी. एन्. एझ. ----

आवकर विभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-ए (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यासय, सहायक सायकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-1, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अई---4/37-ईई/2043/83-84---अतः मुझे, ए० प्रसाद,

शायकर अधिनियम, 1951 (1961 का 43) (जिसं इसमें इसमें एसके प्रश्नात् 'उसता अधिनियमं कहा गया है), की धारा 269-स को अधीन सक्षम प्राविधानियों को यह विश्वास करने का फारण है कि स्थावर पस्पानि, पिराका जीवन बाजार मृल्य 25,000/-रु. से अधिक है

मौर जिसकी मं० फ्लेट नं० 202, जो, "कस्तूरबाग, प्लॉट नं० 24, बी/1, टी॰पी॰एस० 1, बोरिबली (प), बम्बई-92 में स्थित है (भौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में भौर पूर्ण रूप से विणित है), भौर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क,ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजीस्ट्री है, तारीख 26-अप्रैल

कां पूर्विक्त सम्मत्ति के उचित बाजार मूल्य स कम के इश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है बार मूझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्विक्त सम्मत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके कश्यमान प्रतिफल से, एसे स्थ्यमान प्रतिफल का पन्तह प्रतिकात से अधिक है और जन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (जन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरक के जिए तथ याया गया प्रतिकल, निम्मिनिक्ति उच्चेषकों से उक्त जन्तरण निक्ति में वास्तिक रूप से क्षित नहीं किया गया है:—

- (क) बन्तद्वण संहाई किसी बाय की बावछ, उक्स जिस्तियुत्र को अभीन कर दोने के जन्तरक को दासित्य में कभी कहने या उससे बचने में सुविधा के लिए; जॉर/या
- (च) एसी किसी आय या किसी भन या अन्य जास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तिरिती क्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना था, छिपान में सुविधा के लिए;

ं जतः जब् उक्त अधिनियम कौ धारा 269-ग के अनुसरण भं, में उक्त अधिनियम कौ धारा 269-च की उपधारा (1) कं अधीन, निम्निसिसित व्यक्तिचयाँ, अर्थीक् क्षे--- (1) स्काय बिल्ड प्राइवेट लिमिटे**ड**।

(अन्तरक)

(2) श्री विमणलाल एन० **गहा भीर अन्य।** (अन्तरितो)

को यह सूचना जारी कारके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन की लिए कार्यवाहियां करता हो।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारींच से 45 दिन की जबधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 3.0 दिन की जबधि, जो भी जबधि बाद में ममाप्त होती हो, के भीतर पूर्वे कर व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति इवारा;
- (थ) इस सूचना के राजपण में प्रकाशन की तारीय से 45 दिन को भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अथोहस्ताक्ष्री की पास निस्तित में किए जा सकोंगे।

स्वक्रिकरण: — इसमे प्रयुक्त धव्यों कीर पर्यों का, को उक्त जीवनियम के अध्याय 20 क में परिभावित हैं, बहुी अर्थ होगा को उस अध्यास में दिस् भवा हैं।

- Pyr

पर्यंक नं० 202, जो, ''कस्सूरबाग'' प्लॉट नं० 24 बी/1 टी॰पी॰एस॰ 1, बोरियली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी ऋ०मं० अई-4/37-ईई/2043/83-84 ग्रीर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 26-4-1984 को रजीस्टर्ड किया गमा है।

> ष्० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख: 10-12-1984

शहर बाइं.टो.एव.एव.----

आयकर विधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धाद्वा 269-च (1) के अधीन सुमना

गारत दरका

कार्यनय, सहायक नायकर नाय्क्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, नम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984 निदेश स० अई-4/37-ईई/1849/82-84-अत मुझे ए० प्रसाद

कायकर विधिनिषम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-क के वधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर संपर्तित, जिसका उचित बाबार मूल्य 25,000/- रा. से अधिक हैं

ग्रीर जिसकी स० पलेट नं० 302, जो, "गिरनार" अपार्ट-मेंटस, तीसरी मंजिल, आफ मंडपेश्वर रोड, बोरिवली (प), बम्बई-92 में स्थित है। ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से विणित है। ग्रान जिमका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 कुख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारों के व्यार्यालय में रजीस्ट्री है, तारीख 21 अप्रैल 1984।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृन्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मृभे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृन्य, उसके क्षयमान परिष्फर पं. ए ये क्षयमान परिष्पत्न का बंदह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ए से अन्तर के पे ए तर पाया गया गतिक कल निम्मतिबित उद्देष्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तिवक कप से कियत नहीं किया गया है र—

- (क) अन्तरण सहाई किसी आय की बाबत, उक्त अधिबिक्स के अधीन कर दोने के अन्तरक वर्षे दाक्तिक में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/बा
- (क) ऐसी किसी आय गा किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए

जतः जब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के उधीन, निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात् ----

- (1) श्री नेमचेद गोतानाल पोरवाल। (अन्तरक)
- (2) श्रो प्रफुल्लवद्र मनसुखलाल शहा। (ग्रन्तरिता)

को यह सूचना जारी करकं । क्षित्रत सम्परित क वर्षन को विद्या कार्यवाहियां शुरू करता हो।

उक्त सम्मतित के वर्णन क एक्टन्स में कोई भी मार्क्षप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र मा प्रकाशन की तारीं से 45 दिन की अवधि मा तत्संत्रंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि आद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तिया। मा सांद मी व्यक्तित द्वारा,
- (ख) इस स्चान के राज्यण में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन में भीतर उत्त स्थापर संपत्ति में हितनद्ध रिमी अने जिले जिले के जास लिखित में जिले जा स्थानेंगे।

स्पष्टीकरण -- इस्व प्रावा तस्त व्यारितमा का, जो उक्त रार्तिकर १ प्रावास प्रावास भाषित ही, व्या अर्थ होगा, जो उस अध्याय मारिका विकास

अन्हसी

पलेट नं० 302, तो, "भिरतार" अपार्टमेंटस्, तीस री मंजिल, ऑफ मंडपेण्यर रोत, प्रोपिश्ली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है।

अनुस्वी जैयाकी कर्नं अई-4/37—ईई/1849/83—84 श्रीर जो सक्षम प्राधिकारी, गम्बई द्वारा दिनांक 21—4—1984 को रजीस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, वस्बई

तारीख: 10-12-1984

मोहरं :

प्रसर् बार्ड : टी : इन् : इस् : ***

कार्यकार जिमितका, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-च (1) के विभीन सूचना

THE STREET

कार्याक्य, रेस्क्रस्क बायकर बायका (निहासिए) अर्जन रेंज-4, बम्बई,

बम्बई दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० अई-4/37-ईई/4268/83-84--अतः मुझे, ए० प्रसाद,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिले इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा क्या हैं), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाचार मृत्व 25,000/-रुपय से अधिक हैं

ग्रौर जिसकी सं पलेट नं 10, जो, बिल्डिंग ई, तीसरी मंजिल, बोरिवली माधव बाग कोआंप , हाससिंग सोसाईटी लिमिटेड, जांबोली गल्ली, एस०वि० रोड, बोरिवली (प) बम्बई-92 में स्थित है ग्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है ग्रौर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क,ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजीस्ट्री है, तारीख 12 मार्च 1984

को पूर्वोक्त सम्पित के उचित बाजार मृत्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुक्ते वह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाबार बाजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिवक रूप से किंगत नहीं किया गया है :---

- (क) बन्तरण से हूर्य किसी बाय की बाबत खक्त बिध-नियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सृविधा के लिए बरि/या
- (य) एसी किया नाव या किसी धन वा अन्य अस्तियों को, जिन्हों भारतीय आवकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तिहरी द्वारा प्रकट नहीं किया गवा था वा किया जाना चाहिए था, कियाने में सुविधा के लिए;

क्सर क्या, उक्त अधिनियम की धारा 269-ए की जनुसरण की, की, सक्त अधिनियम की धारा 269-ए की उपभारा (1) की अधीर, निकासियिक व्यक्तिकों, अधीर हा--- (1) श्रीमती भानूबेन परेश शहा।

(अन्तरक)

- (2) (1) श्रोमती लता अरविंद शहा ग्रौर
 - (2) श्री किशोर बाबूलाल शहा।

(अन्तरिती)

(3) अन्तरितीयों ग्रौर उनके परिवार। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

को कह सूचना जारी कम्पती पृक्षांकत सम्पृत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति को अर्जन को संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राज्यन में प्रकाशन की गरोस से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी त्यां नता को एर सूचना की ताबील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समान्त होती हो, के भीतर पृथीं कर व्यक्तिकां भी से तिसी व्यक्ति हो।
- (क) इस स्वाम के राजपत्र में प्रकाशन की नागील से 45 विन के भीतर उक्त स्थानर सम्योग को हितवब्ध किसी अन्य व्यक्ति इंगास अधाहस्ताक्षरी के पास निस्ति मा किए जा गरीम।

स्पर्कीकरण: इसमें प्रयुक्त सन्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के कथ्याय 20-क में परिवाधित है, नहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया। गया है

वनस्थी

पर्नेंट नं० 10, जो, बिल्डिंग ई, तीनरी मंजिल, बोरिवली, माधव बाग को-आंप० हाउसिंग सोसाईटी लिमिटेड, जांबली गल्ली, एस०वी०रोड, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क॰सं॰ अई-4/37-ईई/4268/83-84 ग्रौर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 12-4-1984 को रजीस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख: 10-12-1984

मोहर 🛭

वका बार . ते. हर ह्य -----

बायकता अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अभीन सुमना

भाषस सम्बद्ध

कार्याच्या, अञ्चादक शायक आगमा (वित्रक्षिक) अर्जन रेग-4, वस्वर्रे

बम्बई, दिनार 10 । द . ज 1934

निदेश स० अई-4/37 ईई/4270/83-84 —३७ मुझे, ए० प्रसाद.

नावकर जीविवयम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके वश्यात् 'उत्तर जीविवयम' कहा गया हो), की धारा 269-व के जधीन, सक्षम प्राविकारी को, तह विवयम करने क कारण है कि हथायर संप्ये , कि ता का प्रवास व्यवस्थ 25,000/- र । अध्यत् हैं

श्रीर जिसकी स० फोट ६० 50 फा न, पा वा मि ल, "जयेश अपार्टमेंट", चताबरा राड, बा बला (१), बम्बई-32 में स्थित है श्रा इस उणा में महुद्धित में श्रीर पूर्ण रूप में विभिन्न है नार जिस्से एएं स्था जीवर अधिनियम 1961 तो जात 269 , पा को जात बम्बई स्थित सक्षम प्राधि हर के सर्वास्त्व में रजान्द्र है, गरीख 27 अप्रैल 1984

- भिन्ने सम्बद्धाः सं सम्बद्धाः १००० स्वयः १००० स्व स्वाधितस्य । स्वयः स्वयः १००० स्व साधितस्य । स्वयः स्वयः
- (स) ऐसी सिंधी काम गा किसी बन या नन नारतयों का, जिल्हों भारत के उन संनित्ति का (1922 का 11) या नट निर्मित्ति था अन-कर अधिनियम, 1057 (1057 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिनी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था क्रियाने से सुविधा के लिए;

नतः नव, उनतः पश्चितिकतः व्याँ धारा २६९-सः ते उत्तरण मं, मं टनतः अभिवित्तमः की प्राप्तः १८० छ को प्रवणासः (1) के वर्णीन, निकालिकतं व्यक्तियो, अर्थातु — (1) श्रा महेद्रकुमार ए५० खडेलवाल।

(अन्तरक)

(2) श्री किशोरकुमार विरचद शहा ग्रौर श्री मुकेशकुमार विरचद शहा।

(अन्तरिती)

को यह स्वना जारी करके पूर्वीक्स सञ्चरित को वर्षम, के लिख् कार्यवाहिका शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई मी आक्षेप '--

- (क) इस स्वना के राजपा भ पकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि शा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वना की तामील से 30 दिन की अवधि, वो भी अनाध बाद में स्थापन होती हो, के मीतर प्वकित का निस्ता में से किसी व्यक्ति दवारा;
- (ख) इस सचना के एउएन में प्रकाशन की तारीत से 45 दिन की भीन र उन्नन स्थापन समातित में हितवन्त्र किसी अन्य किंग वसार अधिहस्तासरी से पास निक्क केम् का सकींगी।

स्पष्टिकिस्ण — इसमें प्रयूक्त शब्दों और पदों दी, 🕻 उन्हार अभिवियम के अध्याय 20-द नं परि-भाषित ही, बही अर्थ होना, को 👯 केवाल

*श्र*म् भू भी

फ्लेट न० 501, जो, पाववी मजिल, "जयेश अपार्टमेंट", चदावरक्तर रोड, बोरिवली (विचम), बम्बई-92 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क०स० अई-4/37-ईई/4270/83-84 ग्रार जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनाक 27-4-1984 को रजीस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद स**क्षम प्राधिकारी** स**हाय**क श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बई

दिनांक : 10-12-1984 मोहर : प्रस्प बाई.टी.एन.एस. -----

बायकर विभिन्तियम, 1961 (1961 का 43) की धार्य 269-च (1) के बभीन सुचना

भारत सरकाह

कार्यातय, सहायक आयकर आयक्त (निरक्षिण) अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अई-4/37-ईई/1375/83-84--अतः मुझे, ए० प्रसाद,

बायकर जिधिनियम्, 19 (1961 का 43) (जिसे इस्में इसके पश्चात् 'उन्त अधिनियम' कहा गया है'). की भार 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

ग्रीर जिसकी सं दुकान नं 6, जो, बिल्डिंग नं० डी/27, ग्राउंड फ्लोअर, योगी नगर, एक्सार रोड, बोरिवर्ली (प), बम्बई-92 में स्थित है ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से विणत है ग्रीर जिसका करारनामा आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 269 क,ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजीस्ट्री है, तारीख 12 अप्रैल 1984

को पूर्विक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रूपमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मूक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके रूपमान प्रतिफल से, एसे रूपमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिश्वत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखत उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) जन्तरण से हुई किसी जाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (भा) एसे किसी जाय या किसी धन या जन्य बास्तियों को, जिन्हें भारतीय जाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

जतः जब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के जनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के जधीन, निम्निलिखित व्यक्तितां, अर्थात् ह— (1) श्रोमती कविना अमरलाल गखिजा।

(अन्तरक)

(2) मेनर्स योगी नगर सोनाईटी स्टोर्स ।

(अन्तरिती)

को यह स्चना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति क अजन के लिए कार्यमाहियां करता हूं।

उनत सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील जे 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति इशाउः;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकात्तन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित- वस्थ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहरताक्षरी के पाम लिसित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण: --- इरमें ण्यास्त अध्याय 20-क में परिभाषित अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया हैं।

an well

दुकान न० 6, जो, बिल्डिंग नं० डी/27, ग्राउंड फ्लोअर, योगी नगर, एक्सार रोड, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी ऋ०सं० अई-4/37—ईई/1375/83—84 श्रीर जो सक्षम प्राधिकारी, वम्बई द्वारा दिनांक 12-4-1984 को रजीस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज–4, बम्बई

तारीख: 10-12-1984

प्राच्या बहुद ही एम . एस .

**** कर शिर्मिसम्भ 1961 (196* का 43) की ें *भरा 26**-ए (1) के अभीत स्वनः

भारत वरकार

कार्यास्ट, सज़राह व्यवहर कारहर (निरक्षिण) अर्जन रेंज-4, वस्वई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अई-4/37-ईई/4257/83-84--अतः मुझे, ए० प्रशाद

कायकर शौधि तर, 1061 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके प्रकार 'रवता विश्वित्यस' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्रतिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका दिचन बाजार मूल्य 25 (10/24) के विश्वक हैं:

ग्रीर जिसाजी सं० दुनान नं० 4, विल्डिंग नं० डी/28, योगी नगर, एक्सार होड, नोरिवली (पश्चिम), वस्बई-92 में स्थित है ग्रीर डामे उपाबद अनसत्ती में ग्रीर पूर्ण रूप से विणत है ग्रीर जिस्सा करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 फ,ख के अधीन वस्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के लार्जालण में रजीस्ट्री है, तारीख 7 अप्रैल

को पूरिक्स सम्पत्ति के जिसत जाकार मृत्य से कम दश्यमान मिल्ल में किए मंतरित की गई ही और मुक्ते यह विश्वाम क्रियों का कारक की कि अव्यापकों कर मन्त्रीत का जीवत बाजार मृत्या, लक्ष्में खर्मान विश्वाम विश्वाम के स्वत्रा, लक्ष्में खर्मान विश्वाम की कार्या प्रतिकास में अधिक में और अन्तरक (जन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एमें अन्तरक के लिए तय पाया प्रतिकास, निम्निलिसित उत्तर्वेश से उत्तर अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से किथत नहीं किया गया है:—

- (कां) अन्तरण भे हृष्ं किसी गांग की नावस, उक्त निर्णितयम की संपीन कर दोने की जन्तरक की दारित्व में सभी करने य तमसे तचने में गृकिशा के किए प्रांत्रीया
- (स) एमें किर्म अप गा िमी पन म अप आस्तियां की जिल्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 मा 11) या उत्त अधिनियम, या धन- वर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के एपो जनार्थ अन्तिरती द्यारा पकट नहीं किया गया भा सिक्या आना चाहिए था, छिपाने में मृविधा में किया।

जतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के जनुसरण औं, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-भ की उपधारा (1) के अधीन, निम्मलिश्वि व्यक्तियों, संधीत हिल्ल

- (1) श्री उस्मानभाई इस्माईलभाई मवाडिया। (अन्तरक)
- (2) श्री जशूभाई रणछोडभाई पटेल । (अन्तरिती)

को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

रक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बार्क्ष :---

- (क) इस सूचना के राज्यत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों घर स्चन की तामील से 30 दिस की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितसद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अवाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए अस्तानी।

स्पस्टीकरणः — इसमें प्रयुक्त खब्दों और पद्यों का, को उक्त बधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं बही अर्थ होगा को उस अध्याय में दिया गया है।

वनस्या

वुकान नं० 4, जो, विल्डिंग नं० डी/28, योगी नगर, एक्सार रोड बोरिवली (पश्चिम), वम्बई-92 में स्थित है। अनसूची जैसाकी क०सं० अई-4/37–ईई/4257/83–84 ग्रौर जो सक्षम प्राधिकारी, वम्बई द्वारा दिनांक 7–4-1984 को रजीस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख: 10-12-1984

प्रकृत बार्च , डॉ. १५ , एक ,-----

बाबकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-ज (1) के अभीन स्वाना

भारत सहस्रह

कार्यांकव, तहायक सामकर कायुक्त (मिर्डाक्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अई-4/37-ईई/1343/83-84--अतः मुझें, ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर संपरित जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक हैं

श्रीर जिसकी सं० फ्लैंट नं० ए/104, जो, पहली मंजिल, बिल्डिंग को-श्रॉप० हाउसिंग सोसाईटी लिमिटेड, राम नगर, एस०वि० रोड, बोरिवली (प), बम्बई-82 में स्थित है। श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूधी में श्रीर पूर्ण रूप से विणत है। श्रीर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धर्रा 269 क,ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजीस्ट्री है, तारीख 7 अप्रैंल 1984

को पूर्विक्त संपर्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के स्वयमान प्रातिफल के लिए बन्तरित की गई है और मूक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पर्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे स्वयमान प्रतिफल का बन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (बंतरितियों) के बीच एसे बंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिक कस निम्निशिवत सब्देश्य से स्वत बन्तरण किश्वित में वास्त-विक स्थ ते स्विध नहीं किशा क्या श्रीक

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबस, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (क) एसी किसी जाय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय जायकर ऑधनियम, 1922 (1922 का 11) या उकत अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-म के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-म का उपधारा (1) है अधीन, निम्निसिंख व्यक्तियों, अर्थातः :—
59—426 GI/84

(1) श्री बदूदीन शेंख मिस्त्री।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सिमा अशोक शहा।

(अन्तरिती)

की यह सुचना जारी करके पूर्वीक्त संपत्ति को अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुन्।

तका बजारित के वर्षक के सम्बन्ध में कोई भी बासेए ह---

- (क) इस त्यान के राज्यन में प्रकाशन की तारीं हु वे 45 विन की वनीं मा तत्सम्बन्धी स्विक्त में पर स्थान की तामीं से 30 विन की अनीम, जो भी अविध बाद में समास्त होती हो, से भीतर द्नों कर व्यक्तियों में किसी स्वस्ति ब्राइत इंगरा ;
- (क) इस स्थान के राष्प्रम में प्रकाशन की तारीं हैं 4.5 दिन के भीतर स्थल स्थापर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अभोहस्ताक्षरी के अब निवास में किए का पक्षी ।

स्पद्धीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्दों का, जो उक्त अिनियम, के अभ्याय १०-क में परिभाषित हाँ, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया स्या हो।

अनुसूची

फ्लैंट नं॰ ए/104, जो, पहली मंजिल, बिल्डिंग पोपी को-प्रॉप॰ हाउसिंग सोसाईटी लिमिटेड, राम नगर, एस॰बी॰ रोड, बोरिवली (पिल्लम), बम्बई-92 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र०सं० अई-4/37-ईई/1343/83-84 श्रीर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 7 अप्रैल 1984 को रजीस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज–4, बम्बई

तारीख: 10−12−1984

मोहरः

प्रकृप आर्थः टी. एस. एस. -----

भायकर प्रक्रिक्यनः 1961 (1961 का 43) की धारा 268-म (1) के भंबीन सूचना

भारत सरकार

कार्यांकय, सहायक कार्यकर काय्क्त (निर्देक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, विनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्वेश सं० अई-4/37-ईई/1200/83-84-अतः मुझे, ए० प्रसाद

बावकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारि को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपरित, जिसका उचित बाजार मृख्य 25,000/- रु. से अधिक हैं

मौर जिसकी सं० फ्लेंट नं० 211, जो, दूसरी मंजिल, सिता पार्क, एस०वि०पी० रोड, बोरियली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है। श्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से विणत है। श्रौर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क,ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रिजस्ट्री है, तारीख 5 अप्रैल 1984।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते, यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उब्देश्य से उक्त उन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) जन्तरण से हुई किसी अप की वाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अस्तरक कें दायित्व में कमी करने या उससे वचने में सुविधा के सिए; बीड/या
- (क) प्रेसी किसी नाय या किसी भग या जन्म शास्तिकों की, जिन्हों भारतीय आय-कर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उत्तक्ष अभिनियम, या जन-कर अभिनियम, या जन-कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जन्सरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया वाना वाहिए वा, कियाने में वरिका के किया की किया किया की किया किया की किया की किया की किया की किया किया क

क्रतः क्रम्, उक्त अधिनियम की धारा 269- के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269- ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्निलिखित व्यक्तियों, अर्थात् १०००

- (1) (1) श्री रामलाल मयुरादास भौर
 - (2) श्रीमती चनानदेवी रामलाल।

(अन्तरक)

- (2) (1) श्री राजेंद्र रमणिकलाल महा भीर
 - (2) श्रीमती सरोज भरत महा।

(अन्तरिती)

(3) अन्तरकों।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पर्ित के अर्जन के सिंह कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्रोप ह—

- (क) इस स्वना के सावपत्र में प्रकाशन की तारीय वें
 45 विन की अवधि मा तरसम्बन्धी व्यक्तियों कर
 सूचना की तामील से 30 विन की अवधि, जो भी
 अवधि नाद में समाप्त होती हो. के भीतर प्रकेशित
 व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ब्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी बन्य स्थावत इंडारा कथाहरू किसी बन्य स्थावत इंडारा कथाहरू किसी के पाइ

स्पव्यक्तिक रणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अभ्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया रूपा हैं।

पनुसूची

पलेट नं० 211, जो, दूसरी मंजिल, सिता पार्क, एस० वि०पी० रोड, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी ऋ०सं० अई-4/37-ईई/1200/83-84 श्रौर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 5-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख: 10-12-1984

प्रकथ आहे. टी. एन. एस.-----

भावकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अभीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) धर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० ग्रर्ड-4/37-ईई/1612/83-84--श्रत: मुझे, ए० प्रसाद

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उकत अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रु. से अधिक हैं

श्रीर जिसकी सं० फ्लेट नं० ए/8, जो, गंगा/जमुना को-ऑपरेटिय हार्जिसम सोसाइटी, एल०टी० रोड, बोरिवलो (प०), बम्बई-92 में स्थित है श्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विणित है श्रीर जिसका करारनामा, श्रायकर श्रिधितयम 1961 की धारा 269 क,ख के श्रधीन बम्बई स्थित सक्षम श्रिधिकारी के कार्यालय में रिजस्ट्री है, तारीख 11 श्रप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इश्यमान प्रतिफल के लिए रिजस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अंतरित की गई है मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके ध्रयमान प्रतिफल से, एसे ध्रयमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिषात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नसिखित, उब्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त्रिक रूप से कथित नहीं किया ग्या है :—

- (क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सृविधा के सिए; आरि/या
- (क) एसी किसी आय का किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनयम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तिरिसी व्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

कतः व्यवः, उक्त विधिनियम की धारा 269-ए के विमुसरण में, में, अक्त विधिनियम की धारा 269-ए की उपधारा (1) के विधिनः निम्निलिखित व्यक्तियों, वर्धात्:— (1) श्री नरेश नानूभाई लाखडानाला भौर श्रीमती श्राशा नरेश लाखडावाला।

(ग्रम्तरक)

(2) श्रीमती प्रतिभा भरतभाई कोठारी, श्रीर श्रीमती स्मिता हर्षदभाई कोठारी।

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू कर्ता हो।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के संबंध में कोई भी वाक्षेप धन्न

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सैं, 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर प्रंपत्ति में हिसबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास तिखित में किए जा सकरी।

स्पष्टीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पद्यों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

ग्रनुसूची

फ्लेट नं० ए/8, जो, गंगा जमुना को-फ्रास्टिव हाउसिंग सोसाइटी, एल०टो०रोउ, बोरियाने (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क०मं० अई-4/37-ईई/1612/83-84 श्रीर जो सप्तम प्राधिकारो, बम्बई हारा दिनांक 16 अजैल 1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद मजन प्राजिकारा महायक प्रायकर श्रायुक्त (निराक्षण) श्रार्जन रेंज⊶4, बस्य**ई**

ितरीखा . 10--12--1984 **मोहर** ः प्रकल बाह्र 🗓 टी.. पुर- पुस- ======

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-च (1) के अभीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निर्काश), भाजन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, विनांक 10 दिसम्बर 1984

निवेश सं० ग्रई-4/37-ईई/1316/83-84--- म्रतः मुझे; ए॰ प्रसादः

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्षत अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-- क के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

ग्रौर जिसकी सं० फ्लेट नं० 16, जो, 6वी मंजिल, ''जय श्री'' भ्रपार्टमेंटस्, जयराज नगर बिह्मरा नाका, बोरिवली (प) बम्बई-92 में स्थित है ग्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से बींगत है ग्रौर जिसका करारनामा श्रायकर श्रिधिनियम 1961 की धारा 269 क,ख के ग्रधीन बम्ब ई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजीस्ट्री हैं, सारीख 7 अप्रैल 1984

को पूर्वेक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के खरमान प्रितिफल के लिए अन्तरित की गई है और मृश्ने यह विश्वास करने का कारण है कि यथस्पूर्वेक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरिती (अन्तरितियाँ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय मृत्या गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण जिंगों कर में वास्तरिक रूप से कथित नहीं किया गया है धि

- (क) अन्तरण से हुई किसी जाय की बाबते । उकत अधिनियम को अभीन कर दोने के अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (क) ऐसी किसी या किसी धन या अन्य अस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उन्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया ग्या था या किया जाना जाहिए था, छिपाने में सुविभा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, शिम्निसिस व्यक्तियों, अभृति हुन्

(2) श्री जय राम बिल्डर्स-1।

(भ्रन्तरक)

(2) श्री माउरीस डिसोझा, श्रीर श्रॅन्जेलिन डिसोझा।

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्मरित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हो।

उक्त सम्पत्ति के वर्णन के संबंध में कोई भी आक्षेप ह--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियां पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वेक्त व्यक्तियों में से किसी स्यक्ति इवारा;
- (च) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 विन के भीतर उन्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक्ष किसी अन्य व्यक्ति इनारा अभोहस्ताक्षरी के पाक लिखित में किये वा सकर्ण।

स्पष्टीकरण:---इसमें अयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया ग्वा है ॥

वन्स्यो

फ्लेट नं॰ 16, जो 6वीं मंजिल, "जय-श्री धपार्टमेंटस्, जयराज नगर, बिजरा नाका, बोरिवली (पश्चिम), बन्बई-92 में स्थित है।

श्रनुभूची जैसाकी कर्लन श्रई-4/37-ईई/1316/83-84 श्रौर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक श्रप्रैल 1984 को रजीस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आथकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रजन रेंज-4, बस्बई

तारीख: 10-12-1984

प्रकृति सहित् हो । हिंद हुए व्यवस्थान

कायकर मंभितियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-न (1) के अभीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज-4, बस्बई

धम्बई, दिनाक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० प्रई-4/37-ईई/2044/83-84--प्रतः मुझे, ए० प्रसाद,

नायकर निर्मित्यम, 1961, (1961 का 43) जिसे इसमें इसके रहकातः 'उन्ह व विभिन्यम' कहा गया हैं), की भाउर 269-च के अधीन सक्षमः प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्मत्ति जिसका उचित बाबार मृज्य 25,000/- रूपये से विभिक्त हैं

श्रीर जिसकी सं० दुकान नं० 4, जो, ग्राउंड फ्लोग्नर, सिल्वें रिन श्रपार्टमेटस्, श्राय०सी० कॉलनी रोड, बोरिवली (प), बम्बई-103 में स्थित है श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वणित है श्रीर जिसका करारनामा आयकर श्रधिनियम 1961 की धारा 269 के,ख के श्रधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारों के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 26 श्रप्रैल 1984

को पूर्वीक्त सम्पत्ति के लिचिता बाजार मृत्य में कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मृत्रों यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वित संपत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्यह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्वरकों) और अन्तरिती (अन्तरितयों) के बीच एसे अन्तर्ण के लिए तय पाया गया तिफल, निम्निलिखित उद्वेष्य से उकत अन्तरण निम्बित में ।।स्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अर्टुभनियम को अभीन कर बोने के अन्तरक के दायित्य में कमी करने या उससे अचने में सृविधा के लिए आहि/वा
- (क) ध्रेसी किसी आय या किसी भन या बन्य आस्तियों की जिन्हें भारतीय आयकर अभिनित्यम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम, या भन-कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा अकट नहीं किया गया का या किया जाना आहिए था, छिपाने में सुविधा के शिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेसर्म वो०म्रार० इंटरप्राईज।

(भ्रन्तरक)

(क) श्रीमती बेबी वी० कोटियन।

(भ्रन्तरिती)

को यह स्थाना आरी करके पूर्विक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां सुरू करता हुए।

उनत सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप ह---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्यक्ति स्पक्तियों में से किसी व्यक्ति प्वारा;
- (ख) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीस से 45 दिन के भीतर जवन स्थावर संपत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास सिश्चित में किए जा सकरेंगे।

स्पद्धीकरण:--इसमें प्रयूक्त शब्दों और पदों का, जो उकत विधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा को उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दुकान नं० 4, जो, ग्राउड फ्लोग्नर, सिल्वेरिन श्रपार्टमेंटस्, श्राय०सो० कॉलनी रोड, बोरिनलो (पश्चिम), बम्बई-103 में स्थित है।

श्रनुसूत्री जैसाकी अ०सं० श्रई-4/37-ईई/2044/83-84 श्रीर जो सक्षम प्राधिकारो, बम्बई द्वारा दिनाक 26-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण) अर्जन रेंज-4, बम्बई

तारीख' · 10-12-1984 मोहर: प्ररूपः **मार्ड**्ट<u>ीः</u> एव*् प्रस्*

भागकर ज्ञिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारत 269-व् (1) के स्थीन सुव्ता

STATE STATE

कार्यालय, सहायक जायकर जायुक्त (निर्दाक्षक)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984 निदेश सं० अई-4/37-ईई/1061/83-84--अतः मुझे, ए० प्रसाद,

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्ता अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रा. से अधिक है

श्रौर जिसकी सं० पलैट नं० ई/20, जो 4थी मंजिल, साई-बाबा धाम, आफ एस० बी० रोड़, बोरियली (प०), बम्बई-92 में स्थित हैं (श्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से विणित हैं), श्रौर जिसका करारनामा आयकर अधि-नियम, 1961 की धारा 269क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रिजस्ट्री हैं, तारीख

को पृत्रों कर सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्रतिफल के लिए जन्ति ति की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापृषों कर सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से ठीवक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरित (अन्तिरित्यों) के बीच एसे अन्तरण के लिए त्य पामा गया प्रतिफल निम्निलिखत उद्देश्य से उक्त अन्तरण निम्बित में बास्तिक रूप से कियत नहीं किया गया है।

- (क) अन्तर्भ से हुए किसी बाद की कान्त्र, क्वस अधिनित्त् में स्थीन कर दोने में अन्तर्क औ यापित्व में कृती कुरुने ना अवसे नृक्ष्य में सुविका औ विदय; मुक्तिना
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविभा के लिए;

जतः अब उक्त विधिष्यम की धारा 269-न के बनुब्रस्क् मों, मीं, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) के ब्र्धीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् ६1. मेसर्स अध्य इंटरनेशनल

(अन्तरक)

 श्री हैरमन अलेक्जेंडर श्रीर श्री ज्यूड अलेक्जेंडर

(अन्तरिती)

3. विक्रोता

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में संपत्ति है)

को यह सुभना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के कर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप ह---

- (क) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारींच से 45 दिन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्चना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्ल व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की ताड़ीक से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिक्ति में किए जा सकेंगे।

स्वव्यक्तिकरणः — इसमों प्रयुक्त शब्धों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, को अध्याय 20-क में परिभाषित है, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

श्रनुसूची

फ्लैट नं० ई/20, 4थी मंजिल, साईबाबा धाम, आफ एस० वी० रोड़, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि ऋ० सं० अई-3/37-ईई/1061/83-84 थ्रीर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 2-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद मक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बई

दिनांक: 10-12-1984

मोहर 🛭

प्ररूपः भार्येः ठीः, एनः, एसः 🛚 🗝 🕬

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-वु (1) के अधीन सुबना

पारत सरकार

कार्यानय, सहायक जायकर जायुक्त (निर्देक्षण) अर्जन रॉज-4, बस्कई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर, 1984

निर्देश सं० आई-4/37ईई/1510//83-84--अतः मुर्झे ए० प्रसाद

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थानर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रा. से अधिक हैं

श्रीर जिसकी सं प्लैट नं 201, जो 2 री मंजिल, बिल्डिंग "विणाल-1", एस० व्हि० रोड, बोरिवली । (प०), बम्बई-92 में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद अनुसूची में भीर जो पूर्ण रूप से विणत है) श्रीर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 कख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्दी है बिनांक 12-4-1984

को प्रबंक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृस्य से कम के द्रायमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है बार मुम्मे यह तिक्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मृष्य उसके दर्यमान प्रतिफल से एसे दर्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिक्षत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय गाया गया प्रतिफल, निम्नितिचित उद्देश्य से उचेत अन्तरण लिकित में वास्तिक रूप से कियत नहीं किया गया है ---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (क) ऐसी किसी आय या किसी अन या अन्य आस्तियाँ को जिन्हें भारतीय आयकार अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या अन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना आहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-म के अनुसरण को, की, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की बर्पधारा (1) को अभीन, निस्तनिस्थित व्यक्तियों, अर्थात् क्रिक्ट मैंसर्स गौतम बिल्डर्स (इंडिया),

(अन्तारक)

 श्रीमती सेलिन निकलेंस पिटो श्रीर श्री जिलमेंड टावरो।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन की सिए कार्यवाहियां करता हुं।

उनत चेपरित के मजीन को संबोध में कोई भी जाक्षेप हुन्न

- (क) इस स्वान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 45 दिन की अविध या तत्संबंधी अ्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वेक्त स्थिकतयों में से किसी अ्यक्ति द्वारा;
- (क)) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्परित में हित- बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकरें।

स्पक्टीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्यों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

जनसूची

पसैट नं 201, जो 2री मंजिल, बिल्डिंग "विशाल-1" एस० व्हि॰ रोड, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि ऋ० सं० आई-4/37/ईई/1510/83-84 भौर जो सक्षम प्राधिकारी बन्धक, द्वारा दिनांक 12-4-1984 भौर जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 12-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बस्बई

दिनांक: 12-10-1984

मोहर:

प्ररूप बाहाँ. टी. एन. एस. -----

बायकर बिधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 (व) (1) के बधीन स्थान

भारत सरकार

कार्यासन, सहायक नायकर नायकत (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनोक 10 विसम्बर, 1984

निर्देश सं०ें आई-4/37ईई/1571/83-84—अतः मुर्झे ए० प्रसाद

नायकर जिभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्वात् 'उक्त निभिनियम' कहा गया है, की धारा 269- क के जभीन सक्षम प्राधिकारी को यह निश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित वाजार मृस्य 25,000/- रू. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० पर्नंट नं० 42, जो प्रेम मानू अपार्टमेन्ट, आय० सी० कालोनी, कास रोड, नं० 4, आय० सी० कालोनी, बोरियली (प०), बम्बई-103 में स्थित हैं (श्रीर इससे उपाबद्ध । अनुसूर्या में श्रीर जो पूर्ण रूप मे विणत हैं) (श्रीर जिसका करार-) नामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 केख के अधीन की धारा 269 केख के अधीन कमबई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्टी हैं दिनांक 12-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के क्रयमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गर्ड हैं और मूक्तें यह विश्वास करने का कारण हैं कि सथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके क्रयमान प्रतिफल में, एम क्रममान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से विधिक हैं और बंतरक (अंतरका) और अंतरिती (अंतरितिया) के औध एस जगरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित से बास्तिक रूप से किथत नहीं किया गया हैं:---

- (क) बंतरण से हुइ किसी जाय को बाबत, उयत मधिनियम के अभीन कर शेने के शंतरफ की वायित्व में आधी कारशें में उपने के लिए। के लिए। जीर मा
- (य) एसी किसी अब का किसी वर वा क्य आस्थियों को जिन्हों भारतीय जाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना साहिए था, स्थिपाने में सविधा के सिए;

जतः स्व, तस्त सीधीनयम की भारा 269-म की वन्सरर में, में, तक्त सीधीनयम की भारा 269-म की उपभार '' के सभीन, निम्नीसीखत स्पेक्टियों, अर्थोस 1. मैसर्स दीपक कन्स्ट्रक्शन्स ।

(अन्तरक)

2. श्री प्रभाकर रामचन्द्र खाउँकर।

(अन्तरिती)

स्त्री वह सूचना बारी करके पूर्वोक्त सम्पर्शि खें बर्धन के हैंकए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के वर्णन के सम्बन्ध यें कोई भी बाक्षेप ह---

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारींस से 45 दिन की नवींच या तत्स्य कियों पड़ स्वना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्रवेक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ल) इस स्थान के गुलपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर जक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास निस्ति में किए जा सकीगे।

स्पष्टिकरण: ---इसमें प्रस्कृत शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में विका गया है।

ननसनी

फ्लैट नं , 42, प्रेंमभानू अपार्टमेन्ट, जो, आय० सी० कालोनी, काम रोड, नं . 4, आय० सी० कालोनी, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-103 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि ऋ० सं० जोई-4/37ईई/1571/83-84 श्रीर जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 12-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज-4, बम्बर्ष

दिनांक : 10-12-1984

मोहरः

वरूप बाई . दी . एन् . एस . -----

बाब्कर बिधनियम, 1961 (1961 का 43) की बारा 269-ब (1) को अधीन स्वना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, निांक 10 दिसम्बर, 1984

निर्देश सं० आई०-4/37ईई/1479/83-84---अतः मुझे ए० प्रसाद

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन, सक्षम पाधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25 000/- रु. से अधिक है

स्रौर जिसकी सं० फ्लैंट नं० बी-31, जो 2 री मंजिल, "लकी स्टार अपार्टमेन्ट", बिल्डिंग नं० 2, शांती आश्रमः, के बाजू में एक्सार, बोरिवली (प०), बम्बई-103 में स्थित हैं (ग्रौर इसमें उपाबद्ध अनुसूची में ग्रौर जो पूर्ण रूप से विणत हैं) ग्रौर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 कख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रिजस्ट्री है दनांक 12-4-1984

को पृवांका संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के छ्रयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके छ्रयमान प्रतिफल से, एसे द्रयमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिक्षत से अधिक है और अंतरक (अंतरकां) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्निलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निखित में वास्तविक छूप से किथन नहीं किया गया है ---

- (क) बन्तरण संहुई किसी जाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दीने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा दीलग्र कार्य/का
- (ख) ऐमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उकन अधिनियम, या प्रनक्त अधिनियम, या प्रनक्त अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, खिपाने में सविधा के लिए;

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उन्न अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अभीत निकलिसत व्यक्तियों अर्थात :-60-426GI/84

1. मैंसर्स एम० जे० गणाता, एंड कंपनी,।

(अन्तरक)

2. श्री किशन चन्द गोकलदास भाटिया

(अन्तरिती)

3. अन्तरक

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता \mathbf{g}_{\perp}^{+} ।

उक्त सम्पत्ति के बर्जन के सम्बन्ध में कोई भी जाभेप :---

- (क) इस मूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, वो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त स्थिक्तयों में से किसी ब्यक्ति द्वारा,
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास निस्ति में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्स ' अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित ह⁵, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया गया है।

अन्सुची

पलैट नं० बी-31, जो 2 री मंजिल, "लकी स्टार अपार्ट मेंट", बिलिंडग न०2, एस० नं० 99, एच० नं० 3, सी० टी० एस० नं० 1509, और 1512, शाती आश्रम के बाजू में एक्सार बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-103 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि कि कि आई-4/37/ईई/1479/83-84 भौर जो सक्षम प्राधिकारी वम्बई द्वारा दिनांक 12-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रमाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बई

दिनांक: 10-12-1984

म्मेहर:

प्रकृष बाइ'.डी. एन्. एस्. -----

शायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-थ (1) के अधीन सुक्रमा

भारत बार्याह

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण) अर्जन रेज, -4, बम्बई

वम्बई, विनांक 10 विसम्बर 1984

निदेश सं० आई-4/37ईई 2032/83-84—अत: मुझे, ए० प्रसाद,

बायकर मिश्रीनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इससे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी की यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूस्य 25,000/- रा. से अधिक है

स्रौर जिसकी स० पलट न० बी 001, जो ग्राउन्ड फ्लोअर, बिहिंडग न० 16, एस्के अपार्टमेन्टस, साई बाबा नगर, एस० बी० रोड, बीरियली (प०), बम्बई-92, में स्थित हैं (ग्रौर इससे उपाबद्ध अनुमूची में ग्रौर जो पूर्ण रूप से वर्णित हैं) श्रौर जिसका करारनामा आयकर अधिनयम 1961 की धारा 269 क,ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 26-4-1984

को पूर्वोक्त सम्परित के उचित बाजार मूल्य से कम के स्वयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वोक्त संपरित का उचित बाजार मूल्य, असके दश्यमान प्रतिफल से, एसे स्वयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित । उद्देश्य से उक्त अन्तरण कम से ब्रिशन कहीं किया नहा है है

- (क) जन्तरण से हुई किसी नाय की बाबत, उक्त निध-नियम में जभीन कार वाने के जन्तरक के वार्थिक में कभी करने या उससे अवने में सुविधा के निए; और/या
- (ह) एसी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आय-क,र अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उन्त अधिनियम, या भनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना आहिए था, छिपाने में सुविधा को लिए;

वतः सव, उक्त अधिनियम कौ धारा 269-न कौ सन्सर्ग कौ., मौ, उक्त अधिनियम की धारा 269-न की उपभारा (1) के सभीन, निम्मतिकित स्पक्तियों, कर्यात १---- श्री यस्मिन एसोशिएटस, ।

(अन्तरक)

2. श्री एन० सी० निकोलस ।

(अन्तरिती)

3. अन्तरक ।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

क्कत सम्पृतित के वर्षन के सम्बन्ध में कोई भी वाकीप्:--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच वें 45 दिन की सर्नीभ या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों दर सूचना की तामील से 30 दिन की अव्धि, वो औ अवधि बाद में समाप्त हाती हो, के भीतर प्रवेक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ब्यारा;
- (क) इस स्वना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 विन को भीतर उक्त स्थावर सम्पर्ति में हित-वव्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताकारी के पास लिखित में किए का सकोंगे।

स्मक्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, को उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभावित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गरा है।

वन्स्पी

पलेट न वी 001, जो ग्राउन्ड फ्लोअर, बिल्डिंग म० 16, एस्के अपार्टमेन्ट, साई बाबा, नगर, बोरिवली, पश्चिम); बम्बई-92 में स्थित है।

अनुसूची जैंसाकि ऋ० स० आई-4/3कईई 2032 83-84 ग्रीर जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 26-9-1984 को रजिस्टर्डज किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) सर्जन रेंज-4, बम्बई

दिनांक: 10-12-1984

मोहर:

प्रचल कार्य ्व दी. एक्. एक्. - अ - - ==

स्थवकड वीमनियम, 1961 (1961 का 43) की पाड़ा 269-म (1) के अभीन सुम्पा

भारत सरकार

कार्यांशय, सङ्घायक गायकर गायुक्त (निद्रीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, विनांक 10 दिसम्बर 1984

निवेश सं० आई०-4/37ईई/1233/83-84---अत: मुझे, ए० प्रसाद,

बायकर बिपिनियम, 1981 (1961 का 43) (रिक्ते इसकों इसकों परकात् 'उनता बीपिनियम' कहा गया हैं), की नाथ 269-य के बधीन सक्त प्राधिकार्धी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थानर सम्बद्धित, जिनका छित्र वाजार मृख्य 25,000/- रु ते अधिक ही

श्रीर जिसकी स० फ्लैट तं० 401, जो 4थी मंजिल, बिहिंडम श्यामकृपा न० 1, एक्सार, व्हिलज रोड, बोरियली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर जो पूर्ण रूप से विणित है) श्रीर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम श्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 6-4-1984

को प्यांनस सम्परित की जिनत बाबार मृश्य से कम के व्ययमान प्रतिकल को लिए मंतरित की गई है और मृझे यह निष्यास करने का कारण है कि यथाप्योंक सम्पर्ति का उपित बाबार मृज्य, इसके व्ययमान प्रतिकल से, एसे व्ययमान प्रतिकल का पन्त्रह प्रतिशत से मिथक है बीच अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरिती (अन्तरितिया) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गम्पा प्रतिकल, निष्निक विकास विवास विवास

- (क) जन्तरूप से हुई किसी शाप की सायत, उत्तर क्रियायम से अपीन कर दोने के जन्तरक के सानित्य में कमी करने या उस्तर्ध नचने में प्राविधा के निए; बार्/या
- (क) एवी किया बाव वा कियी भन या जन्म शास्तियों को, जिन्हों आह्मजीय आगस्तर अधिनियंत्र, 1922 (1922 का 11) या उक्त कथिनियंत्र, या भन-कर व्यथिनियंत्र, 1957 (1957 का 27) वे प्रसोजनार्थ अन्तरियों स्वाच प्रकट नहीं सिना गया भा या किया जाना चार्टिए भा, छिनाने में सुविज्ञा स्वे निह्न

जवा का मान्य कार्य कर्तिपणियम की भारत 269-म की काम्यापम की , में , कार्य अभिनियम की बारा 269-म की उपधारा (1) की नामिस कि किया कि किया की नामिस के किया की नामिस की

1. मसर्स विजय कपनी ।

(अन्तरक)

2. श्री समिर हरीशचन्द्र माली ।

(अन्तरिती)

3 अन्तरक ।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

कार्य सृष्यना जारी कारके पृष्ठीकत सम्पत्ति के अर्जन के तिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त संस्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कहिं भी आक्षेप हु---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारील के 45 दिन की अविधि मा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो और अविधि बाद में समाप्त होती हो, और भीतर वृजीवत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (च) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 विम के भीतर उक्त रथावर सम्पक्ति में हितबक्ष किसी अन्य व्यक्ति क्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिसित में किए जा सकोंगे।

स्वाचित्य र - इसमें प्रमुक्त कथ्यों और प्रवां का, जो जब्द अभिनियम के अभ्याय 20-क में प्रिशाधित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में विसा यस है।

अनुसूची

फ्लैंट न० 401, जो 4थी मंजिल, बिल्डिंग ध्यामकृपा न० कु1, एक्सार व्हिलेज, रोड, बोरवली (पिष्टमम), बम्बई-92 में स्थित है।

अनुसूची जैंसाकि कर संर आई-4 37ईई/ 1233/83-84 ग्रीर जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारादिनांक 6-4-1984 को रजिस्टड किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अजन रेंज 4, अम्बई

दिनकि : 10-12-1984

मोह्यरः

प्ररूप आई. टी. एत. एस. -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा भारा 269-भ (1) के अभीन सुपना

भारत भरकार

कार्यालय महायक आयकर आय्वत (निरीक्षण) अजन रेंज,-4, बम्बर्ष

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश स० आई-4/37ईई 1191₈83-84—अतः / मुझे, ए० प्रसाद,

बायंकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अभिनियम', कहा गया है), की भारा 269-स के अभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर अमित, जिसका उचित धाजार मूल्य 25,000/- रु. से अभिक है

भीर जिसकी सं० फ्लैंट न० 209, जो 2री मंजिल, "रोहन अपार्टमेन्ट, नया गांव, ज्लाट न० 5, मडपेश्वर रोड, बोरिवली (प०), बम्बई-92 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में भीर पूर्ण रूप में विणित है) शीर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 कव के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रिजर्र्ड़ी है दिनांक 3-4-1984 को पूर्वेक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए उन्तरित की गई है और मुभे यह विश्वास करने का कारण है कि यथ्धा पूर्वेक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल में एसे दश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखत उद्वेश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तियक रूप से किथत नहीं किया ग्या है :---

- (क) अन्तरण संहर्ष किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दंने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय बाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) को पर्योजनार्थ अन्तरिती इवारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-म के अनसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिक्षित व्यक्तियों, अर्थात् :--- 1. न्निम्ति कन्स्ट्रमशन्स ।

(अन्तरक)

2. श्री नन्दकुमार, ब्रारकानाथ लाड ।

(अन्तरिती)

को गह स्वना बारी करके पूर्वोक्त सम्पृत्ति के अर्वन के सिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त संपरित के अर्जन के तंत्रंभ में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राज्यत्र में प्रकाशन की तारीस है 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी जवधि बाद में समाप्त होती हों, के भीतर पूर्वोक्त स्वित्यों में से किसी व्यक्तित दुवारा;
- (क) इस सूचना के राजपश में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर तकन स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य स्थिति व्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास निस्ति में किए जा सकों गे।

स्यब्दीकरणः ----इशम प्रयुक्त शब्दों और पदौं का, जो उक्त अधिनियम के अन्याय 20-के मे परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगा जो उस अध्याय में दिया

अन्युची

फ्लट न० 209, जो 2 री मजिल, "रोहन अपार्टमेन्ट, नया गांव, प्लाट न० 5, मङ्गेण्वर, रोड, बोरिवली (पिण्चम), बम्बई-92 में स्थित है।

अनुसूची जा।क ऋ० सं० आहें-4/37ईई 1191/83 84 भीर जैसा सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 3-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० प्रसाव सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अजन रेंज-4, बम्बई

दिनांक: 10-12-1984

मोहरः

प्ररूप बाई. टी. एन. एस. ----

गायकर गिंधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा ?63-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बई बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० आई-4/37ईई 1033/83-84-अतः मुझे, ए० प्रसाद,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रु. से अधिक है

ग्रौर जिसकी सं० फ्लैंट न० 207, जो 2री मंजिल, निर्माणाधीन इमारत मडमेपेश्वर, तालुका, बोरिवली (प), बेर्आरेग सर्वे नं० 8, पार्ट, 5, बम्बई में स्थित है (ग्रौर ग्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रौर जो पूर्ण रूप से विणित है) ग्रौर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, खें के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 1-4-1984

को पूर्वोंक्त संपत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रिजस्ट्रीकर्ना के कार्याालय, 'धारा 269 ए. बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के पास रिजस्ट्री-कृत किया ग्या है, मृझे यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल के पद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरको) और अंतरिती (अंतरितियाँ) के बीच अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निध्नलिखित उद्देश्य से उक्त अतरण लिखित में वासविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरूप से हुई फिली बाय की नावत, जनत अधिनियम के अधीन कर दोने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के निए; और/या
- (क) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, विश्वासियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्यस्तियों द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया गाना काहिए था लियान में सुविधा के लिए:

कतः अब, उक्त अधिनियम की भारा 269-म के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की भारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन, निम्मलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :— 1. मैसर्स विमूर्ति, कन्स्ट्रकशन्स।

(अन्तरक)

2. श्री इग्नाटिक जोसेफ ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना बारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन् के जिल्ला कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियां पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों क्त व्यक्तियां में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पिष्टीकरण: ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित ह⁵, वही अर्थ होगा जा उस अध्याय में विया गया ह⁶।

अनुसूची

पलट न॰ 207, जो 2 री मिजिल, निर्माणाधीन इमारत, मडपेश्वर तालुका बोरिवली (प) प्लाट बेअरिंग सर्वे न॰ 8 पाट, 5, सर्वे न॰ 3, एच॰ न॰ 1, पार्ट ग्रौर सर्वे नं॰ 3, एच॰ नं॰ 3 (पार्ट), बम्बई में स्थित है।

अनुसूची जसा कि कि सिं आई-4 37ईई 1033/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी वस्बई द्वारा दिनांक 1-4-1984 को रिजस्टर्ड किया गया है।

> ए० **प्रसाद** सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुख्त (निरीक्षण) अजन रेंज, बम्बई

दिनांक: 10-12-1984

मोहर:

प्रका बाह्र टी. एन. एस . -----

भागकरु अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-ज़ (1) में अभीन सुमना

भारत सरकार

क्लबंशिक, बहायक बायकर जायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, अम्बर्ध अस्मर्क, दिलांक 10 दिसम्बर 1984

निदश स० भाई-4/37ईई/1031/83-84---भतः मुक्ते, ए० प्रसाद,

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अभिनियम' कहा गया है), की धारा 269-क के अभीन सक्षम प्राधिकारी की यह विश्वास करने का कारण है कि स्थ्यावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/-रा. से अधिक है

ग्रौर जिसकी सं० पलैंट मं० 106, जो 1ली मजिल, निर्माणाधीन इमारत, रेव्ह्यून्स व्हिलेज, मंडपेश्वर, तालुका बोरिवली, प्लाट बेर्जारग सर्वे नं० 8, पार्ट, 5, बोरावली, बम्बई में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद अनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से विणत है) ग्रौर जिसका करारनामा आयकर अधिनयम 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन दिनांक बम्बई स्थित सक्षम

प्राधिकारी के कार्यालय में रिजस्ट्री है विनांक 1-4-1984 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इत्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिफल से अभिक है और अन्तरक (अन्तर्कों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गग्रा प्रतिफल, निम्मलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में नास्तिक रूप से किथा गया है :--

- (क) बन्तरण से हुन्दें किसी जाय की बाबतं, उक्त जीभी प्रयम के अभीन कर दोने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविभा के लिए; और/मा
- (क) ऐसी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों को, जिस्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अस्तिरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया वाना वाहिए था, डिज्याने में सुविधा के लिए;

जतः अन, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण कें, में, अक्त अधिनियम की धास 269-म की उपधारी (1) कें अधीन, निम्मतिश्वित व्यक्तियों, अधीन :----

मैसर्स लिम्ति, कन्स्ट्रमणन्स।

(अन्तरक)

 श्री दुश्यन्त भास्कर महाले, भौर भीमती उज्जला दुश्यन्त, महाले, ।

(मन्तरिती)

को यह सूचना जारी कर्क पूर्विक्त सम्मत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

अन्त सम्पत्ति के वर्णन के संबंध में कोई भी नाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपण में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पड़ सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक ते 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पीस तिस्तित में किए जा सकींगे।

स्पच्छीकरणः --- इसमें प्रमुक्त शब्दों और पदों का, ओ उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा ओ उस अध्याय में दिया गया है।

नन्त्र्यो

प्लौट नं 0 106, जो, 1 ली मंजिल, निर्माणाधीन, इमारत, रेव्ह्यून्स, व्हिलेज, प्लांट आफ लैन्ड, बेर्जार्ग सर्वे नं 0 8, पार्ट 5, सर्वे नं 0 3, एच० नं 0 1, पार्ट, श्रौर सर्वे नं 0 3, एच० नं 0 3, (पार्ट), मंडपेश्वर, तालुका बोरिवली, बम्बई में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि ऋ० स० आई-4/37ईई/1031/83•84 श्रीर जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 1-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

> ए**० प्रसाद** स**क्षम** प्राधिकारी सहायक आयकर **अन्युक्त** (निरी**क्षण**) **अर्जन रेंज-4, बम्बई**

दिनांक: 10-12-1984

मोहर:

प्ररूप कार्चं.टी.एन.एस.------

भावकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, अस्वर्ध

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निवेश सं० आई-4/37ईई/1034/83-84---अतः मुर्झे, ए० प्रसाद,

बायकर अधिनयम, 1961 (1961 का 43) (जिले इसमें इसमें प्रवाद 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-ख के अधीन सक्ष्य प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उजित बाजार मृल्य 25,000/- रा. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० फ्लैट नं० 307, जो 3री मंजिल, निर्माणा धीत, इमारत, रेव्ह्यून्यू व्हिलेज, मंडपेक्चर, तालुका बोरिवली ब्लाट आफ लैन्ड बेअरिंग, पार्ट और सर्वे नं० 3, एच० नं० 3 (पार्ट), सर्वे नं० 8 (श्रंण), पार्ट 5, सर्वे नं० 3, एच० नं० 1, पार्ट, बोरियली, बम्बई में स्थित है (श्रीर इससे उपायद अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से विणत है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख ने अधीत बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है विनांक 1-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए रिजस्ट्रीकर्ता के कार्यालय, सिमोगा में भारा 269 ए. बी. के अंतर्गत संक्षम अधिकारी के पास रिजस्ट्रीकृत किया ग्या है, मृक्षे यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्या, उसके क्रयमान प्रतिफल से,, एसे स्थ्यमान प्रतिफल के पंत्रह प्रतिशत से अधिक है और जंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखित उद्वेश्य से उच्य अंतरण लिखित में बास्तियक रूप से कथित नहीं ग्या है :--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबस, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के सायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के सिए; और/या
- (क) एरेसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-म्ब के अनुसरण में, में, शक्त अधिनियम की धारा 269-म्ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्मलिकिन व्यक्तियों, अर्थात् :-- 1. मैसर्स जिम्ति कन्स्ट्रक्कस्य ।

(भन्तरक)

2. श्रीमती हुमाल डिसा।

(अन्तरिती)

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त संपत्ति के वर्जन के संबंध में कोई भी शाक्षेप :---

- (क) इस सुचना के राचपत्र में त्रकाशन की तारीस है 45 दिन की जविभ वा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पड़ सूचना की ताजीस से 30 दिन की अविभ, जो भी जविभ बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों का व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वार;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीबा से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबव्ध किसी अन्य व्यक्ति व्यारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

सम्बोकरणः -- इसमें प्रयुक्त सक्यों और पर्यों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

नग्स्या

पर्लंट नं 307, जो 3री मंजिल, निर्माणाञ्चीम इमारत रेव्ह्यून्यू व्हिलेज, मंडपेश्वर, तालुका बोरिवली, प्लाट आफ लैन्ड बेंअरिंग सर्वे नं 8, पार्ट 5, सर्वे नं 3, एव नं 1 (पार्ट), ग्रीर सर्वे नं 3, एव नं 3 (पार्ट), बोरिवली, बस्बई में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि कि सं आई-4/37ईई/1034/83-84 ग्रीर जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 1-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, सम्बद्ध

दमांक : 10-12-1984

मोहर 🛭

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भार 269-च (1) के अभीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिनम्बर 1984

निर्द्रेण मं० आई-4/37ईई/1032/83-84——अतः मुझे, ए० प्रसाद,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि र-थावर सम्पत्ति, जिसका उचित वाजार मूल्य 25,000/-रा से अधिक है

म्रीर जिसकी सं० फ्लैंट नं० 306, जो, 3री मंजिल, निर्माणाधीन, इमारत रेव्ह्यून्यू व्हिलेज, प्लाट बेअरिंग, सर्वे नं० 8, पार्ट, 5, मंडपेश्वर, तालका बोरिवली बम्बई में स्थित है (ग्रीर इसने उपाबद्ध अनुसूची में ग्रीर जो पूर्ण स्प में बर्णित है) ग्रीर जिसान करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 हा,ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 1-4-1984

को पूर्विक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के द्रयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विक्वास करने का कारण है कि यथापूर्विक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके द्र्यमान प्रतिफल से, एसे द्रयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकार) और अंतरिती (अन्तरितया) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण मं हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिरियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे अचने में स्विधा के लिए, और/या
- (क्ष) एेसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तिरिती ख्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए;

अतः अव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्निसित व्यक्तियों, अर्थात् हिन्स

1. श्री भेगर्स किम्बि शन्स्दृवशन्स ।

(अन्तर्क)

2 श्री एम०डिया ।

(अन्तरिती)

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियां पर सूचना की लामील हो 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में गायत होती हो, के भीतर पूर्विकत स्विक में मारे किसी स्विधि सुगारा;
- (ब) इस मुखना के राज्यक में एकाशन की तारी से 45 दिन को भीतर उन्त स्थावर सम्पत्ति में दिव-बद्ध किमी सन्य न्यक्ति दुवारा, नभोहस्ताक्षरी के एम निवर का किमा सार्थ का स्थावन है।

स्पष्टीकरणः — इसमे प्रयूक्त शब्दों और पदों का, जो उसत अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, कही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया गया है।

अनुस्ची

पलैट नं० 306, जो 3री मंजिल, निर्माणाधीन इमारत रेव्हयून्यू, व्हिलेज, मंडपेण्डर, नालुका बोरिवली, प्लाट नं० बेर्जारम पर्वे नं० 8, पार्ट 5, सर्वे नं० 3, एच० नं०, 1 पार्ट, ग्रीर सर्वे नं० 3, एच० न० 3 (पार्ट), बम्बई में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि कि० स० आई-4/37ईई/1032/83-84 ग्रीर जो सक्षम प्राधिकारी वस्वई द्वारा दिनांक 1-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद पक्षम प्राधिकारी सहायक आयक्षर अध्युक्त (निरीक्षण) अर्जन रोज-4, बम्बई

दिनांक 10-12-1984 मोहर: प्ररूप बार्ड. टी. एन. एउ. - - -

कायकर विधिनियम, 1961 (1961 का 43) कर्री भाग 269-च (1) के वधीन स्थान

भारत सरकार

कार्याजय, सहायक जायकर जायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बई

धम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निर्देश सं० आई-4/37ईई/1076/83-84---अतः मुझे, ए॰ प्रसाद,

बायकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इससे इसके परवात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269 व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वाम कारने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उजित वाजार मूल्य 25,000/- रह से अधिक है

न्नौर जिसकी सं० पनैट न० 3, जो, 2री मंजिल बी-ज्लाक, एफ प्लाट 653, टी० पी० एस० 3, बोरिवली, शिम्पोली रोड, बोरिवली (प०), बम्बई-92 में स्थित है (न्नौर इससे उपावद अनुसूची में न्नौर जो पूर्ण रूप से विजत है) न्नौर जिसका करारनाम आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रिजस्ट्री है दिनांक 2-4-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के क्ष्ममान प्रतिक्रस के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथाप्योंकत सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके क्ष्यमान प्रतिक्रल से, एते क्ष्यमान प्रतिक्रल का पंक्र प्रतिक्रल से निभक्ष है और अंतरक (बंतरकाँ) नौर अंतरिती (अन्तरितयाँ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिक्रस, निम्नलिकित उद्देश से उक्त अन्तरण निवित्त में बास्तीयक रूप से कथित नहीं किया गया है:----

- (क) बन्तरण स हुइ किसी बाब की वावत , उक्त विधिनियम के अधीन कर दोने के बन्तरक के वायित्थ में कमी करने वा उससे बचने में सुविधा के निष्; बौर/या
- (क) ऐसी फिसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियां को, जिन्ही भारतीय आयकर जिभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त जिभिनियम दा भनकर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तिरती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था कियाने में सुनेक्श को सिए;

वर्तः वज्ञः, उक्तं विभिनियमं की भारा 269-ग के वनुकरण वी, भी, उक्तं विभिनियमं की भारा 269-च की उपभारा रि) को वभीन, निभ्नतिकितं व्यक्तियों, वर्षात् :—— 61—426 GI/84 1. श्री ए० पी० नाइकर्णी।

(अन्तरक)

2 डा॰ जें एम फड़तरे।

(अन्तरिती)

का यह स्वाना वारी करके पूर्वोक्त सञ्चल्ति के वर्षन के सिए कार्यवाहियां सूरः करता हां।

सक्त संस्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस स्वान के राजपत्र में प्रकावन की तारींच से स्वान की तामीस से 30 दिन की अवधि, को भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्रवेशिक व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति प्रवारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच ने 45 दिन के भीतर उच्त स्थावर सम्पत्ति में हितबह्म किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताकारी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

क्यक्षीकरणः — इसमें प्रयुक्त कत्यों और वर्षों का, जो अवस्त अधिनियम के अध्याय 20 क में परिमाधित हाँ, यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिवस नुवा हाँ।

का प्रची

फ्लैट न० 3, जो 2री मजिल, बी-ज्लाक, "सुनील", एक प्लाट नं० 653, टी० पी० एस० नं० 3, शिम्पोली, रोड, बोरिबली (पश्चिम म्बई-92 में स्थित है।

अनुसूर्वा जैसाकि कि स० आई-4/37ईई/1076/83-84 भौर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 2-4-1984 को रिजस्टर्ड, किया गया है।

> ए ० असाद सझम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बर्फ

विनांक: 10-12-1984

मोहर :

वक्त बाई. टी. एव. एवं :------

वाक्कर वृत्तिवयन, 1961 (1961 का 43) की पारा 269-व (1) में वर्णन सूचना

नारद राज्यात

कार्यासद, सङ्घावक वावकर वावुक्त (निरोधक) अर्जन रेंज-4, बध्वई यभ्वई, दिनांक 10 दिसम्बर, 1984 निर्वेक्स सं० आई-4/37ईई/1932/83-84—अतः सुझे, इ॰ असाद,

ंबार्डकर विभिन्नवन, 1961 (1961 का 43) (विजे इसने व्यक्ति विवस्त (उनते निधिनवन) कहा नवा हो), की भारा 269-य के विभीन सभान प्राधिकारों को, वह विश्वाद करने का कारण हों कि स्थावर संवस्ति विस्तका उपित वाबार मृज्य 25,000/-कि. ये विधिक हो

बीर विसकी सं ० व्हिलेज, एक्सार, तालुका, बीरिवली, बेशरिय बर्चे मं ० 225, एच० मं ० 5ए, सिटी, सर्वे मं ० 2213 में स्थित है (बीर इससे उपाबद अनुसूची में भीर पूर्ण रूप से वर्णित है।और जिसका करारमामा आयकर अधिनियम 1961 की भारा 269क, ब के बधीन बम्बई स्थित सक्तम प्राधिकारी के कार्यालय में रिकस्टी है, तारीख 23-4-84

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के क्यमान श्रीक्त्रस के लिए अन्तरित की गई है और कृषों यह विद्यास करने का कारण है कि बहु पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके क्रममान हैं और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एंडे बन्तरज के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित कृष्येच्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से क्रियत कृष्टे किया गया है:—

- (क) जन्तरण ने शुद्र कियाँ बाय की नावत, वज्य वर्णियन में नवीन कर देने में संतरक के वाचित में क्यी करने या प्रतक्षे क्यमें में स्विश के विद्युः बीर/वा
- (क) देशी किची नाम या किची भग ना बन्द कारिस्तवीं कों, जिन्हों भारतीय कावकार अभिनित्तम, 1922 (1922 का 11) या उन्नत नीपीनवन, वा भन-कर विधिनवन, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जन्तरिती बुचारा प्रकट नहीं किया नवा भा वा जिला जाना चाहिए वा, जिनाने में भीवना के निष्;

वतः भवः, उत्ततं निधिनियतः, भौ धारा 269-व से वनुवर्षः वी, वी, ज्यान विधिनियतं को धारा 289-व की वनुवर्षः (1) वी केलीय, जिल्लीकीयतः व्यक्तिनी सुकृतिः

- (1) मेसर्स मंगत बिस्बर्स । (कन्तरक)
- (2) श्री एस० टी० मुरकर ग्रीर अन्य

(अन्तरिती)

- (3) (वह स्यक्ति जिसके विधिनोर्ग में सम्पति है)
- (4) श्री याशी कमरुद्दीन खान । (वह व्यक्ति जिसके बारे में अघोहस्ताशरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को सह बुधना बारी कारके पूर्वोक्स सम्मति के वर्षन के जिल्ला

इक्स समारित के नर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ार्क्ष :---

- (क) इस ब्याम के समय् मं प्रकाशन की तारीय से 45 दिन की सबिथ या तत्संबंधी का स्तव पर ब्याम की तानीस से 30 दिन की वर्ष था भी भी संश्रीय बाद में समास्य होती हो के मीएर म्मॉक्स स्वामिता में से किसी स्वामित द्वारा.
- (थ) इस स्पना के राजप्य में प्रकारण की साड़ीत हैं
 45 दिन के मीतर उक्त स्थापर सम्मरित हो हिड़कूप
 किसी मन्न न्यानिए दुवाएं, नथोहंस्ताकरों के शक्
 मिनिक्त में निरु का सकेंगे।

रचक्कियम :---इसमें प्रयूचत सन्दों और पदों सा, को समस समितियम से संस्थाद 20-क में परिभाषित ही, वहीं सर्थ होगा का उदा सभ्याय में दिया मुना ही।

वभूजुची

श्हिलेज एँक्सार, तालुका बोरिवली, बेअरींग सर्वे नं० 225, एच० नं० 5ए, सर्वे नं० 2213 में स्थित है। अनुसूची जैसा कि कम सं० अई-4/37ईई/1932/ 1983-84 भीर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 23-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज; 4, बम्बई

विश्वीक : 10-12-1984 सोहार व अक्षम भाषाँ,, दी., एष., एष. -------

श्रावकर वार्त्रिविवय, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-न (1) के बारीन क्षमा

भारत सरकार

नार्वाचय , चन्नुयस वायकर वायुक्त (विर्याजन) अर्जन रेंज-4, वस्वई वस्वई, विनांश 10 विसम्बर, 1984

निर्देश सं • साई • 4/37ईई/1236/83-84—अत: मुझे, ए • प्रसाद,

नायकर मंधीनवन, 1961 (1961 का 43) (जिले इंसर्वे इक्षके परवाद करत नीधीनवम' कहा गया ही, की पास 269-व के नधीन तकव शांधिकारी को सह विकास करने का कारन ही कि स्थापर संपक्षि, जिसका क्षित शांबार मूक्य 25,000/- स. वे नविक ही

धीर जिसकी सं० पसैंट नं० 204, जो 2री मंजिल, मां कृषा क्वानी पाने शिम्पोली रोड, बोरिवली, कम्बई-92 में स्थित है (बौर इससे उपावक अनुसूची में धौर पूर्ण रूप से वर्णित है) भौर जिसका करारनामा आयकर अधि-नियम 1961 की घारा 269क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्तम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 6-4-1984

की पूर्वोक्त सम्मत्ति के उकित बाजार मूल्य से कम के क्यमान प्रतिकत के सिए अन्तरित की नहीं ही और मूझे वह विकास करने का कारण ही कि अवापुर्वोक्त कम्पत्ति का उकित बाजार मुख्य, उक्के क्यमान प्रतिकत से, एसे अवमान प्रतिकत का बेक्ट प्रतिकत से अधिक ही और अंतरक (बंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितिकां) के बीच एसे बन्तरूच के जिए तब पावा जवा प्रतिकत, निकासिका उद्योक्त से उक्त बन्तरूच विविध में पास्त्रीतिक क्य से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) बन्दान वं शूर्व कियी नाम की नामव्, उत्तक नृष्तिवयम् वे नयीन् क्षत्र वंचे के नव्यक्त के क्रिक्ट में क्षती कहते ना उत्तवे प्रति में बृष्टिया नो जिल्; बोफ्र/ना
- (क) श्रेषी किसी बाज वा किसी पर वा किसी वाक्तियों को, विक्टू भारतीय बाय-कर स्थितियय, 1922 (1922 का 11) वा उत्तर विधिनयम, वा पत्र-कर स्थितियम, 1957 (1957 का 27) के अनेक्शार्य अक्टूरिकी कृतिया क्कट दहीं किया पत्र वा वा किसा वाना प्राह्ति वा, क्रिशार्थ में स्थिता के सिन्ह

(1) मैसर्च रणुवंबी वेश्वकोपसं ।

(बन्दरक)

(2) कुमारी प्रतिभा एन० भगत,
दुश्यंत एन० भगत,
कुमारी कस्पना एन० भगत,
योर भीमती उमा एन० भगत ।

(अन्तरिक्री)

की वह क्षमा बारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के वृत्तेन के विश्वं कार्यवाहिकों करता हुँ।

उच्य वंपत्ति से वर्षन के तंबंध के कोई भी कार्बीय रू---

- (क) इस क्षमा के रावपण में प्रथमान की कारीस ई 45 जिन की बनीन का शर्सवंगी व्यक्तियों इन बूचना की तामील से 30 जिन की बनीच, को की बनीच नाम में बमान्य होती हो, के बीतर पूर्वीक्श व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति हुनारा;
- (७) इस क्ष्मा के ध्यमम में प्रकाशन की करकी के 45 यिन् को भीतार अनत स्थानर संपत्ति में द्विश्वसूक्त किसी नम्य स्थानत व्याप नभाइस्तामणी में . १९९६ तिकित में किए वा स्थाने।

क्क्योकरणः---व्यवे प्रमुख बच्चों और वर्षों का, की क्ष्यह वीर्णावस के अध्यास 20-क में वीरवादिक ही, वहीं वर्ष होता, भी उस वध्यान् मी विदेश वया ही।

क्युकी

भजैट नं० 204 जो, 2री मिणिस, मी शुपा, क्वानी पार्क, शिक्पोली रोड़, बोरिनली, बस्बई-92 में स्थित है। अनुसूची जैसा कि कम सं० अई-4/37ईई/1236/ 83-84 भीर जो सक्षम प्राधिकारी, बस्बई द्वारा विनांक 6-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

> ए॰ त्रसाथ सक्षम त्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीधक) अर्जन रेंज-4, बम्बई

वतः इषः, उपयं अनिविधन की भारा 269-र के समृहरक वा, तो, वनत विधिन्तम की बाद 269-र की उपयाद (1) वी अनुत्र, विज्ञाविधिय अधिद्यों स्वाद्धि ---

विनोक : 10-12-1984

मोहर 🕹

बक्त बाह् ही. एन. एस

नास्कर श्रीभिनियम, 1961 (1961 सत्र 43) की भारा 269-च (1) के सभीन सुचना

भारत बहुकार

कार्याक्षय, सहायक मामकर मानुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, नम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर, 1984

निवेश सं० अई-4/37ईई/1670/83-84--अतः मुमे, ए० प्रसाद,

कायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (विश्वे इसमें इसके पश्चात् 'उकत अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269- व के अधीन सक्षम श्रीधकारी को यह विश्वात करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, विस्तका द्वित बाबार मृज्य 25,000/- रा. ते विश्वक हैं

25,000/- रो. से नावक हूं
और जिसकी सं० क्लाक नं० 33, जो मोहर अपार्टमेंट,
पेणकर वाडी एल० टी० रोड़, बोरिवली (प), बम्बई-92
में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप
से बंणित है) और जिसका करारनामा आयकर आधिनियम
1961 की घारा 269क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम
प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 1-4-1984
को पूर्वे कुत बम्पित को उचित बाजार मूस्व से क्य के उस्पमान
प्रतिष्क्ष के जिस बमाएव विच वंपित का विचत बाजार
मूख, जब के अधमान प्रतिपत्न से, एसे अपमान प्रतिकास का
बम्बइ प्रतिकृत सम्पत्ति की वर्ष है और नुओ वह विक्याल
करने का कारण है कि बमाएव वेत वंपित का विचत बाजार
मूख, जबके अपमान प्रतिपत्न से, एसे अपमान प्रतिकास का
बम्बइ प्रतिकृत से बाद के वंपित (वंतरका) बार वंपिती
(वंतरितियाँ) के बीच एसे वंतरक के निए तम बाबा प्या प्रतिक कृत विक्रविचित उच्च कर से उचित वंतरण विचित में बास्तीवक क्य से किथत नहीं किया गया है द---

- (क) अन्तरण से हुइँ किसी जाय की बाबत, उक्त जीवनिवस के जबीन कर देने के बसारक के वाजित्य में कमी करने या उससे अवने में सुविधा के किए; बॉर/वा
- (क) ऐसी किसी बाय या किसी धन वा बन्य जास्तियों की, जिल्हें भारतीय जाय-कर जीधनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त जीधनियम, या वन-कर जीधनियम, या वन-कर जीधनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रजोधनार्थ जन्ति दुवारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

जतः जव, जवत अधिनियम की धारा 269-म की अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन, निम्मलिखित व्यक्तियों, जवाँत : — (1) मेसर्स बिल्ड बिल्ड विक

(अम्तरक)

(2) चुमारी बी॰ एल॰ जोशी मीर कुमारी एस॰ एल॰ जोशी।

(अम्तरिती)

को बहु सूचना चारो करके पुनर्वेक्ट, सम्परित के वर्षन के विष् कार्यवाहियां करता हुं।

इक्त कम्पृत्ति के वर्षन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्रेप:--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकावन की तारीचा से 45 रिव्य की वसीन मा तत्वन्य की क्वितकों पर सूचना की तामील से 30 विन की अवधि, जो भी ववधि बाद में समाप्त होती हों, के भीत्र पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति इवारा;
- (व) इत सूचना के रायपत्र में प्रकाशन की तारीव वें 45 विन के भीतार उक्त स्थावर संपत्ति में हितववृथ 'किसी बम्ब म्यक्ति इतारा स्थाहस्ताक्षरी, के शक्ष तिविक्त में किए या सकींगे।

स्वकाकारण:---इतने प्रयुक्त शब्दों और पर्दों का, वो उथका वीधनियम के बध्याय 20-क में परिभाषित हैं, यही कर्य होगा को उत्त अध्याय में विका पत्रा है।

वन्त्यी

स्ताक नं० 33, जो, मोहर अपार्टमेंट, प्लाट बैअरींग सी०टी० एस० नं० 71, और 221,पेणकर वाडी, एल० टी० रोड़ बोरिवली (प) बम्बई-92 में स्थित है। अनुसूची जैसा कि कम सं० अई-4/37ईई/1670/ 83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनीक 1-4-1984 को रजिस्टई किया गया है।

> ए० प्रसाद स<mark>क्षम प्राधिकारी</mark> सहायक आयकर आयुक्त (निरी**क्षण)** अर्जन रेंज⊸4**, वस्बई**

दिनांक : 10-12-1984

मोहर:

इक्ट्रे आहे. टी., एस्_ल २४: ------

वायकर विभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के अभीन स्वना

भारत बहुकार

कार्यानय, बहुत्यक वायकर शानुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बस्बर्द

बम्बई, विनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अई-4/37ईई/1771/83-84---अत: मुझे, ए॰ प्रसाद,

बावकर मिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इतमें इसके परणात् 'उक्त निभिनियम' कहा गया है), की धारा 269-द के नभीन तक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण द कि स्थावर संपत्ति जिसका उन्ति वाकार मूल्य 25,000/-रा. से निभक है

बीर जिसकी सं कलाक नं 24, जो, सी टी. एस कं 71 बीर 221, पेणकर बाडीं, एल टी रोड़, बोरिवर्नी (प), बम्बई-92 में स्थित है (भीर इससे उपाबंद अनुसूची में बीर पूर्ण रूप से वर्णित है) भीर जिसका करार-मामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269क, ख के अधीन अम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रिजस्ट्री है, तारीख 19-4-1984

को पूर्वोक्त सम्परित के उचित बाजार मुख्य से कम के स्वयमण श्रीतफास के लिए बन्तरित की गई हैं और मुक्ते यह विकास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजाए बूल्य, उसके क्रयमान प्रतिफल से, एसे क्रयमान प्रतिफल का प्रमुद्ध प्रतिचल से अधिक हैं और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे बंतरण के लिए तब बाबा नवा प्रति-क्स विक्लिसित क्ष्यूबंदेस से उसत बन्तरण लिखित में बास्तिविक क्षम से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण संहुई किती बार की बावत, अक्ट विधिनियन के बभीन कर दोने के अन्तरक के स्विथित में केनी करने या उससे वचने में सुविधा के सार्थ; बीड्/बा
- (ख) एथी किसी बाय या किसी धन या कर्य बास्तियों को, चिन्हुं भारतीय नायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन- बर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रवोचनार्थ सन्दरिती द्वार प्रकट नहीं किया गया था वा किया जाना चाहिए था, कियाने में मृतिधा से सिए;

जतः सम, उपल विधिनियम की धारा 269-ग के जनुसरम भी, वी उपल विधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) भी विधिन, निम्निसियिक व्यक्तियों, निधार :--- (1) मेसर्स बिल्ड विवक ।

(अन्तरक)

(2) श्री दीपक नारायण जुवेकर घौर नारायण दामोदर जुवेकर ।

(अन्तरिती)

की बहु सूचना चारों करके पूर्वोक्त संपत्ति भी नर्चम् के जिस् कार्यगाहिमां करता हो।

दक्त सम्मत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप उ--

- (क) इत तृष्या के राजपत्र में प्रकाशन की तारीत ते 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सृष्या की तामील से 30 दिन की व्यक्ति, जो भी अवधि वाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (च) इस भूजना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच ते 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी बन्ध व्यक्ति द्वारा अधेहस्ताक्षरी के पास सिवित में किए जा सकोंगे।

स्वच्यक्तिरणः — इसमें प्रमुक्त सब्यों और पर्वो का, वो स्वव्य स्विभियत के अध्याय 20 क में परिभावित है, वहीं सर्थ होगा को उस अध्याय में दिया गया है।

अन्सूची

क्लाक नं॰ 24, जो, सी॰ टी॰ एस॰ नं॰ 71 और 221, पेणकर वाडी, एल॰ टी॰ रोड़, बोरिवली (पश्चिम) अम्बर्ध-92 में स्थित है।

अमृसूची जैसा कि कम सं० अई-4/37ईई/1771/83-84 भीर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा विनांक 19-4-1984 की रजिस्टई किया गया है।

ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बई

दिनांक: 10-12-1984

मोहर :

प्ररूप बार्ड .टी.एन.एस------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अभीन स्वना

भारत सरकार

कार्यालय, महायक जायकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर, 1984

निदेण सं० अई-4/37/ईई 1637/83-84-अतः मुझे, ए० प्रसाद.

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परभात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-स के अभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/-रु. से अधिक हैं

मार जिसकी स० फ्लैंट नं० 1206 है, जो, "कस्तूरजाग", प्लाट नं० 24, जी/ 1, टी० पी० एस० 1, बोरिवली (प), बम्बई-92 में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद अनुसूची में भीर पूर्ण रूप से वर्णित है) ग्रीर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269क, ख के अधीन बम्बहै स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 16-4-1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के क्यमान प्रतिफल के लिए रिक्स्ट्रीकृत विलेख के अन्सार अंतरित कीगई है और मूक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वोक्त पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके क्यमान प्रतिफल के पन्त्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और मन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निलित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक को दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना धाहिए था, खिपाने में सूबिधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ए की जनुसरण मों, मीं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ए की उपधारा (1) की अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, जर्थात् :--- (1) स्काय बिल्ब-प्राईवेट लिमिटेड ।

(जन्तरक)

(2) श्रीमती विक्यक्षेन विरेन्द्र पटेल ग्रीर अन्य (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वांक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी काक्षेप :---

- (क) इस स्थान के राज्ञपत्र में प्रकाशन की तारीक ते 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्थान की तामील से 30 दिन की अविधि, को भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्विक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी है है 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित- वद्ध किसी बन्य व्यक्ति द्वारा अथोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरण:—-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विया गवा है।

मन्त्रची

फ्लैंट नं० 1206, जो, (कस्तूरबाग) प्लाट नं० 24, बी/1, टी० पी० एस०, 1, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि कम सं० अई-4/37 ईई 1637/84-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 16-4-1984 की रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-4, बम्बई

विनांक : 10-12-1984

महर:

प्रचर्य बार्च . टी . एव . एष् .,------

प्रकलं काष्ट्र : ८१ : युव : युव : ------

शावकार स्वीधिनयम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-म (1) के स्थीन स्थान

भारत सरकार

कार्जातय, सहायक वायकर बायूक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बबम्ह बम्बई, विनोक 10 दिसम्बर, 1984 निदेण सं० अई-4/37ईई/1318/83-84--अतः मुझे, ए० प्रसाद,

नावकर निवित्तम, 1961 (1961 का 43) विषये इसमें इसके व्येषात् 'उन्त निवित्तम' कहा गया हैं), की धारा 269-स के नधीन तक्तम प्राधिकारी की, वह निव्यास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, विस्तत उचित वाकार मून्य 25,000/- रा. से नधिक हैं

प्रौर जिन्नकी सं० फ्लंट नं० 606, ओ "कस्तूरबाग", प्लाट नं० 24 बी/1, टी० पी० एस० 1, बोरिवली (प), बम्बई-92 में स्थित है (प्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में प्रौर पूर्ण रूप से विणित है) ग्रौर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है तारीख: 7-4-1984

कों प्वोंक्त संपरित के उचित वाजार मुख्य से कम के स्वयमान प्रतिकास के लिए अन्तरित की गई हैं और मुक्ते वह विस्तास करने का कारण है कि स्थान्वोंक्त सम्पत्ति का उचित वाजार वृश्व, उसके क्यमान प्रतिकास से, एसे क्यमान प्रतिकास का पंद्रह प्रतिकात से अधिक हैं और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (बन्तरितिकार) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकास मिन्नितिकार उद्देश्य से उक्त जन्तरण सिचित में वास्तिकास क्या से कारित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण सं हुई किसी बाय की वाबत, उक्त बिधिनियम के अधीन कर दोने के वन्तरक के दायित्य में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; बॉर/या
- (च) ऐसी किसी लाग या किसी भग या जन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय बायकर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम या धनकर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजनार्थ अक्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में तृतिभा के सिए;

मतः सर, ४दण वाँभनियमं की भारा 269-गं के ननुसरक में, में, उक्त अधिनियमं की धारा 269-णं की उपधारा (1) **के वधीन, विस्तविधिक स्पवित्यों, सर्धात्** सम्म (1) स्काय-बिस्ड प्राईवेट लिमिटेड ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती बत्सला रमेश मोदी।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यक्षाहियां सूक करता हुं।

उक्त सम्पन्ति के अर्जन के सम्बन्ध में क्रोई भी आक्षंप :-----

- (क) इत सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन की समिध या तत्संबंधी स्थितियाँ पर सूचना की तासील से 30 दिन की अविध, जो भी नविध नाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियाँ में से फिसी स्थित द्वारा;
- (च) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोख रं 45 दिन के भीतर उन्त स्थावर सम्पत्ति में हित्तबद्ध किसी अन्य व्यक्ति इवाय अधोहस्ताक्षरा के पास शिविस में किए जा सकेंगे।

स्वाचीकरणः --- इसमें प्रयुक्त शब्धों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, बहुी अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

वन्स्थी

पलैंट नं० 606, जो ''कस्तूरबाग'', प्लाट नं० 24, π िंग, टी० पी० एस० 1, बोरियली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है।

अनुसूची जैंसा कि कम सं० अई/4/37ईई/1318/ 83-84 भीर जो सक्षम प्राःधकांरी, बम्बई द्वारा दिनांक 7-4-1984 को रजिस्टई फिया गया है।

> ए० प्र**साद** सं<mark>क्षम प्रधिकारी,</mark> सहायक आयकर आ**यु**न्त (निरी**क्षण**), अर्जन र्रेज-4, बम्बई

विनांक : 10-12-1984

मोहर :

प्रक्य बाइ . टी. एन . एस . ------

बावकर विभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भार 269-म (1) के सभीन स्वना

भारत व्रकार

कार्यासय, सहायक वाबकर वाश्वत (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, वम्बई वम्बई, विनांक 10 विसम्बर, 1984 निवेश सं० अई-4/37ईई/1317/83-84--अतः मुझे, ए० प्रसाद

कावकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इत्तर्में इतके पश्चान् 'उक्त अभिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-व के अभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वात करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मुख्य 25,000/-रा. से जिथक हैं

धौर जिसकी स० फ्लैंट न० 502, (कस्तूरबाग) प्लाट गं० 24, बी 1, टी० पी० एस० 1, बोरिजली (प), बम्बई-92 में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद अनुसूची में ग्रौर पूर्ण पूर्ण रूप से विणित है) धौर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रिजस्ट्री है तारीख 7-4-1984

को प्वॉक्त सम्पत्ति को उचित बाजार म्ह्य से कम के दश्यमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापुर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार प्रस्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दश्यमान प्रतिफल के पन्नह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियाँ) के बीच एसे अंतरण को लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिसित उद्देश्य से उच्त अंतरण मिष्टित में बाल्यविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) बन्तरण से हुई किसी काम की बावत, उन्त बाधिनयम के सधीन कर दोने के संतरक के दाधित्य में कभी करने या उसमें बचने में मृविधा कं निए, जौर/या
- (वा) एंसी किसी नाय या किसी धन या अन्य जास्तियों को, जिन्हों भारतीय जायकार मधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया धा या किया जाना चाहिए था, जिना संस्थित के स्थित के सिए;

कतः अव, उक्त अधिनियम की धारा 269-व के अनुसरक में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के बधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, वर्षात्:— (1) स्काय बिस्ड प्राइवेट लिमिटैंड ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती कमलाबाई मोतीशा अराग्र । (अस्तरिती)

को यह सूचना वारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के किए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के कर्जन के संबंध में कोई भी बाओप 🖫

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच के 45 दिन की जबिध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामीन से 30 दिन की अवधि, जो भी जबिध बाद में सुमाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोंक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बुवारा;
- (ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 45 वित्र के भीतर उक्त स्थावर सम्मत्ति में हितकक्ष किसी अन्य व्यक्ति व्वारा, अभोहस्ताकारी के पास लिखित में किये था सकेंगे।

वन्त्ची

फ्लैट न० 502, जो, "कस्तुरबाग," प्लाट नं० 24, बी 1, टी० पी० एस०, बोरियली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है ।

अतुमूची जैसा कि कप स० अई-4/37ईई/1317/ 83-84 घोर जो सक्तम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 7-4-1984 को रजिस्टबं किया गया है।

> ए॰ प्रसाद संक्षम त्राधिकारी सहायक आयक्तर आयुक्त (निरोक्षण) अर्जन रेंज-4, बन्धई

दिनांक : 10-12-1984

मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ------

भागकर मिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के मुभीन सुचना

प्रारम सम्बद्धार

कार्यालय, सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, सम्बद्द सम्बद्द दिनांक 10 दिसम्बर, 1984

निदेश स० अई-4 37**६ई** 1319-83-84--अतः **मुसे** ए० प्रसाद

भायकर मिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात् 'उकत अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269- व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूक्य 25,000/- रु. से अधिक हैं

गौर जिसकी स० पलट न० 1305, जो "कस्सूरबाग", प्लाट न० 24, बी 1, टी० पी० एस० 1, बोरिवली (प), बम्बई—92 में स्थित हैं (ग्रौर इससे उपावद अनुसूची में ग्रौर पूण रूप से विणत हैं) ग्रौर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269क, खंके अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रिजस्ट्री है, सारीख 8-4-1984

को पूर्विक्स सम्पत्ति के बाजार मूल्य से कम के इश्यमान प्रतिफल के अंतरिती की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है यह पूर्वेकित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य, उसके प्रतिफल से, एसे ध्रथमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ध्रयमान प्रतिफल से, एसे अंतरिक (अंतरिकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरिण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्वेश्य से उकत अंतरण लिखित में पास्त, विक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से शुद्ध किसी आय की वावत, उपक विधिनियम के वधीन कर देने के क्यून्ट के दायित्व में कमी करने या उससे वचने में दुविधा के लिए; और,/या
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य शास्तिनों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उत्तत अधिनियम, वा धनकर अधिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना शाहिए था. छिपाने में सविभा के सिए:

अतः शक्त अक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-थ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् ध—-26—427GI/84 (1) स्काय बिलड प्रइवेट लिमिटेड ।

(अन्तरक)

(2) बी वसतमाई मणिलास दोशी ।

(अन्तरिती)

को बहु सूचना चारी करके पूर्वीयत सम्परित के अर्जन के लिल कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सुम्पृत्ति के वर्षन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप हु---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (च) दूस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित्बब्ध किसी बन्य स्थिक द्वारा अधोहस्ताभुरी के पास सिसित में किए जा सकरेंगे।

स्वाधितनः ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, को उक्छ अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं मधे होगा को उस मध्याय में दिया गया है।

नग्स्यो

फ्लेट न॰ 1305, जी, "कस्तूरज्ञाग", प्लाट न॰ 24, बी 1, टी॰ पी॰ एस॰ 1, बोरिवली पश्चिम), धम्बई-92 में स्थित है।

अनुसूची जसा कि कम स० अई-437ईई 1319 83-84 भीर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 7-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरोक्षण) धर्जन रेज, बस्बई

विनांक: 11-12-1984

मोहर 🛭

प्रचल बाही, टी. एस. एस. प्रचल जनन्त्र

भारा 269-घ (1) के अधीन सुचनः

प्राप्टत बहुकारु

कार्वाजव, बहायक गायकर आयुक्त (तिरक्षिण) अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निवेश सं० अई-4/37ईई/2052/83-84--अतः मुझे ए० प्रसाव

बायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भार 269-व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार अल्य 25,000/- रु. से अधिक है

मीर जिसकी सं० फ्लैंट नं० 2, जो 1ली मंजिल, जय गुरुवेव भवन, एक्सार रोड़, बोरिवली (प), बम्बई-92 में स्थित है (मीर इससे उपावद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है) श्रीर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 19-4-1984

को पूर्वोक्त संपरित के उचित बाजार मूल्य से कम के इत्यमान प्रतिफल के लिए बन्तरित की गई है और अभि यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार ब्रूप, उसके द्रयमान प्रतिफल से एसे द्रयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिकृत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरित (अन्तरित्यों) के बीच एसे अन्तरण के लिए स्य पाया गया वित्रका, निम्नितिष्ति उद्विष्य से उक्त अन्तरण जिलिक के बास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तर से हुई किसी आय की बाबत उक्त बिधीनयम के बधीन कर दीने के अन्तरक के दायित में कभी करने या उससे वचने में सुविधा के लिए बीर/वा
- (च) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उन्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजवार्ष जन्तरिसी ब्वास प्रकट नहीं किया गरा भा वा किया जाना चाहिए था छिपान में स्विधा में विश्व

बतः मन, उक्त अधिनियम की धारा 269-म के अनुसरण बैं भैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) बैं ग्यीन, निम्नसिवित स्ववितामों, अर्थाय हिन्स (1) श्री हमीद अली अब्दुल माजद

(अन्न्तरक)

(2) श्री कृष्ण कुमार सीटा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारो करके पूर्वाक्त संपत्ति के वर्षन के सिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आश्रेप ह-

- (क) इरा सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख दें 45 दिन की अदिश या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी के से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरणः ---- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, को अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ झांगा जो उस अध्याय में विया गुया है।

अनुसूची

प्लैट नं० 2, जो, 1ली मंजिल, जय गुरुदेव भवन, एक्सार रोड़, बोरिवली (पिक्चम), बम्बई-92 में स्थित है। अनुसूची जीसा कि कम सं० अई-4/37ईई/2052/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई ब्रारा दिनांक 19-4-1984 की रजिस्टई किया गया है।

ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर झायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4 बम्बई

दिनांक : 10-12-1984

मोहर :

प्ररूप बार्च टी एन. एस.

भावकर श्रीभनियम, 1961 (1961 का 43) की था<u>ड</u>र 269-भ (1) के अभीन सुभाना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक कायकार आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज-4, सम्बर्ध

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर, 1984

निर्वेश सं० ष्राई-4/37ईई/4261/83-84-प्रतः मृते, ए० प्रसाद शायकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (प्रियो इसमे इसके परधात 'उक्त अधिनियम कहा गया हो। की प्रार 269-स में अधीन सक्षम प्राधिकार। कां, बह रिख्याम करने का कारण हो कि रक्षात संपत्ति जिसका अधिन जाजार मृत्य 25,000/- रा से अधिक हो

श्रीर जिसकी सं० पर्लंड नं० 1 श्रीप 2, जी शाउंड फ्लोर विल्यम्सवर्ग अवार्डमेंट, आह सी० गालोगी, बोल्यिल (प), वम्बई—103 में स्थित है (श्रीप इमने उपावड अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विलित है) पीर जिल्हा गुरारामा आयक्र अधिनियम 1961 का धारा 2697, ख के अधीन वम्बई स्थित राक्षम प्राधिकारों के कार्यालग में रिजर्ड़ा है, तारीख 2-4-1984

को पूर्वांक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूफ्ते यह विद्यास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपित्त का उचित बाजार मूक्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल को पत्ति प्रतिफल को पत्ति प्रतिफल को पत्ति प्रतिफल को पत्ति प्रतिफल से अधिक है और अंतरिक (अंतरकों) और अंतरिकी (अन्तरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिक्त कि निम्नतिश्वित उद्वेष्य से उक्त अन्तरण निश्वित में वास्त-विक रूप से कथित नहीं किया गया है :~~

- (क) अन्तरण से हुइ किसी आय की बाबत उथस अधि-नियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्य में कमी करने या उससे अपने में स्विधा के लिए; बीर/या
- (क) एसी किसी आय या किसी धम या अन्य आस्तियों की जिन्तुं भारतीश आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) वा उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तिरियों द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना आहिए था छिणाने में स्विधा वै लिए;

सतः अप, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग की अनुसरण मो, मी, अक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्निसिक्षत व्यक्तियों, अर्थात् :--- (1) मेशर्स कोरिया इन्वेस्टमेंटस ।

(अन्तरक)

(2) श्री सी० ए० नोरोन्हा ।

(अन्तरिती)

को यह स्थना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन में सिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप [---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियाँ पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित- बद्ध किस शिजन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरण: --- हमना प्रयुक्त सब्दा और पदा का, जो उक्त र्जा नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं। बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के

नगत ची

पर्नट त० 1 श्रीर जो, ग्राउन्ड फ्लोर, विल्यम्सवर्ग, अवार्टमेंटस, आई० सी० कालोनी, बोरिवली (पश्चिम) बम्बई-103 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि कम सं० अई-4/37ईई/4261/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा विनांक 2-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद. सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयूक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, वस्बई

विनौक: 10-12-1984

मोहर 🖫

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व (1) के अधीन सुचगा

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, विनांक 10 दिसम्बर 1984 निदेश सं० अई-4/37ईई/1812/83-84--अतः मुझे ए० प्रसांव

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परिचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित वाजार मूस्य 25,000/- रा. से अधिक है

धीर जिसकी सं० फ्लैट नं० 605, जो 6वीं मंजिल, निलधर अपार्टमेंट, देविदास रोड़, बोरिवली (प०), बम्बई-92 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से विणत है) श्रीर जिमका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रिजस्ट्री है, तारीख 12-4-84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मूको यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (उन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तथ भाषा गया प्रतिफल, निम्निलिखत उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से किथत नहीं कथा गया है हि-

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, जबत अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक की वायित्व में कभी करने या उससे बचाने में सुविधन वायित्व के सिंए; और/या
- (क) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयक-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, का धन-कर अधिनियम, का धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया था किया जाना चाहिए था, कियाने में सुविधा के लिए;

अतः असं, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के सनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग की उपभारा (1) के अधीन, निम्निजिखित व्यक्तियों, अर्थात् हु—— (1) मेसर्वं प्रगति कार्पोरेशन

(अन्तरक)

(3) भी मकरंद आर० पटेल।

(अन्तरिती)

(3) अन्तरक ।

(वह व्यक्ति जिसके अधिमोग में सम्पति है)

का यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीश से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्विक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (■) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित- अद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे। गया है।

स्माकिरण: — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विया गया है।

मन्स्की

पर्शंट नं० 605, जो, 6वीं मंजिल, निलघरा अपार्टमेंट, देविदास रोड़, बोरिवनी (पिष्चम), बम्बई-92 में स्थित है। अनुसूची जैसा कि कम सं० अई-4/37ईई/1812/83-84 श्रीर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा विनांक 12-4-1984 की रजिस्टई किया गया है।

ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्स (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बई

दिनोक : 10-12-1984

मोहर 🖫

प्ररूप मार्च. टी. एम. एस. ~-----

नायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भाषा 269-ण (1) के नधीन स्प्ता

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर भायृक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर, 1984

निदेश सं० अई-4/37ईई/1716/83-84--अत: मुझे, ए॰ प्रसाद

शायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पदकात् 'जक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पन्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/-स. से अधिक हैं

भीर जिसकी सं० फ्लैट नं० 11, जो 1वीं मंजिल, "सांतीं धाम" बिल्डिंग, बिलेज एकमार, बोरिवलीं (प०), बम्बई-92 में स्थित है (भीर इससे उपाबद्ध अनुसूचा में भीर पूर्ण रूप से विणत है) श्रीर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 को धारा 269क, खा के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारों के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख

16-4-1984

- (क) जनसरण से हुन्द किसी आय की बाबत सक्त अभिनियम के अभीन कार दोने के अन्तरक कें बायित्व में कभी करने या समसे सचने में सुविभा कें निए, और/या
- (था) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों कां, जिन्ह भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना भाहिए था, खिपाने में सुविधा के लिए;

जतः जब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण जे पी, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपभारा (1) के अधीन, निम्निचित व्यक्तियों, अर्थात् :---- (1) मेसर्स बिल्ड आर्टंस ।

(अन्तरम)

(2) सुमिताबेन छगनलाल शहा ।

(3) अन्तरक ।

(भ्रन्सरिती)

(बहु व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है)

भी यह सुचना चारी करके पुना कर सम्परित के नर्चन के दिवा कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्मित के कर्बन के सम्बन्ध में कोई भी काक्षेप:---

- (क) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख है 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की बढ़िश्व, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के शीतर पूर्वोक्त स्वस्थित हैं से किसी व्यक्ति ह्यारा:
- १ इस सुमना को राजपत्र मों प्रकाशन की तारीच वै
 45 दिन को भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मों हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास
 १८१० भ किए जा सभीता ।

स्वध्वीकरणः ----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवाँ का, जो उनेत विधिनियम, के अध्याय 20 क में परिभाषित है, यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

जन्त्वी

पलैट नं 11, जो 1 ली मंजिल, "शांती धाम" बिल्डिंग बिलेज एक्सार, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है। अनुसूची जैसा कि कम सं अई-4/37ईई/1716/ 83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 16-4-1984 को रजिस्टडं किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) सर्जन रेंब-4, बम्बद

दिनांक : 10-12-1984

मोहर 🚁

प्ररूप नाइ. टी. एन. एस. -----

(1) रोगन इन्टरप्रायजेस ।

(अन्तरक)

(2) श्री अब्दूल हुनीफ बाबू वायकर।

(अन्तरिती)

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अधीन स्वना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर, 1984

निदेश स० अई-4/37ईई/1217/83-84---अन: मुझे, ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मल्य 25,000/- ग्रापये से अधिक हैं

भीर जिनकी सं० पर्नेंट नं० 401, जो नथी मंजिल, ई-विंग रोशन अनार्टमेंट, 4था कस्तूरबा रोड, प्लाट नं० 68, बोरियली (पूर्व) बम्बई में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूर्च। में भ्रीर पूर्ण रूप से विणित है) भ्रीर जिसका करार-नामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269क, ख के अधीन बम्बई ल्यित सभम प्राधिकारी के कार्याल में रजिस्ट्री है, तारीख 5-4-1984

को पूर्वोक्त सभ्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास **करने का कारण है कि यथा**पर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मृस्य, उसके एश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का बन्बह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियो) के बीच ए'से अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्दोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

- (क) जन्तरण से हुई किसी जाय की बाबत, सक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक औ वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा क सिए, जोर/दा
- (च) ए'सी किसी जाग या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हा भारतीय भाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भग-कर अधिनियमं, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया भाषाकियाणाना भाहिए था, छिपाने में सुविधा ने किए।

अतः अव, उक्त अधिनियम, का धारा 269-ग क अन्सरण मों, मों, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) को अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात हु---

को यह स्चना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता है।

उत्तर सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्षेप :--

- (क) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की **सारीस से** 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियी पर स्चना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा:
- (ख) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 45 दिन के भीतर उन्तर स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोष्टस्ता**क्षरी के** पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमे प्रयुक्त शब्दों और पवाँ का, भा उद्य अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 401, जो, 4थी मंजिल, ई-विंग, रोशन अपार्टमेंट. 4या कस्तूरवा रोड, प्लाट नं० 68, बोरिवली (पूर्व), सम्बद्द में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि ऋम सं० अई-4/37ईई/1217/ 83-84 श्रीर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 5-4-1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक भायकर (भायुक्त निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, बम्बई

दिनांक: 10-12-1984

मोहर:

प्ररूप बाई.टी.एन.एस.-----

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) को धारा 269-च (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण) श्रर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० ग्रई-4/37-ईई/1216/83-84-- ग्रतः मुझे, ए० प्रसाद,

हाराकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें हसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी की यह विश्वास करने की कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रु से अधिक है

स्रोर जिसकी सं० फ्लैंट नं० 201, जो दूसरी मंजिल, ६— विग रोशन अपार्टमेंट, 4था कार्टर रोड, प्लाट नं० 68, बोरीवली (पूर्व), बम्बई—66 में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में और पूर्ण रूप से विणत है) श्रीर जिसका करार-नाभा आयकर श्रिधिनयम 1961 की धारा 269 क, ख के श्रिधीन बम्बई स्थित, सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रिस्ट्री है, दिनांक 5 श्रप्रैल 1984

को प्वोंक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मूफे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोंक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (बन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विशिष्त में वास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में स्विधः के लिए; और/या
- (क) एसी किसी आय या किसी धन या शन्य आस्तियों की जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने भें सर्विधा के लिए;

अतः अव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण को, मों, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1), की अधीन, निम्नलिखिल व्यक्तियों, अर्थात ः—

(1) रोशन इंटरशायसेस ।

(ग्रग्तरक)

(2) श्री मोहम्मद सिद्दीक एच० एच० भागाल, श्रीर श्री मोहम्मद युनस एच० एच० भागाल। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कायक्पहियां करता हो।

उक्त सम्पहित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में ममाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किमी अना व्यक्ति द्वारा अधोहराहारी के पाम लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूचो

पर्लैट नं० 201, जो दूसरी मंजील ई-विंग, रोशन श्रपार्टमेंट, 4था कार्टर रोड प्लाट नं० 68 बोरिवली (पूर्व) बम्बई-66 में स्थित है।

अनुसूवो जैसाको ऋ० सं० अई-4/37-ईई/1216/ 83-84 और जो सक्षम प्राधिकारो, बम्बई द्वारा दिनांक 5 अप्रैल 1984 को रजिस्टर्ड किया गया ।

> ए० प्रसाद, सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर श्रायुक्त (निरोक्षण) भ्रजैन रेंज –4 बम्बई

दिनांक :- 10-12-1984

मोहर :-

प्ररूप आहें.टी.एन.एस.-----

बायकर अधिनियम्, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-भ (1) के अधीन सूचना

सारत सरकाड

भार्यासय, सहायक आयकर आय्क्त (निरीक्षण) भर्जन रेंज --4 अम्बई

बस्वर्ष, दिनांक 10 दिसम्बर 1984 निवेश सं० अर्ध-4/37-ईई/1584/83-84-- प्रतः मुझे, ए० प्रसाद,

बाबकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्थात 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं)., की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृख्य 25,000/- रु. में अधिक हैं

श्रीर जिसकी सं० पलट नं० 27, जो पहली मंजिल, बिल्डिंग 8,9 10 ऋस्तन नगर" स्किम, बोरियली (पूर्व) बम्बई-66 में स्थित है (श्रीर इससे उपावड अनुमूची में श्रीर पूर्ण रूप से विणत है), श्रीर जिसका करारनामा श्रायकर श्रिधिनयम प्राधिकारी के कार्यालय में रिजस्ट्री है, दिनांक 21 अर्थल 1984

को पूर्वीयल सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मूझे यह विकास करने का कारण है कि यथापूर्वों क्स संपरित का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिकात से अधिक ही और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निस्तित में बास्त-विक रूप से कथित नहीं किया गया ही:---

- (क) अन्तरण सं हुंद् किसी जाय की वावस, दलत अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्य में कमी करने या उत्तम वचने में सृविधा के लिए; और/या
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के आए:

बतः अव, उकत अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण भो, भी, उकत अधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) की अधीन, निस्तिविकत स्विकत्यों, अर्थात् ह—

- (1) मससं परम आंनद बिल्डर्स प्रायशेट लिमिटेड (अन्तर्क)
- (2) श्री सतिवू जम सिंह राणे (धन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पृवाकित सम्प्रातिः को अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुन्।

जनत संपत्ति के अर्थन के संबंध में कोई भी नाओप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी खंच 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा:
- (च) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन हैं भीतर उक्त स्थायर संपत्ति में हितबब्ध किसी अन्य यिक्त द्वारा अधिहस्ताक्षरी के पाभ लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरणः ----इसमें प्रयुक्त सन्दों और पधों का, भो उसत अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पर्लैट नं० 27 जो पहली मंजिल, बिल्डिंग 8, 9, 10 रत्तन नगा" हिकम बोरिवली (पूर्व) बम्बई-66 में स्थित है।

श्रनुसूची जैसाकी कि सं० श्रई-4/37-ईई/1584/ 83-84 श्रीर जो समय प्राधिकारी, अध्यई द्वारा विनांक 21 धप्रैल 1984 की रजिस्टर्ड किया गया।

> ए० प्रसाव, सक्षम प्राधिकारी सहायक बायकर श्रायुक्त (निरोक्षण) धर्जन रेंज --4, बस्बई

विनांक :- 10-12-1984

मोहर:-

प्ररूप आहूर.टी.एन.एस-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ष (1) के अधीन सृषना

भारत सर्कार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेज-4, वम्बई

बम्बई, दिनाक 10 दिसम्बर 1984

निदेण सं॰ प्रई-4/37-ईई/1059/83-84--- अन मुझे, ए॰ प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें इसके परकात् 'उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/-रु से अधिक हैं

श्रीर जिस्को सं पनैट नं 21 पा, शो तासरा पजान बिल्डिंग ए-13 रनाम नगर रिक्तम, बोजिया। (पूर्व) बराई-66 में स्थित है (श्रीर इसले उलाबड अनुसूत्रों में पौर र्ग का से बणित है) श्रीर जिसका करारनामा श्रायकर प्रधिनियम 1961 की धारा 269 क, य के स्प्रीन वर्गाई रिश्व सक्षम प्राधिकारों के कार्यालय में रिजस्ट्री दिनांक 1 श्रप्रैल 1984 को पूर्वों कत सम्पत्ति के उचित बाजार मूला से कम के दहस्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुम्ने यह विद्याम श्रीतफल के लिए अन्तरित की गई है और मुम्ने यह विद्याम करने का कारण है कि यथाप्योंकत सम्पत्ति का उचित क्लार मूल्य, उसके दहस्यमान प्रतिफल सं, एस दहस्यमान प्रतिफल का पन्तह प्रतिकृत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अतरिती (अतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पात्रा गया प्रतिफल, निम्नलिखत उद्देश्य से उक्त अतरण लिखि में बास्रीविक रूप से कथित नहीं किया गया है ---

- (क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक को दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सृविधा के तिए, और/मा
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1)57 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के सुविधा के लिए,

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-4 के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीर, निम्हलिसिंग अधिकण अर्थाट —

- (1) मैंसन ५२म प्रानद विल्डर्स, प्रायवेट लिमिटेड (अन्तरक)
- (2) भ:मतो स्मित। योगेश उनाध्याय । (श्रन्तरित्तः)

को यह सूचना जारी करके पूर्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हु।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी से 45 दिन की अविध या तत्सबधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टोकरण — इसम गयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फलट नं० 24-बी, जो, 3री मजिल बिल्डिंग ए-13 रत्तन नगर स्किम, बोरिवली (पूर्व) बम्बई-66 में स्थित है।

श्रनुसूच, जैपाको ऋ० मं० श्रई-4/37-ईई/1059 83-84 श्रीर जा सत्तम प्राधिकारो, तस्त्रई द्वारा दिनाक 1 अग्रैच 1984 को राजप्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारो सहायक भ्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेज -4, बम्बई

दिनाक - 10-12-1984 मोहर - प्रकृष्य सार्वे . द्वी . इस . द्वा

चावभार अभिनियम 1951 (1961 का 43) की भारा 269-थ (1) के अभीन सूचना

माइत सरकार

कार्यामय, सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)

श्चर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निवेण सं० प्रई-4/37-ईई/1260/83--84 ग्रतः मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके प्रथात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि रथावर सम्पत्ति, जिसका उभित बाजार मूल्य 25,000/- रु. सं अधिक है

श्रीर जिसकी सं इकान नं 4, जो ग्राउंड फ्लोर, बिल्डिंग रत्तन नगर स्किम, बोरिवना (पूर्व) बम्बई -66 में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध धनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से बिणत है) श्रीर जिसका करारनामा श्रायकर श्रीधिनयम 1961 को धारा 269 क, ख के श्रधीन बम्बई स्थित मक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रिजस्ट्रों है दिनांक 6 श्रप्रैल 1984 को को पूर्वीक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान श्रीतफन में लिए बन्तरित की गई है बौर मुखे यह विश्वास करने का कारण है कि यभापूर्वीक्त संपत्ति का उचित नाजार मूल्य उपाबे ज्यमान प्रतिफन से एसे क्यमान प्रतिफन का निवस प्राप्ति के बौच एसे अंतरफ (बंतरकों) बौर (अंतरितयों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिकत्म से निम्नितिकत उद्विय से उक्त क्यारण निवित में बास्त-

- शिक्त अन्तरक से हुई किसी नाय की बाबतः, उक्त निधिनयम के जभीन कर दोने की अन्तरक की व्यक्तियम के जभी करने या उससे बचने में सुविधा के सिष्ट; और/मा
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ का, जिन्हां भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में स्विधा के लिए;

नतः , सम, उक्त विधिनियम, को धारा 269-ग की अनुसरक सँ, मँ, एक्त विधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) को अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

- (1) मैसर्न परम प्रानद बिल्डर्स प्रायवेट लिमिटेड । (ग्रन्तरक)
- (2) श्रो विरजलाल भावांका ग्रहा । (भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त संपरित के अर्जन के लिए कार्यनाहियां शुरू करता हुं ।

उपस् संपरित के नर्जन के संबंध में कोई भी नाक्षप :---

- (क) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्चना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक्ष सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिग-बव्ध किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः — इसमें गायन शब्दों और गुदो का, जो उक्त अधिनियम की अध्याय 20 का में परिभाषित हैं, नहीं वर्ष होगा का उस पध्याय में विधा गया हैं।

यम्भा

दुकान नं 4 जो, प्राउन्ड पनोर, विल्डिंग "रतन नगर" स्किम, वोरिनलो (पूर्व), वस्वई-66 में स्थित है। प्रनुसूचो जैसाका का संव श्रई-4/37-ईई/1260/ 83-84 श्रीर जा सक्षम प्राधिकारो, बस्बई द्वारा दिनांक 6 श्रप्रैल 1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद, मक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरोक्षण) अर्जन रेंज -4, **बम्बर्ध**

दिनांक :- 10-12-1984 मोहर :- प्रस्य बार्द. टी. एव. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) ग्रजन रेंज-4, बम्बई

वस्वई, दिनांक 10 दिसम्बर 1984

निदेश सं० ग्रई-4/37-ईई/1866/83-84 -ग्रतः मझे, ए० प्रनाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' दहा गया हैं), की भारा 269 छ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक हैं

ग्रौर जिसको सं० फ्लैंट नं० 48 जो, पहली मंजिल, बिल्डिंग 9, 8, 10, ग्रांप रत्तन नगर" स्किम, बोरिवली (पूर्व), वम्बई-67 में स्थित है (ग्रौर इसमे उपाबद्ध ग्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से विगत है), ग्रौर जिसक करारनामा ग्रायकर ग्रिधिनचम 1961 को धारा 269 क, ख के ग्रिधीन बम्बई स्थित स०म प्राधिकारी के कार्यालय में रिजिस्ट्री है, दिनांक 21 ग्रप्रैंल 1984

को पूर्वोवत सम्परित दो उचिन गाजार मृत्य से कम के स्वयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और समें यह विश्वास करने का कारण है कि बधापुर्वोक्त सम्परित का उचित बाबार बृत्य, उसके स्थ्यमान प्रतिफल से एसे स्थ्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिक्रत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरित (अंतरित्यों) के बीच एसे अन्तरण के निए श्य पामा गया प्रतिकृत कि सिम्बिक के सम्बन्धिक रूप से कथित नहीं किया गया है :——

- (क) अन्तरण संहुई किसी आय को आवत स्वय अपिन नियम के अधीन कर दोने के अंतरक के दायित्व में कभी करने या उसस अवने में सुविधा के लिए और/या
- (ख) इंसी किसी आय का किसी भन या अन्य जास्तियों का, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त जांभीनयम, या धन- कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया ग्या भा या किया जाना चाडिए जा, कियाने में सुनिधा औ शिक्ट:

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-म को अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) को अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :——

- (1) मैसर्स परम ग्रानंद बिल्डर्स प्रायवेट लिमिटेड । (ग्रन्तरक)
 - (2) मगला बेन एन, ठक्कर ग्रौर नर्वानतलाल एन० ठक्कर ।

(अन्तरितो)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपर्तित के अर्जन के सिए कार्यवाहिया शुरू करता हुं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचनां के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस मूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्मत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टिकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषिक ही, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय को विका गया ही।

श्रनुसूची

फ्रींट नं० 48, जो पहली मंजिल, बिल्डिंग 8, 9, 10 ग्रांफ रत्तन नगर स्किम, बोरोवली (पूर्व) बम्बई-66 में स्थित है ।

ग्रनुसूची जैसाकी ऋ० सं० ग्रई-4/37-ईई/1866/ 83-84 ग्रौर जो सक्षम पाधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 21 ग्रप्रैल 1984 को रजिस्टर्ड किया कया है।

> ए० प्रसाद, मक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-4. बम्बई

दिनांक :- 10-12-1984

मोहर :-

प्रस्य आई. टी. एन. एस.---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन मुक्त

भारत सरकार

कार्यालय, सहारक आयकर आय्क्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, -4 बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिनम्बर 1984

निदेश सं० ग्रई-4/37-ई\$/1935/84-83 ---ग्रतः मुझे, ए० प्रसाद,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 40) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा एया हैं) भी अप. 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी की, यह जिल्लाम रूपणे का कारण है कि स्थावर सम्मत्ति, जिसका ह पह गानर आया 25,000/- रहन से अधिक हैं

स्रीर जिसकी सं० फ्लट न० 4 जो पाउंड पत्रोर, विल्डिंग ए-7, "रत्तन नगर" स्किन, वोग्विलो (पर्व), बस्बई-66 में स्थित है (स्रीर इपसे उपावत पन्पूर्ण में स्रीर पूर्ण रूप से विणत है स्रीर जिसका करारतामा आयकर प्राधितियम 1961 की धारा 269 क, ख के नधीन वम्बई स्थित समप्रप्राधिकारी के कार्यालय में रिजस्ट्रों है डिनांड 23 अर्थेल 1984 को

को पूर्वेक्त सम्पत्ति के उचित त्राजार भृत्य हे कम हो है। प्राप्त प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुर्भे यह विश्वास करने का कारण है कि ग्रें एक (क्रेंक्) एके जा है। उसे मृत्य, उसके क्ष्यमान प्रतिफल से. एसे स्थ्यमान प्रतिपाल का बन्द्र प्रतिशत से अधिक है औं अंतरहा संतरकों। यो स्थारित (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए त्या पाल ग्रेश प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से स्टब्त बंतरण लिखित हों बास्त्विक रूप से किथत नहीं किया गया है दे

- (क) बनारण से हुई किसीं वाय की बाबत, उक्त बीधनियम के बंधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के सुविधा के लिए; और/या
- (क) एसी किसी आय या किसी यन या अल्स आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयत्त्र अधिनियम, १०३२ (1922 का 11) या जनत अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा अकट नहीं किया रहा था था या किया जाना चाहिए था लिए हो हो उत्तर है किया

सतः अब उनत अधिनियम की धारा 269-ग के अवस्परक में, मैं, स्वतः अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन. निम्नलिसित व्यक्तियों, अधीत :---

- (1) मेलर्स परम श्रांन्नः चिलासं प्रायवेट लिमिटेड । (श्रन्तरक)
- (2) श्रीमती मालिजिलिबेन हिमाशू देसाई. श्रीर हिरालक्ष्मी छोट्नाई गहा ।

(ग्रन्तरिती)

करं इह सूचना जारी करके पृथां कत सम्पत्ति के जर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सत्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजप्य में प्रकाशन को तारीस सं 4.5 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियाँ पर स्चना की नामील सं 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस स्चमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 45 दिन के भीतर उस्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी के पास लिक्ति में किए जा सकती।

स्यच्छीकरणः — इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के एध्याण 20-क में परिभाषित हैं, बही अर्थ होंगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

धारा भी

फ्लैंट **न**० 4 जो, ग्राउंड फ्लोर बिल्डिंग ए-7 ,"रत्तन नगर" स्किम बोरिवली (पूर्व) बम्बई-66 में स्थित है। ग्रानुसूची जैसाको क० सं० अई-4/37-ईई/1935/ 83-84 श्रीर जो नक्षम प्राधितारी बम्बई द्वारा दिनांक 23 श्रुप्रैल 1984 को रिजम्हर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद, सक्षम प्राधिकारो पहायक भ्रायक्ष्य श्रायुक्त (निरीक्षण) स्रर्जन रेंज -4 बम्बई

दिनांक :- 10-12-1984 मोहर ध प्ररूप बाई टी.एन एस -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-ध (1) हे अधीर स्बना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक बायकर बायकत (निरोक्षण) π प्रजीन रेंज -4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्वर 1983

निदेश सं० ग्रई-4/27-ईई/1058/83-84--प्रतः मुझे ' ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसं इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियमं कहा गया है) को भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को. यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रा. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० दुहान नं० 4 जो ग्राउंड फ्लोर बिल्डिंग ए-13 रत्तन नगर" स्किम, बोरिवली (पूर्व) वम्बई -66 में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप मे विजित है), श्रीर जिसकाम करामनामा श्रायकर श्रीध
्वीतिमय 1961 की धारा 269 क, ख के श्रधीन वम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में र्राजस्ट्री है, दिनांक 1 श्रील 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रसिक्त से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितिथों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिक रूप से किथत नहीं किया गया है।

- (क) बारण से हुई किसी बाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सृविधा के लिए; बॉर/या
- (क) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हुं भारतीय आगकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्ध अन्तिरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए:

अतः अब, उक्त अधिनियम को थारा 269-ग के अनसरण में, मैं, उक्त अधिनियम को धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- (1) मैंसर्स परम ग्रानद बिल्डर्स प्रायवेट लिमिटेड । (ग्रन्तरक)
- (2) श्रा चद्रगात जे० सरतेया ग्रीर श्री मिलन सी० मरवैया ।

(अन्तरितो)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां श्रूक करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों प्र सूचना की तामील स 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बात में समाप्त होती हो. के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति द्यारा
- (म) इस त्चना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख है 45 जिन के भीतर उक्त गानर संशास्ति में हिनबद्ध किसी अला अस्ति द्वारा अधारकाश्यरी के राम किसी असी स्थारी

स्पष्टीकरणः — इसमें प्रयक्त कब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क मे परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया यस है।

वन्स्क

दुकान न० 4 जो, ग्राउन्ड फ्लोर, बिल्डिंग न० ए-13 "रत्तन नगर" स्किम, बोरिवलो (पूर्व) बम्बई-66 में स्थित है ।

ग्रनुमूचो जैसाकी कि स्ं० ग्रई-4/37-ईई/1058 83-84 ग्रीर जो मभम प्राधिक रो, वम्बई द्वारा दिनाक 1 ग्रप्नैल 1984 को र्राजस्टर्ड किया गया।

> ए० प्रमाद, तक्षम प्राधिकारों, सहायक भ्रायकर, भ्रायुक्त (निरोक्षण) श्रर्जन रेंज -/4 बम्बई

दिनांक :- 10-12-1984

मोहर :-

प्ररूप आई.टी.एन.एस------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अभीन सूचना भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) श्राप्तिन रेंज -4 बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

नि देण स० श्रई-4/37-ईई/1863/83-84-- श्रतः मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर जिथितियस, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात उकत अधिनियम' कहा गया है), को धार 269-ख के अधीन रक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उधित बाजार मृल्य 25,000/-रा. से अधिक है

ग्रीर जिसकी सं फ्लैंट नं 106 जो बिल्डग नं डी /24 योगी नगर एक्सार रोड़, बोरियली (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित हैं (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विणत है), श्रीर जिसका करारतामां श्रायकर श्रिश्चित्यम 1961 की धारा 269 क, खे के प्रशीन बम्बई स्थित सक्षम श्रीधिकारी के कार्यालय में रिजस्ट्री है दिनांक 21 श्रप्रैंल 1984 को

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, जसके दश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिकार से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंकिरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निकालिक्त इद्देश्य से उक्त अंतरण लिक्ति में बास्तिबक रूप से कथित नहीं किया गया है:——

- (क) अन्तरण से हुई िकसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक को दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूबिधा के लिए; और/या
- .ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्सियों की, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना शाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए:

अतः अव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्मरण मों, मों, उक्त अधिनियम की धारा 269-श की उपभारा (1) के अधीन, निम्नलिसित व्यक्तियों, अर्थात :— (1) श्रो नागिनदाय एच० रुपानी ।

(ग्रन्तरक)

(2) श्रीमती त्रिती एन० सुतारीया ।

(ब्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वों क्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाह्यां शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारील से 45 दिन की अनिध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारींख है 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित्-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पढ़ों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाणित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अगुसूची

फ्लैंट नं० 106 जो निहिंडम नं० डी/24, योगी नगर, एक्सार रोड़, बोरिवलो (पश्चिम), बम्बई-92 में स्थित है।

श्रनुमूची जैंसाकी क० सं० श्र2-4/37-186383-84 श्रीर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनाक 27 श्रप्रैंल 1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

> ए. प्रमाद, सक्षम प्राधिकारी महायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरोझण) ग्रार्गन रेंज-4 बस्बई

विनांकः :- 12--12--1984 मोहरः

प्ररूप । बार्ड , टी. एन । एस ------

बायकर बिधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ण (1) के बधीन सुचना

भारत सरकाह

कार्यालय, सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज -4 बम्बई बम्बई, दिनांक 12 दिसमीर 1984 निदेश स० अई-4 37-ईई 1771 83 -84 अतः मुझे ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियमं, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियस' कहा गया हैं), की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का करण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित वाजार मल्य 25,000/- रा. से अधिक हैं

ग्रौर जिसकी सं० फ्लट न० 74 जो "आरॅ विंग, बिल्डिंग सी-2 महाबीर नगर, शकर लेन कांदिवली (प) बम्बई-67 में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से बिंगत है)ग्रौर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय रजिस्ट्री है, दिनांक 19 अप्रेल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसं दृश्यमान प्रतिफल का अन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया जया प्रतिफल निम्निचित उद्देश्य से उक्त अंतरण निचित् में बास्तिक रूप से कियत नहीं किया गया है है—

- (क) बन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत, उक्त बिधिनियम के अधीन कर दोने के बन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सृतिधा के लिए; बर्गर/या
- (ए) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सृविधा के लिए;

जतः अष उक्त मधिनियम की धारा 269-म के बन्मरण ों, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) है अभीन, ग्रिम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् —— (1) श्री सुरेश नवलचद शहा, ग्रौर कौशिका सुरेश शहा ।

(अन्तरक)

(2) श्री जंयतीलाल कानजी देढ़िया ग्रीर श्रीमती प्रभावेन जयतीलाल देढिया। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरु करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियाँ पर सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा:
- (ब) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोख में 45 दिन के भीतर उबत स्थाबर सम्पन्ति में हिन-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाम जिस्ति में किए पा मक्ति ।

स्पष्टीकरण: ---इसमें प्रयक्त शब्दों और पदा का, जो उक्त जीधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

वनसर्वी

फ्लेट न० 74 जो, "आर" विंग, बिल्डिंग सी-2 महावीर नगर, शकर लेन कांदिवली (पश्चिम), बम्बई-67 में स्थित है।

अनुसूची जैंसाकी कि स० अई-4/37अईई/1771 83-84 श्रौर जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 19 अप्रैल 1984 को रजिस्टड किया गया है।

ए० प्रजसाद, सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुख्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4 बम्बई

दिनांक :- 12-12-1984 मोहर :- प्रकार कार्ट ही एस छन्। -- ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) को धारा 269-ध (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4 बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निदेश स॰ अई-4 37अईई 1171 83-84 ---अतः मुझे ए. प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उकत अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-क के अधीन सदान ग्रीमकारों मा यह विज्वास करने का कारण हैं कि म्थान सन्देश (जिसका अधिक हाजार गरुव 25,000/- रा. से अधिक हैं

श्रीर जिसकी स० युरिट न० 19 जो पहली यिजिल डी-वींग बोतात्मा इडिस्ट्रियल इस्टेंट, अगोक उक्कवर्ती रोड़ कांदिवली (पूर्व) बम्धई में स्थित है (ग्रीर उनने उनाबढ़ पनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से विणा है) श्रीर जिन्हण करारनामा आफर अधिनियम 1961 की धारा 269 के ख के अधीन वस्वई स्थित सभजन प्राधिका के कार्यात्म में रिजस्ट्टी है दिनांक 3 अप्रैंल 1984

को पूर्वीस्त सम्पत्ति के उचित अवार मृन्य से कम के द्वरयमन प्रितिपास के लिए जन्हित को गर्र हा और काल के दिवर वाज करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित दाजार मृत्य, उसके दश्यमान प्रतिफल मे, एगे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के वीध एक विनरण के जिए तथ पाक गया प्रतिफल, निम्निलिस्त उद्देश्य से उचत अन्तरण निष्ठित में वास्तिका रूप म किनत पही जिया गया है ...

- (क) जन्तरण में हुई जिसी अब की बाबन, इन्ह जीवनियम के अधीन बर दोने के अन्तरण के दायित्व मी कमा करा। या रममी जन्न को मोनिधा को निगा, आर/गा
- (क) एनी किसा आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम प्रांचनकर अधिनियम (1957 का 27) के प्रयोजात्ये अक्तीं की द्वारा एकर एको किया या था या किया जाना के जिए था कियाने में सुविधा के जिए;

अतः गमः उकतं अधिनियमं की भाग 269 ग के अनुगरण मों, में क्त अधिनियमं की भाग २०० म सी एपधारा (1) के अधीर नेमनलिखतं व्यक्तियों, अर्थात् :--- (1) मसर्सं सूरतरमा गोपालदास ।

(अन्तरक)

(2) श्री सुरेश एस० चवानी, ग्रौर श्री किशोर एस० बचवानी ।

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हु ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारींख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त हाती हो, के भीतर पूर्वोक्त की करीय से स किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूनना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस स 45 दिन के भीतर उस्त स्थाधर सम्पत्ति में हित-जर्थ किनी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के प्रस निक्ति में किए जा सकेंगे।

हपस्टीकरण ---इसके प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनस ची

युनिट न० 19 जो पहती मजिल डी-विंग बोनान्झा इड स्ट्रेगरन इस्टेट अगोक वककर्ती रोड़, कांदिवली (पूर्व) वम्बई में स्थित है ।

अनुसूची जैंसाकी कि सं० अई $-4^{\circ}373$ ईई/1171/83-84 ग्रौर जो सक्षम प्रशिकारी, बम्बई द्वारा निांक 3 अप्रैंज 1984 को रिजस्टिंड किया गया है ।

ए० प्रसाद, सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज - 4 बम्बई

दिनांक :- 12-12-1984

मोहर :--

प्रकृष् आहे..टों. एन . एस ..-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) का भारा 269-च (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक कायकर काग्वल (निरीअण)

अर्जन रेंज-4 धम्बई

बम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निवेश सं० अई-4/37-ईई/1170/83-84 — अतः मुक्ते, ए० प्रसाद,

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-इ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उजित बाजार मृत्य 25.000/- रा. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० युनिट नं० 18 जो पहली मंजिल डी-विंग बोनान्सा इंडस्ट्रियल इस्टेट अशोक चक्रवर्ती रोड़, कांदिवली (पूर्व) बम्बई में स्थित है (और इससे उपावत अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विंगत है), श्रीर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षक प्राधिकारी के कार्यालय रिजस्ट्री है दिनांक 3 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित आजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) बंतरण वे हुई फिबी बाब की बाबत, छक्त विभिनिष्य के अधीन कर दोने के अंतरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविभा के लिए; और/या
- (ह) एरेरी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना वाहिए था, छिपाने में स्विभा के लिए;

नतः सव, उक्त भौधीनयम की धारा 269-ए के अनुसरक में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीर नियनितिश्वत स्वितियों, सर्थतः ।—— 64---426 GI/84

- (2) श्री सुरेश एस० बचवानी श्रौर श्री किशोर एस० बचवानी । , (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के वर्षन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप :---

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 बिन की अविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर स्वना की तामील से 30 बिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्यारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति ब्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास सिवित के किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्यों का, को उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हाँ, वहीं अर्थ होगा को उस अध्याय में दिया गुवा हाँ।

ग्रनुसूची

युनिट नं 18, जो पहली मंजिल "डी" विंग, बोनान्झा इंडस्ट्रियल इस्टेट अशोक चक्रवर्तो रोड़, कांदिवली (पूर्व), धम्बई- में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी ऋ० सं० अई-4/37अईई/1170/ 83-84 श्रौर जो सक्षम प्राःधकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 3 अप्रैल 1984 को रिजस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद, सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4 बम्बई

दिनांक :- 12-12-1984 मोहर ः प्राक्प नाहर् टी. एन. एस.,------

नायकर मिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के नभीन स्त्रमा

भारत सरकार

कार्यास्य, सञ्चयक आयकर नाय्यत (निर्दाक्षण) अर्जन रेंज -4 वस्बर्ड अस्बर्ड, दिनांक 12 विसम्बर 1984

निवेश सं० [अई-4/37 ईई/1131/83-84 ---अतः मुझे; ए० प्रसाव,

जायकार जिभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विष्वास करने का कारज है कि स्थावर संपरित, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रा. से विध्यक हैं

ष्मीर जिसकी सं० युनिट नं० डी-2 जो, ग्राउन्ड फ्लोर, बोनान्सा इंडस्ट्रियल इस्टेट अशोक चक्रवर्ती रोड़ कांदिवली (पूर्व) 'बम्बई में स्थित हैं (ग्रीर इससे उपाधन्न अनुसूची में भीर पूर्ण रूप से वर्णित हैं), ग्रीर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 2 अग्रैल 1984 को

पूर्नोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के द्रायमान प्रतिकाल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि सभाप्योंकत संपरित का उचित बाजार मूख्य, उसके द्रायमान प्रतिफल से, एसे द्रायमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नितिबत उद्विष्य से उच्त अन्तरण सिवित में बास्तविक रूप से किया गया है —

- (क) जन्तरण से हुई किसी शाय की बाबत, उक्त विभिनियम के अभीत कर दोने की अन्तरक के दायित्य में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के सिए; आडि/या
- (क) एसी किसी बाय मा किसी भन या बन्य बास्तियों की, जिन्हें भारतीय बायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की प्रयोजनार्थ अन्तरिती ह्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना बाहिए श्ला, छिपाने में सुविधा को लिए,

अतः अस, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-थ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखिल व्यक्तियों, अर्थातु:—- (1) श्री० लछमनदास जी० मगलानी ।

(अन्तरक)

(2) आर० ४० फैमिली ट्रस्ट ।

(अन्तरिती)

को यह सुचना जारी करके पूर्वीयत सम्परित के अर्थन के निए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त कम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कीई भी बाक्षेप :---

- (क) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तहरीच है 45 दिन की अविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भीं अविध वाद में समाप्त होती हो, को भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति इवारा;
- (व) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच ते 45 विन को भौतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितकब्ध किसी अन्य व्यक्ति क्वारा अभोवस्ताक्षरी के पात तिस्तित में किए वा संकंपे।

स्वव्यक्तिकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों आहि पदों का, जो उक्त अभिनियम में बच्चाय 20-क में परिमादिक हैं, बही क्यें होगा दो उस क्याय में दिया

वन्स्क

युनिट नं डी-2 जो ग्राउन्ड फ्लोर, बोनान्सा इंडस्ट्रियल इस्टेट अशोक चक्रवर्ती रोड़, कांबिवली (पूर्व) बम्बई -में; स्थित है।

अनुसूची जैसा की ऋ० सं० अई-4/37ईई/1131/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा विनांक 2 अप्रैल 1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाव सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज -4 बम्बई

दिनांक :- 12-12-1984 मोहर :-

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-च (1) के अभीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज -4 बम्बई

धम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अई-4/37-ईई/1198/83 -84—अत: मुझे, ए० प्रसाद,

कायकर अभानयम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रह से अधिक हैं

भौर जिसकी सं युनिट नं 16 जो पहली मंजील, डी-विंग बोनान्सा इंग्रस्ट्रियल इस्टेट अशोक चन्नर्सी रोड़, कांदिवली (पूर्व) बम्बई में स्थित है (भौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में भौर पूर्ण रुप से विनित है), भौर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी, के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 3 अप्रैल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रहयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह निश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके रहयमान प्रतिफल से एसे रहयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखिस में वास्तविक रूप से किथत नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण सै हुई किसी आयं की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचाने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) एंसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग्थ के अनुसरण भें, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-्ष की उपधारा (1) क अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :— (1)श्रीमती भरती आर. जेथानी।

(अन्तरक)

(2) श्री दिनकर सोमा मालकर ग्रीर श्री दिपक दिनकर मालकर, मास्टर रिवद्र दिनकर मालकर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोड़ भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ब्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवक्थ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अथोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरणः ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो अकत अधिनियम, को अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अन<u>ुस्</u>ची

युनिट नं० 16 जो, पहली मंजील डी- विग ,बोनान्झा इंडस्ट्रियल इस्टेट अगोक चकवर्ती रोड, कांदिवली बम्बई में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी ऋंड स० अई-4/37-ईई/1198 (पूर्व) 83-84 श्रीर जो सक्षम प्राधिकार्बी बम्बई द्वारा दिनांक 3 अप्रल 1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

> ए० प्रसाद, सक्षम प्राधिकारी.

सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज -4 बम्बई

दिनांक :- 12-12-1984

मोहर:-

प्रस्प भाइ . टी . एन . एस . -----

जायकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के बुपीन सुवना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक बायकड बायुक्त (निर्देशिक) अर्जन रेंज -4 बस्बर्ध

बम्बई, विनांक 12 दिसम्बर 1984

निदेश सं० अई-4/37अईई/11448/ 83-84 --अतः मुझे, ए० प्रसाद,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पर्वात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-व के अभीन सक्त प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्परित, जिसका उचित बाजार मृख्य, 25,000/- रहत से अधिक हैं

धौर जिसकी सं युनिट नं 23 जो दूसरी मंजील, डी-विंग बोनान्सा इंडस्ट्रियल इस्टेट अशोक चकर्ती रोड, कांदिवली (पूर्व) बम्बई में स्थित हैं (ग्रौर इससे उपाबक्क अनुसूची में घौर पूर्ण रूप से विंगत है), घौर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रिजस्ट्री है दिनांक 12 अप्रैल 1984 को

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के क्ष्यमान्
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मृभ्ने यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मृत्य, उसके क्ष्यमान प्रतिफल से, एसे क्ष्यमान प्रतिफल का
पन्त्रह प्रतिचत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतन
रिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण सिखित
बे बास्तरिक क्ष्य से केजित नहीं किया नया है क्ष्य-

- (क) वृत्तपुत्र से हुन्दे किसी बाव कर्ते वावतः, उत्तर्ध वृधिनियम् के वधीन कपु दोने के वृत्तुरक के व्ययत्व में कमी कपुने वा उसके वत्रने के सृत्विधा के लिए; और्/या
- (क) एसे किसी बाय वा किसी धृष्ट्र वा बन्ध् बारिस्त्वां को जिन्हें भारतीय बायकर वृधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त बाधिनियम, या वृद्ध कहु वृधिनियम, 1957 (1957 का 27) में प्रयोधनार्थ करेंदियी बुबाय प्रकट नहीं किया ग्या भा या किया जाना चाहिए था, कियाने में सुविधा के सिए;

बत्ध अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ण के अनुसरण भें, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्निलिखित व्यक्तियों. अर्थात :—— (1) मेसर्स सुरतराम गोपालदास ।

(अम्सरक)

(2) मेसर्स मिटरअक्टस् ।

(अन्तरिती)

को यह भूषना जारी करके पूर्वोक्त, सम्पृत्ति के शूर्वन के जिए कार्यवाहियां कारता हुं।

उनत सुम्पत्ति के भूवत् के सम्बन्ध में कोई भी भारतेय :---

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी से 45 दिन की अविभ मा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पूर स्वना की तामील से 30 दिन की अविभ, जो भी अविभ आद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा;
- (च) इस स्वाना के राजपत्र में प्रकाशन की तरित्रीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवव्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास निविद्य में किए वा सकींगे।

स्पृथ्वीकरण: — इसमें प्रयूक्त संख्यों और पदों का, जो उपक अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया ग्या है।

नन्त्र

युनिट नं० 23 जो, दूसरी मंजील, डी-विंग बोनान्सा इंडस्ट्रियल इस्टेट अमोक चक्रवर्ती रोड़, कांदिवली (पूर्व) बम्बई म स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र० सं० अई-4/37ईई/1448 83-84 भीर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 12 अप्रैल 1984 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० प्रसाद, सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज -- 4 बम्बई

विमोक :- 12-12-1984

मोहर :-

प्रकृष बाहु^{*}छ दी_य प्रवृत्व प्र**व**त -

आय्कर अधिनियम्, 1961 (1961 का 43) की शरा 269-म (1) के अधीन स्वना

प्राप्त ब्रह्मस

कार्यातय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अजन रेंज -4 बम्बई

बम्बई, विनांक 12 दिसम्बर 1984

निवेश सं० अई-4/37ईई/1199/83-84- अतः मुझे, ए० प्रसाद,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-खू के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सभ्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,0000/- रुपये से अधिक हैं

म्रीर जिसकी सं० यूनिट नं० 37 जो, पहली मंजील, डी-विंग बोनान्सा इंडस्ट्रियल इस्टेट, अशोक चक्रवर्सी रोइ, कांदिवली पूर्व), बम्बई में स्थित है (भीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से विणत है) ग्रीर जिसका करार नामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में

रिजस्ट्री है दिनांक 3 अप्रैल 1984 को की पूर्वोंक्त सम्पत्ति के उजित बाजार भूल्य से कम के रूपयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुर्फ यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोंक्त सम्पत्ति का उजित बाजार मूल्य, उसके दृष्यमान प्रतिफल से एसे दृष्यमान प्रतिफल का वन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों और अंतरितीं (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिखित में बास्तविक रूप से किथत नहीं किया गया है है—

- (क) अन्तरण से हुई किसी गाय की वायत, उक्स अधिनियम के स्थीन कर देने के अन्तरक के दक्षिए में कमी करने वा उक्क वचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, फिपाने में स्थिया के लिए;

अतः अच, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुकरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-भ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नुसिखित व्यक्तियों, अर्थात् ह—

- (1) श्री किशिनचंद मोटूमल जेसवानी । (अन्तरक)
- (2) कमल चोकसी , एच० यू० एफ० ।

(अग्तरिती)

की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति को कर्जन को सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप ह---

- (क) इस सूचना के ट्राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाह्य में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वो करा व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस स्थना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख ते 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पच्छीकरण :- इसमें प्रयुक्त शक्यों और पर्यों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परि-भाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

वम्स्यी

यूनिट नं. 37 जो पहती मंजील, डी– विंग, बोनान्झा इंडस्ट्रियल इस्टेंट, अशोक चक्रवर्ती रोड़, कांदिवली (पूर्व) बम्बई में स्थित है ।

अनुसूची जैसाकि ऋ० सं० अई-4/37ईई/1199/83-84 भौर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 3-4-1984 को रजिस्टर्ट किया गया है।

> ं एँ० प्रसाद, सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज -4 बम्बर्ड

िषनांक :- 12-12-1984

मोहर:-

११७५ कारे, टी, धन_ः एत_ः ----

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के अधीन सूचना

नारत राज्यार

कार्यालय, सहायक नायकर आयुक्त (निरक्षिण) अर्जन रेंज, -4 बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निवेश सं अई--4 37आईई 116983/-84--अतः मुझे, ए० प्रसाद,

नायकर मधिनियम्, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परकात् 'उक्त अधिनियत्र' कहा गया है), की भारा 269-क के अधीन सक्षम् प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्परित जिसका उक्ति बाजार मूल्य 25,000/-रा. से अधिक है

भौर जिसकी स० युनिट नं० 24 जो, दूसरी मंजिल डी-विंग बोनान्सा इश्रस्ट्रियल इस्टेट अशोक चक्रवर्सी रोड़, कांदिवली (पूर्व) बम्बई में स्थित हैं (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुवची में भौर पूर्ण रूप से विंगत है श्रीर जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 3 अप्रैंल 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के क्ष्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि स्थापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके क्ष्यमान प्रतिफल से, एसे क्ष्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिकात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और जन्तरिती (जन्तरितियों) के बीच एसे बन्तरम के सिए तय पाया चया प्रतिफत, निम्नसिचित उद्वेषमों से उच्छ अन्तरम कि बित्र के वास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है है—

- (क) जन्तरण से हुई किसी जान की बान्त, उन्दर जिम्मिन्य के अभीत कर दोने के जन्तरक के बायित्व में कमी करने या उससे बचने में स्विधा के सिए; बहि/या
- (क) एसी किसी नाय या किसी भन या नम्यू जास्तियों का जिल्हें भारतीय नाय-कार जिल्हें भारतीय नाय-कार जिल्हें भारतीय नाय-कार जिल्हें भारतीय नाय-कार जिल्हें की पान-कार जिल्हें की पान-कार जिल्हें की पान-कार जिल्हें किया निया भाषा किया जाना चाहिए था, जिल्हों किया नया को निए;

कतः कव, उक्त अधिनियमं की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियमं की धारा 269-म की उपभारा (1) के अधीन, निम्नलिकित व्यक्तियों, अधारत :--- (1) मसर्सं सुरत राम गोपालदास ।

(अन्तरक)

(2) मैं सर्स मेक इंजिनिअर।

सूअम्तरिी)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुने।

उक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस स्वान के राजपत्र में प्रकाशन की तारील से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वान की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी जब्धि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारींख से 45 विन को भीतर उकत स्थावर सम्पन्ति में हितबब्ध किसी मृत्य व्यक्ति वृवारा अधाहस्ताक्षरी के पास सिवित में किए या सकी गे।

नन्स्पी

युनिटक न० 24 जो दूसरी मंजिल डी-विंग बोनान्धा इडस्ट्रियल इस्टेंट अशोक चक्रवर्ती रोड़ कॉदिवेली (पूर्व) बम्बई में स्थित हैं।

अनुसूची जैंसाकि कि० स० अई-4/37-ईई 1169 83-84 भीर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 3 अप्रैंल 1984 को रजिस्टई किया गया है।

ए० प्रसाद, सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4 अम्बई

विनांक :- 12-12-1984 मोहर :- प्ररूप आहे. टी., एन., एस., =-->:==

बायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269--भ (1) के अधीन सूचना

भारत सहकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण) अर्जन रेंज, हैदराबाद,

हैवराबाद, दिनांक 15 दिसम्बर 1984

निदेश स० आर० ए० सी० न० 851/84-85-मतः मुझे एम० जगन मोहन

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25.000/- रा. से अधिक हैं

भीर जिसकी स० 5-9-30 है, जो बसीरबाग, हैदराबाद में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण इस से विणित है), रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिमांक अप्रैल 1984

को पूर्वेक्त संपरित के उचित बाजार मूल्य से कम के इस्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके इस्यमान प्रतिफल से, ऐसे इस्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्वरिय से उक्त अन्तरण निम्नलिखित उद्वरिय से उक्त अन्तरण निम्नलिखित में बास्तिषक रूप से किया नहीं किया गया है:---

- (क) नन्तरण हं हूए कि की बाव की वावत उपक करि-नियम के बधीन कर दोने के नन्तरक के समित्य के सामी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; क्रीडि/वा
- (क) एसी किसी नाय ना किसी धन ना वन्द नास्तियों को, विन्हें भारतीय नायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) ना उक्त अधिनियम वा धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-नार्थ अपिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-नार्थ अप्तियम वा वा वा वा किया जाना चाहिए था कियाने में सुविधा के विद्

जतः जज, उक्त अभिनियम की धारा 269-ग के बनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-थ की उपधारा (1) के अधीन, निम्निसित व्यक्तियों, वर्षास् कु— (1) श्री श्याम सुंदर चौढरी 14-1-304, लोवर धूलपूट, हैदराबाद ।

(अन्तरक)

(2) श्री पी० लक्ष्मीनारायणा स्रोर अन्य, घर न० 5-9-30, बसीरबाग, हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप ए---

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 विम की अविभि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वना की तामील से 30 दिन की अविभ, जो भी अविभ बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्वारा;
- (क) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 विम को भीतर उक्त स्थावर सम्भित्त में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति व्याप अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए या सकोंगे।

स्पक्षीकरणः इसमें प्रयुक्त सब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

and the

षर सम्पत्ति नं ० 5-9-30 बसीरबाग, हैदरागाव राजिस्ट्री-कृत विलेख नं ० 2225 84 राजिस्ट्रीकर्ती अधिकारी हैदराबाद

> एम० जगन मोहन सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (नरीक्षण) अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक :- 13-12-1984 मोहर 🏿 श्रुक्ष आहं. टी. एन. एस.

भागकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के तथीन स्मन्त

भारत सरकार

कार्यासय, सक्क्ष्यक जानकर आयुक्त (विराक्षिक) अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 12 दिसम्बर 1984

निदेश स० आर० य० सी० न० 852/83-84-- अतः .सुझे एम० जगन मोहन

बायकर सिधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उकत अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रु. से अधिक है

ृष्टीर जिसकी स० प्लट है, जो तीरूमाला, टावर्स हैदराबाद स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चिकडपल्ली, में भारतीय रजिस्ट्रीकरण ग्राधिनियम 1908 (1908 का 16 के अधीन दिनांक 19 अप्रैंल 1984

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दरयमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि स्थापृत्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दरयमान प्रतिफल से, एसे दरयमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक (अन्तरका) और अन्तरिती (अन्तरितिया) के बीच एसे अन्तरण के लिए तस पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखत उद्देश्य से उक्त अंतरण किवित में वास्तरिक कप से क्रीशत नहीं किया गया है क्ष

- (क) अन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत, उक्त अधिनियम के बधीन कर दोने के अन्तरक के बाबित्स में कभी करने वा उन्नसे वचने में सुविधा के लिए? अडि/बा
- (च) ऐसी किसी भाग या किसी भन या अन्य आस्तियों को जिन्हों भारतीय जाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्यारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्तिथा के लिए?

अतः अव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) को अधीन. निम्मलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---- (1) तीरुमला टावर्स गोलकोंडा यख्स रोड़ हैदराबाद, बाई श्री यस चद्रय्या 1∼1−593 सी गांधीनगर, हैदराबाद।

(अन्तरकः)

(2) श्रीमती के० ए० सूवर्ण लक्ष्मी प्लाट न० 18 गोलाकोंडा, एक्स रोड़ डी न० 1-10; 1011, हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के सिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्थन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राज्यपत्र में प्रकाशन की तारीक ते 45 विन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की सामील से 30 विन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीवत् व्यक्तियों में से किसी व्यक्तिस द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित- बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधाहस्ताक्षरी के पास सिखित में किए जा सकोंगे।

अभूसूची

पलेट तीरुजमला टांबर्स गोलकोंडा सख्स रोडस हैदराबाद विस्तीर्ण 1100 चौ० फूट, रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 319 83-84 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चिक्कडपंफली ।

> एम० जगन मोहन सक्षम प्राधिकारी सहाय आयकर आयुक्त (निरीक्षक्क) अर्जन रेंज-4 हैदराबाट

दिनांक :- 15-12-1984

मोहर :

3. Shri B. B. Rai relinquished charge of the post of Dy Director of Inspection (Engineering) in the office of D Director of Inspection, Kanpur on the forneoon of the 5th December, 1984 and assumed charge of the post of Director of Inspection, Kanpur on the forenoon of 6th December. 1984.

S. L. KAPOOR Deputy Director (Administration)

ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA

(KHAN VIBHAG)

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-16, the 31st December 1984

No. 8661B/A-19012(3-PP)/84-19B.—Shri Prasanta Purkayastha, Senior Tech. Asstt. (Chemical), GSI, has been appointed on promotion to the post of Asstt. Chemist in the Geological Survey of India by the Director General, GSI, on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 30th October, 1984, until further orders.

A. KUSHARI
Director (Personnel)
Geological Survey of India

INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 3rd January 1985

No. A-19011(131)/79-Estt.A.—The President, on the recommendation of the Departmental Promotion Committee, is pleased to promote Shri S. M. Joshi. Deputy Mineral Economist (Intelligence) to the post of Mineral Economist (Intelligence) in Indian Bureau of Mines in an officiating capacity with effect from the afternoon of 26th December, 1984.

G. C. SHARMA
Asstt. Administrative Officer
for Controller General

ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF INDIA INDIAN MUSEUM

Calcutta-16, the 13th September 1984

No. 4-157/78/Estt.—Shri D .Dasgupta, Assistant Linguist, in the Anthropological Survey of India, is promoted to the post of Linguist, Group-A (Gazetted) in scale of Rs. 700—1300 at North Western Regional Office at Dehra Dun, on a temporary basis with effect from the forenoon of the 27th August. 1984. until further orders.

A. K. DAS GUPTA Administrative Officer

SURVEY OF INDIA

Dehra Dun, the 1st January 1985

No. C-6/51/718-A.—Shri H. L. Jadav, Officiating Superintendent, Surveyor General's Office, who was appointed to officiate as Establishment and Accounts Officer on ad-hoc basis vide this office Notification No. C-6022/718-A, dated 8th December, 1983 is now appointed to officiate sa such on regular basis with effect from 12th November, 1984.

G. C. AGARWAL Major General Surveyor General of India (Appointing Auhtority)

DIRECTORATE GENERAL: ALL INDIA RADIO

New Delhi-1, the 28th December 1984

No. 4(71)/84-SI.—The Director General, All India Radio, hereby appoints Shri Gobinda Daolagupu as Programme Executive at All India Radio, Kohima in a temporary capacity with effect from 5th November, 1984 and until further orders, in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-880-40-1000-EB-1200.

The 1st January 1985

No. 4(29)/84-SI.—The Director General, All India Radio, hereby appoints Shri R. C. Gopal as Programme Executive at All India Radio, Calicut in a temporary capacity with effect from 29th November, 1984 and until further orders, in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-BE-880-40-1000-EB-1200.

Dy. Director of Administration for Director General

New Delhi-1, the 29th December 1984

No. 4(41)/84-SI.—The Director General, All India Radio, hereby appoints Shri Amlanjvoti Majumdar as Programme Executive at All India Radio, Sambalpur in a temporary capacity with effect from 27th October, 1984 and until further orders. in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-EB-810-FB-880-40-1000-EB-1200.

HARJIT SINGH
Director (Admn. & Finance)
for Director General

New Delhi, the 31st December 1984

No. 29/3/84-SII.—The Director General, All India Radio is pleased to appoint Sh. N. K. Bhatra, Farm Radio Reporter, AIR, Jeypore to the post of Farm Radio Officer, AIR in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 w.e.f. 10-12-84 until further orders.

2. Sh. N. K. Bhatra assumed charge as Farm Radio Officer at AIR. Sambalpur on the same date.

MOHAN FRANCIS
Deputy Director Administration
for Director General

MINISTRY OF AGRICULTURE (DEPTT. OF AGRI. & COOPN.) DIRECTORATE OF EXTENSION

New Delhi, the 31st December 1984

No F. 5-48/84-Estt.(1).—On attaining the age of Superannuction, Sh. P. N. Chopra, permanent Superintendent (Grade I) and officiating as Assistant Administrative Officer on ad-hoc basis, Group 'B' (Gazetted) (Ministerial) in the Directorate of Extension (Department of Agriculture & Cooperation). Ministry of Agriculture retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st December, 1984.

R. G. BANERJEE Director of Administration

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

Faridabad, the 26th December 1984

No. A-31014/4/83-A. I.--The Agricultural Marketing Adviser to the Govt. of India is pleased to appoint the following officers substantively to the permanent posts of Assistant Marketing Officer (Group I) in the Dte. of Marketing and Injection with effect from the date indicated against each :-

(1)	A. Viswakarma	_					29-12-81
(2)							15-9-82
(3)		=			•		21-12-82
(4)	C. N. Anandakris			•		•	21-12-82
(5)	Satyanjay Yadav				•	•	21-12-83
(6)	M D C' I						
(7)		•	•		•	٠	21-12-83
(8)		•		•			21-12-83
	77 75 5				•	٠	21-12-83
(9)		•			•	•	21-12-83
(10)			•	•			21-12-83
(11)		•	٠				21-12-83
(12)		•					21-12-83
(13)					•	٠	21-12-83
(14)							21-12-83
(15)							21-12-83
	R. J. Nathaniel				,		21-12-83
(17)							21-12-83
(18)							21-12-83
(19)	_						12-3-84
	B. N. Sarkar						12-3-84
(21)	M. S. Bankar						12-3-84
(22)	R. V. Joshi						12-3-84
(23)	G. B. Dandi (SC))					12-3-84
(24)	M. K. Dwivedi						12-3-84
(25)		C)					12-3-84
	N. Sreeramulu (S	C)				· ·	12-3-84
(27)	Mohan Lai Meer	a (ST	٦.		•		12-3-84
(28)		a (ST	า	•		·	11-3-84
(29)	TT TT	,			·		12-3-84
	M. Papi Reddy					Ċ	12-3-84
(31)	-			Ī	•		12-3-84
(32)		•					12-3-84
(33)						•	12-3-84
(34)						•	12-3-84
(35)	- •				•	•	12-3-84
(36)					٠	•	12-3-84
	Smt. Prem Wati		•		•	•	12-3-84
	D. R. K. Siugh		•	•	•	•	12-3-84
	Smt. Susan Nair				•	•	
	S. Noohu Kannu		•	•	•	•	12-3-84 12-3-84
				•	•	•	
	K. Satya Rao	•	•		•	٠	12-3-84
(42)	K. S. Acharya		•	•	•		12-3-84
(43)	G. S. Sastry		•	•	•	•	12-3-84
	C. M. Girdhar		•		•	•	123-84
(45)			٠	•	•	٠	12-3-84
(46)			٠	•		•	12-3-84
(47)	and the same of th	(SC)			•	•	12-3-84
(48)			•	•	•	•	12-3-84
(49)	G. M. Moon (SC		•	•		•	12-3-84
(50)	V· N. Pawar (ST)		•	•	٠	•	12-3-84
(51)	B. C. Jat (SC)		•	•	•	-	12-3-8
(52)	G. V. Ramamur		•		į	-	12-3-84
(53)	S. S. Nandanwar	(ST)			•		12-3-84
(54)	Smt. R. Lalitha				•	•	12-3-84
(55)	P. D. Girase				•		12-3-84
(56)	K. Jayananda .					•	12-3-84
(57)	R. M. Gundaran	1			•	•	12-3-84

	S/Shri					
(58)	C Swamada					12-3-84
	P. S. Strohi			,		12-3-84
	P G. Chaudhary					12-3-84
(61)	Lokesh Kumar					12-3-84
(62)	B. L. Mathut				,	12-3-84
(63)	H. P. Mannem				•	5-4-84
(64)	L. S. Raghunatn.	มก				5-4-84

2. The hen of the above officers in the lower post, if any, terminated with effect from the date of their substantive stands appointment in the post of Assistant Marketing Officer (Group

The 5th January 1985

No. A.19026/1/82-A.III.—The period of deputation of Sh S D. S. Yadav, Audit Officer of the office of the Accountant General (Audit) Haryana, Chandigarh, Officiating as Accounts Officer in this Directorate at Faridabad has been further extended from 3-12-84 to 31-3-85 on the usual farms and conditions on deputation.

> J. KRISHNA Director of Administration for Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India

BHABILA ATOMIC RESEARCH CENTRE

PERSONNEL DIVISION

Bombay-400 085, the 27th December 1984

No. PA 79(5)/83-R III. -Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri Thekekeeppattu Kochukunju Rajappan, permanent II. Steno and officiating Sr. Stenographer in TAPS to officiate as Asstt. Personnel Officer in this Research Centre with effect from the forenoon of 3-12-1984 until further orders.

> B. C. PAL Dy. Establishment Officer

DI PARTMENT OF ATOMIC ENERGY DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

Bombay-400 001, the 29th December 1984

DPS/2/1(3)/82-34248.--The Oirector, Direc-Driectorate of Purchase and Stores, Department of Atomic Fnergy appoints Shri A. Mascarenhas a pmt. Asstt. Accountant and officiating Asstt Accounts Officer to officiate as an Accounts Officer-II on an ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 840-40-1000-FB-40-1200 from 19-11-84 (FN) to 2 (-12-81 (AN) in the same Directorate vice Shri L. H. Israni, Accounts Officer-II granted leave.

10. DPS/41 1 83-Adm/34254.—The Director, Directorate of Purchase and Stores, Department of Atomic Energy, appoin's Shri Ranganath Krishnan Iyer a permanent Purchase Assistant to officiate as an Assistant Purchase Officer on an ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-FB-40-1200 from 19-11-84 (FN) to 21-12-84 (AN) in the same Directorate vice Shri K. J. Ahluwalia, Assistant Purchase Officer granted leave.

DPS/41/3/83-Adm./34260.—The Director. Directerate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri Attur Pisharody Chenthamatakshan, a permanent UDC and officiating as Asstt. Accountant to officiate as an Asstt. Accounts Officer on an ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-880-EB-40-960 from 19-11-84 (FN) to 21-12-84 (AN) in the same Directorate vice Shri A. Mascarenhas, Asstt. Accounts Officer promoted as Accounts Officer-II (ad-hog) in Central Accounts Unit.

> P. GOPALAN Administrative Officer

RAJASTHAN ATOMIC POWER PROJECT

P.O. Anushakti 323303, the 3rd January 1985

No. RAPS Rectt/7(8)/84/S[68.—On transfer from Nu-Clear Fowel Board, Chief Supdt., RAPS hereby appoints Shri N. L. Menghani as Assistant Personnel Officer (Rs. 650—960) in an officiating capacity with effect from the forenoon of 17th Dec., 1984.

A. N. KATTI Administrative Officer(E)

ATOMIC MINERALS DIVISION

Hyderabad-16, the 3rd January 1985

No. AMD-16/4/84-Rectt.Director, Atomic Minerals Division, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri O. Bharothan, a permanent Senior Stenographer, Atomic Minerals Division, to officiate as Assistant Personnel Officer in the same Division on ad hoc basis with effect from October 27, 1984 to November 29, 1984.

The 7th January 1985

No. AMD-16/3/82-Rectt.Vol. II.—Director, Atomic Minerals Division. Department of Atomic Energy hereby appoints Shri K. U. K. Nair, a permanent Upper Division Clerk and officiating Assistant Accountant, Atomic Minerals Division, to officiate as Assistant Accounts Officer in the same Division on and ad-hoc basis with effect from the forenoon of June 11, 1984 to August 14, 1984.

No. AMD-16/2/84-Rectt.—Director, Atomic Minerals Division. Department of Atomic Energy hereby appoints Shri S. S. Mishra, a permanent UDC and officiating Assistant Accountant, Variable Energy Cyclotron Centre of Bhabha Atomic Research Centre as Assistant Personnel Officer in the Atomic Minerals Division in an officiating capacity with effect from the forenoon of November 30, 1984 until further orders.

S. PADMANABHAN
St. Administrative & Accounts Officer

Date from

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT

New Delhi, the 5th January, 1985

No. A. 32013 (Met. I)/7/83-E.I.—The President has been pleased to appoint undermentioned Meteorologists Grade II/ Assistant Meteorologists to officiate is Meteorologist Grade I in the same Department with effect from the date indidated against their names and until further orders:—

S. No.	Name					which officiating as Meteorologist Grade I
	2					3
) 	. M. Ratolikar .					9-8-1984
		•	•	•		11-6-1984
2. Snn E	l, S. Garg	•	•	•		11-6-1984
	. R. Sivaramakrishnan		•	-	•	
4. Shri S	, K. Subramanian	•		•		11-6-1984

J	2					3
5. Shri S. K. Bind	ira .					11-6-1984
6. Shri G. N. Sha	rma .			,		11-6-1984
7. Shri Daya Kisl	han					11-6-1984
8. Shri S.A.H Al						28-6-1984
9, Shri V. P. Sase	_					11-6-1984
10. Shri Satya Pral	cash .					11-6-1984
11. Dr. V. S. Tiwa	ri .			,		11-6-1984
12. Dr. Sant Prasa	di.,			_		11-6-1984
13. Shri S. Sreedhe						11-6-1984
14. Smt. N. N. Kh	ambate		-			11-6-1984
15. Shri B. R. Loe						11-6-1984
16. Shri Y. M. Du	ggal		•	,	•	13-7-1984
•	00.		•	'	•	(A,N.)
17. Shri Thakur Pr	asad					11-6-198
18. Shri Hem Raj					•	11-6-1984
19. Dr. B. Manikis			•		•	11-6-1984
			•	•	•	(A,N.)
20. Shri H. R. Hat	twar					11-6-1984
21. Shri S. K. Pras			,	•	•	12-6-1984
22. Shri H. S. Bill:				•	•	11-6-1984
23. Shri A. K. Ga				• •	•	11-6-1984
24. Shri M.R.M.				•		16-7-1984
25. Smt. B. Shyan			·			11-6-1984
26. Shri M. R. Ki			-	-	•	11-6-1984
27. Shri H. R. Saj				·	·	11-6-1984
28. Shri K. T. Jose				1.		11-6-1984
29, Shri D, Chaki						11-6-1984
30. Shri A. U. Ra						26-9-1984
31. Shri N. S. Ku						11-6-1984
32. Shri G. M. Ja						11-6-1984
33. Shri Brij Bhus	han					11-6-1984
34. Shri C. K. Ch						18-6-1984
35. Dr. C. V. Ve						11-6-1984
36. Shri D. P. Par	nd e y		٠.			11-6-1984
37. Shri Asoi Lal			- -			11-6-1984
38. Dr. A.K. Boh	ra					11-6-1984
39. Shri N. Panda	riuah					16-7-1984
40. Shri Shaik Na		n.				11-6-1984
41, Shri J. N. Kar				٠		26-6-1984
42. Shri S. K. Das						11-6-1984
43. Shri Rajendra	Prasad					11-6-1984
44. Shri S. N. Del	k				*	16-7-1984
45. Shri K. C. Por	rel					15-7-1984
46. Shri H. P. Das						11-6-1984
47. Dr. J.V.M. Na	idu					11-6-1984
48. Shri Surya Bal						11-6-1984
49, Shri L, R. Me	ena					11-6-1984
50. Shri Faqir Cha						29-6-1984
- -						(A.N.)
51. Shri B. L. Vern	na					11-6-1984

S. K. DAS Director General of Meteorology

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 26th December 1984

No. A. 32013/3/83-EC (.).—The President is pleased to appoints Shri K. Ramakrishna, Technical Officer in the Civil Aviation Department in the grade of Sr. Technical Officer on regular basis with effect from 30-7-84 (AN) and until further order.

The 27th December 1984

No. C. 18011/1/84-ES.—In pursuance of the Judgement of the Hon'ble High Court of Delhi, New Delhi delivered on

24th July, 1984, Shri D. D. Sansi, formerly employed as Assistant Aircraft Inspector in the Civil Aviation Department is deemed to have been reinstated in service with effect from 23-6-1976 and he would be entitled to claim all the consequential benefits from Government.

Further on attaining the age of superannuation, Shri D. D. Sansi, Asstt. Aircraft Inspector in the Civil Aviation Deptt. stands retired from Government service with effect from 31-10-1976 (AN).

The 1st January 1985

No. A. 32014/7/84-EC.—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint Shri Onkar Singh, Technical Assistant, in the grade of Assistant Technical Officer on regular basis with effect from 17-10-1984 and until further orders.

The 2nd January 1985

No. A. 32013/12/83-EI.—In continuation of this office Notification No. A. 32013/12/83. EI, dtd. 9-7-84, the President is pleased to continue the appointment of Shri A. N. Mukherjee, in the grade of Director of Air worthiness at Calcutta on ad hoc basis from 30-11-84 to 31-1-85 or till the post of Director of Airworthiness is filled on regular basis, whichever is earlier.

No. A. 32013/3/84. E1.—In continuation of this office Notification No. A. 32013/3/84-EI, the President is pleased to continue the appointment of Shri S. Balaram, in the post of Deputy Director General of Civil Aviation on ad hoc basis from 9-11-84 to 31-12-84 or till the date the post is filled on regular basis, whichever is earlier.

No. A. 32014/184-E.S.—The Director General of Civil Aviation is pleased to approve the continuance of ad-hoc appointment of the following Superintendents in the post of Administrative Officer, in the pay scale of Rs. 650-30-740-35-810-E.B-35-1000-E.B.-40-1200, at the station of posting noted below for a further period of 6 months mentioned against each or till the posts are filled on regular basis, whichever is earlier:—

S. No.	Name		Period of ac appointment approved	Station of posting as Administra-		
		-	From	То	- tive Officer (ad-hoc)	
S/Shr	i					
1. M. D	. Sharma	•	05-01-85	4-07-85	O/o the R.D., Delhi	
2, M. L.	Bhasin .	٠	14-12-84	13-06-85	O/o the R.D., Delhi	
3. S. K.	Saha (SC)		29-12-84	28-06-85	O/o the R.D., Mad-	
4. M, C	hakraborty	-	27-01-85	26-07-85	ras. C.A.T.C., Allahabad	

V. JAYACHANDRAN
Assistant Director of Administration

New Delhi, the 1st January 1985

No. 24012/1/84-ES.—On attaining the age of superannuation, Shri S. L. Vohra, Senior Airworthiness Officer (ad hoc) in the Civil Aviation Department relinquished charge of his duties in the afternoon of the 30th November, 1984.

B. BHAUMIK Assistant Director of Administration

OVERSEAS COMMUNICATIONS SERVICE

Bombay, the 3rd January 1985

No. 1/166/84-EST.—Shri D. Rocha, Chief Mechanician, Bombay, retired from service, with effect from the afternoon of the 30th November, 1984, on attaining the age of superannuation.

R. K. THAKKER Dy. Director (Admn.) for Director General

COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE AND CUSTOMS: BHUBANESWAR

Bhubaneswar, the 5th December 1984

No. 8/84.—The following Gazetted Officers of Collectorate of Central Excise and Customs, Bhubaneswar retired from Government Service on superannuation on the dates as mentioned against each.

- Sh. G. Sreenivas Rao, Administrative Officer, 31-10-84 (AN).
- Shri Laxmidhar Mishra, Superintendent Group 'B',
 30-11-84 (AN).

C. SATAPATHY
Deputy Collector (P&E)
Central Excise & Customs

MINISTRY OF ENERGY

DEPARTMENT OF COAL

COAL MINES LABOUR WELFARE ORGANISATION

Dhanbad-826003, the 3rd January 1985

No. ADM. 12 (3) 79—Shri D. K. Ruj, Assistant Secretary to Coal Mines Welfare Commissioner, Dhanbad has retired from Government service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30-11-1984.

R. S. SHIVANI Commissioner

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS (DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Ashoka Roadways Private Limited

Shillong, the 27th December 1984

No. Tech/R/1388/560(5)/4245.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Ashoka Roadways Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Assam Polymer Private Limited

Shillong, the 27th December 1984

No. Tech/R/1368/560(5)/4242.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Assam Polymer Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

D. N. PEGU Registrar of Companies, Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Nagaland Arunachal Pradesh & Mizoram, Shillong OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER (ADMN.)
U.U. & COMMISSIONER OF INCOME-TAX
Lucknow, the 31st December 1984
INCOME-TAX DEPARTMENT

No. 149.—Shri Bansi Lal, Income-tax Officer (Gr. B) posted as Additional Income-tax Officer, C-Ward, Lucknow Circle, Lucknow has since been retired in the afternoon of 31-10-84 due to age of superannuation.

No. 150.—Shri Sia Saran Saxena, Income-tax Officer (Gr. 'B') posted as Income-tax Officer, Hardoi has since been retired in the afternoon of 31-10-84 due to age of superannuation.

DHARNI DHAR Chief Commissioner (Admn.) U.P. & Commissioner of Income-tax, Lucknow

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE KALATHIPARAMBU ROAD, ANAND BAZAAR, COCHIN-662 016

Cochin, the 20th November 1984

Ref. No. I..C. 701|84-85.—Whereas, I, B. RAVIBALAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|and bearing No.

No. as per schedule situated at Pathiyoor (and more fully described in the Schedule annexed hereto),

has peen transferred

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at

Kayamkulam on 11-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- ia facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-inx Act, 1957 (27 of 1957);

New, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

- (1) Shri Radhakrishna Kurup & Gopalakrishna Kurup Choorakkattu Veedu, Eruva P. O. (via) Kayamkulam.

(Transferor)

(2) Shri K. K. Bhaskaran, VI|251, Pathiyoor Panchayat Kuttilatyathu Vecdu—Pathiyoor West Karrikkadu P.O. (vai) Kayamkulam. (Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

41. cents of land in Sv. No. 5069 of Pathiyoor Village registered in the SRO-Kayamkulam vide document No. 1202/84 dt. 11-4-1984.

> B. RAVIBALAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Ernakulam

Date: 20-11-1984.

Sedl:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT, COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE PRAPUKAR SADAN, POONA-4.

Pune, the 27th August 1984

Ref. No. IAC.ACQ/CA-5/6015/84-85/875.-

Whereas, I, SANTOSH DATTA

being the Competent Authority under Section 269-B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-

and bearing No.

Flat No. 201, 2nd Floor, J. K. Apartments ,1440, Shukrawar Peth, Punc-2 situated at Punc-2 (and more fully described in the Schedule annexed hereto),

has peen transferred

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office

of the registering officer at

I.A.C., Acqn. Range, Pune on June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the hability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-ta Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance or Section 269C of the saw Act, I hereby initiate proceedings for the aquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D or the said Act, to the following persons, namely:---

(1) J. K. Builders, 1430, Shukrawar Poth, Fuce 2.

((Transferor)

(2) Shri Dilip Natwarlal Shah. 354, Raviwar Peth, Pune-411002.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the pubilcation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter

THE SCHEDULE

Flat No. 201, 2nd Floor, J. K. Apartments, 1440, Shukrawar Peth, Pune-411002. (Area: 871 Sq. Ft.)
(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C., Acquisition Range, Pune under document No. 371F | 6015 | 84-85, in the month of June, 1984).

> SANTOSH DATE: Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Poona

Date: 27-8-1984.

Scal:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE PRAPUKAR SADAN, POONA-4.

Pune, the 3rd August 1984

Ref. No. IAC ACQ|CA-5|37EE|5470|84-85. 858|3|8|84.— Whereas, I, SANTOSH DATTA being the Competent Authority

under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act',) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

Flat No. 3, Second Floor in proposed Mughali Apartment, Plot No. 15, S. No. 36A, Erandwana, Pune-411004 situated at Pune-411004

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office

of the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at I.A.C., Acq. Range, Pune on May 1984 which is less than the fair market value of the aforesaid proparty and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent considera-tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, is respect of any income arising from the transfer; andlor

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

(1) Shrimati Shashi Apparao Lengade, Clo. Power of Attorney: Shri Prakash Anant Pokale, Flat No. 4, Manjiri Society, 36/7, Erandwana, Pune-411038.

(Transferor)

(2) Shri Sanjeev Shripad Date 403, Kirloskar Brothers Ltd., Kirloskar Wadl-416308. District: Sangli.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or n period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used therein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 3, Second Floor, in proposed Mughali Apartments, Plot No. 15, S. No. 36A, Erandwana, Pune-411004. (Area: 730 Sq. Ft.).

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C., Acquisition Range, Pune under document No. 37EE 5470 84-85, in the month of May, 1984).

> SANTOSH DATTA Competent Authority
> Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, Acquisition Range Poons

Date: 3-8-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE PRAPUKAR SADAN, **POONA-4**.

Pune, the 3rd August 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/7352/84-84. 856,—Whereas, I, SANTOSH DATTA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reson to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25.000/- and bearing No. Flat No. 307, Liberty Complex, Plot No. 17, Sector 17, D.B.C. C.I.D.C.O., Vashi, New Bombay (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at I.A.C., Acq. Range, Pune on June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) liberty Investments Pvt. Ltd., 302, Dalamal House, 206, Nariman Point, Bombay-400 021.

(Transferor)

(2) Smt. Payana Das. 5, M. Sravana, Naval Officers' Flats, Colaba, Bombay-400 005.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 307, Liberty Complex, Plot No. 17, Sector-17, D.B.C. C.I.D.C.O., Vashi, New Bombay.

(Area: 1850 Sq. Metres.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C., Acquisition Range, Pune under document No. 37EE/7352/84-85, in the month of June, 1984) 1984).

> SANTOSH DATTA Competent Authority
> Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Poona

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-secsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-- 67-426G184

Date 3-8-1984. Scal:

FORM I.T.N.S .--

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE PRAPUKAR SADAN, POONA-4.

Pune, the 4th August 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/7568/84-85-859.— Whereas, I, SANTOSH DATTA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/-

and bearing No. Flat No. 404 in proposed building under construction on Plot No. 53, Sector 17, District Business Centre, situated at Washi. New Bombay

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office

of the Registering Officer at I.A.C. Acq. Range, Pune on May, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; find/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :--

- (1) Shri Ramesh Gangadhar Shitut, Chief Promoter of the proposed Co-operative Housing Society Ltd., 511194, Knanamwar Nagar, Bombay-400 083.
- (2) Mrs. Vijaya Sharad Mane & Mr. Sharad Yashyantrao Mane, B-20-2-15, Sector I, Vashi, New Bombay.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 404 in proposed building under construction on Plot No. 53, Sector 17, District Business Centre. Vashi, New Bombay. (Area: 801 Sq. Ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C., Acquisition Range. Pune under document No. 37EE|7568|84-85, in the month of May, 1984). 1984).

> SANTOSH DATTA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income tax Acquisition Range Poona

Date: 4-8-1984.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(1) Mr. Popatlal Shivlal Jain, 44, Bombay Pune Road, Bopodi, Pune-3.

(Transferor)

(2) (1) Mr. Kumar Hundraj Paryani,
 (2) Mr. Purushottam Hundraj Paryani,
 1084, Old Modikhana, Pune-411001.

(Transferee)

DEFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE PRAPUKAR SADAN, POONA-4.

Pune, the 28th August 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/5946/84-85.860,-Whereas, I, SANTOSH DATTA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Shop at 1365, Sadashiv Peth, situated at Pune-30

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at I.A.C. Acq. Range, Pune on June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop at 1365, Sadashiv Peth, Pune-30. (Area: 180 Sq. Ft.) (Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C., Acquisition Range, Pune under document No. 37EE 5946 84-85, in the month of June, 1984).

> SANTOSH DATTA Competent Anthority Inspecting Assistant Commissioner of Income tax Acquisition Range Poona

Date: 28-8-1984.

Soul :

FORM I.T.N.S.~

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE PRAPUKAR SADAN, POONA-4.

Pune, the 1st September 1984

Ref. No. 1AC ACO|CA-5|37G|2200|84-85. 1183|1|9|84.—Whereas, I, SANTOSH DATTA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. Rs. 25,0000/- and bearing

No. Plot No. 31, S. No. 282 situated at Chinchwad, Taluka Situated at Haveli, District Pune

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Sub-Registrar, Haveli-I on July, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as eforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act is respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this office notice under sub-section (I) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:-

(1) Shri K. Pichumani, 94A]1, Rasta Peth, Pune-411011.

(Transferor)

(2) Shii G. S. Walse, (Chief Promotor: Suyash Co-operative Housing Society: Proposed), Plot No. 32, S. No. 585, Gultekadi, Pune-411001.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 31, S. No. 282, situated at Chinchwad, Tal: Hayeli, Dist: Pune. (Area: 468.23 Sq. Meters.: 5040 Sq. Ft.).

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C., Acquisition Range, Pune under document No. 37G|2200|84-85, in the month of July,

SANTOSH DATTA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Poona

Date: 1-9-1984.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE PRAPUKAR SADAN, POONA-4.

Pune, the 28th August 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/5642/84-85, 867.—
Whereas. I. SANTOSH DATTA
being the Competent Authority, under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinfater referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property, having a fair market value
exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Flat No. 3. C Building at Chintaman Nagar. S. No.
12811, Aungh, Pune-411007 situated at Pune-411007
(and more fully described in the Schedule annexed hereto).
has been transferred under the Registration Act 1908 (16
of 1908) in the Office of the Registering Officer at
1.A.C. Acq. Range, Pune, on June, 1984
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforeand property and I have reason
to believe that the fair market value of the property as
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more
than fteen per cent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I bereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Mis. Nikhii Enterprises,
 14. Bombay Fune Road,
 Near Bajaj Auto Show Room, Wakadewadi,
 Shivajinagar, Pune-411005.

(Transferor)

(2) Dr. (Mis.) Bhanu Chanda and Shri Manish Chanda, Suit No. 107, NCL New Hostel II, N.C.L., Pune-411008,

(Transferee)

Objections, if any, to the acquiation of the said property may be made in writing to the undersigned:----

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of
 45 days from the date of publication of this notice
 in the Official Gazette or a period of 30 days from
 the service of notice on the respective persons
 whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the Publications of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Flat No. 3, C-Building at Chintaman Nagar, S. No. 128/1, Aundh, Pune-411007. (Area: 825 Sq. Ft.).

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C., Acquisition Range, Pune under document No. 37EE|5642|84-85, in the month of June, 1984).

SANTOSH DATTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Poona

Date: 28-8-1984.

(1) Ms. Prabin Guptey & Associates 13 176, Lokmanya Nagar, Pune-41 1030.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Surendra Mukund Mulherkar, 'Annapurna' 1st Floor, 1/12, Karve Road, Pune-411004.

may be made in writing to the undersigned :-

(Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE PRAPUKAR SADAN, POONA-4.

Pune, the 28th August 1984

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons,

Objections, if any, to the acquisition of the said property

whichever period expires later;

Ref. No. IAC ACQ|CA-5|37EE|52-53|84-85.866|28|8|84.—Whereas, I, SANTOSH DATTA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|-

Flat No. 3 on the 1st Floor on the South West corner in 'Nirmal Apartment', Plot No. 93, S. No. 26. Dahanukai Colony, situated at Kothrud, Pune-411029

(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer I.A.C., Acqn. Range, Pune on July, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason

to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of .--

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liabilitity of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULB

Flat No. 3, 1st Floor on the South West Corner in 'Nirmal Apartment', Plot No. 93, S. No. 26, Dahanukar Colony, Kothrud, Pune-411029, (Area:).

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C., Acquisition Range, Pune under document No. 37EE|5253|84-85, in the month of July, 1984)

SANTOSH DATTA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Poona

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

Date: 28-8-1984.

FORM TINS-

(1) M/s. Velankar Bhide & Associates. 461, Rasta Feth, Punc-411001,

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Mr. Subodh Walchand Shah, Killa, Beed-431122.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

> ACQUISITION RANGE PRAPTIKAR SADAN, POONA-4.

Pune, the 4th August 1984

Ref. No. IAC ACQ|CA-5|37EE|5480|84-85.865|4|8|84,—Whereas, I, SANTOSH DATTA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. Rs. 25.0000/- and bearing

Rs. Rs. 25,000/- and bearing
Flat No. 8, First Floor above Car parking in Building
No 2 on Plot No. 13, Survey No. 133/1424. Survey No.
134/2 situated at Aundh. Pune-7
(and more fully described in the schedule annexed hereto),

has been transferred

under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at I.A.C. Acqn. Range Pune in May, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXV of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 8, First Floor above Car parking in Building No. 2 on Plot No. 13, Survey No. 133|1 & 2 & S. No. 134|2, Aundh, Pune-411007. (Area: 1040 Sq. Ft.). (Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C., Acquisition Range, Pune under document No. 37FE|5480|84-85, in the month of May, 1004). 1984).

> SANTOSH DATTA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Poona

Date: 4-8-1984.

Scal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE PRAPTIKAR SADAN, POONA-4.

Pune, the 4th August 1984

Ref. No. 1AC ACQ|CA-5|37EE|5281|84-85.864|4|8|84.—Whereas. I, SANTOSH DATTA

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to se the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-

and bearing Flat No. 14, on the 2nd Floor in Konark Apartments, at 175, Dhole Patil Road, situated at Pune-411001 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

I.A.C. Acqn. Range, Pune on May 1984

for an apparent consideration

which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or exasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act. in respect of any income arising from the transfer; and or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following sersons, namely :--

(1) Karia Builders, 2, Hermes Nest. 844, Dastui Mehei Road, Pune-411001.

(Transferor)

(2) Dr. Chandrashekar S. Waghmare, 76|3, Chiplunkar Road. Frandwana, Pune-411004.

(Transferce)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the aid Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 14 on the 2nd Floor in Konark Apartments at 175, Dhole Patil Road, Pune-411001. (Area: 570 Sq. Ft.).

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C., Acquisition Range, Pune under document No. 37EE|5281|84-85 in the month of May,

SANTOSH DATTA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax. Acquisition Range Poona

Date: 4-8-1984.

Scal .

FORM I.T.N.S.---

(1) Mis. Vijay Enterprises, 515, Rewa Chambers, New Marine Lines, Bombay-400 020,

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

(2) Mr. Kamal Kishor Dubey, Prop : Cormos Engineers, 19, Universal Apartments, East Street, Pune-411001.

(Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE PRAPTIKAR SADAN, POONA-4.

Pune, the 2nd August 1984

Ref. No. IAC ACQ|CA-5|37FE|5657|84-85.863|2|8|84.— Whereas, I, SANTOSH DATTA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing Flat No. 126 on the first Floor of the 'B' Wing of building 'CLOVER CENTRE' being constructed on property at 7 Moleding Road (Arsenal Road situated at Pune-1

at 7, Moledina Road (Arsenal Road situated at Pune-1 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at 1.A.C. Acqn. Range, Pune on June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesald property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen new contideration and that than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:-

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said tenure. able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/ur
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957):

THE SCHEDULE

Flat No. 126, First Floor, 'B' Wing, 'Clower Centre', being constructed at 7. Moledma Road, (Arsenal Road) Pune-1. (Area: 425 Sq. Ft. approx.).

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C., Acquisition Range, Pune undedocument No. 37EE|5657|84-85, in the month of June

> SANTOSH DATE: Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Poona

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the follows: rersons, namely:—68 -426GI/84

Date: 2-8-1984.

Scal .

FORM I.T.N.S.-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, PRAPTIKAR SADAN 60/61 ERANDAVANE, POONA-4

Poona-4, the 28th August 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37FE/5178/84-85/862.—Whereas, I, SAN FOSH DATTA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No.

and bearing No.
Plot No. 53, S. No. 121, 122, Rambag Colony,
known as Shilavihar Colony, Pune-411004
Flat No. 4, 1st Floot of proposed Society
situated at Pune-411004

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC Acq Range, Punc on April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfet as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

(1) Shri Manohar Ganesh Kinare, 1496, Sadashiv Peth, Pune-30.

(Transferor)

(2) Shi Pramod Anant Kulkarni, B-7, Carrier Building, Pune Telephone Exchange, Pune-1.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 48, S No. 45/1 & 46/7 of Village Erandwane, known as Shilavihar Colony, Pune-411004, Flat No. 4, 1st Floor of proposed society. (Area: 475 Sq. Ft.)

(Property as described in the agreement to sale deed registered in the office of the IAC, Acquisition Range, Pune under document No. 37EE/5178/84-85, in the month of April. 1984).

SANTOSH DATTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona

Date: 28-8-1984

Seal

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, PRAPTIKAR SADAN 60/61 ERANDAVANE, POONA-4

Poona-4, the 28th August 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/5215/84-85/861.—Whereas, I, SANTOSH DATTA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000]—and bearing No. Plot Uo. 53, S.N. o. 121, 122, Ramgba Colony, Flat No. 1, situated at Pune-411029 (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC Acq. Range, Pune on July, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

 M/s. Atul Enterprises, 31, Sheelavihai Colony, 'Ruturaj' Paud Phata, Erandawana, Pune-411038.

(Transferor)

(2) Mr. Sudhir Vishwanath Raje and Mrs. Meghana Sudhir Raje, 1, Sadashiv Bhelke Nagar, Kothrud, Pune-411029.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever, period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Plot No. 53, S. No. 121, 122, Rambag Colony, Flat No. 1, Kothrud, Pune-411029. (Area: 715 Sq. Ft.)
(Property as described in the agreement to sale registered

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the IAC, Acquisition Range, Pune under document No. 377EE/5215/84-85, in the month of July, 1984).

SANTOSH DATTA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Poona

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subout 10 ucitismbor out 101 sauipeecond engine Aquip 1 103/7
persons, namely:—

Date: 28-8-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, PRAPTIKAR SADAN 60/61 ERANDAVANE, POONA-4

Poona-4, the 4th August 1984

Ref. No. IAC ACQ CA-5, 37EE/5492/84-85/878.—Whereas, I, SANTOSH DATTA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000l- and bearing S. No. 133/1 & 2 134/2, Plot No. 22, Aundh, Bancr Road, I'une-7 situated at Aundh, Pune-7 (and more fully described in the scheduled annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer IAC Acq. Range, Pune on May, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to

market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than afteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between parties has been truly stated in the said intrument transfer with the object of : between the

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said $\wedge c$ on the Scalth-tar Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C or the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely ...

(1) M/s. Vaibhav Builders, 101, 102 Kamla Chambers. 687, Budhwar Peth, Pune-2.

(Transferor)

(2) Shri Shiv Shekhar Bose, 67, Shivaji Housing Co-operative Society, Pune-411016.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Flat in S. No. 133/1 & 2, 134/2, Plot No. 22 Baner Read, Pune-411007, (Area: 1120 Sq. Ft.) 22. Aundh.

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the IAC Acquisition Range, Pune under document No. 37EE/5492/84-85, in the month of May, 1984.)

SANTOSH DATTA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Poona

Date: 4-8-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, PRATIKAR SADAN 60/61, ERANDAVANE POONA-4

Poona-4, the 31st August 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EL/84-85/879.--Whereas, 1, SANTOSH DATTA.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'enid Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-

property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No. Plot No. 12/A-3. Flat No. 202, 2nd floor, Gopal Nagar, Bombay-Agra Road, Bhiwandi situated at Dist. Thane (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC Acqn, Range, Pune on July, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to

market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a, facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and for
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

M/s. Yogi Corporation, PNB House, 2nd floor, Sir, P.M. Road, Fort, Bombay-400 001.

(Transferor)

(2) Mr. Navinbhai Lakhman Shah, Jai Ambe Society, Block No. 3, ground floor, Agra Road, Bhiwandi. Dist. Thane.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the anid property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publi-cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 12-A-3/Flat No. 202, 2nd floor, Gopal Nagar, Bhiwandi, Dist. Thane. (Area-750 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the IAC Acquisition Range, Pune document No. 8368/84-85 in the month of July, 1984).

> SANTOSH DUTTA Competent Authority
> Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
> Acquisition Range, Poona

Date: 31-8-1984

Seal .

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE SAKSERIA BHAVAN 106/107, GOREGOAN PARK PUNE-411 001

Pune-411 001, the 19th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/888.--Whereas, I, ANIL KUMAR,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-nad bearing No.

Gala/Unit No. 28, Survey No. 450 & 457, Panchpakhadi, situated at Thane

(and more fully described in the Schedule annexed hereto)

has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer IAC Acqn. Range, Pune on April, 1984 for an apparent consideration which is less than the lair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor hymporesaid exceeds the apparent consideration therefore hymporesaid exceeds the apparent consideration that the fair market value of the property as aforest the apparent consideration that the property are the property and the property and the property are the property as a forest the apparent consideration that the property are the property and the property are the property are the property are the property and the property are the property are the property are the property are the property and the property are the property a said exceeds the apparent consideration therefor than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parti a has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

(1) M/s. Modella Textile Industries Pvt. Ltd., 4C Vulcan Insurance Building, Veer Nariman Road, Bombay-400 020.

(Transferor)

 M/s. Kayam Industries, A-32, Road No. 12, Wagle Industrial Estate, Thane.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazetta

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter,

THE SCHEDULE

Gala/Unit No. 28, Survey No. 450 & 457, Panchpakhadi, Thane, (Atea-516 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the IAC Acquisition Range, Pune under document No. 5673 in the month of April, 1984.)

ANIL KUMAR Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Poona

Date: 19-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAWAN 106/107 KORFGOAN PARK, PUNE-411001

Pune, the 19th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/5969/83-48/884.-Whereas, I,W ANIL KUMAR,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000; and bearing

No. Gala Unit No. 27, S. No. 450 & 457 situated at Panch-pakhadi, Thana situated at Thana. (and more fully described in the schedule annexed hereto)

has been transferred

under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at IAC, Acqn Range, Pune in April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen par cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: andlor
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferoe for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in purmance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid preparty by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

(1) Modella Fextile Industries Pvt. Ltd., 4-C. Vulcan Insurance Building, Veer Nariman Road, Bombay-400 020.

(Transferor)

(2) Mls. Sindhu Switchgear System, A-28, Highway Darshan, Near Highway Signals, Thana-400 602.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person whishever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said less able property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gamette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that

THE SCHEDULB

Gala Unit No. 27, S. No. 450 & 457 situated at Panch-pakhadi, Thana. (Area: 512 Sq. ft.).

(Property described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 37EF 5969 83-84 in the month of April 1984).

> ANIL KUMAR Competent Authority Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Sakseria Bhawan, 106|107, Koregoan Park, Pune-411 001.

Date: 19-11-1984 Scal:

FORM TINS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE. PUNE, SAKSERIA BHAWAN, 106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune, the 19th November 1984

Ref. No. IAC|ACQ|CA-5|37EE|5667|83-84.—Whereas, I, ANIL KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000- and bearing No. Gala Unit No. 18. S. No. 450 & 457 situated at Panch Pakhadi, Thana situated at Thana (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC, Acqn. Range, Pune in April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair

market value of the aforesaid property and I have reason to

believe that the fair market value of the property as aforesaid

exceeds the apparent consideration therefor by more than

fifteen per cent of such apparent consideration and that the

consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of

transfer with the object of ---

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons. namely:—

Modella Textile Industries Pvt. Ltd.,
 Vulcan Insurance Building,
 Veer Narman Road, Bombay-400 020.

(Transferor)

(2) M/s. Crown Engineering Enterprises No. 4, Santosh Goushalla Road, Nahur Mulund West. Bombay-400080.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publi cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Gala Unit No. 18, S. No. 450 & 457 situated at Panch Pakhadi, Thana. (Area: 512 Sq. ft.).

(Property described in the agreement to sale registered in the office of the LA.C. Acquisition Range, Pune under document No. 37EE 5667 83-84 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Sakseria Bhawan,
106/107, Koregoan Park,411 001.

Date: 19-11-1984

Seal

(1) Karia Bullders, 2, Hermes Nest, 844, Dastur Meher Road, Pune-411 001.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Shri Dilip K. Farande, 119, Raviwar Peth, Wai, Dist. Satura.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, PUNE. SAKSERIA BHAWAN, 106/107. KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune, the 17th November 1984

Ref. No. IAC/ACQ/CA-5/37EE/5893/84-85/882.—Whereas, I, ANIL KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Flat No. 6, 2nd Floor, Konark Apartments 175, Dhole Patil Road, Punc-411001 situated at Punc-1. (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

IAC, Acqn. Range, Pune in July, 1984 at IAC, Acqn. Range, Pune in July, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the atoresaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official

Explanation:-The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the limbility of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the indian income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons numely :-69-426GI/84

THE SCHEDULE

Flat No. 6, 2nd Floor, Konaik Apartments, 175, Dhole Patil Road, Pune-411 001. (Area: 422 Sq. ft.).

(Property as described in the agreement to sale registered m the office of the I.A.C.. Acquisition Range. Pune under document No. 37FE|5893|84-85 in the month of July, 1984).

> ANIL KUMAR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Sakseria Bhaven, 106,107, Koregoan Park, Pune-411 001.

Date: 17-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

in to the trans

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, PUNE, SAKSERIA BHAWAN, 106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune, the 19th November 1984

Ref. No. IAC/ACQ/CA-5/37EE/5668/83-84 881.— Whereas, I,

ANIL KUMAR

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to so the 'taid Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No Gala Unit No. 23, S. No. 450 & 457 situated at Panch Pakhadi, Thana

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office

of the Registering Officer at at IAC Aran Range Pun in April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have leason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds he apparent consideration therefor by more that fifteen per cent of such apparent consideration and that the ornsideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in re-nect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1) Modella Textile Industries Pvt. Ltd., 4-C. Vulcan Insurance Building, Veer Nariman Road Bombay-400 020.

(Transferor)

(2) M/s. Bharat Industries, Prop. Sanjay S. Bhagat, 34-Indrapuri Society. Ravi Industrial Compound, Thana-400 602.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 Jays from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA-of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Gala Unit No. 23, S. No. 450 & 457 at Panch Pakhadi, Thna. (Area: 512 Sq. ft.).

(Property described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C., Acquisition Range, Sakseria Bhawan, ment No. 37EE 5668183-84 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax Acquisition Range, Sokieria Bhawan, 106/107, Koregoan Park,411 001.

Date: 19-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX AC1, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, PUNE, SAKSERIA BHAWAN, 106/107 KORLGOAN PARK, PUNE-411001

Pune, the 20th November 1984

Ref. No. IAC|ACQ|CA-5|37EE|84-85.—Whereas, 1, ANIL KUMAR,

being the competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act 1, have reason to believe that use immovable property, naving a fair market value exceeding Rs. 25.000/-and bearing

No. Land at village Tulini, Tal. Vasai, S. No. 66(p) Hissa No. 1 (p) situated at Dist. Thane

(and more july described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

IAC. Acqn. Range, Pune on September 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay that under the same Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferree for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

 M/s. Prathamesh Builders, Laxmi Nivas, Park Road, Vile Parle (East), Bombay-400 057.

(Transferor)

Apna Development Society,
 Sopariwala Mansion, Parel T.T.,
 Bombay-400 012.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Galette.

EXPLANATION:—The trems and expressions used herein as are defined in Chapter AXA of the said Ac, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land lying and being at village Tulini, Taluka Vasai, Dist. Thane, bearing survey No. 66(p) Hissa No. 1 (p) and admeasuring 2300 sq. yds. i e. 1923.79 Sq. meters.

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 8953 84-85 in the month of September, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Sakseria Bhowen,
106/107, Koregoan Park, Pune-411 001.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Dae: 20-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN, 106|107, KOREGOAN PARK, PUNE-411 001

Punc, the 19th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85 890.—Whereas, J. ANIL KUMAR.

being the Competent Authority under Section

269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinatter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Unit No. 16, survey No. 450 and 457, Panchpakhadi situated at Thane

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

IAC. Acqn. Range, Pune in April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aloresaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act of the following persons, namely:—

(1) Mls. Modella Textile Industries Pvt. Ltd., 4-C. Vilcan Insu ance Bulling. Veer Narman Road, Bombay-400 020.

(Transferor)

(2) Shri Subhash Chander Joshi, 17-A, Laxmannagar, CHS Near Aradhana Cinema, Naupada, Thanc.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as gi en in that Chapter

THE SCHEDULE

Unit No. 16, Survey No. 450 & 457, Panchpakhadi, Thane. (Area: 434 Sq. ft.).

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the J.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 5674 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Salseria Bhavan, 106/107. Koregaon Park, Punc-411 001.

Date: 19-11-1984

FORM I.T.N.S.-

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN, 106;107, KOREGUAN PARK, PUNE-411 001

Pune, the 20th November 1984

. Ref. No. IAC ACQ|CA-37EE|84-85 892/20-11-84.— Whereas, J, ANIL KUMAR

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Ac., 1961 (43 of 1961) (herematter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the unmovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot No. 54/2, D-111, Block of M.I.D.C. Indl. Estate, Chinchwad situated at Pune (and more fully described in the Schedule annexed hereto),

has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office

of the Registering Officer at

IAC. Acqn. Range, Pune in October 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afortsaid exceeds the apparent consideration theretor by more than lifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any which ought to be disclosed by the transferee for the location lincome-tax Av. 922 the purposes of the Indian Income-tax Ac. 922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act i hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 2(9D) of the said Act, to the following persons, namely :-- .

- (1) The Pearl Thread Milis Ltd., Laxmi Building, 6, Shoorji Vallabhdas Marg, Ballard Estate, Bombay-400 038.
- (Transferor) (2) The Khatau Makanji Spinning & Weaving Company Ltd., Laxmi Building, 6, Shoorji Vallabhdas Marg. Bellard Estate, Bombay-400 038. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter X XA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 54/2, D-III Block of M.I.D.C., Industrial Estate, Chinchwad, Pune (with structures thereon).

(Area: Land: 1537 sq. mt. Factory Bldg. 251.13 Sq. mt. New Factory Bldg., 607.78 sq. mt. Gate House—8.10 sq. mt. care.) meters).

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune und document No. 9005|84-85 in the month of October 1984).

> ANIL KUMAR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Sakseria Bhavan, 106/107, Goregoan Park, Pune-411 001

Date: 20-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPLCTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN, 106|107, KOREGOAN PARK, PUNE-411 001

Pune, the 22nd November 1984

Ref. No IAC ACQ|CA-5|37G|630|84-85|1188 —Whereas, I, ANIL KUMAR,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) (hereinatter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing

Rs 25,000/- and bearing Plot No 59, Lonawala, R. S. No. 181/1A/1 situated at Lonawala

(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred

under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at S. R. Bombay in April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to be tween the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concentment of any income or any moneys or other assets which have nor been or which ough to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

- (1) Shri N. S. Pathare & Others.
 Bombay ndian Inhabitant residing at 18,
 Yug Fabnat, O.I. S.taldevi Temple Road,
 Mahim, Mombay-16.

 (Transferor)
- (2) Soan Hill Resorts Pvt. Ltd., 84-Asiana, St. ohn Baptista Road, Bundra, Bombay-50.

(Transferee)

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the dire of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act share have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot-No. 59, R S No 118|1A|1, Lonawala. (Area: 2309 93 Sq Mirs).

(Property as described in the sale deed registered in the office of the S. R. Bolabay under document No. 37G|630|84-85 in the month of April, 1984).

ANII. KUMAR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income tax Acquisition Range, Sakseria Bhavan, 106/107, Koregaon Park, Pune-411 001.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

Date: 22-11-1984

(1) Shri Vitthal G. Karlekar, At Dog.d, Dist. Sindhudurg.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN, 106|107. KOREGOAN PARK, PUNE-411 001

Pune, the 22nd November 1984

Ref. No. IAC ACY/CA-5/37G/701/84-85/1189.— Whereas, I, ANIL KUMAR,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a tair market value exceeding Rs 25,000/and bearing

S. No 395-A, Jamsande, Deogad, Sindhudurg s'tuated at

Deogad

(and more fully described in the Schedule annexxed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at SR, Kankavali in April, 1984

an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe this the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than afteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:— (2) Sou. Anjali M. Mondkar. 111,6, Lokmanya Tilaknagar, M. G. Road, Goregaon,

West Bombay-400 062.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said preperty may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of the notice on the respective persons whichever period exp.res later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Acc respect of any income arising from the transfer; and/or

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

S. No. 395 A, Jamsande, Dlogad, Dist. Sindhudurg.

(Property as described in the sale deed registered in the office of the S. R., Kankavali under document No. 37G/701/84-85 in the month of April, 1984).

> ANIL KUMAR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner Income-tax Acquisition Range, Sakseria Bhavan, 106|107, Koregaon Park, Pune-411 001.

Now, therefore in nursuance of section 2690 of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issum of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:-

Date: 22-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMB-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN, 106|107, KOREGOAN PARK, PUNE-411 001

Punc, the 20th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/892.—Whereas, I, ANIL KUMAR,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinsfter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a tair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Unit1A Survey No. 450 and 57, Panchkhadi village situated at Thanc

(and morefully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registrat on Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at IAC. Acun. Range. Pune in April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any moome arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely;—

- (1) Mis. Modella Textiles Industries Pvt. Ltd., 4-c. Yulcan insurance building, Veer Narman Road, Bombay-400 020.
- (2) Mls, Swastik Fabrication Works, Sangam Sadan, Koad No. 2, Plot No. 451, Kishan Nagar, No. 1 Thinae-4.

(Transferce)

((Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be used in writing to the understand;

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Otheral Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the gaid Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Unit 1-A Survey No. 450 & 457, Pancpakhadi village

(Area-319 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 5676 in the month of April, 1984),

ANIL KUMAR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Sakseria Bhavan, 106/107, Koregaon Park, Punc-411 001,

Date: 20-11-1984

Soal ;

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN, 106|107, KOREGOAN PARK, PUNE-4110001

Pune, the 19th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/893.—Whereas, I,

ANIL KUMAR.

Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. Unit 18 survey No. 450 & 457, Panchpakhadi situated at

Thane

(and more fully described in the Scheduled annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at IAC. Acqn. Range. Fune in April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; andlor

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the storesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—
70—426GI/84

(1) M₁₈, Modella Textiles Industries Pvt Ltd., 4-C. Vulcan Insurance Building, Bombay-400 020

(Transferor)

(2) Mis. Swastik Engineers, Laxmi Sadan, Room No. 29, 2nd floor, Kishan Nagar, No. 1, Thane.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov able property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Act, shall have the same meaning as give in that Chapter.

THE SCHEDULE

Unit 18, Survey No $\,450\,$ and $\,457,$ Panchpakhadi, Thane. (Area $\,319\,$ sq. ft).

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the LAC Acquisition Range Pune under No 5675/83-84 in the month of April 1984).

NIL KUMAR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Sakseria Bhavan, 106|107, Kotegoan Park Punc-411 001.

Date: 19-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN, 106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-4110001

Pune, the 20th November 1984

Ref. No. IAC ACQ|CA-5|37EE|84-85|894.--Whereas, I. ANIL KUMAR,

being the Competent Authority under Section 269B of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

Unit No. 25, Survey No. 450 & 457, Panchpakhadi situated

at Thane

(and more fully described in the Schedule annexed hereto)

(and more fully described in the Schedule annexed nereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at at IAC. Acqu. Range, Pune in April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :--

(1) M/s. Modella Textiles Industries Pvt. Ltd., 4-C, Vulcan Insurance Building, Veer Nariman Road, Bombay-400 020

(Transferor)

(2) Mls. Rita Engineering Works, 61B, Punjabi Industrial Estate, Pol hran Road-1, Khopat, Thane.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publi-cation of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: —The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the name meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Gala Unit No. 25, Survey No. 450 and 457, Panchnakhadi, Thane. (Area . 512 sq. ft.). (Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 5677 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tage Acquisition Range, Sakseria Bhavan, 106 107, Koregoan Park, Pune-411 001.

Date: 20-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN, 106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411 001

Pune, the 20th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-/37EE/84-85/895.--Whereas, I, ANIL KUMAR,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

Unit No. 15, Survey No. 450 & 457, Panchpakhadi, situated at Thane

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC. Acqn. Range, Pune in April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of uanafer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:---

- (1) M|s. Modella Textiles Ind. Pvt. Ltd., 4-C, Vulcan Insurance Building Bombay. (Transferor)
- (2) Shri P. K. Dalvi, Prop. of Coloui Well, Rametilal Chawl, Room No. 2, Near Allied Silk Mills, Agra Road, Thane.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Unit No. 15, Survey No. 450 & 457, Panchpakhadi, Thane.

(Area: 410 sq. ft.).
(Propery as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 5678 in the month of April, 1984).

> ANIL KUMAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Sakscria Bhavan 106/107, Koregoan Park, Punc-411 00!

Date: 20-11-1984

PORM ITNS----

NOTICE UNDER SECTION 209D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN, 106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune, the 20th Novembe 1984

Ref. No. 1AC ACQ/CA-5|37FE|84-85.896.--Whereas, I,

ANH KUMAR; being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25 0001- and hearing No.

Rs. 25.000|- and bearing No. Unit No. 29, Survey No. 450 & 457, Panchpakhadi, situated at Thane

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer IAC. Acqu. Range, Pune in April, 1984

for an apparent consideration

which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I bereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Mis. Modella Textiles Ind. Pvt. Ltd., 4-C, Vulcan Insurance Building Veci. Natiman Road, Bombay-400 020.

(Transferor)

(2) M/s Kunal Ingineering Service, Prop. Mr. U. L. Shah, 11, Kundeshwar Bhavan, Vallabh Bang Lane, Ghatkopar, Bombay. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Unit No. 29, Survey No 450 and 457, Panchpakhadi, Thare. (Area: 512 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 5679/83-84 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Sakseria Bhavan, 106/107, Koregoan Park, Pune-411 001.

Date: 20-11-1984

FORM I.T.N.S.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING. ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN, 106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune, the 20th November 1984

Ref No. IAC ACQ|CA-5|37EE|84-85.897 --Whereas, I, ANIL KUMAR,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|and bearing

No. Unit No. 17, survey No. 450 and 457, Panchpakhadi

situated at Thane

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at LAC. Acqu Range, Pune in April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid

believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as igneed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:--

Mls. Modella Textiles Ind. Pvt. Ltd., 4-C, Vulcan Insurance Building Veer, Nariman Road, Bombay-400 0020.

(Transferor)

(2) Mls. Blue Chip. Mancesha-A-97, Shreering Society. Thane-400 601.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (b) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immorable property. within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as gives in that Chapter.

THE SCHEDULE

Unit No 17 Survey No. 450 and 457, Panchpakhadi, Thane. (Area: 380 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 5682 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Sakseria Bhavan, 106/107, Koregoan Park, Pune-411 001.

Date: 20-11-1984

Scal:

FORM I.T.N.S .-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN 106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune-411 001, the 20th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/898.—Whereas, I, ANIL KUMAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000|- and bearing Unit No. 26, Survey No. 450 & 457, Panchpakhadi, situated

at Thane

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

IAC. Acqn. Range, Pune on April, 1984. for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferes for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- M/s. Modella Textile, Industries Pvt. Ltd., 4-C Vulcan Insurance Building, Veer Nariman Road, Bombay-400 020
- (2) M/s. Sindhu Switchgear Systems
 A-28, Highway Darshan, Near Highway Signal
 Thane-400 602,

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Unit No. 26, survey No. 450 and 457, Panchpakhadi, Thane (Area-512 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 5681 in the month of April, 1984.)

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Sakseria Bhavan,
106/107, Koregoan Park, Pune-411 001

Date: 20-11-1984

Seal

FORM LTNS ---

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN 106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune, the 19th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/899, Whereas I, ANIL KUMAR

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Acr, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No.

Unit No. 22, survey No. 450, and 457 Panchpakhadi

situated at Thane

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer IAC. Acqn. Range, Pune on April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfers

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferse for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269°C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 M/s. Modella Textiles Industries Pvt. Ltd., 4-C Vulcan Insurance Building, Veer Nariman Road, Bombay-400 020

(Transferor)

(2) M/s. P. K. Narsyanan, 30 Ambe Kripa Nahur Mulund, Bombay-400 080

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immevable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Gala/Unit No. 22, Survey No. 450 & 457, Panchpakhadi. Thane.

(Area-512 aq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 5670 in the month of April, 1984.)

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Sakseria Bhavan,
106/107, Koregoan Park, Pune-411 001

Date: 19-11-1984

Scal:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN 106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune-411 001, the 19th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/900, Whereas, I. ANIL KUMAR

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that

the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Rs. 25,000/- and bearing Unit No. 20, Survey No. 450 & 457, Panhpakhadi Situased at Thane

c(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer IAC. Acqn. Range, Pune on April, 1984.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as

aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reguestion or evenion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the conscalment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

M/s, Modella Textiles Industries Pvt. Ltd.,
 Vulcan Insurance Building,
 Bombay-400 020

(Transferor)

(2) M/s. K.P.S. Industries, A-8, Highway Darshan, 1st floor, Naupada, Thane-400 602

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Unit No. 20, survey No. 450 & 457, Panchpakhadi, Thane. (Area-512 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range. Pune under document No 5671 in the month of April, 1984.)

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Sakseria Bhavan,
106/107, Kolegoan Park, Pune-411 001

Date · 19-11-1984

Scal:

FORM I.T.N.S .-

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN 106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune-411 001, the 19th November 1984

Ref. No. JAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/901, Whereas, I, ANIJ. KUMAR

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing

Gala/Unit No. 19, survey No. 450 Pt & 457 Panchpakhadi, situated at Thano

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

IAC, Acqn. Range, Pune on April, 1984.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—71—426G1/84

(1) M/s. Modella Textiles Industries Pvt. Ltd., 4-C Vulcan Insurance Building, VeerNariman Road, Bombay-400 020

(Transferor)

(2) M/s. Jit Machine Tools. A-28, Highway Darshan, 1st floor, Naupada. Thanc. 400 602.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this metics in the Official Gazette or a period of 80 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immevable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Genette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Gala/Unit No. 19, survey No. 450 and 457 Panchpakhadi, Thane.
(Area-512 sq. it.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 5672 in the month of April, 1984.)

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Sakseria Bhavan,
106/107, Kotegnoni Park, Pune-411001

Date: 19-11-1984

Seal

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMB-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-

SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN 106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune-411 001, the 19th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/902, Whereas, I, ANIL KUMAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 2, ground floor, C.T.S. No. 1201/D Bhamburda Shivaji Nagar, Pune-4

situated at Pune.

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC, Acqn. Range, Pune on Sept. 1984.

an apparent consideration which is less than fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforestaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, is respect of any income arising from the transfer; and/or
- b, facilitating the concealment of any income or any eners or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the 'said Act' to the follow-ME DOTSOIM, BATTHE V : - -

(1) Shri Indrasen Krishnarao Shirole, 1201 'D Fergusson College Road Pune-411 004.

(Transferor)

(2) Shri Arun Madhav Joshi, B-3, Seema Society, 1201-E Shirole Road, Pune-411 004.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said imples able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein are defined in Chanter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 2, ground floor, C.T.S. No. 1201/D Bhamburda Shivaji, Nagar, Final Plot No. 566/2 Pune-4. (Area-418 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 6529/84-85 in the month of Sept. 1984.)

 ANIL KUMAR Competent Authority Inspectnig Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Sakseria Bhayan, 106/107. Koregoan Park, Pune-411 001

19-11-1984 Date Seal .

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN 106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune-411 001, the 24th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/.--Whereas, I, ANIL KUMAR

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Agreement for sale of Suit No. 1, 2, 3, 4, in Industrial Complex at Dewan & Sons Industrial Complex at Village Aliyai, Talukn Palghat District situated at Village Aliyai Distr. Thane (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC. Acqn. Range, Pune on April, 1984.

for an apparent consideration which is less market value of the aforesaid property, and I have reason to believe the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of '-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

- (1) M/s Palghar Land Development Corporation, Dewan Tower, Vasai Road, (W) District Thane.
 - (Transferor)
- (2) M/s Trojan Sports Wear (P) Ltd., C/o Bombay Craft Centre, Raheja Chamber, 213 Nariman Point, Bombay-400 021.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLINATION: - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agreement for sale of Suit No. 1, 2, 3, 4, in Industrial complex at Dewan & Sons Industrial Complex at village Alivai, Taluka Palghar, District Thane S. No. 39/1 agreement dated 20th January 1984, (Area 4000 sq. ft. built up area.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 4463/83-84 in the month of April 1984.)

> ANIL KUMAR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Sakseria Bhavan, 106/107, Kolegoan Park, Pune-411 001

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

Date - 24-11 1984

FORM I.T.N.S.---

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) (1) Smt. Janakibai S. Sane, 179. Parvati, Pune-411 009.

(Transferor)

(2) Mr. Sham H. Lahoti, 1482, Shukrawar peth, Pune-2.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN 106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune-411 001, the 16th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/904.—Whereas. I. ANII. KUMAR being the Competent Authority under Section 269B of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Property at 179, aPrivati Pune-411 (009 situated at Pune (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at IAC. Acqn. Range, Pune on April, 1984. for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
andlor

(b) facilating the concealment of any Income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act. to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writting to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property at 179, Parvati, Pune-411 009, (Area 604 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 5613'84-85 in the month of July 1984.)

ANIL KUMAR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Sakseria Bhavan, 106/107, Koregoan Park, Pune-411 001

Date: 16-11-1984

Scal:

FORM I.T.N.S.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN 106/107, KORFGOAN PARK, PUNE-411001

Pune-411 01, the 24th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EL/84-85/905.—Whereas, 1, ANIL KUMAR

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing

Flat No. 9 on Second Floor admeasuring 1000 sq. ft.+ 360 sq.

Flat No. 9 on Second Floor admeasuring 1000 sq. ft. + 360 sq. ft. balconies 1360 sq. ft . of carnet area situated at Pune (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at I.A.C. Acqn Range, Pune on May 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the appearent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferse for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby inlitate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

(1) M/s V.. I. P. Associates, 1204/10 Shivajinagar, Pune-5.

(Transferor)

(2) Vasant Jaywant Divekar, 38/9A, Erandwana, 11th Lane, Prabhat Road, Pune-4.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 9 on Second Floor admeasuring 1000 sq. ft. +360 sq. ft. balconies 1360 sq. ft of carpet area. (Area 1357 sq. ft.)

(Property as described in the accement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 4535/83-84 in the month of May 1984.)

> ANIL KUMAR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Sakseria Bhavan, 106/107, Koregoan Park, Pune-411 001

Date: 24-11-1984

(1) M/s Makwana Bros. & Co. 441 Somwar Peth, Pune-1.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

Miss Rukhsana Hasim Hassan And Miss Naseem Adam Omer, 313 M.G. Road, Punc-1.

(Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN 106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Punc-411 001, the 24th November 1984

Rei. No, IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/906, Whereas, I, ANIL KUMAR

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing

Flat No. 309, situated on 3rd floor, at H. No. 2416, East Street, Punc 1, situated at Pune

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

I.A.C. Acqn. Pune on Sept. 84

I. A.C. Acquire time on Sept. 64
for an apparent consideration which is less than the
fair market value of the aforesaid property, and
I have reason to believe that the fair market value
of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent
consideration and that the consideration for such transfer as
agreed to between the parties has not been truly stated in the
said instrument of transfer with the object of:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (b) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this noitee in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as see defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 309, situated on 3rd floor, at H. No.2416, East

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range. Pune under document No. 6070/84-85 in the month of September 1984).

Street, Pune-1.

(Area 11, 510 Ft.)

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

ANL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Sakseria Bhavan,
106/107, Koregoan Park, Punc-411 001

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 24-11-1984 -

FORM TINS-

(1) Mr Raj Kumar Jitram Agarwal, on behalf of M/s Ray Builders

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Mrs Kamalabai Vijayiam Unecha, 178 Parvati Gaothan, Pune-9

(Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE SAKSERIA BHAVAN 106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune 411 001, the 24th November 1984

Ref No IAC ACO/CA 5/37EF/84-85/907 —Whereas, I. ANIL KUMAR

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/ and bearing

Flat No 101 on first floor in kadam Apartmeints at City — S No 214 Parvati, Pune-9 situated at Pune,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registering Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

LAC Acqn Range, Pune on June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said fastrument of transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) fadilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazetts or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expired later,
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein an are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Flat No 101 in first floor in Kadam Apartment at City S No 214 Parvati, Pune-9

(Area 1495 sq ft)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the IAC Acquisition Range Pune under document No 5112/84 85 in the month of June 1984)

ANIL KUMAR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner Acquisition Range, Sakseria Bhayan 106/107, Koregoan Park, Pine 411 001

Now, therefore, in pursutnce of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the follow ing persons, namely

Date 24 11-1984

Scal:

FORM I.T.N.S.-

(1) Nadgauda Enterprises, C/o Plot No 161/A-3, Modibaug, Ganeshkhind Road, Pune-16.

(Transferor)

2 Bed room flat No 5 on 2nd floor in PUSHPAK Aptts "Lawry Vilas" 926 Forgusson College Road,

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANCE SAKSERIA BHAVAN 106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune-411 001, the 23rd November 1984

Ref. No. [AC ACQ/CA-5|37EE|84-85|908 —Whereas, I, ANIL KUMAR

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/and bearing

2 Hed 100m flat No. 5 on 2nd floor of Pushpak Apts. at CTS No. 925/D-2 Fergusson College Road, Near Tukaram Paduka Chowk, Pune-4 situated at Pune,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred

under the Registration Aut 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

IAC Acqn. Range, Pune on May 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the Onsideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of ransfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act. or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice und r subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely '---

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective period of the service of notice on the respective period of the service of notice on the respective period of the service of notice on the respective period of the service of notice on the respective period of the service of notice on the respective period of the service of notice on the respective period of the service of notice on the respective period of the service of notice on the respective period of the service of notice on the respective period of the service of notice on the service of notice of notice of notice of notice of notice pective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION .—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

2 Bed room flat No 5 on 2nd floor in PUSHPAK Apttas' at CTS No. 925/D-2, Fergusson College Road, Near Tukaram Paduka Chowk, Pune-4.

(Area 1050 sq ft)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the IAC Acquisition Range, Pune under docu ment No 4722 '83-84 in the month of May 1984).

> ANIL KUMAR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Rang: Sakseria Bhayan, 106/107 Koterona Pirk Pune-411 601

Date 23-11 1984 Seal:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN 106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune-411 001, the 24th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/909. Whereas, I. ANIL KUMAR

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Ra. 25,000]and bearing

Flat No. 3 on the 2nd floor in the building to be constructed at Sub-Plot No. 2, Hissa No. 126, S. No. 103 Yerwada, Pune-6. situated ut Pune

(and more fully described in the Schedule annexed hereto)

has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

IAC. Acqn. Range, Pune on April, 1984.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforestid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for each transfer as consideration the the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—
72—426GI/84

 Shri Shirish Chagpal Karia, Properietor of M/s. Sidderth Builders, M-1, Hermes Nest, 844 Dastur Mehar Road, Pune-1.

(Transferor)

(2) Dr K. U. Vasudevan, Yerwada Stud Farm, Nagar Road, Pune-411 006.

(Transferee)

Objections, if any, to the a equisition of the said property may be made in writing to the undersigned:---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of the 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immova-ble property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 3 on the 2nd Floor in the the building to be constructed at Sub-Plot No.2, Hissa No. 126, S. No.103 Yerwada, Pune-411 006. (Area 590 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 4233/83-84 in the month of April 1984)

> ANIL KUMAR Competent Authority

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Sakseria Bhavan, 106/107. Koregoan Park, Pune-411 001

Date: 24-11-1984

Roal:

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

UFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN 106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune-411 001, the 21st November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/910.—Whereas, I. ANIL KUMAR

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|-and bearing

and bearing Flat No. 117, 'Bali Apartments' S. No. 30A/4B, Kothrud situated at District Pune

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

IAC, Acqn. Range, Pune on April, 1984.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) M/s Asian Builders, Partner—Mr. V. L. Tambe, 35 Vishwashobha Co-op. Housing Society, 528, Narayan Peth Punc-30.

(Iransferor)

(2) Mr. Pradip Balkrishna Lole, P.M.C. Colony, No. 7, Building 'V'. Block No. 12, Ghorpadi Peth, Shankarshet Road, Pune-2.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter,

THE SCHEDULE

Flat No. 117, 'Balı Apartments' S. No. 30A/4B, Kothrud, Pune.

(Area 591 sq ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the 1 A.C. Acquisition Range. Pune under document No. 3962/83-84 in the month of April, 1984.)

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Søkseria Bhavan,
106/107 Koregoan Park, Punc-411 001

Date 21-11-1984

Seal .

FORM ITN9-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN 106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune 411 001, the 24th November 1984

Ref. No. 1AC ACQ/CA-5/37EE/84-85/911.—Whereas, 1, ANIL KUMAR

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing
Flat No. 4, on the Ground Floor in the building to be constructed at Sub-Plot No. 2, Hissa No. 126, S. No. 103, Yerwada, Pune City situated at Pune

Yerwada, Pune City situated at Pune (and more fully described in the Schedule annexed hereto),

has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

I.A C. Acqn Range, Pune on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; andler
- (b) facilitating the concealment of any income on any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Weelth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Shu Shirish Chagpal Karia, Prop. of M/s Siddharth Builders, M-1, Hermes Nest, 844 Dastur Meher Road, Pune-411 001.

(Transferor)

(2) Mi Aloysius L Saldanha, S. No. 21/2, Matchwel Road, Sainikwadi, Pune-411 014,

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the acid property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 4, on the Ground Floor in the building to be constructed at Sub-Plot No 2, Hissa No. 126, S. No. 103, Yerwada. Pune City.

(Alea 600 sq. it.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune, under document No. 4232/83-84 in the month of April, 1984.)

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Sakseria Bhavan,
106/107, Koregoan Park, Pune-411 001

Date: 24-11-1984

(1) M/s. Popular Associates. 8/5, Mukundnagar, Pune-37.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT. 1961 (43 OF 1961) (2) Shri Bharat Pukhrajji Oswal, 58, Valvan, Post-Lonavala, Poona District.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN 106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune-411 001, the 17th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5|37EE|84-85|912.—Whereas, I, ANIL KUMAR

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.

Building at 901 Shukrawar Peth, Pune situated at Pune (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

of the Registering Officer at IAC, ACON Range, Pune in August 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesald property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269°C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269°D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette,

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building at 901, Shukrawar Peth, Poona. (Area 666 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 5961/84-85 in the month of August, 1984.)

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Sakseria Bhavan,
106/107, Koregoan Park, Pune-411 001

Date: 17-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN 106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411001

Pune-411 001, the 17th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/913—Whereas, I. ANIL KUMAR being the Competent Authority under Section 269B of the

the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immov-

able property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing Office No. 201, 2nd floor, Nand Chambers, Plot No. 359 Hissa No. 6 & 7A, L.B.S. Marg, Near Vandna Talkies situated at Thanc

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred

under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

IAC, Acqu. Range. Pune on July 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the indian income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act; 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesald property by the issue of this notice under subtion (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

M/s. Bharat Construction Co., 66/7, Vajukotak Marg, 1st floor. Bombay-400 038.

(Transferor)

(2) M/s. Labindia Instruments Pvt. Ltd. Regd. office, 34/38 Bharatkunj Society, Erandawana, Pune-411 004.

(Transferce)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Office No. 201, 2nd floor at Nand Chambers, Plot No. 359 Hissa No. 6 & 7A. L.B.S. Marg, Near Vandna Talkies, Thane. (Area 1312 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 7372/84-85 in the month of July, 1984.)

> ANIL KUMAR
> Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex Acquisition Range, Sakseria Bhavan, 106/107, Koregoan Park, Pune-411 001

Date: 17-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

1. Shri Sharad Shankar Laghate, (1)

2. Sou. Hemelata Bhalchandra Laghate,

3. Shri Atul B. Laghate,
4. Miss. Ujjwala B. Laghate,

362/A/2, Shaniwar Peth, Pune-411 030.

(Transferor)

(2) M/s. Sane Sardeshmukh Associates, 314, Narayan Peth, Gangadhar Chambers, Pune-411 030.

(Transferce)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN 106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411 001.

Pune, the 24th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/914.—Whereas, I, ANIL KUMAR,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe

that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Plot C.T.S. No. 113/8, Erandawana, F.P. No. 46/4, TPS. I situated at Pune-4

(and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred

under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

IAC Acqn. Range. Pune on May, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act. in respect of any income arising from the transfer; and or

(b) facilitating the concealment of any income or any

Act, 1957 (27 of 1957);

, moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax

Plot at C.T.S. No. 113/8, Erandawana, F.P. No. 46/4 of T.P. No. 46/4 T.P. Scheme-No. 1, Pune. (Area—9245 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the J.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 4339/83-84 in the month of May, 1984).

ANIL KUMAR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range Sakseria Bhavan 106/107, Koregoan Park Pune-411 001

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

Date: 24-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN, 106/107, KOREGOAN PARK PUNE-411 001.

Pune, the 24th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37FF/84-85/916.—Whereus, I. ANIL KUMAR,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing

House No. 1599, Sadushiv Peth, situated at Pune-30

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

IAC Acqn. Range, Pune on May, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property an dI have resaon to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferorto pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons; namely:—

 Shri Vssudeo Trimbak Bagaitkar and others, H. No. 1599, Sadashiv Peth, Pune-411 030.

(Transferor)

(2) Master Amol Suhas Jog, Minor guardian, Smt. Surekha Balkrishna Deshpande, 1569. Sadashiv Peth, Pune-411 030.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 1599, Sadashiv Peth, Pune-411 030. (Area-266.63 sq. meters).

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the LA.C. Acquisition Range, Pune under document No. 4359 83-84 in the month of May, 1984.)

ANIL KUMAR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range. Sakseria Bhavan 106/107, Koregoan Park Pune-411 001

Date: 24-11-1984

Scal :

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE. SAKSERIA BHAVAN 106/107, KOREGOAN PARK. PUNE-411 001.

Pune, the 17th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/917,---Whereas, I. ANIL KUMAR,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs 25,000/- and bearing

Office No. 202, 2nd floor, Nand Chambers, Plot No. 359 Hasa No. 6 & 7 I BS Marg, situated at Thane

(and more fully described in the Schedule annexed hereto).

has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

IAC. Acqn. Range, Pune on July, 84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid-exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: endlor
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other sesets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax, Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1) M/s. Bharat Construction Co., 66/7, Vajukotak Marg, 1st floor, Bombay-400 038

(Transferor)

(2) Smt. Anjali Shriram Bhalerao, Janki Niwas, 2nd floor, Dr. Moose Road, Thane.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said inner able property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Office No. 202, 2nd floor at Nand Chambers, Plot No. 359,

Office No. 202, 2nd noor at Nand Chambers, Plot No. 359, Hissa No. 6 & 7A L.B.S. Marg, Near Vandha Talkies, Thane. (Area—394 sq. ft.). (Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 7374 in the month of July, 1984).

ANIL KUMAR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range. Sakseria Bhavan 106/107, Koregoan Park Pune-411 001

Date: 17-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-

SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN, 106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411 001.

Pune, the 17th November 1984

Ref. No. JAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/918.—Whereas, I. ANIL KUMAR,

ANIL KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Office No. 203, 2nd floor, Nand Chambers, Plot No. 359
Hissa No. 6 & 7A L.B.S. Marg, Near Vandna situated at

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

IAC. Acqn. Range, Pune on July, 84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the limbility of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons. namely:— 73—426GI/84

(1) M/s. Bharat Construction Co., 66/7, Vajukotak Marg, lat floor, Bombay-400 038.

(Transferor)

(2) Smt. Kanchan Shrikant Bapat, 12, Shukhankuroli Society, Bhasker Colony, Naupada, Thane.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period or 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Office No. 203 on the 2nd floor, Nund Chambers, Plot No. 359, Hissa No. 6 & 7A, L.B.S. Marg, Near Vandna Talkies, Thane.

(Area—394 sq. ft.) (Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisi ion Range, Pune under document No. 7373 in the month of July, 1984).

ANIL KUMAR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income lax Acquisition Range, Sakseria Bhavan 106/107, Koregoan Park Pune-411 001

Date: 17-11-1984

Scal

FORM TINS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

CIFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

> **ACQUISITION RANGE PUNE** SAKSERIA BHAVAN 106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411 001.

> Pune, the 17th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/5268/84-85/919.— Whereas, I, ANIL KUMAR,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000and bearing

Flat No. 102 in K.P.T. 1 situated at S. No. 17A Plot No. 2 Hissa No. 8, Wanowarie, Pune-13 situated at Pune-13

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office

of the Registering Officer at

IAC, Acqn Range, Pune on July, 84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any security or other assets which have not been or which sught to be disclosed by the transferoe for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

New, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the afterward property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:

(1) M/s. Parmar Constructions, 321/3 New Timber Market Road, Punc-2.

(Transferor)

(2) Mrs. Madhuben Sumanlal Doshi, C/o Sachine & Co., 25 Bootee Street, Punc.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 102 in K.P.T. 1 situated at S. No. 17A Plot No. 2 Hissa No. 8 Wanowarie, Pune-13. (Area: 790 Sq. ft.).

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 37EE/5268/84-85 in the month of July, 1984).

ANIL KUMAR Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range. Sakseria Bhavan 106/107, Kolegoan Park Pune-411 001

Date: 17-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN, 106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411 001.

Pune, the 17th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/5272/84-85/920.-Whereas, I, ANIL KUMAR,

PART III -SEC. 11

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

Flat No. 206, 2nd Floor, K.P.T.-1, S. No. 17A, Plot No. 2 Hissa No. 8, Wanowarie, Pune-411 013 situated at Pune-13 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC. Acqn. Range, Pune on July, 84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer;
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferse for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1) M/s. Parmar Constructions, 321/3 New Timber Market Road, Punc-2.

(Transferor)

(2) Shri Shabbir Vakil, D/21 Geeta Society, Synegaug St. Pune-411 001.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immerable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 206 on 2nd Floor in the Bldg. K.P.T.-1 situated at: S. No. 17A, Plot No. 2 Hissa No. 8 Wanowarie, Pune-411 013.

(Area: 720 Sq. ft.),

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 37EE/5272/84-85 in the month of July, 1984).

ANIL KUMAR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Sakseria Bhayan 106/107, Koregoan Park Pune-411 001

Date: 17-11-1984

Seal ;

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN, 106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411 001

> Pune, the 17th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/921.—Whereas, I, ANIL KUMAR,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and

and bearing

Flat No. 612, 6th floor, KPT-1 Plot No. 2, Hissa No. 8 S. No. 17A, situated at Pune

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

IAC. Acqn. Range, Pune on July, 84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer;
 a. from
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferse for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 M/s. Parmar Constructions, 321/3 New Timber Market Road, Pune-2.

(Transferor)

(2) Mr. Bhaskar Ganesh Naik, Amee Kripa Block No. 1, Subhash Nagar, Estate, N. M. Joshi Marg, Bombay-11.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation: —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the sant Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 612, 6th floor, KPT-1 Plot No. 2, Hissa No. 8, S. No. 17-A Pune-13. (Area—720 sq. ft.).

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisi ion Range, Pune under document No. 5278/84-85 in the month of July, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Sakserin Bhavan
106/107, Koregoan Park
Pune-411 001

Date: 17-11-1984

FORM I.T.N.S.-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

> ACOUISITION RANGE. SAKSERIA BHAVAN, 106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411 001.

Pune, the 22nd November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/922.--Whereas, I, anil kumar,

being the Competent Authority under Secvtion 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereafter referred to as the said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Land at survey No. 287, Hissa No. 5, Village-Thakurli situated at Kalyan, Dist. Thane

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

IAC Acqn. Range, Pune in May, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transferred with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Ast, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursunace of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under submeetion (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

(1) Mrs. Hirabai M. Bhathena, Mr. Jimmy M. Bhathena, Mr. Zarir M. Bhathena, Dehnu Bldg. 3rd floor Supari Baug, Parel, Bombay-400 012.

(Transferor)

(2) Mr. Satyabodh Venkatesh Gubbi, B-12, Nav Sahayog Co-operative Housing Society, 360-Senai Bapat Marg. Matunga (W.R.) Bombay-400 016.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at survey No. 287, Hissa No. 5, village Thakurli, Dombivali, Tal. Kalyan, Dist. Thane. Area-4948.44 sq. metre).

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 5857/83-84 in the month of May, 1984).

ANIL KUMAR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range. Sakseria Bhavan 106/107, Koregoan Park Pune-411 001

Date: 22-11-1984

Scal:

FORM PINS-

NUTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE PUNE SAKSERIA BHAVAN, 106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411 001.

Pune, the 17th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/923.—Whereas, I, ANIL KUMAR,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Flat No. 111, KPT. 1 1st floor, No. 17A Plot No. 2, Hissa No. 8, Wanowaric, Pune-13 situated at Pune

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at

IAC, Acqn. Range, Pune on July, 84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) tacilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) M/s. Parman Constructions, 321/3 New Timber Market Road, Punc. (Transferor)
- (2) Mrs. Irene X Rato, 428/6A Gultekadi, Pune-411 001.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:--

- (a) by any of the storesaid passons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the pathlication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 111 in KPT 1st iloor, S. No. 17-A Plot No. 2, Hissa No. 8, Wanowarie, Pune-13. (Area—1040 sq. ft.).

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range. Pune under document No. 5273/84-85 in the month of July, 1964).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Sakseria Bhavan
106/107, Koregoan Park
Pune-411 001

Date: 17-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE. SAKSERIA BHAVAN, 106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411 001.

Pune, the 24th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/924.-Whereas, I, ANIL KUMAR,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-

and bearing
Flat No C-19 on the 4th Floor in the proposed Hermes Complex Coop. Hsg. Society Ltd. situated at F.P. No. 203, Sangamwadi T.P.S. Pune City situated at Pune

(and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred

under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office

of the Registering Officer at I.A.C. Acqn. Range, Pune on April 84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

(1) M/s. Hermes Agencies, 618 Sa hapir Street, Pune-411 001.

(Transferor)

(2) Mr. Carlton Kitto & Mrs. Deborah Kitto, C/o Helal Building, 173 Mount Road, Mazagaon, Bombay-400 010.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as giver in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. C-19 on the 4th Floor in the proposed Hermes Complex Coop. Hsg. Socy. Ltd. situated at F.P. No. 203, Sangamwadi TPS Pune City.

(Area—949 sq ft.).
(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune urder document No. 4229/83-84 tn the month of April 1984).

ANIL KUMAR Competent Authority Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Sakseria Bhavan 106/107, Koregoun Fark Pune 411 001

Date: 24-11-1984

Scal:

NOTICE UNDER SECTION 269D(I) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(1) M/s. Pushpak Associates, 299, Ghorpade Peth, Pune-411 002.

(Transferor)

(2) Mr. Vivek Hari Karandikar, 'Ramchandra Smruti', 1223, Sadashiv Peth, Pune-411 030.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN 106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411 001.

Pune, the 16th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37EE/84-85/925.-Whereas, I, ANIL KUMAR.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said 'Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding ks. 25,000/- and bearing No.

1140, Shukrawar Peth, Pune situated at Pune

and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred

under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

IAC. Acqn. Range, Pune on July, 84 for an apparent consideration and which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

Objections, if any, to the acquisition of the said preperty may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immerable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION: - The terms and expressions used herein to are defined in Chapter XXA of the sale Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion or the liability of the transferor to pay tax tunder the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concentment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to be the following persons, namely:-

THE SCHEDULE

Flat at 2nd floor, 1140 Shukrawar Peth, Pune-2. (Area-625 sq. ft. carpet area).

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range. Pune under document No. 5349 in the month of July, 1984).

ANIL KUMAR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Sakseria Bhavan 106/107, Koregoan Park Pune-411 001

Date: 17-11-1984

PORM ITNE-

NOTICE UNDER SECTION 269 D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN, 106/107, KOREGOAN PARK, PUNE-411 001.

Pune, the 22nd November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/926/37EE/84-85.—Whereas, 1, ANIL KUMAR,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding

C.S. No. 858 Municipal Corp. H. No. 54/55, Lane No. 14, situated a Kalyan, Dist. Thane and more fully described in the schedule annexed hereto)

has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC. Acqn. Range, Pune on April, 84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid arreads the apparent consideration that the fair market value of the property as aforesaid. exceeds the apparent consideration therefor by more than of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer;
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other asaeta which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Weulth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the ing persons namely :-- 74 426GI/84

(1) Shri Chintaman Parshuram Joshi Meghashyam Wada, Parnaka, Kalyan, Dist. Thane.

(Transferor)

(2) M/s. Kelkar & Co., Prop. Madhav Moreshwar Kelkar, Anandi Building, Agra Road, Kalyan, Dist. hanc.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION: - The terms and expressions used bereils as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given so that Chapter.

THE SCHEDULE

C.S. No. 358 Municipal Corpn H. No. 54/55, Lane No. 14, 973 sq. yds with the building standing thereon. (Area—983 sq. yds.).

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the IAC. Acquisition Range, Pune under document No. 5195/83-84 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax Acquisition Range, Sakseria Bhavan 106/107, Koregoan Park Pune-411-001

Date: 22-11-1984

Sent :

FORM ITNS----

(1) M/s. Nirman Builders, 40-41, Vishal shopping centre, Sir M. V. Road, (Andheri-Kurla Road), Anderi (East) Bombay-400 069.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) M/s. Tanwar Brothers, 104, Tardeo Air-conditioned Market, Bombay-400 034.

(Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN, 106/107, KOREGOAN PARK PUNE-411 001

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

Pune-411 001, the 21st November 1984

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/927/37EE/84-85.—Whereas, I, ANIL KUMAR.

ANIL KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Ra. 25,000/- and bearing No. Office No. 201, 2nd floor, Nirman Vyapar Kendra Vashi Plot No. 10 Sector VO-17 situated at New Bombay, (and more fully described in the Schedule annexed hereto)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer IAC. Acqn. Range, Pune on May, 1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to the that the thir Medica that the reason to the state of the believe that the fair Market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under, the said Act in respect of any income arising from the transfer,

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-taxxx Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957); Office No. 201, 2nd floor, Nirman Vyapar Kendra at Vashi Plot No. 10, sector VO 17, New Bombay-400 703. (Area-1175 sq. ft)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 5000 in the month of April, 198 4).

ANIL KUMAR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Sakseria Bhavan 106/107, Koregoon Park Pune-411 001

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Ast, I bereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

Date: 21-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN, 106/107, KOREGOAN PARK PUNE-411 001

Pune-411 001, tht 22nd November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/486/37G/728|84-85.—Whereas, I, ANIL KUMAR,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property naving a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No.

No. Mouje Karia Dumala, S. No. 18/112 situated at Nagar, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SR., Sangamner on April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) SPhri Vilas V. Navale, At, Kasata Dumala Tal. Sangamner, (Nagar). (Transferor)

(2) Chairman, Keruji H. Gunjal,
The Ahmednagar & Sub Dist.
Tal. Sangamner, Mouje, Kasara, Dumela.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the and property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immorable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Ast, shall have the same meaning as given in distinction.

THE SCHEDULE

Mouje Kasaria Dumala, S. No. 18/112, Sangamner.

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the S.R. Sangamner under document No. 37G/728/84-85 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-test
Acquisition Range, Poona
Sakseria Bhavan
106/107, Koregoan Park
Pune-411 001

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 22-11-1984

PORM I.T.N.S.----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN, 196/107, KOREGOAN PARK PUNE-411 001

Pune-411 001, the 22nd Novmeber 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37G/689/84-85|1187.—Whereas, I, ANIL KUMAR.

being the Competent Authority under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as, the 'said Act'), have reason to believe that the immevable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

S. No. 440, Deolalı, Con-tonment Area, Dist. Nasik situated at Nasik,

(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SR., Bombay on April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the enid Act, in respect of any income arising from the transfer; and for
- (b) facilitahting the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269°C of the said Act, I hereby imitate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Mani Burjor Feror, Eden Hall, D 2 Dr. Anne Besant Road, Worll, Bombay-18.

(Transferor)

(2) Shri Meghraj B. Kanal, 62, Jubilee Naugh Restaurant, Camp Road, Deolali.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chaper XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHFDULE

S. No. 440, Dzolali Contonment Area, Nasik. (Area: 4011 sq. ft.)

(Property as described in the sale deed registered in the office of the S.R., Bombay under document No. 37G/689/84-85 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Sakseria Bhavan,
106/107, Koregoan Park
Pune-411,001

Date: 22-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX. ACT, 1961 (43 OF 1961)

(Transferor)

(2) Park Land Co-operative Housing Society Ltd., Nilemore, Nalasopara, Vasai, Dist. Thana. (Transferee)

(1) Anant Narayan Kini & Others,

Vasai—Thane.

GOVERNMENT OF INDIA OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN, 106/107, KOREGOAN PARK PUNE-411 001 '

Pune-411 001, tht 22nd November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37E/704/84-85|1202.—Whereas, I, ANIL KUMAR,

as, I, ANIL KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000!- and bearing Ptot No. 20, Survey No. 92 (part), 93 (part) situated at village Nilemore, Nalla Sopara Tal. Vasai, Dist. Thana (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer S.R. Vasai on April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to

market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than aftern per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

Objectitons, if any, to thte acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of me liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer;
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

THE SCHEDULE

Plot No. 20 of Survey No. 92 (part) 93 (Part) in village Nilemore, Nalla Sopara, Tal. Vasai, Dist. Thana. (Area: 900 sq. mtrs.)

(Property as described in the sale deed registered in the office of the S. R. Vasai under document No. 37G/704/ 84-85 in the month of April, 1984).

> ANIL KUMAR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquirition Range, Sakseria Bhavan 106/107, Koregoan Park Pune-411 001

Date: 22-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN, 106/107, KOREGOAN PARK PUNE-411 001

Pune-411 001, the 23rd November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37G/718/84-85/1201.—Whereas, I. ANIL KUMAR,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|-and bearing No.

Land at Survey No. 22/27, Kolhapur-E-Ward situated at Kolhapur,

(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at at S. R. Kolhapur on April 84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by mort than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transferee; and or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferrer for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269°C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the sforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269°D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Sou. Mohammed A. Shaikh, At Dinanath Building, 94, Veer Savarkar Marg., Mahim, Bombay-16. (Transferor)
- (2) Shri Abdul Kadar N. Mogal, at 139, T. Juhu Tara Santacruz, Bombay-49. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this noticed in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at C.S. No. 22/27, Kolhapur-E-Ward, Kolhapur.
(Area 1102.20 sq. mts.)
(Property as described in the sale deed registered in the office of the Sub-Registrar, Kolhapur under document No. 1785 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Sakseria lihavan
106/107, Koregoan Park
Pune-411 001

Date: 23-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE. SAKSERIA BHAVAN, 106/107, KOREGOAN PARK PUNE-411 001

Pune-411 001, the 24th November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/727/37G/84-85/1200.—Whereas, I, ANIL KUMAR,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Property at Tungarli, survey Nos. 104 & 104A C.T.S. No. 24, 25 and 26 (S. No. 137 & C.T.S. No. 27) situated at Tal. Maval, Dist. Pune,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Bombay on April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforemid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice undtr subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

(1) Dr. Bhalchandra Nilkanth Purandare, Chaupati Hospital, Bombay-400 007.

(Transferor)

(2) M/s. Kohinoor Builders, Kohinoor Bhavan, Senapati Bapat Marg., Bombay-400 028.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning is given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property at survey Nos. 104 and 104A, and C.T.S. No. 24, 25 & 26 Tungarli, Tal. Maval, Dist. Pune. (Revision survey No. 137 and CTS No. 27 admeasuring about 202.34 sq. meters).

(Area—12136.64 sq. meters).

(Property as described in the sale deed registered in the office of the Sub-Registrar, Bombay under document No. 4103 in the month of April, 1984).

> ANIL KUMAR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax Acquisition Range, Sakseria Bhavan 106/107, Koregcon Park Pune-411 001

Date: 24-11-1984

 Shri Purushottam Kashinath Abhyankar,
 Smt. Ramabai Purushottam Abhyankar,
 D-10, 3rd floor, Indra Vadan Co-operative Housing Society Ltd.
 Padamabai Thakkar Rd., Mahim, Bombay-16.
 (Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) M/s. Shr. Venkatesh Builders,
 Deelip Kunj. Near Tilaknagar,
 Vidya Mandir, Dombivali (E), Dist. Thane.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOMETAX

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN, 106/107, KOREGOAN PARK PUNE-411 001

Pune-411 001, the 22nd November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37G/644/84-85|1199.—Whereas, I, ANIL KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-

and bearing S. No. 64, House No. 1, Patharli, Tal. Kalyan situated at Kalyan, Dist. Thane

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S. R. Kalyan in April, 1984

S. R. Kalyan in April, 1984
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
espaideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of '--

- (a) facilitating the reduction or evasion or the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 '11 of 1922' or the said Act, or the Wealth-tay Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaki property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned .--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this natios in the official Gazette on a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said unmovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: —The terms and expressions used barein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall lieve the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at S. No. 64—H. No. 1, G. B. Patharli, Tal. Kalyan and Building No. E-55 Ground floor, Dist. Thans. (Area—700 sq. yds.)

(Property as described in the sale deed registered in the office of the Sub-Registrar, Kalyan, under document No. 264/84 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissione of Income-tax
Acquisition Range,
Sakseria Bhavan
106/107, Koregoon Park
Pune-411 001

Date: 22-11-1984

Sent :

 Shri Shivaji Kondarao Patil & Others, Sharanpur Road, Nasik.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) The Chairman, Shiv Kamal Co-op. Housing Society, Shau Shipa V. Shoha, Nasik,

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN, 106/107, KOREGOAN PARK PUNE-411 001

Pune-411 001, the 22nd November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37G/852/84-85/1198.—Whereas, I, ANIL KUMAR,

as, 1, ANIL RUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Sharanpur Road, Nasik situated at Nasik

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred

has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

S. R. Nasik on April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer;
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wesith-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notict under sub-ection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

′5__426**G**I/84

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Sharanpur Road, Nasik. (Area: 635 sq. mtrs.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the S.R. Nasik male document No. 37G/852/84-85 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Sakseria Bhavan
106/107, Koregoan Park
Pune-411 001

Date: 22-11-1984

Soal :

(1) Smt. Pushpa Raghavanshi Purl, 2, Nehru Marg, Punc-1.

(2) M/s, Blies Farms Pvt. Ltd

(Transferor)

(Transferce)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT. 1961 (43 OF 1961)

Shahid Bhagat Singh Road, Bombay-400 005.

4.40 F.

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN, 106/107, KOREGOAN PARK PUNE-411 001

Pune-411 001, the 23rd November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37G/781/84-85/1197,-Whereas, I, ANIL KUMAR,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|and bearing No. Gat 989/2 (Part) Naigaon, Taluka Haveli, Pune situa-

ted at Pune.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred

has been 'ransferred under the Registration Act 1908 (16

of 1908) in the office of the Registering Officer at S. R. Haveli-I on July, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tex under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957):

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service ot notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immevable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Gat No. 989/2, (Part) Naigaon. Taluka-Haveli, Dist. Pune. (Area....)

(Property as described in the sale deed registered in the office of the Sub-Registrar, Haveli-I, Pune under nocument No. 1692 in the month of July, 1984).

> ANIL KUMAR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Sakseria Bhavan 106/107, Koregcan Park Pune-411 001

Date : 23-11-1984 Beal :

New, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby mitiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following merecine, remely :-

(1) Shri Motiram Laxman Patil & Others, At G. B. Patherli, Tal. Kalyan, Dist. Thane. (Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Vidya Co-op. Housing Society, Ltd. Opp. Model English School, G. B. Patherli, Tal, Kalyan, Dist. Thane.

GOVERNMENT OF INDIA

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN, 106/107, KOREGOAN PARK

PUNE-411 001 Pune-41 1001, the 22nd November 1984

Ref. No. 1AC ACQ/CA-5/37G/642/84-85/1196,-Whereas, I, ANIL KUMAR,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act.) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

Plot No. 8, S. No. 58, H. No. 1 (P), village G. B. Patherli Tal. Kalyan, Dist. Thane situated at Thane,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908, in he office of the Registering Officer at

S. R. Kalyan on April, 1984,

for an appar at consideration which is less than the fair Market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the timbility of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:---

THE SCHEDULE

Plot No. 8, S. No. 58, H. No. 1(P) at Village G. B. Patherli, Tal. Kalyan, District Thane.
(Area: 578.60 sq. ft.)

(Property as described in the sale deed registered in the office of the S. R. Kalyan under document No. 37G/642/84-85 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Ircome-tax Acquisition Range, Sakseria Bhavan 106/107, Koregoan Park Pune-411 001

Date: 22-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

UI-FICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

SAKERIA BHAWAN, 106/107, KOREGOAN PARK PUNE-411 001

Pune-411 001, the 24th November 1984

Ref. No. 1AC ACQ/CA-5/37G/757/84-85/1995.—Where-BS, I, ANIL KUMAR,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (herematier referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Property at C.T.S. No. 913-A, 9158, 916/1, 916/1 to 916/10 and 9188 citysted at Popula Diet. Beingd

Property at C.T.S. No. 913-A, 9158, 916/1, 916/1 to 916/10 and 9188 situated at Panvel, Dist. Raigad, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16

of 1908) in the office of the Registering Officer at S. R. Panvel on May, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer and for
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which quant to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by theh issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Mrs. Surekha Virendra Banthia, At & Post, Panvel, Taluka-Panvel, Dist. Raigad.
- (2) M/s. Rahul Hotels Pvt. Ltd., Managing Director Shri Vixendra Kumar R. Banthia, Panvel, Dist. Raigad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property at CTS No. 913-A, 915-B, 916, 916/1 to 916/10 (Area: 1819.8 sq. meters).

and 918B Renuel

(Property as described in the sale deed registered in the office of the Sub-Registrar, Panvel under document No. 187 in the month of May, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Sakseria Bhavan
106/107, Koregoan Park
Pune-411 001

Dato: 24-11-1984

(1) Dr. Urmila R. Yadav, 165/A Panjarpol Road, Kolhapur.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) M/s. Ameya Co-op. Housing Society, through Chief Promoter P. S. Kulkarni, 809/E, Shahupuri, Kolhapur.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN, 106/107, KOREGOAN PARK PUNE-411 001

Purity-411 001, the 22ftd November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37G/725/84-85]1194.--Whereas, I, ANIL KUMAR,

as, 1, ANLL KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

C. S. No. 1182/127, E-Ward, Kolhapur situated at Kolhapur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registration Officer at

of 1908) in the office of the Registering Officer at S. R. Karvir on April, 1984

S. R. Karvir on April, 1984
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more
than fifteen per cent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between
the parties has not been truly stated in the said instrument
of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the sald Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act. to the following persons, namely :--

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same menning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property situated at C. S. No. 1182/127-E-Ward, Kolhapur. (Area: 760.3 sq. meters)

(Property as described in the sale deed registered in the office of the Sub-Regsitrar Kunir in the month of April, 1984), under document No. 1851/1984.

> ANIL KUMAR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Sakseria Bhavan 106/107, Koregoan Park Pune-411 001

Date: 22-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-1AX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAYAN 106/107, KOREGOAN PARK PUNE-411 001

Pune-411 001, the 24th November 1984

Ref. No IAC ACQ/CA-5/37G/84-85.—Whereas, I, ANIL KUMAR.

being the Competent Authority under Section 269B of the Incorrectax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000]—and bearing No. CTS No. 609, Old House No. 19-A, New No. 28, Municipal No. 19-A,

CTS No. 609, Old House No. 19-A, New No. 28, Municipal Late No. 2, Area 183.9 sq. meters ground plus three floors, Ram Maruti Chowk, Kalyan situated at Kalyan, (and mo e fully described in the Scientific Anti-Action 1998).

has been 'tansferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) : the office of the Registering Officer at S. R. Kalyan on April, 1984

- for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforsaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not ben truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—
 - (a) tacilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
 - (b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 259°C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Abdul Latif Mohmad Khan, Ram Maruti Chowk, Kalyan 421 301.

(Transferor)

Smt. Khurshid Begum J. M. I. Sayed,
 Shri Rafiq Ahmad J.M.I. Sayed,
 Shri Noor Mohmad J.M.I. Sayed,
 Gawandi Mohalla, Machhi Bazar, Kalyaa.
 (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

CTS No. 669, Old House No. 19-A, New No. 28, Munisipal Lane No. 2, Area 183.9 sq. mtrs. ground plus three floors, Ram Maruti Chowk, Kalyan.

(Area:....)

(Property as described in the sale deed registered in the office of the Sub-Registrar, Kalyan, under document No. 330/84 in the mouth of April, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range,
Sakseria Bhavan
106/107, Kolegoan Park
Pune-411 001

Date: 24-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN 106/107, KOREGOAN PARK PUNE-411 001

Pune-411 001, the 22nd November 1984

Ref No. IAC ACQ/CA-5/37G/699/84-85 1192.—Whereas, I, ANIL KUMAR,

as, I, ANIL ROMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the kamovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land at survey No. 59 and 60 situated at Ahmedabad

Land at survey No. 59 and 60 situated at Ahmedabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S. R. Ahmednagar on April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following, persons, namely:—

 Shri Sayyad Akabar Sayyad Abbas and others, At Haji Ibrahim Building, Station Road, Ahmednagar.

(Transferor)

(2) Ahmednagar S.T. Staff Workers, Sahakari Griha Irman Sanstha, Chief promoter Shri Shaikh Nizam Mohd. Jahagirdar, Station Road, Ahmednagar.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the sa.; immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property at survey No. 59 & 60 at Ahmednagar, (Area--10 acres).

(Property as described in the sale deed registered in the office of the Sub-Registrar, Ahmednagar under document No. 1344 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Impecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Sakseria Bhavan
106/107, Koregean Park
Pune 411 001

Date : 22-11-1984

FORM ITNS----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

> ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN 106/107, KOREGOAN PARK PUNE-411 001

Pune-411 001, the 22nd November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/37G/706/84-85[1191.—Whereas, I, ANIL KUMAR,

being the Competent Authority under Section

269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Land bening S. No. 7, at Tadwagle situated at Tadwagle (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been tran ferred under the Reg stration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S. R. Alibag on April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, is respect of any income arising from the transfer: and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 2690 of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid projectly by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1) Shri Kamal Ramji Patil. At Tadwagle (Kathewadi), Taluka Alibag (Raigad).

(Transferor)

(2) Shri Sundardas Holaram Bajaj, At Ulhasnagar, Dist. Thane.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective rersons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing S. No. 7, At Tadwagle.

(Area:)
(Property as described in the sale deed registered in the office of the S.R. Alibag under document No. 37G/706/84-85 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Sakseria Bhavan 106/107, Koregoan Park Pune 411 001

Date: 22-11-1984

FORM I.T.N.S.---

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, SAKSERIA BHAVAN 106/107, KOREGUAN PARK PUNF-411/001

Punc-411 001, the 22nd November 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5 37G 703/84-85 1190.—Whereas, I. ANIL KUMAR,

being the Competent Authority under Section 269B of pf the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000- and bearing No. Plot No. 47, Navghar, Vasai situated at Vasai

(and more fully described in the schedule annexed hereto). has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Vasai on April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the Hability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been on which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—
76—426GI/84

(1) Mrs. Nirmal Amirchand Chandok, RB II, 85/2, Railway Quarters, Kurla (E), Bombay-400 024.

(Transferoi)

 M/s. Shiec Krishna Builders, Plot No. 52, Navghar, Krishna Kunj, Vasai.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property, may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publicution of this notice in the Official Gazette.

FXPLANATION:—The terms and expressions used herefx as are defined in Chapter XXA of the 23thd Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 47, Navghar, Vasai. (Area: 339 sq. mtrs.)

(Property as described in the sale deed registered in the office of the S.R., Vasai under document No. 376/703/84-85 in the month of April, 1984).

ANIL KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Sakseria Bhavan
106/107, Koregoan Paul
Punc-411/001

Date: 22-11-1984

FORM I.T.N.S.-

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE 3RD FLOOR, SARAF CHAMBERS SADAR, NAGPUR

Nagpur, the 26th November 1984

Ref. No. IAC/Acq/52/10/84-85.—Whereas, I, M. C. JOSHI,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 5 Acres of agricultural and in Kh. No. 111, 112/2 & 110.3 situated at Dabha Tah. & Dist. Nagpur,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Nagpur on 23-4-1984,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than afteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion or the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilizating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Tukaram Shroman Panchbhai S/o Moja Tah, & Dist, Nagpur,

(Transferor)

(2) Punjabrao Kushi Viddyapith Karmachari Sahkari Works, Nirmon Sanstha through its President Ami Dehtaj Balham Patil, Shankar Nagar, Nagpur. (Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of said property may be made in writing to the undersigned:

- (a) by any of the aforesaid person within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

5.00 Acres of agricultural land in kh. No. 110, 111, 112/2 & 110, 3 situated at Dabha land in kh. No. 110, 111, 112/2

M. C. JOSHI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Nagpur

Date: 26-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 14th November 1984

C.R. No. 62/43936/84-85/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,

Acquisition Range, Bangalore,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding sR. 25,000/- and bearing

No. 36 situated at Austin Tower, Bangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bangalore under Document No. 263/84-85 on 5-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:---

(1) V.L. Bastian r/o 36 A, B Block, Austin Tower, Bangalore.

(Transferor)

(2) Mr. M. C. Ross, Sean Gladwynne, Wayne Leslie George Clarence and Cabriel Sinclair No. 49, Church Street, Bangalore-1,

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned ;-

- '(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 263/84-85 dated 5-4-84)

Portion of premises No. 36 A&B Block, Austin Tower, Bangalore-47.

> R. BHARDWAJ Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Bangalore

Date: 14-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE BANGALORE 560 001

Bingilore-560 001, the 14th November 1984

(R No 62 43 62 /84-85 / ACQ / B — Wheicas, I, R, BH \RDWAJ,

Inspecting Assistant Commissioner of Income tax

maid instrument of transfer with the object of '-

Acquiration Range Bangalore being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (herematter referred o as the said Act), have reason to believe that the immov-

o as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding No. 437. 2nd Cress situated at 9th Main HAL II Stage Indianagai. Divided 1, Bangalore (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act. 1908 (16 cf. 1908). In the Office of the Registering Officer at Bangalore under Document No. 193/84-85 on. 23.4. 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fit can per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agree (to bet cen the parties has not been truly stated in the igies I to bet cen the parties has not been truly stated in the

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer.
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 1 or 1923 the purposes of the Indian Income tax Act, 1923 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I dereby intuite proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, of the followme persons namely

(1) Mi L L Nagaraj No 437 2nd Cross, 9th Main II Stage HAL Indiranagar Bangalore-38

(Transferor)

(2) Mi B R Ramichandia Rao and Mrs & Amiutha No 150 II flooi 4th Cross Somwatapuram Ulsoor, Bangalore 8

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chipter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

(Registered Document No 193/84-85 dated 23 4-84)

Piemises No 437 II Cross 9th Main HAL II Stage, Indianagai, Division 51, Bangalore

> R BHARDWAJ Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Bangalore

Date 14-11 1984 Seal ·

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 14th November 1984

C.R. No. 62/43169/84-85/ACQ/B.-Whereas, I, R. BHARDWAJ,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore, being the Competent Authority under Section 269-B of the

Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000[and bearing

No. 457, situated at Binnamangala Layout, Bangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bangalore under Document No. 130/84-85 on 16-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the aforesaid property as aforesaid. believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore is pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

(1) Lt. Col. S. S. Udupa, 481 III Cross 9th Main HAL II Stage Indiranagar, Bangalore.

(Transferor)

(2) Comdr. M. R. A. Rao (Retd.) Mis. Indu A. Rao 410 Shashi Kiran Apartments 9, 18th Cross, Mallesuwaram, Bangalore.

(Transferce)

Objection if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANÁTION: - The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Ac. shall have the same meaning as given in the Chapter:

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 130/84-85 dated 16-4-1984)

Pi. No. 257 situated at Binnamangala Layout (Army) Phase II Maysore Sub-Area Officers Housing Colony Bangalore (Defence Colony) in HAL II Stage, Indiranagar, Bangalore.

> R. BHARDWAJ Competent Authority
> Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Bangalore

Date: 14-11-1984

MOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 14th November 1984

C.R. No. 62/43107/84-85/ACQ/B.--Whereas, I, R, BHARDWAJ,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Pangalore.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 1331 situated at Binnamangala II Stage Extension (Indiranagar) Bangalore-560038

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bangalore under Document No. 34/84-85 on 6-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which sught to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Mr. C. B. Shankaranaryana, S/o Late C. M. Balakrishna Mudaliar New No. 6 (Old No. 455) Shiadananda Bhavan Cross Road, Viswaswarapuram. Bangalore-560004,

(Transferor)

(2) Mt. Albert D'Souza S/o Mr. Rozano D'Souza Mrs. Adeen M. R. D'Souza W/o Albert D'Souza "Radhika" 3/8 Artillery Road, Ulsoor, Bangalore-560038.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gozette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No 34/84-85, dated 6-4-1984)
Portion of vacant building site bearing No. 1331. Binnamangala II stage Extension (Indiranagar) Bangalore-560038.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bangalore

1. 14111.1

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 14th November 1984

C.R. No. 62/43161/84-85/ACQ, B.—Whehreas, I, R, BHARDWAJ.

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No. 21 Old No. 1-A 'L' No situated at 6th Street,

J.N. Road, Cross (OPH Road), Bangalore

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bangalore under Document No. 210/84-85 on 21-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than difteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: sad/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, userefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

(1) Mr. G. N. Zameer Ahmed and Mis. Heera Begum No. 36, Millers Road, Bangalore-560046.

(Transferor)

(2) Bangalore Cantonment Masjit-ul-Noor Janab P. II. Mohammed and 10 others Committee, No. 21, 'L' No. 4th Street lumma Masjid Road Cross, (formerly OPH Road) Division 54, Bangalore-51,

· (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the sald property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesald persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered No. 210/84-85, dated 21-4-1984)

Premises bearing present Corporation No. 21 Old No. 1-A (a) 'I' No. 6 Street Dharmaraja Nou St Cross (formerly OPH.
'L' No. 4th Street, Jumma Masjid Road Cross (formerly OPH. '1' No. 6 Street Dharmaraja Koil St Cross as well as in Road) Division No. 54, Bangalore.

> R. BHARDWAJ Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Bangalore

Date: 14-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 14th November 1984

C.R. No. 62/43174/84-85/ACQ/B.-Whereas, I, R, BHARDWAJ

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.
Site No. 197 situated at I Block-III Main Road,

transfer with the object of:-

Jayanagar, Bangalore (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bangalore under Document No. 3142/84-85 on 26-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer. and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

(1) Mr. G. R. Srinivasa Rao and brothers S/o Late G. Rama Rao Dalasonur Village Srinivaspur Taluk, Kolai Dist.

(Transferor)

(2) Mrs. C. Shantha Kumar W/o Sti S. Chinnaswamy No. 27 H Main Road, Sudhamanagar, Bangalore-27.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice, on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 3142/84-85, dated 26-4-1984)

Vacant Site No. 197 situated at I Blook, III Main Raod, Javanagar, Bangalore.

> R. BHARDWAJ Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
> Acquisition Range Bangalore

Date: 14-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore, the 14th November 1984

C.R. No. 62/43210[84-85]ACQ[B.-Whereas, I, R. BHARDWAJ,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bangalore

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reasn to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing Site No. 96 situated at

Industrial Suburb II Stage, Tumkur Road, Bangalore

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bangalore under Document No. 302|84-85 on 23-4-1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the hability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following nersons, numely :--

77-426GI/84

(1) M/s. Shree Udyog, No. 12 Palace Road, Bangalore.

(Transferor)

(2) Mr. C. Sundaram and others, No. 929 Poonamalai High Road, Madras-600084.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period empires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 302/84-85 dated 23-4-84), Factory Land Site No. 96. Industrial Suburb II Stage, Tumkur Road, Bangalore.

> R. BHARDWAI Competent Authority
> Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bangalore.

Date: 14-11-1984.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore, the 14th November 1984

C.R. No. 62/43935|84-85|ACQ|B.—Whereas, I. R. BHARDWAJ,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bangalore

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No. Site No. 1666, situated at Banashankari I Stage II Block, Bangalore,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bangalore under Document No. 119/84-85 on 114--1984,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely .-

(1) Mr. M. R. Doreswamy Naidu, No. 674 5th Cross II Block Banashankari I Stage, Bangalore-560050.

(Transferor)

(2) Mrs, R. Hemalatha, No. 51/52 12th 'A' Main Road, Hanomanthanagar, Bangalore-560050.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gaeztte.

EXPLANATION: - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same measuring as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 119/84-85 dated 11-4-84).

Site No. 1666 Banashankari I Stage II Block, Bangalore, (measuring about 40' x 61').

> R. BHARDWAJ Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bangalore.

Date: 14-11-1984.

FORM I.T.N.S.-

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore, the 12th November 1984

C.R. No. 62/43100/84-85/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bangalore

being the Competent Authority under Section 269B of the

Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)

(hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having

a fair market value exceeding

Rs. 25,000]- and bearing 3, situated at Buraji Layout Corporation Division 49, Ban-

galore, (and more fully described in the Schedule annexed here'o), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bangalore under Decument No. 264/84-85 on 4|4|84,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(2) Mr. Z. F. Bamji and Mşr. S. Z. Bamji By. P.A. Holder Mr. F. S. Bamji 43. Mitter Road, Bangalore.

(Transferor)

(2) Mr. M. A. Valentine and Mrs. P. R. Valentine 6th Cross Robertsoppet, Kolar Gold Fields.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 264/84-85 dated 4-4-84). Property No. 3. Balaji Layout, Corporation Division No. 49 admeasuring size area 156.41 sq. mts. Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore.

Date: 12-11-1984.

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore, the 12th November 1984

C.R. No. 62/43153|84-85|ACQ|B.—Wheress, I, R. BHARDWAJ,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bangalore

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Rs. 25,000/- and bearing 66/2, situated at Infantry Road, Bangalore, (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been 'ransferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bangalore under Document No. 495/84-85 on 28.4.1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration of such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the consealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therfore, in pursuance of Section 269°C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Mrs. Shakuntala Naterajan W/o Late S. Natarajan, No. 66/2, Infantry Road, Bangalore.

(Transferor)

(2) Mr. Dawood Mohammed, S/o Mohammed Dawood, No. 39 Christian Street, Erode, Tamil Nadu Camp, Bangalore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter...

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 495/84-85 dated 28-4-84). Property No. 66/2. Infantry Road, Civil Statino. Bangalore

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore.

Date: 12-11-1984.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

 Mr. T. V. Ramachandra Mohan, Pr. M/s. Jaihinnd Painting and Building Works, Mamulpet, Bangalore-2.

(Transferor)

(2) Mrs. Shanta V. Shetty, W/o. B. Viswanatha Shetty, No. 239/10, Mahadeswar Prasanna, III floor Chamarajpet, Bangalore.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-

SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore, the 12th November 1984

C.R. No. 62/43598/84-85|ACQ|B.—Whereas, J, R. BHARDWAJ,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition

Range, Bangalore

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,900/-and bearing No.

21/68, situated at Govindappa Road, Basavonagudi, Bangalore-4.

(and more fully described in the schedule annexed here; o). has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bangalore under Document No 171/84-85 on 18-4-1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the tonsideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957); Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the underslaned :-

- (a) by any of the aforeuald persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazatte or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 171/84-85 dated 18-4-84). Site bearing No. 21/6B, Govindappa Road, (admeasuring 342 Sq. yards) Basavangudi, Bangalore.

R. BHARDWA¹
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following

persons, namely :-

Date: 12-11-1984,

 Mrs. Shakuntala Natarajan, W/o (Late) S. Natarajan, No. 66/1, Ground .oor, Infantiy oad, Civil Station, Bangalore-1.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Mis Mariam Dawood, W/o Dawood Mohammed, No. 39 Christian Street, Erode, Tamil Nadu Camp, Bangalore.

(Transferce)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore, the 12th November 1984

C.R. No. 62/43154|84-85|ACQ|B.--Whereas, I. R. BHARDWAJ,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bangalore

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

66/1, situated at Infantry Road, Bangalore, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bangalore under Document No. 496/84-85 on 28.4.1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957); Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 496/84-85 dsted 28.4.84). Property bearing No. 66/1 Infantry Road, Civil Station, Bangalore.

R. BHARDWAJ Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bangalore

New therafore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 12-11-1984,

(1) (1) Smt. M. R. Sharada, (2) M. R. Vijayakumar, (3) M. R. Prkash, No. 496/71, Middle School Road, V. V. Puram, Bangalore-4.

(Transferos)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore, the 19th November 1984

C.R. No. 62/44010|84-85|ACQ|B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25.000|and bearing No.

29, situated at J. C. Road J (A) Cross, Bangalore City, (and more fully described in the Schedule annexed hereto),

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bangalore on 19.4.1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer:

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferse for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act. or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957); (2) G. C. Rajashekar, @G. R. Chengularaya Naidu, 16, Puttauna Road, Basavanagadi,

Bangalore-4.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Doument No. 196/84-85 dated 19-4-84). Property bearing No. 29, situated at J.C. road I 'A' Cross, Bangalore City,

> R. BHARDWAJ Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bangalore.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

Date: 19-11-84.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore, the 19th November 1984

C.R. No. 62/4408|804-85|ACQ|B.-Whereas, I. R. BHARDWAJ,

Inspecting Assistant Commission of Income-tax, Acquisition

Range, Bangalore

Range, Bangalore being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 312 situated at Koramangala I Stage, Bangalore-34, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bangslore South Tq. on 27-4-1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more

said exceeds the apparent consideration therefor by more than lifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the mid Act, in respect of any income arising from the transfer; andlor

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1) Smt. P. Lakshmiamma, No. 122, Mackan Road, Civil Station. Bangalore.

(Transferor)

(2) (1) Shri Ashok Kumar Sharma, (2) Smt. Vijayalakshmi Sharma, by P.A. Dr. C. Vidyasagsr, St. John Medical College Hospital, Bangalore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette,

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 534/84-85 date d27-4-84). Property bearing No. 312, situated at Koramangala I Stage, Bangalore-34.

> R. BHARDWAT Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
> Acquisition Range, Bangalore.

Date: 19-11-84.

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore, the 19th November 1984

C.R. No. 62/44016/84-85/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

1083, situated at Railway Line, Pipe Line Chord Road, Extn.

Layout Vijayanagar, Mangalore-40,

(and more fully described in the schedule annexed hereto), 1908) in the Office of the Registering Office at has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Office at

Srirampuram on 19-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesald property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of may income arising from the transfer; ind/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—78—426GI/84

(1) Shrl R. Dharma Seva, No. 881, West of Chord Road, II Stage, Rajajinagar, Bangalore-10.

(Transferor)

 Shri T. Ramachandra,
 No. 3, II Cross, Vijayanagar, Bangalore-40.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the andersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined Chapter XXV of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Docment No. 215/84-85 dated 19-4-84). Property bearing No. 1033, situated at Railway Line, pipe Line Chord Road, Extn., Layout, Vijayanagar, Bangalore-40.

> R. BHARDWAJ Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bangalore.

Date: 19-11-84.

FORM I.T.N.S.---

 Dr. Thotappa, Head of Deptt., of Political Sciences. Mysore.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri K. T. Sujatha, P.B. No. 322, Tobruk, Libya.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560 001

Bangalore, the 19th November 1984

C.R. No. 62/43166|84-85|ACQ|B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ,

R. BHARDWAJ, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 1317, situated at Binnamangala II Stage Bangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Office at Shivajinagar on 17-4-1984

Shivajinagar on 17-4-1984. for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957); Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:--

- (a) by any of the aforesald persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the sald immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 145/84-85 dated 17-4-84).
Property bearing No. 1317, situated at Binnamangala II Stage, Bangalore (80' x 50').

R. BHARDWAJ Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bangalore.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 19-11-84.

FORM I.T.N.S .-

(2) Smt. R. Chandraleka, No. 1256, Kurubarpet, Kolar.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Shri Charles Luke Chelliah Devadasan, 32, Kudremukh Colony, Koramangala, Bangalore-34.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore, the 19th November 1984

C.R. No. 62/44009|84-85|ACQ|B.—Whereas, I, R. BHARDWAI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 259, situated at Koramangala I Block, Bangalore, (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Office at Bangalore South Tq. on 18-4-1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said act, in
respect of any income arising from the transfer;

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957); (Registered Document No. 407/84-85 dated 18-4-84). Property bearing No. 259, situated at Koramangala Block, Bangalore-34.

R. BHARDWAY
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 19-11-84.

FORM I.T.N.S.-

 Shri S. Venugopal, No. 9/2, Basavanagudi, Bangalore-4.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Shri Y. N. Madhava Raju, 446-6 Cross, II Stage, Rajajinagar, Malleswaram West, Bangalore.

(Transferce)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-NONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore, the 19th November 1984

C.R. No. 62/44013[84-85]ACQ[B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and

bearing No.

9, situated at II Stage, VI Cross, Rajajinagar, Bangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering fficer at Rajajinagar on 18-4-1984,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—
 - (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
 - (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957); (Rogistered Document No. 229/84-85 dated 18-4-84). Property bearing No. 9, situated at II Stage, VI Cross, Rajajinagar, Bangalore-10.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

Date: 19-11-84. Seal.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore, the 21st November 1984

C.R. No. 62/43197/84-85/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Rs. 25,000/- and bearing

Rs. 25,000/- and bearing
Rs. No. 877/B, situated at Attavar Villagt, Mangalore,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of
1908) in the Office of the Registering Office at
Mangalore under Document No. 104/84-85 on 19-4-1984,
for an apparent consideration which is less than the fair

market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the limbility of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

(1) Shri Patrick Medina by Power of Attorney, Mrs. Meval Madina, Valencia, Mangalore.

(Transferor)

(2) Shri Antony A. Lobo by Power of Attorney, Helen P. Lobo Near Jeppu Workshop, Mangalore-2.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovible property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 104/84-85 dated 19-4-84). Property bearing R.S. No. 877/B, T.S. No. 611/B situated in Attavai Village, Mangalore.

> R. BHARDWAJ Competent_Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bangalore.

Date: 21-11-84.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore, the 23rd November 1984

C.R. No. 62/43157/84-85/ACQ/B.—Whereas, I,

R. BHARDWAJ.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000-and bearing No. 6, renumbers as 61,

situated at Ramakrishnappa Road Charter Champbell Road

Extn. Bengalore.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Shivajinagar under Document No. 257/84-85 on 26-4-1984, for an apparent considering which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have recoon to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the atoresaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following perssons namely :-

(1) The Bangalore Sindhi Merchants Association, Sindhi Social Hall, Cox-Town, Bangalore.

(Transferor)

(2) Mr. Prabhu D. Chandnani, Mrs. Geeta P. Chandanani, Nirmmal N. Nandwani and Mrs. Bindu N. Nandwani No. 53 Wheeler Road, II Cross, Fraser Town, Bangalore-5.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 257/84-85 dated 26-4-84). Premises No. 6, renumbered as 61, Ramakrishnappa Road, Charles Campbell Road Extn. Bangalore.

> R. BHARDWAJ Competent Authority
> Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bangalore.

Date: 23-11-84.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(1) Mr. B. S. Krishnaiah Shetty, 2757, 9thA Main Road, II Block, Jayanagar, Bangalore-11.

(Transferor)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Mr. L. Manju, 2757, 9thA Main Road, II Block, Jayanagar, Bangalore-11.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

Bangalore, the 23rd November 1984

C.R. No. 62/43739|84-85|ACQ|B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (bereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 24 & 24A, situated at IV Main Road, Chamarajpet, Bangalore

(and more fully-described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Basavangudi, under Document No. 322 84-85 on 30-4-1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said insrument of transfer with the object of:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

[Registered Document No. 322/84-85 dated 30-4-84]. Premises No. 24 & 24A Vinayaka Extension II Cross, Appurao Road, V Main Road, Chamrajpet, Bangalore.

> R. BHARDWAI Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:---

Date: 23-11-84.

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore, the 19th November 1984

C.R. No. 62/44015|84-85|ACQ|B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

and bearing No. 675/24 (675), situated at 15th main road, IV 'T' Block, Jayanagar, Bangalore,

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at

1908) in the Office of the Registering Officer at Bangalore under Document No. 110/84-85 on 12-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesald property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesald exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely;—

 M/s. Bangalore Consultants, No. 300/C, 36th Cross V Block, Jayanagar, Bangalore-11, represented by Mrs. S. Usha Devi. (Transferor)

 Mr. B. V. Guraprasad, S/o B. Vecrabhadrappa, No. 35, 12th Main, 4th Block East, Jayanagar, Bangalore-11.

(Transferee)

Objections; if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein us are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 116/804-85 dated 12-4-84).

All that residential site with foundation for Compound and superstructure up to 3 ft for Garage bearing CITB No. 675, Municipal Corporation No. 675//24, 15th Main Road, 4th 'T' Block Division No. 35(a), Jayanagar, Bangalore-11.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore.

Date: 19-11-84.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TA ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER
OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560 001

Bangalore, the 19th November 1984

C.R. No. 62/44014|84-85|ACQ|B.—Whereas, 1. R. BHARDWAJ,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing

1389, situated at Banashankari II Stage, Bangalore, (and more fully described in the Schedule annexed

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jayanagar on 16-4-1984.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than affect per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferes for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—79—426GI/84

(1) Shri B P Robustomanyan, No. 1400, 23rd Main, B 22 11 11 Stage, Bangalaore.

(Transferor)

(2) Smt. M. C. Rukmini, 99/4, Bull Temple Road, Bangalore-19.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 166/84-85 dated 16-4-1984).

Property bearing No 1389, situated at Banashankari II Stage, Bangayore.

R. BHARDWAJ Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bangalore

Date: 19-11-84.

Soul:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-'IAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT CUMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQ JISITION RANGE. BANGALORE-560 001

Bangalore, the 19th November 1984

C.R. No. 62/44012|84-85|ACQ|B.—Whereas, I. P. BHARDWAJ,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition

Range, Bangalore, being the Competent Authority under sec. 269B of the In-come-tax Act, 1961 (43 of 1961) (her inafter referred to as the said Act'), have reason to believe that the

the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a tail market value exceeding Rs. 25,000/ and 0/5 situated at Abiul Hafiz Road, Cox Town, Bangalore-5, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Shivajinagar on 11-4-1984.

an apparent consideration which is less than the market value of the aforesaid property and I have reason to belteve that the tair market value of the property as it re-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer:

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1922 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

(1) (1) Major DTA Sunder Raj, (2) Mrs. Rani Bai, No 14. Other a colony. Banaswadi Road, Bangalore-33.

(Transferor)

(2) Erol William Fernandez, No dar Murthy, Road, Cox Town, Bangaroro-5.

(Transferee)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 332/84-85 dated 11-4-804)
Property bearing No 9 5 situated at Abdul Hafing Road,
Cox Town, Bangalore-5, (199 84 Sq. mts).

R. BHARDWAL Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore.

Date: 19-11-84.

seai ;

(1) Mr. M. R. Nanjrenda Swamy Station Enginetr All India Radio, Bhadravathy.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX AC1, 1961 (45 OF 1961) (2) Mr. K. Janakiraman B-35, Kudremukh Colony II Block Koramangala, Bangalore. (Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-LAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560 001, the 20th November 1984

Ref. No. C.R. No. 62/44112/84-85/ACQ/B.—Whereas, I

R. BHARDWAI

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 20,000 and bearing

No. 79 situated at V Block Koramangala, Bangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bangalore on 14-5 1984 under Document No. 93,84-85 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the atoresaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property. In ore than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed 0 between the parties has not been truly stated in the sated instrument of transfer with the object of:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any mecome arming from the transfert and/or

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment or any income or any moneys or other assets which have not been of which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1937 (27 of 1937);

(Registered Document No. 93/84-85 dated 14-5-84) Site No. 79 V Block Koramangala, Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Now, therefore, in pursuance of Section 269°C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 20-11-1984

Seel:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE NCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560 001, the 19th November 1984

Ref. No. C.R. No. $62/44011/84-85/\text{_ACQ/B}$.—Whereas, I, R. BHARDWAJ

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (4° or 1961) (hereinate) reterred to as the 'said Act)', have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 30, situated at J. C. Road I 'A' Cross, B'lore city

No. 30, situated at J. C. Road I 'A' Cross, B'lore city (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registration Office at Bangalore on 19-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Au., in respect of any income arising from the transfer; and for
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or others assets which have not been or which out to be disclosed by the mansferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the aid Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269°C of the said Act thereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Shri M. K. Lakshminarayana Shetty, 567, Sajjan Rao Road, V. V. Puram, B'lore-4.

(Transferor)

(2) Shri G. C. Chandrasekar (minor) by mother Smi. M. Shakutinanana, No. 16, Futanna Koad, Basayanagudi. B lore-4

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period exputes later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Cazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall he the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 195/84-85 dated 19-4-84)
Property bearing No. 30, situated at J. C. Road I 'A' Cross,
B'lore city.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Incompetax
Acquisition Range, Bangalore

Date: 19-11-84

Seal

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT CUMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560 001, the 21st November 1984

Ref. No. C.R. No. 62/44166/84-85/ACQ/B.-Whereas, I R. BHARDWAJ

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe

that the ammovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing

No. 50, situated at I Main Gangenahally, Bangalore

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Gandhonagan

under Document No. 367/84-85 on 5-5-1984

for an aparent considers ion which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aloresaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said inatgument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arming from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the storesast property by the mane of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Mr. Thomas Kutty 50. I Main Gangenabally Bangalore.

(Transferor)

(2) Mrs. Asghari Begum w/o Jaffar Mohinuddin50, I Main Gangenanally Bangalore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
 - (b) by any other persons interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 367/84-85 dated 5-5-84)
House Corporation No. 50 I Main 7th Cross Gangenshally
Division 46, Bangalor

R. BHARDWAJ
Competent Au hority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date: 21-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangaiore-560 001, the 20th November 1984

Ref. No. CR. No. 62/44110/84-85/ACQ/B.—Whereas, I R. BHARDWAJ

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25.000 and bearing No. 69/2

situated at K. R Puram Hob'i Bangulore South Taluk (and more fully described in the Schedule annexed hereto),

has been transferred and the Recent of Act, 1908 (16 of 1908) in the Office under the Receipt on Act, of the Registering Office at

(Bangalore under Locument No 798/84 85 on May 1984 for an apparent consideration which is less than the fair marker value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of : -

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said. Act in respect of any income arising from the transfer; andlor
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the fransferee for the purposes of the indian income tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I nereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons. mamely:-

- (1) Mr B tayatam rat ndur Agrahara, K. R. Puram, Hobit Langaiore South Taluk. (Transferor)
- (2) Mr. M. L. Ranjit Mes Juman Kanjit No. 160, Boreweil Road, Whitefield, Bangalore. (Iransteree)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned .-

- (a) by any of the aforesail persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immerable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 798/84-85 dated May, 1984) 2 acres and 30 Cuntas of ag icu ture land in survey No. 69/2 Agrahara, K. R. Puram Hobli, Bangaiore. South Taluk.

R. BHARDWAJ Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bangalore

Date 20-11 1984 Seal:

FURM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

Mr. K. Venkatalamana Bhat 40, Govindaraj Nagar, Magadi Road, Bangatore.

(Transferor)

(2) Dr. Sche tian Thomas Nodackel, C/o. 21/12 M. G. Road, Bangalore.

(Transferee)

COVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIGNER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560 001, the 20th November 1984

Ref. No. C.R. No. 62/44111/84-85/ACQ/B.....Whereas, I R. BHARDWAJ

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to us the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

No. 239, situated at I Block, Koramangala, Bangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto),

has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office

of the Registering Office a'

Bangalore under Document No. 1465/84-85 on 31-5-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as atoresaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said matrument of transfer with the object of :--

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferoe for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Weslth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

New, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby init ate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned....

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this nation in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immerable property, within 45 days from the date of the publication of this notice is the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 1465/84-85 dated 31-5-84) Variant Site No. 239, I Block Kolamangata Extension. Bangalore

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date: 20-11-1984

Scal;

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (4) OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560 001, the 21st November 1984

Ref. No. C.R. No. 62/43132/84-85/ACQ/B.—Whereas, I R. BHARDWAJ

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market evalue exceeding Rs. 25,000 and bearing

No. 128, situated at II Cross Mandi Mohalla, Mysore

No. 128, situated at II Cross Mandi Mohalla, Mysore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Office at

Mysore on 9-4-1984

under Document No. 138/84-85

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than affect per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :----

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Mr. N. Ravindranath S/o Late Mr. T. Narayanaawamy No. 1484, Sayyaji Rao Road, Mysore.
- (2) Mr. Basheer Ahmed S/o Mr. Abdul Rehman P.A.H. of Mr M. A. Samad S/o Mr. Abdul Rehman Mrs. Tahira Sainad, 2975 Sajiad St. Mandi Mohalla Mysore.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immevable property, within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 138/84-85 dated 9-4-84) S'te No. 128/1, New No. M./A. situated at Second Cross. Bannimantap Extension, Mandi Mohalla, Mysore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Incomnetax,
Acquisition Range, Bangalore

Datc: 21-11-84

Scal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560 001, the 16th November 1984

Ref. No. C.R. No. 62/43075/84-85/ACQ/B.-Whereas, I R. BHARDWAJ

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. 19, situated at Brunton Road, Bangalore

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Office at

Shivajinagar on 8-6-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than Afteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transfere for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) 1. Shri V. R. Rathnam 2. Mrs. Prema Rathnam 3. Sri R. Vidya Sagar—Residing at No| 24, Annaswamy Mudaliar Roud, B'lote. 4. Mrs. Radhabai Ramalingam, No. 2, Gangadhar Chetty road, B'lore, & 5. Mrs. Rameshwari, Brindavan, Ali Askar Road, B'lore.

(Transferor)

(2) Shri Birendra Singh No. 5, Kilari Road, B'lore. (Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publiction of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons; whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette,

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter,

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 746/84-85 dated 8-6-84)
Residential premises o. 19, situated at Brunton Road, B'lore.

> R. BHARDWAJ Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bangalore

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:— 80-426GI/84

Date: 16-11-84

FORM STNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560 001, the 16th November 1984

Ref. No. C.R. No. 62/43073/84-85/ACQ/B.--Whereas, I R. BHARDWAJ

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing
No. 19, situated at Brunton Road, Bangalore.

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Office at

at Shivajinagar Bangalore under Document o. 744/84-85 in

June 1984

for an apparent consideration and which is less than the fair marker value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair marker value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- .b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the followtag persons, namely -

- (1) 1. Mr. V. R. Rathnam 2. Mrs. Prema Rathnam 3. Mr. R. Vidya Sagar all the three are resident of No. 24 Annaswamy-Mudahar Road, Bangalore. 4. Mrs. Radnabai Ranalingum No. 2 Gangadhari Chety Road, Bangalore and 5. Mrs. Rameshwari Rameshwari Brindavan Ali Askar Road, Bangalore. (Transferor)
- (2) M/s. Aqua Borewell, Pvt. Ltd. K. G. Road, Bungalore-9.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested n the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used hereis as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 744/84-85 dated June 1984] Residential premises No. 19 Brunton Road, Bangalore.

> R. BHARDWAJ Competent Authority
> Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bangalore

Date: 16-11-84

NOTICE UNDIR SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 15th November 1984

Ref. No. C.R. No. 62/43091/84-85/ACQ/B.--Whereas, 1, R. BHARDWAJ,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

able property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. 36 (old No. 38) situated at Shankarapuram, Bangalor-4 (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bangalore under Document No. 50/84-85 on 6-4-1984

at Bangalore under Document No. 50/84-85 on 6-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and february task that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other asses which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Mr. Sringeri Shankara Mutt Sringeri Shankarapuram Bangalore-4

(Fransferor)

(2) Mr. H. Subramhanya Jois Advocate No. 150/36, N.H.S. Road, V. V. Puram Bangalore-4

(Transferce)

(Person whom the undersigned knows to be in erested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazet'e.

Explanation.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 50/84-85 Dated 6-4-84) Proper'y bearing No. 36 (Cld No. 38) Shankara Mutt Parallu Road. Shankarapuram. Bangalore-4.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bangalore

Date: 15-11-1984

Scal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 15th November 1984

Ref. No. C.R.No. 62/43128/84-85/ACQ/B.---Whereas, I, R. BHARDWAJ,

being the competent authority under Section 269B of the Income-tix A.I. 176. (43 of 1761) the remafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 27 and 28 situated at Subbaiah Lay out, K. P. West Extn. Bangalore-20

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been tarnsferred under the Registration Act. 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Bangalore under Document No. 16/84-85 on 5-4-1984

Bangatore under Document No. 16/84-83 on 5-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Mr. H. K. Venkateshan
 Shopping Street
 Subbaiah Lay out K. P. West Extn. Bangalore-20

(Transferor)

(2) Mr. Srichand Vishandas Mrs. D. S. Talreja 64/1 1 5th Main Road, Gandhinagar, Bangalore-9

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—'The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 16/84-85 Dated 5-4-84.)
Premises Nos. 27 and 28 situated at Shopping Street,
Subbaiah Lay out, K.P. West Satn. Bangalore 20.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bangalore

Date: 15-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 15th November 1984

C.R. No. 62/43150/84-85/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ,

being he Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25.000/- and bearing

No. 350 situated at Sarakki, Bangalore

(and more to ly described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office

of the Registering Officer at Bangalore under Domcuent No. 294/84-85 on 18-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; mad/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:— (1) Mr. R. M. Patel S/o Shri M. H. Patel No. 164/7 South Cross Road MNK Park Basavanagudi, Bangalore-4.

(Transferor)

(2) Mrs. Appi Bai W/o Mr. K. Natayana Rao No. 3/1 Patalamma Street Bangalore-4.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned ...

- by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the res-(a) by any of the aforesaid persons within a pective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within ,45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used htrein as defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 294/84-85 Dated 18-4-1984)

Ground floor of Property in site No. 359 of Sarakki. Bangalore South Taluk, measuring about 15.40 × 23.40 metres.

> R. BHARDWAJ Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Eangalore

Date: 15-11-1984

Scal:

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONLR OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE BANGALORE-J60 001

Bangalore-560 001, the 15th November 1984

Ref. C.R. No. 62/43148/84-85/ACQ/B.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable proposity between a fair reason to believe that the immovable proposity between a fair reason to believe that the immovable proposity between a fair reasket value as fair reasket. property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. 154 situa ed at Koramangala-I Stage, Bangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Bangalore under Document No. 443/84-85 on 24-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the hability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys, or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act 1957 (27 of 1957);

(1) Col S. N. Ginwala VSM Mrs. Perviz Sam Ginwala NCC Group Head Qrs. Residency Club., Radio Colony Indore.

(Transferor)

(2) Mr. John Katha Likattu malil Chandy Mrs. C. Chandy also known as Chellamma Chandy Mr. John Chandy and Mr. Jocab Chandy No. 9. Leonard Road, Richmond Town, Bangalore-560025.

(Transftree)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 443/84-85 Dated 24-4-84) Site No. 154, Koramangala I Stage (admeasuring about 3,900 Sq ft. or 362.3228 Sq. ms) Bangalore.

> R. BHARDWAJ Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Bangalore

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the application of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, vamely :--

Date : 13-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE BANGALORE-360 001

Bangalore-560 001, the 16th November 1984

Ref. C. R. No. 62/43999/84-85/ACQ/B.-Whereas, I, R. BHARDWAJ

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (herinafter referred to as the 'sald Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000and bearing

situated at B.S.A. Road, Bangalore (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Bangalore under Document No. 82/84-85 on 15-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer;
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now; therefore; in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the sait Act, to the following persons namely:-

(1) Mr. Nasrullah Shariff No. 8. Periyarnagar, Tannery Road Cross, Bangalore.

(2) Mr. J. Zafrullah Shariff Mr. J. Ahmedullah Shariff No. 25 II Cross, Pillanna Garden, Bangalore.

(Transferee)

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this potice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which ever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gezette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Régistered Document No. 82/84-85 Dated 15-4-84) Building site bearing Corporation No. 3/17 B.S.A. Road. Municipal Division No. 48 Bangalore.

> R. BHARDWAI Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax Acquisition Range Bangalore

Date: 16-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE BANGALORE-550 001

Bangalore-560 001, the 16th November 1984

Ref. C. R. No. 62/43998/84-85/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHΛRDWAJ

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and hearing No. 18

and bearing No. 18 situated at 4th Main Road, Ganganahatti, Pangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has ben transferred as per deed registered under the Indian Registration Act. 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Bangalore under Document No. 82/84-85 on 6-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesald exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer:
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Mr. D. Nagaraj No. 494.45 Cross 5 Block Jayanagar, Bangalore.

(Transferor)

(2) Mr. Mohd. Hussain No. 15 2nd Main Road, Ganganahatti, Bangalore

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.
- (b) by any person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 82/84-85 Dated 6-4-84)
Property No. 18, 4th Main Road, Hebbal Main Ganganabatti, Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bangalore

Date: 16-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX AC Γ, 1761 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(1) Mr. N. Srinivasamurthy No 2, Kalappa Block Basavanagudi Bangalore-4.

(Transferor) (2) Mr. D. Lakshminarayana, No. 37 Mount Joy Centre.

Manumanthanazar, Bangalore-19.

(Transferce)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE BANGALOR1 -560 001

Bangalore-560 001, the 16th November 1984

Ref. C. R. No. 62/43997/84-85/ACQ/B -- Whereas, I, R, BHARDWAJ

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No 48/4

situated at Mavalli Tank Bund Road, Bangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office

of the Registering Office

at Bangalore under Document No. 147/84-85 on 16-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or:

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Incomi-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No 147/84-85 Dated 16-4-84) Vacant site bearing Municipal No. Old 48. New No.48/4 situated at Mavah Tank Bund Road. Bangalore.

> R. BHARDWAJ Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Bang dote

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-- \$1-426GI/84

Date: 16-11-1984 Seal:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

Mis Muniguramma alias Chikkathayamma and Others No 24 Il C1055, Byrasandta, Jayanagat, Bangalore.

(2) Mrs Leela Vijaya Kumari Bhajah, U.A E

may be made in writing to the undersigned :-

(Transferee)

(Transferor)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTI. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE BANGALORF-560 001

Bangalore-560 001, the 15th November 1984

Ref. C R No. 62/43111/84-85/ACO/B -- Whereas, I. M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the

Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|-

and bearing
Sy. No 98/3
situated at Byrasandra Village, Jayanagar, Bangalore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bangalore under Document No 320/84-85 on 11-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesing the apparent consideration therefor by more said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the

parties has not been tituly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(a) by any of the aforesaid persons within a person of 45 days from the date of publication of this action in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:

Objections, if any, to the acquisition of the said property

(b) by any other person interested in the said usamovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 320/84-85 Dated 11-4-84.) Converted Land bearing survey No. 98/3 of Byrasandia Village, Jayangar, Bangalore.

> R. BHARDWAJ Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Bangalore

Date: 15-11-1984

Seal:

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(1) Col P C Ganapathy (Retd) No 2 Model House, Gokulam 31d Cross, Mysore-570002.

(Transferor)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Mt. A Arvind Rao, No. 35 Manjappa Road, Shantinagar, Bangalore

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 15th November 1984

Ref. C. R. No. 62/43167/84-85/ACQ/B—Whereas, I, R. BHARDWAJ,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said 'Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000]and bearing

situated at HAI II Stage Indianagar, Bangaloic situated at HAI II Stage Indusanagar, Bangaiote (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bangalote under Document No 140/84-85 on 16-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the

parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the laid Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and /or;
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(Registered Document No 140/84-85 Dated 16-4-84.) Vacant land bearing Site No. 188 situated in Binnaman-gala Lay out (Defence Colony, HAL-II Stage) Indiranagar, Bangalore.

THE SCHEDULE

R. BHARDWAJ Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Bangalore

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate preceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

Date : 15-11-1984

PROTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

UFFICE ()F THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOMETAX, ACQUISITION RANGE BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 16th November 1984

Ref. C. R. No. 62/43074/84-85/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ.

being the Competent Authority

under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) thereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 - and bearing

No .19.

situated at Brunton Road, Bangalore (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Office at Shivajinagar on 8-6-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the nability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer: and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I nereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (I) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :---

(1) 1. Shri V. R. Rathuam

- Mrs. Prema Rathuam
 Sh. R Vidya Sagar. Residing at No. 24. Annaswamy Mudaliar Road, B'lore.
- Mrs. Radhabai Ramalingam, No. 2
- Gangadhar Chetty Road, B'lore, and 5. Mrs. Rameshwari, Brindavan, Ali Askar Road. B'lore.

(Transferer)

(2) Mrs. Mary Tony, No. 19, Brunton Road, B'lore.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:-The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 745/84-85 Dated 8-6-84.) Residential Premises No. 19, situated at Brunton Road, B'lore.

> R. BHARDWAJ Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Bangalore

Date: [6-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT(, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX. ACQUISITION RANGE BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 17th November 1984

Ref. C. R. No. 44006/84-85/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 1083.

situated at X Main Road, RPC layout, Bangalore, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at at Sirirampuram on April 1984

at siritampurum on Apiti 1984
for an apparent consideration which is less than the
fair market value of the aforesaid property and I have
reason to believe that the fair market value of the property
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by
more than lifteen per cent of such apparent consideration and
that the consideration for such transfer as agreed to between
the parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of .—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269°C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269°D of the said Act, to the following persons, namely —

(1) Shri S. Muddaiah, No. 1083, X Main Road, RPC layout, Vijayanagar, Last, Hosahally, Blore.

(Transferer)

 Shri B. F. Vasudeva Murthy No. 426, III Stage, M. Palaya, R. Nagar, B'lere.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said Immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 142/84-85 Dated April, 84.)
Property bearing House No. 1083, situated at X Main Rd.,
R.P.C. layout B'lore.

R. BHARDWAI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bangalore

Date : 17-11-1984

Scal:

FORM LT.N.S.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 17th November 1984

Ref. C. R. No. 62/43228/84-85/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

situated at 17th E. Cioss, Binnamangala II Stage, Indiranagar, B'lore-38,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Office at Shivajinagar on 11-5-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the aparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferse for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Sectio 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Shri B. R. Ramamurthy, No. 1030-D, 17th 'E' Cross, Binnamangala II Stage, Indiranagar, B'lore-38.

(Transferor)

 Shrimati Rajama, No. 7, Rayappa Road, Fraser Town, B'lore-5.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned...

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 402/84-85 Dated 11-5-84.)
Property bearing No. 1030-D. situated at 17th 'E' Cross,
Binnamangala II Stage, Indiranagar, B'lore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bangalore

Date: 17-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGL BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 16th November 1984

Ref. C R. No. 62/44005/84-85/ACO/B.—Whereas, I. R. BHARDWAJ,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|and bearing

No. 19

situated at IV Main, Hebbal Mill, Ganganahalli, B'loic,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the ffishee of the

Registering Officer at

Ganhsinagar on 5-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer. and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesald property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:-

(1) Shri O. D. Nagaraj, No. 494. 45th (1088, Block, Jayanagar,

(Transferor)

(2) Dilshadunnisa. No. 5, VII Bellay Road, Ganganahalli,

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the sald property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person, interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 83/84-85 Dated 5-4-84). Property bearing No. 19, situated at IV Main, Hebbal Mill, Ganganahalli, B'lore.

> R. BHARDWAJ Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Bangalore

Date : 16-11-1984

FORM ITNS ---

NOTICE UNDER SECTION 269D(I) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS SIGNER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 17th November 1984

Ref. C. R. No. 62/43303/84-85/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'sail Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

situated at Cunningham Road, Bangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at at Bangalore under Document No. 597/84-85 on 4-6-1984 for an a parent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration. For such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the acquisition of the said property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Catholic Bishop Conference of India Society for Medical Education, Formerly Known as St. John's Medical College and Hospital Koramangala Bangalore.

(Transferor)

(2) Mr. Naishadh N. Patel Mis Rupam N. Patel both presently residing at No. 21/14. M. G. Road, Bangalote.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No, 597/84-85 Dated 4-6-84.)

All that piece and parcel of land together with buildings structures there on bearing Municipal No. 10 (old No. 3) Cunningham Crescent, Civil station Bangalor

R. BHARDWAJ Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Bangalore

Date: 17-11-1984

Scul:

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX. ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 20th November 1984

R. No. 62/43219/84-85/ACQ/B.—Whereas I, R. BHARDWAJ,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Re. 25,000/- and bearing No. 162/2 situated at Magadi Road, Chord Road Extn.,

Hosaballi, Bangalore,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act. 1908, (16 1908) in the Office of the Registering Officer at at Silvampulam on 7-5-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

Now, thereore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--- 82---426@I/84

 Srimati Siddagangamma, No 93, Govindappa Road, Basavanagudi, Bangalore

(Transferor)

(2) Dr. Y. A. Narayana, Dr. Y. Jayakumar, 238/1, P. J. Extn., IV Cross, Davangere.

(Fransferec)

(3) Transferor. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazetie or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publi cation of this notice in the Official Gazette.

HEPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 403/84-85 Dated 7-5-84]. Property bearing No. 162/2, situated at 18th Cross Magadi Road, Chord Road Extn., Hosahalli, Bangalote.

> R. BHARDWAI Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bangalore

Date: 20-11-1984

Scal

FORM I.T.N.S.-

(1) Mr. P. Ramachandra Reddy, 46, Mavalli Tank Bund Road, Bangalore-2.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOMF-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Mr. Govind Viswanath, Rep. by P.A.H. Mr. G. Ramdas, No. 9, Ulsoor Road, Bangalore.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 17th November 1984

C. R. No 62/43321/84-85/ACQ/B.—Whereas I, R. BHARDWAJ,

being the Competent Authority under Section 269B of the income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000 - and bearing

No 148 situated at Block I, Koramangala Extr., Bangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908, (16) of 1908) in the Office of the Registering Officer at at Bangalore under Document No. 1230/884-85 on 26-6-84 for an apparent consideration, which is less than the fail market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more

than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

Obections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: --- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, _ 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 1230/84-85 Dated 26-6-1984]. Land bearing site No. 148 in Block-I, situated in Koromangala Extension, Bangalore.

> R. BHARDWAI Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bangalore

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate Proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, maniely :--

Date : 17-11-1984 Seal ·

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THI. INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 16th November 1984

C. R. No. 62 $44002/84-85/\Lambda CQ/B$.—-Wheteas I, R. BHARDWAJ,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and biating
No. 6(26) situated at Sultanpalva, Matadahalli, Bangalore,

No. 6(26) situated at Sultanpalva, Matadahalli, Bangalore, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at at Bangalore on 10-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely—

 Shri K, P. Vijayan, No. 9/7, Lloyd's Road, I Floor, Wokes Town, Bangalore.

(Transferor)

(2) Shrimati Hansa A. Sachdev, by P.A. Shii Amarlal R. Sachdev, Chethul, Church Road, Bangalore,

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective nersons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 96/84-85 Dated 10-4-1984]. Property bearing No. 6 (old No. 26), situated at Sultanpalya, Matadaballi, Bangalore.

R. BHARDWAI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date: 16 11-1984

(1) Shumati Mary Rogina, No. 6, VIII Cross, Chinnappa Garden, Benson Town, Bangalore.

(Transferer)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 16th November 1984

C. R. No 62/44004/84-85/ACQ/B.—Whereas 1, R. BHARDWAJ,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|-and bearing

No. 6 situated at VIII Cross, Chinnappa Garden, Benson Town Bangalore

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act. 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at at Shivajinagar on 5-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforestid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(2) Shrimati Hoor Banu, No. 8, 13th Cross, Muddanna Garden, Bangalore-46.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazatta.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning is given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 26, 84-85 Dated 5-4-1984].

Property bearing No. 6, situated at VIII Cross, Chinnappa Garden, Benson Town, Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Incompetex
Acquisition Range, Bangalore

Date: 16-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMPTAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 16th November 1984

C. R. No. 62/44003/84¹85/ACQ/B.—Whereas I, R. BHARDWAJ,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing

bearing No. 74 situated at P&T Colony, Gangenahalli, Bangalore, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Office at Gandhinagar on 7-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said, Act, in respect of any income arising from the transfer; and for
- (b) facilitating the concealment of any income or any manages or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shii S. Krishno Gewla, No. 12, Sankoy Rend, Bloro.

(Transferer,

(2) Shri C. N. Mallesha,
 No. 30, Creacent Road,
 High Crounds, Bangalore.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this aptics in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 80/84-85 Dated 7-4-1984].
Property bearing No. 74, situated at P&T Colony. Gangenahalli, Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Asset. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 16-11-1984 Seal : FORM ITN'S

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 12th November 1984

Notice No. 830 84-85/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAI.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding R₈ 25,000/- and bearing

Plot No F of 'I A MARVEL situated at Dona Paula, Panjum (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908, (10 of 1908) in the Office of the Registering Officer at at Ilhas (Goa) under Document No. 313 on 11-4-1984, for an apparent consideration, which is less than the fun market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferse for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

 Shri Clovis Siquera Vaz, B-12, Jolly Maker Apartments-I, Cufle Parade, Bombay-400 005.

(Transferor)

(2) Capt. Jahangir Pestonji Taleyarkhan, Mis. Marion Jahangir Taleyarkhan, 6, Ciesent Apartments, La Campala, Mina-Mar, PANAJI (GOA)-403 001.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immevable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No 313 Dated 11-4-1984].

Open plot measuring 504 sq. metres bearing Plot No. 11, 'LA MARVEL' situated at Dona Paula, Panjum.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Bangalore

Date: 12-11-1984

Scal:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE BANGMORE-560 001

Bangalore-560 001 the 12th November 1984

Notice No 831 84-85 ACQ/B—Whereas, I, R BHARDWAJ being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25000 and bearing Survey No 69 situated at Torda of Gabitavida of Salvador Sub district Ilhas (Coa) (and more fully, described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Ilhas (Coa) under Document No 341 on 12 4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more 'han fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of

transfer with the object of t-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been of which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Aleixo Manuel di Corta and hi wite Shrumati Olga Dina Vaz e Costa, R/o Houso No 139 Rua de Natal, Fontainhas, Panaji, Goa

(Transferor)

(2) Shri Dhirajal il Damodar Rajani ind Shri Dipal Manharlal Rajani both R/o St. Ciuz Ilhas Goa

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as age defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter,

THE SCHEDULF

[Registered Document No 341 Dated 12 4-1984]

This is an agricultural land situated at Torda of Gabita vade of Salvador Sub District Thas, Goa under survey No 69 Nob division I admeasuring 39,600 sq. metres

R BHARDW 11
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Rance, Bangalore

Date - 12-11-1984. Scal

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 30th November 1984

C. R. No. 62/43213/84-85/ACQ/B.-Whereas 1, R. BHARDWAJ.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter Inferred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value acceeding Rs. 25,000|- and bearing No. 2950: 10 situated at II stage. 'D' Block, I Cross, Rajaji-

nagar, Bangalore

(and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Rajajinagar on 18-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the linksliky of the transferor to pay tax under the said Ast, in respect of any income arbing from the transund/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferes for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the mid Act, or the Weekth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Ast, I hereby initiate proceedings for the apprehition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsestion (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely .--

(1) Shri Syed Mustafa S/o Shri Syed Abdul Khader, 239, 1 Main, Chamarajpet, Bangalore-18,

(Transferor)

(2) Shri H. Rangappa, No. 2032-B, II Stage, Rajajinagar, Bangalore-10.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this action in the Official Gazette or a period of 10 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given is that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 218/84-85 Dated 18-4-1984]. Property bearing No. 2950: 10, situated at II Stage, 'D' Block, 1 Cross, Rajajinagar, Bangalore.

> R. BHARDWAI Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bangalore

Date: 30-11-1984

Scal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 30th November 1984

C. R. No. 62/43163/84-85/ACQ/B.—Whereas I, R. BHARDWAJ,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,600/- and bearing
No. 59 situated at 11th Cross, I Stage, Indiranagar,

Bangalore-38

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act. 1908 (16 of 1908) in he Office of the Registering Officer at Shivajinagar on 21-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of nansfer with the object of:—

(1) Shri R. Haridev, No. 59, I Stage, Indiranagar, Bungalore-38.

(Transferor)

(2) 1. Shri C. Elhirajalu &

Smt. B. R. Indumathi, No. 8/1, V Cross, IV Main Road, Sampangiramanagar, Bangalore-27.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

wa) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferes for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957); [Registered Document No. 188/84-85 Dated 21-4-1984]. Premises No. 59, 11th Cross, I Stage, Indiranagar, Bangalore-38.

> R. BHARDWAJ Competent Authority
> Inspecting Assistant Commissoiner of Income-tax Acquisition Range, Bangalore

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:-83—426 GI/84

Date: 30-11-1984

FORM ITNS----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACOUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 22nd November 1984

C. R. No. 62'44168/84-85/ACQ/B.—Whereas I, R. BHARDWAJ,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 212, situated at Mahalakshmi House building Co.-op. Society (P.) Ltd., west of Chord Road, II Stage, II Phase, Blore

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 (16 of 1908) in he Office of the Registering Officer at with the Competent Authority under Section 269B, in his office at

Rajajinagar on 28-5-1984.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/er
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been of which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said lock, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the accressid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

 Shrimati Honnanna and Jayanna, R/o 40, Vaddarapalya, Rajajinagar, Mahalakshmipura Post, Blore-86.

(Transferor)

(2) Shri C. G. Chandran, 4173/4, II Stage, Rajajinagar, B'lore-10,

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:

- (a) by any of the aforesald persons within a period or 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 888/84-85 Dated 28-5-84]
Property bearing No. 212, situated at Mahalakshmi House
Building Co-operative Society (P.) Ltd., West of Chord
Road, II Stage, II Phase, Bangalore. (60' × 40').

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date: 22-11-1984.

FORM I.T.N.S.-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 26th November 1984

R. No. 62/43079/84-85/ACQ/B.—Whereas I, R. BHARDWAJ,

R. BHARDWAJ,
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the
immovable property having a fair market value
exceeding Rs. 25,000]- and bearing
S. No. 107-1B situated at Kandavana Village, Mangalore

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in he Office of the Registering Officer at Mangalore Taluk/with the competent authority under Section 269AB, in his office at

under Document No. 50/84-85 on 11-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and the property as a strength to be the pr the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

(1) Shri A. Thyapanna Ballar S/o Shri Padma Ballar, R/o Bhavanthi Bettu House, Post Malali, Badaga-Uthipady Village, Mangalore Taluk. D. K. (Transferor)

(2) M/s. Prabhudas Kishoredas Tobacco Products (P) Ltd., 659-1, Gultai Tekra,
Near Patel Society,
Panchvati Ellis Bridge, Ahmedabad-380 006;
GPA Holder Kantibhai Narsibhai Patel,
C/o Prabhudas Kishoredas Tobacco Products (i') Ltd., Kankanady, Mangalore,

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter,

 (a) fuciliting the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

THE SCHEDULE

(b) fucilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

[Registered Document No. 50/84-85] Dated 11-4-841 Waig property in Kandavara Village of Mangalore Taluk in S. No. 107-1B, Areas 0.54 Containing Buildings.

> R. BHARDWAJ Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bangalore

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the followpersons, namely :---

Date: 26-11-1984.

Lantill or rule and re-

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 26th November 1984

C. R. No. 62/43291/84-85/ACQ/B.—Whereas I, R. BHARDWAJ,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 35/2 and 35/3 situated at Cunningham Road, Bangalore

(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

/with the competent authority under Section 269AB in his

Shivajinagar under Document No. 738/84-85 on 23-5-84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer;
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Shri Tulsidas Hansraj Shah U1f Tulsishah, R/o 5-B, Tiphazzo Little Gibbs Road, Bombay-6.

(Transferor)

(2) Shri Mohamed Masood Sait, Shri Masood Kareem, Shri Rizuana Masood, All R/o 15, Chinnaswamy Mudaliar Road, Tasba Town, Bangalore.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[JRegistered Document No. 738/84-85] Dated 23-5-841 Premises No. 35/2 and 35/3, Cunningham Road, Blo.

> R. BHARDWAJ Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bangalore

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property, by the issue of this notice under subsection (1) of Section 2691) of the said Act, to the following persons, namely :---

Date: 26-11-1984.

FORM I.T.N.S.-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

Shri Russi Framroze Poonegar, Miss, Rhoda Frawjoze, R/o Poonegar, No. 9, Brunton Road Cross, B'lore.

(Transferor)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 30th November 1984

C. R. No. 62/43165/84-85/ACQ/B—Whereas I, R. BHARDWAJ.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 9, situated at Brunton Road Closs, B'lore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registeric Office at

, with the competent, authority under Section 259AB in his office at

Shivajinagar on 17-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid acceds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

1. Shri Rafiq Mahmood,
 2. Mrs. Amina Rafiq, R/o
 No. 33/11, Victoria Road,
 Blore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person, interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said. Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

[Registered Document No. 157/84-85 Dated 17-4-84]
Property bearing No. 9, situated at Brunton Road, B'lore.

THE SCHEDULE

R. BHARDWAJ Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bangalore

Now, therefore, in pursuance of Section 269°C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 30-11-1984

Scal:

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

 Mr. Anantha, R/o No. 224, Sonnenahalli Further Extn., Bangalore-560 047,

(Transferor)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) M1. M. Jairaj, R/o No. 23, Austin Town, Bangalore-560 047,

(Transferce)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 22nd November 1984

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

C. R. No. 62/44167/84-85/ACQ/B.—Whereas I, R. BHARDWAJ,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

No. 224 situated at Sonnenhalli, Bangalore

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bangelore under Document No. 269/84-85 on 28-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall havt the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and or

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the surposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957); [Registered Document No. 269/84-85 Dated 28-4-84]

Land and building bearing No. 224 situated at Sonnena-halli Further Extension, Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Now, therefore, in pursuance of Section 269°C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of aforesard property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269°D of the said Act, to the following persons namely:—

Date: 11-11-1984

Scal:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 27th November 1984

C. R. No. 62/43323/84-85/ACQ/B.—Whereas I. R. BHARDWAJ,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to use the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

No. 455 situated at Koramangala Extn., Block-III, B'lore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at /with the competent authority under Section 269AB in his office at

Blore South Tq. on May 1984,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen yer cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Ast, in respect of any income arising from the transfer; and/er

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

low, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Dr. K. K. Kuttappa, R/o No. T-5, C.P.W.D. Quarters, Vijayanagar, B'lore.

(Transferor)

(2) Mohd. Maqbool Hussain, R/o 12/1, Alfred Street, Richard Town, B'lore.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as and defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 1320/84-85 Dated May, 84] Site No. 445 situated at Koramangala, Block-3, Blore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date: 27-11-1984

Shri Baldev Ramanarayan, No. 127, Defence Colony, Indiranagar, Bangalore.

(Transferec)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 27th November 1984

C.R. No. 62/43278/84-85/ACQ/B.--Whereas I, R. BHARDWAJ.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market valuve exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 214, situated at Upper Palace Orchards, Bangalore, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at/with the competent authority under Section 269AB, in his office at Gandhinagar on 26-5-1984,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said. Act, in respect of any income arising from the transfer; and for
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby instance proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:-

(Transferor) (2) Shri C. V. L. Sastry, Vijaya Kumar D. Doshi, 764 V Block, Rajajinagar, Bangalore-10.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said interestable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 643/84-85 dated 26-5-84)

Site No. 214, situated at upper palace orchards, Banga-Iore.

> R. BHARDWAJ Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bangalore

Date: 27-11-1984 Seal:

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOMETAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 27th November 1984

CR. No. 62/43230/84-85/ACQ, B—Whereas, I, R. BHARDWAJ,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable propery, having a fair market value exceeding Rs. 25,000, and bearing

No. 1034, situated at IIAL II Stage Extention, Bangalore. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at /with the competent authority under Section 269AB in his office at Shivapinagar on 4 5-1984,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the trasfer; and/or
- (b) ficilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Iudian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Chi Y. Annamalai, No. 52/3, Rama 1 cmple 5t, Doopanahalli, Induanagai, Bangaloie-38. (Transferor)

(2) Lt. Col. S. S. Udupa (Retd.), No. 481, III Cross, IX main, HAL II Stage, Bangalore-38.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immer able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No 322/84-85 dated 4-5-84). Vacant site No 1034, situated at HAL II stage Extension, Bangalore

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hangalore

Date: 27-11-1984

Scal:

and the contract of the contra

(1) the D 1 Advathanarayona, of I. Co Rood, As had Ynavnerva James Lang.

(Transferor)

(2) Shir Devaji Bhai Fatel.
(3) New Timber Yard,
My o e toold. Bergalor 26

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE BANGALORE 560 001

Bangalore-560 601, the 22nd November 1984

C.R. No. 62/44169/84-85/ACQ/B.- Whereas, 1. R. BHARDWAJ.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25.000-

and bearing 'No. 2923, situated at Railway, Line, Pij., Line, RPC layout,

Bangalore city.

(and morefully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registring Officer at /with the competent cuthouty under 5 tion 269AB in his

Srirampuram on May 1984,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the ebject of:—

- (a) facilitating the reduction or eva-ion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have nor been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immorable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as Act, shall hive the same meaning as given ir that Chapter

THE SCHEDULE

(Registered Document 751/84-85 dated May 1984).

Property bearing No. 292), situated at Railway line, Pipe I inc. RPC layout, Bangalore city

R. BHARDWAT Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bançalore

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:-

Date: 22-11 1984

(1) Mrs. Lakshmamma, W/o Late Chikka Kadirappa, No. 94 Chales Cambeu Road, Cox-Town, Bangalore.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Mr. C.I.K. Muthu Naidul S/o Innasappa, No. 2 7th Cross Jaibhaiathnagar, Bungalore-5.

(Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE BANGALORE-560 901

Bangalore-560 001, the 26th November 1984

C.R. No. 62/44250/84-85/ACQ/B.—Wsereas, I, R. BHARDWAJ,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to us the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|and bearing

No. 23 situated at Chikka Kadirappa Garden, St. Thomas Town, Bangaloic-5,

(and morefully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at /with the competent authority under Section 269AB in his

Shivajinagar Bangalore under Document No. 643/84-85 in May 1984,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the storesald property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of thet said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which ever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 d ys from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of that said, Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 643/84-85 dated May 1984). All that piece and parcel of land being site No. 23 Chik-La Kadirappa Garden, Division No. 49. St. Thomas Town, Bangalore-5.

> R. BHARDWAJ Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bangalore

Date: 26-11-1984.

Seal:

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforescaid property by the issue of this notice under the section (1) Section 269D of the said Act, to the following paragraphs appropriate the section to the said section to the said section to the said section to the section to the said secti persons, namely :--

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 27th November 1984

C.R. No. 62/43288/84-85/ACQ/B.—Whereas, J, R. BHARDWAJ,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|-and bearing

No. 40, situated at VIII Main Road, 13th Cross, Malleswaram, Bangalore.

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at /with the competent authority under Section 269AB in his office at

Rajajmagar on 31-5-1984,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferoe for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now. therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) I. S/Shrl R. Lalitha.
 - 2. R. Parimala.
 - 3. R. Sathyanarayana.
 - 4. R. Nagarathuramma.
 - R. Naghabhushan, No. 38, III Main Road, Malleswaram, Bangalore-3.

(Transferor)

(2) M/s Gowda Saraswath Samaj, No. 29, K. R. Road, Bangalore-4.

(Transferee)

(3) Tenants.

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

FXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning is given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 889/84-85 dated 31-5-1984). Premises bearing No. 40, situated at VIII main road, XIII cross, Malleswaram, Bangalore-3. (784.2 Sq. mts.).

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date: 27-11-1984

Seal

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 26th November 1984

C.R. No. 62/44251/84-85/ACQ/B.—Whereas, 1 R. BHARDWAJ,

being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable

property having a fair market value exceeding Rs. 25,000and bearing No.

266, situated at West of Chord Road, II Stage,

Bangalore,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajajinagar Bangalore under Document No. 1053/84-85 on 7-6-1984.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been trully stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liabifity
 of the transferor to pay tax under the said Act, in
 respect of any income arising from the transfer;
 and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not oeen or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) o rthe said Act, or the Wealth-fax, Act. 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesald property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

 Mrs. S. Subbalakshmamma, repd. by GPA-Holder
 N. S. Ramachandra, S/o Starmayya, Deputy Production Manager, Deccan Herald, Bangalore. Sitara

(Transferor)

(2) Mrs. N. S. Saraswathy, W/o S.T. Anand, Reptd. by GPA Mr. U. S. Prabhakar, No. 41 II Main, Vyatikaval, Bangalore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition o the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said unmovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 1053/84-85 dated 7-6-84). Site No. 266 in West of Chord Road, II Stage, Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date: 26-11-1984

FORM ITNS--

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

No. 1149, West of Chord Road, It Stage, Mahalaxmipuram Post, Bangalore-86.

(1) Shri B. Lakshminarayanu,

(Transferor)

(2) Dr. Kashmath Dikshith, No /1A, 22 Cross road, Rajajmagar, 11 Block, Bangalore-10.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE BANGALORE-560 001

Baugalore-560 001, the 26th November 1984

C.R. No. 62/44252'84-85/ACQ/B.--Whereas, I, R. BHARDWAJ.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25.000/- and bearing

No. 1149, Situated at West of Chord Road, II Stage, Bangalore city.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajajimagar on 18-6-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

(a) facilitating the reduction or evasion of the Hability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other usuals which have not been or which sught to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 4.5 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 1184/84-85 dated 18-6-1984), Property bearing No. 1149, situated at West of Chord 10ad, II Stage, Bangalore city (60'×40').

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range Bangalore

Date: 26-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 26th November 1984

C.R. No. 62/44249/84-85/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 2137, situated at RPC Extension. Vijayanagar, Bangalore,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at/with Srirampuram Bangalore under Document No. 1056/84-85 on 22-6-1984,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Mr. A. N. Shiyabarapita,
 S/o Nanjanpa.
 No. 36 Upstairs,
 Nehru Circle, Seshadipuram, Bangalore-560 020.
 (Transferor)

(2) Mr. K. Krishna Bhat, S/o K. Narayan Bhat, No. 74/1 52nd cross IV Block, Rajajinagai, Bangalore-560010.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons, within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 1056/84-85 dated 22-6-1984). Site No. 2137 in R.P.C. Extension Vijayanagar, Bangalore.

R. BHARDWAJ

Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Now, therefore, in pursuance of Section 269°C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under enterior (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 26-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 21st November 1984

C.R. No. 62/43098/84-85/ACQ/B.-Whereas, I. R. BHARDWAJ,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

No. Ts. No. 7 R.S. No. 166 situated at Ahavar Village, Cantonment Ward Mangalore,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at/with Mangalore under Document No. 65/84-85 on 12-4-1984. for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:-

- (1) 1. Michael C. F. Mascarenhas Rebello House 132, Hill Road Bandia, Bombay.
 - 2. Mis. Mariette Mascarenhas.
 3. Miss Chenge Mascarenhas.
 4. Miss Deborrah Mascarenhas
 5. Mi. Pebu Marcarenhas and
 6. Mi. Pint Mis crawhas

Nos. 2 to 6 an residing at Sturrock Road, Mangalore.

(Transferor)

(2) Mr. K. Subbayya Sheity. S/o Late Mr. R. Sunjiva Sheity. Balmatila, Bangalore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 65/84-85 dated 12-4-1984).

Non agricultural unmovable property consisting of a house bearing Ts. No. 7 RS No. 166 Class Bagayat admeasuring 1538 sq. mtr. situated in Attavan Village, Cantonment Board of Mangalore.

> R. BHARDWAJ Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range. Bangalore

Date: 21-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIGNER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 22nd November 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5368 —Whereas, I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. House No. 123, street No. 2, situated at Manoramaganj, Indore,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at/with Indoir on April 1984

lor an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfers and/or
- h) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (22 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-accilon (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely —

85-426 GI/84

(1) Smt. Doulat Kunwar Bai W/o Shri Thakur Saheb Prithvi Raj Singhji R/o 12/2, Manormayanj, Indore.

(Transferor)

Shri Mukeshkumar S/o Shri Madanlalji,
 Smt. Premlarani W/o Shri Madanlalji.
 Shri Rakesh (Mino) S/o Madanlalji Guardian for No. 3.
 All R/o House No. 116, Jwara Compound, Indore.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires beter;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette,

EXPLANATION:—the terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House bearing No. 123, street No. 2 situated at Manoramagani, Indore. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Bhopal

Date: 22-11-1984

Scal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME TAX.

ACQUISITION RANGE BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 22nd November 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5369.—Whereas, I, V. K. BARANWAL,

Ref. No. IAC/Acqn/Bp1/3369.—whereas, 1, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred) to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Open plot of land at Municipal No. 8/3, situated at Gadag Gram, Taluka Gadag. Indore in April 1984, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at situated at Manoramaganj, Indore, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of: of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

New, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate precedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely ;---

- Badjatya Construction Company, through Shri Sant Kumar Badjatya, S/o Shri Kalyanmalji Badjatya, R/o 146 Jawara Compound, Indore.
 - Chawala Construction Company, through Shri Arjundas Chawla, R/o 165, Palsikar Colony, Indore.

(Transferor)

(2) M/s Gaurav Grah Nirman Sahkari Sanstha, Maryadit, Indore, through Shri Jay Kumar S/o Shri Jethanandji Chawala, R/o 195 Palsikar Colony, Indore. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plot of land at Municipal No. 8/3, situated at Manoramagani, Indore. This is the immovable property which has been described in from No. 37-G duly verified by the transferce.

> V. K. BARANWAL Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Income-tax Building Acquisition Range Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date: 22-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 22nd November 1984

Nef. No. IAC/Acqn/Bpl/5370.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. Open plot No. 6-B, situated at Rajgarh Kothi,

Indore,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore in April 1984,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and or
- (b) facilitating the concealment of any income or sny moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1937 (27 of 1937);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:-

(1) Jailaxmi Grah Nirman Sehkari Sanstha, Maryadit, Manormayani, Indore, through President Shii Sunil Jain S/o Shri J. P. Jain, R/o Yaswantniwas Road, Indore.

(Transferor)

(2) Arihant Grah Nirman Sahkari Sanstha, Maryadit, 146, Jawara Compound, Indore, through President Shri Sanat Kumar Badjatya, S/o Shri Kalyanmalji Badjetya, R/o 146, Jawara Compound, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter,

THE SCHEDULE

Open plot No. 6-B, situated at Rajgath Kothi, Indore. This is the immovable property which has been described in Form No. 37-G duly verified by the transferee.

> V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Income-tax Building Acquisition Range Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date: 22-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 22nd November 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5371.—Whereas, I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. House No. 1/2-B situated at Kamla Nehru Marg,

Ujjair

(and more tully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ujjain in April 1984,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri Mohammed Ayub S/o Shri Mohammed Ibrahim, R/o Kamla Nehru Marg, Ujjain (M.P.). (Transferor)
- (2) Shri Mansoor Ali S/o Shri Gulam Ali, R/o 28-Bhargav Marg, Ujjain (M.P.). (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of the notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said. Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House bearing No. 1/2-B situated at Kamla Nehru Marg, Ujjain. This is the immovable preperty which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Incometax
Acquisition Range
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date: 22-11-1984

FORM I.T.N.S .---

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 22nd November 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5372.—Whereas, I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

No. Part of Fouse No. 1/2-B situated at Kamla Nehru Marg, Ujjain,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ujjain in April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the fability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) o Section 269D o the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Mohammed Ayub S/o Shri Mohammed Gulam Ali, R/o Kamla Nehru Marg, Ujjain (M.P.).

(Transferee)

(2) Shri Shabbir Hussain S/o Shri Gulam Ali, R/o 28-Bhargav Marg, Ujjaih (M.P.).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of forty-five days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of thirty days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazetta.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of House bearing No. 1/2-B situated at Kamla Nehru Marg, Ujjain. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date: 22-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 22nd Nevember 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5373.—Whereas, I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. House constructed on plot No. 275 situated at Anoop Nagar Colony, Indore,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore in April 1984,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceed the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the Hability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian Incometax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in purusuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Jatashankar Jha S/o Shri Shivshankar Jha, R/o Darbhanga, Bihar, Through attorney Shri Shafiquir Rehman S/o Shri Ajijur Rehman, R/o 60-June Pitha, Indore.

(Transferor)

(2) Shri Shafiquie Mohammed Quereshi, S/o Late Shri Siddique Mohammed Quereshi, R/o Bhopal.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House constructed on plot No. 275, situated at Anoop Nagar Colony, Indore. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Rauge
Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date: 22-11-1984

FORM LT.N.S.-

NOTICE UNDER SECTION 269 D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 22nd November 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5374.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot p. 231 situated at Angon Nagar Colony

No. Plot o. 231 situated at Anoop Nagar Colony,

Indore.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto).

has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office

of the Registering Officer at Indore in April 1984,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer;
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, nemely :-

- (1) Shri Inder Singh S/o Shri Lakhmirsingh Chatwal, R/o House No. 87, Jawara Compound, Indore. (Transferor)
- Shri Jawahar S/o Shri Sriniwas Kulkarni,
 Badrinath S/o Shri Sriniwas Kulkarni,
 Deepak S/o Shri Sriniwas Kulkarni, Indore. All R/o 90/4, Mahtama Gandhi Marg, (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective person, whichever period expires later,
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same measuring as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 231 situated at Anoop Nagar Colony, Indore. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Income-tax Building Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date: 22-11-1984

Seal ;

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 22nd November 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5375.—Whereas, J. V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House No. 73 (New No. 20) situated at Dewas

Ujjain Road, Dewas,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Dewas on April 1984

abad village, Rajendernagar, R. R. Dt; registered by the for an apparent consideration which is less than the

fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer. and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :--

 Smt. Shantibai W/o Shri Mulchand.
 Shri Mulchand S/o Shri Jhamatlal,
 Radio Shop. Teen Batti Chouraha, Dewas.

(Transferor)

(2) Shri H. R. Righwani Asstt. Engineer, MPEB, Khandwa (M.P.).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House bearing No. 73 (New No. 20), situated at Dewas Ujjain Road, Dewas. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferce.

> V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Income-tax Building Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date: 22-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 23rd November 1984.

Ref. No. 1AC/Acqn/Bpl/5376.—Whereas, I. V. K. BARANWAL,

being the Com, in Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the unmovable property having a fair market value exceeding Rs. 25.000/and bearing

Land Khasra No. 347/1/1/1 area 3.80 situated at Village Bavadiakala, Tehsil Huzur, Distt. Bhopal (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Ac, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at

Registering Officer at Bhopal on April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act. in respect of any income arising from the transfer; and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely;—

86-426 G1/84

- (1) Shri Bhojram S/o Shri Laisingh through attorney Shri Madanlal S/o Shri Bhojram, R/o Village Bavadiakala, Tehsil Huzur, Dist.t. Bhopal (M.P.) (Transferor)
- (2) Shri Sant Kumar S/o Shri Shyam Beheri, President Jai Bhawani Housing Society L.d., Bhopal (M.P.). (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period. of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Khasra No. 347/1/1/1 area 3.80 situated at Village Bavadiakala, Tehsil Huzur, Distt. Bhopal. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Income-tax Building Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date: 23-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 23rd November 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5377.—Whereas, I, V. K. BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25000|-and bearing

Land khasra No. 347/1/1/1 (Part) area 0.80 situated at Village Bavadiakala, Tehsil Huzur, Distt. Bhopal (and more tully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Ac., 1908 (16 Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Bhopal on April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to be were the parties has not been truly stated in the said testrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the Hability of the transfer to pay tax, under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 195: (27 of 1937);

New, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri Bhojram S/o Shri Lalsingh, through Shri Madaulal S/o Shri Bhojram R o Village Bayadiakala, Tehsil Huzur, Distt. Bhopal (M.P.)

 (Transferor)
- (2) Shri Sant Kumar S/o Shri Shyam Behari, President Jai Bhawani Housing Society Ltd., Bhopal (M.P.),

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of land bearing Khasra No. 347/1/1/1 area 0.80, situated in village Bavadiakala, Tehsil Huzur, Distt. Bhopal. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Income-tax Building Near Central India Floor Mills, Bhoral;

Date: 23-11-1984

Scal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOMP-TAX ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 23rd November 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5378.—Whereas, I.

V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable pro erty having a fair market value exceeding Rs. 25,000|and bearing No.

Part of land Khasra No. 347/1/1/1 area 0.80 situated at Village Bavadiakala, Tehsil Huzur, Distt. Bhopal (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the R gistration Ac, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Bhopal on April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of ;—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, its respect of any income arising from the transfer; and /of
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

- (1) Shri Bhojram S/o Shri Lalsingh, through attorney Shri Madanial S/o Shri Bhojram R/o Village Badadiakala, Tehsil Huzur, Distt. Bhopal (M.P.). (Transferor)
- (2) Shri Sant Kumar S/o Shri Shyam Behari, President Jai Bhawani Housing Society Ltd., Bhopal (M.P.). (Transferes)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, w thin 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given that

THE SCHEDULE

Part of land bearing Khasra No. 347/1/1/1 area situated in village Bayadiakala Tehsil Huzur. Dist. Bhopal. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

> V, K, BARANWAL Competent Authority
> Inspecting Assistant Commissioner of Income-usx Acquisition Range Bhopal

Date: 23-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 23rd November 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5379.—Whereas, I. V. K. BARANWAL, being the compenn authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable

property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Land Khasra No. 68, area 2 00 acres situated at Village Chunna-Bhatti, Tehsil Huzur, Distt, Bhopal.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred

has been transferred under the Registration Act, 1908 (16

in the office of the Registe ing Officer at for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent conalderation and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/e
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 2691) of the said Act, to the following persons, namely :-

(1) Smt. Shyambai W/o Shri Pratap Singh, R/o Village Chunna-Bhatti, Tehsil Huzur, Distt. Bhopal (M.P.).

(Transferor)

(2) Town Planning Employees Housing Co-operative Society Maryadit, Bhopal, through President Shri S. N. Sharma S/o Shri D. S. Sharma, R/o EWS 589, South T. T Nagar. Bhopal (M.P.)

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :~

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Khasra No. 68 having area 200 acres situted in Village Chunna-Bhatti, Tehsil Huzzr, Distt., Bhopal. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferce

Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Near Central India Floor M'lls Bhopal

Date: 23-11-1984. Can .

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 23rd November 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5380.---Whereas, I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No.

House constructed on plot No. 6 situated at Malviya

Nagar, Bhopal,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Bhopal in April, 1984.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than afteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and for
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

New, therefore, in pursuance of Section 269°C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under cubsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) 1. Shri Premchand Jain S/o Shri Rajkrishna Jain, 2. Shri Bharat Bhooshan, 3. Dr. Desh Bhooshan, 4. Shri Sharam Bhooshan, 5/o Shri Premchand Jain, All R Ansari Road, Daria Ganj,

(Transferor)

Shri Vijya Kumar Chhabda
 S/oShri Surendra Singh Chhabda
 Smt. Jank Chhabda
 W/o Shri Surendra Singh Chhabda
 Both R/o 59, Idgah Hills
 Bhopal (M.P.)

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expression used herein the are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the agree meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House constructed on plot No. 6 situated at Malviya Nagar, Bhopal. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferce.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Near Central India Floor Mills
Bhopsi

Date: 23-11-1984.

Soul :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-1 IAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 23rd November 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5381.—Whereas, I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (bereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25000/- and b a ng No.

House constructed on plot No. 6 situated at Maly ya Nagar, Bhopal.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of t. Registering Officer at Bhopal in April, 1984.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair marketh value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys of other assets which have not been of which ought to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax 44, 1957 67 of 1857);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisite of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section. I) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely.—

(1) 1. Shri Premchand Jain S/o Shri Rajkrishna Jain, 2. Shri Bharat Bhocshan, 3. Dr. Desh Bhooshan, 4. Shri Sharam Bhocshan, 5/o Shri Premchand Jain, All R/o Ansari Road, Daria Ganj, Delhi.

(Transferor)

(2) 1. Shri Surendra Kumai S/o Shri Banarsilal, 2. Shri Ashok Kumar S/o Shri Banarsilal Boh R/o 6, Hamida Road, Bhopal.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazzette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official-Gaze te.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of house constructed on riot No 6 situated at Malviya Nagar, Bhopal. This is the immovable property which hat he would in form No 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal

Date : 23-11-1984.

Seal

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOMF-TAX ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 23rd November 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5382.—Whereas, I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000|-and bearing

Land bearing Khasra No. 85/2, area 3.00 acres situated at Village Chunna Bhat i, Tehsil Huzur Distt. Bhopal,

vanage Channa Bhat I, Telish Huzur Dist. Bhopal, (and more fully described in the Schedule annexed tereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhopal in April 1984

Bhopal in April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Seature 269°C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforestad property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269°D of the said Act, to the following person namely:—

(1) 1. Shri Shyamlal
2. Shri Kamal Singh
3. Shri Bhagwandas
4. Shri Devi Singh
S/o Shri Munnalal Guardian and attorney mother Smt. Rampyaribai
5. Smt. Rampyaribai
6. Shri Kishanlal
7. Shri Balram
S/o Shri Kewalram
8. Smt. Tulsibai
Wd/o Late Shri Kewalram All
R/o Village Chunna Bhatti,
Tehul Hu u throuth attorney
Shri Hari Prasad Kewal Singh.

(Transferor)

(2) Nirmal Kalpana Grih Nirman Sahkari Samiti, Maryadit, Bhepal thruogh President Shri Amarsingh Chouhan S/o Smi Go dhen Singh Chouhan, R/o Marwari Road, Bhopal (M.P.).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on theh respective respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the vaid immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the saul Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Khasra No. 85/2 area 300 acres situated at V'llage Chunna Bhatti Teheil Huzur Distt. Rhond This is the immovable property which has been described in from No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Near Central India Floor Wills Bhopal

Date: 23-11-1984.

Seal

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 23rd November 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5383.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and

Land bearing Khasra No. 85/2 area 4.00 acres situated at Village Chunna Bhatti, Tehsil Huzur Distt. Bhopal (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Sec. 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, at Bhopal in April, 1984.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than rifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the furties has not been truly stated in the said instrument of wansfer with he object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transferand/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or "1 id Act, or the Wealth-tax Act 1927 (27 of 1937). Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in nursuance of Section 2690 of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the arcresaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following versees, namely :--

(1) 1. Shri Shyamlal
2. Shri Kamal Singh
3. Shri Bhagwanuas
4. Smt. Devi Singh S/o Shri Munnalal Guardian and 5. ont. Rampyaribai
6. Shri Kishanlal
7. Shri Balram 8. Smt. Tulsibai
8. Smt. Tulsibai
Wd o Late Shri Kewalram All
R/o Village Chunna Bhatti,
Tchsil Huzur, through attorney Shri Hari Prasad Kewal Singh.

(Transferor)

(2) Parika Sahkari Girh Nirman Sanstah Maryadit, Bhopal through President Shri Sati h Shukla S/o Shri Devi Prasad Shukla rera Colony, Bhopal.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, wi hin 45 days from the date of the publi-cation of this notice in the Official Gazette.

Explanation —The trems and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULF

Land bearing Khaera No. 8519 area 200 acres cimetal at Village Chunna Bhatti, Tehsil Huzur Distt. Bhopal. This is the immovable property which on a described in Form No. 37-G duly verified by the transferee

> V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
> Acquisition Range Near Central India Floor M'lls Bhopal

Date : 23-11-1984, Seal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOMETAX ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 23rd November 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bp1/5384,-Whereas, I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|and bearing No.

Land bearing Khasra No. 85/1, area 400 ac'es situated at Village Chunna Bhatti, Tehsil Huzur Distt. Bhopal.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 in the office of the Registering Officer at Bhopal in April, 1984.

for an apparent consideration

which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property, as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument to transfer with the object of:---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/gr
- (b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (1) of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property, by the issue of this notice under subsection (1) of Section 2691) of the said Act, to the following persons namely :---87-426 GI/84

(1) 1, Shri Shyamlal Shri Kamal Singh
 Shri Bhagwandas

4. Shri Devi Singh S/o Shri Munaalal Guardian and attorney mother Smt. Rampyaribai

5. Kampyaribai 6. Shri Kishanlal 7. Shri Balram

S/o Shri Kewalram 8. Smt. Tulsibai Wd/o Late Shii Kewalram

R/o Village Chunna Bhatti, Thisi Huzur, Distt Bhopal through attorney

Shri Hari Prasad Kewal Singh.

(Transferor)

(2) Chhatia Pati Shivaji Grih Nirmon Sahkari Samiti, Bhopal through Asstt. Secretary Shri Mahendra Jain S/o Shri D. C. Jain, R/o. T. T. Nagar, Bhopal

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immevable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing 13 asia No. 86/1 area 4.00 acres situated at Village Chunna Bhatti. Tehsil Huzur Distt. Bhonal. This is the immovable property which has been described in from No. 37-G duly verified by the transferee.

> V. K. BARANWAI Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Near Central India Floor M'lls Bhopal

Date: 23-11-1984,

Scal:

(1) 1. Shri Govindram
2 Shri Ramorasad
S/o Shri Gulab Singh,
R/o Village Chunna Bhatti, Tehsil Huzur, Distt. Baopai.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P. Bhopal, the 23rd November 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5385.--Whereas, I, Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5385.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to be leve that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000]- and bearing No. Land bearing Khasra No. 90-91/2 area 0.809 Hect situated at Village Chunna Bhattl, Tehsil Huzur, Distt. Bhopal. (and more till cribed in the schedule annexed hereto), has been transferred.

(and more till cribed in the schedule annexed hereto), has been transferred has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 in the office of the Registering Officer at

Bhopal in April, 1984, Bhopal in April, 1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforest d exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer to be seen the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; end/er

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purroses of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957); I.T.I. Govindpura, Bhopal through President R/o 8/6, South T. T. Nagar, Bhopal. (Transferee)

(2) Krishna Grih Nirman Sahkari Sanstha Maryadit,

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this action in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Khasra No. 90-91/2 area 0.809 Heet situated in Village Chunna Bhatti, Tehsil Huzur Distt. Bhopal. This is the immovable property which has been described in from No. 37-G duly verified by the transferce.

V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Near Central India Floor M'lls Bhopal

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely;-

Date: 23-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-1AX ACI, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th November 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5386.—Whereas, I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the sala Act), have reason to believe that the inmovable property having a fair market value exceeding Rs. 23,000; and bearing No. House bearing No. 2//155/2/1, situated at Shriram Colony, Jhansi Road, Lashka, Owanor, (and more tuny described in the Schedule annexe hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16).

in the office of the Registe ing Officer at Gwalior in April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aloresaid property and I have leas n to believe that the fair market value of the proprty as atoresaid exceeds the apparent consideration incretor by more than litteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax minure the said so in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the atoresaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely ---

(1) 1. Smt. Pushplata Baghai W/s Late Smi rrailingand urf Partulchand, 2. Shri Anil Baghai S/o Late Shri Pratulchand urf Partulchand 3. Ku. Shaily Dio Late Shri Pratulchand urf Partulchand 4. Ku. Kani Baghai Dio Late Shri Pratulchand urf Partulchand 5. Shri Alok Baghai 5/0 Late Shri Pratulchand urf Partulchand 6. Shri Sidnarath Bagnai S/o Late Sn. 1 Pratuichand urf Partulchand 7. Smt. Anju Jolly W/o Shai Rajkumar, All R, o 32, Shriram Colony, Jhansi Road, Lashkar, Gwalior (M.P.).

(Transferor)

(2) 1. Shri Ranjit Gupta S/o Late Shri Pooranchand Gupta, R/o Kothi, Katora Tal, Lashkar, Gwalior.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a reriod of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: — The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House bearing No. 27/755/2/1 situated in Shriram Colony, Jhansi Road, Lashkar, Gwalior This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

> V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax Acquisition Range Near Central India Floor Mills Bhopal

Date : 24-11-1984. Seal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACI, 1961 (43 OF 1961)

"GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th November 1984

Ret. No. IAC/Acqn/Bpl/5387.--Whereas, J, V. K. BARANWAL.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property naving a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

Land Survey No. 168/2 and 168/4 P. H. No. 25, with one room 2. Boaring machine 232 trees of various variety & power connection with motor situated at Village Bhatapara. Tchsil Distt. Raipur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto),

has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer

at Bhatapara in April, 1984

for an apparent consideration which is, less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

(1) Shri Rewachand S. o Sari Monansingh Sindhi, R/o Tehsil Bhatapara, Distt. Raipur.

(Transferor)

(2) M/s Dinesh Cement Udyog (Pvt.) Ltd., through Director Shri Murlidhar S/0 Sn i Jnumonlal Tawri Maheshwari, R/0 Durg Distt., Durg (M.P.).

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable Property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land Survey No. 168/2 and 168/4 situated in Village Bhatapara with one room 2 Boaring machine 232 trees of various variety and power connection with motor. Tehsil Bhatapara, Disti. Raipur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferance. by the transferee.

> K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Near Central India Floor Mils

Date: 24-11-1984.

Scal:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th November 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5388.—Whereas, I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act'), have reason to believe

that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Land Survey No. 168/15 situated at Village Bhatapara,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhatapara in April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the linbility of the transferor to pay tax under the said Act is respect of any income arising from the transfer: and/er
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the saue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

(1) Shri Mohansingh S/o Snii Dasuit Singh Sindhi, R/o Bhatapara Tehsil Bhatapara, Distt. Raipur.

(Transferor)

(2) M/s Dinesh Cement Ddyog (Pvt.) Ltd., through Managing Director Shri Murlidhar S/o Shri Jnumarlal Tawri Maheshwari R/o Durg Distt. Durg (M.P.).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Survey No. 168/15 situated at Village Bhatapara, Sant Kanwar Ram Ward, Tehsil Bhatapara, Distr. Raipur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

> V. K. BARANWAL Competent Authority
> Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
> Acquisition Range
> Near Central India Floor Mils Bhopa!

Date: 24-11-1984. Scal:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOMETAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th November 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5389.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Compactal Authority under Section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to its the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/and bearing No

Open plot of land at Kh. No. 171 situated at Village

Dagnia, Raipur. (and more turly described in the Schedule annexed hereto), has been transfured under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Raipur in April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that he consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; andior
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax. Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax. Act. 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby in iate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following nersons. namely :--

(1) Shri Kartik S/o Snii Mandal Dagniya, R/o Village Dagnia, Tehsil and Distt. Raipur.

(Transferor)

(1) M/s Karmachari Grih Nirman Sahkari Samiti Ltd., R. pur, through Pres dent Shri Sewakram Pandey S/o Shir Gendarani Pandey, R/o H-II Vichwa Vidhyalya Area, Raipur (M.P.).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Grazette or a period of 30 days from the pervice of notice on the respective persons, whichever period expires later,
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 4° days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plot of land at Kh. No. 171 situated at Village Dagnia, Raipur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

> V. K BARANWAL Competen Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
> Acquisition Range Near Central India Floor M'lls Bhopal

Date: 24-11-1984.

Sear :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOMP TAX ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th November 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5390.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable prope ty having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Open plot of and at kh. No. 171 situated at Village

Open plot of and at Kh. No. 171 situated at Village

Dagnia, Raipur.

(and more fully described in the Schedule anexed here o), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Raipur in April, 1984

at Raipur in April, 1984
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more
than fifteen per cent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between
the parties has not been truly stated in the said instrument
of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income airsing from the transfer: and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax, Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1) 1. Shri Milan
2. Shri Mangi and
P. Jagnuo Derhin
Wd/o Shri Jagnuo,
R/o Village Dagnia, Raipur.

(Transferor)

(2) M/s. Karmachari Grih Nirman Sahkari Samiti Ltd., Raipur, through President Sh i Sewakian Pand y S/o Shri Gendaram Pandey, R o H-II was Vidnyaya Area, Raipur (M.P.).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plot of lands at Kh. No. 171 situated at Village Dagnia, Rainur. This is the immovable property which has been described in from No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Near Central India Floor M'lls Bhopal

Date: 24-11-1984,

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th November 1984

Ref. No. IAC 'Acqn/Bpl/5391.--Whereas, I. V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

Land at Kh. No. 28/4 situated at Mouza Raipur Ring

Road No. 2, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Raipur in April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as storesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than lifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has no been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act. in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferer for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1) Shri Kamal Kishore S/o Shri Poonamchand Agarwal, R o Kumar Talab, Raipur.

(Transferor)

(2) Shri Chand Contractor, R to Lakhe Nagar, Rainur.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Land at kh. No 28/4 at Mauza Raipur, Ring Road No. 2 Raipur. This is the immovable property which has been described in from No 37 G July verific by the transference

V. K BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range Near Central India Floor Mills Bhopal

Pote : 24-11-1984.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th November 1984

Ref. No. JAC/Acqn/Bp]/5392,—Whereas, I, V. K. BARANWAI

V. K. BARANWAL, being the Computent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No. Land at Kh. No. 28/3 situated at Mauza Roipur Ring Road No. 2

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at

at Raipur in April, 1984.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforestid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparat consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the considered to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice unue, sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following nersons. namely:--

88-426GI/84

(1) Shri Vijya Kumar S/o Shri Poonamchand Agarwal, R/o Kumar Talab, Raipur.

(Transferor)

(2) M/s Athumal Contractor, R/o Lakhe Nagar, Rainur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

I and at Kh. No. 28/4 at Mauza Raipur, Ring Road No 2 Raipur. This is the immovable property which has been described in from No. 37-G duly verified by the transferee

V. K. BARANWAI Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range Near Central India Floor Mills Bhopal

Date: 24-11-1984.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th November 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5393.—Whereas, I, V. K. BARANWAY

V. K. BARANWAL.
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000-and bearing No.

Land at Kh. No. 28/5 situated at Mauza Raipur Ring

Road No. 2

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Raipur in April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than Aftern percent of such apparent consideration infector by more than a such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any

 Sbri Rajsah Kumar
 S/c Shri Poonamchand Agarwal,
 R/c Kumar Talab. Raipur.

(Transferor)

(2) M/s Athumal Contractors, R/o Lakhe Nagar, Raipur.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a paried of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Ast, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferes for the purposes of the Indian Incometax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Land at Kh. No 28/5 at Mauza Raipur, Ring Road No. 2 Raipur. This is the immovable property which has been described in from No. 37-G duly verified by the transferee.

> V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range Near Central India Floor Mills Bhopal

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :---

Date: 24-11-1984.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

Shri Ajay Kumar
 S/o Shri Poonamchand Agarwal,
 R/o Kumar Talab,
 Raipur (M.P.).

(Transferor)

(2) M/s Shrichand Constructor, R/o Lakhe Nagar, Raipur (M.P.).

(Transferce)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th November 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5395.—Whereas, I, V. K. HARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tix Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'taid Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Land at Kh. No. 28/6 situated at Mouza Raipur Ring Road No. 2 Raipur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Raipur in April, 1984. for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said. Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Kh. No. 28/4 at Mauza Raipur, Ringh Road No. 2 Raipur. This is the immovable property which has been described in from No. 37-G duly verified by the transferes.

V. K. BARANWAL.
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range
Near Central India Floor Mills
Bhopal

Date : 24-11-1984.

Seal

FORM No. 1.T.N.S.-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX. ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th November 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5395.—Whereas, 1, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000- and bearing

Plot No. 354 situated at Chirhuldeh, Raipur

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office, at Raipur in April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds he apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of '--

- (a) lacustating the reduction of evasion of the flability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transferor, and or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

 M/s Samta Grih Nirman Sahkari Samiti Ltd., Chirhuldih, Raipur.

(Transferor)

(2) Shri Jodharam S/o Shri Dasomal Bhatia, R/o Jawahar Nagar, Raipur (M.P.).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property many be made in writing to the understaned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires tates.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHLOULE

Open plot No. 354 at Chithuldeh, Raipur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Near Central India Floor Mills
Bhopal

Date: 24-11-1984.

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOMB-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th November 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5396.—Whereas, I, V. K. BARANWAL.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing No.

House No. 743/2B, 743/2C2, 743/2C3, 743/2C4 Rh. No. 303 situated at East Niwad ganj, Jabalpur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Jabalpur in April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the sald instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any moome arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Khubchand
S/o Shri Rathilal Jain Prop.,
M/s Rathillal Khubchand & Co.,
Gandhi Ganj,
Jabalpur (M.P.).

(Transferor)

(2) M/s Mandla Cables and Contractors Corporation, Wright Town, Jabalpur, through Partner Shri Vijya Kumar Jain, S/o Shri Chekodilal Jain, R/o Wright Town, Jabalpur (M.P.).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLICATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House bearing No. 743/2B, 743/2-C2, 743/2-C-3, 743/2-C-4, situated at West Niwad Ganj, Jabalpur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Near Central India Floor Mills
Bhopal

Date: 24-11-1984.

Soul :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th November 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5397.—Whereas, I, V. K. BARANWAL.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and

bearing No. House No. 1526/3, 182/1-B, 655 situated at Wright Town, Jabalpur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jabalpur on April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to ordieve that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than different per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) 1. Dilip Kumar Mitra

2. Smt. Sushma iMtra

3. Shri Niraj Mitra (Minor) All R/o Wright Tone.
Jabalpur.

(Transferer)

(2) 1. Shrinath Pedia

2. Koshendranath Pedia,

3. Yadkunath Pedia

 Smt. Sushilabai Pedia, All R/o Wright Town, Jabalpur (M.P.)

(Transferos)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undessigned...

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this nation in the Official Gazette or a period of 30 days from the anytice of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official-Gazatte.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given; in that Chapter.

THE SCHEDULE

House bearing No. 1526/3, 182/1-B, 655 situated at Wright Town, Jabalpur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferce.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range Bhopal

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 24-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th November 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5398.—Whereas I, V. K. BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and

No. Flat No. 7 on House No. 10/2 situated at South Tukogani, Indore

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more then fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; end/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Shri Madhay Gosawi, S/o Shri Shriniwas Gosawi, R/o 10/2 South Tukoganj, Indore.

(Transferor)

(2) Shri Nayan Kumar S/o Shri Keshavji Shah, R/o 7/1 Vallabh Nagar, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the aquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said unmorable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 7 on house No. 102 situated at South Tukoganj, Indore. This is the immovable property which has been described in from No. 37-G duly verified by the transferee.

> 7. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Bhopal

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following

persons, semely :-

Date: 24 | 11-1984

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th November 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5399.—Whereas I, V. K. BARANWAL.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. House No. E-1 situated at Saket Nagar, Indore

(and more fully described in the Schedule annexed hereto),

has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at

Indore on April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than influen per cent of such apparent consideration and that the consideration to such transic; as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Weelth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the sain Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:-

- (1) Smt. Shobhana Nagu Wd/o Late Shri Deepnarayan Nagu R/o 22-Gulmohar Colony, Indore (Transferor)
- (2) Shri S, Vitendar Singh S/o S, Hardial Singh Director M/s, Indore Steel and Iron Mills (Pvt.) Ltd., R/o E-1, Saket Nagar, Indore.

(Transferee) Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Ac., shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. E-1, situated at Saket Nagar, Indore, This is the immovable property which has been described in from No. 37-G duly verified by the transferee.

> V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Bhopal

Date: 24-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th November 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5400.--Whereas I, V. K. BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. Plot 205 situated at Saket Nugar Indore

(and more fully described in the Schedule annexed hereto),

has been transferred

under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer

at Indore on April 1984

at indore on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer;
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1972) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---89--426GI/84

- (1) Smt. Darshan Arora W/o Sri Narendranath Arora Thro' Genl. Power of attorney Maharaj Kishan S/o Shri Mulkraj R/o 16, Narayan Bagh, Indore. (Transferor)
- (2) Sarladevi W/o Sri Kanti Prasad Parasram Puri R/o 35-B, Industrial Estate, Lakhmi Bagh Nagar, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Plot No. 205 is situated at Saket Nagar, Indore. This is the Immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

> V. KI BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Bhopal

Date: 24-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHQPAL, M.P.

Bhopal, the 24th November 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5401.—Whereas, I, V. K. BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinaftre referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable appropriate having a said to be a second to be a secon able property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 - and bearing No. House No. 10/2 situated at South Tukogani, Indore

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Indore on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any moome or any moneys or other assets which have not been er which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this' notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1) Madhav S/o Shri Srinivasji Gosavi, R/o 10/2, South Tukoganj, Indore

(Transferor)

 Shri Jagdish S/o Harbakshji Sharma
 Smt. Shantibai W/o Jagdish Sharma R/o
 16, Kibey Compound, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immevable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 10/2 is situated at South Tukoganj, Indore. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

> V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Bhopal

Date: 24-11-1984

(1) Shri Narayan S/o Phakkad Bari R/o Lohar Mandi, Teh. & P.O. Burhanpur, Dist. East Nimad. (Transferor)

(2) Shri Parasmal S/o Bastimal Jain Gouthamchand S/o Jeevraj S/o Khemraj Devda Eknath S/o Samuji Sanvane Ro Lalbagh, Teh. & P.O. Burhanpur, Dist. East Nimad.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th November 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5402.-Whereas I, V. K.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No. Offile No. 303 on third floor in "Nirman No. Plot bearing Kh. No. 42/1 situated at Vill. Lulbagh, Teh. Burhanpur, Dist. East Nimad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at East Nimad Burhanpur on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of .—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which ever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Plot bearing Kh. No. 42/1 is situated at Lalbagh, Burhanpur. This is the immovable property which has described in form No. 37G duly verified by the transferce.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for which ought to be disclosed by the transferer for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

ing persons namely :-

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice hereby under sub-section (1) of Section 269D of said Act to the follow-

V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Bhopal

Date: 24-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th November 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5403.—Whereas, I, V. K.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. House No. 1258/H9 situated at New Gupteswar Ward,

Madan Mahal, Jabalpur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer

at Jabalpur on April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/er

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:— (1) Smt. Mamta Shah, W/o Jawar Shah, R/o New Gupteswar Ward, Madan Mahal, Jabalour.

(Transferor)

(2) Smt. Amar Kaur W/o Sardar Balwant Singh, 690, Cantt., Jabalpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 1258/H9 is situated at New Gupteshwar Ward, Madan Mahal, Jabalpur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

> V. K. BARANWAL Competent Authority
> Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Bhopal

Date: 24-11-1984_

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 28th November 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5404.—Whereas I, V. K. BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000| and bearing No.

House bearing No. 637/8, Kamlanehru Nagar situated at Yadav Colony, aGrha Road, Jabalpur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jabalpur on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfers and or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Shri Ramesh Mukund Rao, Top-Khanawale.
 R/o 639/8, Kamla Nehru Nagar, Yadav Colony, Jabalpur.

(Transferor)

(2) Shri Krishna Kumar Tandon & Smt. Swarnalata Tandon, 406, Nagpier Town, Jabalpur. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House bearing No. 637/8 is situated at Kamla Nehru Nagar, Yadav colony, Garha Road, Jabalpur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the trunsferce.

V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissoiner of Income-tax Acquisition Range, Bhopal

Date: 28-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 5th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5405.—Whereas I, V. K. BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and

bearing

No. Plot bearing No. 31 situated at Udyog Nagar (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

 Shri Girdharilal S/o Mohandas, R/o 61, Vidya Nagar, Indore.

(Transferor)

 Smt. Vandana W/o Chimandas, Rupramnagar Smt. Durgadevi W/o Madhavdas, Jairampur colony. Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazetts.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given at that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot bearing No. 31 is situate dat Udyog Nagar, Indore. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 5-12-1984

 Smt. Shahanvaz Wd/o late Jamshed Prishap, Nifariz, Father late Jamshedji, Parsi, Neemuch Cantt.

(Transferor)

(2) Smt Taradevi W/o Badrılul, Smt. Leeladevi W/o Gırdharilalji Goyal, Neemuch Cantt.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 5th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5406.--Whereas, I, V. K. BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and

bearing No. Plot & Bungalow No. 48 situated at Neemuch Cantt. Neemuch (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Neemuch on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any 'ncome arising f' an the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957); (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as give in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot & Bungalow No. 48 is situated at Neemuch Cantt, Neemuch. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL.
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 5-12-1984

Soal:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 5th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5407.—Whereas, I, V. K. BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/No. Survey No. 361 situated at Dewas Senior, Dewas (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Dewas on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (ā) facilitating the reduction or evasion of the Hability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in purusance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Sushilabai Wo Vijaykumar Jain, Topkhana, Ratlam
 Shii Subhashchand S/o Hiralalji Jain, Ratlam
 Meenakshi Ben W/o Shri Maheshkumar Jain, Ratlam
 (Transferor)

(2) Annapurna Land and Finance Company, Rajabali Marg, Thro' Partners Shri Harisingh, Vidyashanker, Rakesh, Smt. Durgabai, Smt. Padma and Smt. Manju, Dewas, (Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period experses later,
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Survey No. 361 is situated at Dewas Senior, Dewas. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal

Date: 5-12-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 5th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5408.—Whereas I, V. K.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No

Land bearing S. No. 361 situated at Dewas Senior, Dewas (and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dewas on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer: and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other asset; which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or 'he said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

90-426GI/84

 Smt. Sushilabai W/o Vijaykumar Jain, Top Khana, Ratlam. 2. Shri Subhashchand S/o Hiralalji Jain, Ratlam. 3. Smt. Meenakshi Ben W/o Shri Mahesh Kumai Jain, Ratlam.

(2) Annapurna Land and Finance Co., Rajabali Marg, Thro' Partners Shri Harisingh, Vidyashanker, Rakesh, Smt, Durbabai, Smt. Padma and Smt. Manju Dewas. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing S. No. 361 is situated at Dewas Senior, Dewas. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

> V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bho al

Date: 5-12-1984

FORM I.T.N.S.-

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 5th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5409.—Whereas, I, V. K. BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter reterred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000l- and bearing

Rs. 25,000|- and bearing No. S. No. 361, situated at Dewas Senior, Dewas

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dewas on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (A) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or with neight to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (if of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:

 Smt. Surhilabai W/o Vijaykumar Jain, Topkhena, Ratlam. 2. Sh. Subhashchand S/o Hiralahi fain Rurlam. 3. Smt. Meenakshi Ben W/o Shri Manesh Kumar Jain, Ratlam.

(Transferor)

(2) Annayurna land and Finance Co., Rajabali Marg, Thro' pattners Shri Harisingh, Vidyashanker, Rakesh, Smt Dutgabai, Smt. Padma and Smt. Manju, Dewas.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning a given in that Chapter

THE SCHEDULE

Land bearing S. No. 361 is situated at Dewas Senior, Dewas. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferce.

V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bhopal

Date: 5-12-1984

PROPERTY AND ADMINISTRAL COMPANY OF THE PARTY OF THE PART

FORM ITNS--

MATERIAL OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX *C1, 1961 (43 GF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 7th December 1984

Ref. No. LAC/Acqn, Bpl/5410 —Whereas I V. K. BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Plot No. 192, situated at C-Sector, Indrapuri, Bhopal (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been tradicited

under the Registration Act, 1908 (16 of, 1908) in the office of the Registering Officer

at Bhopal on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property, as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and or

(b) facilitaing the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following person, namely:—

(1) Smt. Saida Khatun W/o Mohd. Wasir, R/o Shahjahanabad, Bhopal.

(Transferor)

(2) Snn Mohd. Saleem S/o Mohd. Ismail fin front of Central Library, Itwara, Bhopal. (Transferee)

Objection., if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons; whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given to the Chapter

THE SCHEDULE

Plot No. 192 (C-Sector) is situated at Indiapun, Bhopal. This is the immovable property which has been described by the transferce duly verified by the transferce.

V. K. BARANWAL

Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal

Date: 7-12-1984

FORM ITNS----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 7th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5411.—Whereas I, V. K. BARANWAL

oeing the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,00/- and bearing

No. Plot No. 17 (D-Sector) situated at Kohefiza, Bhopal (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bhopal on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesald property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesald exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Shi Mahesh Kumar S/o'Parcha Ram Sindhi, Sindhi Colony, Bhopal. (Transferor)

(2) Smt. Anaud Pyari W/o V. K. Tandon R, o Civil Lines, Block No. 1, Rewas Present address: Plot No. 17, D-Sector,

Koheriza, Bhopal.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazetto or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 17 (D-Sector) is situated at Kohefiza, Bhopal. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bhopal

Now, therefore, in pursuance of Section 269°C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforem d property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 7-12-1984

(1) Smt. Rita W/o Rajiv Ghai, Chhindwara Thro General Power of attorney Smt. Manju W/o Pratip Rao, R/o E-2/158, Arera colony, Bhonal.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Smt. Ishwari W/o Ratanlalji R/o Ganga Niwas, Bairagarh

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 7th December 1984

Ref. No. 1AC/Acqn/Bp1/5412 —Whereas, I, V. K. BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to is the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-

No. Plot No. 43 situated at Kohefiza, Bhopal

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Bhorul on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or:

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferes for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Plot No. 43 is situated at Kohefiza, Bhopal. This is the immovable property which has been described in form No. 37G duly verifitd by the trasnforce.

> V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bhopal

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act. to the following persons, namely:-

Date: 7-12-1984

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 7th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5413.—Whereas, I V. K. BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25 000|and bearing

No. Plot No. 26 situated at Idgah Hills, Bhopal

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office

of the registering Officer at Bhopal on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and for

(b) facilitating the conceniment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Ast, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

(1) Saidar Haider Eingh s/o Sardar Gurumukh Singh, Shajanabad, Bhopal.

(Transferor)

(2) Smt. Jagject Kaul W/o R. S. Bagga, 56, Shante Nagar Colony, Bhopal.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. which ver 'period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, wi hin 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The trems and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 26 is situated at Idgah Hills, Bohpal. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

> V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bhopal

Date: 7-12-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-IAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 7th December 1984

Ref. No. IAC/Acq π/B $^{4}/5414$.—Whereas, I, V. K. BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinaster referred to as the said Act), have reason to believe that the immevable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. Plot No. 54 (Lala Rajpatrai Co-on. Housing Society)

situated at Arera colony, Bhopal (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registration Officer at Bhoual on April 1984

at motor. Of April 1964 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid troperty and I have to son to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-uax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquestion of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:-

The second secon (1) Smt. Ishwari W/o Ratanlal Sindhi R / Bus stand, Biaragarh.

(Transferor)

(2) Seri Rajkumai Ramsinghani S/o Shri Gopaldas, R to E-7/165 Areia colony, Bhopal.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 down from the uate of publication of this notice in the Official Garatte or a period of 30 days from the Servictor from the respective persons, whichever period expires later;
- by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this otice in the Official

FXPLANATION: -- The terms and expressions used herein as are J.fined a Chapter XXA of the said Art shall two the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 54 is situated at Lala Rajpatrai Co.op. Housing sce'cty, Area colony. Bhopal This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

> V. K. BARANWAL Competent Authority
> Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bhopal

Date: 7-12-1984

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME [17 AC1, 1961 (43 OF 1961)

Shri Gurumukh Singh S/o Shri Gopalsingh; Gopal Singh S/o Ladha Singh, R/o Lawahar Chowk, T. T. Nagar, Bhopal. (Transferor)

(2) Smt. Jagjit Kau w/o Paramjit Singh, R/o 15-C, Karamganj, Jtawa (U.P.).

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhoral, the 7th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5415.—Whereas, I, V. K. BARANWAL,

at Bhopal on April, 1984

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing

Plot No. 7-H situated at Punjabi Bagh, Raisen Road, Bhopai (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of ;—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which eught to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 7-H is situated at Punjabi Bagh, Raisen Road, Bhopal. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the afore: aid property by the issue of this office notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 7-12-1984

Scal.

(1) Sardar Labh Singh S/o S. Valvet Singh R/o Ghodanakhas, Bhopal.

(Transferor)

(2) 1. Smt. Manmeet Kaur w/o Rajender Singh; R/o Punjabi Bagh, Bhopal,

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, hte 7th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5416.—Whereas, I,

V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 2698 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Plot No. 14 situated at Punjabi Bagh, Raisen Road, Bhopal (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has ben transferred

under the Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer

at Bhopal on April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the sald EXPLANATION:—The Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 14 is situated at Punjabi Bagh, Raisen Road, Bhopal. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

> V. K. BARANWAL Competent Author'ty Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Income-tax Building Near Central India Floor Mills, Bhopal

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act. to the following persons namely:——91—426GI/84

Date: 7-12-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GUVERNMENT OF INDIA

(1) Smt. Vimladevi W/o S. C. Maheshwari, Ten. Raipur,

(Transferor)

(2) Shri Bal im Chawla S/o Narsingh Chawla, Ramii, Teh. & Dist, Raipur.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER . OF INCOME-TAX

ACOUISITION RANGE, BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 7th December 1984

Ref No IAC/Acqn/Bpl/5417.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|and bearing
Plot and House (Hut) thereon
situated at Devendra Nagar, Scheme No. 32 (Sector 1)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transfe red under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Raipur on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration herefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the lability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the decreased property by the user of his notice and result section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons. namely :--

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette. within 45 days from the date of the

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXX of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot & hut thereon situated at Devendra Nagar, Scheme No. 32 (Sector 1), Raipur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

> V. K. BARANWAL Competent Auth y Inspecting Assistant Commission of Income-tax Acquisition Range Income-tax Building Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date: 7-12-1984 Scal ;

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOMETAX

ACQUISITION RANGE,

BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 7th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5418.—Whereas, I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|-and bearing

Plot and hut thereon

situa'ed at Devendia Nagar, Scheme No. 32 (Sector I) Raipur (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the offi.e of the Reg.stering Officer at Raipur on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds, the apparent consideration therefor by more than afteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such a parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act. in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1972 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Shri Dinesh Rathore S/o Basanti Rathore Fafadih, Raipur.

(Transferor)

(2) Shri Chandra Prakash Jain S/o Chhotelal Jain, R/o Balda Bazar, Teh. Raipur.

(Transferce)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot & hut thereon is situated at Devendra Nagar, Scheme No. 32, Sector 1, Raipur. This is the immovable property which has been described in form No. 37G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Now, therefore, in pursuance of Section 269°C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 7-12-1984

FORM IINS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-1AX AC1, 1961 (43 OF 1961)

Shri Jhadu S/o Sumeri, Hallu S/o Sumeri, Shivp asad S/o Jhadu, R/o 'Ieli Bandha, Raipur.

(Transferor)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 7th December 1984

Ref. No. 1AC/Acqn/Bpl/5419.--Whereas, I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (45 of 1961) (hereinaster referred to as the Said Act), have reason to othere that the immovable property, naving a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

Land bearing Kh. No. 480 situated at Teli Bandha, (P. H. No. 113), Ralpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Raipur on April 1984

tor an apparent consideration which is less than the fair market value of the atoresaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and for

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957); (2) New Tila Nirman Sahkari Samiti Ltd., Raipur. (Transferce)

Objection, it any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the sald immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Kh. No. 480 is situated at Teli Bandha P. H. No. 113) Raipur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferce.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the Issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 7-12-1984

Seal

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-LAX,

ACQUISITION RANGE,
BHÖPAL, M. P.

Bhopal, the 7th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5420.—Whereas, I, Land at Kh. No. 10

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (heremafter referred to us the said Act), have reason to believe that the incomposable property, having a fair market value exceeding Rs. 2.5,000/- and bearing land at Kh. No. 10

situated at Kn. No. 10
situated at Gonthwara (Industrial area), Rampur.
(and more fully described in the Schedule annexedd hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Rampur on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the atoresaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and for

(b) Excilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Jhumaklal S/o Teru Satnami & Others R/o Gondhwara,
Teh. & Dist, Rampur.

(2) Shri Krishna Kant etc. S/o Ratanlal Goyal, R/o Phatadih, Rampur.

(Transferor)

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned;—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same mouning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Kh. No. 10 is situated at Gondhwara, Rampur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferce.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Rango
Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date: 7-12-1984

Sent:

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQ J'SHION RANGE, BHOPAL, M P.

Bhopal, the 7th December 1984

Ref. No IAC/Acqn/Bpl/5421—Whereas, I, V. K. BARANWAL,

being he Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the smatter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No as per Scheduled situated at Plot & hut thereon

situated at Main Road, Waru No. 16 Balaghat (and more fully described in the Schiedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Pegistering Officer at Balaghat on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair ma ket value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as ag eed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been of which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:-

- (1) 1. Snt Huller Bil V /o Runcharan Ku Kromra a in Rayoh & sh Joshi Father late S'i i Rame aran Ghatewal, Balaghat
 - 2. Smt similibai W/o Sucama Ghadewal, 3. 12 jki h S/o I m saran Ghatewal, Bulaghat.

(Transferor)

(2) Shri Umashark t / v S/o R mbicse Asatt Ward No. 10, Balaghat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Crafte crapr d of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,
- (b) by any other person into ested in the said immovable property, within 45 d x r is the dist of the publication of this noise in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Charter XNA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot & hut the con is special. Main Road, Ward No. 16, Balaghat. This is the introvible pure to which has been described in form No. 1776 at each liby the transferee.

V K. BARANWAL Competing Assistant Compile in a laco restax Acqu sition Range Income-tax Building Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date: 7-12-1084

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACI, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 7th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5422.—Whereas, I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|-and bearing

Land bearing Kh. No. 1618 (P H. o. 50-A) Nsituated at Jolampur Ward. Dhamtari

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been true of the Points of the Points

of 1908) in the office of the Registering Officer

at Dhamta'i on Ap il 1 84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than lifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/o_s

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indiar Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Prahlad, Shriram, Sewakram, Gopalram S/o Pithuram, Indra, indiavati Fainei Pinnulam Devsir S/o Pithulam, Jagesar, Jagusuram S/o Milap ri fal Khore, Phagulam, S/o Milu, Ratnibai W/o Milu Agnulam S/o Jeylal, Suraj Bhai, Kalabai Fatner Jahal, Kamsingh, Jhadu Marar, R/o Salhevar para, Dhamtari

(Transferee)

(2) Smt. Sarla Jain W/o Gyanchand Jain, Mottlal Jain Kanwarlal Jain, Ragnunath Agarwal S/o Nandlal Agrawal, R/o Sadar Bazar, Dhamtari.

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the aid Act chall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Kh. No. 1618 (P.H. No. 50A) is situated at Jalamour Ward, Dhomtari This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Author v
Inspecting Assistant Commission in of incompatex
Acquisition Range
Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date: 7-12-1984

Soal

(1) Shri Mohanlal S/o Maoli Gohil. R/o Gandhi Ganj, Chhindwara.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Gulzar Singh S/o Jalam 'singh Raghuvanshi 2. Mohan lal S/o Totaram Batra C/o Mohan cloth stores, Near Raj Talkies, Chbindwara.

(Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

(a) by any of the aforesaid persons within a period of

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M. P.

45 days from the date of publication of this notice in the Otherai Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

Bhopal, the 7th December 1984

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5423.--Whereas, I, V. K. BARANWAL,

publication of this notice in the Official Gazette.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|and bearing No.

> Explanation: - The terms and expressions used herein are defined in Chapter AXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

Land bearing Kh. No. 2103 situated at Chhindwara

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

at Chhindwara on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; andior

> Land bearing Kh. No. 2103 is situated at Chhindwara. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferoe for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

V. K. BARANWAI. Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Income-tax Building Near Central India Floor Mills, Bhopal

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the seid Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice—under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Date: 7-12-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA:

(1) Shri Suijit Prakash Chhabda S/o Shri Gopaldas Chhabda, R/o Jehangiiabad, Bhopal.

(Transferor)

(2) Shri Kamalsingh S/o Dori Singh
R/o Old Subhash Nagar, Bhopal.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 7th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5424.—Whereas, I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|and bearing Plot Nos. 2 & 3 situated at Raisen Road, Bhopal

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Bhopal on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer;
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person enterested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plots bearing No. 2 & 3 are situated at Raisen Road. Bhopal. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

> V. K. BARANWAI Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Income-tax Building Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date: 7-12-1984 Seal:

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following person namely:— 92-426GI/84

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 10th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5425...-Whereas, I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

Part of House

situated at Noor Mahal, Bhopal

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhopal on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the Hability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269°C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely?—

(1) Smt. V. S. Parvatam W/o V. S. Mani, R/o Noor Mahal, Bhopal.

(Transferor)

(2) Shri Brigdish Iyer S/o G. A. Ramamurthy, Noor Mahal, Bhopal.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House (Ptrt thereof) is situated at Noor Mahal Road, Bhopal. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date: 7-12-1984

FORM ITNS...

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 7th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/4526.—Whereas, I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe

that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing

situated at Noor Mahal, Bhopal

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhopal on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferrer for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Weshth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Smt. V. S. Parvatam W/o V. S. Mani, R/o Noor Mahal, .Bhopal.

(Transferor)

(2) Shri R. Shanker Iyer S/o G. A. Rammurthy, Noor Mahal, Bhopal.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immevable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

House (Part of is situated at Noor Mahal, Bhopal. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date: 7-12-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 7th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5427.—Whereas, I, V. K. BARANWAL,

v. R. BARAINWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair mbarket value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Land bearing Kh. No. 428/2 situated at Mauza—June Bilaspur (and more fully described in the Schedule annexed hereto)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Bilaspur on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the objetc of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1937 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269°C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesiand property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following paragraphs. ing persons, namey .--

(1) 1. Shri Balram Kashyap S/o late Lalaram Kashyap

2. Shyambai W/o late Lalaram Kashyap

(Transferor)

2. Smt. Lalmuni Bai W/o Shri Nandlal Jaiswal, R/o Belghana Teh. Bilaspur. Bilaspur.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter,

THE SCHEDULE

Land bearing Kh. No. 428/2 is situated at Maua—June Bilaspur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range Income-tax Building Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date: 7-12-1984 Seal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 7th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5428.—Whereas, I, V. K. BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

Land bearing Kh. No. 428/2

& 428/3

situated at June Bilaspur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Bilaspur on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and for
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be dislossed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) 1. Shri Balram Kashyap

S/o late Lalaram KashyapSmt. Shyambai W/o late Lalaram Kashyap R/o June Bilaspur...

(Transferor)

Shi Hanuman Piasad S/o Gopi Ram Agarwal
 Sh. Bazaranglal S/o Metunom Agrawal,
 R/o Gandhi Ganj, Rajgarh.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Kh. Nos. 428/2, & 428/3 are situated at June Bilaspur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferce.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date: 7-12-1984

Seal

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE. BHOPAL, M. P.

Bhopal, M.P., the 10th December 1984

Ref. No. JAC/Acqn/Bpl/5429.—Whereas, I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. House No. 35/86 situated at Tejendranath Ki Gali, Lohia Bazar, Lashkar, Gwalior

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred the agreemnt is registered under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Gwalior on Apri 11984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Ast, in respect of any income arising from the
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act. or the Wealth-tax Act, 1937 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :--

(1) Smt. Phoolbati Gupta W/o late Shri Bulakidas Ji Gupta R to Teiendranath Ki Gali, Lohia Bazar, Lashkar, Gwalior.

(Transferor)

(2) Shri Rajendra Kumar & Navalkishore S/o Shri Phoolchand Ji Agrawal, R/o Tejendranath Ki Gali, Lohia Bazar, Lashkar, Gwalior.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given that Chapter.

THE SCHEDULE

House bearing No. 35/86 is situated at Tejendranath Ki Gali, Lohia Bazar, Lashkar, Gwalior. This is the immovable property which has been described in form 37-G duly verified by the transferce.

> V. K. BARANWAL Competent Authority
> Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Income Tax Building, Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date: 10-12-1984

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M, P.

Bhopal, M.P., the 10th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5430.--Whereas, I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section

269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House bearing No. 35/86 situated at Tejendranath Ki

Gali, Lashkar, Gwalion

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office

of the Registering Officer at Gwalior on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the reason to believe that the last infinite value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to puy tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; ص/احة
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferse for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Smt. Phoolbati Gupta W/o late K. Bulakidas Ji Gupta, R/o Tejendranath Ki Gali, Lohia Bazar, Lashkar, Gwalior.

(Transferor)

(2) Shri Shyamlal Agrawal S/o Shri Phoolchand Ji Agrawal, R/o Tejendranath Ki Gali, Lohia Bazar, Lashkar, Gwalior.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House bearing No. 35/86 is situated at Tejendranath Ki Gali, Lohia Bazar, Lashkar, Gwalior. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

> V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Income Tax Building, Near Central India Floor Mills, Bhopal

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 296D of the said Act, to the following persons, namely :-

Date: 10-12-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE. BHOPAL, M, P.

Bhopal, M.P., the 10th December 1984

Ref. No. 1AC/Acqn/Bpl/5431.—Whereas, I, V. K. BARANWAL,

v. K. BAKANWAL, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. House bearing No. 35/86 situated at Tejendranath Ki Gali, Lohia Bazar, Lashkar, Gwalior (and more fully described in the Schedule appeared hereta).

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Gwalior on Apri 11984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferer for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 2692 of the said Act, to the following persons, namely --

(1) Smt. Phocibati Gupta W/o late K. Bulakidas Ji Gupta, R/o Tejendranath Ki Gali, Lohia Bazar, Lashkar, Gwalior.

(Transferor)

(2) Shri Vinod Kumar Agrawal S/o Sri Phoolchand Ji Vaish R/o Tejendranath Ki Gali, Lohia Bazar, Lashkar, Gwalior.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the res-pective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein a are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that

THE SCHEDULE

House bearing No. 35/86 is situated at Tejendranath Ki Gali, Lohia Bazar, Lashkar, Gwalior. This is the immovable property which has been described in form 37-G duly verified by the transferec.

> V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Income Tax Building, Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date: 10-12-1984

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE. BHOPAL, M, P.

Bhopal, M.P., the 10th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bp1/5432.—Whereas, I. V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing

No. House bearing No. 35/86 situated at Tejendrauath Ki Gali Lohia Bazar, Lashkar, Gwalior (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16) of 1908) in the Office of the registering Officer

Gwalior on Apri 11984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following ing persons, namely:-93-426GI/84

(1) Smt. Phoolbati Gupta W/o late Shri K. Bulakidas Ji Gupta, R/o Tejendranath Ki Gali. Lohia Bazar, Lashkar, Gwalior.

(Transferor)

(2) Shij Omprakash Agrawal S/o Sri Phoolchand Ji Valsh R/o Tejendranath Ki Gali, Lohia Bazar, Lashkar, Gwalior.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:--The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same maening as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House bearing No. 35/86 is situated at Tejendranath Ki Gali, I ohia Bazar, Lashkar, Gwalior. This is the immovable property which has been described in form 37-G duly verified by the transferee.

> V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Income Tax Building, Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date: 10-12-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M, P.

Bhopal, M.P., the 10th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5433.-Whereas, I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property baving a fair market value exceeding Rs. 25,000|and bearing No.

14/99 situated at Ratlam

(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ratlam on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tip Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforespid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :-

Ramcharan Chordia, Maginal il Maheshwart, Chandmal Lodha, Amrithlal Vonra, Kalyanmal Purohit, Pakhirchand Gujrati, Shantilal Gupta, Shantilal Patni,

through powe rof attorney holder Shri Babulal 5/o Lakadpita, Shri Pannalal

(1) Shri Manaklal Agarwal,

S/o .. Dulichand Katariya,

Ratlam.

(Transferor)

(2) Shri Annapuina Anna Kshetra Trust Board, Ratima, Trustees Shri Gopichand Nanu 5/o Dulichand Katariya, Friganj, Ratlam.

(Transferee)

Objections,, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property is situated at atlam, immovable. The details have been given in Form No. 37-G duly verified by the tra usfere ..

> V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range. Income Tax Building, Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date: 10-12-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ΛCQUISITION RANGE, BHOPAL, M, P.

Bhopal, the 10th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn Bpl/5434.—Whereas, I, V K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

No. 23 in Ward No. 32 Mohalla Rangrez Road, situated at Ratlam

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has ben transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ratlam on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than lifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (w) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-km Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) 1. S. Shri Saidarmal S/o Shamsundei,
 - 2. Kailaschandra,
 - 3. Naiendia Kumar, 4. Ashok kumar,
 - 5. Rajeshkumar,

Ss/o Samiathmalji Agaiwal, through General power of attorney Shri Samrathmal

S/o Ratanlalji Agarwal, Nai Abadi, Mandsur.

(Transferor)

(2) Smt Sushila Devi w/o Sripalkumarji Lunia, 37/10 Bharawa Ki Kui, Ratlam M.P.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The house in part situated at Ratlam is the immovable property, the details have been described in Form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL.
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Income Tax Building,
Near Central India Floor Mills,
Bhopal

Date: 10-12-1984

FORM ITNS .--

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-IAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M, P.

Bhopal, the 10th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5435.—Whereas, 1, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and hearing

and bearing
No. 23 in Ward No. 32 Mohalla Rangrez Road, situated at
Ratlam

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ratlam on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) 1. S/Shri Sardarmal S/o Shamsunder,
 - Kailaschandra,
 - 3. Narendrakumar,
 - 4. Ashok kumar, 5. Rajeshkumar,

S/o Samrathmalji,

through General power of attorney

Shri Samrathmal S/o Ratanlalji,

S/o Ratanlalji, Nai Abadi, Ratlam.

(Transferor)

(2) Smt. Chandrakala Devi W/o Ashok kumarji Luniya, Bharavaka Ki Kui, Ratlam.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The house in part situated at Ratlam is the immovable property, the details have been described in Form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Income Tax Building,
Near Central India Floor Mills,
Bhopal

Date: 10-12-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M, P.

Bhopal, the 10th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5436.—Whereas, I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing
No. 23 in Ward No. 32 Moballa Rangrez Road, situated at

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at 1908) in the office of the Ratlam on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transferi
- (b) facilitating the concealment of any income on any moneys or other assets which have not been er which ought to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

(1) 1. S/Shri Sardarmal S/o Shamsunder,

Kailaschandra,

3. Narendrakumar, Asnokkumar,

5. Rajeshkumar,

S/o Samrathmalji Agarwal,

through General power of attorney

Shri Samrathmal

S/o Ratanlalji Agarwal, Nai Abadi, Mandsur.

(Transferor)

(2) Smt. Kamlabai

W/o Samirmalji Luniya,

37/10 Bharawaki Kui,

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this nectee in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which-ever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immos, able property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazatte.

EXPLANATION: - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said ACL shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The house in part situated at Ratlam is the immovable property, the details have been described in Form No. 37-G duly verified by the transferee.

> V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Income Tax Building, Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date: 10-12-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

UFFICE OF THE INSPECTING ASSIT, COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGL. BHOPAL, M, P.

Bhopal the 10th December 1984

Ref No IAC Acqn/Bnl 5437 - Whereas, I, V. K. BARANWAI

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing No. 11 No. 23 Ward No. 32

situated at Ratlam

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the officer of the Registering Officer of Ratlam on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apaprent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of '--

- (3) factitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act. or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:---

(1) 1S/Shri Sardarmal S/o Shyamsunder.

Kailashchandra,

Narendrakumai.

Ashok kumar, Rajeshkumar,

S/o Samratraaln Agarwal, Nai Abadi, Mandsur. through General power of attorney Shu Samrathmal

S/o Ratanlalji, Mandsui,

(2) Smt. Pushpalata Devi W/o Vijaykumarji Luma, 37/10 Bharavaki Kui, Ratlam.

(Transferee)

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The house situated at Rangrez Road, is the immovable property and the details have been described in Form No. 37-G duly verified by the transferee.

> V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Income Tax Building, Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date: 10-12-1984

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M, P.

Bhopal, the 10th December 1984

Rcf. No. IAC/Acqn/Bpl/5438.—Whereas, I, V. K. BARANWAI.,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeeding. Rs. 25,000-

and bearing No 23 in Ward No. 32 situated at Ratlam

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Ratlam on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: ind/er

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 2692D of the said Act, to the following persons namely:---

- (1) 1. S/Shri Sardarmal 5/o Shamsunder,
 - 2. Kailaschandra,
 - Naicedrakumai
 - 4. Ashokkumar,

5. Rajeshkumai, S/o Samratmalji Agarwal, through General power of attorney Shri Samrathmal S/o Ratanlalje Agarwaly

Nor Abadi, Mandsur, M.P.

(Transferor)

(2) Smt. Ushadevi W/o Antkumarii Lunia, 37/10 Bharava ki Kui, Ratlam.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publi-cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

This is the immovable property, the details of which has been described in Form No. 37-G duly verified by the transferee.

> V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Income Tax Building, Near Central India Floor Mills, Bhopai

Date: 10-12-1984

Scal .

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAI, M. P.

Bhopal, the 10th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5439.--Whereas, I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

No. 16, House at Ratiam situated at Ratiam (and more fully described in the Schedule annexed hereto)

has been transferred

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office

of the Registering Officer at Ratlam on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the mid Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

(1) Shri Anandilal S/o Keshumalji, Smt. Daulatbai W/o Shri Anandilalji, Shri Abaykumar, Jindas, Rathasar Meghkumar HUF, No. 16 Rammohalla, Ratlam M.P.

(Transferor)

(2) Sunilkumar and Rajivkumar Sons of Shri Bherulalji Minor guardian Smt. Kamlabai W/o Bherulalji Chordiya, 9/466 Choti Dani Mohalla, Barmed, Rajasthan.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, withdraws period without the control of the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

This is the immovable property. The details have been described in Form No. 37-G, which has been duly verified by the transferee.

> V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant, Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Income Tax Building. Near Central India Floor Mills Bhope

Date: 10-12-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 10th December 1984

Ref No IAC/Acqn/Bpl/5440.--Whereas, I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25.000/- and bearing

No. House hearing Man. No. 16 & No. 25 signated at Device the Real Research Competency Man. No. 16 & No. 25 signated at Device the Research Competency Man. No. 16 & No. 25 signated at Device the Research Competency Man. No. 16 & No. 25 signated at Device the Research Competency Man. No. 16 & No. 25 signated at Device the Research Competency Man. No. 16 & No. 25 signated at Device the Research Competency Man. No. 16 & No. 25 signated at Device the Research Competency Man. No. 16 & No. 25 signated at Device the Research Competency Man. No. 16 & No. 25 signated at Device the Research Competency Man. No. 16 & No. 25 signated at Device the Research Competency Man. No. 16 & No. 25 signated at Device the Research Competency Man. No. 16 & No. 25 signated at Device the Research Competency Man. No. 16 & No. 25 signated at Device the Research Competency Man. No. 16 & No. 25 signated at Device the Research Competency Man. No. 16 & No. 25 signated at Device the Research Competency Man. No. 16 & No. 25 signated at Device the Research Competency Man. No. 16 & No. 25 signated at Device the Research Competency Man. No. 25 signated at Device the Research Competency Man. No. 25 signated at Device the Research Competency Man. No. 25 signated at Device the Research Competency Man. No. 25 signated at Device the Research Competency Man. No. 25 signated at Device the Research Competency Man. No. 25 signated at Device the Research Competency Man. No. 25 signated at Device the Research Competency Man. No. 25 signated at Device the Research Competency Man. No. 25 signated at Device the Research Competency Man. No. 25 signated at Device the Research Competency Man. No. 25 signated at Device the Research Competency Man. No. 25 signated at Device the Research Competency Man. No. 25 signated at De

No. House bearing Mun No. 16 & No. 35 situated at Ram

Mohalla & Sunar Bavda

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at

Ratlam on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; andlor
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 26°D of the said Act, to the following persons, namely :--94--426GT/84

(1) 1. Anandilal Ν

- S o Shiimalji
- 2. Smt Doulat Bai W/o Anandilalji
- Abhaykumar
- 4 Gindas
- 5. Ratnasar Meghkuma

S/o Anandilalji Luniya 16, Ram Mohalla, Ratlam (MP).

(Transferor)

(2) Smt. Kamlabai W/o Bhetulalji Chouradia, 9/466 Choti Tani Mohalla, Barmed, Rajasthan.

(Transferee)

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House bearing Nos 16 & 35 situated at Ram Mohalla, This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferce.

> V K BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Income Tax Building, Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date: 10-12-1984

Scal:

NOTICE UNDER SECTION 269D(') OF THE INCOME TAX ACT. 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ALQUISITION RANGE, BHOPAL, M. P.

Bhopal the 10th December 1984

Ref. No IAC/Acq/Bp1/5441.--Whereas, I. V. K. BARANWAI

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fait market value exceding Rs. 25,000/-and bearing

No. Land bearing Ich No. 1051 11A & 1054/12 situated at Mhow-Neemuch Road Ratlam

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has ben transferred

under the Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer

of the registering Officer at Ratlam on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any means arising from the transfer; and/
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the raid Act to the following persons, namely —

(1) Shri Ashok Kumar S'o Champalalii Kataria, R o Mobeli Lev Road

(Transferor)

(2) M/s. Kausmo, Hotels (P) Ltd., Raftam, 'frogle Ametlal So Nathulalji Agrawal, Ro Nowlaipura, Raftim, Reod Office: 51, Jawahar Marg, Ratlam.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing kh. No. 1054-11A & 1054/12 situated at Mhow Neemach Road, Ratlam This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Income Tax Building.
Near Central India Floor Mills.
Bhopal

Date: 10-12 1984

Seal .

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 10th December 1984

Ref No. IAC Acqu Bpl/5443.—Whereas, I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No Land bearing Kh. No. 1054-11A & J054/12 situated at Mhow-Neemuch Road Ratlam

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Ratlam on April 1984

tor an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

'a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer;

(b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the atoresaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Shri Narendra Kumar S/o Champalalji Kataria, R o Mohalla New Road, Ratlam.

(Transferor)

(2) M/s Kausmos Hotels (P) Ltd., Raltam,
Through Amritial
S o Nathulalji Agrawal,
R/o Nowlaipura,
Raltam,
S1, Jawahar Marg,
Ratlam.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing kh No. 1054/11A & 1054/12 situated at Mhow-Neemich Road, Ratlam. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferce.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Rauge,
Income Tax Building
Near Central India Floor Mills,
Bhopal

Date 10 12-1984

Scal:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 10th December 1984

Ref. No. fAC/Acqn/Bpl/5442.—Whereas, 1, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000and bearing

No. Land bearing k.h. No. 1054/12, situated at

Mhow-Neemuch Road, Ratlam (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ratlam on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than lifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between parties has not been truly stated in the said instrument transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Shri Rajondra Kumar S/o Bhanwarlal (Shri B. L. Agrawal) R/o Noulaipura, Ratlam.

(Transferor)

(2) M/s Kausmos Hotels (P) Ltd., Raltam, Through Amritlal S/o Nathulalji Agrawal, Nowlaipura, Raltam, Regd. Office 51, Jawahar Marg, Ratlam.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b, by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Kh. No. 1054/12, situated at Mhow-Neemuch Road, Ratlam. This is the immovable property which has been described in form, No. 37-G duly verified by the transferee.

> V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Income Tax Building, Near Central India Floor Mills, Bhopal

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 10-12-1984

FORM TINS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE, INCOME TAX BUILDING
> NEAR CENTRAL INDIA FLOOR MILLS, BHOPAL, M. P.

> > Bhopal, the 10th December 1984

IAC/Acqn/Bpl/5444.--Whereas, I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. Land bearing Kh. No. 1054/11A & 1054/12 situated at

Mhow-Neemuch Road, Ratlam (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ratlam on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of-

- (a) factificating the reduction or evasion of his liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfers and for
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the said Act. to the following persons, namely ;-

(1) Smt. Shakila Banu W/o Sayyeda Hussainji Bohra, R/o Dat Ki Puliya, Ratlam.

(Transferor)

(2) M/s. Kausmos Hotels (P) Ltd., Ratlam. Through Shri Amritlal S/o Nathulalji Agrawal, R/o Nowlaipura, Ratlam, Regd. Office 51. Jawahar Marg. Ratlam.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said sussesses. able property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: - The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the sald Act, shall have the same meaning in that Chapter.

THE ST HEDULE

Land bearing Kh. No. 1 054/11A & 1054/12 situated at Mhow-Neemuch Road, R atlam. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transfered

> V. K. BARANWAL Competent Authority Impection g Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Income Tax Building, Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date : 10-12-1984

FORM I.T.N.S ----

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ΛCQUISITION RANGE, BHOPAL, M P

Bhopal, the 10th December 1984

Ret No IAC Acqn Bpl 5445 --- Whereas, I, V K BARANWAI

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (heremafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing

No 1 and beining Kh No 1054/11A & 1054/12 situated at Mnow Neemuch Road Ratlam

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer

it Ratlam on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have leason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of

Shii Rameshchandia
 Nanalalji Yadav,
 R o Mohalla Marato ka Vas,
 Ratlam

(Transferor)

(2) M/s Kausmos Hotels (P) Ltd,
Ratlam,
Through Shir Amintlal
S/O Nathulalji Agrawal,
R/O Nowlaipura,
Ratlam,
Regd Office
51, Jawahar Marg,
Ratlam

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later,
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, ir respect of any income arising from the transfer; and for

(b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been of which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

THE SCHEDULE

Land bearing Kh No 1054 11A & 1054/12 situated at Mhow-Neemuch Road, Ratlam This is the immovable property which has been described in form No 37-G duly verified by the transferce

V K BARANWAL
Competent Authority
Itage ing Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Income Tax Building,
Near Central India Floor Mills,
Bhopal

Date 10 12 1981

Soul:

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely —

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, INCOME-TAX BUILDING,
NEAR CENTRAL INDIA FLOOR MILLS, BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 10th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5446.—Whereas, I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe

that the immovable property having a fair market -value exceeding Rs. 25,000 and bearing No.

Agricultural land, situated at Dosigaon, Dist. Ratlam (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office

of the registering Officer at Ratlam on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with object of :—

- (a) facilitating the resuction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269°C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act. to the following persons, namely: 129-416GI/84

(1) Shri Abdul Khalik Haji Abdul Inkram Shik Muslim R/o Ratlam.

(Transferor)

(2) Radani Fertilizeis Ltd., Ratlam, Regd Office: 305—312, Deepali Bldg. 3rd floor, 92, Nehru Palace, New Delhi, Н. О. : Garden Reach Road, Calcutta.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land is situated at Dosigaon, Ratlam. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Income Tax Building. Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date: 10-12-1984

FORM I.T.N.S.

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, INCOME TAX BUILDING NEAR CENTRAL INDIA FLOOR MILLS, BHOPAL, M. P.

Bhopal, M.P., the 10th December 1984

Ref. No. 1AC/Acqn/Bp1/5447--.Whereas, I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land bearing Kh. No. 1054/11A & 1054/12 situated at Mhow-Neemuch Road. Ratlam (and more fully described in the Schedule approved hereto).

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office

of the registering Officer

at Rutlam on April 1984

at Kauam on April 1984
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason
to believe that the fair market value of the property as
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by
more than fifteen per cent of such apparent consideration
and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instru-ment of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer,
- (D) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1937 (27 of 1937):

Now, therefore, in pursuance of Section 269 C of the said Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (I) of Section 269D of the said Act, to the following persous, namely :--

(1) Shii Soubhagmal S/o Shii Chhaganlal Chopra, R/o Bajaj Khana, Ratlam.

(Transferor)

(2) M/s. Kausmos Hotels (P) Ltd., Ratlam, Through Shri Amritlal S/o Nathplalji Agrawal, R/o Nowlaipura, Ratlam, Regd. Office: 51, Jawahar Marg, Ratlam.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Kh. No. 1054/11A & 1054/12 situated at Mhow-Neemuch Road, Ratlam. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

> V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Income Tax Building, Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date: 10-12-1984

Scal:

FORM ITNS ----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE INCOME TAX BUILDING NEAR CENTRAL INDIA FLOOR MILLS, BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 10th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5448.—Whereas, I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000|- and bearing
No. Land bearing Kh. No. 1054/11A & 1054/12 situated at
Neemuch Road, Ratlam

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer

at Ratlam on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, is respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been of which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said ₹ Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-95-426GI/84

(1) Shri Rajendra Kumar S/o Nihalchand Gandhi, R/o Bajaj Khana, Ratlam.

(Transferor)

(2) M/s. Kausmos Hotels (P) Ltd., Raltam, Regd. Office 51, Jawahar Marg, Ratlam. Through Aushdhari Amritlal Agrawal Ratlam.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressinos used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Kh. No. 1054/11A & 1054/12 situated Neemuch Road, Ratlam. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

> V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax Acquisition Range. Income Tax Building, Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date: 10-12-1984

Seal.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 10th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bp1/5449 --- Whereas, I, V. K. BARANWAL,

V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25.000|-bearing No. 1 and bearing Kh. No. 1054/11A & 1054/12 situated at Neemuch Road, Ratlam (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Regulation Act, 1908 (16 the 1908) on the office of the Regulating Officer at Ratlam

of 1908) in the office of the Registering Officer at Ratlam on Apr 84

on Api of the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration which is less than the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transferand/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

(1) Anandilal S/o Poonamchand Gandhi R/o Bajaj Khana, Ratlam

(Transferor)

(2) M/s Kausmos Hotels (P) Ltd., Ratlam Reg. Office 51, Jawahai Nagar, Ratlam Thro' Sh Amritlal Agrawal, Nowlaipura, Ratlam

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Kh. No. 1054/11A & 1054/12 are situated at Neemuch Road, Ratlam. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

> V. K. BARANWAI, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bhopal

Date: 10-12-84

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 10th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5450.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-

beating No. Land bearing Kh. Not 1054/12 situated at Neemuch Road, Ratlam (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ratlam on Apr 84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer;
- (b) tacilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

(1) Basant S/o Ramlal Jaiswal, R/o Palace Road, Ratlam.

(Transferor)

(2) M/s Kausmos Hotels (P) Ltd., Thro' Sh. Amritlal Nathulalji Agrawal Nowlaipura, Ratlam. Regd. Off: Jawahar Nagar, Ratlam.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Kh. No. 1054/12 is situated at Neemuch Road, Ratlam. This is the immovable property which has been described in form No 37-G duly verified by the transleree.

> V. K. BARANWAL, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bhopal.

Date: 10-12-84

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 11th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5451.—Whereas, I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to us the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|-bearing Plot No. 8, Dashara Mardan, situated at Uijain

(and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act. 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ujjam in April, 1984

for an applicant consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evision of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concentment of any income or any moneys or other seets which have not been or which ought to be disclosed by the transferor for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Sh. Mohanlal, Rajmal, Suresh Kumar S/o Nathulalji, 4. Shardabaj W/o Shivnarain, self and Minor Guardian, 5. Rajeshkumar, 6. Girdhar Kumar 7. Asha 8. Anitha, 9 Jaishre and d/o Shivnarain, residents of Mochiwada,

(Transferor)

(2) Sh. Surendrasingh Sisodia S/o Sh. Savai Singhji Sisodia, Dashhara Maidan, Ujjain.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot bearing No. 8 is situated at Dassehra Maidan, Ujjain. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal.

Date: 11-12-84

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT. 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 11th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5452.--Whereas, I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property

having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Land Svy. No. 157/2/2-157/4/1, situated at Indore

Indore

(and more fully described in the Schedule annuexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Indore

on Apr. 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act. in respect of any income arising from the transfer; and/er

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys of other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferse for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269°C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

- (1) Sh. Kalidin S/o Sh. Nanku Yadav, 93, Kalani Nugai, Indore.
- (2) Laxmi Grah Nirman Sahkari Samstha Maryadit, Indore through president Sh. Govind Baby S/o Sh. Sital Yadav, Indore. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazett;

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein a are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land Survey No. 152/2/2 and 157/4/1, situated in Village Sirpur, Dist. Indore.

V. K. BARANWAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal.

Date: 11-12-84

FORM ITNS----

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 11th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5453.—Whereas, I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding. Rs. 25,000|bearing Land, Kh. No. 11

stuated at Sulkhakhedi, Indore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act. 1908 (16
of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on Apr 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I bereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Sestion 269D of the said Act. to the following persons, namely .-

(1) Jain, Swetamber Naya Mandir Trust
Thro' Hemant Kumar S/o Sri Nathmalji
Shekhavat, R/o Sitalmata Bazar, Indore &
Doulat Chandra S/o Harakchandji
R/o House No. 60/2, Keshar
Bag Road, Indore.

(Transferor) (2) Mahavir Bag Sahkari Greh. Nirman Sanstha Thro' Rajendra Kumar Bhagchand & Rajkumar Hastimal Lal R/o 37, Nihalpur, Indore,

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazatte or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter,

THE SCHEDULE

Land bearing Kh. No. 11 is situated at Sulkhakhedi, Indore. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

> V. K. BARANWAL. Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bhopal.

Date: 11-12-84

(1) Sohandevi W/o Mansinghji Garg, 1/1B South Tukoganj, Green Park Colony, Indore.

('Transferor)

Satishchandra S/o Gulabchandji
 Vinodkumar S/o Gulabchandji
 R/o 8, Nasiya Road, Indore.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 10th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5454.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing bearing Part No. A/10 Western side of out-house, Shive Vilas Palace, situated at M.G. Road, Indore

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act. 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore

of 1908) in the office of the Registering Officer at induce on Apr. 84 at New Delhi in April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovble property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Port No. A/10 Western Side of Out-House, Shiv Vilas Palace is situated at M.G. Road, Indore. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

> V. K. BARANWAL, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bhopal.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :---

Date: 10-12-84

(1) Savitridevi W/o Sh. Gehimalji Karamchandani, R/o 22/9, Parsi Mohalla, Indore.

(Transferor)

(2) Gopichand S/o Chadumalji Jivnani R/o 161. Palsikar Colony, Indore.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 11th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5455,---Whereas, I, V. K. BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and

bearing House (Part) on Scheme No. 153 of Indore Vikas Pradhikaran situated at Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on Apr. 84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

(a) facilitating the reduction or evasio nof the liability of the transferor to pay tax under the said Ast in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House on Scheme No. 153-M of Indore Vikas Pradhikaran is situated at Indore. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

> V. K. BARANWAL. Competent Authority; Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bhopal.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following

persons, namely :-

Date: 11-12-1984

(1) Fatimabai W/o Fakhruddin Bhai Bohra R/o 8, Hathipala North, Indore.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT 1961 (43 OF 1961)

(2) Prabhavati Baj W/o Basantilalji Jain, R/o 11, Suntha Bazar, Indore.

may be made in writing to the undersigned :--

whichever period expires later;

(Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 11th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5456.—Whereas, I, V. K. BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 /

House No 4/2, situated at Marotiya Bazar, Indore Marotiya Bazar, Indore

(and more 'ully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Indore on Apr 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating theh reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and for
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 259C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following nersons namely:— 96--426GI/84

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons,

Objections, if any, to the acquisition of the said property

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: - The terms and expressions used herein at are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House bearing Municipal No. 4/2 is situated at Marotiya Bazar, Indore. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

> V. K. BARANWAL, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bhopal.

Date: 11-12-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING
ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL MP.

Bhopal, the 11th December 1984

Ref. No IAC/Acqn/Bpl/5457—Whereas, I, V. K BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000]-and bearing

Land Kh No 715, situated at Vill Khajrana, Indore Vill Khajrana Indore

(and more fully described in the schedule annexed hereto) has ben transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on Apr 1984

for an apparent consideration which is less than the fall market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, no pursuance of Section 269C of the said Act, I be eby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this office notice under sub-section (I) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Manjeetsingh S/o Babusingh
 Paramjeetsingh S/o Babusingh
 Etbarsingh S/o Harchand Singh
 Pritamsingh, S/o Puran Singh,
 R/o 135, Anup Nagar, Indore
 Thro' Genl Power of attorney Shriram S/o Fatehchand Goyal, 2-A, Kailash Park,
 Indore

(2) Snehnagar Greh Nirman Sahkari Sanstha Maryadit, 114A, Sneh Nagar, Indore.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing kh No 715 is situated at Village Khajrana, Indore This is the immovable property which has been described in form No 37-G duly verified by the transferee

V. K. BARANWAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal.

Date 11-12-1984

Seal.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 11th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5458.—Whereas, I, V. K. BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1981 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Land bearing Kh. No. 706
situated at Vill. Khajrana, Indore
(and more fully described in the Schedule annexed herets),

has been trasferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office

of the Registering Officer at Indore

on Apr 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by than fifteen per cent of such apparent consideration by more that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and for
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

 Manjeet Singh S/o Babusingh, R/o 135, Anupnagar, Indore Thro' Genl. Power of attorney Shriram S/o Fatehchandji Goyal, 2-A, Kailash Park, Indore.

(Transferor)

(2) Sneh Nagar Greh Nirman Sahkari Sanstha Maryadit, 114-A, Snehnagar, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said knowable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Kh. No. 703 is situated at village Khajrana, Indore. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

> V. K. BARANWAL, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bhopal.

Date: 11-12-1984

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 11th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5459.—Whereas, I, V. K. BARANWAL being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land bearing Kh. No. 717 and 716 editated at Vill. Khairana Indore

Rs. 25,000/- and bearing No.
Land bearing Kh. No. 717 and 716
situated at Vill. Khajrana, Indore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act. 1908 (16
of 1908) in the office of the Registering officer at Indore
on Apr 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the Itability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transferand/or.
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

Manject Singh S/o Babusingh
 Paramjectsingh S/o Babusingh
 Elbar Singh S/o Harchand Singh
 Pritamsingh S/o Puron Singh
 R/o 135, Anupnagai, Indore
 Thro' Genl. power of attorney Shriram S/o Fatch Chand Goyal
 A, Kailashpaik, Indore.

(2) Sneh Nagar Greh Nirman Sahkari Sanstha Maryadit, 114-A, Snehnagar, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning is given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Kh. No. 716 & 717 are situated at vill. Khajrana, Indore. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL.,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal.

Date: 11-12-1984

Scal:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-FAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 11th December 1984

Rcf. No. IAC/Acqn/Bpl/5460.—Whereas, I, V. K. BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and

bearing No. Agricultural land bearing Survey No. 69/2, 75/1, 77/1, & 78/1 situated at Vill. Gadrakhedi, Tch. Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Indore on Apr 1984

on Apr 1984 for an apparent consideration which is less than the fair mraket value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of transfer with the object of :-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

(1) Jagdish Prasad S/o Ramgopal Nagori 4, Nayapura, Indore.

(Transferor)

(2) Shaheed Hemu Kalani Nagar Sahakari Grih Nirman Sanstha Scemit, Indore 18, Kachhi Mohalla, Indorc.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land bearing Survey No. 69/2, 75/1, 77/1, & 78/1 are situated at Vill. Gadrakhedi, Teh. Indore. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL, Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bhopal.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

Date: 11-12-1984

FORM I.T.N.S.~

(1) Sarladevi W/o Satyanaravan 4, Nayapuia, Indoic.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shaheed Hemu Kolani Nagar Sahkari Grih Nirman Sanstha Scemit, Indore 18, Kachhi Mohalla, Indore.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

WEFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOMPTAX ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 11th December 1984

Ref. No IAC/Acqn/Bpl/5461.—Whereas, I, V. K. BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and

bearing No. Ag icultural land bearing Survey No. 73/2, 74/2, 75/2, 76/2, 77/2 & 78/3 situated at Vill. Gadiakhadi, Tch. Indore

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on Apr 84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested to the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land bearing Survey No. 73/2, 74/2, 75/2, 76/2, 77/2 & 78/3 are situated at Vill. Gadrakhedi, Teh. Indore. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bhopal.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act., I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act. to the following persons, namely :-

Date: 11-12-1984

Scal ·

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 11th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5462—Whereas, I, V, K. BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and

bearing No. Agricultural land bearing Survey No. 73/2, 76/3, 77/3, 78/3, 79 situated at Vill. Gadrakhedi, Teh. Indore

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on Apr 84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/er
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Sulochana Devi W/o Balkushna, 41. Nayapura, Indore.

(Transferor)

-____----__---

(2) Shaheed Hemu Kalani Nagar Sahakarı Grih Nirman Sanstha Scemtt, Indore 18, Kachhi Mohalla, Indore.

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the made signed :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Cazene

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land bearing Survey No. 73/2, 76/3, 77/3, 78/3, 79 are situated at Vill. Gadrakhedi, Tch. Indore. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferce.

V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bhopal.

Date: 11-12-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 11th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5463.—Whereas, I, V. K. BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and

bearing No House No. 30 situated at Gandhi Park Colony, Indore

(and more fully described in the Schedule annexed bereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on Apr 84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

Now therefore in pursuance of Section 269C of the said et. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under section (1) of Section 269D of the said Act, to the following nemons, namely :--

- (1) Parmanand Pingle S/o Krishnaraoji Pingle, R/o Gandhi Park Colony, Indore. (Transferor)
- (2) Indersingh Chhatwal S/o Lakhmirsingh Chhatwal, Jaora Compound, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the immovable property within 45 days from the date of the publication of this Notice in the Official Gazette,

EXPLANATION: - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that hapter.

THE SCHEDULE

Houst No. 30 is situated at Gandhi Park Colony, Indore. This is the immovable prope ty which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

> V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bhopal.

Date: 11-12-1984

Scal: .

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 11th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn./Bpl/5464.—Whereas, 1, V. K. BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 - and

bearing No. Land bearing Kh. No. 136/3 & 136/4 situated at Dagnia, Raipur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Raipur on Apr 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; end/or
- (b) facilitating the concealment of any income or an) moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this Notice under section (1) of Section 269(D) of the said Act. to the following persons, namely:—97—426G1/84

(1) Mehtarin Bai W/o Pardesh Sahu R/o Dagnia, Raipur,

(Transferor)

(2) Lok Manya Sahkari Grlh Nirman Samiti Itd., Raipur Through President B. S. Kothote, S/o Jagoba Kothote, Jorapara, Raipur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said ammovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Kh. No. 136/3 & 136/4 situated at Dagnia Raipur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

> V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bhopal.

Date: 11-12-1984

FORM ITNS----

(1) Sawant S/o Samroo Sahu R/o Dagniya, Raipur.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Lak Manya Sahkari Grih Nirman Samiti Ltd., Raipur Thro' President B. S. Kothote S/o Jagoba Kothote, Jorapara, Raipur.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 11th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5465.—Whereas, I, V. K. BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the im-movable property, having a fair market value exceeding movable property, having a fair market value exce Rs. 25,000/- and bearing No. Land bearing Kh. No. 153/6 situated at Dagnia, Raipur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Raipur on Apr 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the andresaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which are period of a late to the control of the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immevable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957); Open plot of land bearing Kh. No. 153/6 is situated at Dagnia, Raipur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the trans-

V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range. Bhopal.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following регвопа, па**mely** «

Date: 11-12-1984

NUTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 11th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5466.—Whereas, 1, V. K. BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|-bearing No. Open plot of land bearing Kh. No. 166 situated at Dagnia, Raipur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Raipur

on Apr 84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Ast, in respect of any income arising from the transfer; and for

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

 Sh. Phool Singh Smt. Manmati etc. Father---Adhin, Dagnia, Raipur.

(Transferor)

(2) Lak Manya Sahkari Grih Nirman Samiti Ltd. Raipur Through: President B. S. Kothote, S/o Jagoba Kothote, Jorapara, Raipur.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plot of land bearing Kh. No. 166 is situated at Dagnia, Raipur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferce.

V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Renge, Bhopal.

Date: 11-12-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 11th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5467.—Whereas, I, V. K. BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and

bearing No. Land bearing Kh. No. 12/2 (S. No. 601)

situated at Jabalpur

(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jabalpur on Apr 84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, is respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Puranchand Singhvani
 Lalit Mohan Sachdev,
 Naya Mohalia, Napier Town, Jabalpur.
 (Transferor)

(2) Lal Bahadur Shashtry Greh Nirman Sahkari Samiti Maryadit, D.R./J.B.R/152 Office Q. No. 411, Sector-1, Vehicle factory, Jabalpur-1.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this netice in the Official Gazatte or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Kh. No. 12/2 (S. No. 601) is situated at Jabalpur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bhopal.

Now, therefore, in pursuance of Section 269°C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following ing persons, namely

Date: 11-12-84

(1) Dyers Stone Lime Co. (P) Ltd., H.O. Alipur Road, Delhi-110 054.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) (2) Shakuntala Bai Gbattani Wd/o Girdharilal Ghattani, Mudwara, Jabalpur.

(Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

OPFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 11th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5468.—Whereas, I, V K. BARANWAL

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to us the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Plot No. 2 & 4

situated at Mudwara, Jabalpur

(and more fully described in the Schedule annexed herete), has been transferted under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Mudwara, (Kutni) on Apr 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/er

(b) facilitating the concentment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957); Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immerable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 2 & 4 are situtaed at Mudwara, Jabalpur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferce.

V. K. BARANWAL Competent Authorty Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bhopal.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 259D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 11-12-84

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX. ACQUISITION RANGE BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 11th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5469—Whereas, 1, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 196i (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fuir market value exceeding Rs. 25,000]—and bearing

No. Single storeyed house at Plot No. 34 situated at Anand Colony Cherital, Jabalpur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at Jabalpur on April 1984

for an apparent consideration which is less market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforcanid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer;
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

(1) Shri Rajkumar S/o Vishwamber Prasad Mishra, R/o Anand Colony, Jabalpur.

(Transferor)

(2) Smt. Urmila Phuskele W/o Shri V.K. Phuskele, Qr. No. 4/12, P.O. Bagheli, Distt. Bastar.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of nonce on the respective persons, whichever period expires lates,
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Single storeyed house at Plot No. 34 is situated at Anand Colony Cherital, Jabalpur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

> V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Income-tax Building Near Central India Floor Mills, Bhopal

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

Date . 17-12-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT. 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 13th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn./Bpl/5470.—Whereas, I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Housing No. 1259/H-8

situated at New Gupteshwar Ward, Madan Mahal, Jabalpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jabalpur on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been a which ought to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) M/s K. Shah & Co.. Thro' Shri Ashok Ratanchand Shah R/o 1200, Madan Mahal, Jabalpur.

(Transferor)

(2) Shri Bant Singh S/o Prince Rood Singh C/o Shri Ramsingh Bant Singh R/o 1259/H-8, Jabalpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House bearing 1259/H-8 is situated at New Gupteshwar Ward, Madan Mahal, Jabalpur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date: 13-12-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 13th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn./Bpl/5471.-Whereas, I. V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,060/and bearing
No. 1259/H-8

situated at Gupteshwar Ward, Madan Mahal, Jabalpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jabalpur on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269 of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following nersons, namely :---

(1) M/s K. Shah & Co., Through Shri Ashok Ratenchand Shab, R/o 1200, Madan Mahal, Jabalpur,

(Transferor)

(1) Shti Ajit Singh S/o Ajagar Singh R/o 1259, New Gupteshwar Ward, Jabalpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No.1259/H-8 is situated at Gunteshwar Ward. Madan Mahal, Jabalpur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferce.

> V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Income-tax Building Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date: 13-12-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER, OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE BHOPAL. M. P

Bhopal, the 13th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn./Bpl/5472—'Vhercas, I. V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 2698 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the temafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25(000/- and bearing

No. plot bearing Kh. No. 259, N. B. No. 264, P. H. No.24/1 situated at Cherital, Eaide oberh, Miradgani Jabal, or (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Jabalpur on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fiftee t per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in parshames of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following porsons namely:—98—426GI/84

(1) Shii Atmaram S/o Shri Maganlal Patel,
R/o Baldev Bag, Niwadgani, Jabalpur.
Approver: 1. Sh. Subhashchand S/o Biranlal Jain
R/o Sarafa. Jabalpur.
2. Sa Sha bhudayal S/o Late Shri Chhannulal
Ke hwani R/o Sarafa Ward Kamaniya Gate,
Jabalpur.

(Transferor)

(2) Shri Vinod Prakash 2. Nitin Prakash 3. Sh. Manish Prakash S/o Motilal Badkul R/o 451, Jawaharganj, Jabalpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person intersted in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said. Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot bearing Kh. No. 259, N.B. No. 264. P.H. No. 24/1 is situated at Cherital, Baldecbarh, Nividganj, Jabri ur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authoring
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date: 13-12-1984

Seal;

FORM LINS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 13th December 1984

Ref. No. IAC/Acqu./Bpl/5473.—Whereas, I, V. K. BARANWAL,

being the Compe.ent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 or 1961) (heremafter r.f rred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding

property having a fair market value exceeding Rs. 25,000, and bearing House No. 429 to 429/21, Block No. 49, Plot No. 56, 58/2 situated at Lordganj, Jabalpur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jabalpur on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to behave that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- Sari Rajendra Kumar S/o Delan Singh
 Arun Kumar S/o Delan Singh
 Anurag S/o Delan Singh
 Though Genl. Power of a torney Shri Biranlal Madanlal Jain, Uprendganj.
- (2) Shri Kamalkumar S/o Mulayamchand Jain, R/o 723, Garha, Jabalpur.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immorable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 429/21 on Plot No. 56 58/2 is situated at Nazul Block No. 49, Lord Ganj, Jabalpur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferce.

V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acqui ition Range, Income-tax Bui'ding Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date: 13-12-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 13th December 1984

Ref. No. IAC/Acqn./Bpl/5474.—Whereas , I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (he ematter referred to as the said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

No. Plot situated at Mudwara, Distt. Jabalpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Katni on April, 1984

tor an apparent consideration which is less than the fair market value of the afore-aid property and all have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than firteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not be accounted in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any on which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by this issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

(1) M/s, Dyors: Stone Lime Co. (P) Ltd., H. O. 10, Alipur Road, Delhi

(Transferor)

(2) 1. Smt. Sheela Devi Somani
W/o Jugal Kishore Somani,
R/o Gandai Ganj, Kacni
2. Smt. Poonani Gandin W/o Ramanlal Gandhi
Rest House Road, Katni, Teh. Mudwara,
Distt. Jabalpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette:—

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot is situated at Maharani Laxmi Bai Ward, Teh. Mudwara, Jabalpur. This is immovable property which has own described in form No. 37-G duly verified by the ransferee.

V. K. BARANWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acqui ition Range, Income-tax Building
Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date: 13-12-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONEROF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGF BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 13th December 1984

Ref. No. 1AC /Acqn. Bpl/5475.—Whereas, J, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter reterred to as the said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing

One house bearing No. 410 situated at Sadar Bazar Ward No. 23, Ravishanker Shukla Road, Raipur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registration Cffi:er at Raipur on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(1) Smt. Bundico Bai D/o Manbish Ramji Yadav Smt. Sita Bai W/o Ishwardayal Yadav Both R/o Pupani Basti, Raipur.

(Transferor)

(2) Shil Ashok Rumar S/o Hukumchand Jain R/o Halwai Line, Raipur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Otheral Crazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, winchever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arming from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

THE SCHEDULE

One house bearing No. 410 is situated at Ward No. 23, Ravishanker Shukla Road, Raipur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. k. BARANWAL Competent Au h v Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Income-tax Building Near Central India Floor Mills, Bhopal

Date . 13-12-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(1) S. M. Manikkam Nadar, Kamakshi puram, Uthrapalayam Taluk

(Transferor)

(2) Shri Y. Johnson Maaries A. David, Kamakshipuram, Uthiapatayam Taluk.

may be made in writing to the undersigned :-

whichever period expires later;

(Transferec)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOMP-TAX,

ACQUISITION RANGE-I MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 16th October 1984

Ref. No. 1/April/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN,

of transfer with the object of :-

being the Competent Authority under Section 296B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000]-and bearing

and bearing
No. Periyakulam situated at Chinnamanoor
(and more 10 by described in the Scheduled annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16
of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Chinnamanoor (Doc.830/84) in April 1984
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believed that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more
than fifteen per cent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between
the parties has not been truly stated in the said instrument

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferer for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act, of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1937);

Now, therefore, in pursuance of Section 269°C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of he aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this nonce in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons,

Objections, if any, to the acquisition of the said property

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

land: Lands at Cheeppalakkottai Village. (Doc. No. 830/94)

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Date: 16-10-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION KANGE-I MaDaAS-600 006

Madras-600 006, the 26th October 1984

Ref. No. 3/April/84 —Whereas, I, PREMA MALINI VASAN,

be use the Competent authority under Section 26°B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the Said Act.) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding

Rs 25,000]- and bearing
No. Land at Sokka kontan St. situated at Madurai
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at J.S.R. IV, Madura (1966, 2016/84) on April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market out that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fitteen per cent of such apparent consideration and that the consider tion for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be isclosed by the transferee for the purposes of the indian income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269°C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:-

(1) Shri N. K. Kuppayan, Secretary, Sowrashtia College Counsel Inupparangunaram koad, Vilacherry, Madurai.

(Transferor)

(2) N.M R. Jambunathan, 171. South Masi St., Madurai.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter AXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land: 21, Sokka Kothan St., Madurai. (Doc. No. 2016/84)

> PREMA MALINI VASAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisit on Range-I Madras-600 006

Date: 26-10-1984

NUTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I MaDras-600 006

Madras-600 006, the 24th November 1984

Ref. No. 5/Ap-il/84—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the unmovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

No. Land at Madurai situated at Madurai

(and more tuny of samped in the Servette annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R.IV, Madurai (Doc. No. 1870/84) in April 1984

S.R.IV, Madurai (Doc. No. 1870/84) in April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair nurket value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability on the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) S. Thiagarajan,
25, Viruanunagar Main Road,
Aruppukor at Town,
Ramanad Dist.

(Transferor)

(2) Tamil Nadu Mercantile Bank, 56.57, Beach Road, Tuticorin.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. and shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Madurai (Doc. No. 1870/84)

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisit on Range-I
Madras-600 006

Date: 26-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I

Madras-600 006, the 26th November 1984

Ref. No. 9/April/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing

No. Lands at Thallakulam situated at Madurai

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at S. R. Tallakulani (Doc. No. 1306/84) on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the atoresard property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to bay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely ;---

(1) M. A. Suppuswamy Suravali Suppler Chahrity Trustee, 19, Tabul Changam Read, Madural

(Transferor)

(2) Shri V. Ganesan, S/o Vennimalai Thevar, 18, P. T. Rajan Road, Nari Medu, Madurai-2.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this ntice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used here as are defined in Chapter XXA of the sald.

Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Tallakulam (Doc. No. 1306/84)

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisit on Range-I
Madras-600 006

Date: 26-11-1984

(1) Shri T. P. S. H. Kanjarai, Melaperumal Mestri St, Madurai Town.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) M/s Sokkalal Ram Factory Ltd. Mukkudal.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-I MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 26th November 1984

Ref. No. 13/April/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that

the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25.000/- and bearing

No. Land B. at Mukkudam Village situated at Ambasamudram Taluk

(and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Tallakulam (Doc. No. 1485/84) on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the sald Act, or the Wealth-tex Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following nersons namely (---99---426GI/84

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:--The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land B. at Mukkudal Village (Doc. No. 1485/84)

PREMA MALINI VASAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Madras-600 006

Date: 26-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPETING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras, the 26th October 1984

Ref. No. 20/April/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

and bearing

No. —— situated at Pallapatti Village, Dindigul

(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908
(16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Dindigul II (Doc. No. 624/84) on April 1984
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or others assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

 Mrs. N. Vimla W/o Sri R. Nagarajan, 110 1st Agraharam, Salem.

(Transferor)

(2) Shri N. Rajagopal Chettiar,S/o Sri Narasimhan Chettiar,110 1st Agraharam, Salem Town.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein a received defined in Chapter XXA of the sale Act, shall have the same meaning as gives in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at Pallapatti Village, Dindigul. (Doc. No. 624/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras-600 006

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 26-10-84

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras, the 26th November 1984

Ref. No. 21/April/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding

Rs. 25,000 and bearing

No. —situated at Nadu Theru, Kailasapuram, Sindupoonthral, Tirunelyeli

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Tirunelveli I (Doc. No. 261/84) on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 ed 1957);
- Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

 Mrs. Parvathi Ammal, W/o Shri R. Padmanabhan, 41 A Nadu theru, Kailasapuram, Sindupoonthurai, Tirunelveli.

(Transferor)

(2) Shri K. Ramaswamy, S/o Sri Krishnaswamy Reddiar, Duraiswamyapuram, Nalattinputhur, Koilpatti, Tirunelveli.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, aball have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at Nadu Theru, Kailasapuram Sindu-Poonthruai Tirunelych (Doc. No. 261/84).

PREMA MAI INI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tay
Acquisition Range-I, Madras-600 006

Date: 26-11-84

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF ENDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras, the 23rd November 1984

Rcf. No. 22/April/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to us the 'waid Act') have reason to believe that the immovable propert; having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No.

Land and Building at Uthamapalayam situated at Uthamapa-

layam

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering officer at S.R.O. Uthamapalayam (Doc. No. 511/84 and 154/84) on

S.R.O. Uthamapalayam (Doc. No. 511/84 and 154/84) of April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the Act, to the following persons, namely:—

 Shri S. P. Jayakumar and others, Pannayapuram Post, Uthamapalayam Taluk, Madurai Dist.

(Transferer '

(2) Shri Nallappa Naidu and others, Ladapuram Village, Perambalur Taluk, Trichy Dist.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: —The term and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building at Uthamapalayam village. (Doc. No. 511/84 and 154/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras-600 006

Date: 23-11-84

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX AGT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDÍA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras, the 15th November 1984

Ref. No. 23/April/84.--Whereas, I, PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/and bearing No.

Lands at Ambadurai Village situated at Nadupatti

(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office

of the registering Officer at S.R. Chinnalapatti (Doc. No. 468/84) on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been er which ought to be disclosed by the transferoe for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1) Smi. Jayalakshmi, Ambadurai Village, Dindigut Taluk, Madurai Dist.

(Transferor)

(2) A. Ramuthai Ammal, W/o Alagarsamy Gounder, Naduppatti. Ambadurai Village.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Landa at Ambadurai Village. (Doc. No. 468/84).

> PREMA MALINI VASAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I, Madras-600 006

Date: 15-11-84

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras, the 16th November 1984

Ref. No. 24/April/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Nil situated at Vacant land at Vilangudi Village (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Pudumandapam (Doc. No. 1103/84) on April 1984

Pudumandapam (Doc, No. 1103/84) on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the partners has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

 Mrs. Marty Jacob, W/o Mr. P. M. Jacob, 27 Susamagar, Vilangudi, Madurai.

(Transferor)

 Shri P. Prabakarasingh, S/o Sri Benchamin,
 A Arisikara Nanmai Tharuvar Theru, Madurai.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same measuring as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant land at Vilangudi Village (Doc. No. 1103/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras-600 006

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 16-11-84

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras, the 24th November 1984

Ref. No. 35/April/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

No. 109, Mel Santhai Pettai St, situated at K. K. Nagar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R.O. IV MDU. (Doc. No. 2026/84) on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-

believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and for

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957); Shri R. Meenakshi, W/o. M. D. Ramasubramaniam, 109, Mel Santhai Pettai St., Madurai,

(Transferor)

(2) Mrs. Tamil Malai Ammal, W/o. K. Sadhasivam, Plot No. 422, K. K. Nagar, Madurai.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Buldg; S. No. 5 T.S. 479/4, Door No. 109, Mel Santhai Pettai Madurai, (Doc. No. 2026/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras-600 006

Now, therefore, in pursuance of Section 269°C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 24-11-84

Seal ;

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras, the 20th November 1984

Ref. No. 37/April/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000 - and bearing No.

situated at 42 Koil Theru, Dindigul

and more fully described in the Schedulo annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

13er (* J. J. (107/84) m April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and|or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namedy :--

(1) Shri R Balasubramanaiam, S/o Ramaswamy Iyer, 42 Koil Theru, Dindigul.

(Transferor)

(2) Shri Krishnamoorthy Iver. S/o Sti Senni Krishna Iver. 42 Koil Theru, Dindigul.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation: -The terms and expressions used herein as are Jefined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given a that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building Koil theru, Dindigul (Doc. No. 207/84).

PREMA MALINI VASAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I, Madras-600 006

Date: 20-11-84

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(1) MAPHM. Ahamed Ali and others, 68, Cutchery Road, Dindigul.

(Transferor)

(2) Shri S. Duraiswamy, S/o. Dr. Cap. D. Sankaran, 167, East Car St., Dindigul.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras, the 26th October 1984

Ref. No. 39/April/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No.

Land and Building at Nehruji Nagar situated at Dindigul (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R.O. Dindigul (Doc No. 276/84) on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957); Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesald persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building at Nehruju Nagar, Dindigul. (Doc. No. 276/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras-600 006

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

100—426 GI/84

Date: 26-10-84

Shri N. S. Mohan,
 S/o. O. N. Sivagnanam,
 Neruji Nagar,
 Dindigul.

(2) Shri N. S. Ravichandran, S/o O. N. Sivagnanam,

71, Neruji Nagar,

Dindigul.

(Transferor)

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras, the 20th November 1984

Ref. No. 40/April/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to be the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No.

Door No. 77, 2nd St., Dindigul Neruji Nagar situated at

Dindigul

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at J.S.R.I./Dindigul (Doc. No. 270/84) on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-max Act, 1957 (27 of 1937);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building: At Neruji Nagar, Dindigul. (Doc. No. 270/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras-600 006

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 20-11-84

Soal:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras, the 15th November 1984 . .

Ref. No. 41/April/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 200, Ramamurthy Road, Virudhunagar,

situated at Virudhunagar

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at S. R. Virudhunagar (Doc. No. 1080/84) on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with object of -

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under that said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:---

(1) T. M. M. R. Sokkar. 4A, Kasturi Bai Road, Virudhunagar.

(Transferor)

(2) K. K. S. S. N. Rajalakshmi Ammal, 200, Ramamoorthy Road, Virudhunagar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazzete.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said. Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Land at 200, Ramamoorthy Road, Virudhunagar. (Doc. No. 1080/84).

> PREMA MALINI VASAN Competent Authorny Inspecting Assistant Commissioner of Income-to-c Acquisition Range-I, Madras-600 006

Date: 15-11-84

FORM I.T.N.S.-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras, the 15th November 1984

Ref. No. 44/April/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding

able property having a ran Rs. 25,000/- and bearing No. L and B 82, Block 19, situated at Door No. 11, Hajee Ibrahim Kutty St., Palanipet, Arakonam (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at J.S.R. II/Arakkonam (Doc. No. 688/84) on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27) of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

(1) Shri K. V. K. Md. Hajee and others, Tanur, Kerala.

(Transferor)

(2) Shri Hajee Abdul Rahim, 39, Kamiyambadi St., Nambi Field, Tamil Nadu.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation: The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building at 11, Hajee Ibrahim Kutty St. Arakonam. (Doc. No. 688/84).

> PREMA MALINI VASAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I, Madras-600 006

Date: 15-11-84

(1) Shri A. P. Pakeer Mohamed Saheb, Gudiyatham Town, Gopalapuram.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri A. Habcebur Rahman, No. 51, Thalayatham Bazaar, Santhapet.

Gudiyatham-632602.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras, the 6th November 1984

Ref. No. 46/April/84.—Whereas, I.

Ref. No. 46/April/84.—Whereas, 1,
PREMA MALINI VASAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing No.

Land B at Kattari Kuppam village situated at Thalayatham (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Gudiyaitham

S.R. Gudiyaitham (Doc. 1543/84) on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of .—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and|or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been er which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building at Kathuri Kuppam Village. (Doc. No. 1543/84).

PREMA MALINI VASAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I, Madras-600 006

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:-

Date: 6-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras, the 15th November 1984

Ref. No. 47/April/84.--Whereas, I PREMA MALINĪ VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value

exceeding Rs. 25,000/- and bearing L and B at Katpadi Nagar Extn. situated at Katpadi Nagar (and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S. R. Katpadi (Doc. No. 1320/84) on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more there fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

(1) S. K. G. P. Kandaswamy Chetty, 11, Akathi Krishnappa Chetty St., 2nd West Cross St., Velur-6.

(Transferor)

(2) Shri N. M. Parthasarathy, 2nd West Cross Road, Velur-6.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

L and B at Katpadi Nagar Extn. (Doc. No. 1320/84).

> PREMA MALINI VASAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I, Madras-600 006

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

Date: 15-11-84

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras, the 20th November 1984

Ref. No. 48/4/84 --- Whereas, I, PREMA MALINI VASAN

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000-and bearing

Land at Katpadi situated at Gudiyatham Taluk

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been trasferred

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office

of the Registering officer at

S.R. Katpadi (Doc. No. 1286/84) on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957); (1) Smt. Baby Ammal, W/o Lakshmana Chettiar, 29, 6th West Cross Road, Gandhi Nagar, Velloie-6, N.A. Dist.

(Transferor)

(2) Shri V. R. Jayarama Chettlar, S/o V. Chetty Ramayya Chetty, No. 7, Kannikaparameswari Koil St., Vellore N.A. Dist.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the immovable property, within 45 days from the date of the public cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot: At Guddiyatham Taluk, Katpadi, (Doc. No. 1286/84),

> PREMA MALINI VASAN
> Competent Authority
> Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I, Madras-600 006

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

Date: 20-11-84

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras, the 15th November 1984

Ref. No. 50/April/84.—Whereas. I, PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under

Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing L and B at Gandhi Nagar situated at Kalinjur village, Katpadi

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered up, the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

S.R. Katpadi (Doc. 1150/84) on April 1984 for an apparent consideration which is less than the market value of the aforesaid property and I have rea on believe that the fair market value of the property as af said exceeds the apparent consideration therefor by my

said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and the the consideration for such transfer as agreed to between the parties has truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transferor and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been ← which sught to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforestid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Shri C. V. Vaithiyanathan, R/o
 8th East High Road,
 Gardhi Nagar, Velur-6.

(Transferor)

(2) Shri R. Prabhakaran, R/o 7, Kasi Viswanatha Swamy Kovil St., Vellore-4.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person in erested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

L and B at Gandhi Nagar (Doc. No. 1150/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras-600 006

Date: 15-11-84

FORM I.T.N.S.-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I. MADRAS-600 006

Madras, the 29th October 1984

Ref. No. 51/April/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs, 25,000/and bearing

L and B at Vellore Town situated at Vellore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SR I/Vellore (Doc. No. 1408/84), on April 1984

of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. I/Vellore (Doc. No. 1408/84) on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—
101—426 GI/84

(1) Shri B. Damodaran, 34, Sarojani St., Arakkonam Town.

(Transferor)

(2) Shri Govindasamy Mudaliar, No. 7, Suval Pettai, Arakkonam Town.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

L and B at Vellore Town. (Doc. No. 1408/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras-600 006

Date: 29-10-84

FORM LT.N.S .--

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

 P. K. N. Krishnaswamy Naidu, 60, Subramaniasami Koil St., Mudalivakkam, Porur, Madras.

(Transferor)

(2) V. G. Srinivasan, No. 28, Appaswamy St., Arni, N.A. Dist.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPETING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 20th November 1984

Ref No. 52/April/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN, being the competent authority under Section 269B of the Income-Tax Act. (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair value exceeding Rs. 25,000- and bearing Land at Appasamy Pillai St. situated at Arni (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Arni (Doc. No. 1198/84) on April 1984 for an apparent consideration which is less than the firm market value of the aforesaid property and I have reproducted that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therfor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the formal services as a service of the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—
 - (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
 - (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transferor, and or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Land at Appaswamy St. (Doc. No. 1198/84...

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to following persons, namely:—

Date: 20-11-1984

Scal:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 24th November 1984

Ref. No. 54/April/84.—Whereas, I, PREMA MALÍNÍ VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land B. at Opili Naickam Patti village situated at

Dharmapuri

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Morappur (Doc. No. 178/84) on April 1984 for an apparent consideration which is less than fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

(1) Shri K. A. Swami Natha Iyer, Arunachala Iper, Opili Naickam Patu, Morappur Post, Dharmapuri Dist.

(Transferor)

(2) Shri N. Murugan, Silar Sahib, Karuppanna Chettiar and K. Krishhnan Rasalampatty, Morappur, Dharmapuri Dist.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Land B. at Opih Naickam Patti (Doc. No. 178/84).

PREMA MALINI VASAN Competent Authority
Inspecting Assistant Commissoiner of Income-tax
Acquisition Range-I Madras-600 006

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acculation of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 24-11-1984

(1) Shri M. S. Sampath Mudaliar, S/o M. S. A. Shanmuga Mudaliar, 18, Kasthuri Ranga Ayyar St., Alwarpet, Madras-18.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Pradecp Kumai, 22. Mitta Ananda Rao St., Vellore, N.A. Dist.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-I MADRAS-600 006

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;

Madras-600 006, the 29th October 1984

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. 56/April/84—Whereas, I, PRI MA MALINI VASAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Explanation:--The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given that Chapter.

No. 16, North Velur Town Mitta Ananda situated at Rao St. Velui

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Pegistration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer a S.R./Velur (Dec. No. 1301/84) on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aloresaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and or

THE SCHEDULE

Land and Building at No. 26, Mitta Ananda Rao St., Vellor Town. (Doc. No. 1301/84).

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been of which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

PREMA MALINI VASAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Madras-600 006

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:---

Date: 29-10-1984

FORM I.T.N.S.-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I MADRAS-600 006

Mad1as-600 006, the 29th October 1984

Ref. No. 58/April 84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 2698 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (heremafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000-and bearing

and bearing Plot No. 18. Goa Road, Peganapulli situated at Krishnagni

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred und., the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer a J.S.R./Krishnagiri (Dec. No. 602/84) on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the afolosaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer;
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which eaght to be disclosed by the transferrer for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) Section 269D of the said Act. to the following persons, namely:—

Smt. R. Thulasi,
 Kalani, 3rd Cross St.
 Co-operative Colony,
 Poganapalli, Krishnagiri.

(Transferor)

(2) K. Ramachandran and others, S/o Shri P. Kanthaswamy 25, Colony 2nd Cross St., Poganapalli.

(Transferee)

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: — The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given at that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at Krishnagiri (Doc. No. 602/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Date: 29-10-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 24th November 1984

Ref. No. 62/April/84.—Whereas ,I, PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax 'Act. 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing

Lands at Puthu Kombai Village situated at Puthu Kombai Village

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Sendamangalam (Doc. No. 487/84) on April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen persent on such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquistion of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Shri Karuppaiah, Puthu Veppanam, Vasantha Puram, Namakkal Taluk Salem Dist.

(Transferor)

(1) Shri Sellammal, W/o Palanisamy, 35, Ramasamy Pillai St., Namakkal Taluk Salem Dist.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons with in a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within forty five days from the date of publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Lands at Pudu Kombai Village (Doc. No. 487/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Date: 24-11-1984

 Shri Palaniappa Gounder, 85-R Komarapalayam Village and post Rasipuram Taluk.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Palaniyappa Founder and others S/o Shri Ramaswamy Gounder Koppampatti, Ponkurichi Village, Rasipuram Taluk.

(Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 24th November 1984

Ref. No. 69/April/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Lands at Kenamapalayam Village situated at Rasipuram (Doc. No. 805/84) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Rasipuram (Doc. No. 805/84) on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (b) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable preperty within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by trasferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section *65°C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

THE SCHEDULE

Lands at Komarapalayam (Doc. No. 805/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Date: 24-11-1984

Scal:

FURN I INS. --

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (4) OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I

Mad as 60% (1)

- (a) facilitating the reduction or evasion of the ilability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transferor, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income hax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate procreetings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Dr. k. 3. Sundam and cabes First Agranaram St., Salem Yowa

(Transferor)

(2) Shi A Tickash and others, Door No. 8, Somandika St, Salem Iowa

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned --

- (a) by any of the period of 45 days of the last of the period of the control of the control of the service of the control of the respective pursons, whichever we design later.
- (b) by any one are are in recred withe said immovable properties to the confidence the date of the notion of all device in the Official Cazette.

EXPLANATION '-- I'h' terms and expression, used herein at are defined in Chapter XXA of the said Actshall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Lands at Salem Town (Doc No. 691/84, 636/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Date · 7-11-1984 Seal :

FORM ITNS----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I MADRAS-600 006

Madras-600 006. the 26th November 1984

Ref. No. 77/April/84.—Whereas, I, PREMA M/LINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

Land at Tiruchengodu situated at Namakkal (ard more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Tiruchengodu (Doc. No. 1154/84) on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer is igneed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been of which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-ray Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the tollowing persons, namely:—

102 426 GI/84

(1) T. A. Singaravelu, S/o Si; Ka, Albappa Mudahar Pullikarai St., Tirucnengodu.

(Transferor)

(2) F. C. Lakshmipathi, T. S. Chionu ami Mudaliar, Kumaresapuram St., Siruchengodu.

(Transferee)

Objections. If any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this nouse in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Tiruchengodu (Doc. No. 1154/84).

PREMA MALINI VASAN
Competen Authory
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Date: 26-11-1984

FORM TINS-

(1) M. Kanthaswamy Udayar,

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 UF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) M. Kandaswamy, S/o Muthu Gounder, R/o Pecnappatty Main Road, Palinga Mudahar Thottam, Salem-1.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 26th November 1984

Ref. No. 79/April/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN. being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), bave reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Property at per Dpc. No. 1170/84 situated at Salem (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registration Machine at SR Valaphady (Salem) 1170/84 on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been train stated in the said instrument of transfer with the eligent of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the Hability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not bees or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said.

Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULF

Property as per Doc. No. 1170/84

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Incom + Acquisition Range Madras-600 006

Date: 26-11-1984 Seal:

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-OF INCOME-1AX

ACQUISITION RANGE-I MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 6th November 1984

Ref. No. 80/April/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25 000 /- and bearing

Rs. 25,000/- and bearing Lands at Venkarai Village situated at Vellore

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 or 1908) in the office of the Registration Act, 1908 (16 or 1908) in the office of the Registration Officer at S.R. Velur (Salem) (Doc. No. 203/84) in Apil, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly state in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer. andlor
- (b) faciliating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been of which ought to be disclosed by its transferse for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the softensaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act. to the following persons, namely:—

 Shri Etti Gounder, S/o Etti Gounder, Kulakkattupumur, Mamakkal Taluk-637208.

(Transferor)

(2) K Pappayi, W/o Kandasamy, Kulakkattuputhur, Namakkal Taluk-637208.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any other person interested in the said immov-45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Lands at Venkarai Village (Doc. No. 203/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Date: 6-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-1 MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 26th November 1984

Ret. No. 82/April/84.—Whereus, I, PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No. 797/857/206/(4242) situated at Gandhi Vacant Land at Namakkal situated at Namakkal (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Chin's or the Registering Officer at J.S.R.II/Namakkal (Doc. No. 721/84) on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aloresaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said matrument of transfer with the object of terms.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act. in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the indian income-tax. Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax. Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Shri N. Nallappa Reddy, Reddy Patti V nage, Namakkal Taluk, Satem Dist.

(Transferor)

(2) Shri R. Rajarathinam, Madurai West, Dindigul Taluk. Madurai Dist.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this nonce in the Otheral Genetic.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the and Act shall have the same meaning as given, in that Chapter.

THE SCHEDULF

Lands at Namakkal (Doc. No. 721/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant of Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-1
Madras-600 00%

Date: 26-11-1984

111 111 mm

(1) Shri Nallappa Reddy, Reddy Pattı Village, Nan.akkal Taluk, Salem Dist

(Transferor)

(2) Shri S. M. Rajalinga Mudaliar, Solia Mudaliar St., 55, Mohanur Taluk, Salem Dist.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMEN' OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE-I MADKAS-600 006

Madras-600 006, the 16th November 1984

Ref No. 83/April/84 —Whereas, I, PREMA MALÍNÍ VASAN,

Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinatter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovsble property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing

Land at Namakkal situated at Namakkal

Land at Namakkal situated at Namakkal (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 ("not 1908) in the office of the Registering Officer a S.R.II/Namakkal (Doc. 722/84) on April 1984 for an apparent consideration. Shift is essuant the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than afteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of: of transfer with the object of :-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the trensferor to pay tax under the said A.t. in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys of other assets the decrease for which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the old Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, i hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:---

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 div. o o die of the publication of this notice in the Official Gazette. of the of the

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE `

Landi at Namakkal (Doc. No. 722/84).

PREMA MALINI VASAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Pange-I Madras-600 006

Date: 16-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(1) Shri D. Vasanthakumar S/o Devarasu Redu.ar Lathuvadi Post, namakkal Taluka.

(Transferor)

(2) Shri D. Vevaraian 128, Paramathi Road, Nam kkal, Salem Dist.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAY, ACQUISTION RANGE-I MADRAS-600 006

Madras-609-606, the 5th November 1984

Ref. No. 84/Aprilffl84.--Whereas, 1, PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 2698 of the Income-tax Act, 1961 (45 of 1961) (be conafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, basing a fart market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Lands at Lathuvadi villige s'tuited Namakkal

(and more fully described in the Schedule annual hereto) has been transferred as per de d registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 o' 1903) in the office of the Registering Officer at JSR.II/Namakk 1 (Dec. 70984) on April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more thin fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evision of the hability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, on the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in surguance of Section 2690 of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:-

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the late of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :-- The forms and expressions used herein as are defined to Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Lauds at Lathuvadi village (Doc. No. 729ff84).

PREMA MALINI VASAN Competent Authority
Inspecting Assistant Commission of Income-tax
Acquisition Range-I Madras-600 6

Date: 6-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-1AA ACI, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

> ACQUISTION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 15th November 1984

Ref. No. 91/April/84.—Whereas, I, PRLMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000-and bearing

Land at Truchengodu, Namakkal situated at Namakkal (and more fully described in the Schedule annexed hereto) ha been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registe ing Officer at S.R. Tiruchengodu (Doc. No. 1136/84)

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afortsaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax unuer the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Weslth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Shri R. A. Vairam Appa Musai ar Lane, Tirushengosu, Namakkai, Salem Dist.

(Transferor)

(2) Smt. K. Mankayarkarasi W to Sri T. K. Karthikeyan, Kaliandi Lane, Tiruchengodu.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 40 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant Land at Tiruchengodu. (Doc. No. 1136/84).

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Pang-I
Madras-600 006

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 15-11-1984

FURM LI.N.S.-

(1) 11. Audie Monamard liyas lvo. 2, Mahitzkhan Garden Street. Mauras-1.

(Transferor)

(2) Mrs 12 let Bhai Mr, Mannan 55 Maanumari Chetty Street,

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 1AX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISTION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 20th November 1984

Ret. No. 94/April/84 - Whereas, I, PR. MA MALINI VASAN, berng the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (heremafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the improvement of the said Act') is the said Act'. movable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing situated at 2 Mahfuz Khan Garden Stre t, Madras-1 (and more fully described in the schedule annexed hereto) 1908) in the office of the Registering Officer at Madras North II (Doc. No. 1088/84) on April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in willing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 4, days from the date of jubication of this netice in the Official Gazette of a period of 30 days from the office of the notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immorable concerns within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION .—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act with the same meaning as given in that Chapter.

(a) tacilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the anid Act in reserved of any income arising from the transfer and for

THE SCHEDULE

Land and building 2 Mahfuz Khan, Garden Street, Mad-131 (Doc No 1088/84).

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

PREMA MALINI VASAN Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-1 Madras-600 ()(

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Date 20-11-1984

FORM ITNS.---

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISTION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 31st October 1984

Ref. No. 95/April/84.-PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immoveable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

situated at 41 Moore St, Madras 1 and 7 & 8 Jehangit St. Mardas-1

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office

of the Registering Officer at

Madras North II (Doc. No. 1183/83) on April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesald property, and I have reason to believe that the fair market value of the property, as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per sent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties' has not been truly stated in the said instrument of transfor with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/er
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said act, or thet Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:— 103—426 GI/84

(1) Shri Vummidi Kannan Srihari Devi Vummidi Mukundha Vummidi Ethiraj Sumithira Udvekumer Vijavandtan 86, Devarajamudalin Street, Mádras-3.

(Transferor)

(2) Sri S. K. M. Yusuf and 19 others M/s Twenty Star Traders 64, Mannady Street, Madras-1.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter:-

THE SCHEDULE

Land and building 41 Moore Street, Madras-1 No. 7 and 8 Jehangir Street, Madras-1 (Doc. No. 1183/84).

> PREMA MALINI VASAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Madras-600 006

Date: 30-10-1984

Seal ;

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISTION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras-600-006, the 26th November 1984

Ref. No. 98/April/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the

Immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing situated at 19 Kilpauk Ayyanavaram Road, Kilpauk, Madras (19 Kilpauk) Ayyanavaram (19

situated at 19 Kilpauk Ayyanavaram Road, Kilpauk, Madras (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Malras North II (Doc. No. 1010/84) on April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

(a) facilitating the reduction or evation of the liability of the transferor to pay tax under the said Ast, in respect of any income arising from the transfer;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the saue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1) Mrs. Kamala Muthukrishnan Iyer 25/1, Pelathope, Mylapore, Madras-4. Mrs. Sumithra Srinivasan 157, V. M. Street, Rayapettah, Madras-4.

(Transferor)

(2) Mrs. Uma Ramakrishnan No. 2 III Avenue,

Besant Nagar,
Madras-90.

2. Mrs. Vijaya Muthukrishnan
'Chandini' Plot No. 78,
Panampalli Nagar, Cochin-682 016.

3. Mrs. Seetha Chandrasekar 10-3-173 St John's Road, Secundrabad-25.

(Transferre)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immor-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: —The terms and expressions used berein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building No. 19 Kilpauk Iyyanavaran Road, Kilpauk, Madras (Doc. No. 1010/83/84).

> PREMA MALINI VASAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Madras-600 006

Date: 26-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISTION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 21st November 1984

Ref. No. RAC. No. 297/84-85.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Land and Building at Naduvakarai situated at Madras (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Schedule annexed hereto), has been transferred and the Income-tax Act, 1961, in the office of S.R. Anna Nagar (Doc. No. 1054/84) on April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Smt. R. Selvasundari Ramlah W/o Sri K. V. Ramaiah Kattoor, Tanjore Dist.

(Transferor)

(2) Shri P. G. Visweswaran and P. G. Sivaraman M-7, Lotus Colony, MIG Flats, Nandanam, Madras- 35

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building At Naduvakarai, Anna Nagar, Madras, (Doc. No. 1054fil84)

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-t
Madras-600 006

Date: 21-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 16th November 1984

Ref. No. 109/4/84.—Whereas I, PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|-and bearing

Koyambedu, Anna Nagar situated at Madras (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Anna Nagar (Doc. No. 1408/84) on April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which eught to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

 Shri R. Govinda Rao S/o Late S. Ragavendra Rao, R/o 11, Second Street, Dr. Thirumurthi Nagar, Nungambakkam, Madras-34.

(Transferor)

(2) Shri S. S. Somasundaram S/o P. K. Suramanlam Plot No. 2099, 1st Floot, Y Block, III St, 12th Main Road, Anna Nagar, West Madras-40.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gaeztte.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chipter.

THE SCHEDULE

Land and building at Koyambedu, Anna Nagar, Madras. (Doc. No. 1408/84)

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Date: 16-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I. MADRAS-600 006

Madr s-600 006, the 20th November 1984

Rcf. No. 128/April/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. situated at 175, T. H. Road, Madras-81 (and more fully described in the Schedule annexed bereto).

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rayapuram (Doc. No. 659/84) on April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: andlor
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferes for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

(1) Mr. P. D. Sewag Director M/s. Southern Group Industries Pvt. Ltd., 118, Broadway, Madras-1.

(Transferor)

(2) M/s Alison Steel & Hardware No. 25, Perianna Maistry Street, Madras-1.

(Transferce)

(3) Transferee

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used nerein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building No. 175 T. H. Road, Mardas-31 (Doc. No. 659/84)

> PREMA MALINI VASAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-[Madras-600 006

Date: 20-11-1984

Scal:

FORM ITNE-

 Shri K. Bhaskar Rao and others No. 25, Sembier St., Madras-1.

(Transferor)

(2) Shri S. Vijayalakshmi and others No. 102, Avadanam Pappier Road, Choolai, Madras-112.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 26th November 1984

Ref. No. 138/4ffl84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|and bearing

Dood No. 5, Strotten Muthiah Mudali St. situated at G. T. Madras

Madras

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the S. R. Sowcarpet (Doc. No. 169/84)

market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such transfer as agreed to between the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957); Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immerable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the taid Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building D. No. 5 Strotten Muthia Mudali St., Madras. (Doc. No. 169/84)

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Nok, therefore, in pursuance of Section 269°C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 26-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 30th November 1984

Ref. No. 139/4/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing

Land and Building at 85, Varadha Muthiappan situated at St. Madras-1,

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Sowcarpet (Doc No. 170/84) on April, 1984

S.R. Sowcarpet (Doc No. 170/84) on April, 1984 which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Mrs. N. Seshamma
 W/o Late Radhakrishna Naidu
 22, Police Commissioner Office Road,
 Egmore,
 Madras-8.

(Transferor)

(2) Mr. T. K. Azeez S/o Abdullah 6, Backker St., G. T. Madras.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used hereis as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building at No. 85, Varadha Muthlappan St., Madrae (Doc. No. 170ffl83)

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Date: 30-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 6th Novembzer 1984

Ref No. 151/April/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000] and bearing Land and Building

situated at No. 12, Muktha Gardens, Spurtank Road, Extensions, Madras-31

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act. 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Periamet (Doc. No. 294/84)

narket value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than difteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferree for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aferesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Smt. Meenakshi W/o Sri N. Ramakrishnan, 12, Muktha Gardens, Spurtank Road, Extensions, Madras-31.

(Transferor)

(2) M/s K, M. Mohamed Abdul Khadar Firm Tanners & Exporters 20 V. V. Koil Street, Periamet, Madras-3.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building 12 Muktha Gardens, Spurtank Road, Extension, Madras-31. (Doc. No. 294/84)

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Date : 6-11-1984

S¢al:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras-600 06, the 30th November 1984

Re^c. No. 166/4/84 —Whereas, I, PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to see the 'eald Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing Land and building situated at Mc. Nichols Road, Chetput,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at S.R. Periamet (Doc. No. 351/84)

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of .-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the dansferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer: and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

104-426 GT/84

(1) Shri P. Vadivelu No. 13, Nichols Road, Chetput, Madras-31.

(Transferor)

(2) Shri V. M. Hidayadullah No. 12, Swamy Mudan St Periamet, Madras-3.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the Jate of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at Mc. Nichols Road, Chetput, Madras-41. (Doc. No. 351/84)

> PREMA MALINI VASAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Madras-600 006

Date: 30-11-1984

601, Mount Road, Madras-6.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) (2) Bakir Faizulla Bhai, 10, Mookar Nalla Muthu St., Madras-1.

(Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-I MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 21 November 1984

Ref. No. 169/4/84—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- an i bearing No.

34, Pantheon Road si uated at Egmore Madras-8 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office o' the Registering Officer at S.R. Periamet (Doc. No. 382/84) in April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reliable to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the Hability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; hild/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this office notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:---

(1) M/s. Paren Foundation and Engineering Corpn.

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on this respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Ga setts.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as see defined in Chapter XXIA of the said Act, shall have the same missing as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

34, Pantheon Read, Egmore, Madrate 8 (Doc. No. 382/84)

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Comministries of Income-tax
Acquisition Range-I
Madrisi-600 006

Date : 21-11-1984

Scal:

NOTICE UNDER SECTION 259D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

T.D. Chandrasekaran and others,
 Bandala Chittaibabu Naidu St.,
 Madras-31.

(Transferor)

(2) Shri R. Amsaveni, 8, Kattur Sadayappan St., Periamet, Madras.

(Transferes)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOMETAX.

ACQUISITION RANGE-I MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 21 November -1984

Ref. No. 159 and 160/5/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act5), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and hearing

and bearing No. Land B. Bandela Chittihabu Naidu aituated at St.

Madras-31

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

1908) in the office of the Registering Officer at 3.R. Periamet (Doc. No. 486/84) & 480/84 in April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than afteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of ransfer with the object of:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this action in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the pattication of this notice in the Official Gazetts.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as alving in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and for

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by transferes for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1937 (27 of 1957);

Land and Bullding at Bandala Chittibabu Naidu ... M. Mds-31.

(Doc. No. 486/84) & 480/84.

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madray-500 006

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 21-11-1984

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 21 November 1984

Ref. No. 172/ April/84.—Whereas, I, PREMA MALINI VASAN,

being the Competent Authority under Section' 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000l-and bearing No. situated at 67 Thiagappa Mudali Street, Kilpauk, Madras-10

and bearing No. situated at 67 Thiagappa Mudali Street, Kilpauk, Madras-10 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Periamet (Doc. No. 393/84) in April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) 'acilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice undtr subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Shri A. G. Ranganathan
 Adiyappan Mudali Street, Ourasawakkam, Madras-84.

(Transferor)

(2) Shri V.T.C. Selvaran No. 11 Sarojini Street, T. Nagar, Madras-17.

(Transferee)

Objection, if any, to be the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXV of the said Act, shall have the same meaning as given, in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at 67 Thiagappa Mudali Street, Madras-10 (Doc. No. 393/84)

PREMA MALINI VASAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Date: 21-11-1984

Scal:

FORM ITNS

(1) Wazir Chand

S/o Smt. Subhrai Wd/o Shri Gopal Dass S/o Shri Jesa Ram,

R/o Rewari.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) M/s Rama House Pvt. Ltd., 26/75, Panjabi Bagh, New Delhi through Shri J. K. Bansal, Director of the Company. (Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE ROHTAK

Rohtak, the 20th November 1984

Ref. No. RWR/1/84-85.—Whereas, 1, R. K. BHAYANA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Incometax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000-

and bearing No.

Rs. 1,00,000/-and bearing No. Land measuring 8 Kanal 5

Maria situated at Village Khatawali, Teh. Rewari
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of
1908) in the office of the Registering Officer at

Rewari in Sept., 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market alue of the property as aforesaid exceeds, the apparent consideration therefor by more than tifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truely stated in the said instrument of transfer with the object of:

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; end/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been of which ought to be disclosed by the transferee for been or the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Property being land mensuring 8 Kanal 5 Marlas situated at village Khatawali, Tehsil Rewari and more fully described in the sale deed registered at No. 1804 dated 24-9-1984 with Sub Registrar, Rewari.

> R. K. BHAYANA Competent Authority Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Rohtak

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Date: 20-11-1984

FORM ITNE

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, \$961 (43 OF 4961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE ROHTAK

Rohtak, the 20th November 1984

Ref. No. RWR/2/84-85.—Whereas, I, R. K. BHAYANA,

being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/-and bearing No. Land measuring 16 Kanals

situated at Khatawali, Teh. Rewari

(and more tully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the

Reg stering Officer at Rewari in Sept., 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, is respect of any income arising from the transfer;
- (b) facilitating the concealment of any income on any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferousfer the purposes of the Indian Income tax. Act, \$222 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1937);

(1) Svs. Om "Perkash; Basant Kumar soms of Shri Fatch Chand s/o Shri Pyare Lal, r/o Rewari, D/Mahendergarh.

(Transferor)

(2) M/s Rama House Pvt. Ltd., 26/75, Panjabi Bagh, New Delhi through Shri J. K. Bansal, Director of the Company.

(Transferce)

- · Objections, if any, to the acquisition of the said property -. bengingly be made in writing to the undersigned
 - (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the poctive persons, whichever period expires later;
 - (b) by any other person interested in the said immersable property, within, 45 days from the date of the said cation of this notice in the Official Gazette.

fixplanation:—The terms and expressions used hereis a are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Property being Land measuring 16 Kanals situated at village Khatawali, Tehsil Rewari and more fully described in the sale deed registered at Sr. No. 1805 dated 24-9-1984 with Sub Registrar, Rewari.

> R. K. BHAYANA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Robtak

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:-

Date ; 29-11-1984 Seel :

MOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMP TAX ACT. 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, ROHTAK. D. L. F. COLONY,

Rohtak, the 20th November 1984

Ref: No. RWR/3/84-85.—Whereas, I, K. BHAYANA,

being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to se the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Re'' 1,00,000/- and bearing No.
Land measuring 12 Kanal 8 Matlas
Stranted at village Khatawali, Teh. Rewari,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Rewari in Sept., 1984

for an apparent consideration which is less than the fair mirker value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consist wallon, therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respective of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the conceilment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

wife, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1) Balfadur Chand, Amar Nath sons and Smt. Sheela Devi D/o Shri Gopal Dass S/o Shri Jesa Ram, R/o Rewari.

(Transferor)

(2) Mrs. Rama House Pvt. Ltd., 26/75, Punjabi Bagh, New Delhi through Shri J. K. Bansal, Director of the Company.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable propert, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being land measuring 12 Kanal 8 Marlas situated at village Khatawall, Teh. Rewari and more fully described in the sale deed registered at No. 1806 dated 24-9-1984 with Sub Registrar, Rewari.

> R. K. BHAYANA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Incomis-ax, Acquisition Range, Rohtak

Date : 20-11-1984

: احت

NOTICE UNDER SECTION 269D(I) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, ROHTAK. D. L. F. COLONY,

Rohtak, the 20th November 1984

Ref. No. RWR/4/84-85 — Whereas, I, R. K. BHAYANA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (bereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000 - and bearing No.

Land measuring 16 Kanals
Situated at village Khatawali, Teh. Rewari,
(and more fully described in the schedule annexed 1000). has been trasferred

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office

of the Regis ering Officer at Rewari in Sept., 1984

for an apparent consideration which is less than the foir market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the hability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been in which ought to be disclosed by the transferee to the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Welter to Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby nitiate proceedings for the second of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the follow ing persons, namely '--

Smt. Ganesh Bai W/o Shri Fateh Chand S/o Shri Pyare Lal of Rewari now Chandigarh Mukhtia-re-am Smt Bhirawa Bai D/o Shri Fateh Chand S/o Pyare Lal, R/o Rewari now Bara

(Transferor)

(2) M/s. Raja House Pvt. Ltd., 26/75, Punjabi Bagh, New Delhi through Shri J. K. Bansal, Director of the Company

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being land measuring 16 kanal situated at village Khatawali, Teh. Rewari and more fully described in the sale deed registered at No. 1807 dated 24-9-1984 with Sub Registrar, Rewari.

> R. K. BHAYANA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax Acquisition Range, Rohtak

Date : 20-11-1984

Seal

FORM ITNS ----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTATION OF INCOME-TAX ASSISTANT COMMIS-

ΛCQUISITION RANGE, ROHTAK. D. L. F COLONY,

Rohtak, the 20th November 1984

Ref. No. RWR/5/84-85.—Whereas, I. R. K. BHAYANA,

R. K. BHAYANA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.

9 Kanal 11 Marlas
Situated at Village Khatawali, Teh. Rewari, (and more fully described in the Schedule annexed bereto), has been trasferred
under the Registration Act. 1908 (16 of 1908) in the office.

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believed that the fair marker value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more that fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferce(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said. Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any thore, so or other assets which have not been of which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Shri Kanwar Singh S/o Shri Chand Singh S/o Nathu, R/o Village Dharuhera, Teh. Rewari.

(Transferor)

(2) M/s. Rama House Pvt. Ltd. 26/75, Punjabi Bagh, New Delhi through Shri J. K. Bansal, Director of the Company.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immove able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being land measuring 9 kanal 11 marlas situated at Village Khatawali, Teh. Rewari and more fully described in the sale deed registered at No. 1808 dated 24-0-1984 with Sub Registrar, Rewari.

> R. K. BHAYANA Competent Authority Inspecting Assistant Commiss'oner of Income-tax Acquisition Range, Rohtak

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :-105--426 GI/84

Date: 20-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, ROHTAK. D. L. F. COLONY

Rohtak, the 20th November 1984

Ref. No. BGR/41/84-85.—Whereas. I. R. K. BHAYANA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to at the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/and bearing No.
Plot No. 99. Block 'E' area 500 sq. yds.
Situated at Sector No. 11, DLF Model Town (Mujeser),

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ballabgarh in Sept., 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid sexceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such opparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:-

- (a) facilitating the reduction or evasion or the liability of the transferor to pay tax under the said Ast, in respect of any income arising from the transfer: and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or for which ought to be disclosed by the transferee the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

 Smt. Saroj Gupta
 W/o Shri Shashi Bhushan Gupta
 C/o M/s. Shashi Bhushan Gupta & Co., Gokal Bazar, Rewari.

(Transferor)

(2) Shri Deepak Gupta S/o Shashi Bhushan Gupta S/o Shri Nathu Ram Saraf C/o M/s. Deepak Enterprises, Gokal Bazar, Rewari.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publi-cation of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being Plot No. 99, Block 'E' area 500 sq. yds., situated at Sector 11, DLF Model Town (Mujesar), Faridabad and more fully described in the sale deed registered at No. 8719 dated 10-9-1984 with Sub Registrar, Ballabgarh.

> R. K. BHAYANA Competent Authority Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Rohtak

Now, therefore, in pusuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Secvition 269D of the said Act, to the following persons, namely:-

Date: 20-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE **JALANDHAR**

Jalandhar, the 12th November 1984

Ref. No. A.P. No./5678.—Whereas, I. J. L. GIRDHAR,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing

No. as per schedule situated at Phagwara (and more fully described in the Schedule annexed hereto),

has been transferred

as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Phagwara on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer;
- (h) facilitating the concealment of any income or any moneys or other asects which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Ast, 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforestild property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :-

(1) Shri Amerik Singh S/o Madhya, R/o Banga Road, Phagwara.

(Transferor)

(2) Shrimati Mohinder Kaur W/o Lehmber Singh, R/o Nangal Majha, Teh. Phagwara.

(Transferos)

(3) As per Sr. 2 above.

(Person in occupation of the property) (4) Any other person interested in the property.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registered Sale deed No. 23 of April, 1984 of the Registering authority, Phagwara.

> J. L. GIRDHAR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax. Acquisition Range Jalandhar.

Date: 12-11-1984

FORM I.T.N.S.-

NUTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE JALANDHAR

Jalandhar, the 13th November 1984

Ref. No. A.P. No/5681.—Whereas, I. J. L. GIRDHAR,

being the Competent Authority under Section 269B of the lucome-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. as per schedule situated at Kapurthala.

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act. 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kapurthala on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair manker value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Art or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Smt. Balwant Kaur W/o Harbhajan Singh, R/o Kapurthala. R/o Kapurthala.

(Transferor)

(2) Shui Ujjal Singh S/o Kartar Singh, R/o Kapurthala.

(Transferee)

(3) As per Sr. 2 above.

(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall havt the same meaning as given in that Chapter.

· THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registered Sale Deed No. 45 of April, 1984 of Registering Authority, Kapurthala.

> J. L. GIRDHAR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Jalandhar.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforeasid property by the issue for this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :-

Date: 13-11-1984

Scal:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT. 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE JALANDHAR

Jalandhar, the 13th November 1984

Ref. No. A.P. No./5682.—Whereas, I, L L GIRDHAR.

being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 - and bearing No.

No. as per schedule situated at Kapurthala.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the fudian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kapurhala on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-anid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the onsideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/er
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-Tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acepuisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :---

(1) Shrimati Jaswant Kaur W/o Harnam Singh, R/o Kapurthala.

(Transferor)

(2) Sh. Ranjit Singh S/o Kartar Singh, R/o Kapurthala.

(Transferee)

(3) As per Sr. 2 above.

(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registered Sale deed No. 66 of April, 1984 of the Registering Authority, Kapurthala.

> J. L. GIRDHAR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Jalandhar.

Date: 13-11-1984

FORM ITN9-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, JALANDHAR

Jalandhar, the 13th November 1984

Ref. No. A.P. No/5683.—Whereas, I, J. L. GIRDHAR.

the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. as per schedule situated at Kapurthala

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at Kapurthala on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating hte reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the Act, to the following persons, namely:—

(1) Smt. Balwant Kaur W/o Harbhajan Singh, R/o Kapurthala.

(Transferor)

(2) Shri Harinder Singh S/o Kartar Singh, R/o Kapurthala.

(Transferec)

(3) As per Sr. 2 above.

(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazetts.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registered Sale deed No. 106 of April, 1984 of the Registering Authority, Kapurthala.

J. L. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Jalandhar.

Date: 13-11-1984

FORM LT.N.S.-

(1) Shrimati Jaswant Kaur W/o Harnam Singh,

(Transferor)

(2) Shri Harinder Singh S/o Kartar Singh, R/o Kapurthala,

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(3) As per Sr. 2 above.

(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, **JALANDHAR**

Jalandhar, the 13th November 1984

Ref. No. A.P. No./5684.—Whereas, I, J. L. GIRDHAR,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. as per schedule situated at Kapurthala.

(and more fully described in the scheme annexed hereto)

has been transferred

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office

of the registering Officer at Kapurthala on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-and exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) taciltating the reduction or evasion of the flaminty of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, andjor

THE SCHEDULB

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Property and persons as mentioned in the Registered Sale Deed No. 141 of April, 1984 of the Registering Authority, Kapurthala.

> J. L. GIRDHAR Competent Authority Inspecting Assistant Commissoner of Income-tax Acquisition Range Jalandhar.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

Date: 13-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SNONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JALANDHAR

Jalandhar, the 13th November 1984

Ref. No. A.P. No./5687.—Whereas, I, J. L. GIRDHAR.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a falr market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. as per schedule situated at Phagwara

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Phagwara on May 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cant of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (b) facilitating the concealment of any income or any of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

(1) Shri Gulshan Kumar S/o Gurdas Mai, Central Town, Phagwara.

(Transferor)

(2) Smt. Balbir Kaur W/o Surjit Singh, Moh. Khojian, Phagwara.

(Transferee)

(3) As per Sr. 2 above,

(Person in occupation of the property)
(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires late;
- (b) by any other person interested in the said ummovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Guzette

EXPLANATION: -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registered Sale Deed No. 306 of the May, 1984 of the Registering Authority, Phagwara.

> J. L. GIRDHAR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range Jalandhar.

Date: 13-11-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I AGGARWAL HOUJE 4/14-A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 4th December 1984

Ref. No. IAC/Acq III SR-II/4-84/1833.—Whereas, I, G. S GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25000/- and bearing No.

No. 22/53, situated at Punjabi Bagh, New Delhi.

and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act. 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair-market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following nersons, namely:—
106—426 GI/84

(1) Shri Ajit Singh House No. 22, Road No. 53, Punjabi Bagn, New Delhi

(Pransferor)

(2) Shri Goverdhan Lal Chadha & Sh. Mohan Chadha House No. 22, Road, No. 53, Punjabi Bagh, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (b) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this increase in the Official Gazet'e or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in the Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. 22 Road No 53, Punjabi Bagh, New Delhi Measuring 555.55 sq. Yds.

G. S. GOPALA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income, tax
Acour irion Range-I
Delhi/New Delhi.

Date: 4-12-84

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(1) Sh. Vinod Kumar Dhawan S/o Faquar Chand Dhawan, r/o R-47, Greater Kailash-I, New Delhi.

(Transferor)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I AGGARWAL HOUSE 4/14-A, ASAF ALI ROAD **NEW DELHI**

(2) Mrs. Nirpuama Jain W/o Sh. Ashok Jain, r/o E-207, Greater Kailash-II, New Delhi.

may be made in writing to the undersigned -

(Transferce)

New Delhi, the 4th December 1984

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/4-84/1.—Whereas, I,

SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (443 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to b lieve that the immovable of the competence of the competenc property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. S 328, Greater Kaila h-II, situated at New Delhi. (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been tranferred

under the Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Debhi on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly staed in hes said instrument of transfer with the objbect of :-

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

Objections, if any, to the acquisition of the said property

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the sam A. in respect of any insome arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any

moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Plot No. S-328, Greater Kailash-II, New Delhi measuring 300 sq. yds.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Delhi/New Delhi.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

Date: 4-12-84

(1) Kishan Lai S/o Mawasi, 1/0 Dera Mandi, New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMB-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Shri Satish Kumar Gulati S/o Satya Pal Gulati, 1/0 D-26, Narain Vihar, New Delhi.

(Transferm)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

> ACOUISITION RANGE-I 4/14-A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 27th November 1984

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/4-84/12.—Whereas, I. SUDHIR CHANDRA.

being the Competent Authority under Section 269B

of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinatter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25.000] and bearing

Agr. Land village Dan Mandi situated at

New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer

at New Delhi on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration theretor by more than hfteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income ensing from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been of which ought to be disclosed by the transferse 10st the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

may be made in writing to the undersigned :--

Objections, if any, to the acquisition of the said property

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:-The terms and expressions used berein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agr. land comprised in Khasra No. 44/8 (4-16), village Dera Mandi, Teh. Mehrauli, New Delhl.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquirition Range-I Delhi/New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 27-11-1984

(1) Kithan Lai S/o Mawa i, r'o Dera Mandi, New Delhi

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACI, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Satish Kumar Gulati
 S/o Satya Pal Gulati.
 r/o D-26. Narain Vihar. New Delhi.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 27th November 1984

Ref. No. IAC/Acql./SR-III 4-84/13.—Whereas, I. SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value

exceeding Rs. 25,000/- and bearing Agr. land village Dera Mandi, situated at New De'hi. (and more tully described in the Schedule annexed hereto),

has been transferred under the Registro Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer

at New 1411 Uni 1984.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been thuly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under said act in respect of any income arising from the transfer, and or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys of other assets which have not occur or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-iax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned: —

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person, whichever period expires lates;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION '-- The terms and expressions used herein as as are defined in Chapter XXA of the said Act whill have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agr. land comprised in Khasra No. 44 7 (3-12), village Dera Mandi Teh. Mehrauli, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
A qui in Range-I
Delhi/New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 4-12-84

beal:

(1) Kishan Lal S/o Mawasi,

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Shri Satish Kumar Gulati S/o Satya Pal Gulati, r/o D-26, Narain Vihar, New Delhi.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISTION KANGE-I
AGGARWAL HOUSE
4/14-A, ASAF ALI KOAD
NEW DELHI

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

New Delhi, the 27th November 1984

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/4-84/14 —Whereas, , SU→HIR CHANDAA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinatter referred to as the said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Agr. land village Dera Mandi situated at New Delhi

Agr. land village Dera Mandi situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer

at New Delhi on Apill 1984. It is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are denned in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys of other assets which have not been of which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of a said Act, for the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Agr. land comprised in khasra Nos. 44/3 min (3-0), 44/4 min (3-0) village Dera Mandi, Tehsil Mehrauli, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Delhi/New Delhi.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

Date: 4-12-84

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACI, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOMPIAX

ACQUISITION RANGE 4/14A ASAF ALI ROAD السبيد وجر

New Delhi, the 12th December 1984

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/4-84//20.-Whereas, I,

Ref. No. IAC/Acq.1/SR-III/4-84//20.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Compann. Authority under Section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1964) (hereinatter referred to as the said Act.), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25 000]- and bearing

No. E-464, Greater Kailash-II situated at New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed bereto) has been transferred under the Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Reg stering Officer at New Delhi in April, 1984.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, us respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section-269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the almestate property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) M/s. Capital Builders, H-39, Green Park Exta, New Deihi, through its partners Shri Jaspal Singh Marwah and Smt. Chanda Arora.

(Transferor)

(2) Shri R. K. Malik 8/0 Sh. Shri Prem Nath Malik, r/o E-73, Jajpat Nagar, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Ga, ette or a period of 30 days from the service of no ice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazetto.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Back portion of premises on first floor measuring 850 sq. ft. partly portion of property No. E-464, Greater Kailash-II, New Delhi.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority
> Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Aggarwal House 4/14A Assf Ail Road Delhi/New Delhi

Date: 12-12-1984.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

 Smt. Chander Kanta w/o Sh. C. L. Gupta, E-2, Kailash Colony, New Delhi.

(Transferc:)

(2) Sh. Nand Kishore Malik, Sh. Harish Malik, B-/55, Malviya Nagar, New Delhi.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

> ACOUISITION RANGE AGGARWAL HOUSE 4/14A ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 10th December 1984

Ref. No. IAC/Ara I/SR-III/4-84/21.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA

SUDHIR CHANDRA, being the Compet in Authority under Section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000-and bearing No.

No. M-41, Main Market, G K.-I. situated at New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer

at New Delhi in April, 1984.

for an apparent consideration which is less than the fair morket value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per tens of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; andlor
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this Notice in the Official Gazotte.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

M-41. Main Market, Greater Kailash-I, New Delhi, measuring 196, sq. yds.

SUDHIR CHANDRA
Competen Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tay
Acoustion Range-I
Acoustion Range-I
Acoustion Range-I
Acoustion Range-I
Delhi/New Delhi

Date: 10-12-1984,

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE AGGARWAL HOUSE 4/14A ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 27th November 1984

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/4-84/25.—Whereas, I. SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 26°B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 10,00,000|-and bearing

No. S-387, Greater Kailash-II situated at New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Projectoring Officer at New Delhi in April, 1984.

market value of the aforesa'd property, and I have reason to bel'eve that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
 of the transfer to pay tax under the said Act,
 in respect of any income arming from the transfer;
 and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have no been or which ought to be disclosed by the transferse for the purposes of the Indian Income-tax. Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Sh. A. D. Taneja, S-387, Greater Kailash-II, New Delhi-48 (G.F.).

(Transferor)

(2) Mrs. Jayalakshmi Sreenivasan, First Flocr, S-455, Greater Kailash-II, New Delhi-48.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

Entire first floor construction and one mezanine servants room access to which is from the starrcase landing between first and second floor of S-387, Greater Kailash-II New Delhi 37, with plinth area of 1620 sq. ft. and 1/3rd share in plot of 300 sq. yds.

SUDHIR CHANDRA

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-1
Argarwal House,
4/14A Asaf Ail Rand
Delhi/New Delhi

Date: 27-11-1984

FORM ITNS----

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE AGGARWAL HOUSE 4/14A ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 12th December 1984

kef. No. IAC/Acq.I/SR-III/4-84/28.—Whereas, I. SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing

No. E-464, Greater Kailash-II situated at New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has ben transferred

under the Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office

of the registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi in April, 1984. for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of ;—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:— 107—426 GI/84

M/s. Capital Builders, H-39, Green Park, New Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Padma A101a w/o Sh. K. R. Arora, r/o L-83, Malviya Nagar, New Delhi and Mrs. Saroj Monga w/o Sh. M. R. Monga, r/o F-6/4, Malviya Nagar, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. E-464, Greater Kailash-II, New Delhi, premises mg. 450 sq ft. part of property.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Aggarwal House 4/14A Asaf Ail Road Delhi/New Delhi

Date: 12-12-1984.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT. 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

> ACQUISITION RANGE AGGARWAL HOUSE 4/14A ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 27th November 1984

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/4-84/30.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|and bearing

No. S-285, Greater Kailash-II situated at New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at New Delhi in April, 1984.

at New Delhi in April, 1984.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the aprites has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
 of the transferor to pay tax under the said Act, in
 respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been of which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act. or the Wealth tax Act 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the Acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269 D of said Act, to the following parally in a parally in the said Act, and the said Act, to the following parally in the said Act, and the said Act, to the following parally in the said Act, and the said Act, to the following parally in the said Act, and the sai ing persons, namely :---

(1) Smt. Sukhwant Kaur w/o Lt. Col. Daljit Singh and Shi S. Gurinder Singh s/o Lt. Col. Daljit Singh, r/o 67. Defence Colony, Jullundur through attorney, Shri Daljit Singh,

(Transferor)

(2) M/s Tej Proporties (P) Ltd., 22, Bare Khamba Road. New Delhi

through its Director S. Tejyant Singh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: --- The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. S-285, measuring 307 sq. yds. Greater Kailash-II, New Delhi.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Aggarwal House 4/14A Asaf Ail Road Delhi/New Delhi

Date: 27-11-1984. Seal .

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE AGGARWAL HOUSE 4/14A ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 27th November 1984

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/4-84/35.—Whereas, I,

SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. E-398, Greater Kailash-II situated at New Delhi.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred

under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at New Delhi in April, 1984.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by the more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferse for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

(1) S/Sh. Dharamvir Asri. Vancet Asri, Ashok Asri, all r/o J-33, Rajouri Garden New Delhi.

(Transferoi)

(2) Sh. Bimal Chandra Sen, Mrs. Kalyani Scn Sh. Surojit Sen, all r/o 5, Darya Ganj, House No. 4450, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period ox 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective nersons. whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. E-398, Greater Kailash-II, New Delhi, measuring land of 250 sq. yds. and built up house with covered area of 3150 sq. ft.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Aggarwal House
> 4/14A Asaf Ail Road
> Delhi/New Delhi

Date: 27-11-1984.

(1) Shri V. P. Vohra, R-265 (Ground Floor) Greater Kailush, New Delhi.

(Transferor)

(2) Dr. Pran Nath and Dr. Mrs. Neelam Pran Nath, r/o 5837, Sadar thana Road, Delhi

(Transferce)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE AGGARWAL HOUSE 4/14A ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 27th November 1984

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/4-84/57.—Wherens, I. SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. F F. of R-265, Greater Kailash-I situated at New Delhi. (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi in April, 1984. for an apparent consideration which is less than the fair

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than afteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the nability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferes for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269O of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazetté.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

No. R-265 (Ist floor) Greater Kailash Part-I, New Delhi Comprising of 4 rooms, kitchen, latrine and bath.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A Assi Ail Road
Delhi/New Delhi

Date: 27-11-1984.

NOTICE UNDER SECTION 269 D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE AGGARWAL HOUSE 4/14A ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 27th December 1984

Ref. No.IAC/Acq.I/SR-III/4-84/62.--Whereas, I,

SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing No. 5/26 & 5/26-A, New Double Storey, situated at Vikram Viher, Lajpat Nagar, IV, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908.) in the Office of the Registering Officer at New Delhi in April, 1984.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the Hebility of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act; or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subjection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

(1) Shri Balraj Talwar s/o Shri Basant Lal Talwar, r/o 3, Gian Colony, Patiala, Kailash Chander, r/o 129-B, Model town, Karnal & others, through Shrl K. C. Talwar, 129-B, Model Town, Karnal.

(2) Shri Diwan Chand Chanda s/o Shri Jinda Ram Chanda, r/o 10/61, Vikram Vihar, Lajpat Nagar-IV, New Dolhi.

(Transferee)

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immevable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. 5/26 & 5/26-A, New Double Storey, Vikram Vihar, Laipat Nagar-IV, New Delhi, measuring 123.66 sq.

SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A Asaf Ail Road Delhi/New Del'a

Date: 10-12-1984,

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE AGGARWAL HOUSE 4/14A ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 27th November 1984

No. Ref. IAC/Acq.I/SR-III/4-84/71,—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000-and bearing

No. N-3B, Jangpura Extn., situated at New Delhi.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi on Apr 84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or:
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Shri Jagdish Ram through general attorney Shri Raj Kumar, r/o 25-Jangpura Market, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Sary Shri Uggar Sain and Shri Subhash Chand, r/o 5897, Gali Sikli Garan, Nabi Karim, Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

N-3B, Jangpura Extension, New Delhi, measuring 100 sq. vds.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A Asaf Ail Road
Delhi/New Delhi

Date: 17-12-1984

Scal

FORM ITNS ------

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAY ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX.
ACQUISITION RANGE
AGGARWAL HOUSE
4/14A ASAF AU ROAD
NEW DFLHI

New Delhi, the 27th December 1984

Ref No. AC/Acq.I/SR-III/4-84/72.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

No. E-15, Kailash Colony situated at New Delhi.

and more fully described in the sch-dule annexed hereto) has been transferred

under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer

at New Delhi in April, 1984.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect to any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Smt Basanti Baneerjee w/o late S. Banerjee, 1/0 E-15, Kailash Colony, New Delhi.

(Transferor)

New Delhi.
(2) Shri Arun Mittal
p/o Paradise Home Builders
s/o Sh. V. B. Mittal,
r/o E-18, Greater Kailash Enclave-II,

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The trems and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of property No. F-15, measuring 150 sq. yds. Kailash Colony, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House
4/14A Asaf Ail Road
Delhi/New Delhi

Date: 10-12-1984.

FORM TINE-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE AGGARWAL HOUSE 4/14A ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 27th December 1984

Ref No. IAC/Acq.I/SR-III/4-84/83.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.

Flat No. 5, E-351, G. K.1II, sinated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer

at New Delhi in April, 1984.

at New Delhi in April, 1984. for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (b) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Ast, in respect of any income arising from the transfer;
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

New, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following perform namely :-

(1) Smt. Leela Mittal w/o Shri V. B. Mittal, r/o E-18, Greater Kailash Enclave-II, New Delhi. p/o Paradise Home Builders, through attoney Arun Mittal.

(Transferor)

(2) Mr. Charat Pratap Singh s/o Sh. Amar Pratap Singh, 1/o 227, Rajpur Road, Dehra Dun (U.P.).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazetta.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as give in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 5, part of property No. E-351, measuring 35 sq. vds Greater Kailash-II, New Delhi.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Aggarwal House 4/14A Asaf Ail Road Delhi/New Delhi

Date: 10-12-1984.

FORM LT.N.S.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, **NEW DELHI**

New Delhi, the 27th November 1984

No. IAC/Acq, I/SR-III/4-84/104.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act. 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and beraing No

F.F. Flat No 104, A-13, Kailash Colony situated at New Delhi

(and more fully described in the schedule annexed hereto).

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on April 1984 has been transferred under

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fitteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between parties has not been truly stated in the said instrument transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

M/s. Kalyan's Enterprises, A-13, Kailash Colony, New Delhi through its partners Mr. Kalyan Dass Mahant & others.

(Transferor)

(2) Dr. Harpal Singh Ahluwalia, S/o Sh. S. S. Ahluwalia, 3, Community Centre, East of Kailash, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazetta.

EXPLANATION: - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the aid Acc Act, shall have the same meaning as giver in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 104, on first floor part property No. A-13, Kailash Colony, New Delhi.

> **SUDHIR CHANDRA** Competent Authority
> Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
> Acquisition Range-I,
> Delhi/New Delhi

Date: 27-12-84

Seal:

108-426GI/84

(1) Shri Jagpat Singh Chauhan s/o Muni Lal Chauhan, r/o 9, Siri Fort Road, New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) M/s Deepmala Manufacturing & Industries Ltd., 16, India Exchange Place, Calcutta through its Director Mrs. Leela Sitani

(Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, NEW DELHI

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

New Delhi, the 27th November 1984

IAC/Acq. I/SR-III/4-84/104.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269 B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

S-440, Greater Kailash-II situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Property No. S-440, measuring 550 sq. vds. Greater Kailash-ll, New Delhi.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority
> Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

Date: 27-11-84.

(1) Smt. Krishna Aneja, Smt. Krishna Aneja, 5, Arakashan Road, New Delhi-110055. (Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 10th December 1984

Ref. No. IAC/Acq. I/SR-III/4-84/113.---Whereas, I,

SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovered to the competent of the competence able property having a fair market value exceeding

Rs 25,000/- and bearing S-254, Greater Knilash-II, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer

New Delhi on April 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to be-lieve that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the insideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

(2) Ms. Bhatla Apartments (P) Ltd., A/18, Kailash Colony, New Delhi-110048. (Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice ha the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as gives in that Chapter.

THE SCHEDULB

S-254, Greater Kailssh-II, New Delhi. Area 299 sq. yds.

SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Delhi/New Delhi

Date: 10-12-84

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE ENCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE, NEW DELHI

New Delhi, the 4th December 1984

IAC/Acq. I/SR-III/4-84/119.--Whereas, I. No. Ref. No. IAC/Acq. 1/SR-III/4-84/119.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the

Immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25.000/- and bearing

Shop No. 5C, Piem House Con. Place, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesuid exceeds the apparent consideration therefor by more then fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer: andlor
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Waelth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:-

- (1) Shri Joginder Singh Sandhu s/o Rai Bahadur S. Balakha Singh r/o E-10A, Defence Colony, N. Delhi. through attorney Mrs. Gurameri. Kaur Ahluwalia. (Transferors)
- (2) Smt. Sharda Sarin w/o Anil Sarin r/o 28, Sii Ram Road, Delhi.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned .-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 5C, Prem House, Connaught Place, New Delhi. Measuring 650 sq. ft.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi

Date: 4-12-84

FORM I.T.N.S.-

(1) Shri S. Joginder Singh Sandhu S/o Rai Bahadur S. Basakha Singh r/o l:-10 A. Defence Colony, N.D. through attorney Mrs. Guramerit Kaur Ahluwalia.

(Transferor)

(2) Smt. Sharda Sarin w/o Sh. Anil Sarin, r/o 28, Siri Ram Road, New Delhi.

(Transferce)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING
ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
NEW DELHI

New Delhi, the 4th December 1984

Ref. No. IAC/Acq. II/SR-III/4-84/120.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000-and bearing No.

4C, Piem House, Connaught Place, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office

of the Registering Officer at New Delhi in April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) faciltating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used hreein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 4C, Prem House, Connaught Place, New Delhi. Measuring 611 sq. ft.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Delhi/New Delhi

Date: 4-12-84

(1) Smt. Kalawati Devi, 23, Hanuman Road, New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) (2) M/s Dilbagh Builders (P) Ltd., 27/13, Shakti Nagar, New Delhl.

(Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, NEW DELHI

New Delhi, the 12th December 1984

Ref. No. IAC/Acq. I/SR-III/4-84/124.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.

23, Hanuman Road situated at New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent

consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, is respect of any income arising from the transfers andlor
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires latery
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Residential House No. 23, Hanuman Road, New Delhi built on land measuring 451.44 sq. yds.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I.
Delhi/New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-aforesaid property by the issue of this notice under subing, persons, namely:—

Date : 12-12-190

TRANSPORTER

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE,

NEW DELHI

New Delhi, the 27th November 1984

Ref. No. IAC/Acq. I/SR-III/4-84/125.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the insmovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
M-186, Greater Kailash-II situated at New Delhi

M-186, Greater Kailash-II situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto),

has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or eventon of the Habitaty of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Iodian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1927);

Now, therefore, in pursuance of Section 269°C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Sh. Mohan Lal Chopra & Sh. Shyam Lal Chopra, r/o S-30, Green Park, New Delhi-16. (Transferor)
- (2) M/s. Mohan Builders through its partner Sh. Mohan Singh, r/o 52/42, Punjabi Bagh, New Delhi. (Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant Plot No. C-186, Greater Kailash-II, New Delhi-48, Area 300 sq. yds.

SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I, Delhi/New Dolhi

Date: 27-12-84

FORM ITNS----

(1) Sh. Harvinder Singh, 12, Regal Building, New Delhi.

(Transferor)

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, NEW DELHI

New Delhi, the 13th December 1984

Ref. No. IAC/Acq. I/SR-III/4-84/69.--Whereus, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the

Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,006; and bearing No. E-484, Greater Kailash-II, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto)

has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of

1908) in the Office of the Registering Officer at

New Delhi on April 1984 for an apparent considering which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reoson to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

 (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the sald Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957); Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(2) Mr. B. R. Kapurla & Mrs. Veena Kapurla, E-484/261, Greater Kailash-II, New Delhi.

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

Explanation:-The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 201, on the Ground Floor, having covered area of 1250 sq. ft. in building E-484, Greater Kailash-II, New Delhi.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Delhi/New Dolhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aioresaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following perssons namely:-

Date: 13-12-84

FORM ITNS----

10, Iris, Cuffe Parade, Bombay-100 005. (Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMF-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Sh. Resham Lal, G-328, Madangir, New Delhi.

(1) Shri Sukhinder Singh Bagai,

(Transfered,

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, NEW DELHI

New Delhi, the 12th December 1984

IAC/Acq. I/37EE/4-84/740.--Whereas, I, No

SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 72. A, Kalkaji Extn. situated at New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the I.T. Act 1961 in the Office of

the Registering Officer at.

IAC/Acq. R-I on April 1984
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the partles has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 which ought to be disclosed by the transferee for Act. 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the eaid Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-109-426GI/84

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 72 A. Ground floor, Pocket A 14, Kalkaji Exte sion, New Delhi. Measuring 80 sq. metres Approximately.

> SUDHIR CHANDR Competent Authori Inspecting Assistant Commissioner of Income-ti Acquisition Range | Delhi/New Delhi

Date: 12-12-84

FORM NO. I.T.N.S.——

(1) Sh. Mohan Singh, s/o Sh. Ganda Mal, E-33. Greater Kailash Enclave-II, New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) M/s S. V. S. Investments, 105, Madhuban, 55, Nehru Place, New Delhi.

(Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

> ACQUISITION RANGE, NEW DELHI

New Delhi, the 10th December 1984

IAC/Acq. 1/37EE/4-84/742.—Whereas, I, No. SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|-

and bearing No. G. Floor No. 7, 92. Deepali, N. Place, situated at New Delhi (and morefully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the office of the Registering Officer at IAC/Acq. R-I on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforessid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later
- (b) by any other person interested in the said immor-able property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the indian income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Ground floor No. 7, 92, Deepali, Nehru Place, New Delhi. Measuring 213.75 sq. ft.

> **SUDHIR CHANDR 4** Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-1 Delhi/New Delt.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:---

Date: 10-12-84

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, NEW DELHI

New Delhi, the 10th December 1984

IAC/Acq. 1/37EE/4-84/748.--Whereas, I, Ref. No. SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Upper Basement at 22, Barakhamba Road, situated at New

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq. R-I on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the restrument of transfer with the object of :-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

(1) M/s Skipper Sales (P) Ltd., Skipper Bhawan, 22, Barakhamba Road, New Delhi.

(Transferor)

(2) Mr. Vijay Chibbar s/o Sh. K. B. Chibber, R/o A-8/25, Rana Pratap Bagh, New Delhi-110007.

(Transferce)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: - The terms and expressions used herein as are defined Chapter XXV of the said Act, shall have the same meaning as given in that

THE SCHEDULE

Upper Basement in 22, Barakhamba Road, area 325, Sq. ft. 718 h. 151798

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-1. Delhi/New Delhi

Date: 10-12-84

(1) Sh. Sher Bahadur Sahapuri, A-5, Pamposh, New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) M/s. Divya Industries, 502, Ashoka Estate, 24, Barakhamba Road, New Delhi-110001.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, NEW DELHI

Department of the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

New Delhi, the 10th December 1984

Ret. No. IAC/Acq. I/37EE/4-84/749.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000'- and bearing No. 302, 22, Barakhamba Road situated at New Delhi

302, 22, Barakhamba Roud situated at New Delhi (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq. R-I on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said insrument of transfer with the object of:

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be 'disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957); Flat No. 302, in No. 22, Barakhamba Road, New Delhi, area mg. 550 sq. ft.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tan
Acquisition Range-I,
Delhi/New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 10-12-84

FORM NO. I.T.N.S.-

(1) Sh. Baljit Singh Shahpuri A-5, Pamposh, New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

(2) M/s. Deena Paints (P) Ltd, 502, Ashoka Estate, 24, Barakhamba Road, New Delhi.

GOVERNMENT OF INDIA

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

ACQUISITION RANGE, NEW DELHI

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

New Delhi, the 10th December 1984

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official

IAC/Acq. I/37EE/4-84/750.—Whereas, I, No. SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000]- and bearing 301, 22, Barakhamba Road, situated at New Delhi

عددنائد.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq R-I on April 1984

> The times and expressions used herein as are diffined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given EXPLANATION in that Chapter.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument with the object of:of transfer

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/er

THE SCHEDULE

Flat No 301, in No 22, Barakhamba Road, (Under construction) mg. 750 sq. ft.

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1937 (27 of 1957);

SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-T,
Delhi/New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely: --

Date: 10-12-1984.

Seal .

FORM NO. I.T.N.S .-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, NEW DELHI

New Delhi, the 10th December 1984

Ref. No. IAC/Acq. I/37EE/4-84/752.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the

Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable

property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

1008, Devika Tower, 6 Nehru Place situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the 1.T. Act 161 in the Office of the Registering Officer at 1AC/Acq. R-I on April 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely.—

(1) M/s East India Commercial Co. Pvt. Ltd., 11th floor, New Delhi House, 27. Barakhamba Road, New Delhi. (Transferor)

(2) Mr. Ravi Shanker s/o Sh. Charanji Lal, 16, Link Road, Jangpura Extn. New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period axpires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gaeztte.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said.

Act, shall have the same measuring as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Office Flat No. 1008 on 10th floor measuring app. 440 sq. feet in multistoreyed building known as "Devika Tower" 6-Nehru Place, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,

Dolbi/New Delbi

Date: 10-12-84

FORM NO. I.T.N.S.--

NOTICE UNDER SECTION 269D(I) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, NEW DELHI

New Delhi, the 10th December 1984

Ref. No. lAC/AC SUDHIR CHANDRA, IAC/Acq. I/37EE/4-84/758.—Whereas, I.

being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

G-5, 59, Shakuntala Apartments, N. Place situated at New

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the I.T. Act 1961 in the Office of the Registering Officer at

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property aforesaid exceeds the apparent consideration therefor more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-ta-Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the aquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

(1) M/s. All India Tar Products, 138-A, Golf Link, Second floor, New Delhi & M/s. Parhlad Singh, Mulakh Raj. 1754/129, Tti Nagar, New Delhi-35.

(Transferor)

(2) Shri Kulwant Singh s/o Sardar Arjun Singh, r/o 4, Under Hill Lane Civil Lines, Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immevable property, within 45 days from the date of the pubilcation of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as gives in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. G-5, on ground floor measuring 325 sq. ft. covered area in 59 Shakuntala Apartment, Nehru Place, New Delhi-19.

SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi

Date: 10-12-84 Seal:

FORM NO. I.T.N.S.----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE. NEW DELHI

New Delhi, the 10th December 1984

Ref. No. JAC/Ac SUDHIR CHANDRA, JAC/Acq. 1/37EF/4-84,760.—Whereas, f,

SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act',) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No.
UB-3 22, Barakhamba Road, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the J.T. Act 1961 in the Office of the Registering Officer at

the Registering Officer at JAC/Acq. Range-I. on April 1984 which is less than the fair market value of the aforesaid proparty and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than filteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; andlor

(b) facultating the concealment of any income or any moneys or other essets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957); (1) Sh D. C. Gupta (H.U.F.) S-356, Greater Kuilash-II, New Delhi.

(Transferor)

(2) Sh. M. K. Gupta, W-56, Greater Kailash-II, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used therein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Storage Space No. UB-3, measuring 580 sq. ft. in building under construction on plot No. 22, Barakhamba Road, New Deihi

Competent Authority

SUDHIR CHANDRA

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Delhi/New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the mid Act, to the following persons, namely --

Date: 10-12-84

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, NEW DELHI

New Delhi, the 2nd January 1985

No. IAC/Acq. I/SR-IJI/7-84/444.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reson to believe that

the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25.000/- and bearing E-52, Greater Kailash-I, New Delhi situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred

under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office

of the Registering Officer at New Delhi on May 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; und/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1937 (27 of 1937). 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following ectsons, namely :--

110--426GI/84

- (1) Smt. Ishar Kauj w/o late S. Sohan Singh, r/o E-52, Greater Kailash-I, New Delhi.
 - (Transferor)
- (2) Smt. Chander Kala Devi Bagaria, Sh. Shiv Bhugwan Bagaria, 117-Chittaranjan Avenue, Calcutta.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

E-52, Greater Kailash-I, New Delhi, covered area mg. 2250 sq. ft. (Plot area 532 sq. ft.).

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi

Date: 2-1-85

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, NEW DELHI

New Delhi, the 10th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. I/SR-III/6-84/433.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-

and bearing No.
Plot E-101, Greater Kailash-I situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),

has been transferred

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908 in the office of the Registering Officer at

New Delhi on May 1984

for an apparent consideration

which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or exasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Miss Mini Jain, K-41, Hauz Khas Enclave, New Delhl.

(Transferor)

(2) M/s. Pal & Paul Builders Ltd., 12. Regal Building, Parliament Street, New Delhi.

(Transferce)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gaustie.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the aid Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. E-101, mg. 352.5 sq. yd. in Greater Kailash-I, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-1, Delhi/New Delhi

Date : 10-1-85 Seal :

(1) Sh. Manjit Singh, M-103, Greater Kailash-I, New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Sh. Sanjay Bansal, B-15, Greater Kailash-I, New Delhi.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, **NEW DELHI**

New Delhi, the 7th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. I/SR-III/5-84/311.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA.

being the Competent Authority, under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinfater referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. M-2, Greater Kailash-II situated at New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi on May 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than freen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the Publication of this notice in the Official Gazette.

EXPRANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arisins from the transfer; and/or

THE SCHEDULE

Plot No. M-2, measuring 195 sq. yds. in Greater Kailash-II Market, New Delhi.

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I bereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:

Date: 7-1-85

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, NEW DELHI

New Delhi, the 7th January 1985

Ref. No. 1AC/Acq. I/SR-III/5-84/295.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA. being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

A-34, Kalkaji, New Delhi situated at New Delhi

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

New Delhi on May 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

row, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this office notice under sub-section (I) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:--

- Sh. Mohan Lal Dabriwala, 8, Doctor's Lane, Gole Market, New Delhi. (Transferor)
- (2) M/s. C.I.P. Properties Investment (P) Ltd., Regd. Office, 16, India Exchange Place, Calcutta-700 001. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation: -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A-34, Kalkaji, New Delhi, partly built Plot mg. 867 sq. yds.

SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-1. New Delhi

Date: 7-1-85 Seal:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE. NEW DELHI

New Delhi, the 7th January 1985

IAC/Acq. I/SR-III/5-84/282.—Whereas, I, Ref. No. IAC/Acq. 1/5R-111/5-64/202.—whereas, 1, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|

and bearing No. F-44, East of Kailash, New Delhi situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi on May 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore is pursuance of Section 269C of the Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:---

- (1) Sh. Rattan Singh s/o S. Makhan Singh, r/o F-38, Focket L, Sheikh Sarai, New Delhi. (Transferor)
- (2) Sh. Naresh Juneja s/o Sh. Bhim Sain, Juneja, R/o 11, National Park, New Delhi.

(Transferee)

Objection if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in thos Chapter.

THE SCHEDULE

F-44, East of Kailash, New Delhi. Built up 450 sq. yds. Date: 7-1-85

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I. New Delhi

Date: 7-1-85

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, NEW DELHI

New Delhi the 21st December 1984

Ref. No. IAC/Acq. I/SR-III/5-8/276.--Whereas, I,

SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/and bearing No.

M-169, Greater Kailash-II, situated at New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto),

has been transferred

under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

New Delhi on May 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :--

- (1) Mrs. Kamini Sondhi w/o Sh. M. L. Sondhi, R/o C-480, Defence Colony, New Delhi. (Transferor)
- (2) M/s. Bhatia Apartments, A-18, Kialash Colony, New Delhi-24.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the underriging :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter,

THE SCHEDULE

2/3 undivided share of land under neath property No. M-169, Greater Kailash-II, measuring 400 sq. yds. with stirs terrace of the G. floor and a room existing on it and the terrance above that and the terrance above the first floor of the servant Qr. with mumpty with right of access to the terrace above G. floor upper floor through the S/case with full right to consruct any no of floors above & the right to have access through rear door, main gate, drive way alongwith one car parking in drive1way.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I. New Delhi

Date: 21-12-84

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, NEW DELHI

New Delhi, the 10th January 1985

No. IAC/Acq. I/SR-III/5-84/256.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agr. land situated in vill. Jonapur situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), have here transferred under the Paciety value. Act. 1908 (16

has been transferred under the Registration Act, 1908 (16

has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on May 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than lifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Ast, in respect of any income arising from the transfer; and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferse for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Eigher Goodearth Ltd., Deen Dayal Upadhyay Mtrg, New Delhi. (Transferor)

(2) Shri Karan Veer Singh Atwal s/o Sh. S. S. Atwal, r/o A-14, Niti Bagh, New Delhi. (Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agr. land measuring 13 blghas and 8 biswas, M. No. 16 Killa No. 12/1(3-0), 9(4-16), 2/1(2-8), 1 min (1-12), 1 min, (1-12), village Jonapur, Teh. Meh. New Delhi.

SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-1. New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

Date: 10-1-85

Bal:

FORM NO. I.T.N.S ---

(1) M/s. Hoovar Construction (P) Ltd., 28, Barakhamba Road, New Delhi, through its Director Ashok Varma.

may be made in writing to the undersigned:-

(Transferor)

(2) Shri S. Karanvir Singh Atwal s/o S. S. Atwal, 1/0 A-14, Niti Bagn, New Delhi.

Objections, if any, to the acquisition of the said property

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, NEW DELHI

New Delhi, the 10th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. I/SR-III/5-84/265,—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property beying a fair market value exceeding Rs. 25,000/-

and bearing No.
Agr. land a tila ed at vill Torapui. Ne v Delhi.

Agr. land a time of a trivial or approve Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred up for a join Agr 1903 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on May 1934.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer is agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of the

EXPLANATION: -- The terms and expressions used hereip are defined in Chapter XXA of the said Act, thall have the same meaning as given in that hapter.

(x) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957); THE SCHEDULE

Agr. land Mustatil No. 16 Kille No. 14/1 (4-0), 13(4-16), 12/2(1-16), vulage Jonapur, Teh Mehrauli, New Delhi

SUDHIR CHANDRA Competent Authority inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-L New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate moceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :--

Date: 10-1-85

FORM NO. IT.N.S.----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, NFW DELHI

New Delhi, the 10th January 1985

Ref. No.I IAC/Acq. I/SR-III/5-84/260.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the improveble property, having a fair market value exceeding immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Agr. land situated in Vill. Jonapur, New Delhi (and more fully described in the schedule annexed hereto),

has been transferred

under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

New Delhi on May 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

111---426GI/84

- 111) Eicher Goodearth Ltd, Deen Dayal Upadhyay Marg, New Delhi. (Transferor)
- (2) Shri Ranjit Singh Atwal 5/0 S. S. Atwal, r/o A-14, Niti Bagh, New Delhi. (Transferce)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressons used herein as are defined in Chapter XXV of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agr. land measuring 4 bighas and 16 biswas, Mustatil No. 16 Kılla No. 25, Village Jonapur, Teh. Mehrauli, New Delhi.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I New Delhi

Date: 10-1-85

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, NEW DELHI

New Delhi, the 10th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. 1/SR-III/5-84/257.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|-and bearing No.

Agr. land situated in village Jonapur, New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at New Delhi on May, 1984.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferree for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

New, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Eicher Goodearth Ltd., Deen Dayal Upadhyay Marg, New Delhi. (Transferor)
- (2) Shri Ranjit Singh Atwal s/o S. S. Atwal, r/o A-14, Niti Bagh, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the natheralgated:---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immaovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Agr., land mg. 10 bighas and 4 biswas, mustatil No. 15 killa No. 15 (4-9), 16(4-16), Mustatil No. 16 Killa No. 20 min (3-10), 21 min (4-3) 22, min (2-6), Village Janapur, Tch. Mch. New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
New Delhi

Date: 10-1-85

(1) Eicher Goodearth Ltd., Decn Dayal Upadhyay Marg, New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOMETAX ACT. 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri S. S. Atwal 5/0 Sh. G. S. Atwal & Mrs. Gurprit Kaur w/o S. S. Atwal, R/o A-14, Niti Bagh, New Delhi.

(Transferec)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX.

> ACQUISITION RANGE, -NEW DELHI

New Delhi, the 10th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. I/SR-III/5-84/258.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable propery, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Agr. land situated at village Jonapur, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),

has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at New Delhi on May 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the trasfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to be the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immerable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agr. land mg. 4 bighas and 16 biswas, M. No. 16, Killa No. 11/1(2-8),11/2(0-14), 11/3/(1-14), village Jonapur, Teh. Mch. New Delhi,

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
New Delbi

Date: 10-1-85

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE NEW DELHI

New Delhi, the 14th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/5-84/259.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No.

and bearing No.

Agr. land situated in vill. Jonapur, New Delhi
(and more fully described in the schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16
of 1908) in the Office of the Registering Officer at
New Delhi on May 1984
for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property, and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957); M/s. Eicher Goodearth Ltd., Deen Dayal Upadhay Marg, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri S. S. Atwal s/o G. S. Atwal and Mrs. Gurprit Kaur w/o S. S. Atwal, A-14, Niti Bagh, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice, on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agr. land 20 bighas and 8 biswas, Mustatil No. 15 Killa No. 5(4-16), 6(4-16), 15 min (0-7) Mustatil No. 16 Killa No. 1 min (3-4) 10 min (3-4) 20 min (1-6), 21 min (0-8) 22 (2-7), village Jonapur. Teh. Mehrauli, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-1
New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the anid Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 14-1-85

FORM LT.N.S.-

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE NEW DEI.HI

New Delhi, the 21st December 1984

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/5-84/228.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of pf the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000- and bearing No.

M-169, Greater Kailash-II, situated at New Delhi (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on May 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason o believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the Hability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or:
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferse for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the sald Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- M/s. Bhatia Apaitments,
 A/18, Kailash Colony, New Delhi through its partner Sh. N. K. Bhatia s/o Sh. B. R. Bhatia.
 (Transferor)
- Smt. Vasudha Jain w/o Sh. Shashi Prasad Jain R/o 18, Jamuna Road, Delhi.
 (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used hereix as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Second floor of P. No. M-169, with 1/3rd share in land measuring 400 sq. yds. at Greater Kailash-II, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
New Delhi

Date: 21-12-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE NEW DELHI

New Delhi, the 8th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.1/SR-111/5-84/211.—Whereas, 1,

SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Agr. land situated in village Kapashera, New Delhi (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on May 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of he property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

New, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the Moresaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the 'said Act' to the followbug persons, named :-

(1) Sh. Ram Dhan, R/o Village Kapashera, Teh, Mehrauli, New Delhi.

(Transferor)

(2) Sh. Lahara Singh Aulak, through attorney Sh Kirpal Singh Aulak, R/o 70-71, South Patel Nagar Mkt, New Delhi.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the understands :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immerable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agr. land situated at village Kapashera Teh. Mehrauli, New Delhi. Mg. 33 bighas and 12 biswas.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Delhi/New Delhi

Date: 8-1-1985

 Smt. Kala Wati w/o late Jai Narain r/o C-152, Janakpuri, New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) M/s. D. K. G. Finance & Chit Fund (P) Ltd., G-56, Green Park, New Delhi, through its Director K. G. Navyar.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE NEW DELHI

New Delhi, the 2nd January 1985

Ref. No. IAC/Acq.1/SR-III/5-84/206.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

H. No. 42-B, on plot No. 21, situated at Hanuman Road, New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi on May 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, pamely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immerable preperty within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

REFERENTION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 42-B, on plot No. 21, Block No. 127, measuring 280.05 sq. yds., Hanuman Lane, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Delhi/New Delhi

Date: 2-1-1985

Scal :

(1) Shri Ishwar Chandra Gadi S/o Late Mengh Raj Gadi, R/o E-151, East of Kailash, New Delhi. (Transferor)

(2) Shri Ved Parkash, Rajinder Parkash, Trilok Chand, Ss/o Shri Daya Ram, R/o Village Gadaipur, New Delhi.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE NEW DELHI

New Delhi, the 9th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/5-84/180.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the

Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|and bearing No.

Agr. land in Village Gadaipur, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
New Delhi on May 1984

New Delhi on May 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the chieft of the said instrument. trainsfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferes for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agri. land measuring 24 bighas and khasra Nos. 456(4-16), 457(4-16) 458(4-16), 459(4-16), 460(4-16), with two tubewells, boundary wall, village Gadaipur, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I New Delhi

New, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

Date: 9-1-1985

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I NEW DELHI

New Delhi, the 8th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/5-84/179.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. Agri, land in village Bijwasan, situated at New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on May 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of --

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer;

(b) facilitating the concealment of any income or sny moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)]

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:--112-426G1/84

- (1) Smt. Satinder Dit Kaur Randhawa D/o Major Gurbir R/o village Nawabnagar, P.O. Darau, Naimtal, through It Col. G. S. Randbawa. Darau. Distt. (Transferor)
- (2) Advid Bhu, Smt. Kamla Sharma, and Shii Sunil Bhu, R/o C-23, South Latension Part-II, New Delhi.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as sives in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agri, land mg. 43 bighas and 18 biswas Mustail No. 57, kila no. 20(2-5) southern side 21(4-9) Mustatil no. 58 kila no. 25(4-16) one half of southern 16(2-8) situated at village Bijwaran, Tch. Mehrauli, New Delhi.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-1 New Delhi

Date : 8-1-1985 Seal :

'NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (4) OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE NEW DELHI

New Delhi, the 5th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/5-84/172.—Whereas, I, SUDIHR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000- and bearing

No. Nawab Ali Building Connaught Place, situated at New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

New Delhi on May 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Dewan Helen, Chaman Lal, Navin Parkash Lal, Bahul Lall, Sham Lall, Manjit Kaur, Sham Lal Sawliney, Krishna Nanda and others through Delhi High Court of Delhi. (Transferor)

(2) Runwell India (P) Ltd., B-54, Connaught Place, New Delhi, through Managing Director Om Parkash.
(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Nawab Ali Building, Connaught Place, New Delhi, mg. 903, sq. yds.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
New Deni

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following cersons, namely —

Date : 5-1-1985

Scal:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE NEW DELHI

New Delhi, the 7th January 1985

Ref. No. IAC/Acq1/SR-111/5-84/170.—Whereas, 1, SUDHIR CHATTOP A

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000| and bearing

No. F-8, reater Kailash-I, situated at New Delhi,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transletted under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the

Registering Officer at

New Delhi on May 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or
- (b) facilitating the concentment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said MACI, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

(1) Mis Nirmla Malhotra, M-87, Greater Kailash-I, New Delhi.

(Transferor)

(2) Ravinder Singh, E-8, Greater Kadash-I, New Delhi.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person, interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

E-8, Greater Karlash-I, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
New Delhi

Date + 7-1-1985

(1) Aditya Pandit S/o C S Pandit, F 32, Green Park, New Delhi

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shii Suraj Goplani and Mrs Devi Goplani, R/o i 438 Greater Keilash II New Delht (Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE NEW DETHI

New Delhi, the 7th January 1985

Ref No IAC/Acq I/SR-III/5 84 169 - Whereas I.

SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (heremafter referred to see the 'said Act'), have reason to believe that the immovable

property, having a fair market value exceeding Rs 25,000|and bearing

No E-438 Greater Karlash II situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of

1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on May 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore the consideration therefore by and exceeds the apparent consideration therefor by more than fitteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of it insfer with the object of

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been which ought to be disclosed by the transferee the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

First floor of property No F 438 mg 1600 sq ft Greater Kailash-II, New Delhi

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-1 Delhi/New Delhi

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely -

7 1 1985 Date

FORM ITNS----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) UF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
CENTRAL REVI NUI BUILDING
STATUE CIRCLE, JAIPUR

Jaipur, the 14th December 1984

Ref. No. Rej/IAC(Acq.)/2511.—Whereas, I, MOHAN SINGH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reasn to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

No. Portion of Qutt. No 6 situated at Jodhpur,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jodhpur on 3-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion or the limbility of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been er which ought to be disclosed by the transferree for the nurposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Smt. Suata W/o Shri Sunderdas Sindhi, 5th B Road, Sardarpura, Jodhpur.

(Transferor)

(2) Shri Ashok Kumar S/o Shri Bhagwandas Maheshwari, In front of Employment Exchange First Polo Ground, Jodhpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Portion of Quarter No. 6 situated at on B-Road, Sardarpura, Iodhpur and more fully described in the sale deed registered by the Sub-Registrar, Jodhpur, vide Registration No. 947 dated the 3rd April, 1984.

MOHAN SINGH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissiones of Income-tax
Acquisition Range, Jaipur

Date: 14-12-1984

Scal:

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE CENTRAL REVINUE BUILDING STATUE CIRCLE, JAIPUR

Jaipur, the 14th December 1984

Ref. No. Rej/IAC(Acq.)/2512.—Whereas, I, MOHAN SINGH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Portion of Qutr. No 6 situated at Jodhpur, (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jodhpur on 3-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration of such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the consealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therfore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Smt. Sajata W/o Shii Sunderdas Sindhl, 5th B Road, Saidatpura, Jodhpur,

(Transferor)

(2) Shri Vijay Kumar S/o Shri Bhagwandas Mahesh-Ground, first Jodhpur. In front of Fmployment Exchange Polo Ground, Jodhpur.

. (Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter...

THE SCHEDULE

Portion of Quarter No. 6 situated at on B-Road, Sardarpura, Jodhpur and more fully described in the sale deed registered by the Sub-Registrar, Jodhpur, vide Registration No. 948 dated 3rd April, 1984.

MOHAN SINGH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jaipur

Date: 14-12-1984

Scal

- (1) Shri Uda Ram S.o Shri Bijaram Khamram, Between B & C Road, Sardarpura, Jodhpur, (Transferor)
- NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMPTAX ACT, 1961 (43 OF 1961)
- (2) Shri Leeladhar S/o Shri Karanmal Jain, Bader House, Third 'C' Road, Sardarpure Road, Saidarpura, Joahpur. (Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE CENTRAL REVENUE BUILDING STATUE CIRCLE, JAIPUR

Jaipur, the 14th December 1984

Ref. No. Rej/IAC(Acq.)/2513.—Whereas, I. MOHAN SINGH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinalter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,900/and bearing No.

Land situated at Jodhpur (and more fully described in the schedule annexed here.o). has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jodhpur on 19-4-1984

Jodhpur on 19-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the sald Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land situated on Pal Road, near 'Khema Ka Kua' and more fully described in the sale deed registered by the Sub-Registrar, Jodhpur vide Registration No. 1067 dated the 19th April, 1984.

> MOHAN SINGH Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Jaipur

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

Date: 14-12-1984

- (1) Surajraj S/o Shij Sampatram, between 'B' & 'C' Rood, Sardarpura, Jodhpur, (Transferor)
- (2) Shri Leeladhar S/o Shii Kananmal Jain, Bader House. Third C Road Saidarpura Jodhpur. (Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, CENTRAL REVENUE BUILDING STATUE CIRCLE, JAIPUR

Jaipur, the 14th December 1984

Ref. No. Rej/IAC(Acq.)/2514.—Whereas, I, MOHAN SINGH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. Land situated at Jodhput,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jodhpur on 19-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957, (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land situated On fal Road, near 'Khema Ka Kua' and more fully described in the sale deed registered by the Sub-Registrar, Jodhpur vide Registration No. 1068 dated the 19th April, 1984.

MOHAN SINGH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jaipur

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 14-12-1984

FORM LT.N.S.-NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME TAX AC1, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE CENTRAL REVENUE BUILDING STATUF CIRCLE, JAIPUR

Japui, the 14th December 1984

Ref No Rej/IAC(Acq)/2515—Whereas, I, MOIIAN SINGH.

being the Competent Authority under Section 269B of the

Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act')

have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000|- and bearing

No Land situated at Jodhpur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jodhpui on 18 4 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said. Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which sught to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid properly by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely . 113-426GI/84

(1) Shri Ramil S/o Shri Tikaramdas Kumhar, Between B' & 'C' Road Sardarpura, Jodhpur, GPA Holder of Shii Surajraj S/o Shri Sampatram

(2) Shri Leeladhar S/o Shri Karanmal Jain, Dader House, Third 'C' Road, Sardarpura, Jodhpur (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesald persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions in as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land situated on Pal Road, near 'Khema Ka Kua' and more fully described in the sale deed registered by the Sub-Jodhpur, vide Registration No 1069 dated Registrar. 18th April, 1984.

> MOHAN SINGH Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Jaipui

Date · 14-12-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

> ACQUISITION RANGE JAIPUR

Jaipur, the 14th December 1984

Ref. No. Raj/IAC(Acq.)/2516.—Whereas, I,

MOHAN SINGH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000, and bearing

Plot No. 7 situated at Jodhpur,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jodhpur on 5-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market water of the apparent as aforesaid property and I have reason to believe that the fair market water of the apparent as aforesaid property and I have reason to believe that the fair market water of the apparent apparent apparent apparent have the fair market water the fair market

said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparat consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

(1) Shri Ramniwas S/o Shii Udai Kishan ji Soni, Mahamandir, Jodhpur.

(Transferor)

(2) Smt. Kamla W/o Smi Han Prasad ji Choudhury Vaidhya, Near'Rama ki Pyau'), Mahamandir, Jodhpur.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 7 Mahamandir situated near 'Rama ki Pyau', Jodhpur and more fully described in the sale deed registered by the Sub-Registrar, Jodhpur vide Registration No. 975 dated the 5th April, 1984.

> MOHAN SINGH Competent Authority
> Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Jaipur

Date: 14-12-1984

FORM 1.T.N.S.-

(1) Shri Ram Nnwas S/o Shri Udai Kishan ji Soni, Mahamandir, Jodhpur.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Smt. Kamla W/o Shri Hari Prasad ji Choudhury Vaidhya, Near 'Rama ki Pyau', Mahamandir, Jodhpu.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE IAPUR

Jaipur, the 14th December 1984

Ref. No. Raj/IAC(Acq.)/2517.—Whereas, I, MOHAN SINGH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a tail market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing Plot No. 7 situated at Jodhpur, (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of

has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Office at

Jodhpur on 6-4-1984

Jodhpur on 6-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later-
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used berein as are defined in Chapter XXA of the sand Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Plot No. 7 Mahamandir situated near 'Rama ki Pyau', Jodhpur and more fully described in the sale deed registered by the Sub-Registrar, Jodhpur vide Registration No. 978 dated the 6th April, 1984.

> MOHAN SINGH Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition R/inge, Jaipur

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

Date: 14-1-1984

FORM I.T.N.S.

(1) Shri Ramniwas S/o Shri Udai Kishan ji Soni, Mahamandir, Jodhpur.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Smt. Rajesh S/o Shri Hari Prasad ji Vaidhya, Near Rama ki Pyau. Mahamandir, Jodhpur.

GOVERNMENT OF INDIA

(Transferce)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE **JAIPUR**

Jaipur, the 14th December 1984

Ref. No. Raj/IAC(Acq.)/2518.-Whereas, I, MOHAN SINGH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing Plot No 7 situated at Jodhpur,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jodhpur on 5-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for which ought to be disclosed by the transferer for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 7 Mahamandir situated near 'Rama ki Pyau'. Jodhpur and more fully described in the sale deed registered by the Sub-Registrar, Jodhpur vide Registration No. 976 dattd the 5th April, 1984.

> MOHAN SINGH Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Jaipur

Date: 14-12-1984

Seal:

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :--

(1) Sh.i Nathmal Sethia Charitable Trust, Sardarshahr, District-Churu.

(Transferor)

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX AGT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE **JAIPUR**

Jaipur, the 14th December 1984

Ref. No. Raj/IAC(Acq.)/2519.—Whereas, I, MOHAN SINGH, being the Competent Authority under Section 269B of Income-tax Act, 1901 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/and beating No.

Shop situated at Sardarsbah.

(and more than rescribed in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Sarcershe by on 16 4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the atoresaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds an apparent consideration therefor by more than fifteen per can of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax act. 1957 (27 of 1957);

(2) Shri Hanumanprasad S/o Shri Sawa Ram Badadhara Sardorshahr District-Churu,

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall the same meaning as given in that Charter

THE SCHEDULE

Shop situated in Aguna Bazar, Sardarshahr, district-Churu and more fully described in the sale deed registered by the Sub-Registrar, Sardarshahr, District-Churu vide registration No. 418 dated 16-4-1984.

> MOHAN SINGH Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Jaipur

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 14-12-1984

FORM ITNS----

(1) Shri Nathmal Sethia Charitable Trust, Sardarshahr, District-Churu.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Sanwalram S/o Shri Parturam Badadhara, R/o Sardarshahr, District-Churu. (Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE JAIPUR

Jaipur, the 14th December 1984

Ref. No. Raj/IAC(Acq.)/2520.—Whereas, I, MOHAN SINGH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe hat the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25.000/- and bearing

Rs. 25,000/- and bearing
No. Shop situated at Sardarshahr,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act 1908 (16
of 1908) in the office of the Registering Officer at
Sardarshahr on 16-4-1984
for an appropriate consideration, which is less than the fair

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have r ason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tex under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; andlor

THE SCHEDULE

Shop situated in Aguna Bazar. Sardarshahr, district-Churu and more fully described in the sale deed registered by the Sub-Registrar, Sardarshahr, District-Churu vide registration No. 419 dated 16-4-1984.

MOHAN SINGH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jaipur

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-fax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269°C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269°D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 14-12-1984

FORM ITNS--

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE JAIPUR

Jaipur, the 15th December 1984

Ref. No. Raj/IAC(Acq)/2521.--Whereas, I,

MOHAN SINGH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|and bearing

No. Shop situated at Jaipur,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jaipur on 25-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 26°D of the said Act, to the following persons, namely:---

- (1) Shri Prakash Dariyanani S/o Shri Govind Ram, R/o Govind Bhawan, M.I. Road, Jaipur. (Transferor)
- (2) Smt Cieeta lalpuria W/o Shri Hansraj Jaipuria, Plot No. B-9, Shiv Marg. Bam Park, Jaipur. (Transferec)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop situated in Film Colony. Chaura Rasta, Jaipur and more fully described in the sale deed registered by the Sub-Registrar, Jaipur vide Registration No. 1105 dated 25-4-1984.

MOHAN SINGH Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tux Acquisition Range, Jaipur

Date: 15-12-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE JAIPUR

Jaipur, the 15th December 1984

Ref. No. Raj/JAC(Acq.)/2522.—Whereas, J,

MOHAN SINGH, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|and bearing

No. Shop situated at Jaipur,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jaipur on 25-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:

(1) Shri Ashok Kumar Daryanani S/o Shri Govindram. R/o Govind Bhawan, M.I. Road, Japan. (Transferor)

(2) Smt. Geeta Japuria W/o Shri Hana ij Jaipuria, Plot No. B-9, Shiv Marg, Bani Park, Jaipur.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this rotice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Shop situated in Film Colony, Chaura Rasta Jaipur and more fully described in the sale deed registered by the Sub-Registrar, Jaipur vide Registration No. 1104 dated 25-4-1984.

> MOHAN SINGH Competent Author of Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Jaipur

Date: 15-12-1984

(1) 1. Shri Lallu Ram, 2. Shri Munnu Lal.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Guru Nanak Sahkan Avas Samiti Ltd., Sitapur, Through Secretary, Shri Gur Charan Singh. (Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE 57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 12th December 1984

Ref. No. G.I.R. No. 9-76/Acq.--Whereas, I, PRASAD,

A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Arazi Bhumidhari No. 947, 955 and 956 situated at Chhawni Kadim, Pargana-Khairabad, Distt. Sitapur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer.

1908) in the office of the Registering Officer at Sitapur on 18-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-ax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the aquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter,

THE SCHEDULE

Arazi Bhumidhari No. 947 measuring 25 decimals, No. 955 measuring 38 decimals and No. 956 measuring 30 decimals, total measuring 93 decimals situated at Chhawni Kadim, Pargana-Khairabad, Tehsil and District Sitapur, registered on 18 4-1984 by the Registering Authority at Sitapur.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:-114-426GI/84

A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Lucknow

Date: 12-12-1984

Scal:

FORM I.T.N.S.----

(1) Shii Bharat Prosad,

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Guru Nanak Sahkari Avas Samiti Ltd., Sitapur Through Secretary, Shri Gur Charan Singh,

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE 57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 12th December 1984

Ref. No. G.J.R. No. G-77/Acq.--Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-

No. Half portion of Arazi No. 954 situated at Chhawni Kadim, Pargana-Khairabad, Distt. Sitaput, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sitaput on 18-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

(a) facilitating the reduction or evention of the liability of the transferor to pay tax under the said. As in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferse for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Woulth-tar Act 1957 (27 of 1957);

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given to that Chapter.

THE SCHEDULE

Half portion of Arazi Bhumidhari No. 954, measuring 0.66 decimals (0.33 decimals), situated at Chhawni Kadım, Pargana-Khairabad, Tehsil and District Sitapur, registered on 18-4-1984 by the Registering Authority at Sitapur.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Lucknow

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

Date: 12-12-1984

Scal:

(1) Shri Mohd. Haneef.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Indra Sahkari Grih Nirman Samiti Ltd., Moradabad Through its Secretary, Shri Madhu Sudan Lal (Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

> ACQUISITION RANGE 57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 12th December 1984

Ref. D.M. G.I.R. No. I-20/Acq.—Whereas, I, A. PRASAD.

being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-

and bearing
No. Land Khasra No. 927-A & 927-B situated at Bhogpur
Mithauni ulias Shirikui, Moradabad

Additional Control of the Schedule annexed hereto).

(and more fully described in the Schedule annexed hereto).

has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Office at Moradabad on April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparat consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Land measuring 17250 sq. Mtrs. (Khasra No. 927-A measuring 0.48 decimals and Khasia No. 927-B measuring 3.83 decimals totalling 4.31 decimals) situated at Bhogpur Mithauni alias Shirikui, Moradabad (as mentioned in 37G Form No. 6222, registered in April, 1984 by the Registering Authority at Moradabad.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Lucknow

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice unae, sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:-

Date: 12-12-1984

(1) Pt. Rudra Mani Tripathi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE 57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 13th December 1984

Ref. No. G.I.R. No. K-145/Acq.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to us the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. House bearing No. 36 situated at Johnstonganj, Allahabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Allahabad on April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:— (2) 1. Shri Krishna Murari, 2. Smt. Kalpapa Karvariya.

(Transferce)

(3) Seller. Person in occupation of the property.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; andlor

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

House property bearing No. 36, situated at Johnstongan, Allahabad, registered on Ap.il, 1984 by the Registering Authority at Allahabad (as mentioned in 37G Form No. 1982).

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Lucknow

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

Date: 13-12-1984

FORM ITNS (1) Smt

(1) Smt. Santosh Bhatnagar.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Smt. Kailashwati.

(Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE
57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 13th December 1984

Rcf. No. G.I.R. No. K-144/Acq.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000|-and bearing

House No. 8/12/41 situated at New Civil Lines, Saket,

Moradabad,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Moradabad on April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferrer for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(a) by any of the aforesaid persons within a period

may be made in writing to the undersigned :-

Objections, if any, to the acquisition of the said property

- of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on theh respective respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given to that Chapter.

THE SCHEDULE

One house bearing No. 8/12/41, situated at New Civil Lines, Saket, Distt. Moradabad registered on April, 1984 by the Registering Authority at Moradabad (as mentioned in 37G Form No. 2864).

Now, therefore, in pursuance of Serbour 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following person- namely:—

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Lucknow

Date: 13-12-1984

(1) Deepek Builders Pvt. Ltd

(Transferor)

(2) Rehmatulla I. Chougale.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF ENCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-III BOMBAY

Bombay, the 7th December 1984

Ref. No. AR.III/37EE/84-85/6961.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25.000/- and heaving

Rs. 25,000/- and bearing
No. Flat No. 104, 1st floor Bldg. No. 16, Kapadia Nagar,
CST Rd. Kurla (W), Bombay-70,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agriment is registered under Sec. 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority at Bombay on 2-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer;
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been 'or which eught to be disclosed by the transferes for the purposes of the Indian Income-tax Ast, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Ast, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the anid Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 104, 1st floor Bldg. No. 16, Kapadia Nagar, CST Road, Kurla (W), Bombay-70.

The agreement has been registered with the Competent Authority Bombay vide serial No. AR.III/37EE/6961/83-84 dated 2-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Bombay

Date: 7-12-1984

FORM ITNS----

(1) Shii Balwant Sadashii Gaonkar,

(Transferor)

(2) Shri Amol Krishanji Malgaonkar,

(Transferce)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGF-III BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No. AR.III/37EE/7150-A/84-85.--Whereas, I,

A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs, 25,000] and bearing

and bearing
No. Tenament No. Bldg., No. 7, Chambur Shrawan C.H.S.
Ltd. Sahkar Nagar, Chambur Bombay-71,
(and morefully described in the schedule annexed hereto),
has been transferred and the agreement is registered under
Sec. 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of
the Competent Authority,
Rombay, on

Bombay on dated 2-4-1984.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1937 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforescaid property by the issue of this notice under the section (1) Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

Objections, if any, to the acquisition of thet said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period explices later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of that said, Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Tenament No. 80, Old No. 7, Chambur Shrawan Co-op. Hsg. Society Ltd., Sethur Nagar, Chambur, Bombay-71. The agreement has been registered with the Competent Authority Bombay vide scrial No. AR.III/37EE/150-A/83-84 dated 2-4-1984.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III, Bombay

Date: 12-12-1984

FORM I.T.N.S.-

- (1) Western India Builders
- (Transferoi)
- (2) Shri Pyaralı Memo Mankojiya,

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-III BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR IV/37EE/2081/83-84 --- Whereas, I, A. PRASAD,

A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/ and bearing No. Flat No. 2nd floor, E Wing Gulistan Apartment, S.V Road, Dahisar (E), Bombay, (and morefully described in the schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under

has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority,

Bombay on 27 4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and for

facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 day, from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 10, 2nd floor F-Wing Guilstan Apaitment, S. V. Road, Dahisar (E), Bombay

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37EE/2081/83-84 dated 27-4 84

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range III, Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, mamely .---

Bombay on 27-4-1984

(1) Western India Builders.

(Transferor)

(2) J. N. Karedia.

(Transferce)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1761 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-III BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/37EE/2075/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-

and bearing No. Flat No. 9, 2nd floor, E-Wing, Gulistan Apartment, S. V.

Road, Dahisar (E), Bombay-68, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority,

Bombay on 2-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said

Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from e service of notice on the respective persone. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Hat No. 9, end floor, E-Wing Gulistan Apartments, S. V.

Road, Dahisai (E), Bombay.

The agreement has been registered with the Competent Authority Bombay vide scrial No. AR-IV/37EE/2075/83-84 dated 27-4-1984.

> A. PRASAD Competent Authority
> Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III, Bombay

aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following

Date: 10-12-1984

persons. namely:--115-426GI/84

(1) Western India Builders.

(Transferor)

(2) Smt. A. K. Virani & Smt. D. H. Virani.

(Transferce)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/37EE/2083/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to see the said Act) have reason to believe that the immovable

property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 2, 1st floor, E-Wing, Gulistan Apartments S. V. Road, Dahisar (E), Bombay, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Comptnt Authority at Bombay on 27-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agraed as between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer:
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1937);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 7, Ist floor, E-Wing, Gulistan Apartments, S.V. Road Dahisar (E), Bombay.

The agreement has been registered with the Competent

Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37EE/2083 83-84 dated 27-4-1984.

A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-test Acquisition Range-III, Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:-

Date: 10-12-1984

Smal:

PORM I.T.N.S. (1) M/s. Rajlaxmi Construction Co.

(Transferor)

(2) Shri Chamanlal K. Mehta & Smt. Anumati C. Mehta.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME_TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING, ASSIST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX ASSISTANT

ACQUISITION RANGE-IV BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No. AR-IV/37EE/1628/83-84.—Whereas, 1, A PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000-

and bearing
Flat No. 22, 1st floor, Shivam Building, S. V. Road, Fatehbaug, Kandivli (W), situated at Kandivli (W),

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tox Act, 1961, in the office of the Competent Authority Bombay on 16-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair

market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act. in respect of any income arising from the transfer; and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferoe for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (b) by any of the aforesaid persons within a by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the consider of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property. within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as gives in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 22, 1st floor, Shivam Bldg., S.V. Road, Fatchbaug, Kandivli (W).

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37EE/1628/83-84 dated 16-4-1984.

> A, PRASAD Competent Authority
> Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:-

Date: 12-12-1984

(1) M/s. Saral Enterprise.

(Transferor)

(2) Shri Manilal Devji Dedhia.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 209D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOMF-TAX,

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No AR-JV/37-EF/1248/83-84 -- Whereas, I. A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25000/- and bearing

able property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 4, 2nd floor, A-Wing Bldg. No. 19, in layout of Zalavad Jain Co-op Hsg. Cocty Ltd., Ashok Chakravarty Rd., Kandivli (W), Bombay-67 situated at Kandivli (W) (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority at

Bombay on 6-4-84 for an apparent consideration

which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/er
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferes for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the and Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 4, 2nd floor, A-Wing Bldg. 19, Zalaved Jain, Co-op. Hsg. Socty. Itd Ashok Chaktavarty Road, Kundivli (W), Bombay-67.

The agreement has been registered with the Competent Authority. Bombay vide serial No. AR-JV/37-EE/1248/83-84 dated 6-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Acquisition Range-IV
Bombay.

Date: 12-12-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No. AR-IV/37-EE/1277/83-84,-Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

Flat No. 2, ground floor, C-Wing Bidg. No. 21, Zalavad Jain Co-op. Hsg. Socty. Ltd. Ashok Chakravarty Rd., Kandivli (E), Bombay-101 situated at Kandivli (E) and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority at

Bombay on 6-4-84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under cubsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:-

- (1) M/s. Saral Enterprise.
- (Transferor)
- (2) Smt. Renukaben Pravinchandra Kamdar.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the amse meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 2, ground floor, C-Wing Bldg. No. 21, Aslavad

Jain Co.op. Hsg. Socty. Ltd. Ashok Chakravarthi Rd., Kandivii (E), Bombay-101.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37-EE/1277/83-84 dated 6-4-1984.

A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV, Rombay

Date: 12-12-1984

(1) M/s. Saral Enterprises..

(2) Shri Kantilal Hiralal Shah.

(Transferor)

(Transferce)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No. AR-IV/37-EE/1197/83-84.---Whereas, I,

A. PRASAD.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'sal' Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

Flat No. 2, 2nd floor, A-Wing Bldg, No. 19, 7alvad Jain Co-op, Hsg. Socty, Ltd., Ashok Chakravarty Rd., Kandiyli

(E), Bombay-1 situated at Kandivli (E) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of

the Competent Authority, Bombay on 3-4-1984

for an a parent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer;
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely);-

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publi-cation of this notice in the Official Gazette.

Explanation: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 2, 2nd floor, A-Wing Bldg, No. 19, Zalvad Jain Co.op, Hsg. Socty, Ltd., Ashok Chakravarty Rd., Kandivli (E), Bombay-101.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37-EE/1197/83-84 dated 3-4-1984.

A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV Bombay

Date: 12-12-1984

Scal:

*Strike off where not applicable.

- (1) M/s. Giriraj Const. Corpn.
- (Transferor)
- (2) Smt. Vasanti Maruthi Prabhu

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No. ΛRIV/37EE/1469/83-84.—Whereas, J, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act')

have reason to believe that the immovable

property having a fair market value exceeding Rs. 25,000-and bearing No.

No. Raj Kishore, l·lat No. I, ground floor, D-Wing, Maurin Street, andivli Village, Kandivli (W), Bombay-67 situated at Kandivli (W)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 12-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been trully stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
 of the transferer to pay tax under the said Act, in
 respect of any income arising from the transfer;
 and or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax, Act. 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269°C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesald property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269°D of the said Act, to the following persons manually:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 15 days from the date of publication of this noites in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

Objections, if any, to the acquisition o the said property may be made in writing to the undersigned:---

(b) by any other person interested in the said ummovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Raj Kishore, Flat No. 1, grd. floor, D-Wing Maurin St., Kadnivli Village, aKndivli (W), Bombay-67.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37EE/1469/83-84 dt. 12-4-1984.

A. PRASAD

Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV,
Bombay

Date: 12-12-1984

(1) Mr. Amritali Moosbhai Mithani

(Transferor)

(2) Mr. hantilal Lallushankar Dave & other s (Transferce)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37EE/1524/83-84.---Whereas, I. A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section- 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceding Rs. 25,000/and bearing

No. Flat No. C-12 on 4th floor, Bobby Shopping Centre, M. G. Road. Dhanukar Wadi, Kandivli (W), Bombay-67 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 13-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in secpect of any income arising from the transfer; and/

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immova-ble property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Flat No. C-12, 4th floor, Bobby Shopping Centre, M. G. Road, Dhanukar Wadi, Kandivli (W), Bombay-67.

The agreement has been registered with the Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37EE/1524/83-84 dt. 13-4-1984.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV, Rombay

Date: 10-12-1984

(1) Smt. Urmilaben P. Bhatia

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269 D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Sh. Chunilal Damodar Dattani & Nirmala Chunilal Dattani

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1523/83-84.—Whereas, 1. A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing No.
Flat No. E-201, Rajkishore Co-op. Society, 2nd floor, M.G.
Road, Kandivli (W), Bombay-67 situated at Kandivli (W)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority,

Bombay on 13-4-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. Whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the 'transfer; and/or

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957):

Flat No. E/201, Rajkishore Co-op. Society, 2nd floor, M.G. Road, Kandivli (W), Bombay-67.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1523/83-84 dt. 13-4-84.

Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax

Acquisition Range-IV, Bombay

A. PRASAD Competent Authority

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the ing persons, namely :-- .

Arel :

116-426GI/84

Date: 10-12-1984

(1) M/s. M. N. Construction Co.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Lalit Prabhudas Rupani & Bharti L. Rupani

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1261/83-84.---Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-

and bearing No.
Flat No. 201, 2nd floor, Gran Amrit Bldg. Shantilal Mody Road, Kandivli (W), Bombay-67 situated at Kandivli (W) (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 6-4-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act. in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 201, 2nd floor, Gyan Amrit Bldg., Shantilál Mody Road, Kandivli (W), Bombay-67.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1261/83-84 dt. 6-4-84.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 12-12-1984

ITNS——— (1) M/s. Dattani Developments.

(Transferor)
(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE-INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

GOVERNMENT OF INDIA

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/4280/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/-and hearing No.

movable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No. Flat No. 21, Shreeji Palace L.T.S. No. 99, Village Kandivli, S. V. Road, Kandivli (W), Bombay-67 situated at Kandivli

(W)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transfer ed and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority,

Bombay on 7-4-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the partles has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been of which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957); Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(2) Jaganath Kamra & Mrs. J. Kamra

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immevable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazetta

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the saud. Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 21, 2nd floor, Shreeji Palace C.T.S. No. 99 Village Kandivli, S. V. Road, Kandivli (W), Bombay-67.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/4280/83-84 dt. 7-4-84.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 12-12-1984

(1) M|s. Dattani Developments.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Raju G. Bhatia Dilip G. Bhatia.

(Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No. ARIV|37EE|4281|83-84.—Whereas, I, A. PRASAD

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

Flat No. 31, 3rd hoor, Shreeji Palace C.T.S. No. 99 of Village Kandivli, S. V. Road, Kandivli (W) Bombay-67 situated at Kandivli (W)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto).

has been transferred

and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the Office of the Competent Authority, at

Bombay on 7-4-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said interpret of parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -- The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the name meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; andjor
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :--

THE SCHEDULE

Flat No. 31, 3rd floor, Shreeji Palace C.T.S. No. 99, of Village Kandivli, S. V. Road, Kandivli (W), Bombay-67.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV|37-EE|4281|83-84 dt. 7-4-84.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV Bombay

Date: 12-12-1984.

(1) Shri Chunilal Nathalal Pabia Rajesh Babulal Pibia.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Mr. Sampatlal D. Bohra.

(Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX. ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No. ARIV|37-EE|1218|8384.—Whereas, I,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|and bearing

No. Shop No. 10, Ground floor, Guru Nanak Apartments Co-operative Housing Society Ltd. 51, Shanker Lane, Kandivli (W). Bombay-67 situated at Kandivli (W) (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred

and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, at

Bombay on 5-4-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fitteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 43 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

Shop No. 10, Ground floor, Guru Nanak Apartments Coop. Housing Society Ltd., 51, Shanker Lane, Kandivli (W), Bombay-67.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV|37-EE|1218|83-84 dt. 5-4-84.

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV, Bombay.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 12-12-1984.

FORM IINS-

(1) Saral Enterprise.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) (2) Shri Gautamkumar Surabhai Shah.

(Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-IV,
BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No. ARIV|37-EE|1929|83-84,—Whereas, I, A. PRASAD

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000-and bearing

No. Flat No. 6, 1st floor, B-Wing Bldg. No. 19, Zalavad Jain Co-op. Housing Society Ltd., Ashok Chakçavarthy Road, Kandiyli (E), Bombay-101 situated at Kandiyli (E)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

and the agreement is registered under section 20 AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, at

Bombay on 23-4-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning is given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 6, 1st floor, B-Wing, Bldg. No. 19, Zalavad Jain Co-operative Housing Society, Ashok Chakrabarty Road, Kandivli (E), Bombay-101.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV|37-EE|1929|83-84 dated 23-4-84.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 12-12-1984.

(1) M/s. Saral Enterprise.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) M/s. Shah Anilkumar Popatlal.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX.

> ACQUISITION RANGE-IV, **BOMBAY**

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No. ARIV|37-EE|1920|83-84.--Whereas, I.

A. PRASAD being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-

Flat No. 13, 3rd floor B-Wing Bldg, No. 21, Zalavad Jain Co-op. Housing Society Ltd., Ashok Chakravarty Road, Kandiyli (E), Bombay-101 situated at Kandiyli (E)

(and more fully described in the Scheduled annexed hereto) has ben transferred

and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961 in the office of the Registering Officer at Bombay on 23-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(b) by any other person interested in the said immov able property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Flat No. 13, 3rd floor, B-Wing, Bldg. No. 21, Zalavad Jain Co-operative Housing Society Ltd. Ashok Chakravarty Kandivli (E), Bombay-101.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV|37-EE|1920|83-84, dt. 23-4-84.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269°C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269°D of the said Act, to the following persons, namely:-

Date: 12-12-1984.

FORM ITNS...

(1) Mr. Vijay S. Goradia.

(Transferor)

(2) Mr. Pankajkumar Ishwarlal Mehta.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref No. ARIV|37-EE|1138|83-84.—Whereas, I, A. PRASAD

veing the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|-and bearing

No. Village Kandivli, Meurin Street, M. G. Road, Raj Kishan Bldg., Kandivli (W), Bombay-67

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has ben transferred

and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961 in the office of the Registering Officer at Bombay on 2-4-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the flability of the transfer to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer: and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferree for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Village Kandivli Meurin Street, M. G. Road, Kandivli (W) Bombay-67.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV 37-EE 1138 83-84, dt. 2-4-84.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tnx
Acquisition Range-IV
Bombay.

Date: 12-12-1984.

Soal

FORM ITNS----

(1) Şaral Enterprise.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Bhupendra Nyalchand Bhagadia.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-IV. BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No. ARIV|37-EE|1576|83-84.-Whereas, I,

A. PRASAD being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs, 25,000/- and ocaring Flat No. 4, 1st floor, A-Wing Bldg. No. 21, Zalavad Jain Co-op. Housing Society Ltd., Ashok Chakravarthy Road, Kandivli (E), Bombay-101 situated at Kandivli (E) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

has been transferred

and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, at

Bombay on 6-4-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective nersons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (b) facilitating the concealment of any income or any of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Incometax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely— 117-426GI/84

THE SCHEDULE

Flat No. 4, 1st floor, A-Wing, Bldg. No. 21, Zalavad Jain Co-operative Housing Society, Ashok Chakrabarty Road, Kandivli (E), Bombay-101.

. The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV|37-EE|1576|83-84, dt. 6-4-84.

A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date: 12-12-1984.

(1) Saral Enterprise.

(Transfe

PART III-SEC.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Mansukhal Hargovindas S. Mo t

(Transfe

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOMF-TAX ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No. ARIV₁37-EE|1927|83-84,—Whereas, I. A. PRASAD

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing

No. Flat No. 2, 1st floor, A-Wing Bldg No 21, Zalavad Jain Co-op Housing Society Ltd., Ashok Chakravarthy Road, Kandivli (E), Bombay-101 situated at Kandivli (E) (and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred

and the agreement is registered under section 269AB the Income-tax Act. 1961 in the office of the Competent Authority, at

Bombay on 23-4-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not ben uruly stated in the said instrument of transfer with the object of:-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, 10 respect of any income arising from the transfer; sad/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :--

Objections, if any, to the acquisition of the said pro may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a 45 days from the date of publication of t. his in the Official Gazette or a period of 30 da 1ys the service of notice on the respective persons, ever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said im able property, within 45 days from the date publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION: -The terms and expressions used herei are defined in Chapter XXA of the Act, shall have the same meaning as in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 2, 1st floor, A-Wing, Bldg No. 21, Z Jain Co-operative Housing Society, Ashok Chakrabarty Kandıvli (E), Bombay-101

The agreement has been registered with the Com Authority, Bombay vide serial No. ARIV 37-EE 1927 dt. 23-4-84.

> Competent Inspecting Assistant Commissioner of Inco Acquisition Range-IV,

Date: 12-12-1984.

FOR M ITNS

(1) Saral Enterprise.

(2) Narendra Chunilal Shah.

- (Transferor)
- (Transferee)

NOTICE I INDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM MISSIONER OF INCOME-TAX

> A CQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bom bay, the 12th December 1984

No. ARIV 37-EE 11928 83-84.--- Whereas, I, PRASAD,

ring the Competent Authority under Section 269B of the scome-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred as the said Act), have reason to believe that

in Co-op. Housing Society Lid., Ashok Chakravarty Road, and wil (E), Bombay-101 situated at Kandivi (E) and more tully described in the Schedule annexed hereto) as been transferred. is been transferred

nder the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office

the registering Officer at ombay on 23-4-84

or an apparent consideration which is less than the fair arket value of the aforesaid property and I have reason to lieve that the fair market value of the property as oresaid exceeds the apparent consideration therefor by ore than fifteen per cent of such apparent consideration and the consideration for such transfer as arread to between the consideration for such transfer as agreed to between parties has not been truly stated in the said instrument transfer with the object of:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facil waiting the reduction or evasion of the hability of the transferor to pay tax under the said act, in ot of any income arising from the transfer; and/∈ ¥
- (b) facili tating the concealment of any income or any mone eys of other essets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the pur poses of the indian income tax Act, 1922 (1 i of 19 22) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Flat No. 6, B-Wing, 1st floor, Bldg. No. 23, Zalavad Jain Co-op, Housing Society Ltd., Ashok Chakravarty Rd., Kandivli (E), Bombay-101.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV|37-El-|1928|83-84, dt. 23-4-84.

A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV Bombay

fort therefore, in pursuance of Section 269°C of the said, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the resaid property by the issue of this notice under subion (1) of Section t 269D of the said Act, to the followpersons, namely :- 426GI/84

Date: 12-12-1984

(1) M/s. Saral Enterprise.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE LNCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Shah Arvindkumar Manilal.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

UFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-IV,
BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No. ARIV|37-EE|1449|83-84.--Whereas, I, A. PRASAD

being the Competent Authority

under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinefter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing

No. Flat No. 3, ground floor, B-Wing, Bldg. No. 21, Zalavad Jain Co-op. Housing Society Ltd., Ashok Chakravarthy Road, Kandiyli (E), Bombay-101 situated at Kandiyli (E); and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bombay on 12-4-84

for an apparent consideration which is less than, the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 3, ground floor, B-Wing, Bldg. No. 21, Zalavad Jain Co-operative Housing Society, Ashok Chakrabarty Road, Kandivli (E), Bombay-101.

The agreement has been registered with the Competent Authority. Bombay vide serial No. ARIV|37-EF|1449|83-84, dt. 12-4-84.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Date: 12-12-1984.

(1) M/s. Woodland Construction Co.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Smt. S. Hirachand.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX. ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV|37-EE|2061|83-84.--Whereas, I, A. PRASAD

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 101, 1st floor, Gokul, S. V. Road, Kandivli

(W), Bombay-67 situated at Kandivli (W)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority,

Bombay on 20-4-84

sombay on 20-4-84 for an apparent consideration which is less than the fair market value for the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Flat No. 101, 1st floor, Gokul, S. V. Road, Kandivli (W),

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV|37-EE|2061|83-84, dt. 20-4-84.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV. Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:-

Date: 10-12-1984. Seal:

TO SERVICE THE PROPERTY OF THE

IOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(1) Mls. Excel Builders.

(Transferor)

(2) Mis. Anita Gordhandas Chugh.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

FFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, **BOMBAY**

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No. ARIV|37-EE|1881|83-84.—Whereas 1, A. PRASAD.

being the Competent Authority under Section 269B of the

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and Shop No. 3, ground floor, Shiv Darshan plot bearing C.T.S. No. 366, S.V.P. Road, Opp. Municipal Garden, Kandivli (W), Bombay-67 situated at Kandivli (W) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Sec. 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority,

Competent Authority, at Bombay on 21-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid the apparent consideration therefor by more than exceeds the apparent consideration therefor by more diffeen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of wansfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publi-cation of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The trems and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 3, ground floor, Shiv Darshan C.T.S. 366, S.V.P. Rd. Opp. Municipal Garden, Kandıvli (W), Bombay-67.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV 37-EE 1881 83-84, Dt. 21-4-84.

A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Ast, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :--

Date: 12-12-1984

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(1) Smt. Mayadevi D. Jhunjhunwala.

(Transferor)

(2) Mr. Nalinbhai J. Doshi,

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-IV,
BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV|37-EF|1496|83-84.—Whereas, 1, A. PRASAD

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding

Rs. 25.000/- and bearing No. Flat No. 28, 2nd 'floor, Dattani Gram Bldg., No. 3, plot bearing C.T.S. No. 1319 & 1321 at village Kandivli, Mathurdas Road, Kandivli (W), Bombay-67 situated at Kandivli (W)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 12-4-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfor; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 28, 2nd floor Dattani Gram Bldg, No. 3 (proposed), plot bearing C.T.S. No. 1319 & 1321 at village Kandivli Mathuradas Road, Kandivli (W), Bombay 67

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV|37EE|1496|83-84, dt. 12-4-84.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-ta:
Acquisition Range-IV, Bomba;

Date: 10-12-1984,

(1) Mls. Excel Builders.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Mr. Becharbhai C. Makwana

(Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV|37-EE|1350|83-84.--Whereas, I. A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovas the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Shop No. 2, ground floor, Shiv Darshan (Proposed), plot bearing C.T.S. No. 366, S.V.P. Road, Wandivli (W), Bombaring C.T.S. No. 366, S.V.P. Road, Wandivli (W), Bombaring C.T.S.

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority,

Bombay on 9-4-1984

Bombay on 9-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of the said instrument of transfer with the object of the said instrument of transfer with the object of the said instrument of transfer with the object of the said instrument of transfer with the object of the said instrument of transfer with the object of the said instrument of transfer with the object of the said instrument of transfer with the object of the said instrument of transfer with the object of the said instrument of transfer with the object of the said instrument of transfer with the object of the said instrument of transfer with the object of the said instrument of transfer with the said instrument o said instrument of transfer with the object of :-

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

Shop No. 2, ground floor, Shiv Durshan Bidg. (proposed), plot bearing C.T.S. No. 366 at S.V.P. Road, Kandivli (W), Bombay-67.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37-EE/1350, 83-84 dt, 9-4-1984.

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee in the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

A PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV, Bombay.

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, of the following persons, namely:—

Date: 10-12-1984

(1) Smt. Ashri Chunilal.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Yusuf Hajiwali, Mohammed & Isaq Hajiwali.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

The 10th December 1984

Ref. No. AR-IV|37EE|1698|83-84.--Whereas, I. A. PRASAD,

A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act)' have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Shop No. 27, ground floor, Shreeji Datshan C.T.S. No. 100 Survey No. 96, S. V. Road, Kandivli (W), Bombay-67. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 1-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely: 118-426GI '84

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immevable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 27, ground floor Shreeji Darshan C.T.Ş. No. 100. Survey No. 96, S. V. Road, Kandivli (W), Bombay-67.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV 37-EE 1698 83-84 dt. 17-4-1984.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV, Bombay.

Date: 10-12-1984

FORM ITNS----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

The 10th December 1984

Ref. No. AR-IV|37-EE|2082|83-84,—Wheras, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section

269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 5. 1st floor, E-Wing, Gulistan Apartment, S. V. Road, Dahisar (E), Bombay (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Bombay on 27-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesald exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfert end/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269(.) of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act. to the following persons, namely :-

(1) M/s. Western India Builders.

(Transferor)

(2) Shri Vali M. Maredia, People Co-op. Diary Socy. Ltd.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 5, 1st floor, E-Wing, Gulistan Apartment, S. V. Road, Dahisar (E), Bombay,

The agreement has been registered with the Competent Authority. Bombay vide Serial No. AR-IV|37-EE|2082, 83-84, dt. 27-4-1984,

A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax-Acquisition Range-IV, Bombay.

Date: 10-12-1984

Seel :

(1) Goyal Builders Pvt. Ltd.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Mohan Mukund Sail.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

ACOUISITION RANGE-IV, BOMBAY

The 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/37-EE/1657/83-84.---Whereas, I,

PRASAD. A. PRASAD. being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Flat No. A-302, 3rd floor, Aditya Park, Chhatrapati Shivaji Road, Dahisar (E), Bombay-68. (and more fully described in the Schedule annexed hereto)

has been transferred under the Registration Act 1908 (16

of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 16-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter,

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Flat No. A-302, 31d floor, Aditya Park, Chhatrapati Shivaji Road, Dahisar (E), Bombay-68.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV|37-EE|1652|83-84 dt. 16-4-1984.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV, Bombay.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following, persons, namely :--

Date: 10-12-198-

(1) Shri Marappa Jarappa Shetty.

(Transferor.)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Shambhubhai A. Patel.

(Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

The 10th December 1984

Ref. No. AR-IV|37-EE|1235|83-84.--Whereas, I,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|-

and bearing No. Shop No. 15, Day Ashish Bldg., Dev Ashish Co-op. Hsg. Socy. Ltd. Bharucha Road. Dahisai (E), Bombay-68 situated

at Dahisar (E),
(and more fully described in the schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act, 1908
(16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Bombay on 6-4-1984
for an apparent consideration which is less than the fair

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liabilitity of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publi-cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 15. Devh Ashish Bldg Dev Ashish Co-op. Hsg. Socy. Ltd. Bharucha Road, Dahisar (E), Bombay-68.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV|37-EE|1235|83-84 dt. 6-4-1984.

A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV, Bombay.

Date: 10-12-1984

Seal:

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

(1) Goyal Builders Pvt. Ltd.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Kishore B. Bhayani.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV|37-EE|1658|83-84.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000]

and bearing No. Flat No. A-402, 4th floor, Aditya Park, Chhatrapati Shivan Road, Dahisar (E). Bombay-66 situated at Dahisar (E) (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority,

Bombay on 16-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforestid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the a equisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of the 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immova-ble property, within 45 days from the date of publi-cation of this notice in the Official Gazette.

Explanation :-- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. A-402, 4th floor, Adıtya Park, Chhatrapati Shivaji Road, Dahisar (E), Bombay-66,

The agreement has been registered with the Competent uthority, Bombay vide serial No. AR-IV/37-EE/165/ Authority, Bombay 83-84 dt. 16-4-1984

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV, Bombay.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely : 72—426GI/84

Date: 10-12-1984

(1) Space Builders Pvt. Ltd.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV|37-EE|1663|83-84.-Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing No.

Shop No. Al-A-2, Housing Scheme, situated at Chhatrapati Shiyaji Marg, Dahisar (E). Bombay

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority,

Bombay on 16-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; andjor
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferes for the surposes of the Indian Income-tax, Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(Transferee)

(2) Mr. Dinesh N. Thakkar, Mr. Kantilal N. Thakkar.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immerable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: --- The terms , and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. A-1-A-2/11, Housing Scheme situated at Chhatrapati Shivaji Marg, Dahisar (E), Bombay,

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37-EE/1663/83-84 dt. 16-4-1984.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV, Bombay.

Date: 10-12-1984

(1) Space Builders Pvt. Ltd.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-

(2) Mrs Santa Mathai.

(Transferee)

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOMETAX,

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/37-EE/1664/83-84.--Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing No.
Shop No. A-1, A-2/12, Anand Nagar, Chhatrapati, Shivaji
Marg, Dahisar (E), Bornbay
(and more fully described in the Schedula annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority,

Bombay on 16-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property an dI have resaon to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferorto pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a periou of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Shop No. A-I, A-2/12, Anand Nagar, Chhatrapati Shivaii Marg, Dahisar (F), Bombay.

The agreement has been registered with the Authority. Bombay vide scrial No. AR-IV/37EE 1664 83-84, dt. 16-4-1984.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV, Bombay.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I bereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons; namely :--

Date: 10-12-1984

PORM ITNS-

(1) Goyal Builders P. Ltd.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shii Ram Keswani & Smt. Seema R. Keswani, (Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/37-EE/1661/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|-and bearing

No. A-508, 5th floor, Aditya Park, Chhatrapati Shivaji Road, Dahisar (E), Bombay-68

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 16-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Flat No. A-508, 5th floor, Aditya Park, Chhatrapati Shivaji Road, Dahisar (F), Bombay-68.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37EF/1661]83-84, dt. 16-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 10-12-1984

FORM I.T.N.S.

(1) M/s. Swati Builders.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269 D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Maniben Devrai Shah.

(Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/37-FE/1565|83-84.-Whereas I. PRASAD,

heing the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Shop No. 1, Ground floor, Sai Prasad Survey No. 79, Hissa No. 3-A-I. Chartrapati Shivaji Road, Dahisar (E), Bombay-68

68

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transforred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 13-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more then fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/ar
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, temely :-

119-426@I/84

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective person, whichever period expires later,
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same measuring as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 1, Ground floor, Bldg. Sai Prasad Survey No. 79, Hissa No. 3A-1, Chatrapati Shivaji Road, Dahisar East, Bombay-68

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37-EE/1565/83-84 dt. 13-4-1984.

> A. PRASAD Competent Authority
> Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV, Bombay.

Date: 10-12-1984

Scal :

(1) M/s. Swati Builders.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-LAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Smt. Zaverben C. Gogri.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACOUISITION RANGE-IV. BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/37-FE-1567|83-84.—Whereas, I. A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Shop No. 2, in Bldg Sai Prasad Survey No. 79, Hissa No. 3 A at Chhatiapati Shivan Road, Dahisai (E), Bombay-68, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, at Bombay on 13-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and J have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer,

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferrer for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957); Objections, if any, to the acquisition of the said preperty may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Shop No. 2, Bldg. Sai Prasad, Survey No. 79, Hissa No. 3-A I at Chhatrapathi Shivaji Road, Dahisar (E), Bombay-68.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37-EE/1567/83-84 13-4-1984.

A. PRASAD

Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesa'd property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

Date: 10-12-1984

FORM LT.N.S.-

(1) M/s Swati Builders

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) (2) Shri Chapst Khimji Gogri.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX. ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Rcf. No. AR-IV|37-EE, 1566|83-84.--Whereas, I, A. PRASAD,8

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No.

Shop No 3, ground floor, Bldg, Sai Piasad Survey No. 79, Hissa No. 3-A-I Chhatrapati Shivaji Road, Dahisar (E), Bombay-68

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay 13-4-1984

for an apparent consideration which is less than the ten market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefol by motthan fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 et 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sho section (1) o Section 269D o the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of forty-five days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of thirty days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: — The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 3, Ground floor, Sat Prasad Survey No. 79, Hissa No. 3-A-I Chattapati Shiyaji Road, Dahisar East, Bombay-68.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV|37-EE/1566|83-84, dt. 13-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay.

Date: 10-12-1984

Scal:

(1) Shri G. S. Ghabdia.

(Transferor)

(2) Shri J. D. Karedia.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/37-EE/1775/83-84.---Whereas, I, A PRASAD.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000 |- and bearing
Shop No. 4, Bldg. B, Misquitta Nagar, Chhatrapati Shivaji
Road Dahisar (E), Bombay-68,
situated at Dahisar (E),

(and more fully described in the scheduled annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of

the Competent Authority, Bomboy 19-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has been truly stated in the said intrument of transfer with the object of :-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 4, Bldg, B, Misquitta Nagar, Chhatrapati Shivaji Road, Dahisar (E), Bombay-68.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37-EE/1775, 83-84 dt, 19-4-1984.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV, Sombay.

Date: 10-12-1984

Scal:

FORM ITNS----

(1) Western India Builders.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Noormohamed Jiva Momin.

(Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/37-EE 2079/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the im-

movable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 8. E-Wing, 1st floor, Guilstan Apartment, S. V. Road, Dahisar (E) C.T.S. No. 1053/1 to 7 S. V. Road, Dahisar (E) situated at Dahisar (E). has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority

the Competent Authority, Bombay on 27-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceed the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfex; and or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in purusuance of Section 269C of the sald Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the storesald property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the Act, to the following -: vismen anomag

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 8, E-Wing, 1st floor, Gulistan Apartment, S. V. Road, Dahisar (E) C.T.S. No. 1053/1 to 7 S. V. Road, Dahisar (E).

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37-EE/2079, 83-84

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV, Bombay.

Date: 10-12-1984

FORM I.T.N.S.—

(1) M/s Atul Constructions

(Transferoi)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Ajit Ganesh Kulkarni.

(Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARJV/37-EE/1693/83-84, Whereas, I. A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Re. 25,000/- and bearing
Flat No. 64, 6th floor, Anant Apartment, Plot No. 791
Dahisar (W), Bombay-68.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred and the agreement is registered under
Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority

at Bombay on 13-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to bet-ween the parties has not been truly stated in the said instru-ment of transfer with the object of:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov able property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, it respect of any income arising from the transles, Flat No. 64, 6th floor, Anant Apartment, Plot No. 791 at Dahisar (W), Bombay-68.

The agreement has been registered with the Competent Authority. Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1693 83-84 dated 13-4-1984.

op) racilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1937 (27 of 1957);

A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV, Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269 C of the said Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Date: 10-12-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/37-EE/1693/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Piece & parcel of land bearing S. No. 4 Hissa No. 3, S. No. 4 and Hissa No. 2, in Village Eksar, Borivli. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority at Bombay on 13-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Ast, in respect of any income arising from the transfer; and/er
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Aruna Jamnadas, Rajni Gopalji, Meghji Devraj.

(Transferor)

(2) R.C. Thakkar, L.C. Thakkar, K.L.& C.H. Sayata.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this natics in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used basein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece & parcel of land bearing S. No. 4, Hissa No.3 and S. No. 4 and H. No. 2, Village Eksar, Borivli (W), Bombay,

The agreement has been resistered with the Competent Authority. Bombay vide serial No. ARIV/37-FE/2310/83-84 dated 13-4-1984

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date: 10-12-1984

Scal .

(1) M/s. Gayatri Impex Pvt. Ltd.,

(Transferor)

(2) Shri Francis Fernandes

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No. AR-IV/37-EF/1691/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD,

A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Jucome-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hersinafter referred to as the said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding &s. 25.000|- and bearing

Survey No. 132. Hissa No. 3. Village Eksar. Taluka Borivil. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act. 1961, in the office of the Competent Authority at Bombay on 13-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Ast, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other easets which have not been or which ought to be disclosed by the transferos for the nurposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Survey No. 132, Hissa No. 3, Village Effsar, Taluka Borivii.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1691/83-84 dated 13-4-1984

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

Date: 12-12-1984

Soul :

(1) M/s. R.K. Enterprises

(Transferor)

(2) M/s Pragati Construction Corpn.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/37-EE/1794/83-84.—Whereas, I. A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 2693 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Village Eksar Taluka Borivli Survey No. 132, Hissa No. 5-A(Part), C.T.S No. 874(Part), Borivli. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is tegistered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority

at Bombay on 21-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer: and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following porsons. namely:-

120-426GI/84

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person intersted in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Survey No. 132, Hissa No. 5-A(Part) C.T.S. No. 874(Part) Village Eksar, Taluka, Borivli.

The agreement has been registered with the Competent Authority. Bornbay vide serial No. ARIV/37-EE/1794/83-84 dated 21-4-1984.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV. Bombay

Date: 10-12-1984

FORM I.T.N.S .-

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPETING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/-G/49/83-84,--Whereas, 1, A. PRASAD,

being the competent authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believing that the immovable property, having a fair value exceeding Rs. 25,000]- and bearing

No. Land bearing

No. Land bearing

No. Land bearing Survey Nos. 8 to 13 (C.T.S. No. 1 to
6 and P 1 to 46) & Plot No. 21, 19, 44' Wide D.P. Road.

Village Megathane, Borivali (West) Bombay

situated at Borivali (E)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bombay,

at Bombay on 9-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therfor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transferor, andior
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

(1) Shii Ram Nagar Trust No.1 1, Shri Chand Parmanand Hinduja & 2. Naraindas Kanayalal Hinduja, The

(Transferor)

(2) M/s. B P.T. Vijay Deep Co-op. Housing Society J td.

(Transferce)

13) M/s. Elel Hotels &

Investments Ltd. & 2. M/s. Hinduja, Brothers Trust.

(Person in occupation of property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Schedule as mentioned in the Registered Deed No. 234/78 and Registered with the Sub-Registrar, Bombay on 9-4-1984.

> A. PRASAD Competent Authority
> Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
> Acquisition Range-IV, Bombaye

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said of, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to following persons, namely :---

Date: 10-12-1984

FORM 1.T.N.S.-

(1), M/s. S.R. Construction Co.

(2) M/s. C. J. Pinto

(Transferor)

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMP TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1451/83-84, Whereas, I. A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000]and bearing

Flat No. 104, Ist floor, Sai Heaven, Gamdevi Rd., Off S.V.

Road, Poisar, Kandivli (W), Bombay-67, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered Section, 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority at Bombay on 12-4-1984

fer an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent convideration and that the consideration for such transfer agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; no\bza
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which sught to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION: The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same menning as given at that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 104, 1st floor "Sai Heaven, Gamdevi Road, Off S. V. Road, Poisar, Kandryli (W), Bombay-67.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1451/ 83-84 dated 12-4-1984.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV, Bombay

Date: 10-12-1984

Scal :

(2) Smt. Savitri Haribansh Gupta

(Transferor)

(2) Sint. Savith Hatibansii

(1) M/s. Kamla Developments

may be made in writing to the undersigned :-

whichever period expires later;

(Trans(cree)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME.
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(3) Transferce

(Person in occupation of property)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Rel. No. AR IV/37-EE/1192/83-84—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (bereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the im movable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing

Flat No. 111, Ramdeo Park, Chandavarkar Lane, Borryli (West), Bombay-92.

situated at Borivli (W)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 in the office of the Competent Authority

at Bombay on 3-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen persent or such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and, or
- (b) facilitating the concealment of any in or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 '11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tay Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquistion of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(a) by any of the aforesaid persons with in a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons,

Objections, if any, to the acquisition of the said property

(b) by any other person interested in the said immovable property within forty five days from the date of publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHFDULE

Flat No. 111, Ramdeo Park, Chandavarkar Lane, Borivli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-FE/1192/83-84 dated 3-4-1984.

A PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Rauge-IV, Bombay

Date 10-12-1984

The second of th

FORM ITNS-

(1) M/s. Sohanlal & Sons

(Transferor)

(2) Mr. Anil Ganpat Bhawe & Mr. Vijay Ganpat Bhawe

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No AR-IV/37-EE/2046/83-84 --- Whereas, I, A. PRASAD,

A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25.000/- and bearing Flat No. B/208, 2nd floor, in Krishna Kamal Apartments, Govind Nagar, Sodawala Road, Borivli (West), Bombay-92, situated at Borivli (W) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under

has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority

at Bombay on 19-4-1984

at Bollibay on 19-4-1984 for an apparent consideration which is Jess than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which nave not been or which ought to be disclosed by trasferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance or Section *69C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

(b) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned: --

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. B/208, 2nd floor in Krishna Kamal Apartments, Govind Nagar, Sodawala Road, Borivli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/2046/83-84 dated 19-4-1984.

A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV, Bombay

Date: 10-12-1984

(1) M/s. Sohanlai & Sons

(Transferor)

(•

(2) Mrs. Kalpana Ashok Naidu.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF-1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No AR-IV/37-EE/2047/83-84.—Whereas, 1. A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinaster referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|-and beating

Flat No. B/108, Ist floor in Krishna Kumal Apartments, Govind Nagar, Sodawala Roaad, Borivli (West), Bombay-92, situated at Borivli (West).

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority

at Bombay on 19-4-1084

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than lifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and|or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferree for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this name under reference (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Hat No B/108, Ist floor in Krishna Kamal Apartments, Govind Nagar, Sodawala Road, Borivli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide scrial No. ARIV/37-EE/2047/83-84 dated 19-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date: 10-12-1984

FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/37-EE/1462/83-84.--Whereas, J. A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) (hercinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-

Flat No. B/A, Ground floor in B-Wing, 'Alak-Nanda' Blgd., Village Fksar, S. No. 48 & 49. Off L. T. Road, Borivili (West), Bombay-92.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269 AB of the Income-tax Act 1961, in the office of the Competent Authority

at Bombay on 12-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:-

(1) M/s. Mohan Constructions

(Transferor)

(2) Mr. Fernando M.A. Menezes

(Transferce)

(3) Transferoi

(Person in occupation of property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Hat No. B/A, Ground floor in B Wing, 'Alak-Nanda' Bidg., Village Eksat S. No. 48 & 49 Off L.1. Road, Borivli (West), Bombay-92,

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1462/83-84 dated 12-4-1984.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV, Bombay

Date: 10-12-1584

Scal:

FORM LT.N.S. --

(1) M/s. Param Anand Builders Pvt, Ltd.

(Transferor)

(2) M/s. Yashodaben Vitthalbhai Patel & Hiralaxmiben Chhotubhai Shah

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/37-EE/1134/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD,

A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 24, Ground floor of Wing A-7, Rattan Nagar Scheme, Borivali (East), Bombay-66, situated at Borivali (East). (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under

has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority

at Bombay on 23-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the flability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transferor, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice to the Official Gazette.

EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein at are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given is that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 24, Ground floor of Wing A-7, Rattan Nagar Scheme, Borivali (Fast), Bombay-66.

The agreement has been a gestered with the Competent Authority Parks

Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1134/83-84 dated 23-4-1984.

A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV, Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

Date: 10-12-1984

Scal :

(1) M/s. Mohan Constructions

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Mr. Mansukhlal Girdharlal Joshi

(Transferee)

(3) Transferor

(Person in occupation of property)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/37-EE/1459/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|-and bearing

Flat No. B/102, 'Alak-Nanda' Bldg., Near Bhandarkar Hospital, Off L.T. Road, Village Eksar, Taluka Borıvli, S. No. 48 & 49, Borvli (West), Bombay-92. situated at Borivli (W)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority

oa Bombay on 12-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tar Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—
121—426GI/84

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gaeztte.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 2aid Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. B/102, 'Alak-Nanda' Bldg., Near Bhandarkar Hospital Off L.T. Road, Village Eksar, 8aluka Borivli, S. No. 48 & 49, Borivli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1459/83-84 dated 12-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date: 10-12-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(1) M/s. Mohan Constructions.

(Transferor)

(2) Shri Sudhir Raghunath Salvi.

(Transferce)

(3) Transferor.

(Person in occupation of property)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1461/83-84.—Whereas I, A. PRASAD.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value

exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Flat No. 204, 2nd floor, in 'B' Wing, 'Alaknanda' Bldg., Village Eksar, S. No. 48 & 49, Taluka Borivli (West), Off. L. T. Road situated at Borivli (West), Bombay-92

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 12-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evalen of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other sasets which have not been or which ought to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 204, 2nd floor in 'B' Wing, 'Alak-Nanda' Bldg., Village Eksar, S. No. 48 & 49, Taluka Borivli, Off. L. T. Road, Borivli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1461/83-84 dt. 12-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

Date: 10-12-1984

Scal:

FORM ITNS----

- (1) M/s. Mohan Constructions.
- (Transferor)
- (2) Shri Vasudco Natayan Tankkar.
- (Transferee)

(3) Transferor.

(Person in occupation of property)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1466/83-84,---Whereas I,

Ref. No. ARIV/37-EE/1466/83-84.....Whereas I,
A. PRASAD,
being the Competent Authority under Section 269B of the
income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the
immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000|- and bearing No.
Flat No. B-103, 1st floor in 'B' Wing, 'Alak Nanda' Bldg.,
Village Eksar, S. No. 48 & 49, Taluka Borivli, Off. L. T.
Road, Borivli (W), Bombay situated at Borivli (West),
Rombays-92

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 12-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:— Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used nerein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and or

Flat No. B-103, 1st floor m 'B' Wing, 'Alak-Nanda' Bldg., Village Eksar, Survey No. 48 & 49, Taluka Borivli, Off. L. T. Road, Borivli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1466/83-84 dt. 12-4-1984.

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV, Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesald property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:-

Date: 10-12-1984

(1) M/s, Kamla Developments.

(2) Shrimati Bhawna K. Mehta & Shri Rohit J. Vora.

may be made in writing to the undersigned :-

(Transferce)

(3) Transferces.

(Person in occupation of property)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/2077/83-84.---Whereas I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding in the income in the immovable property having a fair market value exceeding in the income in the inc

Rs. 25,000/- and bearing
Flat No. 411, Ramdeo Park, Chandavarkar Lane, Borivil (West), Bombay-92 situated at Borivii (W)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 27-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the foresaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons. namely:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the dute of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

Objections, if any, to the acquisition of the said property

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 411, Ramdeo Fark, Chandavarkar Lane, Borrvli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No AR-IV/37-EE/2077/83-84 dt. 27-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date: 10-12-1984

- (1) M/s. Kamla Developments
- (Transferor)
- (2) Shri Deepak Ravishankar Jani,

(Transferce)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(3) Transferce.

(Person in occupation of property).

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/2076/83-84.--Whereas I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs, 25,000/- and bearing No. Flat No. 611, Ramdco Park, Chandavarkar Rond, (West), Bombay-92 situated at Borivli (W)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of

the Competent Authority,
Bombay on 27-4-1984
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration thanker by more than fifteen per cent of such apparent therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; und/or

(b) facilitating the concealment of any income or any , loneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Flat No. 611, Ramdeo Park, Chandavarkar Road, Borivli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-FE/2076/83-84 dt. 27-4-1984.

> A, PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissoiner of Income-tax Acquisition Range-IV, Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Date: 10-12-1984

FORM ITN9-

(1) M/s. Vijay Nagar Corporation.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1713/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Flat No. B/602, Bldg. E 20, Yogi Nagar, Eksar Road, Borivali (West), Bombay-92 situated at Borivali (West)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 16-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating hie reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1937);

(2) Mrs. Harshada R. Vasani & Mrs. Kashibai N. Vasani.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. B/602, Bldg. No. E 20, Yogi Nagar, Eksar Road, Borivali (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1713/83-84 dt. 16-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the Act, to the following persons, namely:—

Date: 10-12-1984

- M/s. Vijay Nagar Corporation.
- (Transferor)
- (2) Mr. Bharat Jatashanker Vyas & Mr. Jatashankar M. Vyas.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARTV/37-EE/4300/83-84.--Wherena I,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinatter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000]- and bearing Flat No. B/601, Bldg. No. E-20, Yogi Nagar, Eksar Road, Borivali (West), Bombay-92 situated at Borivali (W) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under

has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 7-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object de:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of publi-cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer:

Flat No. B/601, Bldg. No. E-20, Yogi Nagar, Ekasar Road, Borivali (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/4300/83-84 dt. 7-4-1984.

(b) facilitating the concealment of any income or any ruoneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

A, PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-IV, Bombay

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesuld property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :--

Date: 10-12-1984

FORM ITNS----

(1) M/s. S. A. Contractor & Co.

(Transferor)

(2) Shri Vithal Hardas Nakrani.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(3) Transferor.

(Person in occupation of property)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1645/83-84,-Whereas I,

A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable the said Act') have reason to believe that the immovable to the said Act') have reason to believe that the immovable to the said Act') have reason to believe that the immovable to the said Act') have reason to believe that the immovable to the said Act') have reason to believe that the immovable to the said Act') have reason to believe that the immovable to the said Act') have reason to believe that the immovable to the said Act') have reason to believe that the immovable to the said Act') have reason to believe that the immovable to the said Act') have reason to believe that the immovable to the said Act') have reason to believe that the immovable to the said Act') have reason to believe that the immovable to the said Act') have reason to believe that the immovable to the said Act') have reason to believe that the immovable to the said Act') have reason to believe that the immovable to the said Act') have reason to believe that the immovable to the said Act') have reason to believe that the immovable to the said Act') have reason to believe that the immovable to the said Act') have reason to believe that the said Act') have reason to be said to the said Act' in the said Act' property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

Shop No. 10, Ground floor of Samarpan 'B' Bldg., at Daulat Nagar, Road No. 3, Borivili (East), Bombay situated at Borivili (E)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority,

Bombay on 16-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforeasid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such opparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:-

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned: -

- of any or the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later: (a) by any of the aforesaid persons within a
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion or the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Shop No. 10, Ground floor of Samarpan 'B' Bldg, at Daulaat Nagar, Road No. 3, Borivili (East), Bombay.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1645/83-84 dt, 16-4-1984.

A. PRASAD Competent Authority Inspecting Asstt. Commissioner of Incometax.

Acquisition Range-IV, Bombay

Now, therefore, in pusuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Secvition 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

Date: 10-12-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1941)

GOVERNMENT OF INDIA OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1082/83-84.—Whereas I, A. PRASAD.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Shop No 3, Anand-B Building, Carter Road No. 4, Borivli (East), Bombay-66 s tuated at Borivli (E)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 1-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforceald property and I have tenson to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than lifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act;*1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subjection (1) of Section 269D of the said Act, to the following ersons, namely 22—426GI/84

(1) M/s. Tanna Enterprise.

(Transferor)

(2) Shri Maneklal Premchand Shah & Smt. Jaswantiben M. Shah.

(Transferee)

(4) Transferor.

(Person whom the undersigned knows to be interested in property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 3, Anand-B Building, Carter Road No. 4, Birivli (East), Bombay-66.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1082/83-84 dt. 1-4-1984.

A, PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date: 10-12-1984

Soul :

(1) M/s. Sky-Build Pvt. Ltd.

(Transferor)

(Transferee)

(2) Mrs. Niranjanaben Vasantrai Doshi.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/4267/83-84.--Whereas I. A. PRASAD.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Flat No. 1304, 'Kasturbaug', Plot No. 24, B/1, T.P.S.I., Borivli (West), Bombay-92 situated at Borivli (W)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 12-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than afteen per cent of such apparent consideration and that the the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of ransfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the Hability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the storesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this ntice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used here as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1304, 'Kasturbaug', Plot No. 24, B/1, T.P.S.I., Borivli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/4267/83-84 dt. 12-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date: 10-12-1984

(1) M/s. Sky-Build Pvt. Ltd.

(Transferor)

(2) Mr. Chimanial N. Shah & Others.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/2043/83-84.--Whereas I, A. PRASAD.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000 and bearing Flat No. 202, "Kasturbaug", Plot No. 24, B/1, T.P.S.I., Borivli (West), Bombay-92 situated at Borivli (W)

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority,

Bombay on 26-4-1984 for an apparent consideration

which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesald persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the sald immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used hereing as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as gives in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 202, "Kasturbaug", Plot No. 24, B/1, T.P.S.I., Borivli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/2043/83-84 dt. 26-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 10-12-1984

Scal:

(1) Mr. Nemchand Motilal Porwal.

(Transferor)

(2) Mr. Prasulchandra Mansukhlal Shah.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMB TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1849/83-84.—Whereas 1, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to see the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No.

and bearing No. Flat No. 302, 'Girnar' Apartments, 3rd floor, Off. Mandpeshwar Road, Borivli (West), Bombay-92 situated at Borivli

(West)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority,

Bombay on 21-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned ;---
 - (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
 - (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Flat No. 362, 'Girnar' Apartments, 3rd floor, Off. Mandpeshwar Road, Borivli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1849/83-84 dt. 21-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 10-12-1984

FORM ITNS (1) Smt.

(1) Smt. Bhanuben Paresh Shah,

(Transferor)

(2) 1. Smt. Lata Arvind Shah &2. Shri Kishor Babulal Shah.

(Transferce)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT. 1961 (43 OF 1961)

(3) Transferces & their Families.
(Person in occupation of the property)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV,

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV|37-EE|4268|83-84.--Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the Immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

movable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 10. Bldg E, 3rd floor of Bovivli Madhav Eaug Co-op. Hsg. Society Ltd., Jambli Galli, S. V. Road, Berivli (West), Bombay-92 situated at Borivli (W)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 12-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aircresaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with object of —

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under that said Act. in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Flat No. 10, Bldg. E, 3rd floor of Borivii Madhav Baug Co-operative Hsg Socty. Ltd., Jambli Gall, S. V. Road, (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV|37-EE|4268|83-84, dt. 12-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

Date: 10-12-1984.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(1) Shri Mahendrakumar S. Khandelwal.

(2) Shri Kishorekumar Veerchand Shah & Shri Mukeshkumar Veerchand Shah.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SNONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV|37-EE|4270|83-84.—Whereas, I. A. PRASAD.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25.000/- and hearing

Rs. 25,000/- and bearing
No. Flat No. 501, 5th floor, 'Jayesh Apartments', Chandawarkar Road, Borivli (West), Bombay-92 situated at Borivli

(W)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transfer ed and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority,

Bombay on 27-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of 1—

- (b) facilitating the concealment of any income or any of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires late;
- (b) by any other person interested in the said immorable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gezette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 501, 5th floor, 'Jayesh Apartment', Chandawarkar Road, Borivli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority. Bombay vide serial No. ARIV|37-EE|4270|83-84, dt. 27-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-IV
Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 10-12-1984.

FORM I.T.N.S.

(1) Smt. Kavita Amarlal Makhija.

(Transferor)

(2) M|s. Yogi Nagar Society Stores.

(Transferce)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-IV. **BOMBAY**

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV|37-EE|1375|83-84.-Whereas, I,

A. PRASAD being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable

property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Shop No. 6, Building No. D-27, Ground floor, Yogi Nagar, Eksar Road, Borivli (West), Bombay-92 situated at Borivli (W)

(and more fully described in the scheme annexed hereto)

has been transferred

and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Autho-

Bombay on 12-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the sald instrument of transfer with the object of :-

- (a) faciltating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer,
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the mid Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 6, Building No. D-27, Ground floor, Yogi Nagar, Eksra Road, Borivli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority. Bombay vide serial No. ARIV|37-EE|1375|83-84, dt. 12-4-1984

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV Bombay

Date: 10-12-1984.

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(1) Shri Usmanbhai Ismailbhai Mavadia.

(Transferor)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-JV,
BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV|37-EE|4257|83-84.—Whereas, I. A. PRASAD

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000]- and bearing

No. Shop No. 4, Building No. D|28, Yogi Nagar, Eksar Road, Borivli (West), Bombay-92 situated at Bo ivli (W) (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred

and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority.

Bombay on 7-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(2) Shri Jashubhai Ranchodbhai Patel.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULB

Shop No. 4, Building No. D|28, Yogi Nagar, Eksar Road, Borivli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority. Bombay vide serial No. ARIV|37-EE|4257|83-84, dt. 7-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 26% of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 10-12-1984.

Scal:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(1) Shri Badrudin Sheikh Mistry.

(Transferor)

(2) Smt. Seema Ashok Shah.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV|37-EE|1343|83-84.—Whereas, I, A. PRASAD

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. Flat No. A104, 1st floor, Bldg. Poppy Co-op. Hsg. Society Itd., Ram Nagar, S. V. Road, Borivli (West), Bombay-92 situated at Borivli (West) (and more fully described in the Schedule annexed hereto),

has been transferred

and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Autho-

Bombay on 7-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:— Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette:—

Explanation: -- The terms and expressions The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; andlor

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957); Flat No. A 104, 1st floor, Bldg Poppy Co-op. Hag, Society Ltd., Ram Nagar, S. V. Road, Borivli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority. Bombay vide serial No. ARIV|37-EE|1343|83-84, dt. 7-4-1984.

A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV Bombay

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by this issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :-

Date: 10-12-1984.

123-426GI/84

Shri Ramlal Mathuradas &
 Smt. Chanandevi Ramlal.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

Shri Rajendra Ramniklal Shah &
 Smt. Saroj Bharat Shah.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECIING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV|37-EE|1200|83-84.—Whereas, I, A. PRASAD

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25.000/- and bearing

Rs. 25,000/- and bearing
No. Flat No. 211, 2nd floor, Sita Park, S. V. P. Road, Borivli (West), Bombay-92 situated at Borivli (W)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority.

Bombay on 5-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(3) Transferors.

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immerable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Flat No. 211, 2nd floor, Sita Parrk, S. V. P. Road, Borivli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1200/83-84. dt. 5-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Date: 10-12-1984.

Scal:

(1) Mr. Naresh Nanubhai Lakdawala & Mrs. Asha Naresh Lakdawala. (Transferor)

(I rank

(2) Mrs. Pratibha Bharatbhai Kothari & Mrs. Smita

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV|37-EE|1612|83-84.—Whereas, I, A. PRASAD

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|-and bearing

No. Flat No. A[8, Ganga Jamuna Co-op. Hsg. Society, L. T. Road, Borivli (West), Bombay-92 situated at Borivli (W) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been trasferred

and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act. 1961, in the office of the Competent Authority,

Bombay on 16-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957); (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

Harshadbhai Kothari.

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. A|8, Ganga Jamuna Co-op. Hsg. Society, L. T.
Road, Borivli (West), Bombay-92.
The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV|37-EE|1612|83-84, dt. 16-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following

Date: 10-12-1984.

(1) Ms. Jay Raj Builders.

(Transferor)

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-IV, **BOMBAY**

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV|37-EE|1316|83-84.-Whereas, I,

A. PRASAD

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 16, 6th floor in "Jay-Shree Apartments", at

Jay-Raj Nagar, Vazira Naka, Borivili (West), Bombay-92

situated at Borivii (W)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority.

Bombay on 7-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

(2) Shri Maurice D'souza Jt. Angeline D'souza.

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

ia) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the trans

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Flat No. 16, 6th floor in "Jay-Shree" Apartments, at Jay-Raj Nagar, Vazira Naka, Borivli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV 37-EE 1316 83-84, dt. 7-4-1984.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 2690 of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the ssue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

Date: 10-12-1984.

(1) M|s. B. R. Enterprises.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Mrs. Baby V. Kotian.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV|37-EE|2044|83-84.--Whereas, I. A. PRASAD

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. Shop No. 4, Ground floor, Silverine Apartments, I.C. Colony, Road, Borivli (West), Bombay-103 situated at Borivli (W)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been to askered and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Autho-

Bornbay on 26-4-1984

for an arranger in Criation which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which-.ver period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, and shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 4, Ground floor, Silverine Apartments, I. C. Colony Road, Borivli (W), Bombay-103.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV|37-EE|2044|83-84 dt. 28-4-1984.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range IV Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 10-12-1984.

FORM TINE-

(1) Ms. Arun International.

(Transferor)

- (2) Mr. Herman Alexander & Mr. Jude Alexander. (Transferee)
- (3) Sellers.

(Person in occupation of property)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV|37-EE|1061|83-84.-Whereas. I. A. PRASAD

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|and bearing

No. Flat No. E|20, 4th floor, Saibaba Dham, off S. V. Road, Borivli (West), Bombay-92 situated at Borivli (W) (and more fully described in the Schedule annexed hereto),

has been transferred

and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, at

Bombay on 2-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. E|20, 4th floor, Saibaba Dham, Off S. V. Road, Borivli (W), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV|37-EE|1061|83-84, dt. 2-4-1984.

A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV Bombay

Date: 10-12-1984,

Nok, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the followr:---

(1) M/s. Gautam Builders (India)

(Transferor)

(2) Mrs. Celine Nicholas Pinto & Mr. Wilfred Taur.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1510/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to see the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-

and bearing No.
Flat No. 201, 2nd floor, Bldg. 'Vishal-I', S.V. Road, Borivli (West), Bombay-92 situated at Borivli (W)

(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred

and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, at

Bombay on 12-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe hat the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any intome arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publi-cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 201, 2nd floor, Bldg. 'Vishal-I', S. V. Road, Borivii (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1510/83-84 dt. 12-4-84.

A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV, Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

Date: 10-12-1984

Soul :

(1) M/s. Deepak Constructions

(Transferor)

NUTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Prabhakar Ramchandra Khandekar (Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1571/83-84,—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

and bearing Flat No. 42, Prembhanu Apartment, I.C. Colony Cross Road No. 4, I.C. Colony, Borivli (West), Bombay-103 situated at Borivli (W) (and more fully described in the Schedule annexed hereto),

has been transferred

and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Autho-

Bombay on 12-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such appearent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said. Ast, in respect of any income arising from the transfer,
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable aproperty, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 42, Prembhanu Apartment, I.C. Colony Cross Road, No. 4, I.C. Colony, Borivli (West), Bombay-103.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1571/83-84 dt. 12-4-84.

A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV, Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aferesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

Date: 10-12-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1479/83-84.—Whereas, I. A. PRASAD.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs.

25,000/- and bearing
Flat No. B-31, 2nd floor, "Lucky Star Apartment", Bldg. No.
2, S. No. 99, Hissa No. 3, CTS. Nos. 1509 & 1512, Near
Shanti Ashram, Eksar, Borivli (W), Bombay-103 situated at
Borivli (West)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)

has been transferred

and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority at Bombay on 12-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-124-426GI/84

(1) M/s. M. J. Ganatra & Co.

(Transferor)

(2) Shri Kishanchand Gokaldas Bhatia

(Transferce)

(3) N/I

(Person in occupation of the property)

(4) Transferor

(Person whom the undersigned knows to be

interested in property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. B-31, 2nd floor, "Lucky Star Apartment" Building No. 2, S. No. 99, Hissa No. 3, CTS Nos. 1509 & 1512, Near Shanti Ashram, Eksar, Borivli (West), Bombay-103.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1479/83-84 dt. 12-4-84.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax Acquisition Range-IV, Bombay

Date: 10-12-1984

FORM LT.N.S.---

(1) M/s. Yasmin Associates

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

(2)) Mr. Neduvelil Cheriyan Nicholas

(Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

(3) Transferor

(Person in occupation of the property)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/2032/83-84.--Whereas, I.

A. PRASAD.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immov-

Rs. 25,000 /- and bearing
Flat No B/001, Ground floor, Bldg. No. 16, Eskay Apts,
Saibaba Nagar, Borivli (West), Bombay-92 situated at
Borivli (W)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961 in the office of the Competent Authority at Bombay on 26-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

Obections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publi-cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer;
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Flat No. B/001, Ground floor, Bldg. No. 16, Eskay Apts,

Saibaba Nagar, Borivli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/2032/83-84 dt. 26-4-1984.

A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV, Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate Proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under subsection (*) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

Date: 10-12-1984

FORM PINS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1233/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 401, 4th floor, Shyamkrupa No. 1 Bldg., Eksar Village Road, Borivli (West), Bombay-92 situated at Borivli (W)

(and more fully, described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred

and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority at Bombay on 6-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer;
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

(1) M/s. Vijay Co.

(Transferor)

(2) Shri Samir Harishchandra Mali

(Transferee)

(Person in occupation of the property)

(4) Transferor

(Person whom the undersigned knows to be interested in property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 401, 4th floor, Shyamkı upa No. 1 Bldg, Eksar Village Road, Borivlı (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No ARIV 37-EE/1233/83-84 dt. 6-4-1984.

A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV, Bombay

Date · 10-12-1984

(1) M/s. Trimurty Constructions

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Nandakumar D. Lad

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1191/83-84.—Whereas 1, A. PRASAD.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Flat No. 209, 2nd floor Rohan Apartment, Naya Gaon Plot No. 5, Mandapeshwar Road, Borivli, Bombay-92 (and more fully described in the Schedule annexed hereto).

has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Autho-

at Bombay on 3-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfers and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 209, 2nd floor, Rohan Apartment, Naya gaon Plot No. 5, Mandapeshwar Rd, Borivli, Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1191[83-84 dt. 3-4-84.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date: 10-12-1984

(1) M/s. Trimurthi Construction

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Mr. Ignatius Joseph

(Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1033|83-84,-Whereas I, A.

being the Competent Authority under Section 269B of the the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immov-

Rs. 25,000|- and bearing
Flat No. 207, 2nd floor, Revenue village, S. No. 8, pt. 5,
S. No. 3, H. No. 1 Pt and S. No. 3, H. No. 3 Pt. Mandpeshwar Taluka, Borivli.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto)

has been transferred

and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority.

at Bombay on 1-4-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act; 1957 (27 of 1957);

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 207, 2nd floor, Revenue Village, S. No. 8, Part 5. S. No. 3, H. No. 1 pt & survey No. 3, Hissa No. 3 pt. Mandapeshwar, Taluka, Borivli.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1033[83-84 dt. 1-4-84.

A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex Acquisition Range-IV, Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subtion (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

Date: 10-12-1984

(1) M/s, Trimurthi Construction

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) (2) Mr. Dushyan B. Mahale & Mrs. U. D. Mahale. (Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV./37-EE, 1031/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe

that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Flat No. 106, 1st floor, Revenue village, Plot bearing S. No. 8, Part, 5, S. No. 3, H. No. 1 Pt. and S. No. 3 (pt.), Mandapeshwar Taluk, Borivli

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, at Bombay on 1-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 106, 1st floor, Revenue Village, S. No. 8, pt. 5, S. No. 3, H. No. 1, Mandapeshwar Taluka, Borivli.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombuy vide strial No. ARIV 37-EE/1031/83-84 dt. 1-4-84.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-IV, Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 10-12-1984

(1) M/s. Trimuthi Construction

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Smt. Hazal D'sa.

(Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX. ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1034/83-84.—Whereas I, A. PRASAD

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing
No. flat No. 307, 3rd floor, Revenue Village S. No. 8, pt. 5,
S. No. 3, H. No. 1 pt. and S. No. 3 H. No. 3, Mandapeshwar Taluka, Borivli,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto),

has been transferred

and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, at Bombay on 1-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and|or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-

section (1) of Section 269D of the said Act, to the

following persons, namely :---

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 307, 3rd floor, plot bearing S. No. 8, part 5, S. No. 3, H. No. 1, Pt. and S. No. 3, H. No. 3, Mandpeshwar Taluka, Borivli...

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1034/83-84 dt. 1-4-1984.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV, Bombay

Date: 10-12-1984

FORM I.T.N.S .-

(1) M/s. Trimuthi Construction

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

(2) Mr. Melville D'sa

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1032/83-84.—Whereas, I, A. PRASTD

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Flat No. 306 on 3rd floor at Revenue Village Mandpeshwar Taluka. Borivli, plot bearing survey No. 8, part 5, situated at Borivli

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred

and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority.

Bombay on 1-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the aparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Sectio 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said

Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 306, 3rd floor, at Revenue Village, Survey No. 8, Part 5, Survey No. 3, Hissa No. 1 Part & S. No. 3, H. No. 3 (Port), Mandreshwar Taluka, Borivli.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1032/83-84 dt. 1-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date: 10-12-1984

Seal ;

(1) Mr. A. P. Nadkarni

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

(2) Dr. J. M. Phadtare

(Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1076/83-84.—Whereas I, A. PRASAD

being the Competent Authority under Section 269B of the Income tair Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|-and bearing

No. Flat No. 3, 2nd floor, of B-Block, "Sunil", F, Plot No. 653, T.P.S. 3, Borivali, Shimpoli Road, Borivli (West), Bombay-92.

(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred

and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 2-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the suid Act shall have the same meaning as given in that Chapter

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Flat No. B/3, 2nd floor, "Sunil" F, Plot No. 653, T.P.S. 3 Borivali, Shimpoli Road, Borivali (West), Bombay-92.

THE SCHEDULB

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1076/83-84 dt. 2-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assit. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Seal :

Date: 10-12-1984

125-426GI/84

(1) M/s. Mangal Builders

(Transferor)

(2) Shri S. T. Murkar & Anr.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1932/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|and bearing

No. Village Eksar, Taluka Borivli, Bearing Survey No. 225, Hissa No. 5Λ, Bearing City Survey No. 2213.

situated at Borivali

(and more fully described in the Schedule annexed hereto)

has been transferred

and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Autho-

Bombay on 23-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transfere for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(3) Nil. (Person in occupation of property)

(4) Shri Yashi Kamruddin Khan (Person whom the undersigned knows to be interested in property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Village Eksar, Taluka Borivli, Survey No. 225, Hissa No. 5A, Bearing City Survey No. 2213.

The agreement has been registered with the Competent

Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1932/83-84 dt. 23-4-1984.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV, Bombay

New, therefore, in pursuance of Section 269°C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269°D of the said Act, to the following persons, namely :-

Date: 10-12-1984

Saal :

(1) M/s. Raghuvanshi Developers

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1236/83-84.—Whereas, I, A.

PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable that the immovable state of the market value exceeding Rs. 25,000 property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|and bearing No.
Flat No. 204, 2nd floor, Ma Krupa, Rughani Park,

Shimpoli Road, Borryii, Bombay 12

situated at Borivli

(and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred

and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Autho-

Bombay on 6-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following nersons, namely :--

(2) Miss Pratibha N. Bhagat, Dushyant N. Bhagat, Miss Kalpana N. Bhagat, and Mrs. Usha N. Bhagat. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 204, 2nd floor, Ma Krupa Park, Shimpoli Road,

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1236/83-84 dt, 6-4-1984.

A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV, Bombay

Date: 10-12-1984

(1) M/s. Build Quick

(Transferor)

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1670/83-84.--Whereas I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing

No. Block No. 33, Mohar Apartment, Plot bearing CTS No. 71 & 221. Penkar Wad; L.T. Road, Botivali (West) Bombay-92. situated at Borivali (W)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred

and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Autho-

Bombay on 1-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reaseon to pelieve that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :----

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned-

(2) Miss V. L. Joshi and Miss S. L. Joshi

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION: - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Block No. 33, Mohar Apartment, Plot Bearing CTS No. 71 & 221, Penkar Wadi, L.T. Road, Borivali (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authrity, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1670/83-84 dt. 1-4-1984.

A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV, Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following lowing persons, namely :-

Date: 10-12-1984

(1) M/s. Build Quick

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1771/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing
No. Block No. 24, CTS No. 71 & 22, Penkar Wadi, L. T.
Road, Borivli (West), Bombay-92
situated at Borivali (W)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto),

has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority

at Bombay on 19-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly state in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; andlor
- (b) faciliating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Mr. Narayan.

(2) Mr. Deepak Narayan Juvekar &

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any other person interested in the said immov-45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Block No. 24, CTS No. 71 & 221, Penkar Wadi, L.T. Road, Borivali (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/177/83-84 dt. 19-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 10-12-1984

(1) Ma. Sky-Build Pvt. Ltd.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Mrs. Divyaben Virendra Patel & Others. (Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37-EE/1637/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. Flat No. 1206, 'Kasturbaug', Plot No. 24, B/1 T.P.S.I, Borivli (West), Bombay-92.

situated at Borivli (W)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act. 1961, in the office of the Competent Authority.

at Bombay on 16-1-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, merefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1206, 'Kasturbaug', Plot No. 24, B/1 T.P.S.I. Borivli (West), Bombay -92. The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1637/83-84 dt. 16-4-1984.

A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant of Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV, Bombay

Date: 10-12-1984 Seal:

FORM ITNS----

(1) M/s. Sky-Build Pvt. Ltd.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Mrs. Vatsala Ramesh Modi

(Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV. BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

Ref. No. ARIV/37-EE/1318/83-84.--Whereas, I. A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovas the satur Act), having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Flat No. 606, 'Kasturbaug', Plot No. 24, B/1 T.P.S.I,
Borivli (West), Bombay-92
situated at Borivli (W)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)

and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Autho-

rity, at Bombay on 7-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the chieft of the the said instrument of transfer with the object of :--

- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Flat No. 606, 'Kasturbuug', Plot No. 24, B/1 T.P.S.I., Borivli (West), Bombay-92.

The agreemnt has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37-EE/1318/83-84 dt. 7-4-1984.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV, Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesuld property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 10-12-1984

FORM I.T.N.S.-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(1) Sky-Build Pvt. Ltd.

(2) Mrs. Kamalabai Motisa Barad.

(Transferor)

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-IV BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR.IV/37-EE/1317/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

and bearing
Flat No. 502, 'Kasturbaug', Plot No. 24,
B/1 T.P.S.I., Borivli (West), Bombay-92
situated at Borivli (West)

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 7-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) tacilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act. or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 502, 'Kasturbaug', Plot No. 24, B/1 T.P.S.I., Borivli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37-EE/1317/83-84 dt. 7-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforeasid property by the issue for this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 10-12-1984

- (1) Sky-Build Pvt. Ltd.
- (Transferor)

(2) Mr. Vasantbhai Manilal Doshi.

may be made in writing to the undersigned:-

whichever period expires later;

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-IV **BOMBAY**

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-I\ /37-EE /1319 /83-84.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovas the said Act have reason to believe that the minovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. Flat No. 1305, "Kasturbaug", Plot No. 24, B/1 T.P S I., Borivali (West), Bombay-92. situated at Borivali (West)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), here been transferred and the agreement is registered.

has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay in thhe of on 7-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the onsideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-Tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :-

126--426GI/84

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons,

Objections, if any, to the acquisition of the said property

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Mat No. 1305, "Kasturbaug", Plot No. 24, B/1 T.P.S.I., Borivali (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37-EE/1319/83-84 dt. 7-4-1984.

A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV Bombay

Date: 10-12-1984

1

(1) M1. Hamid Ali Abdul Majid.

(Transferer)

(2) Mr. Krishana Kumar Soti.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-JV/37-FF/2052/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) (hereinatier referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, here a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing No.
Flat No. 2, 1st, floor of Jai Girudev Bhavan Eksar Road, Borivali (West), Bombay-92, situated at Borivali (W) (and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961. in the office of the Competent Authority, Bombay on 19-3-1984

on 19-3-1984
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette,

EXPLANATION: — The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 2, 1st floor of Jai Gurudev Bhavan, Eksar Road. Borivuli (West). Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37-EE/3052/83-84 dt. 19-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by theh issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 10-12-1984

(1) M/s. Correa Investments.

(Transferor)

(2) Mr. C. A. Noronha.

(Transferce)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-11/37-11E/4261/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Flat No. 1 & 2, Ground floor, Williamsburg Apartments, Colony, Borivli (West), Bombay-103, situated at Borivli (West)

(and more fully described in the Schodule annexed hereto) has been transferred

con transferred and the agreement is registered section 269AB of the Income-tax Act, 1961, been transferred under office of th cCompetent Authority, Bombay оп 2-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the sforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; int/er
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Weelth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notict under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :--

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chanter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1 & 2, Ground floor, Williamsburg Apartment, I.C. Colony, Borivli (West), Bombay-103.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay 83-84, dt 2-4-1984 vide serial No. AR-IV/37-EE/4261/

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-IV Bombay

Date: 10-12-1984

FORM I.T.N.S.-

(1) M/s. Pragati Corporation,

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMB TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) (2) Mr. Makrand R. Patel.

(Transferee)

(3) Transferor.

(Person in occupation of the property)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writting to the undersigned :—

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/57-EE/1812/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD.

being the Competent Authority under Section 269B of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 605, 6th ficor, Neeldhara Apartment, Devidas Rd., Borivli (West), Bombay-92, situated at Borivli (West) (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under section 269AP of the Income-tax Act, 1961, in thhe office of the Competent Authority, Bombay on, 12-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilating the concealment of any Income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Hat No. 605, 6th froor, Neeldhara Apartment, Devidas Road, Burryli (West), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, 1 ombus, vide serial No. AR-IV/37-EE/1812 83-84 dt 12-4 1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-IV
Bombay

Date: 10-12-1984

FORM I.T.N.S.-

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/37-PE/1716/83-84.—Whereas, I. A. PRASAD.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding,

Rs. 25,000 and bearing

Flat No. 11, 1st floor, "Shortt Dham" Bldg, Plot No. A, bearing C 1.5, No. 1508, Village Tksar at Borivali (West), Bombay-92 situated at Borivali (W)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 16 4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1) M/s. Build Arts.

(Transferce)

(2) Sumatiben Chhaganlal Shah.

(Transferor)

(3) Transferor.

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 11, 1st floor, "Shanti Dham" Building, Plot No. A, Bearing C.J.S. No. 1508, Village Eksar at Borivali (W), Bombay-92.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide scrial No. AR-IV/37-EE/1716/83-84 dt. 16 4-1984.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV Bombay

Date: 10-12-1984

(1) Roshan Enterprises.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Mr Abdul Hanif Babu Waikar.

(Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING
ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-IV
BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

Ref. No ΛR-IV/37 EE/1217/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|-and bearing

Flat No. 401, 4th floor,

E-Wing. Roshan Apartment, 4th Kasturba Road, Plot No. 68, Eorivali (East), Bombay situated at Borivali (East) (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 5-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Fiat No 401, 4th floor, F-Wing, Roshan Apartment, 4th Kasturba Road, Plot No. 68, Borivli (East), Bombay.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No AR-IV/37-EE/1217/83-84 dt 5-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this office notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 10-12-1984

Scal

(1) Roshan Enterprises.

(Transferor)

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX AGT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-IV ROMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/37-EE/1216/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and hearing No.

and bearing No. Flat No. 201, 2nd floor,

F-Wing, Roshan Apartment, 4th Kasturba Road, Plot No. 68, Borivali (East), Bombay situated at Borivali (East) (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement 'is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 5-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer;
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been er which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(2) Shri Mohmed Siddique H. H. Bhaggal and

Shri Mohmmad Yunus H. H. Bhaggal.

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this actios in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 201, 2nd floor, E-Wing, Roshan Apartment, 4th Carter Road, Plot No. 68, Borivli (East), Bombay-66.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37-EE/1216/83-84 dt. 5-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Date: 10-12-1984

(1) M/s Pirami Around Builder Pvt Ltd

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-IV BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref No AR-IV/37 FL/1584/83 84 -- Whereas, I. A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|and bearing Flat No 27, 1st floor,

Bldg No 9, 9, 10 'Ratan Nagar Scheme at Borivali (East),

Bombay 66, situated at Borryli (East),

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961 in the office of the Competent Authority, Bombav on 21-4 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of .--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and for
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

(2) Mr. Satish Tay Singh Ranc & Jayshree J Rame

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned -

- (a) by any of the aforesaid persons within period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service ot persons, whichever notice on the respective period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immevable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No 27 1st floor Bldg No 8 9, 10 'Rattan Nagar Scheme at Bourth (Last), Bombay 66

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay 83 84 dt 21-4-1984 vide serial No AR-JV/37 EE/1584/

> A PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range IV Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

10-12-1984 Date

Scal

FORM ITNE -

(1) M/s. Param Anand Builders Pvt. Ltd.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Smt. Smita Yogesh Upadhyaya.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

HE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX OFFICE OF THE INSPECTING ACQUISITION RANGE-IV BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/37-EE/1059/83-84.--Whereas, I. A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the im-

to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Flat No. 24-B. 3rd floor, Bldg. No. 13 'Ratan Nagar Borivali (East), Bombay-66, situated at Borivli (East), and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in thhe office of the Competent Authority, Bombay on 1-4-1984 on 1-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believed that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more that fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Ao, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferes for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act- or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:-

127---426GI/84

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 24-B, 3rd floor, Bldg. A-13, Rattan Nagar, Borivii (East), Bombay-66. Scheme at Borivii (East), Bombay-66.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37-EE/1059/83-84 dt. 21-4-1984.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV Bombay

Date: 10-12-1984

(1) M/s. Param Anand Builders Pvt. Ltd.

(Transferor)

(2) Mr. Dhirajlal Bhavanki Shah.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECITING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-IV
BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. AR-IV/37-EE/1260/83-84.—Whereas I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred t as the 'said Act'), have reason to bolieve that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

Shop No. 4 Ground floor, Bldg. Rattan Nagar Scheme at Borivli (East), Bombay-66 situated at Borivli (E) (and more fully described in the Schedule annexed hereto)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bomby on 6-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the emisideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion or the Mability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferor for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tay Act, 1957 (27 of 1957); Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: —The terms and expressions used barein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 4, Ground floor, Bld. "Rattan Nagar' Scheme, Borivli (East), Bombay-66.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-IV/37-EE/1260/83-84 dt. 6-4-1984

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Incomotax
Acquisition Range-IV
Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269°C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 10-12-1984

(1) M/s. Param Anand Builders Pvt. Ltd.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Mangla Ben N. Thakkar and Navnitlal N. Thakkar.

(Transferes)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-IV BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ret. No. AR-IV/37-EE/1866/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (heremafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 48, 1st floor in the Bldg.

8, 9, 10 of the 'Rattan Nagar' Scheme at Borivii (East),

Bombay-66, situated at Borivli (East)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961. Act, 1961, in the office of theh Competent Authority, Bombay on 21-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fleen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (b) facilitating the concealment of any income or any of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer;
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Flat No. 48, 1st floor in the Bldg. 8, 9, 10 of 'Rattan Nagar' Scheme at Borivli (East), Bombay-66.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay 83-84 dt. 21-4-1984. vide serial No. AR-IV/37-EE/1866/

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

Date: 10-12-1984

(1) M/s. Param Anand Builders Pvt. Ltd.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Mrs. Malvikaben Himanshu Desai & Hiralaxmi Chhotubhai Shah

(Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV. BOMBAY

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37EE/1935/83-84.--Whereas, I, A. PRASAD,

A. PRAMAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred) to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 4, Ground floor, Bldg. A-7, 'Rattan Nagar' Scheme at Borivii (East), Bombay-66, situated at Borivii(E) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under

has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 23-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act. in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Flut No. 4, Ground floor, Bldg. A-7, 'Rattan Nagar' Scheme at Borivli (E), Bombay-66.

The agreement has been registered with the Competent Authority. Bombay vide serial No. ARIV/37EE/1935/83-84 dt. 23-4-1984,

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV, Bombay

New, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate preceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

Date: 10-12-1984

(1) M & Param Anand Builders Pvt. Ltd.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Mr. Chandrakant J. Sarvaiya & Mr. Milan C. Sarvaiya

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-IV, **BOMBAY**

Bombay, the 10th December 1984

Ref. No. ARIV/37EE/1058/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Shop No. 4, Crourd floor, Bidg. No. A-13, Rattan

Nagar, Bo ivli (East), Bombay-66 situated at Borivli (East)

Bombay-66 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269.4B of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority,

Bombay on 1-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than officers are consideration and that fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and for

(b) facilitating the concealment of any income or moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957); Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 4, Ground floor, Bldg. No. A-13, Rattan Nagar, Borivli (East), Bombay-66.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37EE/1058/83-84 dt. 1-4-1984.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 10-12-1984

(1) Shri Nagindas H. Rupani

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Smt. Priti N. Sutaria

(Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-IV, ROMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No. ARIV/37EE/1863/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing

Flat No. 106, Bldg No. D/24, Yogi Nagar, Eksar Road, Borivli (West), Bombay-92 situated at Borivli (West)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority,

Bombay on 21-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of i—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Ast, in respect of any income arising from the transferor, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

New, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 106, Bldg. No. D/24, Yogi Nagar, Eksar Road, Borivli (West), Bombay-92

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37EE/1863/83-84 dt. 21-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Asset, Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Date: 12-12-1984

Seai

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref No. ARIV/37EE/1771/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No 74, in 'R' Wing, of Building C 2, Mahavir Nagar, Shankar Lane, Kandivli (West), Bombay-67 situated at Kandivli (W)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office the Competent Authority,

Bombay on 19-4-1984

Bombay on 19-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the proprty as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tay under the said Act, in respect of any income arising from the transfer;
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:-

(1) Shri Suresh Navalchand Shah & Kaushika Suresh Shah

(Transferor)

(2) Shri Jayantilal Kanji Dedhia & Smt. Prabhaben Jayantilal Dedhia.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immevable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: — The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 74, in 'R' Wing of Bldg. C 2, Mahavir Nagar, Shankar Lane, Kandivli (West), Bombay-67.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37EE/1771/83-84 dt. 19-4-1984.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV Bombay

Date: 12-12-1984

(1) M/s. Smatram Gopaldas

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Mr. Suresh S. Bachwani & Mr. Kishore S. Bachwani

(Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No. ARIV/37EE/1171/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD,

heing the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'). have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

Unit No. 19 on 1st Floor, 'D' Wing, Bonanza Industrial Estate, Ashok Chakravarty Road, Kandivali (East), Bombay

situated at Kandivali (E)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority,

Bombay on 3-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transfere for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Unit No. 19 on 1st floor 'D' Wing, Bonanza Industrial Estate, Ashok Chakarvarty Road, Kandivali (East), Bombay.

The agreement has been registered with the Competent Authority. Bombay vide serial No. ARIV/37EE/1171/83-84 dt. '3-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 12-12-1984

(1) M/s. Suratram Gopaldas

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Mr. Suresh S. Bachwani & Mr. Kishor S. Bachwani

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY Bombay, the 12th December 1984

Ref. No. ARIV/37EE/1170/83-84.—Whereas I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Unit No. 18 on 1st floor 'D' Wing, Bonanza Industrial Estate, Ashok Chakarvarty Road, Kandivli (East), Bombay situated at Kandivli (E)

situated at Kandivli (E)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 3-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—
128—426GI/84

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expresisons used herein as are dened in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Unit No. 18 on 1st floor 'D' Wing, Bonanza Industrial Estate, Ashok Chakarvarty Road, Kandivali (East), Bombay.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37EE/1170/83-84 dt. 3-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Date: 12-12-1984

(1) Shri Lachmandas G. Manglani

(Transferor)

(2) R. D. Family Trust

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No. ARIV/37EE/1131/83-84.—Whoreas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000 and bearing No.

Unit No. D-2, Ground floor. Bonanza Industrial Estate, Ashok Chakravarty Road, Kandivli (East), Bombay situated

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act. 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 2-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been er which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely 1—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazatta.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given a that Chapter.

THE SCHEDULE

Unit No. D-2, Ground floor, Bonanza Industrial Estate, Ashok Chakravarty Road, Kandivli (E), Bombay.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37EE/1131/83-84 dt. 2-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV,
Bombay

Date: 12-12-1984

(1) Mrs. Bharti R. Jethani

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Mr. Dinkar Soma Malkar, Mr. Deepak Dinkar Malkar & Master Ravindra Dinkar Malkar

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No. ARIV/37EE/1198/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

Unit No. 16, on 1st floor, 'D' Wing, Bonanza Industrial Estate, Ashok Chakravarty Road, Kandivli (East), Bombay. situated at Kandivli (E)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, Bombay on 3-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publi-cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1972) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Unit No. 16 on 1st floor, 'D' Wing, Bonanza Industrial Estate, Ashok Chakravarty Road, Kandivali (East), Bombay.

The agreement has been registered with the Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37EE/1198/83-84 dt. 3-4-1984.

> A. PRASAD Competent Authority
> Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
> Acquisition Range-IV Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

Date: 12-12-1984

(1) M/s. Suratram Gopaldas

(Transferor).

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) M/s. Metareacts

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPETING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME TAX,

> ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No. ARIV/37EE/1448/83-84.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

Unit No. 23 on 2nd floor, 'D' Wing, Bonanza Industrial Estate, Ashok Chakravarty Road, Kandıvli (East), Bombay

situated at Kandivli (E)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tay Act, 1961, in the office of the Competent Authority,

Bombay on 12-4-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or others assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the stid property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov+ able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -- The terms and expressions used herein # are defined in Chapter XXA of the sale Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Unit No. 23 on 2nd floor, 'D' Wing, Bonanza Industrial Estate, Ashok Chakravarty Road, Kandivali (East), Bombay.

The agreement has been registered with the Competent Authority. Bombay vide serial No. ARIV/37EE/1448/83-84 dt. 12-4-1984

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV, Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

Date: 12-12-1984

(1) Mr. Kishinchand Motumal Jeswani

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Kamal Chokshi, HUF.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No. ARIV/37EE/1199/3-4.—Whereas, I, A. PRASAD.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and hearing

able property having a land Rs. 25,000/- and bearing
No. Unit No. 37 on 1st floor, 'D' Wing, Bonanza Industrial
Estate, Ashok Chakravarty Road, Kandivli (East), Bombay situated at Kandivli (E)

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority, at Bombay on 3-4-1984 for an apparent consideration which is

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of .—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—
129—426GI/84

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of
 45 days from the date of publication of this notice
 in the Official Gazette or a period of 30 days from
 the service of notice on the respective persons,
 whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Unit No. 37 on 1st floor, D" Wing, Bonanza Industrial Estate, Ashok Chakravarty Road, Kandivli (East), Bombay.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37EE/1199/83-84 dt. 3-4-1984.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
Bombay

Date: 12-12-1984

FORM I.T.N.S.-

(1) M/s. Suratram Gopaldas.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

(2) M/s. Mech Engineer

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 12th December 1984

Ref. No. ARIV/37EE/1169/3-84—Whereas, I,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing
No. Unit No. 24 on 2nd floor, 'D' Wing, Bonanza Industrial
Estate, Ashok Chakravarty Road, Kandivli (East), Bombay
situated at Kandivli (E)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority,

at Bombay on 3-4-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or Unit No. 24 on 2nd floor, 'D' Wing, Bnoanza Industrial Estate, Ashok Chakravarty Road, Kandivli (East), Bombay.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. ARIV/37EE/1169/83-84 dt. 3-4-1984.

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Incomet-ax
Acquisition Range-IV
Bombay

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 12-12-1984

FORM ITNS .---

 Sri Syam Sunder Chowdary, 14-1-304, Lower Dhoolpet, Hyderabad.

(2) Sri P. Laxminarayana, & Other,

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD A.P.

Hyderabad, the 15th December 1984

RAC No. 851/84-85.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immoveable property having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing No. 5-9-30 situated at Basheerbagh Hyderabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of (908) in the office of the Reristering Officer at Hyderabad on 4/84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property, as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than lifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/er
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said act, or thet Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

H. No. 5-9-30, Basheerbagh, Hyderabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter:—

THE SCHEDULE

House property bearing No. 5-9-30 at Basheerbagh, Hyderabad registered by S.R.O., Hyderabad vide document No. 2225/84.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad.

Date: 15-12-1984

FORM I.T.N.S.---

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD A.P.

Hyderabad, the 15th December 1984

RAC No. 852/84-85.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and oearing

No. Flat s'tuated at Thumala Towers,

Hyderabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chikkadpally on 4/84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fuir market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion or the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilizating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Tirumala Towers, Golconda X Roads, Hyderabad Rep. by Sri S. Chandiniah, 1-1-593/C, Gandhinagar, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Smt. K. A. Suvarna Lakshmi, Flat No. 18, Golconda X Roads, D. No. 1-10-1011, Hyderabad.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of said property may be made in writing to the undersigned:

- (a) by any of the aforesaid person within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat in Tirumala Towers, Golconda X Roads, Hyderabad admeasuring 1100 sft., registered by the S.R.O. Chikkadpally vide document No. 319/84.

M, JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad.

Date: 15-12-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(1) Smt. Sita Bai, W/o Late Ramchandra Paranjape, 1-8-534, Chikkadpally, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Sri T. Krishna Murthy, 4-8-278, Gowliguda, Hyderabad.

(Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, HYDERABAD A.P.

Hyderabad, the 15th December 1984

RAC No. 853/84-85.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 296B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|and

bearing No. House situated at Chikkadpally

Hyderabad (and more fully described in the Scheduled annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on 4/84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believed that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income urising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, of the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

may be made in writing to the undersigned :-

Objections, if any, to the acquisition of the said property

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property admeasuring 731 sq. yds. of land area and 1085 sft., plinth area registered by the S.R.O., Hyderabad vide document No. 2039/84 and 1993/84 and 2022/84.

M. JEGAN MOHAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

Date: 15-12-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTINO ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD A.P.

Hyderabad, the 15th December 1984

RAC No. 354/84-85.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. House situated at Kakinada

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kakinada on 4/84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to behave that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transferandjor
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Smt. P. Seetharamanjaneyamma, W/o Venkateswara Rao, 67-16-4, Kakinada.

(Transferor)

 Smt. S. Indira, D/o Chinnammai, D. No. 67-16-4, Ramanaiahpeta, Lalbahadurnagar, Kakinada.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property bearing D. No. 67-16-4, Kakinada admeasuring 561 sq. yds. of land area and 1033 sft., Madras terrace 170 sft. ACC and 144 sft., Manglore tiles registered by the S.R.O., Kakinada vide document No. 3472/84.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad

Date: 15-12-1984

Seal ;

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD A.P.

Hyderabad, the 15th December 1984

RAC No. 355/84-85.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and

bearing No. House situated at Kakinada (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kakinada on 4/84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) factificating the reduction or avasion of his liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any lacours arising from the transferand/os
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Dr. K. Ramolingeswara Rao, Jayakrishnapuram, D. No. 25-8-7, Rajahmundry. (Transferor)
- (2) Smt. S. Lalitha Manikyam, and other, 28-1-16, Kakinada, E.Q. Dt., (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property bearing D. No. 27-3-16, Vajapeyajulvari Lane, Kakinada registered by the S.R.O. Kakinada vide document No. 2806/84.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad.

Date: 15-12-1984

And recovering individual in view in the state organization arringing to the state SE As processing and the state of the s

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

FFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE KALATHIPARAMRU POAD ANAND BAZAAR, CCCHIN 662 016

Cochin the 2th Nowmber 584

Ref. No. L.C. 700¹84-85—Whereas, J. B. RAVIBALAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax. Act, 1961 (43 of 1961) (hereinatter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
Rs. 25 000/- and

bearing No as per schedule situated at Pathypor Village

(and more fully described in the Sheedule annexed here has been transferred

under the Registration Act, 1908 (16 of 1603) in the office of the registering officer at

Kayamkulam on 11-4-1934

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and mat the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- ·a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any misome or any maneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Weal hear Act. 1957 (27 ef 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269°C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the accusation of the aforesaid property by the issue of this nonce under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) Shri Radhakrishna Kurup & Gopalakrishna Kurup, Choorakka tu Veedu, Eruva P.O (via) Kayamkulam

(Transferor

(2) Shri K. K. Bhaskaran, VI|251, Kuttlayyathu House, Pathiyoor We t. Karikkad, PO. (via) Kayamkulam

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned .-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:
- (b) hy any other person interested in the said mmovable property, within 45 days from the date of the publication of this notic in the Official Gazette

EXPLANATION: - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

50 cents of land in Sy. No. 5069 of Pathiyoor Village, SRO. Kavamkulam vide documentNo. 1203 84. registered : dated 11-4-1984.

> B. RAVIBALAN Competent Authority
> Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Ernakulam

Date . 20-11-1984.